




श्री तपोनिधि आचार्य वीरसागरजी



श्री तपोनिधि आचार्य  
स्व कुंथुसागरजी महाराज.

श्री परमपूज्य स्वामिन् ।

आपने विषय दैर्घ्य दीक्षाको लेकर  
असंख्य आत्मोक्ता कल्याण किया है ।  
आपकी साधना, तपश्चर्या, विद्वत्ता, योग्यता,  
लोकसंप्रदृष्टि और सबसे अधिक निर्मल  
चरित्रसे समाधान पकर श्री परमपूज्य  
चारित्र्यकर्ता निदात-पारंगत, योगीन्द्र  
चूडामणि आचार्य शान्तिसागर महाराजने  
अंतिम सल्लेखनाके समय आपको अपने  
उत्तराधिकार-आचार्य पदपर आरूढ किया है ।  
अतः आपके आचार्य पदाङ्कृत होनेके

पश्चात् प्रथम मेट रूपमें यह

तत्त्वार्थश्लोकचार्तिकालकार ग्रंथराजके  
प्रस्तुत चतुर्थखण्डका आपके पुनांत करकम-  
लोंमें परमादरपूर्वक समर्पण किया जाता है ।




अध्यक्ष आ. कुंथुसागर प्रथमाला



इस प्रयोगके सफल टीकाकार  
तर्कसूत्र, सिद्धांतमहोदधि, स्याद्वादवाचिधि,  
दार्शनिकशिरोमणि, न्यायमिवाकर,  
श्री पं. माणिकचंद्रजी कौंदिय न्यायाचार्य  
फिरोजाबाद ( आगरा )

# संपादकीय वक्तव्य



आज हम हमारे स्वाभ्याय प्रेमी पाठकोंके-करकमलोंमें श्लोकवार्तिकके चौथे खंडको दे रहे हैं, इसका हमें हर्ष है। यद्यपि इस खंडके प्रकाशनमें अपेक्षासे अधिक विलंब हो गया है। परन्तु हमारे धर्मप्रेमी सदस्य हमारी विवशताके लिए क्षमा करेंगे ऐसी आशा है।

हमें इस बातका हर्ष है कि प्रथमावधने इस महान् कार्यको संपादन करनेमें मापी धैर्यका कार्य किया है। उसमें हमारे स्वाभ्यायप्रेमी सदस्योंके असाहकी प्रेरणा है। हमारी इस योजनाका सर्वप्र स्वागत हो रहा है। हमारे सदस्योंको तो हमारे इस बहुमूल्य प्रकाशनका काम हो ही रहा है। परन्तु जो इतर जिज्ञासु हैं, जैनदर्शनके तत्वोंके अंतस्तत्त्वस्पर्श मूहम विवेचनका अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए आज यह प्रकाशन बहुत महत्वका स्थान रखता है। इस ग्रंथके स्वाभ्यायसे बड़े २ सिद्धान्तवेत्ता विद्वान् प्रभावित हुए हैं। निम्नलिखित जैन समाजके कतिपय प्रसिद्ध विद्वानोंकी सम्मतिसे हमारे पाठक समझ सकेंगे कि इस ग्रंथसे स्वाभ्यायप्रेमियोंका कितना हित हुआ है। वे सम्मतियां इस प्रकार हैं।

सिद्धान्तवाचस्पति स्याद्वादवारिधि श्री पं. वंशीधरजी न्यायालंकार इन्दौर

श्री तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक हिन्दी भाष्यके छपे हुए तीनों खण्डोंको मैं श्रीमान् सर सेठ हुकुमचंद्रजी के साक्षिधर्ममें रद्द पढ़ चुका हूँ। इसमेंसे इतना अवश्य कहा जा सकता है कि दार्शनिक एवं ऐतिहासिक तथ्यायोंका विशद विस्तृत वर्णन करनेवाले संस्कृत तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक जैसे महान् ग्रंथका हिंदी भाषामें अनुवाद करनेका कार्य बड़ी विद्वत्ता एवं दृढसाहस एवं धैर्यका काम था।

इसको श्रीमान् पंडित माणिकचंद्रजी न्यायाचार्यने अपने अनुपम तथोक्त गुणोंके कारण पूर्ण कर डाला है। इससे पंडितजी अवश्य वर्तमान युगीन जैन समाजमें एक महान् दार्शनिक विद्वान् कहे जानेके पूर्ण अधिकारी हैं। दर्शनशास्त्र, सिद्धान्त, व्याय, व्याकरण, साहित्यकी निश्चतविद्वत्तासे ही न्यायाचार्यजीने यह कार्य संपन्न किया है।

युक्ति और उदाहरणों द्वारा कठिन प्रमेयोंको सरल सुबोध्य, बना दिया है। प्रतिमाशास्त्री विद्वान्जीका यह कार्य बड़ा प्रशंसनीय हुआ है। इसके लिए हिन्दी टीकाकार माध्व पंडितजीको अनेक हार्दिक धन्यवाद समर्पित हैं।

श्री लाखणहादुरजी भ्रात्री न्यायतीर्थ इन्दौर

अनेकपदांलंकृत श्रीमान् सर सेठ हुकुमचंद्र साहबकी स्वाभ्यायगोष्ठोंमें अनेकोपाधिविभूषित न्यायाचार्य पं. माणिकचंद्रजी द्वारा रचित तत्त्वार्थश्लोकवार्तिककी हिंदी टीकाके कुछ प्रकरण देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। टीका वस्तुतः अपने आपमें बड़ी विशद और विद्वत्पूर्ण है।

अद्वैत पंडितजी न्यायशास्त्रके निष्ठात विद्वान् हैं। अतः श्लोकवार्तिक जैसे दुरूह और गंभीर ग्रंथकी टीकाके अधिकारी आप जैसे नैयायिक विद्वान् ही हो सकते थे। ग्रन्थकी मूळ पद्धतिया पढ़ते समय प्रथम क्षण जो कठिनाई प्रतीत होती है, टीका पढ़नेके बाद दूसरे ही क्षणमें वह कठिनाई सरलतामें परिणत हो जाती है, यही इस टीकाकी विशेषता है।

अनेक स्थलोंको पढ़कर तो हमें ऐसा लगा जैसे पंडितजीने साक्षात् महर्षि विद्यानिंदिके पाद-मूळमें ही बैठकर इस ग्रंथका अध्ययन किया होय।

जैन साहित्य जगत्में यदि इस युगकी किन्हीं रचनाओंको महत्त्व दिया जा सकता है तो वे दो ही हैं। एक ध्वज्यादि ग्रंथोंकी टीका, दूसरे तत्त्वार्थश्लोकवार्तिककी हिंदी टीका। पहिलीकी जहाँ अनेक विद्वानोंने मिळकर सम्पादन किया है, वहाँ दूसरेको न्यायाचार्य पण्डित माणिकचंद्रजीने स्वयः अकेलेने ही किया है। बीसवीं सदीके जैन इतिहासको गतिशील बनानेमें निःसंदेह पंडितजीने महत्पूर्ण कार्य किया है।

आजके संपादन जगत्को जितनी साहित्यिक सुविधायें प्राप्त हैं, उतनी सम्भवतः तब नहीं थी, अब कि पंडितजीने इस टीकाको प्रारम्भ किया था। फिर भी पंडितजीने अपनी बौद्धिक महानताके आधारपर इतने विशाल गहन और उच्चतम ग्रंथको सरल बनाकर जो सर्व साधारणके लिये उपयोगी बना दिया है, वह विद्वानोंके श्रेय ईर्ष्याकी चोत्र है। पंडितजीकी इस साहित्य सेवाके लिये मात्री पीढी सदा उनका उपकार मानती रहेगी। श्री श्लोकवार्तिककी टीकाके लिये जैनदर्शन, न्याय, सिद्धांत, में निष्ठात स्नातक विद्वान् की अपेक्षा थी, साथ ही अन्य दर्शनों या व्याकरण साहित्यकी तलस्पर्शनी विद्वत्ता भी आकांक्षणीय थी। तभी पंडितजीने असमिपनीयत्वसे भूत निरवध हिंदी टीकाकी रचना की है। विद्वद्दर्शनी और हिंदी भाष्यकी जितनी भी प्रशंसा की जाय स्वल्प ही होगी।

हिन्दी भाष्यमें शतशः नितान्त कठिन स्थलोंपर भावार्थ, युक्तिया, उदाहरण, देकर तो छोड़को मोम बना दिया गया है। रूक्ष विषय न्यायको इतना स्पष्ट, रुचिकर, सुबोध्य, बनानेमें भारी विद्वता, तपस्या, परिश्रमशीलता, अन्वेषणपूर्वक कार्य संपन्न किया गया है।

ऐसे प्रकरणोंका अध्ययन कर विद्वान्की तीक्ष्ण अन्तःप्रवेशिनी विद्वत्तापर विस्मय करते हुये चित्त आनन्दगद्गद हो जाता है। पंडितजीने इस ग्रंथमें अपने गंभीर अध्ययन, असाधारण ज्ञान, अथक परिश्रम, तथा अपूर्वप्रतिभाका जो उपयोग किया है, उसके लिए हम पंडितजीका अभिनन्दन करते हैं। मैं टीकाका अध्ययन कर अत्यन्त प्रभावित हुआ हूँ। जैन समाजसे निवेदन है कि घोरश्रम, परिश्रमविद्वत् से भरपूर इस अनुपम ग्रन्थका परिशीलन करें और महान् नैयायिक आचार्य श्री विद्यानिन्दे स्वामीकी तर्कपूर्ण सिद्धान्तप्रतिपादनपद्धतिका आनन्दानुभव करते हुए स्वकीय सम्पत्तिका परिष्कृत करें।

## भी विद्वद्ग पं. कैलासचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री बनारस

गुरुवर्ष पं माणिकचन्द्रजीकी अमूल्य कृति श्री श्लोकवार्तिककलंकारकी हिन्दी टीका इस शतीके विद्वद्गर्गके लिए स्पर्धाकी वस्तु है। गुरुकी कृतिकी आलोचना करना शिष्यका कार्य नहीं होता। वह केवल उसकी अभियन्दना कर सकता है। अतः मैं भी उसकी अभियन्दना करता हूँ। वह एक ऐसी कृति है, जिससे भावी पाँढोंका मार्ग प्रशस्त हुआ है। वह सचमुचमें श्लोकवार्तिककलंकारके जिज्ञासुओंके लिये दीपिकाका ही कार्य करेगी।

इससे इस ग्रंथकी महानता एवं उपयोगिताका दर्शन हमारे पाठकोंकी मज्जी माँति होगा। अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं।

### मस्तुत खंडका प्रमेय

इससे पहिले प्रकृतग्रंथके तीन खंड प्रकाशित हो चुके हैं। यह निश्चित है कि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिककलंकार तत्त्वार्थसूत्रके सर्व गहन गंभीर तत्वोंका विविध दृष्टिकोणसे दर्शन करानेवाला विशाल दर्पण है, तत्त्वार्थसूत्रके प्रमेयोंका इतना सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन करनेवाला आजतक कोई दूसरा ग्रंथ नहीं निकला, यह हम निस्संकोच लिख सकते हैं।

प्रथम खंडः—प्रकृत ग्रंथके प्रथम खंडमें मोक्षोपायके संबंधमें अत्यंत गवेषणाके साथ विचार किया गया है। उक्त विषयका स्पष्टीकरण आवाज वृद्धोंकी समझमें आवे, इस ढंगसे अत्यंत विशद रीतिसे किया गया है। जीवका अंतिम ध्येय मोक्ष है। बंधनबद्ध आत्माको मुक्तिके अलावा और क्या चाहिये। मुक्तिके लिए साधनोभूत सफलमार्गका दर्शन महर्षि विद्यानंदस्वामीने इस प्रकरणमें कराया है। रत्नत्रयके बिना मुक्तिश्री वशमें नहीं हो सकती है। रत्नत्रयकी प्राप्तिसे ही मोक्षसाप्राप्त्यके वैभवको यह आत्मा अमित-अनंत-आनंदके साथ अनुभव कर सकता है, इस तत्वका दर्शन हम आचार्य विद्यानंदकी विवेचनमें देखकर गद्गद हो जाते हैं। ६५० पृष्ठोंमें केवल एक प्रथम सूत्रका विवेचन ही आसका है। इसीसे प्रकृत ग्रंथकी महत्ताका ज्ञान हो सकता है। इस खंडमें प्रथम अध्यायका प्रथम आन्विक तक प्रकरण आ गया है।

द्वितीयखंड—द्वितीय खंडमें पुनश्च ग्रंथकारने सम्प्रदर्शनका स्वरूप, भेद, अधिगमोपाय, तत्वोंका स्वरूप और भेद, तत्वज्ञानके साधक निक्षेपादिकोंका विवेचन, निर्देशादि पदार्थ विज्ञानोंका विस्तार, और सत्संख्यक्षेत्रादिक तत्वज्ञानके साधनोंपर पर्याप्त प्रकाश डाला है। इस खंडमें प्रथम अध्यायका द्वितीय आन्विकतकका विवेचन आ चुका है। ग्रंथकारने इस प्रकरणमें सम्प्रदर्शनके संबंधमें सर्वोर्गीण विशद विचारको व्यक्त किया है। इतना ही लिखना पर्याप्त है कि सम्प्रदर्शनके विषयमें इतना विस्तृत व सुस्पष्ट विवेचन अन्यत्र मिलना असंभव है। इस खंडमें केवल सात सूत्रोंका विवेचन है। प्रथम खंडमें 'सम्प्रदर्शनचरित्राणि मोक्ष मार्गः' इस सूत्रके द्वारा मोक्षमार्गका सामान्य विवेचन कर आचार्य प्रवरने दूसरे खंडमें 'तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्प्रदर्शनं' से लेकर 'सत्संख्यक्षेत्रस्पर्शन

कार्त्तातरभावाल्पबहुत्वैश्च ' सूत्रपर्यंत सम्यग्दर्शनका स्वरूप, उत्पत्ति व भेद, तावोंका विशदरूप और तत्त्वज्ञानके उपायोंका विशद दर्शन कराया है। इस तरह द्वितीय खंडमें केवल सात सूत्रोंका और द्वितीय आग्निहोत्रक आठ सूत्रोंका विवेचन आ गया है।

तृतीयखंड—तीसरे खंडमें सम्यग्ज्ञानका प्रकरण चालू हो गया है। नीचे सूत्रसे लेकर २० वें सूत्रनका विवेचन तीसरे खंडमें आ चुका है। सम्यग्ज्ञानका स्वरूप, सम्यग्ज्ञानके भेद, मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका विवेचन उक्त खंडमें किया गया है। ज्ञान सामान्य प्रत्येक जीवको होनेपर भी सम्यग्दर्शन जयतक नहीं होता है, सबतक वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं कहलाता है। सम्यग्ज्ञान हुए बिना इस आत्माको आत्मसिद्धि नहीं हो सकती है। सम्यग्ज्ञानरहित चारित्र भी सम्यक्चारित्र नहीं कहला सकता। अतः सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकरणमें ज्ञानको मतिश्रुत अथवा मनःपर्यय और केवलज्ञानके रूपमें विभक्त कर उनकी प्रपक्ष और परोक्षप्रमाणके रूपमें विवेचन किया है। इन ज्ञानोंके प्रामाण्यके संबंधमें तार्किकघूडामणि विद्यानंदस्वामीने अकाट्य युक्तियों द्वारा जो विवेचन किया है, उसे देखकर विद्वत्संसार दंग रह जायगा। विषयके विवेचनमें विविधमतोंका परामर्श किया है। और सन्दीके ग्रंथोक्त प्रमाणोंसे विषयको उनके गले उतारनेका चतुर्थ दिखाया गया है। इस तरह तृतीय खंडमें २० सूत्रतकके प्रमेयोंका प्रतिपादन किया गया है।

चतुर्थखंड—प्रस्तुत चतुर्थ खंड 'भवप्रत्ययोवधिर्देवनारकाणाम्' इस अवधिज्ञानविषयक सूत्रसे प्रारंभ हो जाता है। प्रत्येकारने अथवा मनःपर्यय ज्ञान, उनका स्वरूप, भेद, एवं केवलज्ञानके संबंधमें प्रतिभापूर्ण विवेचन किया है। साथ ही कुमति, कुश्रुत और विभंगज्ञानका विवेचन कर नयोके संबंधमें विरतृत विवेचन किया है। इस प्रकरणमें आचार्यने अवधिज्ञानकी उत्पत्तिमें अन्तरंग और बहिर्गंग कारणोंका सुन्दर विचार कर निमित्त और उपादानपर यथेष्ट प्रकाश डाला है। उसी प्रकार अनंतर अवधिज्ञानके भेदोंका विस्तारपूर्वक निरूपण कर अन्यत्र उल्लिखित सर्वभेद इन्ही भेदोंमें अंतर्भूत होते हैं, इस बातका स्पष्टीकरण किया है। तदनन्तर मनःपर्यय ज्ञानका, स्वरूप, भेद और उनमें जो विशेषता है, उसका विशद प्रतिपादन किया है। इसके बाद मतिश्रुत-तादि ज्ञानोंका विषयनियम बतलाते हुए आचार्य महाराजने उनको आगमके प्रकाशमें तर्क और युक्तिसे प्रतिष्ठित किया है। केवलज्ञानके विषयनिर्बंधको 'सर्वद्रव्यपर्यायेषु केषचिद्' सूत्रके द्वारा प्रतिपादन करते हुए ग्रंथकारने सर्वज्ञकी सुसंगत व्याख्या की है। केवलज्ञानमें सर्व द्रव्यपर्याय झलकती हैं। एक ही पर्याय या पदार्थके दृष्टनेपर सर्वज्ञता नहीं बन सकती है। यहा मीमांसक मतका खूब परामर्श कर साकल्यरूपसे सर्वज्ञसिद्धि की है। नास्तिक और मीमांसकोंके द्वारा उठाई गई अनेक शंकाएँ एवं उनके द्वारा प्रयुक्त हेतुको सद्गोप सिद्ध कर महर्षिने अल्पज्ञके ज्ञानकी सावरण और सर्वज्ञके ज्ञानकी निरावरण सिद्ध किया है। आवरणोंकी सर्वथा हानि होनेपर विशद, सकल, और युगपत् प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त होता है। वही केवलज्ञान है। वहीपर सर्वज्ञता है। इस प्रकरणके बाद एक जीवमें एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, इसका विवेचन किया गया है। छद्मस्थ जीवोंके एक

समयमें दो उपायेग नहीं हो सकते हैं, स्नायोपशमिकज्ञान कपसे ही होते हैं, यह बतलाकर एक साथ कितने ज्ञान कैसे संभवते हैं, इसका सयुक्तिक विवेचन किया गया है। केवलज्ञान-साध्यिक, असहाय है, वह अकेला है, अतः एक ही है। पंच ज्ञानोंकी विशद व्याख्या करनेके बाद मिथ्यात्वके साहचर्यसे मतिश्रुत अवधि ये तीन ज्ञान मिथ्यारूप भी होते हैं, मनःपर्यय और केवल मिथ्यारूप नहीं हो सकते हैं, इसका समर्थन किया गया है। अंतमें तत्त्वार्थाधिगम भेदके नामसे ग्रंथकारने जो प्रकरण निबद्ध किया है, वह विद्वानोंके लिए अत्यंत उपयोगी चीज है। वीतराग कथा और विजिगीषुकथाके द्वारा जो विद्वान् तत्त्वसिद्धि करना चाहते हैं, उनको इस प्रकरणका यथेष्ट उपयोग होगा। आचार्य विद्यानंदस्वामीने इस प्रकरणमें अपने ज्ञानकौशलके सारे वैभवको ओत दिया है। इस तरह यह खंड भी करीब ६०० पृष्ठोंमें पूर्ण हुआ है।

हमारा अनुमान था कि कुछ ७ खंड इस ग्रंथराजके होंगे। पाच खंडोंमें पहिला अध्याय और शेष दो खंडोंमें नौ अध्याय पूर्ण होंगे। परंतु प्रथमाध्याय इस चौथे खंडमें ही समाप्त हो गया है। आगेके नौ अध्याय तीन खंडोंमें समाप्त हो जायेंगे। हम समग्र ग्रंथको शीघ्र हमारे विद्वान् पाठकोंके हाथमें देनेके प्रयत्नमें हैं।

यह कार्य सामान्य नहीं है, यह हम निवेदन कर चुके हैं। इस कार्यमें कठिनाईयां भी अधिक हैं। संस्थाको मारी आर्थिक हानि हो रही है। परंतु संकल्पित कार्यको पूर्ण करना हमारा निश्चय है। यह तो हमारे विद्वान् पाठकोंको ज्ञात है कि आचार्य कुंतुसागर ग्रंथमालाके सदस्योंको यह ग्रंथ अन्य प्रकाशनोंके साथ विनामूल्य ही दिया जा रहा है। करीब ५०० सदस्योंको विनामूल्य भेंट जानेके बाद, और प्रायः वे ही स्वाध्यायामिरुचि रखनेवाले होनेके कारण शेष प्रतियोंको खरीदनेवाले बहुत सीमित संख्यामें हैं। इसलिए हम अपने सदस्योंसे ही निवेदन करेंगे कि वे या तो कुछ सदस्य संख्या बढ़ानेका प्रयत्न करें या अपनी ओरसे कुछ प्रतियोंको खरीद कर जैनेतर विद्वान्, विच-विषाढय, परदेशके विद्वान् आदिको भेंटमें देनेकी व्यवस्था करें। आज ऐसे गंभीर दार्शनिक प्रयोगोंका परदेशमें यथेष्ट प्रचार होनेको आवश्यकता है। आज पाश्चात्य देशके जिज्ञासु विद्वान् दर्शन शास्त्रोंको अध्ययन करनेके लिए लालायित हैं। परन्तु उनके सामने रखनेकी आवश्यकता है। हमारे स्वाध्यायप्रेमि जिनवाणीभक्त इस ओर ध्यान दें। इस प्रकार यह कार्य सुकर हो सकता है। आशा है कि समाजके श्रुतभक्त सज्जन इस कार्यमें हाथ बटावेंगे।

टीकाकारके प्रति कृतज्ञता

विद्यानंद स्वामीकी विषय प्रतिवादनशैली जिस प्रकार अनुपम है, वसी प्रकार न्यायाचार्यजीकी विषयकी विशद करनेकी पद्धति अनुठी है। इस गहन ग्रंथके गूढ प्रमेय अध्ययन करनेवालोंके चित्तमें आरुहाद करते हुए शीघ्र उत्तर जाते हैं। यह उनकी अगाधविद्वत्ता और दीर्घतरपिरश्रमका प्रापञ्च प्रमाण है।

## —: प्रकृत ग्रंथका समर्पण :—

परमपूज्य प्रातःस्मरणीय विश्वत्रय चारित्रिकवर्षि आचार्य शातिसागर महाराज इस वर्ष समस्त विश्वको दुःखसागरमें मग्नकर स्वयं आत्मलीन हुए । आचार्यश्रीने अपनी अंतिम यमसल्लेखनाके समय समाजको भागी मार्गदर्शनके लिए अपना आचार्यपद अपने सुयोग्य प्रथमशिष्य धीरतपस्वी विद्वान् मुनिराज वीरसागर महाराजको प्रदान किया । एवं उनके आदेशानुसार चलनेके लिए समाजको आज्ञा दी ।

श्री आचार्य वीरसागर महाराज.

श्रीपरमपूज्य प्रातःस्मरणीय आचार्य वीरसागरजी महाराज वर्तमान युगके महान् संत हैं । वे आचार्य महाराजके प्रथम शिष्य हैं । उनके द्वारा आजपर्यन्त असंख्य जीवोंका उद्धार हुआ है, हो रहा है । वे वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, संयमवृद्ध, और अनुभववृद्ध हैं । उनके द्वारा समाजको वस्तुतः सही मार्गदर्शन होगा । आचार्यश्रीने योग्य व्यक्तिको अधिकारसूत्र दिया है । आज आप समाजके लिए महान् संतके द्वारा नियुक्त अधिकृत आध्यात्मिक पदके आचार्य हुए हैं । आचार्य पदाब्जकृत प्रसंगकी चिरस्मृतिके लिए एवं इस प्रसंगमें प्रथममेटके रूपमें प्रस्तुत खंडकी परमपूज्य आचार्य वीरसागर महाराजके करकमलमें समर्पित किया गया है । हमें इस बातका अभिमान है कि संस्थाको इस प्रवृत्तिने एक शुभशक्नुनका कार्य किया है । आचार्यश्रीका युग चिरंतनमार्ग-प्रभावक एवं लोककल्याणात्मक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ।

अपनी बात.

परमपूज्य प्रातःस्मरणीय विद्वद्वर स्व. आचार्य श्री कुंभुसागर महाराजकी पुण्यस्मृतिमें यह प्रियमाला चळ रही है । आचार्यश्रीने अपने जीवनकालमें धर्मकी बड़ी प्रभावना की । जैनधर्मको विश्वधर्मके रूपमें रक्षनेका अनवरत उद्योग किया । तेजोपुंज प्रतिभा, विद्वत्ता, आकर्षणशक्ति, कोमलता, गंभीरता, आदि गुणोंके द्वारा आपने विश्वको अपनी ओर खींच लिया था । विश्वकल्याणकी तीव्रतर भावना उनके हृदयमें धर कर गई थी । समाजका दुर्भाग्य है कि असमयमें ही उन्होंने इस लोकसे प्रयाण किया । पूत्रश्रीकी ही स्मृतिमें यह संस्था आपकी सेवा कर रही है । यदि आप संस्थाके महत्व और कार्यगौरवको लक्ष्यमें रखकर इसमें सहयोग प्रदान करें तो यह आपकी इससे भी अधिक प्रमाणमें सेवा करनेमें दक्ष होगी एवं विश्वमें इस प्रभावक तावका विपुलप्रचार होकर लोककल्याण होगा ।

विनीत—

सोलापुर

वीरनिर्वाण सं. २४८९

वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री

( विद्यावाचस्पति न्याय-काव्यतीर्थ )

ऑ. पंथी-श्री आचार्य कुंभुसागर ग्रंथमाला सोलापुर.





श्रीविद्यानन्द-स्वामिविरचितः

# तत्त्वार्थश्लोकवार्त्तिकालंकारः

तत्त्वार्थचिंतामणिटीकासहितः

( चतुर्थखंडः )

परोक्षमति, श्रुतज्ञानोंका परिभाषण कर श्री उमास्वामी महाराज अब क्रमप्राप्त अवधिज्ञानका व्याख्यान करनेके लिए सूत्रका उच्चारण करते हैं ।

## भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणाम् ॥ २१ ॥

अवधिज्ञानका लक्षण तो “ मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम् ” इस सूत्रमें पढ़े हुये अवधि शब्दकी निरुक्ति करके ही कह दिया गया है । अवधिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे और अन्तरंग बहिरंग कारणोंके संनिधान होनेपर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी मर्यादाको छोड़े हुये जो रूपी पुद्गल और बद्ध जीवद्रव्योंके विवर्तोंको प्रत्यक्षरूपसे विषय करनेवाला ज्ञान है, वह अवधिज्ञान है । उस अवधिज्ञानके भवप्रत्यय अवधि और क्षयोपशमनिमित्त अवधि ये दो भेद हैं । पक्षियोंको जिस प्रकार शिक्षा बिना ही आकाशमें उड़ना आ जाता है, मछलियोंको सीखे बिना ही अपने जन्म अनुसार जलमें तैरना आ जाता है, उसी प्रकार चार निकायके सभी देव और संपूर्ण नारकियोंके भवको ही कारण मानकर भवप्रत्यय अवधिज्ञान हो जाता है । सम्मर्दर्शनका संनिधान हो जानेपर वह अवधिज्ञान है, अन्यथा विमङ्गलज्ञान कहा जायगा ।

किं पुनः कुर्वन्निदमावेदयतीत्याह ।

फिर किस फलकी सिद्धिको करते हुए श्री उमास्वामी महाराज इस “ भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणां ” सूत्रका प्रज्ञापन कराते हैं । इस प्रकार प्रश्नकर्ताकी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज यों स्पष्ट उत्तर देते हैं, सो सुनो ।

भवप्रत्यय इत्यादिसूत्रमाहावधेर्वहिः ।

कारणं कथयन्नेकं स्वामिभेदव्यपेक्षया ॥ १ ॥

अवधिज्ञानके देव और नारकी इन दो अधिपतियोंके भेदोंकी विशेष अपेक्षा नहीं करके अवधिज्ञानके केवल बहिरंग एक कारणका कथन करते हुए श्री उमास्वामी महाराज “ भवप्रत्ययोऽवधिदेवनारकाणां ” इस सूत्रको कह रहे हैं । अर्थात् मिला दो स्वामियोंके सामान्यरूपसे एक बहिरंग कारण द्वारा हुये अवधिज्ञानका प्रतिपादक यह सूत्र है । अथवा देव और नारकी इन दो स्वामियोंके भेदकी विशेष अपेक्षा करके भी बहिरंग कारण एक भव मात्र हो जानेसे भवप्रत्यय अवधिज्ञानको स्वामीजी कह रहे हैं ।

देवनारकाणां भवभेदात्कथं भवस्तदवधेरेकं कारणमिति न चोच्यं भवसामान्यस्यैकत्वाधिरोधात् ।

कोई कटाक्ष करता है कि देवोंकी उत्पत्ति, स्थिति, सुख भोगना आदि भवकी प्रक्रिया मिला है, और नारकियोंकी उत्पत्ति, दुःख भोगना, नरक आधुका उदय आदि भवकी पद्धति न्यायी है । जब कि देव और नारकियोंके भवोंमें भेद हो रहा है तो सूत्रकार महाराजने उन दोनोंके अवधिज्ञानका एक कारण मला भव ही कैसे कह दिया है ? बताओ । अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार आक्षेपपूर्ण प्रश्न उठाना ठीक नहीं है । क्योंकि सामान्यरूपसे भवके एकपनका कोई विरोध नहीं है । महाराजों और पितृनारकों पुत्र प्रसव होनेपर सुत उत्पत्ति एकसी है । वीरराग विद्वानोंकी दृष्टिमें देवोंका जन्म और नारकियोंका जन्म एकसा है । गमन सामान्यकी अपेक्षासे ऊँटकी गति और हाथीकी गतिमें कोई अन्तर नहीं है । अतः देव और नारकियोंकी मध्यम देशवधिका बहिरंग कारण तिस अवधियोग्य शरीर आदिसे युक्त जन्म लेनारूप भव है ।

कथं बहिरंगकारणं भवस्तत्स्वात्मपर्यायत्वादिति चेत् ।

पुनः किसीका प्रश्न है कि भव मला अवधिज्ञानका बहिरंग कारण कैसे हो सकता है ? क्योंकि यह भव तो जीवद्रव्यकी अन्तरंग पर्याय है । जीवके भवविपाकी आधुष्यकर्मका उदय होनेपर जीवको उमादान कारण मानकर जीवकी भवपर्याय होती है । अतः भव तो अन्तरंग कारण होना चाहिये । इस प्रकार आशंका करनेपर तो यों समाधान करना कि—

नामायुरुदयापेक्षो नुः पर्यायो भवः स्मृतः ।

स वहिः प्रत्ययो यस्य स भवप्रत्ययोऽवधिः ॥ २ ॥

गति नामक नामकर्म और आयु कर्मके उदयकी अपेक्षा रखनेवाली जीवकी पर्याय भव कही गयी है । यह भवका लक्षण पूर्व आचार्योंकी व्याख्यासे स्पष्ट हुआ चला आरहा है । जिस

अवधिज्ञानका बहिरंग कारण वह मव है, वह ज्ञान भरप्रसय अवधि कहा जाता है। जीवकी पर्यायें अन्तरंग कारण ही होंय ऐसा कोई नियम नहीं है। अत्यन्तपरोक्ष आकाश और कालद्रव्यके परिणाम बहुतसे कार्योंमें बहिरंगनिमित्त बन रहे हैं। पांच सेर दहीका उपादान पांच सेर दूध है। उसमें तोला भर डाला गया दही जामन तो निमित्तमात्र है। यानी बहिरंग कारण है। अन्तरंग कारण या उपादान कारण नहीं है। स्वयं जीवके क्रोधपर्यायकी उत्पत्ति करनेमें क्रोध नामका पौद्गलिक कर्म तो अन्तरंग कारण है, और जीवकी पूर्ववर्ती क्रोधपर्याय या चारित्रगुणकी अन्य कोई विभावपर्याय बहिरंगकारण है। चारित्र गुण उपादानकारण है। तथा जीवके सम्यक्त्वगुण उपजनेमें न्यारे चारित्रगुणकी परिणति हो रही कारणवच्चि तो अन्तरंग कारण है। और क्षयोपशमवच्चि या उपादानरूप हो रही पूर्वसमयकी मिध्यात्वपरिणति बहिरंग कारण है। लम्बे चौड़े बट वृक्ष, आम वृक्ष आदिकी उत्पत्तिके उपादानकारण खेत, मिट्टी, जल, आतप, वायु, आदिक हैं। और बटबीज या आमकी गुठिळी निमित्तकारण है। चना, उर्द, गुठिळी आदि बीजोंमें दो पल्लोंके भीतर जो तिल या पोस्त बराबर पदार्थ छिपा हुआ है वह केवल आदिके स्वल्प अंकुरका उपादानकारण माना जाय। खाये पीये हुये दूध, अन्न, जल, वायु आदिमें प्रविष्ट हो रहें या अतिरिक्त स्थलोंसे भी आईं हुयीं आहारवर्गणायें तो बाळकके बढे हुये मोटे शरीरकी उपादानकारण हैं। और मातापिताके रजोवीर्य निमित्तकारण हैं। धौले या पीले प्रकाशके उपादानकारण तो गृहमें मरे हुये पुद्गल हैं। दीपक या सूर्यके निमित्तसे वे ही चमकदार परिणत हो गये हैं। जैसे कि जीवके रागद्वेष आदिको निमित्त पाकर कर्मणवर्गणायें ज्ञानावरण आदि कर्म बन जाती हैं। जो कार्य रूप परिणमता है, वह उपादानकारण है। आप्रबीजको निमित्त पाकर इधर उधरके जल मृत्तिका आदिक पुद्गल ही ढालीं, छाळ, वौर, आम गुठिळी आदि अवस्थाओंको धार लेने हैं। वे ही मिट्टी आदिक यदि अमरुद बीजका निमित्त पाते हैं, तो अमरुदके वृक्षके उपादानकारण बन जाते हैं। सकोरामें थोड़ी मिट्टी और बीज अधिक ढाळकर बोदेनेसे कुछ फाळमें सभी मिट्टी अंकुररूप परिणमजाती है। समीचीन मित्रकी शिक्षाके अनुसार प्रशंसनीय कार्योंको करनेवाले धनिक पुरुषकी प्रवृत्तिका अन्तरंग कारण तो सधा मित्र है, जो कि सर्वथा अलग है। और धनिककी मोड़ी बुद्धि तो उस प्रवृत्तिका बहिरंग कारण है। यह कार्यकारणका नियम गंभीर है। स्याद्वादसिद्धान्तके अनुसार ही हृदयंगत होता है। प्रकरणमें देवनाराकियोंके अवधि-ज्ञानका बहिरंग कारण उनका मव है, ऐसा समझो।

बहिरंगस्य देवगतिनामकर्मणो देवायुपथोदयाद्देवभवः। तथा नरकगतिनामकर्मणो नररायुपथोदयाच्चरकभव इति। तस्य बहिरंगतात्मपर्यायत्वेषुपि न विरुद्धा।

देखिये, गनि नामक पिण्डरकृतिके भेद हो रहे देवगति नामक नामकर्म और आयुष्यकर्मके भेद हो रहे देवायुकर्म इन बहिरंग कारणोंके उदयमें आत्माकी देवमय परिणति होती है, तथा

नरक गति नामक नामकर्म और नरकायुः इन दो बहिरंग कारणोंके उदयसे आत्माकी नरकभव पर्याय होती है। इस प्रकार उस भवको आत्माका पर्यायपना होते द्रुये भी बहिरंग कारणपना विरुद्ध नहीं है। द्रव्योंकी परिणतिओंमें उनके कोई तदात्मक परिणाम तो बहिरंगकारण बन जाते हैं, और दूरवर्ती, द्रव्यान्तरवर्ती भी कोई कोई पदार्थ अन्तर्गकारणपनेके पारितोषिकको छुटते जाते हैं। स्त्री या धन अथवा प्रियपुत्र आदिके सर्वथा अधीन हो रहे पुरुषकी प्रवृत्तिओंका अन्तरगकारण स्त्री धन आदिक हैं और उस पुरुषकी रति, मोह, लोभ आदि निज आत्मपरिणतिया बहिरंगकारण हैं। किसी कार्यमें तो ये कैसी भी यानी उदासीनकारण भी नहीं हैं, प्रेरकपना तो दूर रहा।

कथमत्रावधारणं, देवनारकाणामेव भवप्रत्ययोऽवधिरिति वा भवप्रत्यय एव देवनारकाणामिति ! उभयथाप्यदोष इत्याह ।

यह किसीकी शंका है कि सभी वाक्य अवधारणसहित होते हैं। चाहे एवकार कण्ठोक्त कहा जाय अथवा नहीं कहा जाय। तदनुसार इस सूत्रमें क्या उद्देश्यदलके साथ एवकार लगाकर अवधारण किया गया है ? अथवा विधेयदलके साथ एव लगाकर नियम किया गया है ? बताओ। अर्थात्—देव और नारकी जीवोंके ही भवप्रत्यय अवधि होती है, इस प्रकार अवधारण अमीष्ट है ? अथवा भवप्रापय अवधि ही देव और नारकीयोंके होती है ? यों अभिमत है। इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर आचार्य कहते हैं कि दोनों भी प्रकारोंसे अवधारण करनेपर कोई दोष नहीं आता है। हमें उद्देश्य और विधेय दोनोंमें एवकार लगाकर अवधारण करना अमीष्ट है। इसी बातको आचार्य महाराज दो कारिकाओंद्वारा स्पष्ट कर देते हैं।

येऽग्रतोऽत्र प्रवक्ष्यन्ते प्राणिनो देवनारकाः ।

तेषामेवायमित्यर्थान्नान्येषां भवकारणः ॥ ३ ॥

इस तत्त्वार्थसूत्र ग्रंथमें आगे चौथे, तीसरे अध्याय करके जो प्राणी देव और नारकी बढिया लगते कहे जायेंगे, उन प्राणियोंके ही यह भवको कारण मानकर उत्पन्न होनेवाला अधिज्ञान उत्पन्न होता है। अन्य मनुष्य या तिर्यच प्राणियोंके भवप्रत्यय अधिज्ञान नहीं होता है। ऐसा उत्तरदलमें अवधारणको अतिनकर अर्थ कदेनेसे देव नारकीयोंके अतिरिक्त अन्य प्राणियोंमें भव प्रत्यय अधिज्ञानका निराकरण कर दिया जाता है। यद्यपि तीर्थकरोंके भी जन्म लेते ही भवप्रत्यय अवधि हो जाती है। किन्तु भी सूत्रअनुसार सामान्यरूपसे चार गतियोंके प्राणियोंकी अपेक्षासे अधिज्ञानका नियम इस प्रकार कदेनेपर कोई दोष नहीं आता है।

भवप्रत्यय एवेतिनियमान्न गुणोद्भवः ।

संयमादिगुणाभावाद्देवनारकदेहिनाम् ॥ ४ ॥

भवप्रत्यय ही अवधिज्ञान देवनारकियोंके होता है। इस प्रकार दूसरा पूर्वदलमें नियम कर देनेसे देव और नारकियोंके गुणसे उत्पन्न हुए क्षयोपशमनिमित्त अवधिज्ञानका निषेध हो जाता है। क्योंकि देव और नारकियोंके सदा अप्रत्याख्यानारण कर्मका उदय बना रहनेके कारण संयम, देश-संयम और श्रेणी आदिके भावस्वरूप गुणोंका अभाव है। अतः उन शरीरधारी देवनारकियोंके गुणप्रत्यय अवधिज्ञान नहीं उपजाता है।

नन्वेवमधारणेऽवधौ ज्ञानावरणक्षयोपशमहेतुरपि न भवेदित्याशंका मपनुदति ।

यहां किसीका प्रश्न है कि इस प्रकार देवनारकियोंके अवधिज्ञानमें भवप्रत्ययका ही यदि अवधारण किया जायगा, तब तो ज्ञानावरणका क्षयोपशम भी उस अवधिज्ञानका हेतु नहीं हो सकेगा? किंतु सम्पूर्ण ज्ञानोंमें क्षयोपशम या क्षयको तो अनिवार्य कारण माना गया है। अवधारण करनेपर तो उस क्षयोपशमकी कारणता पृथग्भूत हो जाती है। इस प्रकार आशंकाका श्री विद्यानंदस्वामी वार्तिकोंद्वारा स्वयं निराकरण करते हैं।

नावधिज्ञानवृत्कर्मक्षयोपशमहेतुता ।

व्यवच्छेद्या प्रसज्येताप्रतियोगित्वनिर्णयात् ॥ ५ ॥

वाह्यौ हि प्रत्ययावत्राख्यातौ भवगुणौ तयोः ।

प्रतियोगित्वमित्येकनियमादन्यविच्छेदे ॥ ६ ॥

“ भवप्रत्यय एव ” ऐसा कहदेनेसे अवधिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमको अवधिज्ञानकी हेतुताका व्यवच्छेद हो जाना यह प्रसंग कथमपि प्रस्तुत नहीं होगा। क्योंकि क्षयोपशमको अप्रतियोगीपनका निर्णय हो चुका है। अवधारण द्वारा विपक्षभूत प्रतियोगियोंका निवारण हुआ करता है। भावार्थ—भवप्रत्ययका प्रतियोगी भवप्रत्ययाभाव या संयम आदि गुण हैं। अतः भवप्रत्यय ही ऐसा अवधारण करनेपर भवप्रत्ययामात्रका ही निवारण होगा। क्षयोपशमकी कारणताका बाह्य मात्र भी व्यवच्छेद नहीं हो सकता है। कारण कि उन दो प्रकारवाले अवधिज्ञानोंके बहिरंगकारण यहां प्रकरणमें भव और गुण ये दो बलाने गये हैं। अतः भव और गुण परस्परमें एक दूसरेके प्रतियोगी हैं। इस कारण शेष अन्यका व्यवच्छेद करनेके लिये एकका नियम कर दिया जाता है। अर्थात्—जिस देव या नारकियोंके भवको कारण मानकर अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है, भले ही उनके अवधिज्ञानमें संयम आदि गुण कारण नहीं है, किन्तु क्षयोपशम तो कारण अवश्य है। गुण तो बहिरंगकारण है, और क्षयोपशम अन्तरंगकारण है। अतः भवके प्रतियोगी हो रहे बहिरंगकारण गुणका तो देव नारकियोंके अवधिज्ञानमें निषेध है। किन्तु अप्रतियोगी बन रहे क्षयोपशमका निषेध नहीं किया गया है।

यथैव हि चैत्रो धनुर्द्धर एवेत्यत्रायोगव्यवच्छेदेऽप्यधानुर्द्धर्यस्य व्यवच्छेदो नापाण्डि-  
 त्यादिस्तस्य तदप्रतियोगित्वात् । किं चैत्रो धनुर्द्धरः किं वायमधनुर्द्धर इति आशंकायां  
 धानुर्द्धर्यंतरयोरेव प्रतियोगित्वाद्धानुर्द्धर्यनियतेनाधानुर्द्धर्य व्यवच्छिद्यते । तथा क्रिमवधि-  
 र्भवमत्ययः किं वा गुणप्रत्यय इति बहिरंगकारणयोर्भवगुणयोः परस्परं प्रतियोगिनोः  
 शंकायामेकतरस्य भवस्य कारणत्वेन नियमे गुणकारणत्वं व्यवच्छिद्यते । न पुनरवधि-  
 ज्ञानावरणस्योपशमविशेषः क्षेत्रकालादिवत्तस्य तदप्रतियोगित्वात् ।

एवकार तीन प्रकारका होता है । १ अयोगव्यवच्छेद २ अन्ययोगव्यवच्छेद ३ अयन्तायोग-  
 व्यवच्छेद । इन तीन भेदोंमें प्रथमभेदका उदाहरण यों है कि " पार्थो धनुर्धर एव " अर्जुन योद्धा  
 धनुषधारी ही है । यहाँ विशेषणके साथ लगे हुये अपोगव्यवच्छेदक एवकार द्वारा धनुष अल्लके  
 अतिरिक्त अन्य अल्लशश्लोकके धारण करनेका अर्जुनमें निषेध नियम किया गया है । तथा " पार्थ  
 एव धनुर्धरः " यहाँ विशेषके साथ लगे हुये अन्ययोगव्यवच्छेदक एवकार द्वारा अर्जुनसे अतिरिक्त  
 योद्धाओंमें धनुर्धरपनेका निषेधनियम किया गया है । तीसरे " नीलं सरोजं भवत्येव " यहाँ  
 क्रियाके साथ लगे हुये अयन्तायोगव्यवच्छेदक एवकार द्वारा नीलकमलके निषेधका निराकरण  
 कर दिया जाता है । यहाँ प्रकरणमें यह कहना है कि चैत्र विद्यार्थी धनुषधारी ही है । इस प्रयोगमें  
 जिस ही प्रकार अयोगका व्यवच्छेद होनेपर भी चैत्रके धनुर्धारी रहितपनेका ही प्रतिषेध हो जाता है ।  
 किंतु बलवान् चैत्रके अपण्डितपन; धनीपन, युवापन आदिका व्यवच्छेद नहीं हो जाता है । क्योंकि  
 उस धनुषधारी चैत्रके वे अपण्डितपन आदिक प्रतियोगी नहीं है । यहाँ प्रतियोगी तो धनुषधारी  
 रहितपना ही है । देखो, चैत्र क्या धनुषधारी है ? अथवा क्या यह चित्रा स्त्रीका युवा लडका धनुषधारी  
 नहीं है ? इस प्रकार आशंका होनेपर धनुषधारीपन और धनुषरहितपन इन दोनोंका ही प्रतियोगी-  
 पना नियत हो रहा है । जब चैत्र धनुषधारी है, इस प्रकार नियम कर दिया गया है, तो उस  
 नियमकरके चैत्रके धनुषधारण नहीं करनेपनका व्यवच्छेद कर दिया जाता है । अर्थात् प्रसिद्ध  
 शस्त्रधारी या मल्ल प्रायः पूर्ण होते हैं, लड्डत विद्वान् नहीं । इस युगमें प्रकाण्ड विद्वत्ताको सम्पादन  
 करनेवालोंके शरीर दुर्बल पड़ जाते हैं । शास्त्रचिन्तनायें भी एक प्रकारकी चिन्तायें ही हैं । इसी  
 प्रकार प्रशस्त विद्वान् धनाढ्य भी नहीं होते हैं । अच्छा तो उसी प्रकार यहाँ अवधिज्ञानमें ममज्ञानो  
 कि अवधिज्ञान क्या मवको कारण मानकर उत्पन्न होता है अथवा क्या गुणको निमित्तकारण लेकर  
 उत्पन्नता है ? इस प्रकार बहिरंगकारण हो रहे तथा परस्परमें एक दूसरेके प्रतियोगी हो रहे मव  
 और गुणकी शंका होनेपर पुनः दोनोंमेंसे एक मवका कारणपन करके नियम करतेनेपर देव नाकों  
 के अवधिज्ञानमें गुणको कारणपना व्यवच्छिन्न कर दिया जाता है । किंतु फिर अवधिज्ञानावरणके  
 विशेष क्षयोपशमको कारणपना नहीं निषिद्ध किया जाता है । क्योंकि क्षेत्र, काल, आत्मा, आदिके  
 समान वह क्षयोपशम तो उस मवस्वरूप बहिरंग कारणका प्रतियोगी नहीं है । मवको धानारसे

आम्रकृष्ण ही लानेका नियम कर देनेपर अमरूद, केडा आदिके लानेका नियम कर दिया जाता है । किन्तु रुपयमेंसे बचे हुये पैसे या मृत्युके शरीरपर पहिने हुये वस्त्र आदिके ले आनेका निषेध नहीं कर दिया जाता है । क्योंकि आम्रके प्रतियोगी अमरूद, खखूजा आदि हैं । पैसे आदिक तो उसके प्रतियोगी नहीं है । अतः शेष पैसोंके छौटा लानेका निषेध नियम नहीं किया जाता है ।

**तच्चवच्छेदे भवस्य साधारणत्वात्सर्वेषां साधारणोऽवधिः प्रसज्येत । तच्चानिष्टमेव ।**

भवका नियम करदेनेपर यदि गुणके समान उस क्षयोपशमका भी प्रकार द्वारा व्यवच्छेद कर दिया जायगा, तब तो भवको साधारणकारणपना हो जानेसे सम्पूर्ण मन्थारी प्राणियोंके साधारण-रूप करके अवधिज्ञान होनेका प्रसंग हो जायगा । किन्तु वह सब जीवोंका अवधिज्ञानीपना तो अनिष्ट ही है । अर्थात्—अवधिज्ञानमें भव ही को कारण मानकर यदि क्षयोपशमको अन्तरंगकारण नहीं माना जायगा तो सभी संसारी जीवोंके अवधिज्ञान हो जानेका प्रसंग होगा । क्योंकि क्षयोपशम तो कारण माना ही नहीं गया है और सभी अवधिज्ञानोंमें क्षयोपशमको अन्तरंगकारण मान लेनेपर तो जिन जीवोंके क्षयोपशम नहीं है, उनको अवधिज्ञानी हो जानेका प्रसंग नहीं आता है । देवना-रकियोंके भी अन्तरंग कारण क्षयोपशम विद्यमान है । तभी बहिरंगकारण भवको मानकर सभी देवनारकियोंके कर्मता बढती पाया जा रहा अवधिज्ञान या विमंग हो जाता है । किन्तु चतुर्गतिके सभी जीवोंके अवधिज्ञान हो जाय यह नियम नहीं है ।

**परिहृतं च भवतीत्याह ।**

दूसरी बात यह है कि सभी जीवोंके अवधिज्ञान होनेका परिहार भी कर दिया गया है । क्षयोपशमनामक अन्तरंगकारण नहीं होनेसे सभी मनुष्य तिर्यचोंके अवधिज्ञान नहीं हो पाता है । किन्तु कारणोंकी योग्यता मिळनेपर किन्हीं किन्हीं मनुष्य तिर्यचोंके होता है । देव और नारकियोंके भी अन्तरंग कारणोंकी विशेषता हो जानेसे भिन्न भिन्न प्रकारकी देशावधि होती है । इसको स्वयं ग्रन्थकार वार्तिकद्वारा स्पष्ट कह रहे हैं ।

**प्रत्ययस्यान्तरस्यात्स्तत्क्षयोपशमात्मनः ।**

**प्रत्यग्भेदोऽवधेर्युक्तो भवाभेदोऽपि चाङ्गिनाम् ॥ ७ ॥**

अन्तरंगमें होनेवाले उस अवधिज्ञानावरणके क्षयोपशमस्वरूप कारणका देव और नारकियोंमें न्यारा न्यारा भेद है । इस कारण देव और नारकी प्राणियोंके साधारण बहिरंगकारण भवका अभेद होनेपर भी भिन्न भिन्न प्रकारका अवधिज्ञान है । अर्थात्—बहिरंग कारणके एकता होनेपर भी अन्तरंग क्षयोपशमकी जातिका विशेष भेद होनेसे भिन्न भिन्न देवोंमें और न्यारे न्यारे नारकियोंमें अनेक प्रकारका देशावधिज्ञान हो जाता है ।

नहीं है। ऐसा ही श्री जैनन्याय ग्रन्थोंमें साध दिया गया है। आत्माके पुरुषार्थ या कारणोंसे तब ही (तदानीमेव) बना लिये गये विशुद्धिके भेदसे शुद्धिका भेद होते हुये क्षयोपशमका भेद हो जाने पर ज्ञानभेद हो जाता है। प्रमाणप्रसिद्ध कार्यकारण भावोंमें कुचोच नहीं उठा करते हैं।

अदृष्टातिरेकोदयास्रोत्यसौख्यातिदुःखाः स्मृतस्वाः सुरानाराकाश्च ।

स्वदेशावधेः प्राप्य सम्यक्त्वमेके भवप्रत्ययान्मुक्तिमार्गं प्रपन्नाः ॥ १ ॥

देवनारिकियोंके भवप्रत्यय अवधिज्ञानका स्वामित्वनिरूपण किया जा चुका है। अतः अवसर संगति और क्रम अनुसार स्वयं जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि दूसरे प्रकारका अवधिज्ञान मछा किसको कारण मानकर किन जीवोंके होता है ? इस प्रकार भिन्नभिन्न शिष्योंकी बलवती जिज्ञासा हो जानेपर श्री उमास्वामी महाराज अप्रिमसूत्रकेसरका मुखपत्रसे प्रसारण करते हैं, जिसकी कि सुगन्धसे भव्यमधुकरोंको विशेष उल्लास प्राप्त होवे।

क्षयोपशमनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् ॥ २२ ॥

अवधिज्ञानावरणकर्मके सर्वघातिस्पर्धकोंका उदयामाव या फल नहीं देकर खिर जानास्वरूप क्षय और भविष्यमें उदय आनेवाले सर्वघातिस्पर्धकोंका उदरिणा होकर उदयावलीमें नहीं आना होते हुये वहाँका वहीं बना रहनास्वरूप उपशम तथा देशघातिस्पर्धकोंका उदय होनेपर क्षयोपशम अवस्था होती है। उस क्षयोपशमको निमित्त पाकर शेष कतिपय मनुष्य, तिर्यचोंके गुणप्रत्यय अवधिज्ञान होता है। उस अवधिज्ञानके अनुगामी, अननुगामी, हीयमान, वर्धमान, अस्थित और अनवस्थित ये छह प्रकारके विकल्प हैं।

किमर्थमिदमित्याह ।

यहाँ कोई पूछता है कि किस प्रयोजनको साधनेके लिये यह सूत्र श्री उमास्वामी महाराजने कहा है ? इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्रीविद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं।

गुणहेतुः स केषां स्यात् कियद्भेद इतीरितुम् ।

प्राह सूत्रं क्षयेत्यादि संक्षेपादिष्टसंविदे ॥ १ ॥

यह गुणको कारण मानकर उत्पन्न होनेवाला दूसरा अवधिज्ञान मछा किन जीवोंके होगा ? और उसके भेद कितने हैं ? इस बातका प्रदर्शन करनेके लिये श्री उमास्वामी महाराज “क्षयोपशम-निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम्” इस प्रकार सूत्रको संक्षेपसे अभिप्रेत अर्थकी सन्धि करानेके लिये बहुत अच्छा कहते हैं।



कः पुनरत्र क्षयः कश्चोपशमः कश्च क्षयोपशम इत्याह ।

इस प्रकरणमें फिर क्षय क्या पदार्थ है ? और उपशम क्या है ? तथा दोनोंसे मिला हुआ क्षयोपशम मला क्या स्वभाव पडना है ? इस प्रकार शिष्यकी आकाक्षा होनेपर आचार्य महाराज वार्त्तिक द्वारा समोधान कहते हैं ।

क्षयहेतुरित्याख्यातः क्षयः क्षायिकसंयमः ।

संयतस्य गुणः पूर्वं समभ्यर्हितविग्रहः ॥ २ ॥

पहिले प्रश्नका उत्तर यों है कि प्रतिपक्षी कर्मोंका क्षय जिस संयमका हेतु है, वह चारित्र-मोहनीयकर्मके क्षयसे उत्पन्न होनेवाला क्षायिकसंयम यहां क्षय शब्दसे कहा गया है । व्रतोंका धारण, समितियोंका पालन, कर्मायोंका निरग्रह, मनवचनकायकी उद्वण्ड प्रवृत्तियोंका त्याग, इन्द्रियोंका जय ऐसे संयमको धारनेवाले साधुओंका यह क्षायिक संयमगुण है । गुणको कारण मानकर किसी किसी मुनिके अवधिज्ञान हो जाता है । इन्द्र समाप्त किये जा चुके क्षयोपशम शब्दमें अच्छा चारों ओरसे पूजित शरीरवाला और अल्पद्वर होनेके कारण क्षयपद पहिले प्रयुक्त किया गया है । क्षयको निमित्त पाकर आठमेंसे बारहवें गुणस्थानतक अवधिज्ञान होना सम्भवता है ।

तथा चारित्रमोहस्योपशमादुद्भवन्नयम् ।

कथ्येतोपशमो हेतोरुपचारस्त्वयं फले ॥ ३ ॥

तथा दूसरे प्रश्नका उत्तर यह है कि चारित्रमोहनीयकर्मके उपशमसे उत्पन्न हो रहा, यह भाव उपशम कहा जाता है । जो कि उपशम चारित्र किन्हीं संयमी पुरुषोंका गुण है । इस उपशम भावको निमित्त मानकर आठवें गुणस्थानसे ग्याहवें तक किन्हीं मुनियोंके अवधिज्ञान हो जाता है । यहां प्रकरणमें उपशम और क्षय शब्दोंसे तत्र-नयभाव पकडे गये हैं । अतः यह हेतुका फलमें उपचार है । अर्थात्—कारणोंमें क्षयपना या उपशमपना है, किंतु क्षय और उपशमसे जन्य हुये क्षायिक संयम और औपशमिक संयमस्वरूप साधुगुणोंको क्षय और उपशम कह दिया गया है ।

क्षयोपशमतो जातः क्षयोपशम उच्यते ।

संयमासंयमोऽपीति वाक्यभेदाद्विचिन्त्यते ॥ ४ ॥

प्रतिपक्षी कर्मोंकी सर्वथाति प्रकृतियोंका क्षय और आगे उदय आनेवाली सर्वथातिप्रवृत्तियोंका वर्तमानमें उपशम तथा देशगति प्रकृतियोंका उदय इन प्रकारके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुआ, भाव क्षयोपशम कहा जाता है । यहां भी कारणका कार्यमें उपचार है । छड़वें सातवें गुणस्थानवर्ती

कृतः पुनर्भवामेदेऽपि देवनाराकाणामवधिज्ञानावरणक्षयोपशमभेदः सिद्ध्येत् इति चेत्, स्वशुद्धिभेदात् । सोऽपि जन्मान्तरोपपत्तिविशुद्धिभावात्, नामेदात् । सोऽपि स्वकारणभेदात् । इति न पर्यनुयोगो विधेयः कारणविशेषपरम्परायाः सर्वत्रापर्थनुयोगार्हत्वात् ।

यहां प्रश्न है कि भवका अमेद होनेपर भी फिर क्या कारण है कि जिससे देव और नाराकियोंके अवविज्ञानावरणकर्म सम्बन्धी क्षयोपशमका भेद सिद्ध हो जावेगा ! इस प्रकार कहनेपर तो हम जैनसिद्धान्तियोंका यह उत्तर है कि अपनी अपनी आत्माओंकी शुद्धियां भिन्न भिन्न प्रकारकी हैं । अतः उन शुद्धियोंके निमित्तसे क्षयोपशमका भेद हो जाना सध जाना है । फिर कोई पूछे कि वह शुद्धियोंका भेद भी जीवोंके केश्मे हो जाता है ! इसका समाधान यो समझना कि पूर्ववर्ती अनेक जन्मान्तरोंमें बनी हुईयां विशुद्धियोंके सद्भाव रहनेसे संस्कारद्वारा अथवा अन्य बाहिर्भूत कारणोंकी सामग्री जुटवानेसे तथा आत्माके पुरुषार्थसे जीवोंके भिन्न भिन्न शुद्धियां हो जाती हैं । अभिन्न कारणसे भिन्न भिन्न कार्योंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है । कार्यभेद है, तो कारणभेद अवश्य होगा । जैनसिद्धान्तमें कार्यकारणभावकी पोल नहीं चळ पाती है । वह विशुद्धि या पुरुषार्थ आदिके भेद भी अपने अपने कारणोंके भेदसे हो गये हैं । इस प्रकार पुनरपि प्रश्न उठानेपर उसके भी कारणभेदसे ही हुये कार्यभेदोंका टकासा उत्तर दे दिया जायगा । अतः चारों ओरसे व्यर्थ प्रश्नपरम्परा उठाना कर्तव्य नहीं है । क्योंकि कारणविशेषोंकी परम्परा अनादिसे चली आ रही है । सम्पूर्ण वादियोंके यहाँ कारणोंकी विशेषनायें पर्यनुयोग चळानेके योग्य नहीं मानी गयी हैं । प्रत्येक पदार्थमें अनन्त स्वभाव हैं । एक ही अग्नि स्वकीय अनेक स्वभावोंके बरत होकर दाह, पाक, शोषण, आदि कार्योंको कर देती है । एक आत्मा भिन्न भिन्न इच्छा, प्रयत्न आदि द्वारा एक समयमें अनेक कार्योंका सम्पादन कर रहा है । कुछ अश्वकी पर्यायें अपने पूर्ववर्ती कारणोंसे उन उन कार्योंको करने योग्य पहिंलेसे ही उत्पन्न हुई है । निरव्य शक्तियोंकी पर्यायधरायें प्रवाहरूपसे तैसी उपबन्ती हुई चली आ रही हैं । “ स्वभावोऽनर्कगोचरः ” । किसी जीवके पाण्डित बनानेमें उपयोगी विशेष क्षयोपशम पहिंले नन्मोंसे चञा आ रहा है और किसीके आत्मपुरुषार्थ द्वारा आवरणोंका विघटन हो जानेपर उस ही जन्ममें पाण्डित्य प्राप्त करनेका क्षयोपशम मित्रा लिया जाता है । फिर भी स्वभावभेदोंकी प्राप्तिमें जन्मान्तरके कुछ परिणाम भी उपयोगी हो जाय, इसका हम निवेध नहीं करते हैं । “ यावन्ति कार्याणि तावन्तः प्रत्येकं स्वभावभेदाः परस्परं न्यावृत्ताः ” अष्टसहस्री प्रत्ययोंमें विवरण कर दिया है कि जितने भी छोटे बड़े कार्य जगत्में होते हैं, उन सबके कारण एक दूसरेसे अलग हो रहे भिन्न पदार्थ या भिन्न भिन्न स्वभाव हैं । अन्याया सर्वत्र सर्वदा अकस्मात् कार्य हो जानेके प्रसंगका निवारण कथमपि नहीं हो सकेगा । अतः यहाँ भी भिन्न भिन्न क्षयोपशमके न्यारे न्यारे कारणोंको कार्यभेदोंकी उपपत्ति अनुसार स्वीकार कर लेना चाहिये । स्वर्ग या भोगभूमिमें भी गुडिडीके बिना

आप्रवृक्ष नहीं उपज सकता है। बीजसे ही सर्वत्र अंकुर और अंकुरसे ही बीज बनेगा। यह त्रिकोण त्रिकालमें अखण्ड सिद्धान्त है। कार्यकारण भावके अनुसार ही चमत्कार, अतिशय, बाजोगरी, नृद्धि, सिद्धि, मंत्र, तंत्र, पिशाच क्रियायें, देवउपनीतपना, आदि सम्भवते हैं। कार्यकारणभावका भंग कर चमत्कार आदिक तीनों कालमें नहीं हो सकते हैं। यही जैन न्यायसिद्धान्त है।

## इस सूत्रका सारांश।

इस सूत्रके लघु प्रकारणोंका सूचन यों है कि प्रथम ही देवनारकियोंके अवधिज्ञानका बहिरंग कारण कथन करनेके लिए सूत्रका प्रतिपादन करना आवश्यक बताया है। आत्माका पर्याय होते हुये भी भव बहिरंग कारण है। जीवके पञ्च परावर्तनरूप संसार होनेमें सम्पत्त्व और चारित्र गुणकी विभावपरिणतियां अन्तरंग कारण हैं। शेष गुणोंके परिणाम तो बहिरंगकारण या अकारण ही हैं। तथैव जीवको मोक्षप्राप्ति होनेमें सम्पत्त्व और चारित्र गुणके स्वभाव परिणाम अन्तरंगनिमित्त कारण हैं। शेष आत्मपिण्ड बहिरंग उपादानमात्र हैं। ज्ञान भी इतना प्रेरक निमित्त नहीं है। अस्मिन्त्व, वस्तुत्व, आदिक अनन्तगुणोंके परिणाम तो मोक्ष होनेमें कैसे भी कारण नहीं हैं। उनके जाने भले ही आत्मा नरक निगोदमें पडा सडता रहो। गौकी भूख मेटनेमें घास कारण है। घासको डालनेवाली युवतीके भूषण, श्रृंगार, वस्त्र, याँवन आदि तो उदासीन भी कारण नहीं। मक्के बहिरंगपनेका विचार कर उद्देश्य, विधेय दोनों दलोंमें क्रमसे एवकार लगाना अभीष्ट किया है। “चैत्रो धनुर्धरः” इस दृष्टान्तसे दोनों एवकारोंको मळे प्रकार समझाकर उनसे व्यवच्छेद करने योग्य पदार्थोंको बता दिया है। सभी अवधिज्ञानोंमें अन्तरंगकारण क्षयोपशमविशेष है। देवनारकियोंके अवधिज्ञानमें साधारणरूपसे भक्के एक होनेपर भी अन्तरंगकारणवश ज्ञानोंका भेद सिद्ध हो जाता है। कारणोंके भेदसे ही कार्यमें भेद आता है। अन्यथा नहीं। मिट्टीस्वरूप पुद्गलपरिणामसे घट बनता है, और पौद्गलिक तंतुओंसे पट बनता है। पुद्गलद्रव्यकी मृत्तिका और कपास पर्याय हो जानेमें भी खानि या बनोछा बीज आदिक निमित्त हैं। पुद्गलद्रव्यके उन निमित्तरूप उपादयोंके बनानेमें भी उपादान पुद्गलकी सहायता करनेवाले द्रव्य, क्षेत्र आदिक निमित्त हैं। यों किसी किसी कारणमें अनेक और अनन्तकोटीतक कारणमाला जुटानी पडती है। उस जुटानेमें भी निमित्तकारण क्वचित् कार्यमें तो कोई कोई ज्ञानवान् आत्मा अथवा बहुलसे कार्यमें व्यवहार काल ऋतु परिवर्तन, बीज, योनिस्थान, सूर्य, मूमी आदिक ही कारण बन बैठते हैं। किंतु जगत्के बहुलसे कार्योंकी कारणमालाका छोर अनादिकाल नहीं है। मध्यमें ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंके अनुसार कारणके बन गये अनेक स्वभावोंद्वारा ही पाच, दस, दो, या एक कोटिपर ही कारणभेद हो जाने से कार्यभेद हो जाता है। दो चार सगे माइयोंका एक भी पिता हो सकता है। सभी कार्योंके पिता, पितामह, प्रपितामह, आदि असंख्य पीढिब्योक्त कारणमालाका चर बढ़ाते जाना अनिर्धार्य

नहीं है। ऐसा ही श्री जैनन्याय ग्रन्थोंमें साध दिया गया है। आत्माके पुरुषार्थ या कारणोंसे तब ही (तदानीमेव) बना लिये गये विशुद्धिके भेदसे शुद्धिका भेद होते हुये क्षयोपशमका भेद हो जाने पर ज्ञानभेद हो जाता है। प्रमाणप्रसिद्ध कार्यकारण भावोंमें कुचोच नहीं उठा करते हैं।

अदृष्टातिरेकोदयाक्षोत्पत्सौख्यातिदुःखाः स्मृतस्वाः सुरानारकाश्च ।

स्वदेशावधेः प्राप्य सम्यक्त्वमेके मवप्रत्ययान्मृत्तिपार्गे प्रपन्नाः ॥ १ ॥

देवनादिकियोंके मवप्रत्यय अवधिज्ञानका स्वामित्वनिरूपण किया जा चुका है। अतः अवसर संगति और क्रम अनुसार स्वयं जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि दूसरे प्रकारका अवधिज्ञान मछा किसको कारण मानकर किन जीवोंके होता है ? इस प्रकार भिनप्र शिक्षोंकी बलवती जिज्ञासा हो जानेपर श्री उमास्वामी महाराज अप्रिमसूत्रकेसरका मुलपत्रसे प्रसारण करते हैं, जिसकी कि सुगन्धसे मन्पमधुकरोंको विशेष उल्लास प्राप्त होवे।

## क्षयोपशमनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् ॥ २२ ॥

अवधिज्ञानावरणकर्मके सर्वघातिस्पर्धकोंका उदयामाव या फल नहीं देकर खिर जानास्वरूप क्षय और मविष्यमें उदय आनेवाले सर्वघातिस्पर्धकोंका उदरिणा होकर उदयावलीमें नहीं आना होते हुये वहांका वहाँ बना रहनास्वरूप उपशम तथा देशघातिस्पर्धकोंका उदय होनेपर क्षयोपशम अवस्था होती है। उस क्षयोपशमको निमित्त पाकर शेष कनिपय मनुष्य, तिर्यचोंके गुणप्रत्यय अवधिज्ञान होता है। उस अवधिज्ञानके अनुगामी, अननुगामी, हीयमान, वर्धमान, अवस्थित और अनवस्थित ये छह प्रकारके विकल्प हैं।

किमर्थमिदमित्याह ।

यह कोई पूछना है कि किस प्रयोजनको साधनेके लिये यह सूत्र श्री उमास्वामी महाराजने कहा है ? इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्रीविद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं।

गुणहेतुः स केषां स्यात् कियद्भेद इतीरितुम् ।

प्राह सूत्रं क्षयेत्यादि संक्षेपादिष्टसंविदे ॥ १ ॥

यह गुणको कारण मानकर उत्पन्न होनेवाला दूसरा अवधिज्ञान मछा किन जीवोंके होगा ? और उसके भेद कितने हैं ? इस बातका प्रदर्शन करनेके लिये श्री उमास्वामी महाराज “क्षयोपशम-निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम्” इस प्रकार सूत्रको संक्षेपसे अभिप्रेत अर्थकी सन्धिक्ति करानेके लिये बहुत अच्छा कहते हैं।

कः पुनरत्र क्षयः कश्चोपशमः कश्च क्षयोपशम इत्याह ।

इस प्रकरणमें फिर क्षय क्या पदार्थ है ? और उपशम क्या है ? तथा दोनोंसे मिला हुआ क्षयोपशम भला क्या स्वभाव पड़ता है ? इस प्रकार शिष्यकी आकांक्षा होनेपर आचार्य महाराज वार्त्तिक द्वारा समाधान कहते हैं ।

क्षयहेतुरित्याख्यातः क्षयः क्षायिकसंयमः ।

संयतस्य गुणः पूर्वं समभ्यर्हितविग्रहः ॥ २ ॥

पढ़िहे प्रश्नका उत्तर यों है कि प्रतिपक्षी कर्मोंका क्षय जिस संयमका हेतु है, वह चारित्र-मोहनयिकर्मके क्षयसे उत्पन्न होनेवाला क्षायिकसंयम यहाँ क्षय शब्दसे कहा गया है । ब्रतोंका धारण, समितियोंका पाठन, कषायोंका निग्रह, मनवचनकायकी उदण्ड प्रवृत्तियोंका त्याग, इन्द्रियोंका जय ऐसे संयमको धारनेवाले साधुओंका यह क्षायिक संयमगुण है । गुणको कारण मानकर किसी किसी मुनिके अवधिज्ञान हो जाता है । द्रष्टव्य समास किये जा चुके क्षयोपशम शब्दमें अच्छा चारों ओरसे पूजित शरीरवाला और अल्पत्वर होनेके कारण क्षयपद पढ़िहे प्रयुक्त किया गया है । क्षयको निमित्त पाकर आठमेंसे बारहवें गुणस्थानतक अवधिज्ञान होना सम्भवता है ।

तथा चारित्रमोहस्योपशमादुद्धवन्नयम् ।

कथ्येतोपशमो हेतोरुपचारस्त्वयं फले ॥ ३ ॥

तथा दूसरे प्रश्नका उत्तर यह है कि चारित्रमोहिनीयकर्मके उपशमसे उत्पन्न हो रहा, यह भाव उपशम कहा जाता है । जो कि उपशम चारित्र किन्हीं संयमों पुरुषोंका गुण है । इन उपशम भावको निमित्त मानकर आठवें गुणस्थानसे ग्यारहवें तक किन्हीं मुनियोंके अवधिज्ञान हो जाता है । यहाँ प्रकरणमें उपशम और क्षय शब्दोंसे तत्र-नयभाव पकड़े गये हैं । अतः यह हेतुका फलमें उपचार है । अर्थात्—कारणोंमें क्षयपना या उपशमपना दे, किंतु क्षय और उपशमसे जन्य हुये क्षायिक संयम और औपशमिक संयमस्वरूप साधुगुणोंको क्षय और उपशम कह दिया गया है ।

क्षयोपशमतो जातः क्षयोपशम उच्यते ।

संयमासंयमोऽपीति वाक्यभेदाद्विविच्यते ॥ ४ ॥

प्रतिपक्षी कर्मोंकी सर्वघाति प्रवृत्तियोंका क्षय और आगे उदय आनेवाली सर्वघनिग्रह-तियोंका वर्तमानमें उपशम तथा देगतिनि प्रवृत्तियोंका उदय इन प्रकारके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुआ, भाव क्षयोपशम कहा जाता है । यहाँ भी कारणका कार्यमें उपचार है । छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती

मुनियोंका गुण क्षयोपशमिक संयम है । यहां चारित्रकी सर्वजातिप्रकृति अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्या नावरण और प्रत्याख्यावरण इनका क्षय और उपशम है, तथा देशघाति संज्वलन और यथायोग्य नोकषाय कर्मप्रकृतियोंका उदय है । पांचवें गुणस्थानमें चारित्रगुणका परिणाम हो रहा, संयमासंयम भी देशव्रतीका गुण है, यहां अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यानावरण प्रकृतियां तो संयमासंयम गुणकी सर्वघाती हैं । प्रत्याख्यानावरण देशघाती हैं । फिर भी प्रत्याख्यानावरणके तीव्र शक्तिवाले स्पर्धकोंका पांचवें गुणस्थानमें उदय नहीं है । किन्हीं किन्हीं उत्कट शक्तिवाले प्रत्याख्यानावरण स्पर्धकोंका तो चौथे गुणस्थानमें भी उदय नहीं है, जो कि अनन्तानुबन्धीके सहचारी हैं । इस सूत्रके आदि वाक्य का योगधिभागपूर्वक भेद कर देनेसे उक्त प्रकारका विवेचन कर दिया गया है । यह तीसरे प्रश्नका उत्तर हुआ । मातृवार्थ—चारित्रमोहनीयकर्मके क्षय, उपशम और क्षयोपशमसे उत्पन्न हुये महाव्रती और अशुभ्रतियोंके क्षायिकचारित्र, उपशमचारित्र, और क्षयोपशम चारित्र इन तीन गुणोंको बहिरंगनिमित्त-कारण अनाता हुआ अवधिज्ञान अपने अवधिज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमस्वरूप एक अन्तरंगकारणसे उपज जाता है । चौथे गुणस्थानवाले मनुष्य या तिर्यचके भी प्रशम, संवेग आदिक गुणोंके विद्यमान रहनेके कारण चारित्रमोहनीयका क्षयोपशम यहांके लिये कल्पित कर लिया जाता है । तभी तो व्रत नहीं होते हुए भी पाक्षिक श्रावकके पांचवां गुणस्थान मान लिया गया है । चौथे गुणस्थानमें हो रहा, अप्रत्याख्यानावरणका मन्द उदय तो अवधिज्ञानके उपयोगी क्षयोपशमको बनाये रहने देता है । जैसे कि सर्वघाती भी प्रत्याख्यानावरणके उदयने संयमासंयमको अक्षुण्ण बनाये रखता है । बिगाड़ा नहीं है ।

क्षयनिमित्तोऽवधिः शेषाणामुपशमनिमित्तः क्षयोपशमनिमित्त इति वाक्यभेदात्सायिकौपशमिकसायोपशमिकसंयमगुणनिमित्तस्यावधिरवगम्यते । कार्ये कारणोपचारात् क्षयादीनां सायिकसंयमादिपूपचारः तथाभिधानोपपत्तेः ।

देव और नारकियोंसे अवशिष्ट हो रहे किन्हीं मनुष्योंके क्षयको बाह्य निमित्त मानकर अवधि होती है, और किन्हीं मनुष्योंके उपशमको बहिरंगनिमित्त कारण मानकर अवधिज्ञान हो जाता है । तथा कतिनय मनुष्य तिर्यचोंके क्षयोपशमस्वरूप बहिरंगकारणसे अवधिज्ञान हो जाता है । इस प्रकार सूत्रस्थ क्षयोपशम इस वाक्यके तीन भेद कर देनेसे सायिकसंयम, औपशमिकसंयम और सायोपशमिकसंयम इन तीन गुणोंको बहिरंगनिमित्त रख रहे जीवोंके अवधिज्ञान होना समझ लिया जाता है । कार्यमें कारणका उपचार हो जानेसे क्षय, उपशम आदि कर्मसम्बन्धी भावोंका सायिक-संयम, उपशमसंयम और सायोपशमिकसंयम इन तीन संयमों आत्माके गुणोंमें उपचार कर लिया गया है । तिस प्रकार कथन करना युक्तियोंसे सिद्ध है । “ आत्मा वै पुत्रः ” “ आतोच्चारितः शब्दः प्रमाणम् ” आदि स्पष्टोपर कार्यमें कारणके धर्मोंका या कारणमें कार्यके धर्मोंका अधिष्ठान किया गया है । कोई नवीन बात नहीं है । बर्म्भमें कञ्जकत्ताकी रेल गाड़ी आ जानेपर कलकत्ता

आ गया, या कलकत्तेमें सिकरनेवाली हुंडीकी कलकत्ता बेचोगे ? यों कहा जाता है । तद्वत् यहाँ भी उपचार है ।

**किमर्थं मुख्यशब्दानभिधानमित्याह ।**

यहाँ किसीका प्रश्न है कि शिष्योंके द्वितीयी और अविप्रलम्भज्ञान करानेवाले श्री उमास्वामी महाराजने उपचरितशब्दोंका प्रयोग क्यों किया ? मुख्यशब्दोंका उच्चारण क्यों नहीं किया ? सूत्रकार महाराजजाँको चारित्रमोहनीयके क्षय, उपशम और क्षयोपशमस्वरूप निमित्तसे अवधि होती है, ऐसा स्पष्ट निरूपण कर देना चाहिये था, इन प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्रीविद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं । सो सुनो, और ध्यान लगाकर समझो ।

**क्षायोपशम इत्यन्तरंगो हेतुर्निगद्यते ।**

**यदि वेत्ति प्रतीत्यर्थं मुख्यशब्दाप्रकीर्तनम् ॥ ५ ॥**

**तेनेह प्राच्यविज्ञाने वक्ष्यमाणे च भेदिनि ।**

**क्षयोपशम हेतुत्वात्सूत्रितं संप्रतीयते ॥ ६ ॥**

अथवा सूत्रकार महाराजको यदि अन्तरंग और बहिरंगकारण दोनोंका निरूपण करना अभीष्ट होय तो इनलिखे भी “ क्षयोपशम ” ऐसा गम्भीरशब्द कह दिया है । इस सूत्र करके अवधिज्ञानका अन्तरंगकारण ज्ञानावरणका क्षयोपशम है, यह भी कह दिया जाता है । इस तत्त्वकी प्रतिपत्ति करानेके लिये ही मुख्यशब्दका स्पष्टरूपसे उच्चारण नहीं किया है । तिस कारणसे यहाँ शेष जीवोंके छह भेदवाले अवधिज्ञानमें और पूर्वमें कहे गये देवनाराकियोंके भव प्रत्यय अवधिज्ञानमें तथा उससे भी पूर्वमें कहे गये भेदयुक्त मतिज्ञान, श्रुतज्ञानोंमें और भविष्यमें कहे जानेवाले भेदसहित मनःपर्यय ज्ञानमें ज्ञानावरणोंके क्षयोपशमको अन्तरंग हेतु मानकर जन्मपना है । इस प्रकार सूत्रद्वारा सूचन कर दिया गया, भले प्रकार निर्णय कर दिया जाता है । उदात्त महाभक्ता सूत्रकार गम्भीर शब्दोंका ही उच्चारण किया करते हैं, तभी शिष्योंको श्रुत्युत्पत्ति बढ़ती है । जहाँ उपचार शब्दोंके बोलनेका नियम है, वहाँ वैसे ही शब्दोंका उच्चारण करना ठीक समझा जाता है । अपनी माताको जन्मसे ही भारी शब्दद्वारा पुकारनेवाला बेटा यदि कदाचित् माको अम्मा कह दे तो अशोभन और थोडा झूठ जचता है । “ अन्नं वै प्राणः ” कहना ठीक है । “ अन्नकारणं प्राणाः ” इस प्रकार स्पष्ट कहना पण्डितार्थका कार्य नहीं है । शब्दशक्तिकी हानि ( तोहीन ) करनी है । पांचगज फण्डा है, यह कहना ठीक है । किन्तु लोहेके गजसे पाच वार नापकर परिमित कर दिया गया फण्डा है, यह कहना तुच्छता है । मेरठसे गाडी आ जानेपर मेरठ आगया कहना या बंबईमें सिकरनेवाली हुंडीकी बेचनेके लिए बम्बईका बेचना कहना ही प्रशस्त है । अत्यन्त पूज्य और

क्षेत्र जनोके लिये युग्मद् शब्दका प्रयोग श्रेष्ठ है । कदांतक कहा जाय वाचक शब्दोंकी शक्तियां विच्छेद हैं । अतः सूत्रकार महाराजका उक्त प्रकार गंभीर शब्दका उच्चारण करना सामिप्राय है ।

‘ क्षयोपशम इत्यन्तरंगो हेतुः सामान्येनाभिधीयमानस्तदावरणापेक्षया व्यवतिष्ठते स च सकलक्षायोपशमिकज्ञानभेदानां साधारण इति । यथेह पड्विधस्यावधेनिर्मितं तथा पूर्वत्र भवप्रत्ययेऽवधौ श्रुते मतौ चावसीयते । वक्ष्यमाणे च मनःपर्यये स एव तदावरणापेक्षयेति सूत्रितं भवति ।

“ क्षयोपशम ” इस वाक्यके स्वतंत्र तीन भेद नहीं करनेपर ही ज्ञानावरणोंका क्षयोपशम इस प्रकार एक अंतरंगहेतु ही सामान्यरूप करके कहा गया होता संता उन उन ज्ञानोंके आवरणोंकी अपेक्षासे व्यवस्थित हो जाता है और वह क्षयोपशम तो सम्पूर्ण चारों क्षायोपशमिक ज्ञानके भेदोंका साधारण कारण है । इस प्रकार भेद, प्रभेदसहित चार ज्ञानोंके सामान्यरूपसे एक अंतरंग कारणको कहनेका भी सूत्रकारका अभिप्राय है । जिस प्रकार प्रकृत सूत्रमें अनुगामी आदिक छह प्रकारके अवधिज्ञानका साधारण अन्तरंगनिमित्त क्षयोपशम विशेष कहा गया है, उसी प्रकार पूर्वमें कहे गये भवहेतुक अवधिज्ञानमें और उसके पडिछे कहे गये श्रुतज्ञानमें तथा उसके भी पडिछे कहे गये मतिज्ञानमें भी अंतरंगकारण क्षयोपशमका निर्णय कर लिया गया है । तथा भविष्य प्रथममें कहे जानेवाले मनःपर्यय ज्ञानमें भी उस मनःपर्ययावरण कर्मकी अपेक्षासे उत्पन्न हुआ वह क्षयोपशम ही अन्तरंग कारण है । यह सब लम्बा चौड़ा मुगनान् इस छोटेसे सूत्रमें ही उपास्वामी महाराजने भर दिया है । छोटेसे सूत्रसे सभी अभिप्राय सूचित हो जाता है ।

मुख्यस्य शब्दस्याश्रयणात्सर्वत्र बहिरंगकारणप्रतिपादनाच्च मुख्यगौणशब्दप्रयोगो युक्तोऽन्यथा गुणप्रत्ययस्यावधेरप्रतिपत्तेः ।

यहां उपचरित नहीं किंतु मुद्रय हो रहे क्षयोपशम शब्दका आश्रय करनेसे और सभी ज्ञानोंमें बहिरंगकारणोंका प्रतिपादन करनेसे यहां मुख्यशब्दका प्रयोग और गौण शब्दका प्रयोग करना युक्तिपूर्ण होता हुआ समुचित है । अर्थात्—मुख्यशब्दका आश्रय करनेसे सब ज्ञानोंके अंतरंगकारणोंका निर्णय हो जाता है, और उपचरित क्षयोपशम शब्दके प्रयोग का देनेसे मनुष्य तिर्थचोंकी अवधिका बहिरंगकारण प्रतीत हो जाता है । अन्यथा यानी उपचरित शब्दका प्रयोग किये बिना क्षायिकसंघम आदि गुणस्वरूप बहिरंग कारणोंसे उपजनेवाले अवधिज्ञानकी प्रतीति नहीं हो सकती थी । इस प्रकार श्री विद्यानन्द आचार्यने इस श्री उपास्वामी महाराजके सूत्रका बहिरंग कारणोंको प्रतिपादन करनेवाला अच्छा भाष्य—अर्थ कर दिया है । यह सूत्र गुणप्रत्यय अवधिके बहिरंगकारण और चारों ज्ञानोंके अन्तरंगकारणका भी प्रतिपादक है ।



के पुनः शेषा इत्याह ।

इस सूत्रमें कहे गये वे शेषजोव फिर कौन हैं ? जिनके कि गुणप्रत्यय अवधि होती है । इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्रीविद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं ।

शेषा मनुष्यतिर्यञ्चो वक्ष्यमाणाः प्रपंचतः ।

ते यतः प्रतिपत्तव्या गतिनामाभिधाश्रयाः ॥ ७ ॥

पूर्व सूत्रमें कण्ठोक्त कहे गये देव और नारकियोंसे अशेष बच रहे मनुष्य और तिर्यच यह शेषपदसे लिये गये हैं । अग्रिम अध्यायोंमें विस्तारके साथ मनुष्य और तिर्यचोंकी परिमाणा कर दी जायगी, जिस कारण कि वे मनुष्य और तिर्यच अपने योग्य मनुष्यगति और तिर्यगतिनामक नामकर्मके उदयसे भिन्न भिन्न संज्ञाओंका आश्रय ले रहे हैं । गतिनामक प्रकृतिके उत्तर भेद अनेक हैं । अतः उस उस गतिकर्मके अनुसार जीव मनुष्य और तिर्यच समझ लेने चाहिये ।

स्यात्तेषामवधिर्वाह्यगुणहेतुरितीरणात् । °

भवहेतुर्न सोस्तीति सामर्थ्यादवधार्यते ॥ ८ ॥

उन कतिपय मनुष्य तिर्यचोंके हो रहे अवधिज्ञानके बहिरंग कारण संयम आदि गुण हैं । इस प्रकार नियमकर कथन कर देनेसे उनके वह भवप्रत्यय अवधि नहीं है, यह मन्तव्य बिना कहे ही निरूपित वचनकी सामर्थ्यसे अवधारण कर लिया जाता है । क्योंकि " क्षयोपशमनिमित्त एव शेषाणाम् " इस प्रकार पहिला एवकार अवधारण कर देनेसे शेषोंके अवधिज्ञानमें भवका बहिरंग-कारणपना निषिद्ध हो जाता है ।

तेषामेवेति निर्णीतेर्देवनारकविच्छिदा ।

क्षयोपशमहेतुः सन्नित्युक्ते नाविशेषतः ॥ ९ ॥

" शेषाणामेव क्षयोपशमनिमित्त " उन शेषोंके ही गुणप्रत्यय अवधि होती है । इस प्रकार एवकार द्वारा उत्तरवर्ती निर्णय ( नियम ) कर देनेसे देव और नारक जीवोंका व्यवच्छेद कर दिया जाता है । अवधिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमस्वरूप अंतरंगकारणको हेतु मान कर अवधिज्ञान वर्त रहा है । इन प्रकार कहनेपर तो सामान्यरूपसे यानी विशेषताओंसे रहित होकर सभी मनुष्य तिर्यचोंके सम्भावित हो रहे अवधिज्ञानके सद्धारका नियम सिद्ध हो जाता है । हा, जिन जीवोंके अंतरंगकारण क्षयोपशम होगा, उन्हींके अवधिज्ञानका सद्भाव पाया जायगा, अन्योके नहीं ।

क्षयोपशमनिमित्त एव शेषाणामित्यवधारणाद्भवमत्ययत्वव्युदासः । शेषाणामेव क्षयोपशमनिमित्त इति देवमारकाणां नियमात्ततो नोभयपयाप्यवधारणे दोषोऽस्ति ।

शेष बचे हुये मनुष्य तिर्यचोंके तो बहिरंगकारण क्षयोपशमको ही निमित्त मानकर अवधि-  
ज्ञान होता है। इस प्रकार अवधारण करनेसे शेष जीवोंके अवधिज्ञानमें भवप्रत्ययपनेकी व्यावृत्ति  
हो जाती है। और शेष जीवोंके ही क्षयोपशमनिमित्त अवाधि होती है, इस प्रकार नियम करनेसे  
देव नाराकियोंके अवधिज्ञानमें गुणप्रत्ययपनेका व्यवच्छेद हो जाता है। तिस कारण दोनों भी उद्वेग,  
विधेयदलमें उक्त प्रकारसे अवधारण करनेपर कोई दोष नहीं आता है, प्रत्युत गुण ही है।

क्षयोपशमनिमित्तोऽवाधिः शेषाणामित्युभयत्रानवधारणाच्च नाविशेषतोऽवधिस्तिर्य-  
ङ्मनुष्याणामन्तरङ्गस्य तस्य कारणस्य विशेषात् । तथा पूर्वज्ञानवधारणाद्बहिरंगकारणा-  
व्यवच्छेदः । परत्रानवधारणाद्देवनारकाव्यवच्छेदः प्रसिद्धो भवति ।

तथा शेष जीवोंके अवधिज्ञान तो क्षयोपशमको निमित्त पाकर हो जाता है, इस प्रकार  
दोनों ही दलोंमें अवधारण नहीं करनेसे सभी अवधिज्ञानी तिर्यच और मनुष्योंके विशेषताओंसे रहित  
एकसी अवाधि नहीं हो पाती है। क्योंकि उस अवधिज्ञानके अन्तरंगकारण हो रहे ज्ञानावरणकर्मके  
क्षयोपशमकी प्रत्येक जीवोंमें विशेषताएँ हैं। दूसरी बात यह भी है कि पहिले दलमें अवधारण नहीं  
करनेसे बहिरंगकारण हो रहे गुणोंका भी व्यवच्छेद नहीं हो पाता है। क्योंकि क्षयोपशमके प्रसिद्ध  
हो रहे एक ही अर्थके अनुसार अवधिज्ञानावरणके क्षयोपशमको ही पकड़ा जायगा, ऐसी दशामें  
एवकार यदि लगा दिया जाता तो बहिरंगकारण गुणका भी व्यवच्छेद हो जाता। किन्तु गुणको  
बहिरंगकारण इस सूत्र द्वारा अवश्य कहना है। अतः पहिले दलमें अवधारण मत डालो। तथा  
उत्तरदलमें अवधारण नहीं करनेसे देव और नाराकियोंका व्यवच्छेद नहीं होना प्रसिद्ध हो जाता  
है। भावार्थ—शेष रहे मनुष्य, तिर्यचोंके समान देव, नाराकियोंके भी अवधिज्ञानावरणका क्षयोपशम  
अन्तरंगकारण है। अतः दोनों ओर अवधारण नहीं करनेसे भी प्रमेयका लाभ रहा। “विविध-  
मङ्गलानं जिनशासनम्” ।

**पट्टिकल्पः समस्तानां भेदानामुपसंग्रहात् ।**

**परमागमसिद्धाना युक्त्या सम्भावितात्मनाम् ॥ १० ॥**

सर्वज्ञधाराप्राप्त परमागममें प्रसिद्ध हो रहे और पूर्व कहीं गई युक्तियों करके सम्भावितस्वरूप  
हो रहे, देशावाधि आदि सम्पूर्ण भेदोंका विकट संग्रह हो जानेसे अवधिज्ञानके अनुगामी आदिक  
एह विकल्प हैं। अवधिज्ञानके अन्य भेदप्रमेदोंका इन्होंने अन्तर्भाव हो जाता है।

अनुगाम्यननुगामी वर्द्धमानो हीयमानोऽवस्थितोऽनवस्थितः इति पट्टिकल्पोऽवाधिः  
संप्रतिपाताप्रतिपातयोरत्रैवान्तर्भावात् ।

अनुगामी, अननुगामी, वर्द्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित, इस प्रकार अवधि-

ज्ञान छद्म प्रकारका है। कोई अवधिज्ञान सूर्यप्रकाशके समान अवधिज्ञानीके यहां वहां जानेपर भी पीछे पीछे चला जाता है। जैसे कि अधिक व्युत्पन्न विद्वान्का ज्ञान सर्वत्र उसके पीछे चला जाता है, वह अनुगामी है। दूसरा अननुगामी अवधिज्ञान तो अवधिज्ञानीके पीछे पीछे यहां वहां सर्वत्र नहीं जाता है, वहां ही पडा रहता है, जैसे कि सन्मुख हो रहे पुरुषके प्रश्नोंका उत्तर देनेवाले पुरुषके वचन वहां ही क्षेत्रमें रहे आते हैं। प्रश्नकर्त्ता सन्मुख आवे, तब तो उत्तर-सूझ जाता है। दूसरे प्रकारसे बुद्धि कार्य नहीं करती है। अनिष्णात विद्वान्की व्युत्पत्ति स्वाध्यायकालमें विद्यालयमें बनी रहती है। विद्यालयसे बाहिर बाजार, श्रमसालय, मेला आदिमें उसकी बुद्धि कुण्ठित हो जाती है। तीसरी वर्द्धमान अवधि तो वनमें फैल रहे अधिक सूखे तिनके, पत्तोंमें लगी हुयी अग्निके समान बढ़ती चली जाती है। पहिली जितनी अवधि उत्पन्न हुयी थी, उसकी अपेक्षा सम्पद्दर्शन, चारित्र, आदि गुणोंकी विशुद्धिके योगसे वह बढ़नी हुयी चली जाती है, जैसे कि सदाचारी, व्यवसायी प्रतिभाशाळी, विद्यार्थीकी व्युत्पत्ति अनुदिन बढ़ती चली जाती है। चौथी हीयमान अवधि तो लृग आदिके दग्ध हो चुकनेपर घट रही अग्निशिलाके समान जितनी उत्पन्न हुयी थी, उससे घटती ही चली जाती है, जैसे कि मन्दव्यवसायी, झगडालु, कृतघ्न, असदाचारी छात्रकी व्युत्पत्ति प्रतिदिन हीन होती जाती है। पांचवीं अवस्थित अवधि जितनी उत्पन्न हुयी थी, उतनी ही बहुत दिनोंतक बनी रहती है। श्रीअकलंकदेवने अवस्थित अवधिका दृष्टान्त लिङ्ग यानी पुरुष चिह्नका दिया है। सो, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अधिक मोटा शरीर हो जानेपर अथवा अधिक पतला शरीर हो जानेपर भी पुरुष चिह्नमें मासकृत वृद्धि या हानि नहीं हो जाती है। अथवा धूम आदि ज्ञापकहेतुमें अग्नि आदि साध्योंके प्रतिज्ञान करानेमें कोई न्यूनता या अधिकता नहीं हो जाती है। जैसे कि कोई मनमौजी, निश्चिन्त, विद्यार्थी बहुत दिनोंतक भी पढते पढाते हुये अपने ज्ञानको घटा बढ़ा नहीं पाता है। छद्म अनवस्थित अवधिज्ञान तो सम्पद्दर्शन आदि गुणोंकी हानि और वृद्धिके योगसे घटता बढ़ता रहता है। अव्यवस्थित बुद्धिवाले, सदाचारी, परिश्रमी, किन्तु क्षणिक उद्देश्यवाले, छात्रकी व्युत्पत्ति अनवस्थित रहती है। इस प्रकार छद्म भेदावाही अवधिज्ञान माना गया है। समीचीन प्रतिपात और अप्रतिपात इन दो भेदोंका इन्होंने छद्म भेदोंमें अन्तर्भाव कर दिया जाता है। ब्रिजुलीके प्रकाश समान प्रतिपात होनेवाला प्रतिपाती है। और गुणश्रेणीसे नहीं गिरनेवाला ज्ञान अप्रतिपाती है। कठिन रोग, मद्यपान, तीव्र असदाचार, बडा मारो कुर्म, आदिसे किसी छात्रकी व्युत्पत्ति एकदम गिर जाती है। शास्त्रीय कक्षामें उत्तीर्ण हो चुके छात्रको प्रवेशिकाकी पुस्तकें भी विस्मृत हो जाती हैं। तथा कोई कोई तीव्र क्षयोपशमवाला विद्यार्थी पहिलेसे ही किसी भी श्रेणीमें कमी नहीं गिरता है। उत्तरोत्तर चढता ही चला जाता है। उपशमश्रेणी और क्षपकश्रेणीके प्रतिपाती और अप्रतिपाती संघर्षोंके साथ एकार्यसमन्वापसम्भन्ध हो जानेसे अवधिज्ञान भी तेसा हो जाता है। अथवा अवधिज्ञानका भी साक्षात् प्रतिपात अप्रतिपात छगा सकते हो।

देशावधिः परमावधिः सर्वावधिरिति च परमागमप्रसिद्धानां पूर्वोक्तयुक्त्या सम्मा-  
वितानामत्रोपसंग्रहात् ।

देशावधि, परमावधि, और सर्वावधि इस प्रकार परमदेवाधिदेव अर्हंतसर्वज्ञको आम्नायसे चले  
आरहे आगममें प्रसिद्ध हो रहे भेदोंका भी इन्हीं भेदोंमें यथायोग्य ( करीब करीब ) संग्रह हो जाता  
है । अनादिप्रिय पदार्थोंको साधनेवालों पूर्वमें कहीं गयीं युक्तियोंकरके देशावधि आदि भेदोंकी  
सम्भावना की जा चुकी है । उनके सङ्गावका कोई वाचक प्रमाण निश्चिन्त नहीं है । असम्भवद्रव्य-  
कान्दादिनिवृत्तिसिद्धिः । देशावधिका जघन्य अंश मनुष्य तिर्यचोंमें पाया जाता है । अन्य मनुष्य, तिर्यच,  
अथवा नारकी, सामान्य देव, ये देशावधिके मध्यम अंशोंके स्वामी हैं । देशावधिका उत्कृष्ट अंश तो  
मुनियोंके पास जाना है । देशावधि द्वारा एक समय कन प्रत्यकाळके आगे पाँछेकी बातोंका और  
तीन लोकमें स्थित हो रहे रूपीद्रव्योंका देश प्रत्यक्ष हो जाता है । देशावधिका जघन्य क्षेत्र या  
काळ तो अर्धेजाहुँडके अर्धेहयातवें भाग और आवडीके अर्धेहयातवें भाग भूतमविष्य हैं । मध्यम  
योगसे उद्धारित किये गये औदारिकके विस्तारोपचयसहित संचित नोकर्मद्रव्यमें लोक प्रदेशोंका माग  
देनेपर जो मोटा स्फुटपिण्ड लब्ध आता है, उतने द्रव्यको जघन्य देशावधि ज्ञान जान लेता है ।  
और उत्कृष्ट देशावधि तो कर्मग वर्णणामें एक बार ध्रुवहाका माग देनेपर जो छोटा टुकड़ा लब्ध  
आता है, उसको जानती है । इससे छोटे टुकड़ेको देशावधि नहीं जान पाती है । जघन्यदेशावधि  
काळके अर्धेहयातवें भाग पर्यायोंको भावकी अपेक्षा जानती है । और उत्कृष्ट देशावधिज्ञान द्रव्यके  
अर्धेहयात लोकप्रमाण पर्यायोंका प्रयत्न कर लेता है । इसके आगेके द्रव्य, क्षेत्र, काळ, भावोंको  
परमावधि जानता है । सर्वावधिका विषय और भी बड़ा हुआ है । चरमसारी मुनिमहाराजके  
परमावधि और सर्वावधिज्ञान होते हैं ।

कुतः पुनरवधिः कश्चिदनुगामी कश्चिदन्यथा सम्भवतीत्याह ।

यथा कारण है कि फिर कोई तो अवधिज्ञान अनुगामी होना है ! और कोई उसके भेद  
अन्य प्रकारसे यानी अवस्थित, अनवस्थित, आदि रूपकारके सम्भव रहे हैं ! बताओ । देशावधिके  
अनुगामी, अननुगामी, वर्द्धमान, ह्रीपमान, अवस्थित, अनवस्थित, ये छह भेद हैं । और परमावधिके  
अनुगामी, अननुगामी, वर्द्धमान, अवस्थित, ये चार भेद हैं । तथा सर्वावधिके अनुगामी, अननुगामी  
अवस्थित ये तीन भेद हैं ! प्रतिपाती और अप्रतिपाती ये भेद भी यथायोग्य जोड़े जा सकते हैं ।  
इस प्रकार शिष्यकी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं ।

विशुद्धचतुष्पमात्पुंसोऽनुगामी देशतोऽवधिः ।

परमावधिरप्युक्तः सर्वावधिरपीदृशः ॥ ११ ॥

आत्माके अवधिज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशम करके उत्पन्न हुयी विशुद्धिका अनुगम करनेसे एक देशसे हुयी देशावधि भी अनुगामी हो जाती है। और परमावधि भी सूर्यप्रकाश समान आत्माका अनुगम करनेवाली अनुगामी मानी गयी है। तथा इसी प्रकार सर्वावधि भी अनुगामी हो रही है। अर्थात्—तीनों प्रकारकी अवधियोंका भेद अनुगामी है। यों हेतुपूर्वक सिद्धि कर दी गयी है।

**विशुद्धचनन्वयादेपोऽननुगामी च कस्यचित् ।  
तद्भावापेक्षया प्राच्यः शेषोऽन्यभववीक्षया ॥ १२ ॥**

क्षयोपशमजन्य आत्मप्रसादस्वरूप विशुद्धिका अन्वयरूप करके गमन नहीं करनेसे यह अवधि किसी किसी जीवके अननुगामी होती है। तिन तीन प्रकारके अवधि ज्ञानोंमें पहिलादेशावधि-ज्ञान तो उसी भवकी अपेक्षासे अननुगामी कहा जाता है। अर्थात्—किसी किसी जीवके हुआ देशावधिज्ञान उस स्थानसे अन्य स्थानपर साथ नहीं पहुँचता है। या उस जन्मसे दूसरे जन्ममें नहीं पहुँच पाता है। तथा चरमशरीरी संयमके पाये जानेवाले शेष बचे हुये परमावधि और सर्वावधि तो अन्य भवकी अपेक्षा करके अननुगामी हैं। अर्थात्—सर्वावधि परमावधि ज्ञानियोंकी उसी मन्त्रमें मोक्ष हो जानेके कारण अन्य भवोंका धारण नहीं होनेसे वे दो अवधिज्ञान अननुगामी हैं। यों तो वे उसी जन्ममें संगमीके उत्पन्न होकर बारहवें गुणस्थानतक पाये जा सकते हैं।

**वर्द्धमानोऽवधिः कश्चिद्विशुद्धेर्वृद्धितः स तु ।  
देशावधिरिहाम्नातः परमावधिरेव च ॥ १३ ॥**

विशुद्धि और सम्पत्ति आदि गुणोंकी वृद्धि हो जानेसे कोई कोई वह अवधि तो वर्द्धमान कही जाती है। तिनमें देशावधि और परमावधि ही यहा वर्द्धमान मानी गयीं हैं। क्योंकि देशावधिके जघन्य अंशसे लेकर उत्कृष्ट अंशोंतक वृद्धिया होती है। तथैव तैजसकायिक जीवोंकी अवगाहनाओंके भेदोंके साथ तैजसकायिक जीवराशिका परस्पर गुणा करनेसे जितना उठन आता है, उतने अपूर्णतात छोकेप्रमाण परमावधिके द्रव्य अपेक्षा भेद हैं और क्षेत्रकाचकी अपेक्षासे भी असंख्यात भेद हैं। अतः परमावधि भी बढरही सन्ती वर्द्धमान है, किंतु सर्वावधि भेद वर्द्धमान नहीं है। यह अवस्थित है।

**हीयमानोऽवधिः शुद्धेर्हीयमानत्वतो मतः ।  
स देशावधिरेवात्र हानेः सद्भावासिद्धितः ॥ १४ ॥**

सम्पद्दर्शन आदि गुणोंकी हानि और संकेश परिणामोंकी वृद्धि तथा क्षयोपशमविशेषजन्य विशुद्धिकी न्यूनता हो जानेसे अवधिज्ञान हीयमान माना गया है। इन तीनों अवधिज्ञानोंमें विशुद्धि हानिके सद्भावकी सिद्धि हो जानेसे वह देशावधि ही एक हीयमान हो रही आम्नायसे चली आ रही है। बढते हुये चारित्र गुणवाले मुनि महाराजोंके परमावधि और सर्वावधि होती हैं। अतः ये हीयमान नहीं हैं।

**अवस्थितांश्वधिः शुद्धेरवस्थानान्नियम्यते ।**

**सर्वोङ्गिनां विरोधस्याप्यभावान्नानवस्थितेः ॥ १५ ॥**

कोई अवधि तो सम्पद्दर्शन आदि गुणोंके और क्षयोपशमजन्य विशुद्धिके उतनाका उतना ही अवस्थान बना रहनेसे अवस्थित हो रही नियत की जाती है। यह अवस्थित भेद जीवोंके हो रहे सभी तीनों अवधिज्ञानोंमें घटित हो जाता है। विरोध दोष होनेका भी यहा अभाव है। सर्वावधिमें तो अनवस्थितिका सर्वथा निषेध है। तथा अवस्थित हो रही देशावधि, परमावधिमें भी अनवस्थितिका निषेध है। अतः तीनों ही अवस्थितभेदवाली हैं।

**विशुद्धेरनवस्थानात्सम्भवेदनवस्थितः ।**

**स देशावधिरेवैकोऽन्यत्र तत् प्रतिघाततः ॥ १६ ॥**

चित्रको उपयोगी भौतिकी विशुद्धिके समान क्षयोपशमजन्य आत्माकी विशुद्धिका अनवस्थान हो जानेसे अवधिका अनवस्थित भेद सम्भवता है। उनमें यह देशावधि ही एक अनवस्थित है। अन्य दो अवधियोंमें उस अनवस्थितिका प्रतिघात है। विशेष यह कहना है कि किन्हीं किन्हीं आचार्योंने परमावधिका भी भेद अनवस्थित मान लिया है।

**प्रोक्तः सप्रतिपातो वाऽप्रतिपातस्तथाऽश्वधेः ।**

**सोऽन्तर्भावमभीष्वेव प्रयातीति न सूत्रितः ॥ १७ ॥**

उक्त छह भेदोंके अतिरिक्त तिसी प्रकार प्रतिपात सहितपना और प्रतिपातरहितपना ये दो भेद भी अवधिज्ञानके श्री अकलंकदेवने बढिया कहे हैं। किन्तु ये भेद इन छह भेदोंमें ही भले प्रकार अन्तर्भावकी प्राप्त हो जाते हैं। इस ही कारण सूत्रकारने अवधिके आठ भेदोंका सूत्र द्वारा सूचन नहीं किया है।

विशुद्धेः प्रतिपाताप्रतिपाताभ्यां सप्रतिपाताप्रतिपातौ श्वधीपदस्वेवान्तर्भवतः । अनु-  
गाम्यादयो हि कैचित् प्रतिपाताः कैचिदप्रतिपाता इति ।

आत्माकी निर्मलताके प्रतिपात और अप्रतिपात करके प्रतिपातसहित और प्रतिपातरहित हो रहे दो अवधिज्ञानके भेद तो इन छह भेदोंमें ही गर्भित हो जाते हैं । कारण कि अनुगामी आदिक छहों भेद कोई तो प्रतिपाती है, और कोई अनुगामी आदिक भेद प्रतिपातरहित हैं । यद्वातक अवधिज्ञानको कहनेवाला प्रकरण समाप्त हुआ ।

## इस सूत्रका सारांश ।

इस “ क्षयोपशमनिमित्तः पङ्क्तिरूपः शेषाणाम् ” सूत्रमें प्रकरण इस प्रकार है कि प्रथम ही दूसरे अवधिज्ञानके बहिरंगकारण और स्वामी तथा भेदोंका निरूपण करनेके लिये सूत्रका कहना आवश्यक बताकर संयम, देशसंयमको मनुष्य तिर्यचोंके होनेवाले अवधिज्ञानका बहिरंगकारण सिद्ध किया है । चौथे गुणस्थानसे अवधिज्ञानका प्रारम्भ है । अतः कथायोंका उपशमभाव चौथेमें भी थोड़ा मिळ जाता है । पहिले दूसरे गुणस्थानमें हो रहे विभंगज्ञानमें भी नारकियोंकी अपेक्षा कुछ मन्दकपाय हैं । संज्ञीके पर्याप्त अवस्थामें ही विभंग होता है । तीसरे मिश्रगुणस्थानमें अवधि और विभंगसे मिळा हुआ मिश्रज्ञान है । वहा भी बहिरंगकारण सम्भवजाता है । सूत्रकारने श्लेषयुक्त “ क्षयोपशम ” शब्द दिया है । अतः सभी भेदप्रभेदसहित चार ज्ञानोंके अन्तरंगकारण स्वकीय ज्ञानावरणके क्षयोपशमका निरूपण कर दिया है । इस सूत्रमें दोनों ओर “ एवकार ” लगा सकते हो और दोनों ओर एवकार नहीं लगानेपर भी विशेष प्रयोजन सध जाता है । अवधिज्ञानोंके यथायोग्य छह भेदोंका लक्षण बनाकर प्रतिपात और अप्रतिपातको इन छहोंमें अन्तर्भाव कर सूत्रकारकी विद्वत्ताकी परममहत्ताको श्रीविद्यानन्द स्वामीने प्रकाश दिया है । जब कि प्रतिपात और अप्रतिपात ये दो भेद छहों भेदोंमें सम्भन रहे हैं तो छहसे अतिरिक्त दो भेद बढ़ाकर अवधिके आठ भेद करना तो उचित नहीं है । जैसे कि संसारी जीवोंके कायकी अपेक्षा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति, और प्रस ये छह भेदकर पुनः पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो भेद बढ़ाकर आठ भेद करना अयुक्त है । जब कि छहों कायोंमें पर्याप्त और अपर्याप्त भेद सम्भव रहे हैं । अतः पर्याप्त, अपर्याप्तको जिस प्रकार छहों भेदोंमें गर्भित कर लिया जाता है, या छह पर्याप्त और छह अपर्याप्त इस प्रकार बारह भेद कर व्युत्पत्ति लाभ कराया जाता है, वसी प्रकार यहा भी छह ही भेदकर प्रतिपात और अप्रतिपातको इनमें ही गर्भित कर लेना चाहिये । देशावधि, परमावधि सर्वावधिके छह, चार और तीन भेद हैं । श्री राजवार्तिककारने अनवस्थित भेदको परमावधिमें भी स्वीकार किया है । जघन्य, मध्यम, उच्छृङ्खलसे विषयोंका ग्रहण करना विवक्षित होनेपर अनवस्थित भेद वहा सम्भवता होगा । यद्वातक अवधिज्ञानका प्रकरण समाप्त कर दिया है ।

स्वविशुद्धिविशुद्धिदानिती ह्यनुगाम्यादिविकल्पमाश्रितः ॥

प्रतिपक्षविनाशतो भवेत् तृतिरथा गुणहेतुकावधिः ॥ १ ॥

अवधिज्ञानका प्ररूपण कर अब अवसर संगति अनुसार क्रमप्राप्त मनःपर्ययज्ञानका प्रतिपादन करनेके लिये श्री उमास्वामी महाराज अप्रिम सूत्रस्वरूप मुक्ताफलको स्वकीय मुख सम्पुटसे निकालकर प्रकाशित करते हैं ।

## ऋजुविपुलमती मनःपर्ययः ॥ २३ ॥

ऋजुमति और विपुलमति इस प्रकार दो भेदवाला मनःपर्ययज्ञान होता है । सरलतापूर्णक अथवा मन, वचन, कायके द्वारा किये गये चिंतित अर्थोंका प्रत्यक्ष करनेवाला ज्ञान ऋजुमति है । तथा सरल और एक अथवा सब प्रकारके त्रियोग द्वारा किये गये या नहीं किये गये चिंतित, अचिंतित अर्थांचिंतित अर्थोंका प्रत्यक्ष करनेवाला ज्ञान विपुलमति मनःपर्यय है ।

नन्विह बहिरंगकारणस्य भेदस्य च ज्ञानानां प्रस्तुतत्वात्तदं वक्तव्यं ज्ञानभेदकारणा प्रतिपादकत्वादित्यारिकायामाह ।

शिष्यकी शंका है कि यहां प्रकरणमें ज्ञानोंके बहिरंग कारण और भेदोंके निरूपण करनेका प्रस्ताव चला आ रहा है । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अविधिज्ञानमें इसी प्रकारके प्रस्ताव अनुसार निरूपण हो भी चुका है । अब मनःपर्यय ज्ञानके स्वरूपका प्रतिपादक यह सूत्र भला क्यों कहा जा रहा है ! ज्ञानके भेद और बहिरंग कारणोंका प्रतिपादक तो यह सूत्र नहीं है । अतः यहां प्रकरणमें यह सूत्र नहीं कहना चाहिये, इस प्रकार आशंका होनेपर श्री विद्यानन्दस्वामी स्पष्ट समाधान कहते हैं । सो अनन्यमनस्क होकर सुनो ।

मनःपर्ययविज्ञानभेदकारणासिद्धये ।

प्राहर्ज्वित्यादिकं सूत्रं स्वरूपस्य विनिश्चयात् ॥ १ ॥

सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराजने यह “ऋजुविपुलमती मनःपर्ययः” सूत्र यहां ज्ञानके स्वरूपका निश्चय करनेके लिये नहीं कहा है । मनःपर्यय ज्ञानके स्वरूपका विशेष निश्चय तो “मतिश्रुताविधिःमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्” इस सूत्रमें कहे गये मनःपर्यय शब्दकी निरुक्तिमें भले प्रकार करा दिया गया है । किंतु यहां मनःपर्ययज्ञानके भेद और बहिरंगकारणोंकी प्रसिद्धि करानेके लिये श्री उमास्वामी महाराज “ऋजुविपुल” इत्यादिक सूत्रको उद्धृत अच्छा कर रहे हैं ।

न हि मनःपर्ययज्ञानस्वरूपस्य निश्चयार्थमिदं सूत्रमुच्यते यतोऽप्रस्तुतार्थं स्यात् । तस्य मत्यादिशब्दे निरुक्त्यैव निश्चयात् । किं तर्हि । मरुतस्य बहिरंगकारणस्य भेदस्य प्रसिद्धये समारभते ।



इसकी टीका यों हैं कि मनःपर्ययज्ञानके स्वरूपका निश्चय करानेके लिए यह सूत्र नहीं कहा जा रहा है, जिससे कि प्रकरणके प्रस्तावमें प्राप्त हो रहे अर्थको प्रतिपादन करनेवाला यह सूत्र नहीं हो सके। अर्थात्—यह सूत्र प्रस्तावप्राप्त प्रकरणके अनुसार ही है। उस मनःपर्ययके स्वरूपका निश्चय तो “मतिः स्पृतिः” आदि सूत्रमें निरुक्ति करके ही कह दिया जा चुका है। मनःपर्यय ज्ञानावर्ण कर्मके क्षयोपशम आदिक अन्तरंग, बहिरंगोंको निमित्तकारण पाकर परकीय मनोगत अर्थको चारों ओरसे आलम्बनरूप आत्माके जो ज्ञान होता है, यह मनःपर्ययका स्वरूप है। तो फिर यहा कोई पूछे कि सूत्रकारने यह सूत्र किस लिये बनाया? इसका उत्तर यह है कि प्रकरणमें निरूपण किये जा रहे बहिरंगकारण और भेदकी प्रसिद्धि करानेके लिये यह सूत्र अच्छे ढंगसे व्याख्या जा रहा है।

ऋज्वी मतिर्यस्य स ऋजुमतिः। विपुला मतिर्यस्य स विपुलमतिः। ऋजुमतिश्च विपुलमतिश्च ऋजुविपुलमती। एकस्य मतिशब्दस्य गम्यमानत्वाद्धोप इति व्याख्याने का सा ऋज्वी विपुला च मतिः किंपकारा च मतिशब्देन चान्यपदार्थानां वृत्तौ कोऽन्यपदार्थ इत्याह।

जिसकी बुद्धि ऋजु सरल बनायी गयी है वह मनःपर्ययज्ञान ऋजुमति है, और जिसकी बुद्धि कुटिल भी बहुतसे अर्थोंको जाननेवाली है, वह विपुलमति है। ऋजुमति शब्द और विपुलमतिशब्द दो का इतर इतर योग करनेपर “ऋजुविपुलमति” इन प्रकार द्वन्द्व समासमें पद बन जाता है। दो मति शब्दोंमेंसे एक मति शब्दका अर्थ विना बोले ही जान लिया जाता है। अतः समास नियम अनुसार एक मति शब्दका लोप हो जाता है। इस प्रकार सूत्रके उद्देश्यदलका व्याख्यान करनेपर प्रश्न हो सकता है कि वे ऋजु और विपुल नामकी बुद्धिया कौनसी हैं? और कितने भेदवाली हैं? तथा मति शब्दके साथ ऋजु विपुलमति शब्दोंकी अन्य पदार्थोंको प्रधान करने वाली बहुव्रीहि नामक समास वृत्ति हो जानेपर बताओ कि वह अन्य पदार्थ कौन हैं? जो कि ऋजुमति और विपुलमतिकी वाच्य पड़ेगा। इस प्रकार कई जिज्ञासायें खड़ी करनेपर श्रीविद्यानंद आचार्य यथार्थ उत्तर कहते हैं।

निर्वर्तितशरीरादिकृतस्यार्थस्य वेदनात्।

ऋज्वी निर्वर्तिता त्रेधा प्रगुणा च प्रकीर्तिता ॥ २ ॥

ऋजु शब्दका अर्थ बनाया गया और सरल यों दोनों प्रकार अच्छा कहा गया है। सरलता पूर्वक क्लृप्त, वचन, मन, द्वारा किये गये परकीय मनोगत अर्थका सम्बेदन करनेसे ऋजुमति तीन प्रकारकी कही गई है। अर्थात्—अपने या दूसरेके द्वारा सरलतापूर्वक शरीरसे किये गये, वचन

से बोलें गये, और मनसे चीते गये अर्थको यदि कोई जीव मनमें विचार ले तो ऋजुमति मनःपर्यय उस मनमें चीते गये पदार्थका ईशामनिज्ञानपूर्वक विकल्पप्रत्यक्ष कर लेता है। सरल और किया गयापन, इन दोनों अर्थोंको घटितकर मन, वचन, काय, को अपेक्षासे ऋजुमतिके तीन भेद हो जाने हैं। जो कि मनमें चीते गये, ऋजुकायकृत अर्थको जाननेवाला, मनमें चीते गये ऋजुवाकृत अर्थको जाननेवाला और मनमें चीते गये ऋजुमनस्कृत अर्थको जाननेवाला ये तीन भेद हैं।

अनिर्वर्तितकायादिकृतार्थस्य च वेदिका ।

विपुला कुटिला पोढा वक्रर्जुत्रयगोचरा ॥ ३ ॥

तथा काय, वचन, मन, इनसे किये गये परकीय मनोगत विज्ञानसे नहीं बनाई गई होकर सरल या कुटिल अथवा बहुतेसे शरीर आदि कृत अर्थोंको जाननेवाली मति तो विपुला है। वह वक्र और सरलस्वरूपसे मन, वचन, काय, इन तीनोंके द्वारा किये गये मनोगत विषयोंको जानती हुयी वह छह प्रकारकी है।

एतयोर्मतिशब्देन वृत्तिरन्यपदार्थिका ।

केश्विदुक्ता स चान्योऽर्थो मनःपर्यय इत्यसन् ॥ ४ ॥

द्वित्वप्रसंगतस्तत्र प्रवक्तुं धीधनो जनः ।

न मनःपर्ययो युक्तो मनःपर्यय इत्यलम् ॥ ५ ॥

इन ऋजु और विपुल शब्दोंकी मति शब्दके साथ की गई अन्य पदार्थको प्रमान कहनेवाली बहुमोहि समास नामक वृत्ति कि ही विद्वानोंने कहा है। और वह अन्यपदार्थ तो मनःपर्यय ज्ञान पङ्गा है। अर्थात्—जिस मनःपर्यय ज्ञानकी मति ऋजु है और जिस मनःपर्यय ज्ञानकी मति विपुला है, वह ऋजुमति विपुलमति मनःपर्यय हैं, यों विमह किया गया है। आचार्य सिद्धान्त करते हैं कि इस प्रकार उन विद्वानोंका कहना प्रसंगतीय नहीं है। क्योंकि यों वृत्ति करनेपर वह मनःपर्यय शब्द में द्विवचन हो जानेका प्रसंग होगा। जैसे कि जिस पुरुषका धन बुद्धि है, वह “ बुद्धिधनो जनः ” या “ धीधनः ” है। यहां उददेश्य दत्तके अनुसार जन शब्द एकवचन है। अतः अन्य पदार्थ हो रहे, मनःपर्यय ज्ञानके साथ वृत्ति करनेपर विधेयदत्तमें “ मनःपर्ययः ” हम प्रकार एकवचन कहना युक्त नहीं पड़ेगा। किन्तु “ मनःपर्ययो ” यह कहना उस वृत्तिद्वारा अर्थ करनेमें सपर्य होगा। क्योंकि दो मनःपर्यय ज्ञानोंका ऋजुमति और विपुलमति दो मनियाँ हैं।

यदात्वन्याँ पदार्याँ स्तस्तद्विशेषौ वलाद्रतौ ।

सामान्यतस्तदेकोऽयमिति युक्तं तथा वचः ॥ ६ ॥

हां जब वे दो विशेष अग्य पदार्थ उस सामान्य एक मनःपर्ययकी शक्तिसे ही जान लिये गये मानलोगे तब तो तिस कारण यह मनःपर्यय शब्द तिस प्रकार एकवचन भी सामान्यरूपसे प्रयुक्त करना युक्त है। अतः बहुव्रीहि समास करनेपर भी एकवचन इस ढंगसे रक्षित रह सकता है, कोई क्षति नहीं है।

**सामानाधिकरण्यं च न सामान्यविशेषयोः ।**

**प्रवाध्यते तदात्मत्वात्कथंचित्संप्रतीतितः ॥ ७ ॥**

यहां कोई यदि यों शंका करे कि “ऋजुविपुळमती” तो द्विवचन पद है और “मनःपर्ययः” शब्द एकवचन है। अतः इनका समान अधिकरणपना नहीं बनेगा। किन्तु उद्देश्य विधेयदलमें समान विभक्तिवाले, समान लिंगवाले, समान वचनवाले, शब्दोंका ही सामानाधिकरण्य वन सकता है। अब आचार्य कहते हैं कि यह शंका नहीं करनी चाहिये। क्योंकि सामान्य और विशेषमें हो रहा सामानाधिकरणपना किसी भी प्रमाणसे बाधित नहीं होता है। क्योंकि सामान्य और विशेषोंका कथंचित् तदात्मकपना होनेके कारण समान अधिकरणपना भले प्रकार प्रतीत हो रहा है। “मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्” अथवा “साधोः कार्यं तपःश्रुते” “आये परोक्षम्” “यूयम् प्रमाणम्” आदि प्रयोगोंमें बाधारहित होकर सामानाधिकरणपना है। सामान्य प्रायः एक वचन और विशेष प्रायः द्विवचन, बहुवचन हुआ करते हैं।

**येऽप्याहुः । ऋजुश्च विपुला च ऋजुविपुले ते च ते मतीति च स्वपदार्थवृत्तिस्तेन ऋजुविपुळमती विशिष्टे परिच्छिन्ने मनःपर्यय उक्तो भवतीति तज्जेदकथनं प्रतीयत इति तेषामप्यविरोधमुपदर्शयति ।**

जो भी कोई विद्वान् यों समास वृत्ति कर कह रहे हैं कि ऋजु और विपुला इस प्रकार इतर इतर योग करनेपर ऋजुविपुले बनता है। और ये ऋजुविपुलास्वरूप जो मति हैं, इस प्रकार अपने ही पदके अर्थोंको प्रवान रखनेवाली द्वन्द्वगर्भित कर्मधारय वृत्ति की गयी है। और तिस प्रकार करनेसे विशिष्ट हो रहे ऋजुमति और विपुळमतिज्ञान जाने जा रहे संते मन पर्यय कथन कर दिये गये हो जाते हैं। यों उद्देश्यदलमें उस द्विवचन द्वारा भेदकथन करना प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार कह रहे उन विद्वानोंके यहां भी त्रैलोक्यद्वान्त अनुसार कोई विरोध नहीं आता है। इस बातको स्वयं ग्रन्थकार श्री प्रियानन्द स्वामी कुछ दिखला रहे हैं।

**स्वपदार्था च वृत्तिः स्यादविरुद्धा तथा सति ।**

**विशिष्टे हि मतिज्ञाने मनःपर्यय इष्यते ॥ ८ ॥**

तिस प्रकार उक्त कथन अनुसार समास वृत्ति करते संते भी स्वपदार्थप्रधाना कर्मधारयवृत्ति अविरुद्ध हो जावेगी । और तैसा होनेपर विशिष्ट हो रहे दो मनःपर्ययस्वरूप ऋजुमति और त्रिपुलमतिनामक मतिज्ञान तो एक मनःपर्यय इस विधेयदलके साथ अन्वित इष्ट कर लिये हैं ।

यधर्जुविपुलमती मनःपर्ययविशेषौ मनःपर्ययसामान्येनेति सामानाधिकरण्यमविरुद्धं सामान्यविशेषयोः कथंचित्तादात्म्यात्तया संप्रतीतिश्च तद्वद्वजुविपुलमती ज्ञानविशेषौ मनःपर्यययोर्ज्ञानमित्यपि न विरुध्यते मनःपर्ययज्ञानभेदाप्रतिपत्तेः प्रकृतयोः सद्भावाविशेषात् ।

जिस प्रकार ऋजुमति और त्रिपुलमति ये मनःपर्ययज्ञानके दो विशेष उस प्रकरणप्राप्त मनःपर्यय सामान्यके साथ इस प्रकार समान अधिकरणपनेको प्राप्त हो रहे विरुद्ध नहीं हैं । क्योंकि एक सामान्य और कतिपय विशेषोंको कथंचित् तदात्मकपना हो जानेसे तिस प्रकार दो एकमें या तीन एकमें अथवा एक तीनमें, एक दो आदिमें सामानाधिकरण्य भले प्रकार निर्णय हो रहा है । उसीके समान ऋजुमति और त्रिपुलमति ये जो दो ज्ञानविशेष हैं, वे एक मनःपर्यय ज्ञान है । इस प्रकार भी कथन करनेपर कोई विरोध प्राप्त नहीं होता है । क्योंकि मनःपर्ययज्ञान सामान्य-कारके भेदकी प्रतिपत्ति नहीं होनेका सद्भाव इन प्रकरणप्राप्त ऋजुमति, त्रिपुलमति दोनोंमें विद्यमान है । कोई अन्तर नहीं है । मनुष्यत्वकी अपेक्षासे ब्राह्मण, शूद्र, आर्यमें कोई अन्तर नहीं है । शुक्लपक्ष और कृष्णपक्षमें चन्द्रिका बरोबर है । आगे, पीछे मात्र होनेसे जब शुक्ल, काळा पक्ष कह देते हैं ।

कथं बाह्यकारणप्रतिपत्तिरत्रेत्याह ।

यहां कितने ही सूत्रोंमें ज्ञानके बाह्यकारणोंका विचार चला आ रहा है । तदनुसार आपने मनःपर्यय ज्ञानके बहिरंगकारणोंकी इस सूत्रद्वारा प्रसिद्ध होना कहा था, तो आप बतलाइये कि यहां बहिरंगकारणोंकी प्रतिपत्ति किस प्रकार हुई ? इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर विद्यानंदस्वामी उत्तर कहते हैं ।

परतोऽयमपेक्षस्यात्मनः स्वस्य परस्य वा ।

मनःपर्यय इत्यस्मिन्पक्षे बाह्यनिमित्तवित् ॥ ९ ॥

अपने अथवा दूसरेके मनकी अपेक्षा रखता हुआ यह मनःपर्यय ज्ञान अन्य बहिरंगकारण मनसे उत्पन्न होता है । इस प्रकार इस व्युत्पत्तिके पक्षमें ( होनेपर ) बहिरंग निमित्तकारणकी इति हो जाती है ।

मनःपरितर्पानुसंधाय वायनं मनःपर्यय इति व्युत्पत्तौ बहिरंगनिमित्तकोऽयं मनःपर्यय इति बाह्यनिमित्तप्रतिपत्तिरस्य कृता भवति ।

मनः+परि+इण+घञ्+सु मनः ( मनःस्थित ) का अनुसंधानकर जो प्रत्यक्ष जानता है, वह मनःपर्यय है। इस प्रकार व्युत्पत्ति करनेपर जिसका बहिरंग निमित्तकारण मन है, ऐसा यह मनःपर्ययज्ञान है। इस ढंगसे इस मनःपर्यय ज्ञानके बहिरंग निमित्तकी प्रतिपत्ति कर ली गयी है।

न मतिज्ञानतापत्तिस्तस्यैवं मनसः स्वयं ।

निर्वर्तकत्ववैधुर्यादपेक्षामात्रतास्थितेः ॥ १० ॥

इस प्रकार मनस्वरूपनिमित्तसे उत्पन्न होनेके कारण उस मनःपर्यय ज्ञानकी मतिज्ञानपनेका प्रसंग हो जायगा, यह आपत्ति देना ठीक नहीं है। क्योंकि मानस मतिज्ञानको मन स्वयं वनाता है। किन्तु मनःपर्ययज्ञानका सम्पादन करनापना मनको प्राप्त नहीं है। केवल मनकी अपेक्षा है। अपेक्षामात्रसे स्थित हो रहे मनको मानसमतिज्ञानके समान मनःपर्ययका सम्पादकपना नहीं है। शुकप्रपञ्चकी प्रतिपदा या द्वितीयाका पतला चन्द्रमा जब स्थूल दृष्टिवालेको नहीं दीखता है तो चतुर. पुरुषकरके शाखा या दो बादलोंके बीचमेंसे वह चन्द्रमा दिखा दिया जाता है। यहाँ शाखा या बादल अपेक्षणीय मात्र हैं। प्रेरककारण नहीं हैं। इसी प्रकार स्वकीय या परकीय मनका अवलंब लेकर प्रत्यक्ष ज्ञान कर लिया जाता है। जैसे कि किसी फूल, फल आदिका तुच्छ सहारा लेकर फलित ज्योतिषवाले विद्वान् भूत, भविष्यकी अनेक बातोंको आगमद्वारा बता देते हैं। अतः जिस ज्ञानमें मन प्रेरक होकर अंतरंग कारण है, वह मानसमतिज्ञान है। मनकी केवल अपेक्षा हो जानेसे ही मनःपर्ययमें मन कारण नहीं हो सकता है। बाह्यकारण भले ही मानलो। अध्ययनमें पुस्तक-कारण है। चौकी कारण नहीं है, मले ही पुस्तक रखनेके लिए चौकीकी अपेक्षा होय तो इससे क्या होता है।

क्षयोपशममात्रिभ्रदात्मा मुख्यं हि कारणं ।

तत्प्रत्यक्षस्य निर्वृत्तौ परहेतुपराङ्मुखः ॥ ११ ॥

उस मनःपर्यय प्रत्यक्षज्ञानकी उत्पत्ति करनेमें मुख्य कारण तो मनःपर्ययज्ञानावरणके क्षयोपशमको सब ओरसे धार रहा आत्मा ही है। जो कि आत्मा अन्य इन्द्रिय, मन, ज्ञापक ङ्गि, व्याप्ति, संकेतस्मरण आदि दूसरे कारणोंसे पराङ्मुख हो रहा है। अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञानकी उत्पत्तिमें प्रतिबंधकोसे रहित होता हुआ, केवल आत्मा ही कारण माना गया अनुभूत है। “ अक्षं अक्षं प्रति ” इति प्रत्यक्षं, केवल आत्माको ही कारण मानकर जो ज्ञान उपजता है, वह प्रत्यक्ष है।

मनोलिङ्गजतापत्तेर्न च तस्यानुमानता ।

प्रत्यक्षलक्षणस्यैव निर्वाधस्य व्यवस्थितेः ॥ १२ ॥

व्यक्तिसहित हो रहे घूमसे उत्पन्न हुआ वह्निका ज्ञान जैसे अनुमान है, उसी प्रकार दूसरेके मनरूपी व्यक्त लिंगसे जन्यपनेका प्रसंग हो जानेसे उस मनःपर्ययज्ञानको अनुमानपना प्राप्त हो जाय, यह भी नहीं समझना। क्योंकि लिंगदर्शन, व्याप्तिसमरणपूर्वक मनःपर्ययज्ञान नहीं हुआ है। किन्तु बाधाओंसे रहित होते हुये प्रत्यक्ष प्रमाणके लक्षणकी ही मनःपर्ययमें समीचीन व्यवस्था हो रही है। “इन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षमतीतव्यभिचारं साकारप्रदृणं प्रत्यक्षं” अथवा “प्रतीत्यंतराव्यवधानेन विशेषतया वा प्रतिमासन्नं वैशदं प्रत्यक्षम्” तथा “अक्षमात्मानमेव प्रतिनियतं प्रत्यक्षं” ये प्रत्यक्षके लक्षण बाधारहित होते हुए मनःपर्ययमें घटित हो जाते हैं। परोक्ष हो रहे मानसमतिज्ञानमें उक्त लक्षण नहीं सम्भवते हैं। सांभवहारिक प्रत्यक्षका लक्षण एक भले ही किसी किसी तीव्र सुख, दुःख, उत्कट अभिजाया प्रकृतज्ञान, आदि व्यावहारिकका प्रत्यक्ष करनेमें घट जाय, किन्तु अनेक अर्थपर्यायों और धर्म अवर्म द्रव्योंके हो रहे परोक्ष मानसमतिज्ञानोंमें सांभवहारिक प्रत्यक्षका लक्षण नहीं वर्तता है। दूसरी बात यह है कि मुख्य प्रत्यक्षोंमें व्यवहार प्रत्यक्षके लक्षण घटानेकी हमें कोई आवश्यकता नहीं दीखती है। प्रत्यक्षके दो सिद्धांत लक्षण यहाँ मनःपर्ययमें पुष्ट घटित हो जाते हैं।

नन्वेवं मनःपर्ययशब्दनिर्वचनसामर्थ्यात्तद्वाह्यप्रतिपत्तिः कथमतः स्यादित्याह ।

पुनः किसीकी शंका है कि इस प्रकार मनःपर्यय शब्दकी इस निरुक्तिके बलसे ही उस मनःपर्ययके बाह्य कारणोंकी प्रतिपत्ति भला कैसे हो जायगी ! बताओ ! क्या व्याघ्र या कुशलशब्दका निर्वचन कर देनेसे ही उनके बहिरंगकारणोंकी इति हो जाती है ! इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर आचार्य महाराज वार्तिक द्वारा उत्तर कहते हैं ।

यदा परमनः प्राप्तः पदार्थो मन उच्यते ।

तात्स्थ्यात्ताच्छब्दसंसिद्धेर्मंचक्रोशनवत्तदा ॥ १३ ॥

तस्य पर्ययणं यस्मात्तद्वा येन परीयते ।

स मनःपर्ययो ज्ञेय इत्युक्तेस्तत्स्वरूपवित् ॥ १४ ॥

जिस समय पराये मनमें प्राप्त हो रहा पदार्थ “मन” ऐसा कहा जाता है। क्योंकि तत्त्व स्थित हो रहे होनेके कारण तत् शब्दपना भले प्रकार सिद्ध हो रहा है। जैसे कि “मन्त्राः क्रोशति” मन्त्र गा रहे हैं, या चिन्ता रहे हैं, यहा खेतोंमें या बगीचोंमें पशु, पक्षियोंके भगाने, उड़ानेके लिये बाँध लिये गये मंचोंपर बैठे हुये मनुष्योंके शब्द करनेपर मचानोंका शब्द करना व्यवहन हो रहा है। आखेट करनेवाले पुरुष वनमें भी वृक्षोंपर मचान बांधकर शब्द मचाते हैं। यहाँ मंचस्थमें मंचका व्यवदेश है। बम्बईमें होनेवाले केलाको बम्बई केला कह देते हैं। चावलके रहनेवाले यात्रियोंके डेरेको चावलका डेरा कह देते हैं। तदनुसार यहाँ भी मनमें स्थित

हो रहे पदार्थको मन कहकर उस मनका जिस ज्ञानसे विशदरूप करके प्रत्यक्ष कर लेना जब मनःपर्यय कहा जा रहा है, तब वह मन बाह्यकारण जान लिया जाता है। अथवा जिस ज्ञान करके वह मन (मनः स्थित अर्थ) चारों ओरसे जान लिया गया है, वह मनःपर्ययज्ञान समझने योग्य है। इस प्रकार कथन करनेसे उस बहिरंगकारण मनके स्वरूपकी समीचीन वित्ति हो जाती है। अतः मनःपर्यय शब्दकी पृष्ठी तत्पुरुष अथवा ब्रह्मर्षि वृत्ति द्वारा निरुक्ति करनेपर मनको बहिरंगकारणपना जान लिया जाता है। सभी शब्दोंकी निरुक्तिसे ही उनके वाच्यार्थोंका बहिरंग कारण ज्ञात नहीं हो जाता है। फिर भी काययोग, बालतप, औपशमिक, आदि शब्दोंकी निरुक्तिसे अन्तरंग, बहिरंग, कारण कुछ कुछ ध्वनित हो जाते हैं। सूत्रकार द्वारा कहे शब्दोंकी अकलंक-वृत्तियां तो अनेक अर्थोंको वहीसे निकाल लेती हैं।

## इस सूत्रका सारांश।

इस सूत्रके प्रकरण यों हैं कि प्रथम ही क्रमप्राप्त मनःपर्ययके भेद और बहिरंगकारणोंका निरूपण करनेके लिये सूत्रका परिभाषण आवश्यक बताकर ऋजुमति, विपुलमति शब्दोंका विग्रह किया है। तथा अन्वयार्थको बताकर निर्वातित अनिर्वातित अथवा ऋजु, वक्र, अर्थकर ऋजुमति, विपुलमति शब्दद्वारा ही मनःपर्ययके भेदोंका लक्षण कर दिया गया है। भिन्न वचन होते हुये भी सामानाधिकरण्य बन सकता है। सामान्यका विशेषोंके साथ तादात्म्य सम्बन्ध है। अन्यपदार्थप्रधान ब्रह्मर्षि और स्वपदार्थप्रधान तत्पुरुष समाप्त यहां ये दोनों वृत्तियां इष्ट हैं। मनःपर्ययका प्रधानकारण क्षयोपशमविशिष्ट आत्मा है, दूसरेका या अपना मन तो अवलंब मात्र है। बहिरंगनिमित्त मछे ही कहलोगे, नैपायिकोंके समान हम जैन यादद् ज्ञानोंमें आत्ममनः-संयोगको असमवर्ण्यकारण नहीं मानते हैं। मनःपर्ययज्ञानके मतिज्ञानपन और अनुमानपनके प्रसंगका निवारणकर मुख्य प्रत्यक्षपना घटित कर दिया है। उसमें ठहरनेवाला पदार्थ भी उपचारसे वह कह दिया जाता है। तदनुसार मनमें स्थित हो रहे अर्थको विषय करनेवाला ज्ञान मनःपर्यय मछे प्रकार साध दिया गया है। ऋजुमति मनःपर्यय सात आठ योजन दूरतकके पदार्थोंका विशद प्रत्यक्ष कर लेता है और विपुलमति तो चतुरस्र मनुष्यलोकमें स्थित हो रहे पदार्थोंको प्रत्यक्ष जान लेता है। कोई जीव यदि मनमें नंदीश्वर द्वीप या पांचवें स्वर्गके पदार्थोंका चिन्तन कर ले तो उनको मनः-पर्ययज्ञानी प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है। द्रव्यकी अपेक्षा मनःपर्ययज्ञानों कर्मण द्रव्यके अनन्तमें माग को जानता है। सर्वाधिके द्वारा कार्माणद्रव्यका अनन्तर्वा माग जाना गया था उसका भी अनन्तर्वा माग विपुलमति करके जाना जाता है। यह पिण्डरक्ष्य है। किन्तु गोग्मटसारकारने सर्वाधिकी द्रव्य अपेक्षा विषय एक परमाणु मान लिया है। इस सूत्र चर्चाका निर्णय करनेमें अस्मादश मन्द

तयोरेवर्जुविपुलमत्वोर्विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्यां विशेषोऽवसेय इत्यर्थः ।

ऋजुमति और विपुलमति नामक उन मनःपर्ययके भेदोंका ही विशुद्धि और अप्रतिपात करके विशेष किया जाना निर्णय कर लेना चाहिये । " तयोरेव विशेषः " इस प्रकार अवधारण लगाकर अर्थ किया गया समझो ।

ननूत्तरत्र तद्भेदस्थिताभ्यां स विशिष्यते ।

विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्यां पूर्वस्तु न कथंचन ॥ ४ ॥

इत्ययुक्तं विशेषस्य द्विष्टत्वेन प्रसिद्धितः ।

विशिष्यते यतो यस्य विशेषः सोऽत्र हीक्षते ॥ ५ ॥

सूत्रके प्रसिद्ध हो रहे अर्थपर किसीकी शंका है कि पूर्वसूत्रमें " ऋजुविपुलमती " शब्द द्वारा कहा गया वह विपुलमति ही उत्तर सूत्रमें उनके भेद करनेमें स्थित हो रहे विशुद्धि और अप्रतिपातकरके विशेषित किया जा सकता है । किन्तु पहिछा ऋजुमति तो किसी भी प्रकारसे विशुद्धि और अप्रतिपात करके विशेषित नहीं किया जा सकता है । जैसे कि सत्स्वरूप करके घटसे पटको मित्र माना जायगा तो एक पटको ही असत्पना प्राप्त होता है । घट तो अक्षुण्ण सत् बना रहता है । इसी प्रकार विशुद्धि और अप्रतिपात ये सूत्र पाठकी अपेक्षा और बैसे भी स्वभावसे विपुलमतिके तदारमक धर्म हैं । ऋजुमतिके नहीं । अतः विपुलमति तो विशेष युक्त हो जायगा । किन्तु ऋजुमति विशेषताओंसे रहित पडा रहेगा । अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार शंका करना अयुक्त है । क्योंकि संयोग विभाग द्वित्व त्रित्व संख्याके समान विशेष पदार्थ भी दो आदि अधिकरणोंमें स्थित हो रहेपन करके प्रसिद्ध हो रहा है । आम और अमरुदकी विशेषता दोमें रहती है । विभाग किया जाय, जिससे अथवा जिसका विभाग किया जाय, इस निरुक्तिकरके विभाग विचारा प्राप्त और देवदत्त दोनोंमें रह जाता है । इसी प्रकार जिससे जो विशेषित किया जाय वह अथवा जिस पदार्थका विशेष होय वह विशेष है, यह ढग यह अच्छा दीख रहा है । अतः विपुलमति और ऋजुमति दोनों परस्परमें विशुद्धि, अप्रतिपात द्वारा विशेषसे आक्रान्त हो जायेंगे । मछे ही एक ऋजुमतिमें वे धर्म नहीं पाये जायें, तभी तो विशेषताकी पुष्टि भी होगी । यदि वे धर्म दोनोंमें पाये जाते तो फिर विशेषता क्या होती ? कुछ भी नहीं । वैशेषिक मतानुसार द्वित्व या त्रित्वसंख्या एक होकर भी पर्याप्त संबंधसे दो तीन द्रव्योंमें टहर जाती है । किन्तु संयोग, द्वित्व, त्रित्व आदि गुण विचारे न्यारे न्यारे होकर सत्य न्यायसम्बन्धसे भिन्न भिन्न द्रव्योंमें टहरते हैं । शाखापर बन्दरका संयोग हो जानेपर अनुयोगितासम्बन्धसे संयोग शाखामें रहता है । और प्रतियोगितासम्बन्धसे संयोग कथिमें टहरता है ।



पाठापेक्षयोत्तरो मनःपर्ययस्य भेदो विपुलमतिस्तद्गताभ्यां विशुद्धयमतिपाताभ्यां स एव पूर्वस्मात्तद्भेदाद्ऋजुमतेर्विशिष्यते न पुनः पूर्वउत्तरस्मात्कथमपीत्ययुक्तं विशेषस्यो-  
भस्थत्वेन प्रसिद्धेः । यतो विशिष्यते स विशेषो यश्च विशिष्यते स विशेष इति व्युत्पत्तेः ।  
विशुद्धयमतिपाताभ्यां चोत्तरतद्भेदगताभ्यां पूर्वा यथोत्तरस्माद्विशिष्यते तथा पूर्ववद्भेद-  
गाभ्यामुत्तर इति सर्वं निरवयं ।

सूत्रके पाठकी अपेक्षासे उत्तरमें वर्त रहा मनःपर्ययका भेद विपुलमति है । उस विपुलमतिमें प्राप्त हो रहे विशुद्धि और अप्रतिपातकरके वह विपुलमति ही पूर्ववर्ती उस मनःपर्ययके भेद ऋजुमतिसे विशेषताको प्राप्त हो सकेगा । किन्तु फिर पूर्ववर्ती ऋजुमति तो उत्तरवर्ती विपुलमतिसे कैसे भी विशेषताको प्राप्त नहीं हो सकता है । इस प्रकार किसीका कहना युक्तियोंसे रीता है । कारण कि विशेषकी दोनोंमें ठहरेनायेपन करके प्रसिद्धि हो रही है । जिससे विशेषताको प्राप्त होता है, वह पंचमी विमक्तिवाला भी विशेष है, और जो पदार्थ विशिष्ट हो रहा है, वह प्रथमा विमक्तिवाला पद भी विशेष है । इस प्रकार विशेष पदकी व्युत्पत्ति करनेसे प्रतियोगी, अनु-  
योगी दोनोंमें रहनेवाले दोनों विशेष पकड़े जाते हैं । जिसकी ओरसे विशेषता आती है, वह ओर जिस पदार्थमें विशेषता आकर बैठ जाती है, वे दोनों पदार्थ परस्परमें किसी विवक्षित धर्मद्वारा विशेषसे घिरे हुये माने जाते हैं । उस मनःपर्ययके उत्तरवर्ती भेदस्वरूप विपुलमतिमें प्राप्त हो रहे विशुद्धि और अप्रतिपात करके जिस प्रकार पूर्ववर्ती ऋजुमति विशेषित कर दिया जाता है, उसी प्रकार उस मनःपर्ययके पूर्ववर्ती भेद ऋजुमतिमें प्राप्त हो रहे, प्रतियोगितावच्छिन्न विशुद्धि और अप्रतिपातके लन अल्पविशुद्धि और प्रतिपात करके उत्तरवर्ती विपुलमति भी विशेषित हो जाता है । इस प्रकार सभी सिद्धान्त निर्दोष होकर सध जाता है । चेतनपनेकरके जीव जडसे भिन्न है । यहाँ जड और जीव दोनोंमें भेद ठहर जाता है । क्योंकि अचेतनपने करके जड भी जीवसे भिन्न है । यह अर्थात्—आपन्न हो जाता है ।

ननु चर्जुमतेर्विपुलमतिर्विशुद्ध्या विशिष्यते तस्य ततो विशुद्धतरत्त्वान्मनःपर्यय-  
ज्ञानावरणक्षयोपशमप्रकर्षादुत्पन्नत्वात् । अप्रतिपातेन च तत्स्वामिनाममतिपातितसंयमत्वेन  
तत्संयमगुणैकार्थसमवायित्वेन विपुलमतेरमतिपाताद्विपुलमतेस्तु कथमृजुमतिर्विशिष्यते ?  
ताभ्यामिति चेत्स्वविशुद्ध्यात्प्रया प्रतिशतेन चेति गम्पताम् । विपुलमत्यपेक्षयर्जुमतेरल्प  
विशुद्धिवाचत्स्वामिनामुपशान्तकपायाणामपि सम्भवत्मतिपाततत्संयमगुणैकार्थसमवायिनः  
प्रतिपातसम्भवादिति प्रपंचितमस्माभिरन्यत्र ।

उक्त सिद्धान्तोंमें किसीकी शंका है कि ऋजुमतिसे विपुलमति तो विशुद्धिद्वारा विशेषित किया जा सकता है । क्योंकि उस विपुलमतिको उस ऋजुमतिसे अधिक विशुद्धपना है । कारण कि मनःपर्यय ज्ञानावरणका प्रकर्ष क्षयोपशम हो जानेसे विपुलमति उत्पन्न होता है । सूत्रमें पड़ी हुयी

बुद्धियोंको अधिकार प्राप्त नहीं है। इसका विशेष वर्णन अन्य ग्रंथोंमें किया है। इस प्रकार मनःपर्ययके स्वरूप, भेद, बहिरंगकारणोंका निर्णय कर उसका श्रद्धान कर लेना चाहिये।

द्रव्यक्षेत्रमुकालभावानियतो वाह्यं निमित्तं मनो—

पेक्षामात्रमितस्तदाश्रितसतस्ताच्छब्दघनीत्या विदन् ।

निर्वृत्तप्रगुणर्जुबुद्धिकुटिलानिर्वृत्तवैपुल्यभृ—

बुद्धीदर्शनऋद्धिसंयमवतो जीयान्मनःपर्ययः ॥ १ ॥

अप्रिम सूत्रका अवतरण यों समझलिया जाय कि इन ऋजुमति और विपुलमति मनःपर्यय ज्ञानोंमें परस्पर कोई विशेषता नहीं है ? इस प्रकार शिष्योंका जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महाराजके अप्रुतमय मुखकुम्भसे रसायनसमान सूत्रविन्दुका संतप्त हृदय मव्यजीवोंके संसाररोग निवारणार्थ निष्कासन होता है।

## विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः ॥ २४ ॥

आत्माके साथ पहिलेसे बंधे हुये मनःपर्ययज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम होनेपर जो आत्माकी प्रसन्नता होती है, वह विशुद्धि है तथा मोहनीयकर्मका उद्रेक नहीं होनेके कारण संयमशिखरसे प्रतिपात नहीं हो जाना अप्रतिपात है। विशुद्धि और अप्रतिपात इन दो धर्मों करके ठन ऋजुमति और विपुलमति मनःपर्यय ज्ञानोंका विशेष है। ज्ञानावरणकर्मकी उत्तर उत्तर प्रकृतियां असंस्पृष्टात है। अतः अन्तरंगकारणके अधीन हो रही ऋजुमतिकी विशुद्धतासे विपुलमतिकी विशुद्धि बढी हुयी है। विपुलमति गुणश्रेणियोंमें उत्तरोत्तर चढता ही चढा जाता है। किन्तु ऋजुमतिकी गुणश्रेणीसे अधोगुणस्थानमें पतन हो जाता है, उपशमश्रेणीसे गिरना अनिवार्य है।

ननु ऋजुविपुलमत्याः स्ववचनसामर्थ्यादेव विश्लेषमतिपत्तेस्तदर्थमिदं किमारभ्यत इत्याशंकायामाह ।

किसीकी शंका है कि ऋजुमति और विपुलमति ज्ञानोंके अपने अपने न्यारे न्यारे अर्थोंके अभिप्रायक वचनोंकी सामर्थ्यसे ही दोनोंके विशेषोंकी प्रतिपत्ति हो चुकी थी। निरुक्ति द्वारा लभ्य अर्थ ही जब अन्तर ढाङ रदा है तो फिर उस विशेषकी इति करानेके लिये षड सूत्र भवों बनाया जा रहा है ? पुनरुक्तशेषके साथ व्यर्थपना भी प्रसंग प्राप्त होता है। इस प्रकार आशंका होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी उत्तर कहते हैं।

मनःपर्यययोरुक्तभेदयोः स्ववचोवलात् ।

विशेषहेतुसंवित्तौ विशुद्धीत्यादिसूत्रितम् ॥ १ ॥

यद्यपि सरल या सम्पादित और सरल, कुटिल, सम्पादित, असम्पादित, मनोगत विषयोंको जाननेकी अपेक्षा अपने वाचक ऋजु और विपुल शब्दोंकी सामर्थ्यसे निरुक्तिद्वारा ही दोनों मनः-पर्ययोंके परस्पर भेद कहे जा चुके हैं, फिर भी उन दोनोंकी अन्य विशेषताओंके कारणोंका सम्प्रेदन करानेके निमित्त “ विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्या तद्विशेषः ” यह सूत्र श्री उमास्वामी महाराजने आरब्ध किया है ।

नर्जुमतिविविपुलमतिव्वाभ्यामेवर्जुविपुलमत्योर्विशेषोऽत्र प्रतिपाद्यते । यतोनर्थकमिदं स्यात् । किं तर्हि विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्यां तयोः परस्परं विशेषान्तरमिहोच्यते ततोऽस्य साफल्यमेव ।

इस वार्त्तिकका विवरण यों है कि ऋजुमतिपन और विपुलमतिपन करके ही ऋजुमति और विपुलमतिका विशेष ( अन्तर ) यद्वा सूत्र द्वारा नहीं समझाया जा रहा है, जिससे कि यह सूत्र व्यर्थ पड जाय। तो फिर क्यों कहा जाता है ? इसका उत्तर यों है कि विशुद्धि और अप्रतिपात करके भी उन ऋजुमति और विपुलमति ज्ञानोंका परस्परमें नवीन प्रकारका दूसरा विशेष है, जो कि यद्वा इस सूत्रद्वारा कहा जा रहा है । तिस कारण श्री उमास्वामी महाराज द्वारा कहे गये इस सूत्रकी सफलता ही समझो अर्थात्—दोनोंके पूर्व उक्त विशेषोंसे भिन्न दूसरे प्रकारके विशेषोंको यह सूत्र कह रहा है ।

का पुनर्विशुद्धिः कश्चाप्रतिपातः को वानयोर्विशेष इत्याह ।

फिर किसीका प्रश्न है कि विशुद्धि तो क्या पदार्थ है ? और अप्रतिपात क्या है ? तथा इनका विशेष क्या है ? इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्रीविद्यानन्दस्वामी उत्तर कहते हैं ।

आत्मप्रसत्तिरत्रोक्ता विशुद्धिर्निजरूपतः ।

प्रच्युत्य संभवश्चास्याप्रतिपातः प्रतीयते ॥ २ ॥

ताभ्यां विशेष्यमाणत्वं विशेषः कर्मसाधनः ।

तच्छब्देन परामर्शो मनःपर्ययभेदयोः ॥ ३ ॥

इस प्रकरणमें प्रतिपक्षी कर्मोंके विगमसे उत्पन्न हुयी आत्माकी प्रसन्नता ( स्वच्छता ) तो विशुद्धि मानी गयी है । और इस आत्माका अपने स्वरूपसे प्रच्युत नहीं हो जाना यहाँ अप्रतिपात धर्म प्रतीयत हो रहा है । उन धर्मोंके द्वारा विशेषताओंको प्राप्त हो रहापन यहाँ विशेष कहा गया है । क्योंकि यहाँ धि उपसर्गपूर्वक शिष्यघातमे कर्ममें घञ्प्रत्यय कर विशेष शब्द साधा गया है । तद्विशेषःमें कहे गये पूर्वपरामर्शक तत् शब्द करके मनःपर्ययद्वानके ऋजुमति और विपुलमति इन दो भेदोंका परामर्श किया गया है । इस प्रकार सूत्रका वाच्यार्थ बोध अच्छा बन गया ।

विशुद्धिका अर्थ विपुलमतिमें प्राप्त हो रही प्रकृत विशुद्धि ली गयी है। तथा अप्रतिपात करके भी विपुलमतिज्ञान उस ऋजुमतिसे विशेषताप्राप्त है। क्योंकि उस विपुलमति मनःपर्यय ज्ञानके स्वामि-योंका बढ रहा संयम पतनशील नहीं है। अतः उस वर्द्धमान संयमगुणके साथ एकार्यसमवाय संबंधवाला होनेके कारण विपुलमतिका प्रतिपात नहीं होता है। अर्थात्—जिसी आत्मामें चारित्र गुणका परिणाम संयम वृद्धिगत हो रहा है, उसी ऋद्धिप्राप्त आत्मामें चेतनागुणका मनःपर्यय परिणाम हो रहा है। अतः माईयोंके सद्देशरत्न संबंधके समान संयम और मनःपर्ययका परस्परमें एकार्यसमवाय संबंध है। इस संबंधसे मनःपर्ययज्ञान संयममें रह जाता है। और संयमगुण इस मनःपर्ययज्ञानमें वर्तताता है। ये सब बातें विपुलमतिमें ऋजुमतिकी अपेक्षासे विशेषताओंको धरनेके लिये उपयोगी हो रही है। किन्तु विपुलमतिसे ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान तो उन विशुद्धि और अप्रतिपात करके भ्रष्टा कैसे विशेषताओंसे परिपूर्ण हो सकता है? क्योंकि ऋजुमतिमें तो अतिक्रम विशुद्धि और अप्रतिपात नहीं पाये जाते हैं। अब ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार प्रविष्ट होकर शंका करनेपर तो सिद्धान्त उत्तर (वरदान) यह है कि अपनी अल्प विशुद्धि और प्रतिपात करके ऋजुमति ज्ञान विपुलमतिसे विशेषताप्राप्त है। इस प्रकार प्रकार अपने चित्तमें अवधारण का लो। उक्त शंकाका अगत्में इसके अतिरिक्त अन्य कोई उत्तर नहीं है। मीठेपन करके आप्रकृत करेलासे विशिष्ट है। ऐसा प्रयोग करनेपर आपाततः दूसरा वाक्य उपस्थित हो जाता है कि करेला कहुपेन करके आप्रकृतसे विशिष्ट है। अपादानतावच्छेदक धर्म और प्रतियोगितावच्छेदक धर्म न्यारे न्यारे मानना अनिवार्य हैं। विपुलमतिकी अपेक्षासे ऋजुमतिज्ञान अल्प विशुद्धिवाला है। क्योंकि उस ऋजुमतिके अधिकारी स्वामी मले ही छद्मेसे आरम्भकर उपशान्त कषायवाले ग्यारहवें गुणस्थानतकमें यथायोग्य ठहरनेवाले हैं। तो भी वहा सम्भ्र रहने प्रतिपतनशील संयमगुणके साथ एकार्यसमवाय सम्बन्धको धारनेवाले ऋजुमतिका प्रतिपात होना सम्भव रहा है। इस कारण ऋजुमति भी अपनी अल्पविशुद्धि और प्रतिपात करके विपुलमतिसे विशेषताओंको धारकर उच्चमीव होकर खडा हुआ है। वडोंसे छोटे पुरुष भी विस्मिष्ट हो जाते हैं। मित्र व पेटोंसे रूचचगक विलक्षण है। यह सिद्धान्त हमने अन्य विद्यानन्द महोदय आदि ग्रन्थोंमें विश्वाकरके साथ साथ दिया है। विशेष व्युत्पत्ति चाहनेवालोंको वहासे देखकर सन्तोष कर लेना चाहिये।

## इस सूत्रका सारांश ।

इस सूत्रके भाष्यमें प्रकरण यों हैं कि ऋजुमति और विपुलमति शब्दोंकी निरुक्तिसे जितने विशेष प्रकट हो सकते हैं, उनसे अतिरिक्त भी विशेषोंकी प्रतिपत्ति करानेके लिये सूत्रका आरम्भ करना आवश्यक बताकर विशुद्धि और अप्रतिपातका लक्षण किया है। तत् शब्दसे मनःपर्ययके

दो भेदोंका परामर्श किया गया है- विशेषका रहना दोमें बनाकर भी यह शंका खड़ी रहती है कि ऋजुमतिकी अपेक्षासे विपुलमति तो विशुद्धि और अप्रतिपात करके विशेषाक्रान्त हो जायगा। क्योंकि सूत्रकारने स्वयं विपुलमतिके विशेष धर्मोंका कण्ठोक्त प्रतिपादन कर दिया है। वक्रता अवगाही महान् विपुलबुद्धिके गुणोंकी विशेषताओंको बड़े बड़े पुरुष भी बखान देते हैं। किन्तु ऋजुविषयी सरल ऋजुमतिकी विशेषताओंका कठोक उच्चारण नहीं किया गया है। अतः ऋजुमतिसे विपुलमतिकी विशेषताएँ तो जान ली जायगी, किन्तु विपुलमतिसे ऋजुमतिकी विशेषताएँ जानना अशक्य है। इस शंकाका उत्तर श्रीविद्यानन्द आचार्यने बहुत अच्छा दे दिया है। गम्पमान अनेक विषयोंका उच्चारण नहीं करना ही महान् पुरुषोंकी गम्भीरताका प्रद्योतक है। साहित्यवालोंने “ वक्तोक्ति काव्यजीवित ” स्वीकार किया है। सिद्धांत यह है कि सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराजके वचनोंमें इतना प्रमेय भरा हुआ है कि राजवार्तिक, लोकवार्तिकसारिणी अनेक ठीकार्ये भी बना ली जाय तो भी बहुतसा प्रमेय बच रहेगा। अल्पविशुद्धि और प्रतिपात इन दो धर्मोंकरके ऋजुमतिज्ञान भी विपुलमतिसे विशेष विशिष्ट है। ये दोनों मन पर्ययज्ञान सम्बन्धधृष्टी, स्वामी तथा ऋद्धियोंको प्राप्त हो चुके किन्हीं किन्हीं वर्द्धमानचारित्रवाले मुनियोंके होते हैं। श्रेणिओंमें उपयोग आत्मिक तो श्रुतज्ञान वर्त रहा है। एकाग्र किये गये अनेक श्रुतज्ञानोंका समुदाय ध्यान पडता है। अतः मोक्ष उपयोगी तो श्रुतज्ञान है। परमावधि, सर्वावधि, ऋजुमति, विपुलमति, इनमेंसे कोई भी ज्ञान आत्मध्यानमें विशेष उपयोगी नहीं है। रूपी पदार्थका पूर्ण प्रयत्न कर लेनेपर भी हमें क्या लाभ हुआ ? यानी कुछ भी नहीं। किसी किसी केवलज्ञानीको तो पूर्वमें अवधि, मन पर्यय कोई भी प्राप्त नहीं हुये, मात्र श्रुतज्ञानसे सीधा केवलज्ञान हो गया फिर भी इन ज्ञानोंके सद्भावोंका निषेध नहीं किया जा सकता है। ऋजुमतिका प्रतिपात होना सम्भवित है। विपुलमतिका नहीं। अत्रिक विस्तारको आकर प्रयोगें देखो।

विशुद्धचमतिपातालपविशुद्धिमतिपातनैः ।

ऋजोविपुलश्चैतस्माद्भुद्धिर्द्वैर्विशेषितः ॥ १ ॥

—\*—

मन पर्ययके विशेष भेदोंका ज्ञान कर अब अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञानकी विशेषताओंकी जिज्ञासा रखनेवाले शिष्योंके प्रति श्री उमास्वामी महाराजके हृदय मंदिरसे शब्दमयी सूत्रमूर्तिका अभ्युदय होता है।

विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमनःपर्यययोः ॥ २५ ॥

आत्मप्रसाद, ज्ञेयाविकारण, प्रसु और विषयोंकी अपेक्षासे अवधिज्ञान तथा मन पर्यय ज्ञानमें विशेष ( अ तर ) है।

विशेष इत्यनुवर्तते । किमर्थमिदमुच्यते इत्याह ।

ऊपरके “ विशुद्धप्रतिपातान्यां तद्विशेषः ” इस सूत्रमेंसे विशेष इस शब्दकी अनुवृत्ति कर ली जाती है ।

श्री उमास्वामी महाभाजकरके यह सूत्र किस प्रयोजनको साधनेके लिये कहा जा रहा है ? इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य समाधान कहते हैं ।

**कुतोऽवधेर्विशेषः स्यान्मनःपर्ययसंविदः ।**

**इत्याख्यातुं विशुद्ध्यादिसूत्रमाह यथागमं ॥ १ ॥**

मनःपर्ययज्ञानका अवधिज्ञानसे अथवा अवधिज्ञानका मनःपर्ययज्ञानसे विशेष किन किन विशेषकोसे हो सकेगा ? इस बातको बखाननेके लिये सूत्रकार “ विशुद्धिक्षेत्रस्वामि ” आदि सूत्रको आर्य आगमका अतिक्रमण नहीं कर स्पष्ट कह रहे हैं ।

विशुद्धिरुक्ता क्षेत्रं परिच्छेद्याद्यधिकरणं स्वामीश्वरो विषयः परिच्छेद्यस्तैर्विशेषोऽवधिमनःपर्ययोर्विशेषः ।

“ विशुद्धप्रतिपातान्यां तद्विशेषः ” इसमें विशुद्धिका लक्षण कह दिया गया है । जानने योग्य अथवा छद्मस्थोके अवकल्प, अज्ञेय आदि पदार्थोके अधिकरणको क्षेत्र कहते हैं । अधिकारी प्रभु स्वामी कहा जाता है । ज्ञानद्वारा जानने योग्य पदार्थ विषय है । यों उन विशुद्धि आदिको करके अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान इनका परस्परमें विशेष है ।

कथमित्याह ।

वह दोनोंका विशेष किस प्रकार है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिकोंद्वारा विवेचन करते हैं ।

**भूयःसूक्ष्मार्थपर्यायविन्मनःपर्ययोऽवधेः ।**

**प्रभृतद्रव्यविषयादपि शुद्ध्या विशेष्यते ॥ २ ॥**

बहुतसे द्रव्योंको विषय करनेवाले भी अवधिज्ञानसे बहुतसी सूक्ष्म अर्थपर्यायोको जाननेवाला मनःपर्ययज्ञान विशुद्धि करके विशेषित कर दिया जाता है । अर्थात्—अवधिज्ञान मल्ले ही बहुतसे द्रव्योंको जान ले, किन्तु द्रव्यकी सूक्ष्म अर्थपर्यायोको मनःपर्ययज्ञान अधिक जानता है । अवधिज्ञानसे जाने हुये रूपीद्रव्यके अनन्तवें भागको मनःपर्यय जान लेता है । जैसे कि कोई चंचुप्रवेशी विद्वान् थोड़ा थोड़ा न्याय, व्याकरण, धर्मशास्त्र, कोष, काव्य, साहित्य, उपदेशकला, लेखनकला, वैद्यक, ज्योतिष आदिको जान लेता है । किन्तु कोई प्रौढ विद्वान् व्याकरण, न्याय आदिमेंसे किसी एक ही

शास्त्रका पूर्णरूपसे अध्ययन कर व्याख्यान करता है। इसी प्रकार सर्वाधिकी द्रव्य अपेक्षा विषय बहुत है। श्री नेमिचंद्र सिद्धान्तचक्रवर्तीने तो सर्वाधिकी द्रव्य एक परमाणु नियत किया है। फिर भी भावकी अपेक्षा बहुतसी अर्थपर्यायोंको विपुलमति जितना जानता है, उतना सर्वाधिकी नहीं जानता है। अतः अधिक विशुद्धिवाला मनःपर्ययज्ञान अल्पविशुद्धिवाले अवधिज्ञानसे विशिष्ट है। और न्यून विशुद्धिवाला अवधिज्ञान उस विपुलविशुद्धिवाले मनःपर्ययसे विशेष आक्रान्त है। द्रव्यक्षेत्र अपेक्षा अधिक भी द्रव्योंको जाननेवाले क्षयोपशमसे भावापेक्ष सूक्ष्मपर्यायोंको जाननेवाला क्षयोपशम प्रकृष्ट विशुद्ध है।

**क्षेत्रतोऽवधिरेवातः परमक्षेत्रतामितः ।**

**स्वामिना त्ववधेः सः स्याद्विशिष्टः संयतः प्रभुः ॥ ३ ॥**

क्षेत्रकी अपेक्षासे तो अवधिज्ञान ही इस मनःपर्ययसे परम उत्कृष्ट क्षेत्रवालेपनको प्राप्त हो रहा है। अर्थात्—सम्भावनीय असंख्यात लोकस्थरूपी पदार्थोंको जाननेकी शक्तिवाला अवधिज्ञान ही केवल मनुष्य लोकस्थ पदार्थोंको विषय करनेवाले मनःपर्ययसे विशेषित है। इस तीन सौ तेतालीस घन रज्जु प्रमाण लोकके समान यदि अन्य भी असंख्याते लोक होते तो वहाँके रूपी पदार्थोंको भी अवधिज्ञान जान सकता था। किन्तु मनःपर्यय ज्ञान तो केवल चौकोर मनुष्य लोकमें ही स्थित हो रहे पदार्थोंको विषय कर सकता है। अतः क्षेत्रकी अपेक्षा अवधिज्ञान ही मनःपर्ययसे प्रकृष्ट है। तथा स्वामीकरके तो वह मनःपर्ययज्ञान ही अवधिज्ञानसे उत्कृष्ट है। क्योंकि अवधिज्ञान तो चौथे गुणस्थानसे प्रारम्भ हो जाता है। चारों गतियोंमें पाया जाता है। किन्तु मनःपर्यय छठेसे ही आरम्भ होकर किसी किसी ऋद्धिधारी मुनिके उत्पन्न होता है। अतः जिसका स्वामी संयमी है, ऐसा मनःपर्ययज्ञान उस असंयमीके भी पायी जानेवाली अवधिसे विशिष्ट है। सर्वाधिकी ईश्वरसे भी विपुलमतिका संयमी स्वामी प्रकृष्ट है।

**विषयेण च निःशेषरूप्यरूप्यर्थगोचरः ।**

**रूप्यर्थगोचरादेव तस्मादेतच्च वक्ष्यते ॥ ४ ॥**

सम्पूर्ण रूपी और पुद्गलसे बंधे हुए सम्पूर्ण अरूपी अर्थोंको विषय करनेवाला यह मनःपर्ययज्ञान उस रूपी अर्थको ही विषय करनेवाले अवधिज्ञानसे निययकी अपेक्षा करके विशिष्ट है। अर्थात्—रूपी पुद्गलकी पर्यायों और अशुद्धजीवकी अरूपी सूक्ष्म अर्थपर्यायोंको मनःपर्यय जितना जानता है, अवधिज्ञान उतना नहीं। इस मन्तव्यको हम मरिच्य प्रथमें “रूपिष्ववधेः” “तदनन्तमग्रे मनःपर्ययस्य” इन सूत्रोंके निवरण करते समय स्पष्ट कर कह देंगे। पूर्वके समान यहाँ भी दोनोंमें निययकी अपेक्षा विशेषसहितपना लगा लेना। क्योंकि विशेष द्विधर्म है। तथा च विषयकी अपेक्षा उस मनःपर्ययसे यह अवधिज्ञान भी विशिष्ट है।

एवं मत्यादिवोधानां समेदानां निरूपणम् ।

कृतं न केवलस्यात्र भेदस्याप्रस्तुतत्वतः ॥ ५ ॥

वक्ष्यमाणत्वतश्चास्य घातिक्षयजमात्मनः ।

स्वरूपस्य निरुक्त्यैव ज्ञानं सूत्रे प्ररूपणात् ॥ ६ ॥

इस प्रकार यहाँ तक भेदों सहित मति आदि के चार क्षायोपशमिक ज्ञानों का सूत्रकारने निरूपण कर दिया है । केवलज्ञानका यहाँ ज्ञानप्रकरणमें प्ररूपण नहीं किया गया है । क्योंकि यहाँ ज्ञानके भेदोंके व्याख्यान करनेका प्रस्ताव चला रहा था । केवलज्ञानके कोई भेद नहीं है । वह तो तेरहवें गुणस्थानकी आदिमें जैसा उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अनन्तकालतक एकसा बना रहता है । अतः भेद कथनके प्रकरणमें केवलज्ञान प्रस्तावप्राप्त नहीं है । रही कारणोंके निरूपण करनेकी बात, सो भविष्य दशमें अध्यायमें आत्माके घातिकर्मोंके क्षयसे इस केवलज्ञानका उत्पन्न होना कह दिया जायगा । इस केवलज्ञानके स्वरूप ( लक्षण ) का ज्ञान तो “ मतिश्रुतावधिमनःपर्यय-केवलानि ज्ञानम् ” इस सूत्रमें केवलशब्दकी निरुक्ति करके ही प्ररूपित कर दिया गया है । अतः केवलज्ञानके लक्षण या कारणके कथनका उल्लेखन कर अब दूसरा विषय छेड़ेंगे ऐसा ध्वनित हो रहा है ।

## इस सूत्रका सारांश ।

इस सूत्रमें प्रकरण यों है कि पहिले साधारणबुद्धिवालोंके लिये अतीन्द्रिय हो रहे अवधिज्ञान और मनःपर्यय ज्ञानके विच्छेदन विशेषोंकी प्रदर्शन करानेके लिये श्री उमास्वामी महाराजका सूत्र कहना सफ़ल बताकर विशुद्धि आदिका लक्षण किया है । तथा विशुद्धिमें मनःपर्ययकी अवधिसे अधिक विशुद्धिवाला कहा गया है । क्षेत्रकी अपेक्षा अवधि ही मनःपर्ययसे प्रधान है । देशावधिकी ही क्षेत्र छोटा हो जाता है । परमावधि और सत्रावधि तो असंख्यात लोकोंमें यदि रूपा पदार्थ ठहर जाय तो उनको भी जान सकता था । श्री धर्मजय कविकी उक्ति है कि “ त्रिकाशत्त्वं तमवैलि लोकी स्वामीति संख्यानियतेरमोया । बोधाधिपर्यं प्रति नामविष्यत् तेन्येपि चेद्भ्यास्पदमूलमीदम् ॥ ” हे त्रिनेत्रदेव । तुम तीनों काशके तरंगोंको जान लुके हो, तुम तीनों लोकके स्वामी हो, यह उन काश और लोकोंकी त्रिवसंख्याके नियत हो जानेसे कह दिया जाता है । ज्ञानका अभिपत्तिपत्ता इतनेसे ही पर्याप्त नहीं हो जाता है । यदि काश और लोक अन्य भी सैकड़ों, करोड़ों, असंख्याते, होते तो तुम्हारा ज्ञान उनको भी द्रक् विषय कर लेता । किन्तु क्या किया जाय, वे हैं ही नहीं । इस लोक-प्रथमें द्वेष अन्य है । ज्ञान उत्कृष्ट अनन्तानन्त है । इस प्रकरणमें शक्तिकी अपेक्षा अवधिज्ञान भी असंख्यात लोकस्वरूपी पदार्थोंको विषय कर सकता था, कह दिया है । किन्तु असंख्यात लोक हैं ही



नहीं, हम क्या करें। स्वामीकी अपेक्षा मनःपर्ययका स्वामी अभ्यर्ह हो रहा विशेषसे युक्त है। मनःपर्ययके विषय सूत्रम हैं। अवधिज्ञानके सूत्रामें अन्यधिक विषय है। चार ज्ञानोंके निरूपण अनंतर केवलज्ञानका प्रतिपादन करना प्राप्तकाळ है। किन्तु कारणवश उसका उल्लंघन किया जाता है। केवलज्ञानका लक्षण दशमें अध्यायमें किया जायगा। यह बताकर भविष्यमें दूसरा प्रकरण उठानेकी सूचना दी है।

क्षेत्रविशुद्धिस्वामिविषयेभ्योवधिमनोह्योर्भेदः ।

अधिकरणात्मप्रसत्तिप्रभुप्रमेयैभ्य आम्नातः ॥ १ ॥

अब ज्ञानोंका विषय निर्धारण करनेके लिये प्रकरण प्रारम्भकर आदिमें कहे गये मति और श्रुतज्ञानोंकी विषय मर्यादाको कहनेवाला सूत्ररत्न श्री उमास्वामी महाराजके मुल वाकरसे उद्योतित होता है।

मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ॥ २६ ॥

जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, और काल, इन संपूर्ण छहों द्रव्योंमें तथा इन द्रव्योंकी कतिपय पर्यायोंमें मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका विषय नियत हो रहा है।

मत्यादिज्ञानेषु सभेदानि चत्वारि ज्ञानानि भेदतो व्याख्याय वहिरंगकारणतश्च केवलप्रभेदं वक्ष्यमाणकारणस्वरूपमिहाप्रस्तुतत्वात् तथानुक्त्वा किमर्थमिदमुच्यत इत्याह ।

सामान्यरूपसे मति, श्रुत, आदि ज्ञानोंमें भेदसहित वर्तनेवाले मति, श्रुत, अवधि, और मनःपर्यय, ये चार ज्ञान हैं। इन चारों ज्ञानोंको भेदकी अपेक्षासे तथा वहिरंगकारणरूपसे व्याख्यान कर तथा भेदसहित हो रहे एक ही प्रकार केवलज्ञानके कारण और स्वरूप दोनों भविष्य ग्रन्थमें कहे जायेंगे। अतः यहा प्रस्ताव प्रस्त नहीं होनेके कारण तिस प्रकार नहीं कहकर फिर श्री उमास्वामी महाराज द्वारा यह “ मतिश्रुतयोः ” इत्यादि सूत्र किस प्रयोजनके लिये कहा जा रहा है ? ऐसी तर्कगर्भा जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी उत्तर कहते हैं।

अथाद्यज्ञानयोरर्थविवादविनिवृत्तये ।

मतीत्यादि वचः सम्यक् सूत्रयन्सूत्रमाह सः ॥ १ ॥

अब विषय प्रकरणके प्रारम्भमें ज्ञानोंकी आदिमें कहे गये मतिज्ञान और श्रुतज्ञान इन दो ज्ञानोंके विषयोंकी विप्रतिषत्तिका विशेषरूपसे निवारण करनेके लिये सूचना करा रहे वे प्रसिद्ध श्री उमास्वामी महाराज इस “ मतिश्रुतयोर्निबन्धो ” इत्यादि सूत्रस्वरूप समीचीन वचनको स्पष्ट कह रहे हैं।

संप्रति के मतिश्रुते कथं निबन्धः कानि द्रव्याणि के वा पर्याया इत्याह ।

अब इस समय सूत्रमें उपात्त किये गये पदोंके अनुसार प्रश्न खड़े होते हैं कि मतिज्ञान और श्रुतज्ञान कौन हैं ? और निबन्धका अर्थ क्या है ? तथा द्रव्य कौन है ? अथवा पर्यायोंका लक्षण क्या है ? इस प्रकार प्रश्नमाला होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी एक ही वार्तिक द्वारा उत्तर कहे देते हैं । अधिक झगड़ेमें कौन पड़े ।

मतिश्रुते समाख्याते निबन्धो नियमः स्थितः ।

द्रव्याणि वक्ष्यमाणानि पर्यायाश्च प्रपञ्चतः ॥ २ ॥

मतिज्ञान और श्रुतज्ञान तो पूर्वप्रकरणोंमें मझे प्रकार व्याख्यान किये गये हो चुके हैं । और निबन्धका अर्थ यह। नियम ऐसा व्यवस्थित किया है । द्रव्योंका परिभाषण भविष्य पांचवें अध्यायमें कर दिया जावेगा । तथा पर्यायों भी विस्तारके साथ भविष्य ग्रन्थमें बखान दी जावेंगी । अर्थात्—मतिज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशम होनेपर इन्द्रिय और मनःस्वरूप निमित्तोंसे हो रहा अभिमुख नियमित पदार्थोंको जाननेवाला ज्ञान मतिज्ञान है । श्रुतज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम होनेपर जो सुना जाय यानी अर्थसे अर्थान्तरको जाननेवाला, मतिपूर्वक, परोक्षज्ञान, श्रुतज्ञान है । इस प्रकार मति, श्रुतका विवरण कहा जा चुका है । निबन्धका अर्थ नियत करना या मर्यादामें बांध देना है । जीव आदि छह द्रव्य और उनकी ज्ञान, सुख, रूप, रस, फाला, पीला, गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, अवगाहहेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व आदि सद्भावों क्रमभावी पर्यायोंको मूल ग्रन्थमें आगे कह दिया जावेगा । सन्तुष्यताम् तावत् ।

ततो मतिश्रुतयोः प्रपञ्चेन व्याख्यातयोर्वक्ष्यमाणेषु द्रव्येष्वमर्षपर्यायिषु निबन्धो नियमः प्रत्येतव्य इति सूत्रार्थो व्यवतिष्ठते ।

तिस कारण इस सूत्रका अर्थ यों व्यवस्थित हो जाता है कि विस्तारके साथ व्याख्यान किये जा चुके मतिज्ञान श्रुतज्ञानोंका भविष्य ग्रन्थमें कहे जानेवाले विषयभूत सम्पूर्ण द्रव्योंमें और असंपूर्ण माने कतिपय पर्यायोंमें निबन्ध धारण नियम समझ लेना चाहिये ।

विषयेष्वित्यनुक्तं कथमत्रावगम्यत इत्याह ।

इस सूत्रमें " विषयेषु " यह शब्द नहीं कहा है तो फिर अनुक्त वह शब्द मला किस प्रकार समझ लिया जाता है ? यह बताओ, ऐसा प्रश्न हो उठनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी उत्तर कहते हैं ।

पूर्वसूत्रोदितश्चात्र वर्तते विषयध्वनिः ।

केवलोर्जाद्विशुद्ध्यादिसहयोगं श्रयन्नपि ॥ ३ ॥

इस सूत्रके पूर्ववर्ती “ विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽत्रधिमनःपर्यययोः ” सूत्रमें कण्ठद्वारा कहा गया विषय शब्द यहाँ अनुवर्तन कर लिया जाता है। यद्यपि वह विषय शब्द “ विशुद्धि, क्षेत्र ” आदिके साथ सम्बन्धकी प्राप्त हो रहा है, तो भी प्रयोजन होनेसे विशुद्धि आदिक और पंचमी विमक्तिसे रहित होकर केवल विषय शब्दकी ही अनुवृत्ति कर ली जाती है। अर्थात्—एकयोग-निर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः”, एक संबन्धद्वारा जुड़े हुये पदार्थोंकी एक साथ प्रवृत्ति होती है, अथवा सत्रकी एक साथ ही निवृत्ति होती है। इस नियमके अनुसार विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, इन तीन पदोंके साथ इतरेतरयोग—भावको प्राप्त हो रहा विषय शब्द अकेला नहीं खींचा जा सकता है। फिर भी प्रयोजनवश “ कश्चिदेकदेशोऽनुवर्तते ” इस ढंगसे अकेला विषय शब्द ही अनुवृत्त किया जा सकता है। “ देवदत्तस्य गुरुकुलं ” यहाँ गुरुकुलमें सहयोगी हो रहे, अकेले गुरुपदको आकर्षितकर देवदत्तको यहाँ अन्वित कर दिया जाता है।

विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽत्रधिमनःपर्यययोरित्यस्मात्सूत्रात्तद्विषयशब्दोऽत्रानुवर्तते। कथं स विशुद्ध्यादिभिः सहयोगमाश्रयन्नपि केवलः शक्योऽनुवर्तयितुं ? सामर्थ्यात्। तथाहि—न तावद्विशुद्धेरनुवर्तनसामर्थ्यं प्रयोजनाभावात्, तत एव न क्षेत्रस्य स्वामिनो वा सूत्रसामर्थ्याभावात्।

“ विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽत्रधिमनःपर्यययोः ” इस प्रकार इस सूत्रसे वह विषय शब्द यहाँ अनुवृत्ति करने योग्य हो रहा है। इनपर कोई प्रश्न करे कि विशुद्धि, क्षेत्र, आदिके साथ संबन्धका आश्रयकर रहा भी विषय शब्द केवल अकेला ही कैसे अनुवर्तित किया जा सकता है ? बताओ, तो इसका उत्तर यों है कि पहिले पीछेके पदों और वाच्य अर्थकी सामर्थ्यसे केवल विषय शब्द अनुवर्तनीय हो जाता है। इसी बातको विशदकर दिखलाते हैं कि सबसे पहिले कही गयी विशुद्धिकी अनुवृत्ति करनेकी तो यहाँ सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। क्योंकि प्रकरणमें विशुद्धिका कोई प्रयोजन नहीं है और तिस ही कारण यानी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होनेसे क्षेत्रकी अथवा स्वामी शब्दकी भी अनुवृत्ति नहीं हो पाती है। सूत्रकी सामर्थ्यके अनुसार ही पदोंकी अनुवृत्ति हुआ करती है। किन्तु यहाँ विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, इन पदोंकी अनुवृत्ति करनेके लिए सूत्रकी सामर्थ्य नहीं है। “ समर्थः पदविधिः ” अतः केवल विषय शब्द ही यहाँ सूत्रकी सामर्थ्यसे अनुवृत्त किया गया है।

मन्वेवं द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु निबन्धन इति वचनसामर्थ्याद्विषयशब्दस्यानुवर्तने विषये-  
ष्विति कथं विषयेभ्य इति पूर्वं निर्देशात्तथैवानुवृत्तिप्रसंगादित्याशंकायामाह।

यहाँ शंका उपजती है कि इस प्रकार तो द्रव्योंमें और अतर्कपर्यायोंमें मतिश्रुतोंका निबन्ध हो रहा है। इस प्रकार वचनकी सामर्थ्यसे विषयशब्दकी अनुवृत्ति करनेपर “ विषयेषु ” देना सप्तमी विमक्तिका बहुवचनान्तपद कैसे खींचकर बनाया जा सकता है ? क्योंकि पूर्वसूत्रमें तो

“ विषयेभ्यः ” ऐसा पंचमी विभक्तिका बहुवचनान्तपद कहा गया है । उसकी तिस ही प्रकार पंचम्यन्त विषय शब्दकी अनुवृत्ति हो जानेका प्रसंग प्रस होता है, अन्यथा नहीं । इस प्रकार आशंका होनेपर आचार्यमहाराज उत्तर कहते हैं ।

**द्रव्येष्विति पदेनास्य सामानाधिकरण्यतः ।**

**तद्विभक्त्यन्ततापत्तेर्विषयेष्विति ब्रुध्यते ॥ ४ ॥**

इस विषय शब्दका “ द्रव्येषु ” इस प्रकार सप्तमी विभक्तिशब्दे पदके साथ समान अधिकरणपना हो जानेसे उस सप्तमी विभक्तिके बहुवचनान्तपदके प्राप्ति हो जाती है । इस कारण “विषयेषु” इस प्रकार विषयोंमें यह अर्थ समझ लिया जाता है ।

**किं पुनः फलं विषयेष्विति सम्बन्धस्येत्याह ।**

पुनः कितीका प्रश्न है कि “ विषयेषु ” इस प्रकार खींचतानकर सप्तम्यन्त बनाये गये पदके सम्बन्धका यहा फल क्या है ! इस प्रकार प्रश्न होनेपर आचार्य महाराज समाधिबचन कहते हैं ।

**विषयेषु निबन्धोऽस्तीत्युक्ते निर्विषये न ते ।**

**मतिश्रुते इति ज्ञेयं न चाऽनियतगोचरे ॥ ५ ॥**

मतिज्ञान श्रुतज्ञानोंका द्रव्य और कतिपयपर्यायस्वरूप विषयोंमें नियम हो रहा है । इस प्रकार कथन करनेपर वे मतिज्ञान, श्रुतज्ञान दोनों विषयवदित नहीं हैं, यह समझ लिया जाता है । अथवा दूसरा प्रयोगन यह भी है कि नियम नहीं हो रहे, चाहे जिस किसी भी पदार्थको विषय करनेवाले दोनों ज्ञान नहीं हैं । किन्तु उन दोनों ज्ञानोंका विषय नियत हो रहा है । भाषार्थ— तत्त्वोपपत्त्यवादी या योगाचार बौद्ध अथवा शून्यवादी विद्वान् ज्ञानोंको निर्विषय मानते हैं । घट, पट, नीडा, खटा, अग्नि, व्यक्ति, वायुार्थ आदिके ज्ञानोंमें कोई बहिर्ग पदार्थ विषय नहीं हो रहा है । स्वप्नज्ञान सपान उक्त ज्ञान भी निर्विषय है । अथवा कोई कोई विद्वान् मतिश्रुतज्ञानोंके विषयोंको नियम हो रहे नहीं दर्शाकर काले हैं । उन दोनों प्रकारके प्रतिवादियोंका निराकरण करनेके लिये उक्त सूत्र कहा गया है । जिसमें कि विषयपदकी पूर्वसूत्रसे अनुवृत्तिकर सामर्थ्यसे विषयेषु ऐसा सम्बन्ध कर लिया गया है ।

**नहिं द्रव्येष्वसर्वपर्यायेष्विति विशेषणफलं किमित्याह ।**

तो फिर अथ यह बताओ ! कि विषयेषु इस विशेषणके द्रव्येषु और असर्वपर्यायेषु इन दो विशेषणोंका फल क्या है ! इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर आचार्य महाराज समाधान कहते हैं ।

पर्यायमात्रगे नैते द्रव्येष्विति विशेषणात् ।

द्रव्यगे एव तेऽसर्वपर्यायद्रव्यगोचरे ॥ ६ ॥

विषयोक्ता द्रव्येषु इस प्रकार पहिला विशेषण लगा देनेसे ये मतिज्ञान श्रुतज्ञान दोनों केवल पर्यायोंको ही जाननेवाले नहीं हैं, यह बात सिद्ध हो जाती है। अर्थात्—मतिज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों ये द्रव्योंको भी जानते हैं। बौद्धोंका केवल पर्यायोंको ही मानने या जाननेका मन्तव्य ठीक नहीं है। बिना द्रव्यके निराधार हो रही पर्यायें ठहर नहीं सकती हैं। जैसे कि भीत या कागजके बिना चित्र नहीं ठहरता है। तथा ये मति श्रुतज्ञान द्रव्योंमें ही प्राप्त हो रहे हैं, यानी द्रव्योंको ही जानते हैं, पर्यायोंको नहीं, यह एकान्त भी प्रशस्त नहीं है। क्योंकि असर्वपर्यायेषु ऐसा दूसरा विशेषण भी लगा हुआ है। अतः कतिपय पर्याय और सम्पूर्ण द्रव्य इन विषयोंमें नियत हो रहे मतिज्ञान श्रुतज्ञान हैं, यह सिद्धांत निकल आता है।

एतेष्वसर्वपर्यायेष्वित्युक्तेरिष्टनिर्णयात् ।

तथानिष्ठौ तु सर्वस्य प्रतीतिव्याहतीरणात् ॥ ७ ॥

इन कतिपय पर्यायस्वरूप विषयोंमें मतिश्रुतज्ञान नियत हैं। इस प्रकार कह देनेसे इष्ट पदार्थका निर्णय हो जाता है। अर्थात्—इन्द्रियजन्यज्ञान, अनिन्द्रियजन्यज्ञान, मतिपूर्वक श्रुतज्ञान ये ज्ञान कतिपय पर्यायोंको विषय कर रहे हैं, यह सिद्धांत सभी विचारशाली विद्वानोंके यहाँ अमोह किया है। यदि तिस प्रकार इन दो ज्ञानों द्वारा कतिपय पर्यायोंका विषय करना इष्ट नहीं किया जायगा, तो सभी वादी—प्रतिवादिओंके यहाँ प्रतीतियोंसे व्याघात प्राप्त होगा, इस बातको हम कहे देते हैं।

मतिश्रुतयोर्ये तावद्वाह्यार्थानालम्बनस्वमिच्छन्ति तेषां प्रतीतिव्याहृतिं दर्शयन्नाह ।

जो वादी सबसे आगे खड़े होकर मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका बहिर्गम धर्मोंको आलम्बन नहीं करनेवाचन इच्छते हैं, उनके यहाँ प्रतीतियोंसे आ रहे स्वमतव्याघात दोषको दिखलाते हुये आचार्य महाशय कहते हैं सो सुनो ।

मत्यादिप्रत्ययो नैव बाह्यार्थालम्बनं सदा ।

प्रत्ययत्वाद्यथा स्वप्नज्ञानमित्यपरे विदुः ॥ ८ ॥

तदसत्सर्वशून्यत्वापत्तेर्वाह्यार्थवित्तिवत् ।

स्वान्यसंतानसंवित्तेरभावात्तदभेदतः ॥ ९ ॥

मति आदिक ज्ञान ( पक्ष ) सदा ही बहिरंग अर्थोको विषय करनेवाले नहीं है ( साध्य ) । ज्ञानपना होनेसे ( हेतु ), जैसे कि स्वप्नज्ञान ( अन्वयदृष्टान्त ) । इस प्रकार अनुमान बनाकर दूसरे विद्वान् बौद्ध कह रहे हैं; या ज्ञातकर बैठे हैं, सो, उनका वह कहना सर्वथा असत्य है । क्योंकि यों तो सम्पूर्ण परार्थोके शून्यपनेका प्रसंग आ जावेगा । घट, पट आदि बहिरंग अर्थोके ज्ञान समान अन्तस्तत्त्व माने जा रहे अपना और अन्य संतानोंका सम्प्रज्ञान भी निरालम्बन हो जायगा । घट, पट, आदिके ज्ञानोंमें और स्वसंतान परसंतानोंको जाननेवाले ज्ञानोंमें ज्ञानपना भेदरहित होकर विद्यमान है । देखिये, घट, पट, आदिके समान स्व, पर, संतान भी बहिरंग हैं, कोई भेद नहीं है । चाँडिनी न्याय अनुसार देवदत्तकी स्वसंतान तो जिनदत्तके ज्ञानकी अपेक्षा बहिरंग है । और जिनदत्तकी स्वसंतान देवदत्तके ज्ञानकी अपेक्षा बाह्य अर्थ है । तथा ज्ञानकी अपेक्षा कोई भी ज्ञेय बाह्य अर्थ हो जाता है । अतः स्वसंतान और परसंतानके ज्ञानोंका भी निरालम्बन होनेके कारण अभाव हो जानेसे बौद्धोंके यहाँ सर्वशून्यपनेका प्रसंग प्राप्त होगा । ऐसी दशामें अनेक आत्माओंके सन्तानस्वरूप विज्ञानाद्वैतकी यानी अन्तस्तत्त्वकी अक्षुण्ण प्रतिष्ठा कैसे रह सकती है ? सो तुम ही जानों ।

मतिश्रुतप्रत्ययाः न चाह्यार्थालंबनाः सर्वदा प्रत्ययत्वात्स्वप्नप्रत्ययवदिति योगाचार-  
स्तदयुक्तं, सर्वशून्यत्वानुपंगत् । बाह्यार्थसंबेदनवत्स्वपरसंतानसंबेदनासम्भवाद्ब्रह्मज्ञाना-  
पेक्षया स्वसन्तानस्य परसन्तानस्य च बाह्यत्वाविशेषात् ।

सम्पूर्ण मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ( पक्ष ) बहिरंग घट, पट आदि अर्थोको सदा ही विषय करनेवाले नहीं हैं ( साध्य ) ज्ञानपना होनेसे ( हेतु ) जैसे कि स्वप्नका ज्ञान विचारा बहिरंग नदी पर्वत, आदिको ठीक ठीक आउभवन करनेवाला नहीं है, इस प्रकार योगाचार बौद्ध कह रहे हैं । सो उनका कहना अयुक्त है । क्योंकि यों तो सभी अन्तरंग तत्त्व, ज्ञान या स्वसंतान, परसंतान इन सबके शून्यपनेका प्रसंग हो जावेगा । बहिरंग अर्थोके सम्बेदनसमान अपनी ज्ञानसन्तान और दूसरेकी ज्ञानसन्तानके सम्बेदनोका भी असम्भव हो जायगा । क्योंकि स्वसन्तान और परसन्तानके प्राहक ज्ञानोंकी अपेक्षा फरके स्वसन्तान और परसन्तानको बाह्यपना विशेषतारहित है । अर्थात्— ज्ञानोंकी क्षणिक माननेवाले बौद्ध पूर्वापर क्षणवर्ती ज्ञानोंकी पंक्तिको ज्ञानसंतान कहते हैं । भले ही सन्तान अवस्तु है । यो घटज्ञानकी अपेक्षा जैसे घट बाह्य अर्थ है, उसी प्रकार स्वकीय ज्ञानसन्तान और परकीय ज्ञानसन्तानको जाननेवाले ज्ञानकी अपेक्षा स्वज्ञानसन्तान और परविज्ञानसन्तान भी बहिरंग अर्थ हैं । जब कि ज्ञान बहिरंग अर्थोको विषय नहीं करते हैं, तो अपने ज्ञानोंकी सन्तान अवश अन्य देवदत्त, जिनदत्त, स्वरूप ज्ञानसन्तान ये अन्तरंग परार्थ भी उठ गये । क्योंकि ये भी बहिरंग बन बैठे । ऐसी दशामें सर्वशून्यवाद आ गया, वही तो हमने दोष दिया था ।

संवेदनं हि यदि किञ्चित् स्वस्माद्धर्मान्तरं परसन्तानं स्वसन्तानं वा पूर्वापरक्षण-  
प्रवाहरूपमालम्ब्यते । तदा घटाद्यर्थेन तस्य कौऽपराधः कृतः यतस्तमपि नालम्ब्यते ।

यदि बौद्ध यों कहें कि कोई कोई समीचीन ज्ञान तो किसी अपने ज्ञानशरीरसे निराळे पदार्थ  
और पहिले पीछेके क्षणोंमें परिणमें परकीय ज्ञानोंका प्रवाहस्वरूप परसन्तानको अथवा आगे, पीछे  
तीनों कालोंमें प्रवाहित हो रहे, क्षणिक विज्ञानस्वरूप स्वसन्तानको आलम्बन कर लेता है, तब तो  
हम जैन कहेंगे कि घट, पट आदि अर्थोंकरके उस ज्ञानका कौन अपराध कर दिया गया है ?  
निससे कि वह ज्ञान इन घट आदिकोंको भी आलम्बन नहीं करे । अर्थात्—घट आदिकको जान-  
नेवाले भी ज्ञानसालम्बन है । वस्तुमूत घटादि अर्थोंको विषय करनेवाले हैं ।

अथ घटादिवत्स्वपरसन्तानमपि नालम्ब्यत एव तस्य स्वसमानसमयस्य भिन्नसमयस्य  
वालंबनासम्भवात् । न चैवं स्वरूपमन्तानाभावः स्वरूपस्य स्वतो गतेः । नीलादेस्तु यदि  
स्वतो गतिस्तदा संवेदनत्वमेवेति स्वरूपमात्रपर्यवसिताः सर्वे प्रत्यया निरालम्बनाः सिद्धा-  
स्तत्कृतः सर्वशून्यत्वापत्तिरिति मतं तदसत्, वर्तमानसंवेदनास्त्वयमनुभूयमानादन्यानि  
स्वपरसंतानसंवेदनानि स्वरूपमात्रे पर्यवसितानीति निश्चेतुमशक्यत्वाद् ।

यदि अब तुम योगाचार बौद्धोंका यह मन्तव्य होय कि घट, पट आदिके समान स्वसन्तान,  
परसन्तानको भी कोई ज्ञान विषय नहीं ही करता है । क्योंकि स्वकीय ज्ञानके समान समयमें  
होनेवाले अथवा भिन्नसमयमें हो रहे स्व, पर सन्तानोंका आलम्बन करना असम्भव है ।  
अर्थात्—बौद्धोंके यहां विषयको ज्ञानका कारण माना गया है । “ नाकारणं विषयः ” । अतः  
समानसमयके ज्ञान ज्ञेयोंमें कार्यकारणभाव नहीं घटता है । कार्यसे एक क्षण पूर्वमें कारण रहना  
चाहिये । अतः पहिला समान समयवालोंके कार्यकारणभाव बनजानेका पक्ष तिरस्कृत हो गया  
और भिन्नसमयवाले ज्ञान ज्ञेयोंमें यदि प्राणप्रादकभाव माना जायगा, तब तो चिरमूत और  
चिरभविष्य पदार्थोंके साथ भी कार्यकारणभाव बन बैठेगा, जो कि इष्ट नहीं है । दूसरी बात यह  
है कि एकसमय पूर्ववर्ती भिन्नकालके पदार्थोंको भी यदि ज्ञानका ज्ञेय माना जायगा, तो भी  
ज्ञानकालमें जब विषय रहा ही नहीं, ऐसी दशामें ज्ञान मला किसको जानेगा । साथ निकल गया  
लकीर पीटते रहो, यह “ गतसर्वभृष्टिअभिह्वनन ” न्याय हुआ । अतः ज्ञान निरालम्ब ही है ।  
इस प्रकार हो जानेपर हम बौद्धोंके यहां विज्ञानस्वरूप सन्तानका अभाव नहीं हो जायगा । क्योंकि  
शुद्ध क्षणिकज्ञान स्वरूपकी अपने आपसे ही ज्ञप्ति हो जाती है । यदि भील स्वलक्षण, पीत  
स्वलक्षण, आदिकी भी स्वतः ज्ञप्ति होना मान लिया जायगा, तब तो वे नील आदिक पदार्थ ज्ञान  
स्वरूप ही हो जायेंगे । इस प्रकार केवल अपने स्वरूपको जाननेमें लवचीन हो रहे सम्पूर्ण ज्ञान  
अपनेसे भिन्न विषयोंकी अपेक्षा निरालम्बन ही सिद्ध हुये तो बताओ, हम योगाचारोंके यहां किस  
दंगसे सर्वशून्यत्वके प्रसंग आवेगा ! जब कि अपने अपने शुद्धस्वरूपको ही प्रकाशनेवाले अनेक

अन्य द्वेषोंके प्रतिषेधकी जाननेवाला ज्ञान विद्यमान हो रहा है। दो ज्ञानोंके होनेपर अद्वैत भला कहाँ रहा ? द्वैत होगया।

स्वयं तत्प्रतिषेधकरणाददोष इति चेत्, तर्हि स्वपरविधिप्रतिषेधविषयमेकसंवेदनमित्यापातं। तथा चैरुमेव वस्तुसाध्यं साधनं वापेक्षतः कार्यं कारणं च, बाध्यं बाधकं चेत्यादि किञ्च सिध्येत्।

यदि बौद्ध यों कहें कि उनकी विधिकी करनेवाला वह सम्वेदन स्वयं अकेला अन्य ज्ञान या द्वेषोंका प्रतिषेध कर देता है। अतः हमारे ज्ञान अद्वैत सिद्धातमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार कहनेपर तो हम जैन कहेंगे कि तब तो स्वरूपकी विधिकी और पररूपके निषेधकी विषय करनेवाला एक ही सम्वेदन हुआ। इस प्रकार अनेक धर्मवाले एकधर्मोपदार्थके माननेका प्रसंग प्राप्त हुआ, जो कि जैनसिद्धान्त है। और तैसा होनेपर स्याद्वाद सिद्धात अनुसार एक ही वस्तु साध्य अथवा साधन भी अपेक्षाओंसे क्यों नहीं सध जायगी ? एक ही ज्ञान साध्य और साधन हो सकता है। घूमहेतु अकेला ही कंठाक्षविशेषकारिण्य हेतुका साध्य और वह्निका साधन हो जाता है। अथवा कारक पक्ष अनुसार घूम वह्निका साध्य है। और ज्ञापक पक्ष अनुसार अग्निका घूम साधन है। तथा एक ही पदार्थ अपने कारणोंका कार्य और अपने कार्योंका कारण बन जाता है। इसी प्रकार मन्त्रियोंकी बाधक मकड़ी है। साथमें वह मकड़ी चिरैयाओंसे बाध्य भी है। उम्त्रनोंकी दुष्ट पुरुष बाधा पहुँचाते हैं। साथ ही में योग्य राजवर्गद्वारा ये दुष्टपुरुष भी बाधित किये जाते हैं। ऐसे ही आधारआधेय, गुरुशिष्य विषयविषयी आदिक भी अपेक्षाओंसे एक एक ही पदार्थ हो जाते हैं। यह अनेकान्त शासन क्यों नहीं सिद्ध हो जाय ? कोई बाधा नहीं दीखती है। अपनी रक्षाके लिये अनेकान्तकी शरण ले ली जाय, और अन्य अवसरोंपर तोताकीसी आँख फेर ली जाय, यह न्यायमार्ग नहीं दीखता है।

विरुद्धधर्माध्यासादिति चेत्, तत एव संवेदनमेक स्वपररूपविधिप्रतिषेधविषयं माभूत्स्वापेक्षाविधायकं परापेक्षया प्रतिषेधकमित्यविरोधे स्वकार्यापेक्षया कारणं स्वकारणापेक्षया कार्यमित्यविरोधोऽस्तु।

यदि बौद्ध यों कहें कि विरुद्ध धर्मोंसे आळीढ हो जानेके कारण एक ही पदार्थ साध्य और साधन भी अथवा कार्य और कारण भी आदि नहीं हो सकता है। जिससे कि जिनशासन सिद्ध हो जाय। अनेकान्तमें विरोध दोष छागू होता है। इस प्रकार बौद्धोंके कहनेपर तो हम कहेंगे कि तिस ही कारण एक सम्वेदन भी स्वरूपकी विधि और पररूपके निषेधकी विषय करनेवाला नहीं होओ। परा भी तो सम्वेदनमें विधायकपन और निषेधकपन दो विरुद्ध धर्मोंका अभ्यास है। यदि आप बौद्ध यों कहें कि अपने रूपकी अपेक्षा विधायकपन और पररूपकी अपेक्षा निषेधकपन इन दो धर्मोंको इस प्रकार माननेपर कोई विरोध नहीं है। तब तो हम अनेकान्तवादी भी कह देंगे



कि अपने कार्योंकी अपेक्षाकरके कारणपना और अपने कारणोंकी अपेक्षा करके कार्यपना भी एक पदार्थमें विरोधरहित हो जाओ। अपने गुरुकी अपेक्षासे जिनदत्त शिष्य है, और साथ ही अपने पढाये हुये शिष्योंकी अपेक्षासे वही जिनदत्त गुरु भी है।

अथ स्वतोऽन्यस्य कार्यस्य कारणस्य वा साध्यस्य साधकस्य वा सद्भावासिद्धेः कथं तदपेक्षा यतस्तत्कार्यं कारणं वाध्यं बाधकं च साध्यं साधनं च स्यादिति ब्रूते तर्हि परस्य सद्भावासिद्धेः कथं तदपेक्षा यतस्तत्परस्य प्रतिषेधकं स्वविधायकं वा स्यादित्युप-  
हासास्वयं तत्रं सुगतेन भावितमित्याह ।

अब आप यदि यों कहो कि स्वयं ज्ञानाद्वैतकी अपेक्षासे तो अन्य हो रहे कार्यकी और कारणकी अथवा साध्य और साधककी सत्ता ही असिद्ध है। अतः उन अन्य पदार्थोंकी मला अपेक्षा कैसे हो सकती है ? जिससे कि एक पदार्थ ही अपेक्षाकृत कार्य और कारण अथवा बाध्य और बाधक तथा साध्य और साधन हो सके, यों बौद्ध कह रहा है। इस प्रकार बौद्धोंकी स्पष्ट युक्ति होनेपर तो हम कहते हैं कि तब तो परके सद्भावकी असिद्धि हो जानेके कारण किस प्रकार उस परकी अपेक्षा हो सकेगी ! जिससे कि वह एक ही सम्बन्धन परका निषेध करनेवाला और स्व का विधान करानेवाला हो सके, इस प्रकार हंसी करानेका स्यान् ऐसा तत्त्व बुद्धकरके माथना किया गया है, इसी बातको श्री विद्यानन्द आचार्य महाराज वार्तिकद्वारा स्पष्ट कहते हैं।

न साध्यसाधनत्वादिर्न च सत्येतरस्थितिः ।

ते स्वसिद्धिरपीत्येतत्तत्रं सुगतभावितम् ॥ १३ ॥

सुप्त ज्ञानाद्वैतवादियोंके यहाँ साधनपन, साधनपन, कार्यपन, कारणपन, साध्यपन, बाधकपन आदिकी व्यवस्था नहीं है। और सत्य असत्यकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी दशमें तुम्हारे इष्ट स्वतंत्र सम्बन्धनकी सिद्धि नहीं हो सकती है ! इस कारण यह क्षणिक शुद्ध विज्ञानाद्वैत स्वरूप तत्र को सुगतने श्रुतमयी, चिन्तामयी, भावनाओंद्वारा अञ्छा विचार है। यह उपहासपूर्ण कथन है। अर्थात्—नवजिदको ढाकर एक सही हुयी खेडोको निकालनेके समान लम्बी, चौड़ी, दीर्घहालिक, भावनाओंद्वारा यह निःसार विज्ञानाद्वैतका सिद्धन्त निकाला गया है। इसपर विद्वानोंको हंसी आती है। जो सत्य और साधनोंको अथवा बाध्य और बाधकोंको नहीं स्वीकार करता है, वह अद्वैत सम्बन्धनकी सिद्धि कथमपि नहीं कर सकता है।

ततः स्वस्वरसिद्धिमिच्छता सत्येतरस्थितिरङ्गीकर्त्तव्या साध्यसाधनत्वादिरपि स्वी-  
करणीय इति चाक्षार्यालम्बनाः प्रत्ययाः केचिन्सन्त्येव, सर्वथा तेषां निरालम्बनत्वस्य  
व्यवस्थानायोगात् ।

अन्य ज्ञेयोंके प्रतिषेधको जाननेवाला ज्ञान विद्यमान हो रहा है। दो ज्ञानोंके होनेपर अद्वैत भला कहाँ रहा ? द्रैत होगया।

स्वयं तत्प्रतिषेधकरणाददोष इति चेत्, तर्हि स्वपरविधिप्रतिषेधविषयमेकसंवेदन-  
मित्यापातं। तथा चैकमेव वस्तुसाध्यं साधनं वापेक्षतः कार्यं कारणं च, वाध्यं बाधकं  
चेत्यादि किञ्च सिध्येत्।

यदि बौद्ध यों कहें कि स्वकी विधिको करनेवाला वह सम्बेदन स्वयं अकेला अन्य ज्ञान या ज्ञेयोंका प्रतिषेध कर देता है। अतः हमारे ज्ञान अद्वैत सिद्धांतमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार कहनेपर तो हम जैन कहेंगे कि तब तो स्वरूपकी विधिको और पररूपके निषेधको विषय करने-वाला एक ही सम्बेदन हुआ। इस प्रकार अनेक धर्मवाले एकधर्मी पदार्थके माननेका प्रसंग प्राप्त हुआ, जो कि जैनसिद्धान्त है। और तैसा होनेपर क्याद्वैत सिद्धांत अनुसार एक ही वस्तु साध्य अथवा साधन भी अपेक्षाओंसे क्यों नहीं सध जायगी ? एक ही ज्ञान साध्य और साधन हो सकता है। घूमहेतु अकेला ही कंठाक्षविश्लेषकारित्व हेतुका साध्य और वह्निका साधन हो जाता है। अथवा कारक पक्ष अनुसार घूम वह्निका साध्य है। और ज्ञापक पक्ष अनुसार अग्निा धूम साधन है। तथा एक ही पदार्थ अपने कारणोंका कार्य और अपने कार्योंका कारण बन जाता है। इसी प्रकार बाधा पड़ुंवाते हैं। साथ ही में योग्य राजवर्गद्वारा वे दुष्टपुरुष भी बाधित किये जाते हैं। ऐसे ही आचारआधेय, गुरुशिष्य विषयविषयी आदिक भी अपेक्षाओंसे एक एक ही पदार्थ हो जाते हैं। यह अनेकान्त शासन क्यों नहीं सिद्ध हो जाय ? कोई बाधा नहीं दीखती है। अपनी रक्षाके लिये अनेकान्तकी शरण ले ली जाय, और अन्य अवसरोंपर तोताकीसी आंखि फेर ली जाय, यह न्यायमार्ग नहीं दीखता है।

किं अपने कार्योंकी अपेक्षाकरके कारणपना और अपने कारणोंकी अपेक्षा करके कार्यपना भी एक पदार्थमें विरोधरहित हो जाओ। अपने गुरुकी अपेक्षासे जिनदत्त शिष्य है, और साथ ही अपने पढाये हुये शिष्योंकी अपेक्षासे वही जिनदत्त गुरु भी है।

अथ स्वतोऽन्यस्य कार्यस्य कारणस्य वा साध्यस्य साधकस्य वा सद्भावासिद्धेः कथं तदपेक्षा यतस्तत्कार्यं कारणं वाध्यं बाधकं च साध्यं साधनं च स्यादिति श्रूते तर्हि परस्य सद्भावासिद्धेः कथं तदपेक्षा यतस्तत्परस्य प्रतिषेधकं स्वविधायकं वा स्यादित्युप-  
हासास्पदं तत्त्वं सुगतेन भावितमित्याह ।

अब आप यदि यों कहो कि स्वयं ज्ञानद्वैतकी अपेक्षासे तो अन्य हो रहे कार्यकी और कारणकी अथवा साध्य और साधककी सत्ता ही असिद्ध है। अतः उन अन्य पदार्थोंकी भला अपेक्षा कैसे हो सकती है ? जिससे कि एक पदार्थ ही अपेक्षाकृत कार्य और कारण अथवा बाध्य और बाधक तथा साध्य और साधन हो सके, यों बौद्ध कह रहा है। इस प्रकार बौद्धोंकी स्पष्ट युक्ति होनेपर तो हम कहते हैं कि तब तो परके सद्भावकी असिद्धि हो जानेके कारण किस प्रकार उस परकी अपेक्षा हो सकेगी ? जिससे कि यह एक ही सम्बन्धन परका निषेध करनेवाला और स्व का विधान करनेवाला हो सके, इस प्रकार हंसी करानेका स्थान ऐसा तत्त्व बुद्धकरके माथना किया गया है, इसी बातको श्री विद्यानन्द आचार्य महाराज वार्तिकद्वारा स्पष्ट कहते हैं।

न साध्यसाधनत्वादिर्न च सत्येतरस्थितिः ।

ते स्वसिद्धिरपीत्येतत्त्वं सुगतभावितम् ॥ १३ ॥

सुप्त ज्ञानद्वैतवादियोंके यहां साध्यनन, साधनपन, कार्यपन, कारणपन, बाध्यपन, बाधकपन आदिकी व्यवस्था नहीं है। और सत्य असत्यकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी दशमें तुम्हारे इष्ट स्वतन्त्र सम्बन्धनकी सिद्धि नहीं हो सकती है ! इस कारण यह क्षणिक शुद्ध विज्ञानद्वैत रख्य तरंग को सुगतने श्रुतमयी, चिन्तामयी, भावनाश्रद्धारा अष्टा विचारा है। यह उपहासपूर्ण कथन है। अर्थात्—नसिद्धको ढाकर एक सही डुप्री खेडीको निकालनेके समान लम्बी, चौड़ी, दीर्घवाळिक, भावनाश्रद्धारा यह निःसार विज्ञानद्वैतका सिद्धान्त निकाला गया है। इसपर विद्वानोंको हंसी आती है। जो सध्य और साधनोंकी अथवा बाध्य और बाधकोंको नहीं स्वीकार करता है, वह अद्वैत सम्बन्धनकी सिद्धि कथमपि नहीं कर सकता है।

ततः स्वस्वरसिद्धिविच्छेदा सत्येतरस्थितिरङ्गीरुर्चग्या साध्यसाधनत्वादिरपि स्वी-  
कारणीय इति वाद्यार्थाळम्बनाः प्रत्ययाः केचिःसन्त्येव, सर्वथा तेषां निराळम्बनत्वस्य  
व्यवस्थानायोगात् ।

स्वतो न तस्य संवित्तिरन्यस्य स्यान्निराकृतिः ।

किमन्यस्य स्वसंवित्तिरन्यस्य स्यान्निराकृतिः ॥ ११ ॥

उस अनुभूयमान सम्बेदनकी स्वो-मुख स्वय अपने आपसे केवल अपनी ही सन्धि-ति होना तो अन्य पदार्थोंका निराकरण करना नहीं हो सकेगा । मला विचारनेकी बात है कि क्या अन्य पदार्थोंकी सन्धि-ति उससे दूसरे पदार्थोंका निषेधस्वरूप हो सकती है ? कभी नहीं, अपने कानोंसे अपनी आँखोंको ढक लेनेवाले मयमीन दश ( खरगोश ) की अपेक्षा कोई अन्य मनुष्य पण्डशोंका निषेध नहीं हो जाता है । पुस्तकक सद्भावको जान लेना चौकीका निषेधक नहीं है । निर्विकल्पक समाधिको धारनेवाले साधु शुद्ध आत्माको ही जाननेमें एकाम हो रहे हैं । एतावता जगत्के अन्य पदार्थोंका निषेध नहीं हो सकता है ।

स्वयं संवेद्यमानस्य कथमन्यैर्निराकृतिः ।

परैः संवेद्यमानस्य भवतां सा कथं मता ॥ १२ ॥

स्वकीय ज्ञानस तान अयत्र परकीय ज्ञानस-तान जो स्वय भले प्रकार जाने जा रहे हैं, उनका अन्य ज्ञानोंकरके मला निराकरण कैसे हो सकता है ? देवदत्तके ज्ञान, इच्छा, दुःख, सुख आदिक जो स्य देवदत्तद्वारा जाने जा रहे हैं, उनका यज्ञदत्तद्वारा निषेध नहीं किया जा सकता है । हम नहीं समझते हैं कि आप बौद्धोंके यहा दूमरोंके द्वारा सम्बेदन किये जा रहे पदार्थका अर्थोंकरके निराकरण कर देना कैसे मान लिया गया है ? बात यह है जो तुच्छदीपक स्वय अपने शरीरमें ही घोडासा टिमटिमा रहा है, वह अन्य पदार्थोंकी निराकृति नहीं कर सकता है । अन्योका निषेध करनेके लिये बड़ी भारी सामग्रीकी आवश्यकता है ।

परैः संवेद्यमानं वेदनमस्तीति ज्ञातुमशक्तेस्तस्य निराकृतिरस्माकं मतेति चेत्, तर्हि तन्नास्तीति ज्ञातुमशक्तेस्तत्रवस्यितिः किन्न मता । ननु तदस्तीति ज्ञातुमशक्यत्वमेव तन्नास्तीति ज्ञातुं शक्तिरस्त विशेषाभावात् ।

अवधारण यों करें कि दूसरोंसे जानने योग्य कहे जा रहे वे ज्ञान " हैं " इस बातको नहीं जान सकना ही " वे नहीं हैं " इस बातको जाननेकी शक्ति है। जैसे कि खरविषाणका नहीं जान सकना ही खरविषाणके नास्तित्वको जाननेके लिये शक्यता मानी गयी है। इस प्रकार बौद्धोंके इष्ट करनेपर तो हम जैन भी कह देंगे कि उन अन्योंकरके जाने जा रहे ज्ञान " नहीं हैं " इस बातको जाननेके लिये अशक्यता ही " वे ज्ञान हैं " इस बातको जाननेके लिये शक्ति हो जाओ, कोई अन्तर नहीं है। भावार्थ—किसी कृपण धनीके धनाभावको जाननेकी अशक्यता ही धनके सद्भावको जाननेकी शक्ति है। किसी पदार्थकी विधिको जाननेके लिये अशक्यता जैसे उसके निषेधको जाननेकी शक्यता है, उसी प्रकार निषेधको जाननेकी अशक्यता भी विधिकी निर्णायक शक्ति है। दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है।

यदि पुनस्तदस्तिनास्तीति वा ज्ञातुमशक्तेः संदिग्धमिति मतिस्तदापि कथं संवेदना-  
द्वैतं सिद्ध्येदसंशयमिति चिन्त्यतां ।

यदि फिर तुम योगाचार बौद्धोंका यह विचार हो कि वे सन्तानान्तरोंके ज्ञान एवं अपने ज्ञान " हैं अथवा नहीं हैं " इन बातको निर्णीतरूपसे नहीं जाननेके कारण उन ज्ञानोंके सद्भाव का संदेह प्राप्त हो जाओ " एकांतनिर्णयाद्वरं संशयः "। कोई पुरुष किसी पदार्थका यदि निषेध करना चाहता है, युक्तियोंसे उस पदार्थका निषेध उससे नहीं सध सके तो वह पुरुष उस तत्त्वका संशय बने रहनेमें ही पूरा उद्योग लगा देता है। शास्त्रार्थ करनेवाले या भिक्ती (कुरती) छडनेवाले धूर्त पुरुषोंमें ऐसा विचार बहुभाग हो जाता है। उसी प्रकार बौद्धोंका यों मन्तव्य होनेपर तो हम कहेंगे कि तो भी तुम्हारा माना गया सम्वेदनाद्वैत मला संशय रहित होता हुआ कैसे सिद्ध होगा ? इस बातको कुछ काळतक चिन्तन करो। भावार्थ—कुछ काळ विचार लेने पश्चात् अनेक भले भटके मानव सुमार्गपर आ जाते हैं। जब अन्य ज्ञानों और ज्ञेयोंके सद्भावकी सम्भावना बनी हुयी है, ऐसी दशामें शुद्ध ज्ञानद्वैतका ही निर्णय कथमपि नहीं हो सकता है। प्रायश्चित्तके योग्य विषयोंमें उस पाप अनुष्ठानकी शंका उत्पन्न हो जानेपर भी विधिकी धोर बल लगाकर प्रायश्चित्त करना आवश्यक बताया है। अतः प्रथम पक्षके अनुसार अनुभूयमान हान, इन अन्य सन्तानों या स्वसन्तान ज्ञानोंका निराकरण अपने विधानकी मुदयताकरके नहीं कर सकता है। यों पहिला पक्ष गया। अब द्वितीय पक्षका विचार चलाते हैं।

संवेदनान्तरं प्रतिषेधमुखेन निराकरोतीति द्वितीयकल्पनायां पुनरद्वैतवेदनसिद्धिर्दो-  
रसारितैव तत्प्रतिषेधज्ञानस्य द्वितीयस्य भावात् ।

अनुभूयमान न्यारा सम्वेदन यदि प्रतिषेधकी ओर मुख करके अन्य ज्ञेयोंका निराकरण करता है, इस प्रकार द्वितीय कल्पनाको आप बौद्ध इष्ट करोगे तब तो फिर अद्वैत सम्वेदनकी सिद्धि होना दूर ही फेंक दिया जायगा। क्योंकि स्वकीय विधिकी ही करनेवाले ज्ञानके अतिरिक्त दूसरा उन

क्षणिक विज्ञान विद्यमान है। अब आचार्य कहते हैं कि उक्त प्रकार जो योगाचारोंका मन्तव्य है, वह असत् है। क्योंकि भिन्न भिन्न स्वसंतानके ज्ञान और परसन्तानोंके क्षणिकज्ञान ये अपने अपने केवल स्वरूपको प्रकाशनेमें चरितार्थ हो रहे हैं। इस बातको रमय अनुभव जा रहे वर्तमानकालके सम्बेदनसे तो निश्चय करनेके लिये अशक्यता है। अर्थात्—वर्तमानकालका ज्ञान इतने मन्तव्यको नहीं जान सकता है कि “तीन कालवर्ती स्वसन्तान परसन्तानके सभी क्षणिकज्ञान अपने अपने केवल स्वीय शरीरको ही प्रकाशनेमें निमग्न हैं। ज्ञेय अर्थोंको विषय नहीं करते हैं” तीन लोक तीन कालोंमें असंख्यज्ञान पडे हुये हैं। सम्भव है वे विषयोंको जानते होंगे। मला प्राण विषयके बिना क्षणिक विज्ञान उक्त विषयको कैसे जान सकता है? क्या कन्याके बिना ही घर अग्ना विवाह अपने आप कर सकता है? अर्थात्—नहीं। यदि आप बौद्धोंका कोई भी ज्ञान उक्त सिद्धान्तको विषय कर लेगा तब तो वही ज्ञान बहिरंग विषयकी अपेक्षा सालम्बन हो गया। यदि नहीं जानेगा तो सम्पूर्ण ज्ञानोंका स्वरूप मात्रको प्रकाशना सिद्ध नहीं हो पायगा।

विवादाध्यासितानि स्वरूपसन्तानज्ञानानि स्वरूपमानपर्यवसितानि ज्ञानत्वात्स्वसंबे-  
दनवादित्यनुमानात्तथा निश्चय इति चेत्, तस्यानुमानज्ञानस्य प्रकृतसालम्बनत्वेऽनेनैव  
हेतोर्भूमिचारात्स्वरूपमात्रपर्यवसितत्वे प्रकृतसाध्यस्यास्मादसिद्धेः।

योगाचार बौद्ध अपने मन्तव्यको पुष्ट करनेके लिये अनुमान बनाते हैं कि विन द्रमै प्राप्त हो रहे स्वसन्तान और परसन्तानके त्रिकालवर्ती सम्पूर्ण क्षणिक विज्ञान ( पक्ष ) केवल स्वीयस्वरूपके प्रकाश करनेमें लब्धोन्नत हो रहे हैं ( साध्य ) ज्ञानपना होनेसे ( हेतु ) जैसे कि स्वसम्बेदन ज्ञान ( दृष्टान्त ) अर्थात्—ज्ञान ही को जाननेवाला जैसे स्वसम्बेदन ज्ञान किती बहिरंग तत्त्वको नहीं जानता है, उसी प्रकार घटज्ञान, स्वसन्तानज्ञान, दूसरे भिन्नदत्त आदिकी सन्तानोंका ज्ञान, ये सब स्वीय ज्ञानशरीरको ही विषय करते हैं। अन्य ज्ञेयोंको नहीं छूने हैं। इस प्रकार बौद्धोंके कहने पर तो हम जैन पूछने हैं कि उस अनुमान ज्ञानको यदि प्रकरणप्राप्त साध्य हो रहे स्वरूपमात्र निमग्नपन कालके सालम्बनपना माना जायगा, तब तो इस अनुमानज्ञानकरके ही ज्ञानत्व हेतुका व्यभिचार होता है। देखिये, इन अनुमानमें ज्ञानपन हेतु तो रह गया और केवल अपने स्वरूपमें लब्धोन्नतपना साध्य नहीं रहा। क्योंकि इनने अपने स्वरूपके अतिरिक्त साध्यका ज्ञान भी करा दिया है। यदि इन व्यभिचारके निवारणार्थ इन अनुमान ज्ञानको भी स्वरूपमात्रके प्रकाशनेमें ही लगा हुआ निर्विषय मानोगे, अपने विषयभूत साध्यका ज्ञानन करनेवाला नहीं मानोगे तो इस अनुमानसे प्रकरणप्राप्त साध्य हो रहे स्वरूपमात्र प्रकाशनकी सिद्धि नहीं हो सकेगी। इसको आप बौद्ध स्वयं विचार सकते हैं।

संबेदनादित्स्वैवं मतिद्वैस्तथापि न सर्वशून्यत्वापत्तिरिति मन्वमानं मत्याह।

फिर भी बौद्ध यदि यों मानते रहें कि क्या हुआ द्वितीयपक्ष अनुसार भले साध्यकी सिद्धि मत हो किन्तु फिर भी इस प्रकार शुद्ध सम्बेदनद्वैतकी बढिया सिद्धि हो ही जाती है । तिस प्रकार होनेपर भी जैनोंकी ओरसे दिया गया सर्वशून्यपनेका प्रसंग तो नहीं आया । शुद्ध क्षणिक ज्ञानपरमाणुओंका अद्वैत प्रसिद्ध हो रहा है । इस प्रकार मान रहे बौद्धोंके प्रति श्रीविद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं ।

**न चैवं सम्भवेदिष्टमद्वयं ज्ञानमुत्तमम् ।**

**ततोऽन्यस्य निराकर्तुमशक्तेस्तेन सर्वथा ॥ १० ॥**

इस प्रकार ज्ञानोंका अद्वैत उत्तररूपसे इष्ट हो रहा भी नहीं सम्भवता है । क्योंकि तिस शुद्ध ज्ञान करके उस ज्ञानसे भिन्न हो रहे घट, पट, स्वसन्तान, परसन्तान आदि विषयोंका सर्वथा निराकरण नहीं किया जा सकता है । अर्थात्—जो केवल स्वको ही प्रकाशनेमें निमग्न हो रहा सन्ता अन्य कार्यके लिये क्षीणशक्तिरु हो गया है, वह ज्ञान बहिरंग और अन्तरंग प्राण पदार्थोंका किसी भी प्रकारसे निराकरण नहीं कर सकता है ।

**यथैव हि सन्तानान्तराणि स्वसन्तानवेदनानि चानुभूयमानेन संवेदनेन सर्वथा विधातुं न शक्यन्ते तथा प्रतिषिद्धुमपि ।**

जिस ही प्रकार वर्तमान कालमें अनुभवे जा रहे सम्बेदन करके अन्य सन्तानोंके ज्ञानों और अपनी ज्ञानमात्रारूप सन्तानके विज्ञानोंकी विधि करानेके लिये शक्ति सर्वथा नहीं है । क्योंकि आप बौद्धोंने वर्तमान ज्ञानको केवल स्वशरीरको ही प्रकाशनेमें प्यानारूढ माना है । जो मोटा सेठ केवल अपने शरीरको ही होनेमें पूरी शक्तियां लगा रहा है, वह भला दो चार कोसतक अन्य मांड़े, बल आदिकोंको कैसे लादकर चल सकेगा ? अर्थात्—नहीं । अतः कोई भी वर्तमान में अनुभवा जा रहा ज्ञान किसी भी अन्य सन्तान और स्वसन्तानके ज्ञानोंका विधान नहीं कर सकता है । उसी प्रकार वह ज्ञान अन्तरंग बहिरंग ज्ञेयोंके निषेध करनेके लिये भी समर्थ नहीं हो सकता है । जो जिसका विधान नहीं कर सकता है, वह उसका काचित् निषेध भी नहीं कर सकता है । “ येन यज्जुहोते तदभावस्तेनैव परिगृह्यते ” ।

**तद्धि तानि निराकुर्वदात्ममात्रविधानमुखेन वा सत्प्रतिषेधमुखेन वा निराकुर्यात् ।**  
**प्रथमकल्पनायां दूषणमाह ।**

भडा आप बौद्ध विचारो तो सही कि वह अनुभवा जा रहा ज्ञान यदि उन न्यारा स्वपर सन्तानोंका निराकरण भी करेगा तो क्या केवल अपनी विधिके मुख करके उनका निषेध करेगा ? अथवा उन अन्य पदार्थोंके निषेधकी मुरुपता करके निषेधेगा ? यताशो ! प्रथम कल्पना इष्ट करने पर तो जो दूषण आते हैं, उनको श्री विद्यानन्द आचार्य धार्तिकद्वारा कहते हैं सो सुनो ।

स्वतो न तस्य संवित्तिरन्यस्य स्यान्निराकृतिः ।

किमन्यस्य स्वसंवित्तिरन्यस्य स्यान्निराकृतिः ॥ ११ ॥

उस अनुभूयमान सम्बेदनकी स्वोन्मुख स्वयं अपने आपसे केवल अपनी ही सन्धिचि होना तो अन्य पदार्थोंका निराकरण करना नहीं हो सकेगा । मला विचारनेकी बात है कि क्या अन्य पदार्थोंकी स्वसंविद्धि उससे दूसरे पदार्थोंका निषेधस्वरूप हो सकती है ? कभी नहीं, अपने कानोंसे अपनी आँखोंको ढक लेनेवाले मयमीन शश ( खरगोश ) की अपेक्षा कोई अन्य मनुष्य पण्डशोंका निषेध नहीं हो जाता है । पुस्तकके सद्भावकी जान लेना चौकीका निषेधक नहीं है । निर्विकल्पक समाधिको धारनेवाले साधु शुद्ध आत्माको ही जाननेमें एकाम हो रहे हैं । एतावता जगत्के अन्य पदार्थोंका निषेध नहीं हो सकता है ।

स्वयं संवेद्यमानस्य कथमन्यैर्निराकृतिः ।

परैः संवेद्यमानस्य भवतां सा कथं मता ॥ १२ ॥

स्वकीय ज्ञानसन्तान अथवा परकीय ज्ञानसन्तान जो स्वयं भले प्रकार जाने जा रहे हैं, उनका अन्य ज्ञानोंकरके मला निराकरण कैसे हो सकता है ? देवदत्तके ज्ञान, इच्छा, दुःख, सुख आदिक जो स्वयं देवदत्तद्वारा जाने जा रहे हैं, उनका यज्ञदत्तद्वारा निषेध नहीं किया जा सकता है । हम नहीं समझते हैं कि आर बौद्धोंके यहा दूसरोंके द्वारा सम्बेदन किये जा रहे पदार्थका अन्योत्तरके निराकरण कर देना कैसे मान लिया गया है ? बात यह है जो तुच्छदर्शक स्वयं अपने शरीरमें ही घोडासा टिमटिमा रहा है, वह अन्य पदार्थोंकी निराकृति नहीं कर सकता है । अन्योत्तरके निषेध करनेके लिये बही मारी सामग्रीकी आवश्यकता है ।

परैः संवेद्यमानं वेदनमस्तीति ज्ञातुमशक्तेस्तस्य निराकृतिरस्माकं मतेति चेत्, तर्हि तन्नास्तीति ज्ञातुमशक्तेस्तद्व्यवस्थितिः किञ्च मता । ननु तदस्तीति ज्ञातुमशक्यत्वेव तन्नास्तीति ज्ञातुं शक्तिरिति चेत् तन्नास्तीति ज्ञातुमशक्यत्वेव तदस्तीति ज्ञातुं शक्तिरस्तु विशेषाभावात् ।

यदि बौद्ध यों कहें कि दूसरोंके द्वारा सम्बेदन किये जा रहे ज्ञान हैं, इस बातको हम नहीं जान सकते हैं, अतः उन अन्य वेद्यज्ञानोंका निराकरण हो जाना हमारे यहा मान लिया गया है । इस प्रकार बौद्धोंके कहनेपर तो हम जैन कहेंगे कि दूसरोंसे सम्बेदे जा रहे वे ज्ञान "नहीं हैं" इसको भी तो हम नहीं जान सकते हैं । अतः उन ज्ञानोंके सद्भावकी व्यवस्था क्यों नहीं मान ली जाय ! हम छत्रस्थ जीव यदि परमाणु, पुण्य, पाप, परकीय सुख, दुःख, आदिकोंकी विधि नहीं कर सकते हैं तो उनका निषेध भी नहीं कर सकते हैं । यदि बौद्ध अपने मन्तव्यका फिर



अवधारण यों करें कि दूसरोसे जानने योग्य कहे जा रहे थे ज्ञान “ हैं ” इस बातको नहीं जान सकना ही “ वे नहीं हैं ” इस बातको जाननेकी शक्ति है। जैसे कि खरविषाणका नहीं जान सकना ही खरविषाणके नास्ति वक्तो जाननेके लिये शक्यता मानी गयी है। इस प्रकार बौद्धोंके हठ करनेपर तो हम जैन भी कह देंगे कि उन अन्योंकरके जाने जा रहे ज्ञान “ नहीं हैं ” इस बातको जाननेके लिये अशक्यता ही “ वे ज्ञान हैं ” इस बातको जाननेके लिये शक्ति हो जाओ, कोई अन्तर नहीं है। भावार्थ—किसी कृपण धनीके धनाभावको जाननेकी अशक्यता ही धनके सद्भावको जाननेकी शक्ति है। किसी पदार्थकी विधिको जाननेके लिये अशक्यता जैसे उसके नियेवको जाननेकी शक्यता है, उसी प्रकार नियेवको जाननेकी अशक्यता भी विधिकी निर्णायक शक्ति है। दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है।

यदि पुनस्तदस्तिनास्तीति वा हातुमशक्तेः संदिग्धमिति मतिस्तदापि कथं संवेदना-  
द्वैतं सिद्ध्येदसंशयमिति चिन्त्यतां ।

यदि फिर तुम योगाचार बौद्धोंका यह विचार हो कि वे स-तानुन्तरोंके ज्ञान एवं अपने ज्ञान “ हैं अथवा नहीं हैं ” इन वाचको निर्णायकपसे नहीं जाननेके कारण उन ज्ञानोंके सद्भाव का संदेह प्राप्त हो जाओ “ एकान्तनिर्णयाद्वरं संशयः ”। कोई पुरुष किसी पदार्थका यदि निषेध करना चाहता है, युक्तिपोंसे उस पदार्थका निषेध उससे नहीं सध सके तो वह पुरुष उस तत्वका संशय बने रहनेमें ही पूरा उद्योग लगा देता है। शास्त्रार्थ करनेवाले या भिक्त्वा (कुसती) छडनेवाले पूर्ण पुरुषोंमें ऐसी विचार बहुमाग हो जाता है। उसी प्रकार बौद्धोंका यों मन्तव्य होनेपर तो हम कहेंगे कि तो भी तुम्हारा माना गया सम्भेदनाद्वैत भला संशय रहित होता हुआ कैसे सिद्ध होगा ! इस बातको कुछ कालतक चिन्तन करो। भावार्थ—कुछ काल विचार लेने पश्चात् अनेक मूले भटके मानव सुमार्गपर आ जाते हैं। जब अन्य ज्ञानों और ज्ञेयोंके सद्भावकी सम्भावना बनी हुयी है, ऐसी दशामें शुद्ध ज्ञानाद्वैतका ही निर्णय कथमपि नहीं हो सकता है। प्रायश्चित्तके योग्य धियोंमें उस पाप अनुष्ठानकी शंका उत्पन्न हो जानेपर भी विधिकी ओर बल लगाकर प्रायश्चित्त करना आवश्यक बताया है। अतः प्रथम पक्षके अनुसार अनुभूयमान ज्ञान, इन अन्य सन्तानों या स्वसन्तान ज्ञानोंका निराकरण अपने विधानकी मुख्यताकरके नहीं कर सकता है। यों पहिला पक्ष गया। अब द्वितीय पक्षका विचार चलाते हैं।

संवेदानान्तरं प्रतिषेधमुखेन निराकरोतीति द्वितीयकल्पनायां पुनरद्वैतवेदनसिद्धिर्दो-  
रस्यारितैव सत्प्रतिषेधज्ञानस्य द्वितीयस्य भावात् ।

अनुभूयमान न्यारा सम्भेदन यदि प्रतिषेधकी ओर मुख करके अन्य ज्ञेयोंका निराकरण करता है, इस प्रकार द्वितीय कल्पनाको आप बौद्ध इष्ट करोगे तब तो फिर अद्वैत सम्भेदनकी सिद्धि होना दूर ही फेंक दिया जायगा। क्योंकि स्वकीय विधिकी

अन्य ज्ञेयोंके प्रतिषेधको जाननेवाला ज्ञान विद्यमान हो रहा है। दो ज्ञानोंके होनेपर अद्वैत भला कहा रहा ? द्वैत होगया।

स्वयं तत्प्रतिषेधकरणाददोष इति चेत्, तर्हि स्वपरविधिप्रतिषेधविषयमेकसंबेदन-मित्यापातं। तथा चैरूपेव वस्तुसाध्यं साधनं वापेक्षतः कार्यं कारणं च, बाध्यं बाधकं चेत्यादि किञ्च सिध्येत्।

यदि बौद्ध यों कहें कि स्वकी विधिको करनेवाला वह सम्बेदन स्वयं अकेला अन्य ज्ञान या ज्ञेयोंका प्रतिषेध कर देता है। अतः हमारे ज्ञान अद्वैत सिद्धातमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार कहनेपर तो हम जैन कहेंगे कि तब तो स्वरूपकी विधिको और पररूपके निषेधको विषय करनेवाला एक ही सम्बेदन हुआ। इस प्रकार अनेक धर्मवाले एकधर्मो पदार्थके माननेका प्रसंग प्राप्त हुआ, जो कि जैनसिद्धान्त है। और तैसा होनेपर स्याद्वाद सिद्धात अनुसार एक ही वस्तु साध्य अथवा साधन भी अपेक्षाओंसे क्यों नहीं सध जायगी ? एक ही ज्ञान साध्य और साधन ही सकता है। घूमहेतु अकेला ही कंठाक्षविशेषकारिण्य हेतुका साध्य और वहिका साधन हो जाता है। अथवा कारक पक्ष अनुसार घूम वहिका साध्य है। और ज्ञापक पक्ष अनुसार अग्निका घूम साधन है। तथा एक ही पदार्थ अपने कारणोंका कार्य और अपने कार्योंका कारण बन जाता है। इसी प्रकार मन्त्रियोंकी बाधक मकड़ी है। साध्यमें वह मकड़ी चैरैयाओंसे बाध्य भी है। सज्जनोंको दुष्ट पुरुष बाधा पहुँचाते हैं। साध ही में योग्य राजवर्गद्वारा वे दुष्टपुरुष भी बाधित किये जाते हैं। ऐसे ही आधारअधेय, गुरुशिष्य विषयविषयी आदिक भी अपेक्षाओंसे एक एक ही पदार्थ हो जाते हैं। यह अनेकान्त शासन क्यों नहीं सिद्ध हो जाय ? कोई बाधा नहीं दीखती है। अपनी रक्षाके लिये अनेकान्तकी शरण ले ली जाय, और अन्य अवसरोंपर तोताकीसी आँखे फेर ली जाय, यह न्यायमार्ग नहीं दीखता है।

विरुद्धधर्माध्यासादिति चेत्, तत एव संबेदनमेकं स्वपररूपविधिप्रतिषेधविषयं माभूत्स्वापेक्षाविधायकं परापेक्षया प्रतिषेधकमित्यविरोधे स्वकार्यापेक्षया कारणं स्वकारणापेक्षया कार्यमित्यविरोधोऽस्तु।

यदि बौद्ध यों कहें कि विरुद्ध धर्मोंसे आलीढ हो जानेके कारण एक ही पदार्थ साध्य और साधन भी अथवा कार्य और कारण भी आदि नहीं हो सकता है। जिससे कि जिनशासन सिद्ध हो जाय। अनेकान्तमें विरोध दोष खगू होता है। इस प्रकार बौद्धोंके कहनेपर तो हम कहेंगे कि तिस ही कारण एक सम्बेदन भी स्वरूपकी विधि और पररूपके निषेधको विषय करनेवाला नहीं होओ। यहाँ भी तो सम्बेदनमें विधायकपन और निषेधकपन दो विरुद्ध धर्मोंका अन्यास है। यदि आप बौद्ध यों कहें कि अपने स्वरूपकी अपेक्षा विधायकपन और पररूपकी अपेक्षा निषेधकपन इन दो धर्मोंको इस प्रकार माननेपर कोई विरोध नहीं है। तब तो हम अनेकान्तवादी भी कहें देंगे

कि अपने कार्योकी अपेक्षाकरके कारणपना और अपने कारणोंकी अपेक्षा करके कार्यपना भी एक पदार्थमें विरोधरहित हो जाओ। अपने गुरुकी अपेक्षासे जिनदत्त शिष्य है, और साथ ही अपने पढाये हुए शिष्योंकी अपेक्षासे वही जिनदत्त गुरु भी है।

अथ स्वतोऽन्यस्य कार्यस्य कारणस्य वा साध्यस्य साधकस्य वा सद्भावासिद्धेः कथं तदपेक्षा यतस्तत्कार्यं कारणं वाध्यं बाधकं च साध्यं साधनं च स्यादिति श्रूते तर्हि परस्य सद्भावासिद्धेः कथं तदपेक्षा यतस्तत्परस्य प्रतिषेधकं स्वविधायकं वा स्यादिरूप-हासास्पर्दं तत्त्वं सुगतेन भावितमित्याह ।

अब आप यदि यों कहो कि स्वयं ज्ञानाद्वैतकी अपेक्षासे तो अन्य हो रहे कार्यकी और कारणकी अथवा साध्य और साधककी सत्ता ही असिद्ध है। अतः उन अन्य पदार्थोंकी भला अपेक्षा कैसे हो सकती है ? जिससे कि एक पदार्थ ही अपेक्षाकृत कार्य और कारण अथवा बाध्य और बाधक तथा साध्य और साधन हो सके, यों बौद्ध कह रहा है। इस प्रकार बौद्धोंकी स्पष्ट युक्ति होनेपर तो हम कहते हैं कि तब तो परके सद्भावकी असिद्धि हो जानेके कारण किस प्रकार उस परकी अपेक्षा हो सकेगी ? जिससे कि वह एक ही सम्बन्धन परका निषेध करनेवाला और स्व का विधान करानेवाला हो सके, इस प्रकार ईसी करानेका स्यान् ऐसा तत्त्व बुद्धकरके मायना किया गया है, इसी बातको श्री विद्यानन्द आचार्य महाराज बार्तिकद्वारा स्पष्ट कहते हैं।

न साध्यसाधनत्वादिर्न च सत्येतरस्थितिः ।

ते स्वसिद्धिरपीत्येतत्त्वं सुगतभावितम् ॥ १३ ॥

सुप्त ज्ञानाद्वैतवादियोंके यहाँ साध्यपन, साधनपन, कार्यपन, कारणपन, बाध्यपन, बाधकपन आदिकी व्यवस्था नहीं है। और सत्य असत्यकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी दशामें तुम्हारे दृष्ट स्वरूप सम्बन्धनकी सिद्धि नहीं हो सकती है। इस कारण यह ध्वनिक शुद्ध विज्ञानाद्वैत स्वरूप तत्त्व को सुगतने श्रुतमयी, चिन्तामयी, भावनाओद्वारा अज्ञा विचारा है। यह उपहासपूर्ण कथन है। अर्थात्—नसजिदको ढाकर एक सड़ी डुयी खेडोको निकालनेके समान लम्बी, चौड़ी, दीर्घ जालिक, मायनाओद्वारा यह निःसार विज्ञानाद्वैतका सिद्धान्त निकाला गया है। इसपर विद्वानोंको ईंती आती है। जो सध्य और साधनोंको अथवा बाध्य और बाधकोंको नहीं स्वीकार करता है, वह अद्वैत सम्बन्धनकी सिद्धि कथमपि नहीं कर सकता है।

ततः स्वस्वरसिद्धिविच्छेदात् सत्येतरस्थितिरङ्गीकर्तव्या साध्यसाधनत्वादिरपि स्वी-  
करणीय इति शास्त्रार्थलम्बनाः प्रत्ययाः केचित्सन्त्येव, सर्वथा तेषां निराद्यन्वयत्वस्य  
व्यवस्थानायोगात् ।

तिस कारण सन्वेदनके स्वरूपकी सिद्धिको चाहनेवाले बौद्धों करके सत्यपन और असत्यपनकी व्यवस्था स्वीकार करना चाहिये। तमी सन्वेदनाद्वैतका सत्यपन और अन्य अन्तरंग बहिरंग पदार्थोंका असत्यपन स्थिर रह सकेगा। तथा सन्वेदनको साध्यपना और प्रतिमासमानत्वको साधनपना भी मानना चाहिये। इसी प्रकार पूर्वपर्यायको कारणपना और उत्तरपर्यायको कार्यपना या अद्वैतको साध्यपना और अद्वैतको बाधकपना आदि भी स्वीकार करने चाहिये। इस प्रकार माननेपर कोई कोई ज्ञान बहिरंग अर्थोंको भी विषय करनेवाले हैं ही। उन घटज्ञान, देवदत्तज्ञान आदिक प्रत्ययोंका सर्वथा निरात्मत्वपनेकी व्यवस्था करनेका तुम्हारे पास कोई समीचीन योग नहीं है। खाने, पीने, पढ़ने पढ़ाने, रूप, रस, आदिके समीचीन ज्ञान अपने अपने विषय हो रहे बहिरंग पदार्थोंसे आत्मत्वन सहित हैं। नंगे हाथपर अग्निके धरदेनेपर हुआ उष्णताका प्रत्यक्ष या दुःखसंवेदन कोरा निर्विषय नहीं है। कीट, पतंग, बाळक व बालिका भी इन ज्ञानोंको सविषय स्वीकार करते हैं।

अक्षज्ञानं बहिर्वस्तु वेत्ति न स्मरणादिकं ।

इत्ययुक्तं प्रमाणेन बाह्यार्थस्यास्य साधनात् ॥ १४ ॥

अब कोई दूसरे विद्वान कह रहे हैं कि मतिज्ञानमें इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए ज्ञान तो बहिरंग पदार्थोंको जानते हैं किन्तु स्मरण, प्रत्यभिज्ञान आदिक तो बहिरंग पदार्थोंको नहीं जानते हैं। और श्रुतज्ञान भी बहिर्भूत पदार्थोंको विषय नहीं करता है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार किसीका कहना युक्तियोंसे रीता है। क्योंकि प्रमाणोंकरके इस बहिर्भूत अर्थोंकी सिद्धि की जा चुकी है। उन वास्तविक बाह्य अर्थोंको विषय करनेवाले सभी समीचीन मतिज्ञान और श्रुतज्ञान हैं। हा, जो ज्ञान विषयोंको नहीं स्पर्शते हैं, वे मतिज्ञानाभास और श्रुतज्ञानाभास हैं।

श्रुतं तु बाह्यार्थात्मत्वं कथमित्युच्यते ।

कोई पूछता है कि श्रुतज्ञान तो बाह्यार्थोंको विषय करनेवाला कैसे है ! इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्वानन्द आचार्य द्वारा स्पष्ट उत्तर यों वक्ष्यमाणरूपसे कहा जाता है सो सुनो ।

श्रुतेनार्थं परिच्छिद्य वर्तमानो न बाध्यते ।

अक्षजेनेव तत्तस्य बाह्यार्थात्मत्वंना स्थितिः ॥ १५ ॥

श्रुतज्ञान करके अर्थोंकी परिच्छिद्यि कर प्रवृत्ति करनेवाला पुरुष अर्थक्रिया करनेमें उसी प्रकार बाध्यको नहीं प्राप्त होता है जैसे कि इन्द्रियजन्य मतिज्ञान करके अर्थोंको जानकर प्रवर्त रहा पुरुष बाधाको प्राप्त नहीं होता है। भावार्थ—चक्षुसे आप्तकलको देखकर प्रवृत्ति करनेसे आम ही पकड़ा जाता है। चला जाता है, संचा जाता है, उसी प्रकार श्रुतज्ञानसे जान लिया गया पदार्थ

भी सन्दूक, जेब, अंधेरे कोठेमेंसे पकड़ लिया जाता है। तिस कारण उस श्रुतज्ञानको वहिरंग अर्थोंके आलम्बन करनेकी व्यवस्था बन जाती है।

**सामान्यमेव श्रुतं प्रकाशयति विशेषमेव परस्परनिरपेक्षमुभयमेवेति वा शंकापपाकरोति।**

अब दूसरे प्रकारकी शंका है कि “जातिः पदस्यार्थः” श्रुतज्ञान अकेले सामान्यका ही प्रकाश कराता है। श्रुतज्ञानसे अग्निको जानकर उसके विशेष हो रहे एक विद्युत्की, तृणकी, पत्तेकी, अग्नि आदिको नहीं जान सकते हैं। दूर देश अथवा दूर कालकी बातोंको सुनकर सामान्य रूप ही पदार्थोंका ज्ञान होता है, इस प्रकार मीमांसक कह रहे हैं। तथा बौद्धोंका यह एकान्त है कि “विशेषा एव तत्त्वं” सभी पदार्थ विशेषस्वरूप हैं, सामान्य कोई वस्तुभूत नहीं है, अतः श्रुतज्ञान द्वारा यदि कोई पदार्थ ठीक जाना जायगा तो वह विशेष ही होगा। तीसरे वैशेषिकों नेयायिकोंका यह कड़ना है कि परस्परमें एक दूसरेकी अपेक्षा नहीं करते हुये सामान्य और विशेष दोनोंका भी श्रुतज्ञान प्रकाश करा देता है। “जात्याकृतिर्व्यक्तयः पदार्थः” सामान्य चौथा स्वतंत्र पदार्थ है और विशेष पांचवां स्वतंत्र पदार्थ है। किसी श्रुतज्ञानसे सामान्य जाना जाता है और अन्य किसी श्रुतसे अकेला विशेष ही जाना जाता है अथवा कोई श्रुतज्ञान घट, पटके समान स्वतंत्र हो रहे दोनोंको भी भेजे ही जान लेता है। किन्तु जैनोंके समान वैशेषिकोंके यहां परस्परमें एक दूसरेकी अपेक्षा रखनेवाले सामान्य और विशेष पदार्थ नहीं माने गये हैं। इस प्रकार एकान्तवादियोंकी आशंकाओंका निराकरण श्री विद्यानन्द स्वामी करते हैं।

**अनेकान्तात्मकं वस्तु संप्रकाशयति श्रुतं।**

**सद्बोधत्वाद्यथाक्षोत्थबोध इत्युपपत्तिमत् ॥ १६ ॥**

सामान्य और विशेषस्वरूप अनेक धर्मोंके साथ तदात्मक हो रही वस्तुको श्रुतज्ञान भले प्रकार प्रकाशित करता है (प्रतिज्ञा) समीचीन बोधपना होनेसे (हेतु) जिस प्रकार कि इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुआ सांप्रबुद्धिक प्रत्यक्षज्ञान अनेकान्तात्मक अर्थका प्रकाश करता है। इस प्रकार वह श्रुतज्ञान सामान्य विशेषात्मक वस्तुको प्रकाशनेमें युक्तियोंसे युक्त है, यानी युक्तियोंको धार रहा है।

**नयेन व्यभिचारश्चेन्न तस्य गुणभावतः।**

**स्वगोचरार्थधर्मान्यधर्म्यर्थप्रकाशनात् ॥ १७ ॥**

ऊपर कहे गये अनुमानमें दिये गये समीचीन ज्ञानपद-हेतुका नय करके व्यभिचार हो जाय कि नयज्ञान समीचीन बोध तो है। किन्तु यह अनेकान्त-वस्तुको नहीं प्रकाशता है। अनेकान्तको जाननेवाला ज्ञान जैनोंके प्रमाणज्ञान माना है। नय तो एकान्त यानी एक एक धर्मको

प्रकाश करती है। सो यह व्यभिचार दोष तो नहीं समझना। क्योंकि उस नपञ्चानको अपने विषयभूत अर्थ धर्मसे अतिरिक्त धर्मोक्त अर्थका प्रकाश कराना मात्र गौणरूपसे मान लिया गया है। माथार्थ—प्रमाणज्ञान मुख्यरूपसे अनेक धर्मों और धर्मों अर्थको जानता है। किन्तु नपञ्चान मुख्यरूपसे एक धर्मको जानता है और गौणरूपसे वस्तुके अन्य धर्मों या धर्मोंका भी प्रकाश करा देता है। सुनपञ्चान अन्य धर्मोंका निषेधक नहीं है। अथवा एक बात यह भी है कि सद्बोधपना हेतु प्रमाणज्ञानोंमें ही वर्तता है। नप तो सद्बोधका एक देश है। वस्तुके अंशको प्रकाशनेवाली नप धर्मों वस्तुका अच्छा मुख्य प्रकाश नहीं फाती है। अतः हेतुके नहीं रहनेपर साप्यके नहीं ठहरनेसे व्यभिचार दोष नहीं आ पाता है।

श्रुतस्यावस्तुवेदित्वे परप्रत्यायनं कृतः ।

संवृतेश्चेद्वृथैवैषा परमार्थस्य निश्चितेः ॥ १८ ॥

बौद्धलोग प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मानते हैं। अवस्तुभूत सामान्यकी विषय करने मला श्रुतज्ञान प्रमाण नहीं है। इसपर आचार्य कहते हैं कि श्रुतज्ञानको यदि वस्तुभूत पदार्थका ज्ञापक नहीं माना जावेगा तो मला दूसरे प्रतिवादी या शिष्योंको स्वकीय तर्कोंका किस उपायसे ज्ञान कराया जावेगा। अप्रमाणमूल न्यायविन्दु, पिटकत्रय आदि ग्रन्थोंकरके तो दूसरोंका समझाना नहीं हो सकेगा। अतः अतीन्द्रिय पदार्थोंको समझानेके लिये बौद्धोंके पास कोई उपाय नहीं। यदि वस्तुतः नहीं किन्तु सम्बृत्ति यादी लौकिक व्यवहारकी अपेक्षासे श्रुतज्ञानद्वारा दूसरोंका समझाना मान लिया जायगा, तब तो हम कहेंगे कि यह सम्बृत्ति तो वृथा ही है। जो सम्बृत्ति झूठी है, अनिश्चित है, वृथा है, करना रूप है, उससे परमार्थ वस्तुका निश्चय मग कैसे हो सकता है? किन्तु शास्त्रोंद्वारा परमार्थका निश्चय हो रहा है। दूसरोंका ठीक समझना भी हो रहा है। अतः ठीक वस्तुको जान रहा श्रुतज्ञान प्रमाण है।

ननु स्वत एव परमार्थव्यवस्थितेः कुतश्चिद्विद्याप्रस्रयास्य पुनः श्रुतविकल्पान् ननुक्तं  
 “शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदैरविद्यैवोपवर्ण्यते। अनागमविकल्पना हि स्वयं विद्योपवर्चत” इति तद-  
 युक्तं, परेष्टतत्रस्याप्रत्यक्षविषयत्वाच्चद्विपरीतस्यानेकान्तात्मनो वस्तुनः सर्वदा परस्याप्य-  
 वभासनात्। लिङ्गस्य स्वस्वाङ्गीकरणीयत्वात्। न च तत्र लिङ्गं वास्तवमस्ति तस्य  
 साध्याविनाभावित्वेन प्रत्यक्षत एव प्रतिपन्नुमशक्तेरनुमानान्तरात् प्रतिपत्तावनवस्था  
 प्रसंगात्, प्रवचनादपि नेष्टतत्रव्यवस्थितिः तस्य तद्विषयत्वायोगादिति कथमपि तद्वृत्तेरभावात्  
 स्वतस्तत्रावभासनासम्भवात्। तथा चोक्तं। “प्रत्यक्षबुद्धिः क्रमते न यत्र तद्विज्ञानमर्थं  
 न तदर्थलिङ्गं। वाचो न वा तद्विषये न योगः का तद्वृत्तिः कष्टमशृण्वतस्ते ॥” इति ।

बौद्ध विद्वान् अपने मतका अवधारण करते हैं कि परमार्थभूत पदार्थकी व्यवस्था तो किसी भी अनिर्वचनीय कारण द्वारा अविद्याका प्रकृष्टक्षय हो जानेसे स्वतः ही हो जाती है। किन्तु फिर विकल्पस्वरूप मिथ्या श्रुतज्ञानसे वस्तुभूत अर्थकी व्यवस्था नहीं हो पाती है। वही हम बौद्धोंके यहाँ प्रयोगोंमें कहा गया है कि शास्त्रोंमें भिन्न भिन्न प्रक्रिया द्वारा अविद्या ही कही जा रही है। क्योंकि शब्द विचारे वस्तुभूत अर्थको नहीं छूने हैं। स्वयं सम्प्रज्ञानरूप विद्या तो आगमस्वरूप निर्विषय विकल्पज्ञानोंके नहीं गोचर हो रही सन्ती स्वयं यों ही वर्त जाती है। जैनोंके यहाँ भी तत्त्वको निर्विकल्परूप माना है। अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार बौद्धोंका वह कहना अयुक्त है। क्योंकि आप दूसरे बौद्धोंके यहाँ इष्ट किये गये तत्त्वोंका प्रत्यक्षज्ञान द्वारा गोचर हो जाना नहीं बन सकता है। प्रत्युत उन बौद्धोंके इष्ट क्षणिक विज्ञान आदि तत्त्वोंसे विपरीत हो रहे अनेकान्तात्मक वस्तुका ही सर्वदा प्रत्यक्ष द्वारा दूसरे विद्वानोंको भी प्रतिभास हो रहा है। अतः प्रत्यक्षकी प्रवृत्ति नहीं होनेपर अपने इस अभीष्ट तत्त्वकी छिगद्वारा ज्ञप्ति कराना तुमको अवश्य अंगीकर्त्तव्य होगा। किन्तु उस इष्ट तत्त्वको साधनेमें तुम्हारे पास कोई वस्तुभूत ज्ञापक छिग नहीं है। क्योंकि उस हेतुकी अपने साध्यके साथ अविनाभावीपन करके प्रत्यक्षप्रमाणसे ही तो प्रतिपत्ति नहीं की जा सकती है। क्योंकि व्याप्तिज्ञान तो विचारक है उसको आप प्रमाण नहीं मानते हैं। जो जो धूमवान् प्रदेश हैं वे वे अग्निमान् हैं, इतने विचारोंको विचारा अविचारक प्रत्यक्ष कैसे भी नहीं कर सकता है। यदि साध्यके साथ अविनाभावीपनकी प्रतिपत्ति दूसरे अनुमानसे की जायगी तो उस अनुमानके उदयमें भी व्याप्तिकी आवश्यकता पड़ेगी। फिर भी व्याप्ति जाननेके लिये अन्य अन्य अनुमानोंकी शरण पकड़नेसे अनवस्था दोष आ जानेका प्रसंग होता है, तुम्हारे बौद्धोंके इष्टतत्त्वोंकी व्यवस्था प्रवचन (आगम) से भी नहीं हो सकती है। क्योंकि उस आपके आगमको उन इष्ट पदार्थोंके विषय करनेपनका अयोग है। इस प्रकार तुम्हारे उस इष्टतत्त्वका ज्ञान कैसे भी नहीं हो सकता है। विचारे तत्त्वोंका स्वतः प्रकाश होना तो असम्भव है। अन्यथा यों तो सभी जीवोंको स्वतः घास्तविक तत्त्वोंका ज्ञान हो जावेगा। फिर शास्त्राभ्यास, अभ्यसन, अध्यापन, योगाभ्यास, ध्यान पड़ेगा। जगत्के कोई भी नवीन कार्य स्वतः नहीं हो जाते हैं। ऐसी दृष्टामें आपके परमार्थ तत्त्वकी व्यवस्था असम्भव हो गयी। तिस ही प्रकार प्रयोगोंमें कहा है कि जिस बौद्धोंके माने हूये तत्त्वमें प्रत्यक्षज्ञान चलता नहीं है, और जो तत्त्व ज्ञापक हेतुओं करके भी जानने योग्य नहीं हैं, तथा बौद्धोंने स्वयं उसके जाननेके लिये कोई ज्ञापक हेतु अभीष्ट किया भी नहीं है, क्योंकि बौद्धोंके यहाँ हेतु केवल समारोपका व्यवच्छेद कर देते हैं, वस्तुभूत अज्ञात तत्त्वका ज्ञापन नहीं करते हैं, तथा बौद्धोंने उन अपने इष्ट विषयोंमें वाचक शब्दोंका वाच्यवाचक संबंध नहीं माना है। यानी आगमद्वारा भी इष्ट तत्त्व नहीं जाना जाता है, इस प्रकार प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, इन प्रमाणोंका गोचर नहीं होनेसे अब तुम्हारे उन इष्ट तत्त्वोंकी क्या गति होगी ! अतीन्द्रिय अर्थात्

शास्त्रद्वारा नहीं श्रृणु होना माननेवाले तुम्हारी देयनीय दशापर कष्ट उत्पन्न होता है। यों तुम्हारे ऊपर बड़े कष्टका अवसर आ पडा है। यहातक बौद्धोंके घरके कच्चे चिठ्ठका वर्णन कर दिया है।

तत एव वेद्यवेदकभावः प्रतिपाद्यप्रतिपादकरुभावो वा न परमार्थतः किन्तु संबृत्त्यैवेति चेत्, तदिह महापाष्ट्यं येनायं त्रिष्टिकमपि जयेत्। तथोक्तं। “सष्टृत्या साधयंस्तरवं जयेद्दृष्टाष्ट्येन दिंडिकं। मत्या मत्तविलासिन्या राजपिप्रोपदेशिनं ॥” इति।

बौद्ध कहते हैं कि अच्छा हुआ सच पूछो तो वास्तविक पदार्थोंमें ज्ञानोंकी प्रवृत्ति ही मझी है। तथा परमार्थभूत पदार्थोंका गुरुशिष्यद्वारा या शास्त्रद्वारा समझना, समझाना, भी नहीं हो पाता है। तिस ही कारण तो हमारे यहा वेद्यवेदक मात्र अपना प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव वस्तुतः नहीं माना गया है। किन्तु लौकिक व्यवहारसे ही ज्ञेयज्ञायक भाव और प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव जगत् में कल्पित कर लिया गया है। इस प्रकार बौद्धोंके कहनेपर तो हमें कहना पडता है कि इस प्रकारमें यह बौद्धोंका कहना बडो भारी धीठता है, जिस धीठता करके यह बौद्ध महा निर्लज्ज हंसी करनेवाले भाडोंको भी जीत लेगा। उसी प्रकार ग्रन्थोंमें लिखा हुआ है कि झूठे व्यवहारसे तरबोंको साथ रहा यह बौद्ध अपनी धीठता करके विदूषक या मांड अथवा झोंडावाले (वाद्यविशेष) को भी जीत लेगा। जो डिंडिक मद्मत्तपनेसे विलास करनेवाली बुद्धि करके बड़े भारी विद्वान् राज पुरोहितको भी उपदेश सुनाता रहता है। इस प्रकार उपहास और मर्त्सनासे बौद्धोंके निःसार मतका यहातक दिग्दर्शन कराया है।

कथं वा संबृत्त्यसंबृत्त्योः विभागं बुध्येत् ? संबृत्त्येति चेत्, सा चानिश्चिता तथैव किञ्चिन्निश्चिनोतीति कथमनुमत्तः, सुदूरमपि गत्वा स्वयं किञ्चिन्निश्चिन्वन् परं च निश्चायन्वेद्यवेदकरुभावं प्रतिपाद्यप्रतिपादकरुभावं च परमार्थतः स्वीकर्तुमर्हत्येव, अन्यथोपेक्षणीयत्वप्रसंगात्।

और यह विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध विचारा संवृत्ति यानी व्यवहार सत्य और असंवृत्ति यानी मुख्य सत्य पदार्थोंके विभागकी भला कैसे समझ सकेगा ? अद्वैतवादमें तो बुद्धियोंका न्यारा विभाग होना बन नहीं सकता है। यदि बौद्ध यों कहें कि झूठे व्यवहारसे ही संवृत्ति और असंवृत्तिका विभाग मान लिया जायगा, तब तो हम कहेंगे कि वह संवृत्ति तो स्वयं अनिश्चित है। उस ही करके यह बौद्ध पण्डित किसी पदार्थका निश्चय कर रहा है, ऐसी दशामें तो बौद्ध कैसे उन्मत्त नहीं माना जा सकेगा ? अर्थात्—अनिश्चित पदार्थसे किसी वस्तुका निश्चय करनेवाला पुरुष उन्मत्त ही कहा जाना चाहिये। बहुत दूर भी जाकर यह बौद्ध स्वयं किसीका निश्चय करता हुआ और दूसरे प्रतिपाद्यको यदि अन्य पदार्थका निश्चय कराना मानेगा तब तो वेद्यवेदकभाव और प्रतिपाद्यप्रतिपादकरुभावरुको वास्तविकरूपसे स्वीकार करनेके लिये योग्य हो जाता ही है। स्वयं निश्चय



करनेसे वेदत्रेयकभाव बन गया और परपुरुषको निश्चय करानेसे प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव बन गया । अन्यथा यानी किसी निश्चित प्रमाण या वाक्यसे अनिश्चितका निश्चय कराना नहीं मानोगे अथवा निश्चित किये गये तत्रसे अन्यका निश्चय करना मानते हुए भी वेदत्रेयकभाव और प्रतिपाद्यप्रतिपादक भावको नहीं मानोगे तो विद्वानोंके मध्यमें बौद्धोंको उपेक्षणीयपना प्राप्त हो जानेका प्रसंग होगा । भावार्थ—ऐसे अप्रामाणिक कहनेवाले बौद्धकी अन्य विद्वान् कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे । मूर्ख समझकर टाक दिया करेंगे । जैसे कि मिस्रदेशीय राज्य करनेवाले अधिकारी वर्ग मोंदू स्वदेशीयप्रजाकी पुकारको टाक देते हैं ।

तथा च वस्तुविषयमध्यक्षमिव श्रुतं सिद्धं सद्बोधत्वान्यथानुपपत्तेः ।

तिस कारण प्रत्यक्षके समान श्रुतज्ञान भी वस्तुमूल अर्थको विषय करनेवाला सिद्ध हो जाता है । क्योंकि सद्बोधपना अन्यथा यानी पारमार्थिक पदार्थको विषय करना माने बिना नहीं बन सकता है । अतः सोलहवीं वार्तिकद्वारा किया गया अनुमान युक्तिपूर्ण है । श्रुतज्ञानके विषय वस्तुमूल बहिरंग अर्थ है । अन्तरंग अर्थ और स्वको भी श्रुतज्ञान जानता है ।

तर्हि द्रव्येष्वेव मतिश्रुतयोर्निर्बंधोस्तु तेषामेव वस्तुत्वात् पर्यायाणां परिकल्पितत्वात् पर्यायेष्वेव वा द्रव्यस्यावस्तुत्वादिति च मन्यमानं प्रत्याह ।

कोई एकान्तवादी मान रहे हैं कि तब तो यानी श्रुतज्ञानका साक्ष्यजनपना सिद्ध हो चुकने पर अकेले द्रव्योंमें ही मतिज्ञान और श्रुतज्ञानोंका विषय नियत रहो । क्योंकि उन द्रव्योंको ही वस्तुमूलपना है । पर्यायें तो चारों ओर कल्पनाओंसे यों ही कोरी गढी गयी हैं । पर्याय नहीं हैं, अथवा पर्यायोंमें ही मति श्रुतज्ञानोंकी विषयनियति मानलो द्रव्य तो वस्तुमूल पदार्थ नहीं है । इस प्रकार साभिमान स्वीकार कर रहे, प्रतिवादियोंके प्रति आचार्य महाराज स्पष्ट समाधि-वचन कहते हैं ।

सर्वपर्यायमुक्तानि न स्युर्द्रव्याणि जातुचित् ।

सद्वियुक्ताश्च पर्यायाः शशश्रृंगोच्चतादिवत् ॥ १९ ॥

वस्तुमूल द्रव्यें विचारि सम्पूर्ण पर्यायोंसे रहित कदापि नहीं हो सकती हैं और पर्यायें भी सत् द्रव्यसे कदाचित् भी वियोग प्राप्त नहीं हो सकती हैं । जैसे कि शश ( खगोश ) के सींगकी उच्चाई, चिकनाई, टेढ़ापन आदिक कोई नहीं है । भावार्थ—किसी भी समय द्रव्यकी देखो, वह किसी न किसी पर्यायको धारे हुये हैं । पहिले जन्ममें जिनदत्त देवदत्त पा, अब बाळक है, कुमार पुत्रा आदि अवस्थाओंको धारेगा । इसी प्रकार पुत्रल द्रव्यके सद। ही घट, पट आदि अनेक परिणाम हो रहे हैं । तथा द्रव्यके बिना केवल पर्यायें स्थिर नहीं रहती हैं । आप कलका मण्डपन, सुगंध, पीठपन

आदि पर्यायें पुद्गलद्रव्यके अधीन हैं । ज्ञान, सुख, बन्ध, मोक्ष, पण्डिताई आदिक परिणाम जीव द्रव्यके अधीन हैं । वस्तुतः अनेक पर्यायोंसे गुणित द्रव्य हो रहा है । पर्याय और द्रव्योंका तदारमक विण्ड वस्तुमूल है ।

न सन्ति सर्वपर्यायमुक्तानि द्रव्याणि सर्वपर्यायनिर्मुक्तत्वाच्छश्रृंगवत् । न सन्त्येकान्तपर्यायाः सर्वथा द्रव्यमुक्तत्वाच्छश्रृंगोच्चत्वादिवत् । ततो न तद्विषयत्वं मतिश्रुतयोः शङ्कनीयं प्रतीतिविरोधात् ।

सम्पूर्ण पर्यायोंसे छूटे हुये जीव आदिक द्रव्य ( पक्ष ) नहीं हैं ( साध्य ) ( प्रतिज्ञा ) सम्पूर्ण पर्यायोंसे सर्वथा रहितपना होनेसे ( हेतु ) जैसे कि शशका सींग कोई वस्तु नहीं है ( दृष्टान्त ) इस अनुमान द्वारा पर्यायोंसे रहित हो रहे केवल द्रव्यका प्रत्याख्यान कर दिया गया है । तथा एकान्तरूपसे केवल पर्यायें ही ( पक्ष ) नहीं हैं ( साध्य ) । समी प्रकार द्रव्योंसे छोड़ दिया जाना होनेसे ( हेतु ) शशकाके सींगकी उच्चता आदिकी पर्यायें जैसे नहीं है ( दृष्टान्त ) । इस अनुमान द्वारा बौद्धोंकी मानी हुयी द्रव्यरहित अकेली पर्यायोंका खण्डन कर दिया गया है । तिस कारणसे मतिज्ञान और श्रुतज्ञानमें उन केवल द्रव्यों या केवल पर्यायोंका विषय कारलेनापन शंका करने योग्य नहीं है । क्योंकि प्रमाणप्रसिद्ध प्रतीतियोंसे विरोध आता है ।

नाशेषपर्यायाक्रान्ततनूनि च चकासति ।

द्रव्याणि प्रकृतज्ञाने तथा योग्यत्वहानितः ॥ २० ॥

मतिज्ञान और श्रुतज्ञानद्वारा द्रव्य और पर्यायोंका विषय हो जाना जब सिद्ध हो चुका तो द्रव्यकी सम्पूर्ण पर्यायोंको दोनों ज्ञान क्यों नहीं जान लेते हैं ? ऐसा प्रश्न होनेपर आचार्य कहते हैं कि जिन द्रव्योंका शरीर सम्पूर्ण पर्यायोंकरके चारों ओरसे घिरा हुआ है, उन सम्पूर्ण पर्यायवाली द्रव्यें तो प्रकरणप्राप्त ज्ञानमें नहीं प्रकाशित होती हैं । अर्थात्—मतिज्ञान श्रुतज्ञान सम्पूर्ण पर्यायों सहित द्रव्योंका नहीं प्रतिमास कराते हैं । क्योंकि तिस प्रकारके योग्यत्वरूप क्षयोपशम या क्षयकी हानि हो रही है । आवरणोंके विनाम अनुसार ज्ञान अपने झेयोंका प्रतिमास करा सकते हैं । यों ही अंश संशय चाहे जिसको नहीं प्रकाश देते हैं ।

ननु च यदि द्रव्याण्यनंतपर्यायाणि वस्तुत्वं विभ्रति तदा मतिश्रुताभ्यां तद्विषयाभ्यां भवित्त्वप्यन्यथा तयो रवस्तुविषयत्वापत्तेरिति न चोद्यं, तथा योग्यतापायात् । न हि वस्तुसंज्ञामात्रेण ज्ञानविषयत्वमुपपाति । सर्वस्य सर्वदा सर्वपुरुषज्ञानविषयत्वप्रसंगात् ।

कारिकाका विवरण यों है यहा कोई शंका करता है कि अनन्त पर्यायवाले द्रव्य यदि वस्तुपनको धार रहे हैं, तत्र तो मतिज्ञान श्रुतज्ञानों करके उन संपूर्ण अनन्तपर्यायोंको विषय कर लेना

हो जाना चाहिये । यानी मतिज्ञान और श्रुतज्ञान उन संपूर्ण पर्यायोंको विषय करनेवाले हो जायेंगे । अन्यथा उन ज्ञानोंको अवस्तुके विषय कर लेनेपनका प्रसंग आवेगा । अर्थात्-द्रव्यकी तदामक हो रही बहुतसी पर्यायें जब ज्ञानोंसे छूट जायेंगी तो ज्ञान ठीक ठीक वस्तुको विषय करनेवाले नहीं होकर किसी थोड़ी पर्यायवाची वस्तु ( वस्तुतः अवस्तु ) को विषय करते रहेंगे । जो कतिपय अंगोंसे रहित देवदत्तको केवल हाथपगवाळा ही देख रहा है, सच पूछो तो वह देवदत्तको ही नहीं देख रहा है । पीलापन, हरायपन, खट्टामीठापन, उष्णता, गंध आदि पर्यायोंसे रहित आमको जाननेवाळा क्या आमफूलका ज्ञाता कहा जा रहा है ? कभी नहीं । अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकारका कुचोच उठाना अच्छा नहीं है । क्योंकि तिस प्रकार अनन्तपर्यायों अथवा संपूर्णपर्यायोंके जाननेकी योग्यता मति श्रुत दो ज्ञानोंमें नहीं है । केवल जगत्में सद्भाव हो जानेसे ही कोई वस्तुज्ञानके विषयपनको प्राप्त नहीं हो जाती है । यदि जगत्में पदार्थ विद्यमान हैं, एतावता ही जीवोंके ज्ञानमें विषय हो जाय तब तो संपूर्ण पदार्थोंका सदा ही संपूर्ण जीवोंके ज्ञानमें विषय हो जानेका प्रसंग आवेगा । आम्रफूल, कचौड़ी, मोदक, आदिमें असंख्यगुण अनेक पर्यायोंस्वरूप परिणाम हो रहे हैं । किन्तु पांच इन्द्रियोंद्वारा हमको उनके स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, शब्दों या आकृति का तो ज्ञान हो जाता है । शेष परिणामोंका ज्ञान नहीं हो पाता है । तिस प्रकारके पुण्य विना जगत्में अनन्त पदार्थ विद्यमान हो रहे भी प्राप्त नहीं होते हैं । जीव अपने घरमें रखले हुये पदार्थोंका भी भोग विना पुण्यके नहीं कर सकते हैं । खेत, या बागोंका सेवक उन धान्य फलोंका आनन्द नहीं ले पाता है । प्रभु ही भोगता है, जरीगोटा या सुवर्ण रत्नोंके भूषण बनानेवाले कारीगर उनके परिभोगसे वंचित रहते हैं । मेवा, सेव अनार दूध आदिको बेचनेवाले या पैदा करनेवाले प्राणीजन लोभवश उनका भोग नहीं कर पाते हैं । देशांतरवर्ती पुण्यवान् उनको भोगते हैं । यद्वातक कि बहुभाग पदार्थोंका तो साधारण जीवोंको ज्ञान भी नहीं हो पाता है । इतिके कारणोंको योग्यता जैनी मिळेगी, उतने ही पदार्थोंका ज्ञान हो सकेगा, अधिकका नहीं । हा, एक अंशका भी ज्ञान हो जानेसे तदामक, वस्तुका ज्ञान कहा जा सकता है । एक रस या रूपके द्वारा भी हुआ आम्रका ज्ञान वस्तुका ज्ञान कहा जा सकता है । वस्तुके संपूर्ण अंशोंपर तो सर्वज्ञका ही अधिकार है ।

किं तर्हि वस्तुनः परिच्छिन्नौ कारणमित्याह ।

तो फिर आचार्य महाशयन तुम ही बतलाओ कि वस्तुकी यद्यार्थ इति करनेमें क्या कारण है ? इस प्रकार सरलतापूर्वक जिज्ञासा होनेपर श्रीविद्यानंद आचार्य समाधान कहते हैं ।

ज्ञानस्यार्थपरिच्छिन्नौ कारणं नान्यदीक्ष्यते ।

योग्यतायास्तदुत्पत्तिः सारूप्यादिषु सत्स्वपि ॥ २१ ॥

बौद्धोंद्वारा माने गये ज्ञानका विषयके प्रति नियम करनेमें तदुद्भूतपना ( तदुत्पत्ति ) तदाकारता, तदप्यवसाय आदिके होते सन्ते भी योग्यताके अतिरिक्त अन्य कोई कारण ज्ञानके द्वारा अर्थकी परिच्छिन्निक करनेमें नहीं दीख रहा है। अर्थात्—जिस कारणसे ज्ञान उत्पन्न होय, उसी कारणस्वरूप अर्थको वह कार्यस्वरूप ज्ञान जान रहा है। अन्य पदार्थोंको नहीं जानता है। इस प्रकार नियम करनेपर इन्द्रिय, अदृष्ट आदिकके व्यभिचार आता है। अतीन्द्रिय इन्द्रियोंसे ज्ञान उत्पन्न तो हुआ है। किन्तु वे रूपज्ञान, रसज्ञान आदिक तो चक्षु, रसना, आदिक इन्द्रियोंको नहीं जान पाते हैं। इसी प्रकार ज्ञान अपने कारण हो रहे पुण्यपावकों भी नहीं जान पाता है। यह तदुत्पत्तिका व्यभिचार है। तथा तदाकारता माननेपर सदृश अर्थ कके व्यभिचार होता है। एक ईंटका चक्षुद्वारा प्रत्यक्ष का लेनेपर उसके समान सभी देशान्तर काष्ठान्तरवर्ती ईंटोंका चाक्षुष ज्ञान हो जाना चाहिये। क्योंकि ज्ञानमें ईंटका प्रतिबिम्ब पड चुका है। एक ईंटका जैसा प्रतिबिम्ब है, वही प्रतिबिम्ब सदृश अन्य ईंटोंका भी पड चुका है। फिर सम्पूर्ण एक सचि की ईंटोंका प्रत्यक्ष हो जाना चाहिये। एक सन या टकसाठके ठेठे हुए सभी समान रूपयोंका भी दीख जाना मात्र एक रूपयके देखलेनेपर हो जाना चाहिये। यह तदाकारताका समान अर्थोंके व्यभिचार हुआ। यदि तदाकारता और तदुत्पत्ति दोनोंको मिलाकर नियामक मानोगे तो उक्त दोनों व्यभिचार टल जायेंगे। किन्तु सामान्य अर्थके अव्यवहित पूर्ववर्ती ज्ञानकरके व्यभिचार हो जायगा। तदप्यवसाय पद देकर उक्त व्यभिचारका निवारण हो सकता है। फिर भी तद्रूप्य, तदुत्पत्ति और तदप्यवसायका पुनः शंखमें उभय द्वये पीठे आकारको जाननेवाले ज्ञानसे अन्य विज्ञानको अव्यवहित पूर्ववर्ती ज्ञानको जाननेमें प्रमाणपनेका प्रसंग प्राप्त हो जायगा। यों ज्ञानका विषयके प्रति नियम करनेमें और भी कोई नियामक नहीं है। अतः योग्यताको ही व्यभिचाररहित नियामकपना समझना चाहिये।

यस्मादुत्पद्यते ज्ञानं येन च सरूप्यतस्य ग्राहकमित्ययुक्तं समानार्थसमनन्तरप्रत्ययस्य तेनाग्रहणात् । तद्ग्रहणयोग्यतापायात्तस्याग्रहणे योग्यतैव विषयग्रहणानिमित्तं वेदनस्येत्यायातम् । योग्यता पुनर्बेदनस्य स्वावरणाविच्छेदविशेष एवेत्प्रुक्तमायम् ।

जिस कारणसे ज्ञान उत्पन्न होता है और जिसके समानरूप प्रतिबिम्बको ले लेता है, वह ज्ञान उसका ग्राहक है, इन प्रकार बौद्धोंका फइना युक्तिरहित है। क्योंकि दोनों कारणोंके रहते हुए भी समान अर्थके समनन्तर प्रत्ययका उस दूसरे उत्तरवर्ती ज्ञानकरके ग्रहण नहीं होता है। जब कि पूर्ववर्ती ज्ञानसे दूसरा ज्ञान उत्पन्न हुआ है। और पूर्वज्ञानका उत्तर ज्ञानमें आकार भी पडा हुआ है, फिर वह उत्तरवर्ती ज्ञान मला पूर्वज्ञानको विषय क्यों नहीं करता है ? उस पूर्वज्ञानके ग्रहण करनेकी योग्यता नहीं होनेसे उत्तरज्ञानद्वारा उसका नहीं ग्रहण होना मानोगे, तब तो सर्वत्र ज्ञानके द्वारा विषयके ग्रहण होनेमें निमित्तकारण या नियमकर्त्री योग्यता ही है, यह सिद्धांत आया।

इसी बातको हम जैन बहुत देरसे कह रहे हैं। फिर ज्ञानकी योग्यता तो अपने आवरण करनेवाले कर्मोंका क्षयोपशमविशेष ही है। इस बातको हम बहुत करके पूर्व प्रकरणोंमें कह चुके हैं। यहाँ इतना ही कहना है कि ज्ञानावरण कर्मोंका विशेषरूपसे विराम हो जानास्वरूप योग्यताके नहीं होने से मतिज्ञान और श्रुतज्ञान अनन्तपर्यायोंको नहीं जाना पाते हैं।

## इस सूत्रका सारांश ।

इस सूत्रके प्रकरण यों हैं कि ज्ञानके विषयोंमें अनेक प्रवादियोंकी विप्रतिपत्तियाँ हैं। अतः पहिले दो ज्ञानोंके विषयमें पढे हुये विवादकी निवृत्तिके लिये सूत्र कहना आवश्यक बताकर सूत्रोक्त पदोंका लक्षण किया है। पूर्व सूत्रसे केवल विषय शब्दकी अनुवृत्ति की गई है। अनुवृत्ति की गयी शब्दावली विचारी भिन्न भिन्न परिस्थितियोंके अनुसार अनेक विभक्ति या वचनोंको धार लेती है। जैसे कि विभिन्न व्यवहारवाले कुओंमें जाकर बधुटी अपने स्वभावोंको तदनुसार कर लेती है। केवल पर्यायों अथवा केवल द्रव्यकों ही विषय करनेवाले दोनों ज्ञान नहीं हैं। ये दोनों ज्ञान अन्तरंग और बहिरंग अर्थोंको जानते हैं। यहाँपर बौद्धोंके साथ अच्छा विचार किया गया है। विशेष पुक्तियोंकरके विज्ञानाद्वैतका प्रत्याख्यान कर अनेकान्तको साधा है। स्मरण आदिक ज्ञान भी बहिरंग अर्थोंको विषय करते हैं। निरालम्बन नहीं है। श्रुतज्ञान अनेकान्तस्वरूप वस्तुका अच्छा प्रकाश करता है। श्रुतज्ञानको प्रमाण मानना चाहिये, अन्यथा अरने सिद्धान्तका दूरके लिये प्रतिपादन करना अशक्य है। अविद्यास्वरूप शास्त्रोंसे वस्तुभूत तत्त्वोंकी सिद्धि नहीं हो सकती है। द्रव्य और पर्याय दोनों वास्तविक पदार्थ हैं। विशिष्टरूपसे ज्ञानावरणका विनाश नहीं होनेके कारण अनन्तपर्यायोंको मतिज्ञान और श्रुतज्ञान नहीं जान सकते हैं। प्रतिपक्षी कर्मोंका क्षयोपशम या क्षयस्वरूप योग्यता ही ज्ञानद्वारा विषय ग्रहणमें नियमकारिणी है। अन्य ताद्रूप्य आदिका व्यभिचार देखा जाता है। वर्तमानकालके जीवोंमें छोटे कीटसे लेकर उद्भट विद्वानोंतकमें मतिज्ञान और श्रुतज्ञानोंका परिवार फैला हुआ है। मैत्रस मेरेजम, भूशास्त्रविज्ञान, ज्योतिषशास्त्र आदिक ज्ञान उक्त ज्ञानोंकी ही शाखायें हैं। इस प्रकार मतिज्ञान श्रुतज्ञानकी विषय व्यवस्था निर्णय कर लेनी चाहिये।

द्रव्येषु जीवादिषु पर्ययेषु त्वल्पेषु नानन्तविकल्पितेषु ।

सालम्बने सद्विषये निबद्धे मतिश्रुतेस्तां निजरूपलब्धये ॥ १ ॥

—\*—

मतिज्ञान श्रुतज्ञानोंके विषयोंका नियम कर अब क्रमप्राप्त अवधिज्ञानके विषयोंकी नियतिको दिखलानेके लिए श्री उभास्यामी महाराज अपने कलानिधि आत्माचन्द्रसे सूत्रस्वरूप कलाका प्रसार कर भग्यचकोरोंको संतुष्ट करते हैं।

## रूपिष्ववधेः ॥ २७ ॥

रूपान् पदार्थोंमें अवधिज्ञानका विषय नियमित हो रहा है । अर्थात्—धर्म, अधर्म, आकाश और काठ इन अपूर्ण द्रव्योंको छोड़कर पुद्गलके साथ बन्धको प्राप्त हो रहे मूर्त जीवद्रव्य और पुद्गल द्रव्य तथा इन दो द्रव्योंकी कतिपय ( असंख्याती ) पर्यायोंमें अवधिज्ञानकी प्रवृत्ति नियत हो रही समझनी चाहिये ।

किमर्थमिदं सूत्रमित्याह ।

इस सूत्रको श्री उमास्वामी महाराज किस प्रयोजनकी सिद्धिके लिये कह रहे हैं, ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य महाराज वार्तिकद्वारा समाधान कहते हैं ।

प्रत्यक्षस्यावधेः केषु विषयेषु निबन्धनम् ।

इति निर्णीतये प्राह रूपिष्वित्यादिकं वचः ॥ १ ॥

आदिके दो मति और श्रुत इन परोक्ष ज्ञानोंके विषयका नियम कर तीसरे प्रत्यक्षज्ञान स्वरूप हो रहे अवधिका किन् विषयोंमें नियम हो रहा है । इसका निर्णय करनेके लिये “ रूपिष्ववधेः ” इस प्रकार सूत्रवचनको श्री उमास्वामी महाराज बहुत अच्छा कह रहे हैं । इस सूत्रके कहे विना अवधिज्ञानके विषयका नियम करना कथमपि नहीं हो सकता है ।

रूपं पुद्गलसामान्यगुणस्तेनोपलक्ष्यते ।

स्पर्शादिरिति तद्योगात् रूपिणीति विनिश्चयः ॥ २ ॥

रूपी शब्दमें मत्वर्थीय इन प्रत्यय नित्ययोगको कहनेवाली हैं, पुद्गलद्रव्यका सम्पूर्ण ही पुद्गल द्रव्योंमें पाया जाय ऐसा सामान्यगुणरूप है । उस रूपकारके अविनाभाव रखनेवाले स्पर्श, रस, गन्ध, आदि गुण भी उपलक्षण कर पकड़ लिये जाते हैं । जैसे कि “ कौआसे दहीकी रक्षा करना ” यहाँ उपलक्षण हो रहे काक पदसे दहीके उपघातक समी पशुपक्षियोंका प्रहण हो जाता है । इस प्रकार उस रूपका योग हो जानेसे रूपवाले पदार्थमें ऐसा कहनेसे रूपवाले, रसवाले, गन्धवाले पदार्थोंमें अवधिज्ञान प्रवर्तता है ऐसा विशेष निश्चय कर लिया जाता है ।

तेष्वेव नियमोऽसर्वपर्यायेष्ववधेः स्फुटम् ।

द्रव्येषु विषयेष्वेवमनुवृत्तिर्विधीयते ॥ ३ ॥

उन रूपवाले द्रव्योंमें ही और उनकी अल्प पर्यायोंमें ही अवधिज्ञानका विषय नियम स्पष्ट रूपसे विशद हो रहा है । यों उद्देश्य दृष्टमें “ एवकार ” लगा लिया जाय, इस सूत्रमें पूर्व सूत्रसे

द्रव्येषु और असर्वपर्यायेषु तथा पूर्वं पूर्वं सूत्रसे “ विषयेषु ” इस प्रकार तीन पदोंकी अनुवृत्ति कर ली जाती है, “ निबन्धः ” यह पद भी चला आ रहा है । अतः अवधिज्ञानका विषयनिबन्ध रूपी द्रव्योंमें और उनकी असर्वपर्यायोंमें है, यह वाक्यार्थ बन जाता है ।

रूपं मूर्तिरित्येके, तेषामसर्वगतद्रव्यपरिमाणं मूर्तिः स्पर्शादिर्वा मूर्तिरिति मतं स्यात् । प्रथमपक्षे जीवस्य रूपित्वप्रसक्तिरसर्वगतद्रव्यपरिमाणलक्षणाया मूर्तेस्तत्र भावात् । सर्वगतत्वादात्मनस्तदभाव इति चेन्न शरीरपरिमाणानुविधायिनस्तस्य प्रसाधनात् ।

रूप शब्दका अर्थ मूर्ति है, इस प्रकार कोई एक विद्वान् कह रहे हैं । इसपर हम जैन पूछते हैं कि उन विद्वानोंके यहा क्या अव्यापक द्रव्योंके परिमाणको मूर्ति माना गया है ? अथवा स्पर्श आदिक गुण ही मूर्ति हैं ? यह मन्तव्य होगा ? बताओ । पहिला पक्ष ग्रहण करनेपर तो जीवद्रव्यको रूपीपनेका प्रसंग होगा । क्योंकि अव्यापक द्रव्यका परिमाणस्वरूप मूर्तिका उस जीव द्रव्यमें सद्भाव पाया जाता है । यदि वैशेषिक या नैयायिक यहा यों कहें कि सर्वत्र व्यापक होनेके कारण आत्मा द्रव्यके उस अव्यापक द्रव्यपरिमाणस्वरूप मूर्तिका अभाव है । अर्थात्—सर्वगत आत्मा तो अमूर्त है । आचार्य कहते हैं कि सो यह तो नहीं कहना । क्योंकि उस आत्माकी शरीरके परिमाणको अनुविधान करनेवालेपनकी प्रमाणोंसे सिद्धि की जा चुकी है । अर्थात्—प्रत्येक जीवका आत्मा उसके शरीर बराबर होता हुआ अव्यापक द्रव्य है । अतः पहिले मूर्तिके लक्षणकी आत्म-द्रव्यमें आतिव्याप्ति हो जाती है ।

स्पर्शादिमूर्तिरित्यास्मिस्तु पक्षे रूपं पुद्गलसामान्यगुणस्तेन स्पर्शादिरूपलक्ष्यते इति तथोगाद्द्रव्याणि रूपाणि मूर्तिमन्ति कथितानि भवन्त्येव तथेह द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु इति निबन्ध इति चानुवर्तते । तेनेदमुक्तं भवति मूर्तिमत्सु द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु विषयेषु अवधेर्निबन्ध इति ।

हा, द्वितीय कल्पना अनुसार स्पर्श आदिक गुण मूर्ति हैं । इस प्रकारके पक्षका ग्रहण करनेपर तो अभीष्ट अर्थ सिद्ध हो जाता है । पुद्गल द्रव्यका सामान्य गुणरूप है । उस रूप करके स्पर्श, रस आदि गुणोंका उपलक्षण कर लिया जाता है । इस कारण उस रूपके योगसे रूपवाली द्रव्ये मत्वर्थाय प्रत्ययद्वारा मूर्तिवाली कह दी जाती हैं । तिसी प्रकार यहां पूर्व सूत्रोंसे द्रव्येषु, असर्वपर्यायेषु, विषयेषु, ये शब्द और निबन्ध इस प्रकार चार शब्दोंकी अनुवृत्ति कर ली जाती है । तिस कारण इन शब्दोंद्वारा यह वाक्यार्थ बोध कह दिया गया हो जाता है कि मूर्तिमान् द्रव्य और कतिपय पर्याय स्वरूप विषयोंमें अवधिज्ञानका नियम हो रहा है । अर्थात्—मूर्तिमान् द्रव्यों और उनकी षोडशी पर्यायोंमें अवधिज्ञानका विषय नियत हो रहा है । इस प्रकार सूत्रका अर्थ समाप्त हुआ ।

कृत एवं नान्यथेत्याह ।

## रूपिष्ववधेः ॥ २७ ॥

रूपवान् पदार्थोंमें अवधिज्ञानका विषय नियमित हो रहा है। अर्थात्—धर्म, अधर्म, आकाश और काष्ठ इन अमूर्त द्रव्योंको छोड़कर पुद्गलके साथ बन्धको प्राप्त हो रहे मूर्त जीवद्रव्य और पुद्गल द्रव्य तथा इन दो द्रव्योंकी कतिपय (असंख्याती) पर्यायोंमें अवधिज्ञानकी प्रवृत्ति नियत हो रही समझनी चाहिये।

किमर्थमिदं सूत्रमित्याह ।

इस सूत्रको श्री उमास्वामी महाराज किस प्रयोजनकी सिद्धिके लिये कह रहे हैं, ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य महाराज वार्तिकद्वारा समाधान कहते हैं।

प्रत्यक्षस्यावधेः केषु विषयेषु निवन्धनम् ।

इति निर्णीतये प्राह रूपिष्वित्यादिकं वचः ॥ १ ॥

आदिके दो मति और श्रुत इन परोक्ष ज्ञानोंके विषयका नियम कर तीसरे प्रत्यक्षज्ञान स्वरूप हो रहे अवधिका किन् विषयोंमें नियम हो रहा है ! इसका निर्णय करनेके लिये “रूपिष्ववधेः” इस प्रकार सूत्रवचनको श्री उमास्वामी महाराज बहुत अच्छा कह रहे हैं। इस सूत्रके कहे विना अवधिज्ञानके विषयका नियम करना कथमपि नहीं हो सकता है।

रूपं पुद्गलसामान्यगुणस्तेनोपलक्ष्यते ।

स्पर्शादिरिति तद्योगात् रूपिणीति विनिश्चयः ॥ २ ॥

रूपी शब्दमें मत्वर्थीय इन प्रत्यय निययोगको कहनेवाली है, पुद्गलद्रव्यका सम्पूर्ण ही पुद्गल द्रव्योंमें पाया जाय ऐसा सामान्यगुणरूप है। उस रूपकरके अविनाभाव रखनेवाले स्पर्श, रस, गन्ध, आदि गुण भी उपलक्षण कर पकड़ लिये जाते हैं। जैसे कि “कौआसे दहीकी रक्षा करना” यहाँ उपलक्षण हो रहे काक पदसे दहीके उपघातक सभी पशुपक्षियोंका ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार उस रूपका योग हो जानेसे रूपवाले पदार्थमें ऐसा कहनेसे रूपवाले, रसवाले, गन्धवाले पदार्थोंमें अवधिज्ञान प्रवर्तता है ऐसा विशेष निश्चय कर लिया जाता है।

तेष्वेव नियमोऽसर्वपर्यायेष्ववधेः स्फुटम् ।

द्रव्येषु विषयेष्वेवमनुवृत्तिर्विधीयते ॥ ३ ॥

उन रूपवाले द्रव्योंमें ही और उनकी अल्प पर्यायोंमें ही अवधिज्ञानका विषय नियम स्पष्ट रूपसे विशद हो रहा है। यों उद्देश्य दलमें “एवकार” लगा लिया जाय, इस सूत्रमें पूर्व सूत्रसे



द्रव्येषु और असर्वपर्यायेषु तथा पूर्व पूर्व सूत्रसे “ विषयेषु ” इस प्रकार तीन पदोंकी अनुवृत्ति कर ली जाती है, “ निबन्धः ” यह पद भी चला आ रहा है । अतः अवधिज्ञानका विषयनिबन्ध रूपी द्रव्योंमें और उनकी असर्वपर्यायोंमें है, यह वाक्यार्थ बन जाता है ।

रूपं मूर्तिरित्येके, तेषामसर्वगतद्रव्यपरिमाणं मूर्तिः स्पर्शादिर्वा मूर्तिरिति मतं स्यात् । प्रथमपक्षे जीवस्य रूपित्वप्रसक्तिरसर्वगतद्रव्यपरिमाणलक्षणाया मूर्तेस्तत्र भावात् । सर्वगतत्वादात्मनस्तदभाव इति चेन्न शरीरपरिमाणानुविधायिनस्तस्य प्रसाधनात् ।

रूप शब्दका अर्थ मूर्ति है, इस प्रकार कोई एक विद्वान् कह रहे हैं । इसपर हम जैन पूंछते हैं कि उन विद्वानोंके यहां क्या अव्यापक द्रव्योंके परिमाणको मूर्ति माना गया है ? अथवा स्पर्श आदिक गुण ही मूर्ति हैं ? यह मन्तव्य होगा ? बताओ । पहिले पक्ष ग्रहण करनेपर तो जीवद्रव्यको रूपीपनेका प्रसंग होगा । क्योंकि अव्यापक द्रव्यका परिमाणस्वरूप मूर्तिका उस जीव द्रव्यमें सद्भाव पाया जाता है । यदि वैशेषिक या नैयायिक यहां यों कहें कि सर्वत्र व्यापक होनेके कारण आत्मा द्रव्यके उस अव्यापक द्रव्यपरिमाणस्वरूप मूर्तिका अभाव है । अर्थात्—सर्वगत आत्मा तो अमूर्त है । आचार्य कहते हैं कि सो यह तो नहीं कहना । क्योंकि उस आत्माकी शरीरके परिमाणको अनुविधान करनेवालेपनकी प्रमाणोंसे सिद्धि की जा चुकी है । अर्थात्—प्रत्येक जीवका आत्मा उसके शरीर बराबर होता हुआ अव्यापक द्रव्य है । अतः पहिले मूर्तिके लक्षणकी आत्म-द्रव्यमें आतिव्याप्ति हो जाती है ।

स्पर्शादिमूर्तिरित्यस्मिस्तु पक्षे रूपं पुद्गलसामान्यगुणस्तेन स्पर्शादिरूपलक्ष्यते इति तद्योगाद्द्रव्याणि रूपाणि मूर्तिमन्ति कथितानि भवन्त्येव तथेह द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु इति निबन्ध इति चानुवर्तते । तेनेदमुक्तं भवति मूर्तिमत्सु द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु विषयेषु अचर्धेर्निबन्ध इति ।

हा, द्वितीय कम्पना अनुसार स्पर्श आदिक गुण मूर्ति हैं । इस प्रकारके पक्षका ग्रहण करनेपर तो अभीष्ट अर्थ सिद्ध हो जाता है । पुद्गल द्रव्यका सामान्य गुणरूप है । उस रूप कारके स्पर्श, रस आदि गुणोंका उपलक्षण कर लिया जाता है । इस कारण उस रूपके योगसे रूपनाली द्रव्यों मन्तव्यीय प्रत्ययद्वारा मूर्तिवाली कह दी जाती हैं । तिसी प्रकार यहां पूर्व सूत्रोंसे द्रव्येषु, असर्वपर्यायेषु, विषयेषु, ये शब्द और निबन्ध इस प्रकार चार शब्दोंकी अनुवृत्ति कर ली जाती है । तिस कारण इन शब्दोंद्वारा यह वाक्यार्थ बोध कह दिया गया हो जाता है कि मूर्तिमान् द्रव्य और कतिपय पर्याय स्वरूप विषयोंमें अविधिज्ञानका नियम हो रहा है । अर्थात्—मूर्तिमान् द्रव्यों और उनकी योडीसी पर्यायोंमें अविधिज्ञानका विषय नियत हो रहा है । इस प्रकार सूत्रका अर्थ समाप्त हुआ ।

कृत एवं नान्यथेत्याह ।

कोई शिष्य जिज्ञासा करता है कि इस ही प्रकार आपने नियम किस कारणसे किया ? दूसरे प्रकारसे नियम क्यों नहीं कर दिया ? अर्थात्—अमूर्त द्रव्यों और सम्पूर्ण पर्यायोंको भी अवधिज्ञान जान लें, क्या क्षति है ? उद्देश्यदलमें “ एवकार ” क्यों लगाया जाता है ? इस प्रकार साइससहित जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य समाधान कइते हैं ।

स्वशक्तिवशतोऽसर्वपर्यायेष्वेव वर्तनम् ।

तस्य नानागतातीतानन्तपर्याययोगिषु ॥ ४ ॥

पुद्गलेषु तथाकाशादिष्वमूर्तेषु जातुचित् ।

इति युक्तं सुनिर्णीतासम्भवद्वाधकत्वतः ॥ ५ ॥

अपनी शक्तिके वशसे अवधिज्ञानकी प्रवृत्तिरूपी द्रव्य और उनकी कतिपय पर्यायोंमें ही है । मविष्यत्, और भूतकालकी अनन्त पर्यायोंके सम्बन्धवाले पुद्गलद्रव्योंमें उस अवधिज्ञानकी प्रवृत्ति नहीं है । तथा आकाश, धर्मद्रव्य, फालाणु, सिद्धपरमेष्ठी, आदिक अमूर्त द्रव्योंमें कदाचित् भी अवधिज्ञान नहीं प्रवर्तता है । अमूर्त द्रव्योंकी पर्यायोंमें तो अवधिज्ञानका वर्तना असम्भव है । यह सिद्धान्त युक्तिपूर्ण है । क्योंकि बाधक प्रमाणोंके नहीं सम्भवनेका मळे प्रकार निर्णय किया जा चुका है ।

अज्ञासर्वपर्यायरूपिद्रव्यज्ञानावरणक्षयोपक्षमविशेषोवधेः स्वशक्तिस्तद्वशात्तस्यासर्व-  
पर्यायेष्वेव पुद्गलेषु वृत्तिर्नातीताद्यनन्तपर्यायेषु नाप्यमूर्तेष्व्वाकाशादिषु इति युक्तमुत्पश्यामः ।  
सुनिर्णीतासम्भवद्वाधकत्वान्मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेष्वित्यादिवत् ।

यहां प्रकरणमें अक्षर पर्यायवाले रूपीद्रव्योंके ज्ञानका आवरण करनेवाले अवधिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपक्षमविशेषको ही अवधिज्ञानकी निजशक्ति माना गया है उस शक्तिके वशसे उस अवधिज्ञानकी असम्पूर्ण पर्यायवाले ही पुद्गलोंमें प्रवृत्ति है । भूत, मविष्य और वर्तमानकालकी अनन्तपर्यायोंवाले पुद्गलोंमें अवधिज्ञान नहीं प्रवर्तता है । तथा आकाश आदिक अमूर्त द्रव्योंमें भी अवधिज्ञान नहीं चञ्चता है । क्योंकि उनको जाननेवाले ज्ञानके घातक सर्वथातिस्पर्धकोंका उदय बना रहता है, इस बातको हम समुचित समझ रहे हैं । क्योंकि इस सिद्धान्तमें आनेवाली याथाओंके असम्भवका अष्टा निर्णय हो चुका है, जिस प्रकार कि मविज्ञान और श्रुतज्ञानका विषयनिबन्ध सम्पूर्ण द्रव्य और उनकी कतिपय पर्यायोंमें सुनिश्चित हो गया है, इत्यादिक निर्णीत सिद्धान्तोंके समान “ रूपिष्ववधेः ” इस सूत्रका चार पदोंकी अनुवृत्ति करते हुये अर्थ ठीक बैठ जाता है । कोई शंका नहीं रहती है ।

## इस सूत्रका सारांश ।

इस सूत्रके विवरणोंमें प्रथम ही क्रमप्राप्त प्रत्यक्ष अवधिज्ञानके विषयका नियम करनेके लिये सूत्रका प्रतिपादन करना आवश्यक बताकर रूपशब्द करके स्पर्श आदिका उपलक्षण किया है । “रूपिष्ववधेः” यहाँ ही रूप, रस, आदिवाले द्रव्योंमें ही अवधिका विषय नियत है । इस प्रकार पहिला अवधारण इष्ट किया है । पूर्व सूत्रसे चार पदोंकी अनुवृत्ति करनेपर अर्थ आम्नाय अनुसार अर्थ लब्ध हो जाता है । मूर्तिका सिद्धान्तलक्षण स्पर्श आदिक हैं । अव्यापकद्रव्यका परिमाण नहीं है । अवधिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशम अनुसार रूपीद्रव्य और उनकी कतिपय पर्यायोंको ही अवधिज्ञान जान सकता है । अपूर्तद्रव्य और अनन्तपर्यायोंको नहीं जान पाता है । अवधिज्ञान उत्कृष्ट रूपेण अतंद्वातलोकप्रमाण पर्यायोंको जानता है । हां, श्रुतज्ञान में ही अपूर्ण द्रव्यों और उनकी भूत, भविष्यत्कालसम्बन्धी अनन्तपर्यायोंको जानलेवें । बात यह है कि अन्तरंग शक्तिके अनुसार ही पदार्थ कार्यको कर सकते हैं, अन्यथा नहीं । इस सिद्धान्तका भले प्रकार बाधावैते रहित निर्णय हो रहा है । बाधकोंका असम्भव किसी भी वस्तुके सद्भावको पुष्ट करदेता है ।

कर्मोपशान्त्युदयमिश्रदस्राढ्यमूर्तजीवस्य रूपरसनित्यगुह्यलक्ष्य ।

भावाँथ वेत्ति नियतो निजशक्तियोगाद् दीपोपमोयमवधिः स्वपरप्रकाशः ॥ १ ॥

अवधिज्ञानके विषयको नियत कर अब क्रमप्राप्त दूसरे मनःपर्यय नामक प्रत्यक्षका विषय नियम प्रकट करनेके लिये श्री उमास्वामी महाराज स्वकीय ज्ञानसमुद्रसे चिन्तामणि स्वरूप सूत्रका जन्म करते हैं ।

## तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य ॥ २८ ॥

सर्वावधिज्ञान द्वारा विषय हो रहे उसी रूपीद्रव्यके अनन्तवें एक भागमें मनःपर्ययका विषय नियत हो रहा है । अर्थात्—अनन्त परमाणुवाले कार्माण द्रव्यके अनन्तवें भागको सर्वावधि ज्ञान करके जाना गया था, उसके भी अनन्तवें भाग स्वरूप छोटे पुद्गलकण्ठको द्रव्यकी अपेक्षा मनःपर्ययज्ञान जानलेता है ।

किमर्थमिदमित्याह ।

यह “तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य” सूत्र किस प्रयोजनको साधनेके लिये कहा गया है ? इस प्रकारकी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्दस्वामी समाधान कहते हैं ।

क मनःपर्ययस्यार्थे नियन्ध इति दर्शयन् ।

तदित्याद्याह सत्सूत्रमिष्टसंग्रहसिद्धये ॥ १ ॥

मनःपर्ययज्ञानका विषय कौनसे अर्थमें नियमित हो रहा है, इस बातको दिखलाते हुये श्री उमास्वामी महाराज अभीष्ट अर्थके संग्रहकी सिद्धिके लिये “ तदनन्तभागे ” इत्यादिक श्रेष्ठ सूत्रको स्पष्ट कह रहे हैं ।

कस्य पुनस्तच्छब्देन परामर्शो यदनन्तभागेऽसर्वपर्यायेषु निबन्धो मनःपर्ययस्येत्याह ।

फिर आप यह बताओ ! कि इस सूत्रमें दिये गये तत् शब्द करके किस पूर्व निर्दिष्टपदका परामर्श किया जायगा ? जिसके कि अनन्तमें भागमें और उसकी असर्वपर्यायोंमें मनःपर्यय ज्ञानका विषय नियत हो रहा है, इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य समाधान कहते हैं ।

परमावधिनिर्णीते विषयेऽनन्तभागताम् ।

नीते सर्वावधेर्ज्ञेयो भागः सूक्ष्मोऽपि सर्वतः ॥ २ ॥

एतस्थानन्तभागे स्याद्विषयेऽसर्वपर्याये ।

व्यवस्थर्जुमतेरन्यमनःस्थे प्रगुणे ध्रुवम् ॥ ३ ॥

अमुष्यानन्तभागेषु परमं सौक्ष्म्यमागते ।

स्यान्मनःपर्ययस्यैवं निबन्धो विषयेऽखिले ॥ ४ ॥

परमावधि द्वारा निर्णीत किये गये विषयमें जिनदृष्ट अनन्तका भाग देनेपर अनन्तमें भाग-पनेको प्राप्त हुये छोटे स्कन्धमें सर्वावधिका विषय समझना चाहिये, यद्यपि ये सबसे सूक्ष्म भाग है । फिर भी इस सूत्र स्कन्धके अनन्तमें मागम्बरूप और कतिपय पर्यायशले विषयमें ऋजुमतिज्ञानकी द्रव्य अपेक्षा विषय व्यवस्था नियत है । आवश्यकता इस बातकी है कि यह छोटा स्कन्ध सरलरूपसे अथवा त्रिविध द्वारा किया गया होकर दूसरेके मनमें स्थित हो रहा होना चाहिये । उस अनन्तमें भाग छोटे स्कन्धको निश्चितरूपसे ऋजुमति मनःपर्यय जान लेता है । पुनः ऋजुमतिके विषय हो रहे उस सूक्ष्म स्कन्धके अनन्त भागोंके करनेपर जो परमसूक्ष्मपनेको प्राप्त हो गया अन्यत्र छोटा स्कन्ध होगा उस अज्ञेयमान् स्कन्धको विपुलमति विषय धर लेता है । इस प्रकार पूर्वोक्त अनुसार संपूर्ण विषयमें मनःपर्यय ज्ञानका निषम हो रहा है । अर्थात्—अन्य या दूसरेके मनमें विचार लिये गये सभी रूपाद्रव्य और उनकी कतिपय पर्यायोंको मनःपर्ययज्ञान प्रत्यक्ष जान लेता है । ज्ञानके द्वेषको विषय कहते हैं । सतमी विभक्तिका लय विषयक्य है ।

तच्छब्दोऽत्रावधिविषयं परामृशति न पुनरवधिं विषयमकरणात् । स च मुख्यस्य परामर्श्यते गौणस्य परामर्शे मयोजनाभावात् । मुख्यस्य परमावधिविषयस्य सर्वतो देशावधिविषयत्त्वस्त्वस्थानन्तभागीकृतस्थानन्तो भागः सर्वावधिविषयस्य सम्पूर्णं

मुख्येन सर्वावधिपरिच्छेद्यत्वात् । तत्र ऋजुमतेर्निबन्धो बोद्धव्यस्तस्य मनःपर्ययप्रथमव्यक्ति-  
त्वात्सामर्थ्याद्ऋजुमतिविषयस्यानन्तभागे विषये विपुलमतेर्निबन्धोऽवसीयते तस्य  
परमनःपर्ययत्वात् ।

तत् शब्द करके पूर्वनिर्दिष्ट अर्थका विचार किया जाता है, इस सूत्रमें कहा गया तत् शब्द  
अवधिज्ञानके विषयका परामर्श कर लेता है । किन्तु फिर अवधिज्ञानका तो परामर्श नहीं करता है ।  
क्योंकि विषयका प्रकरण होनेसे, विषयभूत पदार्थोंका आकर्षण होगा, विषयी ज्ञानोंका नहीं ।  
और वह विषय भी मुख्य हो रहे अवधिज्ञानका नियत हो चुका परामर्शित किया जाता है ।  
अवधिज्ञानोंमें गौण हो रहे देशावधिके विषयका पूर्व परामर्श करनेमें प्रयोजनका अभाव है । देशावधिके  
सम्पूर्ण विषयोंसे सूक्ष्म हो रहा परमावधिका विषय है । उसके भी अनन्तभाग किये जाय उन  
सबमेंसे एक अनन्तवां भाग सर्वावधिज्ञानका विषय है । उस सूक्ष्मभागका सम्पूर्ण अवधियोंके  
मुख्य सर्वावधिज्ञान द्वारा परिच्छेद किया जाता है । उस सर्वावधिके विषयमें या उसके  
अनन्तवें भाग द्रव्यमें ऋजुमति मनःपर्ययज्ञानका नियम जवन्परूपसे समझना चाहिये । क्योंकि  
मनःपर्ययज्ञानका वह ऋजुमति पहिला व्यक्तिरूप भेद है । आर्थ आगम अनुसार सूत्र  
व्याख्यानकी सामर्थ्यसे यह अर्थ भी यहाँ निर्णीत हो जाता है कि ऋजुमति द्वारा  
जाने गये विषयके अनन्तवें भागरूप विषयमें विपुलमतिकी नियम हो रहा है ।  
क्योंकि वह विपुलमति मनःपर्ययज्ञानका दूसरा भेद है । जो कि मनःपर्ययज्ञानोंमें उत्कृष्ट है ।  
अर्थात्—देशावधिका उत्कृष्ट द्रव्य कर्मण वर्णना है । उसमें अस्त्वत्वात् वार अनन्त संख्यावाले ध्रुवहारों  
का भाग देनेपर परमावधिका द्रव्य निकल आता है । और परमावधिके द्रव्यमें अनेक वार अनन्तका  
भाग देनेपर सर्वावधिका सूक्ष्म द्रव्य प्राप्त होता है । ये सब कर्मणद्रव्यमें अनन्तानन्त भाग दिये  
जा रहे हैं । सर्वावधिसे जान लिये गये द्रव्यमें पुनः अनन्तका भाग देनेपर ऋजुमतिकी द्रव्य निक-  
लता है । ऋजुमतिके द्रव्यमें अनन्तका भाग देनेपर विपुलमतिकी द्रव्य निकलता है । अमीतक  
स्कन्ध ही विषय किया गया है । परमाणु तक नहीं पहुँचे हैं । क्षेत्र काल और भावोंको आगम  
अनुसार लगा लेना । गोमटनार अनुसार कुछ अन्तर लिये हुये व्यवस्था है । उसका वहासे परिज्ञान  
करो । कचिदाचार्यसम्प्रदायानां भेदोस्ति ।

असर्वपर्यायग्रहणानुवृत्तेर्नाऽनाद्यनन्तपर्यायाक्रान्ते द्रव्ये मनःपर्ययस्य प्रवृत्तिस्तद्ज्ञा-  
नावरणस्योपशमासम्भवात् । अतीतानागतवर्तमानानन्तपर्यायात्मरुवस्तुनः सकलज्ञाना-  
वरणस्यविजृम्भितकेवलज्ञानपरिच्छेद्यत्वात् ।

“ मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वनर्थायैव ” इस सूत्रमें से असर्वपर्याय शब्दके ग्रहणकी अनु-  
वृत्ति कर लेनेसे अनादि अनन्तपर्यायोंकरके घिरे हुये द्रव्यमें मनःपर्ययज्ञानकी प्रवृत्ति नहीं है,

मनःपर्ययज्ञानका विषय कौनसे अर्थमें नियमित हो रहा है, इस बातको दिखलाते हुये श्री उमास्वामी महाराज लभीष्ट अर्थके संप्रदक्षी सिद्धिके लिये “ तदनन्तभागे ” इत्यादिक श्रेष्ठ सूत्रको स्पष्ट कह रहे हैं ।

कस्य पुनस्तच्छब्देन परामर्शो यदनन्तभागेऽसर्वपर्यायेषु निबन्धो मनःपर्ययस्येत्याह ।

फिर आप यह बताओ ! कि इस सूत्रमें दिये गये तत् शब्द करके किस पूर्व निर्दिष्टपदका परामर्श किया जायगा ? जिसके कि अनन्तमें भागमें और उसकी असर्वपर्यायोंमें मनःपर्यय ज्ञानका विषय नियत हो रहा है, इस प्रकार निश्चयासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य समाधान कहते हैं ।

परमावधिनिर्णीते विषयेऽनन्तभागताम् ।

नीते सर्वावधेर्ज्ञेयो भागः सूक्ष्मोऽपि सर्वतः ॥ २ ॥

एतस्थानन्तभागे स्याद्विषयेऽसर्वपर्यये ।

व्यवस्थर्जुमतेरन्यमनःस्थे प्रगुणे ध्रुवम् ॥ ३ ॥

अमुष्यानन्तभागेषु परमं सौक्ष्म्यमागते ।

स्यान्मनःपर्ययस्यैवं निबन्धो विषयेऽखिले ॥ ४ ॥

परमावधि द्वारा निर्णीत किये गये विषयमें जिनदृष्ट अनन्तका भाग देनेपर अनन्तमें भागपनेको प्राप्त हुये छोटे रक्तवर्णमें सर्वावधिका विषय समझना चाहिये, यद्यपि ये सबसे सूक्ष्म भाग है । फिर भी इस सूत्र रक्तवर्णके अनन्तमें भागस्वरूप और कतिपय पर्यायवाले विषयमें ऋजुमतिज्ञानकी द्रव्य अपेक्षा विषय व्यवस्था नियत है । आवश्यकता इस बातकी है कि वह छोटा रक्तवर्ण सरलरूपसे अथवा त्रियोग द्वारा किया गया होकर दूसरेके मनमें स्थित हो रहा होना चाहिये । उस अनन्तमें भाग छोटे रक्तवर्णको निश्चिनरूपसे ऋजुमति मनःपर्यय जान लेता है । पुनः ऋजुमतिके विषय हो रहे उस सूक्ष्म रक्तवर्णके अनन्त भागोंके करनेपर जो परमसूक्ष्मपनेको प्राप्त हो गया अल्प छोटा रक्तवर्ण होगा उस अक्षीमान् रक्तवर्णको त्रिजुलमति विषय कर लेता है । इस प्रकार पूर्वोक्त अनुसार सम्पूर्ण विषयमें मनःपर्यय ज्ञानका नियत हो रहा है । अर्थात्—अपने या दूसरेके मनमें विचार लिये गये समीन्पीद्रव्य और उनकी कतिपय पर्यायोंको मनःपर्ययज्ञान प्रत्यक्ष जान लेता है । ज्ञानके हेतुको विषय कहते हैं । समी विमर्शिका अर्थ विषय है ।

तच्छब्दोऽत्रावधिविषयं परामृशति न पुनरवधिं विषयमकरणात् । स च मुख्यस्य परामर्श्यते गौणस्य परामर्शं प्रयोजनाभावात् । मुख्यस्य परमावधिविषयस्य सर्वतो देशावधिविषयात्सूक्ष्मस्थानन्तभागीकृतस्थानन्तो भागः सर्वावधिविषयस्य सम्पूर्ण

मुख्येन सर्वाधिपरिच्छेद्यत्वात् । तत्रर्जुमतेर्निबन्धो बोद्धव्यस्तस्य मनःपर्ययप्रथमव्यक्ति-  
त्वात्सामर्थ्याद्भ्रजुमतिविषयस्यानन्तभागे विषये विपुलमतेर्निबन्धोऽवसीयते तस्य  
परमनःपर्ययत्वात् ।

तत् शब्द करके पूर्वनिर्दिष्ट अर्थका विचार किया जाता है, इस सूत्रमें कहा गया तत् शब्द  
अवधिज्ञानके विषयका परामर्श कर लेता है । किन्तु फिर अवधिज्ञानका तो परामर्श नहीं करता है ।  
क्योंकि विषयका प्रकरण होनेसे, विषयभूत पदार्थोंका आकर्षण होगा, विषयी ज्ञानोंका नहीं ।  
और वह विषय भी मुख्य हो रहे अवधिज्ञानका नियत हो चुका परामर्शित किया जाता है ।  
अवधिज्ञानोंमें गौण हो रहे देशाधिके विषयका पूर्व परामर्श करनेमें प्रयोजनका अभाव है । देशाधिके  
सम्पूर्ण विषयोंसे सूक्ष्म हो रहा परमावधिका विषय है । उसके भी अनन्तभाग किये जाय उन  
सबमेंसे एक अनन्तवां भाग सर्वाधिज्ञानका विषय है । उस सूक्ष्मभागका सम्पूर्ण अवधियोंके  
मुख्य सर्वाधिज्ञान द्वाय परिच्छेद किया जाता है । उस सर्वाधिके विषयमें या उसके  
अनन्तवें भाग द्रव्यमें ऋजुमति मनःपर्ययज्ञानका नियम जवन्परूपसे समझना चाहिये । क्योंकि  
मनःपर्ययज्ञानका वह ऋजुमति पहिळा व्यक्तिरूप भेद है । आर्ष आगम अनुसार सूत्र  
स्याख्यानकी सामर्थ्यसे यह अर्थ भी यहां निर्णीत हो जाता है कि ऋजुमति द्वारा  
जाने गये विषयके अनन्तवें भागरूप विषयमें विपुलमतिका नियम हो रहा है ।  
क्योंकि वह विपुलमति मनःपर्ययज्ञानका दूरमा भेद है । जो कि मनःपर्ययज्ञानोंमें उत्कृष्ट है ।  
अर्थात्—देशाधिके उकृष्ट द्रव्य कार्मण वर्णना है । उसमें असंख्यात बार अनन्त संख्यावाले ध्रुवहारों  
का भाग देनेपर परमावधिका द्रव्य निकल आता है । और परमावधिके द्रव्यमें अनेक बार अनन्तका  
भाग देनेपर सर्वाधिका सूक्ष्म द्रव्य प्राप्त होता है । ये सब कार्मणद्रव्यमें अनन्तानन्त भाग दिये  
जा रहे हैं । सर्वाधिते जान लिये गये द्रव्यमें पुनः अनन्तका भाग देनेपर ऋजुमतिका द्रव्य निक-  
लता है । ऋजुमतिके द्रव्यमें अनन्तका भाग देनेपर विपुलमतिका द्रव्य निकलता है । अभीतक  
स्कन्ध ही विषय किया गया है । परमाणुतक नहीं पहुंचे हैं । क्षेत्र काल और माणोंको आगम  
अनुसार लगा लेना । गोष्मटसार अनुसार कुछ अन्तर लिये हुये व्ययस्था है । उसका वहासे परिज्ञान  
करो । कचिदाचार्यसम्प्रदायानां भेदोस्ति ।

असर्वपर्यायग्रहणानुवृत्तेर्नाऽनाद्यनन्तपर्यायाक्रान्ते द्रव्ये मनःपर्ययस्य प्रवृत्तिस्तद्ज्ञा-  
नावरणस्योपशमासम्भवात् । अतीतानागतवर्त्तमानानन्तपर्यायात्मरुवस्तुनः सकृच्छाना-  
वरणस्यविजृंभितकैवलज्ञानपरिच्छेद्यत्वात् ।

“ मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ” इस सूत्रमें से असर्वपर्याय शब्दके ग्रहणकी अनु-  
वृत्ति कर लेनेसे अनादि अनन्तपर्यायोंकरके घिरे हुये द्रव्यमें मनःपर्ययज्ञानकी प्रवृत्ति नहीं है,

यह ध्वनित हो जाता है। क्योंकि उन अनादि अनन्त पर्यायोंके ज्ञानको आवरण करनेवाले कर्मोंका क्षयोपशम होना अस्मभव है। ज्ञानावरणका उदय होते रहने पर स्रग्मय जीवोंके अनादि अनन्त-पर्यायोंका ज्ञान नहीं हो पाता है। अतीतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान कालकी अनन्तानन्त-पर्यायोंके साथ तदारभक हो रहे वस्तुका तो सम्पूर्ण ज्ञानावरण कर्मोंके क्षयसे वृद्धिको प्राप्त हुये केवल ज्ञानद्वारा परिशुद्ध किया जाता है। अतः वस्तुकी कतिपयपर्यायोंको ही मनःपर्ययज्ञान जान सकता है। अनन्तपर्यायोंको नहीं।

कथं पुनस्तदेवंविधविषयं मनःपर्ययज्ञानं परीक्ष्यते इत्याह ।

किसीका प्रश्न है कि फिर वह इम प्रकारकी वस्तुओंको विषय कर रहा मनःपर्ययज्ञान मछा कैसे परीक्षित किया जा सकता है ? बताओ ! इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं ।

क्षायोपशमिकं ज्ञानं प्रकर्षं परमं ब्रजेत् ।

सूक्ष्मे प्रकर्षमाणत्वादर्थे तदिदमीरितम् ॥ ५ ॥

सो यह प्रसिद्ध हो रहा कर्मोंके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुआ क्षायोपशमिक ज्ञान ( पक्ष ) अपने विषय सूक्ष्म अर्थमें परम प्रकर्षको प्राप्त हो जायेगा ( साध्य ), सूक्ष्म अर्थोंको जाननेमें उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त हो रहा होनेसे ( हेतु ) । तिस कारण इस प्रकार क्षायोपशमिक चार ज्ञानोंमें यह मनःपर्ययज्ञान अनन्तवे माग सूक्ष्म द्रव्यको विषय करनेवाला कह दिया गया है। यही परीक्षा करनेकी प्रधान युक्ति है ।

न हि क्षायोपशमिकस्य ज्ञानस्य सूक्ष्मेऽर्थे प्रकृष्यमाणत्वमसिद्धं तज्ज्ञानावरणहानेः प्रकृष्यमाणत्वमसिद्धेः । प्रकृष्यमाणा तज्ज्ञानावरणहानिर्हानित्वान्माणिक्वाद्यावरणहानिवत् ।

क्षायोपशमिक ज्ञानका सूक्ष्म अर्थमें तारतम्यरूपसे प्रकर्ष प्राप्त हो रहापन असिद्ध नहीं है। क्योंकि उन ज्ञानोंके प्रतिपक्षी ज्ञानावरण कर्मोंकी हानिका उत्तरोत्तर अधिकरूपसे प्रकर्ष हो रहापन सिद्ध है। जैसी जैसी ज्ञानावरण कर्मोंकी हानि बढ़ती चली जायगी, वैसे वैसे ज्ञानोंकी सूक्ष्म अर्थोंको जाननेमें प्रवृत्ति भी अविक अधिक होती जायगी। कर्मोंकी हानिका प्रकर्षमाणपना भी असिद्ध नहीं है। क्योंकि द्वितीय अनुमान इम प्रकार प्रसिद्ध हो रहा है कि उन ज्ञानावरण कर्मोंकी हानि ( पक्ष ) चरमसीमानक उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है ( साध्य ), हानिपना होनेसे ( हेतु )। माणिक, मोती, सुवर्ण, आदिके आवरणोंकी हानिके समान ( अन्वय दृष्टान )। भावार्थ— प्रयोगद्वारा ज्ञान आदि पर रगड़नेपर जैसे माणिकके या मोतीके पत्तोंमें धुमे हुए आवरणकी हानि हो जाती है, अपना अग्निगण या तेजावमें पकानेपर सुवर्णके मछोंकी हानि उत्तरोत्तर बढ़ती जाती



है, उसी प्रकार विशुद्धिके कारण उपस्थित हो जानेपर ज्ञानावरणोंकी हानि भी बढ़ती जा रही है । उससे ज्ञानोंकी गति सूक्ष्म, सूक्ष्मतर विषयोंमें होती चली जाती है ।

कथमावरणहानेः प्रकृष्यमाणत्वे सिद्धेऽपि कचिद्विज्ञानस्य प्रकृष्यमाणत्वं सिध्यतीति चेत् प्रकाशात्मकत्वात् । यद्धि प्रकाशात्मकं तत्स्वावरणहानिमर्क्यं प्रकृष्यमाणं दृष्टं यथा चक्षु प्रकाशात्मकं च विवादाध्यासितं ज्ञानमिति स्वविषये प्रकृष्यमाणं सिध्यत्, तस्य परममर्क्यगमनं साधयति । यत्तत्परममर्क्यभासं क्षायोपशमिकज्ञानं स्पष्टं तन्मनःपर्यय इत्युक्तं ।

किसीका प्रश्न है आवरणोंकी हानिका उत्तरोत्तर प्रकर्ष हो जानापन सिद्ध होते हुये भी किसी सूक्ष्म अर्थमें विज्ञानका प्रकृष्यमाणपना भला कैसे सिद्ध हो सकता है ! बताओ । इस प्रकार कहनेपर तो हमारा यही उत्तर है वह ज्ञान प्रकाश आत्मक है । जो निश्चयसे प्रकाश आत्मक होता है, वह अपने अन्धकार, छाया, आदि आवरणोंकी हानिके बढ़ते रहनेपर बढ़ता चला जाता है । यों व्याप्ति बनी हुयी हैं कि जो जो प्रकाश आत्मक पदार्थ हैं (हेतु), वे वे अपने अपने आवरणोंकी हानिका प्रकर्ष होते सन्ते प्रकर्षको प्राप्त हो रहे देखे गये हैं (साध्य), जैसे कि चक्षु इन्द्रिय प्रकाशास्वरूप है, अतः स्वकीय आवरणोंके तारतम्य भावसे दूर हो जानेपर रूपको देखनेमें उत्तरोत्तर बढ़ती रही है ( दृष्टान्त ) । विवादमें अध्यासीन हो रहा क्षायोपशमिकज्ञान भी प्रकाश आत्मक है ( उपनय ) इस कारण अपने विषयमें प्रकृष्यमाण सिद्ध हो रहा सन्ता उस ज्ञानके परममर्क्य तक गमन करनेको साध देता है ( निगमन ) । जो वह क्षायोपशमिकज्ञान विशद प्रतिमासी होता हुआ उस सूक्ष्म अर्थको जाननेमें परममर्क्यको प्राप्त हो चुका है यह मनःपर्ययज्ञान है यह कह दिया गया समझ लो ।

यथा चापि मतिश्रुतानि परममर्क्यभाञ्जि क्षायोपशमिकानीति दर्शयन्नाह ।

जिस प्रकार क्षयोपशमजन्य मतिज्ञान और श्रुतज्ञान भी अपने अपने विषयमें परममर्क्यको प्राप्त हो रहे हैं, इस बातको दिखानेके लिये ग्रन्थकार कह रहे हैं । अर्थात्—जिस प्रकार इन्द्रिय-जन्य अनेकानेक मतिज्ञान और श्रुतज्ञान स्वविषयमें चरम सीमातकके प्रकर्षको प्राप्त हो गये हैं, उसी प्रकार मनःपर्ययज्ञान भी स्वार्थमें परममर्क्यको धारण करता है ।

क्षेत्रद्रव्येषु भूयेषु यथा च विविधस्थितिः ।

स्पष्टा या परमा तद्वदस्य स्वार्थे यथोदिते ॥ ६ ॥

जिस ही प्रकार इस मतिज्ञान या मनःपर्ययकी बहुतसे क्षेत्र और द्रव्योंमें नाना प्रकारकी स्थिति स्पष्ट ( सन्निवृत्तशक्ति स्पष्टता ) और उच्छृष्ट हो रही है । उसी प्रकार इस मनःपर्ययकी विविध व्यवस्था पूर्वमें यथायोग्य कहे गये अनन्तवें मागरूप स्वार्थमें परममर्क्यको प्राप्त हो जाती है ।

यथा चेन्द्रियजज्ञानं विषयेष्वतिशयनात् ।

स्वेषु प्रकर्षमापन्नं तद्विद्विर्विनिवेदितम् ॥ ७ ॥

और जिस प्रकार इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुआ ज्ञान ( पञ्च ) अपने नियत विषयोंमें अतिशयको उत्तरोत्तर अधिक प्राप्त हो रहा होनेसे ( हेतु ) परमप्रकर्षको प्राप्त हो रहा ( साध्य ) उस इन्द्रिय-ज्ञानको जाननेवाले विद्वानों काके विशेषस्वरूपसे कहा गया है, उसी प्रकार मनःपर्ययज्ञान समझ लिया जाय । अर्थत्—एक इन्द्रिय जीव अपनी स्पर्शन इन्द्रियसे चार सौ धनुष दूरतकके पदार्थको छू लेता है । द्वि इन्द्रियजीव आठ सौ धनुषके दूरतक वर्त रहे पदार्थको छू लेता है, इत्यादि असंख्यी तक दूना जानना । संधी जीव नौ योजन दूरवर्तीतक पदार्थको छू लेता है । द्वि इन्द्रिय जीव रसना इन्द्रियसे चौसठि धनुष दूरतकके रसको चख लेता है । त्रि इन्द्रियजीव एक सौ अष्टाईस धनुष तकके दूरवर्ती पदार्थका रस जान लेता है । चौ इन्द्रिय जीव दौ सौ छपधन धनुषतक अन्तरात्पर रखे दूये पदार्थका रस चाट लेता है । असंख्यी जीव पांच सौ बारह धनुषतकके स्थानात्पर स्थित हो रहे पदार्थके रसको रसना इन्द्रियसे जान लेता है । संधी पंचेन्द्रिय जीव नौ योजनतक दूरपर स्थित हो रहे खटाई, कुटकी, आदिके रसको जिह्वा इन्द्रियसे जान लेता है । त्रि इन्द्रिय, चौ इन्द्रिय, असंख्यी पंचेन्द्रियजीव, प्राण इन्द्रिय द्वारा क्रमसे सौ, दौ सौ, चार सौ, धनुषतक दूर वर्त रहे पदार्थोंकी गन्धको सूंघ लेते हैं । संधीजीव प्राण द्वारा नौ योजनतकके पदार्थको सूंघ लेता है । तथा चौ इन्द्रिय और असंख्यीजीव चक्षु इन्द्रिय द्वारा दौ हजार नौ सौ चौअन और पांच हजार नौ सौ आठ योजन तकके पदार्थको देख लेते हैं । संधी जीव सैनाठीस हजार दौ सौ त्रैसठि योजन तकके पदार्थको देख लेता है । श्रोत्र इन्द्रिय द्वारा असंख्यी पंचेन्द्रिय जीव आठ हजार धनुष दूर तकके शब्दको सुन लेता है । संधी जीव बारह योजन दूरतकके शब्दको सुन लेता है । इस प्रकार इन्द्रियोंका विषय नियत है । प्राप्यकार्य स्पर्शन, रसना, प्राण और श्रोत्र इन चार इन्द्रियों द्वारा भी दूरवर्ती पदार्थोंका तिस प्रकार एक अवयवी रूप इन्द्रियदेशपर्यन्त उस दूरवर्ती पदार्थका नैमिचित्त परिणमन हो जन्मेसे प्रत्यक्ष कर लिया जाता है । यों चार इन्द्रियोंका प्राप्यकारिण अक्षुण्ण प्रतिष्ठित है । यद्यपि चतुर ( चार ) इन्द्रिय जीव मक्खी, पतंग, आदिक भी आपाढमें प्रातःकाल सैताठीस हजार दौ सौ त्रैसठ योजन दूरवर्ती सूर्यको अप्राप्यकारी चक्षु द्वारा देख लेते हैं । असंख्यी पंचेन्द्रिय जीव भी उन दूरवर्ती सूर्य, चन्द्रमाको देख सकना है । सूर्यसे चन्द्रमा अस्सी योजन अधिक ऊंचा है । किन्तु विशेष ज्ञानका अपेक्षा संधीजीवका ही बड़ चक्षुर्वैषय नियत किया है । चक्रवर्ती सूर्य विमानमें स्थित हो रहा जिन प्रतिमाका दर्शन कर लेता है । किन्तु मक्खी या साधारण मनुष्योंको वहांकी छोटी छोटी वस्तुओंका स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है । अतः सामान्यरूपसे देखना यहां विवक्षित नहीं है । इसी प्रकार टेडीकोन

द्वारा या बिना तारके विशेष यंत्र द्वारा अधिक दूरवर्ती शब्दोंको भी सुन लिया जाता है। यहाँ भी विद्युत् शक्तिसे फेंके गये शब्दोंको नहीं अपेक्षा कर श्रोत्रका विषय नियत किया गया है। वस्तुतः प्राप्यकारी श्रोत्र इन्द्रियके निकट प्रयोगों द्वारा आये हुये शब्दोंका ही इन्द्रियजन्य ज्ञान हुआ है। श्री गोम्मतसारमें लिखा हुआ जैनसिद्धान्त अकाट्य है। प्रयोगों द्वारा यहाँ आनेतक अन्य सदृश शब्द बन गये हैं। यों तो सूक्ष्मरूपसे शब्दोंकी परिणति लाखों करोड़ों योजनोत्तक हो जाती है। किन्तु योग्यता या दूरतक फेंके जाने अनुसार नियत हो रहे शब्दोंको ही श्रोत्र इन्द्रिय जान सकती है। ऋद्धिप्राप्त भूमियोंके इन्द्रियविषय की व्यवस्था ही न्यायी है। यह विषय सूक्ष्म है। त्रिलोक त्रिकालमें अवधित हो रहे और सर्वज्ञकी आम्नायसे चले आ रहे आगमके अनुकूल युक्तियोंद्वारा उक्त सिद्धान्तको आपोक्त अनुसार पुष्ट कर लेना चाहिये। इस प्रकार मतिज्ञानका दृष्टान्त देकर मनःपर्ययकी प्रकर्ष प्राप्तिको साध दिया है। परोक्षपन और प्रत्यक्षपनका अन्तर है। इस कारिकामें पडे हुये यथा शब्दका अन्वय तो सूत्रकी नौमी वार्तिकमें उच्चार गये तथा शब्दके साथ जुड़ा हुआ है।

**मतिपूर्वं श्रुतं यद्ब्रह्मस्पष्टं सर्ववस्तुषु ।**

**स्थितं प्रकृष्यमाणत्वात्पर्यंतं प्राप्य तत्त्वतः ॥ ८ ॥**

**मनःपर्ययविज्ञानं तथा प्रस्पष्टभासनं ।**

**विकलाध्यक्षपर्यन्तं तथा सम्यक्परीक्षितं ॥ ९ ॥**

और जिस प्रकार मतिज्ञानपूर्वक हुआ श्रुतज्ञान ( पक्ष ) सम्पूर्ण वास्तुओंमें अविशद हो रहा सत्ता अन्तिम सीमाको प्राप्त होकर यथार्थ रूपसे स्थित हो रहा है ( साध्य ) अपने विषयोंमें प्रकर्षको प्राप्त हो रहा होनेसे ( हेतु ) तिसी प्रकार मनःपर्यय विज्ञान भी अवधिज्ञान, मनःपर्यय ज्ञानस्वरूप विकल प्रत्यक्षोंकी सीमापर्यन्त अधिक स्पष्ट होकर प्रकाश रहा है। तिस प्रकार हम पूर्व प्रकरणोंमें इसकी सर्वाचीन परीक्षा कर चुके हैं। क्षायोपशमिक ज्ञानोंमें विकलप्रत्यक्ष बढे हुये हैं और विकलप्रत्यक्षोंमें मनःपर्ययज्ञान प्रकृत है। इससे आधिक सूक्ष्म विषयको जाननेवाला कोई क्षायोपशमिक ज्ञान नहीं है। हां, क्षायिक केवलज्ञान तो सर्वत्र अप्रतिहतवृत्ति है।

**प्रकृष्यमाणता त्वक्षज्ञानादेः संप्रतीयते ।**

**इति नासिद्धता हेतोर्न चास्य व्यभिचारिता ॥ १० ॥**

**साध्ये सत्येव सद्भावादन्यथानुपपत्तितः ।**

**स्पष्टहेतुवदित्यस्तु ततः साध्यविनिश्चयः ॥ ११ ॥**

इन्द्रियजन्य ज्ञान और श्रुतज्ञान आदि ज्ञानोंकी स्वके प्रकर्षपर्यन्त प्रकर्षना हो रही मडे प्रकार प्रतीत हो रही है। इस कारण पक्षमें ठहर जानेसे हेतु असिद्ध नहीं है। तथा इस प्रकृष्यमाणत्व

हेतुकी विपक्षमें वृत्ति नहीं होनेसे उसका व्यभिचारीपना भी नहीं है। प्रकर्षपर्यन्त गमनरूप साध्यके होनेपर ही प्रकृत्यमाणत्व हेतुका सद्भान अन्ययानुरपत्ति व्रन जानेसे अपने इष्ट घूम आदि हेतुओंके समान यह हेतु निर्दोष होओ। उस निर्दोष हेतुसे साध्यका विशेषरूप करके निश्चय हो जाता ही है। इस प्रकार पांचवीं वार्तिकके प्रमेयको साध दिया है।

**दृष्टेष्टवाहनं तस्यापह्ववे सर्ववादिनां ।**

**सर्वथैकान्तवादेपु तद्वादेऽपीति निर्णयः ॥ १२ ॥**

उन अमीष्ट ज्ञानोंकी प्रकर्षपर्यन्त प्राप्तिका अपलाप कर देनेपर सम्पूर्णवादियोंके यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाणों और इष्ट किये गये अनुमान आदि प्रमाणोंकरके वाधायें उपस्थित हो जावेंगी। इस कारण सभी प्रकार एकान्तोंको कहनेवाले वादोंमें और उस प्रसिद्ध हो रहे अनेकान्त वादमें भी उक्त प्रकार मनःपर्यय ज्ञानका निर्णय कर दिया गया है। अर्थात्—ज्ञानके नियत विषयोंकी परीक्षा करनेपर सभी विद्वानोंके यहाँ प्रकृत्यमाणपन अविनामात्री हेतुसे ज्ञानोंका अपने विषयोंमें प्रकर्षगमन निर्णोत हो रहा है। सीमापर्यंत ज्ञानका नाम कोई कुछ भी रखें।

**इस सूत्रका सारांश ।**

इस सूत्रमें इस प्रकार प्रकरण आये हैं कि प्रथम ही क्रमप्राप्त मनःपर्ययज्ञानके विषय नियमार्थ सूत्र कहना आवश्यक बताया है। तत् शब्दसे सर्वाधिके द्वारा जानेगये विषयका ग्रहण है। इसके अनन्तानन्तवे भाग छोटे टुकड़ेको मनःपर्ययज्ञानका विषय बताकर अनन्तपर्याय और अमूर्त द्रव्योंका मनःपर्ययज्ञान द्वारा जानना निषिद्ध ठहराया है। पश्चात् मनःपर्ययज्ञानके सद्भावकी और उसके सूत्रम विषयोंकी गहरी परीक्षा की है। सभीषानं व्याप्तियोंको बनाकर मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका दृष्टान्त देकर मनःपर्ययज्ञानकी स्वविषयको जाननेमें प्रकर्षप्राप्ति साध दी गयी है। उक्त प्रकार नहीं माननेवाले प्रवादियोंके यहाँर बाधायें उपस्थित होना बताया है। योग्य कारणोंके मिलनेपर इन्द्रिय-जन्मज्ञान भी नियत विषयतक वृद्धिगत हो जाते हैं। उसी प्रकार विकृत प्रत्यक्ष मनःपर्ययज्ञान भी द्रव्य, क्षेत्र, फाल भाषोंकी मर्षादाको लिये हुये स्थानियत विषयोंतक बढ जाता है। इससे उत्कृष्ट विषयको आवरणका उदय हो रहा होनेसे नहीं जान पाता है। सम्पूर्ण विषयोंमें तो केवलज्ञानकी ही प्रवृत्ति कही जावेगी। इस प्रकार स्वपर मनमें स्थित हो रहे नृडोकस्य सूत्रम स्कन्धतक छोटे बड़े रूपी पदार्थोंको और उनकी कतिपय पर्यायोंको मनःपर्ययज्ञान हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष कर लेता है। अन्य मतावबन्धी विशान् भी इन विकृत प्रत्यक्षोंको दूसरे ढंगोंसे स्वीकार अवश्य करते हैं, किन्तु निर्दोष मार्ग स्वामिकथित सिद्धान्त अनुसार ही सर्वमान्य होगा।

सर्वाधिज्ञातवदार्थमृक्षमानन्तरुपागं विशदीकरोति ।

उद्यस्यबोधाग्रमणिः मसथै मुक्तेर्मनःपर्यय एष भूयात् ॥ १ ॥

चार क्षायोपशमिक ज्ञानोंके विषयका नियम कर अब क्रमप्राप्त केवलज्ञानके विषयका नियम करनेके लिये श्री उमास्वामी महाराजके मुखचंद्रमासे सूत्ररूपी अमृत शरता है। उसका श्रवणोदिय-द्वारा पानकर परितृप्त हूजिये।

## सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥ २९ ॥

जीव आदिक सम्पूर्ण द्रव्यों और उनकी सम्पूर्ण पर्यायोंमें केवलज्ञानका विषय नियत हो रहा है।

ननु असिद्धत्वात्केवलस्य विषयनिबन्धकथनं न युक्तमित्याशंकायाभिदमाह।

किंसी मीमांसा करनेवालेकी शंका है कि जब केवलज्ञानका प्रमाणद्वारा सिद्धि नहीं हो चुकी है तो फिर असिद्ध केवलज्ञानके विषयनियमका कथन करना युक्त नहीं है। इस प्रकार आशंका होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य मह समाधान कहते हैं।

केवलं सकलज्ञेयव्यापि स्पष्टं प्रसाधितम्।

प्रत्यक्षमक्रमं तस्य निबन्धो विषयेष्विह ॥ १ ॥

अतीव विशद होकर सम्पूर्ण ज्ञेयोंमें ज्ञानमुद्रासे व्याप रहे केवलज्ञानकी हम पूर्व प्रकरणोंमें बढिया सिद्धि करचुके हैं। अन्य चार ज्ञान तो पदार्थोंमें क्रमसे वर्तते हैं। किन्तु केवलज्ञान क्रम क्रमसे पदार्थोंको ज्ञाननेके लिये नहीं प्रवर्तता है। वह तो युगपत् सम्पूर्ण पदार्थोंका विशद प्रत्यक्ष कर लेता है। अतः उस केवलज्ञानका विषयोंमें नियम करना इस प्रकरणमें समुचित ही है।

बोध्यो द्रव्येषु सर्वेषु पर्यायेषु च तत्त्वतः।

प्रक्षीर्णावरणस्यैव तदाविर्भावनिश्चयात् ॥ २ ॥

जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन सम्पूर्ण द्रव्योंमें तथा उक्त द्रव्योंकी सम्पूर्ण ही भूत, वर्तमान, भविष्यत्कालकी अर्थपर्यायों तथा व्यंजनपर्यायोंमें परमार्थ रूपसे केवलज्ञानका विषय समझ लेना चाहिये। जिस मनुष्यके सम्पूर्ण ज्ञानावरण कर्मोंका प्रकृष्टरूपसे क्षय होगया है, उस आत्माके ही उस सबको जाननेवाले केवलज्ञानका प्रादुर्भाव होता है। यह सिद्धांत निश्चित है। आवरणोंके क्षयमें प्रकर्ष यही है कि वर्तमानमें एक भी ज्ञानावरण पुद्गलका सद्भाव नहीं पाया जाय, और भविष्यमें भी ज्ञानावरके रूढ़के आज्ञानेका अवसर प्राप्त नहीं होय। आत्मामें केवलज्ञान शक्तिरूपसे विद्यमान है। प्रतिबन्ध कर्मोंका क्षय हो जानेपर आत्माके चेतनागुणका अनन्तकाल-तकके लिये केवलज्ञानरूप परिणाम होता रहता है। तभी तो आचार्य महाराजने केवलज्ञानका आविर्भाव (प्रकट) होना बताया है। रत्न पाषाणमें पहिलेसे विद्यमान ही रही चमक तो फारणोंसे बपक हो जाती है। किन्तु महीकी ईंटमें अन्तरंग शक्ति नहीं होनेके कारण वही चमक नहीं आयाती है।

आत्मद्रव्यं ज्ञ एवेष्टः सर्वज्ञः परमः पुमान् ।  
 कैश्चित्तद्व्यतिरिक्तार्थाभावादित्यपसारितं ॥ ३ ॥  
 द्रव्येष्विति बहुत्वस्य निर्देशात्तत्प्रसिद्धितः ।  
 वर्तमानेऽस्तु पर्याये ज्ञानी सर्वज्ञ इत्यपि ॥ ४ ॥  
 पर्यायेष्विति निर्देशादन्वयस्य प्रतीतितः ।  
 सर्वथा भेदतत्त्वस्य यथेति प्रतिपादनात् ॥ ५ ॥

किन्हीं ब्रह्माद्वैतवादियोंने परमगुरूप और सबको जाननेवाला ज्ञातास्वरूप अकेला आत्मा  
 द्रव्य ही अभीष्ट किया है। उस आत्मासे अतिरिक्त दूसरे घटे पट आदिक अर्थोंका अभाव है।  
 अतः अद्वैत आत्मा ही एक तत्त्व है। इस प्रकार अद्वैतवादियोंके मतका सूत्रमें कहे गये “द्रव्येषु”  
 इस प्रकार बहुवचनके निर्देशसे निराकरण कर दिया गया है। अर्थात्—अकेला आत्मा ही तत्त्व नहीं  
 है। किन्तु अनन्तानन्त आत्मायें हैं, तथा आत्माओंके अतिरिक्त पुद्गल, कालाणु आदिक भी अनेक  
 द्रव्य जगत्में विद्यमान हैं। प्रमाणोंसे उन द्रव्योंकी सिद्धि कर दी गयी है। तथा कोईबौद्ध विद्वान् यों  
 कहते हैं कि सबको जाननेवाला सर्वज्ञ भी वर्तमानकालकी विद्यमान पर्यायोंमें ही ज्ञानवान् होवे,  
 किन्तु नहीं विद्यमान हो रही भूत, भविष्यत् कालकी पर्यायोंको अथवा अनादि, अनन्त, अन्वित  
 द्रव्योंको वह सर्वज्ञ नहीं जान पाता है। क्योंकि द्रव्यतत्त्व तो मूलमें ही नहीं हैं। और भूत,  
 भविष्यत् कालकी पर्यायें ज्ञानके अव्यवहित पूर्वकालमें विद्यमान नहीं हैं, जिससे कि वे ज्ञानकी  
 उत्पत्तिमें कारण बन सकें। जो ज्ञानका कारण नहीं है, वह ज्ञानका विषय भी नहीं होता है।  
 अतः वर्तमान काल या अव्यवहित पूर्व समयकी पर्यायोंको ही सर्वज्ञ जान पाता है। अब आचार्य  
 कहते हैं कि इस प्रकार बौद्धोंका फइना भी निराकृत हो जाता है। क्योंकि उमास्वामी महाराजने  
 सूत्रमें “पर्यायेषु” इस प्रकार बहुवचनान्तपदका प्रयोग किया है। अतः तीनों काल सम्बन्धी  
 पर्यायोंमें केवलज्ञानकी प्रवृत्ति है। पूर्वकालवर्ती पर्यायोंका समूह चूट नाश नहीं हो जाता है।  
 किन्तु एक द्रव्यकी कालत्रयवर्ती पर्यायोंमें गंगाकी चाराओंके समान अन्वय जुड़ रहा प्रतीत होता  
 है। तथा अनादिसे अनन्तकालतक वर्त रहा नियद्रव्य भी वस्तुभूत पदार्थ है। पर्यायें कर्षंश्चित्त  
 भिन्न हैं, और द्रव्य कर्षंश्चित्त अभिन्न है। जिस प्रकार सर्वथा भेदरूप अथवा अभेदरूप तत्त्व  
 वास्तविक नहीं बन सकता है। इसको हम पहिले प्रकरणोंमें कष्ट चुके हैं। माळास्वरूप वस्तुमें  
 मणिका ( दाने ) तो पर्यायोंके समान है। और पिरोये हुये डोरके समान द्रव्य अंश है। पर्याय  
 और द्रव्य इन दोनों अंशोंका समुदाय अंती वस्तु है। केवलज्ञान सम्पूर्ण पदार्थोंको जानता है।

तस्मादनुष्ठेयगतं ज्ञानमस्य विचार्यतां ।  
 कीटसंज्ञापरिज्ञानं तस्य नात्रोपयुज्यते ॥ ६ ॥  
 इत्येतच्च व्यवच्छिन्नं सर्वशब्दप्रयोगतः ।  
 तदेकस्याप्यविज्ञाने काक्षुणं शिष्यशासनं ॥ ७ ॥

बहु वचनान्त द्रव्य और पर्याय इन दो पदोंकी सफलताको दिखाकर अब सर्व शब्दकी पदकीर्तिको समझाते हैं । किसीका हठ है कि मोक्षके उपयोगी अनुष्ठान करने योग्य कुछ जीव और पुद्गल अथवा बन्व, बन्वकारण, मोक्ष, मोक्षकारण आदि पदार्थोंमें ही इस सर्वज्ञका ज्ञान प्राप्त हो रहा है । तिस कारण यही विचार लो कि कतिपय उपयोगी पदार्थोंका ही ज्ञान सर्वज्ञको है । इस प्रकरणमें सम्पूर्ण कीट, पतंग या कूडे, काकट आदिके नाम निर्देश और उन कीडे कूडे आदि निस्सार पदार्थोंका परिज्ञान करना उस सर्वज्ञको उपयोगी नहीं है । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार यह किसीका कहना सूत्रोक्त सर्व शब्दके प्रयोगसे खण्डित हो जाता है । क्योंकि उन सम्पूर्ण पदार्थोंमेंसे किसी एक भी कीडे, कचडेका, विशेषज्ञान न होनेपर भला परिपूर्ण रूपसे शिष्योंके प्रति निर्दोष शिक्षा देना कहाँ बन सकेगा ? अर्थात्—प्रायः प्रत्येक जीव पूर्वजन्मोंमें कीट, पतंग, पर्यायोंको धारण कर चुके हैं । कोई कोई जीव भविष्यमें भी अनेक बार कीडे पतंगे होंगें । अतः भूत, भविष्य, वर्तमानकालके भयोंको जाननेवाले सर्वज्ञको कीटोंका ज्ञान करना भी आवश्यक है । तथैव मून, भविष्यमें शरीररूप होनेकी योग्यता रखनेवाले ये नाना पौद्गलिक पदार्थ स्वरूप हो चुके, होनेवाले कचरेका ज्ञान भी अनिवार्य है । दूसरी बात यह है कि वस्तुके स्वभावमें आवश्यकता अपेक्षणीय नहीं है । दर्पण अरने सम्मुख आये हूये छोटे, बड़े मूर्ख, पण्डित, मल, मूत्र, आदि सबका प्रतिबिम्ब ले लेता है । जो छोटी मूर्त वस्तु हमें बाहर नहीं दीखती है । उसका प्रतिबिम्ब भी नहीं दीखता है । किन्तु छोटे पदार्थका भी प्रतिबिम्ब दर्पणमें पड गया है । सूर्य सम्पूर्ण रूप-  
 धान् पदार्थोंका प्रकाश कर देता है । यही उपयोगी अनुसयोगीका प्रश्न उठाना उचित नहीं है । इसी प्रकार ज्ञानका स्वभाव भी त्रिशोक, त्रिकाण्वर्ती सम्पूर्ण पदार्थोंको प्रकाश करनेका है । अतः सर्वज्ञ ( आत्मायें ) इच्छाके बिना ही यावत् विशद प्रत्यक्ष कर लेते हैं । वस्तुतः विचारा जाय तो संसारके सभी पदार्थ अरेक्षाकृत उपयोगी और अनुसयोगी हो जाते हैं । टोडीके बाल डड्डी रखने वाके मनुष्य या सिङ्गलोक उरयोगी हैं । किन्तु उड्डोंको नहीं चाहनेवाले पुरुषके छिर वे ही बाल भारभूत अनुसयोगी बन रहे हैं । कूडा, कचडा भी खातके छिये बडा उरयोगी है । घरेमें पडा हुआ कूडा तो रोगका उपादक है । बात यह है कि ज्ञानका स्वभाव जानना है । चक्षुद्वाया हम मेष्य, अनेष्य, शत्रु, भित्त, आवरणक, अनावरणक, चीटी, मक्खी, आदि सभी पदार्थोंको योग्यता मिळ जानेपर देख लेते हैं । नहीं चाहे हुए वा अनुसयोगी पदार्थोंको भी देख लेना पडता है । कभी

कमी तो मनोमिलापासे नहीं स्मरण करने योग्य घृणित या भयंकर अथवा इष्ट हो रहे मृत या विद्युत् पदार्थोंका पुनः पुनः स्मरण आता रहता है। क्या करें, अग्नि सभी दाह्य पदार्थोंको जल देती है। अन्नक ( मोडक ) की भी भस्म हो जाती है। दहन होने योग्य पदार्थोंको जल आर्द्र कर देता है। वह हानि, लाभ, पर आश्रयक, अनाश्रयकका विचार नहीं करता है। इसी प्रकार केवलज्ञान भी विचार करनेवाला ज्ञान नहीं है। स्वपरप्रकाश स्वभावद्वारा सम्पूर्ण अनन्तानन्त पदार्थोंको पुगपत् जानता रहता है।

हेयोपादेयतत्त्वस्य साभ्युपायस्य वेदकं ।

सर्वज्ञतामितं नेष्टं तज्ज्ञानं सर्वगोचरम् ॥ ८ ॥

उपेक्षणीयतत्त्वस्य हेयादिभिरसंप्रहात् ।

न ज्ञानं न पुनस्तेषां न ज्ञानेऽपीति केचन ॥ ९ ॥

कोई लौकिक विद्वान् कह रहे हैं कि सर्वज्ञतको प्राप्त हो चुका भी विज्ञान केवल उपायोसे सहित हेय और उपादेय तत्त्वोंका ही ज्ञान करनेवाला माना गया है। वह ज्ञान सम्पूर्ण अनन्तानन्त पदार्थोंको विषय करनेवाला इष्ट नहीं किया गया है। अर्थात्—हेय तरव संसार और उसके उपाय आसन्नतरव, बन्धतरव तथा उपादान करने योग्य मोक्ष और उसके उपाय संवर, निर्जरा तत्त्वोंका अथवा इसी प्रकारके अन्य कृतिपय अर्थोंको ही सर्वज्ञ जानता है। शेष बहुभाग पदार्थोंको नहीं जान पाता है। प्रमाणका फल कहते हुये आप जैनोंने हेयका हान, उपादेय अर्थोंका उपादान और उपेक्षणीय पदार्थोंको उपेक्षा कर लेना माना है। तदनुसार उपेक्षा करने योग्य कीडा, कूड़ा आदि, जीर, पुद्रक, आदि तत्त्वोंका हेय आदिकोंके संग्रह नहीं हो सकता है। अतः उन उपेक्षा करने योग्य पदार्थोंका फिर सर्वज्ञको ज्ञान नहीं होता है। उन बहुभाग अनन्तानन्त उदासीन पदार्थोंका ज्ञान नहीं होनेपर भी ज्ञान नहीं हुआ ऐसा नहीं समझा जाता है। अतः आश्रयक हो रहे सम्पूर्ण हेय उपादेय तत्त्वोंको जान लेनेसे अतिशय उक्ति अनुसार उसको सर्वज्ञ कह देते हैं। जैसे कि राजनीतिके गूढ़ विषयोंको ही जाननेवाले विद्वान्को स्तुति करता हुआ पुरुष " सर्वज्ञ " ऐसा बखान देता है। इस प्रकार कूपमण्डूकके समान अल्पबुद्धिको धारनेवाले आधुनिक जडयादी विद्वानोंके समान कोई विद्वान् कह रहे हैं।

तदसद्वीतरागामुपेक्षत्वेन निश्चयात् ।

सर्वार्थानां कृतार्थत्वात्तेषां क्वचिदवृत्तितः ॥ १० ॥

अब आचार्य कहते हैं कि मीमांसकोंका वह कहना सत्यार्थ नहीं है। क्योंकि वीतराग सर्वज्ञ आत्माओंकी दृष्टिमें सम्पूर्ण पदार्थोंका उपेक्षाके विषयपने फरके निश्चय हो रहा है। अर्थात्—



त्रिकाल, त्रिशोकवर्ती पदार्थोंको युगपत् जाननेवाले सर्वज्ञ वीतराग देव किसी पदार्थमें रागी नहीं होनेके कारण उनका उपादान नहीं करते हैं। और किसी भी पदार्थमें द्वेष नहीं रखनेके कारण उनका त्याग नहीं करते हैं। किन्तु सर्वज्ञ आत्माओंके सम्पूर्ण पदार्थोंमें उपेक्षामात्र है। तभी तो स्वामी श्री समन्तमहाचार्यने “आप्तमीमांसा” में लिखा है कि “उपेक्षा फलमाद्यस्य शेषत्वादानहानधीः। पूर्वा वाऽज्ञाननाशो वा सर्वस्यास्य स्वगोचरे” केवलज्ञानका फल उपेक्षा करना है। शेष चारज्ञान और तीग कुज्ञानोंका फल अपने विषयोंमें उपादान बुद्धि और त्याग बुद्धि करा देना है। उपेक्षा भी फल है। हाँ, अज्ञानोंका नाश तो सभी ज्ञानोंसे हो जाता है। पदार्थोंकी जिज्ञासा और उपादित्सा होनेपर द्वेषी, रागी, जीवोंकी पदार्थोंमें त्याग और ग्रहणके लिये निवृत्ति, प्रवृत्तियाँ होती हैं। किन्तु वे केवलज्ञानी सर्वज्ञ तो कृतकृत्य हो चुके हैं। अतः उनकी किसी भी पदार्थमें हान, उपादान करनेके लिये निवृत्ति या प्रवृत्ति नहीं होती है। अतः उपायसहित कतिपय हेय और उपादेय तत्त्वोंको ही जाननेवाला सर्वज्ञ है। यह मीमांसकोंका कथन करना प्रशंसनीय नहीं है। उनकी दृष्टिसे सभी पदार्थ उपेक्षणीय हैं, वे सबको एकसा समान रूपसे जानते रहते हैं।

विनेयापेक्षया हेयमुपादेयं च किंवन ।

सोपायं यदितेऽप्याहुस्तदोपेक्ष्यं न विद्यते ॥ ११ ॥

निःश्रेयसं परं तावदुपेयं सम्मतं सताम् ।

हेयं जन्मजरामृत्युकीर्णं संसरणं सदा ॥ १२ ॥

अनयोः कारणं तस्याद्यदन्यत्तन्न विद्यते ।

पारंपर्येण साक्षाच्च वस्तूपेक्ष्यं ततः किमु ॥ १३ ॥

यदि वे मीमांसक लोग यों कहें कि सर्वज्ञकी दृष्टिमें भले ही कोई पदार्थ हेय और उपादेय नहीं होवे, किन्तु उपदेश प्राप्त करने योग्य विनयशाळी शिष्योंकी अपेक्षासे कोई त्यागने योग्य पदार्थ तो हेय हो जावेगा और शिष्योंकी दृष्टिसे ग्रहण करने योग्य कोई कोई पदार्थ उपादेय बन जायगा। उन हेय, उपादेय पदार्थोंके उपाय भी जगत्में प्रसिद्ध हो रहे हैं। इस प्रकार उपाय सहित हेय, उपादेय, तत्त्वोंका जान लेना ही सर्वज्ञताके लिये पर्याप्त है। इस प्रकार भी जो वे मीमांसक कह रहे हैं, अब हम जैन कहते हैं कि तत्र तो यानी रागी, द्वेषी, शिष्योंकी अपेक्षा करके ही यदि हेय, उपादेय, तत्त्वोंका जानना सर्वज्ञके लिये आवश्यक बताया जायगा तो जगत्में कोई उपेक्षा ( रागद्वेष नहीं करने योग्य ) का विषय कोई पदार्थ नहीं ठहरता है। देखिये, परमात्म अवस्थास्वरूप उत्कृष्ट मोक्ष तो सज्जन पुरुषोंके यहा उपादान करने योग्य भले प्रकार मानी गयी है। और सर्वदा ही जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदिक बाधाओंसे विधा हुआ यह संसार तो

विद्वानोंकी सम्प्रतिमें हेय भास रहा है। तथा मोक्ष और संसार इन दोनोंके कारण भी प्रसिद्ध हो रहे वे संवर, निर्जरा, या मिथ्याज्ञान, कषाय, योग, खी, पुत्र, धन, गृह, आदिक पदार्थ हैं, मोक्ष, संसार, और उनके कारण इन तीन जातिके पदार्थोंसे भिन्न कोई भी पदार्थ वह विद्यमान नहीं है, जो कि उपेक्षा करने योग्य कहा जाय ! जगत्के सम्पूर्ण भी पदार्थ परम्पराकरके अथवा साक्षात् रूपसे हेय और उपादेय तत्त्वोंमें गर्भित हो जाते हैं। तिस कारणसे तुम मीमांसक ब्रह्माजो कि मछा कौन वस्तु उपेक्षणीय कही जाय ! संसारमें अनन्त विनययुक्त जीव हैं, जो कि आपकी परिभाषासे “ विनेय ” कहे जा सकते हैं। साक्षात् या परम्परासे समी पदार्थ उनकी अपेक्षासे स्वाग्य या उपादेय हो रहे हैं। अतः कीडा, कूडा, आदि पदार्थ भी डाकटों या किसानों और सेठोंको प्राह्य या स्वाग्य पदार्थ बन रहे हैं। अतः मीमांसकके सर्वज्ञको भी उक्त पदार्थोंका ज्ञान करना आवश्यक पड़ गया। जगत्के सम्पूर्ण पदार्थोंको जान चुकनेपर ही सर्वज्ञपना निरवय ठहर सकता है। अन्यथा नहीं।

**द्वेषो हानमुपादानं रागस्तद्द्वयवर्जनं ।**

**ख्यातोपेक्षेति हेयाद्या भावास्तद्विषयादिमे ॥ १४ ॥**

**इति मोहाभिभूतानां व्यवस्था परिकल्प्यते ।**

**हेयत्वादिव्यवस्थानासम्भवात्कुत्रचित्तव ॥ १५ ॥**

पदार्थोंमें द्वेष करना ही उनका हानि ( त्याग ) करना है और पदार्थोंमें राग करना ही उनका उपादान है। तथा उन राग, द्वेष दोनोंको वर्जना उपेक्षा कही जाती है। इस प्रकार द्वेष, उपादेय, उपेक्षणीय, प्रकारके भाव जगत्में प्रसिद्ध हैं। उन आत्मीय परिणाम हो रहे राग, द्वेष, उपेक्षाओंके विषय पढ़ जानेसे ये पदार्थ भी हेय आदिक बखाने जाते हैं। इस प्रकार मोहग्रस्त जीवोंकी व्यवस्था चारों ओरसे कल्पित कर ली गयी है। तदनुसार तुम मीमांसकोंके यहां किसी भी एक विवक्षित पदार्थमें द्वेषपन आदिकी व्यवस्था करना असम्भव है।

**हातुं योग्यं मुमुक्षूणां हेयतत्त्वं व्यवस्थितं ।**

**उपादातुं पुनर्योग्यमुपादेयमितीयते ॥ १६ ॥**

**उपेक्ष्यन्तु पुनः सर्वमुपादेयस्य कारणम् ।**

**सर्वोपेक्षास्वभावत्वाच्चारित्रस्य महात्मनः ॥ १७ ॥**

वस्तुतः सिद्धान्त इस प्रकार है कि मोक्षको चाहनेवाले मनुष्य जीवोंके त्याग करने योग्य पदार्थ तो हेयतत्त्वं है और मुमुक्षुओंके प्रदण करने योग्य पदार्थ फिर उपादेयपनकरके व्यवस्थित हो रहे हैं। इस प्रकार प्रतीति की जा रही है। किन्तु फिर जीवनभूत हो जानेपर सम्पूर्ण भी पदार्थ

उपेक्षा करने योग्य हो जाते हैं । उपादेय और हेयके कारण भी उपेक्षा करने योग्य हैं । क्योंकि महान् आत्मानाळे सर्वज्ञके तदात्मक हो रहा चारित्र गुण तो सम्पूर्ण पदार्थोंमें उपेक्षा करना स्वभावको लिये हुये हैं । भावार्थ—महात्मा सर्वज्ञदेवका चारित्र गुण सम्पूर्ण पदार्थोंमें उपेक्षित हो रहा है । चारित्रमोहनीयकर्मका नाश हो जानेसे राग, द्वेष, रति, अरति भाव नहीं उत्पन्न हो पाते हैं । महात्मा हो रहा चारित्र गुण सबकी उपेक्षा स्वरूप हैं । यदि मीमांसकोंके कथन अनुसार, सर्वज्ञमें उपेक्षणीय तत्त्वोंका ज्ञान नहीं माना जायगा तो वह अज्ञ ही रहेगा । एक भी अर्थ नहीं जान पावेगा । यथार्थमें विचारा जाय तो उपेक्षणीय पदार्थका ही परिपूर्ण ज्ञान हो सक्ता है । हेय और उपादेयके ज्ञान करनेमें तो वृष्टियां रह जाती हैं । माता अपने काले बाँके छोकरेको बहुत सुंदर जान लेती है । शत्रुके पदार्थ अच्छे भी भले ढंगसे नहीं जाने जाते हैं । कुंवड़ी अपने खदे बेरोंको भी अच्छा बताती है । किन्तु बड़े विद्वान् अपनेको छोटा ही कहते हैं । रागद्वेष पूर्ण हो रहे लौकिक गुणदोषोंकी व्यवस्थाके अधीन सम्यग्ज्ञान नहीं है ।

तत्त्वश्रद्धानसंज्ञानगोचरत्वं यथा दधत् ।

तद्भाव्यमानाम्नातममोधमघघातिभिः ॥ १८ ॥

तत्त्वार्थोंका श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके विषयपनेको धारण कर रहे वे पदार्थ यदि यथायोग्य वस्तु अनुभार भावना ( चारित्र ) द्वारा भाये जाय तो ज्ञानावरण आदि पापकर्मोंका नाश करनेवाले ज्ञानी जीवोंद्वारा अव्यर्थ माने गये हैं । अर्थात्—सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके विषय हो जाय तो सभी पदार्थ उपादेय होते हुये मुक्तिके कारण हो जाते हैं । इस उपेक्षासे हेय पदार्थोंके लिये कोई स्थान नहीं रहता है । सम्यग्ज्ञानद्वारा जाने गये उपाय या हेयतत्त्व भी उपादेय हैं । तभी तो तरवार्यसूत्रकी स्तुति या पूजा करनेवालोंके लिये एकेंद्रिय, नपुंसक, नारकी, बन्धहेतु, आर्तरीद्रघ्यान, आदि निरुद्ध विषयोंके प्रतिपादक “ पृथिव्येतैजोवायुवनस्पतयः स्यावराः, नारक-समूर्च्छनो नपुंसकानि, मिथ्यादर्शनावितिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः, आर्तममनोज्ञस्य, इत्यादि अनेक सूत्र भी उपादेय होकर अर्थ चढाने योग्य हो रहे हैं ।

मिथ्यादृग्बोधचारित्रगोचरत्वेन भावितम् ।

सर्वं हेयस्य तत्त्वस्य संसारस्यैव कारणं ॥ १९ ॥

तथा मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रके विषयपने करके भावना किये गये सभी पदार्थ हेय हैं और हेयतत्त्व संसारके ही कारण हैं । अर्थात्—इत उपेक्षासे सभी पदार्थ हेय होयगये । उपादेयोंके लिये स्थान अवशिष्ट नहीं रहता है । मिथ्याज्ञानसे जाने हुये उपायतत्त्व भी हेय हैं । यदात्मक कि सम्यग्ज्ञानके विषय हो रहे भी देवदर्शन, जिनपूजन, बारह भावनायें, छेदोत्सवपना,

धर्म्यध्यान, क्षपकश्रेणी, आदि कतिपय पदार्थ ऊपर २ के गुणस्यानोमें हेय होते जाते हैं । मुक्त अवस्थामें सामायिक शुद्धध्यान, संवर और निर्जरा भी सर्वथा छोड़ दिये जाते हैं ।

**तदवश्यं परिज्ञेयं तत्त्वार्थमनुशासता ।**

**विनेयानिति बोद्धव्यं धर्मवत्सकलं जगत् ॥ २० ॥**

तिस कारण विनीत शिष्योंके प्रति तत्त्वार्थोंकी शिक्षा देनेवाले सर्वज्ञ करके सम्पूर्ण पदार्थ अवश्य ही चारों ओरसे जान लेने योग्य हैं । इस प्रकार धर्मके प्रधान उपदेष्टाको उचित है कि वह धर्म, अर्मके समान सम्पूर्ण जगत्को साक्षात् जान लेवे । अर्थात्—धर्मको जाने और सर्व पदार्थोंको जाने । तमो शिष्योंके प्रति निर्दोष शिक्षण हो सकेगा अन्यथा नहीं । सर्वज्ञद्वारा तो पाँछे भी आम्नाय चळ सकती है । अब आम्नाय अनुमार तत्त्वोंका नि संशय निर्णय नहीं हो पाता है ।

**धर्मादन्यत्परिज्ञातं विप्रकृष्टमशेषतः ।**

**येन तस्य कथं नाम धर्मज्ञत्वनिषेधनम् ॥ २१ ॥**

जिस महारामाने धर्मके अतिरिक्त अन्य स्वभावव्यवहित परमाणु आदिक और देशव्यवहित सुमेरु आदिक, तथा कालव्यवहित रामचन्द्र आदिक विप्रकृष्ट पदार्थोंको शेषरहितपनेसे परिपूर्ण जान लिया है, उस पुरुषके धर्मके ज्ञाताग्नका निषेध करना मला कैसे सम्भवता है ! भावार्थ—धर्मके सिवाय अन्य सम्पूर्ण पदार्थोंको जो जानता है, वह धर्मको भी अवश्य जान लेगा । धर्ममें ही सूत्रन पदार्थोंतकको जाननेवाले विद्वान् करके धर्म जाननेसे बच नहीं सकता है । अतः सर्वज्ञके लिये धर्मज्ञपनेका निषेध करना मीमांसकोंको उचित नहीं है ।

**सर्वानतीन्द्रियान् वेत्ति साक्षाद्धर्ममतीन्द्रियम् ।**

**प्रमातेति (प्रमाता न) चदन्यायमतिक्रामति केवलं ॥ २२ ॥**

प्रमाणज्ञान करनेवाला अत्मा सम्पूर्ण अतीन्द्रिय पदार्थोंको प्रत्यक्षरूपसे जानता है । केवल अतीन्द्रिय पुण्य, पापत्वर धर्म, अर्धको साक्षात् नहीं जानता है । “ धर्मो चोदनेव प्रमाणं ” धर्मका निर्णयज्ञान करनेमें वेदवाक्य ही प्रमाण हैं । इन प्रकार कह रहा मीमांसक न्यायमार्गका केवल अतिक्रमण कर रहा है । जब कि न्यायकी सामर्थ्यसे उत्कृष्ट ज्ञानका स्वभाव सम्पूर्ण पदार्थोंका जानना सिद्ध हो चुका है, तो फिर यह ज्ञान अतीन्द्रिय पदार्थोंमेंसे केवल धर्मको क्यों छोड़ देगा ! जब और स्पष्ट सभी स्थानोंमें मेव धरते हैं । कंगाल, धनपनि, सबके यश सूर्य प्रकाश करता है । बस्तुका वेसा स्वभाव सिद्ध हो जानेपर पुनः पक्षगत नहीं चलता है ।

यथैव हि हेपोपादेयतत्रं साम्भुपायं स वेत्ति न पुनः सर्वकीटसंरुपादिकमिति  
चदन्यायमतिक्रामति केवलं तत्त्ववेदने सर्वसंवेदनस्य न्यायमाप्तत्वात् । तथा धर्मादन्यान-

तीन्द्रियान्सर्वानर्थान्विजानन्नपि धर्मं साक्षात् स वेत्तीति वदन्नपि तत्साक्षात्करणे धर्मस्य साक्षात्करणसिद्धेरतीन्द्रियत्वेन जात्यन्तरत्वाभावात् । यस्य यज्जातीयाः पदार्थाः प्रत्यक्षास्तस्यास्त्यावरणे वेऽपि प्रत्यक्षा यथा घटसमानजातीयभूतलपत्यक्षत्वे घटः । प्रत्यक्षाथ कस्यचिद्विवादापन्नस्य धर्मसजातीयाः परमाण्वादयो देशकालत्वभावविप्रकृष्टा इति न्यायस्य सुव्यवस्थितत्वात् ।

जिस ही प्रकार यों कह रहा मीमांसक केवल न्यायमार्गका उल्लंघन कर देता है कि उपाय सहित केवल हेय और उपादेयको ही वह सर्वज्ञ जानता है । किन्तु फिर सम्पूर्ण कौडे, कूडे, और उनको गिनती नाप, तोल आदिकोंको वह सर्वज्ञ नहीं जानता है । आचार्य कहते हैं कि यह मीमांसकोंका सर्वा ( सत्ता ) अन्वय है । क्योंकि उन उपादेयसहित हेय उपादेय तत्त्वोंके भेद प्रकार जान लेनेपर सम्पूर्ण पदार्थोंका अच्छा जान लेना अपने आप न्यायसे प्राप्त हो जाता है । तिसी प्रकार यों कह रहा मीमांसक भी न्यायमार्गको उल्लंघना है कि धर्मसे अतिरिक्त अन्य सम्पूर्ण अतीन्द्रिय पदार्थोंको विशेषरूपसे जानता हुआ भी वह सर्वज्ञ धर्मको साक्षात् रूपसे नहीं जान पाता है । यह मीमांसकोंका अन्वय क्यों है ? इसका प्रकार उत्तर यही है कि उन सम्पूर्ण अतीन्द्रिय पदार्थोंके प्रत्यक्ष कर लेनेपर धर्मका प्रत्यक्ष कर लेना तो स्वतः सिद्ध हो जाता है । बहिरंग इन्द्रियोंके विषय नहीं हो सकनेकी अपेक्षासे धर्म और अन्य अतीन्द्रिय पदार्थोंमें कोई भिन्नजातीयपना नहीं है । पुण्य, पाप, परमाणु, आकाश आदिक पदार्थ समान जातिके हैं । जिस ज्ञानी जीवको जिस जातिवाले पदार्थोंका प्रत्यक्ष होगया है, उस ज्ञानीको प्रतिबंध आवरणोंके दूर हो जानेपर उस जातिवाले अन्य पदार्थोंका भी प्रत्यक्ष हो जाता है । जैसे कि पौद्गलिक घटके समान जातिवाले होरहे भूतलके चक्षुर्इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष हो जानेपर वहां विद्यमान हो रहे घटका भी चक्षुर्इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है । इसी प्रकार त्रिवादमें पडे हुये किसी सर्वज्ञके ज्ञान द्वारा धर्मके सजातीय परमाणु सुमेरु, रामचंद्र आदिक स्वभावविप्रकृष्ट, देशविप्रकृष्ट, कालविप्रकृष्ट पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं । इन्द्रिय जन्म-ज्ञानप्राप्त अन्य पदार्थोंका प्रत्यक्ष तो अभीष्ट ही है । इस प्रकार प्रतिज्ञा, हेतु, आदि पांच अवयववाले अनुमान स्वरूप न्यायकी भेद प्रकार व्यवस्था हो चुकी है ।

ततो नेदं सूक्तं मीमांसकस्य । “धर्मज्ञत्वनिषेधस्तु केवलोऽत्रोपयुज्यते । सर्वमन्यद्विजानंस्तु पुरुषः केन वार्यते ” इति । न त्ववधीरणानादरः । तत्सर्वमन्यद्विजानंस्तु पुरुषः केन वार्यते इति । तत्र नो नातितरामादरः ।

तिस कारण मीमांसकोंका यह कहना समीचीन नहीं है कि सर्वज्ञका निषेध करते समय केवल धर्मके ज्ञातापनका निषेध करना ही तो यहाँ उपयोगी हो रहा है । अन्य सभी पदार्थोंको भेद ही वह सर्वज्ञ जाने ऐसे सर्वज्ञका किस विद्वान्कारके निवारण किया जा रहा है ? अर्थात्—मीमांसकोंका कहना है कि अतीन्द्रिय धर्मका ज्ञान तो वेदवाक्योंद्वारा ही होता है । धर्मसे अतिरिक्त

धर्म्यध्यान, क्षपकश्रेणी, आदि कतिपय पदार्थ ऊपर २ के गुणस्थानोंमें हेय होते जाते हैं । मुक्त अवस्थामें सामायिक शुद्धध्यान, संवर और निर्जरा भी सर्वथा छोड़ दिये जाते हैं ।

**तदवश्यं परिज्ञेयं तत्त्वार्थमनुशासता ।**

**विनेयानिति बोद्धव्यं धर्मवत्सकलं जगत् ॥ २० ॥**

जिस कारण विनीत शिष्योंके प्रति तत्त्वार्थोंकी शिक्षा देनेवाले सर्वज्ञ कारके सम्पूर्ण पदार्थ अवश्य ही चारों ओरसे जान लेने योग्य हैं । इस प्रकार धर्मके प्रधान उपदेष्टाको उचित है कि वह धर्म, अर्धके समान सम्पूर्ण जगत्को साक्षात् जान लेवे । अर्थात्—धर्मको जगत् और सर्व पदार्थोंको जाने । तभी शिष्योंके प्रति निर्दोष शिक्षण हो सकेगा अन्यथा नहीं । सर्वज्ञद्वारा तो पाँडे भी आम्नाय चळ सक्त है । अन्व आम्नाय अनुसार तत्त्वोंका नि संशय निर्णय नहीं हो पाता है ।

**धर्मादन्यत्परिज्ञातं विप्रकृष्टमशेषतः ।**

**येन तस्य कथं नाम धर्मज्ञत्वनिपेधनम् ॥ २१ ॥**

जिस महात्माने धर्मके अतिरिक्त अन्य स्वभावव्यवहित परमाणु आदिक और देशव्यवहित सुमेरु आदिक, तथा काष्ठव्यवहित रामचन्द्र आदिक विप्रकृष्ट पदार्थोंको शेषरहितपनेसे परिपूर्ण जान लिया है, उस पुरुषके धर्मके ज्ञातागनका निषेध करना भला कैसे सम्भवना है ? भावार्थ—धर्मके सिवाय अन्य सम्पूर्ण पदार्थोंको जो जानता है, वह धर्मको भी अवश्य जान लेगा । धर्मसे भी सूक्ष्म पदार्थोंतकको जाननेवाले विद्वान् कारके धर्म जाननेसे बच नहीं सकता है । अतः सर्वज्ञके लिये धर्मज्ञपनेका निषेध करना मीमांसकोंको उचित नहीं है ।

**सर्वानतीन्द्रियान् वेत्ति साक्षाद्दर्ममतीन्द्रियम् ।**

**प्रमातेति (प्रमाता न) वदन्न्यायमतिक्रामति केवलं ॥ २२ ॥**

प्रमाणज्ञान करनेवाला अज्ञान सम्पूर्ण अतीन्द्रिय पदार्थोंको प्रत्यक्षरूपसे जानता है । केवल अतीन्द्रिय पुण्य, पापरूप धर्म, अर्धको साक्षात् नहीं जानता है । " धर्मं चोदनेव प्रमाणं " धर्मका निर्णयज्ञान करनेमें वेदवाक्य ही प्रमाण हैं । इस प्रकार कह रहा मीमांसक न्यायमार्गका केवल अतिक्रमण कर रहा है । जब कि न्यायकी सामर्थ्यसे उत्कृष्ट ज्ञानका स्वभाव सम्पूर्ण पदार्थोंका जानना सिद्ध हो चुका है, तो फिर वह ज्ञान अतीन्द्रिय पदार्थोंमेंसे केवल धर्मको क्यों छोड़ देगा ? जब और इधर सभी स्थानोंमें मेघ वर्षते हैं । कंगाल, धनपति, सबके यश सूर्य प्रकाश करता है । वस्तुका वैसा स्वभाव सिद्ध हो जानेपर पुनः पक्षपात नहीं चलता है ।

येवैव हि हेयोपादेयत्त्वं साभ्युपायं न वेत्ति न पुनः सर्वकीटसंख्यादिकमिति वदन्न्यायमतिक्रामति केवलं तत्सर्ववेदने सर्वसर्ववेदनस्य न्यायमाप्तत्वात् । तथा धर्मादन्यान-

तीन्द्रियान्सर्वानर्थान्विजानन्नपि धर्मं साक्षात् स वेत्तीति वदन्नपि तत्साक्षात्करणे धर्मस्य साक्षात्करणसिद्धेरतीन्द्रियत्वेन जात्यन्तरत्वाभावात् । यस्य यज्जगतीयाः पदार्थाः प्रत्यक्षा-  
स्वस्यासत्यावरणे तेषु प्रत्यक्षा यथा घटसमानजातीयभूतलमत्यसत्त्वे घटः । प्रत्यक्षाश्च  
कस्पचिद्विनादापन्नस्य धर्मसजातीयाः परमाणवादयो देशकालस्वभावविप्रकृष्टा इति  
न्यायस्य सुव्यवस्थितत्वात् ।

जिस ही प्रकार यों कह रहा मीमांसक केवल न्यायमार्गका उल्लंघन कर देता है कि उपाय सहित केवल हेय और उपादेयको ही वह सर्वज्ञ जानता है । किन्तु फिर सम्पूर्ण कूडे, कूडे, और उतकी गिनती नाप, तोल आदिकोंको वह सर्वज्ञ नहीं जानता है । आचार्य कहते हैं कि यह मीमांसकोंका सर्वा ( साक्षर ) अन्याय है । क्योंकि उन उपादेयसहित हेय उपादेय तत्त्वोंके भेदे प्रकार जान लेनेपर सम्पूर्ण पदार्थोंका अच्छा जान लेना अपने आप न्यायसे प्राप्त हो जाता है । तिसी प्रकार यों कह रहा मीमांसक भी न्यायमार्गको उल्लंघना है कि धर्मसे अतिरिक्त अन्य सम्पूर्ण अतीन्द्रिय पदार्थोंको विशेषरूपसे जानता हुआ भी वह सर्वज्ञ धर्मको साक्षात् रूपसे नहीं जान पाता है । यह मीमांसकोंका अन्याय क्यों है ? इसका प्रकार उत्तर यही है कि उन सम्पूर्ण अतीन्द्रिय पदार्थोंके प्रत्यक्ष कर लेनेपर धर्मका प्रत्यक्ष कर लेना तो स्वतः सिद्ध हो जाता है । बहिरंग इन्द्रियोंके विषय नहीं हो सकनेकी अपेक्षासे धर्म और अन्य अतीन्द्रिय पदार्थोंमें कोई भिन्नजातीयपना नहीं है । पुण्य, पाप, परमाणु, आकाश आदिक पदार्थ समान जातिके हैं । जिस ज्ञानी जीवको जिस जातिवाले पदार्थोंका प्रत्यक्ष होगया है, उस ज्ञानीको प्रतिबंध आवरणोंके दूर हो जानेपर उस जातिवाले अन्य पदार्थोंका भी प्रत्यक्ष हो जाता है । जैसे कि पौद्गलिक घटके समान जातिवाले होरहे भूतलके चक्षुइन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष हो जानेपर वहां नियमान हो रहे घटका भी चक्षुइन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है । इसी प्रकार विवादमें पडे हुये किसी सर्वज्ञके ज्ञान द्वारा धर्मके सजातीय परमाणु सुमेरु, रामचंद्र आदिक स्वभावविप्रकृष्ट, देशविप्रकृष्ट, कालविप्रकृष्ट पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं । इन्द्रियजन्य-ज्ञानप्राप्त अन्य पदार्थोंका प्रत्यक्ष तो अभीष्ट ही है । इन प्रकार प्रतिज्ञा, हेतु, आदि पांच अवयववाले अनुमान स्वरूप न्यायकी भेदे प्रकार व्यवस्था हो चुकी है ।

ततो नेदं सूक्तं मीमांसकस्य । “धर्मज्ञत्वनिषेधस्तु केवलोऽत्रोपयुज्यते । सर्वमन्यद्वि-  
जानंस्तु पुरुषः केन वार्यते ” इति । न त्ववधीरणानादरः । तत्सर्वमन्यद्विजानंस्तु पुरुषः  
केन वार्यते इति । तत्र नो नातितरामादरः ।

जिस कारण मीमांसकोंका यह कहना समीचीन नहीं है कि सर्वज्ञका निषेध करते समय केवल धर्मके ज्ञानापनका निषेध करना ही तो यहां उपयोगी हो रहा है । अन्य सभी पदार्थोंको भेदे ही वह सर्वज्ञ जाने देते सर्वज्ञका किस विद्वान्करणके निवारण किया जा रहा है ? अर्थात्—  
मीमांसकोंका कहना है कि अतीन्द्रिय धर्मका ज्ञान तो वेदवाक्योंद्वारा ही होता है । धर्मसे अतिरिक्त

अतीन्द्रिय पदार्थोंको मछे ही यह सर्वज्ञ जान ले, हमारी कोई क्षति नहीं है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार भीमांसकोंने सर्वज्ञके निषेधके लिये वक्र उक्ति द्वारा निय प्रयत्न किया है। दूसरोंके अप-शकुनके लिये अपनी आंखको फोड़ लेनेके समान यह भीमांसकोंका घृणास्वर व्यवहार है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार भीमांसकोंके उक्त कथनसे यह भी प्रतीत होता है कि सर्वज्ञको न माननेमें भीमांसक जब निन्दा या तिरस्कार नहीं समझते हैं, और सर्वज्ञका अनादर भी नहीं करते हैं। क्योंकि वे स्वयं कहते हैं कि अन्य सभी पदार्थोंको विशेषरूपसे जान रहा यह पुरुष विशेष सर्वज्ञ तो किसीकरके भी नहीं निषेधा जा रहा है, इस कारण हम जैनसिद्धान्तियोंका उस भीमांसकके प्रति अति अधिक आदर नहीं है। अर्थात्—धर्मके अतिरिक्त सभी पदार्थोंका प्रत्यक्ष तो भीमांसक मानता नहीं है। अशेष वचे धर्मके प्रत्यक्ष करलेनेकी सिद्धि सुष्ठमतासे करायी जा सकती है।

परमार्थतस्तु न कथमपि पुरुषस्यातीन्द्रियार्थदर्शनातिशयः सम्भाव्यते सातिश्रयानामपि प्रज्ञामेधाभिः स्तोत्रस्तोकान्तरत्वेनैव दर्शनात् । तदुक्तं “ येऽपि सातिश्रया हृष्टाः प्रज्ञामेधादिभिर्नराः । स्तोत्रस्तोकान्तरत्वेन नत्वतीन्द्रिय(ज्ञान)दर्शनात् ॥ ” इति कश्चित् मति विज्ञानस्य परमप्रकर्षगमनसाधनमाह ।

सर्वज्ञको नहीं माननेवाला कोई विद्वान् कह रहा है कि परमार्थरूपसे देखा जाय तब तो इस अल्पज्ञ पुरुषके अतीन्द्रिय अर्थोंके विशद प्रत्यक्ष कर लेनेका अतिशय (चमत्कार) कैसे भी नहीं सम्भरता है। जो भी कोई पुरुष विचारशालिनी बुद्धि या धारणायुक्त बुद्धि अथवा नवनव उन्मेष-शालिनी प्रतिभा युद्धिकरके अतिशय सजित हो रहे हैं, उनके भी छोटे या बड़े भी छोटे पदार्थोंका ज्ञान कर लेनेसे ही विशेष चमत्कार दाखना है। वे इन्द्रियोंके अविषयको नहीं जान सकते हैं। सो ही हमारे यहां “ भीमांशुसूक्तवार्तिक ” में कहा जा चुका है कि जो भी कोई विद्वान् प्रज्ञा, मेधा, प्रेक्षा, आदि विशेषज्ञानों करके चमत्कारसहित देखे गये हैं, वे भी छोटा और सबसे छोटा आदिक इन्द्रिय गोचर पदार्थोंके जाननेसे ही वे अल्प विद्वानोंमें बड़े चढ़े हुये समझे जाने हैं। किन्तु अतीन्द्रिय पदार्थोंके दर्शनसे वे चमत्कारयुक्त नहीं हैं। असम्भव पदार्थोंको कर देनेमें चक्रवर्ती, अहमिन्द्र, जिनेन्द्र किसीको भी प्रशंसापत्र अद्यापि नहीं भिजा है, जब कि वे अज्ञविषयके समान किये ही नहीं जासकते हैं। बड़ा भारी भी विद्वान् पुरुष सजातियोंका अतिक्रमण नहीं करता हुआ ही अन्य मनुष्योंसे चमत्कार धार सकता है। उपनेत्र ( चक्षुः ) या दुर्बलकी सहायतासे चक्षुःद्वारा छोटे या दूरवर्ती पदार्थोंको ही देखा जा सकता है। परमणुको नहीं देखा जा सकता है। तथा अच्छी आंखोंवाला पुरुष दूरवर्ती पदार्थोंकी गन्ध या स्पर्शको आंखोंसे नहीं जान सकता है। बड़ा भारी वैयाकरण भी विद्वान् ज्योतिष शास्त्रके सूत्र रहस्योंको नहीं जान सकता है। इसी प्रकार सर्वज्ञ भी इन्द्रियोंके अगोचर पदार्थोंका प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है। हां, अपौरुषेय आगमसे अतीन्द्रिय पदार्थोंको



भले ही जानलेवे, इस प्रकार कोई मीमांसक कह रहा है। उसके प्रति आचार्य महाराज श्री विद्यानन्द स्वामी विज्ञानके परम प्रकर्षपर्यन्तगमनके साधन ( हेतु ) को स्पष्ट कहते हैं, सो सुनो।

**ज्ञानं प्रकर्षमायाति परमं क्वचिदात्मनि ।**

**तारतम्याधिरूढत्वादाकाशे परिमाणवत् ॥ २३ ॥**

किसी एक आत्मामें निर्दोष उत्पन्न हो रहा ज्ञान ( पक्ष ) सबसे बड़े उत्कर्षको प्राप्त हो जाता है, ( साध्य )। ज्ञानका बढ़ना और उससे अधिक बढ़ना तथा उससे भी अधिक बढ़ना, इस प्रकार तारतम्यने करके आरूढ होनेसे ( हेतु ) जैसे कि आकाशमें परिमाण ( अन्वयदृष्टान्त )। अर्थात्—घट, पट, गृह, ग्राम, नगर, पर्वत, समुद्र, आदिमें परिमाणकी तारतम्यसे वृद्धि होते होते अनन्त आकाशमें परम महापरिमाण परमप्रकर्षको प्राप्त हो रहा माना जाता है, इसी प्रकार गमार, किसान, छात्र, पण्डित, शास्त्री, आचार्य, गणधर, आदि विद्वानोंमें ज्ञानवृद्धिका तारतम्य देखा जाता है। अन्तमें जाकर ठोकर अशोकको जाननेवाले सर्वज्ञदेवमें वह सबसे बड़ा ज्ञान परिपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार सर्वज्ञके ज्ञानकी सिद्धि हो जाती है।

**तारतम्याधिरूढत्वमसंशयप्राप्तत्वं तद्विज्ञानस्य सिध्यत् क्वचिदात्मनि परमप्रकर्षप्राप्तिं साधयति, तथा तस्य व्याप्तत्वात्परिमाणवदाकाशे ।**

उस किसी विशिष्ट आत्मके विज्ञानका तारतम्यरूपसे आरूढपना संशयरहित प्राप्त होता हुआ सिद्ध हो रहा है। वह पक्षमें वर्त रहा सिद्ध हेतु किसी आत्मारूप पक्षमें परम प्रकर्षको प्राप्त हो जाना रूप साध्यको साध देता ही है। क्योंकि उस वृद्धिके तारतम्यनेको प्राप्त हो रहे हेतुकी उस परमप्रकर्ष प्राप्तिके साथ व्याप्ति बन चुकी है। जैसे कि आकाशमें परम प्रकर्षको प्राप्त हुआ परिमाण यह दृष्टान्त प्रसिद्ध हो रहा है। मीमांसकोंने भी परिमाणकी उत्कृष्ट वृद्धि आकाशमें मानी है। उसी सदृशज्ञानकी वृद्धि सर्वज्ञमें मान लेनी चादिये।

**अत्र यद्यक्षविज्ञानं तस्य साध्यं प्रभाष्यते ।**

**सिद्धसाधनमेतत्स्यात्परस्याप्येवमिष्टितः ॥ २४ ॥**

यहाँ कोई मीमांसक जैनोंके उक्त हेतुपर काटाक्ष करते हैं कि पूर्वोक्त अनुमानमें जैनोंने ज्ञानको पक्ष बनाया है। उसपर हम मीमांसकोंका यह कहना है कि ज्ञानपदसे यदि इन्द्रियोंसे जन्म विज्ञान लिया जायगा और उस इन्द्रियजन्य ज्ञानकी परमप्रकर्ष प्राप्तिके साथ बनाकर अच्छे प्रकार बलाना जायगा तब तो यह जैनोंके ऊपर सिद्धसाधनदोष होगा। क्योंकि दूसरोंके यहाँ यानी हम मीमांसकोंके यहाँ भी इस प्रकार इष्ट किया गया है कि स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, और मन इन्द्रियोंकी विषय ग्रहण करनेमें यथायोग्य उत्कर्षता बढ़ते बढ़ते परम अवरुधाको

पहुँच जाती है। चींटी, सूँहर, गीध आदिके प्रयत्नोंसे भी अधिक अतिशयधारी जीवोंके प्रयत्न प्रसिद्ध हो रहे हैं। यंत्र द्वारा हजारों फोस दूरके शत्रु सुने जा सकते हैं। अन्ध्यास अनुसार मानसज्ञान भी बढ़ता जाता है।

लिङ्गागमादिविज्ञानं ज्ञानसामान्यमेव वा ।

तथा साध्यं वदंस्तेन दोषं परिहरेत्कथम् ॥ २५ ॥

मीमांसक ही कह रहे हैं कि यदि ज्ञानपदसे ज्ञापकलिङ्गजन्य अनुमानज्ञान या आगमज्ञान, अर्थात्तः आदि विज्ञान पकड़े जायेंगे अथवा जैनोंद्वारा सामान्यरूपसे चाहे कोई भी विज्ञान लिया जायगा, तो भी इन अनुमान आदि ज्ञानरूप पक्षमें तिस प्रकार परमप्रकर्ष प्राप्तिरूप साध्यको कह रहा जैन विद्वान् भी तिस सिद्ध साधनकरके हो रहे दोषको मछा कैसे निवारण कर सकेगा ? अर्थात्—अनुमान ज्ञान बढ़ते बढ़ते भी कात्यायन आदिकोंका सबसे बड़ा हुआ अनुमान हम मीमांसक स्वीकार करते हैं। मनु, जैमिनिको बड़ा हुआ आगमका प्रकृत ज्ञान भी हम अमीष्ट करते हैं। अतः गीध, गरुड, सूँहर, चींटी आदिक जीव चक्षु, कर्ण, घ्राण इन्द्रियोंद्वारा जैसे इन्द्रियजन्य ज्ञानोंकी ही प्रकर्षताको प्राप्त कर रहे हैं, उसी प्रकार कात्यायन, जैमिनि आदिक विद्वान् भी स्वविषयका अतिक्रमण नहीं करते हुए अनुमान, आगम दोनोंकी प्रकर्षताको प्राप्त कर रहे हैं। अन्य सामान्य ज्ञानोंकी भी लोकमें यथायोग्य प्रकर्षतायें देखी जा रही हैं। अतः फिर भी जैनोंके ऊपर सिद्धसाधन दोष तैसाका तैसा ही अस्थित रहा।

अक्रमं करणातीतं यदि ज्ञानं परिस्फुटम् ।

धर्माभ्येत तदा पक्षस्याप्रसिद्धविशेष्यता ॥ २६ ॥

स्वरूपासिद्धता हेतोराश्रयासिद्धतापि च ।

तन्नैतत्साधनं सम्यगिति केचित्प्रवादिनः ॥ २७ ॥

मीमांसक ही कहे जा रहे हैं कि पक्ष किये गये ज्ञानपदसे यदि क्रमरहित यानी युगपत् ही सम्पूर्ण पदार्थोंको जाननेवाला और इन्द्रियोंकी कारणतासे अतिक्रान्त हो रहा ऐसा परिपूर्ण विशदज्ञान धर्म इष्ट किया जायगा, तब तो पक्षका अप्रसिद्धविशेष्यता नामका दोष होगा। भावार्थ—अक्रम और करणातीत परिपूर्ण विशद इन तीन विशेषणोंसे सहित हो रहा कोई विशेष्यमूलज्ञान आजतक भी प्रसिद्ध नहीं है। अतः हेतु विशेष्यासिद्ध है। और उक्त प्रकार माननेपर आप जैनोंद्वारा कहा गया तारतमभावसे आक्रान्तपना हेतु तो स्वरूपासिद्ध हेत्याभास है। क्योंकि यह हेतु वैशेष्य पक्षमें वर्त रहा नहीं देखा जा रहा है। तथा तारतम्यसे आरूढपना हेतु आश्रयासिद्ध हेत्याभास भी है। क्योंकि इन्द्रियोंकी सहायता बिना ही हो रहा और युगपत् सबको

परिस्फुट जाननेवाला कोई ज्ञान ही जगत्में प्रसिद्ध नहीं है। तिस कारण आर्हतोंका तारतम्यसे अधिरूढपना यह ज्ञापकहेतु समीचीन नहीं है। इस प्रकार कोई मीमांसक विद्वान् अपने मनमें बड़े बनते हुये कह रहे हैं।

अत्र प्रचक्ष्महे ज्ञानसामान्यं धर्मि नापरम् ।

सर्वार्थगोचरत्वेन प्रकर्षं परमं व्रजेत् ॥ २८ ॥

इति साध्यमनिच्छन्तं भूतादिविषयं परं ।

चोदनाज्ञानमन्यद्वा वादिनं प्रति नास्तिकम् ॥ २९ ॥

उक्त चार वार्तिकों द्वारा कह दिये गये दोषोंके निराकरणार्थ श्री विद्यानन्द स्वामी उत्तर देते हैं कि अब इन प्रकरणमें हम जैन सामान्यज्ञानको पक्ष मझे प्रकार कहते हैं। कोई दूसरा इन्द्रियज्ञान, अनुमानज्ञान, आगम या परिपूर्णज्ञान, पूर्णतः अनुमानमें पक्ष नहीं कहा गया है। वह सामान्यज्ञान बढ़ते बढ़ते सम्पूर्ण अर्थोंको विषय कर लेनेपर करके उत्कृष्टताके पर्यन्त प्रकर्षको प्राप्त हो जायेगा। इस प्रकार साध्य बनाया जा रहा है। जो चार्वाक नास्तिकवादी विद्वान् वेदवाक्योंसे उपलब्ध हुये ज्ञानको भूत, भविष्यत्, कालवर्ती, दूरवर्ती, या स्वभावविप्रकृत पदार्थोंको विषय करनेवाला नहीं मानता है, तथा अन्य भी दूसरे ज्ञानोंको भूत आदि पदार्थोंको विषय करनेवाला नहीं चाहता है, उस नास्तिकवादीके प्रति हम जैनोंने तेईसवीं वार्तिक द्वारा पूर्ण ज्ञानको सिद्ध करनेवाला अनुमानप्रमाण कहा था। अतः हमारा हेतु समीचीन निर्दोष है।

न सिद्धसाध्यतैवं स्यान्नाप्रसिद्धविशेष्यता ।

पक्षस्य नापि दोषोयं क्वचित् सत्यं प्रसिद्धता ॥ ३० ॥

इस प्रकार ज्ञानसामान्यको पक्ष बनाकर और सम्पूर्ण अर्थोंको विषय कर लेनेपरके परम प्रकर्ष प्राप्त हो जानेको साध्य बनाकर अनुमान कर लेनेपर सिद्धमाझप्रता दोष नहीं आता है। क्योंकि मीमांसकोंके यहां हमारा कदा गया साध्य प्रसिद्ध नहीं है। अतः सिद्धसाधन दोष नहीं आता है। हम इन्द्रियजन्य ज्ञानको पक्ष नहीं बना रहे हैं। एवं पक्षका अप्रसिद्ध विशेष्यता नामका यह दोष भी यहां नहीं आता है। क्योंकि परिमाणके सगान ज्ञान भी उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ देख रहा है। समुद्राच्छ्वनज्ञानमें या चक्षुःद्वारा किये गये घट, पट, पुस्तक, आदि अनेक पदार्थोंके एक ज्ञानमें कचरहित युगपत् अनेक पदार्थोंका प्रतिमास हो जाता है। उत्कर्ष बढ़ते बढ़ते कोई एक ज्ञान सम्पूर्ण लोक अलोकके पदार्थोंको भी युगपत् विशद जान सकता है, कोई बाधा नहीं आती है। योगीजनोंको इन्द्रियोंसे अतिशयान्त विषयका भी ज्ञान हो जाना प्रसिद्ध है। जीवोंमें

अनेक भावनाज्ञान, प्रतिमाज्ञान ( प्रातिम ) हो रहे हैं । हम जैनोंके द्वारा कहा गया हेतु स्वरूपासिद्ध और आश्रयासिद्ध भी नहीं है । क्योंकि आत्मामें सत्यार्थरूपसे तिस प्रकारका ज्ञान प्रसिद्ध है । अतः पक्ष विचार सिद्ध होता हुआ प्रकृत हेतुका आधार हो जाता है ।

पक्षेपि प्रवादिनः स हेतुः क्वचित्प्रदर्शितः । न ह्यत्राक्षविज्ञानं परमं प्रकर्षं यातीति साध्यते नापि लिङ्गागमादिविज्ञानं येन सिद्धमाध्यता नाप्यस्य दोषो दुःपरिहारः स्यात् । परस्यापीन्द्रियज्ञाने लिङ्गादिज्ञाने च परमप्रकर्षगमनस्येष्टत्वात् । नाध्यत्म्यं करणातीतं परिस्फुटं ज्ञानं तथा साध्यते यतस्तस्यैव धर्मिणोसिद्धेरप्रसिद्धविशेष्यता स्वरूपा सिद्धय हेतुर्धर्मिणोसिद्धौ तदर्धस्य साधनस्यासम्भवादाश्रयासिद्धश्च भवेत् ।

अपनी मण्डलीमें बढियावादी पण्डित बन रहे मीमांसकके यहां वह हेतु पक्षमें भी वही अष्टा दिखला दिया गया है । वेदशास्त्रद्वारा या व्यासिज्ञानसे सम्पूर्ण पदार्थोंको विषय कर लेना मीमांसकोंने भी माना है । केवल विशदपनेका विवाद रह गया है । हम जैनोंद्वारा यहां प्रकरणमें इन्द्रियजन्मज्ञान परमप्रकर्षको प्राप्त हो जाता है, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं साबी जा रही है । और हेतुजन्म ज्ञान या आगम, व्यासिज्ञान, आदि विज्ञानोंको परमप्रकर्षना भी नहीं साबी जा रही है, जिससे कि सिद्धसाधन नामका दोष कठिनतासे दूर किया जा सके, या पक्षका सिद्धसाधन दोष कठिनतासे हटाया जाय । भावार्थ—अत्रविज्ञानको पक्ष बना लेनेपर सिद्धसाधन दोष अवश्य लागू रहेगा । क्योंकि दूसरे मीमांसक या नास्तिक विद्वानोंके यहां भी इन्द्रियज्ञानमें और अनुमान आदि ज्ञानोंमें परम प्रकर्षतक प्राप्त हो जाना इष्ट किया गया है । विसेको पसिनेके समान उन ज्ञानोंकी प्रकर्ष प्रातिको साधना सिद्धका ही साधन करना है । तथा हम जैन क्रमरहित, अतीन्द्रिय, परिपूर्ण, विशदज्ञान भी तिस प्रकार परमप्रकर्ष गमनको कण्ठोक्त नहीं साध रहे हैं, जिससे कि उस धर्मी ( पक्ष ) की ही असिद्धि हो जानेसे पक्षका अप्रसिद्ध विशेष्यपना दोष लग बैठे । अर्थात्—उक्त तीन उपधियोंसे युक्त हो रहा ज्ञानस्वरूप विशेष्य अभीतक प्रसिद्ध नहीं हुआ है । ऐसी दशामें ज्ञान सामान्यको पक्ष कर लेनेपर मीमांसकजन अप्रसिद्धविशेष्यता दोषको हमारे ऊपर नहीं ठा सकता हैं । तथा तैसे परिपूर्ण ज्ञानको पुनः परमप्रकर्षपनेकी प्राप्ति तो फिर होती नहीं है, जिससे कि पक्षमें हेतुके न रहनेपर हमारा तारतम्यसे अप्रिरूढपना हेतु स्वरूपासिद्ध हो जाये । जब कि हम जैन परिपूर्ण ज्ञानको पक्ष कटिमें ही नहीं ढाळ रहे हैं, तो फिर हेतु स्वरूपासिद्ध कैसे हो सकता है ? और तैसे धर्मी ज्ञानकी सिद्धि नहीं हो सकेनेपर उस असम्भूत पक्षमें बर्त रहे हेतुस्वरूप धर्मका असम्भव हो जानेसे हमारा हेतु आश्रयासिद्ध हेत्वामास हो जाता, यानी तैसे अतीन्द्रिय पूर्ण ज्ञानको हम पक्ष नहीं बना रहे हैं । अतः हमारा हेतु आश्रयासिद्ध नहीं है । ज्ञानसामान्य तो सिद्ध ही है ।

किं तर्हि ज्ञानसामान्यं धर्मि ? न च तस्य सर्वार्थगोचरत्वेन परमप्रकर्षमात्रे साध्ये सिद्धसाध्यता भूतादिविषयं चोदनाज्ञानमनुमानादिज्ञानं वा प्रकृष्टमभिच्छन्तं वादिनं नास्तिकं प्रति प्रयोगात् ।

तो तुमने पक्षकोटिमें फौनसा ज्ञान ग्रहण किया है ! इस प्रकार जिज्ञासा करनेपर हम जैन यह उत्तर कहेंगे कि ज्ञानसामान्यको हम यहा पक्ष बनाते हैं । उस सामान्य ज्ञानको सम्पूर्ण अर्थोंका विषयीपने करके परमप्रकर्षकी प्रासिको सामान्यरूपसे साध्य करनेपर सिद्ध साध्यता दोष नहीं आता है । क्योंकि विधि लिखन्त वेदवाक्यों द्वारा हुये आगमज्ञान अथवा अनुमान, तर्क आदि ज्ञानोंके प्रकर्षपर्यन्त गमन हो जानेपर भी भूत, भविष्यत् आदि पदार्थोंको विषय कर लेना नहीं चाहनेवाले नास्तिकवादोंके प्रति हम जैनोंने पूर्वोक्त अनुमानका प्रयोग किया था । यानी नास्तिकोंके यहा सम्पूर्ण अर्थोंको विषय करनेवाला ज्ञान सिद्ध नहीं था । जैनोंने तेईसवीं शताब्दिके अनुमान द्वारा अभिद्व साध्यको सिद्ध कर दिया है । सिद्धसाध्यता दोष तो तत्र उठाया जा सकता था, जब कि नास्तिकोंके यहा सिद्ध हो रहे साध्यको ही हम जैन हेतु द्वारा साधते होते । प्रतिवादीके यहा असिद्ध हो रहे पदार्थको हम साध्यकोटिमें लाते हैं । अतः सिद्धसाधन दोष हमारे ऊपर नहीं लगता है ।

मीमांसकं प्रति तत्प्रयोगे सिद्धसाधनमेव भूताद्यशेषार्थगोचरस्य चोदनाज्ञानस्य परमप्रकर्षप्राप्तस्य तेनाभ्युपगतत्वादिति चेन्न, तं प्रति प्रत्यक्षसामान्यस्य धर्मिस्वात्तस्य तेन सर्वार्थविषयत्वेनात्यन्तप्रकृष्टस्यानभ्युपगमात् ।

संमुख बैठे हुये पण्डित कह ग्हे हैं कि हम मीमांसकोंके प्रति उस अनुमानका प्रयोग करने पर तो सिद्धसाधन दोष है ही । यानी हम मीमांसक तुम जैनोंके ऊपर सिद्धसाधन दोष उठा सकते हैं । क्योंकि “ चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं विप्रकृष्टमित्येवं जातीयकर्मधर्मवगमवितुमळं पुरुष-विशेषान् ” वेदवाक्योंसे उदयन हुआ ज्ञान अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते परमप्रकर्षको प्राप्त होकर भूत, भविष्यत् आदि सम्पूर्ण पदार्थोंको विषय कर लेता है । इस प्रकार हम मीमांसकोंने स्वीकृत किया है । जब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो न कहना । क्योंकि उस मीमांसकके प्रति ज्ञानपदसे प्रत्यक्ष सामान्यको हमने पक्ष कोटिमें ग्रहण किया है । मीमांसक जन आगमज्ञानसे भले ही सम्पूर्ण या कतिपय अनिद्विषय पदार्थोंका जान लेना अभीष्ट कर लें, किन्तु मीमांसकोंने प्रत्यक्ष ज्ञानद्वारा सभी पदार्थोंको विषय कर लेना नहीं माना है । अतः जैन लोग “ हमारे यहा सिद्ध हो रहे पदार्थको ही साध रहे हैं ”, इस प्रकारका सिद्ध साधन दोष मीमांसक हमारे ऊपर नहीं उठा सकते हैं । हम जैनोंने मीमांसकोंके यहा असिद्ध हो रहे पदार्थको ही साधा है । क्योंकि उस मीमांसकने उसी प्रत्यक्ष ज्ञानकी सम्पूर्ण अर्थोंके विषय कर लेनेपर करके अत्यन्त प्रकृष्टपदकी प्रासिको स्वीकार नहीं किया है ।

न चैवमप्रसिद्धविशेष्यादिदोषः पक्षादेः सम्भवति केवलं मीमांसकान्प्रति यदैतत्सा-  
धनं तदा प्रत्यक्षं विशदं सूक्ष्माद्यर्थविषयं साध्यत्येवानवद्यत्वात् ।

इस प्रकार सामान्यज्ञान या सामान्य प्रत्यक्षको पक्ष करलेनेपर पक्ष, साध्य, प्रतिज्ञा, आदिके अप्रसिद्धविशेष्यता, अप्रसिद्धविशेषणता, स्वरूपसिद्धि, आश्रयासिद्धि, आदिक दोष नहीं सम्भवते हैं । केवल मीमांसक विद्वानोंके सम्मुख ही जब यह हेतु प्रयुक्त किया जायगा तब तो कोई प्रत्यक्षज्ञान ( पक्ष ) अतीव विशद होता हुआ सूक्ष्म, व्यवहित, आदि पदार्थोंको विषय कर रहा ( साध्य ) साधा जा रहा ही है । क्योंकि हेतुदोषोंसे रहित होनेके कारण हमारा हेतु निर्दोष है । अथवा निर्दोष होनेके कारण ( हेतु ) किसी आत्मामें हो रहा विशिष्टप्रत्यक्ष ( पक्ष ) समी सूक्ष्म आदिक अर्थोंको युगत् विषय करलेना है ( साध्य ) । यह हमने पूर्व अनुमानसे साध्य किया है ।

यदा तु नास्तिकं प्रति सर्वार्थगोचरं ज्ञानसामान्यं साध्यते तदा तस्य करणक्रमव्यव-  
धानातिवर्धित्वं स्पष्टत्वं च कथं सिद्ध्यति इत्याह ।

कोई पूंछता है कि आप जैनोंका अनुमान मीमांसकोंके प्रति तो ठीक बैठ गया और नास्तिकोंके प्रति भी ज्ञान सामान्यको पक्ष बनाकर सम्पूर्ण अर्थोंका विशद जानना साधा जा सकता है । किन्तु आप जैन जब नास्तिकवादियोंके प्रति ज्ञान सामान्यको सम्पूर्ण अर्थोंका विषय करनेवाला सावते हैं, तब उस सम्पूर्ण अर्थोंके ज्ञानको इन्द्रियोंके क्रमपूर्वक धर्तनेसे हुये व्यवधानका उल्लंघन ( युगत् ) करलेनापन और स्पष्टपना मला कैसे सिद्ध हो जाता है ! बताओ । इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य यों समाधान कहते हैं, सो सुनिये ।

तच्च सर्वार्थविज्ञानं पुनः सावरणं मतं ।

अदृष्टत्वाद्यथा चक्षुस्तिमिरादिभिरावृत्तं ॥ ३१ ॥

ज्ञानस्यावरणं याति प्रक्षयं परमं क्वचित् ।

प्रकृष्यमाणहानित्वाद्धेमादौ श्यामिकादिवत् ॥ ३२ ॥

ततोऽनावरणं स्पष्टं विप्रकृष्टार्थगोचरं ।

सिद्धमक्रमविज्ञानमकलंकं महीयसाम् ॥ ३३ ॥

स्वभावसे ही सम्पूर्ण अर्थोंको जाननेवाला वह विज्ञान फिर ( पक्ष ) आवरणोंसे सहित हो रहा ( साध्य ) माना जा चुका है । दृष्टव्य सम्पूर्ण पदार्थोंका प्रत्यक्ष कर लेना नहीं होनेसे ( हेतु ) जैसे कि समारा, रतोंध, कामल आदि दोषोंसे ढका हुआ नेत्र ( अव्यवधान्त ) । अर्थात्—संसारी जीवोंकी चेतना शक्तिके ऊपर आवरण और दोष आ गये हैं । अतः वह ज्ञान इन्द्रियोंके क्रमसे धर्तनेपर व्यवधान युक्त हो जाता है । अविशद हो जाता है । हां, आवरणोंके सर्वथा दूर हो जानेपर

वह सर्वज्ञ-ज्ञान किन्हीं इन्द्रियोंकी अवस्था नहीं रखता हुआ युगपत् सम्पूर्ण अर्थोंको स्पष्ट जान लेता है। आवरणोंका क्षय पूर्णरूपसे किसी आत्मामें हो जाता है। इसके लिये अनुमान बनाते हैं कि किसी न किसी आत्मामें ज्ञानका आवरण (पक्ष) उत्कृष्ट रूपसे प्रकृत क्षयको प्राप्त हो जाता है। जैसे कि स्वर्ण आदिमें कालिम, किट्ट, आदिकी वृद्धि रहनी हानि किसी सौ टंचके सोनेमें प्रकृत-पनको प्राप्त हो जाती है। भावार्थ—तेजाव या अग्निमें तयानेपर स्वर्णके किट्ट, कालिमा आदि आवरणोंकी हानि कुन्दनकी अवस्थामें परम प्रकर्षताको प्राप्त हो जाती है। उसीके समान प्रवेशीविद्वान्, विशारद, त्रिषक्षग, मेधावी, आचार्य आदि पुरुषोंमें ज्ञानके आवरणोंकी हानि वृद्धि रहनी है। बढ़ते बढ़ते वह हानि सर्वज्ञदेवमें परमप्रकर्षको प्राप्त हो जाती है। वस्तुनः त्रिचारा जाय तो ज्ञान उभाधियोंसे रहित पस्तु है। ज्ञानका शुद्ध कार्य जान लेना है। घटका ज्ञान पटका ज्ञान ये ज्ञानके विशेषण औपाधिक हैं। जैसे कि देवदत्तके स्वामित्वमें वर्त रहा रुपया देवदत्तका कदा जाता है। यदि देवदत्त जिनदत्तसे रुपया देकर वल्ल मोल ले लेवे तो वह रुपया जिनदत्तका हो जाता है। जिनदत्त यदि इन्द्रदत्तसे उस रुपयेका अन्न मोल ले ले तो वह रुपया इन्द्रदत्तका हो जाता है। यथार्थ रूपमें त्रिचारा जाय तो वह रुपया अपने स्वस्वमें सोने चांदी या ताँबेका होता हुआ अपने ही निज स्वरूपमें अवस्थित हो रहा है। वह किसी व्यक्तिविशेषका नियत नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानका अर्थ केवल जान लेना है। ज्ञान स्वच्छ पदार्थ हैं। अतः आवरणके दूर होने अनुसार वह पदार्थोंका प्रतिभास कर लेता है। ज्ञान जाति सम्पूर्ण जीवोंके ज्ञानकी एकसी है। छुदार, सुनार, व्यापारी, किसान, मंत्रज्ञ, त्रैयाकरण, सिद्धान्तज्ञ, नैययिक, रसोईया, मछ, वैज्ञानिक, वंश, प्योतिषी, रसायनवेत्ता, मिर्ची, अश्वपरीक्षक, आचार शास्त्रको जाननेवाला, राजनीतिज्ञ, युद्धविधा-विशारद, आदि विद्वानोंके अनेक प्रकारका ज्ञान प्रकट हो रहा है। कोई कोई मनुष्य तो चार चार, दशदश कलाओं और अनेक विद्याओंमें कुशल हो रहा देखा जाता है। अतः सिद्ध होता है कि जैसे अग्नि सम्पूर्ण दाह पदार्थोंको जल सकती है, वैसे ही ज्ञान सम्पूर्ण ज्ञेयोंको जान सकता है। वर्तमानमें संसारी जीवोंका ज्ञान आवरणसहित होनेके कारण ही सबको नहीं जान सका है। वस्तुतः उस ज्ञानमें सम्पूर्ण पदार्थोंको जाननेकी शक्ति त्रिधमान है। उपजाऊ खेतकी मिट्टी बीज, जल आदिके निमित्त मिछनेपर गेहूँ, चना, इंसुरण्ड, जूत, फल, पत्ते, आदिक अनेक पदार्थोंको धार सकती है। इसी प्रकार प्रतिबन्धकोंके दूर हो जानेपर ज्ञान अखिल पदार्थोंको जान लेता है। तिस कारणसे सिद्ध हुआ कि स्वभाव त्रिप्रकृत परमाणु, कार्मणवर्गगायें आदि तथा देश त्रिप्रकृत काष्ठत्रिप्रकृत सुमेरु रामचन्द्र आदिक और भी सम्पूर्ण पदार्थोंको त्रिधम करनेवाला जो महान् पुरुषोंका ज्ञान है, वह ज्ञानावरणकर्मके पटलोंसे रहित है, अतीव विशद है, फलसे नहीं होता हुआ सबको युगपत् जान रहा है। तथा अज्ञान, राग, द्वेष, आदि कलंकोंसे रहित है। इस

कारण सम्पूर्ण अर्थोंको जाननेवाला ज्ञान इन्द्रियोंके क्रमसे हुये व्ययधानको उलंघन करनेवाला और विशद सिद्ध कर दिया जा चुका है ।

यत एवमतीन्द्रियार्थपरिच्छेदनसमर्थं प्रत्यक्षमसर्वज्ञवादिनं प्रति सिद्धम् ।

जिस ही कारणसे सर्वज्ञको नहीं माननेवाले मीमांसक, नास्तिक, आदिक वादियोंके प्रति अतीन्द्रिय अर्थोंको साक्षात् युगपत् जाननेकी सामर्थ्यसे युक्त हो रहा प्रत्यक्षज्ञान सिद्ध करा दिया गया है । इस पंक्तिके “ यतः ” का अन्वय अप्रिम वार्तिकमें पड़े हुये “ ततः ” शब्दके साथ लगा लेना चाहिये ।

ततः सातिशया दृष्टाः प्रज्ञामेधादिभिर्नराः ।

भूताद्यशेषविज्ञानभाजश्चेच्चोदनावलात् ॥ ३४ ॥

किन्न क्षीणावृत्तिः सूक्ष्मानर्थान्द्रष्टुं क्षमः स्फुटं ।

मन्दज्ञानानतिक्रामन्नातिशेते परान्नरान् ॥ ३५ ॥

जिस ही कारणसे आगामी कालके परिणामको विचारनेवालों बुद्धि प्रज्ञा और धारणा नामक संस्कारको धारनेवाली बुद्धि मेधा तथा प्रतिभा प्रेक्षा आदिकोंकरके चमत्कार सहित देखे जा रहे मनुष्य इस ज्ञानका प्रकर्ष बढ़ाते हुये भूत, मविष्यत् विप्रकृष्ट आदिक सम्पूर्ण पदार्थोंके विज्ञानको धारनेवाले बन सकते हैं, कोई बाधक नहीं है । जब कि आप मीमांसक वेदवाक्योंकी सामर्थ्यसे भूत आदि पदार्थोंका ज्ञान हो जाना इष्ट करते हो तो जिस मनुष्यके ज्ञानावरण कर्मोंका क्षय हो चुका है, यह पुरुष सूक्ष्म, व्यवहित आदि अर्थोंको विशदरूपसे देखनेके लिये क्यों नहीं समर्थ हो जावेगा और मन्दज्ञानवाले दूसरे मनुष्योंका अतिक्रमण करता हुआ उन मनुष्योंसे अधिक चमत्कारको धारण करनेवाला क्यों नहीं हो जावेगा ! अर्थात्—ज्ञानावरणोंका क्षय करनेवाला मनुष्य सूक्ष्म आदिक अर्थोंको अवश्य विशद जान लेता है और अन्य अन्य ज्ञानियोंसे अधिक चमत्कारक हो जाता है ।

मात्रार्थ—जो मीमांसकोंने यह कहा था कि “ येपि सातिशया दृष्टा प्रज्ञा मेधादिभिर्नराः । स्तोकरतो फान्तरत्वेन नत्वतीन्द्रियदर्शनात् ॥ प्राज्ञोपि हि नरः सूक्ष्मानर्थान् द्रष्टुं क्षमोपि सन् स्वजातीरनतिक्रामन्नातिशेते परान्नरान् ” उसके अनुसार ही सर्वज्ञकी सिद्धि हो जाती है । वेदके द्वारा भूत, मविष्यत् आदि पदार्थोंका ज्ञान मीमांसकोंने जब मान लिया है, तो प्रतिबन्धक कर्मोंके दूर हो जानेपर भूत आदिका विशद ज्ञान भी हो सकता है । अविशदज्ञानियोंमें विशदज्ञानी चमत्कृतिको लिये हुये हैं ।

यदि परैरभ्यधायि । “ दशहस्तान्तरं ष्योमि न यो नामोत्प्लुत्य गच्छति । न योजन-  
मसौ गंतुं शक्नोभ्यासशतैरपि ” इत्यादि । तदपि न युक्तमित्याह ।



दूसरे विद्वान् मीमांसकोने अपने आगममें यदि यों कहा था कि जो जीव आकाशमें उछल कर दश हाथका अन्तर लेकर चला जा सकता है, वह सैकड़ों अभ्यास करके भी एक योजनतक जानेके लिये सपर्य नहीं है, इत्यादिक मीमांसकोंका वह कथन भी युक्तिपूर्ण नहीं, इसी बातको श्री विद्यानन्द आचार्य स्पष्टकर कहते हैं, सो सुनिये ।

लंघनादिकदृष्टान्तः स्वभावान्न विलंघने ।

नाविर्भावे स्वभावस्य प्रतिषेधः कुतश्चन ॥ ३६ ॥

स्वाभाविकी गतिर्न स्यात्प्रक्षीणाशेषकर्मणः ।

क्षणादूर्ध्वं जगच्चूडामणौ व्योम्नि महीयसि ॥ ३७ ॥

वीर्यान्तरायविच्छेदविशेषवशतोपरा ।

बहुधा केन वार्येत नियतं व्योमलंघना ॥ ३८ ॥

उछलना, कूटना, उल्लंघना, आदिक दृष्टान्त तो स्वभावसे ही बहुत दूर तक उल्लंघन करने-वाले पदार्थमें उपयोगी नहीं है । दूरतक ऊपर चले जाना आदि स्वभावके प्रकट हो जानेपर किसी भी प्रकारसे असंख्यों योजनतक उछल जाने तकका निषेध नहीं होता है । जैसे कि पक्ष-रहित भी विशिष्ट नातिका सर्प बहुत दूर ऊंचा उछल जाता है । अग्निकी ज्वाला या धुआँ कोशों तक ऊपर चला जाता है । मारी पापाण ढाखों कोस नीचे तक गिर जाता है । वायु ढाखों कोस तक तिरछी चली जाती है । इसी प्रकार जीव या पुत्रलका ऊर्ध्वगति स्वभाव प्रकट हो जानेपर एक योजन तो क्या असंख्य योजनोंतक उछल जाना प्रतीत हो जाता है । यदि ऐसा नहीं माना जायगा तो बड़े मारी लोकाकाशमें ऊपर जगत्के चूडामणि स्वरूप तनुवातवलयमें सम्पूर्ण कर्माँका क्षय करचुके सिद्ध भगवान्की एक समय करके स्वभावसे होनेवाली गति नहीं हो सकती थी । भावार्थ—सम्पूर्ण आठ कर्मोंका क्षय कर मुक्तात्मा यहाँ कर्मभूमिसे सात राज् ऊपर सिद्ध छोवमें एक ही समयमें उछल कर जा पड़ुंचते हैं । एक राज्में असंख्यवाते योजन होते हैं । विज्ञिया ऋद्धिवाले मनुष्य एक दो योजन तो क्या संख्यात योजनोंतक और वैमानिक देव शरीरसहित भी असंख्य योजनोंतक उछल जाते हैं । अतः एक योजनतक उछलनेका असम्भव दिखलाना मीमांसकोंका प्रशस्त नहीं है । आत्माके वीर्यगुणका प्रतिबन्ध करनेवाले वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशमविशेष या क्षयके वशसे और भी बहुत प्रकार की गतियाँ होना मला किसके द्वारा निषेधा जा सकता है ! अर्थात्—नहीं । एक कोस, सौ कोस, फोटी योजन, एक राज्, सात राज्, इस प्रकारकी नियतरूपसे आकाशको उल्लंघनेवाली गतियाँ प्रमाणसिद्ध हैं । अतः मीमांसकोंका दृष्टान्त

विषय होता हुआ अपने ही पक्षका घातक है। अत्यन्त मूर्ख पुरुष भी गुरुहृपासे या विशिष्ट क्षयोपशम हो जानेसे व्याकरण, ज्योतिष, न्याय, साहित्य, मंत्रशास्त्र आदि विषयोंमें एक ही पारदृष्टा बन जाता है। ज्ञानकी सीमा सम्पूर्ण त्रिभोक, त्रिकाण्डवर्ती पदार्थोंको जान लेने तक है। केवलज्ञान तो अनन्त भी लोक अलोक या काळ होते तो उनको भी जान सकता था। कार्यकारण भावका भंग कर अतिशय होते हुये हम जैनोंको इष्ट नहीं हैं। वृक्षसे मनुष्यकी उत्पत्ति या चक्षु इन्द्रिय द्वारा शब्दका सुन लेना इत्यादि प्रकारके अतिशयोंको हम जैन नहीं मानते हैं। चक्रवर्ती, इन्द्र, ऋद्धिधारी मुनि, श्रीऋहन्तदेव भी असम्भव कार्योंको नहीं कर सकते हैं। किन्तु अनन्तसुख, अनन्तज्ञान, अनन्तवैर्य, क्षायिक चारित्र्य ये सब आत्माके स्वभाविक गुण हैं। प्रतिबन्धकोंके लग जानेपर अपना कार्य नहीं कर सकते थे, और प्रतिबन्धकोंके सर्वथा क्षय हो जानेपर इच्छा और प्रयत्नके बिना ही सूर्यके समान विकाराको प्राप्त हुये अपने स्वभाविक कार्यमें संलग्न हो जाते हैं।

ततो यदुपहसनमकारि भट्टेन । “ यैरुक्तं केवलज्ञानमिन्द्रियाद्यनपेक्षिणः । सूक्ष्माती-  
तादिविषयं सूक्तं जीवस्य तैरदः ” इति, तदपि परिहृतमित्याह ।

तिस कारण मीमांसक कुमारिल भट्टने जो हम जैनोंका उपहास किया था कि जिन जैनोंने इन्द्रिय, मन, हेतु, सादृश्य, पर आदिकी नहीं अपेक्षा रखनेवाले जीवके सूत्र, भूत, मविष्यत् आदि पदार्थोंको विषय करनेवाला केवलज्ञान कहा है, इन जैनोंने वह तत्त्व बहुत बढ़िया कहा। अर्थात्—सूक्ष्म आदिक पदार्थोंके जाननेका बोझ जीवोंपर धर दिया है। कहीं जलका बिन्दु भी समुद्र हो सकता है ? इस प्रकार भट्ट महाशयका वह उपहास वचन भी खण्डित कर दिया गया है। इसी बातको श्री विद्यानन्द आचार्य अभिनवार्थिक द्वारा कहते हैं। जीवके स्वभावका प्रकट हो जाना कोई बोझ नहीं है, प्रयुक्त वशी आत्मभाग है। एक जलकी बूँदके स्फुट विखर जाय तो कई समुद्र बन सकते हैं, खमके दाने बराबर पुद्गल स्फुट मचल जाय तो लाखों कोसोंतक फैलकर उपद्रव मचा देता है। एक इंच लम्बे चीड़े आकाशमें सैकड़ों महलोंके बनानेमें उपयोगी होय इतनी मिट्टी समासकती है। विद्वान् भी इस बातको स्वीकार करता है। जैन सिद्धान्त तो “ सत्शृणुङ्गणदाग्निर्दिवं ” इन सिद्धन्तको कहता चञ्च आरहा है। आकाशके परमाणु बराबर एक प्रदेशमें अनन्त अणु और अनन्त स्फुट आ सकते हैं। पानीसे भरे हुये पात्रमें भी थोड़े बूँदके स्थान मिश्र जाता है। ठटनोंके दूधसे भरे हुये पात्रमें मधु भिजादेनेपर भी फैलता नहीं है। रहस्य यह है कि सर्वज्ञके ज्ञानका उपहास करना अपना ही उपहास कराना है। अनुमान, व्याप्तिज्ञान, आगम, इनसे सर्वज्ञ अविशद ज्ञान तो मना हो जा रहा है। फिर क्षीणकर्मा सर्वज्ञके सर्वज्ञा विशद-ज्ञान हो जाय इसमें क्या आपत्ति हो सकती है ? कुछ भी नहीं।

ततः समन्ततश्चक्षुरिन्द्रियाद्यनपेक्षिणः ।

निःशेषद्रव्यपर्यायविषयं केवलं स्थितं ॥ ३९ ॥

तिस कारणसे यह व्यवस्थित होगया कि चारों ओरसे चक्षु इन्द्रिय, मन, ज्ञापकहेतु, अर्थापत्ति, उत्पापक अर्थ, वेदवान्य आदिककी नहीं अपेक्षा रखनेवाले आवरणरहित जाँवके सम्पूर्ण द्रव्य और सम्पूर्ण पर्यायोंको विषय करनेवाला केवलज्ञान प्रकट हो जाता है। केवलज्ञानके सद्भावमें बाधा देनेवाले प्रमाणोंका असम्भव है।

तदेवं प्रमाणतः सिद्धे केवलज्ञाने सकलकुवायविषये युक्तं तस्य विषयमरूपणं मतिज्ञानादिवत् ।

तिस कारण सम्पूर्ण कुचोद्य करनेवाले वादियोंकी समझमें नहीं आरहे केवलज्ञानकी प्रमाणोंसे इस प्रकार सिद्ध हो चुकनेपर उस केवलज्ञानके मतिज्ञान आदिके समान विषयका क्रमप्राप्त निरूपण करना श्री उमास्वामी महाराजको युक्त ही है। यज्ञानक प्रकृत सूत्रकी उपपत्ति करदी गयी है।

## इस सूत्रका सारांश ।

इस सूत्रके प्रकरणोंकी संक्षेपसे सूची इस प्रकार है कि प्रथम ही चार ज्ञानोंके विषयका निरूपण कर चुकनेपर क्रमप्राप्त केवलज्ञानके विषयको नियत करनेके लिये सूत्रका निरूपण करना आवश्यक प्रतीत हुआ है, सकल ज्ञेयोंमें वहाँ बैठे बैठे ज्ञासिक्तिया करानेकी अपेक्षा व्यापनेवाले केवलज्ञानको पूर्ण प्रकरणोंमें साधा जा चुका कहकर अनेक द्रव्य और अनेक पर्यायोंके सद्भावका स्मरण कराया है। तभी तो श्री उमास्वामी महाराजने द्रव्य और पर्यायोंमें बहुवचनान्त प्रयोग किया है। केवल उपयोगमें आ रहे या संसार और मोक्षतत्त्वके ज्ञानमें उपयोगी बन रहे थोड़ेसे पदार्थोंकी ही जान लेने मात्रसे सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। इस तत्त्वका अष्टा विचार किया है। हेय और उपादेय कतिपय तत्त्वोंको जान लेनेसे भी सर्वज्ञपना इष्ट नहीं है। इस प्रकरणमें अपेक्षाश्रोते सभी पदार्थोंका हेयपना या उपादेयपना अध्याय अपेक्षा करने योग्यपना भले प्रकार साधा है। सिद्धान्त यह है कि जगत्के सम्पूर्ण पदार्थोंको जान लेनेपर ही सर्वज्ञता बन सकती है। एक भी पदार्थके छूट जानेपर अल्पज्ञता समझी जावेगी। धर्मसे अतिरिक्त अन्य सम्पूर्ण पदार्थोंको जाननेव ला धर्मको अवश्य जान जावेगा। ज्ञानका स्वभाव सम्पूर्ण पदार्थोंको जाननेका है। ऐसी दशामें धर्म शेष नहीं रह सकता है। विचारशास्त्री पुरुषोंको नीतिमार्गका उल्लंघन नहीं करना चाहिये। यहाँ मीमांसकोंके साथ बहुत अष्टा विचार कर सर्वज्ञसिद्धि की है। अनुमान बनाकर ज्ञानके परमप्रकर्ष पर्यन्त गमनको सर्वांचान हेतुसे साध दिया है। मीमांसकोंके द्वारा उठाये गये कुचोद्योंका अष्टे ढंगसे निवारण कर दिया है। नारितक और मीमांसकके प्रति न्यायी न्यायी प्रतिष्ठा कर सिद्ध

साधन आदि दोषोंको हटाते हुये प्रत्यक्षकारने अल्पज्ञ जीवोंके ज्ञानका आवरणसे ढका हुआ बताया है। आवरणोंकी सर्वथा हानि हो जानेपर ज्ञान अपने स्वभाव अनुसार युगपत् सम्पूर्ण पदार्थोंका विशदप्रत्यक्ष कर लेता है। विप्रकृत अर्थोंको जाननेवाला ज्ञान इन्द्रियोंकी सहायताको नहीं चाहता है। क्रमसे होनेवाला भी नहीं है। यही अकलंक मार्ग है। मीमांसकोंके कटाक्षोंका उन्हींकी युक्तियोंसे निवारण हो जाता है। इस प्रकरणमें मीमांसकोंकी युक्तियोंको कुयुक्ति बताकर आचार्योंने अपने पक्षको पुष्ट किया है। कूपमण्डूकताको उदाकर समुद्र राजहंस समान आचार्योंने मीमांसकोंके द्वारा किये गये उपहासका गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया है। परिशेषमें सम्पूर्ण द्रव्य और पर्यायोंको विषय करनेवाले केवलज्ञानको साध कर प्रकृत सूत्रद्वारा उसके विषयका निरूपण करना उपयोगी बताकर सूत्रार्थका उपसंहार कर दिया है। ऐसा केवलज्ञान जयवन्त रहे।

श्रीमन्तोर्ईन्तआत्तास्त्रिदशपतिनुता वीक्ष्य निर्दोषवृत्ताद् ।

यस्माद्धस्तस्यमुक्ताफलमिव युगपद्द्रव्यपर्यायसार्पान् ॥

हानोपादन्युपेक्षा फलमभिरुपततो मुक्तिमार्गं शशासु- ।

स्तस्वज्ञानेषु भव्यान्स फिल विजपते केवलज्ञानभानुः ॥ १ ॥

—\*—

ज्ञानके प्रकरणमें लम्बिस्वरूप ज्ञानोंके सद्भावको निरूपण करनेके लिये श्री उमास्वामी महाराजके मुखस्वरूप उदयाचलसे सूर्यसूत्रका उदय होता है।

**एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः ॥ ३० ॥**

एक आत्मामें एक ही समयमें एकको आदि लेकर भाज्यस्वरूप ज्ञान चारतक हो सकते हैं।

- किसी भी आत्माकी एकसे मी कम ज्ञान पाये जानेकी यानी कुछ मी ज्ञान नहीं रहनेकी कोई अवस्था नहीं है। अर्थात्—चाहे निम्न गतिमें आत्मा होय, अथवा सूक्ष्म निगोदियाके शरीरमें होय, उसके कोई न कोई एक ज्ञान तो अवश्य होगा। तथा एक समयमें चार ज्ञानोंसे अधिक लम्बिस्वरूप ज्ञान नहीं हो सकते हैं। यथायोग्य विभाग कर चार ज्ञानोत्पत्तिका सम्भावना है।

कान्प्रतीदं सूत्रमित्यावेदयति ।

श्री उमास्वामी महाराज किन प्रवादियोंके प्रति इस " एकादीनि आदि सूत्रको कह रहे हैं ? इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य उत्तरस्वरूप निवेदन करते हैं, सो सुनिये ।

**एकत्रात्मनि विज्ञानमेकमेवैकदेति ये ।**

**मन्यन्ते तान्प्रति प्राह युगपज्ज्ञानसम्भवम् ॥ १ ॥**

जो नैयायिक आदिक विद्वान् एक समय एक आत्मामें एक ही विज्ञान होता है, इस प्रकार मत्न रहे हैं, उन विद्वानोंके प्रति एक समयमें संभवनेवाले ज्ञानोंको समझानेके लिये श्री उमास्वामी महाराज बढिया सूत्र कह रहे हैं। अर्थात्—एक समयमें एक आत्माके एक ही ज्ञान नहीं होता है। किंतु योग्यतास्वरूप चार ज्ञानतक पाये जा सकते हैं। जैनदर्शनके धातिरिक्त लब्धिस्वरूप ज्ञानोंकी अन्य मतामें चर्चा ही नहीं है। वे तो उपयोग आत्मक ज्ञानपर ही तुल्य हुये हैं।

अत्रैकशब्दस्य प्राथम्यवचनत्वात्प्राधान्यवचनत्वाद्वा कचिदात्मनि ज्ञानं एकं प्रथमं प्रधानं वा संख्यावचनत्वादेकसंख्यं वा वक्तव्यं।

“ एक ” इस शब्दके संख्या, असहाय, प्रधान, प्रथम, भिन्न आदिक कई अर्थ हैं। किन्तु इस सूत्रमें एक शब्दका अर्थ प्रथम अथवा प्रधान विवक्षित है। संख्येयमें प्रवर्त रहे एक शब्दके द्वारा प्रथमपनेका कथन करना अर्थ होनेसे अथवा प्रधानपन अर्थका कथन करना होनेसे किसी एक आत्मामें एक यानी प्रथमज्ञान मतिज्ञान अथवा एक यानी प्रधान ज्ञान केवलज्ञान हो सकता है। अथवा एक शब्दद्वारा संख्याका कथन हो जानेसे एक संख्यावाला ज्ञान कह सकते हो। एक शब्दका अर्थ संख्या हो जानेपर उस एक ज्ञानका निर्णय नहीं हो सकता है। अतः व्याख्यान से विशेष अर्थका निर्णय करना होगा।

तच्च किं द्वे च ज्ञाने किं युगपदेकत्र त्रीणि चत्वारि वा ज्ञानानि कानीत्याह।

शिष्य कहता है कि एकसे लेकर चारतक ज्ञान हो जाते हैं, यह हम समझे। किन्तु वह एक ज्ञान कौनसा है ? और युगपत् होनेवाले दो ज्ञान कौनसे हैं ? तथा एक ही समय एक आत्मामें होनेवाले तीन ज्ञान कौनसे हैं ? अथवा एक ही समयमें एक आत्मामें होनेवाले वे चार ज्ञान कौनसे हैं ? इस प्रकार प्रश्न होनेपर श्रीविद्वानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं।

प्राच्यमेकं मतिज्ञानं श्रुतभेदानपेक्षया।

प्रधानं केवलं वा स्यादेकत्र युगपन्नरि ॥ २ ॥

“ प्रथम ” इस अर्थको कहनेवाले एक शब्दकी विवक्षा करनेपर एक आत्मामें युगपत् पहिला मतिज्ञान एक होगा। यहाँ सम्भव रहे, श्रुतज्ञानके भेदोंकी अपेक्षा नहीं की गयी है। भाषार्थ—यद्यपि मतिज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों अविनामावी हैं। एक इन्द्रियवाले जीवके भी दोनों ज्ञान विद्यमान हैं। किन्तु एक शब्दका प्रथम अर्थ विवक्षित होनेपर विद्यमान हो रहे श्रुतविशेषोंकी अपेक्षा नहीं करके एक ही मतिज्ञानका सद्भाव कह दिया गया है। श्रुतज्ञानका विशेष संशी पंचेन्द्रिय जीवके शब्दअन्य वाच्य अर्थका ज्ञान होनेपर माना गया है। अतः खाते, पीते, छूते, सूंघते, देखते हुए जीवके एक मतिज्ञान ही हो रहा विवक्षित किया है। अथवा कुछ अस्वरस हो

जो नैयायिक आदिक विद्वान् एक समय एक आत्मामें एक ही विज्ञान होता है, इस प्रकार मान रहे हैं, उन विद्वानोंके प्रति एक समयमें संभवनेवाले ज्ञानोंको समझानेके लिये श्री उमास्वामी महाराज बढ़िया सूत्र कह रहे हैं। अर्थात्—एक समयमें एक आत्माके एक ही ज्ञान नहीं होता है। किंतु योग्यतास्वरूप चार ज्ञानतक पाये जा सकते हैं। जैनदर्शनके अतिरिक्त लब्धस्वरूप ज्ञानोंकी अन्य मतोंमें चर्चा ही नहीं है। वे तो उपयोग आत्मक ज्ञानपर ही तुले द्ये हैं।

अत्रैकशब्दस्य माथम्यवचनत्वात्प्राधान्यवचनत्वाद्वा कचिदात्मनि ज्ञानं एकं प्रथमं प्रधानं वा संख्यावचनत्वादेकसंख्यं वा वक्तव्यं।

“ एक ” इस शब्दके संख्या, असहाय, प्रधान, प्रथम, मिला आदिक कई अर्थ हैं। किन्तु इस सूत्रमें एक शब्दका अर्थ प्रथम अथवा प्रधान विवक्षित है। संख्येयमें प्रवर्त रहे एक शब्दके द्वारा प्रथमपनेका कथन करना अर्थ होनेसे अथवा प्रधानपन अर्थका कथन करना होनेसे किसी एक आत्मामें एक यानी प्रथमज्ञान मतिज्ञान अथवा एक यानी प्रधान ज्ञान केवलज्ञान हो सकता है। अथवा एक शब्दद्वारा संख्याका कथन हो जानेसे एक संख्यावाला ज्ञान कह सकते हो। एक शब्दका अर्थ संख्या हो जानेपर उस एक ज्ञानका निर्णय नहीं हो सकता है। अतः व्याख्यान से विशेष अर्थका निर्णय करना होगा।

तच्च किं द्वे च ज्ञाने किं युगपदेकत्र त्रीणि चत्वारि वा ज्ञानानि कानीत्याह।

शिष्य कहता है कि एकसे लेकर चारतक ज्ञान हो जाते है, यह हम समझे। किन्तु वह एक ज्ञान कौनसा है ? और युगपत् होनेवाले दो ज्ञान कौनसे हैं ? तथा एक ही समय एक आत्मामें होनेवाले तीन ज्ञान कौनसे हैं ? अथवा एक ही समयमें एक आत्मामें होनेवाले वे चार ज्ञान कौनसे हैं ? इस प्रकार प्रश्न होनेपर श्रीविद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं।

प्राच्यमेकं मतिज्ञानं श्रुतभेदानपेक्षया।

प्रधानं केवलं वा स्यादेकत्र युगपन्नरि ॥ २ ॥

“ प्रथम ” इस अर्थको कहनेवाले एक शब्दकी विवक्षा करनेपर एक आत्मामें युगपत् पहिला मतिज्ञान एक होगा। यहां सम्भव रहे, श्रुतज्ञानके भेदोंकी अपेक्षा नहीं की गयी है। मायार्थ—यद्यपि मतिज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों अविनामावी हैं। एक इन्द्रियवाले जीवके भी दोनों ज्ञान विद्यमान हैं। किन्तु एक शब्दका प्रथम अर्थ विवक्षित होनेपर विद्यमान हो रहे श्रुतविशेषोंकी अपेक्षा नहीं करके एक ही मतिज्ञानका सद्भाव कह दिया गया है। श्रुतज्ञानका विशेष संशी पंचेन्द्रिय जीवके शब्दजन्य वाच्य अर्थका ज्ञान होनेपर माना गया है। अतः खाते, पीते, छूते, सूंघते, देखते हुए जीवके एक मतिज्ञान ही हो रहा विवक्षित किया है। अथवा कुछ अस्वरस हो

जानेके कारण एक शब्दका अर्थ “ प्रधान ” ऐसा करना अच्छा दीखता है । अतः युगपत् एक जीवमें प्रधान ज्ञान केवलज्ञान हो सकेगा ।

द्वेधा मतिश्रुते स्यातां ते चावधियुते क्वचित् ।

मनःपर्ययज्ञाने वा त्रीणि येन युते तथा ॥ ३ ॥

एक आत्मामें एक समय दो प्रकारके ज्ञान मति और श्रुत हो सकेंगे और अवधिसे युक्त हो रहे, वे दोनों ज्ञान किसी आत्मामें युगपत् हो जाते हैं । तथा किसी आत्मामें मनःपर्यय ज्ञानके हो जानेपर उन दोनोंको मिलाकर तीन ज्ञान युगपत् हो जाते हैं । अर्थात्—मति, श्रुत, अवधि, या मति, श्रुत, मनःपर्यय, ये तीन ज्ञान युगपत् सम्भव जाते हैं । तथा जिस अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानके द्वय करके सङ्गित वे मति, श्रुत हो जाते हैं । अथवा वे तीन ज्ञान यदि मनःपर्ययज्ञानमें युक्त हो जाय तो मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, इस प्रकार चार ज्ञान एक ही समयमें किसी एक जीवके सम्भव जाते हैं । पाचों ज्ञान युगपत् नहीं हो सकते हैं, असम्भव है ।

प्रथमं मतिज्ञानं क्वचिदात्मनि श्रुतभेदस्य तत्र सतोऽप्यपरिपूर्णत्वेनानपेक्षणात् प्रधानं केवलभेतेनैकसंख्यावाच्यप्येकशब्दो व्याख्यातः स्वयमिष्टस्यैकस्य परिग्रहात् । पंचानामन्यतमस्यानिष्टस्यासम्भवात् ।

उक्त दोनों वार्तिकोंका विपरीत अर्थ निवारणार्थ विवरण कहते हैं कि किसी एक आत्मामें पहिला एक मतिज्ञान होगा, यद्यपि उस मतिज्ञानी आत्मामें श्रुतज्ञानका भेद भी विद्यमान हो रहा है । फिर भी श्रुतज्ञानके परिपूर्ण नहीं होनेके कारण उस श्रुतज्ञानकी अपेक्षा नहीं की गयी है । अर्थात्—जिस एक इन्द्रियवाले या विकृतत्रय जीवोंके अकेले मतिज्ञानकी सम्मानना है । उन जीवोंके थोडा मन्द श्रुतज्ञान भी है । किन्तु अनेन्द्रिय ( मन ) की सहायतासे होनेवाले विशिष्ट श्रुतज्ञानकी सम्भावना नहीं होनेसे वह श्रुत ( छोटा श्रुतज्ञान ) विद्यमान हो रहा भी अधिद्यमान सदृश है । किमी विशेष विद्वान् या अङ्गज्ञानोंके श्रुतज्ञान कहना विशेष शोभता है । तथा एक आत्मामें एक प्रधान ज्ञान केवलज्ञान हो सकता है । इस उक्त कथनसे एकाव संख्याको कहनेवाले भी “ एक ” इस शब्दका व्याख्यान कर दिया समझ लेना चाहिये । क्योंकि श्री उमास्वामी महाराजको स्वयं इष्ट हो रहे एकज्ञानका भी संख्यावाची एक शब्दसे पूरा प्रश्न हो जाता है । और पांच ज्ञानोंमेंसे चाहे कोई भी एक ज्ञानके सद्भावका हो जाना इस अनिष्ट अर्थकी सम्भावना नहीं है । व्यापक अर्थ होनेपर व्याप्य अर्थ आ ही जाता है । अतः संख्यावाची एक शब्दका अमिप्राय करनेपर एक मतिज्ञानका ही सद्भाव रखना चाहिये । अकेले श्रुतज्ञान या अकेले अवधिज्ञान अथवा

अकेले मनःपर्ययज्ञानका सद्भाव असम्भव होनेके कारण इष्ट नहीं किया गया है। “व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि सन्देहादकक्षणं”—व्याख्यान कर देनेसे शिष्योंकी विशेष व्युत्पत्ति हो जाती है। केवल सन्देह उठा देनेसे लक्षण खोटा नहीं हो जाता है।

क्वचित्पुनर्द्वं मतिश्रुते क्वचित्ते वावधियुते मनःपर्यययुते चेति त्रीणि ज्ञानानि संभवन्ति। क्वचित्ते एवावाधिमनःपर्ययद्वयेन युते चत्वारि ज्ञानानि भवन्ति। पंचैकस्मिन्न भवन्तीत्याह।

किसी एक आत्मामें यदि दो ज्ञान होंय तो फिर मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये दो हो सकते हैं। मतिज्ञानके साथ अवधि या मनःपर्ययको मिटाकर अथवा श्रुतज्ञानके साथ अवधि या मनःपर्यय को मिटाकर दो ज्ञान नहीं हो सकते हैं। अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान केवल ये दो ज्ञान ही नहीं सम्भवते हैं। क्योंकि मतिज्ञानके साथ दूसरा ज्ञान श्रुतज्ञान ही हो सकता है। और श्रुतज्ञानके साथ दूसरा ज्ञान मतिज्ञान ही हो सकता है। तथा अवधिज्ञान या मनःपर्ययज्ञानके साथमें मतिज्ञान और श्रुतज्ञान अवश्य होंगे, जैसे कि चक्षु इन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपशमके साथ रसना इन्द्रियावरणका क्षयोपशम अवश्यमायी है। भले ही उसका कार्य नहीं होवे। किसी एक विवक्षित आत्मामें वे मति, श्रुत, दोनों ज्ञान यदि अवधिसे युक्त होजावे या मनःपर्ययसे सहित होजावे तो युगपत् एक आत्मामें तीन ज्ञान सम्भव जाते हैं तथा किसी एक आत्मामें वे मति और श्रुत दोनों ही ज्ञान यदि अवधि और मनःपर्यय इन दोनोंसे युक्त हो जायें तो युगपत् चारों ज्ञान एक आत्मामें सम्भव जाते हैं। एक आत्मामें युगपत् पांचों ज्ञान नहीं हो पाते हैं। इस रहस्यको श्रीविद्यानन्द आचार्य स्पष्टकर कहते हैं।

आचतुर्भ्य इति व्याप्तवाद्याङ्गवचनतः पुनः।

पंचैकत्र न विद्यन्ते ज्ञानान्येतानि जालुचित् ॥ ४ ॥

“आह्” इस निपातका अर्थ मर्यादा, अमिबिधि आदि कई हैं। आचतुर्भ्यः यहाँ आह् का अर्थ अमिबिधि है। मर्यादामें तो उस कण्ठोक्तको छोड़ दिया जाता है। और अमिबिधिमें उस कथित पदार्थका भी ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे कि यहाँ सूत्रमें चारका भी ग्रहण कर लिया गया है। आचतुर्भ्यः यहाँ व्याप्त अर्थको फइनेवाले आह् शब्दका कथन कर देनेसे फिर यह सिद्धान्त प्राप्त हो जाता है कि एक आत्मामें मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवलज्ञान ये पांचों ज्ञानों युगपत् कभी भी नहीं विद्यमान रहते हैं। क्योंकि ज्ञानावरणका क्षय हो जानेपर आत्मामें सर्वदा केवलज्ञान ही प्रकाशता रहता है। अतः देशघाती प्रकृतियोंके उदय होनेपर सम्मय रहे चार ज्ञानोंका ध्यायिक ज्ञानके समयमें सद्भाव नहीं है।



सायोपशमिकज्ञानैः सहभावविरोधात्सायिकस्येत्युक्तं पंचानामेकत्रासहभवनमन्यत्र ।

आवरणोंकी क्षयोपशम अवस्था हो जानेपर सम्भवनेवाले चार ज्ञानोंके साथ आवरणोंके क्षय होनेपर उत्पन्न होनेवाले केवलज्ञानका साथ साथ विद्यमान रहना विरुद्ध है । इस प्रकार एक आत्मामें पांचों ज्ञानोंका साथ सम्भवना नहीं, इस बातको हम अन्य पहिले प्रकरणोंमें स्पष्टरूपसे कह चुके हैं । अथवा अन्य सिद्धान्तग्रन्थोंमें यों उक्त है ।

भाज्यानि प्रविभागेन स्थाप्यानीति निबुद्धयतां ।

एकादीन्येकदैकत्रानुपयोगानि नान्यथा ॥ ५ ॥

इस सूत्रमें कहे गये “ भाज्यानि ” शब्दका अर्थ “ प्रकरणप्राप्त विभाग करके स्थापन करने योग्य हैं ” इस प्रकार समझनेना चाहिये । एक समयमें एक आत्मामें एकको आदि लेकरके चार ज्ञानतक जो सम्भवते हुये बताये गये हैं, वे अनुपयोग आत्मक हैं । अन्य प्रकारसे यानी उपयोगस्वरूप पूरी पर्यायको धार रहे नहीं हैं । अर्थात्—लब्धिवस्वरूप ज्ञान तो दो, तीन, चार, तक हो सकते हैं । अमात्र या विशुद्धियां कितनी हों ऊपर ली जाय तो बोझ नहीं बढ़ता है । किन्तु उपयोगस्वरूप ज्ञान तो एक समयमें एक ही होगा, क्योंकि उपयोग पर्याय है । चेतना गुणका एक समयमें एक ही पर्याय हो सकती है । हां, क्षयोपशम तो स्वच्छताविशेष है । वे एक समयमें कई हो सकते हैं । जैसे कि स्वच्छ भौतमें मिट्टी, स्याही, धूआं, कूड़ा, आदिके पृथक् कर देनेपर कई प्रकारकी स्वच्छताएं रह सकती हैं । किन्तु भौतमें चित्र एक ही प्रकार लिखा जा सकता है । “ एकस्मिन् द्वावुपयोगौ ” एक समय एक आत्मामें दो उपयोग नहीं सम्भव हो सकते हैं ।

सोपयोगंस्थानेकस्य ज्ञानस्यैकत्र यौगपद्यवचने हि सिद्धान्तविरोधः सूत्रकारस्य न पुनरनुपयोगस्य सह द्वावुपयोगौ न स्त इति वचनात् ।

एक आत्मामें उपयोगसहित अनेक ज्ञानोंका युगपत् हो जाना यदि कथन करते तो सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराजको स्याद्वादसिद्धान्तसे विरोध होता । किन्तु फिर अनुपयोग (लब्धि) स्वरूप अनेक ज्ञानोंका एक ही कालमें एक आत्मामें कथन करनेपर तो कोई सिद्धान्तसे विरोध नहीं आता है । क्योंकि एक साथ दो उपयोग नहीं होते हैं, ऐसा आकर ग्रन्थोंमें वचन कहा हुआ है । “ दंसगपुञ्जं णाणं छदुमस्थानं ण दोण्हि उपयोगा जुगवं ” छद्मस्थ जीवोंके बारह उपयोगोंमेंसे या इनके उत्तरमेद तकड़ों उपयोगोंमेंसे एक समयमें एक ही उपयोग हो सकता है । यद्यपि केवली भगवान्के एक समयमें केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दो उपयोग मान लिये हैं । “ जम्हा केवळिणाइ जुगवं तदो दोषि ” वह केवलज्ञानावरण और केवलदर्शनावरण कर्मोंके क्षय हो जानेके कारण कथन कर दिया जाता है । केवलज्ञान अधिक प्रकाशमान पदार्थ है । अतः केवली आत्मामें

चेतना गुणकी केवलज्ञानस्वरूप पर्याय सर्वदा होती रहती है। सम्पूर्ण पदार्थोंकी सत्ताका आलोचन करनेवाला अनन्तदर्शन उसी ज्ञानमें अन्तर्भावित हो जाता है। एक गुण एक समयमें दो पर्यायोंकी नहीं धार सकता है। अतः क्षयोपशमजन्य लब्धिस्वरूप ज्ञान एकसे लेकर चार तक हो सकते हैं। किन्तु उपयोगस्वरूप पर्यायसे परिणत हो रहा ज्ञान एक समयमें एक ही होगा, न्यून अधिक नहीं।

**सोपयोगयोर्ज्ञानयोः सह प्रतिषेधादिति निवेदयन्ति।**

उपयोगसहित हो रहे दो ज्ञानोंके साथ साथ हो जानेका निषेध है। इस रहस्यको श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिकद्वारा सबके समुख निवेदन करते हैं।

**क्षायोपशमिकं ज्ञानं सोपयोगं क्रमादिति।**

**नार्थस्य व्याहृतिः काचित्क्रमज्ञानाभिधायिनः ॥ ६ ॥**

ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुये ज्ञान यदि उपयोगसहित उपजेंगे तो क्रमसे ही उपजेंगे। ऐसा कहनेमें क्रमसे ज्ञानोंकी उत्पत्तिका कथन करनेवाले स्याद्वादी विद्वान्के यहां कोई अर्थका व्याघात नहीं होता है। अर्थात्—बद्ध आत्मामें देशघाती प्रकृतियोंके उदयकी अवस्था उपयोगस्वरूप ज्ञान या दर्शनकी एक ही पर्याय एक समयमें हो प्रकृती है। हाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरणके क्षय हो जानेपर अबद्ध आत्मामें भले ही दो पर्याय हो जानेका व्यपदेश हो जाय तो कोई क्षति नहीं है। संसारी जीव क्रमसे दृष्टा, ज्ञाता, हैं। और केवली भगवान् युगपत् दृष्टा, ज्ञाता हैं।

**निरूपयोगस्यानेकस्य ज्ञानस्य सहभाववचनसामर्थ्यात् सोपयोगस्य क्रमभावः क्षायोपशमिकस्येत्युक्तं भवति। तथा च नार्थस्य हानिः क्रमभावविज्ञानावबोधकस्य सम्भाव्यते।**

उपयोग आत्मक नहीं ऐसे अनेक ज्ञानोंके एक साथ हो जानेके कथनकी सामर्थ्यसे यह बात अर्थापत्तिद्वारा कह दी जाती है कि उपयोगसहित हो रहे क्षायोपशमिक ज्ञानोंका क्रम क्रमसे ही उत्पाद होता है। और तिस प्रकार होनेपर क्रमसे होनेवाले ज्ञानोंको समझानेवाले स्याद्वादवादिके यहां किसी प्रयोजनकी हानि नहीं सम्भवती है। अर्थात् अनपज्ञानी ज्ञाताओंके क्षायोपशमिक ज्ञानोंके क्रमसे उत्पन्न हो जानेमें किसी अर्थकी हानि नहीं हो पाती है। प्रयुक्त चेतना गुणकी वर्तना अनुसार ठीक पर्याय होनेका सिद्धान्त अक्षुण्ण बना रहता है।

**अत्रापाराकृतमनूय निराकुर्वन्नाह।**

यहां प्रकरणमें दूसरे वादियोंके चेष्टित करनेका अनुवाद कर पुनः उसको निराकरण करते हुये श्री विद्यानन्द स्वामी स्पष्ट मापण कहते हैं ।

नोपयोगौ सह स्यातामित्यार्याः ख्यापयन्ति ये ।

दर्शनज्ञानरूपौ तौ न तु ज्ञानात्मकाविति ॥ ७ ॥

ज्ञानानां सहभावाय तेषामेतद्विरुद्धयते ।

क्रमभावि च यज्ज्ञानमिति युक्तं ततो न तत् ॥ ८ ॥

श्री समन्तमद्र आचार्य दो उपयोगोंका साथ साथ होना नहीं मानते हैं । यहां कहे गये कि एक साथ दो उपयोग नहीं होते हैं, इस सिद्धान्तवाक्यका जो आर्य विद्वन् यह अर्थ बखानते हैं कि दर्शन और ज्ञानस्वरूप वे दो उपयोग साथ नहीं होते हैं, किंतु ज्ञानस्वरूप दो उपयोगोंके साथ हो जानेका निषेध नहीं है । अर्थात्—एक ज्ञानोपयोग और दूसरा दर्शनोपयोग ये दो उपयोग साथ नहीं हो सकते हैं । किन्तु मतिज्ञान और श्रुतज्ञान अथवा चाक्षुषप्रत्यक्ष और रसना इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ऐसे दो आदिक कई ज्ञान तो एक क्षात्रमें हो सकते हैं । इस प्रकार उनके कइनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य कहते हैं कि उन आर्योंके यहां कई उपयोग आत्मक ज्ञानोंका सद्भाव कथन करनेके लिये इस सिद्धान्तवाक्यसे विरोध पडता है कि “ क्रमभावि च यज्ज्ञानं स्याद्दनयसंस्कृतम् ” श्री समन्तमद्र स्वामीने अतमीर्गतामें कहा है कि क्षपोपशमसे जन्म जो ज्ञान स्याद्दानपापसे संस्कारयुक्त हो रहे क्रम क्रमसे होते हैं, वे भी प्रमाण हैं । तिस कारण इस प्रकार यह कई ज्ञानोंका सद्भाव कथन करना युक्तिपूर्ण नहीं है । तरय यही है कि रूप, रस आदि गुणोंका एक समयमें नीला, पीला, खट्टा, मीठा, आदिकमेंसे जैसे कोई एक ही परिणाम होता है, उसी प्रकार चैत्यगुणका एक समयमें उपयोगस्वरूप एक ही परिणाम होगा ।

यदापि “ क्रमभावि च यज्ज्ञानमिति ” समन्तभद्रस्वामिवचनमन्यथा व्याचक्षते विरोधपरिहारार्थं तदापि दोषमुद्गावयति ।

विरोध दोषका परिहार करनेके लिये जब कभी वे विद्वन् क्रमसे होनेवाले जो ज्ञान हैं, वे प्रमाण हैं, इस प्रकार श्री समन्तमद्र स्वामीके वचनोंका दूसरे प्रकारोंसे या वदप्रमाण व्याख्यान करते हैं, तब भी उनके ऊपर श्रीविद्यानन्दी आचार्य दोषोंको उठाते हैं ।

शद्धमंसृष्टविज्ञानापेक्षया वचनं तथा ।

यस्मादुक्तं तदेवार्थैः स्याद्दानयसंस्थितम् ॥ ९ ॥

इति व्याचक्षते ये तु तेषां मत्यादिवेदनं ।

प्रमाणं तत्र नेष्टं स्यात्ततः सूत्रस्य बाधनम् ॥ १० ॥

ये विद्वान् आसमीमांसाके वाक्यका अर्थ यों बखानते हैं कि जिस कारणसे श्री सन्तभद्राचार्यने शब्दके साथ संसर्गको प्राप्त हो रहे विज्ञानकी अपेक्षासे तिस प्रकारका बचन कहा है, तनी तो उन आचार्योंको ज्ञानका स्वाद्वादान्तीसे भले प्रकार स्थित हो जाना कहना पडा। अर्थात्—जिन ज्ञानोंमें शब्दकी योजना हो जाती है, जैसे कि किसी आसके कहनेसे किसी देशमें धान्यकी उत्पत्तिका ज्ञान किया तथा उसके शब्दों द्वारा वहाँके पुरुषोंमें सदाचारमें प्रवृत्ति ज्ञात कर ली, विद्वानोंका सद्भाव समझ लिया, इत्यादिक ऐसे शब्दसंसर्गीज्ञान तो श्रोताकी कमसे ही होंगे। ऐसा अर्थ करनेपर ही “स्वाद्वादनयसंस्कृतम्” यह पद भी ठीक संगत हो जाता है। जैनेोंने शब्दसंसर्गीज्ञानको स्वाद्वादनीतिसे संस्कृत कर श्रुतज्ञान मान लिया है। स्वाद्वाद नीति श्रुतज्ञानमें ही तो लक्षणी है। किंतु शब्दकी योजनासे रहित हो रहे बहुभाग श्रुतज्ञान और सभी मति, अवधि और मनःपर्यय ये ज्ञान तो कई एक साथ हो सकते हैं। अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार असमीमांसाके वाक्यका जो विद्वान् व्याख्यान कर रहे हैं, उनके यहां मतिज्ञान, अधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और शब्दका संसर्ग नहीं रखनेवाला बहुभाग श्रुतज्ञान, ये ज्ञान तो प्रमाण नहीं अभीष्ट ही सकेगे और तैसा हो जानेसे सूत्रकारके पाचों ज्ञानोंको प्रमाण कहनेवाले सूत्रकी बाधा उत्पन्न हो जायगी। अर्थात्—संपूर्ण प्रमाणोंका नियम करनेवाली श्री सन्तभद्र महोदयकी कारिकाके पूर्वार्थका अर्थ केवलज्ञानका प्रमाणपना किया जा रहा है। सो तो ठीक है। किंतु कारिकाके उत्तरार्द्धसे यदि शब्दसंसर्गी श्रुतज्ञानका ही प्रमाणपना कह दिया जायगा तो शेष मति आदिक ज्ञानोंका प्रमाणपना व्यवस्थित नहीं हो सकेगा और ऐसी दशामें “मतिश्रुतावधिमनःपर्यय-केवलाणि ज्ञानं” इस श्री उमास्वामी महाराजके प्रमाणप्रतिपादक सूत्रसे श्री सन्तभद्र स्वाभीकी कारिकाका विरोध ठन जायगा। ऐसे परस्पर विरोधको तो कोई भी मजा मानुष इष्ट नहीं करेगा।

“तत्त्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्सर्वभासनं” मित्यनेन केवलस्य “ऋमभावि च यज्ज्ञानं स्वाद्वादनयसंस्कृतं” मित्यनेन च श्रुतस्वागमस्य प्रमाणान्तरबचनमिति व्याख्याने मतिज्ञानस्वावधिमनःपर्यययोश्च नात्र प्रमाणत्वस्युक्तं स्यात्। तथा च “मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानं” “तत्प्रमाणे” इति ज्ञानपंचरुस्य प्रमाणद्वयरूपत्वमतिपादकसूत्रेण बाधनं प्रसज्येत।

“तत्त्वज्ञानं प्रमाणं ते” यह देवागम स्तोत्रकी कारिका है। इसका अर्थ यों है कि हे जिनेंद्र! तुम्हारे यहां तत्त्वोंका यथार्थज्ञान ही प्रमाण माना गया है। तिन प्रमाण ज्ञानोंमें प्रधान ज्ञान

केवलज्ञान है, जो सम्पूर्ण पदार्थोंका युगपत् साक्षात् प्रतिमास कर देता है। और जो ज्ञान क्रम से होनेवाले हैं, वे भी तत्त्वज्ञानस्वरूप होते हुये प्रमाण हैं। स्याद्वादनतीतिसे संस्कृत होता हुआ श्रुतज्ञान भी प्रमाण है। अथवा “ स्याद्वादनयसंस्कृतं ” यह विशेषण सभी तत्त्वज्ञानोंमें लगा लेना चाहिये। सप्तमंगी प्रक्रिया सर्वत्र सुलभ है। यहां उक्त कारिकाके पूर्वार्धसे केवलज्ञानका प्रमाणपना बखानते हुये वे विद्वान् कारिकाके “ क्रमभावि च यज्ज्ञानं स्याद्वादनयसंस्कृतं ” इस उत्तरार्द्धकरके केवल आगमस्वरूप श्रुतज्ञानको दूसरे प्रमाणपनेका वचन है, ऐसा कहते हैं। किन्तु ऐसा व्याख्यान करनेपर इस कारिकामें मतिज्ञान और देशप्रत्यक्षस्वरूप अवधिज्ञान, मनःपर्यय ज्ञानोंका प्रमाणपना यहां नहीं कहा गया समझा जायगा और तिस प्रकार केवलज्ञान और श्रुतज्ञान इन दो ज्ञानोंका ही प्रमाणपना श्री समन्तमद्रस्वामीकी कारिकाद्वारा व्यवस्थित हो जानेपर तत्त्वार्थसूत्रकारद्वारा कहे गये मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान ये पांच ज्ञान प्रमाण हैं। तथा वे ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दो प्रमाण स्वरूप हैं। इस प्रकार पांचों ज्ञानोंको दो प्रमाणस्वरूपपना प्रतिपादन करनेवाले सूत्रोंकरके बाधा हो जानेका प्रसंग प्राप्त हो जावेगा।

यदा तु मत्यादिज्ञानचतुष्टयं क्रमभावि केवलं च युगपत्सर्वभासि प्रमाणं स्याद्वादेन प्रमाणेन सकलादेशिना नयौश्च विकलादेशिभिः संस्कृतं सकलविप्रतिपत्तिनिराकरणद्वारेणागतमिति व्याख्यायते तदा सूत्रबाधा परिहृता भवत्येव।

किन्तु जब श्री समन्तमद्रस्वामीकी कारिकाका अर्थ यों किया जायगा कि “ क्रमक्रमसे होने वाले मति, श्रुत आदिक चारों ज्ञान और एक ही समयमें सब पदार्थोंको प्रकाशनेवाला केवलज्ञान प्रमाण है। वस्तुके सकल अंशोंका कथन करनेवाले स्याद्वाद प्रमाणकरके और वस्तुके विकल अंशोंका कथन करनेवाले नयोंकरके वह तत्त्वज्ञान संस्कृत हो रहा है। अथवा प्रमाण तो सकलादेशी वाक्यसे संस्कृत है और द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक दो नये विचारी विकलादेशी वाक्योंकरके संस्कार प्राप्त हैं। बौद्ध गौर्मासक आदि करके उठाये गये सम्पूर्ण त्रिकादोंका निराकरण करते करते उक्त द्वार या प्रकारसे यह सिद्धन्त प्राप्त होगया। इस प्रकार कारिकाका व्याख्यान किया जायगा, तब तो सूत्रसे आयी हुयी बाधाका परिहार हो ही जाता है।

ननु परव्याख्यानेऽपि न सूत्रबाधा क्रमभावि चेति च शब्दान्मतिज्ञानस्यावधिभनः-पर्ययोश्च संग्रहादित्यत्र दोषमाह।

किर भी दूसरे विद्वान् अपने गिरगये पक्षका पुनः अरधारण करते हैं कि दूसरे विद्वान्के द्वारा व्याख्यान करनेपर भी कारिकाकी सूत्रसे बाधा यों नहीं आती है कि “ क्रमभावि च ” यों कारिकामें पढ़े हुये च शब्द करके मतिज्ञानका और अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञानका संग्रह हो जाता है। ऐसी दशामें श्री समन्तमद्रस्वामीकी कारिकाद्वारा भी पांचों ज्ञानोंको प्रमाणपना प्राप्त हो जाता है।

है। इस प्रकार उनके कहनेपर भी श्री विद्यानन्दी आचार्य यहाँ आ रहे दोषोंको स्पष्ट कर कहते हैं, सो सुनिये।

चशब्दात्संग्रहात्तस्य तद्विरोधो न चेत्कथम् ।

तस्याक्रमेण जन्मेति लभ्यते वचनाद्विना ॥ ११ ॥

च शब्द करके मति आदि ज्ञानोंका संग्रह हो जानेसे उस कारिकाके वाक्यका उस सूत्रसे विरोध नहीं होता है, यदि यों कहोगे ! तो बताओ कि उन मति आदि ज्ञानोंकी अक्रमसे उत्पत्ति हो जाती है, यह तुम्हारा सिद्धान्त कण्ठीक वचनके बिना भला कैसे प्राप्त हो सकता है ! अर्थात्—च शब्दसे मति आदिकका संग्रह तो हो जायगा, किन्तु तुमको अभीष्ट हो रहा ज्ञानोंका एक साथ होना भला कैसे बिना कहे ही कारिकासे निकल सकता है ! श्री समन्तभद्र आचार्यने “ क्रमभावि ” शब्द तो कहा है। किन्तु अक्रमभावि शब्द नहीं कहा है, अतः तुम्हारा व्याख्यान ठीक नहीं है।

क्रमभावि स्याद्वादनयसंस्कृतं च शब्दान्मत्यादिज्ञानं क्रमभावीति न व्याख्यायते यतस्तस्याक्रमभावित्वं वचनाद्विना न लभ्येत । किं तर्हि स्याद्वादनयसंस्कृतं । यत्तु श्रुतज्ञानं क्रमभावि चशब्दादक्रमभावि च मत्यादिज्ञानमिति व्याख्यानं क्रियते सूत्रवाधापरिहारस्यैवं प्रसिद्धेरिति चेत्, नैवमिति वचनात् सूत्रान्मत्यादिज्ञानमक्रमभाविप्रकाशनाद्विना लब्धुमशक्तेः ।

परवादी कहता है कि हम क्रमसे होनेवाले तथा स्याद्वादनयसे संस्कृत हो रहे श्रुतज्ञान और च शब्दसे संगृहीत क्रमपूर्वक होनेवाले मति आदि ज्ञान प्रमाण हैं, ऐसा व्याख्यान नहीं करते हैं, जिससे कि जैनोंका क्षायोपशमित ज्ञानोंके क्रमभावीपनका मन्तव्य तो सिद्ध हो जाय और हमपर वादियोंद्वारा माना गया उन मति आदिक ज्ञानोंका अक्रमसे हो जानापन विचारा वचनके बिना प्राप्त नहीं हो सके। तो हम कारिकाका कैसा व्याख्यान करते हैं ? इसका उत्तर यह है कि जो ज्ञान स्याद्वाद्वाक्य और नय वाक्योंसे संस्कार प्राप्त हो रहा श्रुतज्ञान है, वह तो क्रमसे ही होनेवाला है। क्योंकि शब्दोंकी योजना क्रमसे ही होती है। अतः शब्दसंयुक्त श्रुतज्ञान तो क्रमभावि है। और च शब्दकरके लिये गये अक्रमसे होनेवाले मति आदि ज्ञान भी प्रमाण हैं। इस प्रकार स्वामीजीकी कारिकाका व्याख्यान किया जाता है। ऐसा ढंग बनानेपर श्री उमास्वामी महाराजके सूत्रसे आनेवाली बाधाके परिहारकी प्रसिद्धि हो जाती है। इस प्रकार परवादियोंके कहनेपर आचार्य महाराज कहते हैं कि यों तो नहीं कहना। क्योंकि मति आदिक ज्ञान अक्रमसे यानी एक साथ भी कई हो जाते हैं। इस तरवको प्रकाशनेवाले सूत्रवचन या कारिका वचनके

बिना ही वह तुम्हारा अर्थ प्राप्त नहीं हो सकता है। हाँ, इनके विपरीत “ एकदा न द्वावुपयोगी ” यह वचन जागरूक हो रहा है। दर्शन, अवग्रह, ईश, अमाय, धारणा, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क ये उपयोग क्रमसे ही होते हैं। मुरमुरी कचौडी त्वाने पर मी पाचों इन्द्रियोसे जन्य ज्ञान क्रमसे ही होते हैं। मति आदिक कई ज्ञानोंका एक साथ उपजना विरुद्ध है।

ननु ब्रह्मादिमूर्त्रं मतिज्ञानयौगपद्यमतिपादकं तावदस्तीति शंकासुपदर्श्य प्रत्याचष्टे ।

परवादी विद्वान् अपने पक्षको पुष्ट करनेके लिये शर्मत्रण देता है कि कई मति ज्ञानोंके युगपत् हो जानेउनका प्रतिपादन करनेवाला “ बहुबहुविधक्षिप्रा ” इत्यादि सूत्र तो विद्यमान है ही। इस प्रकारकी आशंकाको दिखला कर श्री विद्यानन्द आचार्य उस शंकाका प्रत्याख्यान करते हैं।

ब्रह्माद्यवग्रहादीनामुपदेशात्सहोद्भवः ।

ज्ञानानामिति चेन्नैवं सूत्रार्थानवबोधतः ॥ १२ ॥

बहुष्वर्थेषु तत्रैकोवग्रहादिरितीष्यते ।

तथा च न बहूनि स्युः सहज्ञानानि जातुचित् ॥ १३ ॥

बहु, बहुविध आदि पदार्थोंके अवग्रह, ईश आदि ज्ञानोंका सूत्रकारने उपदेश दिया है। अतः कई ज्ञानोंका साथ उपजना सिद्ध हो जाता है। अर्थात्—एक साथ हुये बहुतसे ज्ञान ही तो विषयभूत बहुत अर्थोंको जान सकेंगे। एक ज्ञान तो एक ही अर्थको जान पावेगा। जब कि सूत्रकारने बहुत पदार्थोंका एक समयमें जान लेना उपदिष्ट किया है, अतः सिद्ध होता है कि एक समयमें अनेक ज्ञान हो जाते हैं। इस प्रकार शंकाकारके कहनेपर आचार्य कहते हैं यों तो नहीं कहना। क्योंकि सूत्रके वास्तविक अर्थका तुमको ज्ञान नहीं हुआ है। श्री उमास्वामी महाराजको बहुतसे अर्थोंमें या बहुत जातिके अनेक अर्थोंमें एक अवग्रह, एक ईश ज्ञान, आदि हो जाते हैं। इस प्रकार उस सूत्रमें अर्थ अमीष्ट हो रहा है। और तिस प्रकार होनेपर कदाचित् भी एक साथ बहुत ज्ञान नहीं हो पावेंगे। अर्थात्—एक समयमें एक ही ज्ञान होगा। वह एक ज्ञान ही मछें ही लाखों, करोड़ों, अक्षयों पदार्थोंको युगपत् जान लेवे ऐसा सूत्रकारका मन्तव्य है। प्रत्येक अर्थके लिए एक एक ज्ञान मान लेना निर्दोष सिद्धान्त नहीं है। एक ज्ञानसे अनेकों अर्थ जाने जा सकते हैं। और एक धारामें वह रहे अनेक ज्ञानोंसे भी एक अर्थ जाना जा सकता है। कोई एकान्त नहीं है। “ प्रसिद्धव्यलक्षणोपप्लव ” या प्रत्यर्थ ज्ञानाभिनिवेश, इसमें अनेक दोष आते हैं।

अथमेवमिदं सूत्रमनेकस्य ज्ञानस्यैकत्र सहभावं प्रकाशयन्न विरुध्यते इति चेदुच्यते ।

शंकाकार कहता है कि यों कहनेपर तो यानी एक समयमें एक ही ज्ञानका सद्भाव माननेपर तो एक आत्मामें एक समय अनेकज्ञानोंके साथ साथ हो जानेको प्रकाश रहा यह “ एकादीनि भाष्यानि ” इत्यादि सूत्र भन्ना क्यों नहीं विरुद्ध हो जावेगा ? अर्थात्—एक समयमें एक ही ज्ञान मान चुकनेपर पुनः इस सूत्र द्वारा एक साथ चार ज्ञानोंतकका उपदेश देना विरुद्ध पड़ेगा । जैनोंके मतका इस सूत्रसे विरोध ठन जायगा । इस प्रकार कटाक्ष करनेपर तो श्रीविद्यानन्द आचार्यको यों समाधान कहना पड़ता है, सो सुनिये ।

शक्यत्पणात्तु तद्भावः सहेति न विरुध्यते ।

कथञ्चिदक्रमोद्भूतिः स्याद्वादन्यायवेदिनाम् ॥ १४ ॥

ज्ञानकी छत्रिस्वरूप शक्तियोंकी विवक्षा करनेसे तो इस सूत्र द्वारा दो, तीन, चार ज्ञानोंका सहभाव कथन कर देना विरुद्ध नहीं पड़ता है । क्योंकि स्याद्वादसिद्धान्तकी नीतिको जाननेवाले विद्वानोंके यहां कथञ्चित् यानी किसी क्षयोपशमकी अपेक्षासे कई ज्ञानोंका अक्रमसे उपजना अविरुद्ध है । जैसे कि सिद्धान्त, न्याय, व्याकरण, साहित्यको जाननेवाला विद्वान् सोते समय या खाते, पीते, खेचते समय भी उक्त विषयोंकी व्युत्पत्तिसे सहित है । किन्तु पढाते समय या व्याख्यान करते समय एक ही विषयके ज्ञानसे उपयुक्त हो रहा है । अतः मति आदिक ज्ञानोंमें १ स्यात् क्रमः २ स्यात् अक्रमः ३ स्यात् उभयं ४ स्यात् अवक्तव्यं ५ स्यात् क्रम-अवक्तव्यं ६ स्यात् अक्रम-अवक्तव्यं ७ स्यात् क्रमअक्रम-अवक्तव्यं यह सप्तमंगी प्रक्रिया उगा लेना । खेतकी विवक्षित मट्टी मळे ही सैकड़ों हजारों प्रकार वनस्पातिस्वरूप परिणमन कर सकती है, किन्तु वर्तमान समयमें गेहूँ, धार, बाजरी आदिमेंसे किसी एकरूप ही परिणत हो रही है ।

क्षायोपशमिकज्ञानानां हि स्वावरणक्षयोपशमयौगपद्यशक्तेः सहभावोऽस्त्येकत्रात्मनि योग इति कथञ्चिदक्रमोत्पत्तिर्न विरुध्यते सूत्रोक्ता स्याद्वादन्यायविदां । सर्वथा सहभावा-सहभावयोरनभ्युपगमाच्च न प्रतीतिविरोधः शक्यत्वात्मनैव हि सहभावो नोपयुक्तात्मना उपयुक्तात्मना वाऽसहभावो न शक्यत्वात्मनापीति प्रतीतिसिद्धं ।

कारण कि क्षायोपशमिक चार ज्ञानोंकी अपने अपने आवरण करनेवाले ज्ञानावरण कर्मोंके क्षयोपशमका युगपत्पने करके डूयी शक्तिका सहभाव एक आत्मामें विद्यमान है । किन्तु उपयोग आत्मक कई ज्ञानोंका सहभाव नहीं है । इस प्रकार उन ज्ञानोंकी इस सूत्रमें फही गयी अक्रमसे उत्पत्ति तो स्याद्वाद न्यायको जाननेवाले विद्वानोंके यहां विरुद्ध नहीं होती है । शक्ति और उपयोगकी अपेक्षा इस सूत्रका और “ एकदा न द्वावुपयोगौ ” इस आकर वाक्यका कोई विरोध नहीं पड़ता है । हम जैनोंने सभी प्रकार ज्ञानोंके सहभाव और सभी प्रकारोंसे ज्ञानोंके असहभावको स्वीकार नहीं



किया है। अतः प्रमाणप्रसिद्ध प्रतीतिओंसे विरोध नहीं आता है। हम शक्तिस्वरूपकरके ही ज्ञानोंका सहभाव मानते हैं। उपयुक्तस्वरूप करके कई ज्ञानोंका सहभाव एक समयमें नहीं मानते हैं अथवा उपयुक्तस्वरूप करके ही ज्ञानोंका असहभाव (क्रममात्र) है। शक्ति स्वरूपकरके भी असहभाव होय यों नहीं है। यह सिद्धान्त प्रतीतियोंसे सिद्ध हो रहा है।

सहोपयुक्तात्मनापि रूपादिज्ञानपंचकमादुर्भावमुपयन्तं प्रत्याह ।

जो वादी विद्वान् उपयुक्तपन स्वरूपकरके भी रूप, रस आदिके पांच ज्ञानोंकी एक साथ उत्पत्तिको स्वीकार कर रहा है, उसके प्रति अनुवाद करते हुये आचार्य महाराज सिद्धान्त वचनको कहते हैं।

शष्कुलीभक्षणादौ तु रसादिज्ञानपंचकम् ।

सकृदेव तथा तत्र प्रतीतेरिति यो वदेत् ॥ १५ ॥

तस्य तत्स्मृतयः किञ्च सह स्युरविशेषतः ।

तत्र तादृक्षसंविच्छेः कदाचित्कस्यचित्कचित् ॥ १६ ॥

सर्वस्य सर्वदात्वे तद्रसादिज्ञानपंचकम् ।

सहोपजायते नैव स्मृतिवत्तत्क्रमेक्षणात् ॥ १७ ॥

भुरीभुरी ( खस्ता ) कचौडी, पापड, महोयेका पान आदिके भक्षण, सूंघने, छूने आदिमें हुये उस गन्ध आदिके पाचों ज्ञानोंका एक ही समयमें तिस प्रकार वहा होना प्रतीत हो रहा है। अतः उपयोगस्वरूप भी अनेक ज्ञान एक समयमें हो सकते हैं। अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार जो कोई विद्वान् कहेगा, उस विद्वान्के यहा उन पाचों ज्ञानोंकी स्मृतिया विशेषता रहित होनेसे एक साथ क्यों नहीं हो जाती हैं। अर्थात्—जब कि अनुभव एक साथ पांच हो गये हैं, तो स्मृतिया भी एक साथ पांच हो जानी चाहिये। अनुभवके अनुसार स्मृतिया हुआ करती हैं। स्याद्वादसिद्धान्ती हम एक साथ कई ज्ञान हो जानेको माननेवाले तुमसे पूछते हैं कि किसी कालमें किसी एक व्यक्तिको कहीं भी हो गयी तिस प्रकार एक समयमें हुये अनेक ज्ञानोंकी सम्बन्धितसे वहां कचौडी भक्षण आदिमें उस रसादिके पांच ज्ञानोंके एक साथ उपजनेकी व्यवस्था करते हो ! अथवा सदा सम्पूर्ण व्यक्तियोंके सभी ऐसे स्थलोंपर हो रही तिस प्रकार सम्बन्धितोंसे पांचों ज्ञानोंका साथ हो जाना स्वीकार करते हो ! बताओ। प्रथमपक्ष अनुसार किसीको कहीं कभी तैसा ज्ञान कर लेनेसे तो यथार्थ व्यवस्था नहीं बनती है। मिथ्याज्ञान द्वारा भ्रमवश कहीं कभी किसी उद्भ्रान्त पुरुषको प्रायः ऐसी सम्बन्धितिया होजाया करती हैं, जो कि उत्तरकालमें बाधित हो जाती हैं। हा,

द्वितीय पक्षका प्रहण करना प्रशस्त है । किन्तु सभी व्यक्तियोंको सदा ऐसे सभी स्थलोंपर रस आदिकोंके वे पांच ज्ञान एक साथ उपज रहे नहीं जाने जाते हैं । जैसे कचौड़ी भक्षण कर चुकने-पर पीछे रूप, रस आदिकी स्मृतियां क्रमसे ही होती हैं । इस प्रकार उन रूप आदिके पांच ज्ञानोंका भी क्रमसे उपजना देखा जाता है । अर्थात्—उत्तम कचौड़ी सम्बन्धी रूप, गन्ध, स्पर्श, शब्द, रस, इनके पांच ज्ञान क्रमसे होते हैं । शीघ्र शीघ्र प्रवृत्ति हो जानेसे संस्कारवश आतुर प्राणी युगपत्पनेका कोरा अभिमान करलेता है ।

**क्रमजन्म क्वचिद् दृष्ट्वा स्मृतीनामनुमीयते ।**

**सर्वत्र क्रमभावित्वं यद्यन्यत्रापि तत्समं ॥ १८ ॥**

पूर्वपक्षी कहता है कि हम रूप आदिके ज्ञानोंकी तो एक साथ उत्पत्तिको मान लेते हैं । किन्तु उनकी स्मृतियां क्रमसे ही होती हुयी मान ली जाती हैं । क्योंकि किसी भी दृष्टान्तमें स्मृतियोंका क्रमसे हो रहे जन्मको देख करके सभी स्थलोंपर स्मृतिओंके क्रमसे होनेपनका अनुमान कर लिया जाता है । इसपर आचार्य महाराज कहते हैं कि यदि इस प्रकार स्मृतिओंका क्रममावी माना जायगा तब तो सभी रूप आदिक पांच अन्य ज्ञानोंमें भी वह क्रमसे उत्पन्न होनापन समान है । स्मृति और अनुभवोंके क्रमसे उत्पाद होनेमें कोई अन्तर नहीं है ।

**पंचभिव्यवधानं तु शष्कुलीभक्षणादिषु ।**

**रसादिवेदनेषु स्याद्यथा तद्वत्स्मृतिष्वपि ॥ १९ ॥**

जिस प्रकार पापड भक्षण, पान चवाना आदिके पीछे कालमें हुयी उनकी स्मृतिओंमें पांच या बीचके चार व्यवधायकोंकरके व्यवधान पड जाता है, उन्हींके समान कचौड़ीभक्षण, पानक ( ठंडाई ) पान आदिकमें हुये रस, गन्ध आदिके ज्ञानोंमें भी तो पांचों करके व्यवधान पड जायगा । पांच अंगुलिओंमें देशोंके पांच या चार व्यवधान होनेपर भी जैसे पांचपना है, ज्ञानोंमें भी काल कृत पांच व्यवधान पड जानेसे ही पांचज्ञानपना व्यवस्थित है । विषयोंकी अपेक्षा ज्ञानोंकी संख्या वैसी नियत नहीं है, जैसी कि भिन्न समयोंमें हो रहीं न्यारी परिणतियों द्वारा ज्ञानोंकी संख्या नियत हो जाती है ।

**लघुवृत्तेर्न विच्छेदः स्मृतीनामुपलक्ष्यते ।**

**यथा तथैव रूपादिज्ञानानामिति मन्यताम् ॥ २० ॥**

वेगपूर्वक घूमते हुये चक्रके समान शीघ्र शीघ्र ढाववसे प्रवृत्ति हो जानेके कारण स्मृतियोंका मध्यवर्ती अन्तराल जिस प्रकार नहीं देख पाता है, तिस ही प्रकार कचौड़ी भक्षण आदिमें रूप,

रस आदिके पांच ज्ञानोंका व्यवधान नहीं दीख रहा है, इस बातको मान लो। अर्थात्—  
स्मृतियोंके समान ज्ञानोंमें भी मध्यवर्ती अन्तराल पड रहा है। पांचो ज्ञान एक साथ नहीं हुये  
हैं, क्रमसे ही उपजते हैं।

असंख्यातैः क्षणैः पद्मपत्रद्वितयभेदनम् ।

विच्छिन्नं सकृदाभाति येषां भ्रान्तेः कुतश्चन ॥ २१ ॥

\* पंचपैः समयैस्तेषां किन्न रूपादिवेदनम् ।

विच्छिन्नमपि भातीहाविच्छिन्नमिव विभ्रमात् ॥ २२ ॥

जो कोई विद्वान् पांचसौ कमलके पत्रोंकी दो दो पत्रोंसे जड़ी हुयी गडुकी सूची द्वारा भेद  
करनेको असंख्यात समयों करके व्यवहित हो रहा स्वीकार करते हैं, किन्तु किसी कारणसे  
आन्तिवश उन्हीं जिन वादियोंके यहाँ पत्र पत्रोंका भिदना एक समयमें हो रहा दीख रहा है,  
उन विद्वानोंके महा रूप, रस आदिका ज्ञान पांच समयों करके व्यवहित हो रहा भी क्यों  
नहीं विशेष भ्रमसे अव्यवहित सरीखा हो रहा दीख जाता माना जायगा ! भावार्थ—सौ  
कमलके पत्रोंको छेदनेमें तो जो विद्वान् निम्नानत्रे समयोंका व्यवधान मानते हैं, उनको  
रूप आदिके ज्ञानोंमें बीचका व्यवधान मानना अनिवार्य होगा। वस्तुतः जैनसिद्धांत अनुसार विचारा  
जाय तो सौ पत्र क्या करोडो तर ऊपर रखे हुये पत्रोंको एक ही समयमें सूई या बन्दूक की गोली  
आदिसे छेदा जा सकता है। एक समयमें सैकड़ों योजनतक पदार्थोंकी गति मानी गयी है। हां,  
पूर्व अपरपना अवश्य है। एक ही समयमें पहिले ऊपरके पत्रेका भेदना है। पश्चात् नीचेके पत्रेका  
छिदना हो जाता है। किन्तु रूप आदिके ज्ञान तो पूरा एक एक समय घेर लेंगे। तब फही पांच  
ज्ञान न्यूनसे न्यून पांच समयोंमें होंगे। स्थूल दृष्टिवाले जीवोंके तो कचौडी खाते समय भी हुआ  
एक एक ज्ञान असंख्यात समयोंको घेर लेता है। अतः प्रतिगदियोंद्वारा स्वीकार किये गये  
“कमलपत्रशतछेद” दृष्टान्तकी सामर्थ्यसे रूप आदि ज्ञानोंका विच्छेद, साध दिया गया है।  
कतिपय आग्रहियोंकी विपरीत बुद्धिको तो देखो कि एक एक समयमें भी भिदनेवाले कमलपत्रोंमें तो  
कई समय लगते मानते हैं। किन्तु रूप आदिके ज्ञानोंमें नहीं, आश्चर्य है !

+ व्यवसायात्मकं चक्षुर्ज्ञानं गवि यदा तदा ।

मतङ्गजविकल्पोऽपीत्यनयोः सकृदुद्भवः ॥ २३ ॥

\* पंचशः इति पाठांतरं वर्तते. + निर्विकल्पात्मकं इति पाठांतरं विद्यते.

ज्ञानद्वयसकृज्जन्मनिषेधं हन्ति चेन्न वै ।

तयोरपि सहैवोपयुक्तयोरस्ति वेदनम् ॥ २४ ॥

यदोपयुज्यते ह्यात्मा मतङ्गजविकल्पने ।

तदा लोचनविज्ञानं गवि मन्दोपयोगहृत् ॥ २५ ॥

यहापर बौद्ध कहते हैं कि जिस ही समय सम्मुख हो रही गौमें चक्षु इन्द्रिय गन्ध निर्विकल्पक स्वरूप प्रत्यक्षज्ञान हो रहा है, उसी समय हाथीका विकल्पज्ञान भी हो रहा है। इस प्रकार इन दो ज्ञानोंका साथ उत्पन्न हो जाना तो जैनद्वारा माने गये दो ज्ञानोंकी एक समयमें उत्पत्तिके निषेधको मष्ट कर देता है। इस प्रकार प्रतिवादियोंके कहनेपर तो हम जैन कहते हैं कि उपयोगको प्राप्त हो रहे उन गोदर्शन और गजविकल्प दोनों भी ज्ञानोंका एक साथ ही अनुभव कथमपि नहीं हो रहा है। जिस समय आत्मा हाथीका विकल्पज्ञान करनेमें उपयुक्त हो रही है, उस समय गौमें हुआ नेत्रगन्ध ज्ञान तो मन्द उपयोगी होता हुआ नष्ट हो चुका है। अतः निर्विकल्पक और सविकल्पक दोनों ज्ञान क्रमसे ही उपजते हैं, ऐसा निश्चयसे समझलो।

तथा तत्रोपयुक्तस्य मतङ्गजविकल्पने ।

प्रतीयन्ति स्वयं सन्तो भावयन्तो विशेषतः ॥ २६ ॥

समोपयुक्तता तत्र कस्यचित्प्रतिभाति या ।

साशुसंचरणाद्भ्रान्तेर्गोकुञ्जरविकल्पवत् ॥ २७ ॥

और जिस समय आत्मा गौके चाक्षुषप्रत्यक्ष करनेमें उपयोगी हो रहा है, उस समय हाथीका विकल्पज्ञान करनेमें मन्द करते हुए अपने उपयोगका उपसंहार कर रहा है। विशेषरूपसे भावना कर रहे सज्जन विद्वान् इन तत्त्वकी स्वयं प्रतीति कर रहे हैं। किसी किसी स्थूल बुद्धिवाले पुरुषको उन दोनों ज्ञानोंमें समान काल ही उपयुक्तपना जो प्रतिभास रहा है, वह तो शीघ्र शीघ्र ज्ञानोंका संचार हो जानेके वश होगयी भ्रान्तिसे देखा गया है। जैसे कि गौका विकल्पज्ञान और हाथीका विकल्पज्ञान। यद्यपि ये दो विकल्पज्ञान क्रमसे हो रहे हैं, फिर भी शीघ्र शीघ्र आगे पीछे हो जानेसे भ्रमवश एक कालमें हो रहे समझ लिए जाते हैं। जब कि दो विकल्प ज्ञानोंका क्रमसे होना आप बौद्ध स्वीकार करते हैं, तो उसी प्रकार दो निर्विकल्प सविकल्प ज्ञानोंका अथवा कई निर्विकल्पकज्ञानोंका उत्पाद भी क्रमसे ही होगा, एक साथ नहीं।

नन्वश्वकल्पनाकाले गोदृष्टेः सविकल्पताम् ।

कथमेवं प्रसाध्येत क्वचित्स्याद्वादवेदिभिः ॥ २८ ॥

## संस्कारस्मृतिहेतुर्या गोदृष्टिः सविकल्पिका । सान्यथा क्षणभंगादिदृष्टिवन्न तथा भवेत् ॥ २९ ॥

बौद्धजन अपने पक्षका अवधारण करते हुये कुचोय उठाते हैं कि उक्त प्रकारसे एक समय में एक ही ज्ञान मान लेनेपर जैनोंके प्रति हम बौद्ध पूंउने हैं कि इस प्रकार थोड़ेका विकल्पक ज्ञान करते समय गौके दर्शनकी सविकल्पकताको स्याद्वादसिद्धांतको जाननेवाले विद्वानों करके मछा कहीं किस प्रकार साधा जावेगा ? बनाओ। अन्यथा यानी गोदर्शनको उसी समय यदि सविकल्पक नहीं माना जायगा तो क्षणिकत्व, स्वर्गप्रापणशक्ति, आदिके दर्शनों समान यह गोदर्शन भी सविकल्पक हो रहा, तिस प्रकार संस्कारोंद्वारा स्मृतिका कारण नहीं हो सकेगा। अर्थात्—वस्तुमृत क्षणिकत्वका ज्ञान तो निर्विकल्पक दर्शनसे ही हो चुका था। फिर भी नित्यत्वके समारोहको दूर करनेके लिये सत्त्वहेतुद्वारा पदार्थोंके क्षणिकपनेको अनुमानसे साध दिया जाता है। बौद्धोंके यहां वास्तविक पदार्थोंका प्रत्यक्ष ज्ञान ही होना माना गया है। इसी प्रकार दानकर्ता पुरुषकी स्वर्गप्रापणशक्तिका निर्विकल्पक दर्शन हो जाता है। क्षणिकत्व आदिके दर्शनोंका सविकल्पकपना नहीं होनेके कारण पीछे उनकी स्मृतियां नहीं हो पाती हैं। यदि जैन जन गोदर्शनके समय अथका सविकल्पक ज्ञान नहीं मानेंगे तो पश्चात् गौका स्मरण नहीं हो सकेगा। हां, दोनोंके एक साथ मानलेनेपर तो गोदर्शनमें अथविकल्पसे सविकल्पपना आ जाता है। और यह संस्कार जमाता हुआ पीछे कालमें होनेवाली स्मृतिका कारण हो जाता। अतः हम बौद्धोंके मन्तव्य अनुसार दर्शन, ज्ञान और विकल्प ज्ञान दोनोंका योगपथ बन सकता है।

इत्याश्रयोपयोगायाः सविकल्पत्वसाधनं ।

नेत्रालोचनमात्रस्य नाप्रमाणात्मनः सदा ॥ ३० ॥

गोदर्शनोपयोगेन सहभावः कथं न तु ।

तद्विज्ञानोपयोगस्य नार्थव्याघातकृत्तदा ॥ ३१ ॥

अभी बौद्ध ही कहे जा रहे हैं कि इस प्रकार अथविकल्पके आश्रय हो रही उपयोग-स्वरूप गोदृष्टि ( निर्विकल्पज्ञान ) को सविकल्पकपना साधना ठीक है। अप्रमाणस्वरूप हो रहे नेत्रजन्य केवल आलोचन मात्र ( दर्शन ) को सर्वदा सविकल्पकपना नहीं साधा जाता है। अतः उस उपयोग आत्मक सविकल्पक विज्ञानका गोदर्शनस्वरूप उपयोगके साथ तो एक कालमें सद्भाव क्यों नहीं होगा ? यानी दोनों ज्ञान एक साथ रह सकते हैं, उस समय अर्थके व्याघातको करनेवाला कोई दोष नहीं आता है।

इत्यचोद्यं दृशस्तत्रानुपयुक्तत्वसिद्धितः ।

पुंसो विकल्पविज्ञानं प्रत्येवं प्रणिधानतः ॥ ३२ ॥

सोपयोगं पुनश्चक्षुर्दर्शनं प्रथमं ततः ।

चक्षुर्ज्ञानं श्रुतं तस्मात्तत्रार्थेऽन्यत्र च क्रमात् ॥ ३३ ॥

अब आचार्य कहते हैं कि उक्त चार वार्तिकोंद्वारा किया गया बौद्धोंका चोब समीचीन नहीं है । क्योंकि अश्वका विकल्पज्ञान करते समय बड़ा गोदर्शनके अनुपयुक्तपनेकी सिद्धि हो रही है । ज्ञाता पुरुषका विकल्पज्ञान करनेके प्रति ही एकाग्र मनोव्यापार लग रहा है । आत्माके उपयोग क्रमसे ही होते हैं । पहिले उपयोगसहित चक्षुःइन्द्रियजन्य दर्शन होता है । वह पदार्थोंकी सत्ताका सामान्य आलोकन कर लेता है । उसके पीछे चक्षुःइन्द्रियजन्य मतिज्ञान होता है जो कि रूप, आकृति और घट आदिकी विकल्पना ( व्यवसाय ) करता हुआ उनको विशेषरूपसे जान लेता है । उसके भी पीछे उस अर्थमें या उससे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य पदार्थोंमें क्रमसे श्रुतज्ञान होता है । क्वचित् चक्षुर्दर्शन, चाक्षुष अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, और अनुमान ये उपयोग क्रमसे अनेक क्षणोंमें उपजते हैं, आत्माका एक समयमें एक ही ओर उपयोग लग सकता है ।

प्रादुर्भवत्करोत्याशुवृत्त्या सह जनौ धियं ।

यथादृग्ज्ञानयोर्नृणामिति सिद्धान्तनिश्चयः ॥ ३४ ॥

जीवोंके जिस प्रकार निराकार दर्शन और साकारज्ञान ये उपयोग क्रमसे ही होते हैं, किन्तु शीघ्र ही दोनोंकी वृत्ति हो जानेसे स्थूलबुद्धि पुरुषोंके यहा एक साथ उत्पन्न हो जानेमें बुद्धिको प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार गोदर्शन और अश्वविकल्प या चाक्षुष मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये भी उपयोग क्रमसे ही होते हैं । किन्तु शीघ्र पीछे वर्त जानेसे एक साथ दोनोंकी उत्पत्ति हो जानेमें बुद्धिको प्रकट कर देते हैं । यह निर्णोत सिद्धान्त है । भावार्थ—छद्मस्थ जीवोंके उपयोग क्रमसे ही होंगे, लब्धिवस्वरूप भठे ही एक साथ चार ज्ञान, तीन दर्शनतक हो जाय, प्रभेदोंकी अपेक्षा सैकड़ों क्षयोपशमरूप विशुद्धियां एक साथ हो सकती हैं ।

जननं जनिरिति नायमिगन्तो यतो जिरिति प्रसज्यते किं तर्हि, औणादिकइकारोऽन क्रियते बहुलवचनात् । उणादयो बहुलं च सन्तीति वचनात् इकारादयोऽप्यनुक्ताः कर्त्तव्या एवेति सिद्धं जनिरिति ।

उक्त कारिकामें कहा गया जनि शब्द तो “जनी प्रादुर्भव” धातुसे भावमें इ प्रत्यय कर बनाया गया है। उपज जाना जनि कहलाता है। यह जनि ” शब्द इकू प्रत्यय अन्तमें कर नहीं बनाया गया है। जिससे कि इन् भाग “टि” का छोप होकर “जि” इस प्रकार रूप बन जानेका प्रसंग प्राप्त होता। तो “जनि” यहां कौन प्रत्यय किया गया है? इसका उत्तर यह है कि यहां उणादि प्रत्ययोंमें कहा गया इकार प्रत्यय किया जाता है। “उणादयो बहुलं” यहां बहुल शब्द के कथनसे शब्दसिद्धिके उपयोगी अनेक प्रत्यय कर छिपे जाते हैं। उण्, किरच्, उ, ई, ऊ, इत्यादिक बहुतसे प्रत्यय हैं, ऐसा धैयाकरणे कहा है। अतः सूत्रोंमें कण्ठोक्त नहीं कहे गये भी इकार आदिक प्रत्यय धातुओंसे कर छेने ही चाहिये। इस प्रकार “जनिः” यह शब्द सिद्ध हो जाता है।

तत्र जनी सहधियं करोत्याशुश्रुत्या चक्षुर्ज्ञानं तच्छ्रुतज्ञानं च क्रमात्प्रादुर्भवदपि कथंचिदिति हि सिद्धान्तविनिश्चयो न पुनः सह ध्यायोपशमिकृद्दर्शनज्ञाने सोपयोगे मतिश्रुतज्ञाने वा येन सूत्राविरोधो न भवेत् । न चैतावता परमतसिद्धिस्तत्र सर्वथा क्रमभाविज्ञानव्यवस्थितेरिह कथंचित्तयाभिधानात् ।

उस उत्पत्तिमें कथंचित् क्रमसे प्रकट हो रहे भी चक्षुश्चन्द्रियजन्य ज्ञान और श्रुतज्ञान ये दोनों ज्ञान चक्रध्रमण समान शीघ्रवृत्ति हो जानेसे साथ उत्पन्न हुये की बुद्धिको फरदेते हैं। इस प्रकार जैनसिद्धान्तका विशेष रूपसे निश्चय हो रहा है। किन्तु फिर आवरणोंके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुये उपयोगात्मक दर्शन और ज्ञान अथवा उपयोगसहित मतिज्ञान और श्रुतज्ञान एक साथ नहीं होते हैं, जिससे कि श्री समन्तभद्र स्वामीकी कारिकाका श्री उमास्वामीके द्वारा कहे गये सूत्रके साथ अविरोध नहीं होता। अर्थात्—दोनों आचार्योंके वाक्य अविरुद्ध हैं। और भी एक बात है कि इतना कह देनेसे बौद्ध, नैयायिक, आदि दूसरे मतोंकी सिद्धि नहीं हो जाती है। क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार क्रमसे होनेवाले ज्ञानोंकी व्यवस्था की है। और यहां स्याद्वाद सिद्धान्तमें किसी किसी अपेक्षासे तिस प्रकार क्रमसे और अक्रमसे उपयोगोंका उपजना कहा गया है। अतः अनुपयोगात्मकज्ञान एक आत्मामें एकको आदि लेकर चार तक होजाते हैं। यह सिद्धान्त व्यवस्थित हुआ।

## इस सूत्रका सारांश ।

इस सूत्रमें प्रकरण इस प्रकार हैं कि एक समयमें एक आत्मामें एक ही विज्ञानको माननेवाले पण्डितोंके प्रति सम्भवेन योग्य ज्ञानोंकी संख्याके निर्णयार्थ सूत्र कहना अवश्य बताकर एक शब्दका अर्थ करते हुये उन उद्देश्य दलके ज्ञानोंका नाम उल्लेख किया है। एक साथ पांच ज्ञान कैसे भी नहीं हो सकते हैं। मातृ शब्दका अर्थ कर उपयोगसहित ज्ञानोंके सहभावका एकान्त निषेध

किया है। छद्मस्य जीवोंके एक समयमें दो उपयोग नहीं हो पाते हैं। इसपर बहुत अच्छा विचार चलाया है। श्रीसप्तमन्तमद्र आचार्यकी कारिका श्री उमास्वामी महाराजके सूत्रोंके अनुसार है। ध्यायोगशमिक ज्ञान क्रमसे ही होते हैं। ज्ञानोंकी शक्तियाँ एक साथ चार अथवा उत्तर भेदोंकी अपेक्षा इससे भी अधिक संख्यातक ठहर जाती हैं। कुरकुटी, कचौडो, पापर आदि खानेमें क्रमसे ही पाँच ज्ञान होते हैं। अन्यथा उनकी स्मृतियाँ क्रमसे नहीं हो पाती। आगे पीछे शांति शांति हो जानेसे व्यवधान नहीं दीख पाता है। किन्तु व्यवधान अवश्य है। यहाँ बौद्धोंके साथ अच्छा परामर्श कर बौद्धोंकी युक्तियोंसे ही जैनसिद्धान्त पृष्ठ कर दिया है। चाहे दर्शन उपयोग या ज्ञान उपयोग होय अथवा मतिज्ञान या श्रुतज्ञान होय एवं चाक्षुष प्रत्यक्ष या रासन प्रत्यक्ष होय तथा अवग्रह, ईहा, अथाय होय किन्तु ये उपयोग क्रमसे ही होवेंगे। आँखके पठक गिरानेमें असंख्यात समय हो जाते हैं। मोटी दृष्टिवालोंको अर्थात् छोटे काँचका व्यवधान प्रतीत नहीं होता है। हा, जिनकी प्रतिमा परिशुद्ध है, उन जीवोंको बाँकुरके अनुदिन शरीरवृद्धिके समान ज्ञानोंकी क्रमसे उत्पत्ति अनुभूत हो जाती है। अतः स्याद्वादसिद्धान्त अनुसार उपयोग आत्मक ज्ञानोंकी क्रमसे उत्पत्ति और अनुपयोग आत्मक ज्ञानोंकी अक्रमसे भी उत्पत्ति मानते हुये स्याद्वादप्रक्रियाकी योजना कर लेना चाँदिये। अतः दूसरे बाँदियोंका क्रमसे ही ज्ञानोंकी उत्पत्ति माननेका सिद्धान्त ठीक नहीं है। इस प्रकार प्रकृत सूत्रके व्याख्यानका उपसंहार कर दिया है।

एकादीन्याचत्वारि स्युः शक्त्यात्मानि व्यक्त्या(स्वे)त्मैकं ।

भक्तव्यानि ज्ञानान्यदैकस्मिज्जीवे विज्ञैर्ज्ञेयं ॥ १ ॥

सभीचीन पाँचों ज्ञानोंका वर्णन करते समय सम्भवने योग्य मिथ्या ज्ञानोंके निरूपण करनेके लिये श्री उमास्वामी महाराजके मुखनिषण्णसे सूत्रसूर्यका उदय होता है।

## मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च ॥ ३१ ॥

मतिज्ञान और श्रुतज्ञान तथा अवधिज्ञान ये विपरीत भी हो जाते हैं। अर्थात्—व्यक्त मिथ्यात्व या अव्यक्त मिथ्यात्वके साथ एकार्थसमवाय हो जानेसे अथवा दूषित कारणोंसे उत्पत्ति हो जानेपर उक्त तीन ज्ञान मिथ्याज्ञान बन जाते हैं।

कस्याः पुनराशंकाया निवृत्त्यर्थं कस्यचिद्वा सिद्ध्यर्थमिदं सूत्रमित्याह ।

प्रश्न कर्ता पूँछता है कि फिर कौनसी आशंकाकी निवृत्तिके लिये अथवा किस नव्य, भव्य अर्थकी सिद्धिके लिये यह “मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च” सूत्र रचा गया है ! इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं।



अथ ज्ञानानि पंचापि व्याख्यातानि प्रपंचतः ।

किं सम्यगेव मिथ्या वा सर्वाण्यपि कदाचन ॥ १ ॥

कानिचिद्वा तथा पुंसो मिथ्याशंकानिवृत्तये ।

स्वेष्टपक्षप्रसिद्धयर्थं मतीत्याद्याह संप्रति ॥ २ ॥

अब नवीन प्रकरणके अनुसार यह कहा जाता है कि विस्तारसे पांचों भी ज्ञानोंका व्याख्यान किया जा चुका है । उसमें किसीका इस प्रकार शंकारूप विचार है कि क्या सभी ज्ञान कभी कभी समीचीन ही अथवा मिथ्या भी हो जाते हैं ? या आत्माके पांचोंमेंसे कितने ही ज्ञान तिस प्रकार समीचीन और मिथ्याज्ञान हो जाते हैं ? इस प्रकार मिथ्या आशंकाओंकी निवृत्तिके लिये और अपने इष्ट सिद्धान्तपक्षकी सिद्धिके लिये श्रीउमास्वामी महाराज अगसर अनुसार इस समय "मतिश्रुतावधयो" इत्यादि सूत्रको स्पष्ट कहते हैं ।

पूर्वपदावधारणेन सूत्रं व्याचष्टे ।

मति, श्रुत, अवधिज्ञान ही विपरीत हो जाते हैं, यों पढ़िले उद्देश्य वाक्यके साथ "एवकार" लगाकर अवधारण किया गया है । किन्तु मति, श्रुत, और अवधि ये तीन ज्ञान मिथ्याज्ञान ही हैं, इस प्रकार विधेयदलके साथ एवकार लगानेसे हम जैनोंका इष्ट सिद्धान्त बिगड़ जाता है । क्योंकि सम्पद्दृष्टि जीवोंमें हो रहे मति, श्रुत, अवधि, ये तीन ज्ञान सम्पद्ज्ञान भी हैं । अतः उत्तरवर्ती अवधारणको छोड़कर पूर्वपदके साथ एवकार लगाकर अवधारण करके श्रीविद्यानन्दस्वामी इस सूत्रका व्याख्यान करते हैं ।

मत्यादयः समाख्यातास्त एवेत्यवधारणात् ।

संगृह्यते कदाचिन्न मनःपर्ययकेवले ॥ ३ ॥

नियमेन तयोः सम्यग्भावनिर्णयतः सदा ।

मिथ्यात्वकारणाभावाद्दिशुद्धात्मनि सम्भवात् ॥ ४ ॥

वे मति आदिक ज्ञान ही मिथ्याज्ञानरूप करके मले प्रकार आम्नाय अनुसार कहे गये हैं । इस प्रकार पूर्व अवधारण करनेसे मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान कभी भी विपर्यय ज्ञान करके संगृहीत नहीं हो पाते हैं । क्योंकि उन मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञानमें सदा ही नियमकरके समीचीन भावका निर्णय हो रहा है । ये दो ज्ञान विशेषरूपसे शुद्ध हो रहे आत्मामें उपजते हैं । अतः इनको मिथ्यापनके सम्पादनका कोई कारण नहीं है । अतः आदिके तीन ज्ञान मिथ्याज्ञान भी हो जाते हैं । और अन्तके दो ज्ञान समीचीन ही हैं ।

दृष्टिचारित्रमोहस्य क्षये वोपशमेऽपि वा ।

मनःपर्ययविज्ञानं भवन्मिथ्या न युज्यते ॥ ५ ॥

दर्शनमोहनीयकर्म और चारित्रमोहनीय कर्मके क्षय या उपशम अथवा क्षयोपशमके भी होनेपर हो रहा मनःपर्यय ज्ञान कैसे भी मिथ्या नहीं हो सकता है । भावार्थ—सम्पददर्शन और सम्पदचारित्रके सहभावी मनःपर्यय ज्ञानको मिथ्यापना युक्त नहीं है । छठवेंसे लेकर बारहवें गुण-स्थानतक मनःपर्यय ज्ञान होना सम्भवता है । जिस समय मुनिमहाराजके मनःपर्ययज्ञान है, उस समय प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम सम्पत्त्व, क्षायिकसम्पत्त्व, क्षायोपशमिक सम्पत्त्व, इन तीन सम्पत्कोंमेंसे कोई एक सम्पत्त्व अवश्य है । तथा छठवें, सातवें गुणस्थानोंमें क्षायोपशमिक चारित्र पाया जाता है । इसके आगे उपशमचारित्र तथा क्षायिक चारित्र है । अतः ज्ञानोंको मिथ्या करनेवाले कारणोंका सहवास नहीं होनेसे मनःपर्ययज्ञान समीचीन ही है, मिथ्या नहीं, यह युक्तिपूर्ण सिद्धान्त है ।

सर्वघातिक्षयेऽत्यन्तं केवलं प्रभवत्कथम् ।

मिथ्या सम्भाव्यते जातु विशुद्धिं परमां दधत् ॥ ६ ॥

ज्ञानावरण कर्मोंकी सर्वघातिप्रकृतियोंके अत्यन्त क्षय हो जानेपर उत्पन्न हो रहा केवलज्ञान तो कदाचित् भी मला कैसे मिथ्यारूप सम्भव सकता है ! जब कि वह केवलज्ञान उत्कृष्ट विशुद्धिको धारण कर रहा है । दर्शन और चारित्रमें दोष लगे जानेपर ही ज्ञानोंमें मिथ्यापन प्राप्त हो जाता है किन्तु दर्शनमोहनीय, चारित्रमोहनीय और ज्ञानावरण प्रकृतियोंके सर्वथा क्षय हो जानेपर उत्पन्न हो रहा केवलज्ञान तो फाळत्रयमें भी विपर्यय नहीं हो सकता है । अत्यन्त क्षयमें अत्यन्तका अर्थ तो वर्तमानमें एक वर्गणाका भी नहीं रहना और भविष्यमें उन कर्मोंका किंचित् भी नहीं बन्धना है ।

मतिश्रुतावधिज्ञानत्रयं तु स्यात्कदाचन ।

मिथ्येति ते च निर्दिष्टा विपर्यय इहाङ्गिनाम् ॥ ७ ॥

जीवोंके मति, श्रुत, अवधि, ये तीन ज्ञान तो कभी कभी मिथ्या हो जाते हैं । इस कारण वे मति, श्रुत, अवधि, ज्ञान इस प्रकरणमें विपर्यय इस प्रकार कह दिये हैं ।

स च सामान्यतो मिथ्याज्ञानमत्रोपवर्ष्यते ।

संशयादिविकल्पानां त्रयाणां संगृहीतये ॥ ८ ॥

यह विपर्यय तो यह। सामान्यरूपसे सभी मिथ्याज्ञानों स्वरूप होता हुआ मिथ्याज्ञानके संशय, विपर्यय, अनस्पृशसाय इन तीन भेदोंके संग्रह करनेके लिये श्रीउमास्वामी महाराज द्वारा निरूपण गया है। अर्थात् " विपर्ययः " यह जातिमें एक वचन है। अतः मिथ्याज्ञानके तीनों विशेषोंका संग्रह हो जाता है।

**समुच्चिनोति चस्तेषां सम्यक्त्वं व्यावहारिकम् ।**

**मुख्यं च तदनुक्तौ तु तेषां मिथ्यात्वमेव हि ॥ ९ ॥**

च अव्ययके समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतरयोग, समाहार, ये कतिपय अर्थ हैं। यह " च " निपातका अर्थ समुच्चय है। जैसे कि ब्रह्मचर्य व्रतको पाळो और सत्यव्रतको पाळो " ब्रह्मचर्ये सयश्च धारय "। अतः यह च शब्द उन मनि, श्रुत, अवधिज्ञानोंके व्यवहारमें प्रतीत हो रहे सम्यक्त्वेका और मुख्य समीचीनपनेका समुच्चय ( एकत्रीकरण ) कर लेता है। परस्परमें नहीं अपेक्षा रख रहे अनेकोंका एकमें अन्वय कर देना समुच्चय है। किन्तु सूत्रमें च शब्दके नहीं कथन करनेपर तो उन तीनों ज्ञानोंका नियमसे मिथ्यापना ही विधान किया जाता, जो कि इष्ट नहीं है। अर्थात्—सम्यग्दृष्टि जाँवोंके हो रहे ज्ञान सभी सम्यग्ज्ञान कहे जाते हैं। ज्ञानकी समीचीनताका सम्पादक अन्तरंगकारण सम्यग्दर्शन है। अतः चौथे गुणस्थानसे लेकर बारहवें गुणस्थान तकके जीवोंमें कामळ, चाकचक्य, तिमिर, आदि दोषोंके वशसे हुये मिथ्याज्ञान भी सम्यग्ज्ञान माने जाते हैं। तथा पहिले और दूसरे गुणस्थानवाले जीवोंके निर्दोष चक्षु आदिते हुये समीचीनज्ञान भी अन्तरंगकारण मिथ्यात्वके साहचर्यसे मिथ्याज्ञान कहे जाते हैं। यह अन्तरंगकारण सम्यग्दर्शनके अनुसार ज्ञानोंके सम्यक्त्वकी व्यवस्था हुयी तभी तो मनःपर्यय और फेबलज्ञान कालध्रयमें भी मिथ्या नहीं हो पाते हैं। हाँ, इन्द्रियोंकी निर्दोषता मनकी निराकुञ्चता और निद्रा, स्वप्न, शोक, मय, काम, आदि दोषोंसे रहित आत्मा इत्यादि कारणोंसे लोकप्रसिद्ध समीचीन व्यवहारमें ज्ञानका सम्यक्त्वना जो निर्णीत हो रहा है, तदनुसार पहिले गुणस्थानके ज्ञानमें समीचीनता पायी जाती है। और चौथे, छठे गुणस्थानवर्ती विद्वान् या मुनियोंके भी कामळ वात, तिमिर, स्थानगृद्धि, अज्ञान, आदि कारणोंसे व्यावहारिक मिथ्याज्ञान सम्भवते हैं। इस सूत्रमें उपात्त किये गये च शब्द करके व्यवहारसम्बन्धी और मुख्य सम्यक्त्वना भी तीनों ज्ञानोंमें कह दिया जाता है।

**ते विपर्यय एवेति सूत्रे चेन्नावधार्यते ।**

**चशब्दमन्तरेणापि सदा सम्यक्त्वमत्वतः ॥ १० ॥**

" वे तीनों ज्ञान विपर्यय ही हैं " इस प्रकार विधेयशब्दमें एवकार लगाकर अवधारण नहीं किया जाय, जो कि हम जैनोंको इष्ट है। तब तो सूत्रमें कहे हुये " च " शब्दके बिना भी

सर्वदा उन तीनों ज्ञानोंको सम्यक सहितपना सुखमतासे प्राप्त हो जाता है। भावार्थ—उत्तर दृष्टमें यदि एवकार नहीं लगाया जाय तब तो “च” के बिना भी तीनों ज्ञानोंका समीचीनपना ज्ञात हो जाता है। क्योंकि पूर्व अवधारणसे तो मनःपर्यय और केवलज्ञानका मिथ्यापन निषेधा गया था। मति, श्रुत, अपधि, ज्ञानोंका समीचीनपना तो नहीं निषिद्ध किया गया है।

**मिथ्याज्ञानविशेषः स्यादस्मिन्पक्षे विपर्ययः ।**

**संशयाज्ञानभेदस्य चशब्देन समुच्चयः ॥ ११ ॥**

तो इस पक्षमें सूत्रका च शब्द व्यर्थ पडा। क्योंकि “च” शब्दद्वारा किये गये कार्यको उत्तर अवधारणके निषेधसे ही साध लिया गया है। अतः सूत्रोक्त विपर्यय शब्दका अर्थ सामान्य मिथ्याज्ञान नहीं करना, किन्तु विपर्यका अर्थ मिथ्याज्ञानोंका विशेष भेद भ्रान्तिस्वरूप विपर्यय लेना, जिसका कि लक्षण “विपरीतैककोटिनिष्कपो विपर्ययः” यहाँ वर्त रहे पदार्थसे सर्वथा विपरीत ही पदार्थको एक कोटिका निष्कप करना है। अब च शब्द करके मिथ्याज्ञानके अन्य दोष बचे हुये संशय और अज्ञान इन दो भेदोंका समुच्चय कर लेना चाहिये। इस दृष्टसे च शब्द सार्थक है।

अत्र मतिश्रुतावधीनामविशेषेण संशयविपर्यासानध्यवसायरूपत्वसक्तौ यथाप्रतीति तद्दर्शनार्थमाह ।

यहाँ प्रकरणमें सूत्रके सामान्य अर्थ अनुसार मति, श्रुत, अपधि इन तीनों ज्ञानोंको विशेषता पद्धित होकरके संशय, विपर्यय, अनध्यवसायरूप विपर्ययपनेका प्रसंग आता है। अर्थात्—तीनोंमें से प्रत्येकज्ञानमें मिथ्याज्ञानके तीनों भेद सम्भवनेका प्रसंग आवेगा। किन्तु यह तो सिद्धांतियोंको अर्थात् नहीं है। अतः प्रतीति अनुसार जिस जिस ज्ञानमें विपर्ययज्ञानके जो दो, तीन आदि भेद सम्भवते हैं, उनको दिखानेके लिये श्री विद्यानन्द आचार्य धार्तिकद्वारा कथन करते हैं।

**तत्र त्रिधापि मिथ्यात्वं मतिज्ञाने प्रतीयते ।**

**श्रुते च द्विविधं बोध्यमवधौ संशयाद्विना ॥ १२ ॥**

**तस्येन्द्रियमनोहेतुसमुद्भूतिनियामतः ।**

**इन्द्रियानिन्द्रियाजन्यस्वभावश्चावधिः स्मृतः ॥ १३ ॥**

तिन तीनों ज्ञानोंमेंसे मतिज्ञान और श्रुतज्ञानमें तो तीनों भी प्रकारका मिथ्यापना प्रतीत हो रहा है। तथा अवधिज्ञानमें संशयके बिना विपर्यय और अनध्यवसायरूप दो प्रकार मिथ्यापना जाना जा रहा है। कारण कि यह मतिज्ञान तो नियमसे इन्द्रिय और मन इन कारणोंसे मळे प्रकार उत्पन्न हो

रहा है। और श्रुतज्ञान मनको निमित्त मानकर उपजता है। अतः इनकी परतंत्रतासे हुये दोनों ज्ञानों में तीनों प्रकारके मिथ्यापन हो जाते हैं। संशयका कारण तो इन्द्रिय और अनिन्द्रियसे उपजनेपर ही घटित होता है। किन्तु अवधिज्ञानका स्वभाव इन्द्रिय और अनिन्द्रियोसे नहीं उत्पन्न होना होकर केवल क्षयोपशमकी अपेक्षा रखनेवाले आत्मासे ही उपज जाना है। ऐसा प्रेमेय आर्ष आम्नाय अनुसार स्मरण हो रहा चला आ रहा है।

मत्तौ श्रुते च त्रिविधं मिथ्यात्वं बोद्धव्यं मतेरिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तकत्वनियमात् ।  
श्रुतस्यानिन्द्रियनिमित्तकत्वनियमात् द्विविधमवधौ संशयादिना विपर्ययानध्यवसायाचित्यर्थः॥

उक्त दो फारिकाओंका विवरण इस प्रकार है कि मतिज्ञान और श्रुतज्ञानमें तीनों प्रकारका मिथ्यात्व समझ लेना चाहिये। क्योंकि मतिज्ञानके निमित्तकारण इन्द्रिय और अनिन्द्रिय हैं, ऐसा नियम है। तथा श्रुतज्ञानका निमित्तकारण नियमसे मन माना गया है। किन्तु अवधिज्ञानमें संशयके बिना दो प्रकारका मिथ्यापन जान लेना चाहिये। इसका अर्थ यह हुआ कि अवधिज्ञानमें विपर्यय और अनध्यवसाय ये दो मिथ्यापन सम्भवते हैं।

कृतः संशयादिन्द्रियानिन्द्रियाजन्यस्वभावः प्रोक्तः । संशयो हि चञ्चितामतिपत्तिः,  
किमयं स्थाणु किं वा पुरुष इति । स च सामान्यप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षादुभयविशेषस्मर-  
णात् भजायते । दूरस्थे च वस्तुनि इन्द्रियेण सामान्यतश्च सन्निकृष्टे सामान्यप्रत्यक्षत्वं  
विशेषाप्रत्यक्षत्वं च दृष्टं मनसा च पूर्वानुभूततदुभयविशेषस्मरणेन, न चावध्युत्पत्तौ क्वचि-  
दिन्द्रियव्यापारोऽस्ति मनोव्यापारो वा स्वावरणक्षयोपशमविशेषात्मना सामान्यविशेषा-  
त्मनो वस्तुनः स्वविपर्ययस्य तेन ग्रहणात् । ततो न संशयात्मावधिः ।

अवधिज्ञानमें संशयके बिना दो ही मिथ्यापन क्यों होते हैं ? इसका उत्तर इन्द्रिय और अनिन्द्रियसे नहीं उत्पन्न होना स्वभाव ही बढिया कहा गया है। कारण कि चलायमान प्रतिपत्तिका होना संशय है। जैसे कि कुछ अंधेरा होनापर दूरवर्ती ऊंचे कुछ मोटे पदार्थमें क्या यह टूट है ? अथवा क्या यह मनुष्य है ? इस प्रकार एक वस्तुमें विरुद्ध अनेक कोटियोंको स्पर्शनेवाला ज्ञान संशय कहा जाता है। तथा वह संशय ज्ञान त्रिचारा सामान्य धर्मोंका प्रत्यक्ष हो जानेसे और विशेष धर्मोंका प्रत्यक्ष नहीं होनेसे, किन्तु उन दोनों विशेष धर्मोंका स्मरण हो जानेसे अच्छा उत्पन्न हुआ करता है। अन्य दर्शनकारोंने भी संशयज्ञानकी उत्पत्ति इसी ढंगसे बताया है। “ सामान्य-  
प्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षादुभयविशेषस्मृतेश्च संशयः ”। दूर देशमें स्थित हो रहे वस्तुके इन्द्रियोंकरके सामान्यरूपसे यथायोग्य संनिकर्षयुक्त ( योग्यदेश अवस्थिति ) हो जानेपर सामान्य धर्मोंका प्रत्यक्ष कर लेना और विशेषधर्मोंका प्रत्यक्ष नहीं होना देखा गया है। पहिले अनुभव जा चुके उन दोनों तीनों आदि तत्त्वोंके विशेष धर्मोंका मन इन्द्रियद्वारा स्मरण करके स्मरणज्ञान उपज जाता है,

तत्र संशय होता है। अतः संशयके कारण मिथ्य जानेपर मति और श्रुतमें तो संशय नामके मिथ्याज्ञानका भेद सम्भव हो जाता है। किन्तु अवधिज्ञानकी उत्पत्ति होनेमें (किसी भी विषयमें) इन्द्रियोंका व्यापार अथवा मनका व्यापार नहीं देखा गया है, जिससे कि सामान्यका प्रत्यक्ष होता हुआ और विशेषका प्रत्यक्ष नहीं होता हुआ, किन्तु विशेषके स्मरण करके संशयज्ञान होना वहाँ अवधि विषयमें बन बैठता। वस्तुतः अपनेको ढकनेवाले अवधिज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमविशेष स्वरूप उस अवधिज्ञान करके अपने विषयभूत सामान्य विशेष धर्मआत्मक वस्तुका ग्रहण होता है। यानी अवधिज्ञान अपने विषयके विशेष अंशोंको भी साथ साथ अवश्य जान लेता है। तिस कारणसे अवधिज्ञान संशयस्वरूप नहीं माना गया है। अवधिज्ञान या विभङ्गज्ञान अतीव स्पष्ट है। अतः उसके विषयमें संशय होना असम्भव है।

विपर्ययात्मा तु मिथ्यात्वोदयाद्विपरीतवस्तुस्वभावश्रद्धानसहभावात्सम्बोध्यते।

किन्तु मिथ्यात्वकर्मके उदयसे वस्तुस्वभावके विपरीत श्रद्धान स्वरूप हुये मिथ्यादर्शनके साथ रहना हो जानेसे अवधिज्ञान विपर्ययस्वरूप तो सम्बोधा जाता है। अर्थात् लोकमें प्रसिद्ध है कि मद्यविक्रेताकी दुकानपर दूधको पीनेवाला भी पुरुष हीनदृष्टिसे देखा जाता है। जिस आत्मामें मिथ्यादर्शन हो रहा है उसमें हुआ अवधिज्ञान भी विभंग होकर विपरीत ज्ञान कहा जाता है।

तथानध्यवसायात्माप्याशु उपयोगसंहरणाद्विज्ञानान्तरोपयोगाद्गच्छतृणस्पर्शवदु-  
त्पाद्यते। दृढोपयोगवस्थार्या तु नावधिरनध्यवसायात्मापि।

तिसी प्रकार शीघ्र अपने उपयोगका संकोच करनेसे या दूसरे विज्ञानमें उपयोगके चले जानेसे चढते हुये पुरुषके तृण छू जानेपर हुये अनध्यवसाय ज्ञानके समान अवधिज्ञान भी अनध्यवसायस्वरूप उपजा लिया जाता है। हां, ज्ञेय विषयमें दृढरूपसे लगे हुये उपयोगकी अस्थायी तो अवधिज्ञान अनध्यवसायस्वरूप भी नहीं होता है। उस दशामें केवल एक विपर्यय भेद ही घटेगा।

कथमेवावस्थितोऽवधिरिति चेत्, कदाचिदनुगमनात्कदाचिदननुगमनात्कदाचिद्व-  
र्धमानत्वात्कदाचिद्धीयमानत्वाच्चया विशुद्धिविपरिवर्त्तमानादवस्थितौवधिरकेन रूपेणाव-  
स्थानान्न पुनरदृढोपयोगत्वात्स्वभावपरावर्त्तनेऽपि, तस्य तथा तथा दृढोपयोगत्वाविरोधात्।

कोई पूछता है कि इस प्रकार अनध्यवसायदशामें दृढ उपयोग नहीं होनेके कारण मन्त्र अवधिज्ञान कैसे अवस्थित समझा जायगा? यानी उक्त दशामें अवधिज्ञानके छह भेदोंमेंसे पाचवां भेद अवस्थित तो नहीं अवस्थित हो पाता है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार पञ्च होनेपर उत्तर यह समझना कि कभी कभी दूसरे देश या दूसरे मन्त्रमें अनुगमन करनेसे और कभी नहीं अनुगमन करनेसे और कदाचित् बर्धमान होनेसे, कभी कभी हीयमान हो जानेसे, तिस प्रकार

विशुद्धियोंके विभिन्न परिवर्तन हो जानेसे अवधिज्ञान अनवरिधित हो रहा भी एकरूप करके अवस्थान हो जानेसे अस्थित माना जाता है। हां, फिर दृढ उपयोगपना न होनेके कारण स्वभावका परिवर्तन होत्रे हुये भी अवस्थितपना नहीं है। उस अवधिज्ञानको तिस तिस प्रकार अनुगामी होना, अननुगामी होना, बढना, घटना, दोनेपर भी दृढ उपयोगपनेका कोई विरोध नहीं है। अतः विपर्यय या अवध्यवसायकी अवस्थामें भी अवस्थित नामका पाचषां भेद अवधिज्ञानमें घटित हो जाता है।

कृतः पुनस्त्रिष्वेव बोधेषु मिथ्यात्वमित्याह ।

कोई शिष्य जिज्ञासा करता है कि फिर यह बताओ कि तीनों ही ज्ञानोंमें मिथ्यापना किस कारणसे हो जाता है? ऐसी जाननेकी इच्छा होनेपर श्री विद्यानन्दस्वामी वार्तिक द्वारा परिभाषित अर्थको कहते हैं।

मिथ्यात्वं त्रिषु बोधेषु दृष्टिमोहोदयाद्भवेत् ।

तेषा सामान्यतस्तेन सहभावाविरोधतः ॥ १४ ॥

मति, श्रुत, अवधि, इन तीनों ज्ञानोंमें मिथ्यापना दर्शनमोहनीय कर्मके उदयसे सम्भवजाता है। क्योंकि सामान्यरूपसे उन तीनों ज्ञानोंका उस मिथ्यात्वके साथ सद्भाव पाये जानेका कोई विरोध नहीं है। मावार्थ—पण्डितका कारणवश मूर्ख होजाना, धनीका निर्धन बन जाना, नीरोग जीवका रोगी हो जाना, इत्यादि प्रयोग लोकमें प्रसिद्ध हैं। यह कथन सामान्य अपेक्षा सत्य है। यानी जिस मनुष्यको हम आजन्म सामान्यरूपसे पण्डित मान चुके थे, वह मध्यमें ही किसी तीव्र असदाचार, उन्मत्तता, शोक, बहतीचिन्तु, कुप्रभाव, मन्त्र अनुष्ठान आदि कारणोंसे मूर्ख बन गया। ऐसी दशामें पण्डितको मूर्खपनका विधान कर दिया जाता है। विशेषरूपसे विचारनेपर तो जब मूर्ख है, तब पण्डित नहीं है, और जब पण्डित था तब मूर्ख नहीं था। अत उक्त प्रयोग नहीं बनता है। ऐसे ही श्रेष्ठ निर्धन होगया, नीरोगी रोगी होगया, कुर्डीन अकुर्डीन होगया, सबल निर्बल होगया, अथवा रागी वातराग हो जाता है, बद्ध मुक्त हो जाता है इत्यादि स्वयंसे भी लगा लेना। बात यह है कि प्रकृत सृज अनुसार सामान्यरूपसे उद्दिष्ट किये गये तीन ज्ञानोंमें विपर्ययपनेका विधान करना चाहिये, विशेषरूपसे नहीं।

यदा मत्यादयः पुंसस्तदा न स्याद्विपर्ययः ।

स यदा ते तदा न स्यरित्येतेन निराकृतम् ॥ १५ ॥

पाये जाते हैं ) उस समय कोई भी विपर्ययज्ञान नहीं होगा । और जिस समय आत्मामें वह विपर्यय ज्ञान है, उस समय वे मति, श्रुत, अवधि, ज्ञान कोई न होंगे । इस प्रकार एकाग्रतयादियोंका कथन भी इस उक्त कथनसे खण्डित कर दिया गया है, ऐसा समझो । भाषार्थ—मिथ्या और समीचीन समी गेदोंमें सामान्यरूपसे सम्भवनेवाले मति, श्रुत, और अवधि, यहाँ उद्देश्यदलमें रखे गये हैं । उनमें विपर्ययपनका विधान सानन्द किया जा सकता है ।

**विशेषापेक्षया होषा न विपर्ययरूपता ।**

**मत्यज्ञानादिसंज्ञेषु तेषु तस्याः प्रसिद्धितः ॥ १६ ॥**

विशेषकी अपेक्षा करके विचारा जाय तब तो इन मति, श्रुत, अवधिज्ञानों, का विपर्ययस्वरूपरना नहीं है । क्योंकि मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विमंग ज्ञान, इस प्रकारकी विशेष संज्ञावाले उन ज्ञानोंमें उस विपर्यय स्वरूपताकी प्रसिद्धि हो रही है । अर्थात्—जैसे कि एवं भूतनयसे विचारनेपर रोगी ही रोगी हुआ है । नीरोग पुरुष रोगी नहीं है । उसीके समान कुमतिज्ञान ही विपर्ययस्वरूप है । सम्यग्दृष्टिके हो रहा मतिज्ञान तो विपरीत नहीं है । इस प्रकार सूत्रके अर्थका सामान्य और विशेषरूपसे व्याख्यान कर लेना चाहिये ।

सम्यक्त्वावस्थायामेव मतिश्रुतावधयो व्यपदिश्यन्ते मिथ्यात्वावस्थायाम् तेषां मत्यज्ञानव्यपदेशात् । ततो न विशेषरूपतया ते विपर्यय इति व्याख्यायते येन सहानवस्थालक्षणो विरोधः स्यात् । किं तर्हि सम्यग्मिथ्यामत्यादिव्यक्तिगतमत्यादिसामान्यापेक्षया ते विपर्यय इति निश्चीयते मिथ्यात्वेन सहभावाविरोधात्तथा मत्यादीनां ।

सम्यग्दर्शन गुणके प्रकट हो जानेपर सम्यक् अवस्थामें ही हो रहे वे ज्ञान मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञानस्वरूप कहे जा रहे हैं । मिथ्यात्वकर्मके उदय होनेपर मिथ्यात्व अवस्थामें तो उन ज्ञानोंका कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान, और विमंगज्ञानरूपसे व्यवहार किया जाता है । तिस कारणसे विशेषरूपपने करके वे मति आदिक ज्ञान विपर्ययस्वरूप हैं । इस प्रकार व्याख्यान नहीं किया जाता है, जिससे कि शीत, उष्णके समान “साथ नहीं ठहरना” इस लक्षणवाला विरोध हो जाता । अर्थात्—“मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च” इस सूत्रमें पड़े हुये मति, श्रुत, अवधि, ये शब्द सम्यग्ज्ञानोंमें ही व्यवहृत हो रहे हैं । उन सम्यग्ज्ञानोंका उद्देश्य कर विपर्ययपनेका विधान करना विरुद्ध पड़ता है । अतः विशेषरूप करके उन मति आदिक ज्ञानोंको नहीं पकड़ना तो फिर किस प्रकार व्याख्यान करना ? इसका उत्तर यों है कि समीचीन मतिज्ञान और मिथ्या मतिज्ञान या समीचीन श्रुतज्ञान और मिथ्या श्रुतज्ञान आदिक अनेक व्यक्तियोंमें प्राप्त हो रहे मतिपन, श्रुतपन, आदि सामान्यकी अपेक्षा करके ग्रहण किये गये वे ज्ञान विपर्ययस्वरूप



हैं, इस प्रकार निश्चय किया जा रहा है। हां, तिस प्रकार व्याख्यान कर देनेपर मति आदिकोंका मिथ्यापनके साथ सद्भाव पाये जानेका कोई विरोध नहीं है। जैसे कि शीतका उष्णके साथ मले ही विरोध होवे, किन्तु सामान्य स्पर्शके साथ शीत स्पर्शका कोई विरोध नहीं है। सामान्यरूपसे स्पर्श ही तो शीत या उष्ण होकर परिणमन करेगा। अन्य कोई नहीं।

ननु च तेषां तेन सहभावेऽपि कथं मिथ्यात्वमित्याशङ्क्योत्तरमाह ।

यहां प्रश्न है कि उन मति आदिक ज्ञानोंको उस मिथ्यात्वके साथ सहभाव होनेपर भी मिथ्यापन कैसे प्राप्त हो जाता है? झूठ बोल्नेवाले पुरुषके घरमें आ रहा सूर्य प्रकाश या चन्द्र उद्योत तो झूठा नहीं हो जाता है। इस प्रकार श्री विद्यानंदस्वामी धार्मिकद्वारा किसीकी आशंकाका अनुवादकर उसके उत्तरको स्पष्ट कहते हैं।

मिथ्यात्वोदयसद्भावे तद्विपर्ययरूपता ।

न युक्ताग्न्यादिसंपाते जात्यहेन्नो यथेति चेत् ॥ १७ ॥

नाश्रयस्यान्यथाभावसम्यक्परिदृढे सति ।

परिणामे तदाधेयस्यान्यथाभावदर्शनात् ॥ १८ ॥

शंका यों है कि आत्मामें मिथ्याकर्मके उदयका सद्भाव होनेपर उन सर्वथा न्यारे हो रहे ज्ञानोंका विपर्ययरूपपना उचित नहीं है। जिस प्रकार कि अग्नि, कीच, धूली आदिका सन्निकर्ष, हो जानेपर या अग्नि, पानी आदिमें गिर जानेपर शुद्ध सौ टंच सोनेका विपरीतपना नहीं हो जाता है। यानी अच्छे सोनेको आग, पानी या कहीं भी डाल दिया जाय वह छोटा या मही, कीचड नहीं बन जाता है। " कानेको चोट कडामरेको भेंट " यह नीति प्रशस्त नहीं है। जब कि आत्मामें सम्यक्गुणसे पृथग् भूतज्ञान गुण या चेतनागुण प्रकाश रहा है तो सम्यक्त्वका विपरीत परिणमन हो जानेपर मला ज्ञानगुणमें विपरीतता कैसे आ सकती है! देवदत्तके चौर्य दोषसे इन्द्रदत्तको कारागृह नहीं मिलना चाहिये। अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो शंका नहीं करना। क्योंकि आश्रयके अन्य प्रकारसे परिवर्तनरूप परिणामके अच्छे ढंगसे परिपुष्ट हो जानेपर उस आश्रयके आधेयभूत हो रहे पदार्थका अन्य प्रकारसे परिणाम होना देखा जाता है। जब कि सम्पूर्ण गुणोंके शिरोमणि होकर भास रहे सम्यग्दर्शनगुणका अखिल कर्मोंमें प्रधान हो रहे मिथ्यात्व कर्मने विपरीत भावकर आत्माको मिथ्यादृष्टि बना दिया है, ऐसी दशामें आत्मामें अन्य गुणोंपर भी विपरीतपन आये बिना नहीं रह सकता है। पडोसोंके घरमें आग लगनेपर निकटवर्तीके छप्परोंवाले घरमें कुशल नहीं रह सकता है। दुष्ट पुरुषोंके घरमें सज्जनके जानेपर प्रमाद पड़े बिना नहीं रहा सक्ता है। आग, कीचड, आदिमें पडा हुआ स्वर्ण सौ, पचास,

वर्षोंमें मछे ही नहीं बिगड़े, किन्तु हजारों, लाखों, वर्षोंमें सोना या मुड मुड ( मोडक अत्रक ) भी मट्टी, फीचड, हो सकता है । नौनकी झीलमें समी पुद्रक स्कन्ध नौन हो जाते हैं । कोई भी पुद्रककी पर्याय निमित्त मिळ जानेपर कुछ फाळमें अन्य पुद्रक पर्यायोंरूप परिवर्तन कर जाती है । शुद्ध सौ टंचका सोना भी औषधियोंके प्रयोगसे अग्नि द्वारा भस्म कर दिया जाता है । वैष पुरुष अत्रकको भी भस्म बनाते हैं । अतः अधिकरणके दोष क्वचित् आधेयमें आ जाते हैं । “ पेटमें पीडा और आँखमें औषधि ” यह लौकिक परिभाषा कुछ रहस्य रखती है ।

यथा सरजसालाम्बूफलस्य कटु किन्न तत् ।

क्षिप्तस्य पयसो दृष्टः कटुभावस्तथाविधः ॥ १९ ॥

तथात्मनोऽपि मिथ्यात्वपरिणामे सतीष्यते ।

मत्यादिसंविदां तादृङ्मिथ्यात्वं कस्यचित्सदा ॥ २० ॥

जिस प्रकार कडवे गूदकी धूलसे सहित हो रहे तुम्ही कडके कटुपनेसे क्या उस पात्रमें डाल दिये गये दूधका तिस प्रकार कडवा हो जाना नहीं देखा गया है ! अर्थात्—कडवी लक्ष्मीमें रखा हुआ दूध भी कडवा हो जाता है । निमित्त द्वारा विभाव परिणामको प्राप्त हो जानेवाले आधेयमें विभावक अधिकरणके दोष आ जाते हैं । स्वर्ग और नरकके आकाशमें यद्यपि कोई अन्तर नहीं है । फिर भी वहाँकी वायु, मूनि, आदिमें महान् अन्तर है । यही बात सिद्धक्षेत्र और युद्धक्षेत्रमें लगा लेना । अतः जिस प्रकार कडवी तुम्बीमें रखा हुआ दूध कटु हो जाता है, तिसी प्रकार किसी आत्माके भी मिथ्यात्व परिणाम हो जानेपर मति आदिक ज्ञानोंका तिस प्रकार मिथ्या हो जानापन सदा इष्ट कर लिया जाता है । असदशचारी पुरुषकी पण्डिताईमें भी वह दूषण प्रसूत रहा है । सुदर्शन, सीता आदि महान् आत्माओंके ब्रह्मचर्य गुणकी निर्दोषता अन्य सत्य, अचौर्य, अहिंसा, नवकोटिविशुद्धि, सादस, धैर्य, आदि करके परिपूर्ण हो जानेसे गरिष्ठ मानी गयी है, जिसको कि केवल कृत या कारितसे ही अकेले ब्रह्मचर्यको धारनेवाले असंख्य स्त्रीपुरुष नहीं प्राप्त कर सके हैं ।

जात्यहेम्नो माणिक्यस्य चाग्न्यादिर्वा गृहादिर्वा नाहेमत्वममाणिक्यत्वं वा कर्तुं समर्थस्तस्यापरिणामकत्वात् । मिथ्यात्वपरिणतस्तु आत्मा स्वाश्रयीणि मत्यादिज्ञानानि विपर्ययरूपतामापादयति । तस्य तथा परिणामकत्वात्सरजसकटुकाळाम्बुवरस्वाश्रयि पय इति न मिथ्यात्वसहभावेऽपि मत्यादीनां सम्पक्त्वपरित्यागः शङ्कनीयः ।

किट्ट, ( कीट ) काळिमा, चादी, तावा, आदि टंटोंसे रहित होरहे स्वच्छ सोनेका अग्नि, कीचड, वायु अथवा पानी आदिक पदार्थ अस्तुवर्णपना करनेके लिये समर्थ नहीं हैं । अथवा माणिक

रत्नके अभाणिक्यपनेको करनेके लिये शूद्रगृह, मूर्ख, मीठनीकी कुटी, डिम्बी, यत्र, आदिक पदार्थ समर्थ नहीं हैं। क्योंकि उन अग्नि आदिक या गृह आदिकको सुवर्ण या माणिक्यके विपरिणाम करानेके निमित्त शक्ति प्राप्त नहीं है। इससे आचार्य महाराजका यह अभिप्राय ध्वनित होता है कि जो पदार्थ सोने या माणिक्यको अन्यथा कर सकते हैं, उनके द्वारा सोना या माणिक्य भी राल या धूना हो जाता है। हा, आकाश आदि शुद्धद्रव्योंका अन्यथामात्र किसीके बळ, वृत्ते, नहीं हो पाता है। किन्तु मिथ्यादर्शन परिणामसे युक्त हो रहा आत्मा तो अपने आश्रयमें बर्त्त रहे मति, श्रुत, आदि ज्ञानोंको विपर्यय स्वरूपपनेको प्राप्त करा देता है। क्योंकि उस मिथ्यादृष्टि आत्माको तीन ज्ञानोंकी तिस प्रकार बुझानरूप परिणति करानेमें प्रेरक निमित्तपना प्राप्त है। जैसे कि कढ़वे गूदेकी घूँसहित हो रही कढ़वी दूँबी अपने आश्रय प्राप्त हो रहे दूधको कढ़वे रस सहितपनेसे परिणति करादेती है। इस कारण मिथ्यादर्शनका सहभाव होजानेपर भी मति आदिक ज्ञानोंके समीचीनपनेका परित्याग हो जाना शंका करने योग्य नहीं है। तुच्छ पुरुषके अन्य गुण भी तुच्छ हो जाते हैं। गम्भीर नहीं रहते हैं। एक गुण या दोष दूसरे गुण या दोषोंपर अवश्य प्रभाव डालता है। प्रकाण्ड विद्वान् यदि पूर्ण सदाचारी भी है तो वह परमपूज्य है।

परिणामित्वमात्मनोऽसिद्धमिति चेदत्रोच्यते ।

कोई एकान्ती कहता है कि आत्मामें यदि कुमतिज्ञान है, तो सुमतिज्ञान फिर नहीं हो सकेगा और यदि आत्मामें सुमतिज्ञान है तो फिर आत्मा कुमतिज्ञानरूप विपरिणति नहीं कर सकता है। क्योंकि आत्मा कूटस्थ निव्य है। परिवर्तन करनेवाले परिणामोंसे सहितपना तो आत्मामें असिद्ध है। इस प्रकार किसी प्रतिवादाके कहनेपर इस प्रकारणमें श्री विद्यानन्द आचार्य द्वारा समाधान कहा जाता है। उसको सावधान होकर सुनिये ।

न चेदं परिणामित्वमात्मनो न प्रसाधितम् ।

सर्वस्यापरिणामित्वे सत्त्वस्यैव विरोधतः ॥ २१ ॥

यतो विपर्ययो न स्यात्परिणामः कदाचन ।

मत्यादिवेदनाकारपरिणामनिवृत्तितः ॥ २२ ॥

आ माका यह परिणामीपना हमने पूर्व प्रकरणोंमें भडे प्रकार साधा नहीं है, यह नहीं समझना। यानी आत्मा परिणामी है, इसके हम अच्छी युक्तियोंसे साध चुके हैं। जैनसिद्धांत अनुसार सभी पदार्थ परिणामी हैं। सम्पूर्ण पदार्थोंको या सबमें एक भी वस्तुको यदि अपरिणामीपना माना जायगा, तो उसकी जगत्में सत्ता रहनेका ही विरोध हो जायगा। क्योंकि परिणामीपनसे सत्त्व-व्याप्त हो रहा है। व्यापक परिणामीपनके रहने

पर ही व्याप्य सत्त्व ठहर सकता है। सम्पूर्ण पदार्थ उत्पाद, व्यय और भ्रौण्यते शोभायमान हैं। पूर्व आकारोंका त्याग, उत्तर आकारोंका ग्रहण और ध्रुमस्थितिरूप परिणाम सर्वत्र सर्वदा देखे जाते हैं। अतः आत्मा कूटस्थ नहीं है। जिससे कि कदाचित् भी मति आदिक ज्ञानोंके आकारवाले परिणामोंकी निवृत्ति हो जानेसे आत्माके विपर्ययरूप पर्यायें नहीं हो पाती। अर्थात् परिणामी आत्माके मिथ्यात्वका उदय हो जानेपर मति, श्रुत, आदिक ज्ञानोंके आकारस्वरूप परिणामोंकी निवृत्ति हो जानेसे कुपति आदिरु विपर्यय ज्ञान प्रवर्त जाते हैं। ज्ञानपना या चेतनपना स्थित रहता है। अतः परिणामी आत्माके विपर्यय ज्ञानोंका हो जाना सम्भव जाता है।

## इस सूत्रका सारांश।

इस सूत्रमें कथन किये गये प्रकरणोंका क्रम इस प्रकार है कि प्रथम ही पांच ज्ञानोपयोग और चार दर्शनोपयोग इनमेंसे कतिपय ज्ञानोपयोगोंका विपर्ययपना बतानेके लिये सूत्रका प्रारम्भ करना आवश्यक समझकर तीन ही ज्ञानोंको विपर्ययपना साधकर मिथ्या शंकाओंकी निवृत्ति कर दी है। सूत्रमें पूर्वपदके साथ अवधारण लगाना अच्छा बताया है। मनःपर्यय और केवलज्ञान समीचीन ही होते हैं। क्योंकि पहिले और दूसरे ही गुणस्थानोंमें सम्भवनेवाले दर्शनमोहनीय और पांचवें गुणस्थानतक पाये जा रहे चारित्रमोहनीय कर्मोंके विशेष शक्तिशाली स्पर्शकोके उदयका उनके साथ सहभाव नहीं है। इनके आगे “च” शब्दकी सार्थकता दो ढंगोंसे बताई गयी है। किस ज्ञानमें कितने मिथ्यापन सम्भव जाते हैं इसका प्रबोध कराया है। अवधिज्ञानमें विपर्यय और अनध्यवसायको योग्यतासे साध दिया है। मति कइनेसे सुमतिज्ञानका ग्रहण होता है। ऐसी दशामें वह सुमति तो कालत्रयमें भी विपर्यय नहीं हो सकता है। इस कटाक्षका विद्वत्तापूर्वक निराकरण कर दिया है। दर्शनमोहनीय या चारित्रमोहनीयकर्म आत्माके अन्य कतिपय गुणोंपर अपना प्रभाव डाल लेते हैं। कोई अस्तिरूप, वस्तुत्व आदि गुणोंकी हानि वे कर्म कुछ नहीं कर सकते हैं। कड़वी तुषी दूधके रसका विपरिणाम कर देती है। किन्तु दूधकी शुक्लता या पतलापनको बाधा नहीं पहुंचाती है। हा, पीला रंग या दही इनको भी ठेस पहुंचा देता है। आत्माके सम्पददर्शन गुणका विभाव परिणाम हो जानेपर मति, श्रुत, अवधि ज्ञानोंका विपर्ययपना प्रसिद्ध हो जाता है, इस रहस्यको दृष्टान्तोंसे पुष्ट किया है। कूटस्थ आत्माका निराकरण कर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे आत्माका परिणामपिन पूर्व प्रकरणोंमें साधा जा चुका कह दिया है। संसारमें रहनेवाले अनन्तानन्त जीव तो मिथ्यादृष्टि अवस्थामें मिथ्याज्ञानोंसे घिरे हुये हैं ही। हा, वर्तमानकालकी अपेक्षा असंख्यात जीवोंके भी सम्पददर्शन हो चुकनेपर पुनः मिथ्यात्व या अनन्ता-नुबन्धीके उदय हो जानेसे यथायोग्य तीन ज्ञान विपर्ययस्वरूप हो जाते हैं। अर्धपुद्गळपरिवर्तन

काल सम्बन्धी ऐसे अनेकानेक जीव हैं। इस प्रकार मति आदिक तीन ज्ञानोंका कदाचित् कारणवश विपर्ययपना युक्तियोंसे साधदिया है।

सुहृद्विमोहाद्यकषायपाकान् मतिश्रुतान्धुपुल्लभयः स्फुः ।

सदोषहेतोश्च विपर्ययश्च पयो यथेह्वाङ्गुगतं कट्टत्तं ॥ १ ॥

—\*—

लोकव्यवहारकी प्रसिद्धि अनुसार मिथ्यादृष्टियोंके और सम्पदृष्टियोंके ज्ञानमें जब कोई विशेष अन्तर नहीं दीखता है तो फिर क्या कारण है कि मिथ्यादर्शनके साहचर्यमात्रसे मिथ्या-दृष्टियोंका घटज्ञान विपर्ययज्ञान कहा जाय और सम्पदृष्टियोंका उतना ही घटज्ञान समीचीन कहा जाय ! इस प्रकार कटाक्ष उपस्थित होनेपर श्री उमास्वामी महाराज हेतु और दृष्टान्त द्वारा प्रकृत अर्थको पुष्ट करनेके लिये स्वकीय मुलाग्रसे सूत्र—आसार बध्ति हैं।

**सदसतोरविशेषाद्यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् ॥३२॥**

विद्यमान हो रहे और अविद्यमान हो रहे अर्थोंकी अप्रथम प्रशंसनीय और अप्रशंसनीय अर्थोंकी अविशेषता करके यदृच्छापूर्वक उपलब्धि हो जानेसे उन्मत्त पुरुषके समान जाननेवाले मिथ्यादृष्टिके विपर्ययज्ञान हो जाते हैं। अर्थात्—उन्मत्त पुरुष जैसे गौमें गाय है, ऐसा निर्णय करलेता है और कदाचित् गौको घोडा भी जानलेता है, माताको कमी खी और कदाचित् माता भी कह देता है, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव सद और असद पदार्थमें कोई विशेषता नहीं रखता हुआ चाहे जैसा मनमानी ज्ञान उठाता रहता है। अतः उसका घटमें घटको जाननेवाला भी ज्ञान विपर्यय ज्ञान ही है।

किं कुर्वन्निदं सूत्रं ब्रवीतीति शंकायामाह ।

कोई गौरव दोषसे डरनेवाला शंकाकार कहता है कि किस नवीन अर्थका विधान करते हुये श्री उमास्वामी महाराज “सदसतोः” इत्यादि सूत्रको प्रस्पष्ट कह रहे हैं। ऐसी शंका होनेपर तार्किकशिरोमणि श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिक द्वारा समाधान कहते हैं।

समानोर्यपरिच्छेदः सदृष्ट्यर्थपरिच्छिदा ।

कुतो विज्ञायते त्रेधा मिथ्यादृष्टेर्विपर्ययः ॥ १ ॥

इत्यत्र ज्ञापकं हेतुं सदृष्टान्तं प्रदर्शयन् ।

सदित्याद्याह संश्लेषाद्विशेषप्रतिपत्तये ॥ २ ॥

जब कि सम्यग्दृष्टि आत्माके अर्थोंकी परिच्छित्तिके समान ही मिथ्यादृष्टि आत्माके भी अर्थोंका परिच्छेद होता है, तो फिर कैसे विशेषरूपसे जाना जाय कि मिथ्यादृष्टिके तीन प्रकारका विपर्ययज्ञान हो रहा है। इस प्रकार यहाँ प्रकरणमें जिज्ञासा होनेपर दृष्टान्तसहित ज्ञापक हेतुको बढिया दिखलाते हुये श्री उमास्वामी महाराज संक्षेपसे मिथ्याज्ञानोंकी विशेषताको समझानेके लिये “सदसतोरविशेषाद्” इत्यादि सूत्रको कहते हैं।

**मिथ्यादृष्टेरपर्ययपरिच्छेदः सदृष्टव्यर्थपरिच्छेदेन समानोऽनुभूयते तत्कुतोऽसौ श्रेया विपर्यय इत्यारेकायां सत्यां सनिदर्शनं ज्ञापकं हेतुमनेनोपदर्शयति ।**

मिथ्यादृष्टिका भी अर्थपरिज्ञान करना जब सम्यग्दृष्टिके हुई अर्थपरिच्छित्तिके समान होता हुआ अनुभवा जा रहा है, तो फिर कैसे निर्णय किया जाय कि वह विपर्ययस्वरूप मिथ्याज्ञान तीन प्रकारका होता है। इस प्रकार किसी भद्रपुरुषकी आशंका होनेपर उदाहरणसहित ज्ञापक हेतुको श्री उमास्वामी महाराज इस सूत्रकरके दिखलाते हैं। व्याप्य हेतुसे साध्यकी सिद्धि सुखमतासे हो जाती है। यदि दृष्टान्त मिल जाय तब तो बालक भी समझ जाते हैं। परीक्षकोंका तो कहना ही क्या है।

**के पुनरत्र सदसती कश्च तयोरविशेषः का च यदृच्छोपलब्धिपरित्याह ।**

कोई पूछता है कि यहाँ सूत्रमें कहे गये फिर सत् और असत् क्या पदार्थ हैं ! और उन दोनोंका विशेषतारहितपना क्या है ? तथा यदृच्छा उपलब्धि भला क्या पदार्थ है ! इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी वार्तिकोंद्वारा उत्तर कहते हैं।

**अत्रोत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सदिति वक्ष्यति ।**

**ततोऽन्यदसदित्येतत्सामर्थ्यादवसीयते ॥ ३ ॥**

**अविशेषस्तयोः सद्भिरविवेको विधीयते ।**

**सांकर्यतो हि तद्वित्तिस्तथा वैयतिकर्थ्यतः ॥ ४ ॥**

इस सूत्रमें कहे गये सत् इस शब्दका अर्थ तो उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यसे युक्त हो रहापन है। इस बातको स्वयं मूल ग्रन्थकार पांचवें अध्यायमें स्पष्टरूपसे कह देंगे। उस सत्से अन्य पदार्थ यहाँ असत् कहा जाता है। बिना कहे ही यह तत्र इव व्याख्यात सत्की सामर्थ्यसे निर्णय कर लिया जाता है। उन सत्, असत्, दोनोंका जो पृथक् भाव नहीं करना है, वह सज्जन पुरुषों करके अविशेष किया गया कहा जाता है। अथवा विद्यमान ही रहे पदार्थोंके साथ सत् और असत्का पृथग्भाव नहीं करना अविशेष कहा जाता है। तिस प्रकार उस पदार्थकी सत्, असत्-

पनेके संकरपनेसे अथवा व्यतिकरपनेसे इति कर लेना मिथ्या ज्ञानोंसे साध्य कार्य है। सत्में सत् और असत् दोनोंके धर्मोंका एक साथ आरोप देना संकरदोष है। परस्परमें एक दूसरेके अत्यन्त-भाबका समानाधिकरण धारनेवाले पदार्थोंका एक अर्थमें समावेश हो जाना सांकर्य है। तथा सत्के धर्मोंका असत्में चला जाना और असत्के धर्मोंका सत्में चला जाना इस प्रकार परस्परमें विषयोंका गमन हो जाना व्यतिकर है। विपर्ययज्ञानों जीव संकरपन और व्यतिकरपन दोषोंसे युक्त सत् असत् पदार्थोंको जान बैठते हैं। उनका ठीक, ठीक, विवेक नहीं कर पाते हैं।

**प्रतिपत्तिरभिप्रायमात्रं यदनिबन्धनं ।**

**सा यदृच्छा तथा वित्तिरुपलब्धिः कथंचन ॥ ५ ॥**

तीसरा प्रश्न “ यदृच्छा उपलब्धि ” के विषयमें है, उसका उत्तर यह है कि सामान्यरूपसे अभीष्ट अभिप्रायको कारण मानकर जो ज्ञान होता है, वह प्रतिपत्ति है। और जिस कारण उस अभिप्राय ( समीचीन इच्छा ) को कारण नहीं मानकर मनमानी वह परणति तो यदृच्छा है। उस यदृच्छाकरके किसी भी प्रकार इति हो जाना उपलब्धि कही गयी है।

किमत्र साध्यमित्याह ।

कोई निश्चासु पूछता है कि इस सूत्रमें श्री उमास्वामी महाराजने “ सदसतोः अविशेषादा यदृच्छोपलब्धेः ” ऐसा हेतु बनाकर और तन्मतको दृष्टान्त बनाकर अनुमान प्रयोग बनाया है किन्तु यह बताओ कि इस प्रयोगमें साध्य या प्रतिज्ञावाक्य क्या है ? इस प्रकार आकांक्षा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी उत्तर कहते हैं।

**मत्यादयोऽत्र वर्तन्ते ते विपर्यय इत्यपि ।**

**हेतोर्यथोदितादत्र साध्यते सदसत्वयोः ॥ ६ ॥**

यहां सूत्रका अर्थ करनेपर पूर्वसूत्रमें कहे गये वे मति आदिक तीन ज्ञान अनुवर्तन कर लिये जाते हैं। और “ वे विपर्यय हैं। ” यह भी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिये। अतः यथायोग्य कहे गये “ सत् और असत्की अविशेषतासे यदृच्छा उपलब्धि ” इस हेतु द्वारा यहां मति आदिकमें सत्पने और असत्पनेका विपर्यय साधकर जान लिया जाता है। प्रतिज्ञा हेतु और उदाहरण ठीक ठीक बन आनेसे पूर्वसूत्रमें कहे गये साध्यकी अच्छे ढंगसे सिद्धि हो जाती है।

तेनैतदुक्तं भवति मिथ्यादृष्टैर्मतिश्रुतावधयो विपर्ययः सदसतोरविशेषेण यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तस्येवेति ।

तिस कारण इस संदर्भमें लगे गये वाक्योंद्वारा यों कह दिया गया समझा जाता है कि मिथ्य दृष्टिके हो रहे मतिज्ञान श्रुतज्ञान अर्थिज्ञान ( पञ्च ) विपर्यय हैं ( साध्य ) । सत् और असत् की विशेषता रहित करके यों ही चाहे जैसी उपलब्धि हो जानेसे ( हेतु ) मदसे उन्मत्त हो रहे पुरुषके समान ( अन्यपदछान्त ) इस प्रकार अनुमानवाक्य बना लिपा गया है ।

समानेऽपर्यपरिच्छेदे कस्यचिद्विपर्ययसिद्धिं दृष्टान्ते साध्यसाधनयोर्व्याप्तिं प्रदर्शयन्नाह ।

सम्पददृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीवोंके उत्पन्न हुयी अर्थपरिच्छित्तिके समान होनेपर भी दोनों मेंसे किसी ही एक मिथ्यादृष्टिके ही विपर्यय ज्ञानकी सिद्धि है । किन्तु सम्पददृष्टिका ज्ञान मिथ्याज्ञान नहीं है । इस तत्त्वकी सिद्धिको दृष्टांतमें साध्य और साधनकी व्याप्तिका प्रदर्शन करा रहे श्री विद्यानन्द आचार्य विशदरूपसे कहते हैं ।

स्वर्णे स्वर्णमिति ज्ञानमस्वर्णे स्वर्णमित्यपि ।

स्वर्णे वा स्वर्णमित्येवमुन्मत्तस्य कदाचन ॥ ७ ॥

विपर्ययो यथा लोके तद्यदृच्छोपलब्धितः ।

विशेषाभावतस्तद्वन्मिथ्यादृष्टेर्वटादिषु ॥ ८ ॥

उन्मत्त पुरुषको कमी कमी सुवर्ण पदार्थमें " सुवर्ण है " इस प्रकार ज्ञान हो जाता है । और कमी सुवर्णरहित ( शून्य ) मट्टी, पीतल आदिमें यह सोना है, भी ज्ञान हो जाता है । अथवा कमी सुवर्णमें डेल, लोहा, आदि असुवर्णरूप इस प्रकार ज्ञान हो जाता है । तिस कारण जिस प्रकार लोकमें यदृच्छा उपलब्धि हो जानेसे विपर्ययज्ञान हो रहा प्रसिद्ध है, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीवके घट, पट, आदि पदार्थोंमें विशेषतारहित करके यदृच्छा उपलब्धिसे मिथ्याज्ञान हो जाता है ।

सर्वत्राहार्य एव विपर्ययः सहज एवेत्येकान्तव्यवच्छेदेन तदुभयं स्वीकुर्वन्नाह ।

सभी स्थलोंपर आहार्य ही विपर्ययज्ञान होता है, ऐसा कोई एकान्तवादी कह रहे हैं । प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे बाधा उपस्थित हो जानेपर भी भक्तिवश या आमइवश विपरीत ( उल्टा ) ही समझते रहना आहार्य मिथ्याज्ञान है । जैसे कि गृहीत मिथ्यादृष्टि जीव असत्य उपदेशोंद्वारा विपरीत अभिनिवेश कर लेता है । तथा कोई एकान्तवादी यों कहते हैं कि सभी स्थलोंपर सहज ही विपर्ययज्ञान होता है । उपदेशके बिना ही अन्तरंग कारणोंसे मिथ्यावासनावश जो विपर्यय ज्ञान अज्ञानी जीवोंके हो रहा है, वह सहज है । इस प्रकार एकान्तोंका व्यवच्छेद करके उन दोनों प्रकारके विपर्यय ज्ञानोंको स्वीकार करते हुए श्री विद्यानन्द आचार्य समझाकर कहते हैं ।



स चाहार्यो विनिर्दिष्टः सहजश्च विपर्ययः ।  
 प्राच्यस्तत्र श्रुताज्ञानं मिथ्यासमयसाधितम् ॥ ९ ॥  
 मत्यज्ञानं विभङ्गश्च सहजः संप्रतीयते ।  
 परोपदेशनिर्मुक्तेः श्रुताज्ञानं च किञ्चन ॥ १०-॥

यह विपर्यय ज्ञान आहार्य और सहज दोनों प्रकारका विशेषरूपसे कथन किया गया हमें इष्ट है । अभिप्राय वही होय और शब्द न्यारे न्यारे होय, ऐसे विपर्यय शब्दार्थ करना व्यर्थ है । उन दोमें पहिल्या कहा गया आहार्य विपर्यय तो मिथ्याशास्त्रोंकरके साध्य किया गया, कुश्रुत ज्ञान स्वरूप है । तथा कुमतिज्ञान और विभंग ज्ञान तो सहज विपर्यय हो रहे मळे प्रकार ज्ञाने जा रहे हैं । हा, परोपदेशका रहितपना हो जानेसे कोई कोई कुश्रुतज्ञान भी सहजविपर्यय हो जाता है । मावार्थ—सम्पर्कदर्शन जिस प्रकार निसर्ग और अधिगमसे जन्म हुआ दो प्रकारका माना है, उसी प्रकार विपर्ययज्ञान भी दो प्रकारका है । आहार्य नामका भेद तो परोपदेशजन्य कुश्रुत ज्ञानमें ही घटित होता है । और सहजविपर्यय नामका भेद मति, श्रुत, अवधि इन तीनों ज्ञानोंमें सम्भव जाता है ।

चक्षुरादिमतिपूर्वकं श्रुताज्ञानमपरोपदेशत्वात्सहजं मत्यज्ञानविभङ्गज्ञानवत् । श्रोत्रम-  
 तिपूर्वकं तु परोपदेशापेक्षत्वादाहार्यं मत्येयं ।

चक्षु आदिक यानी नेत्र, दृशन, रसना, प्राण इन चार इन्द्रियोंते जन्म मतिज्ञानको पूर्ववर्ती कारण मानकर उपजा हुआ कुश्रुत ज्ञान तो परोपदेशपूर्वकपना नहीं होनेके कारण सहजविपर्यय है । जैसे कि कुमतिज्ञान और विभंगज्ञान सहज मिथ्याज्ञान है । किन्तु श्रोत्र इन्द्रियजन्य मतिज्ञानको पूर्ववर्तीकारण मानकर उत्पन्न हुआ श्रुतज्ञान तो परोपदेशकी अपेक्षा हो जानेसे आहार्य विपर्ययज्ञान समझ लेना चाहिये । मानस मतिज्ञानपूर्वक हुआ कुश्रुतज्ञान भी सहजविपर्ययमें परिगणित होगा ।

तत्र सति विषये श्रुताज्ञानमाहार्यविपर्ययमादर्शयति ।

तित विपर्ययज्ञानोंमें विषयके विद्यमान होनेपर हुये कुश्रुतज्ञानस्वरूप आहार्य विपर्ययको दर्पणके समान प्रत्यकार वार्तिकोंद्वारा दिखलाते हैं ।

सति स्वरूपतोऽशेषे शून्यवादो विपर्ययः ।  
 ब्राह्मग्राहकभावादौ संदिद्धैतवर्णनम् ॥ ११ ॥

चित्राद्वैतप्रवादश्च पुंशब्दाद्वैतवर्णनम् ।

वाह्यार्थेषु च भिन्नेषु विज्ञानाण्ड (नांश) प्रकल्पनं ॥ १२ ॥

अपने अपने स्वरूपसे सत्भूत पदार्थोंके विद्यमान रहनेपर अथवा स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंसे पदार्थोंके विद्यमान होनेपर शून्यवादी विद्वान् द्वारा सम्पूर्ण पदार्थोंका निषेध कर देना यह शून्यवाद नामका विपर्यय है । क्योंकि पदार्थोंके विद्यमान होनेपर भी उनका निषेध कर रहा है । तथा ज्ञेय पदार्थ और ज्ञापकज्ञान पदार्थ इनमें प्राक्षप्रद्वैतभाव होते हुए या आश्रय-आश्रयीभूत पदार्थोंमें आधार आधेय भाव होते हुए अथवा अनेक पदार्थोंमें कार्यकारणभाव आदि सम्बन्ध होनेपर भी ज्ञानका ही अद्वैत करते नाना यह विज्ञानाद्वैतवादी बौद्धोंका विपर्यय है । क्योंकि प्राक्षप्राद्वैतभाव आदि द्वैत पदार्थोंके होते हुए भी उनका निषेध कर दिया है । तथा नाना प्रकार बहिरंग पदार्थोंके विद्यमान होनेपर भी चित्र आकारवाले ज्ञानके अद्वैत माननेका प्रवाद भी बौद्धोंका एक विपर्यय है । इसी प्रकार द्वैतके होनेपर भी ब्रह्मराशियों द्वारा प्रकाशितका वर्णन करना अथवा वैयाकरणों द्वारा शब्दाद्वैत स्वीकार करना भी आहार्य कुशुगज्ञान है । तथा भिन्न भिन्न स्थूल, काष्ठान्तरस्थायी, बहिरंग अवयवी पदार्थोंके होते सते भी क्षणिक, अवयव, अणुस्वरूप, विज्ञानके अंशोंकी कल्पना करते चडे जाना विज्ञानाद्वैतवादी बौद्धोंका विपर्यय है । ये सब सत् पदार्थोंमें असत्को कल्प रहे हैं । सम्पूर्ण चराचर जगत्को ब्रह्माण्ड या विज्ञानाण्डमें तदात्मक रखना उचित नहीं है ।

बहिरन्तश्च वस्तूना सादृश्ये वैसदृश्यवाक् ।

वैसदृश्ये च सादृश्यैकान्तवादाबलम्बनम् ॥ १३ ॥

तथा घट, पट, वज्र, पुस्तक, आदि बहिरंग पदार्थ और आत्मा, ज्ञान, सुख, दुःख इच्छा आदि अन्तरंग वस्तुओंके कथंचित् सादृश्य होनेपर भी सर्वथा विच्छिन्नगर्भके कथन करना यह विशेषके ही एकात्मको कहनेवाले बौद्धोंका विपर्ययज्ञान है । एव दूना बहिरंग और अन्तरंग पदार्थोंका कथंचित् वैच्छिन्न्य होनेपर भी ' वे सर्वथा सदृश ही हैं ' इम प्रकार सामान्य एकान्तवादाका अवलम्ब लेकर पक्ष पकडे रहना सदृश एकात्मवादी विद्वन्का विपर्यय है ।

द्रव्ये पर्यायमात्रस्य पर्याये द्रव्यकल्पना ।

तद्द्रव्यात्मनि तद्भेदवादो वाच्यत्ववागपि ॥ १४ ॥

अतीत, अनागत, वर्तमान, पर्यायोंमें अश्वित होकर व्यापनेवाले नित्यद्रव्योंके होते हुए भी केवल पर्यायोंकी ही कल्पना करना अथवा पर्यायोंके होते सने केवल द्रव्योंको ही कल्पना करना

बौद्ध और सांख्योकी विपर्यय कल्पना है। तथा उन द्रव्य और पर्याय दोनोंसे तदात्मक हो रहे वस्तुके होनेपर फिर आमद्वयश उन द्रव्यपर्यायोंके भेदको ही बकते रहना वैशेषिकोंका विपर्यय ज्ञान है। पदार्थोंका शब्दोंद्वारा निरूपण नहीं हो पाता है। अतः सम्पूर्ण तत्त्व अवाच्य हैं। यह अत्यक्तव्य एकान्तका विपर्यय भी किन्हीं बौद्धोंमें छा रहा है। ये सब आहार्य्य कुश्रुतज्ञान हैं।

**उत्पादव्ययत्रादश्च भ्रौव्ये तदवलम्बनम् ।**

**जन्मप्रध्वंसयोरेवं प्रतिवस्तु प्रबुद्धयताम् ॥ १५ ॥**

द्रव्यकी ओझा या काष्ठान्नास्यायी स्थूठ पर्यायको अपेक्षा पदार्थोंका धुरपना होते सन्ते भी केरत उवाद और व्ययके एकान्तका ही पक्ष पकडे रहना क्षणिक एकान्तरूप विपर्यय है। तथा इनके विरगीत दूनरा एकान्त यों है कि पदार्थोंके उत्पाद और व्ययकी प्रत्यक्षद्वारा सिद्ध होते सन्ते भी उस प्रत्ययका सहारा लेकर सर्वथा पदार्थोंको नित्य ही समझते रहना विपर्यय ज्ञान है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तुओंमें विपर्यय ज्ञानकी ब्यवस्था समझ लेनी चाहिए। एकान्तवादी विद्वान् अपने अपने सिद्धान्त अनुसार सम्पूर्ण पदार्थोंमें विपरीत अभिनिवेश किये हुए आहार्य्य विपर्ययसे प्रहृष्ट हो रहे हैं।

सति तावत्कार्त्स्न्येनैरुदेशेन च विपर्ययोऽस्ति तत्र कार्त्स्न्येन शून्यत्वादः स्वरूपद्रव्य-  
क्षेत्रकालतः, सर्वस्य सत्त्वेन प्रमाणसिद्धत्वात् । विशेषणस्तु सति ग्राह्यग्राहकभावे कार्यकार-  
णभावे च वाच्यत्राचरुमावादी च तदसत्त्वचनम् । तत्र संविद्वैतस्य वावलम्बनेन सौग-  
तस्य, पुरुषाद्वैतस्यालम्बनेन ब्रह्मवादिनः, शब्दाद्वैतस्याश्रयेण वैयाकरणस्येति प्रत्ययं ।  
विपर्ययत्वं तु तस्य ग्राह्यग्राहकभावादीनां प्रतीतिसिद्धं तद्वचनात् ।

प्रथम ही हम यह समझते हैं कि अनेक वादियोंके यहां नाना प्रकारके विपर्ययज्ञान माने जा रहे हैं। विद्यमान हो रहे पदार्थोंमें कोई तो परिपूर्ण रूपसे विपर्ययज्ञान मानते हैं और कोई विद्यमान हो रहे पदार्थोंमें एकदेश कर्के विपर्यय ज्ञान मान बैठे हैं। उनमें परिपूर्ण रूपसे विपर्यय मानना तो शून्यवाद है। क्योंकि अपने स्वरूप हो रहे माव, द्रव्य, क्षेत्र, कालसे अस्तित्वपने करके सम्पूर्ण पदार्थोंकी प्रमाणोंसे सिद्धि हो रही है। अतः सभी पदार्थोंको स्वीकार नहीं करना यह तत्त्व उपह्वववादी या शून्यवादी प्राज्ञोंका पूर्णरूपसे होनेवाला विपर्यय है। एक देशसे या विशेषरूपसे तो विपर्यय यों है कि पदार्थोंमें ग्राह्यग्राहक माव और कार्यकारण माव तथा वाच्यत्राचरुमाव आधारआधेयमाव, ध्वयघातक माव, आदि सम्बन्धोंके होनेपर भी उन प्रहृष्ट प्रहृष्टकमव आदिका अतत्त्व कहना विपर्यय है। उनमें सभेदनाद्वैतका आलम्बन करनेसे बौद्धको विपर्ययज्ञान हो रहा है। और पुरुषद्वैतका सहारा देनेसे ब्रह्मवादीके विपर्यय हो गया है। तथा शब्दाद्वैतका आश्रय पकड देनेसे वैयाकरणके वैया विपर्यय हो गया है, जिससे कि ये

विद्यमान हो रहे प्राज्ञप्राहकमात्र आदिका निषेध कर रहे हैं, यह समझ लेना चाहिये। उनके उस ज्ञानको विपर्ययपना तो प्राज्ञप्राहकमात्र आदिकोंकी प्रतीतियोंसे सिद्ध हो जानेके कारण निर्णीत हो रहा है। किन्तु वे पण्डित अपने शास्त्रों और उपदेष्टाओंके वचनसे तिस प्रकार विपरीत (वन्टा) समझ बैठे हैं। इसकी चिकित्सा कष्टसाध्य है। अथवा उनके वचनसे ही उनका विपरीतपना मास जाता है। अपनेको वन्द्यापुत्र कहनेके समान उनके वचनोंमें ही वदतो व्याघात दोष है।

तथा बहिरर्थे भिन्ने सति तद्द्वयसत्त्ववचनं विज्ञानांशप्रकल्पनाद्विपर्ययः। परमार्थतो बहिरन्तश्च वस्तूनां सादृश्ये सति तदसत्त्ववचनं सर्ववैसादृश्यावलम्बनेन तथागतस्यैव विपर्ययः। सादृश्यप्रत्यभिज्ञानस्याबाधितस्य प्रमाणत्वसाधनेन सादृश्यस्य साधनात्। सत्यपि च कथंचिद्विशिष्टसादृश्ये तदसत्त्ववचनं सर्वथा सादृश्यावलम्बनात् सादृश्यैकान्तवादिनो विपर्ययः।

तथा भिन्न भिन्न बहिरंग अर्थोंके विद्यमान होनेपर भी उन एकान्तवादियोंके समान बौद्धोंके यहां भी विज्ञानके परमाणुस्वरूप क्षणिक अंशोंकी ही कल्पना कर लेनेसे उन बहिरंग अर्थोंके अस्त्वका कथन करना विपर्ययज्ञान है। और परमार्थरूपसे बहिरंग अन्तरंग वस्तुओंका सादृश्य होते हुए भी सबके त्रिसदृशपनेका सहारा लेकर उस सादृश्यका अस्त्व कहना बुद्धके यहां ही विपर्यय प्रसिद्ध हो रहा है। क्योंकि बाधा रहित हो रहे सादृश्य प्रत्यभिज्ञानका प्रमाणपना साधन करके वस्तुभूत सादृश्यकी सिद्धि हो चुकी है। इस एकान्तके विपरीत दूसरा एकान्त यों है कि सम्पूर्ण वस्तुओंमें कथंचित् विशिष्ट पदार्थोंकी ही अपेक्षासे हो रहे सादृश्यके होनेपर अथवा पदार्थोंमें कथंचित् वैसादृश्य होनेपर सर्वथा सादृश्य पक्षका सहारा ले लेनेसे उस वैसादृश्यका अस्त्व कहना यह सादृश्यको ही एकान्तसे कहनेकी टेव रखनेवाले पण्डितका विपर्यय है। तथा द्रव्यकी पहिले पाँछे समयोंमें होनेवाली क्रमभात्री पर्याय अथवा द्रव्यके सप्तमात्री गुणोंमें द्रव्यकी अपेक्षा एकपना होते हुए भी सदृशपनेका अभिमान करना विपर्यय है। क्योंकि बाधाओंसे रहित हो रहे एकत्व प्रत्यभिज्ञान कर उनका एकपना साध दिया गया है। अतः एक द्रव्यमें या उसकी गुण और पर्यायोंमें उस एकपनेकी सत्ता प्रमाणसिद्ध है।

तथा सति द्रव्ये तदसत्त्ववचनं पर्यायमात्रावस्थानात्कस्माच्चिद्विपर्ययः। एकत्वप्रत्यभिज्ञानस्याबाधितस्य प्रमाणत्वसाधनात्तत्सत्त्वसिद्धेः। पर्याये च सति तदसत्त्ववचनं द्रव्यमात्रावस्थानादप्रस्य विपर्ययः। भेदज्ञानादबाधितात्तत्सत्त्वसाधनात्।

तथा अनादिसे अनन्तकालतक ठहरनेवाली नित्यद्रव्यके सद्भूत होते सन्ते भी केवल पर्यायोंके अवस्थानका ही वासरा ले लेनेसे किसी बौद्ध विद्वान्के यहां उस द्रव्यका अस्त्व कहते रहना विपर्ययज्ञान है। क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे नहीं बाधे गये एकत्व प्रत्यभिज्ञानका प्रमाणपना

साध देनेसे उस अन्ययी द्रव्यकी सत्ता सिद्ध हो चुकी है । तथा इसके प्रतिपक्षमें दूसरा विपर्यय यों है कि पर्यायोंके वास्तविक होनेपर भी केवल द्रव्यमात्रकी स्थिति बलाननेसे उन पर्यायोंका असत्त्व कहना किसी दूसरे एकान्तवादीका विपर्यय ( मिथ्याटेक ) है । क्योंकि स्याससे कोश भिन्न है । कोशसे कुराळ भिन्न है । पहिले ज्ञानसे दुसरा ज्ञान न्यारा है, इत्यादिक अवधित हो रहे भेद-ज्ञानसे उन पर्यायोंके सद्भावको साध दिया गया है ।

द्रव्यपर्यायात्मनि वस्तुनि सति तदसत्त्वाभिधानं परस्परभिन्नद्रव्यपर्यायवादाश्रयणादन्येषां तस्य प्रमाणतो व्यवस्थापनात् ।

द्रव्य और पर्यायोंसे तदात्मक हो रही वस्तुके सद्भाव होनेपर भी फिर परस्परमें भिन्न हो रहे द्रव्य और पर्यायके पक्षपरिग्रहका आसरा लेनेसे उस द्रव्यपर्यायोंके साथ वस्तुके तदात्मक हो रहे-पनका असत्त्व कहना तो वादी अन्य नैयायिक या वैशेषिकोंका विपर्ययज्ञान है । क्योंकि उस द्रव्य और पर्यायोंके साथ तदात्मक हो रही वस्तुकी प्रमाणोंसे व्यवस्था करार्ह जा चुकी है ।

तत्रान्यत्राभ्यामवाच्यत्ववादात्सत्त्वाद्वा तत्र विपर्ययः । सति प्रौढ्ये तदसत्त्वकय-नद्वत्पादव्ययमात्रांगीकरणात्केपांचिद्विपर्ययः कथंचित्सर्वस्य नित्यत्वसाधनात् । उत्पादव्य-ययोश्च सतोत्तदसत्त्वाभिनिवेशः श्वाश्वतैकान्ताश्रयणादन्येषां विपर्ययः । सर्वस्य कथंचिदु-त्पादव्ययात्मनः साधनादेवं प्रतिवस्तुसत्त्वेऽसत्त्ववचनं विपर्ययः मपंचतो बुध्यतां ।

अथवा बौद्धजनोंका ऐसा विचार है कि सम्पूर्ण पदार्थ अवक्तव्य है । सन्तान और सन्तानि-योंका सत्त्वना और अल्पपना धर्म अवाच्य है । जैसे कि सत्त्व, एकत्त्व, आदिक सम्पूर्ण धर्म सत्त्व असत्त्व, उभय, अनुभय इन चार कोटियोंद्वारा विचार करनेपर अनभिठान्य हो जाते हैं । आचार्य कहते हैं कि उस वस्तुका कथंचित् शब्दद्वारा वाच्यपना सिद्ध हो चुकनेपर भी वहाँ तत्त्व, अन्यत्व करके अवाच्यपनेके सिद्धान्तवादीका आलम्बन कर लेनेसे अवक्तव्यका कथन करना सौगतोंका विपर्यय ज्ञान है । तथा सम्पूर्णपदार्थोंका कथंचित् ध्रुवपना होते सन्ते भी केवल उत्पाद और व्ययके स्वीकार कर लेनेसे उस ध्रुवपनका असत्त्व कहते रहना किन्हीं बौद्धोंके यहाँ मिथ्याज्ञान हो रहा है । क्योंकि कथंचित् यानी द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे सम्पूर्ण पदार्थोंका नित्यपना साध दिया गया है । पदार्थोंकी उत्पत्ति और विनाशके होते सन्ते भी इसके विपरीत अन्य साक्ष्योंके यहाँ भी यह मिथ्या-ज्ञान फैल रहा है, जो कि सर्वथा नित्य एकान्तका आश्रय कर लेनेसे उन उत्पाद और व्ययके असद्भावका आग्रह कर लेना यह साक्ष्योंका मिथ्याज्ञान है । कारण कि सम्पूर्ण पदार्थोंके पर्यायोंकी अपेक्षासे कथंचित् उत्पाद, व्यय, अद्वैतक स्वभावकी सिद्धि कर दी गयी है । इसी प्रकार अन्य भी प्रत्येक वस्तुके या उनके प्रतीत सिद्ध धर्मोंके सद्भाव होनेपर भी असत्त्व कह देना मिथ्याज्ञान है ।

इस प्रकार कुश्रुतज्ञानरूप विपर्ययको विस्तारसे समझ लेना चाहिये । प्रयका विस्तार हो जानेसे अनेक विपर्ययोंको यहाँ नहीं लिखा गया है ।

जीवे सति तदसत्त्ववचनं चार्वाकस्य विपर्ययस्तत्सत्त्वस्य प्रमाणतः साधनात् । अजीवे तदसत्त्ववचनं ब्रह्मवादिनो विपर्ययः । आसत्त्वे तदसत्त्ववचनं च बौद्धचार्वाकस्यैवं संवरे, निर्जरायां, मोक्षे च तदसत्त्ववचनं याद्विकस्य विपर्ययः । पूर्वमेव जीववदजीवादीनां प्रमाणतः प्ररूपणात् ।

ज्ञान, सुख आदि गुणोंके साथ तन्मय हो रहे जीव पदार्थके सत्त्व होनेपर फिर उस जीवका असत्त्वाव कहना चार्वाकके यहाँ हो रहा विपर्ययज्ञान है । क्योंकि उस जीवकी सत्ताको प्रमाणोंसे साधा जा चुका है । तथा घट, पट, पुस्तक आदि अजीव पदार्थोंके सत्त्वाव होनेपर उन अजीव पदार्थोंका असत्त्व कहते जाना ब्रह्मादितवादीका विपर्यय ज्ञान है और वा सत्त्वतत्त्वके होनेपर उस आसत्त्वका असत्त्व कहते चञ्चे जाना बौद्ध और चार्वाकोंकी बुद्धिमें विपर्यय हो रहा है । इसी प्रकार संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्त्वके होनेपर भी उनका असत्त्व निरूपण करना यहाँको चाहनेवाले भीमांतकोंका विपर्यय ज्ञान है । क्योंकि पूर्व प्रकरणोंमें ही जीवतत्त्वके समान अजीव, आसत्त्व, आदि-कोंका प्रमाणोंसे निरूपण किया जा चुका है ।

विशेषतः संसारिणि मुक्ते च जीवे सति तदसत्त्ववचनं विपर्ययः । जीवे पुद्गले धर्मधर्मं नभसि काले च सति तदसत्त्ववचनं ।

सामान्यरूपसे जीवतत्त्वको नहीं माननेपर चार्वाकके हो रहा विपर्ययज्ञान है । किन्तु जीवके भेद, प्रभेदरूपसे संसारी जीवों या मुक्त जीवोंके विद्यमान होनेपर भी उन संसारी जीवोंका या मुक्त जीवोंका असत्त्व कहना एकान्तवादियोंका विपर्यय है । मस्करी मतवादी मुक्त जीवका मोक्षसे पुनः आगमन मानते हैं । कोई वादी मुक्तजीवोंको संसारी जीवोंसे न्यारा नहीं मानते हैं । अद्वैतवादी तो नाना संसारी जीवोंको ही स्वीकार नहीं करते हैं । “ ब्रह्मैव सत्यमखिलं न हि किंचिदस्ति ” । इसी प्रकार जीव, पुद्गल, धर्म, अवर्म, आकाश, और काल, इन विशेष द्रव्योंके होनेपर पुनः उनका असत्त्व कहना विपर्ययज्ञान है । अथवा सामान्यरूपसे अजीवको मान लेनेपर भी विशेषरूपसे पुद्गल, धर्म, अवर्म, आकाश, कालके होते हुये भी उन विशेष अजीव तत्त्वोंका असत्त्व कहना किन्हीं वादियोंके विपर्ययज्ञान हो रहा है ।

तत्र पुण्यासत्त्वे पापासत्त्वे च पुण्यवन्धे पापवन्धे च देशसंवरे सर्वसंवरे च यथाकालं निर्जरायामौपक्रमिकनिर्जरायां च आर्हन्त्यमोक्षे सिद्धतत्त्वमोक्षे च सति तदसत्त्ववचनं कस्य-चिद्विपर्ययस्तरसत्त्वस्य पुरस्तात् प्रमाणतः साधनात् ।

उन अजीव आदि पदार्थोंमें विशेषरूपसे पुण्यास्य और पापास्यके होते सन्ते तथा पुण्य बन्ध और पापबन्धके होते हुये एवं एकदेश संसर और सर्वदेशतः संसरके होते सन्ते भी तथा यथायोग्य अपने नियत कालमें हो रही निर्जरा और भविष्यमें उदय आनेवाले कर्मोंको बन्धाकारसे वर्तमान उपक्रममें लाकर की गयी निर्जरा, इन तत्त्वोंके होनेपर भी एवं तेरहवें, चौदहवेंमें गुगस्थानमें तीर्थकर प्रकृतिकी उदय अवस्थामें जीवन्मुक्तनामक अर्हन्तपनास्यरूप मोक्षतत्त्व और अष्टकर्मोंसे सर्वथा रहित सिद्धबन्धास्वरूप परममोक्ष तत्त्वके प्रमाणोंसे सिद्ध होनेपर भी उन पुण्यास्य आदिकोंका असत्त्व कथन करते रहना किमी एक चार्वाक्यादीको विपर्ययज्ञान हो रहा है। मिथ्याज्ञानके अनुसार ही ऐसे तत्त्व विपरीत रूपसे कथन किये जा सकते हैं। हां, यह विपर्ययज्ञान क्यों है ! इसका उत्तर इतना ही पर्याप्त है कि उन पुण्यस्य आदि तत्त्वोंकी सत्ताका पक्षले प्रकरणोंमें प्रमाणों द्वारा साधन किया जा चुका है।

एवं तदा भेदेषु प्रमाणसिद्धेषु तत्त्वसु तदसत्त्ववचनं विपर्ययो बहुधावबोद्धव्यः  
परीक्षाक्षमधिपणैरित्यलं विचारेण ।

इसी प्रकार उन जीव आदिकोंके भेदप्रभेदरूप अनेक तत्त्वोंके प्रमाणोंसे सिद्ध हो चुकनेपर उनका सद्भाव होते सन्ते भी पुनः मिथ्यास्वप्न उसका असत्त्व कथन करना, इस ढंगके बहुत प्रकारके विपर्ययज्ञान उन पुरुषोंके द्वारा समझ लेना चाहिये, जिनकी बुद्धि तत्त्व और तत्त्वाभावोंकी परीक्षा करनेमें समर्थ है। संश्लेषसे कहनेवाले इस प्रकरणमें मिथ्यापनके अत्रान्तर असंख्य भेदोंको कर्हातक गिनाया जाय। इस कारण विपर्ययपनके विचारसे इतने ही करके पूरा पडे। बुद्धिमानोंके प्रति आहार्य कुश्रुतके कतिपय भेदोंका उपलक्षणसे निदर्शन कर दिया गया है।

पररूपादितोशेषे वस्तुन्यसति सर्वथा ।

सत्त्ववादः समान्नातः पराहार्यो विपर्ययः ॥ १६ ॥

स्वरूपचतुष्टयसे पदार्थोंका सद्भाव होनेपर उनका असत्त्व कहना ऐसा “ तद्वति तदभाव-  
प्रकारकज्ञानं विपर्ययः ” तो कह दिया है। अब “ तदभाववति तत्प्रकारकज्ञानं विपर्ययः ”  
इसको कहते हैं। पररूप यानी परकीय भाव, द्रव्य, क्षेत्र आदिसे संपूर्ण पदार्थोंके असद्भाव होनेपर  
उनका सर्वथा सद्धान मानते जाना दुसरा आश्चर्य विपर्यय मले प्रकार ऋषि आम्नायसे माना हुआ  
चला आ रहा है। भावार्थ—जैसे कि जलपर्याय हो जानेपर उस पुद्गलकी अग्निपर्याय उस समय  
नहीं है, फिर भी “ सर्व सर्वत्र विद्यते ” इम आप्तको पकड़कर सरोवरमें अग्निकी सत्ता कहना  
साध्योंका विपर्ययज्ञान है। इस विपर्यय अनुसार किसीको चोरी या व्यभिचारका दोष नहीं लगना  
चाहिये। जब कि सभी जियां या वस्तुमें पूर्वजन्मोंमें सब जीवोंकी हो चुकी है। भोजन या पेय

पदार्थमें रक्त, मांस, मूत्र, आदि भावी पदार्थों यदि विद्यमान हैं तो किसी भी पदार्थका खाना पीना नहीं हो सकेगा। बड़ी अन्वयवा मद्य जापगी एवं संसारी जीवोंकी वर्तमानमें मुक्त अवस्था नहीं होते हुए भी जीवको सर्वदा मुक्त मानते हुए प्रकृतिको ही संसार होना कहना कापिकोंका विपर्यय है।

पररूपद्रव्यक्षेत्रकालतः सर्ववस्त्वसत्तत्र कात्स्न्यतः सत्त्ववचनमाहायो विपर्ययः ।  
सर्वैकान्तावलम्बनात्कल्पचित्प्रत्येतव्यः । प्रमाणतस्तथा सर्वस्यासत्त्वसिद्धेः ।

सत्ते न्यारे अग्य पदार्थोंके द्रव्य, क्षेत्र, काल भावोंकी अपेक्षासे सम्पूर्ण वस्तुएं असत् हैं। घटके देश, देशांश, गुण, और गुणांशोंकी अपेक्षा घट विद्यमान नहीं है। आत्माके स्वचतुष्टयकी अपेक्षासे घट पदार्थ असत् है। फिर भी वहां परिपूर्णरूपसे विद्यमानपनेका कथन करना दूसरा आहार्य विपर्ययज्ञान है। " सर्व सत् " सम्पूर्ण पदार्थोंकी सर्वत्र सत्ताके एकान्त पक्षका अवलम्ब लेनेसे किसी एक ब्रह्मसिद्धिवादी या सदेकान्तवादी पण्डितके यहां हो रहा उक्त विपर्ययज्ञान समझ लेना चाहिये। क्योंकि प्रमाण ज्ञानोंसे तिस प्रकार सम्पूर्ण पदार्थोंका सर्वत्र नहीं विद्यमानपना सिद्ध है। अर्थात्—आत्मा घटस्वरूपकारके विद्यमान नहीं है। और आकाश आत्मपनेकारके कहीं भी नहीं वर्त रहा है। परकीय रूपोंकारके किसी भी पदार्थकी कहीं भी सत्ता नहीं है।

देशतोऽसतोऽसति सत्त्वविपर्ययमुपदर्शयति ।

परकीय चतुष्टयसे सम्पूर्ण वस्तुओंके असत् होनेपर परिपूर्णरूपसे सत्त्व कथन करनेवाले आहार्य ज्ञानको अभी कह चुके हैं। अब एक देशसे असत् पदार्थका अविद्यमान पदार्थमें विद्यमानपनका कथन करनेवाले विपर्यय ज्ञानको ग्रन्थकार दिखलाते हैं।

सत्यसत्त्वविपर्यासाद् वैपरीत्येन कीर्तितात् ।

प्रतीयमानकः सर्वोऽसति सत्त्वविपर्ययः ॥ १७ ॥

पहिले ग्यारहवीं कारिका द्वारा सत् पदार्थमें असत्पनेका विपर्ययज्ञान बताया जा चुका है। उस कहे गये विपर्ययज्ञानसे विपरीतपनेकारके प्रतीत किया जा रहा यह असत् पदार्थमें सत्पनेको कहनेवाला सभी विपर्ययज्ञान है। आचार्य—ग्यारहवीं कारिकामें पन्द्रहवीं कारिकामें पहिले सत्त्वमें असत्को कहनेवाला विपर्ययज्ञान कहा जा चुका है। किन्तु असत्त्वमें पूर्णरूपसे या एक देशसे सत्पनेको जाननेवाला यह विपर्ययज्ञान पूर्वोक्तसे विपरीत ( विभिन्न ) है। सत्त्वको असत् कहनेवाली पहिली प्रक्रियाको विपरीत ( उल्टा ) कर यहां असत्को सत् कहनेवाली प्रक्रियामें सभी बाधित कर सकते हो।



सति प्राज्ञप्राहकभावादी संबिदद्वैताद्यालम्बनेन तत्सत्त्वबचनसप्तणाद्विपर्ययात्पूर्वो-  
क्ताद्विपरीतत्वेनासति प्रतीत्यारूढे प्राज्ञप्राहकभावादी सौत्रान्तिकाद्युपबर्णिते सत्त्वबचनं  
विपर्ययः प्रपञ्चतोऽवबोद्धव्यः ।

प्राज्ञप्राहकभाव, कार्यकारणभाव, स्यात्परयापकभाव, सूत्रमद्युक्तभाव, सामान्यविशेषभाव,  
आदिक धर्मोंके होनेपर भी सम्वेदन अद्वैत, प्रज्ञ अद्वैत, शब्द अद्वैत, आदिका पक्ष ग्रहण कर लेनेसे  
उन प्राज्ञप्राहकभाव आदिकी असत्ताको कथन करना इस प्रकार लक्षणवाले पूर्वमें कहे गये विपर्यय  
ज्ञानसे यह निम्नलिखित आहार्य ज्ञान विपरीत हो करके प्रसिद्ध है । सौत्रान्तिक, बौद्ध, नैयायिक,  
मीमांसक, जैन आदि विद्वानोंकरके कथन किये गये प्राज्ञप्राहकभाव, कार्यकारणभाव, बाध्यवाचक  
भाव, आदि धर्मोंके प्रतीतिमें आरूढ नहीं होते सन्ते भी पुनः उनकी सत्ताका कथन करना  
विपर्ययज्ञान है । यह परमतकी अपेक्षा कथन है । अद्वैतवादियोंके शास्त्रोंमें असत्को सत् कहनेवाले  
ज्ञान विपर्ययरूपसे माने गये हैं । अन्य भी दृष्टान्त देकर विस्तारसे असत्में सत्को जाननेवाले ज्ञान  
विपर्यय समझ लेने चाहिये । यहाँ भी पूर्वोक्त रचनाके समान असत् पदार्थमें पूर्णसे और एकदेशसे  
सत्त्ववाद लगाकर दृष्टान्त बना लेने चाहिये । सम्पूर्ण पदार्थ सर्वथा निव्य नहीं हैं । उनको अपने  
शास्त्रों द्वारा सर्वथा निव्य कहे जाना तथा आत्माका आकाशके समान परम महापरिमाण नहीं होते  
हुये भी इनको सर्वत्र न्यापक कहनेवाले शास्त्रोंपर अद्वान कर बैसा जानना आदि विपर्ययज्ञान है ।  
सुदेव सुगुरुके नहीं होते हुये भी कुदेव और कुगुरुमें सुदेव सुगुरुपनेका निश्चय कर बैठना  
श्रुतविपर्यय है ।

पचमाहार्यं श्रुतविपर्ययमुपदर्श्य श्रुतसंशयं भूतानध्यवसायं चाहार्यं दर्शयति ।

इस प्रकार उक्त ग्रन्थद्वारा श्रुतज्ञानके आहार्य हो रहे विपर्ययरूप मिथ्याज्ञानको दिखला-  
कर अब श्रुतज्ञानके आहार्यसंशयको और श्रुतज्ञानके यों ही मन लगे होनेवाले आहार्य अनध्यव-  
सायको श्री विधानम् आचार्य दिखलाते हैं, सो सुनिये । "बाधकार्त्तानोत्पलेच्छाजन्यं ज्ञानमाहार्यं" ।

सति त्रिविप्रकृष्टार्थे संशयः श्रुतिगोचरे ।

केपांचिद्दृश्यमानेऽपि तत्त्वोपप्लववादिनाम् ॥ १८ ॥

तथानध्यवसायोऽपि केपांचित्सर्ववेदिनि ।

तत्त्वे सर्वत्र वागोचराहार्यो ह्यवगम्यताम् ॥ १९ ॥

देश, काल, स्वभाव इन तीनसे व्यवहित हो रहे अर्थके शास्त्रद्वारा विषय किये जानेपर  
अथवा किन्हीं अतीन्द्रियदर्शी विद्वानोंकी आत्मामें प्रत्यक्षज्ञानके विषय किये जानेपर त्रिविप्रकृष्ट पदा-

धीका सद्भाव होते हुए भी बौद्धादिकोंके यहां उन त्रिविप्रकृष्ट अर्थोंमें जो संशय ज्ञान हो रहा है, यह आहार्य संशयज्ञानरूप श्रुतज्ञान है। तथा किन्हीं तत्त्वोपपन्नवादी विद्वानोंके यहां प्रत्यक्ष ज्ञानद्वारा देखे जा रहे पृथ्वी, जल, वादि पदार्थोंमें भी तत्त्वोंके उपपन्न (अव्यवस्थित) बादका अप्रह्व ज्ञान जानेसे शास्त्रोंद्वारा संशयज्ञान करा दिया जाता है। अर्थात्—बौद्ध विद्वान् त्रिविप्रकृष्ट पदार्थोंके सद्भाव का निर्णय नहीं करते हैं। तथा अपने शास्त्रोंद्वारा सुमेरु, स्वयम्भूरमण, राम, रावण, परमाणु, आकाश, आदि पदार्थोंका सर्वथा निषेध भी नहीं करते हैं। अदृष्ट पदार्थोंमें एकान्तरूपसे संशय ज्ञानकी करा रहे हैं, “एकांतनिर्णयात् परं संशयः”। हार जाना, अपमान हो जाना, अनुत्तीर्ण होना, इत्यादिक कार्योंमें एकांतनिर्णयसे संशय बना रहना कहीं अच्छा है”, इस नीतिके अनुसार संशयवादी बौद्धोंने त्रिविप्रकृष्ट अर्थमें अपने शास्त्रोंके अनुसार संशय ज्ञान कर लिया है। और तत्त्वोपपन्नवादियोंने स्वकीयशास्त्रग्रन्थ मिथ्यावाचनाद्वारा प्रत्यक्ष योग्य पदार्थोंमें भी संशयज्ञान ठान लिया है। तिसी प्रकार किन्हीं विद्वानोंके यहां सर्वज्ञ तत्त्वके विषयमें संशयज्ञान और अनप्यवसाय ज्ञान भी हो रहा है। “सर्वज्ञ है या नहीं” इस विषयका अभीतक उनको शास्त्रोंमें संशय रखना ही उपदिष्ट किया है। कोई कोई तो सर्वज्ञका अज्ञानसीखा अनप्यवसायज्ञान होना अपने शास्त्रोंमें मान बैठे हैं। नास्तिकवादी या विध्वंसकान्तवादी तो सभी तत्त्वोंमें अनप्यवसाय नागका मिथ्याज्ञान किये बैठे हैं। उक्त कहे गये सभी श्रुतज्ञानके संशय, विपर्यय, अनप्यवसायोंमें बचनके द्वारा विषय हो रहा। आहार्यज्ञान कहा गया है, यह समझ लेना चाहिये। क्योंकि वक्ता या शास्त्र ही शब्दों द्वारा कहे जाने योग्य श्रुतज्ञानको मिथ्याज्ञानियोंके प्रति अकार उपदिष्ट कर सकता है। छिदित या उक्त बचनोंके बिना शब्दाकारणमें हुई ईच्छासे उत्पन्न होनेवाला आहार्यज्ञान बन नहीं सकता है।

श्रुतविषये देशकालस्वभावविप्रकृष्टार्थे संशयः सौगतानामदृश्यसंशयैकान्तवादाव-  
लम्बनान्नाहार्योऽवसेयः। पृथिव्यादी दृश्यमानेऽपि संशयः केषांचित्त्वोपपन्नवादावहृत्मात्।  
सर्वत्रेदिनि पुनः संशयोऽनध्यवसायश्च केषांचिद्विपर्ययवादाहार्योऽवगम्यताम् सर्वज्ञाभाव-  
वादावसेपास्तसर्वत्र वा तत्त्वे केषांचिदन्वयोऽनध्यवसायः। संशयविपर्ययवत् “तर्कोऽपतिष्ठः  
श्रुतयो विधिना नासौ मुनिर्यस्य वचः प्रमाणं। धर्मस्य तत्त्वं निहितं पुहार्या महानजो येन  
गतः सपन्थाः” इति प्रकायमात्राश्रयणात्। तथा मन्त्रापिना स्वोक्तामतिष्ठानात् तत्त्वतिष्ठाने  
वा तथा बचनविरोधादित्युक्तमायं।

सर्वज्ञोक्त श्रुतद्वारा निषय किये गये देशव्यवहित, कालव्यवहित, और स्वभावव्यवहित अर्थोंमें बौद्ध जनोंको अदृश्य हो रहे पदार्थोंमें संशय होनेके एकान्तवादका पक्ष प्रदृष्ट कर लेनेसे आहार्य श्रुतसंशय हो रहा समझ लेना चाहिये। तथा परिदृश्यमान भी पृथ्वी आदि तत्त्वोंमें किन्हीं किन्हीं विद्वानोंके यहां तत्त्वोपपन्नवादका कदाप्रह्व हो जानेसे संशयज्ञान बन बैठता है। फिर प्रमाण सिद्ध सर्वज्ञमें किन्हीं मीमांसकोंके एकदेशी पण्डितोंके यहां सर्वज्ञाभावको कहनेवाले पक्षका गाढ़ छेप

हो जानेसे विपर्यय ज्ञानके समान संशय और अनप्यवसाय अज्ञान भी आहार्य हो रहे जान लेने चाहिये । अथवा " सर्वत्रेदिनि तरेरे " का अर्थ सर्वज्ञ नहीं कर ज्ञानके द्वारा जाने जा रहे सम्पूर्ण तत्त्व इस प्रकार अर्थ करनेपर यों व्याख्यान कर लेना कि सम्पूर्ण जीव, पुद्गल आदि तत्त्वोंके प्रमाणसिद्ध होनेपर किन्हीं लौकायतिक या तीम मिथ्यादृष्टिके यह। इस वदपमाण कोरे प्रळाप (बकवाद) का मात्र आसरा ले लेनेसे संशय और विपर्ययके समान अन्य अनप्यवसाय ज्ञान भी सम्पूर्ण तत्त्वोंके विपर्ययमें उत्पन्न जाना है । वह मूल अगामिक, नास्तिक, जनोका निरर्थक वचन इस प्रकार है कि तर्कशास्त्र या अनुमान कोई सुव्यवस्थित नहीं है, जिससे कि तत्त्वोंका निर्णय किया जाय । नित्यपन अनित्यपन आदिके समर्थन करनेके लिये दिये गये कापिल, बौद्ध आदिके अनुमानोंका परस्परमें विरोध है । वेदकी श्रुतियाँ भी परस्परविरुद्ध हिंसा, अहिंसा, सर्वज्ञ, सर्वज्ञामात्र, विधि, नियोग, मात्रना आदि विभिन्न अर्थोंको कह रही हैं । कोई बौद्ध ( बुद्ध ) कणाद, कपिल, अथवा जिनेन्द्र आदिक ऐसा मुनि नहीं हुआ, जिसके कि वचन प्रमाण मान लिये जाय । धर्मका तत्त्व अंधेरी गुफामें छिपा हुआ रखा है । अतः बड़े बड़े महान् पुरुष जिस मार्गसे जा चुके हैं वही मार्ग है । महाभारत प्रथम अध्यायमें वेदव्यासजीने " कः पन्थाः " इस प्रकार राक्षसके जल पी लेनेकी शर्तमें प्रश्न करनेपर युधिष्ठिरके द्वारा " तर्कोऽप्रतिष्ठः " यह श्लोक कहवाया है । आचार्य सिद्धान्त अनुसार तिस प्रकार प्रळाप करनेवालोंके यह। अपने द्वारा कहे गये तत्त्वकी भी प्रतिष्ठा नहीं हो पाती है । अथवा फिर भी बनने अभीष्ट हो रहे उन पृथ्वी, आदिक दृश्य तत्त्वोंको ही मानना परलोक, आत्मा, पुण्य, पाप, आदिको नहीं मानना इस सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा करोगे जो कि तर्क, शास्त्र ( घृहस्पति सूत्र ) घृहस्पति, लौकिक धर्म, लोकाप्रसिद्धव्याप्तिके मान लेनेपर ही पुष्ट होता है । तब तो तिस प्रकारके तर्कनियेय, शास्त्रनिषेध, आसमुनिनिषेध, और धर्मकी प्रच्छन्नता, इस अपने वचनका विरोध हो जायगा, इस बातको हम प्रायः अनेक बार कह चुके हैं । यहाँ यह कहना है कि नास्तिकवादकी ओर झुकानेवाले उक्त प्रळापमात्रका अवलम्ब लेकर कोई कोई पुरुष जाय, अजीव, स्वर्ग, पुण्य, पाप, तत्त्वा, मोक्ष, आदि तत्त्वोंमें आहार्य श्रुत अनप्यवसाय नामक कुज्ञानको चलाकर उत्पन्न कर लेने हैं, जैसे कि आहार्यसंशय और विपर्ययस्वरूप कुश्रुतज्ञान प्रसिद्ध हैं ।

सन्प्रति मतिज्ञानविपर्ययसहजमावेदयति ।

श्रुत अज्ञानके बढारकारसे चलाकर इच्छ पूर्वक होनेवाले विपर्यय, संशय, और अनप्यवसायको उदाहरणपूर्वक दिखाकर अब वर्तमानमें मतिज्ञानके परोपदेश विना ही स्वतः होनेवाले सहज विपर्ययका स्पष्टज्ञान आचार्य महाराज कराते हैं, सो समझियेगा ।

ब्रह्माद्यवग्रहाद्यष्टचत्वारिंशत्सु वित्तिषु ।

- कुतश्चिन्मतिभेदेषु सहजः स्याद्विपर्ययः ॥ २० ॥

बहु, अर्बु आदि बारह विषयभेदोंको जाननेवाले अत्रप्रह, ईशा, आदि चार छानोंकी अपेक्षासे ड़ुयी अङ्गनालीस मतिज्ञानकी भेदस्वरूप बुद्धियोंमें किसी भी कारणसे निसर्गजन्म विपर्यय ज्ञान हो जाता है। जैसे कि आलके पठकमें घोड़ी अंगुली गाढकर देखनेसे एक चन्द्रमाके दो चन्द्रमा दीखने लग जाते हैं। देरी हथेडीपर चनाके बनावर गोलीको रखकर सीधे हाथकी तर्जनीपर मध्यमा अंगुलीको चढाकर दोनों अंगुलियोंके पोट्टाओंके अत्रमागसे गोलीको घुमानेपर स्पर्शन प्रयत्नद्वारा एक गोलीकी दो गोळियां जानी जाती हैं। चाकचक्रय, फामळ, भमीके वश होकर नेत्रों द्वारा सीपमें चाँदीका ज्ञान, शुक्ल पदार्थको पीळा समझना, स्थिर पदार्थोंका घूमते हुये दर्शन होना आदिक सहज कुप्रतिज्ञान हैं। परोपदेशके अतिरिक्त अन्य कारणोंसे उपज जाना "निसर्गज" कहलाता है। यों कारणके बिना तो कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। सहज और आहार्य सद्, अन्य दर्शनोंमें प्रसिद्ध हैं।

स्मृतावननुभूतार्थे स्मृतिसाधर्म्यसाधनः ।

संज्ञायामेकताज्ञानं सादृश्ये स्थूलदर्शिनः ॥ २१ ॥

सूत्रकारने स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, चिन्ता ( व्याप्तिज्ञान ) और स्वार्थानुमान भी मतिज्ञानके प्रकार बतवाये हैं। अतः स्मृति आदिकोंका भी सहज विपर्ययज्ञान इस प्रकार समझ लेना कि पहिले कालोंमें नहीं अनुभव किये जा चुके अर्थमें स्मरण किये गये पदार्थके समानधर्मपनेको कारण मानकर स्मृति हो जाना, स्मरणज्ञानका सहजविपर्यय है। जैसे कि अनुभव किये गये देवदत्तके समान धर्मवाले होनेके कारण जिनदत्तमें देवदत्तकी स्मृति कर बैठना सहज कुस्मृतिज्ञान है। और संज्ञास्वरूप प्रत्यभिज्ञानमें यों समझिये कि स्थूलदृष्टिवाले पुरुषको सहजता होनेपर एकताका ज्ञान हो जाना प्रत्यभिज्ञानका सहजविपर्यय है। जैसे कि समान आकृतिवाले दो माइयोंमेंसे इन्द्रदत्तके सदृश जिनचन्द्रमें " यह वही इन्द्रदत्त है " इस प्रकार एकत्व प्रत्यभिज्ञान हो जाता है, यह एकत्वप्रत्यभिज्ञानका सहजविपर्यय है।

तथैकत्वेऽपि सादृश्यविज्ञानं कस्यचिद्भवेत् ।

स विभवाद्दतः सिद्धश्रिंतायां लिङ्गलिङ्गिनोः ॥ २२ ॥

तथा एकपना होते हुये भी किसी मिथ्याज्ञानी जीवके सहजपनेको जाननेवाला प्रत्यभिज्ञान हो जाय वह सादृश्यप्रत्यभिज्ञानका विपर्यय है। जैसे कि उसी इन्द्रदत्तको इन्द्रदत्तके सदृश जिनचन्द्र समझ लेना। यों आन्तिज्ञान हो जानेके अनेक कारण हैं। उनके द्वारा उक्त विपर्ययज्ञान, उपज जाते हैं। तथा साधन और साध्यके सम्बन्धमें बाधासहितरतन या निष्कलप्रवृत्तिका जनकपन रूप विसम्बाद हो जानेसे सर्वज्ञानमें यह विपर्ययज्ञान हो जाना प्रसिद्ध है। जैसे कि गर्भमें स्थित हो

रहे पाँचवें पुत्रका गौरवर्ण ( गौरा रंग ) होते हुये भी “ जितने कुछ मित्रा कीके पुत्र हैं वे सब श्याम हैं, ” इस प्रकार दृश्यमान चार पुत्रोंके अनुसार व्शति बना लेना कुचिंताज्ञान है । जहाँ जहाँ अग्नि होती है, वहाँ वहाँ घूम होता है, यह भी अयोगोक्त या अंगारमें विसम्वाद हो जानेसे व्याप्तिज्ञानका विपर्यय है ।

**हेत्वाभासबलाज्ज्ञानं लिङ्गिनि ज्ञानमुच्यते ।**

**स्वार्थानुमाविपर्यासो बहुधा तद्धियां मतः ॥ २३ ॥**

हेतु नहीं किन्तु हेतुसमान दीखरहे हेत्वाभासोंकी सामर्थ्यसे जो साध्यविषयक ज्ञान हो रहा कहा जाता है, वह बहुत प्रकारका उस अनुमानकी जाननेवाले विद्वानोंके यहाँ स्वार्थानुमानका विपर्यय माना गया है । जब कि भेदप्रभेद रूपसे बहुत प्रकारके हेत्वामास हैं, तो तज्जन्म अनुमानामास बहुत प्रकारके होंय यह समुचित ही है । जैसे कि वक्तृपन इस अस्तित्वसे श्री अर्हंत देवमें सर्वज्ञपनके अभावको जान लेना अनुमानस्वरूप मतिज्ञानका विपर्यास है । अर्हन् ( पक्ष ) सर्वज्ञो नास्ति ( साध्यपक्ष ) वक्तृवात्, पुरुषत्वाद्वा ( हेतु ) स्यात्पुरुषवत्त्वं ( इष्टान्त ) इत्यादिक ।

**कः पुनरसौ हेत्वाभासो यतो जायमानं लिङ्गिनि ज्ञानं स्वार्थानुमानविपर्ययः सहजो । मतिः स्मृतिसंज्ञाचिन्तानामिव स्वविषये तिमिरादिकारणवशादुपगम्यते, इति पर्यनुयोगे समासन्यासतो हेत्वाभासमुपदर्शयति ।**

यहाँ शिष्यका श्री विद्यानन्दगुरुजी महाराजके प्रति सविनय प्रश्न है कि महाराज बतलाओ यह हेत्वामास फिर क्या पदार्थ है ? जिससे कि साध्यको जाननेमें उत्पन्न हो रहा ज्ञान स्वार्थानुमानका सहज विपर्यय कहा जाय ? और जो मतिज्ञान, स्मरणज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, व्याप्तिज्ञान, इनके समान वह स्वार्थानुमानका विपर्यय भी अपने विषयमें तमारा, कामल आदि कारणोंके वशसे हो रहा स्वीकार करलिया जाय । इस प्रकार प्रतिपाद्यका समीचीन प्रश्न होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य संक्षेप और विस्तारसे हेत्वामासका प्रदर्शन कराते हैं ।

**हेत्वाभासस्तु सामान्यादेकः साध्याप्रसाधनः ।**

**यथा हेतुः स्वसाध्येनाविनाभावी निवेदितः ॥ २४ ॥ ;**

सामान्यस्वरूपसे विचार जाय तब तो “ साध्यको बढिया रीनिते नहीं साधनेवाला हेतु ” यह एक ही हेत्वामास कहा गया है । जैसे कि अपने साध्यके साथ अविनामाय रखनेवाला सद्धेतु, एक ही प्रकारका निवेदन किया गया है । अर्थात्—साध्यके साथ अविनामावीपन करके निश्चित किया गया जैसे सामान्य रूपसे सद्धेतु एक प्रकार है, उसी प्रकार अपने साध्यको अच्छे ढंगसे नहीं साधनेवाला हेत्वामास भी एक प्रकारका है । यही हमारा प्रश्नकारका सिद्धान्त है ।

त्रिविधोऽसावसिद्धादिभेदात्कैश्चिद्विनिश्चितः ।

स्वरूपाश्रयसंदिग्धाज्ञातासिद्धश्रतुर्विधः ॥ २५ ॥

हां, किन्हीं जैन विद्वानोंकरके यह हेत्वामास असिद्ध, विरुद्ध, और अनैकान्तिक इन भेदोंसे तीन प्रकारका विशेषरूपसे निश्चित किया गया है। तिनमें असिद्ध नामका हेत्वामास तो, स्वरूपासिद्ध, आश्रयासिद्ध, संदिग्धासिद्ध और अज्ञातासिद्ध इन भेदोंसे चार प्रकारका माना गया है। अस्तु।

तत्र स्वरूपतोऽसिद्धो वादिनः शून्यसाधने ।

सर्वो हेतुर्यथा ब्रह्मतत्त्वोपप्लवसाधने ॥ २६ ॥

उन असिद्ध हेत्वामासके भेदोंमें यादीके यहां स्वरूपसे असिद्ध हो रहा हेत्वामास इस प्रकार है कि जैसे शून्यवादको साधनेमें सभी हेतु स्वरूपासिद्ध हो जाते हैं। अथवा अद्वैत ब्रह्मको साधनेमें दिया गया प्रतिभासमानत्व हेतु अपने स्वरूपसे असिद्ध है। साध्यके साथ अविनाभाव रखते हुये हेतुका पक्षमें ठहरना स्वरूप है। जो कि अभावस्वरूप, अविचार्यमाणत्व, प्रतिभासमानत्व हेतुओंमें नहीं घटित होता है। तत्त्वोपप्लववादियों द्वारा तत्त्वोंका विचारके उत्तर कालमें प्युत हो जानेपनको साधनेके लिये प्रयुक्त किये गये सभी हेतु स्वरूपासिद्ध हैं। अर्थात्-विचार करनेपर निर्दोष कारकोंके समुदायकरके उत्पत्ति हो जानेसे, बाधारहितपनेसे, प्रवृत्ति सामर्थ्यसे, अथवा अन्य प्रकारोंसे, प्रमाण तत्त्व व्यवस्थित नहीं हो पाता है। प्रमाणके विना प्रमेयतत्त्वोंकी व्यवस्था नहीं। अतः- तत्त्वोपप्लव सिद्धान्त व्ययस्थित है। यह उपप्लववादियोंका अविचार्यमाणत्व हेतु प्रमाण, प्रमेय; आदि तत्त्वोंमें नहीं विद्यमान है। या विचार्यमाणत्व हेतु तत्त्वोपप्लवमें घटित नहीं होता है। अतः स्वरूपासिद्ध हेत्वामास है। यत्ते हेत्वमासः स्वरूपासिद्धिः ॥

सत्त्वादिः सर्वथा साध्ये शद्धभंगुरतादिके ।

स्याद्वादिनः कथांचिन सर्वथैकान्तवादिनः ॥ २७ ॥

बौद्धोंके द्वारा शद्धमें सर्वथा क्षणमङ्गुरपता, अणुपना, असाधारणपना, आदिके साध्य करनेपर दिये गये सत्त्व, कृतकत्व, आदिक हेतु स्वरूपासिद्ध हैं। सभी प्रकारोंसे क्षणिकपन, अणुपन, घटाधारणपनके एकान्तपक्षका कथन करनेवाले बौद्धोंके ये हेतु असंश्लेष हैं। हां, कर्षचिद क्षणिकपन आदिको साध्य करनेके लिये दिये गये स्याद्वादियोंके यहां सत्त्व आदिक हेतु तो स्वरूपासिद्ध हेत्वामास नहीं हैं, किन्तु समीचीन- हेतु हैं।

शद्धाद्विनश्वराद्धेतुसाध्ये चाऽकृतकादयः ।

हेतवोऽसिद्धतां यान्ति बौद्धादेः प्रतिवादिनः ॥ २८ ॥

न निर्विकल्पकाध्यक्षादस्तिहेतोर्विनिश्चयः ।

तत्पृष्ठजाद्विकल्पाच्चावस्तुगोचरतः क्व सः ॥ ३६ ॥

अनुमानान्तराद्धेतुनिश्चये चानवस्थितिः ।

परापरानुमानानां पूर्वपूर्वत्र वृत्तितः ॥ ३७ ॥

संदिग्धासिद्धको वदकर अब चौथे अज्ञातासिद्धको कहते हैं । यद्यपि हेतु विद्यमान हो रहा है । फिर भी प्रतिवादिके द्वारा यदि नहीं जाना जा रहा है, ऐसे प्रकरणमें वद हेतु अज्ञातासिद्ध हेत्वाभास निर्णोत किया जाता है । जैसे कि बौद्ध आदि विद्वानोंके द्वारा अपने अर्थात् हेतु हेत्वाणीकृत्य आदिक साध्यको साधनेमें प्रयुक्त किये गये सत्त्व, परिशुद्धेयत्त्व, आदिक सभी हेतु अज्ञातासिद्ध हेत्वाभास हैं । अथवा सौगतकी अनेकाने वे हेतु सभी हेत्वाभास हैं । क्योंकि निर्विकल्पक प्रत्यक्षसे तो हेतुका विशेषरूपसे निश्चय होना नहीं है । बौद्धोंके यदा प्रत्यक्षज्ञान निश्चय इति को नहीं करा सकनेवाला माना गया है । और उस निर्विकल्पक ज्ञानके पश्चात् उत्पन्न हुये विकल्पक ज्ञानसे भी हेतुका निश्चय नहीं हो सकता है । क्योंकि विकल्पकज्ञान वस्तुमूल अर्थको विषय नहीं कर पाता है । ऐसी दशामें बौद्ध प्रतिवादियोंको मला नैयायिकोंके सत्त्व आदि हेतुओंका वह निश्चय कहाँ हुआ ! यदि अन्य अनुमानोंसे हेतुका निश्चय होना माना जायेगा तो बौद्ध अनवस्था दोष उठा देंगे । क्योंकि व्याप्ति प्रदृग्के लिये अथवा अनुमानमें पडे हुये हेतुओंका निश्चय करनेके लिये उत्तरोत्तर होनेवाले अनेक अनुमानोंकी पूर्व पूर्वके हेतुओंको जाननेमें धारावाहिनी प्रवृत्ति होवेगी, यह अनवस्था दोष हुआ । अतः जिस हेतुको प्रतिवादी नहीं जान सकता है वह वादीके उपर अज्ञातासिद्ध हेत्वाभासका उद्भावन कर देता है । न्याय कहता है कि हेतुका ज्ञान तो प्रतिवादीको अवश्य करा दिया जाय । “ पक्षवृत्तिहेतुविषयकज्ञानामावोऽज्ञातासिद्धिः ” ।

ज्ञानं ज्ञानान्तराध्यक्षं वदतोनेन दर्शितः ।

सर्वो हेतुरविज्ञातोऽनवस्थानाविशेषतः ॥ ३८ ॥

नैयायिक कहते हैं “ आत्मसमवेतानन्तरज्ञानप्राप्त्यर्थं ज्ञानं ” आत्मामें समवाय संबन्धसे उत्पन्न हुये अभ्यवहित उत्तर कालवर्ती ज्ञानके द्वारा पूर्वक्षणवर्ती अर्थ ज्ञानको जानलिया जाता है । “ ज्ञानं ज्ञानानन्तरत्वेयं प्रमेयत्वात् घटवत् ” । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार पूर्वज्ञानका अभ्य ज्ञानके द्वारा प्रायश्च हो जाना कहनेवाले नैयायिकका हेतु भी अज्ञातासिद्ध है, यह इस उक्त कथन फाके दिखला दिया गया है । क्योंकि पक्षमें पडे हुये ज्ञानको जाननेके लिये और हेतुस्वरूप ज्ञान

प्रमेयको जाननेके लिये स्वयं वही ज्ञान तो समर्थ नहीं है। अन्य ज्ञानोंकी कल्पना करते करते उसी प्रकार नैयायिकोंके यहां अनवस्था दोष आता है। कोई अन्तर नहीं है।

**अर्थापत्तिपरिच्छेद्यं परोक्षं ज्ञानमादृताः ।**

**सर्वं येतेऽप्यनेनोक्ता स्वाज्ञातासिद्धहेतवः ॥ ३९ ॥**

मीमांसक जन प्रत्यक्ष हो रही ज्ञातता करके करणज्ञानको अर्थापत्ति द्वारा जानते हैं। मीमांसकोंके यहां कारण आत्मक प्रमाण ज्ञान परोक्ष सादर माना गया है। अतः अर्थापत्ति द्वारा जानने योग्य परोक्ष ज्ञानका जो आदर किये हुये बैठे हैं, ये मीमांसक भी इस उक्त कथन करके दोष युक्तता प्रतिपादन करनेवाले कह दिये गये हैं। उन नैयायिक और मीमांसकोंके द्वारा ज्ञानको जाननेके लिये दिये गये हेतु तो स्वयं उनके ही द्वारा ज्ञात नहीं हैं। मठा प्रतिवादीको क्या ज्ञात होंगे ! अतः परिच्छेद्यत्व या ज्ञातता आदिक हेतु अज्ञातासिद्ध हेत्वाभास है।

**प्रत्यक्षं तु फलज्ञानमात्मानं वा स्वसंविदम् ।**

**प्राज्ञया करणज्ञानं व्यर्थं तेषां निवेदितं ॥ ४० ॥**

जिन प्रमाकर मीमांसकोंके यहां फलज्ञान तो प्रत्यक्ष माना गया है, और प्रमितिके कारण हो रहे प्रमाणज्ञानको परोक्ष मानलिया है, अथवा जिन मठ मीमांसकोंके यहां प्रमिति कर्ता आत्माका तो स्वतन्त्रेण प्रत्यक्ष हो जाना इष्ट किया है, और प्रमाणज्ञानको परोक्ष माना है, उन मीमांसकोंके यहां प्रमाके पूर्वमें करणज्ञानका व्यर्थ ही निवेदन किया गया है। क्योंकि परोक्ष करणज्ञानके बिना भी अर्थका प्रत्यक्ष हो जाना प्रत्यक्ष हो रहे आत्मा या फलज्ञानसे बन जाता है। यदि कारणके बिना क्रियाकी निश्चिन्ता नहीं होती है, अतः परोक्ष भी करणज्ञानकी मध्यमें कल्पना करोगे तब तो आत्मा या फलज्ञानको प्रत्यक्ष करनेमें भी न्यारा करणज्ञान मानना पडेगा। किन्तु मीमांसकोंने कारणके बिना भी उक्त प्रत्यक्ष होते हुये मान लिये हैं। अब अर्थकी प्रमिति करनेमें भी परोक्ष करणज्ञान मानना व्यर्थ ही पडना है। अतः परोक्षज्ञानकी सिद्धि करनेमें दिये गये हेतु भी अज्ञातासिद्ध हेत्वाभास है।

**प्रधानपरिणामत्वादचेतनमितीरितम् ।**

**ज्ञानं यैस्ते कथं न स्युरज्ञातासिद्धहेतवः ॥ ४१ ॥**

कविठ मत अनुयायियोंने आत्माका स्वभाव चैतन्य माना है और बुद्धिको जड़ प्रकृतिका निवर्त इष्ट किया है, ऐसी दशामें साहचर्यने अनुमान “ ज्ञानमचेतनं प्रधानपरिणामित्वाद् घटवत् ” कहा है। अर्थात्—ज्ञान ( पक्ष ) अचेतन है ( साध्य ) सत्त्वगुण रजोगुण और तमोगुणकी



बौद्ध नैयायिक आदि प्रतिवादियोंके यहां हेतु द्वारा शब्दका विनयपरना साध्य करनेमें बोधे गये अकृतकपन, प्रप्रभिद्वायमानपन आदिक हेतु असिद्धपनेको प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात्—शब्दके विनयपरनकी अपेक्षा कर (स्पृष्ट छोपे पञ्चमी) प्रयुक्त किये गये अकृतकपन आदि हेतु सो प्रतिवादियोंके असिद्ध होनामास है। शब्दमें निरूपण सिद्ध करनेके लिये बौद्धोंके प्रति यदि अकृतकपन हेतु कहा जायगा, तो बौद्ध उस हेतुको स्वरूपासिद्ध ठहरा देंगे।

**जैनस्य सर्वथैकान्तधूमवत्त्वादयोऽग्निषु ।**

**साध्येषु हेतवोऽसिद्धा पर्वतादौ तथामितः ॥ २९ ॥**

पर्वत, महानस आदि पक्षोंमें अग्निषुके साध्य करनेपर सर्वथा एकान्तरूपसे धूमसहितपन सर्वथा उष्णसहितपन आदिक हेतु तो जैनोंके यहां असिद्ध होनामास हो जाते हैं। क्योंकि पर्वत सभी अवयवोंमें एकान्तरूपसे धूमवाला नहीं है। सच पूछो तो अखंड रेखावाला धूम तो पर्वतके ऊपर आकाशमें है। तथा धूमके अतिरिक्त अन्य दूग, तरु, पर्यर भी पर्वतमें विद्यमान हैं। अतः जैनोंके प्रति कहा गया सर्वथा धूमवत्त्व हेतुस्वरूपासिद्ध होनामास है। तथा पर्वतमें अग्निहेतुसे ही अग्निको साध्य करनेपर स्वरूपासिद्ध होनामास है। साध्यसम होनेसे हेतुका अविनाभावी स्वकीयरूप असिद्ध हो रहा है। जब अग्नि नामक साध्य असिद्ध है तो उसका पक्षमें ठहरना भी असिद्ध है।

**शब्दादौ चाक्षुषत्वादिरुभयासिद्ध इष्यते ।**

**निःशेषोऽपि यथा शून्यब्रह्माद्वैतप्रवादिनोः ॥ ३० ॥**

शब्द, रस आदि पक्षमें अग्निपरनकी साध्य करनेपर दिये गये चक्षु इन्द्रियद्वारा प्राप्त होना या अग्निका इन्द्रियकरके विषय हो जाना इत्यादिक हेतु तो यादी, प्रतिवादी दोनोंके यहां असिद्ध होनामास माने गये हैं। जैसे कि शून्यवादी और ब्रह्मा अद्वैतवादी दोनों वादी प्रतिवादियोंके यहां सभी हेतु दोनोंकी अपेक्षासे असिद्ध है। अर्थात्—चाहे शून्यवादी अपने अर्थात् मतको सिद्ध करनेके लिए ब्रह्म अद्वैतवादियोंके प्रति कोई भी हेतु प्रयुक्त करें, ब्रह्म अद्वैतवादी शून्यवादीके ऊपर असिद्ध होनामास दोष उठा देंगे। तथा शून्यवादी भी ब्रह्म अद्वैतवादीके हेतुको असिद्ध ठहरा देंगे। एक ही हेतु दोनोंके मत अनुसार स्वरूपासिद्ध हो जावेगा।

**वाद्यसिद्धौ प्रसिद्धौ च तत्र साध्यप्रसाधने ।**

**समर्थनविहीनः स्यादसिद्धः प्रतिवादिनः ॥ ३१ ॥**

उस प्रकरणमें साध्यको अन्ते प्रकार साध्यमें प्रसिद्ध हो जानेपर भी यदि हेतुप्रयोक्ता वादीके द्वारा जिस हेतुकी सिद्धि नहीं हुई है तो “हेतोः स्वसाध्येन व्याप्तिं प्रसाध्य पक्षे वृत्तिप्रदर्शनं समर्थनं”

हेतुकी साध्यके साथ व्याप्ति हो अन्यभिचार युक्त साधक पक्षमें वृत्ति दिखलादेना रूप समर्थन ऋरके विरहित होता हुआ वह हेतु प्रतिवादी विद्वान्के यहाँ असिद्ध हेत्वामास समझा जायगा। अतः यादीको उचित है कि प्रतिवादीके सन्मुख अपने इस हेतुका समर्थन करें। इस प्रकार कई ढंगसे स्वरूपासिद्ध हेत्वामासोंका यहाँ प्रतिपादन किया है। विशेषतः विद्वान् मन्यकी शुद्ध करते हुये अधिक प्रमेयकी वृत्ति कर लें। “ न हि सर्वः सर्ववित् ”।

हेतोर्यस्याश्रयो न स्यात् आश्रयासिद्ध एव सः ।

स्वसाध्येनाविनाभावाभावादगमको मतः ॥ ३२ ॥

प्रत्यक्षादेः प्रमाणत्वे संवादित्वादयो यथा ।

शून्योपप्लवशद्वाद्यद्वैतवादावलम्बिनां ॥ ३३ ॥

अब आश्रयासिद्धको कहते हैं कि जिस अनुमानमें पडे हुये हेतुका आश्रय ही सिद्ध नहीं होवे वह हेतु आश्रयासिद्ध हेत्वामास होगा। अपने साध्यके साथ अन्यथानुपपत्ति नहीं होनेके कारण वह हेतु अपने साध्यको नहीं समझानेवाला माना गया है। जैसे कि शून्य, तर्जोपप्लव, शब्द अद्वैत, प्रत्यक्ष अद्वैत, आदिके पक्ष परिप्रदका अथवा करनेवाले विद्वानोंके यहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान आदिको प्रमाणपना साधनेपर सन्वादीपन, प्रवृत्तिजनकपन, आदिक हेतु आश्रयासिद्ध हो जाते हैं। मावार्थ—नैवायिक या मीमांसक विद्वान् यदि शून्यवादी आदिके प्रति प्रत्यक्ष आदिकोंकी प्रमाणताको सन्वादीपन हेतुमें साधेंगे तो उनके सन्वादित्व हेतुपर शून्यवादीद्वारा आश्रयासिद्ध हेत्वामासपनेका उपात्तम दे दिया जायगा। ‘पक्षे पक्षतापक्षेदकाम भाव आश्रयासिद्धिः’। आश्रयासिद्धका वर्णन हो चुका, अब संदिग्धासिद्धको कहते हैं।

संदेहविषयः सर्वः संदिग्धासिद्ध उच्यते ।

यथागमप्रमाणत्वे रुद्रोक्तत्वादिरास्थितः ॥ ३४ ॥

संदेहका विषय जो हेतु है, वह सभी संदिग्धासिद्ध हेत्वामास कहा जाता है। जैसे कि आगमको प्रमाणपना साधनेमें दिये गये रुद्रके द्वारा कहा गयापन, शुद्धके द्वारा कहा गयापन, इत्यादिक हेतु संदिग्धासिद्धपने करके व्यवस्थित हो रहे हैं। क्योंकि प्रतिवादीके यहाँ आगमका रक्ष करके कहा गयापन और रुद्रोक्तमका प्रमाणपनके साथ अविनाभाव ये निर्णय नहीं है, संदिग्ध है। अब एव असिद्ध हैं। “ पक्षांशवृत्तेहेत्वमाससमविवपरं संदिग्धासिद्धिः ”।

सन्नप्यज्ञायमानोऽत्राज्ञातासिद्धो विभाव्यते ।

सौगतादेर्यथा सर्वः सत्त्वादिः स्वेषसाधने ॥ ३५ ॥

न निर्विकल्पकाध्यक्षादस्तिहेतोर्विनिश्चयः ।

तत्पृष्ठजाद्विकल्पाच्चावस्तुगोचरतः क सः ॥ ३६ ॥

अनुमानान्तराद्धेतुनिश्चये चानवस्थितिः ।

परापरानुमानाना पूर्वपूर्वत्र वृत्तितः ॥ ३७ ॥

संदिग्धासिद्धको कष्टकर अब चौथे अज्ञातासिद्धको कहते हैं । यद्यपि हेतु विद्यमान हो रहा है । फिर भी प्रतिवादिके द्वारा यदि नहीं जाना जा रहा है, ऐसे प्रकरणमें वद हेतु अज्ञातासिद्ध होवामास निर्णय किया जाता है । जैसे कि बौद्ध आदि विद्वानोंके द्वारा अपने अभीष्ट हो रहे ध्याणीकरण आदिक साध्यको साधनेमें प्रयुक्त किये गये सत्य, परिशुद्धेयाव, आदिक सभी हेतु अज्ञातासिद्ध होवामास हैं । अथवा सौगतकी अश्रामे वे हेतु सभी होवामास हैं । क्योंकि निर्विकल्पक प्रत्यक्षसे तो हेतुका विशेषरूपसे निश्चय होना नहीं है । बौद्धोंके यहाँ प्रत्यक्षज्ञान निश्चय छत्तिको नहीं करा सकनेवाला माना गया है । और उस निर्विकल्पक ज्ञानके पश्चात् उत्पन्न हुये विकल्पक ज्ञानसे भी हेतुका निश्चय नहीं हो सकता है । क्योंकि विकल्पकज्ञान वस्तुभूत अर्थको विषय नहीं कर पाता है । ऐसी दशामें बौद्ध प्रतिवादियोंको मल्ला नैयायिकोंके सत्य आदि हेतुओंका वह निश्चय कहा हुआ ? यदि अन्य अनुमानोंसे हेतुका निश्चय होना माना जावेगा तो बौद्ध अनवस्था दोष उठा देंगे । क्योंकि व्याप्ति प्रद्वयके लिये अथवा अनुमानमें पडे हुये हेतुओंका निश्चय करनेके लिये उत्तरोत्तर होनेवाले अनेक अनुमानोंकी पूर्व पूर्वके हेतुओंको जाननेमें धाराग्राहिनी प्रवृत्ति होवेगी, यह अनवस्था दोष हुआ । अनः जिस हेतुको प्रतिवादी नहीं जान सकता है वह वादीके ऊपर अज्ञातासिद्ध होवामासका उद्भावन कर देता है । न्याय कहता है कि हेतुका ज्ञान तो प्रतिवादीको अवश्य करा दिया जाय । “ पक्षवृत्तिहेतुविषयकज्ञानामावोऽज्ञातासिद्धिः ” ।

ज्ञानं ज्ञानान्तराध्यक्षं वदतोनेन दर्शितः ।

सर्वो हेतुरविज्ञातोऽनवस्थानाविशेषतः ॥ ३८ ॥

नैयायिक कहते हैं “ आत्मसमवेतानन्तरज्ञानप्राप्त्यर्थं ज्ञानं ” आराममें समयाय सबन्धसे उत्पन्न हुये अन्वयवहित उत्तर कालवर्ती ज्ञानके द्वारा पूर्वक्षणनर्ती अर्थ ज्ञानको जानलिया जाता है । “ ज्ञानं ज्ञानानन्तरवेद्यं प्रमेयत्वाद् घटत्वम् ” । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार पूर्वज्ञानका अन्य ज्ञानके द्वारा प्रत्यक्ष हो जाना कहनेवाले नैयायिकका हेतु भी अज्ञातासिद्ध है, यह इस तक कथन करके दिखला दिया गया है । क्योंकि पक्षमें पडे हुये ज्ञानको जाननेके लिये और हेतुस्वरूप ज्ञान

प्रनेयको जाननेके लिये स्वयं वही ज्ञान तो समर्थ नहीं है। अन्य ज्ञानोंकी कल्पना करते करते उसी प्रकार नैयायिकोंके यहां अनवस्था दोष आता है। कोई अन्तर नहीं है।

**अर्थापत्तिपरिच्छेद्यं परोक्षं ज्ञानमाहताः ।**

**सर्वं येतेऽप्यनेनोक्ता स्वाज्ञातासिद्धहेतवः ॥ ३९ ॥**

मीमांसक जन प्रत्यक्ष हो रही ज्ञातता करके करणज्ञानको अर्थापत्ति द्वारा जानते हैं। मीमांसकोंके यहां करण आत्मक प्रमाण ज्ञान परोक्ष सादर माना गया है। अतः अर्थापत्ति द्वारा जानने योग्य परोक्ष ज्ञानका जो आदर किये हुये बैठे हैं, वे मीमांसक भी इस उक्त कथन करके दोष युक्तका प्रतिपादन करनेवाले कह दिये गये हैं। उन नैयायिक और मीमांसकोंके द्वारा ज्ञानको जाननेके लिये दिये गये हेतु तो स्वयं उनके ही द्वारा ज्ञात नहीं हैं। भ्रम प्रतिवादीको क्या ज्ञात होंगे ! अतः परिच्छेद्यत्व या ज्ञातता आदिक हेतु अज्ञातासिद्ध हेत्याभास है।

**प्रत्यक्षं तु फलज्ञानमात्मानं वा स्वसंविदम् ।**

**प्राङ्मया करणज्ञानं व्यर्थं तेषां निवेदितं ॥ ४० ॥**

जिन प्रमाकर मीमांसकोंके यहां फलज्ञान तो प्रत्यक्ष माना गया है, और प्रमितिके करण होरहे प्रमाणज्ञानको परोक्ष मानलिया है, अथवा जिन भट्ट मीमांसकोंके यहां प्रमिति कर्ता आत्माका तो स्वतन्त्रेदन प्रत्यक्ष हो जाना इष्ट किया है, और प्रमाणज्ञानको परोक्ष माना है, उन मीमांसकोंके यहां प्रमाके पूर्वमें करणज्ञानका व्यर्थ ही निवेदन किया गया है। क्योंकि परोक्ष करणज्ञानके बिना भी अर्थका प्रत्यक्ष हो जाना प्रत्यक्ष हो रहे आत्मा या फलज्ञानसे बन जाता है। यदि करणके बिना क्रियाकी निष्पत्ति नहीं होती है, अतः परोक्ष भी करणज्ञानकी मध्यमें कल्पना करोगे तब तो आत्मा या फलज्ञानको प्रत्यक्ष करनेमें भी न्यारा करणज्ञान मानना पडेगा। किन्तु मीमांसकोंने करणके बिना भी उक्त प्रत्यक्ष होते हुये मान लिये हैं। अब अर्थकी प्रमिति करनेमें भी परोक्ष करणज्ञान मानना व्यर्थ ही पडता है। अतः परोक्षज्ञानकी सिद्धि करनेमें दिये गये हेतु भी अज्ञातासिद्ध हेत्याभास है।

**प्रधानपरिणामत्वादचेतनमितीरितम् ।**

**ज्ञानं यैस्ते कथं न स्युरज्ञातासिद्धहेतवः ॥ ४१ ॥**

कविठ मत अनुयायियोंने आत्माका स्वभाव चैतन्य माना है और बुद्धिको जड प्रकृतिका विरत इष्ट किया है, ऐसी दशामें सांख्योंने अनुमान " ज्ञानमचेतनं प्रधानपरिणामित्वात् घटवत् " कहा है। अर्थात्—ज्ञान ( पञ्च ) अचेतन है ( साध्य ) सरवगुण रजोगुण और तमोगुणकी

साध्य अवधारण प्रकृतिका परिणाम होनेसे ( हेतु ) जैसे कि घट ( अन्वयदृष्टान्त ) । इस प्रकार विन कापिञ्जेने प्रवान परिणामिद्वय, उदमचिदरर आदि हेतु रिये हैं ये हेतु मया अज्ञातासिद्ध हेत्वाभास क्यों नहीं हो जावेंगे ? जैन, मीमांसक, भैयायिक, आदि कोई भी प्रतिवादी विचारार्थानको प्रवानका परिणाम या उदमचिदररको अचेतनत्वके साथ व्याप्तिको नहीं जान चुका है । हेतुको जाने बिना साध्यकी ज्ञप्ति नहीं हो सकती है । इन प्रकार असिद्ध हेत्वाभासके चार भेदोंका निरूपण कर दिया गया है ।

प्रतिज्ञार्थैकदेशस्तु स्वरूपासिद्ध एव नः ।

शब्दो नाशी विनाशित्वादित्यादि साध्यसन्निभः ॥ ४२ ॥

जो हेतु प्रतिज्ञार्थका एकदेश होता हुआ असिद्ध हो रहा है । अर्थात्—पक्ष और साध्यके बचनको प्रतिज्ञा कहते हैं । निगमनसे पूर्वकाळतक प्रतिज्ञा असिद्ध रहती है । यदि कोई असिद्ध प्रतिज्ञाके विषयभूत अर्थके एकदेशपक्ष या साध्यको ही हेतु बना लेवे तो यह हेतु प्रतिज्ञार्थ एकदेश असिद्ध हो जाता है । यह दोष तो हम स्याद्वादियोंके यहां स्वरूपासिद्ध ही फह्रा जाता है । किन्तु यह कोई नियत हेत्वाभास नहीं है । पक्षके सामान्यको धर्म बनाकर और विशेषको हेतु बना लेवे पर यह सद्हेतु माना गया है । हाँ “ शब्दो नाशी विनाशित्वात् ” “ ज्ञानं प्रमाणं प्रमाणत्वात् ” शब्द ( पक्ष ) नाश होनेवाला है ( साध्य ), क्योंकि विनाशशील है ( हेतु ) । ज्ञान ( पक्ष ) प्रमाण है ( साध्य ) प्रमाण होनेसे ( हेतु ), इसदिक् स्थलोंपर साध्यको हेतु बना लेनेपर तो साध्यसम हेत्वाभास है । “ सध्वेनाविशिष्टः साधनीपरत्वात्साध्यसमः ” जो कि स्वरूपासिद्धमें ही गर्भित हो जाते हैं । जब कि शब्दमें नाशीपना सिद्ध नहीं है तो विनाशित्वपना हेतु शब्दमें स्वयं नहीं रहा । अतः विनाशित्व हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास है । “ पञ्चतावच्छेदकसामानाधिकरूप्येन हेत्वभासो भाषासिद्धिः । साध्यव्यप्यतावच्छेदकरहितो हेतुः सोपाधिको वा हेतुर्व्याप्यत्वासिद्धिः । ” यो भाषासिद्ध, व्याप्यत्वासिद्ध, व्यर्थविशेषगासिद्ध आदि भेद इन्हीं भेदोंमें गतार्थ हो जाते हैं । यहाँतक असिद्ध हेत्वाभासको फह्रा दिया है । अब विरुद्धहेत्वाभासको फह्राते हैं ।

यस्साध्यविपरीतार्थो व्यभिचारी सुनिश्चितः ।

स विरुद्धोऽवबोद्धव्यस्तथैवेष्टविधातकृत् ॥ ४३ ॥

सत्त्वादिः क्षणिकत्वादौ यथा स्याद्वादविद्विपां ।

अनेकान्तात्मकत्वस्य नियमात्तेन साधनात् ॥ ४४ ॥

जो हेतु या साध्यसे विपरीत अर्थके साथ व्याप्तिको रखता है, वह विरुद्ध हेत्वाभास समझना चाहिये। तिस ही प्रकार विरुद्धके साथ व्याप्त होनेके कारण वह हेतु इष्ट साध्यका विघात कर देता है। जैसे कि स्याद्वादका विशेष द्वेष करनेवाले बौद्धोंके द्वारा क्षणिकपन, असाधारणपन आदिको साधनेमें प्रयुक्त किये गये सत्त्व प्रमेयत्व आदिक हेतु विरुद्ध हैं। क्योंकि उन सत्त्व आदि हेतुओं करके नियमसे निय अनिष्टरूप या सामान्य विशेषरूप अनेक धर्म आत्मरूपनेकी सिद्धि होती है। अतः अभीष्ट साध्य हो रहे सर्वथा क्षणिकपनके विपरीत कर्माचित् क्षणिकपनके साथ व्याप्ति रखने वाळा होनेसे सत्त्वहेतु विरुद्ध है। विरुद्ध हेतु प्रायः व्यभिचार दोषवाले भी भले प्रकार निश्चित हो रहे हैं। व्यभिचार और विरुद्धका भाईचारेका नाता है। विपक्षमें रहना व्यभिचार है। साध्यसे विपरीतके साथ व्याप्ति रखनेवाला विरुद्ध है। अतः अनेक स्थलोंपर इन दोनों हेत्वाभासोंका संकर्म हो जाता है।

सामर्थ्यं चक्षुरादीनां मंहतत्वं प्रसाधयेत् ।

परस्य परिणामित्वं तथेतीष्टविघातकृत् ॥ ४५ ॥

अनुस्यूतमनीपादिसामान्यादीनि साधयेत् ।

तेषां द्रव्यविवर्तत्वमेवमिष्टविघातकृत् ॥ ४६ ॥

विरुद्धान्न च भिन्नोऽसौ स्वयमिष्टाद्विपर्यये ।

सामर्थ्यस्याविशेषेण भेदवादिप्रसंगतः ॥ ४७ ॥

चक्षु, रसना आदि इन्द्रियोंका संहतपना हेतु उनकी सामर्थ्यको भले प्रकार सिद्ध कर देवेगा, इस प्रकार काविषोंद्वारा मानी गयीं ग्यारह इन्द्रियोंका दृढरूपसे मिला जाना आत्माकी सामर्थ्यको साधता है, यह ठीक है। इन्द्रियां जो कार्य कर रही हैं वह आत्माकी सामर्थ्यसे कर रही हैं। किन्तु ऐसी दशामें दूसरे सांख्योंकी आत्मका परिणामीपन भी सिद्ध हो जावेगा। किन्तु सांख्योमें आत्माको कूटस्थ माना है। अतः तिस प्रकार अनुमान करनेपर वह हेतु सांख्योंके इष्ट हो रहे कूटस्थपनका विघात कर देता है। तथा अन्वयरूपसे ओत पोग हो रहीं बुद्धि आदिके सामान्य चेतनपन आदिको भी वह संहतपना हेतु साध देवेगा। वे बुद्धि, सुख आदिक स्वभाव आत्मद्रव्यके ही पर्याय हैं। अतः सांख्योंके इष्टसिद्धान्तका विघात करनेवाला वह हेतु हुआ। तिस कारण स्वयं सांख्यको इष्ट हो रहे साध्यसे विपर्ययको साधनेमें अभिमुख हो रहा वह हेतु विरुद्धहेत्वाभाससे भिन्न नहीं है। जिस पदार्थकी सामर्थ्यका परिवर्तन होगा रहता है, वह पदार्थ परिणामी है। सामर्थ्य और सामर्थ्यवान्में कोई विशेषता नहीं है। यदि शक्ति और शक्तिमान्में भेद माना जायगा तो आप सांख्योंको

भेदवादी नैयायिक या वैशेषिक ही जानेका प्रसंग होगा। अतः चक्षु आदिकोंकी नियम सामर्थ्यकी साधनेवाला संज्ञापना हेतु विरुद्धहेत्वामास है। न्यायशास्त्रके अन्तस्त्रलको जाननेवाले विशेषज्ञ विद्वान् यहाँ अर्थको परिशुद्ध कर लें। मैंने अपनी लघुबुद्धिद्वारा क्षयोपशम अनुसार वाक्योंका उप-  
स्कार कर अर्थ लिख दिया है।

विवादाध्यासितं धीमद्धेतुकं कृतकत्वतः ।

यथा शकटमित्यादि विरुद्धो तेन दर्शितः ॥ ४८ ॥

यथा हि बुद्धिमत्पूर्वं जगदेतत्प्रसाधयेत् ।

तथा बुद्धिमतो हेतोरनेकत्वशरीरिताम् ॥ ४९ ॥

स्वशरीरस्य कर्त्तात्मा नाशरीरोऽस्ति सर्वथा ।

कार्मणेन शरीरेणानादिसम्बन्धसिद्धितः ॥ ५० ॥

यतः साध्ये शरीरे स्वे धीमतो व्यभिचारता ।

जगत्कर्तुः प्रपद्येत तेन हेतोः कुतार्किकः ॥ ५१ ॥

बोध्योऽनैकान्तिको हेतुसम्भवान्नान्यथा तथा ।

संशीतिं विधिवत्सर्वः साधारणतया स्थितः ॥ ५२ ॥

ईश्वरको जगत्का कर्त्ता माननेवाले वैशेषिकोंका अनुमान है कि घड़ा, बख, किवाड़ आदि का तो चेतनकर्त्ता प्रसिद्ध ही है। किन्तु विवादमें प्राप्त हो रहे पृथ्वी, पर्वत, शरीर, सूर्य, चंद्रमा आदि पदार्थ भी ( पक्ष ) बुद्धिमान् चेतनको हेतु मानकर उत्पन्न हुये हैं (साध्य), अपनी उत्पत्तिमें दूसरोंके व्यापारकी अपेक्षा रखनेवाले कृतकभाव होनेसे ( हेतु ), जैसे कि गाड़ी ( अन्यदृष्टान्त )। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकारके उस नैयायिक या वैशेषिकद्वारा दिये गये अन्य भी कार्यत्व, अचेतनोपादानत्व, आदिक हेतु विरुद्धहेत्वामास दिखला दिये गये हैं। क्योंकि उक्त हेतु अपने अभीष्ट बुद्धिमान् कर्त्तापनेसे विपरीत कारणमात्र जन्मत्वके साथ व्याप्तिको धारते हैं। आप विचारिये कि त्रिम प्रकार बड़े हेतु इन जगत्को बुद्धिमान् कारणसे जन्मपना मझे प्रकार साधेगा, उसीप्रकार घट, पट, गाड़ी आदि दृष्टान्तोंकी सामर्थ्यसे उस बुद्धिमान् कारणके अनेकपन और शरीरसहितपनकी भी साधेगा, जो कि नैयायिकोंको इष्ट नहीं है। पहिले अन्य शरीरसे साहित होता हुआ ही आत्मा अपने शरीरका कर्त्ता होता है। शरीरसे रहित मुक्तात्मा तो सभी प्रकारोंसे अपने शरीरका कर्त्ता

नहीं है। कारण कि अनादिकावसे ज्ञानावरण आदि कर्मोंका समुदायस्वरूप कार्मण शरीरके साथ संसारी आत्माका सम्बन्ध हो जानेकी सिद्धि हो रही है। अतः उस जगत्को बनानेवाले बुद्धिमान्के अपने शरीरके साध्य करनेपर उस शरीरसे ही व्यभिचार दोष प्राप्त हो जाता है। अर्थात्—बुद्धिमान्ने जिस शरीरसे जगत्को बनाया वह शरीर बुद्धिमान्का बनाया हुआ नहीं है, किन्तु कृतक है। अतः हेतुका प्रयोक्ता नैयाधिक न्याय या तर्कको जाननेवाला नहीं है। वह कुतार्किक समझने योग्य है। उसका हेतु अनैकान्तिक हेत्वाभास है। अन्य प्रकारसे तिस प्रकार बुद्धिमान् पूर्वकपने के सिद्ध हो जानेकी सम्भावना नहीं है। अथवा विपक्षमें हेतुके वर्तनेकी सम्भावना हो जानेसे वह विरुद्ध हेतु अनेकान्तिक हेत्वाभास समझना चाहिये। अन्यथा विपक्षमें वृत्ति नहीं होनेपर तिस प्रकार अनेकान्तिक नहीं है। पक्षमें वृत्तिपनकी विधिके समान विपक्षमें वर्तनेके संशयको धारनेवाले समी हेतु साधारणपनेकरके व्यवस्थित हैं। साधारण, व्यभिचार, अनैकान्तिक, इन शब्दोंका अर्थ एक ही है।

शब्दत्वश्रावणत्वादि शब्दादौ परिणामिनि ।

साध्ये हेतुस्ततो वृत्तेः पक्ष एव सुनिश्चितः ॥ ५३ ॥

संशील्यालिङ्गिताङ्गस्तु यः सपक्षविपक्षयोः ।

पक्षे स वर्तमानः स्यादनैकान्तिकलक्षणः ॥ ५४ ॥

तेनासाधारणो नान्यो हेत्वाभासस्ततोऽस्ति नः ।

तस्यानैकान्तिके सम्यग्धेतौ वान्तर्गतिः स्थितिः ॥ ५५ ॥

प्रमेयत्वादिरेतेन सर्वस्मिन्परिणामिनि ।

साध्ये वस्तुनि निर्णीतो व्याख्यातः प्रतिपद्यतां ॥ ५६ ॥

शब्द आदिक पक्षमें परिणामीपन साध्य करनेपर दिये गये शब्दत्व, श्रावणइन्द्रिय द्वारा प्राद्यात्व, भाषावर्णानिष्पाद्यत्व, आदिक हेतु यदि पक्षमें ही साध्यके साथ अविनामावी होकर वृत्तिपनेसे मले प्रकार निश्चित हैं, तब तो वे सप्त सद्हेतु ही हैं। हां, जो सपक्ष और विपक्षमें वर्तनेके संशय करके जिन हेतुओंके शरीरका आळिगन कर लिया गया है, वह हेतु यदि पक्षमें वर्तमान होगा तो अनैकान्तिक हेत्वाभासके लक्षणसे युक्त समझा जावेगा। तिस कारण हम स्यादादियोंके यहां साधारण या अनैकान्तिकसे मिथ कोई दूसरा असाधारण नामका हेत्वाभास नहीं माना गया है। वैशेषिकोंके द्वारा माने गये उस असाधारण हेत्वाभासका अन्तर्भाव अनैकान्तिकमें अथवा समीचीन हेतुमें हो



जाता है। यह जैनोंकी व्यवस्था है। भावार्थ—वैशेषिकोंने अनैकान्तिक हेत्वामासके साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी, ये तीन भेद किये हैं। जो हेतु सपञ्च और विपक्षमें वर्त जाता है, वह साधारण है तथा जो सपञ्च और विपक्ष दोनोंसे व्यावृत्त है, वह असाधारण हेत्वामास है। जिसका अभाव नहीं हो सके ऐसे केवलान्वयी पदार्थको पक्ष बनाकर जो हेतु दिया जाता है, वह अनुपसंहारी है। प्रकरणमें यह कहना है कि असाधारण नामका हेत्वामास कोई नहीं है। विपक्षमें हेतुका नहीं रहना तो अशुभ ही है। हाँ, सपञ्चमें यदि हेतु नहीं रहता है तो कोई क्षति नहीं है, अत्रयदृष्टान्तके बिना भी सद्धेतु हो सकते हैं। तभी तो नव्य नैयायिकोंने इसको हेत्वामास नहीं माना है। इन कथन करके सम्पूर्ण वस्तुओंमें परिणामीपनको साध्य करनेपर दिये गये प्रमेयत्व, सत्त्व आदिक हेतु भी कोई अनुपसंहारी हेत्वामास नहीं हैं। उनका भी समीचीन हेतु या अनैकान्तिक हेत्वामासमें अन्तर्भाव हो जाता है। यह निर्णयरूपसे व्याख्यान कर दिया गया समझ लेना चाहिये। प्रथम ही आदिमें कही गयी सातवीं वार्तिकके माध्यमें "असाधारण" का विचार करा दिया है। साध्यके साथ अविनाभाव सम्बन्ध हो जाना ही सद्धेतुका प्राण है।

पक्षत्रितयहानिस्तु यस्यानैकान्तिको मतः ।

केवलव्यतिरेकादिस्तस्यानैकान्तिकः कथं ॥ ५७ ॥

व्यक्तात्मनां हि भेदानां परिमाणादिसाधनम् ।

एककारणपूर्वत्वे केवलव्यतिरेके वः ॥ ५८ ॥

कारणत्रयपूर्वत्वात्कार्येणानन्वयागते ।

पुरुषैर्व्यभिचारीष्टं प्रधानपुरूपैरपि ॥ ५९ ॥

जिस दार्शनिकके यथा पक्ष, सपञ्च, विपक्ष इन तीनों ही पक्षोंमें हेतुकी हानि यानी नहीं वर्तना अनैकान्तिकका लक्षण माना गया है, उस दार्शनिकके यहाँ केवलव्यतिरेक या केवलान्वयको धारणावाले कोई कोई हेतु अनैकान्तिक कैसे हो सकेंगे ? कविल मत अनुयायियोंने "भेदानां परिमाणात् सपञ्चयाच्छक्तिः प्रवृत्तेः । कारणकार्यविभागादविभागाद् वैश्वरूप्यस्य" इस कारिका द्वारा महत्त्व, अहंकार, पाच सम्भाव्ये, ग्याह इन्द्रियां और पांचमूत इन व्यक्तस्वरूप पदार्थोंका प्रकृतिस्वरूप एककारणसे अमिथग्यपना साधनेपर दिये गये भेदानां परिमाण, भेदानां सपञ्चय, आदिक हेतु कहे हैं। अर्थात्—महत् आदिक व्यक्त (पक्ष) एक ही कारणको पूर्ववर्ती मानकर प्रकट हुये हैं, (साध्य) परिमितपना होनेसे (हेतु)। यहाँ हेतुका सपञ्चयि, असमवायि, निमित्त, इन तीन कारणोंकरके पूर्वकपना होनेसे कार्यके साथ अन्वयव्यतिपत्ता प्राप्त हो जानेपर ये हेतु

तुम्हारे यहां केशवकल्पितेकी माने गये हैं । किन्तु पुरुषकरके तथा प्रकृति और आत्मा करके भी वे हेतु न्यमिचारी इष्ट किये गये हैं । अतः अनैकान्तिकका पूर्वोक्त लक्षण ठीक नहीं है ।

विना सपक्षसत्त्वेन गमकं यस्य साधनम् ।

अन्यथानुपपन्नत्वात्तस्य साधारणो मतः ॥ ६० ॥

साध्ये च तदभावे च वर्तमानो विनिश्चितः ।

संशीत्याक्रान्तदेशो वा हेतुः कात्स्न्यैकदेशतः ॥ ६१ ॥

सपक्ष यानी अन्वयदृष्टान्तमें विद्यमान रहनेके विना भी हेतु जिस रथाद्वादीके यहां मात्र अन्यथानुपपत्ति नामका गुण होनेसे साध्यका ज्ञापक मानकिया गया है, उसके यहां साध्यके होनेपर और विपक्षमें उस साध्यका अभाव होनेपर वर्तमान हो रहा हेतु साधारण नामका हेत्वाभास विशेष रूपसे निश्चित किया गया है । अथवा पक्षमें साध्यके रहनेपर रहनेवाळा और साध्याभाववाळे विपक्षमें पूर्णरूपसे या एक देशसे वर्तनेके संशय करके धिरे हुये शरीरवाळा हेतु साधारण ( संदिग्धन्यमिचारी ) है ।

तत्र कात्स्न्येन निर्णीतस्तावत्साध्यविपक्षयोः ।

यथा द्रव्यं नभः सत्त्वादित्यादिः कश्चिदीरितः ॥ ६२ ॥

उन साधारण हेत्वाभासके भेदोंमेंसे पहिळा साध्यवान् पक्ष और साध्याभाववान् विपक्षमें पूर्ण रूपसे निर्णीत होकर वर्त रहा कोई हेतु तो यों कहा गया है कि जैसे आकाश ( पक्ष ) द्रव्य है ( साध्य ), सत्पना होनेसे ( हेतु ) । इस अनुमानमें दिया गया सत्त्व हेतु अपने पक्ष आकाशमें वर्तता है और विपक्ष गुग या कर्ममें भी वर्त रहा है अथवा शब्द ( पक्ष ) अनित्य है ( साध्य ), प्रमेयपना होनेसे ( हेतु ) इत्यादि हेतु विपक्षमें पूर्णरूपसे वर्तते हुए निश्चित न्यमिचारी हैं ।

विश्वेदीश्वरः सर्वजगत्कर्तृत्वसिद्धितः ।

इति संश्रयतस्तत्राविनाभावस्य संशयात् ॥ ६३ ॥

सति ह्यशेषवेदित्वे संदिग्धा विश्वकर्तृता ।

तदभावे च तत्रायं गमको न्यायवेदिनाम् ॥ ६४ ॥

ईश्वर ( पक्ष ) सर्वेश्व है ( साध्य ), सम्पूर्ण जगत्के कर्तापनकी सिद्धि होनेसे ( हेतु ) । इस प्रकार अनुमानका अन्वयाभाव करनेवाळेके यहां उस हेतुमें अविनाभावका संशय हो जानेसे

यह हेतु संदिग्ध व्यभिचारी है। क्योंकि सर्वज्ञपना होते हुये और उस सर्वज्ञत्वके अभाव होनेपर सम्भव रहा। यह विश्वकर्त्तापन ईश्वरमें संदिग्ध है। तिस कारण नैयायिकोंका यह हेतु अपने साध्यका ज्ञापक नहीं है। विपक्षमें सम्पूर्ण रूपसे हेतुका नहीं वर्तना संदिग्ध है।

नित्यो ध्वनिरमूर्त्तत्वादिति स्यादेकदेशतः ।

स्थितस्तयोर्विनिर्दिष्टपरोऽपीदृक्तदा तु कः ॥ ६५ ॥

इदं ( पक्ष ) नित्य है ( साध्य ), अमूर्त्तपना होनेसे ( हेतु )। यह हेतु एकदेशसे विपक्षमें वर्तनेके कारण निश्चित व्यभिचारी है। अर्थात्—विपक्षके एकदेश हो रहे अनित्य सुख, दुःख, क्रिया, आदिमें अमूर्त्तत्व हेतु वर्त रहा है। और विपक्षके बहुदेश घट, पट, अग्नि, आदिमें हेतु नहीं वर्त रहा है। अतः विपक्षके एकदेश वृत्तिपनसे व्यवस्थित हो रहा है। इसी प्रकार उन एकदेश निर्णति और एकदेश संदिग्धमेंसे दूसरा एकदेश संदिग्ध भी तब तो कोई हेतु विशेषरूपसे कह दिया गया है। जैसे कि गुण अनित्य है अमूर्त्त होनेसे, यहाँ विपक्षके एकदेशमें हेतुकी वृत्तित्ता संदिग्ध है।

यत्रार्थे साधयेदेको धर्म हेतुर्विवक्षितम् ।

तत्रान्यस्तद्विरुद्धं चेद्विरुद्ध्या व्यभिचार्यसौ ॥ ६६ ॥

इति केचित्तदयुक्तमनेकान्तस्य युक्तितः ।

सम्यग्हेतुत्वनिर्णीतेर्नित्यानित्यत्वहेतुवत् ॥ ६७ ॥

सर्वथैकान्तवादे तु हेत्वाभासोऽयमिष्यते ।

जिस अर्थमें एक हेतु तो विवक्षा किये गये धर्मका साधन करावे और दूसरा हेतु यहाँ ही उस साध्यसे विरुद्ध अर्थको साधे तो वह हेतु विरुद्धपनके साथ व्यभिचारी है, इस प्रकार कोई कह रहे हैं। उनका वह कहना युक्तिरहित है। क्योंकि समीचीन युक्तियोंसे नित्यपन और अनित्यपनको साधनेवाले हेतुओंके समान उन अनेक धर्मोंको साधनेवाले हेतुओंका भी समीचीन हेतुपनेकरके निर्णय हो रहा है। हाँ, समी प्रकारोंसे एक ही धर्मका व्यापक करके एकान्तवाद स्वीकार कर लेनेपर तो यह आविषमान विरोधी धर्मको साधनेवाला हेतु हेत्वाभास माना गया है। जैसे कि “मिथ्यादृष्टि जीव ज्ञानवान् है, क्योंकि चेतनागुणका मिथ्या उपयोगरूप परिणाम विषयान् है। ” “ तथा मिथ्यादृष्टि जीव ज्ञानरहित है। मोक्ष उपयोगी तत्त्वज्ञान नहीं होनेसे ”, यहाँ स्यादाद सिद्धान्त अनुसार दोनों हेतु समीचीन हैं। हाँ, एकान्तवादियोंके मतमें दूसरा हेतु समीचीन नहीं है।

सर्वगत्वे परस्मिंश्च जातेः ख्यापितहेतुवत् ॥ ६८ ॥

स च सत्प्रतिपक्षोऽत्रकैश्चिदुक्तः परैः पुनः ।

अनैकान्तिक एवेति ततो नास्य विभिन्नता ॥ ६९ ॥

स्वेष्टधर्मविहीनत्वे हेतुनान्येन साधिते ।

साध्याभावे प्रयुक्तस्य हेतोर्नाभावनिश्रयः ॥ ७० ॥

धर्मिणीति स्वयं साध्यासाध्ययोर्वृत्तिसंश्रयात् ।

नानैकान्तिकता बाध्या तस्य तल्लक्षणाव्यात् ॥ ७१ ॥

सत्तास्वरूपपर जाति अथवा द्रव्यत्व, गुणत्व, घटत्व, आदि अपर जाति ( सामान्य ) का सर्व व्यापकपना अथवा अपर यानी अव्यापकपना साध्य करनेपर प्रसिद्ध करा दिये गये हेतुओंके समान वह हेतु किन्हीं वैशेषिकोंने अपने यहां सत्प्रतिपक्ष कहा है । “ साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं यस्य स सत्प्रतिपक्षः ” । भावार्थ—सामान्य ( पक्ष ) व्यापक है ( साध्य ), सर्वत्र व्यक्तियोंमें अन्वित होनेसे ( हेतु ), जैसे आकाश ( दृष्टान्त ) । इस अनुमान द्वारा जातिको व्यापक सिद्ध किया जाता है । तथा सामान्य ( पक्ष ) अव्यापक है ( साध्य ) क्योंकि अन्तरालमें नहीं देखता हुआ प्रति व्यक्तिमें न्यारा न्यारा प्रतीत हो रहा है ( हेतु ) जैसे कि घट व्यक्ति ( दृष्टान्त ) यहां वैशेषिकोंने दूसरा हेतु सत्प्रतिपक्ष माना है फिर अन्य दार्शनिकोंने उसको अनैकान्तिक ही कहा है तिस कारण हम स्याद्वादियोंके यहां भी वह अनैकान्तिक ही है । अनैकान्तिक हेत्वामाससे इस सत्प्रतिपक्षका कोई विशेष भेद नहीं है । दूसरे हेतु करके अपने अभीष्ट साध्य धर्मसे रहितपना साधा जानेपर साध्यवाले धर्मोंमें साध्यके अभावको साधनेमें प्रयुक्त किये गये हेतुके अभावका निश्चय नहीं है । क्योंकि स्वयं वादीने साध्य और साध्याभावके होनेपर हेतुके वर्तनेका समीचीन आश्रय ले रखा है । इस कारण उस सत्प्रतिपक्ष कहलानेवाले हेतुको अनैकान्तिक हेत्वामासपना बाधा करने योग्य नहीं है । क्योंकि उस अनैकान्तिकता लक्षण यहां अन्वयरूपसे घटित हो जाता है पर्वत ( पक्ष ) बहिमान् है ( माध्य ) घूम होनेसे ( हेतु ) । तथा दूसरा अनुमान यों है कि पर्वतमें बहिका अभाव है । पाषाणका विकार होनेसे, यहां पाषाणमयत्व हेतु सत्प्रतिपक्ष माना गया है । किन्तु यह विपक्षमें वर्तनेके कारण अनैकान्तिक हेत्वामास है । इसी प्रकार जातिको व्यापकपना सिद्ध करनेवाला हेतु स्याद्वादियोंके यहां अनैकान्तिक हेत्वामास है । वैशेषिकोंकी ओरसे जातिका अव्यापकरूपना साधनेवाला हेतु कुछ देरके लिये अनैकान्तिक कहा जा सकता है । सत्प्रतिपक्षको अलग हेत्वामास माननेकी आवश्यकता नहीं है ।

यः स्वपक्षविपक्षान्यतरवादः स्वनादिषु ।

नित्यत्वे भंगुरत्वे वा प्रोक्तः प्रकरणे समः ॥ ७२ ॥

सोऽप्यनैकान्तिकान्नान्य इत्यनेनैव कीर्तितम् ।

स्वसाध्येऽसति सम्भृतिः संशयांशाविशेषतः ॥ ७३ ॥

शब्द, षट्, आदिकोमें नित्यपना अपवा छणिकपना साधनेपर जो स्वपक्ष और विपक्षमेंसे किसी भी एकमें ठहरनेका बाद प्रकरणसम कहा गया है, वह भी अनैकान्तिकसे भिन्न नहीं है । इस प्रकार सिद्धान्त भी ठक प्रत्य करके ही कह दिया गया है । अर्थात्—“ यस्मात् प्रकरण चिन्ता स निर्णयार्थमपदिष्टः प्रकरणसमः ” जिस हेतुसे साध्यवान् और साध्याभाववान्के प्रकरणकी जिज्ञासा हो जाय वह निर्णय करनेके लिये प्रयुक्त किया गया हेतु प्रकरणसम कहा जाता है । शब्दको नित्यपना साधनेमें मीमांसकोंकरके दिया गया प्रत्यभिज्ञायमानपना हेतु नैयायिकोंकी ओरसे प्रकरणसम हेत्वामास है । और शब्दका अनित्यपना साधनेमें नैयायिकोंकरके दिया गया कृतकत्व हेतु तो मीमांसकोंकी ओरसे प्रकरणसम कहा जाता है । किन्तु यह प्रकरणसम अनैकान्तिक हेत्वामाससे न्यारा नहीं है । अल्पव्य भेद होनेसे हेत्वामासकी कोई न्यारी जाति नहीं हो जाती है । अपने साध्यके नहीं होनेपर विद्यमान रहना यह निश्चित व्यभिचार और संशयांशरूप व्यभिचारका पक्ष भी सद्भाव है । किसी अंशमें विशेषता नहीं है ।

कालात्ययापदिष्टोऽपि साध्ये मानेन बाधिते ।

यः प्रयुज्येत हेतुः स्यात्स नो नैकान्तिकोऽपरः ॥ ७४ ॥

साध्याभावे प्रवृत्तो हि प्रमाणैः कुत्रचित्स्वयम् ।

साध्ये हेतुर्न निर्णीतो विपक्षविनिवर्तनः ॥ ७५ ॥

जो हेतु प्रमाणद्वारा साध्यके बाधित हो जानेपर प्रयुक्त किया जाता है, वह कालात्ययापदिष्ट हेतु भी हमारे यहां दूसरे प्रकारका अनैकान्तिक हेत्वामास माना गया है । बाधित हेत्वामास कोई न्यारा नहीं है । बहि शीतल है, कृतक होनेसे, यहा कृतकत्व हेतु व्यभिचारी है । कहीं कहीं तो स्वयं प्रमाणोंकरके साध्यका अभाव जान लेनेपर पुनः वह हेतु प्रवृत्त हुआ है और कहीं साध्यके होनेपर हेतुका निर्णय हो चुका है । किन्तु विपक्षसे निवृत्त हो रहे हेतुका निर्णय नहीं है । वध, इतना ही बाधित और अनैकान्तिकमें थोडासा अन्तर है ।

विपक्षे बाधके वृत्ति समीचीनो यथोच्यते ।

साधके सति किन्न स्यात्तदाभासस्तथैव सः ॥ ७६ ॥

विपक्षमें बाधकप्रमाणके प्रवृत्त हो जानेपर जैसे कोई भी हेतु समीचीन हेतु कहा जाता है, तिस ही प्रकार विपक्षमें साधकप्रमाणके होनेपर वह हेतु हेत्वाभास क्यों नहीं हो जावेगा ?

साध्याभावे प्रवृत्तेन किं प्रमाणेन बाध्यते ।

हेतुः किं वा तदतेनेत्यत्र संशीतिसम्भवः ॥ ७७ ॥

साध्यस्याभाव एवायं प्रवृत्त इति निश्चये ।

विरुद्धो हेतुरुद्भाव्योऽस्तीतकालो न चापरः ॥ ७८ ॥

साध्यका अभाव होनेपर प्रवृत्त हो रहे प्रमाण करके क्या यह हेतु बाधा जा रहा है ? अथवा क्या इस हेतु करके वह प्रमाण बाधा जा रहा है ? इस प्रकार यहां संशय होना सम्भवता होय ऐसी दशामें वह संदिग्धव्यभिचारी है । हां, साध्यके नहीं होनेपर किन्तु साध्यका अभाव होनेपर ही यह हेतु प्रवृत्त है, इस प्रकार निश्चय हो जानेपर तो विरुद्धहेत्वाभासका उद्भावन करना चाहिये । अतः व्यभिचारी या विरुद्धसे भिन्न कोई कालातीत ( बाधित ) नामका हेत्वाभास नहीं है, जो कि “ कालात्ययापदिष्टः कालातीतः ” कहा जाय ।

प्रमाणबाधनं नाम दोषः पक्षस्य वस्तुतः ।

क तस्य हेतुभिस्त्राणोऽनुत्पन्नेन ततो हतः ॥ ७९ ॥

वस्तुतः विचार जाय तो साध्यका लक्षण इष्ट, अबाधित और असिद्ध किया गया है । अतः साध्यवान् पक्षका दोष प्रमाणबाधा नामका हो सकता है । हेतुके दोषोंमें बाधितकी गणना करना उचित नहीं है । उस कालात्ययापदिष्टका हेतुओं करके मन्त्र रक्षण कहा हो सकता है ? तिस कारण हेतुओंमें उत्पन्न नहीं होनेसे वैशेषिकोंका सिद्धान्त नष्ट हो जाता है । अर्थात्—साध्यका वह दोष हेतुमें उत्पन्न ही नहीं हो सकता है ।

सिद्धे साध्ये प्रवृत्तोऽत्राकिंचित्कर इतीरितः ।

कैश्चिद्धेतुर्न संचित्यः स्याद्वादनयशालिभिः ॥ ८० ॥

गृहीतग्रहणात्तस्याप्रमाणत्वं यदीष्यते ।

स्मृत्यादेरप्रमाणत्वप्रसंगः केन वार्यते ॥ ८१ ॥

संवादित्वात्प्रमाणत्वं स्मृत्यादेश्चेत्कथं तु तैः ।

सिद्धेयं वर्तमानस्य हेतोः संवादिता न ते ॥ ८२ ॥

साध्यके सिद्ध हो चुकनेपर प्रवर्त हो रहा हेतु अकिंचित्कर है, इस प्रकार किन्हीं विद्वानोंने निरूपण किया है। जैसे कि शब्द (पक्ष) कर्ण इन्द्रियसे सुना जाता है (साध्य), शब्दपना होनेसे (हेतु), यहा शब्दका श्रावणपना प्रथमसे ही बालगोपालोंमें प्रसिद्ध है। अतः शब्दत्व हेतु कुछ भी नहीं करनेवाला अकिंचित्कर हेत्वामास मानलिया है। अब श्री विद्यानन्द आचार्य कहते हैं कि स्याद्वादनीतिको धारकर शोभाको प्राप्त हो रहे विद्वानोंकरके अकिंचित्करको हेतुका दोष नहीं विचारना चाहिये। जबकि प्रतिवर्दीकी ओरसे असिद्ध हो रहे धर्मको साध्य माना जाता है, ऐसी दशामें हेतुका दोष अकिंचित्कर नहीं हो सकता है। या तो यह साध्यका दोष है, अथवा सद्हेतु ही है। सद्हेतुसे जन्य अनुमान तो प्रमाण होता है। यदि कोई विद्वान् यों कहे कि गृहीतका ही उस हेतु द्वारा ग्रहण हो जानेसे उस हेतु या अनुमानको अप्रमाणपना इष्ट किया जायगा, तब तो हम कहते हैं कि यों तो गृहीतका प्राप्ती होनेसे स्मृति, संज्ञा, तर्क, आदिको भी अप्रमाणपनेका प्रसंग हो जाना भला किसके द्वारा रोका जा सकता है! यदि सफळ क्रियाजनकत्व या बाधारहितपन स्वरूप संवादसे युक्त होनेके कारण स्मृति आदिकको प्रमाणपना कहोगे तो उन प्रमाणोंकरके सिद्ध हो रहे अर्थमें प्रवर्त रहे हेतुका भला तुम्हारे यहा सम्वादपन क्यों नहीं माना जायगा! ऐसी दशामें पूर्व प्रमाणसे जाने हुये श्रावणपनेकी शब्दत्व हेतुने पुष्टि की है। अतः यह पूर्व ज्ञानका सम्वादक है। अकिंचित्कर हेत्वामास नहीं।

प्रयोजनविशेषस्य सद्भावान्मानता यदि ।

तदाल्पज्ञानविज्ञानं हेतोः किं न प्रयोजनम् ॥ ८३ ॥

प्रमाणसंप्लवस्त्वेवं स्वयमिष्टो विरुध्यते ।

सिद्धे कुतश्चनार्येन्यप्रमाणस्याफरुत्वतः ॥ ८४ ॥

विशेष प्रयोजनका सद्भाव होनेसे यदि स्मृति, प्रयमिज्ञान आदिको प्रमाणपना कहोगे तब तो अल्पज्ञानवाले जीवोंको शब्दमें श्रावणपने आदिका विशेष ज्ञान हो जाना हेतुका प्रयोजन क्यों नहीं मान लिया जावे! दूसरी बात यह है कि अकिंचित्करको पृथक् हेत्वामास माननेवाले विद्वान् हम जैनोंके एकदेशी हैं। उन्होंने एक अर्थमें विशेष, विशेषोंको जाननेवाले अनेक प्रमाणोंका प्रवर्त बानारूप प्रमाणसंप्लव स्वयं इष्ट किया है। यदि ये गृहीतको प्रष्टुण करनेसे भयभीत होंगे तो इस प्रकार उनके यहा इष्ट क्रिये गये प्रमाणसंप्लवका विरोध प्राप्त होता है। यानी वे प्रमाणसंप्लव

नहीं मान सकेंगे । क्योंकि किसी भी एक प्रमाणसे अर्थके प्रसिद्ध हो चुकनेपर अन्य प्रमाणोंका व्यर्थपना प्राप्त होता है ।

**मानेनैकेन सिद्धेर्थे प्रमाणांतरवर्तने ।**

**यानवस्थोच्यते सापि नाकांक्षाक्षयतः स्थितेः ॥ ८५ ॥**

**सरागप्रतिपत्तृणां स्वादृष्टवशतः क्वचित् ।**

**स्यादाकांक्षाक्षयः कालदेशादेः स्वनिमित्ततः ॥ ८६ ॥**

यदि जैनोंके एकदेशी यों कहें कि एक प्रमाणकरके पदार्थके सिद्ध हो जानेपर पुनरपि यदि अन्य प्रमाणोंकी प्रवृत्ति मानी जायगी तो अनवस्था दोष होगा । दूसरे, तीसरे, चौथे, आदि प्रमाणोंके प्रवर्तनेकी जिज्ञासा बढती ही चली जायगी । इसके उत्तरमें श्री विद्यानन्द आचार्य कहते हैं कि तुमने जो अनवस्था दोष कहा है, वह भी आकांक्षाओंका क्षय हो जानेसे नहीं आता है । यह व्यवस्थित सिद्धान्त है । जबतक आकांक्षा बढती जायगी तबतक प्रमाणोंको उठाते जायेंगे । निराकांक्ष होनेपर प्रमाता वहीं अवस्थित हो जावेगा । रागसहित या इच्छासहित प्रतिपत्ताजनोंको अपने अदृष्टके वशसे कहीं दो, चार, छः, कोटि चल्कर आकांक्षाका क्षय हो जायगा । अर्थात्—जैसे अत्यन्त प्रिय पदार्थके वियोग हो जानेपर उसकी स्मृतियां हमको सताती रहती हैं । पश्चात् हमारे सुख दुःखोंके भोग अतिकूल पुण्यपापोंकरके ये स्मृतियां प्रायः नष्ट हो जाती हैं । यदि वे स्मृतियां या आकांक्षाये नष्ट नहीं होय तो जीवित रहना या अन्य कार्योंको करना ही अति कठिन होजाय । बड़े अष्टे कारण मिळ जाते हैं, जिमसे कि वे क्षणिकि विच्छिन्न हो जाते हैं, तथैव अज्ञेयोंको जानना है अथवा अन्य सुख दुःखोंको भी भोगना है, आदिके कारण हो रहे स्वकीय अदृष्टसे एक ही ज्ञेयमें बढ रही जिज्ञासाओंका नाश कर दिया जाता है । तथा कहीं कहीं अपनी आकांक्षाक्षयके निमित्तकारण काळ, देश, विशयांतर संचार विस्मरकरूपदार्थ सेवन, मनकी अनेकप्रता, प्रकृति ( मस्ताना आदत ) आदिकसे भी आकांक्षाका क्षय हो जाता है । कर्तृवादी नैयायिक तो बढती ह्युषी आकांक्षा या अनवस्थाका क्षय करते रहना इस कार्यको दयाध ईश्वरके हाथ सौंप देते हैं । किन्तु कृतकृत्य मुक्तसे यह कार्य कराना अनेक दोषास्पद है ।

**वीतरागाः पुनः स्वार्थान् वेदनैरपरारैः ।**

**प्रतिक्षणं प्रवर्तते सदोपेक्षापरायणाः ॥ ८७ ॥**

आकांक्षाका क्षय हो जानेसे रागी ज्ञाताओंको तो अब अनवस्था ही नहीं सकती है । हां, फिर उत्तर उत्तर काळमें होनेवाले ज्ञानोंकरके स्व और अर्थोंको जान रहे वीतराग पुरुष तो सर्वदा



उपेक्षा धारनेमें तत्पर हो रहे संते प्रतिक्षण प्रवृत्ति कर रहे हैं। अर्थात्—वीतराग मुनि या सर्वज्ञके कहीं किसी पदार्थमें आकांक्षा तो नहीं है। उनके ज्ञानका साक्षात् फल अज्ञाननिवृत्ति और परम्पराफल तो विषयोंमें रागद्वेषकी नहीं परिणति होनारूप उपेक्षा भाव है। सर्वज्ञका ज्ञान गृहीत-प्राप्ति नहीं है। क्योंकि सर्वज्ञको समी पदार्थ अपने अपने धर्मोंसे सहित होकर मासते हैं। जो पदार्थ भविष्यकालमें होनेवाले हैं, उनको इस समय भावीपनसे अर्थात्—भविष्यमें उपजने वाले हैं, इस प्रकार जानेगा, वर्तमानरूपसे या भूतरूपसे उनको नहीं जानेगा। हाँ, भविष्य पदार्थोंका उत्पत्त्यमानता धर्म अब जाना जा रहा है। उत्पन्नता धर्म इस समय नहीं जाना जा रहा है। किन्तु वह उत्पन्नता उनकी मंत्रितव्यरूपकरके जान ली गयी है। जो चुकेपनसे नहीं जानी गयी है। तथा उत्तर कालोंमें वह सर्वज्ञ उन धर्मोंके विपरीतपनेसे पदार्थोंको जान रहा है। उस समयके वर्तमान पदार्थोंको इस समय हो चुकेपनसे जान रहा है और उस समयके भविष्य पदार्थोंको वर्तमान रूपसे जान रहा है। मूल पदार्थोंको चिरतरभूत, चिरतमभूतपनेसे जान रहा है। इसी प्रकार प्रत्येक मूल, वर्तमान, भविष्य, क्षणोंकी विशिष्टताओंके जालसे वस्तु जकड़ रही हैं। जिस समय जिस धर्मसे विशिष्ट वस्तु होगी, सर्वज्ञके ज्ञानमें वह उसी प्रकार प्रतिमासेगी, दूसरे प्रकारोंसे नहीं। देश, काल, आदिकी विशिष्टता तो पदार्थोंके साय तदात्मक हो रही है। ग्यारी नहीं हो सकती है। अतः देश, काल, आदिकी विशिष्टताओंसे सहित पदार्थोंको प्रतिक्षण नवीन नवीन ढंगसे जान रहा सर्वज्ञका ज्ञान कथमपि गृहीतप्राप्ति नहीं है। श्री प्रमाचन्द्र स्वामीने प्रमेयकमलमार्तण्ड ग्रन्थमें ऐसा ही समझाया है। इस तत्त्वके विशेष जिज्ञासु विद्वान् वहा देखकर परिवृत्ति करें।

प्रमाणसंप्लवे चैवमदोषे प्रत्युपस्थिते ।

गृहीतग्रहणात् क स्यात् केवलस्याप्रमाणता ॥ ८८ ॥

ततः सर्वप्रमाणानामपूर्वार्थत्वं सन्नयैः ।

स्यादकिंचित्करो हेत्वाभासो नैवान्यथार्पणात् ॥ ८९ ॥

इस प्रकार प्रतिवादी जैनोंके द्वारा एक भी अर्थमें धर्मोंकी उपेक्षा विशेष, विशेषांशोंको जाननेवाले बहुत प्रमाणोंकी प्रवृत्ति होनास्वरूप प्रमाणसंप्लवके इस रीतिसे दोषरहित होकर उपस्थित करनेपर मला केवञ्जानकी गृहीत ग्रहण करनेसे अप्रमाणता कहां हो सकेगी ? तिस कारणसे श्रेष्ठ नयों करके सम्पूर्ण प्रमाणोंके अपूर्व अर्थका प्राप्तिपना सिद्ध हो चुका है। अतः अकिंचित्कार नामका कोई भी हेत्वाभास नहीं हो सकता है। अर्थात्—शब्दको पहिले जानते हुये भी अब उसका कर्ण इन्द्रियसे ग्रहण होना अनुमान द्वारा जाना जा सकता है। ऐसी दशामें

अनुमान या हेतु कुछ कार्यको करनेवाला कहा जा सकता है। किसी भी पुरुषके प्रतिदिन होनेवाले ज्ञानोंमेंसे बहुभाग ज्ञान तो जानी हुई वस्तुके विशेषांशोंको ही अधिकतर जानते रहते हैं। हां, बहुत थोड़े ज्ञान नवीन नवीन वस्तुओंको जान पाते हैं। बड़े बड़े कार्यकर्ता शिल्पकर्मा या वैज्ञानिकोंका भी बहुभाग समय प्रारब्ध कार्यके विशेषांशोंके बनानेमें ही व्यतीत होता है। सर्वथा नवीन कार्योंके प्रारम्भ करनेके अवसर बहुत थोड़े मिलते हैं। यह नियम सभी कार्योंमें प्रायः घटित हो जाता है। अतः अकिंचिद्विकार नामका हेतुभास नहीं मानना चाहिये, एक विवक्षासे विचारा जाय तब तो यह प्रत्युत अन्यथा यानी असंज्ञेतुओंसे भिन्न प्रकारका समीचीन हेतु है। उसमें हेतुका कोई भी दोष नहीं सम्भवता है।

तत्रापि केवलज्ञानं नाप्रमाणं प्रसज्यते ।

साद्यपर्यवसानस्य तस्यापूर्वार्थतास्थितेः ॥ ९० ॥

अपूर्व अर्थको जाननेवाले उन ज्ञानोंमें केवलज्ञानके अप्रमाण होनेका प्रसंग नहीं आता है। क्योंकि ज्ञानावरण कर्मके क्षयसे विवक्षित कालमें उपजे सादि और अनन्तकालतक ठहरनेवाले उस केवलज्ञानको अपूर्व अर्थता प्राहकपना व्यवस्थित हो चुका है। मावार्थ—विशेषणोंकी अवल्प परानुक्ति हो जानेसे उनको जाननेवाले ज्ञानोंमें अपूर्वार्थता आ जाती है। थोड़ा विचारो तो सही कि संसारमें अपूर्व अर्थ कौन समझे जाते हैं ? सभी द्रव्य पूर्वार्थ हैं। किन्तु फिर भी सौन्दर्य, अधिक धनवत्ता, प्रतिभा, विश्लेषण तपस्या, अद्भुत वीर्य, विशेष चमत्कार आदि धर्मोंको धार लेनेसे यथार्थ अपूर्व अर्थ मान लिये जाते हैं। सूक्ष्म विचार करनेपर अत्यन्त छोटे अंशको भी नवीन धारनेपर पदार्थमें अपूर्वार्थता आ जाती है। जितनी जहाँ अपूर्वार्थता सम्भवती है, उसपर सन्तोष करना चाहिये। अन्यथा मध्य अमध्य विचार पतिव्रतापन अचौर्य आदिक लोकव्यवहार समी भ्रष्ट हो जायेंगे।

प्रादुर्भूतिक्षणादूर्ध्वं परिणामित्वविच्युतिः ।

केवलस्यैकरूपत्वादिति चोद्यं न युक्तिमत् ॥ ९१ ॥

परापरेण कालेन संबन्धात्परिणामि च ।

सम्बन्धिपरिणामित्वे ज्ञातृत्वे नैकमेव हि ॥ ९२ ॥

कोई कुतर्क उठा रहा है कि अपनी उत्पत्ति होनेके क्षणसे ऊपर उत्तरकालमें केवलज्ञानका परिणामीपना विशेषरूपेण श्रुत हो जाता है। क्योंकि केवलज्ञान तो सदा एकरूप ही बना रहेगा। जिम त्रिकोक, त्रिकावर्ता पदार्थोंको आज जान रहा है, उन ही को सर्वदा जानता रहेगा। उत्पाद, विनाश और ध्रुवताकर परिणामसे सद्विपत्तना केवलज्ञानमें नहीं घटता है। अब आचार्य

कहते हैं कि इस प्रकार किसीकी चित्तकणा करना तो युक्तिसहित नहीं है। क्योंकि उत्तर उत्तरवर्ती कालके साथ सम्बन्ध हो जानेसे उदात्त और व्ययरूप परिणाम घटित हो जाते हैं। केवलज्ञानकी पूर्व समयवर्ती पर्यायका नाश हो जाता है। और उत्तरकालमें नवीन पर्यायकी उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार सम्बन्धविशिष्ट और परिणामसहितपना हो चुकनेपर केवलज्ञानी ज्ञातापन करके नियमसे वह एक ही है, यह ध्रुवता है। अतः परिणामीपन ध्रुत नहीं हुआ। प्रतिष्ठित रहा।

एवं व्याख्यातनिःशेषहेत्वाभाससमुद्भवं ।

ज्ञानं स्वार्थानुमाभासं मिथ्यादृष्टेर्विपर्ययः ॥ ९३ ॥

सर्वमेव विजानीयात् सम्यग्दृष्टेः शुभावहं ।

इस प्रकार व्याख्यान किये जा चुके सम्पूर्ण हेतुमासोसे उत्पन्न हुआ ज्ञान स्वार्थानुमानरूप मतिज्ञानका आभास है। मिथ्यादृष्टि जीवके अनुमानका आभास नामक विपर्ययज्ञान हो जाता है। हां, सम्यग्दृष्टि जीवके समीचीन हेतुओंसे उत्पन्न हुए सभी ज्ञान प्रमाणरूप होते हुये कल्याणकारी हैं, यह बढिया समझ लेना चाहिये।

यथा श्रुतज्ञाने विपर्यासस्तद्वत्संशयोऽनध्यवसायश्च कचिदाहार्यः प्रदर्शितस्तथावग्रहादिस्वार्थानुमानपर्यन्तमतिज्ञानभेदेषु प्रतिपादितविपर्यासवत्संशयानध्यवसायश्च प्रतिपत्तव्यः। सामान्यतो विपर्ययश्चन्द्रेण मिथ्याज्ञानसामान्यस्याभिधानात्।

जिस प्रकार श्रुतज्ञानमें आहार्य विपर्यास ग्यारहवीं वार्तिकसे सत्रहवीं तक कहा था उसीके समान श्रुतज्ञानमें आहार्य संशय और आहार्य अनध्यवसाय, भी कहीं कहीं हो रहा अठारहवीं वर्तीसवीं वार्तिकद्वारा गूढे प्रकार दिखला दिया है। उसी प्रकार अग्रहको आदि लेकर स्वार्थानुमान पर्यंत मतिज्ञानके भेदोंमें भी बीसवीं कारिकासे प्रारम्भ कर तिरानवैवीं कारिकातक कहे गये विपर्यासके समान संशय और अनध्यवसाय भी कचिद् होते हुये समझ लेने चाहिये। क्योंकि सूत्रमें सामान्यरूपसे कहे गये विपर्यय शब्द करके सभी मिथ्याज्ञानोंका सामान्यपनेसे कथन हो जाता है। अर्थात् हां, यह बात कही जा चुकी है कि आहार्यविपर्यय तो श्रुतज्ञानोंमें ही होते हैं। अवग्रह, ईशा, अथाय, धारणा, मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, स्वार्थानुमान, इन मतिज्ञानोंमें सहज विपर्ययरूप संशय, भ्रष्टि, अनध्यवसाय होते हैं। क्योंकि गृहीत मिथ्यादर्शनके समान जान बूझकर विपरीत जान लेना ऐसे मिथ्यादृष्टियोंके आहार्यविपर्यय तो कुश्रुतज्ञानोंमें ही सम्भवते हैं। हिंसा, चोरी, व्यभिचारको बुरा जानते हुये भी कुश्रुत या मिथ्याशास्त्रोंके उपदेश द्वारा मूढ समझने छग जाते हैं। मिथ्यात्व, कथाय, मिथ्यासंस्कार, इन्द्रियकोलुपता, आदि कारणोंसे जीवोंकी प्रकृति विपर्ययज्ञानोंकी ओर झुक जाती है। अतः श्रुतज्ञानके आहार्य और सहज दोनों विपर्यय होते हैं

तथा मतिज्ञानके सहज ही विपर्यय हो सकते हैं। एक बात यहाँ यह भी समझनेकी है कि हेतुकी साध्यके साथ अमेद विवक्षा करनेपर हेतुसे उत्पन्न हुआ साध्यज्ञान तो मतिज्ञानरूप अनुमान है। और हेतुसे साध्यका अर्थान्तरभाव होनेपर हेतुसे हुआ साध्यज्ञान श्रुतज्ञानरूप अनुमान है। स्वार्थानुमानको मतिज्ञान और परार्थानुमानको श्रुतज्ञानस्वरूप भी कह सकते हैं।

**संप्रति वाक्यार्थज्ञानविपर्ययमाहार्यं दर्शयन्नाह।**

अब इस समय श्रुतज्ञानके विशेष हो रहे वाक्यार्थज्ञानके आहार्यविपर्ययको दिखलाते हुये प्रत्यकार कहते हैं। अर्थात्—गच्छेत्, पचेत्, यजेत्, इत्यादिक विधिच्छिद् अन्तगळे वाक्योंके अर्थको जाननेमें मीमांसक, अद्वैतवादी, या सौगत आदिकोंको जो चलाकर विपर्ययज्ञान हो रहा है, उसका प्रदर्शन करते हैं।

**नियोगो भावनैकाताद्वात्वर्थो विधिरेव च।**

**यंत्रारूढादि चार्थोऽन्यापोहो वा वचसो यदा ॥ १४ ॥**

**कैश्चिन्मन्येत तज्ज्ञानं श्रुताभं वेदनं तदा।**

**तथा वाक्यार्थनिर्णीतेर्विधातुं दुःशकत्वतः ॥ १५ ॥**

किन्हीं प्रमाकर मीमांसकों करके विधिच्छिद् उकारान्त वाक्योंका अर्थ नियोग माना जाता है। और किन्हीं मट्ट, मीमांसकों करके वाक्यका अर्थ एकान्त रूपसे भावना मानी जा रही है। तथा किन्हीं ब्रह्माद्वैतवादियों करके सत्तामात्र शुद्ध धात्वर्थ विधिको ही विधिच्छिदन्त वाक्यका अर्थ स्वीकार किया जाता है। अथवा बौद्धों करके वचनका अर्थ अन्यापोह इष्ट किया जाता है। प्रमाकरोंने नियोगके यंत्ररूढ पुरुष आदिक ग्यारह भेद माने हैं। यहाँ हमें यह कहना है कि उन प्रमाकर, कुमारिल मट्ट, ब्रह्माद्वैतवादी, आदि पण्डितोंकरके जिस समय स्वीकृत मत अनुसार उन वाक्योंका ज्ञान हो रहा है, उस समय वह ज्ञान, कुश्रुतज्ञान या श्रुतज्ञानाभास है। क्योंकि जैसा वे वाक्यका अर्थ बखान रहे हैं, उस प्रकार वाक्य अर्थके निर्णयको विधान करनेके लिये उनका अशक्यता है। अर्थात्—नियोग, भावना आदिको वाक्यका अर्थ कैसे भी कठिनतासे वे निर्णय नहीं कर सकते हैं।

**कः पुनरयं नियोगो नाम नियुक्तोऽहमनेन वाक्येनेति निरवशेषो यांगो नियोगस्तत्र मनागप्ययोगाशंकायाः संभवाभावात्।**

यह प्रमाकर मीमांसकों द्वारा माना गया नियोग नामका भला क्या परार्थ है ? इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर उनके मत अनुसार उत्तर दिया जाता है कि मैं इस वाक्य करके अमुक कर्म

करनेमें नियुक्त हो गया हूँ। इस प्रकार “ नि ” यानी निरवशेष तथा “ योग ” यानी मन वचन काय और आत्माकी एकाग्रता होकर प्रवृत्ति हो जाना नियोग है। नियुक्त किये गये व्यक्ति का नियोग्य कर्ममें परिपूर्ण योग लग रहा है। उसमें अत्यल्प भी योग नहीं लगनेकी आसंकाकी सम्भावना नहीं है। भावार्थ—जैसे कि स्वामिमत्त सेनक या गुरुमत्त शिष्यके प्रति स्वामी या गुरु विवक्षित कार्यको करनेकी ध्याना दे देते हैं कि तुम दिल्लीसे बादाम लेते आना अथवा तुम शाकटावन व्याकरण पढो तो वे भद्रकीव उन कार्यमें परिपूर्ण रूपसे नियुक्त हो जाते हैं। कार्य होनेतक उनको बैठने, उठते, सोते, जागते फल नहीं पढती है। सदा उसी कार्यमें परिपूर्ण योग लगा रहता है। इसी प्रकार प्रमाकर पण्डित “ यजेत ” इत्यादिक वाक्योंको श्रमणकर नियोगसे आक्रान्त हो जाते हैं। प्रमव, विवाह, प्रतिष्ठा आदिके अवसरपर नार्इ आदि नियोगी पुरुष अपने कर्तव्यको पूरा करते हैं। तमी तो उनके नेग ( नियोग ) का परितोष दिया जाता है।

स चानेकधा, केषांचिच्छिडादिप्रत्ययार्थः शुद्धोऽन्यनिरपेक्षः कार्यरूपो नियोग इति मतम् ।

और वह नियोग तो अनेक प्रकारका है। मीमांसकोंके प्रमाकर, मह, मुरारि ये तीन भेद हैं। प्रमाकरोंकी भी अनेक शाखायें हैं। अतः किन्हीं प्रमाकरोंके यहाँ यजेत्, दितुयात्, आदिमें पड़े हुये छिड् प्रत्यय ( त ) और गच्छतु, यजताम् आदिमें पड़े हुये छोट्प्रत्यय अथवा यष्टव्यं, श्रोतव्यं, आदिमें पड़े हुये तव्य प्रत्ययका अर्थ तो अन्य धात्वर्थ, स्वर्गकाम, आत्मा, आदिकी नहीं अपेक्षा रखता हुआ शुद्ध कार्यस्वरूप ही नियोग है। इस प्रकारका मत है। उनका ग्रन्थ वचन इस प्रकार है सो सुनो।

प्रत्ययार्थो नियोगश्च यतः शुद्धः प्रतीयते ।

कार्यरूपश्च तेनात्र शुद्धं कार्यमसौ मतः ॥ ९६ ॥

विशेषणं तु यत्तस्य किंचिदन्यत्प्रतीयते ।

प्रत्ययार्थो न तद्युक्तः धात्वर्थः स्वर्गकामवत् ॥ ९७ ॥

प्रेरकत्वं तु यत्तस्य विशेषणमिहेष्यते ।

तस्याप्रत्ययवाच्यत्वात् शुद्धे कार्ये नियोगता ॥ ९८ ॥

जिस कारणसे कि प्रत्ययोंका अर्थ शुद्ध कार्यस्वरूप नियोग प्रतीत हो रहा है, तिस कारण यहाँ वह नियोग शुद्धकार्यस्वरूप माना गया है। उस नियोगका जो कुछ भी अन्य विशेषण प्रतीत हो रहा है, वह छिड् आदि प्रत्ययोंका अर्थ माना जाय वह तो युक्तिपूर्ण नहीं है। जैसे

किं यजि, पचि, आदि धातुओंके अर्थ शुद्ध याग, पाक हैं। स्वर्गकी अभिलाषा रखनेवाला या तृप्तिकी कामना करनेवाला तो धातुवर्ध नहीं है। हां, उस नियोगका विशेषण जो प्रेरकपना कहा माना गया है, वह तो प्रत्ययोंका वाच्य अर्थ नहीं है। इस कारण शुद्ध कार्यमें नियोगपना अभीष्ट किया गया है। यह पहिला प्रकार हुआ।

**परेषां शुद्धा प्रेरणा नियोग इत्याशयः।**

दूसरे मीमांसकोंका यह आशय है कि शुद्धप्रेरणा करमा ही नियोग है। वह नियोग प्रत्ययका अर्थ है। अनेक जन जो यह मान बैठे हैं कि जाति, व्यक्ति, लिङ्ग तो जिस प्रकृतिस प्रत्यय किया जाय उस प्रकृतिके अर्थ कहे जाते हैं। और संख्या, कारक ये प्रत्ययके अर्थ हैं। इस मन्तव्यकी अपेक्षा शुद्धप्रेरणाको प्रत्ययका अर्थ मानना चाहिये, यह प्रेरणा जिस धातुवर्धके साथ उग जायेगी, उस क्रियामें नियुक्तजन प्रवृत्ति करता रहेगा। हमारे ग्रन्थोंमें शुद्ध प्रेरणाको प्रत्ययका अर्थ इस श्लोकद्वारा कहा है, सो सुनलो।

**प्रेरणैव नियोगोत्र शुद्धा सर्वत्र गम्यते।**

**नाप्रेरितो यतः कश्चिन्नियुक्तं स्वं प्रबुध्यते ॥ ९९ ॥**

यहां कर्मकाण्डके प्रकरणमें सर्वत्र शुद्ध प्रेरणारूप नियोग ही वाक्यद्वारा जाना जा रहा है। जिस कारणसे कि प्रेरणारहित होता हुआ कोई भी प्राणी अपनेको नियुक्त नहीं समझ रहा है। जब कि नियुक्त और प्रेरित समानार्थक हैं तो नियोगका अर्थ शुद्ध प्रेरणा अर्थात्पत्तिसे ज्ञात कर लिया जाता है। यह दूसरा नियोग है।

**प्रेरणासहितं कार्यं नियोग इति केचिन्नन्यन्ते।**

कोई प्रमाकर मतानुयायी मीमांसक प्रेरणासे सहित हो रहा कार्य ही नियोग है। इस प्रकार मान रहे हैं। उनका ग्रन्थवाक्य ओं है कि—

**ममेदं कार्यमित्येवं ज्ञातं पूर्वं यदा भवेत्।**

**स्वसिद्धयै प्रेरकं तत्स्यादन्यथा तन्न सिद्धयति ॥ १०० ॥**

यह मेरा कर्तव्य कार्य है, इस प्रकार जब पढ़िठे ज्ञात हो जावेगा तभी तो वह वाक्य अपने वाक्य अर्थ यज्ञकर्मकी सिद्धि करानेके लिये श्रोता पुरुषका प्रेरक हो सकेगा। अन्यथा यानी मेरा यह कर्तव्य है, इस प्रकार ज्ञान नहीं होनेपर वह वाक्य प्रेरक सिद्ध नहीं होता है। अतः अकेली प्रेरणा या शुद्धकार्य नियोग नहीं है। किन्तु प्रेरणासे सहित हुआ कार्य नियोग है। यह तीसरा प्रकार हुआ।

कार्यसहिता प्रेरणा नियोग इत्यपरे ।

अपर मीमांसक कहते हैं कि कार्यसे सहित हो रही प्रेरणा नियोग है । अर्थात्—पड़िचे तृतीय पक्षमें कार्यकी प्रधानता थी, अब प्रेरणाकी मुख्यता है । दाबसहित रोटी, रोटीसहित दाब या गुरुसे सहित शिष्य और शिष्यसे सहित गुरु, इनमें जो विशेषणविशेष्य मान लगाकर प्रधानता और अप्रधानता हो जाती है, वही प्रकार यहां भी विशेषणको गौण और उससे सहित हो रहे विशेष्यको मुख्य जान लेना चाहिये । ग्रन्थोंमें लिखा है कि:—

प्रेर्यते पुरुषो नैव कार्येणेह विना क्वचित् ।

ततश्च प्रेरणा प्रोक्ता नियोगः कार्यसंगता ॥ १०१ ॥

इस जगत्में कोई भी पुरुष कर्तव्यपनेको जाने बिना किसी भी कार्य करनेमें प्रेरित हो रहा नहीं पाया जाता है । तिस कारणसे कार्यसे सहित हो रही प्रेरणा ही यहाँ अष्टा नियोग कहाँ गयी है, यह नियोगका चतुर्थ प्रकार है ।

कार्यस्यैवोपचारतः प्रवर्तकत्वं नियोग इत्यन्ये ।

अब कोई अन्य मीमांसक यों कह रहे हैं कि उपचारसे कार्यका ही प्रवर्तकपना नियोग है । अर्थात्—वेदवाक्यको जो मुख्य प्रेरकपना हैं, वह यागस्वरूप कार्यमें उपचरित हो जाता है । जैसे कि त्रिलोकसारके श्रद्धेय प्रमेयको त्रिलोकसारके पढनेमें छात्रके लिये प्रेरकपना है । किन्तु सुन्दर लिखी हुई त्रिलोकसारकी चित्रित पुस्तकमें उपचारसे प्रेरकपना कह दिया जाता है । अतः उपचारसे कार्य ही प्रवर्तक है, यही पांचवाँ नियोग है ।

प्रेरणाविषयः कार्यं न तु तत्प्रेरकं स्वतः ।

व्यापारस्तु प्रमाणस्य प्रमेय उपचर्यते ॥ १०२ ॥

वही ग्रन्थोंमें लिखा है कि वेदवाक्यजन्य यागानुकूल व्यापारस्वरूप प्रेरणा है । यज्ञ करना, पूजन करना आदि कार्य उस प्रेरणाके कर्तव्य विषय हैं । यह कार्य स्वयं अपने आपसे पछाका प्रेरक नहीं है । किन्तु प्रमाणके व्यापारका उपचार प्रमेयमें कर दिया जाता है । कर्तव्य कार्य यदि अधिक प्रिय होता है तो आसन्नचन ( जो कि वस्तुतः उस प्रिय कार्यको करानेमें प्रेरणा कर रहा है ) को छोड़कर कार्यमें ही प्रवर्तकपनेके गीत गाये जाते हैं ।

कार्यप्रेरणयोः संबन्धो नियोग इत्यपरे ।

यागरूप कार्य और प्रेरणाका सम्बन्ध हो जाना नियोग है, यों इतर मीमांसक कह रहे हैं । उनका प्रमाणवचन यह है कि:—

प्रेरणा हि विना कार्यं प्रेरिका नैव कस्यचित् ।

कार्यप्रेरणयोयोगो नियोगस्तेन सम्मतः ॥ १०३ ॥

जिस कारणसे कि प्रेरणा विचारी कार्यके विना किसी भी पुरुषको प्रेरणा करानेवाली नहीं होती है, तिस कारण कार्य और प्रेरणाका सम्बन्ध हो जाना ही नियोग सम्मत किया गया है । यह छठवां नियोग है ।

तत्समुदायो नियोग इति चापरे ।

उन कार्य और प्रेरणाका समुदाय हो जाना नियोग है । इस प्रकार कोई न्यारे भीमासक कह रहे हैं, लिखा है कि—

परस्पराविनाभूतं द्वयमेतत्प्रतीयते ।

नियोगः समुदायोस्मात्कार्यप्रेरणयोर्मतः ॥ १०४ ॥

परस्परमें अविनाभावको प्राप्त होकर मिले दूये कार्य और प्रेरणा दोनों ही एकमएक प्रतीय हो रहे हैं । इस कारण कार्य और प्रेरणाका समुदाय यहा नियोग माना गया है, यह सातवां ङंग है ।

तदुभयस्वभावनिर्मुक्तो नियोग इति चान्ये ।

उन कार्य और प्रेरणा दोनों स्वभावसे विनिर्मुक्त हो रहा नियोग है, इस प्रकार कोई अन्य विद्वान् कह रहे हैं ।

सिद्धमेकं यतो ब्रह्मगतमाभ्यायतः सदा ।

सिद्धत्वेन च तत्कार्यं प्रेरकं कुत एव तत् ॥ १०५ ॥

जिस कारणसे कि वेदवाच्योंद्वारा सदा जाना जा रहा, एक ब्रह्मतरव प्रसिद्ध हो रहा है, कर्मकाण्डके प्रतिपादक वाक्योंमें भी कार्य और प्रेरणा की नहीं अपेक्षा करके परमात्माका प्रकाश हो रहा है, जब कि परमात्मा अनादिकावसे सिद्ध है, इस कारण वह किसीका कार्य है । भला प्रेरक तो वह कैसे भी नहीं हो सकता है । अतः कार्य और प्रेरणा इन दोनों स्वभावसे रहित नियोग है । नियोगका यह आठवां विधान है ।

यंत्रारूढो नियोग इति कथित् ।

यंत्रमें आरूढ होनेके समान याग आदि कार्यमें आरूढ हो जाना नियोग है । इस प्रकार कोई भीमासक कह रहा है ।



कामी यत्रैव यः कश्चिन्नियोगे सति तत्र सः ।

विषयारूढमात्मानं मन्यमानः प्रवर्तते ॥ १०६ ॥

जो भी कोई भी जीव जिस ही स्वर्ग आदि विषयमें तीव्र अभिच्छाया रखनेवाला होता है, वह जीव उस कार्यके करनेमें नियोग हो जानेपर अपनेको याग आदि विषयोंमें आरूढ मान रहा प्रवर्त हो जाता है। भावार्थ—जैसे झुआ, मसीनका घोडा आदि यंत्रोंपर आरूढ हो रहा पुरुष तैसे भावोंसे रंगा हुआ प्रवर्त रहा है। उसी प्रकार जिसको जिस विषयकी आसक्ति (छगन) छग रही है, वह जीव उम ही कार्यमें अपनेको रंगा हुआ मानकर प्रवृत्ति करता है। यह नयना विधान है।

भोग्यरूपो नियोग इत्यपरः ।

तार्थ करतुकरनेपर भविष्यमें जो भोग्यस्वरूप हो जाता है, वही वाच्यका अर्थ नियोग है, ऐसा कोई अन्य कह रहा है। छिन्ना भी है किः—

ममेदं भोग्यमित्येवं भोग्यरूपं प्रतीयते ।

ममत्वेन च विज्ञानं भोक्तुर्येव व्यवस्थितम् ॥ १०७ ॥

स्वामित्वेनाभिमानो हि भोक्तुर्यत्र भवेदयं ।

भोग्यं तदेव विज्ञेयं तदेवं स्वं निरुच्यते ॥ १०८ ॥

साध्यरूपतया येन ममेदमिति गम्यते ।

तत्प्रसाध्येन रूपेण भोग्यं स्वं व्यपदिश्यते ॥ १०९ ॥

सिद्धरूपं हि यद्भोग्यं न नियोगः स तावता ।

साध्यत्वेनेह भोग्यस्य प्रेरकत्वान्नियोगता ॥ ११० ॥

किमी उरयोगी वाच्यको सुनकर मुझे यह भोग्य है, इस प्रकार भोग्यस्वरूपकी प्रतीति हो जाती है। जैसे कि अरार्थीको कठोर कारागृहवासकी आज्ञाके बचन सुनकर भोग्यरूपकी प्रतीति हो जाती है। ऐसे ही वेदवाक्यों द्वारा आत्माको स्वकीय भोग्यस्वरूपकी प्रतीति हो जाती है। उस भोग्यस्वरूपमें भेरेपने करके जो विज्ञान हो रहा है, वह भोक्ता आत्मामें ही व्यवस्थित हो रहा है। भोक्ता आत्माका जिस नियममें स्वामीपने करके यह अभिप्राय (साभिमान) हो रहा है, अर्थात्—जिसका वह स्वामी है, वही पदार्थ भोग्य समझना चाहिये। यद्यार्थमें देखा जाय तो वह आत्माका स्वरूप ही इस प्रकार एव शब्दके द्वारा वाच्य किया जाता है। अन्ना अपने स्वभावोंका

भोक्ता है। जैन लोग भी मानते हैं मेरे द्वारा यह कार्य साध्य है। इस प्रकार साधने योग्य स्वरूपसे जिस पुरुषकारके यह जान लिया जाता है, वह अच्छे प्रकार साध्यरूप करके निजस्वरूप भोग्य कइ दिया जाता है। जो आत्माका स्वरूप सिद्ध हो चुका भोग्य है, तितने मात्रसे वह नियोग नहीं है। क्योंकि भविष्यमें साधने योग्यपनेकरके यहाँ भोग्यकी व्यवस्था है, जो स्वरूप भविष्यमें भोगने योग्य होगा। अतः प्रेरकपनेसे भोग्यको नियोगपमा इष्ट किया है। अर्थात्—भविष्यमें करने योग्य ज्योतिष्टोम आदि यज्ञोंसे विशिष्ट आत्माका स्वरूप भोग्य है। अतः भोग्यस्वरूप नियोग है, यह दसवाँ प्रकार नियोगका है।

पुरुष एव नियोग इत्यन्यः।

आत्मा ही नियोग है, इस प्रकार कोई अन्य प्रमाकर कइ रहा है। ग्रन्थका वचन यह हैः—

ममेदं कार्यमित्येवं मन्यते पुरुषः सदा।

पुंसः कार्यविशिष्टत्वं नियोगः स्यादवाधितः ॥ १११ ॥

कार्यस्य सिद्धौ जातायां तद्वृत्तः पुरुषस्तदा।

भवेत्साधित इत्येवं पुमान् वाक्यार्थ उच्यते ॥ ११२ ॥

यह मेरा कार्य है, इस प्रकार आत्मा सर्वदा मामता रहता है। इस कारण पुरुषका कार्यसे विशिष्टपमा ही बाधाओंसे रहित हो रहा नियोग है। यह नियोग विधि छिद्गका वाच्य अर्थ है। कार्यकी सिद्धि हो चुकनेपर उस समय कार्यसे युक्त हो रहा पुरुष साधा गया समझा जाता है। इस कारण कार्ययुक्त पुरुष ही यों वाक्यका अर्थ कहा गया है। नियोगका यह ग्यारहवाँ भेद है।

सौऽयमेकादशविकल्पो नियोग एव वाक्यार्थ इत्येकांतो विपर्ययः प्रभाकरस्य तस्य सर्वस्याप्येकादशभेदस्य प्रत्येकं प्रमाणाद्यष्टविकल्पानतिक्रमात्। यदुक्तम्।

सो यह पूर्वोक्त प्रकार ग्यारह भेदवाला नियोग ही वाक्यका अर्थ है। इस प्रकार प्रम.क-रोक्ता एकान्तरूपसे आप्रह करना निरा विपर्यय ज्ञान है। क्योंकि इन ग्यारहों भी भेदवाले सभी नियोगोंका प्रत्येकमें प्रमाण, प्रमेय आदि आठ विकल्पों करके अतिक्रमण नहीं हो सकता है। अर्थात्—ग्यारहों भी नियोगोंमें प्रत्येकका प्रमाण, प्रमेय आदि विकल्प उठाकर विचार किया जायगा तो वे ठीक ठीक रूपसे व्यवस्थित नहीं हो सकेंगे, जो ही रश्मिगत मामक विद्वानोंने कहा है।

प्रमाणं किं नियोगः स्यात्प्रमेयमथवा पुनः।

उभयेन विहीनो वा द्वयरूपोथवा पुनः ॥ ११३ ॥

शब्दव्यापाररूपो वा व्यापारः पुरुषस्य वा ।

द्वयव्यापाररूपो वा द्वयाव्यापार एव वा ॥ ११४ ॥

प्रमाकरोंके प्रति मट मत अनुपायी पूछते हैं कि तुम्हारा माना हुआ वह नियोग क्या प्रमाणरूप होगा ? या प्रमेयस्वरूप होगा ? अथवा क्या फिर दोनों प्रमाण प्रमेयोंसे रहित होगा ? अथवा क्या पुनः प्रमाणप्रमेय दोनों स्वरूप होगा ? अथवा क्या शब्दका व्यापारस्वरूप होगा ? तथा क्या पुरुषका व्यापारस्वरूप वह माना जावेगा ? अथवा क्या शब्द और पुरुष दोनोंका मिला हुआ व्यापार स्वरूप होगा ? अथवा क्या शब्द और पुरुषके व्यापारोंसे रहित ही उस नियोगका स्वरूप होगा ? इन पक्षोंको लेकर स्पष्ट उत्तर कहो !

तत्रैकादशभेदोपि नियोगो यदि प्रमाणं तदा विधिरेव वाक्यार्थ इति वेदांतवाद-  
प्रवेशः प्रभाकरस्य स्यात् प्रमाणस्य चिदात्मकत्वात्, चिदात्मनः प्रतिभासमात्रत्वात्तस्य च  
परब्रह्मत्वात् । प्रतिभासमात्राद्धि पृथग्बिधिः कार्यतया न प्रतीयते घटादिवत् प्रेरकतया  
वचनादिवत् । कर्मकरणसाधनतया च हि तत्प्रतीतौ कार्यताप्रेरकताप्रत्ययो युक्तो नान्यथा ।  
किं तर्हि, द्रष्टव्योऽरेऽयमात्मा श्रोतव्योऽनुमंतव्यो निदिध्यासितव्य इत्यादि श्रवणादव-  
स्थांतरविलक्षणेन प्रेरितोऽहमिति जाताकृतेनाकारेण स्वयमात्मैव प्रतिभाति स एव विधिरिति  
वेदांतवादिभिरभिधानात् ।

यहां श्री विद्यानन्द आचार्य नियोगवादी प्रमाकरोंके मतका मट मीमांसकों करके खण्डन  
कराये देते हैं । मट मीमांसकोंने भिन्न प्रकार नियोगका खण्डन किया है, वह हमको अमीष्ट है ।  
भाट कहते हैं कि ग्वाहों मेरवाळा नियोग यदि उम आठ भेदोंसे पहिळा भेद प्रमाणस्वरूप है ।  
तब तो कर्मव्य अर्थका उपदेश या शुद्ध सन्मात्रस्वरूप विधि ही वाक्यका अर्थ है । इस प्रकार  
प्रभाकरके यहां ब्रह्माद्वैतको कहनेवाले वेदान्तवादका प्रवेश हो जायेगा । क्योंकि प्रमाण तो चैतन्य  
आत्मक है और चिद्रूपका आत्मा केवल प्रतिमासमय है और वह शुद्ध प्रतिभास तो ब्रह्ममय है ।  
केवल प्रतिभाससे नारा कोई बिधि घटादिकके समान कार्यरूपपने करके नहीं प्रतीत हो रही है ।  
अर्थात्—घट, पट, पुस्तक, आदिक जैसे कार्यपनेसे प्रतीत हो रहे हैं, ऐसी बिधि कार्यरूप नहीं  
दीख रही है । अथवा वचन, अंगुलीदारा संकेत आदिके समान प्रेरकपने करके भी बिधि नहीं  
जानो जा रही है । ये व्यतिरेक दृष्टान्त हैं । यानी वचन, चेष्टा आदिक जैसे लोकमें प्रेरक माने गये  
हैं । ऐसी प्रतिमासस्वरूप बिधि प्रेरणा करनेवाली नहीं है । हां, कर्मको वाक्यार्थ साधनेवाक्यपने करके  
या कारणको वाक्य अर्थ साधनेवाक्यपने करके यदि बिधिकी प्रतीति हो रही होती, तब तो बिधिमें  
कार्यपन या प्रेरकपन करके ज्ञान होना उचित होता । अन्यथा यानी कर्मसाधन या कारणसाधनपनेके

बिना ही शुद्ध सम्पन्न विधिकी प्रतीति हो जानेपर तो कार्यपन या प्रेरकपनका ज्ञान करना उचित नहीं पड़ेगा। अर्थात्—जो किया जाय वह कर्म है (क्रियते इति कर्म)। जैसे घट, पट आदिक और स्वकृत्यमें पुरुष त्रिसंकरके प्रेरणाय वे वचन आदिक प्रेरक कारण हैं ( प्रेर्यतेऽनेन इति प्रेरकं )। किन्तु “ विधीयते यत् या विधीयतेऽनेन ” इस प्रकार निश्चित करके विधि शब्द नहीं साधा गया है। तो वह विधि क्या है ! इसका उत्तर यों है कि अरे भ्रैत्रेय ! यह आत्मा दर्शन करने योग्य है। आत्माका दर्शन यों हो जाता है कि पहिले आत्माका वेदवाक्यों द्वारा श्रवण करना चाहिये। तभी श्रद्धाज्ञानमें तत्परता हो सकती है। पुनः श्रुत आत्माका युक्तियोंसे विचार कर अनुमनन करना चाहिये। श्रवण और मननसे निश्चित किये गये अर्थका मनसे परिचिन्तन करना चाहिये। अथवा “ तत्त्वमसि ” वह प्रसिद्ध परब्रह्म वृत्ति है। श्यादिक वैदिक शब्दोंके श्रवणसे मैं पहिली अदर्शन, अश्रवण आदिकी अवस्थाओंको अपेक्षा विलक्षण हो रही दूसरी अवस्थाओंकरके इस समय प्रेरित होगया हूँ। इन प्रकार “ अहम् ” का दर्शन आदिद्वारा प्रत्यक्ष करानेवाली उपपन्न हुई आकाशवाली चेष्टा करके स्वयं आत्मा ही प्रतिभास रहा है वह आत्मा ही तो विधि है। इस प्रकार वेदान्तवादीयोंने कथन किया है। अतः नियोगको प्रमाणरूप माननेपर प्रमाकरको वेदान्तवादी बनना पड़ेगा, अन्य विरुद्धमतोंका आश्रय करलेना भारी निर्वृत्ता है।

प्रमेयत्वं तर्हि नियोगस्यास्तु प्रमाणत्वे दोषाभिधानात् इति कश्चित्। तदस्तु, प्रमाणवचनाभावात्। प्रमेयत्वे हि तस्य प्रमाणपन्यद्वार्य्यं, तदभावे कश्चित्प्रमेयत्वायोगात्। श्रुतिवाक्यं प्रमाणमिति चेन्न तस्याचिदात्मकत्वे प्रमाणत्वाघटनादन्यत्रोपचारात्। संविदात्मकत्वे श्रुतिवाक्यस्य पुरुष एव तदिति स एव प्रमाणं तत्संबेदनविवर्तश्च नियुक्तोहमित्याभिधानरूपो नियोगः प्रमेय इति नायं पुरुषादन्यः प्रतीयते यतो वेदांतवादिमतानुप्रवेशोऽस्मिन्नपि पक्षेन संभवेत्।

नियोगको प्रमाणपना माननेपर दोषोंका कथन कर दिया गया है। इस कारण नियोगको तब तो प्रमेयपना रहे, इन प्रकार कोई पक्ष ले रहा है। उसका वह कथन भी असत्य है। क्योंकि प्रमाणके होनेपर ही उससे जानने योग्य प्रमेयका कथन हो सकता है। किन्तु प्रमाणके वचनका अभाव है। जब कि उस नियोगको प्रमेयपना माना जावेगा तो उसका माहक प्रमाण अन्य तुम प्रमाकरोंको कहना ही चाहिये। क्योंकि उस प्रमाणके बिना किसी भी पदार्थमें प्रमेयपनका योग नहीं हो पाता है। यदि वेदवाक्योंको प्रमाण कहोगे तब तो हम मट्ट कहते हैं कि यह तो तुम नहीं कह सकते हो। क्योंकि वचन जब होते हैं। उपचारसे भले ही वचनोंको प्रमाण कह दिया जाय। उपचारके सिवाय उन वेदवाक्योंको चैतन्यआत्मकपना नहीं होते सन्ते मुख्यरूपसे प्रमाणपना नहीं घटित होता है। हा, यदि वेदवाक्योंको चैतन्य आत्मक माना जायेगा, तब तो परब्रह्म ही श्रुतिवाक्य हुआ, इस ढंगसे

तो वह ब्रह्म ही प्रमाण हो गया और उसकी चैतन्यस्वरूप पर्यायें तो " मैं स्वमें निमुक्त हो गया हूँ " इस प्रकार कथन करना स्वरूप नियोग प्रमेय हो गया। इस ढंगसे यह प्रमेय तो परब्रह्मसे श्यावा प्रतीत नहीं हो रहा है। जिससे कि इस प्रमेयरूप दूसरे पक्षमें भी वेदान्तवादियोंके मतका प्रवेश नहीं सम्भवे। अर्थात्—नियोगको प्रमेय माननेपर भी प्रमाकरोंको वेदान्तवादियोंके गन्तव्य अनुसार ब्रह्म अद्वैतवादी बनना पड़ेगा।

प्रमाणप्रमेयस्वभावो नियोग इति चेत् सिद्धस्तर्हि चिद्विचरितोऽसौ प्रमाणरूपतान्यथानुपपत्तेः। तथा च स एव चिदात्मोभयस्वभावतयात्मानमादर्शयन् नियोग इति स एव ब्रह्मवादः।

नियोगवादी कहते हैं कि प्रायेक पक्षका मूढ़ण करनेपर दोष आते हैं। अतः प्रमाण और प्रमेय दोनों स्वभाववाला नियोग मान लिया जायगा, इसपर मूढ़ कहते हैं कि तब तो वह नियोग बहुत अच्छे प्रकारसे चैतन्य परब्रह्मका परिणाम सिद्ध हो जायगा। अन्यथा यानी परब्रह्मका विवर्त माने बिना नियोगको प्रमाणपना नहीं बन सकेगा। अर्थात्—जो वस्तु प्रमाण प्रमेय उभयरूप है, वह चैतन्यआत्मक अवश्य है। और तिस प्रकार होनेपर वह सत्, चिद्, आनन्द, स्वरूप आत्मा ही प्रमाणप्रमेय इन उभयस्वभाववालेपने करके अपनेको सब ओरसे दिखला रहा नियोग स्वरूप हो रहा है। इस प्रकार वही ब्रह्मअद्वैतवादका अनुसरण करना प्रमाकरोंके लिये प्राप्त हो जाता है।

अनुभयस्वभावो नियोग इति चेत् तर्हि संवेदनमात्रमेव पारमार्थिकं तस्म कदाचिदहेयत्वात् तयाविषयत्वसंभवात् सन्मात्रदेहतया निरूपितत्वादिति वेदांतवाद एव।

चतुर्थ पक्षके अनुसार यदि प्रमाण प्रमेय दोनों स्वभावोंसे रहित नियोग माना जायगा, तब तो केवल शुद्ध सम्भेदन ही वास्तविक पदार्थ सिद्ध होता है। क्योंकि किसी भी कालमें वह शुद्धसम्भेदन श्यागने योग्य नहीं है। तिस कारण अनुभवमें पड़े दृश्ये नञ्का अर्थ पयुर्दास माननेपर तिस प्रकार सर्वदा प्रमाणपन, प्रमेयपन उपाधियोंसे रहित होता हुआ शुद्ध प्रतिमासका ही पकड़ा जाना सम्भवता है। केवल सत्स्वरूप इतने ही शरीरको धारनेवालेपन करके उस प्रतिमासका ही निरूपण किया गया है। इस प्रकार प्रमाकरोंके यहाँ वेदान्तवाद ही पुस जाता है। यह अपसिद्धान्त हुआ। सर्वथा प्रतिजूओंके मतको माननेकी अपेक्षा माइयोंका मन स्वीकार कर लेना कहीं अच्छा है।

शुन्द्वपापारी नियोग इति चेत् भट्टमतप्रवेशः, शुन्द्वपापारस्य शुन्द्वभावनारूपत्वात्।

यदि प्रमाकरोंका यह मन्तव्य होय कि पाँचवें पक्षके अनुसार " अग्निष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत् " स्वर्गप्राप्तिकी अभिज्ञाना रपनेवाला जीव अग्निष्टोम करके यज्ञ करे, श्यादिक शब्दोंका

व्यापार स्वरूप नियोग है, तब तो हम भाट्ट कहते हैं कि इस प्रमाकरको कुमारिळमट्टके मतका अनुसरण करना कयमपि निघारा नहीं जा सकता है । हम भट्टोंके यहां शब्दव्यापारको शब्दोंकी भावनास्वरूप माना गया है । शब्द भावक हैं । अतः प्रमाकरका भट्टके मतमें प्रवेश करना अनिघार्य हुआ ।

पुरुषव्यापारो नियोग इति चेत् स एव दोषः तस्यापि भावनारूपत्वात्, शब्दात्म-  
व्यापाररूपेण भावनाया द्वैविध्याभिधानात् ।

यदि प्रमाकर छठवें पक्षके अनुसार आत्माके व्यापारको नियोग मानेंगे तब भी वही दोष होगा । यानी तुम प्रमाकरोंको भट्ट मतका अनुसरण करना पड़ेगा । क्योंकि पुरुषका व्यापार भी भावनास्वरूप है । भाट्टोंकेने शब्द व्यापार और आत्मव्यापार स्वरूपकरके भावनाका दो प्रकारसे कथन किया है ।

तदुभयरूपो नियोग इत्यनेनैव व्याख्यातं ।

सातवें पक्षके अनुसार प्रमाकर यदि शब्द और पुरुष मिळे दूये दोनोंका व्यापार स्वरूप नियोगको मानेंगे तो वह उनका यक्तव्य भी इस उक्त कथनकरके व्याख्यान कर दिया गया है । अर्थात्—क्रमसे अथवा युगपत् दोनोंका व्यापार माना जायगा ! वताओ । क्रमसे माननेपर वही भट्ट मतका अनुसरण करना दोष आता है । और युगपत् दोनोंका एक स्वभावपना तो एक वस्तुमें विरुद्ध है । अतः वह अलौकिक हो जायगा ।

तदनुभयव्यापाररूपत्वे तन्नियोगस्य विषयस्वभावता, फलस्वभावता, निःस्वभावता, या स्यात् ? प्रथमपक्षे यागादिविषयस्याग्निष्टोमादिवाक्यकाळे विरहात् तद्रूपस्य नियोगस्यासंभव एव । संभवे वा न वाक्यार्थो नियोगस्तस्य निष्पादनार्थत्वात् निष्पन्नस्य निष्पादनायोगात् पुरुषादिवत् । द्वितीये पक्षेपि नासौ नियोगः फलस्य भावत्वेन नियोगत्वाघटनात् तदा तस्यासंनिधानाच्च । तस्य वाक्यार्थत्वे निरालंबनशब्दवादाश्रयणात्कृतः प्रमाकरमतसिद्धिः ? निःस्वभावत्वे नियोगस्यायमेव दोषः ।

अष्टमपक्षके अनुसार प्रमाकर उस नियोगको यदि शब्दव्यापार पुरुषव्यापार दोनोंसे रहित स्वरूप मानेंगे तब तो पर्युदास पक्ष ग्रहण करनेपर हम भाट्ट पूछेंगे कि वह नियोग दोनों व्यापारोंसे भिन्न होता हुआ, क्या यज्ञ आदि कर्मरूप विषयस्वभाव है ? या स्वर्ग आदि फलस्वभाव है ? अथवा प्रत्यय पक्षको अंगीकार करनेपर यह नियोग सभी स्वभावोंसे रहित है ? वताओ । पहिला पक्ष छेनेपर तो अग्निष्टोम करके याग करना चाहिये, इस वाक्य उच्चारणके समयमें याग आदि विषयोंका अभाव है । अतः यज्ञस्वरूप नियोगकी भी सम्भावना नहीं है । जो कार्य अविषयमें होने-

वाळा है, उस कार्यके साथ तादात्म्य सम्बन्ध रखनेवाला धर्म वर्तमानकालमें नहीं है । और यदि भविष्यमें होनेवाले यज्ञकी वर्तमानमें सम्भावना मानी जावेगी तो वाक्यका अर्थ नियोग नहीं हुआ । क्योंकि वह नियोग तो कर्तव्य कार्यको भविष्यमें बनानेके लिये हुआ करता है । जो किया जाकर बन चुका है, उसका पुनः बनाना नहीं हो सकता है । जैसे कि अनादिकालके बने हुये नित्यद्रव्य आत्मा, आकाश आदिक नहीं बनाये जाते हैं । द्वितीय पक्षके ग्रहण करनेपर भी वह नियोग स्वर्ग आदि फलस्वरूप नहीं घटित हो सकता है । क्योंकि फल तो स्वयं अन्तिम परिणाम है, फलका पुनः फल नहीं होता है । किन्तु नियोग तो फलकरके सहित है । यदि अन्य फलोंकी कल्पना की जायगी तो अनवस्था हो जायगी । “ भाविष्येन ” पाठ माना जाय तो फल भविष्यमें होनेवाला है, अतः वर्तमान कालका नियोग नहीं हो सकता है, यों अर्थ लगा लिया जाय । दूसरी बात यह भी है कि उस वाक्य उच्चारणके समय उस स्वर्ग फल आदिका सन्निधान नहीं है । अतः उस अविद्यमान फलको यदि उस वाक्यका फल मानोगे तो निरात्मन् शब्दके पक्षपरिग्रहका आश्रय कर लेनेसे बौद्ध मतका प्रसंग होगा । प्रमाकरके मतकी सिद्धि कैसे हो सकेगी ? अर्थात्—शब्दका अर्थ वस्तुभूत कुछ नहीं है । अविद्यमान अर्थको शब्द कहा करते हैं, इस प्रकार बौद्धजनोंने शब्दका आत्मन् कोई वाच्यार्थ माना नहीं है । अविद्यमानको शब्दका वाच्यार्थ मानना प्रमाकरोंको शोभा नहीं देता है । प्रमाकर अगामको प्रमाण मानते हैं । तृतीय पक्षके अनुसार नियोगको सभी स्वभावोंसे रहित माना जायगा तो भी यही दोष लागू होगा । अर्थात्—स्वभावोंसे रहित नियोग खलु विषाणके समान असत् है । बौद्धोंके यहां असत् अन्वापोह शब्दोंका वाच्य माना गया है । मोमांसकोंके यहां नहीं । इस प्रकार आठों पक्षोंमें नियोगकी व्यवस्था नहीं बन सकी ।

किं च, सन् वा नियोगः स्यादसन् वा ? मयमपसे विधिषाद् एव द्वितीये निरालं-  
चनवाद इति न नियोगो वाक्यार्थः संभवति, परस्य विचारासंभवात् ।

नियोगका खण्डन करनेके लिये विचारका दूसरा प्रकार यों भी है कि प्रमाकर मीमांसक उस नियोगको, सत्त्वरूप पदार्थ मानेंगे ? अथवा असत् पदार्थ इष्ट करेंगे ? पहिला पक्ष लेनेपर ब्रह्म अद्वैतवादियोंका विभिवाद ही स्वीकार कर लिया । क्योंकि सत्, ब्रह्म, प्रतिमास, विधि, इनका एक ही अर्थ माना गया है । यदि द्वितीय पक्ष लेनेपर नियोग असत् पदार्थ माना जायगा, तब तो प्रमाकरोंको बौद्धोंके निरात्मन्वादका आश्रय करना प्राप्त होता है । अर्थात्—असत् नियोग कभी वाक्यका अर्थ नहीं हो सकता है । इस प्रकार विधिछिन्ना वाक्योंका अर्थ नियोग करना नहीं सम्भवता है । पूर्वोक्त अनेक दोष आते हैं । जो वाक्यका अर्थ नियोग कर रहा है, उसको आहार्य कुश्रुतज्ञान है ।

तथा भावना वाक्यार्थ इत्येकांतीपि विपर्ययस्तथा व्यवस्थापयितुमशक्तेः । भावना  
हि द्विविधा शब्दभावना अर्थभावना चेति “ शब्दरूपभावनामाहुरन्यामेष लिङ्गादयः ।

इयं त्वन्वैव सर्वार्था सर्वारूप्यातेषु विद्यते ” इति वचनात् । अत्र शब्दभावना शब्दव्यापार-  
स्तत्र शब्देन पुरुषव्यापारो भाव्यते, पुरुषव्यापारेण धात्वर्थो, धात्वर्थेन च फलमिति  
शब्दभाषेनावदिनो मतं, तच्च न युज्यते शब्दव्यापारस्य शब्दार्थत्वायोगात् । न ह्यग्निष्टोमेन  
यजेत स्वर्गकाम इति शब्दात्तद्व्यापार एव प्रतिभाति स्वयमेकस्य प्रतिपाद्यप्रतिपादकत्व-  
विरोधात् । प्रतिपादकस्य सिद्धरूपत्वात्प्रतिपाद्यस्य चासिद्धस्य तथात्वसिद्धेरेकस्य च  
सकृत्प्रसिद्धेतररूपत्वासंभवाच्चद्विरोधः ।

आचार्य कह रहे हैं कि तिसी प्रकार मट्टमीमांसकों द्वारा माना गया “ वाक्यका अर्थ  
भावना ही है ” इस प्रकारका एकान्त भी विपर्ययज्ञान है। क्योंकि तिस प्रकार वाक्यके वाक्य अर्थ  
भावनाकी व्यवस्था करानेके लिये भाट्टोंकी सामर्थ्य नहीं है। बात यह है कि भाट्टोंके यहां शब्द  
भावना और अर्थ भावना ये दो प्रकारकी भावना मानी गयी हैं। उनके ग्रन्थोंमें उक्ति है कि छिड़,  
छोट, तन्व, ये प्रत्ययके अर्थ हो रही भावनासे भिन्न ही शब्दभावना और अर्थ ( आत्म ) भावनाको  
कह रहे हैं। हां, यह सम्पूर्ण अर्थोंमें बर्त रही करोत्यर्थरूप अर्थभावना तो शब्दभावनासे भिन्न ही  
है जो कि गच्छति, पचति, यजति इत्यादिक सम्पूर्ण तिङन्त आख्यातोंमें विद्यमान है। ऐसी अर्थ-  
भावना शब्दभावनासे भिन्न होनी ही चाहिये। इन दो भावनाओंमें शब्दभावना तो शब्दका व्यापार  
स्वरूप पडती है। कारण कि शब्दकरके पुरुषका व्यापार भावित किया जाता है, और पुरुष  
व्यापार करके यज् पच् आदि धातुओंका अर्थभावनाप्रस्त किया जाता है। तथा धातु अर्थकरके  
फल भावित किया जाता है। यह शब्दभावनावादी भाट्टोंका मत है। किन्तु वह युक्त नहीं है। क्योंकि  
शब्दके व्यापारको शब्दका अर्थपना घटित नहीं होता है। स्वर्गकी अभिधाषा रखनेवाला अनुष्ठाता  
अग्निष्टोम करके यज्ञको, इस प्रकारके शब्दसे उस शब्दका व्यापार ही नहीं प्रतिभासता है। वही शब्द  
अग्ने ही व्यापारका प्रतिभासक मन्त्र कैसे हो सकता है ! एक ही शब्दको स्वयं प्रतिपाद्यपन और  
प्रतिपादकपनका विरोध है। यानी शब्दका ही शरीर स्वयं प्रतिपाद्य और स्वयं उस अपने स्वरूपका  
प्रतिपादक नहीं होता है। जब कि प्रतिपादक शब्दका स्वरूप उच्चारण फालमें प्रथमसे ही बना  
बनाया सिद्ध है। और मनिष्यमें प्रवर्तने योग्य प्रतिपाद्य विषयका स्वरूप तो तब असिद्ध है। तिस  
प्रकार प्रतिपादकपन प्रतिपाद्यपनकी व्यवस्था हो जानेसे एक ही पदार्थके एक ही समय प्रसिद्धपन  
और उससे भिन्न असिद्धपन स्वरूपका असम्भव हो जानेसे शब्दमें उस प्रतिपाद्य और प्रतिपादक-  
पनका विरोध है।

शब्दस्वरूपमपि श्रोत्रज्ञानेऽर्पयतीति तस्य प्रतिपादकत्वाविरोधे रूपादयोपि स्वस्य  
प्रतिपादकाः संतु चक्षुरादिज्ञाने स्वरूपार्पणाद्विशेषाभावात् । स्वाभिधेय प्रतिपादकत्वसम-  
र्पणात् प्रतिपादकः शब्दो न रूपादय इति चायुक्तिकं, शब्दस्य स्वाभिधेयप्रतिपादकत्व



समर्पणे स्वयं प्रसिद्धे परोपदेशानर्थक्यमसंगात् । स्वत एव शब्देन ममेदमभिधेयमिति प्रतिपादनात् ।

शब्द भावनावादी भाट्ट यदि यों कहें कि शब्द अपने स्वरूपको भी श्रोत्र ज्ञानमें अर्पण कर देता है । इस कारण वह शब्द अपने शब्दभावनास्वरूपका प्रतिपादक हो जायगा । कोई विरोध नहीं आता है । इसपर आचार्य कहते हैं कि तब तो रूप, रस आदिक भी अपने अपने स्वरूपोंके प्रतिपादक हो जावें । क्योंकि चक्षुः, रसना, आदि इन्द्रियोसे नन्य ज्ञानमें विषयता सम्बन्धसे रूप, रस, आदिने भी अपना स्वरूप अर्पण कर दिया है । स्वकीय ज्ञानमें अपने स्वरूपका समर्पण कर देनेकी अपेक्षा शब्द और रूप, रस, आदिमें कोई विशेषता नहीं है । यदि भाट्ट यों कहें कि शब्द अपने अभिधेय अर्थके प्रतिपादकपनको समर्पण कर देता है । इस कारण शब्द तो अपने स्वरूपका प्रतिपादक है, किन्तु रूप आदिक वैसे नहीं हैं । आचार्य कहते हैं कि माटोंका यह कहना युक्तिशून्य है । क्योंकि शब्दका यदि अभिधेयकी प्रतिपादकताका समर्पण करना स्वयं प्रसिद्ध होता तो परके द्वारा उपदेश देना, व्याख्यान करना, समझा देना आदिके व्यर्थपनका प्रसंग आता है । क्योंकि श्रोताओंके प्रति “ मेरा यह प्रतिपाद्य अर्थ है । इस प्रकार शब्दोंकरके स्वतः ही कह दिया गया है । अर्थात्—यों तो संकेतका नहीं प्रहण करनेवाले मनुष्य तिर्यच या बालक अथवा गूंगे भी कठिन शब्दोंका अर्थ समझ आयेगे । विद्यालयोंमें पाठकोंकी आवश्यकता नहीं रहेगी ।

पुरुषसंकेतबलात्स्वाभिधेयप्रतिपादनव्यापारमात्मनः शब्दो निवेदयतीति चेत्, तर्हि यत्रार्थे संकेतितः शब्दस्तस्यार्थस्य पुरुषाभिधेयस्य प्रतिपादकत्वं तस्य व्यापार इति न शब्दव्यापारो भावना । वक्त्रभिप्रायरुढार्थः कथं ? तस्य तथाभिधानात् । तथा च कथमग्निष्टोमादिवाक्येन भावकेन पुरुषस्य यागविषयपशुचिक्षणो व्यापारो भाव्यते पुरुषव्यापारेण वाधात्स्वर्थो यजनक्रियाक्षणो धात्वर्थेन फलं स्वर्गाख्यं, यनो भाव्यभावककरणरूपतया त्र्यंशपरिपूर्णा भावना विभाव्यते इति ।

“ इस शब्दका यह अर्थ है ” इस प्रकार शब्द व्यवहार द्वारा शब्दोंके वाच्यार्थोंको समझानेवाले इशारोंको संकेत कहते हैं । शब्द अपने वाच्यार्थका प्रतिपादन करानारूप अपने व्यापारको पुरुषके द्वारा किये गये संकेतप्रहणकी शक्तिमें निवेदन कर देता है । इस प्रकार भाट्टोंके कहनेपर तो हम जैन कहते हैं कि तब तो जिस अर्थमें शब्दका संकेत प्रहण हो चुका है, पुरुषके अभिप्रायमें प्राप्त रहे उस अर्थका प्रतिपादकपना उस शब्दका व्यापार हुआ । इस दंगसे शब्दका व्यापार तो भावना नहीं सिद्ध हो सका है । यदि कोई भाट्ट यों कहे कि वक्त्रके अभिप्रायमें आरूढ हो रहा अर्थ उस शब्दका कैसे मान लिया जाय ! वताओ । इसका उत्तर यही है कि तिस प्रकार शब्दके द्वारा यह अर्थ कहा जाता है । अतः तिस प्रकार शब्दभावनाका निराकरण हो जानेसे अग्निष्टोम,

ष्योतिष्ठोम आदिकी भावना करानेवाले वाक्यों करके अनुष्ठाना पुरुषका याग विषयमें प्रवृत्ति कराना स्वरूप व्यापार भला कैसे भावित किया जावेगा ? और पुरुषव्यापारकरके याग किया करना स्वरूप धातु अर्थ कैसे भावित किया जावेगा ? तथा धातु अर्थ करके चिरकालमें होनेवाला स्वर्ग नामका फल कैसे भावनायुक्त किया जा सकता है ? जिससे कि भावना करने योग्य और भावना करनेवाला तथा भावनाका कारण इन रूपोंकरके तीन अंशोंसे परिपूर्ण होता हुई भावनाका विचार किया जाता । अथवा तीन अंशवाली भावना आराममें विशेषतया माई जाती रहे । अतः मष्टों द्वारा मानो गयी शद्धभावना वाक्यका अर्थ सिद्ध नहीं हो पाती है ।

पुरुषव्यापारो भावनेत्यत्रापि पुरुषो यागादिना स्वर्गं भावयतीति कथ्यते । न चैवं धात्वर्थभावना शद्दार्थः स्वर्गस्यासंनिहितत्वात् । प्रतिपादयितृविवक्षाबुद्धौ प्रतिभासमानस्य शद्दार्थत्वे बौद्ध एव शद्दार्थ इत्याभिमतं स्यात् । तदुक्तं । “ वक्तृव्यापारविषयो योर्यो बुद्धौ प्रकाशते । प्रामाण्यं तत्र शद्दस्य नार्थतत्त्वनिबंधनम् ॥ ” इति न भावनावादावतारो मीमांसकस्य, सौगतप्रवेशानुपंग्गादिति ।

पुरुषका व्यापार भावना है । इस प्रकार भी मष्ट मीमांसकोंका कथन होनेपर यथा पुरुष याग आदि करके स्वर्गकी भावना है, यह कहा जाता है । किन्तु इस प्रकार धातु अर्थ याग करके भावना किया गया फल तो शब्दका अर्थ नहीं है । क्योंकि शब्दका अर्थ निकटवर्ती होना चाहिये और शब्द बोधते समय स्वर्ग तो सन्निहित नहीं है । शब्दके सुनने पीछे न जाने कितने दिन पश्चात् याग किया जायगा और उसके बहुत दिन पीछे मरनेपर क्या स्वर्ग मिल सके । यदि मीमांसक यों करें कि स्वर्ग मछे ही उस समय वहाँ विद्यमान नहीं होय, फिर भी वक्ताकी विवक्षापूर्वक हुई बुद्धिमें स्वर्ग प्रतिभास रहा है । अतः बुद्धिमें सन्निहित हो जानेसे शब्दका वाच्यार्थ स्वर्ग हो सकता है । इसपर आचार्य कहते हैं कि यों तो बुद्धिमें पडा हुआ ही अर्थ शब्दका वाच्य अर्थ है, यह अभिमत हुआ । अर्थात्—बौद्धोंने विवक्षामें आरूढ हो रहे अर्थसे शब्दका वाचकपन माना है । यह बौद्धोंका मत ही माष्टोंको अभिमत हुआ । बुद्धिके समुदाय अपनेको मान रहे प्रज्ञाकर नामक बौद्धोंने घड़ी बात अपने प्रथममें कही है कि वक्ताके व्यापारका विषय हो रहा ओ अर्थ ओताकी बुद्धिमें प्रकाश रहा है, उस ही अर्थको कहनेमें शब्दकी प्रमाणता है । वहा विद्यमान हो रहे वास्तविक अर्थ—तत्त्वको कारण मानकर शब्दका प्रामाण्य व्यवस्थित नहीं है । अर्थात्—बौद्ध मानते हैं कि वक्ताके बुद्धिसम्बन्धी व्यापारसे जाना जा रहा अर्थ यदि शिष्यकी बुद्धिमें प्रकाशित होगया है, तो उस अंशमें शब्दप्रमाण है । बाह्य अर्थ होय या नहीं, कोई आकांक्षा नहीं । अतः पुरुषभावना सिद्ध नहीं हुई । इस प्रकार मष्ट मीमांसकोंके दोनों भावना वादोंका अवतार होना प्रमाणोंसे सिद्ध नहीं हुआ । क्योंकि बौद्धमतके प्रवेशका प्रसंग हो

जाता है। अतः भावना वाक्यका अर्थ है, यह मीमांसकोंका विपर्ययज्ञान है, जो कि आहार्य कुश्रुतज्ञान स्वरूप है।

तथा धात्वर्थो वाक्यार्थ इत्येकांतो विपर्ययः शुद्धस्य भावस्वभावतया विधिरूपत्व-  
प्रसंगात्। तदुक्तं। “ सन्मात्रं भावकिंगं स्यादसंपृक्तं तु कारकैः। धात्वर्थः केवलः शुद्धो  
भाव इत्यभिधीयते ॥ ” इति विधिवाद एव, न च प्रत्ययार्थशून्योर्धात्वर्थः कुतश्चिद्विधि-  
वाक्यात् प्रतीयते तदुपाधेरैव तस्य ततः प्रतीतेः।

तिसी प्रकार यज, पच, आदि धातुओंका पूजना, पकना, आदि अर्थ हों वाक्यका अर्थ है।  
ऐसा एकान्त करना भी विपर्ययज्ञान है। क्योंकि शुद्ध धातुका अर्थ तो भावस्वरूप है, तिसकारण  
ब्रह्म अद्वैतवादियोंके यहां माने गये विधिरूपपनेका प्रसंग हो जावेगा। विधिको माननेवाले ब्रह्म  
अद्वैतवादियोंने उसीको अपने ग्रन्थोंमें कहा है कि शुद्ध सत्तामात्र ही भावोंका ज्ञापक चिह्न है।  
यद् कर्त्ता, कर्म, आदि कल्पित कारकोसे मिला हुआ नहीं है। अन्य अर्थोंसे और अपने अन्वतर  
विषयोंसे रहित जो केवल शुद्ध धातुका अर्थ है, यह भाव ऐसा कहा जाता है। “ तां प्रातिपदि-  
कार्यञ्च धात्वर्थं च प्रचक्षते। सा सत्ता सा महानात्मा यामाह्वस्वतलादयः। ” धातु और प्रत्ययोंसे  
रहित हो रहे अर्थवान् शब्द स्वरूपकी प्रातिपदिकका संज्ञा है विद्वान् जन उस सत्ताको ही  
प्रातिपदिकका अर्थ और धातुका अर्थ भले प्रकार बखान रहे हैं। यह प्रसिद्ध हो रही सत्ता महान्  
परब्रह्मस्वरूप है जिसको कि त्व, तल, अणू आदिक भाव प्रत्यय कह रहे हैं। इस प्रकार धातु  
अर्थ माननेपर तो विधिवाद ही प्रस हो जाता है, हां प्रत्ययके अर्थ संख्या, कारक, इनसे रहित हो  
रहा यह शुद्ध धातु अर्थ तो किसी भी विधि वाक्यसे प्रतीत नहीं हो रहा है। किन्तु उस प्रत्ययार्थ  
रूप विशेषणसे सहित हो रहे ही उस धातु अर्थकी उस विधि लिङ्गन्त वाक्यसे प्रतीति हो रही है।

प्रत्ययार्थस्त्वत्र प्रतिभासमानोपि न प्रधानं कर्मादिवदन्यत्रापि भावादिति चेत्, तर्हि  
धात्वर्थोपि प्रधानं मा भूत् प्रत्ययांतरेपि भावाद् प्रकृतप्रत्ययापायेपीति सप्रधानं पश्यामः।

यदि विधिवादको इष्ट करते हुये शुद्ध धातु अर्थको विधि वाक्यका अर्थ माननेवाले यों कहें कि  
यद्यपि वहां विधि वाक्यके अर्थमें प्रत्ययका अर्थ प्रतिभास रहा है। फिर भी यह प्रत्ययका अर्थ प्रधान  
नहीं है। क्योंकि कर्म, करण, आदिके समान अन्य स्थानोंमें भी प्रत्ययार्थ विद्यमान है। अर्थात्—गमि,  
पचि, पठि आदि धातुओंमें भी विधिलिङ् या त प्रत्यय वर्त रहा है। त्व, तल, आदि भाव  
प्रत्यय भी अन्य अनेक शब्दोंमें संश्रुत हो रहे हैं। शयीत, नद्यात्, भोज्यं, चौर्यं, दासता,  
आदि शब्द तैसे प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार कहनेपर आचार्य कहते हैं कि तब तो धातुका अर्थ भी  
वाक्यका प्रधान अर्थ नहीं होवे। क्योंकि प्रकरणप्राप्त प्रत्ययोंके नहीं होनेपर भी वह धातु अर्थ

अन्य लट्, लृट्, क्त्वा, तुच्, आदि दूरे प्रत्ययोंमें भी वर्त रहा है। यक्षयति, यष्ठा, यष्टा, प्रयोग भी बोधे जाते हैं। इस प्रकार हम जैन धातु अर्थ और प्रत्ययार्थके विषयमें शंका समाधानोंको समान हो रहा देखते हैं।

नन्वेवं धात्वर्थस्य सर्वत्र प्रत्ययेष्वनुस्यूतत्वात् प्रधानत्वमिष्यत इति चेत्, प्रत्ययार्थस्य सर्वधात्वर्थेष्वनुगतत्वात् प्रधानत्वमस्तु। प्रत्ययार्थविशेषः सर्वधात्वर्थाननुयायीति चेत्, धात्वर्थविशेषोपि सर्वप्रत्ययार्थाननुगाम्येव धात्वर्थसामान्यस्य सर्वप्रत्ययार्थानुयायित्वमिति न विज्ञेयसिद्धिः।

पुनः विधिवादी अवधारण करते हैं कि इस प्रकार धातु अर्थ तो सम्पूर्ण ही क्तिञ्, क्तिट्, लृट्, आदिके प्रत्ययोंमें मालामें पुषे हुये सूतके समान ओतपोत हो रहा है। अतः धातु अर्थको प्रधानपना माना जाता है। इस प्रकार कहनेपर तो हम कहेंगे कि प्रत्ययका अर्थ भी तो सम्पूर्ण यञि, भू, पञि, कृ, भू, आदि धातुओंके अर्थोंमें पीछे पीछे चळता हुआ अन्वित हो रहा है। अतः प्रत्ययार्थ भी प्रधान हो जाओ। इसपर अद्वैतवादी यदि गौ कहें कि विशेष हो रहा प्रत्ययार्थ तो सभी धातु अर्थोंमें अनुयायी नहीं है। अर्थात्—एक विशिष्ट तित्प् या तस्का अर्थ तो सभी मिप्, वस्, लृट, क्ति, तल्, आदि प्रत्ययवाले धातु अर्थोंमें अन्वित नहीं हो रहा है। इस प्रकार कहनेपर तो हम कहते हैं कि विशेष धातु अर्थ भी तो सम्पूर्ण प्रत्ययार्थोंमें अनुगामी नहीं ही है। यज्ञ धातुका अर्थ मळा पञि, गमि, धातुओंके साय लगे हुये प्रत्ययोंके अर्थमें कहाँ ओतपोत होकर अनुगामी हो रहा है ? हाँ, सामान्यरूपसे धातु अर्थको सम्पूर्ण प्रत्यय अर्थोंमें अनुयायीपन है। इस कारण धातु अर्थ और प्रत्ययार्थमें अन्यत्र अनुगम करना या नहीं अनुगम करना इस अपेक्षासे कोई अन्तर नहीं सिद्ध हुआ। ऐसी दशामें वाक्यका अर्थ शुद्ध धातु अर्थ नहीं हो सकता है।

तथा विधिर्वाक्यार्थ इत्येकांतोपि विपर्ययस्तस्य विचार्यमाणस्यायोगात्। तद्धि विधिविषयं वाक्यं गुणभावेन प्रधानभावेन वा विधौ प्रमाणं स्यात् ? यदि गुणभावेन तदाग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम इत्यादेरपि तदस्तु, गुणभावेन विधिविषयत्वस्य भावात्। तत्र भट्टमतानुसारिभिर्भावनाप्राधान्योपगमात् प्राभाकरैश्च नियोगगोचरत्वप्रधानांगीकरणात्। तौ च भावनानियोगौ नासद्विषयौ प्रवर्तन्ते प्रतीयेते वा सर्वथाप्यसतोः प्रवृत्तौ प्रतीतौ वा शशविपाणादेरपि तदनुपक्तेः सद्रूपतया च तयोर्विधिनां तरीयकत्वसिद्धेः सिद्धं गुणभावेन विधिविषयत्वं वाक्यस्येति न प्रमाणतापत्तेर्विप्रतिपत्तिः येन कर्मकांडस्य पारमार्थिकता न भवेत्।

तथा सत्तामात्र विधि ही विधिच्छिद् वाक्यका अर्थ है। यह ब्रह्म अद्वैतवादियोंका एकाग्र मी विपर्यय ज्ञान है। क्योंकि उस विधिकी विचार किया जानेपर उसकी सिद्धि होनेका अयोग है। देखिये, यह विधिकी विषय करनेवाला वाक्य क्या गौणपनेसे विधिकी जानता हुआ प्रमाण समझा जायगा? अथवा प्रधानरूपसे विधिकी प्रतिपादन करता हुआ विधिमें प्रमाण माना जावेगा? बताओ। प्रथमपक्षके अनुसार यदि गौणरूपसे विधिकी कह रहा वाक्य प्रमाण बन जायगा, तब तो ब्रह्म अद्वैतवादियोंके यहाँ “स्वर्गकी अभिलाषा रखनेवाला पुरुष अग्निहोत्र पूजनद्वारा हवन करे” इत्यादिक कर्मकाण्डके प्रतिपादक वाक्योंको भी प्रमाणपना हो जाओ। क्योंकि कर्मकाण्ड वाक्योंका अर्थ भी गौणरूपसे विधिकी विषय करता हुआ वर्त रहा है। उन कर्मकाण्ड वाक्योंमें मह मत्का अनुसरण करनेवाले मीमांसकोंने भावना अर्थकी प्रधानता स्वीकार की है। और प्रमाकर मत अनुयायियोंने उन वाक्योंमें प्रधानरूपसे नियोगको विषय करनापन अंगीकृत किया है। वे भावना और नियोग दोनों असत् पदार्थकी विषय करते हुये नहीं प्रवर्तते हैं। अथवा स्वकर्तव्यद्वारा असत् पदार्थकी प्रतीति कराते हुए नहीं जाने जा रहे हैं। सभी प्रकारोंसे असत् हो रहे पदार्थोंकी (में) प्रवृत्ति अथवा प्रतीति होना माना जावेगा, तब तो शशशृङ्ग, गजविषाण, आदिकी भी उन प्रवृत्तियाँ या प्रतीतियाँ हो जानेका प्रसंग हो जावेगा। इससे एक बात यह भी जच जाती है कि उन भावना और नियोगको सद्व्यरूपने करके विधिके साथ अविनाभावीपना सिद्ध है। अतः प्रसिद्ध हो जाता है कि कर्मकाण्ड प्रतिपादक वाक्य गौणरूपसे सत्मात्रविधिकी विषय करते हैं। इस कारण मीमांसकोंके उपोतिष्ठोम, अग्निष्ठोम, विश्वजित्, अथमेव आदि वाक्योंकी प्रमाणताके प्रसंगका विवाद नहीं होना चाहिये। जिससे कि कर्मकाण्ड वाक्योंकी पारमार्थिकपना नहीं होवे। अर्थात्—गौणरूपसे विधिकी कहनेवाले कर्मकाण्ड वाक्य भी अद्वैतवादियोंको प्रमाण मानने पड़ेंगे।

प्रधानभावेन विधिविषयं वेदवाक्यं प्रमाणमिति चायुक्तं, विधिः सत्यत्वे द्वैतावतारसत् । तदसत्यत्वे प्राधान्यायोगात् । तथाहि—यो योऽसत्यः स स न प्रधानभावेननुभवंषति, यथा तद्विद्याविलासः तथा चासत्यो विधिरिति न प्रधानभावेन तद्विषयज्ञोपपत्तिः ।

द्वितीयपक्षके अनुसार ब्रह्म अद्वैतवादी यदि यों कहें कि प्रधानरूपसे विधिकी विषय करने वाले उपनिषद् वाक्य प्रमाण हैं। आचार्य कहते हैं कि यह उनका कहना युक्तियोंसे रहित है। क्योंकि वाक्यके अर्थ विधिकी वास्तविक रूपसे सत्य माननेपर तो द्वैतवादका अवतार होता है। एक विधि और दूसरा ब्रह्म ये दो पदार्थ मान लिये गये हैं। यदि उस श्रोतव्य मन्तव्य आदिकी विधिकी अवस्तुमूल असत्य मानोगे तब तो विधिकी प्रधानपना घटित नहीं होता है। उसीको अनुमान वाक्यद्वारा स्पष्ट कर हम दिखला देते हैं कि जो जो असत्य होता है, वह वह प्रधानपद का अनुभव नहीं करता है। जैसे कि उन ब्रह्म अद्वैतवादियोंके यहाँ अविद्याका विनाश असत्य होता

हुआ अप्रधान माना गया है और तिसी प्रकार का यह असत्य विधि है । इस कारण उस विधिको प्रमाणपनसे वाक्यका विषय हो जाना सिद्ध नहीं हुआ ।

स्यान्मतं न सम्यगवधारितं विधेः स्वरूपं भवता तस्यैवमव्यवस्थितत्वात् । प्रतिभासमात्राद्धि पृथग्विधिः कार्यतया न प्रतीयते घटादिवत् प्रेरकतया वा वचनादिवत् । कर्मकरणसाधनतया हि तत्प्रतीतौ कार्यताप्रेरकतामत्ययो युक्तो नान्यथा । किं तर्हि द्रष्टव्योऽरेऽप्यमात्मा श्रोतव्यो अनुमन्तव्यो निदिध्यासितव्य इत्यादि शब्दश्रवणादवस्थांतरविलक्षणनेन प्रेरितोद्दामिति जाताकृतेनाकारेण स्वयमात्मैव प्रतिभाति, स एव विधिरित्युच्यते । तस्य ज्ञानं विषयतया संबंधमधितिष्ठतीति प्रधानभावविभावनाविधेर्न विद्मन्ते, तथाविधवेदवाक्यादात्मन एव विधायकतया युद्धौ प्रतिभासनात् । तदश्चर्नश्रवणानुपनननिदिध्यासनरूपस्य विधीयमानतयानुभवात् । तथा च स्वयमात्मानं द्रष्टुं श्रोतुमनुमंतं निध्यातुं, वा प्रवर्तते, अन्यथा प्रवृत्त्यसंभवेऽप्यात्मनः प्रेरितोद्दामित्यत्र गतिरप्रमाणिका स्यात् । ततो नास्त्यो विधीयेन प्रधानता तस्य विरुध्येत । नापि सत्यत्वे द्वैतासिद्धिः आत्मस्वरूपव्यतिरेकेण तद्भावात् तस्यैकस्यैव तया प्रतिभासनात् इति ।

सम्प्रय है अद्वैतवादिपोक पद मन्तव्य होय, तदनुसार ये पोक कहें कि आप जैन या मीमांसकोंने विधिका स्वरूप मझे प्रकार नहीं समझा है । जैसा आप समझें हैं, इस प्रकार तो उस विधिकी व्यवस्था नहीं हो चुकी है । किन्तु यों है, इसलिये कि प्रतिभास सामान्यसे न्यारी घटादिकके समान कार्यरूपकरके विधि नहीं प्रतीत हो रही है । और वचन, चेष्टा, आदिके समान प्रेरकपनेकरके भी वह विधि नहीं जानी जा रही है । “ विधीयते यः स विधिः ” “ विधीयतेऽनेन स विधिः ” जो विधान किया जाय या जिस करके विधान किया जाय इस प्रकार कर्मसाधन या करणसाधनपने करके उस विधिकी प्रतीति होगयी होती, तब तो कार्यपन और प्रेरकपन स्वरूप करके विधिकी प्रतीति करना युक्त होता । अन्यथा तो वैसा ज्ञान नहीं होसकता है । तब तो विधिका स्वरूप क्या है ! इसके उत्तरमें हम अद्वैत वादिओंकी ओरसे यों समझी कि अरे संसारी जीव यह आत्मा दर्शन करने योग्य है, श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है, “ ब्रह्मविद् ब्रह्मैव मवति ” ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्मस्वरूप ही हो जाता है । “ ब्रह्मविशप्नोति परं ” “ नाहं लक्ष्मणमेवं सम्प्रस्मरामां जानामि अहमस्मि इति नो इवेमानि भूतानि ” “ य आत्मा अपहृतयाभाविजरो विष्टरयुः ” इत्यादिक शब्दोंके सुननेसे अन्य अवस्थाओंसे विद्वक्षण होकर उत्पन्न हुई चेष्टारूप आकार करके मैं प्रेरित गया हूँ । इस प्रकार स्वयं आत्मा ही प्रतिभासता है । और आत्मा ही विधि इस शब्दकरके कहा जाता है । उस विधिका ज्ञान विषयपने

करके सम्बन्धको प्राप्त हो जाता है। अर्थात्—विधिको ज्ञान, विधिमें ज्ञान, ये सब अमेद होनेसे विधि स्वरूप ब्रह्म ही है, इस कारण विधिको प्रधानरूपसे वाक्य अर्थके विचारका विघात नहीं हो पाता है। क्योंकि तिस प्रकार विधिको कहनेवाले वेदवाक्योंसे आत्माका ही विधान कर्त्तापनेकरके बुद्धिमें प्रतिभास हो रहा है। तथा उस आत्माके दर्शन, श्रवण, अनुमनन, और ध्यानस्वरूपोंका विधिके कर्म हो रहेपनेकरके अनुभव हो रहा है। और तिस प्रकार होनेपर स्वयं आत्मा ही अपनेको देखनेके लिये, सुननेके लिये, अनुमनन करनेके लिये और ध्यान करनेके लिये प्रवर्तता है। अर्थात्—आत्मा ही वेदवाक्य है। कर्त्ता, कर्म, क्रिया, भी स्वयं आत्मा ही है। अन्यथा यानी दूसरे प्रकारोंसे मानकर यदि तिस प्रकार अमेदसे प्रवृत्ति होना असम्भव होता तो भी स्वयं आत्मासे प्रेरित हुआ हूँ इस प्रकार प्रतीति होना अप्रामाणिक हो जाता। तिस कारण सिद्ध होता है कि हम अद्वैतवादियोंकी मानी हुई विधि असत्य नहीं है। जिससे कि उस विधिको प्रधानरूपसे वाक्य अर्थपना विरुद्ध पड़ जाता। आप जैन या मीमांसकोंने विधिका सत्य यानी यथार्थपना होनेपर द्वैत सिद्धि हो जानेका प्रसंग दिया था, सो ठीक नहीं है। क्योंकि आत्मस्वरूपके अतिरिक्तपनेसे उस विधिका अभाव है। विधायकपनकरके, विधीयमानपनकरके, भावविधि करके, सब तिस प्रकार उस एक ही परमशक्तका प्रतिभास हो रहा है। विधिके असत्यपनेका पक्ष तो हम छेते ही नहीं है। स्यान्नतं से लेकर यद्वांतक विधिको पुष्ट करनेवाले अद्वैतवादियोंका पूर्वपक्ष हुआ। अब आचार्य महाराज समाधान करते हैं।

तदप्यसत्यं । नियोगादिवाक्यार्थस्य निश्चयात्मतया प्रतीयमानत्वात् । तथाहि—  
नियोगस्तावदमिहोत्रादिवाक्यादिवत् दृष्टव्योरेऽपमात्मा इत्यादि वचनादपि प्रतीयते एव  
नियुक्तोहमनेन वाक्येनेति निरवशेषो योगो नियोगः प्रतिभाति मनागप्ययोगाशंकानव-  
तारादवश्यकर्तव्यतासंप्रत्ययात् । कथमन्यथा तद्राक्यश्रवणादस्य प्रवृत्तिरुपपद्यते, मेघध्व-  
न्यादेरपि प्रवृत्तिप्रसंगात् ।

अद्वैतवादियोंका वह कहना भी असत्य है क्योंकि वाक्यके अर्थ नियोग, भावना आदिकी भी निश्चय स्वरूपपनेकरके प्रतीति की जा रही है। उसीको हम प्रसिद्ध कर दिखलाते हैं कि अग्नि होत्र, योतिष्टोम, आदिके प्रतिपादक वाक्यों आदिसे जैसे नियोग तो प्रतीत हो रहा है, वैसा ही " दृष्टव्योरेयमात्मा श्रोतव्यः " इत्यादि वचनसे भी नियोग प्रतीत हो रहा ही है। मैं " दृष्टव्योरे " इस वाक्य करके नियुक्त हो गया हूँ। इस प्रकार शेषाहित परिपूर्णरूपसे योग हो जाना रूप नियोग प्रतिभासता है। स्वप्न भी यहाँ योग नहीं होनेकी आशंकाका अवतार नहीं है। अतः अवश्य करने योग्य है, इस प्रकारका अच्छा ज्ञान हो रहा है। अन्यथा यानी अद्वैतप्रतिपादक वाक्योंद्वारा पूर्ण योग होना नहीं माना जावेगा तो उस दृष्टव्यो आदि वाक्यके सुननेसे इस श्रोता मनुष्यकी श्रवण, मनन आदि

करनेमें प्रवृत्ति होना कैसे सध सकेगा ! इतिकर्तव्यतारूप नियोगके ज्ञान विना ही यदि चाहे जिस शब्दसे प्रवृत्ति होना मान लिया जावेगा तो मेघगर्जन, समुद्रपूकार, आदि शब्दोंसे भी श्रोताओंकी प्रवृत्ति हो जानेका प्रसंग हो जावेगा, जो कि इष्ट नहीं है ।

स्यादेतत् । मिथ्येयं प्रतीतिर्नियोगस्य विचार्यमाणस्य प्रवृत्तिहेतुत्वायोगात् । स हि प्रवर्तकस्वभावो वा स्यादतस्वभावो वा ? प्रथमकल्पनायां प्रभाकराणामिव तायागतादीनामपि प्रवर्तकः स्यात् । सर्वथा प्रवर्तकत्वात् । तेषां विपर्ययात्प्रवर्तक इत्यपि न निश्चेतुं शक्यं परेषामपि विपर्ययात्प्रवर्तकत्वानुपगमात् । प्राभाकरा हि विपर्यस्तमनसः शब्दनियोगात् प्रवर्तते नेतरे अविपर्यस्तत्वादिति वदतो निवारयितुमशक्तेः ।

यदि अद्वैतवादियोंका लम्बा चौड़ा यह मन्तव्य होय कि वाक्यका अर्थ तो नियोग नहीं हो सकता है । अतः अद्वैत प्रतिपादक वाक्योंसे नियोगकी यह उक्त प्रकार प्रतीति करना मिथ्या है । नियोगका विचार किया जानेपर उसको प्रवृत्तिका हेतुपना नहीं घटित होता है । देखिये, हम अद्वैतवादी प्रभाकरोंके प्रति प्रश्न उठाते हैं कि यह तुम्हारा माना गया नियोग क्या प्रवृत्ति करा देना, इस स्वभावको धारता है ? अथवा उस प्रवृत्ति क्या देना स्वभावोंको नहीं रखता है ? बताओ । यदि प्रथमपक्षकी कल्पना करोगे तब तो प्रभाकरोंके समान बौद्धोंको भी यह नियोग अग्निशोम आदि कर्मोंमें प्रवर्तक हो जायें । क्योंकि उस नियोगका स्वभाव सभी प्रकारसे प्रवृत्ति करा देना है । अग्नि का स्वभाव यदि जळा देना है तो वह काष्ठ, वस्त्र, मूर्ख शरीर, पंडित शरीर, रत्न, कूडा, सबको एक स्वभावसे दग्ध कर देती है । यदि नियोगवादी यों कहें कि उन बौद्धोंको मिथ्याज्ञान हो रहा है । अतः नियोग लभको प्रवृत्त नहीं कराता है । जैसे कि सुवर्ण या अन्नक अथवा मत्स्य को अग्नि नहीं जलाता है । इसपर हम यह कहते हैं कि इस बातका भी निश्चय नहीं किया जा सकता है । सम्भव है कि दूसरे प्रभाकरोंके भी विपर्ययज्ञान हो जानेसे नियोगको प्रवर्तकपनेका प्रसंग होगा । क्योंकि आरोप किया जा सकता है कि प्रभाकरोंका मन विपर्यय ज्ञानसे आक्रान्त हो रहा है । इस कारण वे शब्दके अर्थ नियोगसे कर्मकाण्डोंमें प्रवृत्ति कर रहे हैं । किन्तु दूसरे बौद्ध तो विपर्यय ज्ञानसे धिरे हुये मनको नहीं धारण करनेसे कर्मकाण्डमें प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं । इस प्रकार कह रहे हम अद्वैतवादियोंको रोका नहीं जा सकता है ।

सौगतादिमतस्य प्रमाणवाधितत्वात् त एव विपर्यस्ता न प्राभाकरा इत्यपि पक्षपातमात्रं सन्मतस्यापि प्रमाणवाधनविशेषात् । यौव हि प्रतिक्षणाविनश्वरसकलार्थवचनं मत्प्रसूतदिविरुद्धं तथा नियोगतद्विषयादिभेदकल्पनमपि सर्वं प्रमाणानां विधिविषयतयाषघारणात् सदेकत्वस्यैव परमार्थतोपपत्तेः ।



अमी विधिवादी ही कहे जा रहे हैं कि नियोगवादी यदि यों कहें कि बौद्ध, चार्वाक, आदि दार्शनिकोंका मत तो प्रमाणोंसे बाधित है। अतः वे बौद्ध आदिक ही विपर्यय ज्ञानी हैं। हम प्रमाकर मत अनुयायी तो विपरीतज्ञानी नहीं हैं। विधिवादी कहते हैं कि यह भी नियोगवादियोंका कोरा केवल पक्षपात है। क्योंकि उन नियोगवादी प्रामाकरोंका मत भी प्रमाणोंसे बाधित हो जाता है। बौद्धोंकी अपेक्षा प्रामाकरोंमें कोई विशेषता नहीं है। जैसे ही पत्थरचंद्र वैसे ही पाषाणचन्द्र, दोनों एकसे हैं। जिस ही प्रकार सम्पूर्ण अर्थोंको प्रतिक्षण विनाशशुद्ध कहना यह बौद्धोंका मत प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे विरुद्ध है, ऐसा तुम बौद्धोंके प्रति कह सकते हो, उस ही प्रकार प्रामाकरोंके यहाँ माना जा रही नियोग उनके विषय नियुज्यमान, नियोक्ता, आदि भेदोंकी कल्पना भी प्रमाणोंसे बाधित है, यों बौद्ध भी तुमसे कह सकते हैं। परमार्थरूपसे विचारा जाय तो सम्पूर्ण प्रमाणोंके द्वारा अद्वैत विधिका विषयपनेसे अवधारण किया जा रहा है। सद्, चिद्, ब्रह्मके एकरूपनेको ही यथार्थपना सिद्ध हो रहा है।

यदि पुनरप्रवर्तकस्वभावः शब्दनियोगस्तदा सिद्ध एव तस्य प्रवृत्तिहेतुत्वायोगः।

अद्वैतवादी ही कहे जा रहे हैं कि द्वितीय पक्षके अनुसार फिर यदि प्रामाकर यों कहें कि शब्दका अर्थ नियोग तो प्रवर्तक स्वभाववाला नहीं है। तब तो हम विधिवादी कहते हैं कि उस नियोगको प्रवृत्तिके कारणपनका अयोग सिद्ध ही हो गया, यानी नियोग कर्मकाण्डका प्रवर्तक नहीं बन सका।

फलरहिताद्वा नियोगमात्रात् प्रेक्षावतां प्रवृत्तिरपेक्षावचमसंगात्। मयोजनमनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तत इति प्रसिद्धेश्च। प्रचंडपरिहृदवचननियोगादफलादपि प्रवर्तनदर्शनाददोष इति चेन्न, तन्निमित्तापायपरिरक्षणस्य फलत्वात्। तन्नियोगादप्रवर्तने हि ममापायोवश्यं भावीति तन्निवारणाय प्रवर्तमानानां प्रेक्षावतामपि तत्त्वाविरोधात् तर्हि वेदवचनादपि नियुक्तः प्रत्यवायपरिहाराय प्रवर्ततां “ नित्यनैमित्तिके कुर्यात् प्रत्यवायजिहासया ” इति वचनात्। कथमिदानीं स्वर्गकाम इति वचनमवतिष्ठते, जुहुयात् जुहोतु होतव्यमिति लिङ्खोदतव्यप्रत्ययातानिर्देशादेव नियोगमात्रप्रतिपत्तेः, तत एव च प्रवृत्तिसंभवात्।

अद्वैतवादी नियोगके ऊपर दूसरे प्रकारसे विचार चलाते हैं कि वह नियोग फलरहित है! अथवा फलसहित है? बताओ। प्रथम पक्ष अनुसार फलरहित सामान्य नियोगसे तो हिताहितको विचारनेवाले प्रामाणिक पुरुषोंकी जिमी भी कर्ममें प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। यों तो ऐसे प्रवृत्ति करनेवालेको अविचारपूर्वक कार्य करनेवालेपनका प्रसंग होगा। एक बात यह भी है कि प्रयोजनसिद्धिका उद्देश्य नहीं रखकर तो मंदमुद्दि या आलसी जीव भी नहीं प्रवृत्ति करता है। ऐसी ओकमें प्रसिद्धि हो रही है। इसपर नियोगवादी यों कहें कि तत्र

प्रतापी, महाक्रोधी, प्रभुके निष्कल भी वचननियोगसे प्रजाजनोकी प्रवृत्ति होना देखा जाता है। अर्थात्—अप्यन्त क्रोधी राजा अप्पापपूर्वक क्रिया करनेमें यदि प्रजाजनोको नियुक्त कर देता है, उसके मयसे निष्कल नियोग द्वारा भी प्रवृत्ति करना पडता है, तब तो निष्कल नियोगसे भी प्रवृत्ति होना साथ गया कोई दोष नहीं है। इसपर अद्वैतवादी कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि उस क्रोधी राजा या अधिकारोके निर्देश अनुसार प्रवृत्ति नहीं करनेको निमित्त मानकर उत्पन्न हुये विनाश या अपराधसे अपनी चारों ओरसे रक्षा हो जाना ही फल है। प्रचंड राजाके नियोगसे यदि कथमपि प्रवृत्ति नहीं की जावेगी तो भेरी विनाश या मुझको दण्डप्राप्ति अवश्य होवेगी। इस कारण उस अपाधिके निवारण करनेके लिये प्रवृत्ति कर रहे विचारशील प्रामाणिक पुरुषोको भी उस प्रेक्षावान्पनेका कोई विरोध नहीं है। यानी स्वार्थी राजा हमको यदि यों अज्ञा दे दें कि तुमको स्वदेशी वस्तुपर मूल्यसे आधा कर ( महसूल ) देना पडेगा। पण्डितजी! तुम्हारा दो हजारसे अधिक आय है। अतः तुमको प्रतिवर्ष दो पैसा रुपयाकी गणनासे अवश्य कर ( इन्कमटैक्स ) देना पडेगा। यद्यपि इस आज्ञापालनसे अधिकृत व्यक्तियोंको कोई अभीष्टफलकी प्राप्ति नहीं होती है। कोई पारितोषिक, सुख, पदस्थ नहीं मिल जाता है। फिर भी करको नहीं देनेसे क्रुफी, कारागृहवास, निंदा आदि अपायोको भोगना पडता है। अतः वहां भी फल विद्यमान है। अतः वह नियोग सफल है। तब तो हम नियोगवादी कहेंगे कि यों तो नियुक्त पुरुषभाव आत्मक फलसे रहित हो रहे वैदिक वचनसे भी पाप कर्मके परिहारके लिये प्रवृत्ति करो। धर्मशास्त्रका वचन है कि प्रत्यथाप्योके त्यागकी अभिलाषासे नित्यकर्म और नैमित्तिक कर्म अवश्य करने चाहिये। " मोक्षार्थं न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिषिद्धयोः " किसी लौकिक कामनासे किये गये पुत्र इष्टि, विश्व-जित् याग आदि काम्य कर्म या कलंज भक्षण, शत्रुमारण, आदि निषिद्ध कर्मोंमें मोक्षका अर्थ नहीं प्रवर्तेगा। हां, त्रिकाल संध्या करना, उपासना करना, जप करना, देव, ऋषि, पितरोके लिये तर्पण करना, प्राणायाम करना, आदि नित्यकर्म और मरणीश्राद्ध, प्रहणश्राद्ध, पौर्णमासी यज्ञ, आदि नैमित्तिक कर्म तो मुमुक्षुको भी करने पडते हैं। इन नित्यकर्म और निमित्तसे होनेवाले कर्मोको मळे प्रकार करनेसे यद्यपि फल कुछ भी नहीं है। किन्तु नहीं करनेवालोके पापका लेश अवश्य हो जाता है। " अशुर्वन् विहितं कर्म प्रत्यवायेन लिप्यते "। जैसे कि राजाको नियुक्त की गयीं धाराओं ( कानून ) के अनुसार चलनेसे किसी प्रजाजनको पारितोषिक या प्रशंसापत्र ( सर्टिफिकेट ) नहीं मिल जाता है। किन्तु धाराओंके अनुसार नहीं चलनेवाओंको दण्ड अवश्य भोगना पडता है। इसी प्रकार फलरहित वेदवचनसे भी पापपरिहारका उद्देश्य लेकर प्रवृत्ति हो जावेगी। इस प्रकार नियोगवादियोंके कहनेपर तो हम विधिवादी कहते हैं कि उपर्युक्त प्रकारसे नियोगको फलरहित माननेपर अब प्रामाणिकोका फलको दिखलानेवाला " स्वर्गकामः " यह वचन मला कैसे व्यवस्थित हो सकेगा ? बताओ ! हवन करो, हवन करो, हवन करना चाहिये, इस

प्रकारके लिङ्गकार ओट्टकार तन्व्य प्रत्ययको अन्तमें रखनेगए पदोंके निर्देशसे ही सामान्य-  
रूपसे नियोगको प्रतिपत्ति होना और उस ही से प्रवृत्ति हो जाना सम्भव जाता है। स्वर्गकी  
अभिलाषा रखनेवाला इस पदकी दैनेकी आवश्यकता नहीं है। नियोगवादियोंको पूर्वापरविरुद्ध  
वचन नहीं कहना चाहिये।

फलसहिदान्नियोगात् प्रवृत्तिसिद्धौ च फलार्थित्वेव प्रवर्तिका न नियोगस्तमंतरेणापि  
फलार्थिनां प्रवृत्तिदर्शनात्। पुरुषवचनान्नियोगे अयमुपात्मो नापौरुषेयाग्निहोत्रादिवाक्य-  
नियोगे तस्यानुपालभ्यत्वात्। इति न युक्तं, “ सर्वं स्वत्विवदं ब्रह्म ” इत्यादिवचनस्या-  
प्यनुपालभ्यत्वसिद्धेर्वेदांतवादपरिनिष्ठानात्। तस्मान्न नियोगो वाच्यार्थः कस्यचित्प्रवृ-  
त्तिहेतुरिति।

अभी विधिवादी ही कहें जा रहे हैं। यदि द्वितीय पद्यके अनुसार नियोगवादी फलसहित  
नियोगसे प्रवृत्ति होजानेकी सिद्धि करेंगे तब तो फलकी अभिलाषुकता ही श्रोताओंको कर्ममें प्रवृत्ति  
करा देनेवाली हो जावेगी। नियोग तो प्रवर्तक नहीं हुआ। क्योंकि उस नियोगके बिना भी फलके  
अर्था जीवोंकी प्रवृत्ति होना देखा जाता है, अतः नियोगको सकल मानना भी व्यर्थ ही रहा।  
नियोगवादी फिर यों कहते हैं कि लौकिक पुरुषोंके वचनसे जहां नियोग प्राप्त किया जाता है।  
वहां तो आप विधिवादी यह उपर्युक्त उल्लाहना दे सकते हैं। किन्तु पुरुष प्रयत्न द्वारा नहीं बनाये  
गये वैदिक अग्निहोत्र आदि वाक्योंसे ज्ञात हुये नियोगमें उक्त उपात्म नहीं आते हैं। क्योंकि  
निर्दोष वेदवाक्यजग्य वह नियोग तो उपात्म प्राप्त करने योग्य नहीं है। इसके उत्तरमें विधिवादी  
कहते हैं कि इस प्रकार नियोगवादियोंका कहना युक्तिपूर्ण नहीं है क्योंकि यों तो हमारा माना  
हुवा यह वाक्य भी उल्लाहना प्राप्त करने योग्य नहीं होता हुआ सिद्ध हो जाता है कि यह सम्पूर्ण  
जगत् निश्चय कर परमप्रज्ञ स्वरूप है। यहां कोई पदार्थ भेदरूप नहीं है, इत्यादिक वाक्योंकी  
सिद्धि हो जानेसे अद्वैत प्रतिपादक वेदान्तवादकी पूर्णरूपसे निर्दोष प्रसिद्धि हो जाती है। तिस  
कारणसे वाक्यका अर्थ नियोग नहीं है, जिससे कि किसी जीवकी प्रवृत्तिका निमित्तकारण बन  
सके। “ स्यादेतत् ” से प्रारम्भ कर “ प्रवृत्तिहेतुः ” यहातक नियोगवादियोंको घञ्जा देकर  
विधिवादियोंने अपना मन्तव्य पुष्ट किया है। अब श्री विद्यानन्द आचार्य समाधान करते हैं।

तदेतद्विधिवादिनोपि समानं विधेरपि प्रवृत्तिहेतुत्वायागस्याविशेषात्। प्रकृतविकल्पा-  
नतिवृत्तेः। तस्यापि हि प्रवर्तकस्वभावत्वे वेदांतवादिनामिव प्राभाकरतायागतादीनामपि  
प्रवर्तकत्वप्रसक्तेरप्रवर्तकस्वभावात्तेषामपि न प्रवर्तको विधिः स्यात्। स्वयमविपर्यस्तास्ततः  
प्रवर्तते न विपर्यस्ता इति चेत्, कृतः संविभागो विभाष्यतां। प्रमाणावाधिततरमताश्रयणा-

दिति चेत्, तर्हि वेदान्तवादिनः कथं न विपर्यस्ताः सर्वथा सर्वैकत्वमतस्याध्यक्षविरुद्धत्वात् परस्परनिरपेक्षद्रव्यगुणादिभेदाभेदमननवत् । तद्विपरीतस्यानेकांतस्य जात्यंतरस्य प्रतीतिः ।

इस प्रकार विधिवादियोंकी ओरसे विकल्प उठाकर नियोगवादियोंके मतका जैसे यह खण्डन किया गया है, वैसा विचार चञ्जनेपर विधिवादियोंके ऊपर भी वही आपादन समानरूपसे लागू हो जाता है। वाक्यके अर्थ विधिको भी प्रवृत्तिका कारणपना नहीं घटित होता है। अप्रवर्तकपनेकी अपेक्षा विधिकी नियोगसे कोई विशेषता नहीं है। प्रकरणमें प्राप्त द्रव्य विकल्पोंका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। प्रतिनारायणके चक्रसमान विधिवादीके ऊपर भी वे ही विकल्प उठाये जा सकते हैं। देखिये कि उस विधिका भी स्वभाव यदि नियमसे प्रवर्तकपना माना जायगा तो वेदान्तवादियोंके समान प्रभाकर मत अनुयायी, बुद्धमत अनुयायी, चार्वाक आदि दार्शनिकोंकी भी अद्वैतमें प्रवृत्ति करा देनेपनका प्रसंग विधिको प्राप्त होगा। अर्थात्—जो जिसका स्वभाव है वह न्यारे न्यारे पुरुषोंके लिये बदल नहीं सकता है। जैसे कि स्वर्गोंके हाथमें भी मूसल कूटनेवाला ही रहेगा। हां, यदि विधिको अप्रवर्तक स्वभाव माना जायगा तब उक्त दोष तो टल जाता है। किन्तु अप्रवर्तक स्वभाववाली विधिसे तो वेदान्तवादियोंकी भी प्रवृत्तिको कारनेवाला विधि अर्थ नहीं हो सकेगा। यदि विधिवादी यों कहें कि स्वयं विपर्ययज्ञानको नहीं धार रहे हम विधिवादी तो उस विधिसे प्रवर्त नाते हैं। हां, जो मिथ्याज्ञानी हैं वे उस विधिके द्वारा प्रवृत्ति नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार विधिवादियोंके कहनेपर तो आचार्य कहते हैं कि उस सम्प्रज्ञानीपन और मिथ्याज्ञानीपनका अच्छा विभाग होना भला किससे निर्णत किया जाय ? बताओ। यदि तुम वेदान्तवादी इसके उत्तरमें यों कहो कि प्रमाणोंके द्वारा अबाधित किये गये मतका आश्रय करनेवाले सम्प्रज्ञानी हैं, और इतर यानी प्रमाणोंसे बाधे जा रहे मतका आश्रय कर लेनेसे पुरुषके मिथ्याज्ञानीपनका निर्णय कर लिया जाता है, इस प्रकार कहनेपर तो हम जैन कहते हैं कि तब तो वेदान्तवादी ही विपर्ययज्ञानवाले क्यों नहीं विचार लिये जायेंगे ? क्योंकि उनका सभी प्रकार सबको एक परमब्रह्मपनेकी विधि करनेका मत तो प्रत्यक्षप्रमाणसे विरुद्ध है। प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा अग्नि, जल, सूर्य, नौका आदि भिन्न भिन्न नामा पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं। अतः “सर्वमेक” यह विधिवादियोंका मन्तव्य प्रमाणोंसे बाधित है। जैसे कि परस्परमें नहीं अपेक्षा रखते हुए द्रव्य और गुण या अवयव और अवयवी आदिका सर्वथा भेद तथा अभेद मानना प्रत्यक्षविरुद्ध है। क्योंकि उन सर्वथा भेद या अभेदोंसे विपरीत हो रहे, तीसरी जातिवाले कथंचिद् भेद अभेद स्वरूप अनेकांतकी प्रतीति हो रही है। अर्थात्—द्रव्य, गुण आदिका सर्वथा भेद माननेवाले नैयायिक हैं। सत्य उनका अभेद मानते हैं। ये दोनों मत प्रमाणोंसे विरुद्ध हैं। हां, पर्याय और पर्यायीमें कथंचिद् भेद, अभेद, प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार सर्वथा एकत्वको कहनेवाले विधिवादी भी विपर्ययज्ञानवाले हो जाते हैं।

फलरहितश्च विधिर्न प्रवर्तको नियोगवत् । सफलः प्रवर्तक इति चेत्, किञ्चिज्ज्ञानां फलार्थिनां फलाय दर्शनादेव ( फलोपदर्शनादेव ) प्रवृत्त्युपपत्तेः । पुरुषाद्वैते न कश्चित् कुतश्चित् प्रवर्तत इति चेत्, सिद्धस्तर्हि विधिरप्रवर्तको नियोगवदिति न वाक्यार्थः ।

नियोगके समान विधिमें भी फलरहित और फलसहितपनेका विकल्प यों उठाया जाता है कि यदि विधि उत्तरकाळमें होनेवाले फलसे रहित है, तब तो किसी भी श्रोताको प्रवृत्ति कराने वाली नहीं हो सकती है, जैसे कि फलरहित नियोग प्रवर्तक नहीं माना गया था । यदि विधिवादी यों कहें कि फलोसे सहित हो रही विधि प्रवर्तक है, तब तो हम जैन कहेंगे कि कुछ अल्प पदार्थोंको जाननेवाले अल्पज्ञ फल अभिलाषी जीवोंकी फलप्राप्तिके लिये दर्शनसे ही या फल प्राप्ति की अभिलाषासे प्रवृत्ति होना सध जायेगा । विधिको प्रवर्तक कहना व्यर्थ है । फिर भी विधिवादी यों कहें कि मेदवादियोंके यहां भले ही कोई कहीं किसीसे प्रवृत्ति करें, किन्तु हम अद्वैतवादियोंके यहां ब्रह्माद्वैतमें कोई भी किसीसे भी प्रवृत्ति नहीं करता है । इसपर हम जैन कहते हैं कि तब तो प्रवृत्ति नहीं करानेवाले नियोगके समान विधि भी वाक्यका अर्थ सिद्ध नहीं हुआ । फिर दूसरेपर ही कटाक्ष करना आप अद्वैतवादियोंने सीखा है । अपने दोष स्वयंको नहीं देख रहे हैं ।

पुरुषाद्वैतवादिनामुपनिषद्वाक्यादात्मनि दर्शनश्रवणानुमननिध्यानविधानेऽप्यप्रवर्तने कुतस्तेषां तदभ्यासः साफल्यमनुभवति मत्तौन्मत्तादिमलापवत्, कथं वा सर्वथाप्यप्रवर्तको विधिरैव वाक्यार्थो न पुनर्नियोगः ।

हम अद्वैतवादीसे पूछते हैं कि यदि विधिको सर्वथा अप्रवर्तक माना जायगा और पुरुषाद्वैतवादियोंके यहां “ दृष्टव्यो ” इत्यादि उपनिषद्के वाक्यसे आत्मामें दर्शन करना, श्रवण करना, अनुमनन करना, और ध्यान करना इन क्रियाओंमें भी यदि प्रवृत्ति नहीं मानी जावेगी तो उन अद्वैतवादियोंका उन दर्शन आदिकमें अभ्यास कैसे होगा ! दर्शन आदिके बिना वह उनका अभ्यास और किसी फलकी अपेक्षासे भला सफलताका अनुमन कैसे कर सकता है ? जैसे कि मदमत्त या उन्मत्त पुरुषोंके व्यर्थवचन सफल नहीं हैं । उसीके समान उपनिषद् वाक्योंका अभ्यास भी अनर्थक है । दूसरी बात यह है कि सभी प्रकारोंसे अप्रवर्तक हो रही विधि ही तो वाक्यका अर्थ होय किन्तु अप्रवर्तक नियोग वाक्यका अर्थ नहीं होय, यह सर्वथा पक्षपात पूर्ण मन्तव्य भला कैसे माना जा सकता है ? अर्थात्—नहीं ।

पटादिवत् पदार्थांतरत्वेनाप्रतिभासनात् नियुज्यमानविषयनियोक्तधर्मत्वेन चानवस्थानाच्च नियोगो वाक्यार्थ इति चेत् तदितरत्र समानं, विधेरपि घटादिवत्पदार्थांतरत्वेनाप्रतिभासनाद्विषयमानविषयविधायकधर्मत्वेनाव्यवस्थितेय ।

यदि अद्वैतवादी यों कहें कि जैसे आत्मासे भिन्न कल्पित किये गये पट आदिक कार्य भिन्न पदार्थपने करके प्रतिभास रहे हैं, उसके समान नियोग तो भिन्न पदार्थपने करके नहीं प्रतिभास रहा है। तथा नियोगको प्राप्त किये गये श्रोता पुरुष या यज्ञ आदि विषयके धर्मपने करके या नियोग करनेवाले वेदवाक्यका धर्मस्वरूप करके वह नियोग व्यवस्थित नहीं हुआ है। अर्थात्— जैसे नियुज्यमान पुरुषका धर्म होकर या नियोक्ताका धर्म होकर पट दीख रहा है, वैसा नियोग नहीं है। अतः दो हेतुओंसे नियोगकी व्यवस्था नहीं होनेसे नियोग वाक्यका अर्थ नहीं है, इस प्रकार विधिवादियोंके कहनेपर तो हमें कहना पड़ेगा कि वह कटाक्ष तो दूसरोंके यहाँ भी यानी तुम विधिवादियोंके ऊपर भी समानरूपसे लग जाता है। विधिका भी घट आदिके समान पुरुषसे प्रत्यक्ष पदार्थपने करके नहीं प्रतिभास होता है। तथा विधान करने योग्य दर्शन आदि या दृष्टव्य विषयका धर्म अथवा विधिको कहनेवाले वैदिक शब्दके धर्मपने करके विधिकी व्यवस्था नहीं हो रही है। अतः विधि भी वाक्यका अर्थ नहीं सिद्ध हो पाता है।

यथैव हि नियोज्यस्य पुंसो धर्मे नियोगे अननुष्ठेयता नियोगस्य सिद्धत्वादन्यथा-  
नुष्ठानोपरमाभावानुपगमात्। फस्यचित्तद्रूपस्यासिद्धस्याभावाद्, असिद्धरूपतायां वा नियो-  
ज्यत्वविरोधाद्ब्रह्मास्तनंथयादिवत्। सिद्धरूपेण नियोज्यत्वे असिद्धरूपेण चानियोज्यता-  
मेकस्य पुरुषस्यासिद्धसिद्धरूपसंकराभियोज्येतरत्वविभागासिद्धस्तद्रूपासंकरे वा भेदप्रसं-  
गादात्मनः सिद्धासिद्धरूपयोः संबधाभाषोऽनुपकारात्। उपकारकल्पनायामात्मनस्तद्रूपका-  
र्यत्वे नित्यत्वहानिस्तयोरान्त्योपकार्यत्वे सिद्धरूपस्य सर्वथोपकार्यत्वव्याघातोऽसिद्धरूपस्या-  
प्युपकार्यत्वे गगनकुसुमादेरुपकार्यत्वानुपगमः। सिद्धासिद्धरूपयोरपि कथंचिदसिद्धरूपोपगमे  
प्रकृतपर्यनुयोगानिष्टृत्तेरनवस्थानुपगम इत्युपालम्भः।

“यथैव” का अन्वय छद्म, सात, पंक्ति पीछे आनेवाले तथा शब्दके साथ करना चाहिये। श्री विद्यानन्द आचार्य नियोग और विधि दोनोंको ही नियोज्य या विधीयमान पुरुषका धर्म तथा यागलक्षण विषय या विधेय विषयका धर्म एव विधायक या नियोक्ता शब्दका धर्म नहीं हो सकना एकसा बताये देते हैं। देखिये, जिस ही प्रकार नियोजने योग्य पुरुषका धर्म यदि नियोग माना जावेगा तो अद्वैतवादियोंकी ओरसे प्रामाण्यके ऊपर नहीं अनुष्ठान करने योग्यपन आदि दोष धर दिये जाते हैं। यानी नियोज्य पुरुष अनादि कालसे स्वतः सिद्ध नित्य है तो उस आत्माका स्वभाव नियोग भी पूर्वकालसे सिद्ध है। अन्यथा यानी सिद्ध हो चुके पदार्थका भी अनुष्ठान किया जायगा तो अनुष्ठान करनेसे विराम लेनेके अभावका प्रसंग होगा। कृतका पुनः करण होने लगेगा तो सदा विधान होता ही रहेगा, किया जा चुका पदार्थ पुनः किया जायगा और फिर भी किया जा चुका किया जायगा। कमी भी विश्राम नहीं ले सकोगे। चर्वितका चर्चण अनन्तकालतक करते रहो।

अतः यही अच्छा है कि बन चुके को पुनः नहीं बनाया जाता है। नित्य पुरुषके धर्म हो रहे, उस नियोगका कोई माग असिद्ध तो है नहीं। हाँ, किसी असिद्ध रूपको नियोग्य माना जावेगा, तब तो बन्ध्यापुत्र, अश्वविषाण, आदिके समान सर्वथा असिद्ध पदार्थको नियोग्यपनेका विरोध है। यदि आत्माके धर्म हो रहे नियोगको किसी एक सिद्धस्वरूपकरके नियोग्यपना और उस ही नियोगको असिद्धस्वरूपकरके अनियोग्यपना माना जावेगा, तब तो एक आत्माके सिद्धस्वरूप और असिद्धस्वरूपोंका संकर हो जानेसे नियोग्यपन और अनियोग्यपनके विभागकी असिद्धि हो जावेगी। दूध और बूरेके समान संकरको प्राप्त हो रहे दो स्वभावोंसे युक्त हुये नियोगसे अमिन्न आत्माका उन धर्मोंकरके विभाग सिद्ध नहीं होता है। यदि उन सिद्ध असिद्ध रूपोंका संकर होना नहीं मानोगे तो उन मिन दो रूपोंसे अमिन्न हो रहे आत्माके भेद हो जानेका प्रसंग आ जावेगा। अथवा नित्य आत्मासे ये दो रूप न्यारे हो जावेंगे। ऐसी दशामें ये सिद्ध असिद्ध दो रूप आत्माके हैं। इस व्यवहारका नियामक सम्बन्ध तुम्हारे पास कोई नहीं है। क्योंकि राजाका पुरुष, गुरुका शिष्य या पुरुषका राजा, शिष्यका गुरु, यहाँ परस्परमें आजीविका देना, चाकरी करना, पढाना, सेवा करना, आदि उपकार करनेसे स्वस्वामिसम्बन्ध गुरुशिष्यसम्बन्ध माने जाते हैं। किन्तु उपकार नहीं होनेके कारण उन सिद्ध असिद्धरूप और कूटस्थ नित्य आत्माका कोई षष्ठी विधायक सम्बन्ध नहीं हो पाता है। यदि आत्मा और उन रूपोंमें उपकार करनेकी कल्पना की जायगी तो हम विधिवादी नियोगवादीसे पूछते हैं कि उन दो रूपों करके आत्माके ऊपर उपकार किया जायगा? अथवा आत्माकरके दो रूपोंके ऊपर उपकार किया जायगा? बताओ। प्रथम विकल्प अनुसार यदि उन दो रूपोंकरके आत्माको उपकार प्राप्त करने योग्य माना जायगा, तब तो आत्माके नित्यपनेकी हानि हो जायगी। क्योंकि जो उपहृत होता है, वह कार्य होता है। द्वितीय विकल्प अनुसार उन दो रूपोंको आत्माकरके उपकार प्राप्त करने योग्य मानोगे तो पहिला दोष टढ गया। किन्तु सिद्ध हो चुके रूपको तो सभी प्रकारसे उपकार्यपनका स्वाभाव है। कारण कि जो सिद्ध हो चुका है, उसमें उपकारको धारने योग्य कोई उत्पन्न अंश दोष नहीं है। और दूसरे असिद्धरूपको भी यदि उपकार प्राप्त करने योग्य माना जायगा, तब तो आकाशपुत्र, शशविषाण आदि असिद्ध पदार्थोंको भी उपकार होठनेवालेपनका प्रसंग हो जावेगा। यदि नियोगवादी सिद्ध असिद्ध दोनों रूपोंका भी कथंचिद् कोई स्वरूप असिद्ध हो रहा स्वीकार करेंगे तो प्रकरण प्राप्त शोधकी निवृत्ति नहीं हो सकेगी। अर्थात्—सिद्ध असिद्ध रूपोंमें भी कथंचिद् सिद्ध असिद्धपना स्वीकार किया जायगा, तो सिद्धके अनुष्ठानकी विरतिका अनाथ दोष उठेगा, असिद्धरूप तो बन्ध्यापुत्रके समान नियोग्य हो नहीं सकता है। इत्यादिक प्रश्न उठने लगे जायेंगे। अतः अनवरथा दोषका प्रसंग हो जायगा। इस प्रकार विधिवादीका नियोगवादीके ऊपर उल्टाहना हो रहा है।

तथा विधाप्यमानस्य पुरुषस्य धर्मं विधावपि सिद्धस्य पुंसो दर्शनश्रवणानुमानन-  
ध्यानविधानविरोधात् । तद्विधाने वा सर्वदा तदनुपरतिप्रसक्तिः । दर्शनादिरूपेण तस्या-  
सिद्धौ विधानव्याघातः कूर्मरोमादिवत् । सिद्धरूपेण विधाप्यमानस्य विधानेऽसिद्धरूपेण  
चाऽविधाने सिद्धासिद्धरूपसंकरात् विधाप्येतरविभागासिद्धिस्तद्रूपसंकरे वा भेदप्रसंगादा-  
स्पनः सिद्धासिद्धरूपयोस्तरसंबंधाभावादिदोषासंजननस्याविशेषः ।

तिस ही प्रकार नियोगवादीको ओरसे हम जैनवादी भी विधिवादीके ऊपर वैसा ही उल्लाहना  
दे सकते हैं । देखिये, विधान कराये जा रहे पुरुषके धर्म माने गये विधिमें भी हम कहते हैं कि  
परिपूर्ण निष्पन्न होकर सिद्ध हो चुके श्रोता नित्यपुरुषके दर्शन, श्रवण, अनुमान और ध्यानके विधा-  
नका विरोध है । जो पहिले दर्शन आदिसे रहित है, वह परिणामी पदार्थ ही दर्शन आदिका  
विधान कर सकता है, नित्य कृतकृत्य नहीं । यदि सिद्ध हो चुका पुरुष भी उन दर्शन आदि-  
कोंका विधान करेगा तो सर्वदा ही उन दर्शन आदिकोसे विराम नहीं ले सकनेका प्रसंग होगा ।  
क्योंकि दो, चार बार दर्शन आदि कर चुकनेपर भी पुनः पुनः सिद्ध हो चुके, पुरुषको दर्शन  
आदिकी विधिमें प्रवृत्ति होना मानते ही चले जायंगे । ऐसी दशामें मुक्तका भोजन पुनः मुक्तका  
भोजन करनेके समान कभी विश्राम नहीं मिथ सकता है । यदि उस आत्माके धर्मविधिकी दर्शन  
श्रवण आदि स्वरूपोंकरके सिद्धि हो चुकी नहीं मानोगे तब तो कष्टपरिषे, चन्द्र आताप, सूर्य  
कौमुदी आदिके समान उस असिद्ध हो रही असद्रूप विधिके विधानका व्याघात है । जो असिद्ध है,  
उसका विधान नहीं और जिसका विधान है, वह सर्वथा असिद्ध पदार्थ नहीं है । यदि विधान  
करने योग्यका सिद्धस्वरूप करके विधान मानोगे और असिद्धरूप करके विधान नहीं होना नामोगे  
तो सिद्ध-असिद्धस्वरूपोंका संकर हो जानेसे यह सिद्धरूप विधाप्य है और इससे न्यारा इतना  
असिद्धरूप विधान करने योग्य नहीं है, इस प्रकारके विभागकी सिद्धि नहीं हो सकी । यदि उन  
विधाप्य और अविधाप्य रूपोंका एकम एक हो जाना स्वरूपसंकर्य नहीं माना जायगा, सब तो  
उन दोनों रूपोंका आत्मासे भेद हो जानेका प्रसंग होगा । सर्वथा भिन्न पडे हुये उन सिद्ध असिद्ध  
दो रूपोंका आत्माके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । क्योंकि दोनोंका परस्परमें कोई उपकार नहीं है ।  
यदि सम्बन्ध जोड़नेके लिए उपकारकी कल्पना की जायगी तो पूर्वमें नियोगवादीके जिये उठाये गये  
संबंधका स्वभाव, उपकार कल्पनाका नहीं बन सकता, आदिक दोषोंका प्रसंग वैसाका वैसा ही तुम  
विधिवादियोंके ऊपर छग बैठेगा, सर्व और नागके समान नियोग और विधिमें कोई विशेषता नहीं है ।  
आत्माके उपकार्य माननेपर आत्माका नित्यपना विगडता है । यदि दो रूपोंको उपकार्य माना जायगा  
तो सिद्धरूप तो कुछ उपकार शैलता नहीं है । और गजशृङ्गके समान असिद्ध पदार्थ भी किसीकी  
ओरसे आये हुये उपकारोंको नहीं धार सकता है । फिर भी उन सिद्ध असिद्ध रूपोंकी कथंचिद् असिद्ध  
मानोगे ! तो वे जिस अंशमें असिद्ध होयंगे सिद्धविषयणके समान वे उपकारको प्राप्त नहीं कर



सकेंगे और सर्व अंगोंमें सिद्ध बन चुका पदार्थ मटा काहेको उपकार झेउने उगा । अतः विधिवादीके मन्तव्य अनुसार विधाप्यमानका धर्म विधि नहीं सिद्ध हो चुका । यहाँ नियोगवादीकी ओरसे आचार्योंने विधिवादीके ऊपर आपादन किया है । और अष्टसहस्रोंमें नियोगवादीके ऊपर विधिवादी द्वारा कटाक्ष वर्षा किये जानेपर मट मीमांसकोंने विधिवादीको आठे हाथ लिया है ।

तथा विषयस्य यागलक्षणस्य धर्मं नियोगे तस्यापरिनिष्पन्नत्वात् स्वरूपाभावाद्वाक्येन प्रत्येतुमशक्यत्वस्य विधावपि विषयधर्मं समानत्वात् कुतो विषयधर्मो विधिः ?

तिस ही प्रकार विधिवादी यदि नियोगवादीके ऊपर नियोगका निषेध करनेके लिये यों कटाक्ष करे कि प्रामाणिकोंकी ओरसे यागस्वरूप विषयका धर्म यदि नियोग माना जावेगा आस्ता, किन्तु वह याग अमी बनकर परिपूर्ण हुआ नहीं है । उपदेश सुनते समय तो उस यागका स्वरूप ही नहीं है । अतः असद्भूत यागके धर्म नियोगकी वाक्यकरके निर्णय करनेके लिये अशक्यता है । इसके उत्तरमें आचार्य महात्मा विधिवादीके ऊपर भी यह अशक्यता दोष उगाये देते हैं कि दर्शन, श्रवण आदि विषयोंके धर्म माने जाने रहे विधिमें भी जाननेकी अशक्यता दोष समान है । अर्थात्—“ दृष्योरेयमात्मा ” इत्यादि वाक्य सुननेके अवसरपर जब दर्शन, श्रवण हैं ही नहीं तो उनका धर्म विधि भी विद्यमान नहीं है । असद्भूत पदार्थकी वाक्यद्वारा प्रतीति नहीं हो सकती है । इस कारण विषयके धर्म माने गये नियोगके समान विधिकी भी सिद्धि कैसे हो सकती है ? अर्थात्—नहीं ।

पुरुषस्यैव विषयतयावभासमानस्य विषयत्वात्तस्य च परिनिष्पन्नत्वान्न तद्धर्मस्य विधेरसंभव इति चेत्, तर्हि यजनाश्रयस्य द्रव्यादेः सिद्धत्वात्तस्य विषयत्वात्कथं तद्धर्मो नियोगोपि न सिध्यत् ?

यदि विधिवादी यों कहें कि हम दर्शन, श्रवण आदिको विधिका विषय नहीं मानते हैं । विषयपने करके प्रतिभास रहे परमब्रह्मको ही हम विधिका विषय मानते हैं । और पुरुष पहिलेसे ही परिपूर्ण बना बनाया नित्य है । इस कारण उस पुरुषरूप विषयके धर्म हो रही विधिका असंभव नहीं है । इस प्रकार विधिवादियोंके कहनेपर तो हम जैन नियोगवादीकी ओरसे यों कह देंगे कि तब तो पूजनके अधिकरण हो रहे द्रव्य आत्मा, पात्र, स्थान, आदिक पदार्थ भी पहिलेसे सिद्ध हैं । अतः उन द्रव्य आदिकोंका विषय हो जानेसे उनका धर्म नियोग भी क्यों नहीं सिद्ध हो जावेगा ?

येन रूपेण विषयो विद्यते तेन तद्धर्मो नियोगोपीति तदनुष्ठानाभावे, विधिविषयो येन रूपेणास्ति तेन तद्धर्मस्य विधेः कथमनुष्ठानं ? येनात्मना नास्ति तेनानुष्ठानमिति चेत् तन्नियोगेपि समानं ।

यदि विधिवादी यों कहें कि जिस रूपसे द्रव्यादिक विषय पूर्वसे विद्यमान हैं, उस स्वरूप करके उनका धर्म नियोग भी तो पहिछेसे ही विद्यमान है। इस कारण उस बन चुके हुये नियोगका अनुष्ठान नहीं हो सकेगा। तब तो हम जैन नियोगवादीको सहारा देते हुये कह देंगे कि ब्रह्म विधिका विषय जिस रूप करके सदा विद्यमान हो रहा है, उस स्वरूप करके उसका विधि विषय भी निष्पन्न हो चुका है। ऐसी दशामें दृष्टश्य आदि वाक्यों करके विधिका अनुष्ठान भी कैसे किया जा सकता है ? बताओ। फिर भी विधिवादी यों कहें कि जिस स्वरूप करके विधि विषयी विद्यमान नहीं है, उस अंश करके विधिका अनुष्ठान किया जा सकता है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार कहनेपर तो वह अनुष्ठान नियोगमें भी समानरूपसे किया जा सकता है। अर्थात्—जिस अंश करके नियोग विषयी विद्यमान नहीं है, उस भाग करके कर्मकाण्डियोंद्वारा नियोगका अनुष्ठान किया जाता है। नियोग और विधिमें कोई अन्तर नहीं है।

कथमसन्नियोगोऽनुष्ठीयते अप्रतीयमानत्वात् खरविषाणवत् इति चेत्, तत एव विधिरपि नानुष्ठेयः। प्रतीयमानतया सिद्धत्वादनुष्ठेयो विधिरिति चेत् नियोगोपि तथास्तु।

विधिवादी कहते हैं कि अंशरूपसे असत् हो रहे नियोगका मला अनुष्ठान कैसे किया जा सकता है ? क्योंकि असत् पदार्थ प्रतीत नहीं किया जा रहा है। जो प्रतीत नहीं है, उसमें क्रिया नहीं की जा सकती है। अतः खरविषाणके समान असत् नियोगका करना नहीं बनता है। आचार्य कहते हैं कि यों कहनेपर तो तिस ही कारणसे विधि भी अनुष्ठान करने योग्य नहीं ठहरेगी। क्योंकि आप अद्वैतवादियोंने भी विषयके असद्भूत अंश करके ही विधिका अनुष्ठान किया जाना माना था। यदि विधिवादी यों कहें कि हमारे यहां विधिकी प्रतीति की जा रही है। अतः अप्रतीयमानत्व हेतु विधिमें नहीं रहा, किन्तु प्रतीत किये जा रहे स्वरूपकरके सिद्ध होनेके कारण विधिका तो अनुष्ठान किया जा सकता है। इस प्रकार विधिवादियोंके कहनेपर तो हम जैन कह देंगे कि नियोग भी तिस प्रकार अनुष्ठान करने योग्य हो जाओ, वह भी प्रतीति किये जा रहेपन करके सिद्ध है। अप्रतीयमानत्व हेतु यहां असिद्ध है। अतः विधिके समान नियोग भी प्रतीयमान होता हुआ अनुष्ठेय है। व्यर्थ पैतरा बदलनेसे कार्य नहीं चलता है।

नन्वनुष्ठेयतयैव नियोगोवतिष्ठते न प्रतीयमानतया तस्याः सकलवस्तुसाधारणत्वात् अनुष्ठेयता चेत्प्रतिभाता कोन्यो नियोगो यस्यानुष्ठितिरिति चेत्, तर्हि विधिरपि न प्रतीयमानतया प्रतिष्ठामनुभवति किं नु विधीयमानतया सा चेदनुभूता कोन्यो विधिर्नाम ? यस्य विधानमुपनिषद्वाक्यादुपवर्ण्यते।

नियोगवादकी पुष्टिमें लग रहे जैनोके ऊपर विधिवादीका प्रश्न है कि अनुष्ठान करने योग्यपने करके ही नियोगकी व्यवस्था हो रही है। प्रतीत किये जा रहेपन करके नियोगकी अवस्थिति

नहीं हो रही है। क्योंकि वह कोरी अनुष्ठेयता तो सम्पूर्ण वातुओंमें सामान्यरूपकरके वर्त रही है। हा, यदि वह अनुष्ठेयता तुमको प्रतिभास हो चुकी होती तब तो वह नियोग प्रतिभासके अन्तरंगमें प्रविष्ट हो जानेके कारण नित्य ब्रह्मरूप ही हुआ। ब्रह्मसे भिन्न दूसरा नियोग क्या पदार्थ है? जिसका कि अनुष्ठान करना कर्मकाण्डवाक्योंसे माना जा रहा है? और नहीं प्रतिभास रहे पदार्थका तो सद्भास ही नहीं माना जाता है। इस प्रकार अद्वैतवादियोंका पर्यनुयोग होनेपर तो हम जैन भी अपने प्राज्ञ मित्र नियोगवादीको सहाय देते हुये कहते हैं कि यों तो विधि भी वर्तमानकालमें प्रतीयमानपने करके प्रतिष्ठाका अनुभव नहीं कर रही है। किन्तु वर्तमानमें विधान किये जा रहेपन करके जानी जा रही है। क्योंकि वह विधीयमानता सभी पदार्थोंमें साधारणरूपसे पायी जाती है। जब कि विधिकी विधीयमानताका अनुभव हो चुका तो फिर उससे अन्य कौनसा अंश विधि नामका शेष रह गया है? जिसका कि विधान करना " दृष्टव्यो इत्यादिक उपनिषदोंके वाक्योंसे बलाना जा रहा है। भावार्थ—अद्वैतवादी " घटः प्रतिभासते " " पटः प्रतिभासते " घट प्रतिभास रहा है, पट प्रतिभास रहा है, ऐसी प्रतिभास ( ज्ञान ) क्रियाकी समानाधिकरणतासे घट, पट आदि सभी पदार्थोंको ब्रह्मस्वरूप मान लेते हैं। उनके पास घट, पट आदिकको ब्रह्मस्वरूप बनानेके लिये प्रतिभासमानपना यह बलवान् हेतु है। घटपटादयः प्रतिभासन्तःप्रविष्टाः प्रतिभासमानत्वात् प्रतिभासस्वरूपवत् "। नियोग भी अनुष्ठान करने योग्य होकर प्रतिभास चुका है। जो प्रतिभास चुका है, उसकी वर्तमानकालमें प्रतीति नहीं हो रही है। अतः नियोगको अप्रतीयमान कह दिया था, यहाँ भविष्यकालका अनुष्ठेयपन और वर्तमानकालका प्रतीयमानपन तथा भूतका प्रतिभास हो चुकापन इस प्रकार कालोंका व्यतिकर दिखलाते हुये विद्वानोंमें अश्छा संघर्ष हो रहा है।

ननु दृष्टव्यादिषाक्येनात्मदर्शनादिविहितं ममेति प्रतीतिरप्रतिष्ठापाहो विधिः कथमपक्रियते? किमिदानीमग्निहोत्रादिषाक्येन यागादिविषये नियुक्तोहमिति प्रतीतिर्न विद्यते येन नियोगः प्रतिक्षिप्यते। सा प्रतीतिरप्रमाणमिति चेत्, विधिप्रतीतिः कथमप्रमाणं न स्यात्? पुरुषदोषरहितवेदबचनोपजनितत्वादिति चेत्, तत एव नियोगप्रतीतिरप्यप्रमाणं माभूत् सर्वथाप्यविशेषात्। तथापि नियोगस्य विषयधर्मस्यासंभवे विधेरपि तद्धर्मस्य न संभवः।

पुनः विधिवादी अपने पक्षका अवधारण करते हैं कि दृष्टव्य, मन्तव्य, सोहम्, इत्यादि वाक्यों करके मुझको आत्मदर्शन आदिकी विधि हो चुकी है। इस प्रकार प्रतीति हो रही है। अतः खण्डन करने योग्य नहीं हो रही विधि मठा नियोगवादियों द्वारा कैसे निराकृत की जा रही है? इसपर आचार्य कहते हैं कि क्योंजी। अग्निहोत्र, विश्वित् आदि पागोंको कहनेवाले

वाक्योक्तके में याग आदि विषयोंमें नियुक्त हो गया है, इस प्रकारकी प्रतीति क्या मर गई है। अब विद्यमान नहीं है, जिससे कि विधिवादियों करके नियोगका खण्डन किया जा रहा है। यदि विधिवादी यों कहें कि वह नियुक्तपनेको कह रही प्रतीति तो प्रमाण नहीं है। इस प्रकार विधिवादियोंके कहनेपर तो हम जैन भी कह देंगे कि तुम्हारी विधिको प्रतिपादन कर रही विहितपनेकी प्रतीति भी अप्रमाण क्यों नहीं हो जावेगी ? तुम्हारी प्रतीतिमें प्रमाणपनेका प्रकाशक क्या कोई रत्न जडा हुआ है ? इसपर विधिवादी यदि यों कहें कि पुरुषोंके राग, द्वेष, अज्ञान, आदि दोषोंसे रहित हो रहे अनादि, अकृत्रिम, वेदवाक्योंसे उत्पन्न हुई होनेके कारण विधिकी प्रतीति तो प्रमाणभूत है। इस प्रकार कहनेपर तो नियोगवादी भी कह सकते हैं कि तिस ही कारण यानी पुरुषोंके दोषोंसे कोरे बचे हुये अपौरुषेय वैदिक वचनोंसे उपजी हुई नियोगकी प्रतीति भी अप्रमाण मत होओ। सभी प्रकारोंसे नियोगकी-अपेक्षा विधिमें कोई विशेषता नहीं है। तिस प्रकार होनेपर भी नियोगको विषयका धर्म होना नहीं सम्भवता मानोगे तो उस अपने विषयके धर्म माने जा रहे विधिकी भी सम्भावना नहीं हो सकती है। यहाँतक नियोग्य पुरुष और यागस्वरूप विषयके धर्म नियोगका विधाप्यमान पुरुषके अथवा विधेयके धर्म हो रहे विधिके साथ सम्पूर्ण अंशोंमें सादृश्य वता दिया है। अब तीसरे विधायक शब्द या नियोजक शब्दके धर्म माने जा रहे विधि और नियोगकी समानताको श्री विद्यानन्द आचार्य स्वर्काय विद्वत्का चमत्कार दिखलाते हुये कहते हैं, अवधान लगाकर सुनिये।

शब्दस्य विधायकस्य च धर्मो विधिरित्यपि न निश्चेतुं शक्यं, नियोगस्यापि नियो-  
क्तशब्दधर्मत्वप्रतिघाताभावात्पुनः। शब्दस्य सिद्धरूपत्वात्तद्धर्मो नियोगः कथमसिद्धो  
येनासौ संपाद्यते कस्यचिदित्यपि न मन्तव्यं, विधिसंपादनविरोधात् तस्यापि सिद्धोप-  
निषद्वाक्यधर्मत्वाविशेषात्। प्रसिद्धस्यापि संपादने पुनः पुनस्तत्संपादने प्रवृत्त्यनुपरमात्क-  
थमुपनिषद्बचनस्य प्रमाणता अपूर्वार्थताविरहात् स्मृतिवत्। तस्य वा प्रमाणत्वे नियोगवाक्यं  
प्रमाणमस्तु विशेषाभावात्।

दर्शन आदिका विधान कर रहे “ दृष्टव्योरेयमात्मा ” इत्यादिक शब्दका धर्म विधि है, इस प्रकार भी विधिवादियोंद्वारा निश्चय नहीं किया जा सकता है। फिर भी यदि विधायक शब्दके धर्म माने गये विधिका निश्चय कर लेंगे तो नियोगको भी “विश्रजिता यजेत” “ज्योतिष्टोमेन यजेत” इत्यादिक नियोका शब्दोंके धर्मपनका प्रतिघात नहीं हो सकनेका प्रसंग होगा। अर्थात्—नियोका शब्दोंका धर्म नियोग जान लिया जायगा। यदि विधिवादी यों कटाक्ष करें कि शब्दको कूटस्थ नित्य माननेवाले मीमांसकोंके यहाँ शब्दका परिपूर्ण रूप सिद्ध है। अतः उस शब्दका धर्म नियोग भन्ना असिद्ध कैसे होगा ? जिससे कि वह नियोग कर्मकाण्ड वाक्योंद्वारा किसी भी श्रोताके यहाँ

सम्पादित किया जाय। आचार्य कहते हैं कि यह भी विधिवादियोंको नहीं मानना चाहिये। क्योंकि यों तो विधिके सम्पादन करनेका भी विरोध हो जावेगा। आप विधिवादियोंके यहां उस विधिको भी अनादिकाब्दे परिपूर्ण सिद्ध हो रहे वैदिक उपनिषद् वाक्योंका धर्मपना माना गया है। विधि और नियोगमें नित्य शब्दोंका धर्मपना अन्तररहित है। यदि सर्व अंशोंमें परिपूर्णरूपसे अच्छा सिद्ध हो चुके पदार्थका भी संपादन करना माना जावेगा तो पुनः सिद्ध हो चुकेका पुनः संपादन किया जावेगा और फिर उस सिद्ध हो चुकेका भी अनुष्ठान किया जावेगा। इस प्रकार प्रवृत्तियां करते करते कमी विश्राम नहीं मिलेगा। इस कारण स्मृतिके समान अपूर्व अर्थका प्राहीपना नहीं होनेसे आत्म-प्रतिपादक वैदिक उपनिषद्के वचनोंको मछा प्रमाणता कैसे आ सकती है? यहां स्मृतिका दृष्टान्त आचार्य महाराजने नियोगवादीकी अपेक्षासे दे दिया है। स्याद्वाद सिद्धान्तमें अपूर्व अर्थकी प्राहिका होनेसे स्मृति प्रमाण मानी गयी है। यदि फिर भी विधिवादी गृह्यतके प्राहक उन उपनिषद् वचनोंको प्रमाण मानेंगे तो नियोगवाक्य भी प्रमाण हो जाओ। नियोगकी अपेक्षा विधिमें विशेषता करनेवाले कोई ठाठ नहीं जडे हुये हैं। पक्षपातरहित सद्बिचारसे काम लीजिये।

स्यान्मतं, नियोगस्य सर्वपक्षेषु विचार्यमाणस्यायोगात्तद्वचनमप्रमाणं। तेषां हि न तावत्कार्यं शुद्धं नियोगः प्रेरणानियोज्यवर्जितस्य नियोगस्यासंभवात्। तस्मिन् नियोग-संज्ञाकरणे स्वकंबलस्य कुर्दाळिकेति नामांतरकरणमात्रं स्यात्। न च तावता स्वैष्टसिद्धिः।

नियोगवादीके पीछे पडे हुये विधिवादियोंका सम्भवतः यों मन्तव्य होवे कि यदि नियोगका शुद्धकार्य आदि समी श्वाह पक्षोंमें विचार चलाया जायगा तो उस नियोगकी सिद्धि नहीं हो सकेगी। अतः नियोगको कहनेवाले उपनिषद् वाक्य प्रमाण नहीं है। देखिये, सबसे पहिला उन नियोगवादियोंका शुद्धकार्य स्वरूप नियोग तो सिद्ध नहीं हो पाता है। क्योंकि “यजेत” यहां पढ़ी हुई विधिच्छिडका अर्थ माने गये प्रवर्तकस्वरूप प्रेरणा और स्वर्गकी अभिलाषा रखनेवाला नियोज्य श्रोतासे वर्जित हो रहे नियोगका असम्भव है। फिर भी ऐसे उस शुद्धकार्यमें “नियोग” ऐसी धाचक संज्ञा कर ली जावेगी तब तो यह अपने कंबलका “कुदारी” यह केवल दूसरा नाम स्वगृहमें कर लेना समझा जायगा। किन्तु तितनेसे तुम्हारे इष्टकी सिद्धि नहीं हो सकती है। अर्थात्—प्रेरणा और नियोज्य पुरुषसे रहित हो रहे केवल शुद्धकार्यस्वरूप नियोगसे स्वर्ग उसी प्रकार नहीं मिल सकता है। जैसे कि कंबलको कुदारी मानकर उस कंबलसे सबकका खोदना नहीं हो सकता है। अपने घरमें मन माने घर लिये गये साधारण पदार्थोंके नाम लोकव्यवहारके उपयोगी नहीं हैं।

शुद्धा प्रेरणा नियोग इत्यप्यनेनापास्तं, नियोज्यफलरहितायाः प्रेरणायाः प्रकाप-मात्रत्वात्। प्रेरणासहितं कार्यं नियोग इत्यप्यसंभवि, नियोज्याद्यसंभवे तद्विरोधात्। कार्य-सहिता प्रेरणा नियोग इत्यप्यनेन निरस्तं।

शुद्ध प्रेरणा कर देना नियोग है यह द्वितीय पक्ष भी इस पूर्वोक्त और भविष्यमें कहे जानेवाले वक्तव्य करके निरस्त कर दिया गया है । क्योंकि नियोगको प्राप्त करने योग्य पुरुष और नियोगके फल गाये गये स्वर्गसे रहित हो रही प्रेरणाको मानना केवल निरर्थक बकवाद है । अतः ऐसी प्रेरणाको नियोग स्वरूपपना नहीं सिद्ध हो पाता है । तीसरे पक्ष अनुसार नियोगवादियोंका प्रेरणासे सहित हो रहा कार्य नियोग है, इस प्रकार कहना भी सम्भावना करने योग्य नहीं है । क्योंकि नियोज्य पुरुष ( नेगी ), नियोजक शब्द, आदिके विना उस नियोगके हो जानेका विरोध है । कार्य और प्रेरणासे ही नियोग नहीं सध जाता है । चतुर्थ पक्ष अनुसार कार्यसे सहित हो रही प्रेरणा नियोग है, यह विशेष्य विशेषणकी परावृत्ति कर मान लिया गया कथन भी इस उक्त कथन करके खण्डित कर दिया जाता है । नियोज्य और नियोजकके विना कोई प्रेरणा नहीं बन सकती है ।

कार्यस्यैवोपचारतः प्रवर्तकत्वं नियोग इत्यप्यसारं, नियोज्यादिनिरपेक्षस्य कार्यस्य प्रवर्तकत्वोपचारायोगात् कदाचित्कचित्परमार्थतस्तस्य तथानुपलंभात् । कार्यप्रेरणयोः संबन्धो नियोग इति वचनमसंगतं, ततो भिन्नस्य संबन्धस्य संबन्धिनिरपेक्षस्य नियोगत्वेनाघटनात् । संबन्ध्यात्मनः संबन्धस्य नियोगत्वमित्यपि दुरन्वयं, प्रेर्यमाणपुरुषनिरपेक्षयोः संबन्धात्मनोरपि कार्यप्रेरणयोः नियोगत्वानुपपत्तेः ।

भविष्यमें किये जाने योग्य कार्यको ही उपचारसे प्रवर्तकपना नियोग है । यह पांचवां पक्ष भी निस्तार है । क्योंकि नियोज्य, नियोजक आदिकी नहीं अपेक्षा रखनेवाले कार्यको उपचारसे प्रवर्तकपना नहीं बन सकता है । मुख्यरूपसे सिद्धके असिद्ध होनेपर वीर पुरुषमें सिद्धपनेका उपचार कर दिया जाता है । किन्तु यहां कमी कहीं वास्तविकरूपसे नियोज्य आदिसे रहित केवल कार्यको तिस प्रकार प्रवर्तकपना नहीं देखा गया है । नियोगवादियोंका कार्य और प्रेरणाके सम्बन्धको नियोग कथन करना यह यचन भी पूर्वापरसंगतसे रहित है । क्योंकि सम्बन्धवाले कार्य और प्रेरणास्वरूप सम्बन्धियोंसे निरपेक्ष हो रहे तथा उनसे भिन्न पड़े हुये सम्बन्धको नियोगपने करके घटना नहीं होती है । अर्थात्—सम्बन्धियोंसे सर्वथा भिन्न पडा हुआ सम्बन्ध तटस्थ पदार्थके समान उनका नियोग नहीं हो सकता है । हाँ, यदि नियोगवादी कार्य और प्रेरणारूप सम्बन्धियोंसे अभिन्न तदात्मक हो रहे सम्बन्धको यदि नियोग मानेंगे इसपर तो हम विधिवेदी कहते हैं कि उनका यह कहना भी पूर्वापर अन्वय संगतसे शक्य है । कठिनतासे भी नहीं समझा जा सकता है । क्योंकि प्रेरणा किये जा रहे, श्रोता पुरुषकी नहीं अपेक्षा रख रहे, सम्बन्धी स्वरूप भी कार्य और प्रेरणाके सम्बन्धको नियोगपना नहीं बन पाता है । अर्थात्—कार्य और प्रेरणासे तदात्मक हो रहा भी सम्बन्ध जबतक सर्वाधिकारी पुरुषकी अपेक्षा नहीं करेगा, तबतक कथमपि नियोग नहीं

हो सकता है। शिष्यकी अपेक्षा नहीं रखकर अभ्ययन करनेकी प्रेरणा करना कठिनतासे भी सम्भवे योग्य नहीं है। अतः सम्बन्धियोंके साथ सम्बन्धका भेद अथवा अमेद इन दोनों पक्षोंमें नियोगकी व्यवस्था नहीं बन सकी।

तत्समुदायनियोगवादोप्यनेन प्रत्याख्यातः। कार्यप्रेरणास्वभावनिर्मुक्तस्तु नियोगो न विधिवादमतिशेते।

उन कार्य और प्रेरणाका परस्पर अविनाशूत होकर तदात्मक समुदाय होजाना नियोग है। यह नियोगवादियोंका सातवाँ पक्ष भी इस सम्बन्धवाले कथनसे ही निराकृत कर दिया जाता है। क्योंकि पुरुषके बिना उन दोनोंके समुदायको नियोग कहना उचित नहीं है। कार्य और प्रेरणा-स्वभावोंसे सर्वथा विनिर्मुक्त हो रहा नियोग तो विधिवादसे अधिक अतिशय धारी नहीं है। क्योंकि कुछ अभावको नहीं माननेवाले प्राभाकरोंके यहाँ कार्य और प्रेरणा स्वभावोंसे रहित हो रहा नियोग तो हमारी मानी डूपी विधिके सदृश ही पड़ेगा।

यत्पुनः स्वर्गकामः पुरुषोऽग्निहोत्रादिवाक्यनियोगे सति यागलक्षणं विषयमारूढ-मात्मानं मन्यमानः प्रवर्तत इति यंत्रारूढनियोगवचनं तदपि न परमात्मवादप्रतिकूलं, पुरुषाभिमानमात्रस्य नियोगत्ववचनात् तस्य चाविद्योदयनिबंधनत्वात्। भोग्यरूपो नियोग इति चायुक्तं, नियोक्तप्रेरणाशून्यस्य भोग्यस्य तदभावाज्जुपपत्तेः।

विधिवादी ही अपने मन्तव्यको बखाने जा रहे हैं कि जो फिर नीचें पक्षके अनुसार नियोगवादियोंने यों कहा था कि स्वर्गकी अभिलाषा रखनेवाला पुरुष अग्निहोत्र आदि वाक्यद्वारा नियोग प्राप्त होनेपर यागस्वरूप विषयके ऊपर आरूढ हो रहे अपनेको मान रहा संता प्रवर्त रहा है। इस प्रकार यंत्रारूढस्वरूप नियोग है। सो यह उसका कथन भी परमप्रल वादके अनुकूल है। प्रतिकूल नहीं है। क्योंकि पुरुषपनेका केवल अभिमान करनेको नियोगपना कहा गया है और वह अभिमान तो अविद्याके उदयको कारण मानकर होगया है, यही हम विधिवादियोंका मन्तव्य है। दशवें पक्षके अनुसार भविष्य कालमें भोगने योग्य पदार्थस्वरूप नियोग है, यह कहना भी युक्ति रहित है। क्योंकि नियोक्ता पुरुष और प्रेरणासे शून्य हो रहे भोग्यको उस नियोगपनकी उपपत्ति नहीं हो सकती है।

पुरुषस्वभावोपि न नियोगो घटते, तस्य शाश्वतिकत्वेन नियोगस्य शाश्वतिकत्वम-संगात्। पुरुषमात्रविधेरेव तथा विधाने वेदांतवादिपरिसमाप्तेः। कुतो नियोगवादो नामेति ?

ग्यारहवें पक्ष अनुसार पुरुषस्वभाव माना जा रहा नियोग भी नहीं घटित होता है। क्योंकि वह पुरुष तो नित्य है। इस कारण नियोगको भी नित्यपना हो जानेका प्रसंग होगा। जब कि

नियोग नित्य ही है, तो वेद वाक्योंद्वारा उसका नवीन प्रतिपादन क्या किया जा रहा है ? यदि तुम नियोगवादी केवल पुरुषकी विधिका ही तिस प्रकार नियोग वाक्योंद्वारा प्रतिपादन या अज्ञात ज्ञापन करना स्वीकार करोगे तब तो नियोगवादियोंकी वेदान्त वादमें परिपूर्ण रूपसे प्राप्ति हो जाती है। तो फिर नाममात्रकी भी नियोगवाद मन्त्र किस ढंगसे सिद्ध हो सका ? यानी नहीं।

तदेतदसारं सर्वथा विधेरपि वाक्यार्थानुपपत्तेः। सोपि हि शब्दादेरद्रष्टव्यतादिव्य-  
वच्छेदेन रहितो यदीष्यते तदा न कदाचित्प्रवृत्तिहेतुः, प्रतिनियतविषयविधिनांतरीयक-  
त्वात् प्रेक्षावत्प्रवृत्तेः तस्य वा तद्विषयपरिहाराविनाभावित्वात् कटः कर्तव्य इति यथा।  
न हि कटकृतव्यताविधिरतद्व्यवच्छेदमंतरेण व्यवहारमार्ग्यमवतारयितुं शक्यः। परपरिहार-  
सहितो विधिः शब्दार्थ इति चेत्, तर्हि विधिप्रतिषेधात्मकशब्दार्थ इति कुतो विध्येकांतवा-  
दप्रतिष्ठा प्रतिषेधैकांतवादवत्।

“ स्यान्मतं ” से प्रारम्भ कर “ नामेति ” तक विधिवादियोंने नियोगके ग्यारहों पक्षोंका प्रत्याख्यान कर दिया है। अब नियोगवादी मीमांसकको सहायता देते हुये श्री विद्यानन्द आचार्य कहते हैं कि यह प्रसिद्धिमें आ रहा उन विधिवादियोंका कथन निस्सार है। क्योंकि विचार किया जानेपर विधिको भी वाक्यका अर्थपना सभी प्रकारसे घटित नहीं हो पाता है। देखिये “ दृष्टव्यो रेयमात्मा ” इन शब्द, चेष्टा, आदिकसे हो रही आत्माके दृष्टव्यपन, मन्तव्यपन, आदिकी वह विधि भी अदृष्टव्य, अमन्तव्यपन, आदिके व्यवच्छेद करके रहित है ? या उन दृष्टव्य आदिसे भिन्नकी व्यावृत्ति करनेवाली है ? बताओ। अर्थात्—यहां विधिवादियोंके ऊपर दो प्रश्न उठाये जाते हैं कि जैसे घटकी विधि अघटोंकी व्यावृत्ति करनेसे रहित है ? या घटभिन्न हो रहे पट आदिकोंके व्यवच्छेदसे सहित है ? उसी प्रकार यहां भी बताओ। प्रथम पक्ष अनुसार यदि दृष्टव्य आदिकी विधिको अदृष्टव्य आदिके अपोह करनेसे रहित मानेगे तब तो वह किसी भी पुरुषकी प्रवृत्तिका कारण कभी नहीं हो सकेगी। क्योंकि हित अहितको विचारनेवाले पुरुषोंकी प्रवृत्तिया प्रतिनियत हो रहे विषयकी विधिके साथ अविनाभाव रखती हैं। अर्थात्—घटकी विधि यदि अघटोंकी व्यावृत्ति करेगी तब तो नियत हो रहे घटमें ही बुद्धिमान् पुरुष प्रवृत्ति करेंगे। अन्यथा जो कुछ भी कार्य शयन, रुदन, आढस्य, अध्ययन आदिको कर रहे थे, उसको करते हुये ही कृतकृत्य हो सकते हैं। घटको छानेका या बनानेका नया कार्य करना उनको आवश्यक नहीं रहा। क्योंकि परका परिहार तो नहीं किया गया है। अथवा यह बात निर्णीत है कि उन प्रकरण प्राप्त नहीं हो रहे अप्रतिनियत विषयोंके परिहार करनेका प्रेक्षावान्के उस प्रवर्तनके साथ अविनाभाव हो रहा है। जैसे कि चटार्थको धुनना चाहिये, ऐसा निर्देश देनेपर मूल्यकी कटमें कर्तव्यपनकी विधिको तो उस



चटाईसे मित्र पट, घट, मुकुट, आदि अप्रकृतक अर्थोंकी व्यावृत्ति किये विना योग्य व्यवहार मार्गमें उतार नहीं सकते हो। भावार्थ—नियत कार्योंमें तद्भिन्नोका निषेध करते हुये ही प्रवृत्ति होना बनता है। इस दोषको टाकनेके लिये द्वितीय पक्ष अनुसार यदि विधिवादी अन्योंका परिहार करनेसे सहित हो रही विधिको शब्दका अर्थ मानेंगे, इस प्रकार कहनेपर तो शब्दका अर्थ विधि और निषेध उभयआत्मक सिद्ध हुआ। इस कारण तुम विधिवादियोंकी केवल विधि एकान्तके पक्ष परिप्रदकी मला प्रतिष्ठा कहते हुई ? जैसे कि बौद्धोंके केवल प्रतिषेध करनेको वाक्यका अर्थ माननेके पक्षकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। अर्थात्—विधि और निषेध दोनों ही शब्दके अर्थ व्यवस्थित हुये। केवल विधि और केवल निषेध तो वाक्यके अर्थ नहीं ठहरे।

स्यान्मतं, परपरिहारस्य गुणीभूतत्वाद्धिरेव प्रवृत्त्यंगत्वे प्राधान्याद्धिः शब्दार्थ इति। कथमिदानीं शुद्धकार्यादिरूपनियोगव्यवस्थितिर्न स्यात् ? कार्यस्यैव शुद्धस्य प्रवृत्त्यंगतया प्रधानत्वोपपत्तेः, नियोज्यादेः सतोपि गुणीभावात्। तद्वत्प्रेरणादिस्वभावनियोगवादिनां प्रेरणादौ प्रधानताभिभावात्। तदितरस्य सतोपि गुणीभावाध्यवसायाद्युक्तो नियोगः शब्दार्थः।

सम्भव है विधिवादियोंका यह मन्तव्य होवे कि यद्यपि परपदार्थोंका परिहार करना शब्दका अर्थ है, किन्तु वह परका परिहार गौण है। प्रधानपनेसे विधिको ही प्रवृत्तिका हेतुपना देखा जाता है। अन्य पदार्थ सैकड़ों, लाखोंका निषेध करनेपर भी श्रोताकी प्रवृत्ति इष्टकार्यमें नहीं हो पाती है। क्योंकि परपदार्थ अनन्त हैं। अनन्तजन्मतक भी उनका निषेध करना शब्दोंद्वारा अशक्य है। हाँ, कर्तव्य कार्यकी विधि कर देनेसे निश्चय पुरुषकी वहाँ तत्काल प्रवृत्ति हो जाती है। अतः शब्दका प्रधानतासे अर्थ विधि है। अन्यका निषेध तो शब्दका गौण अर्थ है। इस प्रकार अद्वैतवादियों द्वारा स्वपक्षकी पुष्टि किये जानेपर आचार्य कहते हैं कि क्योंकि, अब यों शुद्ध कार्य, शुद्ध प्रेरणा, आदि स्वरूप नियोगकी व्यवस्था मला कैसे नहीं होवेगी। क्योंकि प्रवृत्ति करानेका मुख्य अंग होनेसे शुद्धकार्यको ही प्रधानपन बन जावेगा। और नियोज्य पुरुष, या विषय, आदिका विद्यमान होते सन्ते भी गौणपना मानलिया जावेगा। अर्थात्—शुद्धकार्य भी नियोगका अर्थ होग्या। पुरुष, शब्द, फल, आदिक वहाँ सभी विद्यमान हैं। फिर भी प्रधान होनेसे शुद्ध कार्यको नियोग कह दिया गया है। शेष सब अप्रधानरूपसे शब्दके वाच्य हो जाते हैं। उसीके समान शुद्धप्रेरणा, कार्यसहिता प्रेरणा आदि स्वरूप नियोगको माननेवाले प्रामाणिकोंके यहाँ प्रेरणा आदिमें प्रधानपनेका अभिप्राय है। और उनसे मित्र पुरुष, फल आदि पदार्थोंके विद्यमान होते हुये भी उनको गौण रूपसे शब्दद्वारा जान लिया है। अतः नियोगको शब्दका अर्थ मानना समुचित है। फिर जान बूझकर मायाचारसे नियोगका प्रत्याख्यान क्यों किया जा रहा है ?

शुद्धकार्यमेरणादिषु स्वाभिप्रायात् कस्यचित्प्रधानभावेऽपि पराभिप्रायात्प्रधानत्वाभावादन्यतरस्यापि स्वभावस्याव्यवस्थितैकस्यापि शब्दार्थत्वमिति चेत्, तर्हि पुरुषाद्वैतवाद्याश्चयवशाद्धिः प्रधानत्वेऽपि ताथागतमताश्रयणात्प्रधानताघटनात् सोऽपि न प्रतिष्ठामताञ्चेत विप्रतिपत्तिसद्भावाविशेषात् ।

विधिवादी कहते हैं कि शुद्ध कार्य, शुद्ध प्रेरणा आदिमें प्रामाणिकोंके अपने अभिप्रायसे किसी एकको प्रधानपना होते हुये भी दूसरे भट्ट वेदान्ती, बौद्ध आदिकोंके अभिप्रायसे प्रधानपना नहीं स्वीकृत किया गया है । अतः शब्दके उन प्रधान अप्रधान दोनों अर्थोंमेंसे किसी एक भी स्वभाव रूप नियोगकी व्यवस्था नहीं हो पाती है । अतः एकको भी शब्दका वाच्यार्थपना नहीं है । इस प्रकार विधिवादियोंके कहनेपर आचार्य कहते हैं कि तब तो पुरुषाद्वैतवादीके आशयके बशसे विधि को प्रधानपना होते हुये भी बौद्धमतके आश्रयसे विधिको अप्रधानपना घटित हो रहा है । अतः वह विधि भी प्रतिष्ठाको अतिशयरूपसे प्राप्त नहीं हो पाती है । क्योंकि कई दार्शनिकोंकी ओरसे विवादोंका उपस्थित होकर खडा हो जाना विधि और नियोग दोनोंमें अन्तर रहित है । समान तत्त्वव्यवस्थाको अवगत शिरसा पक्षपातरहित होकर एकसा स्वीकार कर लेना चाहिये ।

प्रमाणरूपश्च यदि विधिः तदा प्रमेयमन्यद्वाक्यं । तत्स्वरूपमेव प्रमेयमिति चेत्, कथमस्यार्थद्वयरूपता न विरुध्यते ? कल्पनयेति चेत्, तर्ह्यन्यापोहः शब्दार्थः कथं प्रतिपिध्यते ? अप्रमाणत्वव्यावृत्त्या विधेः प्रमाणत्ववचनात्प्रमेयत्वव्यावृत्त्या च प्रमेयत्वपरिकल्पनात् ।

प्रामाणिकोंद्वारा माने गये नियोगमें जैसे विधिवादी द्वारा प्रमाण, प्रमेय आदिक विकल्प उठाये गये थे, उसी प्रकार अद्वैत ब्रह्मको माननेवाले विधिवादियोंके ऊपर भी आचार्योंद्वारा विकल्प उठाये जाते हैं कि विधिको यदि प्रमाणस्वरूप माना जायगा तो उस समय उस प्रमाणरूप विधि करके जानने योग्य प्रमेय पदार्थ कोई न्यारा कहना पड़ेगा । ऐसी दशामें प्रमाण और प्रमेय दो पदार्थोंका द्वैतपना प्राप्त होगा, जो कि आपके सिद्धान्तसे विरुद्ध है । यदि उस विधिस्वरूप ही प्रमेय पदार्थ माना जायगा, तब तो स्वभावसे रहित हो रही इस एक निरंश विधिको प्रमाण और प्रमेय दो पदार्थस्वरूपपना क्यों नहीं विरुद्ध हो जावेगा ! बतलाओ । यदि अद्वैतवादी यों कहें कि एक ही पदार्थमें कल्पना करके दो पदार्थ प्रमाण, प्रमेयपना बन सकता है । कोई विरोध नहीं है, इसपर हम जैन कहेंगे कि तब तो बौद्धोंकरके माना गया शब्दका अर्थ अन्यापोह तुम अद्वैतवादियों करके क्यों प्रसारणपूर्वक निषेधा जा रहा है ! अप्रमाणपनेकी व्यावृत्तिसे विधिको प्रमाणपना कह देना चाहिये । और अप्रमेयपनकी व्यावृत्तिकरके प्रमेयपना धर्म गढ़ लेना चाहिये । वस्तुतः प्रमेयत्व और अप्रमाणत्व तभी सुरक्षित रह सकते हैं, जब कि उनको अप्रमाणपन और अप्रमेयपन होनेसे व्यावृत्त किया जाता रहे । अन्यथा उस प्रमाणमें या प्रमेयमें अप्रमाणपन या अप्रमेय-

पन घुम पडेगा, जो कि उनकी सत्ताको चाट जायगा। बौद्धोंका अनुभव है कि सर्वांगीण परिपूर्ण प्रमाण कोई भी ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान प्रमाण है। इसका अर्थ यही है कि यह ज्ञान अप्रमाण नहीं है। कोई पुरुष सुन्दर है, इसका अर्थ यह है कि यह कुरूप नहीं है। पण्डितका अर्थ मूर्खपनेसे रहित इतना ही है। वैसे परिपूर्ण सुन्दरता और अगाध पाण्डित्य तो बहुत विलक्षण पदार्थ हैं। शब्दोंके द्वारा तदितर पदार्थोंकी व्यावृत्तियां कही जाती हैं। हेतुके गुण हो रही विपक्षव्यावृत्तिका मूल्य अधिक है। पक्ष सत्त्वका इतना शुल्क नहीं है। अतः कल्पनासे विविधे यदि अनेक स्वभाव माने जा रहे हैं तो कल्पित अन्यापोहको भी शब्दका वाच्य अर्थ कह देना चाहिये। बौद्धोंसे माने गये शुद्ध सत्त्वेदगमे अन्यापोहस्वरूप प्रमाणता और प्रमेयता धर्म पाये जाते हैं।

पदार्थस्वरूपाभिधायकत्वमंतरेणान्यापोहमात्राभिधायकस्य शब्दस्य कश्चित्प्रवर्तकत्वायोगादन्यापोहो न शब्दार्थ इति चेत्, तर्हि पदार्थस्वरूपाभिधायकस्यापि शब्दस्यान्यापोहानभिधायिनः क्रथमन्यपरिहारेण कश्चित्प्रवृत्तिनिमित्तत्वसिद्धिः येन विधिमात्रं शब्दार्थः स्यात् ।

विधिवादी कहते हैं कि शब्दको यदि पदार्थके स्वरूपोंकी विधिका कथन करा देनापन तो नहीं माना जाय, केवल अन्योंकी व्यावृत्तिका ही कथन करना शब्दका कर्तव्य कहा जायगा तो किसी एक विवक्षित पदार्थमें ही शब्दका प्रवर्तकपना घटित नहीं होगा। अतः अन्यापोह शब्दका अर्थ नहीं है। अर्थात्—अन्यापोहको ही कहते रहनेमें चरितार्थ हो जानेसे शब्द द्वारा किसी नियत एक पदार्थमें ही जो श्रोताकी प्रवृत्ति हो रही है वह नहीं बन सकेगी। ऐसी दशामें शब्दका उच्चारण व्यर्थ पडता है। हा, शब्दद्वारा विधिका निरूपण होना माननेपर तो किसी विशेष पदार्थमें ही अर्थात् जीवकी प्रवृत्ति होना बन जाता है। अतः विधिवादी हम अन्यापोहको शब्दका वाच्य अर्थ नहीं मानते हैं। इस प्रकार अद्वैतवादियोंके कहनेपर हम जैन कहते हैं कि तब तो वस्तुके विधिस्वरूपका कथन करनेवाले ही शब्दके द्वारा यदि अन्यापोहका कथन करना नहीं माना जायगा तो उस अन्यापोहको नहीं कहनेवाले शब्दका अन्योंका परिहार करके किसी एक नियत विषयमें ही प्रवृत्तिका निमित्तकारणपना मन्त्र कैसे सिद्ध होगा ? जिससे कि केवल विधि ही शब्दका अर्थ हो सके। अर्थात्—जबतक विवक्षित पदार्थसे अतिरिक्त पडे हुये पदार्थोंकी व्यावृत्ति नहीं की जायगी तबतक उसी नियत पदार्थमें प्रवृत्ति भग कैसे हो सकेगी ? विचारो तो सही।

परमपुरुष एव विधिः स एव च प्रमाणं प्रमेयं चाविधावशादाभासते प्रतिभासमा-  
ध्वन्यतिरेकेण व्यावृत्त्यादेरप्यसंभवादित्यपि दत्तोत्तरं, प्रतिभासव्यतिरिक्तस्य प्रतिभास्य-  
स्वार्थस्य व्यवस्थापितात्वात् ।

अद्वैतवादी कहते हैं कि परमब्रह्म ही तो विधि पदार्थ है और संसारी जीवोंको वही अविद्याके वशसे प्रमाणस्वरूप और प्रमेयस्वरूप प्रतिभास जाता है। सच पूछो तो केवल शब्द प्रतिभासके अतिरिक्तपने करके व्यावृत्ति आदिका भी असम्भव है। अब आचार्य कहते हैं कि विधिवादीयोंके इस वक्तव्यका भी उत्तर दिया जा चुका है। क्योंकि प्रतिभाससे चोखे अतिरिक्त हो रहे प्रतिभासने योग्य घट, पट आदि अर्थाँकी व्यवस्था करा दी जा चुकी है। अतः नियोगको प्रमाणपनेके समान विधिको भी प्रमाण आत्मक माना जायगा तो अनेक दोष आते हैं।

प्रमेयरूपो विधिरिति वचनमयुक्तं, प्रमाणाभावे प्रमेयरूपत्वायोगात्तस्यैव च द्वयरूपत्व विरोधात् । कल्पनाशब्दाद्धिद्वैत्यरूपत्वे अन्यापोहवादानुपपन्नस्याविशेषात् ।

तो विधि प्रमेयस्वरूप है, इस प्रकार द्वितीय पक्ष अनुसार किसीका वचन भी युक्तिरहित है। क्योंकि प्रमाणको स्वीकार किये बिना विधिमें प्रमेयस्वरूपपना नहीं घटता है। और-उस एक ही विधि पदार्थको एकान्तवादीयोंके यहाँ प्रमाणपन, प्रमेयपन, इन दो स्वरूपपनका विरोध है। यदि कल्पनाके वशसे विधिको प्रमाण, प्रमेय दोनों रूपपना माना जावेगा तो बौद्धोंके अन्यापोह वादका प्रसंग आता है। कोई अन्तर ऐसा नहीं है जिससे कि विधिमें प्रमेयपन मानते दृष्टे अन्य व्यावृत्तियाँ स्वीकार नहीं की जायें। एक विधिमें दोपना तो तभी आ सकता है, जब कि अप्रमाणपनकी व्यावृत्ति करके प्रमाणपना और अप्रमेयपनकी व्यावृत्ति करके प्रमेयपना उसमें धर दिया जाय। अन्यापोहको प्रमेय माने बिना तो आपको प्रमेय न्यारा कहना पड़ेगा, अन्य कोई उपाय नहीं है।

प्रमाणप्रमेयोभयरूपो विधिरित्यप्यनेन निरस्तं भवतु । अनुभयरूपोऽसाविति चेत्, खरश्रृंगादिवदवस्तुतापत्तिः कथमिव तस्य निवार्यतां ?

तब तृतीय विकल्पके अनुसार प्रमाण, प्रमेय उभयस्वरूप विधि मानी जाय, यह कल्पना भी इस उक्त कथन इसके निराकृत कर दी गयी हुई समझो। क्योंकि दो रूपपनेमें जो दोष आते हैं वही दोष उभयरूप माननेमें प्राप्त होते हैं। दो अवयव जिसके हैं वह द्वय है। उभय भी वैसा ही है। यदि चतुर्थकल्पना अनुसार वह विधि अनुभयस्वरूप मानी जायगी अर्थात् प्रमाण प्रमेय दोनोंके साथ नहीं तदात्मक हो रहे, विधिको वाक्यका अर्थ माना जायगा, तब तो खरविषाण, आकाश-कुसुम, आदिके समान उस विधिको अवस्तुपनकी आपत्ति हो जाना मठा किस प्रकार निवारण किया जा सकता है ? बताओ तो सही। अतः वाक्यका अर्थ विधि नहीं हो सकता है। इसपर अष्टसङ्घर्षोंमें और भी अधिक विस्तारसे विचार किया गया है।

तथा यंत्रारूढो वाक्यार्थ इत्येकान्तापि विपर्यय एवान्यापोहमंतरेण तस्य प्रवर्तक-त्वायोगाद्धिवचनवत् । एतेन भोग्यमेव पुरुष एव वाक्यार्थ इत्यप्येकान्तो निरस्ता, नियोगविशेषतया च यंत्रारूढादेः प्रतिविहितत्वात् । न पुनस्तत्प्रतिविधानेतितरामादरोस्माक-मित्युपरम्यते ।

यंत्रमें आरूढ हो जाना वाक्यका अर्थ है। इस प्रकार एकान्त करना भी कुश्रुतज्ञानरूप विपर्यय है। क्योंकि अन्यकी व्यावृत्ति किये बिना उस यंत्रारूढको किसी ही विवक्षित विषयमें प्रवृत्ति करा देनापन घटित नहीं होता है। जैसे कि वाक्यके द्वारा विधिका ही कथन होना मानने पर किसी विशेष ही पदार्थमें विधिको प्रवर्तकपना नहीं बनता है। इस उक्त कथन करके भोग्य-रूप ही वाक्यका अर्थ है अथवा आत्मा ही वाक्यका अर्थ है, ये एकान्त भी निराकृत कर दिये गये हैं। क्योंकि ग्यारह प्रकारके नियोगोंका विशेष भेद हो जानेसे यंत्रारूढ पुरुषस्वरूप आदि नियोगोंका पूर्व प्रकरणोंमें खण्डन किया जा चुका है। अतः पुन उनके खण्डन करनेमें हमारा अत्यधिक आदर नहीं है। इस कारण अब विराम किया जाता है। मीमांसक और अद्वैतवादियों द्वारा निवोग भावना, और विधिको वाक्यका अर्थ मन्तव्य करना विपर्ययज्ञान है।

तथान्यापोह एव शब्दार्थ इत्येकांतो विपर्ययः स्वरूपविधिर्मंतरेणान्यापोहस्या-संभवात्। चक्त्रभिमायारूढस्यार्थस्य विधिरेवान्यापोह इत्थं इति चेत्, तथैव बहिरर्थस्य विधिरस्तु विज्ञेयामावात्। तेन शब्दस्य संबधाभावाच्च शब्दात्तद्विधिरिति चेत्, तत एव चक्त्रभिमेतस्याप्यर्थस्य विधिर्माभूत्। तेन सहकार्यकारणभावस्य संबंधस्य सद्भावाच्छब्दस्य तद्विधायित्वमिति चेन्न, विवक्षांमंतरेणापि सुप्ताद्यवस्थायां शब्दस्य प्रवृत्तिदर्शनात्-कार्यत्वाव्यवस्थानात्। प्रतिक्षिप्तथान्यापोहैकांतः पुरस्तादिति तर्कितं।

तिसी प्रकार अन्यापोह ही शब्दका अर्थ है, यह बौद्धोंका एकान्त भी विपर्यय ज्ञान है। क्योंकि वस्तुके स्वरूपकी विधिके बिना अन्यापोहका असम्भव है। जब कि किसीकी विधि करना ही नियत नहीं है तो अन्योंको व्यावृत्ति किसकी की जाय। यदि बौद्ध यों कहें कि यज्ञके अभिप्रायमें आरूढ हो रहे अर्थकी विधि ही तो इस प्रकार अन्यापोह हुई, अर्थात्—वस्तुभूत अर्थकी शब्द नहीं छूता है। हां, विज्ञारूप कथनानमें अमिरूढ हुये अर्थकी विधिको फर देता है। हमारे मनमें माता अर्थ अभिप्रेत है, और पुत्रसे मौनार्थ या चाची कहते हैं, तो शब्दका अर्थ मैया ही करना चाहिये। इस प्रकार बौद्धोंके कहने पर तो आचार्य महाराज कहते हैं कि तब तो तिस ही प्रकार बहिर्भूत वास्तविक अर्थकी शब्दद्वारा विधि हो जाओ, विवक्षित अर्थकी विधि और बहिरंग वाच्य अर्थकी विधि करनेका कोई अन्तर नहीं है। यदि बौद्ध यों कहें कि उस बहिरंग अर्थके साथ शब्दका कोई सम्बन्ध वास्तविक वाच्यवाचक रूप नहीं है। परंतु शब्दका “पहाड” अर्थके साथ बादरायण सम्बन्ध गढ़लेना कोरा ढकोसझा है, अतः शब्द द्वारा उस बहिर्भूत अर्थकी विधि नहीं की जासकती है। इस प्रकार बौद्धोंके कहनेपर तो हम कहेंगे कि तिस ही कारण यानी योगक सम्बन्ध नहीं होनेसे यज्ञको विवक्षित हो रहे अर्थकी भी विधि मति (नहीं) होओ। यदि बौद्ध यों कहें कि शब्दकी उत्पत्तिका कारण विवक्षा है। जैसे सत्यमनोगतका अर्थ सत्यमन है। उसी प्रकार

विवक्षा प्राप्त अर्थ भी उपचारसे विवक्षा ही है। अतः उस विवक्षामें पडे हुये अर्थके साथ शब्दका कार्यकारणभाव सम्बन्ध विद्यमान हो रहा है। इस कारण शब्द उस विवक्षित अर्थकी विधिको करा देता है। अब आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि गाढरूपसे सीती हुई या मत्त मूर्च्छित आदि अवस्थाओंमें विवक्षाके बिना भी शब्दकी प्रवृत्ति हो रही देखी जाती है। अतः उस विवक्षाके कार्यपन करके शब्दकी व्यवस्था नहीं है। इकलपन या तोतलेपनकी दशामें कुछ कहना चाहते हैं, और शब्द दूसरा ही मुखसे निकल पडता है। पद्मावतीके कहनेकी विवक्षा होनेपर वत्सराजके मुखसे वासवदत्ता शब्दका निकल जाना, ऐसे गोत्रस्वल्हन आदिमें विवक्षा और शब्दके अन्य व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार होते हुये देखे जा रहे हैं। श्री अर्हन्त परमेष्ठीकी दिव्यवाणी विवक्षाके बिना खिरती है। अतः शब्दोंका अंग्यभिचारी कारण विवक्षा नहीं है। दूसरी बात यह है कि पूर्वके प्रकरणों द्वारा अन्यापोद्दके एकान्तका भले प्रकार खण्डन किया जा चुका है। इस कारण अधिक तर्कणा करनेसे क्या प्रयोजन ?। वहाँपर तर्क, वितर्कद्वारा यह निर्णीत हो चुका है कि एकान्तरूपसे अन्यापोद्दको कहते रहना वाक्यका प्रयोजन नहीं है। शब्दका कारण भी विवक्षा नहीं है।

नियोगो भावना धारत्वर्थो विधियंत्रारूढादिरन्यापोहो वा यदा कैश्चिदेकातिन विषयो वाक्यस्यानुमन्यते तदा तज्जनितं वेदनं श्रुताभासं प्रतिपत्तव्यं, तथा वाक्यार्थनिर्णीतिर्विधातुं दुःशकत्वादिति ।

नियोग, भावना, शुद्धधात्वर्थ, विधि, यंत्रारूढ, पुरुष आदिक अथवा अन्यापोद्द, ये एकान्त रूपसे जब कभी वाक्यके द्वारा विषय किये गये अर्थ किन्हीं मतावलम्बियोंके स्वसिद्धान्त अनुसार माने जाते हैं, उस समय नियोग आदिको विषय करनेवाले उन वाक्योंसे उत्पन्न हुआ ज्ञान श्रुतज्ञानाभास समझना चाहिये। क्योंकि तिस प्रकार उनके मन्तव्य अनुसार वाक्य अर्थका निर्णय करना दुःसाध्य है। अर्थात्—उनके द्वारा माना गया वाक्यका अर्थ प्रमाणोंसे निर्णीत नहीं होता है। अतः वे उस समय कुश्रुतज्ञानी हैं। इस प्रकार मतिज्ञान श्रुतज्ञानोंके आमामोंका वर्णन कर दिया है। कारणविपर्यास, स्वरूपविपर्यास और भेदाभेदविपर्यासको अवलम्बन छेकर हुई अनेक सम्प्रदायोंके अनुसार जीवोंके अनेक कुञ्चान उपज जाते हैं। सम्प्रदानका अन्तरंग कारण सम्यग्दर्शनके हो जानेपर चौथे गुणस्थानसे प्रारम्भ कर ऊपरके गुणस्थानोंमें विपर्यय ज्ञान नहीं सम्भवता है। हां, कामल आदि दोषोंसे हुये विपर्ययज्ञान तो चौथे गुणस्थानसे ऊपर भी बारहवें तक सम्भव जाते हैं। किन्तु वे सब अन्तरंग कारण सम्यग्दर्शनकी चासनीमें पगे हो रहे होनेसे सम्यग्ज्ञानरूपसे व्यपदेश करने योग्य हैं। यद्यपि उपशम श्रेणीमें और क्षपक श्रेणीमें बहिरंग इन्द्रियोंसे अन्य मतिज्ञानकी प्रवृत्ति प्रकट नहीं है। आरमाकी श्रुतज्ञानरूप प्यानपरिणति है। फिर भी मतिज्ञानकी

सम्प्रायना क्षयोपशम अनुसार वारह्वे गुणस्थान तक बतायी गयी है । मानसमतिज्ञान वहां प्रकटरूपसे है ।

कः पुनरवधि विपर्यय इत्याह ।

शिष्यकी जिज्ञासा है कि फिर अवधिज्ञानका विपर्यय विभंग क्या है ? ऐसी जाननेकी इच्छा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं ।

भवं प्रतीत्य यो जातो गुणं वा प्राणिनामिह ।

देशावधिः स विज्ञेयो दृष्टिमोहाद्विपर्ययः ॥ ११४ ॥

सत्संयमविशेषोत्थो न जातु परमावधिः ।

सर्वावधिरपि व्यस्तो मनःपर्ययबोधवत् ॥ ११५ ॥

भवको कारण मानकर अथवा क्षयोपशमरूप गुणको कारण मानकर प्राणियोंके उत्पन्न हुई जो देशावधि है, वह यहां दर्शमोहनाय कर्मका उदय हो जानेसे आत्मजन्म कर रही विपर्यय ज्ञान स्वरूप समझ लेनी चाहिये । विशिष्ट प्रकारके श्रेष्ठ संयमके होनेपर मुनि महाराजके ही उत्पन्न हुई परमावधि तो कभी विपर्ययपनेको प्राप्त नहीं होती है, जैसे कि मनःपर्यय ज्ञानका विपर्यय नहीं होता है । भावार्थ—चरमशरीरी संयमी मुनिके हो रहे परमावधि और सर्वावधिज्ञान कदाचिद् भी विपरीत नहीं होते हैं और ऋद्धिधारी विशेष मुनिके हो रहा वह मनःपर्यय ज्ञान भी सम्यग्दर्शनका समानाधिकरण होनेसे विपर्यय नहीं होता है । अवधिज्ञानोंमें केवल देशावधि ही मिथ्यात्व या अनन्तानुबन्धी कर्मके उदयका साहचर्य प्राप्त होनेपर विपरीत ज्ञानरूप विभंग हो जाती है ।

परमावधिः सर्वावधिश्च न कदाचिद्विपर्ययः सत्संयमविशेषोत्थत्वात् मनःपर्ययवदिति देशावधिरेव कस्यचिन्मिथ्यादर्शनाविर्भावे विपर्ययः प्रतिपाद्यते ।

परमावधि और सर्वावधि तो ( पक्ष ) कभी विपरीत ज्ञानस्वरूप नहीं होती हैं ( साध्य ) । अतीव श्रेष्ठ संयम विशेषपत्राळे मुनिज्योंमें उत्पन्न हो जानेसे ( हेतु ) । जैसे कि मनःपर्ययज्ञान ( अन्वय-दृष्टान्त ) । इस प्रकार अनुमानद्वारा दो अवधियोंका नियंत्रण कर चुकनेपर शेष रही देशावधि ही किसी जीवके मिथ्यादर्शनके प्रकट हो जानेपर विपर्यय कह कर समझा दी जाती है ।

किं पुनः कर्तुं प्रमाणान्तकसम्पन्नज्ञानविधौ प्रकृते विपर्ययं ज्ञानमनेकधा मत्यादि मरूपितं सूत्रकारैरित्याह ।

शिष्य पूछता है कि प्रमाणस्वरूप सम्यग्ज्ञानकी विधिका प्रकरण चळता हुआ होनेपर फिर क्या करनेके लिये सूत्रकार श्री उमास्वामी महापुत्रने मति आदिक तीन ज्ञानोंकी अनेक प्रकारसे

विपर्ययज्ञानस्वरूप इस सूत्रद्वारा निरूपण किया है। ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य समाधान कहते हैं।

**इति प्रमाणात्मविबोधसंविधौ विपर्ययज्ञानमनेकधोदितम् ।**

**विपक्षविक्षेपमुखेन निर्णयं सुबोधरूपेण विधातुमुद्यतैः ॥११६॥**

इस पूर्वोक्त प्रकार प्रमाणस्वरूप सम्यग्ज्ञानकी भले प्रकार विधि करनेपर विपरीत पक्षके खण्डनकी मुख्यतासे समीचीन बोधस्वरूप करके निर्णयको विधान करनेके लिये उद्यमी हो रहे श्री उमास्वामी महाराज करके अनेक प्रकारका विपर्ययज्ञान इस सूत्रद्वारा कष्ट दिया गया है। भावार्थ—पहिले प्रकरणोंमें किया गया सम्यग्ज्ञानका निरूपण तमी निर्णयित हो सकता है, जब कि उनसे विपरीत हो रहे मिथ्याज्ञानोंका ज्ञान करा दिया जाय। अतः तीनों मिथ्याज्ञानोंसे व्यावृत्त हो रहा सम्यग्ज्ञान उपादेय है। चिकित्सक द्वारा दोषोंका प्रतिपादन किये बिना रोगी उनका प्रत्याख्यान नहीं कर सकता है। विवक्षित पदार्थकी विधि हो जानेपर गम्भयमान भी पदार्थोंकी कंठोक व्यावृत्ति करना विशेष निर्णय हो जानेके लिये आवश्यक कार्य है।

पूर्व सम्यगवबोधस्वरूपविधिरूपमुखेन निर्णयं विधाय विपक्षविक्षेपमुखेनापि तं विधातुमुद्यतैरेकधा विपर्ययज्ञानमुदितं वादिनोभयं कर्तव्यं स्वपरपक्षसाधनदूषणमिति न्यायानुसरणात् ।

पहिले सम्यग्ज्ञानके स्वरूपका विधिस्वरूपकी मुख्यता करके निर्णय कर पुनः सम्यग्ज्ञानके विपक्ष हो रहे मिथ्याज्ञानोंके निराकरणकी मुख्यता करके भी उस निर्णयको विधान करनेके लिये उद्यमी हो रहे सूत्रकार करके अनेक प्रकारका विपर्ययज्ञान कष्ट दिया गया है। यद्यपि सम्यग्ज्ञानोंकी विधिसे ही मिथ्याज्ञानोंका अनायास निवारण हो जाता है। अथवा मिथ्याज्ञानोंका अकेले निवारण कर देनेसे ही सम्यग्ज्ञानोंकी परिश्रमके बिना विधि हो जाती है। फिर भी वादीको दोनों कार्य करने चाहिये। अपने पक्षका साधन करना और दूसरोंके प्रतिपक्षमें दूषण उठाना इस नीतिका अनुसरण करनेसे प्रत्यकारने दोनों कार्य किये हैं। अथवा श्री उमास्वामी महाराजने विधि मुख और निषेध मुख दोनोंसे सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञानोंका प्रतिपादन किया है। अतः सिद्ध है कि समीचीनवादी विद्वान्को स्वपक्षसाधन और परपक्षमें दूषण ये दोनों कार्य करने चाहिये। आत्माको शरीर परिमाण साध चुकनेपर भी आत्माके व्यापकपन या अणुपनका खण्डन कर देनेसे अपना सिद्धान्त अष्टा पुष्ट हो जाता है। ताकेको ताडी घुमाकर लगा देते हैं। फिर भी खेचकर देख लेनेसे विचित्र विशेष दृढ़ता हो जाती है।



स्वविधिसामर्थ्यात् प्रतिषेधस्य सिद्धेस्तत्सामर्थ्याद्वा स्वपक्षविधिसिद्धेर्नो भयवचनमर्थ-  
वदिति प्रवादस्यावस्थापितुमशक्तेः सर्वत्र सामर्थ्यसिद्धस्यावचनप्रसंगात् । स्वैष्टव्याघातस्या-  
चुपंगात् । क्वचित्सामर्थ्यसिद्धस्यापि वचने स्याद्वादन्वयायस्यैव सिद्धेः सर्वं शुद्धम् ।

यदि बौद्ध यों कहें कि अपने पक्षकी विधि कर देनेकी सामर्थ्यसे ही प्रतिपक्षके निषेधकी सिद्धि हो जाती है । अथवा उस परपक्षके निषेधकी सिद्धि हो जानेसे ही सामर्थ्यके बलसे स्वपक्ष की सिद्धि अर्थापत्तिसे बन जाती है । अतः दोनोंका कथन करना व्यर्थ है । किसी प्रयोजनको नहीं रखता है । व्यर्थ वचनोंको पहनेवाला वादी निप्रदस्थानको प्राप्त हो जाता है । इसपर आचार्य कहते हैं कि उस उक्त प्रकारके प्रवादकी व्यवस्था नहीं करायी जा सकती है । हम अन्य प्रकरणोंमें धर्मकीर्तिके प्रवादका निराकरण कर चुके हैं । यदि बौद्धोंका वह उक्त विचार माना जायगा तो सभी स्थलोंपर विना कहें यों ही सामर्थ्यसे सिद्ध हो रहे पदार्थके नहीं कथन करनेका प्रसंग हो जायेगा । ऐसी दशामें अपने इष्ट सिद्धान्तके व्याघात हो जानेका प्रसंग आ जावेगा । आप बौद्धोंने “ यत् सत् तत्सर्वं क्षणिकं ” इस व्याप्ति अनुसार समर्थन उपनय आदिका पुनरपि निरूपण किया है । किसी व्यक्तिकी विद्वत्ताका निषेध करनेपर भी मूर्खताका विधान नहीं हो जाता है । अथवा हेतुकी पक्षमें विधि कर देनेसे ही विपक्षमें निषेध नहीं हो जाता है । बहुतसे पण्डित निर्धन नहीं होते हुये भी घनाढ्य नहीं कहे जा सकते हैं । शुद्ध आत्मा या पुद्गल परमाणु न लघु है न गुरु है । हां, सामर्थ्यसे सिद्ध हो रहे भी पदार्थका यदि शब्द द्वारा निरूपण करना कहीं कहीं इष्ट कर लगे तब तो स्याद्वादन्वयायकी ही सिद्धि होगी । अतः अनेकान्त मत अनुसार सम्पूर्णव्यवस्था निर्दोष होकर शुद्ध बन जाती है । अन्यथा नहीं बनती है ।

इति तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकालंकारे प्रथमस्याध्यायस्य चतुर्थमाह्निकम् ।

इस प्रकार तत्त्वार्थसूत्रके श्लोकरूप वार्तिकोंके अलंकारस्वरूप माध्यमें प्रथम अध्यायका चौथा आह्निक समाप्त हुआ ।

## इस सूत्रका सारांश ।

इस सूत्रके व्याख्यानमें प्रकरण इस प्रकार है कि मिथ्यादृष्टि जीव और मय्यदृष्टि जीवका ज्ञान जब समान जाना जा रहा है, तो कैसे निर्णीत किया जाय ! कि मिथ्यादृष्टिका ज्ञान विपर्यय है । इसको दृष्टान्तसहित प्रदर्शन करनेके लिये श्री उमास्वामीरत्नाकरसे सूत्रमणिका उद्धारं हुआ है । सत् असत्का लक्षण कर सूत्रके अनुमान वाक्यको समीचीन बना दिया गया है । उभयपक्षका दृष्टान्त अष्टा षट्ठा दिया है । आचार्य विपर्ययके भेदोंको अनेक दार्शनिकोंके मन्तव्य अनुसार समझाया है । सर्वमें असत्की कल्पनास्वरूप विपर्ययको बताकर अक्षरमें सत्की कल्पनाको दूसरी

जातिका आहार्य विपर्यय कहा है। श्रुतज्ञानमें आहार्य विपर्ययके समान सम्भवनेवाले आहार्य संशय और आहार्य अनध्यवसायको भी दृष्टान्तपूर्वक घटाया गया है। चार्वाक, शून्यवादी, बौद्ध, आदि दार्शनिकोंके यहाँ जो विपरीत अभिनिवेशसे अनेक ज्ञान हो रहे हैं, वे आहार्य विपर्यय हैं। पश्चात् मतिज्ञानके भेदोंमें सम्भव रहे विपर्ययको कहकर स्वार्थानुमानको आमास करनेवाले हेत्वाभासोंका निरूपण किया है। तीन प्रकारके हेत्वाभास माने गये हैं। अन्य हेत्वाभासोंका इन्हींमें अन्तर्भाव हो जाता है। यहाँ मध्यमें बौद्ध, नैयायिक, कपिल, आदिके सिद्धान्तोंको मिथ्या बताकर उनके साथक हेतुओंको हेत्वाभास कर दिया है। और भी कई तरकोंकी वर्णना की है। सादि अनन्त केवलज्ञानका अपूर्वार्थपना साधा गया है। यद्यपि केवलज्ञानीको एक ही समयमें सभी पदार्थ भास जाते हैं। फिर भी पूर्वापर—कालसम्बन्धी विशिष्टतासे वह ज्ञान अपूर्वार्थप्राही है। कलके बासे आटेकी आज बनी हुई रोटीको आज खानेपर और कलके ताजे आटेकी कल बनी हुई रोटीको आज बासी खानेपर स्वाद न्यारा न्यारा है। धनी होकर हुये निर्धन और निर्धन होकर पीछे धनी हुये पुरुषोंके परिणाम विभिन्न हैं। अकिंचित्कर कोई पृथक् हेत्वाभास नहीं है। जैनोंके यहाँ प्रमाणसंग्रह इष्ट है। इसके पश्चात् नियोग, भावना, आदिको वाक्यका अर्थ माननेवाले मीमांसक आदिका विचार चढाया है। नियोगके प्रामाकारोंने त्पारह भेद किये हैं। प्रमाण आदिक आठ विकल्प उठाकर उनका खण्डन किया गया है। वेदान्तकी रीतिसे नियोगका खण्डन कराकर पुनः वेदान्तमतका भी निराकरण करदिया है। भासोंकी मानी हुयीं दोनों भावनाओंका निराकरण किया गया है। शब्दभावना, अर्थभावना घटित नहीं होती हैं। शुद्ध धार्वर्थ भी वाक्यका अर्थ नहीं बन पाता है। तथा अद्वादैत वादियोंकी मानी हुई विधि भी वाक्यका अर्थ नहीं है। इन सबका विस्तारके साथ विचार किया गया है। प्रवर्तक या अप्रवर्तक या सकल, निष्कल, नियोगके अनुसार विधिवादमें भी सभी दोष गिरादिये गये हैं। कुछ देरतक नियोगवादका पक्ष लेकर आचार्य महाराजने विधिवादका विद्वत्पूर्वक अप्छा उपहास किया है, जिसका कि अध्ययन करनेपर ही विशेष आनन्द प्राप्त होता है। नियोगके त्पारहों भेदोंका खण्डन कर विधि, निषेध, आत्मक स्वाद्वाद सिद्धान्तको साधा है। विधिमें भी प्रमाणपन आदिके विकल्प लगाकर अद्वैतवादका निराकरण किया है। यंत्रारूढ पुरुष आदि भी वाक्यके अर्थ नहीं हैं। बौद्धोंका अन्यापोह तो कथमपि वाक्यका अर्थ नहीं घटित होता है। विवक्षाका शब्दके साथ अग्रभिचारी कार्यकारणभाव सम्बन्ध नहीं है। अतः नियोग, भावना, धार्वर्थ, विधि, आदिको यदि वाक्यका अर्थ माना जायगा तो तज्जन्मज्ञान कुश्रुतज्ञान सपत्ता जायगा। स्वविज्ञानोंमें केवल देशावधि ही कदाचिद् मिथ्यात्वका उदय हो जानेसे विपर्यय रूप हो जाती है। परमावधि और सर्वाविधि विपर्यय नहीं हैं। मनःपर्ययज्ञान भी विपरीत नहीं है। यद्यपि प्रमाण ज्ञानोंके प्रतिपादक सूत्रोंसे ही परिशेष न्यायसे मिथ्याज्ञानोंकी सत्त्विति हो सकती है। फिर भी वादोंके कर्तव्य स्वपक्षसाधन, परपक्षदूषण दोनों हैं। संवर और निर्जरासे मोक्ष होती है।

अनेकान्तकी उपलब्धि होते हुये भी एकान्तोंका अनुपलम्भ होना साधा जाता है । श्री अर्हन्त परमेश्वरके परमात्मपना सिद्ध हो चुकनेपर भी कपिल आदिकोंमें परमात्मपनका निषेध साधना अनिवार्य है । ताळी फिर देनेसे ही ताळेका ढग जाना जान चुकनेपर भी दृढ निश्चयके लिए ताळेको खींचकर पुनः खटका लिया जाता है । गुणोंका ग्रहण करो और साथमें दोषोंका प्रत्याख्यान भी करते जाओ । अतः दृढ निर्णय कराकर छुड़ानेके लिये मिथ्याज्ञानोंको हेतु, दृष्टान्त, पूर्वक प्रतिपादन करनेवाला सूत्र उमास्वामी महाराज द्वारा कहा गया है । प्रतिपक्षी दोषोंके सर्वथा निराकरण करनेसे ही शुद्ध मार्ग व्यवस्थित रह पाता है । यद्वातक पहिले अध्यायका चतुर्थ आहिक समाप्त किया गया है ।

ज्ञानं मैथ्यं विविच्य प्रमितिरसमुखं स्वाद्यन्सौगतादीन् ।

काचज्ञानादते द्राक् स्वगुणमिह मणिव्यज्जयन्नापलब्धः ॥

कुज्ञानाहार्यलीढं जगदुपकृतिभिः स्वाभिरुद्धर्तुमिच्छन् ।

श्रीविद्यानन्दसूरिर्जयति विगतभीर्भाषितस्वामिसूत्रः ॥ १ ॥

—\*—

सम्पर्दर्शन या जीव आदिक पदार्थोंका अधिगम करानेवाले और अन्यर्ह होनेसे पूर्वमें प्रयुक्त किये गये प्रमाणोंका वर्णन हो चुका है । उस प्रमाणके अव्यवहित पश्चात् कहे गये नयोंका अब निरूपण करना अवसरप्राप्त है । अतः निरुक्तिसे ही लक्षणको अपने पेटमें रखनेवाली नयोंकी भेदगणनाको कहनेवाले सूत्र रसायनकी प्राप्ति यहां मोक्षमार्गकी पारदीयसिद्धिको धारनेवाले श्री उमास्वामी महाराज द्वारा हो रही है, उसको अवधारिये ।

**नैगमसंग्रहव्यवहारसूत्रशब्दसमभिरुद्धैवभृता नयाः ॥३३॥**

नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द समभिरुद्ध, और एवंभूत, ये सात नय हैं । यद्यपि प्रमाणोंसे नय भिन्न हैं । फिर भी शब्दों द्वारा जानने योग्य विषयको जतानेवाले श्रुतज्ञानके एक देश नय माने गये हैं । शब्द आत्मक और ज्ञान आत्मक नय हो जाते हैं । इसका विवेचन “ प्रमाणनयैरधिगमः ” इस सूत्रके व्याख्यानमें किया जा चुका है ।

किं कृत्वाधुना किं च कर्तुमिदं सूत्रं ब्रवीतीत्याह ।

अतक क्या करके और अब आगे क्या करनेके लिये इस सूत्रको श्री उमास्वामी महाराज व्यक्त कर रहे हैं ! इस प्रकार तर्का शिष्यकी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य सूत्रकारके हार्दिक भावों अनुसार समाधान कहते हैं ।

निर्देश्याधिगमोपायं प्रमाणमधुना नयान् ।

नयैरधिगमेत्यादि प्राह संक्षेपतोऽखिलान् ॥ १ ॥

“प्रमाणनयैरधिगमः” ‘मतिः स्मृतिः,’ ‘श्रुतं मतिपूर्वं’ इत्यादि सूत्रों द्वारा तत्त्वोंकी अधिगति करनेके प्रधान उपाय हो रहे प्रमाणका अन्वयक अवधारण कराके अब अधिगमके उपाय हो रहे सम्पूर्ण नयोंको संक्षेपसे सूत्रकार महाराज बढिया कह रहे हैं। “ प्रमाणनयैरधिगमः ” इस सूत्रमें “ नयैः ” कहकर नयोंको भी अधिगमका कारण कहा जा चुका है।

प्रमाणनयैरधिगम इत्यनेन प्रमाणं नयाश्चाधिगमोपाया इत्युद्दिष्टं । तत्र प्रमाणं तत्त्वार्थाधिगमोपायं प्रपंचतो निर्देशयाधुना नयास्तदधिगमोपायानखिलान् संक्षेपतो न्यथा च व्याख्यातुमिदं प्राह भगवान् । कथं ? नयसामान्यस्य तल्लक्षणस्यैव संक्षेपतो विभागस्य विशेषलक्षणस्य च विस्तरतो नयविभागस्य अतिविस्तरतो नयप्रपंचस्य चात्र प्रतिपादनात् सर्वथा नयप्ररूपणस्य सूत्रितत्वादिति ह्यमहे ।

“ प्रमाणनयैरधिगमः ” ऐसे आकारवाले इस सूत्र करके प्रमाण और नय ये अधिगम करनेके उपाय हैं, इस प्रकार कथन किया गया है। उन अधिगतिके उपायोंमें तत्त्वार्थोंके अधिगमका उपाय हो रहे प्रमाणको विस्तारसे निरूपण कर अब उन तत्त्वार्थों या उनके अंशोंकी अधिगतिके उपाय हो रहे सम्पूर्ण नयोंको संक्षेपसे और दूसरे प्रकारोंसे यानी विस्तार, अतिविस्तारसे व्याख्यान करनेके लिये इस सूत्रको भगवान् ग्रन्थकार अच्छा कह रहे हैं। किस प्रकारसे ? इस सूत्रमें नयोंका उन तीन प्रकारोंसे प्रतिपादन किया है ? इसके उत्तरमें हम विद्यानन्द आचार्य गौरवसहित यों उत्तर कहते हैं कि प्रथम ही नय सामान्यका एक ही भेद स्वरूप निरूपण और उस नय सामान्यके लक्षणका ही संक्षेपसे प्रतिपादन किया गया है। तथा विभागका अभिप्राय करते हुये नयोंके विशेष दो भेद कर उनके लक्षणका और विस्तारके साथ नयोंके विभागका प्रतिपादन किया है। और भी नयोंके विभागका अत्यन्त विस्तारसे नयोंके भेद प्रमेदोंका इस सूत्रमें विस्तृत कथन किया गया है। बात यह है कि प्रकाण्ड पाण्डित्यको धारनेवाले श्री उमास्वामी महाराजने इस उदात्त सूत्र द्वारा सभी प्रकारोंसे नयोंका प्ररूपण वर्णित कर दिया है। “ गागरमें सागर ” इसीको कहते हैं। एक ही सूत्रमें अपरिमित अर्थ भरा हुआ है।

तत्र सामान्यतो नयसंख्यां लक्षणं च निरूपयन्नाह ।

तहां प्रथम विचारके अनुसार सामान्यरूपसे नयकी संख्याका और नयके लक्षणका निरूपण करते हुये श्री विद्यानन्द आचार्य श्री उमास्वामी महाराजके हृद्य अर्थका स्पष्ट कथन करते हैं। उसको समझिये।

सामान्यादेशतस्तावदेक एव नयः-स्थितः ।

स्याद्वादप्रविभक्तार्थविशेषव्यंजनात्मकः ॥ २ ॥

सामान्यकी विवक्षा करनेसे तो नय एक ही व्यवस्थित किया गया है चाहे कितने भी पदार्थ नये नही हों, सामान्यरूपसे उनका एक ही प्रकार हो सकता है। दो, चार, आदिक नही। सामान्य पदार्थ या समान जातियाँके पदार्थोंमें तिष्ठता हुआ सदृश परिणामरूप सामान्य यद्यपि अनेक व्यक्ति स्वरूप होता हुआ अनेक है, फिर भी सामान्यपना एक है। यहाँ सामान्यमें उपचारसे रखा गया एकत्व अर्थ प्रधान है। जैसे कि बालकके आग्रह अनुसार सर्प या सिंहके खिञ्जेको ही सर्प या सिंह कहा जाता है। बालकको खेञ्जेके लिये मुद्ग सिंह या सर्पका उन शब्दोंकरके प्रहण नहीं होता है। तथा अनेक एकोंमें रहनेवाले कई एकत्वोंका एकपना भी उपचरित हो रहा उपादेय है। सम्पूर्ण नयोंमें व्यापनेवाला नयका सामान्य लक्षण तो श्रीसमन्तभद्र आचार्यने आत्ममीमांसामें यों कहा है कि "स्याद्वादप्रविभक्तार्थविशेषव्यञ्जको नयः" स्याद्वाद श्रुतज्ञान करके प्रहण किये गये विशेष विशेषार्थोंके विभागसे युक्त हो रहे अर्थोंके विशेषको व्यक्त कर देनास्वरूप नय है। प्रमाणसे प्रहण किये गये अर्थके एक देशको प्रहण करनेवाला वक्ताका अभिप्राय विशेषनय है। ऐसा अन्यत्र कहा जा चुका है। "स्वार्थैकदेशनिर्णयिते लक्षणो हि नयः स्मृतः" इस प्रकार श्री विद्यानन्द आचार्यने पहिले कहा है। इन सबका तात्पर्य एक ही है।

सामान्यादेशात्तावदेक एव नयः स्थितः सामान्यस्यानेकत्वाविरोधात्। स च स्याद्वादप्रविभक्तार्थविशेषव्यञ्जको नय इति वचनात्।

सबसे पहिले सामान्यकी विवक्षासे विचार जाय तो नय एक ही व्यवस्थित हो रहा है। क्योंकि सामान्यका अनेकपनेके साथ विरोध है। समान पदार्थोंका सामुदायिक परिणाम महासत्ताके समान एक हो सकता है। भाव पदार्थका एकपना व्याकरण शास्त्रमें लिया गया है। वह निर्मूलक नहीं है। जैनसिद्धान्त अनुसार सामान्यमें कथंचिद् एकपना अपेक्षाओंसे सिद्ध है। और वह नय तो देवागम स्तोत्रोंमें यों लक्षणरूपसे कहा गया है कि स्याद्वाद सिद्धान्त द्वारा प्रकृष्टरूपसे ज्ञान लिये गये गुण, पर्याय आदि विभाग करके युक्त अर्थके विशेषोंका व्यञ्जक नय है। अर्थात्—अर्थके विशेषेण नित्यत्व अनित्यत्व एकत्व, अनेकत्व, आदिको पृथक् पृथक् रूपसे प्रतिपादन करनेवाला नय होता है। अनेक स्वभावोंके साथ तदात्मक हो रहे परिपूर्ण अर्थको जाननेवाला ज्ञान प्रमाण है। और उस अर्थके अन्य धर्मोंकी अपेक्षा रखता हुआ अंशोंको जाननेवाला ज्ञान नय है। तथा अन्य धर्मोंका निराकरण करता हुआ अंशमाही ज्ञान कुनय है। "अर्थस्यानेकरूपस्य धीः प्रमाणं तदंशधीः। नयो धर्मान्तरापेक्षी दुर्णयस्तन्निराकृतिः" ऐसा अन्यत्र भी कहा गया है।

ननु चेदं हेतोर्लक्षणवचनमिति केचित्। तदयुक्तं। हेतोः स्याद्वादेन प्रविभक्तस्यार्थस्य सकलस्य विशेषं व्यञ्जयितुमसमर्थत्वादन्यत्रोपचारात्। हेतुजनितस्य बोधस्य व्यञ्जकः प्रधानभावत एव युक्तः। स च नय एव स्वार्थैकदेशव्यवसायारम्भकत्वादित्युक्तम्।

यहाँ कोई यों शंका करते हैं कि आत्ममीमांसामें अद्वैतवाद रूप स्याद्वाद आगम और हेतुवाद रूप नय इन दोनोंसे अलंकृत हो रहे तरङ्गज्ञानको प्रमाण कहते हुये श्री समन्तभद्र आचार्यके सन्मुख हेतुके लक्षणकी जिज्ञासा प्रकट किये जानेपर शिष्यके प्रति स्वामीजीने “सधर्मणैव साध्यस्य साधर्म्यादविरोधतः” स्याद्वादप्रविमक्तार्थविशेषव्यञ्जको नयः” इस कारिका द्वारा हेतुका लक्षण कहा है। इसको नयका परिशुद्ध लक्षण तो नहीं मानना चाहिये। किसी प्रकारण वश कही गयी बातका अन्य प्रकरणोंमें भी वही अर्थ लगा लेना समुचित नहीं है। इस प्रकार कोई आक्षेप कर रहे हैं। अब आचार्य कहते हैं कि उनका वह कहना युक्तिरहित है। क्योंकि हेतुकी स्याद्वाद करके प्रविमक्त किये गये सकल अर्थके विशेषकी व्यक्त झत्ति करानेके लिये सामर्थ्य नहीं है। मले ही उपचारसे हेतुको ज्ञापक कह दिया जाय। किन्तु उपचारके सिवाय वस्तुतः ज्ञापक तो चेतन ज्ञान ही होते हैं। हेतुसे उत्पन्न हुये बोधकी प्रधानरूपसे व्यंजना करनेवाला वह नय ज्ञान ही युक्त हो सकता है। अथवा हेतुसे उत्पन्न हुये ज्ञानका व्यंजक प्रधानरूपसे ही कार्यको करनेवाला कारण हो सकेगा और वह ज्ञानात्मक नय ही हो सकता है। क्योंकि कारण आत्मक अपने और कर्मस्वरूप अर्थके एक देशका व्यवसाय करना स्वरूप नय होता है। इस प्रकार हम पहिले “प्रमाणनयैरधिगमः” सूत्रकी चौथी पार्श्विकमें कह चुके हैं। अतः नय आत्मक हेतु ज्ञान तो साध्यका ज्ञापक है। जड हेतु ज्ञापक नहीं है। क्वचित् हेतु ज्ञानका अवलम्ब कारण हेतु मान लिया गया है। यथार्थरूपसे विचार जाय तो ज्ञापकपक्षमें नय ही हेतु पडता है। क्योंकि साध्य अर्थनयस्वरूप हेतु करके ज्ञापित किया जाता है। अतः वह ज्ञानस्वरूप हेतुनयका ही लक्षण समझना चाहिये। जड हेतुका नहीं।

नन्वेवं दृष्टेष्टविरुद्धेनापि रूपेण तस्य व्यंजको नयः स्यादिति न शंकनीयं “सधर्मणैव साध्यस्य साधर्म्यादविरोधतः” इति वचनात्। समानो हि धर्मो यस्य दृष्टान्तस्य तेन साधर्म्यं साध्यस्य धर्मिणो मनागपि वैधर्म्याभावात्। ततोस्याविरोधेनैव व्यंजक इति निश्चीयते दृष्टान्तसाधर्म्याददृष्टान्तोत्तरणादित्यनेन दृष्टविरोधस्य निवर्तनात्। न तु कर्ण-विदपि दृष्टान्तवैधर्म्याददृष्टवैपरीत्यादित्यनेनेष्टविरोधस्य परिहरणात् दृष्टविपरीतस्य सर्वथा-निष्टत्वात्।

यहाँ पुनः किसीकी शंका है कि इस प्रकार तो प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा देखे गये और अनुमान आदि प्रमाणोंसे इष्ट किये गये स्वरूपोंसे विरुद्ध हो रहे स्वरूपों करके भी उस अर्थकी व्यञ्जनारूप झत्ति करानेवाला ज्ञान नय बन बैठेगा? इसपर आचार्य कहते हैं कि यों तो शंका नहीं करनी चाहिये। क्योंकि दृष्टान्त धर्मके साथ इष्ट, अवाधित, अतिरिक्त स्वरूप साध्यका साधर्म्य हो जाने करके अविरोध रूपसे पदार्थ विशेषोंका ज्ञापक नयज्ञान है, ऐसा श्री समन्तभद्र आचार्यने कह दिया है। जिस अर्थयदृष्टान्तका धर्म समान है, उसके साथ साध्यधर्मोंका साधर्म्य होय। थोड़ा भी वैधर्म्य नहीं होना चाहिये। अर्थात्—निर्णयित किये गये दृष्टान्तके साथ प्रकरणमात्र साध्यका

साधर्म्य हो जानेसे ज्ञप्ति करनेमें कमी प्रत्यक्ष या अनुमान आदिसे विरोध नहीं आता है । तिस कारण इस अर्थका अविरोध करके ही नय ज्ञान व्यञ्जक है । ऐसा निश्चय करलिया जाता है । अन्यव दृष्टान्तका साधर्म्य मिला देनेसे अन्य दृष्टान्तोंका निराकरण करदिया जाता है । इस कारण इस दृष्टान्त साधर्म्यके बचन करके दृष्ट प्रत्यक्ष प्रमाणसे आनेवाले विरोधकी निवृत्ति हो जाती है । अन्यव दृष्टान्तके विधर्मापनेसे यदि नय व्यञ्जक होता तो किसी भी प्रकारसे प्रत्यक्ष द्वारा आये हुये विरोधकी निवृत्ति नहीं हो सकती थी और अदृष्ट वैपरीत्य यानी दृष्टसे विपरीतपना नहीं इस विशेषण करके तो अनुमान आदि प्रमाणोंसे आने योग्य विरोधोंका परिहार हो जाता है । क्योंकि दृष्टसे विपरीत हो रहे अनुमान आदि विरुद्ध पदार्थोंका नयों द्वारा ज्ञान हो जाना सभी प्रकारोंसे अनिष्ट है । “सधर्मणैव साध्यस्य साधर्मात्” इस वाक्य करके दृष्टान्तसाधर्म्य और अदृष्टान्तवैधर्म्य ये दोनों अर्थ निकल आते हैं । अतः दृष्टान्तसाधर्म्यसे दृष्ट विरोध और अदृष्टान्त वैधर्म्यसे इष्ट विरोधकी निवृत्ति हो जाती है । प्रमाणोंसे अविरुद्ध स्वरूप करके उस साध्यका व्यञ्जक नयज्ञान होता है ।

स्वयमुदाहृत्यैवं लक्षणो नयः स्वामिसमन्तभद्राचार्यैः । “सदेव सर्वं को नेच्छे-  
त्स्वरूपादिचतुष्टयात्” इति सर्वस्य वस्तुनः स्याद्वादमविभक्तस्य विशेषः सत्त्वं तस्य  
व्यञ्जकी बोधः स्वरूपादिचतुष्टयाद् दृष्टसाधर्म्यस्य स्वरूपादिचतुष्टयात् सन्निधितं न  
पररूपादिचतुष्टयेन तद्वत्सर्वं विवादापन्नं सत् को नेच्छेत् ? कस्यात्र विप्रतिपत्तिरिति  
व्याख्यानात् ।

स्वामी श्री समन्तमद्र आचार्य महाराजने स्वयं अपने देवागम स्तोत्रमें इसी प्रकार लक्षण-  
वाले नयको उदाहरण देकर समझा दिया है कि “सदेव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादिचतुष्टयात्  
असदेव विपर्यासात् केन व्यवतिष्ठते” । चेतन, अचेतन, द्रव्य पर्याय आदि सम्पूर्ण पदार्थोंको  
स्वरूप (स्वद्रव्य) आदि यानी स्वक्षेत्र, स्वकाळ, स्वमात्र इस स्वकीय चतुष्टयसे सत् स्वरूप ही  
कौन नहीं इच्छेगा । अर्थात्—स्वचतुष्टयसे सम्पूर्ण पदार्थ अस्तित्वरूप हैं । यह एक नयका विषय है,  
तथा परकीय चतुष्टयसे सम्पूर्ण पदार्थ नास्ति स्वरूप ही हैं । यह दूसरा नय है । अन्यथा व्यवस्था  
नहीं है । स्वकीय अंशोंका उपादान और परकीय अंशोंका त्याग करना ही वस्तुके वस्तुत्वको रक्षित  
रखता है । इस प्रकार स्याद्वाद सिद्धान्त अनुसार पृथक् पृथक् विशेष धर्मोंसे गृहीत हुये सम्पूर्ण वस्तुका  
जो विशेष यानी सत्त्व है । उस अस्तित्वका स्वरूप आदि चतुष्टय व्यञ्जक ज्ञान नय है । दृष्ट पदार्थके  
साथ साधर्म्यका स्वरूप आदि चतुष्टयसे वस्तुमें अस्तित्व निश्चित किया गया है । परकीय रूप,  
क्षेत्र, आदिके चतुष्टय करके वस्तुका अस्तित्व निर्णीत नहीं है । उसीके समान सभी विवादमें प्राप्त  
हो रहे जीव, बन्ध, मोक्ष आदि पदार्थोंके अस्तित्वको कौन नहीं इष्ट करेगा ? अर्थात्—इस प्रकार  
नयको विवक्षासे प्रमाण सिद्ध पदार्थोंके इस अस्तित्वमें भला किस विद्वानको विवाद पटा रहा सकता  
है । अर्थात्—किसीको भी नहीं । इस प्रकार उस फारिकाका व्याख्यान है ।

संक्षेपतो नयविभागमादर्शयति ।

सामान्यरूपसे नयकी संख्या और लक्षणको कहकर अब श्री विद्यानन्द आचार्य नयके संक्षेपसे विभागोंका अच्छा परामर्श कराते हैं । या “ आदर्शयति ” ऐसा पाठ रखिये ।

संक्षेपाद्द्वौ विशेषेण द्रव्यपर्यायगोचरौ ।

द्रव्यार्थो व्यवहारांतः पर्यायार्थस्ततोऽपरः ॥ ३ ॥

संक्षेपसे नय दो प्रकार माने गये हैं । प्रमाणका विषय वस्तु तो अंश ही है । तथा द्रव्य और पर्याय उसके अंश हैं । वस्तुके विशेष धर्म करके द्रव्य और पर्यायको विषय करनेवाले द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय हैं । और उससे निराला पर्यायार्थिक नय है, जो कि ऋजुसूत्रसे प्रारम्भ कर एवंभूततक भेदोंसे तदारमक हो रहा है ।

विशेषतः संक्षेपाद्द्वौ नयौ द्रव्यार्थः पर्यायार्थश्च । द्रव्यविषयो द्रव्यार्थः पर्यायविषयः पर्यायार्थः प्रथमो नैगमसंग्रहव्यवहारविकल्पः । ततोपरश्चतुर्धा ऋजुसूत्रशब्दसमभिरुद्भूतविकल्पात् ।

सामान्यरूपसे विचार कर चुकनेपर अब विशेषरूपसे अपेक्षा होते सन्ते परामर्श चलाते हैं कि संक्षेपसे नय दो है । एक द्रव्यार्थ है और दूसरा पर्यायार्थ है । वस्तुके नित्य अंश द्रव्यको विषय करनेवाला नय द्रव्यार्थ है और वस्तुके अनित्य अंश पर्यायको विषय करनेवाला नय पर्यायार्थका उदर अन्य भी श्लेषपदार्थोंको धार लेता है । पढ़िंले द्रव्यार्थ नयके नैगम संग्रह और व्यवहार ये तीन विकल्प है । उससे भिन्न दूसरा पर्यायार्थ नय ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरुद्ध, और एवंभूत इन भेदोंसे चार प्रकारका है ।

विस्तरेणेति सप्तैते विज्ञेया नैगमादयः ।

तथातिविस्तरेणैतद्भेदाः संख्यातविग्रहाः ॥ ४ ॥

और भी विस्तार करके विशेषरूपसे विचारनेपर तो ये नय नैगम आदिक एवंभूत पर्यन्त सात हैं । इस प्रकार समझ लेना चाहिये । तथा अत्यन्त विस्तार करके नयके, विशेषोंकी जिज्ञासा होनेपर संख्याते शरीरवाले इन नयोंके भेद हो जाते हैं । अर्थात्—शब्द वस्तुके धर्मको कहते रहते हैं । अतः जितने शब्द हैं उतने नय हैं, अकार, ककार, आदि वर्णोंद्वारा बनाये गये अभिधायक शब्द संख्यात प्रकारके ही हैं, शब्दोंके भेद असंख्यात और अनन्त नहीं हो सकते हैं । कितना भी घोर परिश्रम करो पचासों अक्षरोंका या पदोंका सम्मेलन कर बनाये गये शब्द भी संख्यात ही बनेंगे, जो कि मध्यम संख्यात है । जैन सिद्धान्त अनुसार १ ढाल योजन लम्बे चौड़े गोष्ठ



१ हजार योजन गहरे अनवस्था कुंड, शलाका कुंड, प्रतिशलाका कुंड, महाशलाका कुंडोंको बनाया जाय। अनवस्था कुंडको सरसोंसे शिखा भरकर जम्बूद्वीपसे परे दूने दूने विस्तारवाले द्वीप समुद्रोंमें एक एक सरसोंको ढालते हुये क्रम अनुमार पूर्व पूर्व कुंडके भर जानेपर अग्रिमकुंडमें एक एक सरसों ढालते ढालते एक ढाख योजन लम्बे चौड़े, गोठ एक हजार गहरे महाशलाकाको भरदेने-वाले अन्तिम अनवस्था कुंडकी सरसोंमेंसे एक कम कर देनेपर उत्कृष्ट संख्यात नामकी संख्या बनती है। बात यह है कि शब्दोंकी अपेक्षा नयोंके भेद अधिकसे अधिक मध्यमसंख्यात है। यह संख्या कोटि, अरब, खरब, नील, पद्म, आदि संख्याओंसे कहीं बहुत अधिक है।

**कुत एवमतः सूत्रालक्ष्यत इत्याह ।**

इस श्री उमास्वामी महाराजके छोटेसे सूत्रके इस प्रकार सामान्य संख्या, संक्षेपसे भेद, विशेष स्वरूपसे विकल्प, और अत्यन्त विस्तारसे नयोंके विकल्प इस प्रकारकी सूचना किस ढंगसे जान ली जाती है ! इस प्रकार शिष्यकी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं। मात्रार्थ—माताके उदरसे जन्म लेते ही बालक जिनेन्द्रदेवको इन्द्र आदिक देव सुमेरुपर्वतपर लेजाकर एक हजार आठ कलशोंसे उस लघुशरीर जिनेन्द्रबालकका अभिषेक करते हैं। यहाँ भी ऐसी शंकायें होना सुलभ हैं। किन्तु वस्तुके अनन्त शक्तियोंका विचार करनेपर ये शंकायें कर्पूरके समान उड़ जाती हैं। एक तिल बराबर रसायन औषधि सम्पूर्ण लम्बे चौड़े शरीरको नीरोग कर देती है। पहाड़ी विष्णूके एक रत्तीके दश सईसवां भाग तुले हुये विषसे मनुष्यका दो मन शरीर विषाक्त हो जाता है। एक जो या अंगुलके समान लम्बी, चौड़ी छोटी मठलीके ऊपर लाखों मन पानीकी धार पड़े तो भी वह नहीं घबडाती है। प्रक्षुत कमी कमी नाचती पूमती किलोले करती हुई हर्ष पूर्वक सैकड़ों गन ऊंची जलधारापर उसको काटती हुई ऊपर चढ़ जाती है। बात यह है कि मात्र अंगुलके असंख्यातवें भागमें समा जानेवाले छोटेसे पुद्गल स्कन्धके बिगड जानेपर सैकड़ों कोसतक बीमारियां फैल जाती हैं। सैकड़ों कोस लम्बी मरी हुई वारुदकी नालीको उडा देनेके लिये अग्निकी एक चिनगारी पर्याप्त है। इसी प्रकार महामना पुरुषोंके मुखसे निकले हुये उदात्त शब्द अपरिमित अर्थको प्रतिपादन कर देते हैं। इसी बातको श्री विद्यानन्द आचार्यके मुखसे सुनिये।

**नयो नयौ नयाश्चेति वाक्यभेदेन योजितः ।**

**नैगमादय इत्येवं सर्वसंख्याभिसूचनात् ॥ ५ ॥**

श्री उमास्वामी महाराजने इस सूत्रके विधेयदलमें नया इस प्रकार शब्द कहा है। वाक्यों या पदोंके भेद करके एक नय, दो नय और बहुतसे नय इस प्रकार एकशेषद्वारा योजना कर दी गयी है। इस ढंगसे नैगम आदि सात नयोंके साथ "नयः" इस एक बचनका सामानाधिकरण्य

करनेसे सामान्य संख्या एकका बोध हो जाता है और " नयों " के साथ अन्वय कर देनेसे संक्षे-  
पसे दो भेदवाले नय हो जाते हैं । तथा " नयाः " के साथ एकार्थ कर देनेसे विस्तार और प्रति  
विस्तारसे नयोंके भेद जान लिये जाते हैं । इस प्रकार गंभीर सूत्रद्वारा ही चारों ओरसे सम्पूर्ण  
संख्याओंकी सूचना कर दी जाती है । सदृश अर्थको रखते हुये समानरूपवाले पदोंका एक विभक्ति  
में एक ही रूप अवशिष्ट रह जाता है । घटश्च, बटश्च, षटश्च, कहनेसे एक घट शब्द शेष रह  
जायगा । अन्वयोंका लोप हो जायगा । ' यः शिष्यते स लुप्यमानार्थविधायी ' और लोप किये जा चुके  
शब्दोंके अर्थको वह बचा हुआ पद कहता रहेगा । इस प्रकार एकशेष वृत्ति है । इसका पक्ष  
उतना प्रशस्त नहीं है जितना कि स्वाभाविक पक्ष उत्तम है । यानी तिस प्रकार शब्द शक्तिके  
स्वभावसे हो । " घटाः " वह शब्द अनेक अर्थोंको कह देता है । अथवा " नयाः " यह शब्द  
एक नय, दो नय, बहुत नय इन अर्थोंको स्वभावसे ही प्रतिपादन करता रहता है । जैन सिद्धान्त  
अनुसार दोनों पक्ष अमीष्ट है ।

नैगमसंग्रहव्यवहारजुसूत्रशब्दसमभिरूढैवंभूता नयाः इत्यत्र नय इत्येकं वाक्यं, ते  
नयौ द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकौ इति द्वितीयमते नयाः सन्नेति तृतीयं, पुनरापि ते नयाः  
संख्याता शब्दत इति चतुर्थं । संक्षेपपर्यायां वाक्यवृत्तौ यौगपद्याश्रयणात् । नयश्च नयौ  
च नयाश्च नया इत्येकशेषस्य स्वाभाविकस्याभिधाने दर्शनात् । केषांचिच्चथा वचनो-  
पलंभाच्च न विरुध्यते ।

नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ, एवंभूत, ये सात नय हैं । इस प्रकार  
एक वचन लगाकर एक वाक्य तो यों है कि नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ,  
एवंभूत, ये सातों एकनयस्वरूप हैं । और दूसरा वाक्य नयौ लगाकर यों है कि नैगम आदि  
सातों नय दो नयस्वरूप हैं । तथा ये सातों बहुत नयों स्वरूप हैं । यह तीसरा वाक्य है । फिर भी  
शब्दोंकी अपेक्षासे वे नैगम आदिक लक्षणों, करोड़ों आदि संख्यावाली संख्यातों नयें हैं । यह चौथा  
वाक्य भी सूत्रका है । सूत्रकार महाराजके वचनोंकी प्रवृत्ति संक्षेपसे कथन करनेमें तत्पर हो रही  
है । अतः युगपत् चारों वाक्योंके कथन करनेका आश्रय कर लेनेसे चार वाक्योंके स्थानपर एक ही  
सूत्रवाक्य रच दिया गया है । चार वाक्योंके बदलेमें एक वाक्य बनाना व्याकरण शास्त्रके प्रतिकूल  
नहीं है । किन्तु अनुकूल है । एक नय, दो नय और बहुत नय इस प्रकार द्रष्ट समास करनेपर  
" नयाः " यह एक पद बन जाता है । अनेक समान अर्थक पदोंके होनेपर शब्द स्वभावसे ही  
प्राप्त हुये एक शेषका कथन करना शब्दोंमें देखा जाता है । तथा किन्हीं विद्वानोंके मत अनुसार  
एक नय, दो नय, बहुत नय, इस प्रकार अर्थकी विवक्षा होनेपर तिस प्रकार " नयाः " ऐसे  
पहिलेसे ही बने बनाये कथनका उच्चारण दीख रहा है । अतः कोई विरोध नहीं आता है । परिपूर्ण  
चन्द्रमाकी कृष्ण पक्ष द्वितीया आदि तिथियोंमें एक एक कला राह विमान द्वारा ढक जाती है । इस -

मन्तव्यकी अवेक्षा यह सिद्धान्त अच्छा है कि द्वितीया, तृतीया, आदिक तिथियोंमें स्वभावसे ही चन्द्रमाका उतना, उतना कमती प्रकाश आत्मक परिणाम होता है। चमकीले पदार्थोंमें सूर्य, रंगे हुये वस्त्र, दर्पण, अम्बुकार, छाया, आदिसे कान्तिका विपरिणाम हो जाता है। यह ठीक है। फिर भी बहिरंग पदार्थोंकी नहीं अवेक्षा करके भी सुवर्ण, मोती, गिरगिटका शरीर, वलिष्ठ मनुष्य, अनेक प्रकारकी कान्तियोंको बदलता रहता है। शरीरसौन्दर्य छावण्य भी नये नये रंग ढाता है। "प्रतिक्षणं यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः"। इन कार्योंमें कारणोंकी अपेक्षा अवश्य है। क्योंकि बिना कारणोंके कार्य होते नहीं हैं। फिर भी प्रसिद्ध हो रहे कान्तिके कारणोंका व्यभिचार देखा जाता है। अतः चन्द्रमाके स्वामाविक उतनी उतनी कान्तिके समान शब्दकी स्वामाविक शक्तिके अनुसार तिस प्रकार "नयाः" कह देनेसे चारों वाक्य उसके पेटमें गतार्थ हो जाते हैं। चन्द्रकी कान्तिके प्रथम पक्ष समान शब्दका पहिळा पक्ष एकशेष भी गह्य नहीं है।

अत्र वाक्यभेदे नैगमादेरेकस्य द्वयोश्च सामानाधिकरण्याविरोधाच्च गृहा ग्रामः देवमनुष्या उमौ राशी इति यथा ।

इस सूत्रमें वाक्योंका भेद करनेपर नैगम आदिक एकका और दोका नय शब्दके साथ समान अधिकरणपनेका अविरोध हो जानेसे तिस प्रकार सूत्रवचनमें कोई विरोध नहीं आता है। जैसे कि अनेक गृह ही तो एक ग्राम है। सम्पूर्ण देव और मनुष्य ये दोनों दो राशि हैं। यहा "जस्" और "सु" ऐसे न्यारे वचनके होते हुये भी अनेक गृहोंका एक ग्रामके साथ समान अधिकरणपना निर्दोष माना गया है। "देवमनुष्याः" शब्द बहुवचनान्त है। और राशी द्विवचनान्त है। दोनोंका उद्देश्य विधेय भाव बन जाता है। उसी प्रकार "नैगमादयो नयः" "नैगमादयो नयी" "नैगमादयो नयाः" इस प्रकार भिन्न वाक्य बनानेपर उद्देश्य विधेय दलके शाब्दबोध करनेमें कोई हानि नहीं आती है।

नन्वेवमेकत्वद्वित्वादिसंख्यागतानपि कथं नयस्य सामान्यलक्षणं द्विधा विभक्तस्य तद्विशेषणं विशायत इत्याशंकायामाह ।

यहां शंका है कि इस प्रकार नयः, नयी, नयाः, इस वाक्यभेद करके एकपन, दोपन, आदि संख्याका ज्ञान हो चुकनेपर भी द्रव्य और पर्याय इन दो प्रकारोंसे विभक्त किये गये नयका सामान्य लक्षण उनका विशेषण है, यह विशेषतया कैसे जाना जा सकता है? ऐसी आशंका होनेपर श्री त्रिघानन्द आचार्य स्पष्ट उत्तर कहते हैं।

नयनां लक्षणं लक्ष्यं तत्सामान्यविशेषतः ।

नीयते गम्यते येन श्रुतार्थांशो नयो हि सः ॥ ६ ॥

तदंशौ द्रव्यपर्यायलक्षणौ साध्यपक्षिणौ ।

नीयेते तु यकाभ्यां तौ नयाविति विनिश्चितौ ॥ ७ ॥

जिस कारणसे कि उन सामान्य और विशेषरूपसे यहां नयोंका लक्षण दिखलाने योग्य है, तिस कारण जिस करके श्रुतज्ञानसे जाने हुये अर्थका अंश प्राप्त किया जाय यानी जाना जाय वह ज्ञान नियमसे नय कहा जाता है । प्रमाण आत्मक श्रुतज्ञानसे जाने गये उस वस्तुके दो अंश हैं । एक द्रव्यस्वरूप अंश है । दूसरा पर्यायस्वरूप अंश है । जो कि नयोंके द्वारा साधने योग्य पक्षमें प्राप्त हो रहे हैं । जिन दो नयों करके वस्तुके वे दो अंश प्राप्त करलिये जाय वे दो नय हैं । इस प्रकार विशेषतया दो नय निर्णत करदिये गये हैं । नयका सामान्य लक्षण सभी विशेष नयोंमें घटित हो जाता है । सामान्य नयका विषय भी सभी नय विषयोंमें अवित हो रहा है ।

नीयेतेऽनेनेति नय इत्युक्ते तस्य विषयः सामर्थ्यादाक्षिप्यते । स च श्रुताख्यप्रमाणविषयीकृतस्यांश इति तदपेक्षा निरुक्तिर्नयसामान्यलक्षणे लक्षयति, तथा नीयेते यकाभ्यां तौ नयावित्युक्ते तु द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकौ नयौ द्वौ तौ च द्रव्यपर्यायाविति तदपेक्षं निर्वचनं नयविश्लेषद्वयलक्षणं प्रकाशयति ।

जिस करके अंशका ज्ञान कराया जाय ऐसा ज्ञान नय है, इस प्रकार कह चुकनेपर उस नयका विषय तो बिना कहे हुये भी शब्दकी सामर्थ्य द्वारा आक्षेपसे लब्ध हो जाता है । और वह विषय पहिले नहीं विषय होता हुआ श्रुतज्ञान नामक प्रमाण द्वारा अब विषय किये जा चुके प्रमेयका अंश है । इस कारण उस विषयकी अपेक्षासे हो रही निरुक्ति यहां नयके सामान्य लक्षणमें दिखला दी जाती है । यहां एक विषय और एक ही विषयी है । तथा जिन दो ज्ञापकों करके वस्तुके दो अंश गृहीत किये जाते हैं, वे दो नय हैं । इस प्रकार कहनेपर तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दो नय ज्ञापक हुये और उनके विषय तो वस्तुके दो अंश द्रव्य और पर्याय हुये । इस प्रकार उन द्रव्य और पर्यायोंकी अपेक्षासे किया गया नय शब्दका निर्वचन तो नयके दोनों विशेष लक्षणोंका प्रकाश करा रहा है । दो विषयोंकी अपेक्षा दो ज्ञापक विषयी निर्णत किये जाते हैं ।

ननु च गुणविषयो गुणार्थिकोपि तृतीयो वक्तव्य इत्यत्राह ।

यहां प्रश्न है कि वस्तुके अंश हो रहे द्रव्य, गुण, और पर्याय तीन सुने जाते हैं । जब कि द्रव्यको विषय करनेवाला द्रव्यार्थिक नय है और पर्याय अंश को जाननेवाला पर्यायार्थिक नय है । तब तो तिस ही प्रकार नित्यगुणोंको विषय करनेवाला तीसरा नय गुणार्थिक भी यहां कइना चाहिये । इस प्रकार प्रश्न होनेपर यहां श्री विद्यानन्दस्वामी उत्तर कहते हैं ।

गुणः पर्याय एवात्र सहभावी विभावितः ।

इति तद्गोचरो नान्यस्तृतीयोऽस्ति गुणार्थिकः ॥ ८ ॥

गुणार्थिक नय न्यारा नहीं है । पर्यायार्थिकमें उसका अन्तर्भाव हो जाता है । पर्यायिका सिद्धांत लक्षण "अंशकरूपनं पर्यायः" है, वस्तुके सदभूत अंशोंकी कल्पना करना पर्याय है । द्रव्यके द्वारा हो रहे अनेक कार्योंको ज्ञापक हेतु मानकर कल्पित किये गये परिणामी नित्य गुण तो वस्तुके साथ रहनेवाले सहभावी अंश हैं । अतः पदस्थानपतितइति वृद्धिओंमेंसे किसी भी एकको प्रतिक्षण प्राप्त हो रहे, अविभाग प्रतिच्छेदोंको धारनेवाली पर्यायों करके परिणमन कर रहे रूप, रस, चेतना, सुख, अस्तित्व, वस्तुत्व, आदिक गुण तो यहां सहभावी पर्यायस्वरूप ही विचार लिये जा चुके हैं । इस कारण उन गुणोंको विषय करनेवाला भिन्न तीसरा कोई गुणार्थिक नय नहीं है । भावार्थ—पर्यायोंका पेट बहुत बड़ा है । द्रव्यके नित्य अंश गुण और उत्पाद व्यय ध्रौव्य, स्वप्रकाशकत्व, परप्रकाशकत्व, एकत्व, अनेकत्व, आदिक स्वभाव अविभाग प्रतिच्छेद ये सब पर्याय हैं । एक गुणकी क्रमभावी पर्याय एक समयमें एक होगी । जो कि अनेक अविभाग प्रतिच्छेदोंका समुदायरूप भाव अंश है । हां, स्वभावोंकी मिति परव्यपदेश किये जा रहे उत्पाद व्यय, ध्रौव्य, वा छोटापन बड़ापन ये पर्यायें तो एक साथ भी कई हो जाती हैं । जैसे कि एक समयमें आप्र फल हरा है । द्वितीय समयमें पीला है, पहिले समय आराममें दर्शन उपयोग है । दूसरे समय मतिज्ञान उपयोग है । रूपगुण या चेतना गुणकी ये उक्त पर्यायें क्रमसे ही होगी । एक समयमें अविभाग प्रतिच्छेदवाली दो पर्यायें नहीं हो सकती है । हां, हरितपनका नाश पीतताका उत्पाद और वर्ष सहितपनकी स्थिति ये तीनों पर्यायें पीत अस्तथाके समय विद्यमान हैं । कोई विरोध नहीं है । एक गुणकी अविभाग प्रतिच्छेदवाली दो पर्यायोंका एक समयमें विरोध है । इसी प्रकार गुणके सर्वथा प्रतिपक्षी हो रहे दूसरे गुणका एक द्रव्यमें सदा रहनेका विरोध है । जैसे कि पुद्गलमें रूप गुण है, रूपाभाव गुण पुद्गलमें कभी नहीं है । आराममें चेतना गुण, अचेतन्य गुण नहीं । धर्म द्रव्यमें गति हेतुत्व नामका भाव आत्मक अनुजीवी गुण है । अतः धर्मद्रव्यमें स्थितिहेतुत्व गुण नहीं पाया जा सकता है । बात यह है कि वस्तुद्वारा हो रहे कार्योंकी अपेक्षा वस्तुमें गुण जुड़े हुये माने जाते हैं । संसारमें किसी भी वस्तुसे विरुद्ध कार्य नहीं हो रहा है । अतः अनुजीवी दो विरुद्ध गुण एक द्रव्यमें कभी नहीं पाये जाते हैं । ये जो नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व, अनेकत्व, आपेक्षिक इच्छापन, भारीपन, अधिक मीठापन, न्यून मीठापन आदि स्वभाव, एक समयमें देखे जा रहे हैं, वे सब तो सतमंगीके विषय हो रहे स्वभाव हैं । नित्य परिणामी हो रहे अनुजीवी गुण नहीं हैं । वस्तुमें अनुजीवी विरुद्ध दो गुणोंको टिकनेके लिये स्थान नहीं है । विरुद्ध सांगित्ते दीखते हुये, धर्म वा स्वभाव चाहे जितने ठहर जाओ । विचारिये

किं पुद्गल द्रव्यमें रूप नामक नित्य गुणके समान यदि रूपाभाव भी गुण जडा हुआ हो तो रूपगुण विचारा पुद्गलको नीके, पीले रंगसे परिणाम करावेगा और उसके विरुद्ध रूपाभाव तो पुद्गलको आकाशके समान सर्वथा नीरूप बनाये रखनेका अटूट परिश्रम करेगा। ऐसी विरुद्धोंके साथ लडाईमें गुणोंके समुदाय पुद्गल द्रव्यका नाश हो जाना अनिवार्य है। पोखरमें साँडोंकी लडाई होनेपर मेंढकोंपर आपत्ति आ जाती है। इसी प्रकार चैतन्य, अचैतन्यके कार्योंमें ब्रह्मघातक विरोध पड जानेसे द्रव्योंका नाश अवश्यम्भावी हो जावेगा जो कि अनिष्ट है। अतः द्रव्यमें अक्षुण्ण जुडे हुये अविरुद्ध परिणामी हो रहे नित्य गुण उसके अंश हैं। वे पर्यायाधिक नयसे विषय कर लिये जाते हैं। उन गुणोंका अखण्ड पिण्ड नित्यद्रव्य तो द्रव्यार्थिक नयका विषय है।

पर्यायो हि द्विविधः, क्रमभावी सहभावी च। द्रव्यमपि द्विविधं शुद्धमशुद्धं च। तत्र संक्षेपशुद्धवचने द्वित्वमेव युज्यते, पर्यायशब्देन पर्यायसामान्यस्य स्वव्यक्तिव्यापिनो-मिधानात्। द्रव्यशब्देन च द्रव्यसामान्यस्य स्वशक्तिव्यापिनः कथनात्। ततो न गुणः सहभावी पर्यायस्तृतीयः शुद्धद्रव्यवत्।

कारण कि पर्यायाधिक नयका विषय हो रहा पर्याय दो प्रकारका है। एक क्रमक्रमसे होनेवाला बाल्य, कुमार, युवा, वृद्ध, अवस्थाके समान क्रमभावी है। दूसरा शरीरके हाथ, पांव, पेट, नाक, कान, आदि अवयवोंके समान सदभावी पर्याय है, जो कि अखंडद्रव्यकी नित्य शक्तियाँ हैं। तथा द्रव्यार्थिक नयका विषय द्रव्य भी शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्यके भेदसे दो प्रकारका है। धर्म, अधर्म, आकाश, काँठ, तो शुद्ध द्रव्य ही है। हाँ, जीवद्रव्यमें सिद्ध भगवान् और पुद्गलमें परमाणु शुद्ध द्रव्य कहे जा सकते हैं। सजातीय दूसरे पुद्गल और विजातीय जीव द्रव्यके साथ बन्धको प्राप्त हो रहे घट, पट, जीवितशरीर आदिक अशुद्ध पुद्गल द्रव्य हैं। तथा विजातीय पुद्गल द्रव्यके साथ बंध रहे संसारी जीव अशुद्ध जीव द्रव्य हैं। यद्यपि अशुद्ध द्रव्य दो द्रव्योंकी मिछी हुई एक विशेष पर्याय है। फिर भी उस मिश्रित पर्यायके अनेक गुण प्रतिक्षण भाव पर्यायोंको धारते हैं। अतः गुणवान् होनेसे वह द्रव्य माना जाता है। तिस नयके संक्षेपसे विशेष भेदोंको कहनेवाले तीसरे धार्तिकमें " संक्षेपसे " ऐसा शब्द प्रयोग करनेपर उस नय शब्दमें द्विवचनपना ही उचित हो रहा माना जाता है। पर्याय शब्द करके अपनी नित्य अंश गुण, क्रमभावी पर्याय, कल्पितगुण, स्वभाव, धर्म, अविभागप्रतिच्छेद, इन अनेक व्यक्तियोंमें व्यापनेवाले पर्यायसामान्यका कथन हो जाता है। और द्रव्य शब्दकरके अपनी नित्य, अनित्य शक्तियोंके धारक शुद्ध, अशुद्ध द्रव्योंमें व्यापनेवाले द्रव्यसामान्यका निरूपण हो जाता है। अशुद्ध द्रव्यकी नियत फाळतक परिणमन करनेवाली पर्यायि, योग, दाहकत्व, पाचकत्व, आकर्षणशक्ति मारणशक्ति, आदि पर्याय शक्तियोंको यहाँ अनित्य शक्तियाँ पदसे पकडलेना चाहिये। जबकि पर्याय शब्दसे सभी पर्यायोंका प्रवृत्त होगया। तिस कारण सहभावी पर्याय हो रहा नित्य गुण कोई तीसरा नय विषय नहीं है, जैसे कि शुद्ध द्रव्य

कोई न्यारा विषय नहीं है। द्रव्यार्थिक नयसे ही शुद्ध द्रव्य, अशुद्ध द्रव्य, सभी द्रव्योंका ज्ञापन हो जाता है। अतः दो नये विषयोंको जाननेवाले द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दो नय ही पर्याप्त हैं।

संक्षेपाविवक्षायाम् तु विशेषवचनस्य चत्वारो नयाः स्युः, पर्यायविशेषगुणस्येव द्रव्यविशेषशुद्धद्रव्यस्य पृथगुपादानप्रसंगात् ।

हा, नयोंके भेदोंका संक्षेपसे नहीं कथन करनेकी विवक्षा करनेपर तो विशेषोंको कहनेवाले वचन बहुवचन "नयाः" बनाकर चार चार नय हो सकेंगे। एक भेद द्रव्यका बढ जायगा और दूसरा विशेष पर्यायका बढ जायगा, जब कि पर्यायके विशेष हो रहे गुणको जाननेके लिये गुणार्थिक नय न्यारा माना जायगा तो द्रव्यके विशेष हो रहे शुद्ध द्रव्यको विषय करनेवाले शुद्ध द्रव्यार्थिक नयके पृथक ग्रहण करनेका प्रसंग हो जावेगा। यों थोड़े थोड़ेसे विषयोंको लेकर नयोंके चाहे कितने भी भेद किये जासकते हैं।

ननु च द्रव्यपर्याययोस्तद्वास्तुतीयोस्तितद्विषयस्तुतीयो मूलनयोऽस्तीति चेत् न, तत्परिकल्पनेऽनवस्थाप्रसंगात् द्रव्यपर्यायस्तद्वतामपि तद्वदंतरपरिकल्पनानुपक्तेर्दुर्निवारत्वात् ।

यहां दूसरी शंका है कि द्रव्य और पर्यायोंका मिळकर उन दोनोंसे सहित हो रहा पिंड एक तीसरा विषय बन जाता है। उसको विषय करनेवाला तीसरा एक द्रव्यपर्यायार्थिक भी मूल नय क्यों गिनाये जा रहे हैं। इसपर आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि यदि इस प्रकार उन नयोंकी मिला मिळकर चारों ओरसे कल्पना की जायगी तब तो अनवस्था दोष हो जानेका प्रसंग होगा। क्योंकि द्रव्य और पर्याय तथा उन दोनोंको धारनेवाले आश्रय इन तीनोंको मिलाकर एक नया विषय भी गढा जा सकता है। अतः उन तीनोंवाले न्यारे अन्य विषयको ग्रहण करनेवालों न्यारी न्यारी नयोंकी कल्पना करनेका प्रसंग कथमपि दुःखसे भी नहीं निवारा जा सकता है। अर्थात् जैनसिद्धान्त अनुसार द्रव्य अनेक हैं। एक एक द्रव्यमें अनन्ते गुण हैं। एक गुणमें त्रिकाळसम्बन्धी अनन्त पर्यायें हैं। अथवा वर्तमान कालमें भी अनेक आपेक्षिक पर्यायें हो रही हैं। अनुजीवी गुणकी एक एक पर्यायमें अनेक अविभाग प्रतिच्छेद हैं। न जाने किस किस अनिर्वचनीय निमित्तसे किस किस गुणके कितने परिणाम हो रहे हैं। इस प्रकार पसरट्टेकी दूकान समान वस्तुके फैले हुये परिवारमेंसे चाहे जितनेका सम्मेलन कर अनेक विषय बनाये जा सकते हैं। ऐसी दशामें नियत विषयोंको जाननेवाले नयोंकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। अनवस्था दोष टल नहीं सकता है। सच पूछो तो द्रव्य और पर्यायोंका कयंचित् अमेद मान लेनेपर तीसरा, चौथा कोई तद्वान् हूँदनेपर भी नहीं मिळता है। अतः दो नयोंके मान लेनेसे सर्व व्यवस्था बन जाती है। अनवस्था दोषको स्वल्प भी अवकाश नहीं प्राप्त होता है।

यदि तु यथा तन्तबोवयवास्तद्दानवयवी पटस्तयोरपि तंतुपटयोर्नान्योस्ति तद्वास्तस्या-  
प्रतीयमानत्वात् । तथा पर्यायाः स्वभावास्तद्द्रव्यं द्रव्यं तयोरपि नान्यस्तद्दानस्ति प्रतीतिवि-  
रोधादिति मतिस्तदा प्रधानभावेन द्रव्यपर्यायात्मकवस्तुप्रमाणविषयस्ततोपोद्भूतं द्रव्यमात्रं  
द्रव्यार्थिकविषयः पर्यायमात्रं पर्यायार्थिकविषय इति न तृतीयो नयविशेषोस्ति यतो  
मूलनयस्तृतीयः स्यात् । तदेवम् ।

यदि आप शंकाकार यह सिद्धान्त समझ चुके हो कि जिस प्रकार तन्तु तो अवयव हैं ।  
और उन तन्तुरूप अवयवोंसे सहित एक न्यारा अवयवी पट द्रव्य है । फिर उन दोनों तन्तु और  
पटका भी तद्दान् कोई तीसरा न्यारा आश्रय नहीं है । क्योंकि तीसरी कौटिपर जानकर कोई न्यारे  
उस अधिकरणकी प्रतीति नहीं हो रही है । तिसी प्रकार पर्यायों तो स्वभाव हैं । और उन पर्यायोंसे  
सहित हो रहा पर्यायवान् द्रव्य है । किन्तु फिर उन दोनों पर्याय और द्रव्योंका उनसे सहित होता  
हुआ कोई न्यारा अधिकरण नहीं है । क्योंकि प्रतीतियोंसे विरोध होता है । अनवस्था दोष भी है ।  
अतः तन्तुवान् पटका जैसे कोई तीसरा अधिकरण न्यारा नहीं है । उसी प्रकार द्रव्य और पर्या-  
योंका अधिकरण भी कोई न्यारा नहीं है । आचार्य कह रहे हैं कि इस प्रकार मन्तव्य होय तब तो  
बहुत अच्छा है । देखो प्रवान् रूपसे द्रव्य और पर्यायके साथ तदत्मक हो रहे वस्तुको प्रमाण ज्ञान  
विषय करता है । उस अखंड पिंडरूप वस्तुसे बुद्धिद्वारा पृथग् भावको प्राप्त किया गया केवल नित्य  
अंश द्रव्य तो द्रव्यार्थिक नयका विषय है । और प्रमाणके विषय हो रहे वस्तुसे ज्ञान द्वारा अपोद्धार  
( पृथग् भाव ) किया गया केवल पर्याय ( मात्र ) तो पर्यायार्थिक नयका विषय है । अब नयोंके  
द्वारा जानने योग्य द्रव्य और पर्यायोंसे न्यारा कोई तीसरा “ तद्दान् ” पदार्थ शेष नहीं रहजाता  
है । जिसको कि विशेषरूपसे जाननेके लिये तीसरा मूलनय माना जावे । हां, जो वस्तु प्रमाणसे जानी  
जारही है, वह तो प्रमेय है । अंशोंको जाननेवाले नयों करके “ नय ” नहीं है । जैन सिद्धान्त  
अनुसार द्रव्य और पर्यायोंसे कर्षचित् भेद, अभेद, आत्मक वस्तु गुम्फित हो रही है । तिस कारण  
इस प्रकार सिद्धान्त बन जाता है । सो सुनिये ।

**प्रमाणगोचरार्थांशा नीयंते यैरनेकधा ।**

**ते नया इति व्याख्याता जाता मूलनयद्वयात् ॥ ९ ॥**

जिन ज्ञानोंकरके प्रमाणके विषय हो रहे अर्थके अनेक अंश अभिप्रायों द्वारा जानलिये  
जाते हैं, वे ज्ञान नय हैं । और वे नय मूलभूत द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दो नयोंसे प्रतिपन्न  
होते हुये अनेक प्रकारके बखान दिये जाते हैं ।

**द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषपरिवोधकाः ।**

**न मूलं नैगमादीनां नयाश्चत्वार एव तत् ॥ १० ॥**



सामान्यस्य पृथक्त्वेन द्रव्यादनुपपत्तितः ।

सादृश्यपरिणामस्य तथा व्यंजनपर्यायात् ॥ ११ ॥

वैसादृश्यविवर्तस्य विशेषस्य च पर्याये ।

अंतर्भावाद्धिभाव्येत द्वौ तन्मूलं नयाविति ॥ १२ ॥

नैगम आदि सात नयोंके मूलकारण द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दो नय हैं, किन्तु द्रव्यको, पर्यायको, सामान्यको, और विशेषको, चारों ओरसे समझानेवाली चार नयें ही नैगम आदिकोंके मूल कारण नहीं हैं। तिस कारण दो नयोंको मूल मानना चाहिये। सामान्यार्थिक नय मानना आवश्यक नहीं है। द्रव्यसे पृथक्करने करके सामान्यकी सिद्धि नहीं हो सकती है। क्योंकि जैन सिद्धान्तमें अनेक समान जातीय पदार्थोंके सदृशपनेसे हो रहे परिणामको सामान्य पदार्थ माना है। और तिस प्रकारका सदृश परिणाम तो द्रव्यकी व्यंजन पर्याय है। अनेक सदृश परिणामोंका पिंड हो रहा। सामान्य पदार्थ तो द्रव्यार्थिक नय द्वारा ही जान लिया जाता है। अतः सामान्यार्थिक कोई तीसरा नय नहीं है। परीक्षानुक्रममें “सदृशपरिणामस्तिर्यक् खण्डमुण्डादियु गोत्ववत्” परापर विवर्त व्यापि द्रव्यमूर्ध्वता मृदिव स्यासादियु खंड, मुण्ड, कपिला, घेजु, आदि अनेक गौओंमें रहने-वाले गोत्वके समान तिर्यक् सामान्य अनेक घट, कूश आदिमें सदृश परिणामरूप वर्त रहा है। यह द्रव्यस्वरूप ही है। तथा द्रव्यकी पूर्वापर पर्यायोंमें व्यापनेवाला ऊर्ध्वता सामान्य है। जैसे कि स्यास, कोश, कुशूळ आदि पर्यायोंमें मृत्तिका ऊर्ध्वता सामान्य है। अथवा बाल्य, कुमार, यौवन, नारकी, पशु, देव, आदि पर्यायोंमें आत्मा द्रव्य ऊर्ध्वता सामान्य पद्वता है। ये दोनों सामान्यद्रव्य स्वरूप हैं। अतः द्रव्यार्थिक नयके विषय हैं। तथैव विसदृशपनरूप करके परिणाम हो रहे विशेषका पर्यायमें अन्तर्भाव हो जाता है। अतः विशेषका पर्यायार्थिक नय द्वारा भान हो जावेगा। चौथे विशेषार्थिक नयके माननेकी आवश्यकता नहीं है। श्री माणिक्यनन्दी आचार्य कहते हैं कि “एकस्मिन् द्रव्ये क्रममात्रिनः परिणामाः पर्यायाः आत्मानि हर्षविषादादिवत्” “अर्थांतरगतो विसदृशपरिणामो व्यतिरेको गोमहिषादिवत्” एक द्रव्यमें क्रमसे होनेवाले परिणाम तो पर्याय नामके विशेष हैं, जैसे कि आत्मामें हर्ष, विषाद, आदि विशेष हैं। और न्यारे न्यारे अर्थोंमें प्राप्त हो रहा विसदृशपनेका परिणाम है, यह व्यतिरेक नामका विशेष है। जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, आदिमें विशेष है। ये सभी विशेष पर्यायोंमें अन्तर्भूत हो जाते हैं। इस कारण उन द्रव्य और पर्यायोंको मूल कारण मानकर उरवच द्रव्ये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दो ही मूल नय विचार लिये गये हैं। चार मूल नय नहीं हैं। शास्त्रायें चाहे अितनी बनाओ अपने अभिप्रायों अनुसार परकी बात है।

नामादयोपि चत्वारस्तन्मूलं नेत्यतो गतं ।

द्रव्यक्षेत्रादयश्चैषां द्रव्यपर्यायगतत्वतः ॥ १३ ॥

इस उक्त कथनसे यह भी ज्ञात हो चुका है कि नाम आदिक भी चार उन नवोंके मूळ नहीं हैं । और द्रव्य क्षेत्र आदिक विषय भी उन नवोंके उत्पादक मूळ कारण नहीं हैं । अर्थात्—नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इन चार विषयोंको मूळकारण मानकर नामार्थिक, स्थापनार्थिक, द्रव्यार्थिक, और भावार्थिक ये चार मूळ नय नहीं हो सकते हैं । अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काळ, भाव इन विषयोंको मूळ कारण मानकर द्रव्यार्थिक, क्षेत्रार्थिक, काळार्थिक, भावार्थिक ये चार मूळ नय नहीं हो सकते हैं । क्योंकि इन नाम आदि चारों और द्रव्य, क्षेत्र, आदि चारोंकी द्रव्य और पर्यायोंमें ही प्राप्ति हो रही है । यानी ये सब द्रव्य और पर्यायोंमें अन्तर्भूत हैं । अतः मूळ नय विषय द्रव्य और पर्याय दो ही हुए, अधिक नहीं ।

भवान्विता न पंचैते स्कंधा वा परिकीर्तिताः ।

रूपादयो त एवेह तेपि हि द्रव्यपर्यायौ ॥ १४ ॥

द्रव्य, क्षेत्र, आदि चारके साथ भ्रूको जोड़ देनेपर हो गये पांच भी मूळ नय पदार्थ नहीं हैं । अर्थात्—द्रव्य, क्षेत्र, काळ, भव, भाव, इन पांचको विषय करनेवालों मूळ नय पांच नहीं हो सकती हैं । अथवा बौद्धोंने रूप आदिक पांच स्कंधोंका अपने ग्रन्थोंमें चारों ओरसे निरूपण किया है, वे भी मूळ नय विषय नहीं हैं । अर्थात्—रूपस्कन्ध, वेदनास्कन्ध, विज्ञानस्कन्ध, संज्ञास्कन्ध और संस्कारस्कन्ध इन पांच विषयोंको मानकर मात्र मूळनय नहीं हैं । क्योंकि वे द्रव्य, क्षेत्र, काळ, भव, और भाव तथा रूपस्कन्ध आदि पांच भी यहाँ नियमसे द्रव्य और पर्यायस्वरूप ही हैं, पांचोंका दोमें ही अन्तर्भाव हो जाता है । अतः दो ही द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक मूळ नय हैं, अधिक नहीं हैं ।

तथा द्रव्यगुणादीनां षोढात्वं न व्यवस्थितं ।

षट् स्युर्मूलनया येन द्रव्यपर्यायगाहिते ॥ १५ ॥

तिथी प्रकार वैशेषिकोंके यहाँ माने गये द्रव्य, गुण, आदिक भाव पदार्थोंका छह प्रकारपना भी स्वतंत्र तरपनेसे व्यवस्थित नहीं हो सकता है । जिस कारणसे कि उन छह मूळ कारण नय विषयोंको जाननेवाले मूळ नय छह ही जावे । ये द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ये छहों भाव पदार्थ नियमसे द्रव्य और पर्यायोंमें ही अन्तर्गत हो रहे हैं । अर्थात् द्रव्य आदिक छहों भाव विचारे द्रव्य, पर्याय इन दो स्वरूप ही हैं । अतः दो ही मूळनय हैं, अतिरिक्त नहीं है ।

आचार्योंके अमिप्रायसे इन छद्म, सोच्छ्र, पञ्चीस आदि पदार्थोंका मानना भी इष्ट हो रहा ध्वनित हो जाता है। किसीसे व्यर्थ द्वेष करना नयवादियोंको उचित नहीं है। तभी तो सिद्धचक्र पाठमें 'पद्वपदार्थवादिने नमः' 'षोडशपदार्थवादिने नमः' 'पंचविंशतितत्त्ववादिने नमः' यों मन्त्र बोलकर सिद्धपरमेष्ठीकी अर्थ चढाकर स्तुति की गयी है।

ये प्रमाणादयो भावा प्रधानादय एव वा ।

ते नैगमादिभेदानामर्था नापरनीतयः ॥ १६ ॥

जो नैयायिकोंके द्वारा माने गये प्रमाण, प्रमेय, संशय, आदिक सोच्छ्र भाव पदार्थ तत्त्वभेद रूपसे माने गये हैं, अथवा प्रधान आदिक पञ्चीस ही भावतत्त्व इस प्रकार सांख्योंने मूळ पदार्थ स्वीकार किये हैं, ये भी नैगम आदिक भेदरूप विशेष नयोंके विषय हो सकते हैं। जैनसिद्धान्तमें निर्णय किये गये द्रव्य और पर्यायसे अन्य तत्त्वोंकी व्यवस्था करनेवालों कोई न्यारी नीति कहीं नहीं प्रवर्त रही है। अर्थात्—१ प्रमाण, २ प्रमेय, ३ संशय, ४ प्रयोजन ५ दृष्टान्त ६ सिद्धान्त ७ अवयव ८ तर्क ९ निर्णय १० वाद ११ जल्प १२ चिंतडा १३ देवामास १४ छद्म १५ जाति १६ निप्रह स्थान ये नैयायिकोंके सोच्छ्र पदार्थ मूळपदार्थ नहीं बन पाते हैं। किन्तु द्रव्य और पर्यायोंके भेदप्रभेद हैं। और १ प्रकृति २ महान् ३ अहंकार ४ शब्दतन्मात्रा ५ स्पर्शतन्मात्रा ६ रूपतन्मात्रा ७ रसतन्मात्रा ८ गन्धतन्मात्रा ९ स्पर्शनइन्द्रिय १० रसना इन्द्रिय ११ घ्राण इन्द्रिय १२ चक्षु इन्द्रिय १३ श्रोत्र इन्द्रिय १४ वचन शक्ति १५ हाथ १६ पां १७ जननेन्द्रिय १८ गुदेन्द्रिय १९ मन २० आकाश २१ वायु २२ तेज २३ जल २४ पृथ्वी और २५ पुरुष ये सांख्योंके पञ्चीस तत्त्व भी मूळपदार्थ नहीं सिद्ध हो पाते हैं। द्रव्य और पर्यायके ही भेद प्रभेद हैं। अतः नयोंके विशेष प्रभेदोंसे मूळ ही इनको न्यारा न्यारा जानलिया जाय किन्तु मूळपदार्थोंको जाननेकी अपेक्षा दो ही मूळनय मानना यथेष्ट है। मूळ पदार्थों अथवा मूळ ज्ञानोंमें अधिक झगडा बढाना व्यर्थ है।

प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तसावयवतर्कनिर्णयवादनल्पचित्तंढाहेत्वाभास-  
च्छ्रजातिनिग्रहस्थानारूपाः षोडश पदार्थाः कैश्चिदुपदिष्टाः, तेषु द्रव्यगुणकर्मसामान्य-  
विशेषसमवायेभ्यो न जाल्यंतरत्वं प्रतिपद्यन्ते, गुणादयश्च पर्यायान्मार्थांतरमित्युक्तप्रायं ।  
ततो द्रव्यपर्यायावेव तैरिष्टौ स्यातां, तयोरेव तेषामंतर्भावान्नामादिवत् ।

प्रमाण, प्रमेय, संशय, आदिक पदार्थ गौतम ऋषिद्वारा न्यायदर्शनमें माने गये हैं। प्रमाका करण प्रमाण हैं। उसके प्रसङ्ग, अनुमान, उपमान, शब्द ये चार भेद हैं। प्रमाणके विषयको प्रमेय कहते हैं। आत्मा शरीर इन्द्रिय, अर्थ ( बहिरंग इन्द्रियोंके विषय ) बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष,

प्रेत्यभाव, फल, दुःख, अपवर्ग, ये वारह प्रमेय हैं। एक पदार्थमें अनेक कोटिका विमर्श करना संशय है। जिसका उद्देश्य लेकर प्रवृत्ति की जाती है, वह प्रयोजन पदार्थ है। जिस अर्थमें लौकिक और परीक्षकोंकी मुद्धि समानरूपसे प्राद्विका हो जाती है, वह दृष्टान्त है। शास्त्रका आश्रय लेकर ज्ञापनपन करके जिस अर्थको स्वीकार किया गया है, उसकी समीचीन रूपसे व्यवस्था कर देना सिद्धान्त है। वह सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अम्युपगम, भेदोसे चार प्रकार है। पर्याप्तमानके उपयोगी अंगोंको अवयव कहते हैं, जो कि अनुमानजन्य बोधके अनुकूल हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये अवयवोंके पांच भेद हैं। विशेषरूपसे नहीं जाने गये तत्त्वमें कारणोंकी उपपत्तिसे तत्त्वज्ञानके लिये किया गया विचार तर्क है। विचार कर स्वपक्ष और प्रतिपक्षपने करके अर्थका अवधारण करना निर्णय है। अपने अपने पक्षका प्रमाण और तर्कसे जहाँ साधन और उदाहरण हो सके, जो सिद्धान्तसे अविरोध होय पांच अवयवोंसे युक्त होय, ऐसे पक्ष और प्रतिपक्षके परिग्रहको वाद कहते हैं। वादमें कहे गये विशेषणोंसे युक्त होता हुआ जहाँ छल जाति और निग्रह स्थानोंकरके स्वपक्षका साधन और परपक्षमें उदाहरण दिये जाते हैं, वह जल्प है। वहाँ जब यदि प्रतिपक्षपक्षकी स्थापनासे रहित है तो वह वितंडा हो जाता है। अर्थात्—नैयायिकोंका ऐसा मन्तव्य है कि वीतराग विद्वानों या गुरुशिष्योंमें वाद प्रवर्तता है। और परस्पर एक दूसरेको जीत देनेकी इच्छा रखनेवाले पण्डितोंमें छल आदिके द्वारा जल्प नामक शास्त्रार्थ होता है। वितंडा करनेवाला पण्डित केवल परपक्षका खण्डन करता है। अपने घरू पक्षकी सिद्धि नहीं करता है। हेतुके लक्षणोंसे रहित किन्तु हेतु सरोखे दीखनेवाले असद्धेतुओंको हेत्वाभास कहते हैं। नैयायिकोंने व्यभिचार, विरोध, असिद्ध, सप्रतिपक्ष, और बाधित, ये पांच हेत्वाभास माने हैं। वादीको इष्ट हो रहे अर्थसे विरोध अर्थकी कल्पना कर उसकी सिद्धि करके वादीके वचनका विघात करना प्रतिवादीका छल है। वाक्छल, सामान्य छल और उपचार छल ये तीन उसके भेद हैं। साधर्म्य और वैधर्म्य आदि करके असमीचीन उत्तर उठाते रहना जाति है। उसके साधर्म्यसमा, वैधर्म्यसमा, उत्कर्षसमा, अपकर्षसमा, वर्ण्यसमा, अवर्ण्यसमा, विकल्पसमा, साध्यसमा, प्राप्तिसमा, अप्राप्तिसमा, प्रसंगसमा, प्रतिदृष्टान्तसमा, अनुपपत्तिसमा, संशयसमा, प्रकरणसमा, अहेतुसमा, अर्थापत्तिसमा, अविशेषसमा, उपपत्तिसमा, उपलब्धिसमा, अनुपलब्धि समा, नित्यसमा, अनित्यसमा, कार्यसमा ये चौबीस भेद हैं। उद्देश्य सिद्धिके प्रतिकूल ज्ञान हो जाना अथवा उद्देश्य सिद्धिके अनुकूल हो रहे सम्बन्धनका अभाव हो जाना निग्रहस्थान है। उसके प्रकार हो रहे १ प्रतिज्ञाहानि २ प्रतिज्ञान्तर ३ प्रतिज्ञाविरोध ४ प्रतिज्ञासम्प्राप्त ५ हेत्वन्तर ६ अर्थान्तर ७ निरर्थक ८ अविज्ञातार्थ ९ अपार्थक १० अप्राप्तकाल ११ न्यून १२ अधिक १३ पुनरुक्त १४ अननुभाषण १५ अज्ञान १६ अप्रतिभा १७ विक्षेप १८ मतानुज्ञा १९ पर्वतुपयोग्योपेक्षण २० निरनुपयोग्यानुयोग २१ अपसिद्धान्त २२ हेत्वाभास इतने निग्रहस्थान हैं। इस प्रकार प्रमाण आदिक सोढ्य पदार्थोंका किन्हीं (नैया-

यिको ) ने उपदेश किया है । आचार्य कह रहे हैं कि वे सोलह भी पदार्थ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इस प्रकार वैशेषिकों द्वारा माने गये छह मात्र तत्त्वोंसे न्यारी जाति-वाले नहीं समझे जा रहे हैं । पंडित विश्वनाथ पंचाननका भी यही अभिप्राय है । वैशेषिकोंने गुणवान् या समवायिकारण हो रहे पदार्थको द्रव्य माना है । पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काळ, दिक्, आत्मा, मन, ये द्रव्योंके नौ भेद हैं । जैनसिद्धान्त अनुसार " द्रव्याध्रयाः निर्गुणा गुणाः " यह गुणका लक्षण निर्देश है । किन्तु वैशेषिकोंने संयोग और विभागके समवायिकारणपन और असमवायिकारणपनसे रहित हो रहे सामान्यवान् पदार्थमें जो कारणता है, उसका अवच्छेदक गुणत्व माना है । मिश्रत्व निवेशसे द्रव्य और कर्ममें अतिव्याप्ति नहीं हो पाती है । गुणके रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रपन्न, धर्म, अधर्म, संस्कार ये चौबीस भेद हैं । जो द्रव्यके आश्रय होकर रहे, गुणगला नहीं होय, ऐसा संयोग और विभागमें किसी भाव पदार्थ की नहीं अपेक्षा रखता हुआ कारण कर्म कहलाता है । उसके उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुञ्चन, प्रसारण, गमन ये पांच भेद हैं । नित्य होता हुआ जो अनेकोंमें समवाय सम्बन्धसे वर्तता है, वह सामान्य पदार्थ माना गया है । उसके परसामान्य और अवरसामान्य दो भेद हैं । अवसानमें ठहरता हुआ, जो नित्य द्रव्योंमें वर्तता है, वह विशेष है । नित्य द्रव्योंकी परस्परमें व्यावृत्ति कराने वाले वे विशेष पदार्थ अनन्त हैं । नित्य सम्बन्धको समवाय कहते हैं । वस्तुतः वह एक ही है । वैशेषिक तुच्छ अभाव पदार्थके प्रागभाव, प्रवृत्ताभाव, अत्यन्ताभाव, अन्योन्याभाव ये चार भेद स्वीकार करते हैं । किन्तु माशेका प्रकरण होनेसे तुच्छ अभावका यहाँ अधिकार नहीं है । नैयायिकोंके सोलह पदार्थ तो इन द्रव्य आदि छहमें गर्भित हो ही जाते हैं । ऐसा न्यायवेत्ता विद्वानोंने यथायोग्य इष्ट कर लिया है । तिनमें द्रव्य तो द्रव्यार्थिक नयद्वारा जान लिया जाता है । और गुण, कर्म आदिक तो पर्यायसे न्यारे पदार्थ नहीं हैं । इस बातको हम प्रायः पूर्व प्रकरणोंमें कह चुके हैं । अतः गुण आदिकोंको पर्यायार्थिक नय विषय कर लेगा । तिस कारण उन काणाद, और गौतमीय विद्वानों करके द्रव्य और पर्याये ये दो नय ही अमोघ कर लेने चाहिये । उन प्रमाण, प्रमेय आदि या द्रव्य, गुण, आदिक विषयोंका उन दो द्रव्य पर्यायोंमें ही अन्तर्भाव हो जाता है । जैसे कि नाम आदिक या द्रव्य, क्षेत्र आदिका द्रव्य और पर्यायोंमें ही गर्भ हो जाना कह दिया गया है ।

येच्चाहुः । " मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । षोडशकश्च विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः " इति पंचविंशतिस्तत्त्वानीति । तैरपि द्रव्यपर्यायावेवांगी-  
करणीयौ मूलप्रकृतेः पुरुषस्य च द्रव्यत्वात्, महदादीनां परिणामत्वेन पर्यायत्वात् रूपादि-  
स्कंधसंतानक्षणवत् । ततो नैगमादिभेदानामेवार्थास्ते न पुनरपरा नीतयः अपरा नीतियेषु त

एव क्षपरा नीतयः इति गम्यते, न चैतेषु द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकाभ्यां नैगमादिभेदाभ्यां अपरा नीतिः प्रवर्तत इति तावेव मूलनयी, नैगमादीनां तत्र एव जातत्वात् ।

जो मी कपिलमत अनुयायी यों कह रहे हैं कि मूलभूत प्रकृति तो किसीका विकार नहीं है । अर्थात्—प्रकृति किसी अन्य कारणसे उत्पन्न नहीं होती है । और महत्तत्त्व आदि सात पदार्थ प्रकृति और विकृति दोनों हैं । अर्थात्—महत्तत्त्व, अहंकार, शब्दतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गन्धतन्मात्रा ये पूर्व पूर्वकारणोंके तो विकार हैं । और उत्तरपक्षी कार्योंकी जननी प्रकृतियां हैं । तथा ग्यारह इन्द्रिय और पांच पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सोलह गण विकार ही हैं । क्योंकि इनसे उत्तर कालमें कोई सृष्टि नहीं उपनती है । शब्द तन्मात्रासे आकाश प्रकट होता है । शब्दतन्मात्रा और स्पर्शतन्मात्रासे वायु व्यक्त होती है । शब्दतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा और रूपतन्मात्रासे तेजोद्रव्य अभिव्यक्त होता है । शब्दतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा और रसतन्मात्रासे जल अभिभूत होता है । शब्दतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, रूपातन्मात्रा, रसतन्मात्रा और गन्धतन्मात्रासे पृथ्वी उद्भूत होती है । प्रकटके समय अपने अपने कारणोंमें ढीन होते हुये सब प्रकृतिमें तिरोभूत हो जाते हैं । पच्चीसवां तत्त्व कूटस्थ आत्मा तो न किसीका कारण हो रहा प्रकृति है । और किसीका कार्य भी नहीं है । अतः विकृति मी नहीं है । वह उदासीन, दृष्टा, मोक्षा, चेतन, पदार्थ है । इस प्रकार सांख्योंने पच्चीस तत्त्व स्वीकार किये हैं । प्रकृति आदिके लक्षण प्रसिद्ध हैं । सच पूछो तो उनको मी द्रव्य, पर्याय दो ही पदार्थ स्वीकार कर लेने चाहिये । क्योंकि सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणोंकी साम्य अवस्थारूप प्रकृति तत्त्व और आत्मा तत्त्व तो द्रव्य हैं । अतः द्रव्यार्थिक नयके विषय हो जायेंगे और महत्त्व, अहंकार आदिक तो प्रकृतिके परिणाम हैं । अतः पर्याय हैं । ये तेईस अकेले पर्यायार्थिक नयके विषय हो जायेंगे । जब कि पच्चीस मूलतत्त्व ही नहीं हैं तो पच्चीस पदार्थोंको जाननेके लिये पच्चीस मूलनयोंकी आवश्यकता कोई नहीं दीखती है । जैसे कि बौद्धोंके माने गये रूप आदि पांच स्कन्धोंकी संतान या प्रतिक्षण परिणमनेवाले परिणामोंका क्षणिकरूपना इन द्रव्य या पर्यायोंसे भिन्न नहीं है । संतान तो द्रव्यस्वरूप है । और पांच जातिके स्कन्धोंके क्षणिकपरिणाम पर्यायस्वरूप हैं । अतः दो नयोंसे ही कार्य चञ्चल सकता है । समातीय और विजातीय पदार्थोंसे व्यावृत्त तथा परस्परमें सम्बन्धको प्राप्त नहीं हो रहे किन्तु एकत्रित हो रहे रूपपरमाणु, रसपरमाणु, गन्धपरमाणु, स्पर्शपरमाणु, तो रूप स्कन्ध हैं । सुख, दुःख, आदिक वेदनास्कन्ध हैं । सविकल्पक, निर्विकल्पक, ज्ञानोंके भेद प्रमेद तो विज्ञानस्कन्ध हैं । वृक्ष इत्यादिक नाम तो संग्रास्कन्ध है । ज्ञानोंकी वासनयों या पुण्य, पापोंकी वासनयों संस्कारस्कन्ध हैं । ये सब मूल दो नयोंके ही विषय हैं । तिस कारणसे ऊपर कहे गये वे सम्पूर्ण अर्थ नैगम संपन्न आदि नयमेदोंके ही विषय हैं । फिर कोई न्यायी नयोंके गढनेके लिये दूसरा नया मार्ग निकालना आवश्यक नहीं । कारिकामें पढे हुये “अपरनीतयः” इस शब्दका

अर्थ वह समझा जाता है कि जिन अर्थोंमें दूसरी नीति है वे ही अर्थ भिन्न नीतिवाले हैं । किन्तु न चार, पांच, छह सोलह, पच्चीस, पदार्थोंमें तो नैगम आदि भेदोंको धारनेवाले द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दो मूळ नयोंसे भिन्न कोई दूसरी नीति नहीं प्रवर्तती है । इस कारण वे दो ही मूळनय हैं । नैगम आदिक भेद प्रमेद तो उन दो से ही उत्पन्न हो जाते हैं ।

तत्र नैगमं व्याचष्टे ।

सूत्रकारद्वारा गिनायी गयीं उन सात नयोंमेंसे प्रथम नैगम नयका व्याख्यान श्री विद्यानन्द स्वामी कहते हैं ।

तत्र संकल्पमात्रस्य ग्राहको नैगमो नयः ।

सोपाधिरित्यशुद्धस्य द्रव्यार्थस्याभिधानतः ॥ १७ ॥

उन दो मूळ नयोंके नैगम आदिक अनेक भेद हो जाते हैं । नैगम, संप्रद, व्यवहार तीन तो द्रव्यार्थिक नयके विभाग करनेसे हो जाते हैं । और पर्यायार्थिक नयका प्रकृत विभाग कर देनेसे ऋजुसूत्र शब्द समभिरूढ एवंभूत ये चार भेद हो जाते हैं । अर्थकी प्रधानता हो जानेसे पहिली चार नयें अर्थनय हैं । शेष तीन शब्दनय हैं । द्रव्यार्थिककी अपेक्षा अभेद और पर्यायार्थिककी अपेक्षा भेद हो जानेसे बहुत विकल्पवाले नय हो जाते हैं । उन सात नयोंमें केवल संकल्पका ग्राहक नैगमनय माना गया है । जो कि अशुद्ध द्रव्यस्वरूप अर्थका कथन कर देनेसे क्वचित् संकल्प किये गये पदार्थकी उपाधिसे सहित है । सत्त्व, प्रस्थय आदि उपाधियां अशुद्ध द्रव्यमें लग रही हैं । भेदविवक्षा कर देनेसे मी अशुद्धता आ जाती है ।

संकल्पो निगमस्तत्र भवोयं तत्प्रयोजनः ।

तथा प्रस्थादिसंकल्पः तदभिप्राय इष्यते ॥ १८ ॥

नैगम शब्दको भव अर्थ या प्रयोजन अर्थमें तद्धितका अण् प्रत्यय कर बनाया गया है । निगमका अर्थ संकल्प है, उस संकल्पमें जो उपजे अथवा वह संकल्प जिसका प्रयोजन होय तैसा यह नैगमनय है । तिस प्रकार निरुक्ति करनेसे प्रत्य, इन्द्र आदिका जो संकल्प है, वह नैगम नयस्वरूप अभिप्राय इष्ट किया गया है । अर्थात्—कोई पुरुष कुल्हाड़ी या फरसा लेकर लकड़ी काटनेके लिये जा रहा है । तटस्थ पुरुष उसको पूछता है कि आप किसलिये जा रहे हो ? वह तक्षक उस पूछनेवालेको उत्तर देता है कि प्रस्थ या इन्द्र प्रतिमाके लिये मैं जा रहा हूँ । यद्यपि उस समय एक सेर जल नापनेका बर्तन प्रस्थ या इन्द्रप्रतिमा समिहित नहीं है । किन्तु तक्षकका संकल्प वैसा है । बस, इस संकल्पमात्रको विषय करलेनेसे नैगमनय द्वारा प्रस्थ, इन्द्रप्रतिमा,

जान ली जाती है। मल्लें ही कराचित् अन्य सामग्रीके नहीं मिलनेपर वे पर्यायें नहीं बन सकें, फिर भी उनका संकल्प है। बनजानेवाले और नहीं भी बन जानेवाले पदार्थोंके विद्यमान होनेमें संकल्पकी अपेक्षा कोई अन्तर नहीं है। ज्ञाताका तैसा अभिप्राय होनेपर ही वह नय मानलिया जाता है। ईंधन, पानी आदिके लानेमें व्यापार कर रहा पुरुष भात पकानेके अभिप्रायको इस नय द्वारा व्यक्त करदेता है। ऐसी दसामें वह असत्यभाषी नहीं है। सत्यवक्ता है।

नन्वयं भाविनीं संज्ञा समाश्रित्योपचर्यते ।

अप्रस्थादिषु तद्भावस्तंडुलेष्वोदनादिवत् ॥ १९ ॥

इत्यसद्बहिरर्थेषु तथानध्यवसानतः ।

स्वेद्यमानसंकल्पे सत्येवास्य प्रवृत्तितः ॥ २० ॥

यहां किसी प्रतिवादीका भिन्न प्रकार ही अवधारण है कि यह नैगमं नयका विषय तो भविष्यमें होनेवाली संज्ञाका अच्छा आश्रय कर वर्तमानमें भविष्यका उपचार युक्त किया गया है, जैसे कि प्रस्थ, चौकी, सन्दूक आदिके नहीं बगते हुये भी कोरी कल्पनाओंमें उनका सद्भाव गढ़ लिया गया है। अथवा चावलोंमें भात, खिचड़ी, हिस्से ( चावलोंका बनाया गया पकवान ) आदिका व्यवहार कर दिया जाता है। अर्थात्-विषयोंमें केवल भविष्यपर्यायको अपेक्षा व्यवहार कर दिया जाता है। इसके लिये विशेष नयज्ञान माननेकी आवश्यकता नहीं है। अब आचार्य कहते हैं कि यह तुम्हारा कहना प्रशंसनीय नहीं है। क्योंकि बहिरंग अर्थोंमें तिस प्रकार भावी संज्ञाकी अपेक्षा अप्यवसाय नहीं हो रहा है। थोड़ा विचारो तो सही कि जब लकड़ी काटनेको जा रहा है, या चौका बर्तन कर रहा है, उस समय लकड़ी या चावल सर्वथा नहीं हैं, घरहे या हाटसे पाँछे आयेगे, फिर भी भविष्यपर्यायोंका व्यवहार मल्ल कौनसी भूतपर्यायोंमें करेगा ? असत् पदार्थमें तो उपचार नहीं किया जाता है। किन्तु असत् पदार्थका भिन्न कालोंमें संकल्प हो सकता है। अपने द्वारा जाने जा रहे संकल्पके होनेपर ही इस नयकी प्रवृत्ति होना माना गया है। किसीका संकल्प होगा तभी तो उसके अनुसार सामग्री मिचायेगा, प्रयत्न करेगा। अन्यथा चाहे जिससे चाहे कुछ भी कार्य बन बैठेगा, मल्लें ही संकल्पित पदार्थ वर्तमानमें कोई अर्थक्रिया नहीं कर रहा है, फिर भी इस नैगमनयका विषय यहां दिखला दिया है। और मैं तो कहता हूँ कि संकल्पित पदार्थोंसे भी अनेक कार्य हो जाते हैं। स्वप्नमें नाना ज्ञान संकल्पों द्वारा हो जाते हैं। बहुतसे मय, हास्य, आदि भी संकल्पोंसे होते हैं। संसारमें अनेक कार्य संकल्पनमात्रसे हो रहे हैं। कदातक गिनाये जाय कण्ठपीका संकल्प उसके बच्चोंकी अभिवृद्धिका कारण है। दग्ध पुरुषोंके संकल्प उनके दुःखके कारण बन रहे हैं। कैई ठल्लमा पुरुष व्यर्थ संकल्प, विकल्पोंकरके पापबन्ध करते रहते हैं।



यद्वा नैकं गमो योत्र स सतां नैगमो मतः ।

धर्मयोर्धर्मिणोर्वापि विवक्षा धर्मधर्मिणोः ॥ २१ ॥

अथवा जो नैगम नयका दूसरा अर्थ यों किया जाता है कि “ न एकं गमः नैगमः ” जो धर्म और धर्मीसे एक ही अर्थको नहीं जानता है, किन्तु गौण, प्रवाणरूपसे धर्म, धर्मी, दोनोंको विषय करता है, वह सप्रन पुरुषोंके यहां नैगमनय माना गया है । अन्य नयें तो एक ही धर्मको जानती हैं । किन्तु नैगमनय द्वारा जाननेमें दो धर्मोंकी अथवा दो धर्मियोंकी या एक धर्म दूसरे धर्मोंकी विवक्षा हो रही है । अतः जैसे कि जीवका गुण सुख है, या जीव सुखी है, यों नैगमनय द्वारा दो पदार्थोंकी ज्ञप्ति हो जाती है ।

प्रमाणात्मक एवायमुभयग्राहकत्वतः ।

इत्ययुक्तं इह ज्ञप्तेः प्रधानगुणभावतः ॥ २२ ॥

प्राधान्येनोभयात्मानमर्थं गृह्णद्धि वेदनम् ।

प्रमाणं नान्यदित्येतत्प्रपंचेन निवेदितम् ॥ २३ ॥

यहां कोई शिष्य आपादन करता है कि जब धर्म धर्मी दोनोंका यह नैगम नय ग्राहक है, तब तो यह नय प्रमाणस्वरूप ही हो नायगा । क्योंकि धर्म और धर्मीसे अतिरिक्त कोई तीसरा पदार्थ तो प्रमाणद्वारा जाननेके लिये वस्तुमें शेष रहा नहीं है । इसपर आचार्य कहते हैं कि शिष्य का यों आक्षेप करना युक्त नहीं है । क्योंकि यहां नैगम नयमें धर्म धर्मीसे एककी प्रधान और दूसरेकी गौणरूपसे ज्ञप्ति की गयी है । परस्परमें गौण प्रधानरूपसे भेद अभेदकको निरूपण करने-वाला अभिप्राय नैगम कहा जाता है, तथा धर्मधर्मी दोनोंको प्रधानरूपसे या उभय आत्मक वस्तुको ग्रहण कर रहा ज्ञान तो प्रमाण कहा गया है । अन्य ज्ञान जो केवल धर्मको ही या धर्मी को ही अथवा गौणप्रधानरूपसे धर्मधर्मी दोनोंको ही विषय करते हैं, वे प्रमाण नहीं है, नय हैं । इस सिद्धान्तको हम विस्तार करके पूर्व प्रकारणोंमें निवेदन कर चुके हैं । अतः नैगम नयको प्रमाण-फलका प्रसंग नहीं आता है “ जीवगुणः सुखं ” यहां प्रपमान्त मुख्य विशेष्यक शब्दबोध करनेपर विशेषण हो रहा जीव अप्रधान है और सुख विशेष्य होनेसे प्रधान है तथा “ सुखी जीवः ” यहां विशेष्य होनेसे जीव प्रधान है और विशेषण होनेसे सुख अप्रधान है । दोनोंको नैगमनय विषय कर देता है । और प्रमाण तो प्रधानरूपसे द्रव्य पर्याय उभय लात्मक अर्थको विषय करता है । अतः प्रमाण और नैगममें महान् अन्तर है ।

संग्रहे व्यवहारे वा नांतर्भावः समीक्ष्यते ।

नैगमस्य तयोरेकवस्त्वंशप्रवणत्वतः ॥ २४ ॥

कितीकी शंका है कि प्रमाणसे नैगमका विषय विशेष है । अतः नैगमका प्रमाणमें मले ही अन्तर्भाव नहीं होय, किंतु थोड़े विषयवाले नैगमका स्वरूपविषयप्राही संग्रहनय अथवा व्यवहारनय में तो अन्तर्भाव हो जायगा ! अब आचार्य कहते हैं कि यह विचार करना अच्छा नहीं है । क्योंकि उन संग्रह और व्यवहार दोनों नयोंकी एक ही वस्तु अंशको जाननेमें तत्परता हो रही है । अर्थात्—नैगम तो धर्म और धर्मी या दोनों धर्मी अथवा दोनों धर्मीको प्रधान और गौणरूपसे जान लेता है । किन्तु संग्रह और व्यवहारनय तो वस्तुको एक ही अंशको विषय करते हैं । अतः इन से नैगमका पेट बड़ा है । दूसरी बात यह है कि संग्रह तो सद्भूत पदार्थोंका ही संग्रह करता है और नैगम सत्, असत्, सभी पदार्थोंका संकल्प कर लेता है । यहां असत् कहनेसे “ आकाश पुष्प ” आदि असत् पदार्थोंको नहीं पकड़ना, किन्तु सत् होने योग्य पदार्थ यदि संकल्प अनुसार नहीं बने या नहीं बनेंगे, वे यहां असत् पदार्थ माने गये हैं । जैसे कि इन्द्र प्रतिमाको बनानेके लिए संकल्प किये जा चुकनेपर पुनः विघ्नवश काठ नहीं लाया गया अथवा लकड़ी काकर भी उस लकड़ीसे इन्द्रप्रतिमा नहीं बन सकी, यों ही लकड़ी जल गयी या धुन गयी । ऐसी दशामें वह इन्द्रका अभिप्राय असत् पदार्थका संकल्प कहा जाता है ।

नर्जुसूत्रादियु प्रोक्तहेतवो वेति पणनयाः ।

संग्रहादय एवेह न वाच्याः प्रपरीक्षकैः ॥ २५ ॥

ऋजुसूत्र शब्द समभिरूढ, एवंभूत, इन प्रकारवाले नयोंमें भी नैगमका अन्तर्भाव नहीं हो पाता है । क्योंकि इसका कारण मले प्रकार कहा जा चुका है । अर्थात्—ये ऋजुसूत्र आदिक भी वस्तुके एक अंशको ही जाननेमें लवलीन रहते हैं । इस कारण नैगमके विना संग्रह आदिक छह ही नय हैं । यह अच्छे परीक्षक विद्वानोंको यहां नहीं कहना चाहिये । सबसे पहिले नैगमनयका मानना अत्यावश्यक है ।

सैते नियतं युक्ता नैगमस्य नयत्वतः ।

तस्य त्रिभेदव्याख्यानात् कैश्चिदुक्ता नया नव ॥ २६ ॥

नैगमको भी नयपना हो जानेसे ये नय नियमसे सात ही मानने योग्य हैं । उस नैगमके तीन भेदरूप व्याख्यान कर देनेसे किन्हीं विद्वानोंने नौ नय कहे हैं । अर्थात्—पर्याय नैगम, द्रव्य

नैगम, और द्रव्यपर्यायनैगम, इस प्रकार नैगमके तीन भेद तथा संग्रह आदिक छह भेद इस ढंगसे नय नौ प्रकारका अन्य ग्रन्थोंमें कहा गया है। इसमें हमको कोई विरोध नहीं है। तात्पर्य एक ही बैठ जाता है।

तत्र पर्यायगस्त्रेधा नैगमो द्रव्यगो द्विधा ।

द्रव्यपर्यायगः प्रोक्तश्चतुर्भेदो ध्रुवं ध्रुवैः ॥ २७ ॥

तिन नैगमके भेदोंमें पर्यायोंको प्राप्त हो रहा नैगम तो तीन प्रकारका है और दूसरा द्रव्यको प्राप्त हो रहा नैगम दो प्रभेदवाला है। तथा द्रव्य और पर्यायको विषय करनेवाला तीसरा नैगम तो ध्रुवज्ञानी पुरुषोंकरके निश्चितरूपसे चार भेदवाला ठीक कहा गया है। अर्थात्—पर्यायनैगमके अर्थ-पर्याय नैगम १ व्यंजनपर्यायनैगम २ अर्थव्यंजनपर्यायनैगम ३ ये तीन प्रभेद हैं। और दूसरे द्रव्यनैगमके शुद्धद्रव्यनैगम, अशुद्धद्रव्यनैगम ये दो प्रभेद हैं। तथा तीसरे द्रव्यपर्याय नैगमके शुद्ध द्रव्यपर्याय नैगम १ शुद्धद्रव्यव्यंजनपर्यायनैगम २ अशुद्धद्रव्यपर्यायनैगम ३ अशुद्धद्रव्यव्यंजनपर्याय-नैगम ४ ये चार प्रकार हैं। इस प्रकार नैगमके नौ और संग्रह आदिक छह यों नवोंके पन्द्रह भेद हो जाते हैं।

अर्थपर्याययोस्तावद्गुणमुख्यस्वभावतः ।

क्वचिद्वस्तुन्यभिप्रायः प्रतिपत्तुः प्रजायते ॥ २८ ॥

यथा प्रतिक्षणं ध्वंसि सुखसंविच्छरीरिणः ।

इति सत्तार्थपर्यायो विशेषणतया गुणः ॥ २९ ॥

संवेदनार्थपर्यायो विशेष्यत्वेन मुख्यताम् ।

प्रतिगच्छन्नभिप्रेतो नान्यथैवं वचोगतिः ॥ ३० ॥

उनमेंसे नैगमके पहिले प्रभेदका उदाहरण यों है कि किसी एक वस्तुमें दो अर्थपर्यायोंको गौण मुख्यस्वरूपसे जाननेके लिये नयज्ञानी प्रतिपत्ताका अच्छा अभिप्राय उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि शरीरधारी आत्माका सुखसम्भेदन प्रतिक्षण नाशको प्राप्त हो रहा है। यहाँ उत्पाद, व्यय, प्रौढ्य, युक्त सत्तारूप अर्थपर्याय तो विशेषण हो जानेसे गौण है। और सम्भेदनस्वरूप अर्थपर्याय तो विशेष्यपना होनेके कारण मुख्यताको प्राप्त हो रही संती अभिप्रायमें प्राप्त की गयी है। अन्यथा यानी दूसरे ढंगोंसे इस प्रकार कथनद्वारा इति नहीं हो सकेगी। भावार्थ—“आत्मनः सुखसम्भेदनं क्षणिकं” यहाँ आत्माका सुखसम्भेदन क्षणक्षणमें उपज रहा नष्ट हो रहा है, यह नैगमनयने

जाना । यहां सम्भेदन नामक अर्थपर्यायको विशेष्य होनेके कारण मुख्यरूपसे जाना गया है । और प्रतिक्षण उत्पाद व्ययरूप अर्थपर्यायको विशेषण होनेके कारण नैगम नयद्वारा गौण रूपसे जाना गया है । अथवा उक्त प्रयोग कैसे भी नहीं बन सकता था । सुख और सम्भेदनका आत्मामें कर्णचित्त अभेद है । अथवा चेतना गुणकी ज्ञानस्वरूप अर्थपर्यायको प्रधानतासे और सुख गुणकी अर्थपर्याय हो रहे लौकिक सुखको गौणरूपसे नैगम नय जानता है ।

**सर्वथा सुखसंवित्त्योर्नानात्वेभिमतिः पुनः ।**

**स्वाश्रयाच्चार्थपर्यायनैगमाभोऽप्रतीतितः ॥ ३१ ॥**

हां, सभी प्रकारोंसे फिर परस्परमें सुख और सम्भेदनके नानापनमें अभिप्राय रखना अथवा अपने आश्रय हो रहे आत्मासे सुख और ज्ञानका भेद माननेका आप्रहृ रचना तो अर्थपर्याय नैगमका आभास है । क्योंकि एक द्रव्यके गुणोंका परस्परमें अथवा अपने आश्रयभूत द्रव्यके साथ सर्वथा भेद रहना नहीं प्रतीत हो रहा है ।

**कश्चिद्व्यंजनपर्यायो विषयीकुरुतेजसा ।**

**गुणप्रधानभावेन धर्मिण्येकत्र नैगमः ॥ ३२ ॥**

**सचैतन्यं नरीत्येवं सत्वस्य गुणभावतः ।**

**प्रधानभावतश्चापि चैतन्यस्याभिसिद्धितः ॥ ३३ ॥**

कोई नैगम नयका दूसरा प्रभेद तो एक धर्मोंमें गौण प्रधानपनसे दो व्यंजन पर्यायोंको शीघ्र विषय कर लेता है, जैसे कि “ आत्मनि सत् चैतन्यं ” आत्मामें सत्त्व है, और चैतन्य है । इस प्रकार यहां विशेषण हो रही सत्ताकी गौणरूपसे ज्ञति है । और विशेष्य हो रहे चैतन्यकी भी प्रधानभावसे सर्वतः ज्ञति सिद्ध हो रही है । अतः दोनों भी व्यंजन पर्यायोंको यह नैगम विषय कर रहा है । सूक्ष्मपर्यायोंको अर्थपर्याय कहते हैं । और व्यक्त ( प्रकट ) हो रही पर्यायें व्यंजन पर्याय हैं ।

**तयोरत्यंतभेदोक्तिरन्योन्यं स्वाश्रयादपि ।**

**ज्ञेयो व्यंजनपर्यायनैगमाभो विरोधतः ॥ ३४ ॥**

इस उक्त नयका आभास यों है कि उन सत्ता और चैतन्यका परस्परमें अत्यन्त भेद कहना अथवा अपने अधिकारण हो रहे आत्मासे भी सत्ता और चैतन्यका अत्यन्त भेद बके जाना

तो व्यंजनपर्याय नैगमामास है। क्योंकि गुणोंका परस्परमें और अपने आप्रयके साथ कश्चित् अमेद वर्त रहा है। अतः ऐसी दशामें सर्वथा भेद कथन करते रहनेसे नैयायिकको विरोध दोष प्राप्त होता है।

**अर्थव्यंजनपर्यायौ गोचरीकुरुते परः।**

**धार्मिके सुखजीवित्वमित्येवमनुरोधतः ॥ ३५ ॥**

पर्यायनैगमके तीसरे प्रभेदका उदाहरण यों है कि धर्मात्मा पुरुषमें सुखपूर्वक जीवन प्रवर्त रहा है। छात्र प्रबोधपूर्वक धोषण कर रहा है। इत्यादि प्रयोगोंके अनुरोधसे कोई तीसरा न्याय नैगम नय विचारा अर्थपर्याय और व्यंजनपर्याय दोनोंको विषय करता है।

**भिन्ने तु सुखजीवित्वे योभिमन्येत सर्वथा।**

**सोर्थव्यंजनपर्यायनैगमाभास एव नः ॥ ३६ ॥**

इसका नयामास यों है कि जो प्रतिवादी सुख और जीवनको सर्वथा भिन्न अभिमानपूर्वक मान रहा है, अथवा आत्मासे भिन्न दोनोंको कल्प रहा है, वह तो हमारे यहां अर्थव्यंजनपर्यायका आभास है। यानी यह झूठा नय कुनय है। आयुःकर्मका उदय होनेपर विवक्षित पर्यायमें अनेक समयतक प्राणोंका धारण करना जीवन माना गया है। और आत्माके अनुजीवी गुण हो रहे सुखका सातावेदनीय कर्मके उदय होनेपर विभावपरिणति हो जाना यहां लौकिक सुख किया गया है। हां, कमी कमी धर्मात्माको सम्यग्दर्शन होजानेपर अतीन्द्रिय आत्मीय सुख भी अनुभव हो जाता है। वह स्वामाविक सुखमें परिगणित किया जावेगा।

**शुद्धद्रव्यमशुद्धं च तथाभिप्रैति यो नयः।**

**स तु नैगम एवेह संग्रहव्यवहारजः ॥ ३७ ॥**

पर्यायनैगमके तिन भेदोंका लक्षण और उदाहरण दिखलाकर अब द्रव्य नैगमके भेद और उदाहरणोंको दिखाते हैं कि जो नय शुद्धद्रव्य या अशुद्धद्रव्यको तिस प्रकार जाननेका अभिप्राय रखता है, वह नय तो यहां संग्रह और व्यवहारसे उत्पन्न हुआ नैगमनय ही कहा जाता है।

**सद्द्रव्यं सकलं वस्तु तथान्वयविनिश्चयात्।**

**इत्येवमवगंतव्यस्तद्भेदोक्तिस्तु दुर्नयः ॥ ३८ ॥**

तिस प्रकार अन्वयका विशेषरूपकरके निश्चय हो जानेसे सम्पूर्ण वस्तुओंको सद् द्रव्य इस प्रकार कहनेवाला अभिप्राय तो शुद्ध द्रव्यनैगम है। क्योंकि सभी पदार्थोंमें किसी भी स्वकीय

पर्याय भावोंकी नहीं अपेक्षा कर सत्त्वने या द्रव्यपनेका अन्वय जाना जा रहा है। संप्रह नयके अनुसार यह नैगम नय दो धर्मियोंको प्रधान गौणरूपसे विषय कर रहा है। हाँ, सत्त्वने और द्रव्यपनेके सर्वथा भेदको कह रहा तो यह नय दुर्नय हो जायगा। अर्थात्—वैशेषिक पण्डित सत्त्व और द्रव्यत्वको परस्परमें भिन्न मानते हैं। और जातिमान्का जातियोंसे भेद स्वीकार करते हैं, यह उनका शुद्धद्रव्यनैगमाभास है।

**यस्तु पर्यायवद्द्रव्यं गुणवद्वेत्ति निर्णयः ।**

**व्यवहारनयाज्जातः सोऽशुद्धद्रव्यनैगमः ॥ ३९ ॥**

जो नय “ पर्यायवान् द्रव्य है ” अथवा गुणवान् द्रव्य है, इस प्रकार निर्णय करता है, वह नय तो व्यवहारनयसे उत्पन्न हुआ अशुद्धद्रव्यनैगम है। व्यवहारनय केवल एक ही धर्म या धर्मोंको जानता है। किन्तु यह अशुद्ध द्रव्यनैगम नय तो धर्म, धर्मों, दोनोंको विषय करता है। इस दो प्रकारके द्रव्यनैगमको संप्रह और व्यवहारसे उत्पन्न हुआ इसी कारण कह दिया गया है कि पहिले एक एक विषयको जाननेके लिये संप्रह, व्यवहार, नय प्रवर्त जाते हैं। पीछे धर्म, धर्मों, या दोनों धर्म, अथवा दोनों धर्मियोंको प्रधान, गौणरूपसे जाननेके लिये यह नय प्रवर्तता है।

**तद्भेदेकातवादस्तु तदाभासोऽनुमन्यते ।**

**तथोक्तेर्बहिरंतश्च प्रत्यक्षादिविरोधतः ॥ ४० ॥**

पर्याय और पर्यायवान्का एकान्तरूपसे भेद मानते रहना अथवा उन गुण और गुणोंका सर्वथा भेद स्वीकार करनेका पक्ष पकड़े रहना तो उस अशुद्ध द्रव्य नैगमका आभास माना जा रहा है। क्योंकि बहिरंग कहे जा रहे षट्, रूप, पट, पटल, आदि तथा आत्मा ज्ञान, आदि अन्तरंग पदार्थोंमें तिस प्रकार भेद कहते रहनेसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंकरके विरोध आता है।

**शुद्धद्रव्यार्थपर्यायनैगमोऽस्ति परो यथा ।**

**सत्सुखं क्षणिकं शुद्धं संसारेऽस्मिन्नितीरणम् ॥ ४१ ॥**

अब नैगमके द्रव्यपर्याय नैगम भेदके चार प्रमेदोंका वर्णन करते हैं। तिनमें पहिला शुद्ध द्रव्यार्थ पर्याय नैगम तो न्यारी भांतिका इस प्रकार है कि इस संसारमें सुख पदार्थ शुद्ध सत् स्वरूप होता हुआ क्षणमात्रमें नष्ट हो जाता है, यों कहनेवाला यह नय है। यहाँ उत्पाद, व्यय, प्रीत्य, रूप सत्त्वना तो शुद्धद्रव्य है। और सुख अर्थपर्याय है। विशेषण हो रहे शुद्ध द्रव्यको गौणरूपसे और विशेष्य हो रहे अर्थपर्याय सुखको प्रधानरूपसे यह नय विषय करता है।

सत्त्वं सुखार्थपर्यायाद्भिन्नमेवेति संमतिः ।

दुर्नीतिः स्यात्सवाधत्वादिति नीतिविदो विदुः ॥ ४२ ॥

सुखस्वरूप अर्थपर्यायसे सत्त्वको सर्वथा मिला ही मानते रहना इस प्रकारका सामिमान अभि-  
प्राय तो दुर्नीति है । क्योंकि सुख और सत्त्वके सर्वथा भेद माननेमें अनेक प्रकारकी बाधाओंसे  
सहितपना है । इस प्रकार नयोंके जाननेवाले विद्वान् समझ रहे हैं । यानी सुख और सत्त्वका सर्वथा  
भेदका अभिमान तो शुद्धद्रव्य अर्थपर्याय नैगमका आभास है ।

क्षणमेकं सुखी जीवो विषयीति विनिश्चयः ।

विनिर्दिष्टोर्थपर्यायाशुद्धद्रव्यगनैगमः ॥ ४३ ॥

यह संसारी जीव एक क्षणतक सुखी है । इस प्रकार विशेष निश्चय करनेवाला विषयी  
नय तो अर्थपर्याय अशुद्धद्रव्य को प्राप्त हो रहा नैगम विशेषरूपेण कहा गया है । यहाँ सुख तो  
अर्थपर्याय है, और संसारी जीव अशुद्धद्रव्य है । अतः इस नयसे अर्थपर्यायको गौणरूपसे  
और अशुद्धद्रव्यको प्रधानरूपसे विषय किया गया है ।

सुखजीवभिदोक्तिस्तु सर्वथा मानवाधिता ।

दुर्नीतिरेव बोद्धव्या शुद्धबोधैरसंशयात् ॥ ४४ ॥

सुखका और जीवका सर्वथा भेदरूपसे कहना तो दुर्नय ही है । क्योंकि गुण और गुणार्थ  
सर्वथा भेद कहना प्रमाणोंसे बाधित है । जिन विद्वानोंके प्रबोध परिशुद्ध हैं, उन्होंने संशयरहित-  
पनेसे इस बातको कहा है कि सुख और जीवका सर्वथा भेद कहना अर्थपर्याय अशुद्धद्रव्य  
नैगमामास है, यह समझलेना चाहिये ।

गोचरीकुरुते शुद्धद्रव्यव्यंजनपर्यायौ ।

नैगमोन्यो यथा सच्चित्सामान्यमिति निर्णयः ॥ ४५ ॥

तीसरा शुद्ध द्रव्य व्यंजनपर्याय नैगम इन दोनोंसे मिला इस प्रकार है, जो कि शुद्धद्रव्य  
और व्यंजनपर्यायको विषय करता है । जैसे कि यह सत्सामान्य चैतन्यस्वरूप है, इस प्रकारका  
निर्णय करना शुद्धद्रव्यव्यंजनपर्याय नैगम नय है । यहाँ सत् सामान्य तो शुद्धद्रव्य है । और उसका  
चैतन्यपना व्यंजनपर्याय है । गौणरूप और प्रधानरूपसे यह नय दोनोंको जानलेता है ।

विद्यते चापरोशुद्धद्रव्यव्यंजनपर्यायौ ।

अर्थाकरोति यः सोत्र ना गुणीति निगद्यते ॥ ४६ ॥

भिदाभिदाभिरत्यंतं प्रतीतेरपलापतः ।

पूर्ववन्नैगमाभासौ प्रत्येतव्यौ तयोरपि ॥ ४७ ॥

इनसे मिन चौथा द्रव्यपर्याय नैगमनय तो यहाँ वह विद्यमान है जो कि अशुद्धद्रव्य और व्यंजनपर्यायको विषय करता है । जैसे कि मनुष्य गुणी है, इस प्रकार इस नय द्वारा कहा जाता है । यहाँ गुणवान् तो अशुद्धद्रव्य है और मनुष्य व्यंजनपर्याय है । कथंचित् अमेदरूपसे दोनोंको यह नय जान लेता है । इन दो नयोंके द्वारा विषय किये गये पदार्थोंका परस्परमें सर्वथा भेद अथवा सर्वथा अतीव अमेद करके कथन करना तो उन दोनोंके भी पूर्वके समान दो नैगमाभास समझ लेने चाहिये । क्योंकि जल्पन्त भेद या अमेद पक्ष लेनेसे प्रतीतियोंका अपलाप ( छिपाना ) होता है । अतः सत् और चैतन्यके सर्वथा भेद या अमेदका अमिप्राय शुद्धद्रव्य व्यंजनपर्याय नैगमका आभास है तथा मनुष्य और गुणीका सर्वथा भेद या अमेद जान लेना अशुद्धद्रव्यव्यंजनपर्याय नैगमका आभास है ।

नवधा नैगमस्यैवं ख्यातेः पंचदशोदिताः ।

नयाः प्रतीतिमारूढाः संग्रहादिनयैः सह ॥ ४८ ॥

इस उक्त प्रकार नैगमनयका नौ प्रकार व्याख्यान करनेसे संग्रह आदिक छह नयोंके साथ प्रतीतिमें आरूढ हो रहीं नये पन्द्रह कह दी गयी हैं ।

त्रिविधस्तावन्नैगमः । पर्यायनैगमः, द्रव्यनैगमः, द्रव्यपर्यायनैगमश्चेति । तत्र प्रथम-  
स्त्रेधा । अर्थपर्यायनैगमो व्यंजनपर्यायनैगमोऽर्थव्यंजनपर्यायनैगमश्च इति । द्वितीयो द्विधा ।  
शुद्धद्रव्यनैगमः, अशुद्धद्रव्यनैगमश्चेति । तृतीयश्चतुर्धा । शुद्धद्रव्यार्थपर्यायनैगमः, शुद्ध-  
द्रव्यव्यंजनपर्यायनैगमः, अशुद्धद्रव्यार्थपर्यायनैगमः, अशुद्धद्रव्यव्यंजनपर्यायनैगमश्चेति,  
नवधा नैगमः सामास उदाहृतः परीक्षणीयः । संग्रहादयस्तु वक्ष्यमाणा पदिति सर्वे पंचदश  
नयाः समासतः प्रतिपत्तव्याः ।

उक्त कथनमें नैगमके भेदोंकी सूची इस प्रकार है कि सबसे पहिले नैगमनय तीन प्रकारका माना गया है । पर्यायनैगम, द्रव्यनैगम और द्रव्यपर्यायनैगम । ये नैगमके मूलभेद तीन हैं । तिनमें पहिला भेद पर्यायनैगम तो अर्थपर्यायनैगम, व्यंजनपर्यायनैगम और अर्थव्यंजनपर्यायनैगम, इस



द्वंगसे तीन प्रकारका है तथा दूसरा द्रव्यनैगम तो शुद्धद्रव्यनैगम अशुद्धद्रव्यनैगम । इस द्वंगसे दो प्रकार है । तथा तीसरा द्रव्यपर्यायनैगम तो शुद्धद्रव्यार्थपर्यायनैगम १ शुद्धद्रव्यबंधजनपर्यायनैगम २ अशुद्धद्रव्यार्थपर्यायनैगम ३ अशुद्धद्रव्यबंधजनपर्यायनैगम ४, इन स्वरूपोंसे चार प्रकार है । इस प्रकार नौ प्रकारका नैगमनय उनके आमासोंसे सहित हमने उदाहरणपूर्वक कहा है । जो कि प्रकाण्ड विद्वानोंकरके परीक्षा करने योग्य है । अथवा चारों ओरसे अन्य भी उदाहरण उठाकर विचार कर लेने योग्य है । और संग्रह आदिक छह नय तो भविष्यमें कहे जानेवाले हैं । इस प्रकार नौ और छहको मिळानकर सर्व पंद्रह नय संश्लेषसे स्पष्ट लेने चाहिये ।

तत्र संग्रहनयं व्याचष्टे ।

नैगम नयके भविष्यकालमें कहीं जानेवाली उन छह नयोंमेंसे अब संग्रहनयका श्री विद्यानन्दस्वामी व्याख्यान करते हैं ।

एकत्वेन विशेषाणां ग्रहणं संग्रहो नयः ।

स्वजातेरविरोधेन दृष्टेष्टाभ्यां कथंचन ॥ ४९ ॥

समेकीभावसम्यक्त्वे वर्तमानो हि गृह्यते ।

निरुक्त्या लक्षणं तस्य तथा सति विभाव्यते ॥ ५० ॥

शुद्धद्रव्यमभिप्रैति सन्मात्रं संग्रहः परः ।

स चाशेषविशेषेषु सदौदासीन्यभागीह ॥ ५१ ॥

अपनी सत्तास्वरूप जातिके दृष्ट, इष्ट, प्रमाणोंद्वारा अविरोध करके सभी विशेषोंका कथंचिद् एकपने करके ग्रहण करना संग्रह नय है । संग्रहमें सं शब्दका अर्थ समस्त है । और ग्रहका अर्थ जान लेना है । अनेक गोओंको देखकर “ यह गौ है ” और “ यह भी वही गौ है ” इस प्रकारकी बुद्धियां होने और शब्दोंकी प्रवृत्तियां होनेके कारण सादृश्य स्वरूपको जाति कहते हैं । सम्पूर्ण पदार्थोंका एकांकरण और समीचीनपन इन दो अर्थोंमें वर्त रहा सम् शब्द यहा पकडा जाता है । तिस कारण होनेपर उस संग्रह नयका लक्षण संग्रहशब्दकी निरुक्तिसे ही विचारा जाता है । परसंग्रह नय तो सत्तामात्र शुद्ध द्रव्यका अभिप्राय रखना है । और सत् है, इस प्रकार सबको एकपनेसे ग्रहण करनेवाला वह संग्रह नय यहा सर्वदा सम्पूर्ण विशेषपदार्थोंमें उदासीनताको धारण करता है । “ सत्, सत्, ” इस प्रकार कहनेपर तीनों काळके विवक्षित, अविवक्षित सभी जीव, अजीवके भेदभेदोंका एकपनेकरके संग्रह हो जाता है ।

निराकृतविशेषस्तु सत्ताद्वैतपरायणः ।

तदाभासः समाख्यातः सद्भिर्दृष्टेष्टेवाधनात् ॥ ५२ ॥

अब परसंप्रह नयके समान प्रतिभास रहे खोटे परसंप्रह नयका उदाहरणसहित लक्षण करते हैं कि जो नय सम्पूर्ण विशेषोंका निराकरण कर केवल सत्ताके अद्वैतको कहनेमें तत्पर हो रहा है, वह तो सज्जन विद्वानों करके ठीक भांति परसंप्रहामास बखाना गया है। कारण कि अकेले सत् या ब्रह्मको कहते रहनेपर प्रत्यक्षप्रमाण और अनुमानप्रमाणसे बाधा उपस्थित होती है। जिसको कि हम पहिले कह चुके हैं। अर्थात्—बालक बृद्ध या कीट जीवोंको भी प्रत्यक्षसे अनेक पदार्थ दीख रहे हैं। नाग पदार्थोंको भले ही अनुमानसे जान लो।

अभिन्नं व्यक्तिभेदेभ्यः सर्वथा बहुधानकं ।

महासामान्यमित्युक्तिः केषांचिद्दुर्नयस्तथा ॥ ५३ ॥

शब्दब्रह्मेति चान्येषां पुरुषाद्वैतमित्यपि ।

संवेदनाद्वयं चेति प्रायशोन्यत्र दर्शितम् ॥ ५४ ॥

सांख्योद्धार माना गया प्रधान तत्त्व तो अहंकार, तन्मात्रा, आदि तेईस प्रकारकी विशेष व्यक्तियोंसे या विशेष व्यक्तोंसे सर्वथा अभिन्न होता हुआ महासामान्यस्वरूप है। “ त्रिगुणमविवेकिविषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि ” ( सांख्यतत्त्वकीमुदी ) इस प्रकार किन्हीं कापिलोंका तैसा मानना खोटा नय है, यानी परसंप्रहामास है। तथा अन्या शब्दाद्वैतवादियोंका अकेले शब्द ब्रह्मको ही स्वीकार करना और ब्रह्माद्वैतवादियोंका विशेषोंसे रहित केवल अद्वयपुरुष तत्त्वको स्वीकार करना तथा योगाचार या वैभाषिक बौद्धोंका शुद्ध संवेदनाद्वैतका पक्ष पकड़े रहना ये भी कुनय हैं। परसंप्रहामास हैं, इसको भी हम पहिले अन्य स्थानोंमें बहुत बार दिखला चुके हैं। विशेषोंसे रहित होता हुआ सामान्य कुछ भी पदार्थ नहीं है। सुशिष्यकी कृतघ्नताके समान अलीक है।

द्रव्यत्वं सकलद्रव्यव्याप्यभिप्रैति चापरः ।

पर्यायत्वं च निःशेषपर्यायव्यापिसंग्रहः ॥ ५५ ॥

तथैवावांतरान् भेदान् संगृह्यैकत्वतो बहुः ।

वर्ततेयं नयः सम्यक् प्रतिपक्षानिराकृतेः ॥ ५६ ॥

परसंप्रह नयको कहकर अब अपरसंप्रह नयका वर्णन करते हैं। परसत्त्वारूपसे सम्पूर्ण भावोंके एकपुनका अभिप्राय रखनेवाले परसंप्रहद्वारा गृहीत अंशोंके विशेष अंशोंको जाननेवाला अपरसंप्रह-

नय है। सत्के व्याप्यद्रव्य और पर्याय है। सम्पूर्ण द्रव्योंमें व्यापनेवाले द्रव्यको अपरसंग्रह स्वकीय अभिप्रायद्वारा जान लेता है और दूसरा अपर संग्रह तो सम्पूर्ण पर्यायोंमें व्यापनेवाले पर्यायको जान लेता है। तिसही प्रकार और इनके भी व्याप्य हो रहे बहुतसे अवान्तर भेदोंका एकपनेसे संग्रह कर यह नय जानता हुआ वर्त रहा है। अपने प्रतिकूल पक्षका निराकरण नहीं करनेसे यह समीचीन नय समझा जावेगा और अपने अवान्तर सत्तावाले विषयोंके प्रतिपक्षी महासत्तावाले या तथाप्य-व्याप्य अन्य व्यक्तिविशेषोंका निषेध कर देगा तो कुनय कदा जावेगा। जैसे कि अपर संग्रहके विषय द्रव्यपनेके व्याप्य हो रहे सम्पूर्ण जीव द्रव्योंका एकपनेसे संग्रह करना अथवा काष्ठप्रयवर्ती पर्यायोंमें द्रव्य कर रहे अजीवके पुद्गल, धर्म, आदि भेदोंका संग्रह कर लेना तथा पर्यायोंके विशेष भेद सम्पूर्ण घटोंका या सम्पूर्ण पटोंका एकपनेसे संग्रह करना अपर संग्रहनय है। इस प्रकार व्यवहारनयसे पहिले अनेक विशेष व्यापि सामान्योंकी जागता हुआ यह अरसंग्रहनय बहुत प्रकारका वर्त रहा है।

**स्वव्यक्त्यात्मकतैकांतस्तदाभासोप्यनेकधा ।**

**प्रतीतिबाधितो बोध्यो निःशेषोप्यनया दिशा ॥ ५७ ॥**

उस अपर संग्रहका आभास भी अनेक प्रकारका है। अपनी व्यक्ति और जातिके सर्वथा एक आत्मरूपनेका एकान्त तो प्रतीतियोंसे बाधित हो रहा अपर संग्रहाभास समझना चाहिये। यह एक उदाहरण उपलक्षण है। इस ही संकेतसे सम्पूर्ण भी अपर संग्रहाभास समझ लेना। अर्थात्-घट सामान्य और घटविशेषोंका सर्वथा भेद या अभेद माननेका आप्रह करना अपर संग्रहाभास है।

द्रव्यत्वं द्रव्यात्मकमेव ततोर्थांतरभूतानां द्रव्याणामभावादित्यपरसंग्रहाभासः, प्रतीतिविरोधात् । तथा पर्यायत्वं पर्यायात्मकमेव ततोर्थांतरभूतपर्यायास्रवादिति तत्त्वं तत् एव । तथा जीवत्वं जीवात्मकमेव, पुद्गलत्वं पुद्गलात्मकमेव, धर्मत्वं धर्मात्मकमेव, अधर्मत्वं अधर्मात्मकमेव, आकाशत्वं आकाशात्मकमेव, काष्ठत्वं काष्ठात्मकमेवेति चापरसंग्रहाभासः । जीवत्वादिसामान्यानां स्वव्यक्तिभ्यो भेदेन कथंचित्प्रतीतिरन्यथा तदन्यतरलोपे सर्वलोपानुपंगात् ।

आचार्य कह रहे हैं कि जो कोई सांख्यमत अनुयायी द्रव्यात्त्व सामान्यको द्रव्य व्यक्तियोंके साथ तदात्मक हो रहा ही मानते हैं, क्योंकि उस द्रव्यत्वसे भिन्न हो रहे द्रव्योंका अभाव है। यह उनका मानना प्रतीतियोंसे विरोध हो जानेके कारण अपरसंग्रहाभास है। तिसी प्रकार पर्यायत्वसामान्य भी पर्याय आत्मक ही है। उस पर्याय सामान्यसे सर्वथा अर्थांतरभूत हो रहे पर्यायोंका असङ्गत्व है। यह भी तिस ही कारण यानी प्रतीतिविरोध हो जानेसे यहाँ अपरसंग्रहाभास है। तथा जीवत्व अनेक जीवोंका तदात्मक ही हो रहा धर्म है। पुद्गलत्व सामान्य पुद्गल व्यक्तिस्वरूप ही

है। धर्मद्रव्यपना धर्मद्रव्यस्वरूप ही है। अधर्मत्व अधर्मद्रव्यस्वरूप ही है। आकाशत्व धर्म आकाश स्वरूप ही है। काष्ठत्व सामान्यकाष्ठपरमाणुओं स्वरूप ही है। ये जाति और व्यक्तियोंके सर्वथा अभेद एकात्मको कहनेवाले सब अपरसंग्रहाभास है। क्योंकि जीवत्व पुद्गलत्व आदि सामान्योंकी अपने विशेष व्यक्तियोंसे कथंचित् भेद करके प्रतीति हो रही है। अन्यथा यानी कथंचित् भेद नहीं मान कर दूसरे अशक्य विवेचनत्व आदि प्रकारोंसे उनका सर्वथा अभेद मानोगे तो उन दोनोंमेंसे एकका छोप हो जानेपर बचे हुए शेषका भी छोप हो जायगा। ऐसी दशामें सबके छोप हो जानेका प्रसंग आता है। अर्थात्—विशेषका सामान्यके साथ अभेद माननेपर सामान्यमें विशेष छीन हो जायगा। एवं विशेषोंका प्रलय हो जानेपर सामान्य कुछ भी नहीं रह सकता है। धड़के मर जानेपर सिर जीवित नहीं रह सकता है। इसी प्रकार अभेदपक्ष अनुसार विशेष व्यक्तियोंमें सामान्यके छीन हो जानेपर विशेषोंका नाश अनिवार्य है। झुंसेके मध्यवर्ती झोंपड़ेमें तीव्र अग्नि लगनेपर मिले हुए झोंपड़ोंका जळ जाना अवश्यम्भावी है। सिरके मर जानेपर धड जीवित नहीं रह पाता है। यहाँ विशेष यह है कि जाति और व्यक्तियोंका सर्वथा भेद माननेवाले वैशेषिक जन एक ही व्यक्तिमें रहनेवाले धर्मको जाति स्वीकार नहीं करते हैं। “व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वे संकरोयानवस्थितिः। रूप-द्वानिरसम्बन्धो जातिबोधकसंग्रहः ॥” किंतु जैन सिद्धान्तमें धर्म, अधर्म, और आकाशको एक एक ही द्रव्य स्वीकार किया गया है। फिर भी त्रिकाळसम्बन्धी परिणामोंकी अपेक्षा धर्मद्रव्य अनेक हैं। उनमें एक “धर्मत्व” धर्म जाति उद्भूत सकता है। स्याद्वाद सिद्धान्त अनुसार सामान्यको सर्वथा एक मानना इष्ट नहीं है। व्यक्तियोंसे कथंचित् अभिन्न होता हुआ सामान्य एक है अनेक भी है। इसी प्रकार अधर्म और आकाशमें भी सदृशपरिणामरूप जातिका सद्भाव बिना विरोधके संगत हो जाता है। कथंचित् भेद, अभेद, सर्वत्र भर रहे हैं।

तथा क्रमभाविपर्यायत्वं क्रमभाविपर्यायविशेषात्मकमेव, सहभाविगुणत्वं तद्विशेषा-  
त्मकमेवेति वापरसंग्रहाभासां प्रतीतिप्रतिघातादेव । एवमपरापरद्रव्यपर्यायभेदसामान्यानि  
स्वव्यवस्थात्मकान्येवेत्यभिप्रायाः सर्वेणपरसंग्रहाभासाः प्रमाणवाधितत्वादेव बोद्धव्याः  
प्रतीत्यविरुद्धस्यैवापरसंग्रहमपंचस्थावस्थितत्वात् ।

द्रव्य व्यक्तियों और द्रव्यजातियोंका अभेद कह कर अब पर्यायोंका अपनी जातिके साथ अभेद माननेको नयामास कहते हैं। जो कोई प्रतिवादी क्रमभावी पर्यायसामान्यको क्रम क्रमसे होनेवाले विशेष पर्यायों स्वरूप ही कह रहा है, अथवा सहभावी पर्याय गुणत्वको उस गुणत्व सामान्यके विशेष हो रहे अनेक गुण आत्मक ही इष्ट किये बैठा है, ये दोनों भी प्रतीतियों द्वारा प्रतिघात हो जानेसे ही अपरसंग्रहाभास समझने चाहिये। इसी प्रकार और भी आगे आगेके उत्तरोत्तर द्रव्य या पर्यायोंके भेद प्रभेदरूप सामान्य द्रव्यत्व, ( पृथिवीत्व, घटत्व आदिक ) भी अपनी अपनी

व्यक्तियों द्रव्य और पर्यायस्वरूप ही हैं। ये अभिप्राय भी सभी प्रमाणोंसे बाधे गये होनेके कारण ही अपरसंग्रहके आभास सगल्लेने चाहिये। क्योंकि प्रतीतियोंसे नहीं विरुद्ध हो रहे ही पदार्थोंको विशेष करनेवाले नपोंको अपरसंग्रह नयके प्रपंच ( कौटुम्बिकविस्तार ) का व्यवस्था की जा चुकी है।

व्यवहारनयं प्ररूपयति ।

संग्रहनयका वर्णन कर श्री विद्यानन्द स्वामी अब क्रमप्राप्त व्यवहार नयका प्ररूपण करते हैं।

संग्रहेण गृहीतानामर्थानां विधिपूर्वकः ।

यौवहारो विभागः स्याद्यवहारो नयः स्मृतः ॥५८॥

स चानेकप्रकारः स्यादुत्तरः परसंग्रहात् ।

यत्सत्तद्द्रव्यपर्यायाविति प्रागृजुसूत्रतः ॥ ५९ ॥

संग्रह नय करके संग्रह किये जा चुके पदार्थोंका विधिपूर्वक जो अवहार यानी विभाग होगा वह पूर्व आचार्योंकी आश्रय अनुसार व्यवहारनय माना गया है। अर्थात्-विभाग करनेवाला व्यवहारनय है। और वह व्यवहारनय तो परसंग्रहसे उत्तरवर्ती होकर ऋजुसूत्र नयसे पहिले वर्तता हुआ अनेक प्रकारका है। परसंग्रहनयने सत्को विषय किया था। जो सत् है वह द्रव्य और पर्याय रूप है। इस प्रकार विभाग कर जाननेवाला व्यवहारनय है। यद्यपि अपरसंग्रहने भी द्रव्य और पर्यायोंको जान लिया है, किन्तु अपरसंग्रहने सत्का भेद करते हुये उन द्रव्यपर्यायोंको नहीं जाना है। पहिलेसे ही विभागको नहीं करते हुये युगपत् सम्पूर्ण द्रव्योंको जान लिया है। अथवा दूसरे अपरसंग्रहने क्षणिकी सम्पूर्ण पर्यायोंको विषय कर लिया है। किन्तु व्यवहारने विभागको करते हुये जाना है। व्यवहारके उपयोगी हो रहे मले ही महासामान्यके भी भेदोंको जाने, वह व्यवहार नय है।

कल्पनारोपितद्रव्यपर्यायप्रविभागभाक् ।

प्रमाणत्राधितोन्यस्तु तदाभासोऽवसीयताम् ॥६०॥

द्रव्य और पर्यायोंके आरोपित किये गये कल्पित विभागोंको जो नय कदाग्रहपूर्वक धार लेता है वह तो प्रमाणोंसे वाधित होता हुआ इस व्यवहारनयसे न्यारा व्यवहार नयामास जानलेना चाहिये। क्योंकि द्रव्य और पर्यायोंका विभाग कल्पित नहीं है।

परसंग्रहस्तावत्सर्वं सादिति संग्रहाति, व्यवहारस्तु तद्विभागमभिप्रेति यत्सत्तद्द्रव्यं पर्याय इति। यथैवापरसंग्रहः सर्वद्रव्याणि द्रव्यमिति संग्रहाति सर्वपर्यायाः पर्याय इति।

व्यवहारस्तद्विभजते यद्द्रव्यं तज्जीवादिपट्टिधं, यः पर्यायः स द्विविधः क्रमभावी सहभावी चेति ।

सबसे पहिले परसंग्रह तो “ सम्पूर्ण पदार्थ सत् है ” इस प्रकार संग्रह करता है और व्यवहार नय तो उन सत् पदार्थोंके विभाग करनेका यों अभिप्राय रखता है कि जो सत् है वह द्रव्य या पर्याय है तथा जिस ही प्रकार अपर संग्रहनय सम्पूर्ण द्रव्योंको एक द्रव्यपनेसे संग्रह कर लेता है और सम्पूर्ण त्रिलोक त्रिकाळवर्ती पर्यायोंको एक पर्यायपनेसे संग्रह कर लेता है । किन्तु व्यवहार नय तो उस द्रव्य और पर्यायका विभाग यों कर डालता है कि जो द्रव्य है वह जीव पुद्गल, आदि छह प्रकार है और जो पर्याय है वह क्रमभावी और सहभावी इस ढंगसे दो प्रकार है ।

पुनरपि संग्रहः सर्वान् जीवादीन् संगृह्णाति जीवः पुद्गलो धर्मोऽधर्मः आकाशं काळ इति, क्रमशुबन्ध पर्यायान् क्रमभाविपर्याय इति, सहभाविपर्यायास्तु सहभाविपर्याय इति । व्यवहारस्तु तद्विभागमभिप्रैति यो जीवः स मुक्तः संसारी च, यः पुद्गलः सोणुः स्कंधश्च, यो धर्मास्तिकायः स जीवगतिहेतुः पुद्गलगतिहेतुश्च, यस्त्वधर्मास्तिकायः स जीवस्थितिहेतुरजीव स्थितिहेतुश्च पर्यायतो द्रव्यतस्तस्यैकत्वात् । तथा यदाकाशं तल्लोकाकाशमल्लोकाकाशं च, यः कालः स मुख्यो व्यावहारिकश्चेति, यः क्रमभावी पर्यायः स क्रियारूपोऽक्रियारूपश्च, विशेषः यः सहभावी पर्यायः स गुणः सदृशपरिणामश्च सामान्यमिति अपरापरसंग्रहव्यवहारमपंचः प्रागृजुध्वजात्परसंग्रहादुत्तरः प्रतिपत्तव्यः, सर्वस्य वस्तुनः कथंचित्सामान्यविशेषात्मकत्वात् । न चैवं व्यवहारस्य नैगमत्वप्रसक्तिः संग्रहविषयप्रविभागपरत्वात् सर्वत्र नैगमस्य तु गुण-प्रधानोभयविषयत्वात् ।

अपर संग्रहकी एक बार प्रवृत्ति हो चुकनेपर फिर भी उसका व्याप्य हो रहा अपर संग्रह नय तो सम्पूर्ण जीव आदिकोंको जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, और काळ इस प्रकार व्याप्य हो रहे अनेक जीव आदिका संग्रह करता है तथा क्रमसे होनेवाली अनेक सजातीय पर्यायोंको ये क्रमभावी पर्याय हैं इस प्रकार संग्रह करता है एवं सहभावी अनेक जातिवाली पर्यायोंको तो ये सहभावी पर्याय है, इस प्रकार संग्रह करता है । किन्तु यह व्यवहार नय तो उन संग्रह नय द्वारा गृहीत विषयोंके विभाग करने की यों अभिप्राय करता है कि जो जीवद्रव्य है वह मुक्त और संसारी है और जो पुद्गलद्रव्य है वह अणुस्वरूप और स्कन्धस्वरूप है, जो धर्मास्तिकाय है वह जीवकी गतिका कारण और पुद्गलकी गतिका कारण यों दो प्रकार है तथा जो अधर्मास्तिकाय है वह तो जीवोंकी स्थितिका कारण और पांचो अजीवोंकी स्थितिका कारण, यों दो प्रकार या छह प्रकार है । अथवा अधर्मके छह भेद पीछे अपरापर संग्रहसे विभक्तकर व्यवहार करना । धर्म अधर्म द्रव्योंका

द्वैविध्यपना या अनेकपना तो पर्यायोंकी अपेक्षासे ही है। द्रव्यरूपसे वे दोनों एक एक ही हैं तथा जो आकाशद्रव्य है वह लोकाकाश और अलोकाकाशरूप है, जो काष्ठ द्रव्य है, वह अणुस्वरूप मुख्य काष्ठ, और समय आवलिका आदि व्यवहारस्वरूप है। इस प्रकार द्रव्यके भेद प्रमेदोंकर संप्रहृकर व्यवहारनय द्वारा उनका विभाग कर दिया जाता है। मुक्त जीवोंका भी जघन्य अवगाहना-वाळे, मध्यम अवगाहनावाळे, उत्कृष्ट अवगाहना वाळे, या द्वीपसिद्ध, समुद्रसिद्ध, प्रत्येक बुद्ध, बोधित-बुद्ध आदि धर्मोंकरके संप्रहृ कर पुनः व्यवहार नयसे उनका भेदेन प्ररूपण किया जा सकता है। संसारीके व्रत, स्थावर, मनुष्य, स्त्री, देव, नारकी आदि स्वरूप करके संप्रहृ कर पुनः व्यवहार उपयोगी विभाग किया जा सकता है। इसी प्रकार पर्यायोंमें समझना। जो क्रमभावी पर्यायें संगृहीत हुई हैं वह परिस्पंद आत्मक क्रियारूप और अपरिस्पंद आत्मक प्रक्रिया रूप होती हुई विशेष स्वरूप है और जो सहभावी पर्याय है वह नित्यगुणस्वरूप है और सदृश परिणाम आत्मक सामान्य रूप है। यहां भी क्रियारूप पर्यायोंके भ्रमण, तिर्यग्गमन, ऊर्ध्व गमन, आदि भेद किये जा सकते हैं। अक्रियारूप पर्यायोंके ज्ञान, सुख, क्रोध, ध्यान, सामायिक, अध्ययन, आदि भेद हो सकते हैं। गुणोंके भी अनुजीवी, प्रतिजीवी, पर्यायशक्ति, सामान्यगुण, विशेष गुण, ये भेद किये जा सकते हैं। सामान्यका भी गोत्व, पशुत्व, जीवत्व, आदि रूप करके विभाग किया जा सकता है। इस प्रकार उत्तर उत्तर होनेवाला संप्रहृ और व्यवहार नयका प्रपंच ऋजुसूत्र नयसे पहिले पहिले और परसंप्रहृसे उत्तर उत्तर अंशोंकी विवक्षा करनेपर समझ लेना चाहिये। क्योंकि जगत्की सम्पूर्ण वस्तुएं सामान्य और विशेषके साथ कर्षचित् एक आत्मक हो रही है। अतः नयको उपजानेवाळे पुरुषका अभिप्राय सामान्यरूपसे जानकर विशेषोंको जाननेके लिये प्रवृत्त हो जाता है। इस उक्त प्रकार कथन करनेपर व्यवहार नयको नैगमनकेका प्रसंग नहीं आता है। क्योंकि व्यवहार नय तो संप्रहृद्वारा विषय किये जा चुके पदार्थका व्यवहार उपयोगी सर्वत्र बढिया विभाग करनेमें तत्पर हो रहा है और नैगमनय तो अत्यधिक गौण और प्रधान हो रहे दोनों प्रकारके धर्म धर्मियोंको विषय करता है अर्थात्—व्यवहार तो एक सदभूत अंशके भी व्यवहार उपयोगी अंशोंको जानता है। किन्तु नैगम नय तो प्रधानभूत या गौणभूत हो रहे सद, असद, अंश, अंशियोंको जान लेता है। नैगमनयका क्षेत्र व्यवहारसे असंख्य गुणा बडा है।

यः पुनः कल्पनारोपितद्रव्यपर्यायविभागमभिप्रैति स व्यवहाराभासः, प्रमाणवाधितत्वात्। तथाहि—न कल्पनारोपित एव द्रव्यपर्यायप्रविभागः स्वार्थक्रियाहेतुत्वादन्यथा तदनुपपत्तेः बंध्यापुत्रादिवत्। व्यवहारस्य मिथ्यात्वे तदानुकूल्येन प्रमाणानां प्रमाणता च न स्यात्, स्वभादिभिन्नमानुकूल्येनापि तेषां प्रमाणत्वप्रसंगात्। तदुक्तं। “व्यवहारानुकूल्येन प्रमाणानां प्रमाणता, नान्यथा बाध्यमानानां, तेषां च तत्प्रसंगतः ॥” इति।

और जो नय पुनः कल्पनासे आरोपे गये द्रव्य और पर्यायके विभागका अभिप्राय करता है, वह कुनय होता हुआ व्यवहारामास है। क्योंकि यदि द्रव्य और पर्यायके विभागको वास्तविक नहीं माना जावेगा तो प्रमाणोंसे बाधा उपस्थित हो जावेगी। उसीको अनुमान बना कर आचार्य महोदय स्पष्ट दिखलाते हैं कि द्रव्य और पर्यायका अच्छा हो रहा विभाग (पक्ष) कोरी कल्पनाओंसे आरोप किया गया नहीं है (साध्य) अपने अपने द्वारा की जाने योग्य अर्थक्रियाका हेतु होनेसे (हेतु) अन्यथा यानी द्रव्य और पर्यायके विभागको कल्पनासे गढ़ लिया गया माननेपर तो उन कल्पित द्रव्य और पर्यायोंसे उस अर्थक्रियाकी सिद्धि नहीं हो सकेगी, जैसे कि वण्ड्याके पुत्रसे कुटुम्ब संतान नहीं चल सकती है। आकाशके पुष्पसे सुगन्ध प्राप्ति नहीं हो सकती है, इत्यादि (व्यतिरेकदृष्टान्त) यदि द्रव्य या पर्यायोंकी कोरी कल्पना करनेवाले बौद्ध यों कहें कि ये सब अर्थ क्रिया करनेके या " यह अंश द्रव्य है " " इतना अंश पर्याय है " ये सब व्यवहार तो मिथ्या हैं, जैसे कि डुकरियापुरान या किम्बदन्तियां झूठी हुआ करती हैं। अब आचार्य कहते हैं तब तो उस व्यवहारके अनुकूलपने करके मानी गयी प्रमाणोंकी प्रमाणता भी नहीं हो सकेगी, अन्यथा स्वप्न, मूर्च्छित, आदिके भ्रान्त व्यवहारोंकी अनुकूलतासे भी उन स्वप्न आदिके ज्ञानोंको प्रमाणपनका प्रसंग आ जावेगा। वही तुम्हारे ग्रन्थोंमें कहा जा चुका है कि लौकिक व्यवहारोंकी अनुकूलता करके प्रमाणोंका प्रमाणपना व्यवस्थित हो रहा है। दूसरे प्रकारोंसे ज्ञानोंकी प्रमाणता (प्रयानता) नहीं है। अन्य प्रकारोंसे प्रमाणपना माननेपर बाधित किये जा रहे उन स्वप्न ज्ञान या भ्रान्त ज्ञान अथवा संशय ज्ञानोंको भी उस प्रमाणपनेका प्रसंग हो जावेगा। अर्थात्—दिनरात लोकव्यवहारमें आनेवाले कार्य तो द्रव्य और पर्यायोंसे ही किये जा रहे देखे जाते हैं। व्यवहारी मनुष्य लौकिक व्यवहारोंसे ज्ञानकी प्रमाणताको जान लेता है। शीतल वायुसे जलके ज्ञानमें प्रामाण्य जान लिया जाता है। अमुकूच, प्रतिकूच, व्यवहारोंसे शत्रुता, मित्रता, परीक्षित हो जाती है। पठन, पाठन, चर्चा, निर्णायक-शक्तिसे प्रकाण्ड विद्वत्ताका निर्णय कर लिया जाता है। यदि ये व्यवहार मिथ्या होते तो ज्ञानोंकी प्रमाणताके सम्सादक नहीं हो सकते थे। यदि झूठे व्यवहारोंसे ही ज्ञानमें प्रमाणता आने लगेगी तब तो मिथ्याज्ञान भी सबसे ऊंचे प्रमाण बन बैठेंगे। महामूर्ख जन पण्डितोंकी गद्दियोंको हड़प लेंगे। किन्तु ऐसी अन्धे नगरीकी व्यवस्था प्रामाणिक पुरुषोंमें स्वीकार नहीं की गयी है। अतः वास्तविक द्रव्य और पर्यायोंके विभागोंके व्यवहारोंको जता रहे व्यवहारनयका वर्णन यहाँतक समाप्त हो चुका है। तदनुसार श्रद्धा करो, एकान्तको छोड़ो।

साम्तमृजुसूत्रनयनं सूत्रपति ।

व्यवहार नयको कह कर अब वर्तमान काळमें चौथे ऋजुसूत्र नयका श्री विद्यानन्द स्वामी सूचन कराते हैं। जैसे कि श्रीरामे योग्य काठ या तोड़ने योग्य पट्टियामें सूतका सीधा बिहकर इधर



उधरसे दृष्टि वहां ही वेष्टित कर दी जाती है वैसे ऋजुसूत्र नयका विषय वर्तमानकालकी पर्याय नियत है।

ऋजुसूत्रं क्षणध्वंसि वस्तु सत्सूत्रयेदृजु ।

प्राधान्येन गुणीभावाद्द्रव्यस्यानर्पणात्सतः ॥ ६१ ॥

ऋजुसूत्र नय पर्यायको विषय करनेवाला है। क्षणमें ध्वंस होनेवाली वस्तुके सद्भूत व्यक्त रूपका प्रधानता करके ऋजुसूत्र नय अष्टा भूचन ( बोध ) करा देता है। यद्यपि यहां नित्य द्रव्य विद्यमान है तो भी उस सत् द्रव्यकी विवक्षा नहीं करनेसे उसका गौणपना है। अर्थात्—द्रव्यकी भूतपर्यायें तो नष्ट हो चुकी हैं और भविष्यपर्यायें नहीं जाने कब कब उत्पन्न होंगी। अतः यह नय वर्तमानकालकी पर्यायको ही विषय करता है। त्रिकालान्वयी द्रव्यकी विवक्षा नहीं करता है। यद्यपि एक क्षणके पर्यायसे ही पठना, पचना, घोषणा, ध्यान करना, प्रामाण्यको जाना आदिक अनेक लौकिक कार्य नहीं सध सकते हैं। किन्तु यहां केवल इस नयका विषय निरूपण कर दिया है लोक व्यवहार तो सम्पूर्ण नयोंके समुदायसे साधने योग्य है। “ सामग्रीजनिका नैकं कारणं ”।

निराकरोति यद्द्रव्यं बहिरंतश्च सर्वथा ।

स तदाभोऽभिमंतव्यः प्रतीतेरपलापतः ॥ ६२ ॥

जो बौद्धों द्वारा माना गया ज्ञान वर्तमान पर्यायमात्रको ही ग्रहण करता है और बहिरंग अन्तरंग द्रव्योंको समी प्रकारसे खण्डन करता है वह उस ऋजुसूत्र नयका आमास ( कुनय ) मानना चाहिये। क्योंकि बौद्धोंके अभिप्राय अनुसार माननेपर प्रमाण प्रसिद्ध प्रतीतियोंका छिपाना हो जाता है। अर्थात्—सभी पर्यायें द्रव्यसे अन्वित होरही हैं। बिना द्रव्यके परिणाम होना असम्भव है। ऋजुसूत्र मळे ही केवल पर्यायोंको ही जाने, किन्तु द्रव्यका खण्डन नहीं करे।

कार्यकारणता चेति ग्राह्यग्राहकतापि वा ।

वाच्यवाचकता चेति कार्यसाधनदूषणं ॥ ६३ ॥

अन्वित द्रव्योंको नहीं माननेपर बौद्धोंके यहां कार्यकारण भाव अथवा ग्राह्यग्राहक भाव और वाच्यवाचक भाव भी कहाँ बन सकते हैं। ऐसी दशामें-मन्त्र कहां स्वकीय इष्ट अर्थका साधन और परपक्षका दूषण ये विचार बन सकेंगे ? पदार्थोंको कालान्तरस्थायी माननेपर ही कार्यकारण भाव बनता है। कुत्तल, मृत्तिका अनेक क्षणोत्तक ठहरेंगे, तभी घटको बना सकेंगे। क्षणमात्रमें नष्ट होनेवाले तन्तु और कोरिया विचारे बन्धको नहीं बना सकते हैं। ऐसे ही ज्ञान और ज्ञेयमें ग्राह्यग्राहक

भाव या लेन और पानी भरे कलशमें प्राह्यप्राहृत भाव कुछ काळतक उनकी स्थिति माननेपर ही घटित हो पाता है तथा शब्द और अभिव्येयों वाच्यवाचक भाव तभी बन सकता है जब कि शब्द और पदार्थकी कुछ काळतक तो अवश्य स्थिति मानी जाय। वक्ताके मुखप्रदेशपर ही निकलकर नष्ट हो जानेवाले शब्द यदि श्रोताके कानमें ही न जायेंगे तो वक्ता शब्दका संकेत ग्रहण नहीं कर सकता है। उन्हीं शब्दोंका सादृश्य तो व्यवहारकालके शब्दोंमें जाना होगा। वक्ताके द्वारा दिखाया गया अर्थ श्रोताकी आंख उठानेतक नष्ट हो जायगा तो ऐसे क्षणिक अर्थमें वाच्यता कैसे आसकती है ? उसको तुम बौद्ध विचारों। क्षणवर्ती शब्दोंसे श्रोता कुछ भी नहीं समझ सकता है। वादी प्रतिधा-दियोंके कुछ काळतक ठहरनेपर ही स्वपक्षसाधन और परपक्षदूषण सम्भवते हैं, अन्यथा नहीं।

**लोकसंवृत्तिसत्यं च सत्यं च परमार्थतः ।**

**कैवं सिद्ध्येद्यदाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना ॥ ६४ ॥**

तथा इस प्रकार द्रव्यका अपह्नव कर क्षणिक पक्षमें लौकिक व्यवहारसत्य और परमार्थ रूपसे सत्य ये कहाँ सिद्ध हो सकेंगे ? जिसका कि आश्रय कर बौद्धोंके यहाँ बुद्धोंका धर्म उपदेश देना बन सके। अर्थात्—सास्तविक कार्यकारणभाव माने बिना व्यवहारसत्य और परमार्थसत्यका निर्णय नहीं हो सकता है। वाच्यवाचक भाव माने बिना सुगतका धर्मोपदेश कानी कौडीका भी नहीं है।

**सामानाधिकरण्यं क्व विशेषणविशेष्यता ।**

**साध्यसाधनभावो वा काधाराधेयतापि च ॥ ६५ ॥**

त्रिकाळमें अन्वित रहनेवाले द्रव्यको माने बिना सामानाधिकरण नहीं बन सकता है। क्योंकि दो पदार्थ एक वस्तुमें ठहरें तब उन दोनों समान अधिकरणपना होय। सूत्रम, असाधारण, क्षणिक-विशेषोंमें सामानाधिकरणपना असम्भव है। और बौद्धोंके यहाँ विशेषण विशेष्यपना नहीं बन सकता है। कारण कि संयोग सम्बन्धसे पुरुषमें दण्ड ठहरे, तब पाँडे उनका विशेष्यविशेषण भाव माना जाय, किन्तु बौद्धोंके यहाँ कोई पदार्थका कहीं आधार आधेयभाव नहीं माना गया है। विशेष्यको अपने रंगसे रंग देनेवाले धर्मको विशेषण कहते हैं। ये सब कार्य क्षणमात्रमें कथमपि नहीं हो सकते तथा बौद्धोंके यहाँ साध्यसाधनभाव अथवा आधारआधेयभाव भी नहीं घटित हो पाते हैं। साध्यसाधनभावके लिये व्याप्तिग्रहण, पक्षवृत्तित्व ज्ञान, सादृश्यप्रत्यभिज्ञान, व्याप्तिस्मरण, इनकी आवश्यकता है। क्षणिकमें ये कार्य घटित नहीं होते हैं। अवयवी, साधारण, काळान्तरस्वामी, पदार्थोंमें आधारआधेयभाव सम्भवता है। क्षणिक, परमाणु, विशेषोंमें नहीं

संयोगो विप्रयोगो वा क्रियाकारकसंस्थितिः ।

सादृश्यं वैसादृश्यं वा स्वसंतानेतरस्थितिः ॥ ६६ ॥

समुदायः क्व च प्रेत्यभावादिद्रव्यनिह्वे ।

बंधमोक्षव्यवस्था वा सर्वयेष्टाऽप्रसिद्धितः ॥ ६७ ॥

नित्य परिणाभी द्रव्यको नहीं स्वीकार करने पर बौद्धोंके यहां संयोग अथवा विभाग तथा क्रियाकारककी व्यवस्था और सादृश्य, वैसादृश्य अथवा स्वसंतान परसंतानोंकी प्रतिष्ठा एवं समुदाय और मरकर जन्म केना स्वरूप प्रेत्यभाव या साधर्म्य आदिक कहां बन सकेगे ? अथवा बन्ध, मोक्ष, की व्यवस्था कैसे कहां होगी ? क्योंकि सभी प्रकारोंसे इष्ट पदार्थोंकी तुम्हारे यहां प्रसिद्धि नहीं हो रही है । अर्थात्—परस्पर नहीं संसर्गको प्राप्त हो रहे स्वच्छण क्षणिक परमाणुओंके ही माननेपर बौद्धोंके यहां संयोग नहीं बनता है, तब तो संयोगको नाशनेवाला गुण ( धर्म ) विभाग नहीं बन सकेगा । क्रिया, कारककी व्यवस्था तो तभी बनती है, जबकि “ जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपश्चयते, विनश्यति ” ये क्रियायें कुछ काळमें हो सकें । स्वतंत्रपना, बनायागयापना, असाधकतमपना, सम्प्रदानता, अपादानता, अधिकरणता ये क्षणिकपक्षमें नहीं सम्भवते हैं । क्षणिक पक्षमें अहमिद्रोंके समान सभी परमाणुयें न्यारे न्यारे राजा हैं । अतः यह इसका कार्य है, यह इसका कारण है, यह निर्णय करना क्षणिकपक्षमें दुर्घट है । सभी क्षणिक परिणामोंको सर्वथा मिला माननेपर सादृश्यका असम्भव है । वैसादृश्यमें भी कुछ मिळना हो जानेकी आवश्यकता है, तभी विसदृशोंका मात्रवैसादृश्य सम्भव घटित होता है । भैंसा और बैलमें पशुपन, जीवपन या द्रव्यत्वसे सादृश्य होनेपर ही वैसादृश्य शोभता है । लक्ष्मण और रावणमें प्रतियोगित्व (शत्रुभाव) सम्बन्ध था । अपने त्रिकाण्वर्त्ता परिणामोंकी सन्तान और अन्य जीवोंकी सन्ताने तो अन्वेता द्रव्यके माननेपर ही घटित होती है, अन्यथा नहीं । और समुदाय तो अनेक क्षणोंका कथंचित् एकीकरण करनेपर ही बनता है दैशिक समुदाय और कालिक समुदाय तो परिणामोंका कथंचित् एकीभाव माननेपर सम्भवता है तथा मरके जन्म तो वही ले सकेगा जो यहाँसे वहाँतक अन्वित रहेगा । मरा तो कोई क्षण और किसी अन्य क्षणिक परिणामने जन्म ले लिया तो उसका प्रेत्यमान नहीं माना जा सकता है । ऐसी दशामें पुण्य, पापके, भोग भी उसको नहीं मिल सकेगे । इसका अष्टसदृशीमें अच्छा विचार किया गया है । क्वा प्रत्ययवाले वाक्य दो आदि क्रियाओंमें व्यापनेवाले अन्वयी द्रव्यको वाँछते हैं । तथा सर्वर्षपन भी क्षणिक मतमें नहीं प्रसिद्ध होता है । सर्वथा विभिन्न हो रहे विशेष पदार्थोंमें समानता नहीं सम्भवती है । इसी प्रकार क्षणिक पक्षमें बन्ध, मोक्ष तत्त्वकी व्यवस्था नहीं हो सकती है । सर्वथा क्षणिकाचित्त मठा किससे बंध सकेगा ? नाशस्वरूप मोक्षको स्यामाविक माननेपर सम्पत्त्व,

संज्ञा, संज्ञी, वाक्कार्य, कर्म, आदिक आठ हेतुओंसे मोक्ष मानना विरुद्ध पडता है। जो ही बंधा या उसीकी ही मोक्ष नहीं हो सकी। अतः बौद्धोंके यहाँ सभी प्रकारोंसे इष्ट पदार्थोंकी प्राप्ति नहीं हो पाती है। हां, वास्तविक द्रव्य और पर्यायोंके मान लेने पर उक्त सभी व्यवस्था ठीक बन जाती है।

क्षणध्वंसिन एव बहिरंतश्च भावाः क्षणद्वयस्थाण्युत्वेपि तेषां सर्वदा नाशानुपपत्तेः कौटस्थप्रसंगात् क्रमाक्रमारभ्यामर्थक्रियाविरोधादवस्तुतापत्तेः । इति यो द्रव्यं निराकरोति सर्वथा सोऽत्रजुस्रत्राभासो हि मन्तव्यः प्रतीत्यतिक्रमात् । प्रत्यभिज्ञानप्रतीतिर्हि बहिरंतश्चैकं द्रव्यं पूर्वोत्तरपरिणापवर्ति साधयंती बाधविधुरा प्रसाधितैव पुरस्तात् । तस्मिन् सति प्रतिक्षणविनाशस्येष्टत्वात् विनाशानुपपत्तिर्न भावानां कौटस्थापत्तिः यतः सर्वार्थक्रिया विरोधात् अवस्तुता स्यात् ।

बौद्धोंका मन्तव्य है कि सम्पूर्ण बहिरंग अन्तरंग पदार्थ एक क्षण ही ठहरकर द्वितीय क्षणमें ध्वंसको प्राप्त हो जानेवाले हैं। यदि पदार्थोंको एक क्षणसे अधिक दो क्षण भी स्थितिशील मान लिया जायगा तो सदा उन पदार्थोंका नाश हो जाना नहीं बन सकेगा, यानी कभी उनका नाश नहीं हो सकेगा। जो दो क्षण ठहर जायगा वह तीसरे आदि क्षणोंमें भी टिकेगा। ऐसी दशा हो जानेसे पदार्थोंके कूटस्थनित्यपनेका प्रसंग आवेगा। कूटस्थ पक्ष अनुसार क्रम और अक्रमसे अर्थक्रिया होनेका विरोध है। अतः अवस्तुपनका प्रसंग आनायगा। अर्थात्—“द्वितीयक्षणवृत्तिश्चैतप्रतियोगित्वं क्षणिकत्वं” जिसकी दूसरे क्षणमें मृत्यु हो जाती है, वह क्षणिक है। सभी सम्युक्त पदार्थ एक क्षणतक ही जीवित हो रहे हैं। दूसरे क्षणमें उनका समूलचूळ नाश हो जाता है। यदि दूसरे क्षणमें पदार्थका जीवन मान लिया जाय तो तीसरे, चौथे, पांचवें, क्षण आदि भी दूसरे, तीसरे, चौथे आदि क्षणोंकी अपेक्षा दूसरे क्षण हैं। अतः अनन्तकालतक पदार्थ स्थित रहा आवेगा। कभी उसका नाश नहीं हो सकेगा। जैसे कि “आज नगद कळ उधार” देनेवालेको कभी उधार देनेका अवसर नहीं प्राप्त होता है। कूटस्थ पदार्थमें अर्थक्रिया नहीं होनेसे वस्तुत्वकी व्यवस्था नहीं है। अतः पहिले पीछे कुछ भी अव्यय नहीं रखते हुये सभी पदार्थ क्षणिक हैं। इस प्रकार कह रहा जो सौत्रान्तिक बौद्ध त्रिकाळान्वयी द्रव्यका खण्डन कर रहा है। आचार्य कहते हैं कि उसका वह ज्ञान सभी प्रकारोंसे ऋजुसूत्र नयामास नियमसे मानना चाहिये। क्योंकि बौद्धोंके मन्तव्य अनुसार पदार्थोंको क्षणिक माननेपर प्रामाणिक प्रतीतियोंका अतिक्रमण हो जाता है। कारण कि प्रत्यभिज्ञान प्रमाणस्वरूप प्रतीति ही बाधक प्रमाणोंसे रहित होती हुई अपने पहिले पीछे कालके पर्यायोंमें वर्त रहे बहिरंग अन्तरंग एक द्रव्यको सदा रहा हमने पहिले प्रकरणोंमें अच्छे प्रकार सिद्ध करा ही दी है। मात्रार्थ—स्थास, कौश, कुसूळ आदि पर्यायोंमें मिट्टीके समान अनेक बहिर्भूत पर्यायोंमें एक पुद्गल द्रव्यपना व्यवस्थित है। तथा आगे पीछे कालोंमें होनेवाले अनेक ज्ञान सुख इच्छा आदि पर्यायोंमें एक

अन्तरंग आत्मा द्रव्य पुनरुद्घा है। इस नित्यद्रव्यको जाननेवाला साधारणित प्रत्यभिज्ञान प्रमाण कहा जा चुका है। हा, द्रव्यार्थिक नय अनुसार उस अन्वित नित्य द्रव्यको मान चुकनेपर तो पर्यायार्थिक नयसे भावोंका प्रतिक्षण विनाश होना हमें अभीष्ट है। अतः विनाशकी अस्तित्व नहीं हुई, विनाशके मान लेनेपर पदार्थोंके सर्वथा कूटस्थपनका प्रसंग नहीं आ पाता है, जिससे कि कूटस्थ पदार्थमें सभी प्रकारोंसे अर्थक्रिया हो जानेका विरोध हो जानेसे अवस्तुपना आ जाता। अतः द्रव्यको नहीं निवारते हुये क्षणिक पर्यायोंको विषय करनेवाला ऋजुसूत्र नय है और सर्वथा निरन्वय क्षणिक परिणामोंको जाननेवाला ऋजुसूत्र नयामास है।

चोपि च मन्यते परमार्थतः कार्यकारणभावस्याभावात्तु ग्राह्यग्राहकभावो वाच्यवाचकभावो वा यतो वहिरर्थः सिद्धेतु। विज्ञानमात्रं तु सर्वमिदं त्रैधातुकमिति, सोपि चर्जुसूत्राभासः स्वपरपक्षसाधनदूषणाभावप्रसंगात्।

जो भी योगाचार बौद्ध यों मान रहा है कि वास्तविक रूपसे विचार जाय तो न कोई किसीका कारण है और कोई किसीका कार्य भी नहीं है। हमारे भाई सौत्रान्तिकके यह विषयको कारण और ज्ञानको कार्य माना गया है। किन्तु कार्यकारणभावके नहीं बनेसे ग्राह्यग्राहक भाव भी हम शुद्धसम्बेदानादितवादियोंके यहां नहीं बनता है और वाच्यवाचकभाव भी हमारे यहां नहीं माना गया है। जिससे कि बहिरंग अर्थोंकी सिद्धि हो सके। यह सम्पूर्ण जगत् तो केवल विज्ञान स्वरूप है। कार्यकारणभाव या ग्राह्यग्राहकभाव अथवा वाच्यवाचकभाव इन तीनों धातुओंका समुदाय विज्ञानमय है। शुद्ध विज्ञानके अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मान रहे योगाचारका वह विचार भी ऋजुसूत्र नयामास है। क्योंकि कार्यकारणभाव आदिको वास्तविक माने विना स्वपक्षके साधन और परपक्षके दूषण देनेके अभावका प्रसंग हो जावेगा। ज्ञेयज्ञायक माननेपर और वाच्यवाचक माननेपर स्वपक्षसिद्धि और परपक्षदूषणको वचन द्वारा समझा जा सकता है, अन्यथा नहीं।

लोकर्मवृत्त्या स्वपक्षस्य साधनात् परपक्षस्य बाधनात् दूषणाददोष इति चेन्न, लोकसंश्रुतिसत्त्वस्य परमार्थसत्यस्य च प्रमाणनोसिद्धेः तदाश्रयणेनापि बुद्धानामधर्मदेशनादूषणद्वारेण धर्मदेशनानुपपत्तेः।

कल्पित लोकव्यवहारसे स्वपक्षका साधन और परपक्षका बाधन हो जानेसे दूषण दे दिया जाता है। अतः कोई दोष नहीं है। अब आचार्य कहते हैं कि इन विज्ञानादितवादियोंको यह तो नहीं कहना चाहिये। क्योंकि लौकिक व्यवहारसे सत्य हो रहे और परमार्थरूपसे सत्य हो रहे पदार्थकी तुल्यता यहाँ प्रमाणोंसे सिद्धि नहीं हो सक्ती है। अतः उस लोकव्यवहारका आश्रय करनेसे भी शुद्ध मगवानोंका अधर्म उपदेशके दूषणद्वारा धर्म उपदेश देना नहीं बन सकता है। अर्थात्—धर्मका

उपदेश तभी सिद्ध हो पाता है, जब कि अधर्मके उपदेशमें दूषण उठाये जा सकें। ये सब वाच्य-वाचक भाव माननेपर और लोकव्यवहारको सत्य माननेपर सध सकता है। अन्यथा नहीं। और यों मान लेनेसे तो योगाचारके यद्वा द्वैतपनका प्रसंग आया।

एतेन चित्राद्वैतं, संवेदनाद्वैतं, क्षणिकमित्यपि मननमृजुसूत्राभासतामायातीत्युक्तं वेदितव्यं।

इस उक्त कथनसे बौद्धोंका चित्राद्वैत अथवा संवेदनाद्वैतको क्षणिक मानना यह भी ऋजु-सूत्राभासपनेको प्राप्त हो जाता है, यह कह दिया गया समस्त लेना चाहिये। अर्थात्-ज्ञानके नीलाकार, पीताकार, हरित आकार, क्षणिकत्व आकार, विशेष आकार, इन आकारोंका पृथक् विवेचन नहीं किया जा सकता है। अतः स्वयं रुचती हुयी चित्रताको धारनेवाला यह चित्राद्वैत ज्ञान है, ऐसा बाद भी कुनय है। ब्राह्म, प्राह्मक, सञ्चित्ति इन तीनों विषयोंसे रहित माना जा रहा शुद्ध संवेदन अद्वैत भी ऋजुसूत्रका कुनय जान लेना चाहिये।

किं च सामानाधिकरण्याभावो द्रव्यस्योभयाधारभूतस्य निह्ववात्। तथा च कुतः शब्दादेर्विशेष्यता क्षणिकत्वकृतकत्वादेः साध्यसाधनधर्मकलापस्य च तद्विशेषणता सिध्येत् तदसिद्धौ च न साध्यसाधनभावः साधनस्य पक्षधर्मत्वसपक्षसत्त्वानुपपत्तेः। कल्पनारो-पितस्य साध्यसाधनभावस्त्वेष्टरोष इति चेन्न, बहिरर्थत्वकल्पनायाः साध्यसाधनधर्मा-धारानुपपत्तेः, क्वचिदप्याधाराधेयतायाः संभवाभावात्।

क्षणिकवादी बौद्धोंके यहाँ दूसरे ये दोष भी आते हैं कि क्षणिक परमाणुरूप पक्षमें समान अधिकरणपना नहीं बनता है। क्योंकि दो परिणामोंके आधारभूत समानद्रव्यको स्वीकार नहीं किया गया है और तैसा होनेपर शब्द आदिको विशेष्यपना नहीं सिद्ध हो सकेगा। तथा क्षणिकत्व आदिक साध्य और कृतकत्व आदिक साधनभूत धर्मोंके समुदायको उन शब्द आदि पक्षका विशेषणपना नहीं बन पावेगा और जब विशेष्यविशेषण भाव सिद्ध नहीं हो सका तो क्षणिकत्व और कृतकत्वमें साध्य, हेतु, पना नहीं बन सका। ऐसी दशामें हेतुके धर्म माने गये पक्षवृत्तित्व और सपक्षसत्व नहीं सिद्ध हो पाते हैं। अर्थात्-शब्द (पक्ष) क्षणिक है (साध्य) कृतक होनेसे (हेतु) यहाँ अनुमान प्रयोगमें पक्ष विशेष्य होता है। साध्य और हेतु उसमें विशेषण होकर रहते हैं। हेतुमें पक्षवृत्तित्व, सपक्षसत्व और विपक्षव्यावृत्तत्व ये तीन धर्म रहते हैं तथा पक्षमें रहनेकी अपेक्षा हेतु और साध्यका सामानाधिकरण्य है। अतः हेतुमें ठहरनेकी अपेक्षा पक्षसत्व, सपक्षसत्व, विपक्षव्यावृत्ति इन तीनों धर्मोंमें समानअधिकरणपना है। काळान्तरस्थायी सामान्य पदार्थ या द्रव्यके माननेपर ही सामानाधिकरणपना बनता है, अन्यथा नहीं। यदि बौद्ध यों कहें कि कल्पनासे आरोप कर लिया गया साध्यसाधन भाव हमको अभीष्ट है, अतः कोई दोष नहीं है। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं

कहना । क्योंकि बहिरंग अर्थपनेकी कल्पनाको साध्यधर्म और साधनधर्मका आधारपना नहीं बन सकता है । तुम्हारे यहाँ कहीं भी तो वास्तविक रूपसे आधार, आवेय, भावकी सम्भावना नहीं मानी गयी है । क्वचित् मूढ्यरूपसे सिद्ध हो रहे पदार्थका अन्यत्र उपचार कर लिया जा सकता है । सर्वथा कल्पितपदार्थ तो किसीका आधार नहीं हो सकता है । लोकमें पतनका प्रतिबन्ध करनेवाले वस्तुभूत पदार्थको किसीका आधार माना गया है । कल्पित धंमा सतखनी ह्वेदीके बोधको नहीं बाट सकता है । अतः क्षणिक पक्षमें आधार आवेयभाव नहीं बना ।

किं च, संयोगविभागाभावो द्रव्याभावात् क्रियाविरहश्च ततो न कारकव्यवस्था यतः किञ्चित्परमार्थतोऽर्थक्रियाकारि वस्तु स्यात् । सदृशेतरपरिणामाभावश्च परिणामिनो द्रव्यस्यापह्नवात् । ततः स्वपरमंतानव्यवस्थितिविरोधः सदृशेतरकार्यकारणानामत्यंतमसंभवात् । समुदायायोगश्च, समुदायिनो द्रव्यस्यानेकस्यासमुदायावस्थापरित्यागपूर्वकसमुदायावस्थाप्राप्ताददानस्यापह्नवात् । तत एव न प्रेत्यभावः शुभाशुभानुष्ठानं तत्फलं च पुण्यं पापं वंधो वा व्यवतिष्ठते यतो संसारमोक्षव्यवस्था तत्र स्यात् सर्वयापीष्टस्याप्रसिद्धेः ।

और भी यह बात है कि बौद्धोंके यहाँ द्रव्य नहीं माननेसे संयोग और विभागका अभाव हो जाता है तथा क्षणिक पक्षमें क्रियाका विरह है, तिस कारणसे क्रियाकी अपेक्षा होनेवाले कारकोंकी व्यवस्था नहीं हो पाती है । जिससे कि कोई वस्तु वास्तविकरूपसे अर्थक्रियाको करनेवाली हो जाती । तथा बौद्धोंके यहाँ परिणामी द्रव्यका अपह्नव (छिपाना) करनेसे सदृश परिणाम (सादृश्य) और विसदृश परिणाम (वैसादृश्य) का अभाव हो जाता है और ऐसा हो जानेसे अपने पूर्व अपर क्षणोंके संतानकी व्यवस्थाका और दूसरोंके चित्तोंके सन्तानकी व्यवस्था कर देनेका विरोध आता है । क्योंकि सदृश कार्य कारणों और विसदृश कार्यकारणोंका तुम्हारे यहाँ अत्यन्त असम्भव है । ऐसी दशामें सन्तानोंका सांकर्य हो जानेसे तुम स्वयं अपने डीठमें स्थिर नहीं रह सकते हो । तथा क्षणिक पक्षमें समुदाय नहीं बन सकता है । क्योंकि अनेकमें स्थिर हो रहे और असमुदाय अवस्थाका परित्यागपूर्वक समुदाय अवस्थाको प्रहण कर रहे एक समुदायी द्रव्यका जान बूझकर छिपान किया गया है । तिस ही कारण यानी एक अन्वेता द्रव्यके नहीं स्वीकार करनेसे बौद्धोंके यहाँ मर कर जन्म लेना या शुभ, अशुभ, कर्मोंका अनुष्ठान करना अथवा उन शुभाशुभ कर्मोंका फल पुण्य, पाप, प्राप्त होना, तथैव उन पुण्य, पापका, आत्माके साथ बन्ध हो जाना आदिकी व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिससे कि उस क्षणिक पक्षमें संसार और मोक्षकी व्यवस्था बन सके । सभी प्रकारोंसे श्द हो रहे पदार्थोंकी प्रसिद्धि नहीं हो सकी है । अतः बौद्धोंके विचार दुःख हैं ।

संभृत्या हि नेष्टस्य सिद्धिः संभृतेर्मृपात्वात् । नापि परमार्थतः पारमार्थिकैकद्रव्यसिद्धिमसंगात् तदभावे तदनुपपत्तेरिति परीक्षितमसकृद्भिद्यानंदिप्रहोदये ।

व्यावहारिक कल्पना करके तो तुम बौद्धोंके यहां इष्ट पदार्थकी सिद्धि नहीं हो सकती है। क्योंकि संवृत्तिको झूठा माना गया है। और वास्तविकरूपसे भी तुम्हारे यहां इष्ट तत्त्वोंकी सिद्धि नहीं हो सकती है। क्योंकि यों तो परमार्थभूत हो रहे एक अत्रित त्रिकावर्ती द्रव्यकी सिद्धि हो जानेका प्रसंग हो जावेगा। उस परिणामी अन्वेता द्रव्यको नहीं माननेपर तो वास्तविक इष्ट हो रहे धर्मोपदेश, साध्यसाधनभाव, प्रेत्यभाव, बन्ध, मोक्ष, आदि इष्टपदार्थोंकी सिद्धि नहीं हो सकेगी। इस सिद्धान्तकी हम हमारे बनाये हुये “विद्यानन्दमहोदय” नामक ग्रन्थमें कई बार परीक्षा कर चुके हैं। विशेष जिज्ञासुओंको उस ग्रन्थका अध्ययन कर अपनी तृप्ति कर लेनी चाहिये। यहां अधिक विस्तार नहीं किया जाता है।

**शब्दनयमुपवर्णयति ।**

चार अर्थ नयोंका वर्णन कर अब श्री विद्यानन्द स्वामी शब्दनयका सुमधुर वर्णन करते हैं।

**कालादिभेदतोर्यस्य भेदं यः प्रतिपादयेत् ।**

**सोत्र शब्दनयः शब्दप्रधानत्वादुदाहृतः ॥ ६८ ॥**

जो नय काल, कारक, लिंग आदिके भेदसे अर्थके भेदको समझा देता है, वह नय यहां शब्दकी प्रधानतासे शब्दनय कहा दिया गया है। अर्थात्—शब्दके वाच्य अर्थपर दृष्टि करानेकी अपेक्षा यह नय शब्दनय है। पहिलेके चार नयोंकी दृष्टि शब्दके वाच्य अर्थका लक्ष्य रखते हुये नहीं थी। “शब्दप्रधानो नयः शब्दनयः” “अर्थप्रधानो नयः अर्थनयः”।

कालकारकलिंगसंख्यासाधनोपग्रहभेदाद्भिन्नमर्थं शपतीति शब्दो नयः शब्दप्रधानत्वादुदाहृतः । यस्तु व्यवहारनयः कालादिभेदेष्वभिन्नमर्थमभिप्रैति तमनूय दूपयन्नाह ।

भूत, भविष्यत्, वर्तमान, काल या कर्म, कर्ता, कारण, आदि कारक अथवा स्त्री, पुं, नपुंसकलिंग, तथा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संख्या और अस्मद् युष्मद् अन्य पुरुषके अनुसार उत्तम, मध्यम, प्रथम, पुरुष संज्ञाओंका साधन एवं प्र, परा, उप, सम् आदि उपसर्ग, इस प्रकार इन काल आदिके भेदोंसे जो नय भिन्न अर्थको चिह्नाता हुआ समझा रहा है, यों यह शब्दनयका निरुक्तिसे अर्थ लब्ध हो जाता है। शब्दकी प्रधानतासे शब्दनय कहा गया है। और इसके पूर्वमें जो व्यवहारनय कहा गया है, वह तो काठ, आदिके भेद होनेपर भी अभिन्न अर्थको समझानेका अभिप्राय रखता है। उस व्यवहार नयको अनुवाद कर श्रीविद्यानन्द स्वामी दूषित कराते हुये स्पष्ट कथन करते हैं।

**विश्वह्वास्य जनिता सूनुरित्येकमाहताः ।**

**पदार्थं कालभेदेपि व्यवहारानुरोधतः ॥ ६९ ॥**



करोति क्रियते पुण्यस्तारकऽऽपोंऽम इत्यपि ।

कारकव्यक्तिसंख्यानां भेदेपि च परे जनाः ॥ ७० ॥

एहि मन्ये रथेनेत्यादिकसाधनभिद्यपि ।

संतिष्ठेतावतिष्ठेतेत्याद्युपग्रहभेदने ॥ ७१ ॥

तन्न श्रेयः परीक्षायामिति शब्दः प्रकाशयेत् ।

कालादिभेदनेप्यर्थाभेदनेतिप्रसंगतः ॥ ७२ ॥

विधं दृष्टवान् इति विश्वदृशा, जो सम्पूर्ण जगत्को पहिले देख चुका है, वह विश्वदृशा कदा जाता है। जनिता यह “जनी प्रादुर्भवे” वातुके लुट् लकारका भविष्यकालका व्यंजक रूप है। भूतकालसम्बन्धी विश्वदृशा और भविष्यकालसम्बन्धी जनिताका समानाधिकरण होकर अन्वय हो जाना विरुद्ध है। किन्तु व्यवहारके अनुसार कालभेद होनेपर भी इस सिद्धार्थ राजाके “विश्वको देख चुका पुत्र होगा” इस प्रकार एक ही पदार्थका सादर ग्रहण किया जा चुका है। भावार्थ—व्यवहारनय विश्वदृशा और जनिता पदोंका समानाधिकरण्य कर एक अर्थ जोड़ देती है। इसमें विशिष्ट चमत्कारके अर्थको निकालना व्यवहारनयको अमिप्रेत नहीं है। जो ही विश्व दृश्य-तिका अर्थ है, वही विश्वदृशाका अर्थ घटित हो जाता है। न्यारे न्यारे कालोंका विशेषण लग जानेसे अर्थमें भेद नहीं हो जाता है। तथा “देवदत्तः कटं करोति” देवदत्त चटाईको चुनता है और “देवदत्तः कटः क्रियते” देवदत्त करके चटाई चुनी जा रही है, यहां स्वतंत्रता और पराधीनताका भेद होते हुये भी व्यवहारनय उक्त दोनों वाक्योंका एक ही अर्थ माने हुये है। कर्ता-कारक और कर्मकारकके भेदसे अर्थका भेद नहीं हो जाता है। तथा एक व्यक्ति पुण्यनक्षत्र, और तारका अनेक व्यक्ति, इस प्रकार एक अनेक या पुंलिंग, खीलिंगका, भेद होनेपर भी दूसरे मनुष्य यहां अर्थभेद नहीं मानते हैं। ऐसे ही “आप” यह शब्द बहुवचन है, खीलिंग है और “अमः” शब्द एकवचन है नपुंसकलिंग है। ये दोनों शब्द पानीको कहते हैं। यहां भी लिंग और संख्याके भेद होनेपर भी अनेक मनुष्य व्यवहार नयके अनुसार अर्थभेदको नहीं मानते हैं। तथा “ये बालक इधर आओ” तुम यह समझते होगे कि मैं रथपर चढ़कर जाऊंगा, किन्तु अब तुम समझो कि मैं नहीं जा सकूंगा। तुम्हारा पिता चढा गया। (तथा बाप भी कर्मो गया या!), ऐसे उपहासके प्रकरणपर मध्यमपुरुषके स्थानपर उत्तमपुरुष और उत्तमपुरुषके स्थानपर मध्यमपुरुष हो जाता है। मध्यमपुरुष “मन्यते के स्थान पर उत्तमपुरुष “मन्ये” हो गया है और वार्यामि के स्थानपर वार्यसि हो गया है। यहां साग्नका भेद होनेपर भी व्यवहार-

नय की अपेक्षा कोई अर्थभेद नहीं माना गया है। “मन्यसे, यास्यामि” का जो अर्थ निकलता है, वही “मन्ये” “यास्पति” का अर्थ है। किन्तु शब्दनयके अनुसार दूसरेके मानसिक विचारोंका अनुवाद करनेमें या हंसीमें ऐसा परिवर्तन हुआ है। व्याकरणमें युष्मत्, अस्मत् का ही बदलना कहा है, प्रथम पुरुषका भी सम्भव जाता है। देखिये, एक मित्र दूसरेसे कह रहा है कि वह तीसरा देवदत्त मनमें विचारता होगा कि मैं रथमें बैठ कर जाऊंगा, किन्तु नहीं जायगा उसका पिता गया। ‘एतु मन्ये रथेन यास्पति यातस्ते पिता’ यहां मन्यतेके स्थानपर मन्ये और यास्यामिके बदले यास्पति हो सकता है। किन्तु इसका निषेध कर दिया है। तथा “समवप्रविभ्यः स्यः” इस सूत्रसे आत्मने पद कनेपर संतिष्ठेत, अवतिष्ठेत, प्रतिष्ठेत, या संहरति, विहरति, परिहरति, आहरति, यहां उपसर्गोंके भेद होनेपर भी स्थूलबुद्धि व्यवहारियोंके यहां एक ही अर्थ सगन्ना जा रहा है। “उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते” इस नियमको माननेके लिये वे वाच्य नहीं होना चाहते हैं। किन्तु ये उक्त प्रकार उनके मन्तव्य परीक्षा कनेपर श्रेष्ठ नहीं ठहर सकेंगे। इस प्रकार शब्दनय प्रकाशित कर देवेगा। क्योंकि काल, कारक आदिके भेद होनेपर भी यदि अर्थका भेद नहीं माना जायगा तो अतिप्रसंग हो जावेगा। तू और तुम या आहार और परिहार, पठ्यते, पठामि इत्यादिके प्रसिद्ध हो रहे मित्र मित्र अर्थोंके एक हो जानेसे जगत्में अनर्थ हो जावेगा। समर्थ भी व्यर्थ हो जावेगा।

ये हि वैयाकरणव्यवहारनयानुरोधेन ‘धातुसंबन्धे प्रत्यया’ इति सूत्रमारभ्य विश्वह्वा-  
स्वास्य पुत्रो जनित्वा भावि कृत्यमासीदित्यत्र कालभेदेऽप्येकपदार्थमाहता यो विश्वं दृश्यति  
सोस्य पुत्रो जनितेति भविष्यत्कालेनातीतकालस्याभेदोभिमतः तथा व्यवहारदर्शनादिति ।  
तत्र श्रेयः परीक्षायां मूलभूतेः कालभेदेऽप्यर्थस्याभेदेऽतिप्रसंगात् रावणशंखचक्रवर्तिनोरप्य-  
तीतानागतकालयोरैकत्वापत्तेः । आसीद्वावणो राजा शंखचक्रवर्ती भविष्यतीति शङ्खयो-  
र्भिन्नविषयत्वान्नैकार्थतेति चेत्, विश्वह्वा जनितेत्यनयोरपि मा भूत् तत एव । न हि  
विश्वं दृष्टवानिति विश्वहश्चेतिशङ्खस्य योर्योतीतकालस्य जनितेति शङ्खस्यानागतकालः ।  
पुत्रस्य भाविनोतीतत्वविरोधात् । अतीतकालस्याप्यनागतत्वाभ्यारोपादेकार्थताभिप्रेतेति  
चेत्, तर्हि न परमार्थतः कालभेदेऽप्यभिन्नार्थव्यवस्था ।

जो भी कोई पण्डित व्याकरणशास्त्र जाननेवालोंके व्यवहारकी नीतिके अनुरोधसे यों अर्थ मान बैठे हैं, लकारार्थ प्रकियाके “धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः” धातुके अर्थोंके सम्बन्धमें जिस कालमें जो प्रत्यय पूर्व सूत्रोंमें कहे गये हैं, वे प्रत्यय उन कालोंसे अन्य कालोंमें भी हो जाते हैं, इस सूत्रका आरम्भ कर विद्वको देख चुकनेवाला पुत्र इसके होगा या दोनद्वार जो कर्तव्य होने-  
वाला या वह होगया, चार दिन पीछे आनेवाली चतुर्दशी एक तिथिका क्षय हो जानेसे तीन दिन

पीछे ही आगई, ऐसे इन प्रयोगोंमें कालभेद होनेपर भी एक ही वाच्यार्थका वे पण्डित आदर कर मान बैठे हैं । जो सम्पूर्ण जगत्को देखेगा वह प्रसिद्ध पुत्र इस ( महासेन राजा ) के होगा, इस प्रकार मविष्यमें होनेवाले कालके साथ अतीतकालका अभेद मान लिया गया है । क्योंकि स्थूल बुद्धि-वालोंकी मातृमायामें तिस प्रकारका व्यवहार हो रहा देखा जाता है । प्रमुने किसी मृत्युको द्वितीयाके दिन आइया दी की एकादशीको तुम दूसरे गांवको जाना, वहां टाकुओंका प्रस्थ करना है । अपने कुटुम्बमें ही रहते हुये भृत्यको प्रामान्तरको जाना अर्माष्ट नहीं था । वह नौमीको विचारता है कि अरे, बहुत शीघ्र परसों हि एकादशी हो गई खेद है । “ श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगद् जग-निवासो वसुदेव सद्गुणि । वसन्ददर्शवितरन्तमम्बराद्दधिरण्यगर्भागमुचं मुनि हरिः ” इत्यादि स्थलोंपर वसन् ( वर्तमानकाल ) और ददर्श ( भूतकाल ) के भेद होनेपर भी एक अर्थकी संगति कर दी गयी है । अब शब्दनयका आश्रय कर आचार्य महाराज कहते हैं कि परीक्षा करनेपर वह बेयाकरणोंका मन्तव्य श्रेष्ठ नहीं ठहरता है, इसमें मूलसिद्धान्तकी क्षति हो जाती है । यदि कालका भेद होनेपर भी अर्थका भेद नहीं माना जावेगा तो अतिप्रसंग दोष होगा । अतीतकालसम्बन्धी रावण और मविष्य कालमें होनेवाले शंख नामक चक्रवर्तीका एकपना प्राप्त हो जावेगा । अर्थात्—रावण और चक्रवर्ती दोनों एक व्यक्ति बन बैठेंगे । कोई इस प्रसंगका यों वारण करना चाहता है कि रावण राजा पूर्वकालमें हुआ था और शंखनामक चक्रवर्ती मविष्यकालमें होगा । इस प्रकार दो शब्दोंकी भिन्न भिन्न अर्थोंमें विषयता है । इस कारण दोनों राजा एक व्यक्तिरूप अर्थ नहीं पाते हैं । आचार्य कहते हैं कि यों कहनेपर तो प्रकरणमें विश्वदृष्टा ( भूतकाल ) और जानिता ( मविष्य-काल ) इन दो शब्दोंका भी तिस ही कारण यानों भिन्न भिन्न अर्थको विषय कर देनेसे ही एक अर्थपना नहीं होओ । कारण कि देखो जो सबको देख चुका है, ऐसे इस विश्वदृष्टा शब्दका जो अर्थ भूतकाल सम्बन्धी पुरुष होता है, वह मविष्यकाल सम्बन्धी उत्पन्न होवेगा, इस जानिता शब्दका अर्थ नहीं है । मविष्यकालमें होनेवाले पुत्रको अतीतकाल सम्बन्धीपन-का विरोध है । जैसे कि स्वर्ग और पाताळके कुञ्जवे नहीं मिळाये जा सकते हैं, उसी प्रकार कोई भी पुत्र एक टांग चिर अतीतकाल की नावपर और दूसरी टांगको मविष्यकालकी नावपर धरकर नहीं जन्मता है । फिर भी यदि कोई यों कहे कि भूतकालमें मविष्यकालपनेका अप्यारोप करनेसे दोनों शब्दोंका एक अर्थ अर्माष्ट कर लिया गया है, तब तो हम कहेंगे कि कालभेद होनेपर भी वास्तविकरूपसे अर्थोंके अभेदकी व्यवस्था नहीं हो सकी । वसु, यही तो शब्दनयद्वारा हमें समझाना है । भिन्न दृश्यति सोऽस्य पुत्रो जनिता इसके सरळ अर्थसे विश्वदृष्टास्य पुत्रो जनिता इतका अर्थ चमत्कारक है । “तुम पढोगे और मैं तुमको देखूंगा” इसकी अपेक्षा पढ चुकेहुये तुमको मैं देखूंगा, इसका अर्थ विलक्षण प्रतीत हो रहा है । योहेसे चमत्कारसे ही साक्ष्यकारता आ जाती है । साहित्य कथामें और क्या खया है ! प्रकृष्ट विद्वान् तो “शाखेऽप्य भ्रष्टाः कवयो भवन्ति” ऐसा वदना करते हैं ।

तथा करोति क्रियते इति कारकयोः कर्तृकर्मणोर्भेदेष्वभिन्नमर्थत एवाद्वियंते स एव करोति किञ्चित् स एव क्रियते केनचिदिति प्रतीतेरिति । तदपि न श्रेयः परीक्षायां । देवदत्तः कटं करोतीत्यत्रापि कर्तृकर्मणोर्देवदत्तकटयोरभेदप्रसंगात् ।

तिस्र ही प्रकार वे वैयाकरण जन " करोति " इस दशगणीके प्रयोगकी संगतिको करनेवाले कर्त्ता कारक और किया जाय जो इस प्रकार कर्म प्रक्रियाके पद की संगति रखनेवाले कर्मकारक इन दो कारकोंका भेद होनेपर भी अभिन्न अर्थका आदरपूर्वक ग्रहण कर रहे हैं । देवदत्त किसी अर्थको कर रहा है, इसका जो हि अर्थ है और किमी देवदत्त करके कुछ किया जाता है, इसका भी वही अर्थ है, ऐसी प्रतीति हो रही है । इस प्रकार वैयाकरणोंके कहनेपर आचार्य कहते हैं कि परीक्षा करने पर वह भी श्रेष्ठ नहीं ठहर पायेगा । क्योंकि यों कर्त्ता और कर्मके अमेद माननेपर तो देवदत्त चटाईको रचता है । इस स्थळमें भी कर्त्ता हो रहे देवदत्त और कर्म बन रहे चटाईके अमेद हो जानेका प्रसंग हो जावेगा । अतः स्वार्तस्य या परतंत्रताको पुष्ट करते हुड़े यहां भिन्न भिन्न अर्थका मानना आवश्यक है ।

तथा पुष्पस्तारके (का इ) त्यत्र व्यक्तिभेदेपि तत्कृतार्थमेकमाद्वियंते, लिंगमश्लिष्यं लोकाश्रयत्वादिति । तदपि न श्रेयः, पटकुटीत्यत्रापि पटकुट्योरेकत्वप्रसंगात् तल्लिङ्गभेदाविशेषात् ।

तिसी प्रकार वे वैयाकरण पुष्पनक्षत्र तारा है, यहां व्यक्तियों या लिंगके भेद होनेपर भी उनके द्वारा किये गये एक ही अर्थका आदर कर रहे हैं । कई ताराओंका मिळ कर बना एक पुष्पनक्षत्र माना गया है । तथा पुष्प शब्द पुल्लिङ्ग है, और तारका शब्द स्त्रीलिंग है । फिर भी दोनोंका अर्थ एक है । उन व्याकरणवेत्ताओंका अनुभव है कि लिंगका विवेचन कराना शिक्षा देने योग्य नहीं है । किसी शब्दके लिंगका नियत करना लोकके आश्रय है । लोकमें अग्नि शब्द स्त्रीलिंग कहा जाता है । किन्तु शास्त्रमें पुल्लिङ्ग है, विधि शब्दका भी यही हाल है । इंद्रजीमें चंद्रमाको स्त्रीलिंग माना गया है । एक ही स्त्रीको कहनेवाले दार स्त्री, कलत्र, शब्द न्यारे लिंगोंको धार रहे हैं । आयुधविशेषको कहनेवाला शक्ति शब्द स्त्रीलिंग है । अल्ल शब्द नपुंसकलिंग है । अब आचार्य कहते हैं कि वह वैयाकरणका कथन भी श्रेष्ठ नहीं है । क्योंकि व्यक्ति या लिंगका भेद होनेपर भी यदि अर्थमें भेद नहीं माना जायगा तो पुल्लिङ्ग पट और स्त्रीलिंग घटिया या छोपड़ी यहा भी पट और कुटीके एक हो जानेका प्रसंग हो जायगा । क्योंकि उन शब्दोंके लिंगका भेद तो अन्तररहित है, यानी जैसा पुष्प और तारकामें लिंगका भेद है, वैसा ही पट और कुटीमें लिंगका भेद है । फिर इनका एक अर्थ क्यों नहीं मान लिया जावे ।

तथापिभ इत्यत्र संख्याभेदेष्वेकमर्थं जलाख्यमाहताः संख्याभेदस्याभेदकत्वात् गुर्वादिवदिति । तदपि न श्रेयः परीक्षायां । घटस्तंतव इत्यत्रापि तथाभावानुपंगात् संख्याभेदाविशेषात् ।

तिसी प्रकार वे वैयाकरण “ आपः ” इस खीलिङ्ग बहुवचन शब्द और “ अम्भः ” इस नपुंसकलिङ्ग एक वचन शब्द यहाँ संख्या भेद होनेपर एक जल नामक अर्थका आदरण कर बैठ गये हैं । उनके यहाँ संख्याका भेद अर्थका भेदक नहीं माना गया है, जैसे कि गुरु, साधन आदि में संख्याका भेद होनेपर अर्थ भेद नहीं है । अर्थात्—“ लोष्टेष्टिकापायाणः गुरुः ” मृत्तिकादण्ड-कुलालाः घटसाधनं ” “ अन्नप्राणाः ” “ गुरुवः सन्ति ” यहाँ संख्या भेद होनेपर भी अर्थभेद नहीं है । एक गुरु व्यक्तिको या राजाको बहुवचनसे कहा जाता है । इसपर आचार्य कहते हैं कि वह वैयाकरणोंका कथन भी परीक्षाकी कसौटीपर श्रेष्ठ नहीं उतरता है । देखो, यों तो एक घट और अनेक तंतुयें यहाँ भी संख्याके भेदसे तिस प्रकार एकपन हो जानेका प्रसंग होगा । क्योंकि संख्या का भेद “ आपः ” और “ जल ” के समान घट और तंतुओंमें एकसा है । यहाँ यहाँ कोई विशेषता नहीं है । किन्तु एक घट और अनेक तंतुओंका एक अर्थ किसीने भी नहीं स्वीकार किया है । अतः शब्दनय संख्याका भेद होनेपर अर्थके भेदको व्यक्तरूपसे बता रहा है ।

एहि मन्ये रथेन यास्यसि न हि यास्यसि स यातस्ते पिता इति साधनभेदेपि पदार्थमभिन्नमाहताः “ महासे मन्यवाचि युपनन्मन्यतेरस्मदेकवच ” इति वचनात् । तदपि न श्रेयः परीक्षायां, अहं पचामि त्वं पचसीत्यत्रापि अस्मद्युष्मत्साधनाभेदेऽप्येकार्थत्व-प्रसंगात् ।

हे विदूषक, इधर आओ, तुम मनमें मान रहे होगे कि मैं उत्तम रथ द्वारा मेरेमें जाऊँगा किन्तु तुम नहीं जाओगे, तुम्हारा पिता भी गया था ? इस प्रकार यहाँ साधनका भेद होनेपर भी वे व्यवहारी जन एक ही पदार्थको आदर सहित समझ चुके हैं । ऐसा व्याकरणमें सूत्र कहा है कि जहाँ बढिया हंछी करना समझा जाय वहाँ “ मन्य ” धातुके प्रकृतिभूत होनेपर दूसरी धातुओंके उत्तम पुरुषके बढे मध्यम पुरुष हो जाता है । और मन्यति धातुको उत्तम पुरुष हो जाता है, जो कि एक अर्थका वाचक है । किन्तु वह भी उनका कथन परीक्षा करनेपर अत्युत्तम नहीं घटित होता है । क्योंकि यों तो मैं पका रहा हूँ, तू पचाता है, इत्यादिक स्थलोंमें भी अस्मद् और युष्मद् साधनके अर्थ होनेपर भी एक अर्थपनेका प्रसंग होगा ।

तथा “ संतिष्ठते अवतिष्ठत ” इत्यत्रोपसर्गभेदेऽप्यभिन्नमर्थमाहता उपसर्गस्य धात्वर्थमात्रघोतकत्वादिति । तदपि न श्रेयः । तिष्ठति प्रतिष्ठत इत्यत्रापि स्थितिगतिक्रिययोरभेदमसंगात् । ततः कालादिभेदाद्भिन्न एवार्थोऽन्यथातिप्रसंगादिति शब्दनयः प्रकाशयति ।

तिसी प्रकार संस्थान करता है, अवस्थान करता है, इत्यादिक प्रयोगोंमें उपसर्गके भेद होनेपर भी अभिन्न अर्थको पकड़ बैठे हैं । वैयाकरणोंकी मनीषा है कि धातुके केवल अर्थका ही धोषन करनेवाले उपसर्ग होते हैं । क्रिया अर्थके वाचक धातुएँ हैं, उसी अर्थका उपसर्ग धोषन कर

देते हैं। उपसर्ग किसी नवीन अर्थके वाचक नहीं हैं। इस प्रकार उनका कहना भी प्रशंसनीय नहीं है। क्योंकि यों तो ठहरता है और प्रस्थान (गमन) करता है, इन प्रयोगोंमें भी स्थितिक्रिया और गमनक्रियाके भेद हो जानेका प्रसंग होगा। तिस कारणसे यह सिद्धान्त करना चाहिये कि काळ, कारक, संख्या, आदिके भेद हो जानेसे शब्दोंका अर्थ भिन्न ही हो जाता है। अन्यथा यानी ऐसा नहीं मानकर दूसरे प्रकारसे मानोगे तो अतिप्रसंग हो जायगा। अर्थात्—पण्डितमन्य, पण्डित-मन्य या देवाना प्रिय, देवप्रिय, आदिमें भी भेद नहीं हो सकेगा। किन्तु ऐसे स्थलोंपर भिन्न भिन्न अर्थ है। इस बातको शब्दनय प्रकाशित कर देता है, यह समझो।

तद्भेदेऽप्यर्थाभेदे दूषणांतरं च दर्शयति ।

उस शब्दके भेद होनेपर भी यदि अर्थका भेद नहीं माना जायगा तो अन्य भी अनेक दूषण आते हैं। इस रहस्यको श्री विद्यानन्द आचार्य दिखलाते हैं।

तथा कालादिनानात्वकल्पनं निःप्रयोजनम् ।

सिद्धं कालादिनैकेन कार्यस्येष्टस्य तत्त्वतः ॥ ७३ ॥

तिस प्रकार माननेपर यह बड़ा दूषण आता है कि लकारोंमें या कृदन्तमें अथवा लौकिक वाक्य प्रयोगोंमें काळ, संख्या आदिके नानापनकी कल्पना करनेका प्रयोजन कुछ नहीं सिद्ध हो पाता है। एक ही काळ या एक ही उपसर्ग आदि करके वास्तविकरूपसे अभीष्ट कार्यकी सिद्धि हो जायगी।

काळादिभेदादर्थस्य भेदोऽस्तिवति हि तत्परिकल्पनं प्रयोजनवन्नाल्पया स च नास्तीति निःप्रयोजनमेव तत् । किं चः—

कारण कि काळ, कारक, लिंग आदिके भेदसे यदि अर्थका भेद ठहराओ, तब तो उन काळ आदिका सभी ढंगोंसे कल्पना करना प्रयोजनसहित हो सकेगा, अन्यथा नहीं। किन्तु व्यवहार नयका आळम्बन करनेवालेके यहां वह अर्थभेद तो नहीं माना गया है। इस कारण वह काळ आदिके नानापनकी कल्पना करना प्रयोजनरहित ही है, दूसरी बात एक यह भी है सो सुनो।

कालाद्यन्यतमस्यैव कल्पनं तैर्विधीयतां ।

येषां कालादिभेदेऽपि पदार्थैकत्वनिश्चयः ॥ ७४ ॥

जिन वैयाकरणोंके यहां काळ, कारक आदिके भेद होनेपर भी पदार्थके एकपनेका निर्णय हो रहा है। पर्वते वसति, पर्वतमधिवसति इन दोनोंका अर्थ एक ही है। दार और अबकाका एक ही अर्थ है। उन व्यवहारियों करके अनेक काळ, कारक, लिंग, आदिमें से किसी एक ही काळकी

या कारक आदिकी कल्पना कर लेनी चाहिये। तीन काळ, छह कारक, तीन लिंग, प्र, परा, आदि अनेक उपसर्ग क्यों माने जा रहे हैं ! शब्दकृत और अर्थकृत गौरव क्यों लादा जा रहा है ! अतः शब्दशक्तिके अनुसार परिशेषमें उनको अर्थभेद मानना आवश्यक पड़ेगा। पर्यतके ऊपर सामान्य पथिकके समान निवास करनेपर पर्यतमें निवास कहा जाता है। और पर्यतके ऊपर अविकार कर पर्यतका आक्रमण करते हुये वीरतापूर्वक जो पर्यतके ऊपर निवास किया जाता है, यहां “ उपान्वय्याद् वसः ” इस सूत्रसे आधारकी कर्म संज्ञा होकर द्वितीया हो जाती है। विनीत, निर्वल, सुकुमार लीके लिये अवकाश शब्द आता है। तथा पुरुषार्थ रखनेवाली और अक्सरपर दुष्टोंको हथखंडे बगानेवाली स्त्री के लिये दार शब्द प्रयुक्त किया जाता है। गिळका भेद, कारकका भेद, उपसर्ग आदिकका भेद व्यर्थ नहीं पड़ता है।

काळभेदेऽप्यभिन्नार्थः। काळकारकलिंगसंख्यासाधनभेदेऽभ्यो भिन्नोऽर्थो न भवतीति स्वरुचिप्रकाशनमात्रं। काळादिभेदाद्भिन्नोर्थः इत्यत्रोपपत्तिमावेदयति।

काळके भेद होनेपर भी अर्थ अभिन्न ही है, काळ, कारक, लिंग, संख्या, साधनके भेद हो जानेसे अर्थभिन्न नहीं हो पाता है। इस प्रकार वैयाकरणोंका कथन केवल अपनी मनमानी रुचिका प्रकाश करना है। वस्तुतः विचारा जाय तो काळ आदिके भेदसे अर्थमें भेद हो जाता है। इस विषयमें ग्रन्थकार युक्तिकी स्वयं निवेदन करें देते हैं, सुनिवे।

शब्दः कालादिभिर्भिन्नाभिन्नार्थप्रतिपादकः।

कालादिभिन्नशब्दत्वात्तादृक्सिद्धान्यशब्दवत् ॥ ७५ ॥

शब्द ( पक्ष ) काळ, कारक, आदिकों करके भिन्न भिन्न अर्थका प्रतिपादन कर रहा है। ( साध्य ) क्योंकि वे काळ, उपसर्ग आदिके सम्बन्धसे रचे गये भिन्न भिन्न प्रकारके शब्द हैं। ( हेतु ) जैसे कि तिस प्रकारके सिद्ध हो रहे अन्य घट, पट, इन्द्र पुस्तक आदिक शब्द विचारे भिन्न भिन्न अर्थोंके प्रतिपादक हैं। ( दृष्टान्त )

सर्वस्य कालादिभिन्नशब्दस्याभिन्नार्थप्रतिपादकरत्वेनाभिमतस्य विवादाध्यासितत्वेन पक्षीकरणान्न केनचिद्धेत्तोर्यमिचारः। प्रमाणवाधित पक्षः इति चेन्न, कालादिभिन्नशब्दस्याभिन्नार्थत्वग्राहिणः प्रमाणस्य भिन्नार्थग्राहिणा प्रमाणेन वाधितत्वात्।

वैयाकरणोंने काळ, कारक, आदिसे भिन्न हो रहे जिन शब्दोंको अभिन्न अर्थका प्रतिपादन करने के अंगीष्ट कर रखा है, उन विवादमें प्राप्त हो रहेपन करके सभी शब्दोंको यहां अनुमान प्रयोगमें पक्षकोटिमें कर लिया गया है। अतः किसी भी शब्दकरके हमारे हेतुका न्यमिचार दोष नहीं हो पाता है। यदि कोई यों कहे कि आपका प्रतिज्ञारूपी पक्ष तो प्रत्यक्ष या

अनुमान प्रमाणोंसे बाधित है। कृत शब्द या कृतक शब्द, कर्म, कर्मण, देव, देवता, जानाति, विजानाति, आदिमें शब्दोंके भेद होनेपर भी अर्थभेद नहीं देखता है। अब आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना, क्योंकि काल आदिके योगसे मिल हो रहे शब्दके अमिन्न अर्थपनेको ग्रहण करनेवाले प्रमाण (ज्ञान) की उनका भिन्न भिन्न अर्थको ग्रहण करनेवाले प्रमाण करके बाधा प्राप्त हो जाती है। अर्थात्—काल आदिके भेद होनेपर पर भिन्न भिन्न अर्थको ग्रहण करनेवाला प्रमाण उस अमिन्न अर्थप्राही ज्ञानका बाधक है। जो स्वयं बाध्य होकर मर चुका है, वह दूसरोंका बाधक क्या होगा ? किये गये पदार्थको कृत कहते हैं। अपनी उत्पत्तिमें अन्य कारणोंके व्यापार की अपेक्षाको रखनेवाले भावको कृतक कहा गया है। स्वार्थिक 'क' प्रत्ययका क्षयन करना तिस प्रकारके शब्दोंकी प्रसिद्धि अनुसार समझनेवाले वादीके प्रति व्यर्थ नहीं है। दूसरे ढंगोंसे अथवा कर उच्चारण करनेसे उस वादीको संतोष नहीं हो सकता है। देवकी अपेक्षा देवता शब्द अधिक अर्थको लिये हुये है।

### समभिरूढमिदानीं व्याचष्टे ।

शब्दनयका विस्तारके साथ वर्णन कर श्री विद्यानन्दस्वामी अब क्रमप्राप्त समभिरूढ नयका व्याख्यान करते हैं।

### पर्यायशब्दभेदेन भिन्नार्थस्याधिरोहणात् ।

नयः समभिरूढः स्यात् पूर्ववच्चास्य निश्चयः ॥ ७६ ॥

पर्यायवाची अनेक शब्दोंके भेद करके भिन्न भिन्न अर्थका अधिरोह हो जानेसे यह नय समभिरूढ हो जाता है। पूर्वके समान इसका निश्चय कर लेना चाहिये। अर्थात्—व्यवहार नयकी अपेक्षा शब्द नयद्वारा गृहीत अर्थमें जैसे भिन्न अर्थपना साधा है, उसी प्रकार शब्दनयसे समभिरूढ नयके भिन्न होनेका विचार कर लेना चाहिये।

विश्वदृश्या सर्वदृश्वेति पर्यायभेदेपि शब्दोऽभिन्नार्थमभिप्रैति भविता भविष्यतीति च कालभेदाभिमननात् । क्रियते विधीयते करोति विद्धाति पुष्यस्तिष्यः तारकौडुः आपो वाः अंभः सलिलमित्यादिपर्यायभेदेपि चाभिन्नमर्थं शब्दो मन्यते कारकादिभेदादेवार्थभेदाभिमननात् । समभिरूढः पुनः पर्यायभेदेपि भिन्नार्थानभिप्रैति । कथं ?

विश्वको देख चुका, सबको देख चुका, या जल, सलिल, वारि अथवा स्त्री, योषित्, अबला, नारी, आदिक पर्यायवाची शब्दोंके भेद होनेपर भी शब्द नय इनके अर्थको अमिन्न मान रहा है। भविता (लूट्) और भविष्यति (लृट्) इस प्रकार पर्यायभेद होनेपर भी कालका भेद नहीं होनेसे शब्दनय दोनोंका एक ही अर्थ मान बैठा है। तथा किया जाता है, विद्यान किया जाता



हे । इन दोनोंका अर्थ एक है शब्दनय की अपेक्षा तो करता है, और विधान करता है दोनोंका अर्थ एक ही है । पुच्छिग पुष्य और तिष्यका एक ही पुष्य नक्षत्र अर्थ है । खीछिग तारका और लडुका सामान्य नक्षत्र अर्थ अभिन्न है । खीछिग अर् और वार शब्दका एक ही जल अर्थ है । नपुंसकखिग अम्भस् और सखिग शब्दोंका वही पानी एक अर्थ है । इत्यादिक पर्यायोंके भेद होनेपर भी शब्दनय तो अभिन्न अर्थोंको मान रहा है । शब्दनय की मनीषा, फारक, खिग, वचन, आदिका भेद हो जानेसे ही अर्थका भेद मानने की है । खिग या फारकके अमेद होनेपर पर्यायवाची अनेक शब्दोंका अर्थ एक ही पडता है । किन्तु फिर यह समभिरूढ नय तो पर्यायवाची शब्दोंका भेद होनेपर भी भिन्न भिन्न अर्थोंको अभिन्नपता है । विद्वद्व्याका अर्थ न्यारा है । और सर्वद्व्याका अर्थ न्यारा है । सर्व कहनेसे कुछ भी शेष नहीं रहता है । तथा करोति और विदधातिका अर्थ न्यारा है असाधारण कार्यको बढ़िया करनेमें “ विदधाति ” आता है । अम्भस् और सखिगका अर्थ भी भिन्न भिन्न जल है । ये सब कैसे भिन्न हैं ? इस बातको स्वयं ग्रन्थकार वार्तिक द्वारा प्रतिपादन करते हैं ।

**इन्द्रः पुरंदरः शक्र इत्याद्या भिन्नगोचराः ।**

**शब्दा विभिन्नशब्दत्वाद्वाजिवारणशब्दवत् ॥ ७७ ॥**

सौभर्म इन्द्रके वाचक इन्द्र, पुरन्दर, शक्र, शचीपति, सहस्राक्ष इत्यादिक शब्द ( पक्ष ) भिन्न भिन्न अर्थको विषय कर रहे हैं ( साध्य ) विविध प्रकारके भिन्न शब्द होनेसे ( हेतु ) जैसे कि पक्षी या घोडेको कहनेवाला “ बाजी ” शब्द और हाथीको कहनेवाला न्यारा “ वारण ” शब्द भिन्न भिन्न अर्थोंको कह रहा है । ( अन्वयदृष्टान्त ) । अर्थात्-शब्दभेद है तो अर्थभेद अवश्य होना चाहिये । पर्यायवाची शब्द न्यारे न्यारे अर्थोंमें आरूढ हो रहे हैं । हा, अनेक प्रकारकी शक्ति, सम्पत्ति, विभूति, देवांगनायें आदिका एकट ऐश्वर्य होनेसे वह सौभर्म नामका जीव इन्द्र कहलाता है । तथा पौराणिक मत अनुसार किसी नगरीका विदारण करनेसे वही जीव पुरन्दर कहा गया है । तथा जम्बूद्वीपको उलटनेकी शक्तिका धारण करनेसे वही जीव “ शक्र ” इस नामको पा गया है । और इन्द्राणीका स्वामी होनेसे शचीपति कहा गया है । जन्मे हुये जिनेंद्र भगवान्को दो नेत्रोंसे देखता हुआ तृप्तिको नहीं प्राप्तिकर उनके दर्शनके लिये हजार नेत्रोंको बना लेनेकी अपेक्षा सहास्राक्ष कहा गया है । इसी प्रकार अन्य पर्यायवाची शब्दोंके भी भिन्न भिन्न अर्थ लगा लेना चाहिये । संकेतप्रश्नके अवसरपर या भिन्न भिन्न धातु या प्रत्ययोंसे शब्दसिद्धि करते समय शब्दोंकी न्यारे न्यारे अर्थोंमें रूढि हो रही अनुभवमें आ रही है । तभी तो “ हन् ” धातुका गति अर्थ होते हुये भी दूषित समझा जाता है । उपकारी चन्द्रगाका वर्णन करते समय “कलंकलाञ्छन” शब्दका प्रयोग निन्दनीय है ।

ननु चात्र भिन्नार्थत्वे साध्ये विभिन्नशब्दत्वहेतोरन्यथानुपपत्तिरसिद्धेति न मंतव्यं, साध्यनिवृत्तौ साधननिवृत्तेरत्र भावात् । भिन्नार्थत्वं हि व्यापकं वाजिवारणशब्दयोर्विभिन्नयोरस्ति गोशब्दे वाभिन्नेपि तदस्ति विभिन्नशब्दत्वं तद्व्याप्यं साधनं विभिन्नार्थ एव साध्येस्ति नोभिन्नार्थत्वे, ततोऽन्यथानुपपत्तिरस्त्येव हेताः ।

यदा कोई प्रतिवादी यों अवधारण मान बैठा है कि इस अनुमान प्रयोगमें भिन्न भिन्न अर्थपनेको साध्य करने पर विभिन्न शब्दपन हेतु की अपने साध्यके साथ अन्यथानुपपत्ति असिद्ध है । यानी साध्यके नहीं ठहरने पर हेतुका नहीं ठहरनारूप व्याप्ति नहीं बन चुकी है । इस पर आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं मानना चाहिये । क्योंकि साध्यकी निवृत्ति होनेपर साधन की निवृत्ति हो जानेका यहां सद्भाव है । विशेष स्वरूप करके भिन्न हो रहे वाजी और वारण शब्दोंमें व्यापक हो रहा भिन्न भिन्न अर्थपना साध्य वर्त रहा है । अथवा सदृश स्वरूप करके भिन्न हो रहे ग्यारह गो शब्दोंमें भी बह वाणी आदि भिन्न अर्थपना साध्य विद्यमान है । अतः वह साध्यका व्याप्य हो रहा विभिन्नशब्दपना हेतु तो विभिन्न अर्थरूप साध्यके होनेपर ही ठहर सकता है । अभिन्न अर्थपना होनेपर नहीं ठहर सकता है । तिम कारणसे हेतुकी अन्यथानुपपत्ति है ही । समीचीन व्याप्तिको रक्षनेवाला हेतु अवश्य साध्यको साध देता है । नाना अर्थोंका उल्लंघन कर एक अर्थकी अभिमुलतासे रूढ़ि करानेवाला होनेके कारण भी यह नय सममिरूढ़ कहा जाता है । गौ यह शब्द, वचन, दिशा, जल, पशु, भूमि, रोम, वज्र, आकाश, वाण, किरण, दृष्टि इन ग्यारह अर्थोंमें वर्तमान हो रहा सींग, सासनात्राके पशुमें रूढ़ हो रहा है । जितने शब्द होते हैं, उतने अर्थ होते हैं । इसी प्रकार दूसरा उपनियम यों भी है कि जितने अर्थ होते हैं, उतने शब्द भी होते हैं । ग्यारह अर्थोंको कहनेवाले गो शब्द भी ग्यारह हैं । गकारके उत्तरवर्ती ओकार इस प्रकार समान वर्णोंकी अनुपूर्वी होनेके कारण एकके सदृश शब्दोंको व्यवहारमें एक कह दिया गया है । अतः अनेक गो शब्दों द्वारा ही अनेक वाणी आदि अर्थोंकी ज्ञप्ति होती है । इस नयका अर्थकी ओर लक्ष्य जानेपर अपने अपने स्वरूपोंमें सम्पूर्ण पदार्थोंका आरूढ़ रहना भी सममिरूढ़ नय द्वारा नीत कर लिया जाता है । जैसे कि आप कहा रहते हैं ? इस प्रश्नका उत्तर मिलता है कि, अपनेमें आप रहता है । निश्चयनयसे सम्पूर्ण पदार्थ अपने अपने स्वरूपमें हैं ।

संमत्येवंभूतं नयं व्याचष्टे ।

अब श्री विद्यानन्द आचार्य इस अवसरपर सातमें एवंभूत नयका व्याख्यान करते हैं ।

तत्क्रियापरिणामोर्थस्तथैवेति विनिश्चयात् ।

एवंभूतेन नीयेत क्रियातरपराङ्मुखः ॥ ७८ ॥

एवंभूत नयकरके उसी क्रियारूप परिणामको धार रहा अर्थ तिस प्रकार करके ही यों विशेष रूपसे निश्चय कर लिया जाता है । अतः यह नय अन्य क्रियाओंमें परिणत हो रहे उस अर्थको जाननेके लिए अभिमुख नहीं होता है । अर्थात्—जिस समय पढा रहा है, उसी समय अन्यापक कहा जायगा । भोजन करते समय वह अध्यापक नहीं है । जिस धातुसे जो शब्द बना है, उस धातुके अर्थ अनुसार क्रियारूप परिणमते क्षणमें ही वह शब्द कहा जा सकता है । एवंभूत नय अन्य क्रियारूप परिणत हो रहे अर्थसे परान्मुख रहता है ।

समभिरूढो हि शकनक्रियायां सत्यामसत्यां च देवराजार्यस्य श्चक्रव्यपदेशमभि-  
प्रैति, पशोर्गमनक्रियायां सत्यामसत्यां च गोव्यपदेशवत्तथारूढः सद्भावात् । एवंभूतस्तु  
शकनक्रियापरिणतमेवार्थं तत्क्रियाकाले शक्रमाभिप्रैति नान्यदा । कुत इत्याह ।

कारण कि समभिरूढनय तो जम्बूद्वीपके परिवर्तनकी सामर्थ्य धारारूप क्रियाके होनेपर अथवा नहीं होनेपर देवोंके राजा हो रहे इन्द्ररूप अर्थका शक्र इस शब्द करके व्यवहार करनेका अभिप्राय रखता है । जैसे कि साँग, साम्राज्यके पशुकी गमन क्रियाके होनेपर अथवा गमन क्रिया के नहीं होनेपर बैठी अस्थामें भी गौका व्यवहार हो जाता है । क्योंकि तिस प्रकार रूढिका सद्भाव है । यानी दूसरे ईशान, सनत्कुमार आदि इन्द्र या अइमिन्द्र भी जम्बूद्वीपके पलटनेकी शक्तिको धारते हैं । फिर भी शक्र शब्द सौधर्म इन्द्रमें रूढ हो रहा है । इसी प्रकार “ गच्छति स गौः ” इस निरुक्तिद्वारा बनाया गया गौ शब्द भी बैठी हुयी चलती हुयी, सोती हुयी, गायमें या खाते हुये, छानते हुये सभी अस्थानोंको धारनेवाले बैलमें रूढ हो रहा है । “ गोवलीवर्द ” न्यायसे खीळिंग, पुळिंग और नपुंसकळिंग तीनों जातिके गौ पकडे जाते हैं । किन्तु एवंभूत नय तो उस प्रकारकी सामर्थ्य रखनेकी क्रिया करने रूप परिणतिको प्राप्त हो रहे अर्थको ही उस क्रियाके अस्तरमें “ शक्र ” कहनेका अभिप्राय रखता है । पूजा करते समय, अभिषेक करते समय, भोग-उपभोग भोगते समय, आदि अन्य कालोंमें “ शक्र ” इस नाम कथनका अभिप्राय नहीं रखता है । किस कारणसे यह व्यवस्था बन रही है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं ।

यो यं क्रियार्थमाचष्टे नासावन्यत्क्रियं ध्वनिः ।

पठतीत्यादिशब्दानां पाठाद्यर्थत्वसंजनात् ॥ ७९ ॥

जो वाचकशब्द क्रियाके जिस अर्थको चारों ओरसे व्यक्त कह रहा है, वह शब्द अन्य क्रिया कर रहे अर्थको नहीं कह पाता है । अन्यथा पढ रहा है, खा रहा है, इत्यादिक शब्दोंको पढ़ाना पचाना आदि अर्थके वाचकपनका प्रसंग हो जावेगा । जो पढ रहा छान रहा है, वह उसी

समय पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं है। धान्य पक रहा है, अग्नि या आतप पका रहा है। नवगणी क्रियाका अर्थ न्यारा है। और प्यन्तके प्रयोगका अर्थ मिला है। अतः अपनी अपनी प्रत्ययवती प्रकृतिके द्वारा वाच्य क्रियामें परिणत हो रहे अर्थका इस एवंमूत नय द्वारा विज्ञापन होता रहता है। “पाकावर्थत्वसंज्ञनात्” ऐसा पाठ माननेपर तो यों अर्थ कर लिया जाय कि पढ रहा है, का अर्थ पक रहा है भी हो जावेगा। इस प्रसंगको रोकनेवाला कोई नहीं है।

न हि कश्चिदक्रिया शब्दोऽस्यास्ति गौरश्च इति जातिशब्दाभिमतानामपि क्रियाशब्दत्वात् आशुगाम्यश्च इति, शुक्लो नील इति गुणशब्दाभिमता अपि क्रियाशब्दा एव। शुचिभवनाच्छुक्लः नीलानानील इति देवदत्त इति यदृच्छशब्दाभिमता अपि क्रियाशब्दा एव देव एव (एनं) देयादिति देवदत्तः यज्ञदत्त इति। संयोगिद्रव्यशब्दाः समवायिद्रव्यशब्दाभिमताः क्रियाशब्दा एव। दंडोऽस्यास्तीति दंडी विपाणमस्यास्तीति विपाणीत्यादि पंचतथी तु शब्दानां प्रवृत्तिः व्यवहारमात्रान्न निश्चयादित्ययं मन्यते।

प्रायः सभी शब्द भू आदिक धातुओंसे बने हैं। भू आदिक धातुएँ तो परिस्पंद और अपरिस्पंद रूप क्रियाओंको कह रही हैं, जगत्में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है, जो कि क्रियाका वाचक नहीं होय। अश्व, गो, मनुष्य आदिक शब्द अदृक्व आदि जातिको कह रहे स्वीकार कर लिये गये हैं। वे भी क्रियाशब्द ही हैं। यानी क्रियारूप अर्थको ही कह रहे हैं। शीघ्र गमन करनेवाला अश्व कहा जाता है। “अश भोजन” धातुसे अश्न शब्द बनानेपर खाने वाला कहा जाता है। गमन करनेवाला पदार्थ गो कहा जाता है। जो शुक्ल, नील, रस आदि शब्द गुणवाचक स्वीकार किये गये हैं, वे भी क्रियाशब्द ही हैं। शुचि होना यानी पवित्र हो जाना क्रियासे शुक्ल है। नील रंगनेरूप क्रियासे नील है। रसा जाय यानी चाटना रूप क्रियासे रस माना गया है। इसी प्रकार यदृच्छा शब्दों करके स्वीकार किये गये देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादिक शब्द भी क्रिया शब्द ही हैं। लौकिक जनकी इच्छाके अनुसार बालक, पशु आदिके जो मन चाहे नाम रख लिये जाते हैं। वे देवदत्त आदिक यदृच्छाशब्द हैं। देव ही जिसको देवे वह पुरुष इस क्रिया अर्थको धारता हुआ देवदत्त है। यज्ञमें जिस बालकको दिया जा चुका है, यों वह यज्ञदत्त है। इस प्रकार यहाँ भी यथायोग्य क्रियाशब्दपना घटित हो जाता है। भ्रमण, स्वन्दन, गमन, धावति, आगच्छति, पचन, आदि क्रियाशब्द तो क्रियावाचक हैं ही। संयोग सम्बन्धसे दंड जिसके पास वर्त रहा है, सो वह दंडो पुरुष है। इस प्रकारकी क्रियाको कह रहे संयोगी द्रव्यशब्द भी क्रियाशब्द ही हैं। तथा समवाय सम्बन्धसे सींगरूप अवयव जिस अनयवी बैल या महिषके वर्त रहे हैं, वह विपाणी है। इत्यादि प्रकार मान लिये गये समवायी द्रव्यशब्द भी क्रियाशब्द ही हैं। सभी शब्दोंमें क्रियाशब्दपना घट जाता है। जातिशब्द गुणशब्द क्रियाशब्द एवं संयोगीशब्द, समवायीशब्द या यदृच्छाशब्द और सम्बन्ध वाचकशब्द इस प्रकार प्रसिद्ध हो

रही शब्दोंकी पांच प्रकारकी प्रवृत्ति तो केवल व्यवहारसे ही है, निश्चयसे नहीं है, इस सिद्धान्तकी यह एवंभूत मान रहा है। श्री अकलंकदेव भगवान्ने ज्ञानपरिणत आत्माको एवंभूतका सूक्ष्म विषय कहा है। जिस ज्ञान करके जो हो चुका है, उस करके ही उसका अन्वयसाय कराया जाता है। जैसे कि सौधर्म इन्द्रको इन्द्र नहीं कह कर देवदत्तकी इन्द्रके ज्ञानसे परिणामी हुयी आत्माको ही या इन्द्रज्ञानको ही इन्द्र कहना। अथवा आग है, इस प्रकारके ज्ञानसे परिणत हो रही आत्मा ही अग्नि है, यह एवंभूतनयका विषय है। " मूलेणपहा अग्नी " उष्णस्पर्शवाले पौद्गलिक पदार्थको एवंभूत नयसे अग्नि नहीं कहा जाकर ज्ञानको अग्नि कहना यह इसका परमसूक्ष्म विषय समझा जाता है।

एवमेते शब्दसमभिरुद्वैवंभूतनयाः सांपेक्षाः सम्यक्, परस्परमनपेक्षास्तु मिथ्येति प्रतिपादयति ।

इस प्रकार ये शब्द, समभिरूढ, एवंभूत, तीन नय यदि अपेक्षाओंसे सहित हो रहे हैं, तब तो समीचीन नय हैं। और परस्परमें अपेक्षा नहीं रखते हुये केवल एकान्तसे अपने विषयका आग्रह करनेवाले तो ये तीनों मिथ्या हैं। कुनय है अर्थात् 'निरपेक्षा नयामिथ्या सापेक्षा वस्तुतेऽर्थकृत्' ( श्रीसमन्तभद्राचार्यः )। प्रतिपक्षी धर्मका निराकरण करनेवाले कुनय है और प्रतिपक्षी धर्मोंकी अपेक्षा रखनेवाले सुनय है। अपेक्षासहितपनका अर्थ उपेक्षा रखना है। अन्यथा प्रमाण और नयोंमें कोई अन्तर नहीं ठहर सकेगा। प्रमाणोंसे उन धर्मोंकी और अन्य धर्म या धर्मोंकी भी प्रतिपत्ति हो जाती है। तथा नयसे अन्य धर्मोंका निराकरण नहीं करते हुये उर्षी धर्मोंकी प्रतिपत्ति होती है। किन्तु दुर्नयसे तो अन्य धर्मोंका निराकरण करते हुये एक ही धर्मका आग्रह किया जाता है। इस बातको स्वयं प्रत्यकार श्री विद्यानन्द स्वामी समझाये देते हैं। पहिले चार नयोंका आभास तो साथके साथ छोड़ हात कह दिया गया है। अब शब्द समभिरूढ, एवंभूत तीनों नयोंका आभास यहां एक साथ कहे देते हैं। सुनिये और समक्षिये।

एतेन्योन्यमपेक्षायां संतः शब्दादयो नयाः ।

निरपेक्षाः पुनस्ते स्युस्तदाभासाविरोधतः ॥ ८० ॥

ये शब्द आदिक तीन नय परस्परमें स्वकीय स्वकीय विषयोंकी अथवा अन्य धर्मोंकी अपेक्षा रखनेपर तो संतः यानी समीचीन नय हैं। किन्तु परस्परमें नहीं अपेक्षा रखते हुये तो फिर वे तीनों उनके आभास हैं। अर्थात्—शब्दनय यदि समभिरूढ और एवंभूतके नय धर्मोंकी अपेक्षा नहीं रखता है, तो यह शब्दाभास है। तथा समभिरूढ नय यदि शब्द और एवंभूतके विषयका निराकरण कर केवल अपना ही अधिकार जमाना चाहता है, तो वह समभिरूढाभास है। इसी प्रकार एवंभूत भी शब्द और समभिरूढके विषयका तिरस्कार करता हुआ एवंभूताभास है। क्योंकि

ऐसा करनेसे विरोध दोष आता है । धर्मोंमें अनेक धर्मोंके विद्यमान होनेपर यदि दूसरोंकी सम्पत्तिका नाश कर अपना ही दबदबा गाठा जायगा तो स्पष्टरूपसे विरोध दोष आकर खडा हो जाता है । वस्तुतः विचारा जाय तो अपने भाइयोंकी या अपने आश्रयदाताओंकी सदा अपेक्षा करना चाहिये किन्तु उनकी अपेक्षा करने की भी अपेक्षा कर उनके सर्वथा नाश करनेका अमिप्राय किया जायगा तो यह कुनीति है, यों द्वन्द्वयुद्ध मच जायगा । शरीरके हाथ, पाँव, मुख, नेत्र, आदि अवयव ही यदि किसी खाद्य या पेयपदार्थको हडपना चाहेंगे तो सब परस्परकी ईश्यामें चुटकर मर जावेंगे । हाँ, भिडकर उसका उपभोग करनेसे वे परिपुष्ट बने रहेंगे ।

के पुनरत्र सप्तसु नयेष्वर्थप्रधाना. के च शब्दप्रधाना नयाः ? इत्याह ।

इन सातों नयोंमें कितने तो फिर अर्थकी प्रधानतासे व्यवहार करने योग्य नय है ? और इन सातोंमें कौनसे नय शब्दकी प्रधानतापर प्रवर्त रहे हैं ? इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्या-मन्दस्वामी समाधान कहते हैं ।

तत्रजुसूत्रपर्यन्ताश्रत्वार्थनया मताः ।

त्रयः शब्दनयाः शेषाः शब्दवाच्यार्थगोचराः ॥ ८१ ॥

उन सात नयोंमें नैगमसे प्रारम्भ कर ऋजुसूत्र पर्यन्त चार तो अर्थनय मानी गयी हैं । बाद-रायण सम्बन्धके सटश केवल वाच्य वाचक सम्बन्धकी अत्यल्प अपेक्षा रखते हुये प्रतिपादक शब्द करके अथवा क्वचित् शब्दके विना भी परिपूर्ण अर्थपर दृष्टि रखनेवाले नैगम, संप्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र ये चार नय हैं । शेष बचे हुये नय तो वाचक शब्दद्वारा कहे गये अर्थको विषय करने वाले शब्द, सममिरूढ, एवंभूत, ये तीन शब्दनय हैं । इन तीनोंकी शब्दके वाच्य अर्थमें विशेष-रूपसे तत्परता रहती है । और पहिले चार नयोंकी अर्थकी ओर विशेष लक्ष्य रहता है । यहाँ आज्ञाप्रधानी और परीक्षाप्रधानीके अद्वैत विषयोंके समान गौण, मुख्य, रूपसे अर्थ और शब्दद्वारा वाच्यकी व्यवस्था कर निर्वाह कर लेना चाहिये ।

कः पुनरत्र बहुविषयः कश्चाल्पविषयो नय इत्याह ।

पुनः विनीत शिष्यका प्रश्न है कि इन सात नयोंमें कौनसा नय बहुत ज्ञेयको विषय करता है ? और कौनसा नय अल्पज्ञेयको विषय करता है ? तिसके उत्तरमें आचार्य महाराज धार्तिकको कहते हैं । सायमें कौन नय कार्य है ? और कौनसा नय कारण है ? यह प्रश्न भी छिपा हुआ है, उसका भी उत्तर दे देवेंगे ।

पूर्वःपूर्वो नयो भूमविषयः कारणात्मकः ।

परःपरः पुनः सूक्ष्मगोचरो हेतुमानिह ॥ ८२ ॥

यहां पहिले पहिले कहा गया नय तो बहुत पदार्थोंको विषय करनेवाला है । और कारण स्वरूप हो रहा है । किन्तु फिर पीछे पीछे कहा गया नय तो अल्प पदार्थोंको विषय करता है । और कार्यस्वरूप है । अर्थात्—बहुत विषयोंको जाननेवाले नैगम की प्रवृत्ति हो चुकनेपर उसके व्याप्य हो रहे अल्प विषयोंको जानता हुआ संग्रह नय प्रवर्तता है । अधिक विषयोंको जाननेवाले संग्रहकी प्रवृत्ति हो चुकनेपर उसके व्याप्य स्तोक विषयोंको जान रहा व्यवहार नय प्रवर्तता है । इसी प्रकार आगे भी नयोंमें लगा लेना तथा यहां लौकिक कार्यकारणभाव विवक्षित है । शास्त्रीय कार्यकारणभाव तो अव्यवहित पूर्ववर्ती व्यापारवाले और उसके उपकारको श्लेष्नेवाले अव्यवहित उत्तरवर्ती पदार्थोंमें सम्भवता है ।

तत्र नैगमसंग्रहपोस्तावन्न संग्रहो बहुविषयो नैगमात्परः । किं तर्हि, नैगम एव संग्रहात्पूर्वं इत्याह ।

सबसे पहिले उन नयोंमें यह विचार है कि नैगम, संग्रह, दो नयोंमें परली ओर कहा गया संग्रहनय तो पूर्ववर्ती नैगमसे अधिक विषयवाला नहीं है, तो क्या है ? इसका उत्तर यही है कि नैगमनय ही संग्रहनयसे पूर्वमें कहा गया अधिक पदार्थोंको विषय करता है । इस बातको स्वयं ग्रन्थकार कहते हैं ।

सन्मात्रविषयत्वेन संग्रहस्य न युज्यते ।

महाविषयताभावाभावाथान्नैगमान्नयात् ॥ ८३ ॥

यथा हि सति संकल्पस्तथैवासति वेद्यते ।

तत्र प्रवर्तमानस्य नैगमस्य महार्थता ॥ ८४ ॥

सद्भूत पदार्थ और असद्भूत अभाव पदार्थ दोनों संकल्पित अर्थोंको विषय करनेवाले नैगम नयसे केवल संद्भूतपदार्थोंको विषय करनेवाला होनेसे संग्रह नयकी अधिक विषयज्ञता उचित नहीं है । भावार्थ—संकल्प तो विद्यमान हो रहे अथवा भूत, भविष्यत्, कालमें हूये, होनेवाले, या कदाचित् नहीं भी होनेवाले अविद्यमान पदार्थोंमें भी उपज जाता है । किन्तु संग्रहनय केवल सद्भूत पदार्थोंको ही जानता है । असद्भूत अर्थोंको नहीं छूता है । अतः नैगमसे संग्रहका विषय अल्प है । कारण कि जिस प्रकार सत् पदार्थोंमें संकल्प होता है, उसी प्रकार असत् पदार्थोंमें भी होता हुआ संकल्प जाना जा रहा है । अतः उस असत् अर्थमें भी प्रवर्त रहे नैगमनयको महाविषयोंका ज्ञातापन है ।

संग्रहाद्यवहारो बहुविषय इति विपर्ययमपाकरोति ।

संग्रहनयसे व्यवहारनय अधिक विषयवाला है, इस विपर्ययज्ञानका ग्रन्थकार प्रत्याख्यान करते हैं ।

संग्रहाद्यवहारोपि सद्विशेषावबोधकः ।

न भूमविषयोशेषसत्समूहोपदर्शिनः ॥ ८५ ॥

संग्रह नयसे व्यवहारनय भी अल्पविषयवाला है । क्योंकि पूर्ववर्ती संग्रहनय तो सभी सत् पदार्थोंको विषय करता है । और यह व्यवहारनय तो सत् पदार्थोंके विषय हो रहे अल्प पदार्थोंका ज्ञापक है । अतः सम्पूर्ण सत् पदार्थोंके समुदायको दिखलाने वाले संग्रह नयसे व्यवहारनय अधिक विषयग्राही नहीं है ।

व्यवहारादृजुसूत्रो बहुविषय इति विपर्यासं निरस्यति ।

व्यवहारनय की अवेक्षा ऋजुसूत्र नय बहुत पदार्थोंको विषय करता है, इस प्रकार हो रहे किसीके विपर्यय ज्ञानका श्री विद्यानन्द स्वामी निराकरण करते हैं ।

नर्जुसूत्रः प्रभूतार्थो वर्तमानार्थगोचरः ।

कालात्रितयवृत्त्यर्थगोचराद्यवहारतः ॥ ८६ ॥

भूत, मरिष्यत्, वर्तमान तीनों कालमें वर्त रहे अर्थोंको विषय करनेवाले व्यवहार नयसे केवल वर्तमान कालके अर्थोंको विषय कर रहा ऋजुसूत्र नय तो बहु विषयज्ञ नहीं है । अर्थात्—व्यवहारनय तीनों कालके पदार्थोंको विषय करता है । और ऋजुसूत्र नय केवल वर्तमान कालकी पर्यायको विषय करता है । अतः अल्प विषय है । और व्यवहारका कार्य है ।

ऋजुसूत्राच्छब्दो बहुविषय इत्याशंकापसारयति ।

किसी की शंका है कि ऋजुसूत्र नयसे शब्दनयका विषय बहुत है । श्री विद्यानन्द स्वामी इस आशंकाको निकालकर फेंके देते हैं । सुनिये ।

कालादिभेदतोप्यर्थमभिन्नमुपगच्छतः ।

नर्जुसूत्रान्महार्थोत्र शब्दस्तद्विपरीतवित् ॥ ८७ ॥

काल, कारक आदिका भेद होते होते फिर भी अभिन्न ही अर्थको अभिप्रेत कर रहे ऋजुसूत्र नयसे शब्दनय उससे विपरीत यानी काआदिके भेदसे भिन्न हो रहे अर्थोंको जान रहा है । अर्थात्—ऋजुसूत्र नय तो काल आदिसे भिन्न हो रहे भी अनेक अर्थोंको अभिन्न करता हुआ जान लेता है । और शब्दनय तो काल आदिसे भिन्न हो रहे एक एक अर्थको ही जान पायेगा ।

शब्दात्समभिरूढो महाविषय इत्यरिर्का इति ।

शब्दसे समभिरूढ नय, अत्यधिक विषयोंको जानता है । इस प्रकारकी आशंकाको श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिक द्वारा हटायें देते हैं ।



शब्दात्पर्यायभेदेनाभिन्नमर्थमभीप्सिनः ।

न स्यात्समभिरूढोपि महार्थस्तद्विपर्ययः ॥ ८८ ॥

भिन्न भिन्न पर्यायोंको ग्रहण करनेवाले पर्याय वाचक शब्दोंके भेद होनेपर फिर भी उस क्रमके अभिन्न अर्थको ही अभीष्ट करनेवाले शब्दनयसे समभिरूढ नय भी उस शब्दसे विपरीत प्रकार का है । अर्थात्—शब्दनय तो एकछिगवाले या समान वचनवाले पर्यायवाचक शब्दोंके भेद होनेपर भी एक ही अभिन्न अर्थको जानता था । किन्तु यह समभिरूढ नय पर्यायवाचक शब्दोंके भेदसे भिन्न भिन्न स्वरूपोंकरके कहे जा रहे अर्थोंको विषय करता है ।

समभिरूढादेवंभूतो भूमविषय इति चाकृतमपास्यति ।

समभिरूढ नयसे एवंभूत नयका विषय अधिक है, इस प्रकारके कुचोद्यका आचार्य महाराज पृथक्कार करें देते हैं ।

क्रियाभेदेपि चाभिन्नमर्थमभ्युपगच्छतः ।

नैवंभूतः प्रभूतार्थो नयः समभिरूढतः ॥ ८९ ॥

शब्दोंमें पडी हुई भिन्न भिन्न धातुओंकी क्रियाओंके भेद होनेपर भी उसी अभिन्न अर्थको स्वीकार कर रहे समभिरूढ नयसे एवंभूत नय प्रचुरविषयवादा नहीं है । एवंभूत नय तो पढाते समय ही पाठक कहेगा, किन्तु समभिरूढ नय खाते, पीते, पूगते समय भी अध्यापकको पाठक समझता रहता है । इस प्रकार नयोंके लक्षण और नयामासोंका विवेक तथा नयोंके विषयका अल्प बहुत्वपन अथवा पूर्ववर्ती उत्तरवर्तीपनका व्याख्यान यदातक किया जा चुका है । अब नयोंके दूसरे प्रकरणका प्रारम्भ किया जाता है ।

कथं पुनर्नयवाक्यप्रवृत्तिरित्याह ।

नय सप्तभंगीको बनानेके लिये शिष्यका प्रश्न है कि महाराज फिर यह वताओ कि नयोंके सप्तभंगी वाक्य मछा कैसे प्रवर्तते हैं ? इस प्रकार शिष्यकी तीव्र जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं ।

नैगमाप्रतिकूल्येन न संग्रहः प्रवर्तते ।

ताभ्यां वाच्यमिहाभीष्टा सप्तभंगीविभागतः ॥ ९० ॥

संप्रहनय तो भेगमके अप्रतिकूलपनकरके नहीं प्रवर्तता है । अर्थात्—संप्रहकी प्रवृत्ति नैगम-नयकी प्रतिकूलतासे है । नैगम यदि अस्तिको कहेगा तो संप्रह नास्तिक धर्मको उक्तसायगा । अतः

उन दोनों नैगम संप्रहणयोसे यहां अभीष्ट हो रही सप्तमंगी अनेक भेदों करके कह लेनी चाहिये । यानी नैगमनयकी अपेक्षा संकल्पित इन्द्रका अस्तित्व मानकर और संप्रहणयसे उसका नास्तित्व अभिप्रेत कर सात मंगोंका समाहार एक नयसप्तमंगी बना लेना चाहिये । इसी प्रकार अन्य भी विभोग कर देनेसे सप्तमंगीके अनेक भेद हो जाते हैं ।

**नैगमव्यवहाराभ्यां विरुद्धाभ्यां तथैव सा ।**

**सा नैगमर्जुसूत्राभ्यां तादृग्भ्यामविगानतः ॥ ९१ ॥**

तिस ही प्रकार विरुद्ध सरीखे हो रहे अत एव अस्तित्व और नास्तित्वके प्रयोजक बन रहे नैगम और व्यवहारनयसे भी वह सप्तमंगी रच लेनी चाहिये । तथा तिन्होंके सदृश विरुद्ध हो रहे नैगम और ऋजुसूत्र दो नयोंसे अस्तित्व, नास्तित्वको, कल्पित कर अनिन्दित मार्गसे यह सप्तमंगी बना लेनी चाहिये ।

**सा शद्धान्निगमादन्याद्युक्तात् समभिरूढतः ।**

**सैवंभूताच्च सा ज्ञेया विधानप्रतिषेधगा ॥ ९२ ॥**

एवं वही सप्तमंगी नैगमसे और शब्दनयसे विधि और प्रतिषेधको प्राप्त हो रही बन गयी है । तथा नैगम और अन्य, मित्र, आदि शब्दों करके कहे जा चुके समभिरूढ नयसे भी विधि और निषेधको प्राप्त हो रही वह एक न्यारी सप्तमंगी है । तथा विरुद्ध हो रहे नैगम और एवंभूतसे विधान करना और निषेध करना धर्मोंको ले रही वह सप्तमंगी पृथक् समझनी चाहिये ।

**संग्रहादेश्च शेषेण प्रतिपक्षेण गम्यताम् ।**

**तथैव व्यापिनी सप्तमंगी नयविदां मता ॥ ९३ ॥**

जैसे नैगमकी अपेक्षा अस्तित्वको रख कर शेष छह नयोंकी अपेक्षासे नास्तित्वको रखते हुये छह सप्तमंगिया बनायी गयी हैं, इसी प्रकार संग्रह आदि नयोंसे अस्तित्व को व्यवस्थापित कर शेष उत्तरवर्ती प्रतिपक्षी नयों करके भी तिस ही प्रकार व्याप्त हो रही सप्तमंगीया यों समझ लेनी चाहिये । ये सभी सप्तमंगियां नयवेत्ता विद्वानोंके यहा ठीक मान ली गयी हैं ।

**विशेषैरुत्तरैः सर्वैर्नयानामुदितात्मनाम् ।**

**परस्परविरुद्धार्थैर्द्वन्द्ववृत्तैर्यथापथम् ॥ ९४ ॥**

पूर्व पूर्वमें जिनके स्वरूप कह दिये गये हैं, ऐसी सम्पूर्ण नयों की उत्तर उत्तरवर्ती विशेष हो रही सम्पूर्ण नयोंके साथ सप्तमंगियां बन जाती हैं । परस्परमें विरुद्ध सरीखे अर्थोंको विपय

करनेवाले नयोंके साथ यथायोग्य कष्ट हो जानेकी प्रवृत्ति हो जानेसे अस्तित्व और नास्तित्व के प्रयोजक धर्म घटित हो जाते हैं ।

प्रत्येया प्रतिपर्यायमविरुद्धा तथैव सा ।

प्रमाणसप्तभंगीव तां विना नाभिवाग्गतिः ॥ ९५ ॥

प्रत्येक पर्यायमें तिष्ठी प्रकार नयसप्तभंगी सम्बन्ध लेनी चाहिये, जिस हां प्रकार कि यह प्रमाण सप्तभंगी अविरुद्ध होती हुई पूर्वप्रकरणोंसे व्यवस्थित की जा चुकी है । उस नयसप्तभंगीके विना चारों ओरसे वचन बोलनेका उपाय नहीं घटित हो पाता है । विशेष यह दीखता है कि नय सप्तभंगीमें नास्तित्वकी व्यवस्था करानेके लिये विरुद्ध धर्म अपेक्षणीय हैं और प्रमाण सप्तभंगीमें नास्तित्व धर्मकी व्यवस्थाके लिए अविरुद्ध आरोपित धर्मसे नास्तित्वकी व्यवस्था है । अथवा सर्वथा भिन्न पदार्थोंकी अपेक्षा विरुद्ध पदार्थोंकी ओरसे भी नास्तित्व बन जाता है । प्रमाणसप्तभंगी और नय सप्तभंगीमें अन्य धर्मोंकी अपेक्षा रखना और अन्य धर्मोंकी अपेक्षा रखना यह भेद तो प्रसिद्ध ही है ।

इह तावन्नैगमस्य संप्रहादिभिः सह पङ्क्तिः प्रत्येकं पट् सप्तभंग्यः, संप्रहस्य व्यवहारादिभिः सह वचनात् पंच, व्यवहारस्यर्जुमूत्रादिभिद्यतसः, ऋजुसूत्रस्य शब्दाभिस्तिस्रः, शब्दस्य समभिरूढादिभ्यां द्वे, समभिरूढस्वैवंभूतेनैका, इत्येकविंशतिमूलनयसप्तभंग्यः पक्षप्रतिपक्षतया विधिप्रतिषेधकल्पनयावगंतव्याः ।

यहां नैगमनयकी संप्रह व्यवहार आदिक छह नयोंके साथ एक एक होती हुई छह सप्तभंगियां बन जाती हैं । अर्थात्—नैगम नयकी अपेक्षा अस्तित्व १ और संप्रहसे नास्तित्व २ क्रमसे उभय ३ अक्रमसे अवक्तव्य ४ नैगम और अक्रमसे अस्तित्व अवक्तव्य ५ संप्रहसे और अक्रमसे नास्तित्व अवक्तव्य ६ नैगम और संप्रहसे तथा अक्रमसे विवक्षा करनेपर अस्तित्वारित, अवक्तव्य, ७ इन सात भंगीवाली एक सप्तभंगी हुई । इसी प्रकार नैगमसे विधिकी कल्पना कर और व्यवहार, ऋजुसूत्र शब्द, समभिरूढ और एवंभूतसे प्रतिषेधकी कल्पना कर दो । मूलभंगोंको बनाकर शेष पांच भंगोंको क्रम, अक्रम आदिसे बनाते हुये पांच सप्तभंगियां बना लेना । नैगमनयकी संप्रह आदिके साथ छह सप्तभंगियां हुयीं । तथा संप्रहनयकी अपेक्षा विधिकी कल्पना कर और व्यवहारनयकी अपेक्षासे प्रतिषेध कल्पना करते हुये दो मूल भंग बना कर सप्तभंगी बना लेना । इसी प्रकार संप्रहकी अपेक्षा विधिकी कल्पना कर ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवंभूत नयोंकी अपेक्षा नास्तित्व मान कर अन्य चार सप्तभंगियां बना लेना । इस प्रकार संप्रहनयकी व्यवहार आदिके साथ कथन कर देनेसे एक एक प्रति एक एक सप्तभंगी होती हुई पांच सप्तभंगियां हुयीं तथा व्यवहारकी अपेक्षा अस्तित्व कल्पना कर और ऋजुसूत्रकी अपेक्षा नास्तित्वको मान कर इन दो मूलभंगोंसे एक सप्तभंगी बनाना । इसी

प्रकार व्यवहारनयकी अपेक्षा अस्तित्व मान कर शब्द, समभिरूढ और एवंभूतसे नास्तित्वको कल्पते हुये तीन सप्तमंगियां और भी बना लेना । ये व्यवहारनयकी ऋजुसूत्र आदिके साथ बन कर चार सप्तमंगियां हुयीं तथा ऋजुसूत्रकी अपेक्षा विधिकी कल्पना अनुसार शब्द आदिक तीन नयोंके साथ निषेधकी कल्पना कर दो दो मूळ भंगोंको बनाते हुये ऋजुसूत्रनयकी शब्द आदि तीनके साथ तीन सप्तमंगियां हुयीं । तथा शब्दनयकी अपेक्षा विधि कल्पना कर और समभिरूढके साथ निषेध कल्पना करते हुये दो मूळभंगोंसे एक सप्तमंगी बनाना । इसी प्रकार शब्दद्वारा विधि और एवंभूत द्वारा निषेधकी कल्पना कर दो मूळभंगोंसे दूसरी सप्तमंगी बना लेना । यों शब्दकी समभिरूढ आदि दो नयोंके साथ दो सप्तमंगियां हुयीं । तथा समभिरूढकी अपेक्षा अस्तित्वकी कल्पना कर और एवंभूतकी अपेक्षा नास्तित्वको मानते हुये दो मूळभंगोंसे एक सप्तमंगी बना लेना । इस प्रकार स्वकीय पक्ष हो रहे पूर्व पूर्व नयों की अपेक्षासे विधि और प्रतिकूल पक्ष माने गये, उत्तर उत्तर नयोंकी अपेक्षासे प्रतिषेधकी कल्पना करके सात मूळनयों की इक्कीस सप्तमंगियां हो गयीं, समझ लेनी चाहिये ।

तथा नवानां नैगमभेदानां द्वाभ्यां परापरसंग्रहाभ्यां सह वचनादष्टादश सप्तभंग्यः, परापरव्यवहाराभ्यां चाष्टादश, ऋजुसूत्रेण नव, शब्दभेदैः पङ्क्तिः सह चतुर्पंचाशत्, समभिरूढेन सह नव, एवंभूतेन च नव, इति सप्तदशोत्तरं शतं ।

नयोंकी मूळ सप्तमंगियोंके भेद हो चुके, अब नयोंके उत्तर भेदों द्वारा रची गयीं सप्तमंगियोंको गिनाते हैं । उसी क्रमसे अनुसार अर्थपर्याय नैगम १ व्यंजनपर्याय नैगम २ अर्थव्यंजनपर्याय नैगम ३ शुद्धद्रव्य नैगम ४ अशुद्धद्रव्य नैगम ५ शुद्धद्रव्यार्थपर्याय नैगम ६ अशुद्धद्रव्यार्थपर्याय नैगम ७ शुद्धद्रव्यव्यंजनपर्याय नैगम ८ अशुद्धद्रव्यव्यंजनपर्याय नैगम ९ इस प्रकार नैगमके नौ भेदोंका पर, अपर, इन दो प्रकारके संग्रह नयोंके साथ कथन करनेसे अठारह सप्तमंगियां हो जाती हैं । अर्थात्—अर्थपर्याय नैगमकी अपेक्षा अस्तित्व कल्पना कर परसंग्रहकी अपेक्षा नास्तित्व मानते हुए दो मूळभंगोंकी भित्तिपर एक सप्तमंगी बना लेना । इसी प्रकार नौऊ नैगमोंकी अपेक्षा अस्तित्व मानते हुए दोनों संग्रहोंसे प्रतिषेध करते हुए अठारह सप्तमंगियां बन गयीं । तथा नौ नैगमके भेदोंकी अपेक्षा अस्तित्व मानकर पर, अपर, इन दो व्यवहार नयोंकरके नास्तित्वको मानते हुये दो दो मूळभंगोंसे एक एक सप्तमंगी बनाते हुए ये भी अठारह सप्तमंगियां होगईं । तथा ऋजुसूत्रका एक ही भेद है । अतः नौ नैगमोंसे विधिकी कल्पना कर और ऋजुसूत्रनयसे प्रतिषेध करते हुये दो दो मूळभंगोंद्वारा ये नौ सप्तमंगियां हुयीं । शब्दनयके काठ कारक डिंग संज्ञा साधन उपसर्ग ये छह भेद हैं । नैगमके नौऊ भेदोंसे अस्तित्वको मानते हुये और शब्दनयके छहऊ भेदोंसे नास्तित्वको कल्पते हुये दो दो मूळ भंगोंसे एक एक सप्तमंगीको बनाकर नौ छह

शौचन सप्तमंगिया बना लीजियेगा । तथा नौऊ नैगमोंसे पहिले अस्तित्व भंगको साथ कर और सम-  
भिरूढसे दूसरे नास्तित्व भंगकी कल्पना कर एक एक सप्तमंगी बनाते हुये नैगमकी समभिरूढके  
साथ नौ सप्तमंगिया बना लेना । ऐसे ही नौ नैगमोंसे एक एक नैगमकी अपेक्षासे विधि कल्पना  
कर और एवंभूत नयसे निषेध कल्पना करते हुये नौ नैगमके भेदोंकी एवंभूतके साथ नौ सप्तमं-  
गिया बन गयीं समझ लेनी चाहिये । इस प्रकार नैगमकी  $१८+१८+९+५४+९+९=११७$  यों  
एक सौ सत्रह उत्तर सप्तमंगिया हुयीं ।

तथा संग्रहादिनयभेदानां शेषनयभेदैः सप्तमंग्यो योज्याः । एवमुत्तरनयसप्तमंग्यः  
पंचसप्तत्युत्तरशतं ।

तिसी नैगमके प्रकारों अनुसार संग्रह आदिक नयोंके भेदोंकी उत्तर उत्तर शेष बचे हुये  
नयोंके भेदोंके साथ अस्तित्व, नास्तित्वकी विवक्षा कर सप्तमंगिया बना लेनी चाहिये अर्थात्—दोनों  
संग्रहनयोंकी अपेक्षा अस्तित्वको मान कर और दोनों व्यवहारनयोंसे नास्तित्वको मान कर दो दो  
मूळभंगोंके द्वारा-एक एक सप्तमंगी बनाते हुये संग्रहके पर, अपर, भेदोंकी व्यवहारके पर, अपर,  
दो भेदोंके साथ चार सप्तमंगिया हुयीं । दो संग्रहोंकी अपेक्षा अस्तित्वको मानते हुये और ऋजुसूत्रसे  
नास्तित्वको गढ कर दो मूळभंगों द्वारा सप्तमंगीको बनाते हुये पर, अपर, संग्रहोंकी एक प्रकार  
ऋजुसूत्रके साथ दो सप्तमंगिया हुयीं । तथा दो संग्रहोंकी छह प्रकारके शब्दनयके साथ दो दो मूळ  
भंगों करके सप्तमंगी बना कर बारह सप्तमंगिया हुयीं । तथा दो संग्रहोंकी एक समभिरूढके साथ  
विधि प्रतिषेध कल्पना करते हुये दो सप्तमंगिया बनाना । इसी प्रकार दो संग्रहोंकी अपेक्षा विधि  
करते हुये और एवंभूतकी अपेक्षा निषेध करते हुये दो सप्तमंगिया हुयीं । इस प्रकार संग्रहनयके  
भेदोंकी शेष नयोंके भेदोंके साथ  $४+२+१२+२+२=२२$  बाईस सप्तमंगिया हुयीं । तथा व्यवहार-  
नयके दो भेदोंकी अपेक्षा अस्तित्व मान कर और ऋजुसूत्रके एक भेदकी अपेक्षा नास्तित्व मान कर  
दो मूळ भंगोंसे एक एक सप्तमंगी बनाते हुये दो सप्तमंगिया हुयीं । और दो व्यवहारनयोंकी  
छह प्रकारके शब्दनयोंके साथ अस्तित्व, नास्तित्वकी कल्पना करते हुये बारह सप्तमंगिया  
बना लेना और दो प्रकार व्यवहारनयकी अपेक्षा अस्तित्वकी कल्पना कर समभिरूढके  
साथ नास्तित्वको मानते हुये दो सप्तमंगिया बना लेना और दो व्यवहारनयोंकी अपेक्षा  
विधान करते हुये एवंभूतकी अपेक्षा नास्तित्वकी कल्पित कर दो सप्तमंगिया बना लेना, इस प्रकार  
व्यवहारनयके दो भेदोंकी शेषनय या नयभेदोंके साथ  $२+१२+२+२=१८$  अठारह सप्तमंगिया  
हुयीं । तथा ऋजुसूत्रकी सप्तमंगिया यों हैं कि एक ऋजुसूत्रकी छह प्रकारके शब्दनयके साथ  
अस्तित्व, नास्तित्वकी विवक्षित कर छह सप्तमंगिया हुयीं, यद्यपि ऋजुसूत्रकी अपेक्षा अस्तित्व कल्पित  
कर और समभिरूढकी अपेक्षा नास्तित्वकी कल्पना कर एक सप्तमंगी तथा ऋजुसूत्रकी अपेक्षा अस्तित्व  
और एवंभूतकी अपेक्षा नास्तित्व मान कर दो मूळ भंगोंद्वारा दूसरी सप्तमंगी इस प्रकार दो सप्तमंगि

अन्य भी हो सकती थीं । किंतु ये दो सप्तमंगियां मूलनयकी इक्कीस सप्तमंगियोंमें गिनाई जा चुकी हैं । नयोंके उत्तर भेदोंकी सप्तमंगियोंमें उक्त दो सप्तमंगियोंके गिनानेका प्रकरण नहीं है । अतः एक प्रकारके ऋजुसूत्रनयकी शेष उत्तरनय भेदोंके साथ ६ छह ही सप्तमंगियां हूयीं । तथा शब्दनयके भेदोंकी सप्तमंगियां इस प्रकार हैं कि छह प्रकारके शब्दनयकी अपेक्षा अस्तित्व मानकर एक ही प्रकारके समभिरूढनयकी अपेक्षा नास्तित्वकी कल्पना करते हुये दो मूलभंगोंद्वारा छह सप्तमंगियां बना लेना और छह शब्दनयके भेदोंकी अपेक्षा अस्तित्व मान कर एक प्रकारके एवंब्रूतकी अपेक्षा नास्तित्वकी मानते हुए छह सप्तमंगियां बना लेना । इस प्रकार शब्दनयके भेदोंकी बचे हुये दो नयोंके साथ  $६+६=१२$  बारह सप्तमंगियां हूयीं । समभिरूढ और एवंब्रूतका कोई उत्तरभेद नहीं है । अतः समभिरूढकी एवंब्रूतके साथ अस्तित्व या नास्तित्व विवक्षा करनेपर उत्पन्न हुई एक सप्तमंगी मूल इक्कीस सप्तमंगियोंमें गिनी जा चुकी है । उत्तर सप्तमंगीमें उसको गिननेकी आवश्यकता नहीं है, गिन भी नहीं सकते हैं । इस प्रकार उत्तर नयोंकी  $११७+२२+१८+६+१२=१७५$  एक सौ पचत्तर सप्तमंगियां हूयीं ।

तयोत्तरोत्तरनयसप्तभंग्योपि शब्दतः संख्याताः प्रतिपत्तव्याः ।

तिस प्रकार भेद प्रमेद करते हुये उत्तर उत्तर नयोंकी सप्तमंगियां भी अखों, करोड़ों, होती हूयीं शब्दोंकी अपेक्षा संख्यात सप्तमंगियां हो जाती हैं । क्योंकि जगत्में संकेत अनुसार वाच्य अर्थोंकी प्रतिपादन करनेवाले शब्द केवल संख्याते हैं । असंख्यात या अनन्त नहीं हैं । चौसठ अक्षरोंके द्वारा संयुक्त अक्षर बनाये जाय तो एक कम एकट्टि प्रमाण  $१८४४६७४४०७३७०९५५-१६१५$  इतने एक एक होकर अपुनरुक्त अक्षर बन जाते हैं । तथा संकेत अनुसार इन अक्षरोंकी आगे पीछे घर कर या स्वरोंका योग कर एकस्वर पद, एक स्वरवाले पद, दो स्वरवाले पद, तीन स्वरवाले पद, चार स्वरवाले पद, पांच स्वरवाले पद, एवं अ ( निषेध या वासुदेव ) इ ( फामदेव ) उ ( क्रोध उक्ति ) मा ( लक्ष्मी ) कु ( पृथ्वी ) ख ( आकाश ) घट ( घटा ) अग्नि ( आग ) करी ( हाथी ) मनुष्य, मुजंग, मर्कट, अजगर, पारिजात, परीक्षक, अभिनन्दन, साम्प्रायिक, सुर-दीर्घिका, अङ्गालङ्घरी, अण्ववकर्षण, श्रीबःसलाञ्छन, इत्यादि पद बनाये जावें तो पशों, संलों, नळिनाग, नळिम, आदि संख्याओंका आतिक्रमण कर संख्याती सप्तमंगियां बन जाती समझ लेनी चाहिये, जो कि जघन्य परीतासंख्यातसे एक कम हो रहे उल्कृत संख्यात नामकी संख्याके भीतर हैं ।

इति प्रतिपर्यायं सप्तभंगी बहुधा वस्तुन्येकत्राविरोधेन विधिप्रतिषेधकल्पना प्राग्-बहुक्ताचार्यैः नाव्यापिनी नातिव्यापिनी वा नाप्यसंभविनी तथा प्रतीतिसंभवात् । तद्यथा-संकल्पनामात्रग्राहिणो नैगमस्य तावदाधयणाद्विधिकल्पना, प्रस्थादिसंकल्पमात्रं प्रस्थाधानेतुं

गच्छामीति व्यवहारोपलब्धेः । भाविनि भूतवदुपचारात्तथा व्यवहारः -तद्गुणेष्वोदनव्यवहारवदिति चेन्न, प्रस्थादिसंकल्पस्य तदानुभूयमानत्वेन भावित्वाभावात् प्रस्थादिपरिणामाभिमुखस्य काष्ठस्य प्रस्थादित्वेन भावित्वात् तत्र तदुपचारस्य प्रसिद्धिः । प्रस्थादिभावाभावयोस्तु तत्संकल्पस्य व्यापिनोनुपचरितत्वात् । न च तत्रवहारो मुख्य एवेति ।

इस प्रकार प्रत्येक पर्यायमें बहुत प्रकारसे सप्तमंगियां बना लेनी चाहिये । एक वस्तुमें अविरोध करके विधि और प्रतिषेध आदिकी कल्पना करना आचार्योंने सप्तमंगी कहा है । पहिले प्रकरणोंमें कही गयी प्रमाण सप्तमंगीके समान यह नयसप्तमंगी भी अनेक प्रकारसे जोड़ लेनी चाहिये । प्रश्नके वशसे एक वस्तुमें या वस्तुके अंशमें विधि और प्रतिषेधकी कल्पना करना यह सप्तमंगीवा लक्षण निर्दाय है । लक्ष्यके एकदेशमें रहनेवाले अव्याप्तिदोषकी इसमें सम्भावना नहीं है और यह सप्तमंगी अतिव्याप्ति दोषसे युक्त नहीं है, तथा असम्भव दोषवाली भी नहीं है । क्योंकि तिस प्रकार प्रतीतियोंसे वस्तुमें सातों भंग सम्भव जाते हैं । उसी निर्णयको यहां इस प्रकार समझ लेना चाहिये कि सबसे पहिले केवल संकल्पको ही ग्रहण करनेवाले नैगमनयका आश्रय लेनेसे विधिकी कल्पना करना । क्योंकि प्रत्य, इन्द्रप्रतिमा, आदिके केवल संकल्पस्वरूप जो प्रत्य आदिक हैं उनको लानेके लिये जाता है, इस प्रकार व्यवहार हो रहा देखा जाता है । अर्थात्-प्रत्यका लाना नहीं है । किन्तु प्रत्यके केवल संकल्पका लाना है । अर्थात् चतुर्थांश अन्नको समा लेनेवाले काष्ठनिमित्त पात्रको प्रत्य कहते हैं । इस प्रत्यके संकल्पकी नैगमनयके द्वारा विधि की गयी है । यदि कोई यों कहे कि भविष्यमें होनेवाले पदार्थमें द्रव्यनिक्षेपसे हो चुके पदार्थके समान यहां उपचारसे तिस प्रकारका व्यवहार कर लिया जाता है, जैसे कि कच्चे चावलोंमें पके भातका व्यवहार हो जाता है । इसपर आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि उस नैगमनयकी प्रवृत्तिके अवसरपर प्रत्य आदिके संकल्पका ही या संकल्पको प्राप्त हो रहे प्रत्य आदिका ही अनुभव किया जा रहा है । इस कारण उस संकल्पको भविष्यकाल सम्बन्धीपनका अभाव है । प्रत्य इन्द्र आदिका संकल्प तो वर्तमान कालमें विद्यमान है, संकल्प विचारा भविष्यमें होनेवाला नहीं है । प्रत्य, प्रतिमा, आदिक पर्यायस्वरूप होनेके लिये अभिमुख हो रहे कालको प्रत्य, प्रतिमा, आदिकपने करके भविष्यकाल सम्बन्धीपना है । अतः उस काष्ठमें उन प्रत्य आदिपनेके उपचारकी अच्छी सिद्धि हो जाती है । किन्तु नैगम नयका विषय तो मुख्य ही है । क्योंकि प्रत्य आदिके सद्भाव होनेपर या उनका अभाव होनेपर दोनों दशामें व्याप रहे उन प्रत्य आदि सम्बन्धी संकल्पको तो अनुपचरितपना है । किन्तु द्रव्यनिक्षेपकी आड लेकर किया गया मात्रा में भूतपन वर्तमानपनके समान उसका व्यवहार तो मुख्य नहीं है । अर्थात्-द्रव्यनिक्षेपका विषय तो वर्तमान कालमें नहीं विद्यमान है । किन्तु नैगमका विषय संकल्प भुक्त्य होकर इस कालमें वर्त रहा है । अतः नैगम-

नयकी अपेक्षा प्रस्थ आदि की विधिकी करनेवाला पड़िळा भंग बना लेना चाहिये । शेष छद्म नयोंकी अपेक्षा दूसरा भंग बनाओ ।

तत्प्रतिसंग्रहाश्रयणात्प्रतिषेधकल्पना न प्रस्थादिसंकल्पमात्रं प्रस्थादि सम्भात्रस्य तथा प्रतीतिः असत्तः प्रतीतिविरोधादिति व्यवहाराश्रयणात् द्रव्यस्य तयोपलब्धेरद्रव्यस्यासत्तः सतो वा प्रत्येतुमशक्तेः पर्यायस्य तदात्मकत्वादन्यथा द्रव्यांतरत्वप्रसंगादिति ऋजुसूत्राश्रयणात्पर्यायमात्रस्य प्रस्थादित्वेनोपलब्धेः, अन्यथा प्रतीत्यनुपपत्तेरिति शब्दाश्रयणात् कालादिभेदाद्भिन्नस्यार्थस्य प्रस्थादित्वादन्यथातिप्रसंगात् । इति समभिरूढाश्रयणात् पर्यायभेदेन भिन्नस्यार्थस्य प्रस्थादित्वात् अन्यथातिप्रसंगादिति, एवंभूताश्रयणात् प्रस्थादिक्रियापरिणतस्यैवार्थस्य प्रस्थादित्वादन्यथातिप्रसंगादिति । तथा स्यादुभयं क्रमापितोभयनयार्पणात् स्याद्वक्तव्यं, सहापितोभयनयाश्रयणात् अवक्तव्योत्तराः शेषास्त्रयो भंगा यथायोगमुदाहार्या इत्येताः षट्सप्तभंग्यः ।

उस संकल्पित प्रस्थ आदिके प्रति संप्रहनयके आश्रयसे प्रतिषेधकी कल्पना करना । क्योंकि केवल प्रस्थ आदिका मानसिक संकल्प ही तो प्रस्थ, प्रतिमा, आदिके स्वरूप पदार्थ नहीं है । संकल्प तो असत् पदार्थोंका भी हो जाता है । परन्तु तिस प्रकार प्रस्थ आदिके सद्भावनपने करके तो केवल विद्यमान हो रहे पदार्थोंकी ही प्रतीति हो सकती है । असत् पदार्थोंकी प्रतीति होनेका विरोध है । जब कि वस्तुभूत प्रस्थ आदिके नहीं है, तो वे संप्रहनयकी अपेक्षा यों नास्तित्व धर्मद्वारा प्रतिषिद्ध कर दिये जाते हैं । व्यवहारनयके आश्रयसे भी प्रतिषेध कल्पना कर लेना । क्योंकि सद्भावनके होनेपर उसके व्याप्य हो रहे द्रव्यकी तिस प्रकार प्रस्थ, इन्द्रप्रतिमा आदिपने करके उपलब्धि हो पाती है । नैगमनपद्धता केवल संकल्पित कर लिए गये असत् पदार्थोंकी अथवा संप्रहनपद्धता सद्भूत जान लिये गये भी पदार्थोंकी व्यवहारनयद्वारा तत्त्वतः प्रतीति नहीं की जा सकती है, जबतक कि वह द्रव्यपने करके या सामान्य पर्यायपने करके व्यग्रहृत होता हुआ अभिक्त नहीं किया गया होय । प्रकरणमें प्रस्थरूपपर्यायकी उस प्रस्थ आत्मकल्पना है । यदि ऐसा नहीं मानकर दूसरे प्रकारसे मानोगे तो प्रस्थ, घट, पट, आदिकी भिन्न भिन्न द्रव्य हो जानेका प्रसंग होगा । मावार्थ-व्यवहारनय और ऋजुसूत्रनय द्रव्य या पर्यायकी प्रस्थ आदि रूपकरके विधि कर सकता है । कोरे संकल्पको प्रस्थ नहीं कहना चाहता है । अतः व्यवहारनयसे भी प्रतिषेध कल्पनाकर दूसरे भंगको पुष्ट करो । इसी प्रकार ऋजुसूत्रनयके आश्रयसे प्रतिषेध कल्पना करो । ऋजुसूत्रनयके विचार अनुसार पात्ररूपसे बनाई जा चुकी केवल प्रस्थ, प्रतिमा, आदि पर्यायोंकी प्रस्थ आदिपने करके प्रतीति की जाती है । दूसरे प्रकारसे अर्थात्-संकल्प या सम्भात्र अथवा केवल द्रव्य कह देनेसे ही प्रस्थ पर्यायकी प्रतीति होना नहीं मन पाता है । इस कारण ऋजुसूत्रनयसे भी नास्तित्व भंगको



साध लेना । तथा शब्दनयके आश्रयसे प्रतिषेध कल्पना करना, क्योंकि काठ, कारक आदिके भेद से भिन्न हो रहे अर्थको प्रस्य आदिपना है । अन्यथा यानी दूसरे ढंगोंसे प्रस्य आदिकी व्यवस्था करनेपर अतिप्रसंग हो जायगा । कोरे काठ या पाँचसेरके पात्रको भी प्रस्य कह देनेके लिये कोई रोक नहीं सकेगा । इस कारण शब्दनयसे नारितत्व भंगको सिद्ध करो । तथा छटे समभिरूढनय का आश्रय देनेसे प्रतिषेधकी कल्पना करो । क्योंकि प्रस्य, पत्य, आदि पर्यायवाचक शब्दोंके भेद हो जाने करके भिन्न भिन्न हो रहे अर्थको प्रस्य आदिपना है । अन्यथा अतिप्रसंग हो जायगा । अर्थात्—पूर्व नयोंके व्यापक अर्थोंमें समभिरूढनय वर्त जायगा तथा इसी प्रकार नैगम नयकी अपेक्षा विधि की कल्पना करते हुये एवंभूतनयका आश्रय करनेसे निषेध की कल्पना करना । क्योंकि प्रस्य आदि की क्रिया करनेमें परिणत हो रहे हैं अर्थको प्रस्य आदिपना है । अन्यथा माननेपर अतिप्रसंग हो जायगा । अर्थात्—जिस समय नापनेके लिये पात्रमें गेहूँ, धान, मूले प्रकार स्थित हो रहे हैं, उसी समयकी पात्र अवस्थाको प्रस्य कहना चाहिये । खाली रखे हुये पात्रको प्रस्य नहीं मानना चाहिये । अन्यथा गडबड फैल जायगी । जगत्में चाहे जिस पदार्थको चाहे जिस शब्दकरके कह दिया जावेगा । विचार करने पर प्रतीत होता है कि जन्मभरमें एक बार भी पढा देनेसे मनुष्य पाठक •कहा जा सकता है । एक चेतना गुणके होनेसे सम्पूर्ण गुणोंका पिण्ड आत्मा चेतन कह दिया जाता है । एक दिन या एक घण्टे व्यभिचार या चोरी करनेसे जन्मभरके लिये व्यभिचारी या चोर कह गिना जाता है । किन्तु एवंभूतनयकी मनीषा न्यारी है । अतः एवंभूतकी परिणतिको मूलकारण समझो । उसको छोड़ देने पर सभी शाखायें तितर बितर हो जाती हैं । पूर्व नयोंके व्यापक विषयको एवंभूत नहीं पकड़ती है । इसकी अपेक्षा परबस्तुओंको चुराता हुआ ऐडें पर पकड़ा गया चोर चोरा है । न्यायालयमें खडा हुआ वही मनुष्य चोर नहीं है । इसी प्रकार व्यभिचारीकी व्यवस्था समझो । अतः छह प्रकारोंसे दो मूलभंगोंकी बनाना । इसी प्रकार तीसरा भंग क्रमसे अर्पित किये गये दोनों नयोंकी अर्पणासे कर्षचित् उभय बना लेना तथा एक साय कहनेके लिये अर्पित किये दोनों नयके आश्रयसे कर्षचित् अवक्तव्य यों चौथा भंग बनाना । तथा जिनके उत्तर कोटिमें अवक्तव्य पडा हुआ है, ऐसे वच्चे हुये अस्तित् अवक्तव्य, नास्तित् अवक्तव्य, अस्तित्नास्तित् अवक्तव्य, ये तीन भंग भी यथायोग्य विवादाओंका योग मिलाने पर उदाहरण करने योग्य हैं । इस प्रकार ये छह सप्तभंगिया समझा दी गयी हैं ।

तथा संग्रहाश्रयतो विधिकल्पना स्यात् सदेव सर्वमसतोऽप्रतीतिः स्वरश्रृंगबदिति तत् प्रतिषेधकल्पना व्यवहाराश्रयणात् स्यात्, सर्वं सदेव द्रव्यत्वादिनोपलब्धेर्द्रव्यादिरहितस्य सन्मानस्यानुपलब्धेश्चेति ऋजुसुत्राश्रयणात् प्रतिषेधकल्पना न सर्वं स्यात् । सदेव वर्तमानाद्रूपान्द्येन रूपेणानुपलब्धेरन्यथा अनाद्यनंतसचोपलम्भसंगादिति शब्दाश्रयणा-

प्रतिषेधकल्पना न सर्वं स्यात्सदेव कालादिभेदेन भिन्नस्यार्थस्योपलब्धेरन्यथा कालादि-  
भेदानर्थव्यप्रसंगादिति समभिरूढाश्रयात्प्रतिषेधकल्पना न सर्वं सदेव स्यात्, पर्यायभेदेन  
भिन्नस्यार्थस्योपलब्धेरन्यथैकपर्यायत्वप्रसंगात् इति । एवंभूताश्रयात् प्रतिषेधकल्पना न  
सर्वं सदेव तत्क्रियापरिणतस्यैवार्थस्य तथोपपत्तेरन्यथा क्रियासंकरप्रसंगात् इति ।  
तथोभयनयक्रमाक्रमार्पणादुभयावक्तव्यकल्पना, विधिनयाश्रयणात्सहोभयनयाश्रयणाच्च  
विध्यवक्तव्यकल्पना प्रतिषेधनयाश्रयणात् सहोभयनयाश्रयणाच्च प्रतिषेधावक्तव्यकल्पना  
क्रमाक्रमोभयनयाश्रयणात्तदुभयावक्तव्यकल्पनेति पंचसप्तभंग्यः ।

इति नैगमनयकी पद्धति अनुसार संप्रहृनयका आश्रय करनेसे विधिकी कल्पना होगी ।  
सम्पूर्ण प्रतीति किये जा रहे पदार्थ सद्रूप ही हैं । गर्दभके सींग समान असत् पदार्थोंकी प्रतीति  
नहीं हो पाती है । इस प्रकार संप्रहृनयसे सब सत् हैं । “ स्यात् सदेव सर्व ” ऐसा पहिला मंग  
बनाना तथा व्यवहारनयके आश्रयसे उसके निषेधकी कल्पना करना “ न स्यात् सर्व सदेव ”,  
किसी अपेक्षा सम्पूर्ण पदार्थ केवल सत् रूप ही नहीं हैं । क्योंकि व्यवहारमें द्रव्यपने या पर्यायपने  
करके पदार्थोंकी उपलब्धि हो रही है । द्रव्यगुणपर्याय या उत्पादव्ययध्रौन्यसे रहित हो रहे फोरे  
सत् की स्वप्नेमें भी उपलब्धि नहीं है । अन्यथा यानी द्रव्य और पर्यायके बिना फोरा सत् दीख  
जायगा तो जीव या घटका उपलम्भ करनेपर उसकी अनादिकावसे अनन्तकालतक बर्त रही सत्ताके  
उपलम्भ हो जानेका प्रसंग होगा । किन्तु व्यवहारी जनोंको लम्बी, चौड़ी, कोरी, सत्ताका उपलम्भ  
नहीं होता है । मले ही द्रव्य और पर्यायोंमें विशेषण हो रहे सत्का ज्ञान हो जाय । अतः  
व्यवहारनयसे फोरे सत्की निषेध कल्पना की गयी है । इसी प्रकार ऋजुसूत्र नयके  
आश्रयसे प्रतिषेधकी कल्पना करना “ न सर्वं स्यात् सदेव ” सभी पदार्थ कथंचित्  
सत् रूप ही नहीं है । क्योंकि वर्तमान पर्यायस्वरूपसे अन्य स्वरूपों करके पदार्थोंकी  
उपलब्धि नहीं हो रही है । अन्यथा यानी ऋजुसूत्रनयसे वर्तमान पर्यायोंके अतिरिक्त  
पर्यायोंकी भी विधि दीखने लगेगी, तो अनादि, अनन्त, कालकी पर्यायोंका सद्भाव  
दीख जाना चाहिये । यह प्रसंग टल नहीं सकता है । अतः संप्रहृनयसे सत् की विधिकी करते  
हुये ऋजुसूत्र नयसे प्रतिषेध कल्पना करना अच्छा जच गया । इसी प्रकार शून्यनयके आश्रयसे  
प्रतिषेध कल्पना कर लेना “ न सर्वं स्यात् सदेव ” सम्पूर्ण पदार्थ कथंचित् सत् रूप ही नहीं हैं ।  
क्योंकि काल, कारक, संख्या आदिके भेदकरके भिन्न भिन्न हो रहे अर्थोंकी उपलब्धि हो रही है ।  
अर्थात्—काल आदिकसे भिन्न हो रहा पदार्थ तो जगत्में बिद्यमान है । शेष कोई कोरा सत् पदार्थ  
नहीं है । अन्यथा काल, कारक, आदिके भेद करनेके व्यर्थपनका प्रसंग होगा, जो कि इष्ट नहीं  
है । इसी प्रकार समभिरूढनयके आश्रयसे प्रतिषेध कल्पना कर लेना । सभी पदार्थ कथंचित् सत्

रूप ही नहीं हैं। क्योंकि पर्यायोंको कहनेवाले पर्यायवाची शब्दोंके भेद करके भिन्न भिन्न अर्थोंकी उपलब्धि हो रही है। अन्यथा एक ही पर्यायवाची शब्दकरके कथन हो जानेका प्रसंग होगा। अथवा पदार्थकी एक ही पर्याय मान लेनेसे प्रयोजन सध जाने चाहिये। देवोंको अमर, निर्जर, देव, आदि शब्दोंसे या स्त्रीको अबला, सीमन्तिनी, मुग्धा, शब्दोंसे कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपमृत्यु नहीं होनेकी अपेक्षा देव अमर कहे जाते हैं। बुढापा नहीं आनेकी अपेक्षा वे निर्जर कहे जाते हैं। क्रीडा करनेकी पर्यायोंसे वे देव हैं, तथा गर्भ धारणकी अपेक्षा स्त्री है। निर्वलता धर्मकरके वह अबला है, सुन्दर केशपाश होनेसे वह सीमन्तिनी है। मोलेपनकी अपेक्षा स्त्रीको मुग्धा कहते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न पर्यायोंसे युक्त पदार्थ तो समभिरूढ नयकी दृष्टिसे सत् है। शेष कोरे सत् तो असत् ही हैं। तथा संप्रहृनयकी अपेक्षा विधिकी कल्पना करते हुये तमी एवंभूतनयके आश्रयसे प्रतिषेधकी कल्पना कर लेना “ न स्यात् सर्वं सदेव ” सम्पूर्ण पदार्थ कथंचित् सत्वरूप ही नहीं हैं। क्योंकि उस उस क्रियामें परिणम रहे ही अर्थको तिस प्रकार होना बनता है। अन्य ढंगोंसे सद्भूतपना मान लेनेपर क्रियाओंके संकर हो जानेका प्रसंग हो जायगा। तेजीका काम तमोजीसे नहीं लिया जा सकता है। हिंसक नर क्षमाधारी नहीं हो सकता है। व्यभिचारी और ब्रह्मचारीकी क्रिया एक नहीं है। अतः संप्रहृनयके द्वारा कोरे सत्की विधि हो जानेपर भी क्रिया परिणतियोंके बिना यह नय उसको असत् ही यों कहता जायगा, जैसे कि आस्तुरूप द्वारा माईके आ जानेका सद्भाव जान करके भी अन्धी स्त्री तबतक उस माईका असद्भाव मानती है, जबतक कि उसको वह आत्वरूपसे शारीरिक मिळनद्वारा मिळता नहीं है या प्रियसम्भाषण क्रियाको करता नहीं है। इस प्रकार संप्रहृकी अपेक्षा विधिकल्पना और उपमहार आदि पाच नयोंसे निषेधकल्पना करते हुये पांच प्रकार के दो मूलभंग बना लेना तथा संप्रहृ व्यवहार या संप्रहृ ऋजुसूत्र आदि यों दो दो नयके क्रम और अक्रमकी विवक्षा कर देनेसे तीसरे उभय भंग और चौथे अवक्तव्य भंगकी कल्पना कर लेना चाहिये। और विधि प्रयोजक संप्रहृनयका आश्रय करनेसे तथा साथ कहनेके लिये उभय नयोंका आश्रय कर लेनेसे पाचवा अस्त अवक्तव्य भंग बना लेना तथा प्रतिषेधके प्रयोजक नयोंका आश्रय कर लेनेसे और एक साथ दो नयोंके अर्थ प्रतिपादन करनेका आश्रय करनेसे छठे प्रतिषेध-धावक्तव्य धर्मकी कल्पना कर लेनी चाहिये तथा क्रमसे अक्रमसे और उभय नयोंके एक साथ प्रतिपादनका आश्रय करनेसे उन कीधि निषेधके साथ दोनोंका अवक्तव्य नामका सातवा भंग बन जाता है। इस प्रकार संप्रहृसे विधिकी विवक्षा कर और उत्तरवर्ती पांच नयोंसे निषेधकी विवक्षा कर दो मूलभंगोंके द्वारा पाच सप्तमंगियां यद्गतक बना दी गयी हैं।

तथा व्यवहारनयाद्विविधकल्पना सर्वं द्रव्याद्यात्मकं प्रमाणप्रमेयव्यवहारान्ययानुप-  
पत्तेः कल्पनामात्रेण सत्रवहारे स्वपरपक्षव्यवस्थापननिराकरणयोः परमार्थतानुपपत्तेरिति

तं प्रति तावदुज्ज्वलाश्रयात्प्रतिषेधकल्पना न सर्वं द्रव्याद्यात्मकं पर्यायमात्रस्योपलब्धेरिति शब्दसमभिरूढैवंभूताश्रयात् प्रतिषेधकल्पना न सर्वं द्रव्याद्यात्मकं, कालादिभेदेन, पर्यायभेदेन, क्रियाभेदेन च भिन्नस्यार्थस्योपलब्धेः इति । प्रथमद्वितीयभंगौ पूर्ववदुत्तरे भंगा इति चतस्रः सप्तभंग्यः प्रतिपत्तव्याः ।

तथा तीसरे व्यवहारनयसे विधिकी कल्पना करना “ स्यात् सर्वं द्रव्याद्यात्मकं ” सम्पूर्ण पदार्थ कथंचित् द्रव्यपर्याय आदिक स्वरूप हैं । क्योंकि अन्यथा यानी पदार्थोंके द्रव्य, पर्याय, आदि स्वरूप माने बिना प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, आदिके व्यवहार नहीं बन सकते हैं । बौद्धोंके अनुसार कोरी कल्पनासे उन प्रमाण, प्रमेयपनका व्यवहार माना जायगा तो स्वपक्षकी सिद्धि करा देने और परपक्षका निराकरण कर देनेकी चार्थ रूपसे व्यवस्था नहीं बन सकेगी । इसके लिये वस्तुभूत द्रव्य या पर्यायोंको मानते हुये प्रमाण, प्रमेय, व्यवहार साधना पड़ता है । द्रव्य या स्थूलपर्यायोंको माननेवाले उस व्यवहारीके प्रति तो जब ऋजुभूत नयका आश्रय करनेसे दूसरे भंग प्रतिषेधकी कल्पना करो “ न सर्वं द्रव्याद्यात्मकं ” सभी पदार्थ कथंचित् द्रव्य या सहभावी पर्यायों स्वरूप ही नहीं हैं । क्योंकि हमें तो केवल वर्तमानकाल की सूक्ष्म, स्थूल पर्यायें ही दीख रही हैं । द्रव्य या भेद प्रभेदवान् चिरकालीन पर्यायें तो नहीं दीख रही हैं । अतः नास्तित्व भंग सिद्ध हो गया । इसी प्रकार शब्द समभिरूढ और एवंभूत नयोंके आश्रयसे प्रतिषेध की यों कल्पना करना कि “ न सर्वं द्रव्याद्यात्मकं ” सम्पूर्ण पदार्थ कथंचित् द्रव्य, पर्याय आदि स्वरूप ही नहीं हैं । क्योंकि काल, कारक, आदिके भेद करके अथवा पर्यायवाची शब्दोंके वाच्य अर्थका भेद करके तथा भिन्न भिन्न क्रिया परिणतियोंके भेद करके भिन्न भिन्न अर्थोंकी उपलब्धि हो रही है । कोरे द्रव्य और पर्याय ही नहीं दीख रहे हैं । इस प्रकार व्यवहारनयकी अपेक्षा पहिला भंग और शेष चार नयोंकी अपेक्षा दूसरा दूसरा भंग बना कर पहिले दूसरे भंगोंको बना लेना । पश्चात् पूर्वक्रमके अनुसार क्रम अक्रम आदि द्वारा ( करके ) शेष उत्तरवर्ती पांच भंगोंको बना लेना । इस प्रकार ये चार सप्तभंगियां समझ लेनी चाहिये ।

तथर्जुज्ज्वलाश्रयाद्विधिककल्पना सर्वं पर्यायमात्रं द्रव्यस्य क्वचिद्रव्यवस्थितेरिति तं प्रति शब्दाश्रयात्प्रतिषेधकल्पना । समभिरूढैवंभूताश्रयाच्च न सर्वं पर्यायमात्रं कालादिभेदेन पर्यायभेदेन क्रियाभेदेन च भिन्नस्य पर्यायस्योपपत्तिमत्त्वादिति । द्वौ भंगौ क्रमाक्रमार्पितो-भयनयास्तृतीयघटुर्थभंगाः त्रयोऽन्ये प्रथमद्वितीयतृतीया एव वक्तव्योचरा यथोक्तनययोगाद-वसेया इति तिस्रः सप्तभंग्यः ।

तिसी प्रकार ऋजुभूतनयका आश्रय लेनेसे विधिकी कल्पना करना “ सर्वं जगत् पर्यायमात्र-मस्ति ” सम्पूर्ण पदार्थ केवल पर्यायस्वरूप ही हैं । नित्यद्रव्यकी कहाँ भी व्यवस्था नहीं है । इस प्रकार ऋजुभूतनयसे नास्तित्वकी कल्पना करनेवाले उस वादीके प्रति शब्दनयका आश्रय लेनेसे

निषेधकी कल्पना कर लेना तथा समभिरूढनय और एवंभूतनयका आश्रय लेनेसे भी निषेधकी कल्पना कर लेना चाहिये । क्योंकि सभी पदार्थ केवल काळ आदि द्वारा अभेदको धारनेवाणी पर्यायों स्वरूप नहीं हैं । किन्तु काळ, ङिग, आदिके भेद करके अथवा भिन्न भिन्न पर्यायवाची शब्दोंके भेद करके एवं न्यायी न्यायी क्रिया परिणतियों करके भिन्न हो रही पर्यायों ही सिद्धिमार्गपर कई जा चुकी हैं । अर्थात्—शब्द, समभिरूढ और एवंभूत, नय तो काळ, कारक, रूढि और क्रिया परिणतियोंसे पृथक् पृथक् बन रही पर्यायोंका ही सत्य मानते हैं । वर्तमानकाळकी सामान्य-रूपसे हो रही पर्यायोंका अस्तित्व नहीं मानते हैं । अतः तीन प्रकारोंसे दूसरा भंग बन गया । मूळभूत दो भंगोंको बनाकर क्रम और अक्रमसे यदि दो नयोंको विवक्षित किया जायगा तो तीन प्रकारके तीसरे, चौथे, भंग बन जायंगे । जिनकी उत्तर कोटिमें अवक्तव्य पद लग गया है, ऐसेप्रथम द्वितीय और तीसरे भंग ही प्रक्रिया अनुसार ऊपर कहे गये नयोंके योगसे पाँचवें, छठे, सातवें ये अन्य तीन भंग समझ लेने चाहिये । इस प्रकार ऋजुसूत्रनयसे अस्तित्वकी कल्पना करते हुये और शब्द समभिरूढ, एवंभूत नयोंसे नास्तित्वको मानते हुये दो मूळ भंगोंके द्वारा तीन सप्तभंगियां हुईं ।

तथा शब्दनयाश्रयात् विधिकल्पना सर्वं कालादिभेदाद्भिन्नं विवक्षितकालादिकस्या-  
र्थस्याविवक्षितकालादित्वानुपपत्तेरिति । तं प्रति समभिरूढैवंभूताश्रया प्रतिषेधकल्पना न  
सर्वं कालादिभेदादेव भिन्नं पर्यायभेदात् क्रियाभेदाच्च भिन्नस्यार्थस्य प्रतीतिः इति मूळभंग-  
इयं पूर्ववत् परे पंचभंगाः प्रत्येया इति द्वे सप्तभंग्यौ ।

तिसी प्रकार शब्दनयका आश्रय कर लेनेसे विधिकी कल्पना करना कि काळ, कारक, आदिसे विभिन्न होते हुये सभी पदार्थ अस्तित्वरूप हैं । क्योंकि विवक्षाको प्राप्त हो रहे काळ, कारक, आदिकसे विशिष्ट हुए अर्थको अविवक्षित काळ, कारक आदिसे सहितपना असिद्ध है । अर्थात्—सम्पूर्ण पदार्थ अपने अपने नियत काळ, कारक, वचन, आदिको छिये हुये जगत्में विद्यमान हैं । इस प्रकार अस्तित्वकी कल्पना करनेवाले उस वादीके प्रति समभिरूढ और एवंभूत नयका आश्रय लेती हुईं प्रतिषेध कल्पना कर लेनी चाहिये । कारण कि केवल काळ, कारक, आदिके भेद होनेसे ही भिन्न भिन्न हो रहे सभी पदार्थ जगत्में नहीं हैं । किन्तु पर्यायोंके भेदसे और क्रिया परिणतियोंके भेदसे भिन्न भिन्न वर्त रहे पदार्थोंकी प्रतीति हो रही है । जब कि ये समभिरूढ और एवंभूतनय पर्याय और क्रिया परिणतियोंसे युक्त होकर परिणामे हुये पर्यायोंकी सत्ताको मानती हैं, तो ऐसी दशामें शब्दनयका व्यापक विषय इनकी दृष्टिमें नास्तित्व ठहरता है । इस प्रकार दो मूळ भंगोंको बनाते हुये पूर्व प्रक्रियाके समान शेष परले पाँच भंगोंको भी प्रतीति कर लेना चाहिये । इस प्रकार शब्दनयकी अपेक्षा अस्तित्व और समभिरूढ एवं-भूतोंकी अपेक्षा नास्तित्व धर्मको मानते हुये दो मूळ भंगों द्वारा एक एक सप्तभंगीको बनाते हुये दो सप्तभंगियां बन गयीं समझ लेनी चाहिये ।

तथा समभिरूढ्याश्रया विविधकल्पना सर्वं पर्यायभेदाद्भिनं विवक्षितपर्यायस्याविवक्षितपर्यायत्वेनानुपलब्धेरिति तं प्रत्येवंभूताश्रया प्रतिषेधकल्पना न सर्वं पर्यायभेदादेव भिन्नं क्रियाभेदेन पर्यायस्य भेदोपलब्धेरिति । एतत्संयोगजाः पूर्ववत्परं पंचभंगा प्रत्येतन्व्या इत्येका सप्तभंगी । एवमेता एकविंशतिसप्तभंग्यः ।

तथा समभिरूढ नयका आश्रय कर विधिकी यों कल्पना करना कि सम्पूर्ण पदार्थ न्यारी न्यारी पर्यायोको कहनेवाले पर्यायवाची शब्दोंके भेदसे भिन्न हो रहे ही अस्तित्वरूप हैं, क्योंकि विवक्षामें प्राप्त की गयी पर्यायकी अविवक्षित अन्य पर्यायपने करके उपलब्धि नहीं हो पाती है । इस प्रकार कहनेवाले उस विद्वान्के प्रति एवंभूतनयका आश्रय लेती हुई प्रतिषेधकी कल्पना कर लेना । क्योंकि पर्याय भेदोंसे ही भिन्न हो रहे सभी पदार्थ जगत्में अस्तित्व हैं, यह नहीं है । किन्तु न्यारी न्यारी क्रियापरिणतियोंके भेद करके पर्यायोंके भेदकी उपलब्धि हो रही है । अतः एवंभूत की दृष्टिसे उस उस क्रियामें परिणमते हुये ही अर्थ आ रहे हैं । रसोईको बनाते समय ही वह पाचक है । खाते, गाते, नहाते, सोते, जाते, सभी समयोंमें वह पाचक नहीं है । अतः समभिरूढ नयद्वारा जिस धर्मकी विधि की गयी थी, उसी धर्मका एवंभूतद्वारा प्रतिषेध कर दिया गया है । इन विधि और निषेधके संयोगसे जायमान अन्य पांच भंग भी पूर्वप्रक्रियाके समान सप्त लेने चाहिये । अर्थात्—समभिरूढ और एवंभूत नयोंकी क्रमसे विवक्षा करनेपर तीसरा उभय भंग है । समभिरूढ और एवंभूतके गोचर हो रहे धर्मोंकी युगपत् विवक्षा करनेपर चौथा अवकल्प्य भंग है । विधिके प्रयोजक समभिरूढ नयका आश्रय करने और समभिरूढ, एवंभूत दोनों नयोंके एक साथ कथनका आश्रय करनेसे पांचवा विधि अवकल्प्य भंग है । प्रतिषेधके प्रेरक एवंभूत नयका आश्रय लेने और समभिरूढ एवंभूत दोनोंको एक साथ कहनेका आश्रय कर लेनेसे छठा प्रतिषेधावकल्प्य भंग है । विधि प्रतिषेधोंके नियोजक नयोंका आश्रय करनेसे और युगपत् समभिरूढ एवंभूतोंकी विवक्षा हो जानेसे सातवें विधिप्रतिषेधावकल्प्य भंगकी कल्पना कर लेनी चाहिये । यह एक सप्तभंगी हुई । इस प्रकार छह, पांच, चार, तीन, दो, एक, ६+५+४+३+२+१=२१ ये सब मिठाकर इक्कीस सप्तभंगियां हुईं ।

वैपरीत्येनापि तावन्त्यः प्रवंचतोभ्युक्षा ।

विपरीतपने करके भी उतनी ही संख्यावाली २१ सप्तभंगियां विस्तारसे स्वयं अपने आप तर्कणा करने योग्य हैं । अर्थात्—एवंभूतनयकी अपेक्षा रसोईको बनाते समय ही मनुष्य पाचक है । अन्य पर्यायोंमें या बहुवचन आदि अवस्थामें मनन करनेकी पर्यायमें, सामान्य मनुष्यपनके व्यवहारमें संगृहीत सत् पदार्थोंमें, और संकल्पित पदार्थोंमें, वह पाचक नहीं है । अतः एवंभूत नयकी अपेक्षा अस्तित्व धर्मकी मानकर शेष छह नयोंकी अपेक्षा नास्तित्वको गढ़ते हुये दो मूठ भंगोंकी भित्ति पर

छह सप्तमंगियां बना लेना । तथा समभिरूढसे विधिकी कल्पना करते हुये शद्र, ऋजुसूत्र, व्यवहार, संप्रह, और नैगम नयकी अपेक्षासे नास्तित्वको कल्पते हुये पांच सप्तमंगियां बना लेना । समभिरूढ नयकी मनीया है कि सभी पदार्थ अपने अपने वाच्य पर्यायोंमें ही आरूढ हो रहे हैं । इसकी व्याप्य दृष्टिमें पूर्व पूर्व नयोंके व्यापक विषय उसी प्रकार नहीं दीखते हैं, जैसे कि मूरे बछडेमें गौ पनेके व्यवहारको सीख कर बाढक अन्य पीळो काळी गायें या बडे बडे बैलोंमें गौपनेका व्यवहार नहीं करना चाहता है । या कूपमंडूक ( कूपका मंडका ) समुद्रको अपने क्षेत्र हो रहे कुरसे बडा हुआ माननेके लिये उद्युक्त नहीं है । अतः समभिरूढसे अस्तित्व और शद्र आदिकसे नास्तित्व ऐसे दो मूळ मंगोंसे पांच सप्तमंगियां बन जाती हैं । तथा शद्र नयकी अपेक्षा अस्तित्व और ऋजुसूत्र, व्यवहार, संप्रह, नैगमोंकी अपेक्षा नास्तित्वको मानते हुये दो मूळ मंगोंसे चार सप्तमंगियां बन जाती हैं । शद्रनयका उस अनुदार पुरुष या किसी अपेक्षा संतोपी मनुष्यके समान ऐसे हार्दिक भाव है कि थोडी कमाई अपने लिये और अधिक कमाई दूसरोंके लिये होती है । फाळ, कारक, आदिकसे भिन्न हो रहे पदार्थ ही इसको दीख रहे हैं । संकल्पित या संगृहीत अथवा लम्बे चौडे व्यवहारमें आनेवाले पदार्थ या सरळ पर्यायें मानों हैं ही नहीं । तथा ऋजुसूत्रकी अपेक्षा पहिले अस्तित्व मंगकी कल्पना कर व्यवहार, संप्रह, नैगम नयोंसे दूसरे नास्तित्व मंगकी गढते हुये दो मूळ मंगोंद्वारा तीन सप्तमंगियां बना लेना । ऋजुसूत्रनय वर्तमान पर्यायोंपर ही दृष्टि रखती है । व्यवहार करने योग्य या संप्रह प्रयोजक धर्म अथवा लम्बे चौडे संकल्प इनको नहीं छूती है । शश ( खरगोश ) अपनी आँखोंके ढक लेनेपर अन्य पदार्थोंके अस्तित्वको नहीं स्वीकार करता है । ऋजुसूत्रनयका उस स्वार्थी मनुष्यके समान यह संकुचित विचार है कि जगत्में मंडाई या यशोवृद्धि के कार्योंको करनेवाले पुरुष अपनी शारीरिक आर्थिक क्षतियोंको छेडते हुये प्राप्त लौकिक सुखोंसे भी वंचित रह जाते हैं । गोदकेको छोडकर पेटके की आशा लगाना मूर्खता है । तथा व्यवहारनयसे अस्तित्वकी कल्पना कर संप्रह, नैगम, नयोंसे प्रतिषेधकी कल्पना करते हुये दो मूळमंगोंद्वारा दो सप्तमंगियां बना लेना । व्यवहारमें आ रहे द्रव्य, पर्याय, आदिक ही पदार्थ हैं । सब सामान्यसे संगृहीत हो रहे पदार्थ कहीं एकत्रित नहीं हो रहे हैं । अपना अपना लोटा छानो । नियत कार्यसे अधिक कार्यको करनेवालोंसे दोनों कान अधूरे रह जाते हैं । “ जाको कारज ताको छात्रे गदहा पीठ मोगरा बाजे ” चोरोंके घुस आनेपर प्रभूको जगानेके लिये आँलसी कुत्तेके कार्यको भी सन्हा-लनेवाला गधा विचारा मोगरोसे पीटा गया । तथा संप्रहनयकी अपेक्षासे अस्तित्व मानते हुये नैगम की अपेक्षा नास्तित्वमंगकी कल्पना कर पूर्वोक्त पद्धति अनुसार एक सप्तमंगी बना लेना चाहिये । संप्रहनय विचारता है कि अपना नियत ही कार्य करो । “ कार्यं हि सावयेद् धीमान् कार्यं चो हि मूर्खता ” “ तेता पाव पसारिये जेती लम्बी सीड ” । मडे ही राजकुमार सरोवरमें डूब मरे किन्तु खवाने क्रीडा करने, कपडे पहनाने, गहना पहनाने, दूध पिजाने, घोटापर बैठाने, सुझानेके लिए

जो सात सेवक रखे गये हैं, साथ हो रहे उनमेंसे किसीका भी कर्तव्य डूब मरनेसे बचाना नहीं है। अपने कर्तव्योंसे इतर कर्तव्योंका भी संकल्प कर अवसरको साध लेना इसने नहीं सीखा है। इस प्रकार विपरीतपने करके भी ६+१+४+१+२+१=२१ इक्कीस सप्तमंगियां हुयीं। उत्तरवर्ती नयों करके पूर्ववर्ती नयोंके विषयका सर्वथा निषेध नहीं कर दिया गया है। जिससे कि इनको कुनयपनेका प्रसंग प्राप्त होय, किन्तु उपेक्षा भाव है। पूर्वकी सप्तमंगियोंमें भी तो उत्तरवर्ती नयों द्वारा प्रतिषेध कल्पना उपेक्षाभावोंके अनुसार ही की गयी थी। अन्य कोई उपाय नहीं। न्यारी न्यारी विवक्षाओंके अनुसार अन्य ढंगसे भी कई प्रकारकी सप्तमंगियां बनायी जा सकती हैं। श्रेष्ठ वक्ताको पदार्थोंके स्वभावोंकी भित्तिपर बहुत कुछ कह देनेका अधिकार प्राप्त है। “यों केडाके पातमें पात पातमें पात, त्यों पण्डितकी बातमें बात बातमें बात,”। यदि इसमें वस्तु स्वभावोंके अनुसार इतना अंश प्रविष्ट (घटित) हो जाय तो उक्त सिद्धान्त अक्षरशः सत्य है। “यावंतो भंगारतावन्तः प्रत्येकं स्वभावभेदाः”। यह विद्यार्थे आनन्द को माननेवाले आचार्योंका सब ओरसे भदोंको करने वाला अकलंक सिद्धान्त है।

तथोत्तरनयसप्तमंग्यः सर्वाः परस्परविरुद्धार्थोर्द्वयोर्नवभेदप्रभेदयोरेकतरस्य स्वविषयविधौ तत्प्रतिपक्षस्य नयस्यावलंबनेन तत्प्रतिषेधे मूलभंगद्वयकल्पनया यथोदितन्यायेन तदुत्तरभंगकल्पनया च प्रतिपर्यायमवगन्त्याः। पूर्वोक्तप्रमाणसप्तमंगीवत्तद्विचारश्च कर्तव्यः। प्रतिपादितनयसप्तमंगीष्वपि प्रतिभंगं स्यात्कारस्यैवकारस्य च प्रयोगसद्भावात्।

तिसी प्रकार मूल नयोंके समान उत्तर नयोंकी भी सम्पूर्ण सप्तमंगियां समझ लेनी चाहिये। परस्परमें विरुद्ध हो रहे दो अर्थोंमेंसे किसी भी एककी अथवा नैगमनयके नौ भेद प्रभेदोंमेंसे किसी भी एककी अपने गृहीत विषय अनुसार त्रिधि करनेपर और उसके प्रतिपक्ष हो रहे नयका आश्रय लेनेसे उस धर्मका प्रतिषेध करनेपर दो मूलभंगोंकी कल्पना करके पूर्वमें कही गयी यथायोग्य न्यायपद्धतिसे और उन दोके उत्तरवर्ती पांच भंगोंकी कल्पना करके प्रत्येक पर्यायमें सप्तमंगियां समझ लेनी चाहिये। अर्थात्—नैगमके नौ भेदोंमें परस्पर अथवा संप्रह आदिके उत्तर भेदोंके अनुसार दो मूलभंगोंकी बनाते हुये सैकड़ों सप्तमंगियां बनायी जा सकती हैं। प्रत्येक वशसे एक वस्तुमें विधिनियेधोंको व्यस्त और 'समस्त रूपकरके कल्पना करना सप्तमंगी है। अर्थ पर्याय नैगमकी अपेक्षा विधिकी कल्पना कर और परसंप्रहका अवलम्ब लेकर निषेधकी कल्पना करते हुये दो मूल भंगों करके सप्तमंगी बना लेना। पूर्व प्रकरणोंमें कही गयीं प्रमाणसप्तमंगियोंके समान नयसप्तमंगियोंका विचार भी कर लेना चाहिये। अर्थात्—“प्रमाणनयैरविगमः” सूत्रमें अद्वतालीसवीं वार्तिकसे छप्पनवीं वार्तिकतक प्रमाणसप्तमंगीका जिस ढंगसे विचार किया गया है, वही नयसप्तमंगीमें लागू हो जाता है। प्रमाण सप्तमंगीमें अन्य धर्मोंकी अपेक्षा



रहती है। और नयसप्तभंगीमें अन्य धर्मोंकी उपेक्षा रहती है। इन समझा दी गयीं उक्त सभी नयसप्तभंगियोंमें प्रत्येक भंगके साथ कथंचित्को कहनेवाले स्यात्कारका और व्यवच्छेदको करनेवाले एवकारका प्रयोग करना विद्यमान समझो। “स्यात्कारः सत्यलञ्छनः” सत्यकी छाप स्यात्कार है। दृढताका बोधक एवकार है।

तासां विकलादेशत्वादेश्च सकलादेशत्वादेस्तत् सप्तभंगीतः सकलादेशात्मिकाया विशेष व्यवस्थापनात्। येन च कारणेन सर्वनयाश्रयाः सप्तधा वचनमार्गाः प्रवर्तते।

उन नय सप्तभंगियोंको विकलादेशशब्दपना है। और विकलज्ञानपना है, तथा विकल अर्थपना आदि है। किन्तु प्रमाण सप्तभंगियोंको सकलादेश शब्दपना आदि है। इस कारण सकलादेश स्वरूप हो रही उस प्रमाणसप्तभंगीसे इस नयसप्तभंगीके विशेष हो जानेकी व्यवस्था करा दी गयी है। अनन्त सप्तभंगियोंके विषय हो रहे अनन्त धर्मसप्तकस्वभाव वस्तुका काल, आत्मरूप, आदि करके अभेदवृत्ति या अभेद उपचार करके प्रकाश करनेवाला वाक्य सकलादेश है। और एक सप्त भंगीके विषय हो रहे स्वभावोंका प्रकाशक वाक्य विकलादेश है। जिस कारणसे कि वस्तु स्वभावों अनुसार सात प्रकारके संशय, जिज्ञासा और प्रश्न उठते हैं, इसी कारण सम्पूर्ण नयोंके अवबन्ध हो रहे सात प्रकारके ही वचनमार्ग प्रवर्त रहे हैं। न्यून और अधिक वाक्योंकी सम्भावना नहीं है।

सर्वे शब्दनयास्तेन परार्थप्रतिपादने।

स्वार्थप्रकाशने मातुरिमे ज्ञाननयाः स्थिताः ॥ ९६ ॥

वै नीयमानवस्त्वंशाः कथ्यंतेऽर्थनयाश्च ते।

त्रैविध्यं व्यवतिष्ठंते प्रधानगुणभावतः ॥ ९७ ॥

तिस कारणसे ये सभी सातों नय दूसरे श्रोताओंके प्रति वाच्य अर्थका प्रतिपादन करनेपर तो शब्दस्वरूप नय हैं और ज्ञान करनेवाले आत्माको स्वार्थोंका प्रकाश करनेकी विवक्षा होनेपर ये सभी नय ज्ञानस्वरूप व्यवस्थित हो रहे हैं। “नीयन्तेऽनेन इति नयः” यह कारणसाधन व्युत्पत्ति करनेपर उक्त अर्थ लब्ध हो जाते हैं। स्वयं आत्माको ज्ञान और अर्थका प्रकाश तो ज्ञानस्वरूप नयोंकरके हो सकता है और दूसरोंके प्रति ज्ञान और अर्थका प्रकाश होना शब्दस्वरूप नयों करके सम्भवता है। तथा “नीयन्ते ये इति नयाः” यों कर्मसाधन नयशब्दकी निरुक्ति करने पर तो निश्चय कर वस्तुके ज्ञात किये जा रहे अंश वे अर्थस्वरूप नय हैं। इस प्रकार प्रधान और गौणरूपसे ये नय तीन प्रकार होते हुये व्यवस्थित हो रहे हैं। अर्थात्—प्रधानरूपसे ज्ञानस्वरूप ही नय है।

किन्तु गौणरूपसे नय वाचक शब्दको भी नय कह देते हैं । तथा गौण गौण रूपसे वाच्य अर्थको भी नय कह देते हैं । जगतमें ज्ञान, शब्द और अर्थ तीन ही पदार्थ गणनीय हैं । “ बुद्धिशब्दार्थ संज्ञास्तारित्तो बुध्यादिवाचिकाः ” ऐसा श्री समन्तभद्र स्वामीने कहा है । ज्ञाननय प्रमाताको स्वयं अपने लिये अर्थका प्रकाश कराते हैं । शब्दनय दूसरोंके प्रति अर्थका प्रकाश कराते हैं । अर्थनय तो स्वयं प्रकाशस्वरूप हैं । इसी प्रकार यह भी स्पष्ट लेना चाहिये कि कोई भी सूत्र या श्लोक अथवा लक्षण ये सब ज्ञान या शब्दस्वरूप हैं । गोमटसार, अष्टसहस्री, सर्वार्थसिद्धि इत्यादि ग्रन्थ सब ज्ञानरूप या शब्दस्वरूप हैं । लिपि अक्षरों या लिखित पत्रोंको ग्रन्थ कहना तो मात्र उपचरितोपचार है । उन ज्ञान या शब्दोंके विषय या वाच्य हो रहे प्रमेय अर्थ हैं ।

किं पुनरमीषां नयानामेकस्मिन्नर्थे प्रवृत्तिराहोस्वित्प्रतिविशेषोस्तीत्याह ।

किसी जिज्ञासुका प्रश्न है कि इन सभी नयोंकी फिर क्या एक ही अर्थमें प्रवृत्ति हो रही है ? अथवा क्या कोई विलक्षणताका सम्पादक विशेष है ! इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी इसके समाधानको कहते हैं ।

यत्र प्रवर्तते स्वार्थे नियमादुत्तरो नयः ।

पूर्वपूर्वो नयस्तत्र वर्तमानो न वार्यते ॥ ९८ ॥

सहस्रेष्टशती यद्वत्तस्यां पंचशती मता ।

पूर्वसंख्योत्तरस्यां वै संख्यायामविरोधतः ॥ ९९ ॥

जिस जिस स्वार्थको विषय करनेमें उत्तरवर्ती नय नियमसे प्रवर्त रहा है, उस स्वार्थको जाननेमें पूर्व पूर्ववर्ती नय प्रवृत्ति करता हुआ नहीं रोका जाता है । जैसे कि सहस्रमें आठसौ समा जाते हैं । और उस आठसौ संख्यामें पांचसौ गर्भित हो रहे माने जाते हैं । पूर्वसंख्यानियमसे उत्तरसंख्यामें वर्त जाती है, कोई विरोध नहीं है । भावार्थ—व्यवहारनय द्वारा जाने गये पदार्थमें संप्रहनय और नैगम नय प्रवर्त सकते हैं । कोई विरोध नहीं है । पूर्ववर्ती नयोंका विषय व्यापक है और उत्तरवर्ती नयोंका विषय व्याप्य है । पूर्ववर्ती नयें उत्तरवर्ती नयोंकी जननी हैं ।

परः परः पूर्वत्र पूर्वत्र कस्मान्नयो न प्रवर्तत इत्याह ।

किसीका प्रश्न है कि उत्तरउत्तरवर्ती नयें पूर्व पूर्वकी नयोंके विषयोंमें कैसे नहीं प्रवर्तती है ? बताओ, ऐसी जिज्ञासा होनेपर आचार्य महाराज उत्तर कहते हैं ।

पूर्वत्र नोत्तरा संख्या यथायातानुवर्त्यते ।

तथोत्तरनयः पूर्वनयार्थसकले सदा ॥ १०० ॥

जिस प्रकार उत्तर उत्तरवर्तिनी संख्या यथायोग्य चर्चा आरही पूर्व पूर्वकी संख्याओंमें नहीं अनुवर्तन की जा रही है, तिसी प्रकार उत्तरवर्ती नय तो पूर्ववर्ती नयोंके परिपूर्ण विषयमें सदा नहीं प्रवर्तती हैं। जैसे कि पांचसौमें पूरे आठसौ नहीं रहते हैं, केवल आठसौमें सहस्र रुपये नहीं ठहर पाते हैं, उसी प्रकार पूर्व नयोंके व्यापक विषयोंमें अल्पप्रादिणी उत्तरवर्ती नयें नहीं प्रवर्त पाती है। यहां वैशेषिकोंके द्वारा माने गये अवयवोंमें अवयवीकी वृत्तिके समान पूर्व संख्यामें उत्तर संख्याको नहीं धरना चाहिये। क्योंकि केवल पड़नी संख्यामें पूरी उत्तरसंख्या नहीं ठहर पाती है। अपने पूरे अवयवोंमें एक अवयवी ठहर जाता है। अतः दृष्टान्त विषम है।

प्रमाणनयानामपि परस्परविषयगमनविशेषेण विशेषितश्चेति शंकायामिदमाह ।

पुनः किसीकी आशंका है कि यों तो प्रमाण और नयोंका भी परस्परमें विषयोंके गमनकी विशेषता करके कोई विशेष प्राप्त हो चुका होगा ? बताओ। इस प्रकार आशंका होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य इस बातको स्पष्ट रूपसे कहते हैं।

नयार्थेषु प्रमाणस्य वृत्तिः सकलदेशिनः ।

भवेन्न तु प्रमाणार्थे नयानामखिलेषु सा ॥ १०१ ॥

सकल वस्तुका आदेश कर जतानेवाले प्रमाणकी प्रवृत्ति तो नयों द्वारा गृहीत किये गये अर्थोंमें अवश्य होवेगी। किन्तु नयोंकी वह प्रवृत्ति इस प्रमाणद्वारा गृहीत अर्थोंमें संपूर्ण अंशोंमें नहीं होगी। जब कि प्रमाणद्वारा अमेदवृत्ति करके वस्तुके सम्पूर्ण अंशोंको जान लिया गया है। और नयोंद्वारा वस्तुके एक अंश या कतिपय अंशोंको ही जाना गया है, ऐसी दशामें व्यापकप्राही प्रमाण तो नयोंके विषयमें प्रवृत्ति कर लेता है। किन्तु नयें प्रमाणगृहीत सभी अंशोंको स्पर्श नहीं कर पाती हैं। एक बात यह भी है कि नय जिस प्रकार अन्तस्तलस्पर्शी होकर वस्तुके अंशको जता देता है, उस ढंगसे प्रमाणकी या श्रुतज्ञानकी प्रवृत्ति नहीं है। तभी तो प्रमाण, नय, दोनोंको स्वतंत्रतासे अधिगमका कारण माना गया है। फास निकालनेके लिये छोटी चीमटी जैसा कार्य करती है, वह काम बड़े चीमटासे नहीं हो सकता है। घरके भीतर गुप्त भागमें रखे ड्रये रुपया सुवर्ण, रत्न आदि धनको प्रकाशनेके लिये जितना अच्छा कार्य दीपकसे हो सकता है, उतना सूर्य से नहीं हो सकता है। दाँ, केवलज्ञानकी बात न्यारी है। फिर भी कहना पड़ता है कि छोटे बच्चोंको गोदमें बैठानेसे जो वास्तव्यरस उद्भूत होता है, वह परिपूर्ण युवा या युवा वृद्धीकी गोदमें बैठानेसे नहीं आता। अविचारक ज्ञानोंमें युगपद् सबको जाननेवाले केवलज्ञानकी प्रशंसा है। किन्तु विचार करनेवाले ज्ञानोंमें नयज्ञानोंकी प्रतिष्ठा है।

किमेवं प्रकारा एव नयाः सर्वेष्व्याहुस्तद्विशेषाः संति ? अपरेपीत्याह ।

कोई पूछता है कि क्या इतने ही प्रकारके उपर्युक्त कहे अनुसार सभी नये कही जाती हैं ? अथवा और भी उनके विशेषभेद हैं ? अर्थात्—दो, सात, पन्द्रह आदिक ही नये हैं या और भी इनके अधिक भेद हैं ? बताओ। इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य कहते हैं कि कहे गये प्रकारोंसे अतिरिक्त भी नये विद्यमान हैं। इस बातको वे वार्तिक द्वारा कहे देते हैं। सो सुनिये।

**संक्षेपेण नयास्तावद्याख्यातास्तत्र सूचिताः ।**

**तद्विशेषाः प्रपंचेन संचित्या नयचक्रतः ॥ १०२ ॥**

श्री उमास्वामी महाराजने उस नयप्रतिपादक सूत्रमें संक्षेपसे नयोंकी सूचना कर दी है। तदनुसार कुछ भेद, प्रभेद, करते हुये श्री विद्यानन्द स्वामीने उन नयोंका व्याख्यान कर दिया है। फिर भी अधिक विस्तारसे उन नयोंके विशेष भेदप्रभेदोंका नयचक्र नामक ग्रन्थसे विद्वान् पुरुषों फरके अच्छा-चिन्तवन करलेना चाहिये।

**एवमधिगमोपायभूताः प्रमाणनया व्याख्याताः ।**

इस प्रकार अधिगमके प्रकृष्ट उपाय हो रहे प्रमाण और नयोंका यद्दतक व्याख्यान कर दिया गया है। “प्रमाणनयैरधिगमः” आदिक पहिले कई सूत्रोंमें प्रमाणोंका व्याख्यान है। और प्रथम अध्यायके इस अन्तिमसूत्रमें नयोंका विवरण किया गया है। प्रमाणनयस्वरूप ही तो न्याय है।

इति नयसूत्रस्य व्याख्यानं समाप्तं ।

इस प्रकार नयोंका प्रतिपादन करनेवाले “नैगमसंप्रहव्यवहारजुसूत्रशब्दसम-  
मिरुद्धैर्बभूता नयाः” इस सूत्रका व्याख्यान यद्दतक समाप्त हो चुका है।

**इस सूत्रका सारांश ।**

इस सूत्रके प्रकारोंकी सूची इस प्रकार है कि अधिगमके उपायभूत प्रमाणोंका वर्णन कर चुकनेपर अब नयोंका वर्णन करनेके लिये सूत्रका रत्ना जाना आवश्यक बताते हुये श्री विद्यानन्द आचार्यने इस सूत्रमें ही नयके लक्षण और भेदप्रभेदोंका अन्तर्भाव हो रहा समझा दिया है। नयका सिद्धान्तलक्षण नयशब्दकी निरुक्तिसे लब्ध हो जाता है। श्री उमास्वामी महाराजके अभिप्राय अनुसार श्री समन्तभद्र आचार्यने नयकी परिभाषा की है। नयके विभागोंका परामर्श कराते हुये विद्वत्तापूर्वक “नयाः” पदका व्याकरण किया है। गुणार्थिक नयका पर्यायार्थिकमें अन्तर्भाव हो जाता है। मूळनय दो ही हैं। चार, पाँच, छह, सोलह, पचास, नहीं हैं। पश्चात् नैगमके भेद प्रभेदोंका उदाहरणपूर्वक लक्षण करते हुये तदामात्रोंकी दर्शाया है। संप्रह्वनय और संप्रह्वामासको दिखते हुये एकान्तवादियोंका निराकरण कर दिया है। व्यवहारनय द्वारा किये गये विभागका विचार करते हुये व्यवहारको नैगमपना नहीं हो जानेका विवेचन कर दिया है। अन्य मतियोंके

विचार अनुसार ही प्रमाणोंकी प्रमाणताको कुछ देरके लिये इष्ट करते हुये व्यवहारको पुष्ट किया है । ऋजुसूत्र नयकी पुष्टि करते हुये क्षणिक एकान्तका प्रचारव्यान कर दिया है । शब्दमयका लक्षण करते हुये काळ आदिका भेद होनेपर भिन्न अर्थपनेको अन्वयव्यतिरेक द्वारा साधते हुये शब्दशक्तिका निरूपण किया है । इसी प्रकार समभिरूढनयद्वारा शब्दकी प्रणियोंकी सुवृत्ताया गया है । एवंभूत नयका लक्षण कर सभी प्रकारके शब्दोंकी क्रियायाचीपना समझा दिया गया है । कुल्य, सुनयका विवेक कर अर्थनय शब्दनयोंकी गिनती गिनाते हुये नयोंके अन्वयविषय, बहुविषयपनेका निर्णय कर दिया है । इसमें सठाये गये निषर्थायोंका निराकरण किया है । पश्चात् प्रमाणसप्तमंगीके समान नयसप्तमंगियोंको बनानेके लिये प्रकरण सटाया गया है । भूदनयोंकी इनकीस सप्तमंगियोंको बना कर उत्तरनयोंकी एकसौ पिचत्तर सप्तमंगिया बनाई हैं । पूर्व पूर्व नयोंकी अपेक्षा विधिकी कल्पना करते हुये उत्तर नयों द्वारा प्रतिषेधकी कल्पना कर द्वादश सप्तमंगिया बना ली जाती हैं । अनुभोम, प्रतिभोम, करके तथा उत्तरनयोंद्वारा अभिप्रेत किये गये धर्मोंकरके अनेक सप्तमंगिया बन जाती हैं । वस्तुमें तदात्मक हो रहे धर्मोंकी भित्तिपर अनेक मंगोंकी कल्पनायें हो जाती हैं । “ स्यात् ” और “ एव ” शब्दका प्रयोग करना सर्वत्र आवश्यक है । सकलादेशसे प्रमाण सप्तमंगी और विकलादेशसे नयसप्तमंगीकी व्यवस्था है । किसी धर्मका आश्रय कर उसके द्वारा पहिले मंगको बताकर प्रतिषेधधर्मकी अपेक्षासे द्वितीय मंगको बना लेना चाहिये । दोनों धर्मोंकी क्रमसे विवक्षा करनेपर तीसरा मंग उभय बना लेना । तथा दोनों धर्मोंके साथ कल्पनेका अभिप्राय रखनेपर चौथा अवक्तव्य मंग बन जाता है । पहिले और चौथेको जोड़ देनेसे पाचवां तथा दूसरे और चौथेको जोड़ देनेसे छठा एवं तीसरे और चौथेको मिठा देनेसे सातवां मंग बन जाता है । अतिरिक्त मंगोंकी कल्पना नहीं हो सकती है । दो अस्तित्व या दो नास्तित्व अथवा दो अवक्तव्य एक मंगमें नहीं ठहर सकते हैं । जगत्में एक धर्मकी अपेक्षा सात ही वचनोंके मार्ग सम्भवते हैं । न्यून या अधिक नहीं । ये नये शब्दनय, ज्ञाननय, अर्थनय, तीन प्रकारकी हैं । उत्तरवर्ती नयोंकी प्रवृत्ति होनेपर पूर्वनय नियमसे प्रवर्त जाती हैं । किन्तु पूर्वनयोंकी प्रवृत्ति होनेपर उत्तरनयोंका प्रवर्तना माज्य है । प्रमाण और नयोंका भी परस्परमें इसी प्रकार विषयगमन होता है । इस प्रकार नयोंका वर्णन कर अधिक विस्तारसे जाननेवालोंके प्रति नयचक्र प्रथका चिन्तवन करनेके लिये हितोपदेश देकर श्री विद्यानन्द स्वामीने इस नय प्रतिपादक सूत्रके विवरणको समाप्त किया है ।

पूर्णार्थज्ञरविप्रमाणविषयांशाभासनेस्त्रौपमा ।

भाट्टव्याकरणज्ञसौगतजनानुत्सारयन्तोऽप्यात् ॥

संख्याताः प्रभिदा निदर्शनं तदाभानेरुभङ्गचन्विताः ।

स्वायत्ताखिलवाद्दयैर्दधतु वो ज्ञप्तिं नयाः स्वामिभिः ॥ १ ॥

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ।

## तत्त्वार्थाधिगमभेदः ।

यहाँ तक पहिले अध्यायके सूत्रोंका विवरण कर अब श्री विद्यानन्द स्वामी विद्वानोंके अति उपयोगी हो रहे प्रकरणका प्रारम्भ करते हैं, जिसका कि परिशीलन कर उन्नतप्रीव होते हुये जैन विद्वान् स्वयं तत्त्वोंका अध्यवसाय कर दूसरोंके हृदयमें तत्त्वज्ञानको ठीक ठीक दृढतापूर्वक जमा देवें और निर्दोष सनातन जैनधर्मका दुन्दुभिनिनाद जगत्में विस्तार देवें ।

अथ तत्त्वार्थाधिगमभेदमाह ।

इसके अनन्तर श्रीविद्यानन्द आचार्य तत्त्वार्थोंकी अधिगतिके भेदको समझाते हुये कहते हैं ।

तत्त्वार्थाधिगमस्तावत्प्रमाणनयतो मतः ।

सर्वः स्वार्थः परार्थो वाध्यासितो द्विविधो यथा ॥ १ ॥

“ प्रमाणनयैरधिगमः ” इस सूत्रके द्वारा श्री उमास्वामी महाराजने तत्त्वार्थोंका अधिगम सबसे पहिले प्रमाण और नयों करके होता हुआ स्वीकार किया है । तथा इस सिद्धान्तका यथायोग्य निर्णय पूर्व प्रकरणोंमें श्री विद्यानन्द आचार्य द्वारा करा दिया गया है कि वही सभी अधिगम स्वके लिये अथवा दूसरोंके लिये होता हुआ दो प्रकारका है ।

अधिगच्छत्यनेन तत्त्वार्थानधिगमयत्यनेनेति वाधिगमः स्वार्थो ज्ञानात्मकः, परार्थो वचनात्मकः, इति प्रत्येयम् ।

श्री उमास्वामी महाराजके सूत्रमें पडे हुये अधिगम शब्द करके ही उक्त दोनों अर्थ ध्वनित हो जाते हैं । जीव इस ज्ञानकरके तत्त्वार्थोंको स्वतंत्रतापूर्वक जानता है । इस प्रकार अधि उपसर्ग पूर्वके “ गम् ” धातुसे नयगर्णीमें विप्रह कर अच् प्रत्ययका विधान करनेसे अधिगम शब्द बनाया जाता है । इसका अर्थ ज्ञानस्वरूप अधिगम है । और अधिपूर्वक गम् धातुसे प्वन्त प्रक्रियामें णिच् प्रत्यय करते हुये पुनः अच् प्रत्ययकी विधिद्वारा जो अधिगम शब्द बनाया जाता है, वह अधिगतिके प्रेरक शब्दको कह रहा है । ज्ञानस्वरूप अधिगम तो स्व के लिये उपयोगी है । और वचनस्वरूप अधिगम अन्य श्रोताओंके लिये उपयोगी है । इस प्रकार प्रतीति कर लेनी चाहिये ।

परार्थाधिगमस्तत्रानुद्धवद्रागगोचरः ।

जिगीषु गोचरश्चेति द्विधा शुद्धधियो विदुः ॥ २ ॥

शुद्धश्रुद्धियोंको धारनेवाले विद्वान् उन दो प्रकारके अधिगमोंमें परार्थ अधिगम ( वाद ) को दो प्रकारका समझ रहे हैं । पहिला तो जिन सज्जनोंके कोई रागद्वेष नहीं, उन धीतराग पुरुषोंमें हो रहा वचनव्यवहार स्वरूप है । गोचरका अर्थ विषय है, सप्तमी विभक्तिका अर्थ कहींपर विषयपना होता है । “ विषयस्य सप्तम्यर्थः ” । तथा दूसरा अधिगम तो परस्परमें जीतनेकी अमिलापाको रखनेवाले वादी पुरुषोंमें प्रवर्तता है । अर्थात्—धीतराग पुरुषोंमें होनेवाला और विजगीव पुरुषोंमें प्रवर्तनेवाला इस प्रकार शब्द आत्मक पदार्थ अधिगम दो प्रकारका है ।

**सत्यवाग्भिर्विधातव्यः प्रथमस्तत्त्ववेदिभिः ।**

**यथा कथंचिदित्येष चतुरंगो न संमतः ॥ ३ ॥**

धीतराग पुरुषोंमें होनेवाला पहिला शब्दस्वरूप अधिगम तो सत्यवचन कहनेवाले तरववेत्ता पुरुषोंकोके विधान करने योग्य है । यह संवाद तो यथायोग्य चाहे किसी भी प्रकारसे कर लिया जाता है । सम्य, समापति, वादी और प्रतिवादी इन चार अंगोंका होना यहाँ आवश्यक नहीं माना गया है । भावार्थ—जब विचार करनेवाले सज्जन पुरुष हैं, तत्त्वज्ञानको करनेके लिये उनका शुभ प्रयत्न है तो एकान्तमें दो ही अंशोंसे यह प्रवर्त जाता है । तीन या चार भी होय तो कोई बाधा नहीं है । किन्तु सम्य और समापतियोंकी चलाकर कोई आवश्यकता नहीं है ।

**प्रवक्त्राज्ञाप्यमानस्य प्रसभज्ञानपेक्षया ।**

**तत्त्वार्थाधिगमं कर्तुं समर्थोऽथ च शास्वतः ॥ ४ ॥**

**विश्रुतः सकलाभ्यासाञ्ज्ञायमानः स्वयं प्रभुः ।**

**तादृक्सम्यसमापत्यभावेपि प्रतिबोधकः ॥ ५ ॥**

यह धीतराग पुरुषोंमें होनेवाला वाद तो प्रकृत माननीय वक्ताके द्वारा आज्ञापित किये जा रहे पुरुषका इच्छान्वी पुरुषोंकी नहीं अपेक्षा करके तत्त्वार्थोंका अधिगम करनेके लिये समर्थ है । और वह वाद सर्वदा हो सकता है । अर्थात्—प्रकृत ज्ञानी पुरुषके आज्ञा अनुसार कोई भी कदा-प्रहको नहीं करनेवाला पुरुष चाहे जब तत्त्वार्थोंका निर्णय करनेके लिये सम्वाद कर सकता है । जो प्रकृतवक्ता सम्पूर्ण विषयोंके शास्त्रका अभ्यास करनेसे जगत् प्रसिद्ध विद्वान् होकर जाना जा रहा है, और जो स्वयं दूसरोंको समझानेके लिये समर्थ होता हुआ उनको स्वकीय सिद्धान्तके घेरमें घेरनेके लिये प्रमुता युक्त है, वह तिस प्रकारके अन्य सम्य और समापतिके अभाव होनेपर भी निर्णिनीव पुरुषोंको प्रतिबोध करा देता है ।

साभिमानजनारभ्यश्चतुरंगो निवेदितः ।

तज्ज्ञैरन्यतमापायेष्यर्थापरिसमाप्तिः ॥ ६ ॥

जिगीपद्भ्यां विना तावन्न विवादः प्रवर्तते ।

ताभ्यामेव जयोन्योन्यं विधातुं न च शक्यते ॥ ७ ॥

परस्परमें जीतनेकी इच्छा रखनेवाले वादियोंमें प्रवर्त रहा दूसरे प्रकारका वाद ( शास्त्रार्थ ) तो अभिमानी पुरुषोंके द्वारा आरम्भ जाता है । उस वादके वादी, प्रतिवादी, सम्य, और समापति, ये चार अंग उस शास्त्रार्थके मर्मको जाननेवाले विद्वानोंकरके निवेदन किये गये हैं । उन चार अंगोंमेंसे किसी भी एक अंगके नहीं विद्यमान होनेपर परिपूर्ण रूपसे प्रयोजनकी सिद्धि नहीं हो पाती है । देखिये, एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा रखनेवाले दो वादी, प्रतिवादियोंके बिना तो विवाद कैसे भी नहीं प्रवर्तता है । और उन दोनों ही करके परस्परमें जीत हो जानेका विधान नहीं किया जा सकता है । अर्थात्—दूहा दूखड़िनके बिना जैसे विवाह नहीं होता है, वैसे दो वादी, प्रतिवादियोंके बिना विवाद नहीं हो पाता है । अपने अपने पक्षको बढ़िया बता रहे अभिमानी वादी, प्रतिवादियोंकी वास्तविक रूपसे जयकी व्यवस्था करनेके लिये सम्यपुरुषोंकी और सुप्रबन्धके लिये प्रभुकी आवश्यकता है ।

वादिनः स्पर्द्धया वृद्धिरभिमानप्रवृद्धितः ।

सिद्धे वाचाकलकस्य महतो न्यायवेदिनः ॥ ८ ॥

यायशास्त्रको परिपूर्ण जाननेवाले महान् विद्वान् श्री अकलंक देवकी बाणीसे जब यह सिद्ध हो चुका है कि वादी और प्रतिवादी पुरुषोंके प्रति स्पर्धा करके वृद्धिको प्राप्त होता हुआ अभिमान प्रकृष्टरूपसे बढ रहा है । इस कारण वे अपना पराजय और दूसरेका विजय माननेके लिये कथमपि तत्पर नहीं हैं, तब जयविधान और उपद्रवनिराकरणके लिये जिगीपुओंसे अतिरिक्त पुरुषोंकी भी आवश्यकता है ।

स्वप्रज्ञापरिपाकादिप्रयोजनेति केचन ।

तेषामपि विना मानाद्द्वयोर्यदि स संमतः ॥ ९ ॥

तदा तत्र भवेद्यर्थः सत्प्राश्रिकपरिग्रहः ।

ज्ञेयं प्रश्वशान्नेव कथं तैरिति मन्यते ॥ १० ॥



कोई पण्डित इस प्रकार कह रहे हैं कि धीतरागकयाोक समान विजिगीषुओंका वाद भी दो ही वादी प्रतिवादियोंमें प्रवर्त जाता है । उस वादकी प्रवृत्तिके प्रयोजन तो अपनी अपनी प्रजाका परिपाक होना या अन्य विचारियोंके लिये युक्तिश्रोंका संकलन करना अभ्यास बढ़ाना आदिक हैं । मछु भी तो अपने अखाडेमें अभ्यास, दाव पेच सीखना आदिका उद्ध्य रखकर कटाकटीसे उड़ते हैं । इसपर आचार्य कहते हैं कि उन पण्डितोंके यहां भी प्रमाणोंके बिना ही यदि वह दोनोंका प्रज्ञा-परिपाक होना मळे प्रकार मान लिया है, तब तो उस अवसरपर श्रेष्ठ सभ्योंका या प्राश्रिक पुरु-षोंका एकत्रित करना व्यर्थ ही होगा । किन्तु उन पण्डितोंकरके यह कैसे माना जा सकता है कि प्रश्नके वशसे ही ज्ञेयपदार्थ व्यवस्थित नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि प्राश्रिकोंका मिठना तो अच्छा है ।

तयोरन्यतमस्य स्यादभिमानः कदाचन ।

तन्निवृत्त्यर्थमेवेष्टं सभ्यापेक्षणमत्र चेत् ॥ ११ ॥

राजापेक्षणमप्यस्तु तथैव चतुरंगता ।

वादस्य भाविनीमिष्टामपेक्ष्य विजिगीषताम् ॥ १२ ॥

यदि वे यों कहें कि हम वादी प्रदिवादी और प्राश्रिक इन तीन अंगोंसे वादके होनेको मानते हैं । उन दो वादी, प्रतिवादियोंमेंसे किसी एकको यदि कभी अभिमान हो जायगा और उस कषायके अनुसार असभ्य आचरण होने लग जाय तो उसकी निवृत्तिके लिए सभ्य प्राश्रिकोंकी अपेक्षा करना यहां वादमें इष्ट कर लिया है । “ अपक्षपतिता प्राज्ञाः सिद्धान्तद्वयवेदिनः, असद्वाद-निषेद्धारः प्राश्रिकाः प्रप्रज्ञा इव ” जो वादी और प्रतिवादीका पक्षपात करनेसे रहित हों, अच्छे विद्वान् हों, वादी प्रतिवादी दोनोंके सिद्धान्तोंके जाननेवाले हों, असमीचीनवादकी प्रवृत्ति करने को निषेध करनेवाले हों, वे पुरुष प्राश्रिक होते हैं, जैसे कि बैलों या घोड़ोंको लगाम वशमें रखती हुई अनिष्ट मार्गकी ओर नहीं झुकने देती है, उसी प्रकार प्राश्रिक पुरुष भी वादी प्रतिवादियोंको मर्यादामें स्थित रखते हैं । इस प्रकार यों कहनेपर तो आचार्य कहते हैं कि तब तो चौथे अंग राजाकी भी अपेक्षा वादमें हो जाओ और तिस प्रकार होनेपर ही वाद चार अंगोंसे सहित हो रहा माना गया है । विजयकी इच्छा रखनेवाले विद्वानोंको इष्ट हो रही मविष्यमें होनेवाली जीतनेकी इच्छाकी अपेक्षा कर वादके चार अंग मानना अच्छा जचता है । माथार्थ—अपने अपने पक्षको दृढ अखण्डनीय मान रहे वादी और प्रतिवादी दोनों इस बातको इष्ट करते हैं कि हमारी जीत राजा और प्राश्रिक विद्वानोंके समक्षमें होय । अभिमान या अनीतिका निराकरण कर ठीक प्रबन्धको राजा ही कर कर सकता है ।

सम्भैरनुमतं तत्त्वज्ञानं दृढतरं भवेत् ।

इति ते वीतरागाभ्यामपेक्ष्यास्तत एव चेत् ॥ १३ ॥

तच्चेन्महेश्वरस्यापि स्वशिष्यप्रतिपादने ।

सभ्यापेक्षणमप्यस्तु व्याख्यानं च भवादृशां ॥ १४ ॥

यदि कोई यों कहें कि सभामें बैठे हुए प्राशिकोंकरके अनुमतिको प्राप्त हो रहा तत्त्वज्ञान अधिक दृढ हो जावेगा । इस कारण बादमें उन तीसरे अंग सम्म्योंकी अपेक्षा करनी चाहिये । अब आचार्य कहते हैं कि तब तो तिस ही कारणसे यानी तत्त्वज्ञानकी दृढताके सम्पादनार्थ वीतरागवादी प्रतिवादियोंके द्वारा भी उन सम्म्योंकी अपेक्षा की जानी चाहिये । सज्जन विद्वानोंका परस्परमें सम्वाद होनेपर यदि सम्य विद्वानोंकरके उस तत्त्वबोधकी अनुमति दे दी जायगी तो वह तत्त्वज्ञान बद्धत पक्का होता हुआ सबको माद्य हो जायगा । और इस प्रकार वीतराग कथामें भी सम्म्योंकी अपेक्षा यदि मान ली जायगी, तब तो नैयायिकोंके महान् ईश्वरको भी अपने शिष्योंके प्रति तत्त्वोंका प्रतिपादन करनेमें सम्म्योंकी अपेक्षा माननी पड़ेगी । तथा आप सटश पण्डितोंके व्याख्यानमें भी सम्म्योंकी अपेक्षा आवश्यक बन बैठेगी । किन्तु ऐसा एकान्त प्रतीत नहीं हो रहा है ।

स्वयं महेश्वरः सभ्यो मध्यस्थस्तत्त्ववित्त्वतः ।

प्रवक्ता च विनेयानां तत्त्वख्यापनतो यदि ॥ १५ ॥

तदान्योपि प्रवक्तैवं भवेदिति वृथा तव ।

प्राशिकापेक्षणं चापि समुदायमुदाहृतः ॥ १६ ॥

यदि नैयायिक यों कहें कि महेश्वर तो स्वयं सम्य है, और तत्त्वोंका यथार्थवेत्ता होनेसे मध्यस्थ है । तथा विनीत शिष्योंके प्रति तत्त्वोंकी स्थापना करा देनेसे या प्रसिद्धि करा देनेसे वह ईश्वर प्रकृष्ट वक्ता भी है । तब तो हम जैन कहेंगे कि अन्य विद्वान् भी इसी प्रकार प्रकृष्ट वक्ता हो जावेगा, इस प्रकार तुम्हारा प्राशिकोंकी अपेक्षा करना कहना भी वृथा ही पडा, जो कि आपने यह बड़े हर्षके साथ कहा है ।

यथा चैकः प्रवक्ता च मध्यस्थोभ्युपगम्यते ।

तथा सभापतिः किं न प्रतिपाद्यः स एव ते ॥ १७ ॥

मर्यादातिक्रमाभावहेतुत्वाद्बोध्यशक्तितः ।

प्रसिद्धप्रभावात्तादृग्विनेयजनवद्भुवम् ॥ १८ ॥

स्वयं बुद्धः प्रवक्ता स्यात् बोध्यसंदिग्धधीरिह ।  
तयोः कथं सहैकत्र सद्भाव इति चाकुलं ॥ १९ ॥

जिस प्रकार कि एक ही ईश्वर प्रवक्ता और मध्यस्थ हो रहा तुमने स्वीकार कर लिया है, इस प्रकार वही ईश्वर तुम्हारे यहाँ तिस प्रकार समापति और प्रतिपादन करने योग्य शिष्य भी क्यों न हो जावे ? एक ही पुरुष वादके चारों ओरोंको धारनेवाला बन गया । कारण कि समापतिका कार्य मर्यादाका अतिक्रमण नहीं कर देना है । मर्यादाके व्यतिक्रमके अभावका हेतु हो जानेसे वह ईश्वर समापति हो सकता है । समापतिपनके लिये उपयोगी हो रहा प्रमान भी ईश्वरमे प्रसिद्ध है । अथवा आद्य ज्ञानके लिये उत्पत्तिका कारण प्रमान भी ईश्वरका प्रसिद्ध है । तथा अन्य विनीत शिष्य जनोके समान बोध प्राप्त करने योग्य शक्ति होनेसे निश्चय कर तिस प्रकारका वह प्रतिपाद्य शिष्य हो जाओ । अनेकान्तवादी तो एक वस्तुमें अनेक धर्मोंको मानते हुये अनेकान्तको स्वीकार करते हैं । किन्तु ये नैयायिक एक धर्ममें ही वादी, प्रतिपादो, सम्य, समापति, इन चार धर्मियोंकी सत्ताको मान बैठे हैं, यह आश्चर्य है । भग्न विचारो तो सही कि जो ही यहाँ स्वयं बुद्ध होता हुआ प्रकृत वक्ता होय और वही बोध कराने योग्य होता हुआ पठनीय विषयमें संदेहको धारनेवाली बुद्धिको रखनेवाला शिष्य होय, उन दोनोंका एक पदार्थमें साथ साथ सद्भाव कैसे पाया जा सकता है ? यह तुम नैयायिकोंके लिये विशेष आकुञ्जताको उत्पन्न करनेवाला काण्ड उपस्थित हुआ । एक ही ईश्वर तो व्याख्यात और शिष्य दो नहीं हो सकता है ।

प्राशक्तत्वप्रवक्तृत्वसद्भावस्यापि हानितः ।

स्वपक्षरागौदासीनविरोधस्यानिवारणात् ॥ २० ॥

तिस प्रकार ईश्वरमें प्रतिपादकत्व और प्रतिपाद्यत्व दो धर्म एक साथ नहीं ठहर सकते हैं । वैसे प्रकार ईश्वरके प्राशक्तपन और प्रवक्तृत्वके सद्धानकी भी हानि हो जाती है । क्योंकि प्रवक्ता तो अपने पक्षमें राग रखता है और प्राशक्त जन दोनों पक्षमें उदासीन (तटस्थ) रहते हैं । एक ही पुरुषमें स्वपक्ष राग और उदासीनपनके विरोधका तुम निवारण नहीं कर सकते हो ।

पूर्वं वक्ता बुधः पश्चात्सभ्यो न व्याहृतो यदि ।

तदा प्रबोधको बोध्यस्तथैव न विरुध्यते ॥ २१ ॥

यदि आप यों कहें कि वही पण्डित पहिले तो प्रवक्ता होता है और पण्डित वह प्राशक्त या मध्यस्थ सम्य हो जाता है । कोई व्याघात दोष नहीं है । तब तो हम नैयायिकसे कहेंगे कि तिस ही

प्रकार वह प्रबोध करानेवाला या प्रबन्ध करनेवाला सभापति और प्रतिपादन करने योग्य प्रतिवादी या शिष्य भी हो जाओ। कोई विरोध नहीं आता है। सर्वत्र अनेकान्तका साम्राज्य है।

**वक्तृवाक्यानुवदिता स्वस्य स्यात्प्रतिपादकः ।**

**तदर्थं बुध्यमानस्तु प्रतिपाद्योनुमन्यताम् ॥ २२ ॥**

वह एक ही पुरुष स्वयं वक्ता हो रहा अपने वाक्योंका अनुवाद करता संता अपना प्रतिपादक हो जावेगा और उन वाक्योंके अर्थको समझ रहा संता तो वही स्वयं प्रतिपाद्य मान लिया जाओ। अर्थात्—जैसे एकान्तमें गानेवाला पुरुष स्वनं प्रतिपादक है, और उन गेय शब्दोंके अर्थको जान रहा प्रतिपाद्य हो जाता है, उसीके समान एक विद्वान् प्रतिपाद्य और प्रतिपादक मान लिया जाय।

**तथैकागोपि वादः स्याच्चतुरंगो विशेषतः ।**

**पृथक् सभ्यादिभेदानामनपेक्षाच्च सर्वदा ॥ २३ ॥**

और तैसा होनेपर वादी, प्रतिवादी, सभ्य, सभापति, इन चार अंगों द्वारा हो रहा वाद अब केवल एक अंगवाला भी हो जावेगा। न्यारे न्यारे चार व्यक्तियोंमें और सभ्य, सभापति, वादी, प्रतिवादी, बन रहे एक व्यक्तिमें कोई विशेषता नहीं है। जब कि सभ्य, सभापति, आदि चार भिन्न भिन्न व्यक्तियोंकी पृथक् पृथक् रूपसे सदा अपेक्षा नहीं है, इससे सिद्ध होता है कि चारोंके चार धर्मोंसे युक्त हो रहे एक व्यक्तिके होनेपर भी वाद ठन जाना मान लेना चाहिये।

**यथा वाद्यादयो लोके दृश्यन्ते तेन्यभेदिनः ।**

**तथा न्यायविदामिष्टा व्यवहारेषु ते यदि ॥ २४ ॥**

**तदाभावान्स्वयं वक्तुः सभ्या भिन्ना भवन्तु ते ।**

**सभापतिश्च तद्बोध्यजनवत्तच्च नेष्यते ॥ २५ ॥**

यदि आप नैयायिक यों कहें कि जैसे लौकिक कार्योंमें विवाद कर रहे वे वादी, प्रतिवादी, आदिक लोकमें अन्योंका भेद करनेवाले देखे जाते हैं, तिसी प्रकार न्यायशास्त्रको जाननेवाले विद्वानोंके व्यवहारोंमें भी वे अ-यका भेद करनेवाले इष्ट कर लिये गये हैं। अर्थात्—किसी गृह, खेत, प्राण, सभ्य, बहिष्कार करना, अपमान करना, परछीसेवन, घृत आदि विषयोंमें टंटा करनेवाले जैसे भेदनीतिको डालकर अन्यको भेद डालते हैं, या कडाई कर बैठते हैं, उसी प्रकार शास्त्रार्थमें भी कदाचित् अन्योंका भेद करना सम्भव जाता है। इस पर आचार्य कहते हैं कि तब तो पदार्थोंका स्वयं बखान करनेवाले वक्तासे सभासद पुरुष तुम्हारे यहाँ भिन्न ही होंगे। और उस वक्ताके

द्वारा समझने योग्य पुरुषके समान समापति भी पृथक् होना चाहिये । किन्तु वह सम्य, समापति, और प्रतिवादीका भिन्न भिन्न होकर स्थित रहना तुमने इष्ट नहीं किया है ।

जिगीषाविरहात्तस्य तत्त्वं बोधयतो जनान् ।

न सभ्यादिप्रतीक्षास्ति यदि वादे क्व सा भवेत् ॥ २६ ॥

ततो वादो जिगीषायां वादिनोः संप्रवर्तते ।

सभ्यापेक्षणतो जल्पवितंडावदिति स्फुटं ॥ २७ ॥

यदि आप नैयायिक यों कहें कि श्रोताजनोंके प्रति तत्त्वोंको समझाते हुये उस ईश्वरके जीतनेकी इच्छाका अभाव है । इस कारण सम्य, समापति आदिकी प्रतीक्षा नहीं की जाती है, तब तो हम जैन कहते हैं कि सम्य, समापति, आदिक की वह प्रतीक्षा मछा वादमें भी कहाँ होगी ! किन्तु आप नैयायिकोंने वह सम्य आदिकोंकी अपेक्षा वादमें स्वीकार करली है । तिस कारणसे यह व्यक्त रूपसे सिद्ध हो जाता है कि वाद ( पक्ष ) वादी प्रतिवादियोंकी परस्परमें जीतनेकी इच्छा होनेपर ही अच्छा प्रवर्तता है ( साध्य ), प्राञ्जिक या सम्य पुरुषोंकी अपेक्षा होनेसे ( हेतु ) । जल्प और वितंडाके समान ( अव्ययदृष्टान्त ) । अर्थात्—जल्प वितंडा जैसे जीतको चाहनेवाले ही पुरुषोंमें प्रवर्तते हैं, उसी प्रकार वाद भी जिगिषाणु पुरुषोंमें प्रवर्तता है । वीतराग कथाको वाद नहीं कहना चाहिये ।

तदपेक्षा च तत्रास्ति जयेतरविधानतः ।

तद्वेदान्यथान्यत्र सा न स्यादविशेषतः ॥ २८ ॥

सिद्धो जिगीषतोर्वादश्चतुरंगस्तथा सति ।

स्वामिप्रेतव्यवस्थानालोकप्रख्यातवादवत् ॥ २९ ॥

उस वादमें ( पक्ष ) उन सन्धोंकी अपेक्षा हो रही है, ( साध्य ), जय और पराजयका विधान होनेसे ( हेतु ) उन जल्प और वितंडाके समान ( अव्यय दृष्टान्त ) । अन्यथा यानी साध्यके विना केषल हेतुका उठाना मान लिया जायगा तो अन्य जल्प या वितंडामें भी वह सम्योंकी अपेक्षा नहीं हो सकेगी । क्योंकि जल्प और वितंडासे वादमें कोई अधिक विशेषता नहीं है । अतः ऐसा होनेपर यह सिद्धान्त अनुमान द्वारा निर्णीत हो जाता है, कि सम्य, समापति, वादी, प्रतिवादी इन चार अंगोंको धारता हुआ वाद ( पक्ष ) जीतनेके इच्छा रखनेवाले दो वादियोंमें प्रवर्तता है ( साध्य ) । अपने अपने अमिप्रेत हो रहे विषयकी परिपूर्ण शक्तियों द्वारा व्यवस्था करना होनेसे

( हेतु ) जैसे कि लोकमें प्रसिद्ध हो रहे वाद ( मुकदमा लड़ना या आखाडेमें मल्ल युद्ध होना ) हैं, ( अन्वय दृष्टान्त ) । बात यह है कि वीतराग पुरुषोंमें होनेवाला शब्द आत्मक अधिगम वाद नहीं है । किन्तु हाथीके साथ हाथीका लड़ना, तीतर, मुर्गा, कुत्ता आदिका युद्ध या मल्लके साथ मल्लका लड़ना, इस प्रकार जीतनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंमें वाद प्रवर्तता है । नैयायिकों द्वारा माना गया वीतरागोंमें वाद प्रवर्तनेका पक्ष तो युक्तियोंसे रहित है । इसको विवरणमें और भी अधिक स्पष्ट किया जायगा ।

ननु च प्राश्निकापेक्षणाविशेषेपि वादजल्पवितंडानां न वादो जिगीपतोस्तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थत्वरहितत्वात् । यस्तु जिगीपतोर्न स तथा सिद्धो यथा जल्पो वितंडा च तथा वादः तस्मान्न जिगीपतोरिति । न हि वादस्तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थो भवति जल्पवितंडयोरेव तथात्वात् । तदुक्तं । “ तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थे जल्पवितंडे वीजप्ररोहसंरक्षणार्थे कंटकशाखावरणवदिति । तदेतत्प्रलपमात्रं, वादस्यैव तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थत्वोपपत्तेः । तथाहि—वाद एव तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थः प्रमाणतर्कसाधनोपाळंभत्वे सिद्धांताविरुद्धत्वे पंचावयवोपपन्नत्वे च सति पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहत्वात्, यस्तु न तथा स न यथा आक्रोशादिः, तथा च वादस्तस्मात्तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थ इति युक्तिसद्भावात् । न तावदयमसिद्धो हेतुः प्रमाणतर्कसाधनोपाळंभः सिद्धांताविरुद्धः पंचावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वाद इति वचनात् ।

यहां नैयायिकोंका अपने पक्षको पुष्ट करनेके लिये अवधारण है कि यद्यपि वाद, जल्प, और वितंडा इन तीनोंके बीच प्राश्निक पुरुषोंकी अपेक्षा करनेमें कोई विशेषता नहीं है, फिर भी वाद ( पक्ष ) जीतनेकी इच्छा रखनेवाले विजिगीषुओंमें नहीं प्रवर्तता है ( साध्य ) । क्योंकि वाद विचारा तत्त्वनिर्णयकी अच्छी रक्षा इस प्रयोजनके धारकपनसे रहित हो रहा है ( हेतु ) । जो तो विजिगीषुओंके प्रवर्त रहा है, वह तिस प्रकार तत्त्वनिर्णयका संरक्षण करनारूप प्रयोजनसे रहित नहीं है, जैसे कि जल्प और वितंडा हैं, ( व्यतिरेक दृष्टान्त ) । तिस प्रकार तत्त्व निर्णयके संरक्षणके लिये वाद नहीं है ( उपनय ) । तिस कारणसे विजिगीषु पुरुषोंमें वाद नहीं प्रवर्तता है । ( निगमन ), अर्थात्—धनाढ्योंके पुत्रकी रक्षा जैसे दाईयां करती हैं, धान्य उपजे हुये खेतकी रक्षा हार्दिके काटों द्वारा बना ली गयी मैड करती है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञानका परिपालन लट्टधारिके समान जल्प और वितंडासे होता है । निर्णय और वाद तो फल या धान्यके समान रक्षणीय पदार्थ हैं । रत्नोंकी रक्षा गदसे है, रत्न स्वयं रक्षक नहीं है । इसी प्रकार तत्त्वज्ञानोंका संरक्षक नहीं होनेके कारण वाद विजिगीषुओंमें नहीं प्रवर्तता है । किन्तु वीतरागपुरुषोंका संज्ञाप वाद है । एक अनुमानमें दिया गया हेतु स्वरूपसिद्ध नहीं है । पक्षमें वर्त रहा है । देखिये । तत्त्वोंके अध्यवसायकी

संरक्षणके लिये नहीं होता है। जल्प और चिंतंडाके ही तिस प्रकार तत्त्वनिर्णयका संरक्षण करना रूप प्रयोजनसहितपना बन रहा है। वही “न्यायदर्शन पुस्तकमें गौतम ऋषिने चौथे अध्यायके अन्तमें कहा है कि जल्प और चिंतंडा दोनों तो तत्त्वोंके निर्णयकी मळे प्रकार संरक्षणा करनेके लिये हैं। जैसे कि बीजके बोनेपर उपजे हुये छोटे छोटे अङ्गुरोंकी समीचीन रक्षाके लिये बंबूल, बेरिया, झडबेरिया आदिक कंटकाकीर्ण वृक्षोंकी शाखाओं करके किया गया आवरण (मैड) उपयोगी है। छळ या असत् उत्तर आदि प्रयुक्त किये जाय तो पररक्षाका विधात हो जानेसे वे स्वपक्षकी रक्षा करा देते हैं। यद्वांनक नैयायिक कह चुके। अब आचार्य महाराज कहते हैं कि उनका यह कहना केवल अनर्थक बकवाद है। यथार्थमें विचारा जाय तो वादको ही तत्त्वनिर्णयकी संरक्षणारूप प्रयोजनसे सहितपना सधता है। उसीको स्पष्ट करते हुये यों अनुमान बनाकर दिखलाते हैं कि वाद ही (पक्ष) तत्त्वोंके निर्णयकी रक्षा करनेके लिये है (साध्य)। प्रमाण और तर्ककरके स्वपक्षसाधन करना और परपक्षमें उल्लाहना देना होते संते तथा सिद्धान्तसे अविरुद्धपना होते संते तथा अनुमानके पांच अवयवोंसे सहितपना होते संते पक्ष और प्रतिपक्षका परिग्रह करना होनेमे (हेतु) जो तिस प्रकार तत्त्वनिर्णयका संरक्षण करना स्वरूप प्रयोजनको लिये हुये नहीं है, वह उक्त हेतुसे सहित नहीं है, जैसे कि गाळी देना, रोना, उन्मत्तप्रलाप करना आदिक वचन (व्यतिरेक दृष्टान्त), और तिस प्रकार हेतुके पूरे शरीरको साधनेवाला वाद है (उपनय)। तिस कारणसे वह वाद ही तत्त्व निर्णयके रक्षणरूप प्रयोजनको लिये हुये है। (निगमन)। यह अनुमानप्रमाण रूप युक्तिका सद्भाव है। सबसे पहिले उपर्युक्त यह हेतु असिद्ध नहीं है। न्यायसूत्रमें आप नैयायिकोंके यहा वादका लक्षण इस प्रकार कहा गया है कि प्रमितिका कारण प्रमाण और अविज्ञान तत्त्वमें कारणोंकी उपपत्तिसे तत्त्वज्ञानके लिये किये गये विचार रूप तर्कसे जहा स्वपक्षका साधन किया जाय और परपक्षमें दूषण दिया जाय तथा जो सिद्धान्तसे अविरुद्ध होय तथा जो प्रतिज्ञा, हेतु उदाहरण, उपनय, निगमन पांच अवयवोंसे सहित होय ऐसा होता हुआ जो वादमें पडे हुये पक्ष और प्रतिपक्षका परिग्रह करना है। यानी युक्ति प्रत्युक्ति रूप वचन रचना है, वह वाद है। आप नैयायिकोंके मत अनुसार ही हेतु पक्षमें बहुत अच्छी तरहसे घटित हो जाता है।

पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहादित्युच्यमाने जल्पेपि तथा स्यादित्यवधारणविरोधस्तत्परिहारार्थं प्रमाणवर्कसाधनोपाळंभत्वादि विशेषणं। न हि जल्पे तदास्ति, यथोक्तोपपन्नछळजाति-निग्रहस्थानसाधनोपाळंभो जल्प इति वचनात्। तत एव न चिंतंडा तथा प्रसज्यते पक्ष-प्रतिपक्षपरिग्रहसहितत्वाच्च।

हेतुमें लगा दिये गये विशेषणोंकी सार्थकताको कहते हैं कि यदि हेतुका शरीर पक्ष और प्रतिपक्षका परिग्रह करना मात्र इतना कह दिया जाय तो तिस प्रकार पक्ष और प्रतिपक्षका परिग्रह

करना तो जल्पमें भी पाया जाता है । अतः " वाद एव " वाद ही इस प्रकार किये गये एवकार द्वारा अवधारणस्वरूप नियमका विरोध होगा । यानी पक्षमें हमारे द्वारा डाटा गया एवकार व्यर्थ पड़ेगा । व्यभिचार दोष भी हो जायगा । अतः उसके परिहारके लिये प्रमाण या तर्कोंसे सिद्धि करना, उलाहने देना, सिद्धान्तसे अभिरुद्ध होना, आदिक विशेषण हेतुके दिये गये हैं । जब कि जल्पमें वह प्रमाण, तर्कोंसे साधन, उलाहना देना आदि विशेषण नहीं हैं । क्योंकि गौतमजीने न्यायसूत्रमें तुम्हारे यहां यों कहा है कि यथायोग्य ऊपर कहे गये वादके लक्षणसे युक्त होय किन्तु छल ( फपट ) जाति (असत् उत्तर) और निप्रइस्थानों करके साधना और उलाहने जहां दिये जाय वह जल्प है । अर्थात्—जल्प नामक शास्त्रार्थमें प्रमाण या तर्कोंसे साधन और उलाहने नहीं होते हैं । मले ही अपने अपने मनमें कल्पिते कर लिये प्रमाण तर्कोंसे साधन और उपालम्भ दे दिया जाय, किन्तु छल आदिक करके जहां स्वपक्षसाधन और परपक्षदूषण उठाये जाते हैं वह जल्प है । अतः हमारा हेतु व्यभिचारी नहीं है । पक्षमें एकार लगाना उपयुक्त पड़ गया । तथा वितंडा भी तिस ही कारणसे यानी हेतुके विशेषण नहीं घटित होनेसे तिस प्रकार तत्त्वाध्यवसायोंका संरक्षक नहीं हो सकता है । अर्थात्—वितंडामें तिस प्रकार वाद बन जानेका प्रसंग नहीं हो सकता है । वह तत्त्वनिर्णयका रक्षक भी नहीं है, जो कि नैयायिकोंने मान रखा है । क्योंकि पक्ष और प्रतिपक्षके परिग्रहसे रहित वह वितंडा है । अतः जल्प और वितंडाका तिरस्कार कर वाद ही तत्त्व निर्णयका संरक्षण करनेवाला सम्भवता है ।

पक्षप्रतिपक्षौ हि वस्तुधर्माविकाधिकरणौ विरुद्धौ एककालावनवसितौ वस्तुविशेषौ वस्तुनः सामान्येनाधिगतत्वाच्च विशेषागमनिमित्तौ विवादः । एकाधिकरणाविति नानाधिकरणौ विचारं न प्रयोजयत उभयोः प्रमाणेनोपपत्तेः । तद्यथा अनित्या बुद्धिर्नित्य आत्मेति अबिरुद्धावप्येवं विचारं न प्रयोजयतः । तद्यथा क्रियावद्द्रव्यं गुणवच्चेति विरुद्धौ । तावुक्तौ । तथाभिन्नकालौ न विवादाहौ यथा क्रियावद्द्रव्यं निःक्रियं च कालभेदे सतीत्येककालावित्युक्तं । तथावसितौ विचारं न प्रयोजयेत निश्चयोत्तरकालं विवादाभावादि-त्यनवसितौ निर्दिष्टौ । एवं विशेषणविशिष्टयोर्धर्मयोः पक्षप्रतिपक्षयोः परिग्रह इत्थंभाव-नियमः । एवं धर्मायं धर्मां नैवं धर्मेति वा सोऽयं पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो न वितंडायामस्ति सप्रतिपक्षस्थापनाहौ नो वितंडा इति वचनात् । तथा यथोक्तौ जल्पः प्रतिपक्षस्थापनाहीन-तया विशेषितो वितंडात्वं प्रतिपद्यते । वैतंडिकस्य च स्वपक्ष एव साधनवादिपक्षापेक्षया प्रतिपक्षो इस्तिप्रतिहस्तिन्यायेन स च वैतंडिको न साधनं वक्ति केवलं परपक्षनिराकरणायैव प्रवर्तत इति व्याख्यानात् ।



वादमें वादी प्रतिवादियों द्वारा जिन पक्ष और प्रतिपक्षका परिग्रह किया जाता है, वे पक्ष और प्रतिपक्ष कैसे होने चाहिये इसका विचार करते हैं, जिससे कि वितंडामें अतिव्याप्ति नहीं हो जाय। कारण कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तो वस्तुके स्वभाव हो रहे धर्म हैं। वे दोनों एक अधिकरणमें ठहरनेवाले होने चाहिये। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों परस्परमें विरुद्ध होय एक ही कालमें दोनों विचारको प्राप्त हो रहे होंय, पक्ष प्रतिपक्ष दोनोंका असीतक निश्चय नहीं हो चुका होय, ऐसे पक्ष और प्रतिपक्ष होने चाहिये। इन पक्ष प्रतिपक्षोंके विशेषणोंकी कीर्ति इस प्रकार है कि वे पक्ष प्रतिपक्ष वस्तुके विशेष धर्म होय, क्योंकि सामान्य रूपसे वस्तुको हम जान चुके हैं, विशेष धर्मोंके जाननेके निमित्त ही तो यह विवाद चलाया गया है। जैसे कि शब्दको सामान्य रूपसे जानकर उस शब्दके नित्यत्व, अनित्यत्व, धर्मोंका निर्णय करनेके लिये विचार चलाया है। तथा वे पक्ष और प्रतिपक्ष एक ही अधिकरणमें ठहर रहे होय, अनेक अधिकरणोंमें वे ठहर रहे धर्म तो वादी प्रतिवादियोंको विचार करनेके लिये प्रयुक्त नहीं कराते हैं। क्योंकि दो अधिकरणोंमें ठहर रहे दो पक्ष प्रतिपक्ष धर्मोंकी प्रमाण कल्के सिद्धि मानी जा रही है। उसको इस प्रकार समझ लीजिये कि बुद्धि अनित्य है और आत्मा नित्य है। यज्ञ अनित्यत्व धर्म तो बुद्धिमें रक्खा है, और नित्यत्व धर्म आत्मामें ठहराया है। एक ही वस्तुमें दो विरुद्धधर्म रहते तो शाब्दार्थ किया जाता। पुनश्चको क्रियावान् और आकाशको क्रियारहित माननेमें किसीका झगडा नहीं है। इस प्रकार अविरुद्ध हो रहे भी धर्म वादियोंको विचार करनेमें प्रेरक नहीं होते हैं। उसको इस प्रकार समझिये कि जैसे द्रव्य क्रियावान् है और क्रियारहित भी है। एक ही शरीरमें बैठकर लिखनेपर हाथोंमें क्रिया है। अन्य शरीरके भागोंमें क्रिया नहीं है। वायुके चलनेपर वृक्षका शाखाओंमें क्रिया है। जड़ या स्कन्धमें क्रिया नहीं है अथवा द्रव्य क्रियावान् है और द्रव्य गुणवान् है। ये अविरुद्ध हो रहे दो धर्म विचार मार्गपर आरुद्ध नहीं किये जाते हैं। इस कारण वे पक्ष प्रतिपक्ष हमने विरुद्ध हो रहे कहे हैं। तिसी प्रकार मिला मिला कालमें वर्त रहे दो विरुद्धधर्म तो विवाद करने योग्य नहीं हैं। जैसे कि द्रव्य क्रियावान् भी है और क्रियारहित भी है। कालके भेद होनेपर द्रव्यमें क्रियारहितपना और क्रियासहितपना घटित हो जाता है। जो ही घट (पर्याय) उठने, उठानेपर या उठाने धरनेपर, क्रिया वान् है वही धर दिया गया घटा घोंडा देर पीछे क्रियारहित भी है। जैनमत अनुसार चलता फिरता देवदत्त क्रियावान् है। और अय कालोंमें स्थिर हो रहा देवदत्त निश्चिय भी है। इस कारण एक ही कालमें प्राप्त हो रहे धर्म ही पक्ष प्रतिपक्ष होते हैं, यह कहा गया था। तथा निर्णित हो चुके धर्म भी वादी प्रतिवादियोंको विचार करनेके लिये नहीं प्रयुक्त कराते हैं। क्योंकि निश्चय कर चुकनेके उत्तरकालमें विवाद नहीं हुआ करता है। इस कारण वे पक्ष प्रतिपक्ष हमने अनिश्चित इस प्रकार निर्देशको प्राप्त कर दिये हैं (कह दिये गये हैं)। इस प्रकार एक विशेषणोंसे विशिष्ट हो रहे पक्ष प्रतिपक्षरूप धर्मोंका परिग्रह करना वाद है। परिग्रहका अर्थ तो 'इसी प्रकार हो

सकता है ” यह नियम करना है । यानी यह धर्मों मेरे मन्तव्य अनुसार इस प्रकारके धर्मसे ही युक्त हो रहा है । अथवा तुम्हारे मन्तव्य अनुसार इस प्रकार धर्मको नहीं धारता है । वह प्रसिद्ध हो रहा यह पक्ष, प्रतिपक्षोंका उक्ति प्रत्युक्तिरूप कथन करना तो वितंडामें नहीं है । गौतमसूत्रमें वितंडाका लक्षण यों लिखा है कि वह जल्पका एक देश यदि प्रतिपक्षकी स्थापनासे हीन होय तो वितंडा हो जाता है । इसका अभिप्राय यों है कि तिस प्रकार उपर्युक्त कथन अनुसार जल्प यदि प्रतिपक्षकी स्थापनाके हीनपने करके विशेष प्राप्त करदिया जाय तो वितंडापनको प्राप्त हो जाता है । वितंडावाद प्रयोजनको धारनेवाले वादीका स्वकीयपक्ष ही साधनवादीके पक्षकी अपेक्षासे “ हस्ति-प्रतिहस्ति ” न्याय करके प्रतिपक्ष समझ लिया जाता है । अर्थात्—उरठी पार परठी पार कोई नियत तट नहीं हैं । इस ओर कडनेके लिये खडा हुआ हस्ती ही दूसरे हस्तीकी अपेक्षा प्रतिहस्ती मानलिया जाता है । इसी प्रकार शत्रुके अनित्यत्वको सिद्ध करनेवाले नैयायिकके पक्षकी अपेक्षा जो प्रतिपक्ष शत्रुका नित्यपना पडेगा वही नैयायिकके पक्षका खण्डन करनेवाले वैतंडिकका स्वकीय ( निजी ) पक्ष है । वह वैतंडिक विद्वान् अपने पक्षको पुष्ट करनेके लिये किसी हेतु या युक्तिको नहीं कहता है । केवल दूसरों द्वारा साधे गये पक्षके निराकरण करनेके लिये ही प्रवृत्ति करता है । इस प्रकार वितंडाके लक्षणसूत्रका व्याख्यान किया गया है ।

ननु वैतंडिकस्य प्रतिपक्षाभिधानः स्वपक्षोस्त्येवान्यथा प्रतिपक्षहीन इति सूत्रकारो ब्रूयात् न तु प्रतिपक्षस्थापनाहीन इति । न हि राजहीनो देश इति च कश्चिद्राजपुरुषहीन इति वक्ति तथा अभिप्रेतार्थाप्रतिपत्तेरिति केचित् । ते पि न समीचीनवाचः, प्रतिपक्ष इत्यनेन विधिरूपेण प्रतिपक्षहीनस्यार्थस्य विवक्षितत्वात् । यस्य हि स्थापना क्रियते स विधिरूपः प्रतिपक्षो न पुनर्यस्य परपक्षनिराकरणसामर्थ्योन्नतिः सोत्र मुख्यविधिरूपतया व्यवतिष्ठते तस्य गुणभावेन व्यवस्थितेः ।

यहां कोई विद्वान् यों अवधारण कर रहे हैं कि वितंडा नामक शास्त्रार्थको करनेवाले पण्डितका भी प्रतिपक्ष है नाम जिसका ऐसा गाँठ ( निजी ) का पक्ष है ही । अन्यथा न्यायसूत्रको बनानेवाले गौतमऋषि वितंडाके लक्षणमें प्रतिपक्षसे हीन ऐसा ही कह देते, किन्तु प्रतिपक्षकी स्थापना करनेसे रहित ऐसा नहीं कहते । राजासे हीन हो रहा देश है, ऐसा अभिप्राय होनेपर राजाके पुरुषोंसे हीन देश हो रहा है, यों तो कोई नहीं कह देता है । क्योंकि तैसा कहनेपर अभिप्रायको प्राप्त हो रहे अर्थकी प्रतिपत्ति नहीं हो पाती है । भावार्थ—जो प्रतिवादीके प्रतिकूल पक्ष है, वही वैतंडिक वादीका स्वपक्ष है । सूत्रकार गौतमने तभी तो प्रतिपक्षकी स्थापना करनेसे रहित वैतंडिकको बताया है । राजा अपने अधीन सभी नगरों या ग्रामोंमें एक एकमें नहीं बैठा रहता है । हाँ, राजाके अंग हो रहे पुरुष वहाँ राजसत्ताको जमाये डुबे हैं । वैतंडिकको प्रतिपक्षसे रहित नहीं कहा है । इस

जायगा। अर्थात्—शून्यवादी मठे ही अपने पक्षकी स्थापना नहीं करें, किन्तु तत्त्वोंके माननेवाले दूसरे वार्दियोंके पक्षका निराकरण कर देनेसे उनके अभिमत शून्यवादकी स्थापना परिशेषन्यायसे गम्यमान हो जाती है। यदि वह शून्यवादकी स्थापना गम्यमान भी नहीं होती तो शून्यपनेका ही व्याघात हो जाता, जो कि उसको इष्ट नहीं है।

तर्हि प्रतिपक्षहीनमपि वा प्रयोजनार्थमर्थित्वेन तमभ्युपेयादित्यत्रापि प्रतिपक्षहीनमपि चेति वक्तव्यं, सर्वथा प्रतिपक्षहीनवादस्यासंभवादिति चेत्। क एवं व्याचष्टे सर्वप्रतिपक्षहीनमिति ? परतः प्रतिज्ञामुपादित्तमानस्तत्त्वबुद्दसाप्रकाशनेन स्वपक्षं वचनतोनवस्यापथ-  
न्स्वदर्शनं साधयेदिति व्याख्यानात् तत्र गम्यमानस्य स्वपक्षस्य भावात्, स्वपक्षमनवस्था-  
पयन्निति भाष्यकारवचनस्यान्यथा विरोधात्।

यों कहनेपर किसी विद्वान्का कटाक्ष है कि तब तो प्रतिपक्षसे हीन हो रहे को भी प्रयोजन साधनेके लिये अमिळापान करके उसको स्वीकार करले, इस प्रकार यहाँ भी और प्रतिपक्षसे हीन भी है, ऐसा वार्तिक कहदेना चाहिये। अर्थात्—प्रतिपक्ष स्थापनाहीन इस सूत्रके परिशेष रहे अर्थके लिये प्रतिपक्षहीन भी यह उपसंख्यान करना चाहिये। क्योंकि सर्वथा प्रतिपक्षसे हीन हो रहे वादका असंभव है। यों कहनेपर तो आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार कौन व्याख्यान कर रहा है कि सभी प्रकार प्रतिपक्षसे हीन वितंडा होना चाहिये ? “सप्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितंडा” इसका व्याख्यान यों किया गया है कि परवादीसे प्रतिज्ञाको ग्रहण करनेकी इच्छा रखता हुआ वैचंडिक तत्वको जाननेकी इच्छाका प्रकाश करके स्वकीय पक्षको वचनोद्गारा व्यवस्थापित नहीं करता हुआ अपने सिद्धान्तदर्शनकी सिद्धि करा दें। क्योंकि यहाँ शब्दोद्गारा प्रतिपादन किये बिना यों ही जाने जा रहे अपने पक्षकी सत्ता है। अन्यथा यानी इस प्रकार व्याख्यानको नहीं कर दूसरे प्रकारसे माननेपर तो अपने पक्षको व्यवस्थापित नहीं कराता हुआ इस भाष्यकारके वचनका विरोध हो जावेगा। अर्थात्—उक्त सूत्रके माध्यमे वास्यायन ऋषिने यों कहा है कि “यदे खलु तत्परप्रतिषेधलक्षणं वाक्यं स वैतंडिकस्य पक्षः, न त्वसौ साध्यं कश्चिदर्थे प्रतिज्ञाय स्थापयतीति तस्माद् यथा न्यासमेवासिबति” दूसरे वार्तिके साध्यका निषेध करना स्वरूप वाक्य ही वैतंडिकका पक्ष है। वह वैतंडिक किसी साध्यविशेषकी प्रतिज्ञा कर स्थापन नहीं करता है। यानी वैतंडिक पण्डित अपने पक्षकी व्यवस्थाको नहीं करा रहा है। अपनी गांठकी प्रतिज्ञाको नहीं ग्रहण करता हुआ तत्त्व समझनेकी इच्छा का प्रकाश नहीं कर रहा है। केवल दूसरोंके पक्ष का खण्डन कर देनेसे अर्थोपचिद्वारा वैतंडिकके सिद्धान्त दर्शनका अन्य जन अनुमान लगा लिया करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वितंडा सर्वथा प्रतिपक्षकी सिद्धिसे रीता नहीं है।

कुतोऽन्यथा भाष्यकारस्यैवं व्याख्यानमिति चेत्, सर्वथा स्वपक्षहीनस्य वादस्य जल्पवितंडावदसंभवादेव । कथमेवं वादजल्पयोर्वितंडातो भेदः ? प्रतिपक्षस्थापनाहीनत्वाविशेषादिति चेत्, उक्तमत्र निघमतः प्रतिपक्षस्थापनाया हीना वितंडा, कदाचित्तया हीनी वादजल्पादिति । केवलं वादः प्रमाणतर्कसाधनोपलब्धत्वादि विशेषणः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः । जल्पस्तु छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपलब्धश्च यथोक्तोपपन्नश्चेति वितंडातो विशिष्यते ।

कोई पूछता है कि भाष्यकार वात्स्यायनका अन्य प्रकारसे व्याख्यान नहीं कर इसी प्रकार का व्याख्यान करना कैसे ठीक समझा जाय ? यों कहनेपर तो आचार्य कहते हैं कि जल्प और वितंडाके समान स्वपक्षसे सर्वथा हीन हो रहे वादका असंभव ही है । अर्थात्—जैसे जल्प और वितंडामें उच्यमान या गम्यमान स्वपक्ष विद्यमान है, उसी प्रकार वादमें भी स्वपक्ष विद्यमान है । फिर कोई प्रश्न उठाता है कि इस प्रकार स्वपक्षके होनेपर वितंडासे वाद और जल्पका भेद कैसे हो सकेगा ? बताओ । क्योंकि प्रतिकूल पक्षकी स्थापनासे रहितपक्षकी अपेक्षा इन तीनोंमें कोई विशेषता नहीं है । यों कहनेपर तो आचार्य समाधान करते हैं कि हम इस विषयमें पहिले ही कह चुके हैं कि नियम करके जो प्रतिपक्षकी स्थापनासे हीन है, वह वितंडा है । और कभी कभी स्वरूपकारके प्रतिपक्षसे हीन हो रहे वाद और जल्प हैं । अर्थात्—वितंडामें तो सर्वदा प्रतिपक्षकी स्थापना नहीं ही होती है । किन्तु वाद और जल्पमें कभी प्रतिपक्षकी स्थापना हो जाती है और कभी प्रतिपक्षकी स्थापना नहीं भी होती है । हां, केवल वादमें प्रमाण और तर्कों करके स्थापना और प्रतिषेध किये जाते हैं । अपने सिद्धान्तको स्वीकार कर उससे अवरुद्ध वाद होना चाहिये, इत्यादि विशेषणोंसे सहित हो रहा पक्ष प्रतिपक्षका परिग्रह करना वाद है । और जल्प तो छल जाति और निग्रह स्थानोंकरके साधन करना, उपाळम्भ देना, इनसे युक्त है और ऊपर कहे हुये वादके लक्षणमेंसे जो कुछ उपपत्ति युक्त होय, उससे सहित है । इस कारण वितंडासे वाद और जल्पमें विशेषता प्राप्त हो जाती है ।

तदेवं पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहस्य जल्पे सतोपि प्रमाणतर्कसाधनोपलब्धत्वादि विशेषणाभावाद्वितंडायामसत्त्वाच्च न जल्पवितंडयोस्तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थत्वासिद्धिः प्रकृतसाधनाद्येनेष्टविधातकारादिं स्यादनिष्टस्य साधनादिति वाद एव तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थत्वाज्जिगीपतोर्युक्तो न जल्पवितंडे ताभ्यां तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणसंभवात् । परमार्थतः ख्यातिष्ठाभपूजावत् ।

तिस कारण अवतक यों सिद्ध हुआ कि वादके लक्षणका विशेष्य दल बनरहा पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह करना यद्यपि जल्पमें विद्यमान हो रहा है, तो भी प्रमाण तर्कोंसे साधन या उल्लाहना देना सिद्धान्त अवरुद्ध होना आदि विशेषणोंके नहीं घटित होनेसे जल्पको तत्त्वनिर्णयका संरक्षकपना

प्रकार कोई कह रहे हैं। अब आचार्य कहते हैं कि वे भी कोई विद्वान् समीचीन वाणीको कहने-वाले नहीं हैं। क्योंकि प्रतिपक्षकी स्थापनासे हीन ऐसे सूत्रकारके इस कथन द्वारा विधिरूप करके प्रतिपक्षसे हीन हो रहा वैतंडिक है। यही अर्थ निरक्षाप्राप्त है। अर्थात्—जैसे साधनवादी अपने पक्षको स्वरूपकी विधि करके पुष्ट कर रहा है, उस प्रकार वैतंडिक अपने पक्षका विधान नहीं कर रहा है। जिसकी नियमसे स्थापना की जाती है वह विधिरूप प्रतिपक्ष है। किन्तु परपक्षके निराकरणकी सामर्थ्यसे जिसका उन्नयन कर लिया है, यानी अर्थापत्ति या ज्ञानलक्षणसे जिसकी प्रतिपत्ति हो जाती है, वह यहाँ मुख्य विधिरूप करके व्यवस्थित नहीं हो रहा है। हाँ, गौण रूपसे उसकी व्यवस्था मले ही हो जाय।

जल्पोपि कश्चिदेवं प्रतिपक्षस्थापनाहीनः स्यान्नेदं निरात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादि-मन्त्रमसंगादिति परपक्षप्रतिषेधवचनसामर्थ्यात् सात्मकं जीवच्छरीरमिति स्वपक्षस्य सिद्धे-र्विधिरूपेण स्थापनाविरहादिति चेन्न, नियमेन प्रतिपक्षस्थापनाहीनत्वाभावाज्जल्पस्य । तत्र हि कदाचित्स्वपक्षविधानद्वारेण परपक्षप्रतिषेधः कदाचित्परपक्षप्रतिषेधद्वारेण स्वपक्षविधान-मिष्यते नैवं वितंडायां परपक्षप्रतिषेधस्यैव सर्वदा तत्र नियमात् ।

कोई विद्वान् कहते हैं कि यों तो जल्प भी कोई कोई इस प्रकार प्रतिपक्षकी स्थापनासे हीन हो जावेगा। देखिये, जल्पनादी कइता है कि यह जीवित शरीर (पक्ष) आत्मारहित नहीं है (अप्य) क्योंकि प्राण चलना, नाडी धडकना, उष्णता आदिसे सहितपनका यहा प्रसंग प्राप्त हो रहा है। अन्यथा अप्राणादिमन्त्रप्रसंगात् यानी यह शरीर यदि आत्मासे रहित होता तो प्राण आदिके रहित-पनका प्रसंग आता। इस प्रकार परपक्षके निषेधको करनेवाले वचनकी सामर्थ्यसे ही जीवित शरीर सामक है, तिस प्रकारके स्वपक्षकी सिद्धि हो जाती है। यहा स्वतंत्र विधिरूप करके जल्पवादाके पक्षकी स्थापनाका विरह है। अब आचार्य कहते हैं कि यों तो नहीं कहना। क्योंकि नियमकारके प्रतिपक्षकी स्थापनासे हीनपना जरूरे नहीं है। अर्थात्—जल्पवादी साधनवादीके प्रतिपक्ष हो रहे अपने पक्षकी स्थापनाको कठोक्त कर भी सकता है। किन्तु वैतंडिक अपने पक्षकी स्थापनाको नहीं करता है। कारण कि उस जल्पमें कमी कमी मुख्यरूपसे अपने पक्षकी विधिके द्वारा गौणरूपसे परपक्षका निषेध कर दिया जाता है। और कमी कमी प्रधानरूपसे परपक्षके निषेधद्वारा गौणरूपसे अपने पक्षका विधान इष्ट कर लिया जाता है। किन्तु वितंडामें इस प्रकार नहीं हो पाता है। क्योंकि वहाँ वितंडामें सदा परपक्षके निषेध करनेका ही नियम हो रहा है। अतः जल्पसे वितंडामें अंतर है।

नन्वेवं प्रतिपक्षोपि विधिरूपो वितंडायां नास्तीति प्रतिपक्षहीन इत्येव वक्तव्यं स्थापनाहीन इत्यस्यापि तयाऽसिद्धेः स्याप्यमानस्याभावे स्थापनायाः संभवायोगादिति

चेन्न, अनिष्टप्रसंगात् । सर्वथा प्रतिपक्षहीनस्यार्थस्यानिष्टस्य प्रसक्तौ च यथा वितंडायां साध्यनिर्देशाभावस्तस्य चेतसि परिस्फुरणाभावश्च तथार्थापत्त्यापि गम्यमानस्य प्रतिपक्ष-स्याभाव इति व्याहृतिः स्याद्वचनस्य गम्यमानस्वपक्षाभावे परपक्षप्रतिषेधस्य भाविविरो-धात् । प्रतिपक्षस्थापनाहीन इति वचने तु न विरोधः सर्वशून्यवादिनां परपक्षप्रतिषेधे सर्वः शून्यमिति स्वपक्षगम्यमानस्य भावेऽपि स्थापनाया गम्यमानायास्तद्व्यावाभावे वा शून्य-ताव्याघातात् ।

फिर कोई विद्वान् यहाँ अवधारण करते हैं कि इस प्रकार कहनेपर जब वितंडामें कोई प्रतिपक्ष भी विधिस्वरूप नहीं है, यों तो सूत्रकारको “ प्रतिपक्षहीन ” इस प्रकार ही कहना चाहिये । प्रतिपक्षकी स्थापन से हीन, ऐसे इस कथनकी भी तिस प्रकार माननेपर सिद्धि नहीं हो पाती है । क्योंकि स्थापन करने योग्य हो रहे पदार्थके अभाव होनेपर स्थापनाकी सम्भावना करना युक्त नहीं है । अर्थात्-वैतंडिकके यहाँ जब प्रतिपक्ष ही नहीं है, सूत्रकारको प्रतिपक्षकी स्थापनासे हीन ऐसा नहीं कह कर प्रतिपक्षसे हीन यों ही सीधा कह देना चाहिये था । अब आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि अनिष्टका प्रसंग हो जायगा । वैतंडिक सभी प्रकारों करके प्रतिपक्षसे हीन होय इस प्रकारका अर्थ अनिष्ट है । और अनिष्ट अर्थका प्रसंग प्राप्त हो जानेपर तो जिस प्रकार वितंडामें अपने साध्य हो रहे धर्मके कथन करनेका अभाव है और उस साध्यकी मनमें परिष्कृति होनेका अभाव है, उसी प्रकार यदि विना कहे ही अर्थापत्ति प्रमाण द्वारा जाने जा रहे भी प्रति-पक्षका अभाव हो जायगा तो यह वचनका व्याघात दोष हो जावेगा अर्थात्-ऐसी दशामें वैतंडिक एक अक्षर भी नहीं बोल सकता है । शब्दके नित्यपनका अभिप्राय रखता हुआ ही अथवा शब्दके अनित्यपनको नहीं माननेका आप्रहं रखनेवाला पुरुष ही शब्दके अनित्यत्वका निराकरण करनेके लिये उद्युक्त होता है । यदि वैतंडिकका अर्थापत्तिसे भी जानने योग्य निजपक्ष नहीं माना जावेगा तो परपक्षके निषेधके ही जानेका विरोध है । अर्थात्-शब्दके अनित्यत्वका खण्डन करनेके समान शब्दके नित्यत्वका भी खण्डन कर बैठेगा । ऐसी दशामें वह विरुद्धभाषी वैतंडिक विचारकोंकी समामेंसे पृथक्कृत हो जायगा । हाँ, प्रतिपक्षकी स्थापनासे हीन इस प्रकार सूत्रकार द्वारा कथन करनेपर तो कोई विरोध नहीं आता है । अर्थात्-वैतंडिकका साधनवादीके प्रतिकूल पक्ष हो रहा प्रतिपक्ष ही स्वपक्ष है । हाँ, वह उस निजपक्षकी हेतु, दृष्टान्त, आदिसे स्थापना नहीं कर रहा है । देखिये, सर्वको शून्य कहनेवाले वादियोंके द्वारा प्रमाण, प्रमेय, आदिको माननेवाले दूसरे विद्वानोंके पक्षका निषेध किये जानेपर यद्यपि शून्यवादियोंके “ सम्पूर्ण जगत् शून्य है ” “ निःस्वभाव है ” इस प्रकार गम्यमान निजपक्षका सद्भाव है, तो भी गम्यमान हो रही स्थापनाका उस स्वपक्षके समान यदि सद्भाव नहीं माना जायगा तब तो शून्यताका ही व्याघात हो

जायगा। अर्थात्—शून्यवादी मठें ही अपने पक्षकी स्थापना नहीं करें, किन्तु तत्त्वोंके माननेवाले दूसरे वार्दियोंके पक्षका निराकरण कर देनेसे उनके अमिमत् शून्यवादकी स्थापना परिशेषन्यायसे गम्यमान हो जाती है। यदि वह शून्यवादकी स्थापना गम्यमान भी नहीं होती तो शून्यपनेका ही व्याघात हो जाता, जो कि उसको इष्ट नहीं है।

तर्हि प्रतिपक्षहीनमपि वा प्रयोजनार्थमर्थित्वेन तमभ्युपेयादित्यत्रापि प्रतिपक्षहीनमपि चेति वक्तव्यं, सर्वथा प्रतिपक्षहीनवादस्यासंभवादिति चेत्। क एवं व्याचष्टे सर्वप्रतिपक्षहीनमिति ? परतः प्रतिज्ञामुपादित्समानस्तरवबुभुत्सामकाशनेन स्वपक्षं वचनतोनवस्थापयन्स्वदर्शनं साधयेदिति व्याख्यानात् तत्र गम्यमानस्य स्वपक्षस्य भावात्, स्वपक्षमनवस्थापयन्निति भाष्यकारवचनस्यान्यथा विरोधात्।

यों कहनेपर किसी विद्वान्का कटाक्ष है कि तत्र तो प्रतिपक्षसे हीन होरहे को भी प्रयोजन साधनेके लिये अमिळापान करके उसको स्वीकार करलेने, इस प्रकार यहाँ भी और प्रतिपक्षसे हीन भी है, ऐसा वार्तिक कहदेना चाहिये। अर्थात्—प्रतिपक्ष स्थापनाहीन इस सूत्रके परिशेष रहे अर्थके लिये प्रतिपक्षहीन भी यह उपसंख्यान करना चाहिये। क्योंकि सर्वथा प्रतिपक्षसे हीन हो रहे वादका असम्भव है। यों कहनेपर तो आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार कौन व्याख्यान कर रहा है कि सभी प्रकार प्रतिपक्षोंसे हीन वितंडा होना चाहिये ? “सप्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितंडा” इसका व्याख्यान यों किया गया है कि परवादीसे प्रतिज्ञाको ग्रहण करनेकी इच्छा रखता हुआ वैचंडिक तत्त्वको जाननेकी इच्छाका प्रकाश करके स्वकीय पक्षको वचनोद्धार व्यवस्थापित नहीं करता हुआ अपने सिद्धान्तदर्शनकी सिद्धि करा देवें। क्योंकि वहाँ शब्दोंद्वारा प्रतिपादन किये बिना यों ही जाने जा रहे अपने पक्षकी सत्ता है। अन्यथा यानी इस प्रकार व्याख्यानको नहीं कर दूसरे प्रकारोंसे माननेपर तो अपने पक्षको व्यवस्थापित नहीं करता हुआ इस भाष्यकारके वचनका विरोध हो जावेगा। अर्थात्—उक्त सूत्रके माध्यमे वास्यायन ऋषिने यों कहा है कि “यदे खलु तत्परप्रतिषेधलक्षणं वाक्यं स वैतंडिकस्य पक्षः, न त्वसौ साध्यं कश्चिदर्थ प्रतिज्ञाय स्यात्पतीति तस्माद् यथा न्यासमेवास्त्विति” दूसरे वार्दिके साध्यका निषेध करना स्वरूप वाक्य ही वैतंडिकका पक्ष है। वह वैतंडिक किसी साध्यविशेषकी प्रतिज्ञा कर स्थापन नहीं करता है। यानी वैतंडिक पण्डित अपने पक्षकी व्यवस्थाको नहीं करा रहा है। अपनी गालकी प्रतिज्ञाको नहीं ग्रहण करता हुआ तत्र समझनेकी इच्छा का प्रकाश नहीं कर रहा है। केवल दूसरोंके पक्ष का खण्डन कर देनेसे अर्थापत्तिद्वारा वैतंडिकके सिद्धान्त दर्शनका अन्य जन अनुमान होगा किया करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वितंडा सर्वथा प्रतिपक्षकी सिद्धिसे रीता नहीं है।

कृतोन्यथा भाष्यकारस्यैवं व्याख्यानमिति चेत्, सर्वथा स्वपक्षहीनस्य वादस्य जल्पवितंडावदसंभवादेव । कथमेवं वादजल्पयोर्वितंडातो भेदः ? प्रतिपक्षस्थापनाहीनत्वा- विशेषादिति चेत्, उक्तमत्र निषमत्तः प्रतिपक्षस्थापनाया हीना वितंडा, कदाचित्तथा हीनी वादजल्पाविति । केवलं वादः प्रमाणतर्कसाधनोपलंभत्वादि विशेषणः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः । जल्पस्तु छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपलंभश्च यथोक्तोपपन्नश्चेति वितंडातो विशिष्यते ।

कोई पूछता है कि भाष्यकार वात्स्यायनका अन्य प्रकारसे व्याख्यान नहीं कर इसी प्रकार का व्याख्यान करना कैसे ठीक समझा जाय ? यों कहनेपर तो आचार्य कहते हैं कि जल्प और वितंडाके समान स्वपक्षसे सर्वथा हीन हो रहे वादका असम्भव ही है । अर्थात्—जैसे जल्प और वितंडामें उच्यमान या गम्यमान स्वपक्ष विद्यमान है, उसी प्रकार वादमें भी स्वपक्ष विद्यमान है । फिर कोई प्रश्न उठाता है कि इस प्रकार स्वपक्षके होनेपर वितंडासे वाद और जल्पका भेद कैसे हो सकेगा ? बताओ । क्योंकि प्रतिकूल पक्षकी स्थापनासे रहितपक्षकी अपेक्षा इन तीनोंमें कोई विशेषता नहीं है । यों कहनेपर तो आचार्य समाधान करते हैं कि हम इस विषयमें पहिले ही कह चुके हैं कि नियम करके जो प्रतिपक्षकी स्थापनासे हीन है, वह वितंडा है । और कभी कभी स्वरूपकरके प्रतिपक्षसे हीन हो रहे वाद और जल्प हैं । अर्थात्—वितंडामें तो सर्वदा प्रतिपक्षकी स्थापना नहीं ही होती है । किन्तु वाद और जल्पमें कभी प्रतिपक्षकी स्थापना हो जाती है और कभी प्रतिपक्षकी स्थापना नहीं भी होती है । हाँ, केवल वादमें प्रमाण और तर्क करके स्थापना और प्रतिषेध किये जाते हैं । अपने सिद्धान्तको स्वीकार कर उससे अविरुद्ध वाद होना चाहिये, इत्यादि विशेषणोंसे सहित हो रहा पक्ष प्रतिपक्षका परिग्रह करना वाद है । और जल्प तो छल जाति और निग्रह स्थानोंकरके साधन करना, उपाळम्भ देना, इनसे युक्त है और ऊपर कहे हुये वादके लक्षणमेंसे जो कुछ उपपत्ति युक्त होय, उससे सहित है । इस कारण वितंडासे वाद और जल्पमें विशेषता प्राप्त हो जाती है ।

तदेवं पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहस्य जल्पे सतोपि प्रमाणतर्कसाधनोपलंभत्वादिविशेषणाभा- वाद्वितंडायासत्त्वाच्च न जल्पवितंडयोस्तत्राध्यवसायसंरक्षणार्थत्वासिद्धिः प्रकृतसाधनाद्येने- ष्टविघातकारीदं स्यादनिष्टस्य साधनादिति वाद एव तत्राध्यवसायसंरक्षणार्थत्वाज्जिगी- पतोर्युक्तो न जल्पवितंडे ताभ्यां तत्राध्यवसायसंरक्षणार्थत्वात् । परमार्थतः ख्यातिछा- भपूजावत् ।

तिस कारण अवगत यों सिद्ध हुआ कि वादके लक्षणका विशेष्य दल बन रहा पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह करना यद्यपि जल्पमें विद्यमान हो रहा है, तो भी प्रमाण तर्कसे साधन या उपाहान देना सिद्धान्त अविरुद्ध होना आदि विशेषणोंके नहीं घटित होनेसे जल्पको तत्त्वनिर्णयका संरक्षकपना



प्रकृत हेतुसे सिद्ध नहीं होना है तथा विनंदामें तो विशेष्य दृष्ट पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह और विशेषण दृष्ट प्रमाण तर्कसे साधना उदाहरना आदिके नहीं घटित होनेसे तत्र निर्णयका संरक्षण अर्थयत्ना प्रकरण प्राप्त धारनेसे सिद्ध नहीं हो पाता है । अर्थात्—आचार्य महाराजने पूर्वमें याद ही को तत्रनिर्णयका रक्षकपना साधनेके लिये जो वादके पूरे दृष्टणको हेतु बनाकर अनुमान कदा था वह ठीक है । जल्प और वितंडामें हेतु नहीं ठहरता है । जिससे कि अनिष्टका साधन हो जानेसे यह हेतु इष्टसाध्यके विघातको करनेवाला हो जाय । इस कारण वाद ही तत्र निर्णयके संरक्षण अर्थ उपयोगी होनेसे जीतनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंमें प्रवर्त रहा है । यह युक्त है । जल्प और वितंडा तो तत्रनिर्णयके रक्षक नहीं हैं । अतः जिगीषुओंमें नहीं प्रवर्तते हैं । गैयारोंकी दूरी बात है । उन जल्प वितंडाओं करके परमार्थ रूपसे तत्रनिर्णयका मूले प्रकार रक्षण होना असम्भव है । जैसे कि विद्वानोंमें प्रकृत विद्वत्तापनेकी प्रसिद्धि आर्थिक लाभ, या यशो-लाभ, तथा पूजा स्तकार ये जल्प वितंडाओंसे नहीं होते हैं । उसी प्रकार जल्प वितंडाओंसे तत्र-निर्णयकी रक्षा नहीं हो पाती है । अतः उक्त हेतु-अन्यत्र नहीं रह कर वाद हीमें ठहरता है । उग करके तो निग्रह कर दिया जाता है । वहाँ तत्रव्युत्पत्ता नहीं है ।

तत्रव्यवसायवसायो हि तत्रनिश्चयस्तस्य संरक्षणं न्यायबलात्सकलबाधकनिराकरणेन पुनस्तत्र बाधकवृत्त्यापयतो यथाकथंचिन्निर्मुक्तीकरणं चपेटादिभिस्तत्पक्षनिराकरणस्यापि तत्राध्यवसायसंरक्षणत्वमसंगात् । न च जल्पवितंडाभ्यां तत्र सकलबाधकपरिहरणं छल-जात्यानुपक्रमपराभ्यां संशयस्य विपर्यासस्य वा जननात् । तत्राध्यवसाये सत्यपि हि पादिनाः परनिर्मुक्तीकरणे प्रवृत्तौ प्राश्निकास्तत्र संशेस्ते विपर्ययस्यन्ति वा किमस्य तत्रा-ध्यवसायोस्ति किं वा नास्तीति । नास्त्येवेति वा परनिर्मुक्तीकरणमात्रे तत्राध्यवसायरहि-तास्यापि प्रवृत्तिदर्शनाच्चत्वोपच्छववादिवत् तथा चारुपातिरेव प्रेक्षावत्सु अस्य स्यादिति कृताः पूजास्त्राभो वा ?

तत्रयका अर्थवसाय तो नियम करके तत्रोंका निश्चय करना है । उसका संरक्षण करना यह है कि प्रमाणोंकरके अर्थपरीक्षण स्वरूप न्यायकी सामर्थ्यसे सम्पूर्ण बाधकोंका निराकरण कर देना है । किन्तु फिर उसमें बाधक प्रमाणोंको उठा रहे प्रतिवादीका चाहे जैसे तैसे अन्याय या अनुचित मार्ग द्वारा बोल रोक देना संरक्षण नहीं अन्यथा दूसरेके मुखका बोल रोक देना तो धम्पड़, पूसा, भ्रमप्रयोग, मर्मच्छेदकवचन, चीठ हापटा कर देना आदि निंघ प्रयत्नों करके उक्त विद्वान्के पक्षके निराकरणको भी तत्रनिर्णय रक्षकपनका प्रसंग आ जावेगा । भावार्थ—प्रमाणोंद्वारा सकल बाधकोंका निराकरण कर देनेसे तत्रनिर्णयकी रक्षा होती है । चाहे जैसे मनवाणी उँगोसे किसीको निर्मुक्त कर देनेसे तत्रनिर्णय नहीं हो पाता है । नादिरशाहीसे

न्यायमार्ग रक्षित नहीं रह पाता है। देखिये, जल्प और वितंडासे उस प्रतिज्ञा वाक्यमें उठाये गये सम्पूर्ण वाचकोंका परिहार नहीं हो पाता है। क्योंकि ये जल्प या वितंडामें प्रवर्त रहे पण्डित तो छळ, असमीचीन उत्तर, निग्रह करना आदिका उपक्रम लगानेमें तत्पर हो रहे हैं। अतः उन जल्प वितंडाओंसे संशय या विपर्यय उत्पन्न हो जाता है। तत्त्वनिर्णय नहीं हो पाता है। कारण कि वादी पण्डितके तत्त्वोंका निर्णय होनेपर भी यदि उसकी दूसरोंको जैसे तैसे किसी उपायसे चुप कर देनेमें ही प्रवृत्ति होगी तो वहां बैठे हुये प्राथिक सम्प्र उसके विषयमें यों संशय करने लग जाते हैं कि इस वादीके क्या तत्त्वोंका अन्वयसाय है ? अथवा क्या नहीं है ? तथा प्राथिक पुरुष यों विपरीत ज्ञान कर बैठते हैं कि इस वादीके तत्त्व निर्णय है ही नहीं। क्योंकि स्वपक्षसिद्धिको मुखसे बोल रहे प्रतिवादीके केवल चुप कर देनेमें तो तत्त्वनिर्णयसे रहित हो रहे भी वादीकी प्रवृत्ति होना देखा जाता है। जैसे कि तत्त्वोंका उपपञ्च माननेवाले वादीकी स्वयं तत्त्वनिर्णय नहीं होते हुये भी दूसरोंके चुप करनेमें प्रवृत्ति हो रही है। यही अवस्था जादिक और वैतंडिककी है और तैसा होनेपर विचारशील प्रेक्षवान् पुरुषोंमें इसकी अप्रसिद्धि ही हो जायेगी। ऐसी दशामें सत्कार पुरस्काररूप पूजा अथवा काम तो भला कैसे प्राप्त हो सकता है ? तुम्हें विचारो।

ततश्चैवं वक्तव्यं वादो जिगीषतोरेव तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थत्वादन्यथा तदनुपपत्तेः। पराभ्युपगममात्राज्जल्पवितंडावत्त्वात् निग्रहस्थानवत्त्वाच्च। न हि वादे निग्रहस्थानानि न संति। सिद्धांताविरुद्धः इत्यनेनापसिद्धांतस्य पंचावयवोपपन्न इत्यत्र पंचग्रहणान्न्यूनाधिक्योरवयवोपपन्नग्रहणाद्धेत्वाभासपंचकस्य प्रतिपादनादपानां निग्रहस्थानानां तत्र नियमव्याख्यानात्।

तिस कारण अवतक सिद्धि कराते हुये यों कहना चाहिये कि वाद ( पक्ष ) जीतनेकी इच्छा रखनेवाले दो वादी प्रतिवादियोंका ( में ) ही प्रवर्तता है ( साध्य )। तत्त्वाध्यवसाय संरक्षण अर्थपना होनेसे ( हेतु ) अन्यथा यानी जिगीषुओंमें होने बिना वादमें वह तत्त्व निर्णयकी संरक्षकता नहीं होने पायेगी इस व्याप्तिको दिखलाते हुये पहिला हेतु कहा दे। तथा दूसरे नैयायिकोंके केवल स्वीकार करनेसे जल्प, वितंडा सहितपना होनेसे ( दूसरा हेतु ) अर्थात्—नैयायिकोंने जल्प और वितंडाका जिगीषुओंमें प्रवर्तना स्वयं इष्ट किया है। इनके धर्म वादमें भी रह जाते हैं। अथवा नैयायिकोंने तत्त्व निर्णयके रक्षक जल्प वितंडाओंकी जिगीषुओंमें प्रवृत्ति मानी है। अतः जल्प और वितंडाको अन्वयदृष्टान्त समझो तथा निग्रहस्थानोंसे सहितपना होनेसे ( तीसरा हेतु ) यानी वादमें वादी प्रतिवादियों द्वारा तिरस्कार बर्षक या पराजयसूचक निग्रहस्थान उठाये जाते हैं। अतः सिद्ध होता है कि वाद परस्परमें एक दूसरेकी जीतनेकी इच्छा रखनेवालोंमें प्रवर्तता है। वादमें निग्रह स्थान नहीं है, यह कोई नहीं समझ बैठे। क्योंकि वादके क्लृप्तनमें सिद्धान्त अविरुद्ध ऐसा पद पढा हुआ

है। इस करके यादमें अपसिद्धान्त नामक निग्रहस्थानके उठानेका नियम बखाना है। और वादके लक्षणमें "पंचावयवोपपन्नः" ऐसा विशेषण कहा गया है। इसमें पांच इस पदके ग्रहणसे न्यून और अधिक नामक निग्रहस्थानके उठानेका नियम कहा गया है। तथा 'अवयवोपपन्न' यानी अवयवोंसे सहित इस पदके ग्रहणसे पांचों हेत्वाभास नामक निग्रहस्थानोंका उठाना वहां वादमें नियमित कहा गया है। अर्थात्—सिद्धान्तसे अतिरुद्ध वाद होना चाहिये, इससे धरित होता है जो वादी या प्रतिवादी सिद्धांतसे विरुद्ध बोधेगा उसके ऊपर अपसिद्धान्त नामका निग्रहस्थान उठा दिया जायगा "सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात् कथाप्रसङ्गोऽपसिद्धान्तः" वास्त्यायन ऋषि इसका अर्थ यों करते हैं कि किसी अर्थके तिस प्रकार होनेकी प्रतिज्ञा कर पुनः प्रतिज्ञा किये गये अर्थके विपर्ययरूप अनियमसे कथाका प्रसंग करा रहे विद्वानके अपसिद्धान्त निग्रहस्थान हो जाता है। पांचों ही अवयव होने चाहिये। अन्यथा न्यून और अधिक नामक निग्रहस्थान लागू हो जानेसे वह विद्वान् निग्रहीत हो जावेगा। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इन पांच अवयवोंमेंसे एक भी अवयव करके यदि हीन बोधा जायगा, तो न्यून निग्रहस्थान कहावेगा और हेतु या उदाहरण अधिक बोध दिये जायेंगे तो अधिक नामक निग्रहस्थान हो जायगा। तथा पांचों अवयव कहने चाहिये। यदि प्रतिज्ञा नहीं कही जायगी तो आश्रयासिद्ध हेत्वाभास नामक निग्रहस्थान उसपर लगा दिया जायगा। प्रतिज्ञा कह देनेपर तो आश्रय पक्ष हो जाता है। हेतु अवयवसे युक्त यदि वाद नहीं होगा तो स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास नामक निग्रह स्थानसे वह पण्डित प्रसन्न ठिया जावेगा। हेतु कह देनेपर तो वह हेतु पक्षमें ठहर जाता है। अतः स्वरूपा सिद्ध नहीं है। अन्यदृष्टान्त नहीं कहनेपर विरुद्धहेत्वाभास निग्रहस्थान उठा दिया जाता है। जो हेतु सपक्षमें रहेगा वह विरुद्ध नहीं हो सकता है। व्यतिरेक दृष्टान्त नहीं देनेसे अनैकान्तिकहेत्वाभास निग्रहस्थान उठा दिया जावेगा। जो हेतु विपक्षमें नहीं बर्तेगा वह व्यभिचारी नहीं होगा। उपनयसे युक्त नहीं कहनेपर बाधित हेत्वभास नामक निग्रहस्थान दिया जासकता है। जो साध्य करके व्याप्त हो रहे हेतुसे युक्त पक्ष है, वहां साध्यकी बाधा नहीं है। निगमनसे युक्त नहीं कहनेपर सप्रतिपक्ष नामका निग्रह स्थान उठा दिया जाता है। व्याप्तिको रखनेवाले हेतुका व्यापक साध्य यदि बड़ा वर्त रहा है तो साध्याभावका साधक दूसरा हेतु बड़ा कथमपि नहीं मटक सकता है। इस प्रकार अपसिद्धान्त, न्यून, अधिक, और पांच हेत्वाभास ऐसे आठ निग्रह स्थानोंका उठाना उस वादमें बखाना गया है। विजिगीषा रखनेवाले ही पण्डित दूसरोंके ऊपर निग्रहस्थान उठा सकते हैं। अतः जिगीषु पुरुषोंमें ही वाद प्रवर्तता है।

निवारणबुद्ध्या तत्त्वज्ञानायावयवयोः प्रवृत्तिर्न च साधनाभासो दूषणाभावो वा तत्त्वज्ञानहेतु-  
रतो न तत्प्रयोगो युक्तः इति । तदेतदसंगतं । जल्पवित्तंडयोरपि तथोद्भावननियमप्रसंगात्प्रयो-  
स्तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणाय स्वयमभ्युपगमात् । तस्य छलजातिनिग्रहस्थानैः कर्तुमशक्यत्वात् ।

यहाँ नैयायिक अपने सिद्धांतका अवधारण करते हैं कि वीतरागोंमें ही वाद प्रवर्तता है ।  
यद्यपि वादमें आठ निग्रहस्थानोंका सद्भाव है, तो भी दूसरेका निग्रह करनेकी बुद्धि करके निग्रह-  
स्थानोंका उठाना नहीं होनेसे वहा परस्परमें जीतनेकी इच्छा नहीं है । वही हमारे ग्रन्थोंमें कहा गया  
है कि तर्क शब्द करके भूतपूर्वका ज्ञान होना इस न्यायके द्वारा वादमें वीतरागकयापनका ब्यापक हो  
रहा है । अतः निग्रहस्थानोंके उद्भावका नियम प्राप्त हो जाता है । तिस कारण इस प्रकार  
“ प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भ ” के उच्चरमें पड़े हुये “ सिद्धांताविरुद्ध ” और “ पंचाश्रयवोपपन्न ”  
इन दो पदोंके द्वारा सम्पूर्ण निग्रहस्थान, छल जाति, आदिका उपलक्षणरूप प्रयोजनसहितपना है ।  
अतः वादमें अप्रमाणपनेकी बुद्धि करके दूसरोंके प्रति छल, जाति, निग्रहस्थानोंका प्रयोग किया है ।  
दूसरेका निग्रह करनेकी बुद्धिसे छल आदिक नहीं उठाये गये हैं । किन्तु दोषोंके निवारणकी  
सद्विचारबुद्धिसे छल आदिक उठाये गये हैं । हम दोनों वादी प्रतिवादियोंकी प्रवृत्ति तत्त्वज्ञान करनेके  
लिये है । दूसरेके हेतुको हेत्वाभास बना देना अथवा अपने हेतुमें दूषण नहीं आने देना हमारा  
लक्ष्य नहीं है । हेत्वाभास कर देना या दूषण नहीं आने देना कोई तत्त्वज्ञानका कारण नहीं है ।  
इस कारण उन छल आदिकका प्रयोग करना युक्त नहीं है । भावार्थ—न्याय भाष्यमें लिखा है कि  
अवयवोंमें प्रमाण और तर्कका अन्तर्भाव हो जानेपर पुनः पृथक् रूपसे प्रमाण और तर्कका ग्रहण  
करना साधन और उपालम्भके व्यतिपंगका ज्ञापक है । सोलह पदार्थोंमें वादके पहिले तर्क और  
निर्णय पदार्थ हैं । वीतराग कथामें यहाँ यह होना चाहिये, यह नहीं होना चाहिये, इस प्रकार  
तत्त्वज्ञानके लिये किया गया विचार तर्क है । विमर्षण कर पक्ष प्रतिपक्षोंकरके अर्थ अवधारण  
करना निर्णय है । तर्क और निर्णयके समय किया गया विचार जैसे वीतरागताका कारण है, वैसे ही  
वादमें भी वीतरागोंका विचार होता है । उसमें हार जीतके लिये निग्रहस्थान आदिका प्रयोग  
नहीं है । ऐसे जल्प कथार्योंमें तत्त्वनिर्णय नहीं हो पाता है । यहातक नैयायिक वादको वीतराग  
कयापन साधनेके लिये अनुनय कर चुके । अब आचार्य कहते हैं कि यह सब उनका कहना पूर्व  
अपर संगतिते रहित है । क्योंकि यों तो जल्प और वितंडामें भी निग्रहस्थान आदिका तिस प्रकार  
यानों निग्रह बुद्धिसे नहीं, किन्तु निवारण बुद्धिसे उठानेके नियमका प्रसंग हो जायगा । उन जल्प  
वितंडा दोनोंको नैयायिकोंने स्वयं तत्त्वनिर्णयकी संरक्षा करनेके लिए स्वीकार किया है । छल, जाति,  
निग्रह स्थानोंकरके वह तत्त्वनिर्णय नहीं किया जा सकता है ।

परस्य तूर्णोभावार्थं जल्पवित्तंडयोश्छलागुद्भावनमिति चेन्न, तथा परस्य तूर्णोभावा-  
संभवादसदुचाराणामान्त्यान्वयापत्त्यादेव परनिराकरणसंभवात् । सोयं परनिराकरणा

यान्ययोगव्यवच्छेदेनाव्यवसिताद्यनुज्ञानं तच्चविषयमज्ञापारिपाकादि च फलमभिप्रेत्य वादं कुर्वन् परं निग्रहस्थानैर्निराकरोतीति कथमविरुद्धवान् न्यायेन प्रतिवादिनः स्वाभिप्रायाभि-  
वर्तनस्यैव निग्रहत्वादलाभे वा ततो निग्रहत्वायोगात् । तदुक्तं । “ आस्तां तावदलाभादि-  
रयमेव हि निग्रहः । न्यायेन विजिगीषूणां स्वाभिप्रायनिवर्तनम् ॥ ” इति सिद्धमेतत्  
जिगीषतोर्वादो निग्रहस्थानवच्चान्ययानुपपत्तेरिति ।

दूसरोंको चुप करनेके लिये जल्प और वितंडामें छठ आदिक उठाये जाते हैं, यह तो नहीं कहना । क्योंकि तिस प्रकार छठ आदिकके उठानेसे तो दूसरेका चुप रहना असम्भव है । क्योंकि असमीचीन उत्तर अनन्त पडे हुये हैं । अतः दूसरा अनेक जातियोंद्वारा प्रत्यवस्थान करता जायगा, कोई रोक नहीं सकता है । वस्तुतः देखा जाय तो समीचीन न्यायकी सामर्थ्यसे ही दूसरेका निराकरण करना सम्भवता है । अन्यथा नहीं, सो यह प्रसिद्ध नैयायिक अनिर्णत, संदिग्ध, विपर्यस्त, आदिका ज्ञान हो जाना और जाने हुये तार्किक विषयोंमें प्रज्ञाका परिपाक दृढता आदि हो जाना रूप फलका अभिप्राय कर दूसरोंके निराकरणके लिये अन्यके योगका व्यवच्छेद करके वादको फल रहा संता निग्रहस्थानों करके दूसरेका निराकरण कर रहा है । ऐसा कहनेवाला नैयायिक पूर्वापर अविरुद्ध बोलनेवाला कैसे समझा जा सकता है ? अर्थात्—उद्देश्य तो इतना पवित्र है । किन्तु जघन्यमार्ग पकड रखा है । सच पूछो तो प्रतिवादीका न्याय मार्ग करके स्वकीय अभिप्रायसे निवृत्ति करा देना ही निग्रह है । अपने आप्रहीत अभिप्रायोंसे निवृत्त करा कर यदि वादीने प्रतिवादीको अपने समीचीन सिद्धान्तोंका लाभ नहीं करा लिया है तो इन छठ आदिकोंसे उस प्रतिवादीका निग्रह कथमपि नहीं हो सकता है । वही ग्रन्थोंमें कहा है कि लाभ नहीं होना, प्रसिद्धि नहीं होना, संस्कार नहीं होना, आदिक तो दूर ही रहो, ये तो सब पीछेकी बातें हैं । हम तो कहते हैं कि जीतनेकी इच्छा रखनेवालोंमेंसे किसी एकका किसी एकके द्वारा न्यायपद्धति करके नियमपूर्वक स्वकीय अभिप्रायोंसे निवृत्त करा देना यही निग्रह है । इस कारण यह राद्धान्त सिद्ध हो जाता है कि वाद ( पक्ष ) जीतनेकी इच्छा कर रहे विद्वानोंमें प्रवर्तता है ( साध्य ) । अन्यथा निग्रहस्थान सहितपना असिद्ध हो जावेगा । यशतक छत्वीसवीं कारिकाके व्याख्यानका उपसंहार कर दिया गया है ।

स च चतुरंगः स्वाभिप्रेतस्वव्यवस्थानफलत्वाल्लोकप्रख्यातवादवत् । तथाहि ।

और अठारहवीं वार्तिकके परामर्श अनुसार वह वाद ( पक्ष ) सभ्य, समापति, वादी, प्रति-  
वादी, इन चार अंगोंके होनेपर प्रवर्तता है ( साध्य ) । अपने अपने अभिप्राय अनुसार श्रेष्ठ हो रहे अपने ही पक्षकी व्यवस्था करा देना रूप फलसे सहित होनेसे ( हेतु ) जैसे कि लोकमें विजिगीषु-  
ओंके भले प्रकार प्रसिद्ध हो रहे वाद अपनी अपनी पक्षकी पुष्टि हो जाना उद्देश्य कर किये गये

चार अंगवाले हैं । न्यायाधीश १ साक्षी या दर्शक २ वादी ३ और प्रतिवादी ४ इन चार अंगोंके होनेपर लौकिक वाद ( मुकदमा ) प्रवर्तता है । इसी बातको ग्रन्थकार श्री विद्यानन्द स्वामी वार्तिकों द्वारा स्पष्ट कहते हैं ।

मर्यादातिक्रमं लोके यथा हन्ति महीपतिः ।

तथा शास्त्रेऽप्यहंकारग्रस्तयोर्वादिनोः क्वचित् ॥ ३० ॥

जिस प्रकार लोकमें मर्यादाका अतिक्रमण करनेवाले या मर्यादाके अतिक्रमको राजा नष्ट कर देता है । उसी प्रकार कहीं कहीं शास्त्रमें भी गर्वसे प्रसे गये वादी प्रतिवादियोंके द्वये मर्यादा अतिक्रमको समापति या राजा नाश कर देता है । अर्थात्—वादी दुई मर्यादाको तोडनेवाले अभिमानी वादी प्रतिवादियोंको राजा नियत मर्यादामें ही अपनी शक्ति द्वारा रक्षित रखता है । अन्यथा प्रवर्तनेपर दण्डित कर देता है ।

वादिनोर्वादनं वादः समर्थे हि समापतौ ।

समर्थयोः समर्थेषु प्राश्निकेषु प्रवर्तते ॥ ३१ ॥

अपनी अपनी योग्य सामर्थ्यसे युक्त हो रहे वादी प्रतिवादियोंका वाद तो सामर्थ्य युक्त समापतिके होनेपर और समर्थ प्राश्निकोंके होनेपर प्रवर्तता है । अर्थात्—वादी, प्रतिवादी, सम्प, और समापतिके, अपनी अपनी समुचित सामर्थ्यसे सहित होनेपर वाद प्रवर्तता है ।

सामर्थ्यं पुनरीशस्य शक्तित्रयमुदाहृतम् ।

येन स्वमंडलस्याज्ञा विधेयत्वं प्रसिद्ध्यति ॥ ३२ ॥

मंत्रशक्त्या प्रभुस्तावत्स्वलोकान् समयानपि ।

धर्मन्यायेन संरक्षेद्विप्लवात्साधुसात् सुधीः ॥ ३३ ॥

प्रभुसामर्थ्यतो वापि दुर्लभ्यात्मवलैरपि ।

स्वोत्साहशक्तितो वापि दंडनीतिविदांवरः ॥ ३४ ॥

सम्पूर्ण समाके अधिपतिकी सामर्थ्य तो फिर मंत्रशक्ति, प्रभुशक्ति, वसाहशक्ति, ये तीन शक्तियां कहीं गयीं हैं । जिस शक्तिप्रसे उस समापतिका अपने सम्पूर्ण अधीन मण्डलको अपनी आज्ञाके अनुसार विनाश करने योग्यवना गुण प्रसिद्ध हो जाता है । तीन तीन शक्तियोंमेंसे सबसे पहिली मंत्रशक्तिके द्वारा तो बड़े दुर्दर्शी प्रभु अपने ननोंको और अपने सिद्धार्थोंको भी धार्मिक न्याय करके उप-

सर्गोंसे साधुओंके अधीन अच्छी रखा कर लेवेगा । या साध्यस्यः यानी मयसे स्वकीय वर्गको रक्षित रखेगा और वह समापति अपनी दूसरी प्रभुता सामर्थ्यसे तो अलंघनीय या दुःसाध्यपूर्वक अलंघनीय आर्याय बलों करके भी स्ववर्ग और सिद्धान्तोंकी रक्षा कर लेता है । अथवा दंडनीतिके शास्त्रोंको जानने वाले विद्वानोंमें श्रेष्ठ हो रहा वह समापति अपनी तीसरी उरसाह शक्तिद्वारा भी शासित प्रजाकी उपसर्गोंसे संरक्षा कर सकेगा ।

रागद्वेषविहीनत्वं वादिनि प्रतिवादिनि ।

न्यायेऽन्याये च तद्वत्त्वं सामर्थ्यं प्राश्रिकेष्वदः ॥ ३५ ॥

सिद्धान्तद्वयवेदित्वं प्रोक्तार्थग्रहणत्वता ।

प्रतिभादिगुणत्वं च तत्त्वनिर्णयकारिता ॥ ३६ ॥

जयेतरव्यवस्थायामन्यथानधिकारता ।

सभ्यानामात्मनः पत्युर्यशो धर्मं च वाञ्छतां ॥ ३७ ॥

मध्यस्य या प्राश्रिकोंमें वह सामर्थ्य होना चाहिये कि वादी और प्रतिवादीमें रागद्वेषसे विहीनपना तथा न्याय और अन्यायके होनेपर न्यायसहितपना और अन्यायसहितपना बखानना तथा वादी प्रतिवादी दोनोंके सिद्धान्तोंका ज्ञातापन एवं वादी और प्रतिवादीद्वारा मझे प्रकार कहे गये अर्थका ग्राहकपना तथा नव नव उन्मेषशालिनी बुद्धि, निपुणता, लोकचातुर्य आदि गुणोंसे युक्तपना एवं तत्त्वोंके निर्णयका कर्तापन इस प्रकारकी शक्तियाँ प्राश्रिकोंमें होनी चाहिये । अर्थात्—सम्यजन किसी वादी या प्रतिवादीमें पक्षपात नहीं रखे, रागद्वेषरहित होय, न्यायकी प्रवृत्ति होनेपर न्याय कहें और अन्याय वर्तनेपर अन्याय कहें, दोनोंके सिद्धान्तोंको जाने, तथा कहें हुये अर्थको समझ ले, प्रतिभा आदि गुणोंसे युक्त होय, तत्त्वका निर्णय करा सके, तब तो वादी, प्रतिवादीयोंके जय या पराजयकी व्यवस्था करनेमें वे नियामक समक्ष जायेंगे । अन्यथा जय पराजय करनेमें उन सामर्थ्यरहित प्राश्रिकोंको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अपने यश और धर्मका वांछा करनेवाले तथा समापतिके यश और धर्मको चाहनेवाले सम्यपुरुषोंकी उक्त प्रकार सामर्थ्य होना अत्यावश्यक है ।

कुमारनंदिनश्चाहुर्वादन्यायविचक्षणाः ।

राजप्राश्रिकसामर्थ्यमेवंभूतमसंशयम् ॥ ३८ ॥

वाद करनेमें और प्रमाणों करके अर्थ परीक्षण करनेस्वरूप न्यायमें अत्यन्त प्रकाण्ड विद्वान् श्री कुमारनन्दी भट्टारक तो राजा और प्राश्रिकोंका इस उक्त प्रकार हुई सामर्थ्यको संशयरहित कह रहे हैं ।

एकतः कारयेत्सभ्यान् वादिनामेकतः प्रभुः ।

पश्चादभ्यर्णकान् वीक्ष्यं प्रमाणं गुणदोषयोः ॥ ३९ ॥

अब इनके बैठनेका क्रम बतलाते हैं कि समापति महोदय इन वादी प्रतिवादियोंके एक ओरसे सम्य प्राश्निकोंकी स्थितिको करा देवें और एक ओरसे उन प्राश्निकोंके पीछे समीपवर्ती दर्शकोंको करा देवें । तब वादी प्रतिवादियोंके गुण दोषोंमें प्रमाणको इँढना चाहिये ।

लौकिकार्थविचारेषु न तथा प्राशिका यथा ।

शास्त्रीयार्थविचारेषु वा तज्ज्ञाः प्राशिका यथा ॥ ४० ॥

लोकसम्बन्धी अर्थोंके विचारों ( मुकदमा ), में जिस प्रकार प्राश्निक होते हैं । उस प्रकार शास्त्रसम्बन्धी अर्थके विचारोंमें वैसे प्राश्निक नहीं होते हैं । किन्तु शास्त्रार्थके विचार करनेमें उस विषय को यथायोग्य परिपूर्ण जाननेवाले पुरुष मध्यस्थ होते हैं ।

सत्यसाधनसामर्थ्यसंप्रकाशनपाटवः ।

वाद्यजेयो विजेता नो सदोन्मादेन केवलम् ॥ ४१ ॥

समर्थसाधनाख्यानं सामर्थ्यं वादिनो मतं ।

सा त्ववश्यं च सामर्थ्यादन्यथानुपपन्नता ॥ ४१ ॥

समीचीन हेतुकी सामर्थ्यका अच्छा प्रकाश करनेमें दक्षतायुक्त वादी विद्वान् दूसरोंके द्वारा जीतने योग्य नहीं है । किन्तु दूसरोंको विशेषरूपसे जीतनेवाला है । केवल चित्तविभ्रमसे सदा वादी विजेता नहीं होता है । साध्यको साधनेमें समर्थ हो रहे हेतुका कथन करना ही वादीकी सामर्थ्य मानी गयी है, और वह हेतुकी सामर्थ्य तो साध्यके साथ अन्यथा अनुपपत्ति होना है । जो कि वादीकी शक्तिरूपसे अति आवश्यक मानी गयी है । यानी साध्यके बिना हेतुका नहीं ठहरना हेतुकी सामर्थ्य है । इस प्रकार वादीकी सामर्थ्य कह दी है ।

सद्दोषोद्भावनं वापि सामर्थ्यं प्रतिवादिनः ।

दूषणस्य च सामर्थ्यं प्रतिपक्षविधातिता ॥ ४३ ॥

प्रतिवादीकी सामर्थ्य भी समीचीन दोषोंका उख्यान करना है । और दूषणकी शक्ति तो प्रतिपक्ष यानी वादीके पक्षका विशेष रूपसे घात कर देना है । अर्थात्—जैसे कि धनुर्धारीकी सामर्थ्य उत्तम बाणका होना है । और बाणकी शक्ति तो शत्रुपक्षका विनाश करना है ।



ननु यथा सभापतेः प्राश्निकानां च सामर्थ्यमविरुद्धमुक्तं वादिनोः साधनदूषणयोश्च परस्परव्याघातात् । तथाहि—यदि वादिनः स्वस्यसाधनवचनं सामर्थ्यं साधनस्य चान्यथानुपपन्नत्वं तदा कथं तत्र प्रतिवादिनः सदोषोद्भावनं सामर्थ्यं संसाध्यं दूषणस्य च पक्ष-विघातितावत्कथमितरदिति परस्परव्याहतं पश्यामः । तदनुपपत्तिसामर्थ्यत्वे वा यथा समर्थे सभापतौ प्राश्निकेषु वचनं वादस्तथा समर्थयोर्वादिप्रतिवादिनोः साधनदूषणयोश्चेति व्याख्यानमनुपपन्नमायातमिति कश्चित् । तदसत् । वादिप्रतिवादिनोः साधनदूषणवचने क्रमतः प्रवृत्तौ विरोधाभावात् । पूर्वं तावद्वादी स्वदर्शनानुसारितया समर्थः साधनं समर्थमुपन्यस्यति पश्चात्प्रतिवादी स्वदर्शनानुसंधनेन दोषोद्भावनसमर्थसदूषणं तत्सामर्थ्यं प्रतिपक्ष-विघातिता न विरुध्यते ।

यहां किसीकी एक बड़ी अन्धठी शंका है कि जिस प्रकार सभापति और प्राश्निकोंकी सामर्थ्य एक दूसरेके अविरुद्ध कही गयी है, वैसी वादी प्रतिवादीकी शक्तिया अविरुद्ध नहीं है । क्योंकि वादीकी सामर्थ्य समीचीन साधन करके साध्यको साधना है । और प्रतिवादीकी सामर्थ्य उसमें समीचीन दूषण देना है । किन्तु इन दोनों सामर्थ्योंका परस्परमें व्याघात हो जावेगा । उसीको हम स्पष्ट कर दिखलाये देते हैं कि यदि वादीने समीचीन हेतु कहा है, हेतुकी सामर्थ्य तो आपने अन्यथानुपपत्ति बताया थी तब मजा वहां ऐसी दशमें प्रतिवादीके द्वारा समीचीन दोषका उरधान कराना रूप सामर्थ्य समीचीन कैसे साधो जा सकती है । और दूसरी दूषणकी सामर्थ्यमें प्रतिपक्षका विघातकपना कैसे साधा जावेगा ? जैसे यह नहीं उसी प्रकार वह नहीं इसको हम परस्परमें व्याघातको प्राप्त हो रहा देख रहे हैं । अर्थात्—वादी यदि समीचीन हेतुको बोल रहा है, तो प्रतिवादी उसमें समीचीन दोष नहीं उठा सकता है । और यदि प्रतिवादी अपनी शक्ति अनुसार समीचीन दोषको उठा रहा है तो सिद्ध है कि वादीने अपनी नियत शक्ति अनुसार समीचीन हेतु नहीं बोला था । ऐसी अवस्थामें दोनोंकी सामर्थ्य कथमपि ठीक ठीक नहीं सब सकी । व्याघात दोषका यह अन्धठा उदाहरण है । तथा उन वादी प्रतिवादी सम्य सभापति-योर्मते यदि एक भी असमर्थ होगा तो जिस प्रकार समर्थ सभापति अथवा समर्थ प्राश्निकोंके होनेपर तत्त्व निर्णयार्थकता करना वाद है, तिस प्रकार समर्थ हो रहे वादी और प्रतिवादी तथा वादीकी शक्ति समर्थ साधन और प्रतिवादीकी शक्ति समर्थदूषणके होते संते शाब्दार्थव्याख्यान होना असिद्ध आवडा । यानी समर्थ सभापति और सन्धोंके होनेपर शाब्दार्थ हो सकता है । किन्तु यथोक्त समर्थ वादी प्रतिवादीयोके होनेपर वाद तीन कालमें भी नहीं हो सकता है । इस प्रकार कोई पण्डित शंकाकार कह रहा है । अब आचार्य कहते हैं कि इसका वह कहना अन्धई नहीं है । क्योंकि वादीकी साधनके कथन करनेमें और प्रतिवादीकी दूषणके कथन करनेमें प्रवृत्ति होनेपर कोई विरोध

नहीं आता है। देखिये, सबसे पहिले वादी तो अपने दार्शनिक सिद्धान्तके अनुसार अपनेकरके समर्थ होता हुआ अन्यथानुपपत्तिस्वरूप सामर्थ्यसे युक्त हो रहे हेतुका निरूपण करता है। उसके पीछे अपने दर्शनका अवलम्बन करके दोषोंका उठानारूप सामर्थ्यसे युक्त हो रहा प्रतिवादी समीचीन दूषणका प्ररूपण करता है। उस दूषणकी प्रतिपक्षका विघातकपनारूप सामर्थ्य ऐसी दशामें विरुद्ध नहीं पड रही है। मावार्थ—जैसे कि सर्वथा क्षणिकपनेको सिद्ध करनेके लिये बौद्धने “ सर्व क्षणिकं सत्त्वात् ” सभी पदार्थ क्षणिक हैं, सत् होनेसे, यह अनुमान प्रयोग किया, बौद्ध दर्शनके अनुसार वादी समर्थ है। क्योंकि क्षणिकपन साध्यको साधनेमें समर्थ हो रहे सत्त्व हेतुका प्रकथन कर रहा है। और बौद्धमत अनुसार सत्त्व हेतुमें क्षणिकपनके साथ अविनाभाव रखना रूप सामर्थ्य विद्यमान है। दूसरी ओर मीमांसक मत अनुयायी प्रतिवादी अपने सिद्धान्तका अवलम्बन करके समीचीन दोषको उठानेस्वरूप सामर्थ्यसे युक्त होकर यों कह रहा है कि बौद्धोंका हेतु विरुद्धहेत्वाभास है। प्रत्यभिज्ञायमानपन होनेसे या वाचक शब्दका परार्थपना होनेसे सभी शब्द नित्य हैं। किसी भी शब्दका समूलचूळ नाश नहीं हो पाता है। सर्वथा क्षणिक शब्दमें अर्थक्रिया भी नहीं हो सकती है। इत्यादि प्रकारसे प्रतिपक्षका विघातकपनारूप सामर्थ्य प्रतिवादीके दूषणमें विद्यमान है। पुनः बौद्ध अपने सिद्धान्तको पुष्ट करनेके लिये हेतु प्रयोग करता है। पीछे प्रतिवादी भी उसमें समीचीन दोषोंको उठा देता है। इ। प्रकार अपने अपने सिद्धान्तोंके अनुसार समीचीन हेतु और समीचीन दूषणोंका प्रयोग करना अक्षुण्ण सध जाता है। युक्ति, सदागम और अनुभव इनसे जो सिद्धान्त अन्तमें निर्णीत होता है, वह सिद्धान्त यदि वादीके विचार अनुसार है, तब तो प्रतिवादीके दूषण असमीचीन दूषण समझे जायगे और वह अन्तिम सिद्धान्त यदि प्रतिवादीके अनुकूल है, तो वादीके हेतु हेत्वाभास ज्ञात कर लिये जायगे। हा, यदि बीचमें वादी या प्रतिवादीने अपना पक्ष निर्दोष होते हुये भी व्यर्थ कथन उपकथन, किया है, वह प्रशस्त दूषण या समीचीन हेतुओंके साथ नहीं गिना जावेगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वादीका सिद्धान्त निर्दोष है। किन्तु प्रतिवादी अपनी अकाठ्य तर्कों द्वारा वादीके हेतुओंको दूषित कर देता है। अथवा कदाचित् असमीचीन सिद्धान्तको भी सुदृक्ष वादी हेतुओंसे सिद्ध कर देता है। किन्तु निर्बल वादी अपने सत्पक्षकी रक्षा करता हुआ उस वादीके हेतुओंमें दोष नहीं उठा सकता है। ऐसी दशामें जयपराजयकी व्यवस्था भले ही चाहे जैसी हो जाय, किन्तु सर्वमान्य सिद्धान्तका निर्णय यों नहीं हो पाता है। मासमज्ञणको पुष्ट करनेवाळा कुतर्कों पुरुष शुद्ध अन्न, फल, भोजन का पक्ष ले रहे मोठे प्रतिवादीको हरा देता है। एतावता सिद्धान्त व्यवस्था नहीं निर्णीत कर दी जाती है। प्रकरणमें यह कहना है कि अन्तिम निर्णीति या सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार नहीं, किन्तु अपने अपने दर्शन अनुसार वादी प्रतिवादियोंका समीचीन हेतु और समीचीन दोष उठाना ये दोनों कार्य अविरुद्ध बन जाते हैं।

का पुनरियं प्रतिपक्षविघातितेत्याह ।

आप जैनेने प्रतिवादीके दूषणकी सामर्थ्य प्रतिपक्षका विघातकपना कहा था, अब आप फिर यह बता दीजिये कि यह प्रतिपक्षका विघातकपना क्या है ? क्या किसीको मारा या पीटा जाता है ? या किसीका अंगभेद किया जाता है ? या किसीके पंख उडा दिये जाते हैं ? विशेषरूप घातकपनेका अर्थ यहां क्या लिया जाय ? विनीत तर्की शिष्यको ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं ।

सा पक्षांतरसिद्धिर्वा साधनाशक्ततापि वा ।

हेतोर्विरुद्धता यद्वदभासांतरतापि च ॥ ४४ ॥

गृहीत किये गये पक्षसे दूसरे पक्षकी सिद्धि हो जाना अथवा प्रकृत साध्यको साधनेवाले हेतुका अशक्तपना भी प्रतिपक्ष विघातकपन है । तथा वादीके हेतुका विरुद्धपना जिस प्रकार प्रतिपक्षका विघातकपन है, उसी प्रकार वादीके हेतुका अय हेत्वामासों द्वारा दूषित कर देना भी प्रतिपक्ष विघातकत्व है । मावर्ष—वादमें किसीका घात या ताडन, पीडन नहीं किया जाता है । किन्तु वादीके पक्षसे दूसरे पक्षकी सिद्धि हो जाना अथवा वादीके हेतुको अपने साध्यको साधनेमें अशक्त कर देना, या उसके हेतुको विरुद्ध कर देना अथवा वादीके हेतुमें अन्य व्यभिचार, असिद्ध, आदि हेत्वामासोंका उठा देना यही प्रतिवादीके द्वारा उठाये गये श्रेष्ठदूषणमें प्रतिपक्षका विघातकपन है । पण्डितोंके बादमें प्रामाण्य या हिंसकोंकोसी प्रवृत्ति नहीं हो पाती है । अतः कोई अन्य अनिष्टकी चिन्ता करनेका अवसर नहीं है ।

साधनस्य स्वपक्षघातिता पक्षांतरसाधनत्वं यथा विरुद्धत्वं स्वपक्षसाधनाशक्तत्वमात्रं वा यथानैकैतिकत्वादि साधनाभासत्व, बहुद्भवने स्वपक्षसिद्धेरपेक्षणीयत्वात् । तदुक्तं । “ विरुद्धं हेतुमद्भव्यवादिनं जयतीतरः । आभासांतरमुद्भाव्य पक्षसिद्धिमपेक्षते । ” इति ।

वादीका ग्रहण किया हुआ पक्ष प्रतिवादीका प्रतिपक्ष है । प्रतिवादी श्रेष्ठ दूषणके उठाने द्वारा वादीके साधनका विघात कर देता है । अतः वादीके हेतुका अपने निज पक्षका विघात क्या है ? इसका उत्तर यही है कि अपने अभीष्ट पक्षसे -यारे हो रहे दूसरे पक्षका प्रतिवादी द्वारा साधन किया जाना है । जिस प्रकार कि वादीके हेतुमें विरुद्धपना उठाना अथवा वादीके हेतुको अपने पक्षके साधनमें केवल असमर्थपना उठा देना भी है । अथवा जैसे अनैकान्तिकपन, स्वप्रतिपक्षपन आदिक अन्य हेत्वामासोंका प्रतिवादी द्वारा उठाया जाना भी प्रतिपक्षका विघातकत्व है । किन्तु उसके उद्भावन करनेमें प्रतिवादीको अपने पक्षकी सिद्धि अपेक्षणीय है । कर्थात्—प्रतिवादी अपने स्वपक्षको सिद्ध करता हुआ ही वादीको हेत्वामासोंके उठाने द्वारा जीत सकता है । अन्यथा नहीं । वही प्रयोगोंमें इस प्रकार कहा गया है कि वादीसे इतर प्रतिवादी विद्वान् विरुद्ध हेतुका उद्भाव कर

या अन्य हेत्वामासोंका उत्थान कर वादीको जीत लेता है। किन्तु इसमें प्रतिवादीके निजपक्षकी सिद्धिकी अपेक्षा आवश्यक है। अर्थात्—केवल समीचीन दोष उठा देनेसे प्रतिवादी जीतको नहीं छूट सकता है। उत्तम बने हुये मोदकोंमें भी झुट्टि बतायी जा सकती है। किन्तु मोदक बनाने-वालेको वही जीत सकेगा, जो उनसे भी परम उत्तम मोदक बना सकेगा। अतः प्रतिवादीको उचित है कि वह श्रेष्ठ दूषणोंको उठाते हुये अपने पक्षकी पुष्टि भी करे। अन्यथा वह जय प्राप्त करनेका अधिकारी नहीं है।

न चैवमष्टांगो वादः स्यात्तत्साधनतद्वचनयोर्वादिसामर्थ्यरूपत्वात् सहस्रणतद्वचन-  
योश्च प्रतिवादिसामर्थ्यरूपत्वादिगंतरत्वायोगात् नैवं प्रभुः सभ्यो वा वादिप्रतिवादिनोः  
सामर्थ्यं तयोः स्वतंत्रत्वात्। ततो नाभिमानिकोपि वादो अंग एव वीतरागवाद्बद्विदिति  
शक्यं वक्तुं, चतुर्णामंगानामन्यतमस्याप्यपाये अर्थापरिसमाप्तेरित्युक्तमायं।

यदि यहाँ कोई यों कहे कि इस प्रकार सिद्धान्त करनेपर तो वाद अष्ट अंगवाला हो जावेगा। अर्थात्—१ समापति २ सम्य ३ वादी ४ बादीका समर्थ साधन ५ वादी द्वारा अविनाशनी हेतुका कहा जाना ६ प्रतिवादी ७ प्रतिवादी द्वारा समीचीन दोषका उठाना ८ प्रतिपक्ष विघातक दूषणका कहना, इस प्रकार पहिले चार अंग और “समर्थ” आदि एकतालीसवीं वियासठौंसवीं वार्तिकों द्वारा कहे गये चार अंग यों वादके आठ अंग हुये जाते हैं। आठ अंगवाला वाद तो किसीने स्वीकार नहीं किया है। यों कहनेपर आचार्य समझाते हैं कि यह नहीं कहना। क्योंकि उस वादीके समर्थसाधनका आख्यान और अन्यथानुपपन्नहेतुका कथन, ये दोनों वादीकी सामर्थ्यस्वरूप पदार्थ हैं। अतः वादी नामक अंगमें ये दोनों गमित हो जाते हैं। तथा समीचीन दोषका उठाना और उस प्रतिपक्षविघातक दूषणका कथन करना ये दोनों प्रतिवादीकी सामर्थ्यस्वरूप हैं। अतः प्रतिवादी नामक अंगमें ये दोनों गमित हो जाते हैं। अतः वादके चार ही अंग हैं। इन चारके अतिरिक्त अन्य अंगोंके उपदेश देने या संकेत करनेका अभाव है। यदि कोई यों कटाक्ष कर दे कि इस प्रकार तो समापति अथवा सम्य भी वादी प्रतिवादियोंकी सामर्थ्य हो जायेंगे। अर्थात्—नैयायिक शक्तिको स्वतंत्र पदार्थ नहीं मानते हैं। किन्तु पृथ्वीकी निजशक्ति पृथ्वीत्व है। और कारणोंकी शक्ति अन्य सहकारी कारणोंका प्राप्त हो जाना है। वनमें या शून्यगृहमें अकेले मनुष्यको भय लगता है। परन्तु अपने पास शस्त्र होनेपर या कई अन्य मनुष्योंका साथ होनेपर भय न्यून लगता है। वे मनुष्य परस्परमें एक दूसरेकी शक्ति हो जाते हैं। ऐसी दशामें मनुष्यकी शक्तियां आयुध या अन्य सहकारी कारण हैं। लौकमें भी घन या कुटुम्ब अथवा राजा या प्रतिष्ठित पुरुषोंकी ओरसे प्राप्त हुआ अधिकार ये मनुष्यकी बलवती शक्तियां मानी जाती हैं। शाखोंका संघय पण्डित की शक्ति है। शाखोंका संविधान योद्धा की शक्ति है।

अतः बहिर्भूत पदार्थ शक्ति हो सकता है । इसी प्रकार वादी और प्रतिवादीके सहकारी कारण हो रहे सम्य और समापति भी उनकी शक्तियाँ हो जावेंगी, तब तो संक्षेप करनेपर या अन्तर्भाव करनेके मार्गका सहारा लेनेपर वादके दो ही अंग उद्भूत हैं । इस कटाक्षके उत्तरमें आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार नहीं समझना । क्योंकि सम्य और समापति दोनों स्वतंत्र शक्तिशाली पदार्थ हैं । वे वादी प्रतिवादियोंके अधीन नहीं । अतः अभिमानकी प्रेरणासे प्रवृत्त हो रहा भी वाद वादी और प्रतिवादी यों दो अंगवाला ही नहीं है । जैसे कि वीतराग पुरुषोंमें हो रहा वाद (संवाद) दो अंगवाला ही है । यह वीतराग वाद यहाँ व्यतिरेक दृष्टत है । इस प्रकार वादको हम चार ही अंगवाला कह सकते हैं । वादी, प्रतिवादी, सम्य, समापति इन चार अंगोंमेंसे किसी भी एक अंगका अभाव हो जानेपर प्रयोजनसिद्धिकी परिपूर्णता नहीं हो सकती है । इस बातको हम प्रायः कई बार कह चुके हैं ।

**एवमयमाभिमानिको वादो जिगीषतोद्विविध इत्याह ।**

इस प्रकार यह विजिगीषुओंका अभिमानसे प्रयुक्त किया गया वाद दो प्रकारका है । इस बातको श्री विद्यानन्द आचार्य कह रहे हैं ।

**इत्याभिमानिकः प्रोक्तस्तात्त्विकः प्रातिभोपि वा ।**

**समर्थवचनं वादश्चतुरंगो जिगीषतोः ॥ ४५ ॥**

इस प्रकार जीतनेकी इच्छा रखनेवाले विद्वानोंका समर्थहेतु या समर्थदूषणका कथन करना वाद बहुत अच्छा कह दिया है । वह चार अंगवाला है और अभिमानसे प्रयुक्त किया गया है । उस वादके दो भेद हैं । एक वादका प्रयोजन तर्कोंका निर्णय करना है । अतः वह तात्त्विक है और दूसरा वाद अपनी अपनी प्रतिभा बुद्धिको बढ़ानेका प्रयोजन रखकर अथवा किसी भी इष्ट, अनिष्ट, उपेक्षित बातको पकड़ कर प्रतिभा द्वारा उसको भी सिद्ध कर देना है । ऐसा वाद प्रातिभ है । अर्थात्—तात्त्विक और प्रातिभ दो प्रकारके वाद होते हैं ।

**पूर्वाचार्योपि भगवानमुमेव द्विविधं जल्पमावेदितवानित्याह ।**

श्रीमान् परम महात्मा भगवान् पहिले आचार्य भी उस ही जल्प नामक वादको दो प्रकारका निवेदन कर चुके हैं । इस बातको श्री विद्यानन्द आचार्य तार्तिकद्वारा कहते हैं ।

**द्विप्रकारं जगौ जल्पं तत्वप्रातिभगोचरम् ।**

**त्रिपष्टेर्वादिनां जेता श्रीदत्तो जल्पनिर्णये ॥ ४६ ॥**

श्रेष्ठ वादियोंको जीतनेवाले श्रीदत्त आचार्य स्वकृत “ जल्पनिर्णय ” नामक ग्रन्थमें जल्पको दो प्रकार स्वरूप कह चुके हैं । एक तत्त्वोंको विषय करनेवाला जल्प है । दूसरा नवीन नवीन अर्थोंकी युक्तियोंके उन्मोचको करनेवाली प्रतिभा बुद्धिसे होनेवाला जल्प प्रातिभ अर्थोंको विषय कर रहा प्रातिभ है ।

कः पुनर्जयोत्रेत्याह ।

हे भगवन् ! फिर यह मतझाड़ये कि यहां वादमें जय क्या पदार्थ है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य कहते हैं ।

तत्रेह तार्त्विके वादेऽकलंकैः कथितो जयः ।

स्वपक्षसिद्धिरेकस्य निग्रहोन्वयस्य वादिनः ॥ ४७ ॥

उन दो प्रकारके वादोंमेंसे इस तार्त्विक वादमें श्री अकलंकदेव महाराजोंकरके जय व्यवस्था यों कही गई है कि वादी और प्रतिवादीमेंसे किसी एकके निज पक्षकी सिद्धि हो जाना ही अन्य दूसरे वादीका निग्रह है । अर्थात्—अष्टशती ग्रन्थमें धर्मकीर्ति बौद्धके मन्तव्यका निराकरण करते हुये श्री अकलंकदेवने दूसरेके निग्रह करने और अपनी जय करनेमें स्वपक्ष सिद्धिको प्रधानकारण माना है । वादीके ऊपर केवल दोष उठा देनेसे प्रतिवादी नहीं जीत सकता है -। प्रतिवादीको अपने पक्ष की सिद्धि करना आवश्यक है । तभी प्रतिवादीको जय प्राप्त होगा अन्यथा नहीं ।

कथं ?

यहां कोई पूछता है कि श्री अकलंकदेव द्वारा कहा गया सिद्धान्त युक्त कैसे है ? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, सो सुनो ।

स्वपक्षसिद्धिपर्यन्ता शास्त्रीयार्थविचारणा ।

वस्त्वाश्रयत्वतो यद्वल्लौकिकार्थे विचारणा ॥ ४८ ॥

जैसे कि लौकिक अर्थोंमें विचार करना वस्तुके आश्रयपनेसे होता है, उसी प्रकार शास्त्र सम्बन्धी अर्थोंकी विचारणा अपने पक्षकी सिद्धिपर्यन्त होती है, पीछे नहीं । अर्थात्—लौकिक जन परस्परमें तभीतक विवाद करते हैं, जबतक कि अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति नहीं हो चुकी है । इष्ट हो रहे भूमि, धन, यश, मान, प्रतिरोध आदि वस्तुओंकी प्राप्ति हो चुकनेपर टंटा उठा लिया जाता है । या झगडा मिट जाता है । वैसे ही वादी या प्रतिवादी दोनोंमेंसे कोई यदि अपने पक्षको सिद्ध नहीं कर सकेगा, तबतक तो वाद प्रवृत्त रहेगा । स्वपक्षकी सिद्धि हो चुकनेपर कथाका अन्तान हो जायगा ।

कः पुनः स्वस्य पक्षो यदिसद्भिर्जयः स्यादिति विचारयितुमुपक्रमते ।

यहाँ कोई पुनः प्रश्न करता है कि बताओ ! अपना पक्ष क्या है ? जिस स्वपक्षकी सिद्धि हो जाना जय हो सके । इस तर्कका विचार करनेके लिये श्री विद्यानंद आचार्य प्रथम आरम्भरूप प्रक्रमको मविष्य प्रश्नद्वारा चलाते हैं ।

जिज्ञासितविशेषोत्र धर्मी पक्षो न युज्यते ।

तस्यासंभवदोषेण वाधितत्वात्स्वपुष्पवत् ॥ ४९ ॥

क्वचित्साध्यविशेषं हि न वादी प्रतिपित्सते ।

स्वयं विनिश्चितार्थस्य परबोधाय वृत्तितः ॥ ५० ॥

प्रतिवादी च तस्यैव प्रतिक्षेपाय वर्तनात् ।

जिज्ञासितो न सभ्याश्च सिद्धातद्वयवेदिनः ॥ ५१ ॥

यहाँ प्रकरणमें जिसकी जिज्ञासा हो रही है, ऐसा कोई धर्माविशेष पक्ष हो जाय यह युक्त नहीं है । क्योंकि उस जिज्ञासित विशेषधर्माकी असम्भव दोष करके बाधा प्राप्त हो जाती है, जैसे कि आकाशके पुष्पका असम्भव है । अर्थात्—शब्दके नित्यत्व अथवा अनित्यत्व या आत्माके व्यापकपन अथवा अव्यापकपन तथा वेदके पुरुषकृतत्व अथवा अपौरुषेयपन आदिका जब विचार चलाया जा रहा है, उस समय वादी, प्रतिवादी, या सम्पन्नोमेंसे किसीको किसी बातके जाननेकी इच्छा नहीं है । अतः जिस शब्दके नित्यत्व या अनित्यत्व की जिज्ञासा हो रही है, वह पक्ष है । यह पक्षका लक्षण असम्भव दोषसे युक्त है । देखिये, वादी तो अपने इष्ट पक्षको सिद्ध कर रहा है । वह किसी भी धर्मांमें किसी साध्य विशेषकी प्रतिपत्ति करना नहीं चाहता है । क्योंकि जिस वादीने पहिले विशेषरूपसे अर्थका निश्चय कर लिया है, उस वादीकी दूसरोंके समझानेके लिये प्रवृत्ति हुआ करती है । अतः वादीकरके जिज्ञासित नहीं होनेके कारण पक्षका लक्षण जिज्ञासितपना असम्भवी हुआ । तथा सन्मुख बैठे हुये प्रतिवादीकी भी प्रवृत्ति उस वादीके प्रतिक्षेप ( खण्डन ) करनेके लिये हो रही है । अतः प्रतिवादीकी अपेक्षासे भी जिज्ञासितपना पक्षका लक्षण असम्भव दोष प्राप्त है । सभ्योंकी अपेक्षासे भी पक्ष विचारा जिज्ञासा प्राप्त नहीं है । क्योंकि समामें बैठे हुये प्रारिक्त तो वादी, प्रतिवादी दोनोंके सिद्धान्तोंका परिज्ञान रखनेवाले हैं । अतः वैशेषिकोंने पक्षका लक्षण “ सिद्धाद्यपिवाविहविशिष्टसिद्धेरभावः पक्षता ” साधनेकी इच्छाके विरहसे विशिष्ट हो रही सिद्धिका अभाव पक्षता माना है । इसको व्यतिरेक मुखसे नहीं कहकर यदि अन्यय मुखसे कहा जाय तो कुछ न्यून होता हुआ जिज्ञासित विशेष ही पक्ष पडता है । जाननेकी इच्छा नहीं होनेपर भी

वादलोंका विशिष्ट गर्जन होनेसे मेघवृष्टिका अनुमान कर लिया जाता है। अतः व्यतिरेक मुखसे पक्षका लक्षण उन्होंने किया है। किन्तु यह लक्षण असम्भव दोष प्रस्त है।

**स्वार्थानुमाने वाद्ये च जिज्ञासितेति चेन्मतं ।**

**वादे तस्याधिकारः स्यात् परप्रत्ययनादृते ॥ ५२ ॥**

यदि वैशेषिक यों कहें कि परार्थानुमानमें और विजिगीषुओंके वादमें भटे ही जिज्ञासित विशेष धर्मों पक्ष नहीं बने, किन्तु स्वार्थानुमानमें अथवा आदिमें कहे गये वीतराग पुरुषोंके वादमें तो जिज्ञासितपना पक्ष हो जायगा। इस प्रकार वैशेषिकोंका मन्तव्य होनेपर अचार्य कहते हैं कि दूसरे प्रतिवादियोंको युक्तिपों द्वारा प्रत्यय जहां कराया जाता है, उसके अतिरिक्त अन्य वादमें उस पक्षका अधिकार हो सकेगा। अर्थात्—विजिगीषुओंमें प्रवर्त रहे तारिक्क वादमें पक्षका लक्षण जिज्ञासित-पना नहीं बन पाता है।

**जिज्ञापयिपितात्मेह धर्मी पक्षो यदीष्यते ।**

**लक्षणद्वयमायातं पक्षस्य ग्रंथघातिते ॥ ५३ ॥**

यदि वैशेषिक यों इष्ट करें कि विजिगीषुओंके वादमें जिस साध्यवान् धर्मोंका ज्ञापित करानेकी इच्छा उत्पन्न हो चुकी है, तत्स्वरूप धर्मों (प्यन्तप्रेरक) यहां पक्ष हो जायगा। इस पर आचार्य कहते हैं कि यों तो तुम वैशेषिकोंके यहां पक्षके दो लक्षण प्राप्त हुये, जो कि तुम्हारे पक्षके लक्षणको कहनेवाले प्रत्यका घात कर देते हैं। अर्थात्—जिज्ञासित विशेषधर्मोंको पक्ष कहना और जिज्ञापयिपित धर्मोंको पक्ष कहना, यह दो लक्षण तो पक्षके एक ही लक्षणको कहनेवाले प्रत्यका विघात कर देते हैं, जिससे कि तुमको अपसिद्धान्त दोष छोगे।

**तथानुष्णोमिरित्यादिः प्रत्यक्षादिनिराकृतः ।**

**स्वपक्षं स्यादतिव्यापि नेदं पक्षस्य लक्षणं ॥ ५४ ॥**

वैशेषिकों द्वारा माने गये पक्षके लक्षणमें असम्भव दोषको दिखा करके आचार्य अब अतिव्याप्तिको दिखलाते हैं कि पक्षका लक्षण यदि जिज्ञासितपना माना जायगा तो किसीको अग्निके अनुष्णपनेको जाननेकी इच्छा उत्पन्न सकती है। धर्म सेवनसे दुःख प्राप्ति हो जानेकी जिज्ञासा हो सकती है। ऐसी दशामें प्रत्यक्षप्रमाण, अनुमानप्रमाण, आगमप्रमाण, आदिसे निराकरण किये गये अग्नि अनुष्ण है, जम्बूद्वीपका सूर्य स्थिर है, धर्मसेवन करना दुःख देनेवाला है, इत्यादिक भी स्वपक्ष हो जावेंगे। अतः अतिव्याप्ति दोष हुआ। इस कारण वैशेषिक या नैयायिकों द्वारा माना गया यह पक्षका लक्षण निर्दोष नहीं है।



लिङ्गात्साध्यितुं शक्यो विशेषो यस्य धर्मिणः ।

स एव पक्ष इति चेत् वृथा धर्मविशेषवाक् ॥ ५५ ॥

जिस धर्मिके साध्यरूप विशेषधर्मका यदि ज्ञापक हेतुकरके साधन किया जा सके वही पक्ष है । इस प्रकार किसीके कहनेपर तो आचार्य कहते हैं कि यों तो साध्यरूप विशेषधर्मका कथन करना व्यर्थ पड़ेगा । क्योंकि पक्षके शरीरमें ही साध्य आ चुका है । अतः केवल धर्मको कह देना चाहिये । साध्यवान् धर्मको पक्ष कहनेकी आवश्यकता नहीं रही ।

लिङ्गं येनाविनाभावि सौर्यः साध्योवधार्यते ।

न च धर्मी तथाभूतः सर्वत्रानन्वयात्मकः ॥ ५६ ॥

न धर्मी केवलः साध्यो न धर्मः सिद्धयसंभवात् ।

समुदायस्तु साध्येत यदि संब्यवहारिभिः ॥ ५७ ॥

तदा तत्समुदायस्य स्वाश्रयेण विना सदा ।

संभवाभावतः सोपि तद्विशिष्टः प्रसाध्यताम् ॥ ५८ ॥

तद्विशेषोपि सोन्येन स्वाश्रयेणेति न क्वचित् ।

साध्यव्यवस्थितिर्मूढचेतसामात्मविद्विषाम् ॥ ५९ ॥

ज्ञापक हेतु जिस साध्यरूप धर्मके साथ अविनाभाव रखता है, वह पदार्थ साध्य है, यह निर्णय किया जाता है । तिस प्रकार अविनाभावको प्राप्त हो रहा धर्म तो साध्य नहीं है । क्योंकि धर्मसे विशिष्ट हो रहा धर्म सभी स्थानोंपर अनन्यय स्वरूप है । अर्थात्—जहाँ जहाँ धूम है, वहाँ वही अग्नि है । यह अन्वय तो ठीक बन जाता है । किन्तु जहाँ जहाँ धूमवान् ( पर्वत ) है, वहाँ वहाँ अग्निवान् ( पर्वत ) है । ऐसा अन्वय ठीक नहीं बनता है । हेतुकी तो साध्यके साथ व्याप्ति है, हेतुमान्का साध्यमान्के साथ अविनाभाव नहीं है । हेतुके साथ अधिकरणको ळगाकर पुनः व्याप्ति बनानेसे अन्वयदृष्टान्त नहीं मिलता है । परीक्षामुखमें लिखा है कि “व्याप्तौ तु साध्यं धर्म एव ” “अन्यथा तदघटनात् ” अतः केवल धर्म ही साधने योग्य पक्ष नहीं है । क्योंकि अकेले धर्म या धर्मकी सिद्धि होनेका असम्भव है । देखे जा रहे पर्वतकी सिद्धि करना आवश्यक नहीं है । और स्मरण किये जा रहे या व्याप्तिज्ञान द्वारा जाने जा रहे अग्निको भी साधनेकी आवश्यकता नहीं है । यहाँ समीचीन व्यवहारको करनेवाके पुरुषों करके धर्म और धर्मका समुदाय यदि साधा जावेगा, तब तो सर्वदा उस समुदायका अपने

आश्रयके विना सम्भव नहीं है । अतः वह समुदाय भी अपने उस आश्रयसे विशिष्ट हो रहा प्रकर्ष रूपसे साधने योग्य करना चाहिये और उसका विशेष वह विशिष्ट समुदाय भी अपने अन्य आश्रय करके विशिष्ट हो रहा साधा जावेगा । इस प्रकार करते करते अनवस्था हो जायगी । आत्माके साथ विद्वेय करनेवाले मूढचित्त वैशेषिकोंके यहाँ यों कहाँ भी साध्यकी व्यवस्था ( अवस्थिति ) नहीं हो सकती है । भाग्यार्थ—वैशेषिक जन आत्माको स्वयं ज्ञ नहीं मानते हैं । किन्तु सर्वथा भिन्न ज्ञानका समवाय हो जानेसे आत्माको ज्ञानवान् मान लेते हैं । ऐसी दशामें उनका आत्मा स्वयं अपनी गांठसे जड बना रहा । मनको भी वैशेषिक सर्वथा जड मानते हैं । मावमनका चैतन्य उन्हें अमीष्ट नहीं है । श्री समन्तभद्राचार्यने “कुशलाकुशलं कर्म परलोकश्च न कश्चित्, एकान्तप्रहरक्तेषु नाथ स्वपरवैरिषु” इस आत्ममीमांसा कारिका द्वारा एकान्तवादियोंको स्वयं निजका वैरी कहा है । प्रकरणमें धर्म और धर्मोंके समुदायको साध्य बनानेपर फिर ऐसे साध्यके साथ हेतुका किसी अन्य दृष्टान्तमें अविनाभाव साधनेपर अन्य आश्रयोंकी कल्पना करते करते अनवस्था दीप हो जाता है, यों कहा है ।

विनापि तेन लिंगस्य भावात्तस्य न साध्यता ।

ततो न पक्षतेत्येतदनुकूलं समाचरेत् ॥ ६० ॥

धर्मिणापि विना भावात्कचिल्लिंगस्य पक्षता ।

तस्य माभूत्ततः सिद्धः पक्षः साधनगोचरः ॥ ६१ ॥

यदि कोई वैशेषिकोंके विरोधमें यों कहें कि उस धर्मविशिष्ट धर्मरूप पक्षके विना भी ज्ञापक हेतु वर्त जाता है, इस कारण उस समुदायको प्रतिज्ञा बनाते हुये साध्यपना नहीं है । तिस कारण उस समुदायको पक्षपना नहीं है, इसपर आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार यह कथन करना तो हमारे अनुकूल मार्गका भले प्रकार आचरण करेगा । दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं धर्मोंके विना भी ज्ञापकहेतुका सद्भाव पाया जाता है । अतः उस धर्मोंको पक्षपना नहीं हो सकता है । तिस कारणसे सिद्ध होता है कि स्वार्थानुमानके समान बादमें भी शक्य, अभिप्रेत, अप्रसिद्ध माने गये साध्यको साधनेवाले हेतुका विषय हो रहा धर्मों ही पक्ष मानना चाहिये ।

याद्देव हि स्वार्थानुमाने पक्षः शक्यत्वादिविशेषणः साधनविषयस्ताद्देव परार्थानुमाने युक्तः स्वनिश्चयवदन्येषा निश्चयोत्पादनाय प्रेक्षावता परार्थानुमानप्रयोगात्, अन्यथा तल्लक्षणस्यासंभवादिदोषानुपपन्नात् ।

कारण कि स्वयं ज्ञप्ति करनेके लिये हुये स्वार्थानुमानमें जिस प्रकारका ही शक्यत्व आदि विशेषणसे युक्त हो रहा और ज्ञापक हेतुका विषय हो रहा प्रतिज्ञारूप पक्ष है, उस ही प्रकारका

पक्ष परार्थानुमानमें भी स्वीकार करना युक्त है। अपनेको हुये निश्चयके समान अन्य पुरुषोंको निश्चयकी उत्पत्ति करनेके लिये विचारशास्त्री तार्किक पुरुषोंके द्वारा परार्थानुमानका प्रयोग किया जाता है। अतः यही पक्षका लक्षण ठीक है। अन्य प्रकरणोंसे उस पक्षके लक्षणके करनेमें असम्भव अतिव्याप्ति आदि दोषोंकी प्राप्ति हो जानेका प्रसंग होगा।

का पुनः पक्षस्य सिद्धिरित्याह ।

पक्षका लक्षण हम समझे, फिर अब यह बताओ कि पक्षकी सिद्धि क्या पदार्थ है ? इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य श्लोक वार्तिकद्वारा उत्तर कहते हैं।

सभ्यप्रत्यायनं तस्य सिद्धिः स्याद्वादिनोथवा ।

प्रतिवादिन इत्येव निग्रहोऽन्यतरस्य तु ॥ ६२ ॥

समामे स्थित हो रहे प्राथिकजनोंके प्रतिज्ञान कराते हुये वादीके उस उपर्युक्त पक्षकी ओ सिद्धि होगी दोनोंमेंसे एक हो रहे प्रतिवादीका यही तो निग्रह होगा अथवा प्रतिवादीके उस प्रतिज्ञा रूप पक्षकी सभ्योंके समुख सिद्धि हो जाना ही वादीका निग्रह हो जाना है।

वादिनः स्वपक्षप्रत्यायनं सभायां स्वपक्षसिद्धिः, प्रतिवादिनः स एव निग्रहः, प्रतिवादिनोथवा तस्वपक्षसिद्धिर्वादिनो निग्रह इत्येतत्प्रत्येयम् । तयोक्तं । “ स्वपक्षसिद्धिरेकस्य निग्रहोऽन्यस्य वादिनः । नासाधनांगघचनं नादोषोद्भावनं द्वयोः ॥ ” इति ।

विद्वान् पुरुषोंसे मरी हुई समामे अपने निजपक्षका ज्ञापन कराना ही वादीके स्वपक्षकी सिद्धि है। वही प्रतिवादीका निग्रह है। अथवा प्रतिवादीके उस अपने पक्षकी सिद्धि हो जाना ही वादीका निग्रह है यों वह विश्वास करने योग्य मार्ग है। उसी प्रकार प्रयोगमें कहा गया है कि वादी प्रतिवादीमेंसे एकके स्वपक्षकी सिद्धि हो जाना ही उससे भिन्न दूसरे वादीका निग्रह यानी पराजय है। वादीके लिये आवश्यक हो रहे साधनके अंगोंका कथन करना यदि कथनपि नहीं हो सके तो एतायता ही वादीका निग्रह नहीं हो जाता है। जबतक कि दोनोंमेंसे एक हो रहे प्रतिवादीके पक्षकी सिद्धि नहीं हो जाय अथवा प्रतिवादीके लिये आवश्यक बता दिया दोषोंका उठाना यदि कदाचित् नहीं हो सके तो इतनेसे ही प्रतिवादीका पराजय जबतक नहीं हो सकेगा, जबतक कि वादी अपने पक्षकी सिद्धिको सभ्योंके समक्ष नहीं कर सके। इस प्रकार दोनोंके जय पराजयकी व्यवस्था निर्णय कर दी गयी है।

अत्र परमतमनूय विचारयति ।

इस प्रकरणमें दूसरे बौद्धोंके मतका अनुवाद कर श्री विद्यानन्द आचार्य विचार करते हैं।

असाधनांगवचनमदोषोद्भावनं द्वयोः ।

निग्रहस्थानमन्यत्तत्र युक्तमिति केचन ॥ ६३ ॥

स्वपक्षं साधयन् तत्र तयोरेको जयेद्यदि ।

तूष्णीभूतं द्रुवाणं वा यत्किञ्चित्तत्समंजसम् ॥ ६४ ॥

बौद्धोंका मन्तव्य है कि वादीको अपने पक्षके साधन करनेवाले अंगोंका कथन करना चाहिये। वादी यदि स्पष्टसिद्धिके कारण प्रतिज्ञा आदि अंगोंका कथन नहीं करेगा तो वादीका पराजय हो जायगा। तथा प्रतिवादीका कर्त्तव्य तो वादीके साधनोंमें दोष उठाना है। प्रतिवादी यदि समीचीन दोषोंको नहीं उठावेगा या अन्तः सन्त अदोषोंको उठावेगा तो प्रतिवादीका पराजय हो जावेगा। इस प्रकार वादी या प्रतिवादी दोनोंके निग्रहस्थान प्राप्त करनेकी व्यवस्था कर दी गयी है। इससे मिला अन्य कोई निग्रहस्थान माना जावेगा, वह तो युक्तिपूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार कोई बौद्ध मत अनुयायी कथन कर रहे हैं। उसपर अब आचार्य कहते हैं कि उन वादी, प्रतिवादी, दोनोंमेंसे कोई भी एक अपने पक्षकी सिद्धि करता हुआ यदि चुप हो रहे या जो कुछ भी मनमानी बक रहे दूसरेको जीतेगा कहोगे तब तो उन बौद्धोंका कथन न्यायपूर्ण है। अर्थात्—केवल असाधनांग वचन ही वादीका निग्रहस्थान नहीं है। हा, प्रतिवादीके पक्षकी सिद्धि हो चुकनेपर वादीका असाधनांग वचन करना वादीका पराजय करा देता है। यों वादीके पक्षकी सिद्धि हो चुकनेपर प्रतिवादीका दोष नहीं उठाना उस प्रतिवादीके निग्रहका प्रयोजक है, अन्यथा नहीं।

सत्यमेतत्, स्वपक्षं साधयन्नेवासाधनांगवचनाददोषोद्भावनान्ना वादी प्रतिवादी वा तूष्णीभूतं यत्किञ्चिद्द्रुवाणं वा परं जयति नान्यथा केवलं पक्षो वादिप्रतिवादिनोः सम्यक् साधनद्रुपणवचनमेवेति पराकृतमनूय प्रतिक्षिपति ।

बौद्ध कहते हैं कि यह स्याद्वादियोंका कहना ठीक है कि अपने पक्षकी सिद्धि कराता हुआ ही वादी अथवा प्रतिवादी उन असाधनांग वचनसे अथवा दोषोत्थान नहीं करनेसे सर्वथा चुपचाप हो रहे अथवा जो भी कुछ भाषण कर रहे दूसरोंको जीत लेता है। अन्यथा नहीं जीत पाता है। केवल बात यह है कि वादीका पक्ष समीचीन साधनका कथन करना ही माना जाय और प्रतिवादीका पक्ष समीचीन दूषणका कथन करना ही माना जाय। इस प्रकार दूसरोंकी कुचेष्टाका अनुवाद कर श्री विद्यानन्द आचार्य आक्षेपका प्रत्याख्यान करते हैं। यहां आचार्योंने सर्वथा चुप हो रहे या कुछ भी अंड बंड बक रहे वादी या प्रतिवादीका भी पराजय होना तमी माना है, जब कि जीतनेवाला अपने पक्षकी सिद्धि कर चुका होय। अन्यथा किसीके भी पक्षकी सिद्धि नहीं होनेसे कोई भी जयका अधिकारी नहीं है।

सत्साधनवचः पक्षो मतः साधनवादिनः ।

सद्वृषणाभिधानं तु स्वपक्षः प्रतिवादिनः ॥ ६५ ॥

इत्ययुक्तं द्वयोरेकविषयत्वानवस्थितेः ।

स्वपक्षप्रतिपक्षत्वासंभवाद्भिन्नपक्षवत् ॥ ६६ ॥

साधनवादीका पक्ष श्रेष्ठ साधनका कथन करना माना गया है । और प्रतिवादीका निजपक्ष तो समीचीन दूषणका कथन करना इष्ट किया गया है । इस प्रकार किसीका कथन करना न्याय्य नहीं है । क्योंकि दोनोंके एक विषयपनेकी व्यवस्था नहीं है । अतः स्वपक्षपन प्रतिपक्षपनका असम्भव है । जैसे कि सर्वथा भिन्न हो रहे पक्षोंमें स्वपक्षपनकी व्यवस्था नहीं है । अर्थात्—सिद्धि किसीकी की जा रहा है और दूषण कहींका भी उठाया जा रहा है । ऐसी दशामें स्वपक्षपनेका प्रतिपक्षपनेका निर्णय करना कठिन है । जैसे कि नैयायिकोंका प्रतिवाद करनेपर आत्माके व्यापकपनका जैन खण्डन कर देते हैं । किन्तु तितनेसे उनका पक्ष यह नहीं प्रतीत हो पाता है कि जैन आत्माको अणुपरिमाणवाला मानते हैं, या मध्यमपरिमाणवाला स्वीकार करते हैं, अथवा आत्मा उपात्त शरीरके बरोबर है, अंगुष्ठमात्र है । या समुद्रघात अवस्थामें और भी लम्बा चौड़ा हो जाता है, कुछ निर्णय नहीं । तथा मीमांसकोंद्वारा शब्दके अनित्यत्वका खण्डन करनेके अवसरपर वादी नैयायिकोंके अनित्य शब्दका यह पता नहीं लग पाता है कि नैयायिक शब्दको कालान्तरस्थायां अनित्य मानते हैं ? या दो क्षणतक ठहरनेवाला स्वीकार करते हैं ? या बौद्धोंके समान एक क्षणतक ही शब्दका ठहरना बताते हैं ? कुछ पता नहीं चलता है । दूसरी बात यह है कि बौद्धोंके मत अनुसार पक्षके लक्षणका निर्णय नहीं हो सका है । इस कारणसे भी पक्ष प्रतिपक्षका असम्भव है ।

वस्तुन्येकत्र वर्तते तयोः साधनदूषणे ।

तेन तद्वचसोर्युक्ता स्वपक्षेतरता यदि ॥ ६७ ॥

तदा वास्तवपक्षः स्यात्साध्यमानं कथंचन ।

दूष्यमाणं च निःशंकं तद्वादिप्रतिवादिनोः ॥ ६८ ॥

एक वस्तुमें दोनों वादी, प्रतिवादियोंके साधन करना और दूषण देना प्रवर्त रहे हैं । तिस कारणसे उनके वचनोंमें स्वपक्षपना और प्रतिपक्षपना युक्त हो जायगा । यदि बौद्ध यों कहेंगे तब तो वादीके द्वारा कैसे न कैसे ही साधा जा रहा और प्रतिवादीके द्वारा शंका रहित होकर दूषित किया जा रहा वस्तु ही वास्तविक पक्ष उन वादी प्रतिवादियोंका सिद्ध हो जाता है ।

यद्वस्तु शब्दानित्यत्ववादिनां साध्यमानं वादिना, दूष्यमाणं च प्रतिवादिना तदेव वादिनः पक्षः शक्यत्वादिविशेषणस्य साधनविषयस्य पक्षत्वव्यवस्थापनात् । तथा यद्दूषण-वादिना शब्दादि वस्तु अनित्यत्वादिना साध्यमानं वादिना दूष्यमाणंत देव प्रतिवादिनः पक्ष इति व्यवतिष्ठते न पुनः साधनवचनं वादिनः, दूषणवचनं च प्रतिवादिनः, पक्ष इति विवादाभावात्तयोस्तत्र विवादे वा यथोक्तलक्षण एव पक्ष इति तस्य सिद्धरेकस्य जयोऽपरस्य पराजयो व्यवतिष्ठते, न पुनरसाधनांगवचनमात्रमदोषोद्भयानमानं वा । पक्षसिध्यविनाभावि-नस्तु साधनांगस्यावचनं वादिनो निग्रहस्थानं प्रतिपक्षसिद्धौ सत्यां प्रतिवादिन इति न निवार्यत एव । तथाहि ।

शब्दके नित्यपनको कहनेवाले मीमांसक वादियोंके यहाँ जो वस्तु मीमांसक वादी करके साथी जा रही है और नैयायिक या बौद्ध प्रतिवादी करके यह शब्दका वस्तुमूल नित्यपना यदि दूषित किया जा रहा है तो वही वादीका पक्ष है । क्योंकि साठवीं वार्तिकके पीछे टीकामें शक्यपन, अप्रसिद्धपन आदि विशेषणसे युक्त हो रहे और ज्ञापक हेतुके विषय हो रहे को पक्षपनकी व्यवस्था की जा चुकी है । तथा जो शब्द आदिक वस्तु इस दूषणवादी नैयायिक प्रतिवादी करके अनित्यपन अव्यापकपन आदिक धर्मोंसे युक्त साथी जा रही है और वादी मीमांसककरके दूषित की जा रही है वही तो प्रतिवादीका पक्ष है, यह व्यवस्था हो रही है । किन्तु फिर वादीका साधन वचन करना पक्ष है, और प्रतिवादीका दूषण उठानेका वचन करना पक्ष है, यह व्यवस्था कर देना ठीक नहीं है । क्योंकि उन दोनों वादी प्रतिवादियोंका उस साधनकथन या दूषणकथनमें कोई विवाद नहीं है । इस बातको बालक भी जानता है कि वादी अपने पक्षकी पुष्टि करेगा, प्रतिवादी उसमें दूषण लगायेगा । परन्तु ये पक्ष या प्रतिपक्ष कथमपि नहीं हो सकते हैं । यदि उन वादी प्रतिवादियोंका उसमें विवाद होने लगे तब तो यथायोग्य कहे गये लक्षणसे युक्त हो रहा ही पक्ष सिद्ध हुआ । इस कारण ऐसे उस पक्षकी सिद्धि हो जानेसे ही एकका जय और दोनोंमेंसे दूसरे एकका पराजय होना व्यवस्थित हो जाता है । किन्तु फिर केवल असाधनांगका कथन करदेना वादीका निग्रह और प्रतिवादीका विजय नहीं है । अथवा केवल दोषोंका उत्पान नहीं करना ही प्रतिवादीका निग्रह और वादीका जय नहीं है । हाँ, पक्षसिद्धिके अविनाभावी हो रहे साधनांगका तो अवचन करना वादीका निग्रहस्थान है । यह प्रतिवादीके द्वारा अपने निज प्रतिपक्षकी सिद्धि होनेपर ही होगा । अतः इस तत्त्वका निवारण हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा ही है । उसी बातको श्री विद्यानन्द स्वामी स्पष्ट कर दिखवायें देते हैं ।

पक्षसिध्यविनाभावि साधनावचनं ततः ।

निग्रहो वादिनः सिद्धः स्वपक्षे प्रतिवादिनि ॥ ६९ ॥

हेत्वामासोंके निवारण अर्थ हेतुके पांच अवयवोंका स्वीकार करना अत्यावश्यक है और अनुमानके प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इन पांच अवयवोंका मानना अनिवार्य है। ऐसी दशामें हेतुके तीन ही रूपोंका कथन या समर्थन करनेवाले बौद्धोंका नैयायिकोंके मत अनुसार सर्वदा निग्रह होता रहेगा। इसी प्रकार कोई अन्य पण्डित यदि मागासिद्ध, आश्रयासिद्ध, प्रतिज्ञार्थकदेशसिद्ध, अशक्यत्व, अनभिप्रेतत्व आदि दोषोंके दूर करनेके लिये हेतुके रूप पांचसे भी अधिक आठ, नौ कर दें, तब तो बौद्ध और नैयायिक, दोनों सदा निगृह्यत होते रहेंगे। अपने मनमानी हेतुके अंगोंकी संख्याको गढ़कर यदि दूसरोंका निग्रह कराया जाय, तब तो बड़ी अव्यवस्था फैल जावेगी। यहां आचार्योंने बौद्धोंके अनुदात्त विचारोंका नैयायिकोंके मान्य अनुसार निवारण कर दिया है। दूसरोंके मतके खण्डनका यह उपाय अच्छा है।

ननु च न सौगतस्य पंचावयवसाधनस्य तत्समर्थनस्य वाऽवचनं तत्र निगमनांतस्य सामर्थ्याद्गम्यमानत्वात् तद्वचनस्य पुनरुक्तत्वेनाफलत्वादित्यपि न संगतमित्याह।

बौद्ध अपने मतका अवधारण करते हैं कि पाच अवयववाले हेतुका अथवा उसके समर्थनका कथन नहीं करना कोई बौद्धका निग्रहस्थान नहीं है। क्योंकि वहां निगमनपर्यन्त अवयवोंका विना कहे हेतुकी सामर्थ्यसे ही अर्थापत्तिद्वारा ज्ञान कर लिया जाता है। उस गम्यमानका भी यदि कथन किया जायगा तो पुनरुक्त हो जानेके कारण वह निष्फल ( व्यर्थ ) पड़ेगा। अतः बौद्धोंके ऊपर नैयायिकोंका कटाक्ष चल नहीं सकता है। अब आचार्य कहते हैं कि यह बौद्धोंका कहना भी पूर्वोपर संगतिको लिये डूबे नहीं है। इस बातका प्रत्यकार वार्तिकद्वारा कथन करते हैं।

सामर्थ्याद्गम्यमानस्य निगमस्य वचो यथा।

पक्षधर्मोपसंहारवचनं च तथाऽफलम् ॥ ७४ ॥

जिस प्रकार कि समर्थित हेतुकी सामर्थ्यसे विना कहे डूबे ही जाने जा रहे निगमन अवयव का कथन करना निष्फल है, उसी प्रकार पक्षमें वर्त रहे हेतुके उपसंहाररूप उपनयका कथन करना भी अफल पड़ेगा। अर्थात्—बौद्धोंने उपनयका वचन स्थान स्थानपर किया है। यदि गम्यमानका कथन करना नैयायिकोंका व्यर्थ है, तो बौद्धोंके उपनयका कथन भी निरर्थक पड़ेगा। ऐसी दशामें बौद्धोंके ऊपर पुनरुक्त या निरर्थक निग्रहस्थान उठाया जा सकता है।

ननु च पक्षधर्मोपसंहारस्य सामर्थ्याद्गम्यमानस्यापि हेतोरपक्षधर्मत्वेनासिद्धत्वस्य व्यवच्छेदः फलमेस्तीति युक्तं तद्वचनमनुमन्यते यत्सत्तत्सर्वं क्षणिकं यथा घटः संश्र शब्द इति। तर्हि निगमनस्यापि प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयानामेकार्थत्वोपदर्शनं फलमस्ति तद्वचनमपि युक्तिमदेवेत्याह।

बौद्ध पुनः अपने उसी सिद्धान्तको जमानेके लिये अवधारण करते हैं कि पक्ष भर्मोपसंहार-रूप उपनयका कहे विना यद्यपि सामर्थ्यसे ज्ञान कर लिया जाता है। फिर भी किसीको पक्षमें वृत्तिपना नहीं होनेके कारण यदि हेतुके स्वरूपासिद्ध हेत्वाभासपनेकी शंका हो जाय तो उस असिद्धपनका व्यवच्छेद करना उपनय कथनका फल विद्यमान है। इस कारण उस पक्षभर्मोपसंहारका कथन करना युक्त माना जा रहा है। देखिये “ सर्वं क्षणिकं सत्त्वात् ” सभी पदार्थ क्षणिक हैं, सत्पना होनेसे, इस अनुमानमें जो जो सत् हैं, वे सभी क्षणिक हैं जैसे कि घडा, दीपकलिका, बिजली, आदिक। यों अन्वय दृष्टान्त दिखाते हुये शब्द भी सत्त्व हेतुयाळा है। यह उपनय वाक्य कहा है। उपनय कथन करनेसे हेतुका पक्षमें ठहर जाना होनेके कारण स्वरूपसिद्धिका व्यवच्छेद हो जाता है। यों बौद्धोंके कहनेपर तो नैयायिकको सहारा देते हुये आचार्य कहते हैं कि तब तो भले ही निगमन नामक पांचवें अवयवका यों ही विना कहे ज्ञान हो जाय, फिर भी प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय इन चार अवयवोंका एक ही साध्य विषयकी साधना रूप प्रयोजनको दिखलाना निगमनका फल है। यानी पहिले चारों ही अवयव अन्तमें सब निगमनमें गिरते हैं। जैसे कि पानी निपानमें जमा हो जाता है। या सूने खलिहानमें बाळ, युवा, वृद्ध कबूतर एक साथ गिरते हैं। “बुद्धा युवानः, शिशवः, कपोताः, खले यथामी युगपत्पतन्ति, तथैव सर्वे युगपत्पदार्थाः, परस्परान्वयिनो भवन्ति ”। उसी प्रकार सबका ध्येय निगमनसिद्धि है। अतः उस निगमनका कथन करना भी युक्ति सहित ही है। इस बातको श्री विधानन्द आचार्य वार्तिक द्वारा कहते हैं। उसको अवधान लगाकर सुनिये।

तस्यासिद्धत्वविच्छित्तिः फलं हेतोर्यथा तथा ।

निगमस्य प्रतिज्ञानाद्येकार्थत्वोपदर्शनम् ॥ ७५ ॥

जिस प्रकार उस उपनयका फल हेतुके असिद्ध हेत्वाभासपनका विच्छेद करना है, उसी प्रकार निगमनका फल प्रतिज्ञा, हेतु आदि चार अवयवोंका एक प्रयोजनसहितपना दिखलाना है। अर्थात्—व्यर्थ पडते हुये भी उपनयको बौद्धोंने यदि सार्थक बनाया है तो चारों अवयवोंका एक उसी साध्यका निर्णय करना प्रयोजन निगमनका है। अतः पांचों अवयवोंका कथन आवश्यक है, अन्यथा निमग्न होगा।

न हि प्रतिज्ञादीनामेकार्थत्वोपदर्शनमंतरेण संगतत्वश्रुपपद्यते भिन्नविषयप्रतिज्ञादिवत् ।

देखो, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण आदिकोंका एक ही अर्थपनको दिखलाये विना उनकी परस्परमें संगति नहीं बनती है। जैसे कि भिन्न भिन्न साध्यको विषय करनेवाले प्रतिज्ञा, हेतु, आदिकी संगति नहीं बन पाती है। भावार्थ—“ शब्दोऽनित्यः ” शब्द अनित्य है, यह प्रतिज्ञा की जाय



तिस कारणसे सिद्ध हो जाता है कि प्रतिवादीके स्वपक्षकी सिद्धि हो चुकनेपर यदि पक्ष-सिद्धिके अग्रिनामात्री साधनोंका अक्षयन वादी द्वारा किया जायगा तो वादीका निग्रह बना बनाया है। कोई ढील नहीं है।

सामर्थ्यात् प्रतिवादिनः सद्गुणानुद्भावनं निग्रहाधिकरणं वादिनः पक्षसिद्धौ सत्या-मित्यवगतव्यं ।

बिना कहे ही इस वार्तिककी सामर्थ्यसे यह तर्क भी समझ लेना चाहिये कि श्रेष्ठ दूषण नहीं उठाना, प्रतिवादीका निग्रहस्थान है। किन्तु वादीके पक्षकी सिद्धि हो चुकनेपर यह नियम लागू होगा अन्यथा नहीं। यह मळी भाति समझ लेना चाहिये।

तथा वादिनं साधनमात्रं द्रुवाणमपि प्रतिवादी कथं जयतीत्याह ।

केवल साधनको ही कह रहे वादीको भी मळी प्रतिवादी कैसे जीत लेता है ? इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर आचार्य महाराज समाधान कहते हैं।

विरुद्धसाधनोद्भावी प्रतिवादीतरं जयेत् ।

तथा स्वपक्षसंसिद्धेर्विधानं तेन तत्त्वतः ॥ ७० ॥

हेतुओं द्वारा अपने पक्षकी सिद्धिको कह रहे वादीके हेतुमें विरुद्धहेत्वामास दोषको उठाने-वाला प्रतिवादी नीचे हो रहे दूसरे वादीको तिस प्रकार स्वपक्षकी मळे प्रकार सिद्धि करनेसे जीत लेगा। तिस कारण वास्तविक रूपसे स्वपक्ष सिद्धिका विधान करना आयावश्यक है।

दूषणांतरमुद्भाव्य स्वपक्षं साधयन् स्वयं ।

जयत्येवान्यथा तस्य न जयो न पराजयः ॥ ७१ ॥

अन्य दूषणोंको उठाकर प्रतिवादी अपने पक्षकी सिद्धिको स्वयं करता हुआ ही वादीको जीतता है। अन्यथा यानी स्वपक्षकी सिद्धि नहीं करनेपर तो उस प्रतिवादीकी न जीत होगी और न पराजय होगा यह नियम समझो।

यच्च धर्मकीर्तिनाभ्यधायि साधनं सिद्धिस्तदंगं त्रिरूपं लिंगं तस्यावचनं वादिनो निग्रहस्थानं । तथा साधनस्य त्रिरूपलिंगस्याङ्गं समर्थनं व्यतिरेकनिश्चयनिरूपणात्, तस्य विपक्ष बाधकप्रमाणवचनस्य हेतोः समर्थनत्वात् तस्यावचनं वादिनो निग्रहस्थानमिति च नैयायिकस्यापि समानमित्याह ।

और भी बौद्धमत अनुयायी धर्मकीर्तिने जो यों कहा था कि असाधनाङ्ग वचनका अर्थ यह है कि साधन यानी सिद्धि उसका अङ्ग यानी कारण तीन रूपवाला ज्ञापक हेतु है। उस त्रिरूप-लिंगका कथन नहीं करना वादीका निग्रहस्थान है। अर्थात्—पक्षसत्त्व, सपक्ष सत्त्व और विपक्षव्यावृत्ति ये तीन स्वरूप हेतुके माने गये हैं। अनुमानके प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, ये तीन अंग हैं। वादी यदि स्वपक्षसिद्धिके लिये तीन रूपवाले हेतुका कथन नहीं करेगा तो उसका निग्रहस्थान हो जायगा। तथा “असाधनांग वचनका” दूसरा अर्थ यह है कि साधन यानी तीन रूपवाला लिंग उसका अंग समर्थन है। व्यतिरेकनिश्चयका निरूपण करना होनेसे उस हेतुका विपक्षमें बाधक प्रमाणके वचनको समर्थन कहते हैं। उस समर्थनका कथन नहीं करना वादीका निग्रहस्थान है। भावार्थ—“हेतोः साध्येन व्याप्तिं प्रसाध्य पक्षे सत्त्वप्रदर्शनं समर्थनं” साध्यके अभाव होनेपर हेतुका अभाव दिखलाया जाना व्यतिरेक है। हेतुकी साध्यके साथ व्याप्तिको साधकर धर्मोंमें उस हेतुका अस्तित्व साध देना समर्थन है। यह अन्वय मुखसे समर्थन हुआ और व्यतिरेकके निश्चयका निरूपण करनेसे विपक्षमें बाधक प्रमाणका कथन करना भी व्यतिरेक मुखसे समर्थन है। यदि वादी इस व्यतिरेक मुखसे किये गये समर्थनका निरूपण नहीं करेगा तो वादीका निग्रहस्थान हो जायगा। इस प्रकार बौद्ध आचार्य धर्मकीर्तिके कह चुकनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य कहते हैं कि वह कथन तो नैयायिकको भी समानरूपसे जागू होगा। इसी बातको वार्तिक द्वारा श्री विद्यानन्द आचार्य स्पष्ट कहते हैं।

स्वेष्टार्थसिद्धेरंगस्य त्र्यंशहेतोरभाषणं ।

तस्यासमर्थनं चापि वादिनो निग्रहो यथा ॥ ७२ ॥

पंचावयवलिंगस्याभाषणं न तथैव किम् ।

तस्यासमर्थनं चापि सर्वथाप्यविशेषतः ॥ ७३ ॥

अपने इष्ट अर्थकी सिद्धिके अंग हो रहे तीन अंशवाले हेतुका अकथन करना तथा उस तीन अंशवाले हेतुका समर्थन नहीं करना जिस प्रकार वादीका निग्रहस्थान (पराजय) है, उसी प्रकार हम नैयायिकोंके माने द्रुपे पांच अवयववाले हेतुका अभाषण और उस पांच अवयववाले हेतुका समर्थन नहीं करना भी क्यों नहीं वादीका निग्रहस्थान होगा। सभी प्रकारोंसे बौद्धोंकी योजना से नैयायिकोंके योजनामें कोई विशेषता नहीं है। भावार्थ—बौद्ध यदि तीन अंगवाले हेतुका कथन नहीं करना वादीका निग्रहस्थान बतायेंगे तो नैयायिक पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व, विपक्षव्यावृत्ति, अबाधित विषयत्व, असत्प्रतिपक्षत्व इन पांच अवयवोंसे सहित हो रहे हेतुका नहीं कथन करना या समर्थन नहीं करना निग्रहस्थान बतायेंगे। असिद्ध, विरुद्ध, व्यभिचारी, बाधित, सत्प्रतिपक्ष, इन पांच

हेत्वामासोंके निवारण अर्थ हेतुके पांच अवयवोंका स्वीकार करना अत्यावश्यक है और अनुमानके प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इन पांच अवयवोंका मानना अनिवार्य है। ऐसी दशममें हेतुके तीन ही रूपोंका कथन या समर्पण करनेवाले बौद्धोंका नैयायिकोंके मत अनुसार सर्वदा निग्रह होता रहेगा। इसी प्रकार कोई अन्य पण्डित यदि मागासिद्ध, आश्रयासिद्ध, प्रतिज्ञार्थकदेशासिद्ध, अशक्यत्व, अनभिप्रेतत्व आदि दोषोंके दूर करनेके लिये हेतुके रूप पांचसे भी अधिक आठ, नौ कर दें, तब तो बौद्ध और नैयायिक, दोनों सदा निगृहीत होते रहेंगे। अपने मनपानी हेतुके अंगोंकी संख्याको गढ़कर यदि दूसरोंका निग्रह कराया जाय, तब तो बड़ी अव्यवस्था फैल जावेगी। यहां आचार्योंने बौद्धोंके अनुदात्त विचारोंका नैयायिकोंके मान्तव्य अनुसार निवारण कर दिया है। दूसरोंके मतके खण्डनका यह उपाय अच्छा है।

ननु च न सौगतस्य पंचावयवसाधनस्य तत्समर्पणस्य वाऽवचनं तत्र निगमनांतस्य सामर्थ्याद्गम्यमानत्वाद् तद्वचनस्य पुनरुक्तत्वेनाफळत्वादित्यपि न संगतमित्याह।

बौद्ध अपने मतका अवधारण करते हैं कि पांच अवयववाले हेतुका अथवा उसके समर्पणका कथन नहीं करना कोई बौद्धका निग्रहस्थान नहीं है। क्योंकि वहां निगमनपर्यन्त अवयवोंका विना कहे हेतुकी सामर्थ्यसे ही अर्थापत्तिद्वारा ज्ञान कर लिया जाता है। उस गम्यमानका भी यदि कथन किया जायगा तो पुनरुक्त हो जानेके कारण वह निष्कल (व्यर्थ) पड़ेगा। अतः बौद्धोंके ऊपर नैयायिकोंका कटाक्ष चल नहीं सकता है। अब आचार्य कहते हैं कि यह बौद्धोंका कहना भी पूर्वापर संगतिको लिये हुये नहीं है। इस बातका ग्रन्थकार वार्तिकद्वारा कथन करते हैं।

सामर्थ्याद्गम्यमानस्य निगमस्य वचो यथा।

पक्षधर्मोपसंहारवचनं च तथाऽफलम् ॥ ७४ ॥

जिस प्रकार कि समर्थित हेतुकी सामर्थ्यसे विना कहे हुये ही जाने जा रहे निगमन अवयव का कथन करना निष्कल है, उसी प्रकार पक्षमें वर्त रहे हेतुके उपसंहाररूप उपनयका कथन करना भी अफल पड़ेगा। अर्थात्—बौद्धोंने उपनयका वचन स्थान स्थानपर किया है। यदि गम्यमानका कथन करना नैयायिकोंका व्यर्थ है, तो बौद्धोंके उपनयका कथन भी निरर्थक पड़ेगा। ऐसी दशममें बौद्धोंके ऊपर पुनरुक्त या निरर्थक निग्रहस्थान उठाया जा सकता है।

ननु च पक्षधर्मोपसंहारस्य सामर्थ्याद्गम्यमानस्यापि हेतोरपक्षधर्मत्वेनासिद्धत्वस्य व्यवच्छेदः फलमेस्तीति युक्तं तद्वचनमनुमन्यते यत्सत्तत्सर्वं क्षणिकं यथा घटा संश्व शब्द इति। तर्हि निगमनस्यापि प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयानामेकार्थत्वोपदर्शनं फळमस्ति तद्वचनमपि युक्तिमदेवेत्याह।

बौद्ध पुनः अपने उसी सिद्धान्तको जमानेके लिये अवधारण करते हैं कि पक्ष धर्मोपसंहार-रूप उपनयका कहे विना यद्यपि सामर्थ्यसे ज्ञान कर लिया जाता है। फिर भी किसीको पक्षमें वृत्तिपना नहीं होनेके कारण यदि हेतुके स्वरूपसिद्ध हेत्वाभासपनेकी शंका हो जाय तो उस असिद्धपनका व्यवच्छेद करना उपनय कथनका फल विद्यमान है। इस कारण उस पक्षधर्मोपसंहारका कथन करना युक्त माना जा रहा है। देखिये “सर्वे क्षणिकं सत्वात्” सभी पदार्थ क्षणिक हैं, सत्पना होनेसे, इस अनुमानमें जो जो सत् हैं, वे सभी क्षणिक हैं जैसे कि घडा, दीपकलिका, विजली, आदिक। यों अन्वय दृष्टान्त दिखाते हुये शब्द भी सत्त्व हेतुवाळा है। यह उपनय वाक्य कहा है। उपनय कथन करनेसे हेतुका पक्षमें ठहर जाना होनेके कारण स्वरूपसिद्धिका व्यवच्छेद हो जाता है। यों बौद्धोंके कहनेपर तो नैयायिकको सहारा देते हुये आचार्य कहते हैं कि तब तो भले ही निगमन नामक पांचवें अवयवका यों ही विना कहे ज्ञान हो जाय, फिर भी प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय इन चार अवयवोंका एक ही साध्य विषयकी साधना रूप प्रयोजनको दिखलाना निगमनका फल है। यानी पहिले चारों ही अवयव अन्तमें सब निगमनमें गिरते हैं। जैसे कि पानी निपानमें जमा हो जाता है। या सूने खलिहानमें बाळ, युवा, वृद्ध कबूतर एक साथ गिरते हैं। “वृद्धा युवानः, शिशवः, कपोताः, खले यथामी युगपत्पतन्ति, तथैव सर्वे युगपत्पदाद्याः, परस्परेणान्वयिनो भवन्ति”। उसी प्रकार सबका ध्येय निगमनसिद्धि है। अतः उस निगमनका कथन करना भी युक्ति सहित ही है। इस बातको श्री विद्यानन्द आचार्य नार्तिक द्वारा कहते हैं। उसको अवधान लगाकर सुनिये।

तस्यासिद्धत्वविच्छित्तिः फलं हेतोर्यथा तथा ।

निगमस्य प्रतिज्ञानाद्येकार्थत्वोपदर्शनम् ॥ ७५ ॥

जिस प्रकार उस उपनयका फल हेतुके असिद्ध हेत्वाभासपनका विच्छेद करना है, उसी प्रकार निगमनका फल प्रतिज्ञा, हेतु आदि चार अवयवोंका एक प्रयोजनसहितपना दिखलाना है। अर्थात्—व्यर्थ पडते हुये भी उपनयको बौद्धोंने यदि सार्थक बनाया है तो चारों अवयवोंका एक उसी साध्यका निर्णय करना प्रयोजन निगमनका है। अतः पांचों अवयवोंका कथन आवश्यक है, अन्यथा निप्रह होगा।

न हि प्रतिज्ञादीनामेकार्थत्वोपदर्शनमंतरेण संगतत्वमुपपद्यते भिन्नविषयप्रतिज्ञादिवत् ।

देखो, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण आदिकोंका एक ही अर्थपनको दिखलाये विना उनकी परस्परमें संगति नहीं बनती है। जैसे कि मिन मिन साध्यको विषय करनेवाले प्रतिज्ञा, हेतु, आदिकी संगति नहीं बन पाती है। मावार्थ—“शब्दोऽनित्यः” शब्द अनित्य है, यह प्रतिज्ञा की जाय

“ वद्भिमानं घूमात्कामं घूम हेतु ” पकड़ लिया जाय “ जो जो रसनाम् हैं वे वे रूपवान् हैं ” जैसे कि आम्रफल, यह उदाहरण कहींका उठा लिया जाय और “ छायासे व्याप्य हो रहे ” छत्र हेतुसे युक्त यह स्थान है, यह कहींका उपनय जोड़ दिया जाय, तिस कारण आत्मा अव्यापक है, यह कहींका निगमन उठा लिया जाय, ऐसे भिन्न भिन्न प्रतिज्ञा आदिकी जैसी एक ही अर्थको साधनेमें संगति नहीं बैठती है, उसी प्रकार निगमनको कहे विना समीचीन अनुमानके चारों अवयवोंकी भी एक अर्थको साधनेके लिये संगति नहीं मिलेगी । चारों अवयव इधर उधर मारे मारे फिरेंगे, अतः उपनयसे भी अच्छा प्रयोजन निगमनका सबको एकमें अन्वित कर देना है ।

तथा प्रतिज्ञातः साध्यसिद्धौ हेत्वादिवचनमनर्थकं स्यादन्यथा तस्या न साधनांग-  
तेति यदुक्तं तदपि स्वमतधातिथर्मकार्तेरित्याह ।

तथा बौद्धोंने एक स्थानपर यह भी आप्रष्ट किया है कि प्रतिपाद्य शिष्यके अनुरोधसे प्रतिज्ञा, हेतु, आदिक जितना भी कुछ कहा जायगा वह साधनागका कथन है । उससे निग्रह नहीं हो पाता है । हा, यदि उससे भी अतिरिक्त भाषण किया जायगा तो असाधनाङ्गका कथन हो जानेसे वादीका निग्रहस्थान हो जायगा । जब कि प्रतिज्ञावाक्यसे ही साध्यकी सिद्धि होने लगजाय तो हेतु, दृष्टान्त, आदिका, कथन करना व्यर्थ पड़ेगा । अन्यथा यानी प्रतिज्ञासे साध्य सिद्धि हो जानेको नहीं मानोगे तो उस प्रतिज्ञाको साध्यसिद्धिका साधक अंगपना नहीं बन पायेगा । इस कारण हेतु, दृष्टान्त, आदिके कथन भी कश्चित् वादीके लिए निग्रहस्थानमें गिरानेवाले हो जावेंगे । यह जो बौद्धोंने कहा था वह भी धर्मकार्ति बौद्ध विद्वान्के निग्रमतका घात करनेवाला है, इसी बातको श्री विद्यानन्द वार्तिक द्वारा कहते हैं । बात यह है कि वादीको प्रतिवादी या शिष्यके अनुरोधसे कथन करनेका नियम करना अशक्य है । जातनेकी इच्छाको लिये हुये बैठा हुआ प्रतिवादी चाहे जैसे कहनेवाले वादीकी भर्त्सना कर सकता है कि तुममें थोड़े अंग कहे हैं । मैं इतने स्वल्प साधनांगोंसे साध्यनिर्णय नहीं कर सकता हूँ अथवा तुमने बहुत साधनांगोंका निरूपण किया है । मैं थोड़े ही मैं समझ सकता था । क्या मैं निरा मूर्ख हूँ ! दूसरी बात यों है कि यों तो स्वार्थिक प्रत्ययोंका कथन या कहीं कहीं “ संश्व शब्द ” इस प्रकार उपनय वचन भी अतिरिक्त वचन होनेसे पराजय करानेके लिये समर्थ हो जावेंगे । तभी तो श्री अकलंक देवने अष्टशतीमें “ त्रिष्वक्षणवचनसमर्थनं च असाधनांगवचनमपजयप्राप्तिरिति व्याहृतं ” हेतुके त्रिष्वक्षणवचनका समर्थन करना और असाधनांगवचनसे पराजय प्राप्ति बतलाना यह बौद्धोंका निरूपण व्याघात दोषसे युक्त कहा है । इसका स्पष्टीकरण अष्टशतीमें किया है ।

प्रतिज्ञातार्थसिद्धौ स्याद्धेत्वादिवचनं वृथा ।

नान्यथा साधनागत्वं तस्या इति यथैव तत् ॥ ७६ ॥

तत्त्वार्थनिश्चये हेतोर्दृष्टान्तोऽनर्थको न किम् ।

सदृष्टान्तप्रयोगेषु प्रविभागमुदाहृताः ॥ ७७ ॥

प्रतिज्ञावाक्यसे ही अर्थकी सिद्धि हो चुकनेपर पुनः हेतु आदिकका वचन करना बृथा पडेगा अन्यथा उस प्रतिज्ञाको साध्यसिद्धिका अंगपना नहीं घटित होता है । जिस ही प्रकार बौद्ध यों कहते हैं, उस ही प्रकार हम कटाक्ष कर सकते हैं कि हेतुसे ही तत्त्वार्थोंका निश्चय हो जानेपर पुनः दृष्टान्तका कथन करना व्यर्थ क्यों नहीं पडेगा ? किन्तु समीचीन दृष्टान्तोंसे सहित हो रहे प्रयोगोंमें विभाग सहित साधर्म्य, वैधर्म्य, दृष्टान्तोंको कहा गया है ।

तत्त्वार्थानिश्चयविपरीतव्यतिरेकत्वं प्रदर्शितव्यतिरेकत्वमिति । न च वैधर्म्यदृष्टान्तदोषाः क्वचिन्त्यायविनिश्चयादौ प्रतिपाद्यानुरोधतः सदृष्टान्तेषु सत्प्रयोगेषु सविभागमुदाहृताः न पुनः साधनांगत्वानियमात् । तदनुद्भावनं प्रतिवादिनो निग्रहाधिकरणं वादिना स्वपक्षस्यासाधनेपीति ब्रुवाणः सौगतो जडत्वं जडानपि छळादिना व्यवहारतो नैयायिकान् जयेत् । किं च ।

वैधर्म्य दृष्टान्तका निरूपण करनेके लिये व्यतिरेक दिखलाना पडता है । उस साध्यरूप अर्थसे अतिरिक्त हो रहे विपरीतके साथ व्यतिरेकपना बतला देना ही व्यतिरेकपनका दिखला देना है । इस प्रकार दिये गये वैधर्म्य दृष्टान्तके दोष किन्हीं “ न्यायविनिश्चय, जल्पनिर्णय ” आदि ग्रन्थोंमें प्रतिपादोंके अनुरोधसे दृष्टान्तसहित समीचीन प्रयोगोंमें विभागसहित भले ही नहीं कहे गये होय, किन्तु फिर साधनांगपनेके अनियमसे उन दोषोंका निरूपण नहीं किया गया है । अर्थात्—कोई प्रामाणिक ग्रन्थोंमें श्री अकलंकदेवने वैधर्म्य दृष्टान्त या साधर्म्य दृष्टान्तका कथन करना बताया है । तथा उनके दोषोंका भी निरूपण किया है । यह साधनांगपनेके अनियमसे व्यवस्था नहीं की गयी है । प्रतिपादोंके अनुरोधसे चाहे कितने भी अंगोंको कहा जा सकता है । वादीके द्वारा स्वपक्षकी सिद्धि नहीं किये जानेपर भी यदि उन दोषोंका नहीं उठाना प्रतिवादीका निग्रहस्थान हो जाता है, इस प्रकार कह रहा बौद्ध तो अपने जडपनेसे उन जड नैयायिकोंको जीत रहा है । जो कि छल, जाति, आदि करके विद्वानोंमें वचन व्यवहार किया करते हैं । अर्थात्—ज्ञानवान् आत्माको नहीं माननेवाले बौद्ध जड हैं । और ज्ञानसे सर्वथा भिन्न आत्माको माननेके कारण नैयायिक जड हैं । नैयायिक तो छल आदि करके जीतनेका अभिप्राय रखता है । किन्तु बौद्ध तो यों ही परिश्रम किये बिना वादीको जितना चाहता है । मला स्वपक्ष सिद्धिके बिना जीत कैसे हो सकती है ? विचारो तो सही । यहाँकी पंक्तियोंका विशेषज्ञ विद्वान् गवेषणापूर्वक विचार कर लेंगे । मैंने स्वकीय अल्प क्षयोपराम अनुसार लिख दिया है । श्री विद्यानन्द आचार्य यहाँ दूसरी बात यह भी कहते हैं कि—

सत्ये च साधने प्रोक्ते वादिना प्रतिवादिनः ।

दोपानुद्धाने च स्यान्न्यकारो वितथेपि वा ॥ ७८ ॥

प्राच्ये पक्षेऽकलंकोक्तिर्द्वितीये लोकवाधिता ।

द्वयोर्हि पक्षसंसिद्धयभावे कस्य विनिग्रहः ॥ ७९ ॥

वादी विद्वान् करके समीचीन मिदोपहेतुके मळे प्रकार कह चुकनेपर और प्रतिवादीद्वारा दोषोंका उत्थापन नहीं करनेपर क्या प्रतिवादीका तिरस्कार होगा ? अथवा क्या वादीके द्वारा असत्य, सदोष, हेतुके कथन करनेपर और प्रतिवादीकी ओरसे दोषोंके नहीं उठानेपर प्रतिवादोंका पराजय होगा ? बताओ । इन दो पक्षोंमेंसे पूर्वका पक्षग्रहण करनेपर तो श्री अकलंक देवका निष्कलंक सिद्धान्त ही कह दिया जाता है । अर्थात्—वादीके द्वारा समीचीन हेतुके प्रयुक्त करनेपर और प्रतिवादीके द्वारा दोष नहीं उठाये जानेपर नियमसे प्रतिवादीका पराजय और वादीका जय हो जायगा । यही स्याद्वादियोंका निरवय सिद्धान्त है । हा, दूसरे पक्षका अवलम्ब लेनेपर तो लोकमें जन समुदाय करके बाधा उपस्थित कर दी जावेगी । कारण कि वादी और प्रतिवादी दोनोंके पक्षकी मळे प्रकार सिद्धि हुये बिना मळा किसका विशेष रूपसे निग्रह कर दिया गया समझा जाय ? अर्थात्—वादीने झूठा हेतु कहा और प्रतिवादीने कोई दोष नहीं उठाया ऐसी दशामें दोनोंके पक्षकी सिद्धि नहीं हुई है । अतः न तो प्रतिवादी करके वादीका निग्रह हुआ और न वादीकरके प्रतिवादी निग्रह स्थानकी प्राप्त किया गया । फिर भी सदोष हेतुको कहनेवाले वादीका जय माना जायगा तो ऐसा निर्णय देना लोकमें बाधित पड़ेगा । इस कारण स्वपक्षकी सिद्धि करते हुये वादी करके दोषोंको नहीं उठानेवाले प्रतिवादीका तिरस्कार प्राप्त होमाना मानना चाहिये ऐसा जैन सिद्धान्त है ।

अत्रान्ये प्राहुरिष्टं नस्तथा निग्रहणं द्वयोः ।

तत्त्वज्ञानोक्तिसामर्थ्यशून्यत्वस्याविशेषतः ॥ ८० ॥

यथोपात्तापरिज्ञानं साधनाभासवादिनः ।

तथा सहृपणाज्ञानं दोपानुद्धानिः समं ॥ ८१ ॥

इस द्वितीय पक्षके विषयमें अन्य कोई विद्वान् अपने मतको अच्छा समझते हुये यों कह रहे हैं कि तिस प्रकार वादीके द्वारा झूठा हेतु प्रयुक्त किये जानेपर और प्रतिवादी द्वारा दोष नहीं उठानेपर दोनों वादी प्रतिवादियोंका निग्रह हो जाना हमारे यहा इष्ट किया गया है । क्योंकि तत्त्वज्ञानपूर्वक कथन करनेकी सामर्थ्यसे रहितपना दोनों वादी प्रतिवादियोंके विद्यमान है ।

कोई विशेषता नहीं है । जिस प्रकार हेत्वाभास यानी झूठे हेतुका प्रयोग करनेवाले वादीको प्रहण किये गये स्वकीय पक्षका परिज्ञान नहीं है । तभी तो यह असत्य हेतुका प्रयोग कर गया है । तिसी प्रकार दोषको नहीं उठानेवाले प्रतिवादीको समीचीन दूषणका ज्ञान नहीं है । इस प्रकार अपने अपने कर्त्तव्य हो रहे तत्त्वज्ञानपूर्वक कथन करनेकी सामर्थ्यसे रहितपना दोनोंके समान है ।

**जानतोपि सभाभीतेरन्यतो वा कुतश्चन ।**

**दोपानुद्भावनं यद्वत्साधनाभासवाक् तथा ॥ ८१ ॥**

यदि कोई प्रतिवादीका पक्षपात करता हुआ यों कहे कि अनेक विद्वानोंकी सभाका डर छग जानेसे अथवा अन्य किसी भी कारणसे प्रतिवादी दोषोंको जागता हुआ भी वादीके हेतुमें दोष नहीं उठा रहा है । इस कटाक्षका अन्य विद्वान् टकासा उत्तर देते हुये यों निवारण कर देते है कि जिस प्रकार प्रतिवादीके लिये यह पक्षपात किया जाता है, उसी प्रकार वादीके लिये भी पक्षपात हो सकता है कि वादी विद्वान् समीचीन हेतुका प्रयोग कर सकता था । किन्तु सभाके डरसे अथवा उपस्थित विद्वानोंकी परीक्षा करनेके अभिप्रायसे या सद्दोष हेतुसे भी निर्वच पक्षकी सिद्धि कर देनेका पाण्डित्य प्रदर्शन करनेके आदि किसी भी कारणसे वह वादी हेत्वाभासका निरूपण कर रहा है । इस प्रकार तो दोनोंके तत्त्वज्ञानपूर्वक कथन करनेकी सामर्थ्यका निर्वाह किया जा सकता है ।

**दोपानुद्भावने तु स्याद्वादिना प्रतिवादिने ।**

**परस्य निग्रहस्तेन निराकरणतः स्फुटम् ॥ ८२ ॥**

**अन्योन्यशक्तिनिर्घातापेक्षया हि जयेतर-।**

**व्यवस्था वादिनोः सिद्धा नान्यथातिप्रसंगतः ॥ ८३ ॥**

वादी करके प्रतिवादीके लिये दोषोंका उत्थापन नहीं करनेपर उस करके दूसरेका निग्रह तो स्पष्टरूपसे परपक्षका निराकरण कर देनेसे होगा, अन्यथा नहीं । अतः परस्परमें एक दूसरेकी शक्तिका विघात करनेकी अपेक्षासे ही वादी प्रतिवादियोंके जय और पराजयकी व्यवस्था सिद्ध हो रही है । अन्य प्रकारसे जय या पराजयकी व्यवस्था नहीं समझना । क्योंकि अतिप्रसंग दोष हो जावेगा । भावार्थ— “अत्रान्ये ” यहांसे लेकर पांच कारिकाओंमें अन्य विद्वानोंका मन्तव्य यह ध्वनित होता है कि जिस किसी भी प्रकारसे वादी या प्रतिवादीकी शक्तिका विशेषघात हो जानेसे प्रतिवादी या वादीका जय मान लेना चाहिये ।

**इत्येतद्दुर्विदग्धत्वे चेष्टितं प्रकटं न तु ।**

**वादिनः कीर्तिकारि स्यादेवं माध्यस्थहानितः ॥ ८४ ॥**



अब आचार्य महाराज उक्त अन्य विद्वानोंके प्रति कहते हैं कि इस प्रकार यह अन्य विद्वानोंका कथन करना तो अपने दुर्विदग्धपनेके निमित्त ही प्रकटरूपसे चेष्टा करना है। मले प्रकार समझानेपर भी मिथ्या आप्रह्वश अपने झूठे पक्षका कोरा अभिमान कर सत्यपक्षका प्रहण नहीं करना दुर्विदग्धपना है। किसी भी अन्टसन्ट उपायसे प्रतिवादीकी शक्तिका विघात करना यह प्रयत्न तो वादीकी कीर्तिको करनेवाला नहीं है। इस प्रकार निय प्रयत्न करनेसे अन्य तटस्थ बैठे हुये सम्य पुरुषोंके मध्यस्थपनेकी भी हानि हो जाती है। अर्थात्—आखमें अंगुली करना, मर्मस्थलोंमें आघात पहुंचा देना, आदि अनुचित उपायोंसे युद्ध ( कुर्स्ता ) करनेवाले मल्ल या प्रतिमल्लको जैसे मध्यस्थ पुरुष निषिद्ध कर देते हैं, इसी प्रकार अयुक्त उपायोंसे जय दूटनेवाले वादीका मध्यस्थों द्वारा निकृष्ट मार्ग छुड़ा देना चाहिये या। यदि मध्यस्थ जन वादीके अनुचित अभिनय (तमाशा) को चुप होकर देख रहे हैं, ऐसी दशामें उन पक्षपातियोंके मध्यस्थपनकी हत्या हो जाती है।

**दोषानुद्भावनाख्यानाद्यथा परनिराकृतिः।**

**तथैव वादिना स्वस्य दृष्टा का न तिरस्कृतिः ॥ ८५ ॥**

प्रतिवादी द्वारा दोषोंके नहीं उठाये जानेका कथन कर देनेसे जिस प्रकार दूसरे प्रतिवादीका निराकरण ( पराजय ) होना मान लिया गया है, उस ही प्रकार अपने मान लिये गये वादीका भी तिरस्कार हो रहा क्या नहीं देखा गया है ? क्योंकि वादीने समीचीन हेतु नहीं कहा था। यह वादीका तिरस्कार करनेके लिये पर्याप्त है।

**दोषानुद्भावनादेकं न्यक्कुर्वति सभासदः।**

**साधनानुक्तितो नान्यमित्यहो तेऽतिसंज्ञनाः ॥ ८६ ॥**

आचार्य कहते हैं कि सभामें बैठे हुये मध्यस्थ पुरुष दोनों वादी प्रतिवादियोंमेंसे एक प्रतिवादीका तो न्यक्कार ( तिरस्कार ) कर देते हैं, किन्तु समीचीन साधनका नहीं कथन करनेसे दूसरे वादीका तिरस्कार नहीं करते हैं, ऐसी बुद्धपनेकी क्रिया करनेपर हमें उनके ऊपर आश्चर्य आता है। उपहाससे कहना पड़ता है कि वे सम्य पुरुष आवश्यकतासे अधिक संज्ञन हैं। यानी परम मूर्ख हैं। जो कि पक्षपातवश वादीके प्रयुक्त किये गये हेतुमासका उद्घ नहीं रखकर प्रतिवादीका दोष नहीं उठानेके कारण वादी द्वारा पराजय क्राये देते हैं। ऐसे समासदोंसे न्यायकी प्राप्ति होना असम्भव है। संज्ञनताका अतिक्रमण करनेवालोंसे निष्पक्ष न्याय नहीं हो पाता है।

**अत्र परेपामाकृतमुपदर्श्य विचारयति।**

इस प्रकरणमें श्री विद्यानन्द आचार्य दूसरे विद्वानोंकी स्वयन्तव्यपुष्टिकी चेष्टाको दिखलाकर विचार करते हैं। सो सुनिये।

पक्षसिद्धिविहीनत्वादेकस्यात्र पराजये ।

परस्यापि न किं नु स्याज्जयोप्यन्यतरस्य नु ॥ ८७ ॥

तथा चैकस्य युगपत्स्यातां जयपराजयौ ।

पक्षसिद्धीतरात्मत्वात्तयोः सर्वत्र लोकवत् ॥ ८८ ॥

छद्द कारिकाओंद्वारा अपर विद्वान् अपने मन्तव्यको दिखलाते हैं कि यहां अपने पक्षकी सिद्धिसे रहित हो जानेके कारण यदि एक ( प्रतिवादी ) का पराजय हो जाना इष्ट कर लिया जायगा तो दूसरे ( वादी ) का भी पराजय क्यों नहीं हो जावेगा । क्योंकि साधनाभासको कहने वाला वादी और दोषोंको नहीं उठानेवाला प्रतिवादी दोनों ही अपने अपने पक्षकी सिद्धिसे रहित होते हुये भी एक ( वादी ) का जय होना मानोगे तो दोनोंमेंसे बचे हुये अन्य एक ( प्रतिवादी ) का भी जय क्यों नहीं मान लिया जावे ? और तिस प्रकार होनेपर एक ही वादी या प्रतिवादीके एक समयमें एक साथ जय पराजय दोनों हो जावेंगे । क्योंकि लोकमें जैसे जय पराजयकी व्यवस्था प्रसिद्ध है, उसी प्रकार सभी शास्त्रीय स्थानोंमें भी स्वपक्षकी सिद्धि कर देनेसे जय हो जाना और पक्षसिद्धि नहीं हो जानेसे पराजय प्राप्ति हो जाना व्यवस्थित है । वे जय और पराजय पक्षसिद्धि और पक्षकी असिद्धिस्वरूप ही तो हैं ।

तदेकस्य परेणेह निराकरणमेव नः ।

पराजयो विचारेपु पक्षासिद्धिस्तु सा क्व नुः ॥ ८९ ॥

पराजयप्रतिष्ठानमपेक्ष्य प्रतियोगिनां ।

लोके हि दृश्यते यादृक् सिद्धं शास्त्रेपि तादृशम् ॥ ९० ॥

तिस कारण दूसरे विद्वान् करके एक वादी या प्रतिवादीका निराकरण हो जाना ही हमारे यहां एकता विचारोंमें पराजय माना गया है । ऐसी दशामें किसी एक मनुष्यके पक्षकी वह असिद्धि तो कहाँ रही ? अपनेसे प्रतिकूल हो रहे प्रतियोगी पुरुषोंकी अपेक्षा कर जिस प्रकार लोकमें पराजय प्राप्तिकी प्रतिष्ठा देखी जा रही है । उसी प्रकार शास्त्रमें भी पराजय प्रतिष्ठा सिद्ध है । इस विषयमें लौकिक मार्ग और शास्त्रीय मार्ग दोनों एकसे हैं ।

सिद्धयभावः पुनर्दृष्टः सत्यपि प्रतियोगिनि ।

साधनाभावतः शून्ये सत्यपि च स जातुचित् ॥ ९१ ॥

तन्निराकृतिसामर्थ्यशून्ये वादमकुर्वति ।

पराजयस्ततस्तस्य प्राप्त इत्यपरे विदुः ॥ ९२ ॥

प्रतिकूळ कहनेवाले प्रतियोगी मनुष्यके होनेपर भी पुनः समीचीन हेतुका अभाव हो जानेसे सिद्धिका अभाव देखा गया है । और कमी कमी प्रतियोगीका सर्वथा अभाव हो जानेपर भी वह सिद्धिका अभाव देखा गया है । तिस कारण यह सिद्ध होजाता है कि उस प्रतियोगीके निराकरण करनेकी सामर्थ्यसे शून्य होनेपर वादको नहीं करनेवाले मनुष्यके होनेपर उससे उसका पराजय प्राप्त हो जाता है । भावार्थ—दूसरेको अन्यके निराकरणकी सामर्थ्यसे रहित कर दिया जाय, वह मनुष्य वाद करने योग्य नहीं रहे, तब उसका पराजय माना जावेगा । इस प्रकार कोई दूसरे विद्वान् अपने मनमें समझ बैठे हैं । अब आचार्य महाराज इनका समाधान करते हैं ।

तत्रेदं चिंत्यते तावत्तन्निराकरणं किमु ।

निर्मुखीकरणं किं वा वाग्मिस्तत्त्वद्रूपणम् ॥ ९३ ॥

नात्रादिकल्पना युक्ता परानुग्राहिणां सतां ।

निर्मुखीकरणवृत्तेर्बोधिसत्त्वादिवत्काचित् ॥ ९४ ॥

उन अपर विद्वानोंके उक्त अभिमतपर अब यह विचार चलाया जाता है कि उन्हेंने जो पहिले यह कहा था कि दूसरे करके एकका निराकरण हो जाना ही हमारे यहां पराजय माना गया है । इसमें हमारा यह प्रश्न है कि उसके निराकरणका अर्थ क्या, उसको बोलनेवाले मुखसे रहित ( चुप ) कर देना है ? अथवा क्या सयुक्त वचनोंद्वारा उसके अभीष्ट तत्त्वमें दूषण प्रदान करना है ? वताओ । इन दोनों पक्षोंमेंसे आदिके पक्षकी कल्पना करना तो युक्तिपूर्ण नहीं है । क्योंकि शान्ति-प्रेमी विद्वान् माने गये बोधिसत्त्व आदिक विद्वानोंके समान दूसरोंके ऊपर अनुग्रह करनेवाले सञ्जन पुरुषोंकी कहीं भी किसीको चुप करनेके लिये प्रवृत्ति नहीं होती है । अर्थात्—बौद्धोंके यहां बोधि-सत्त्व आदिक पुरुषोंकी प्रवृत्ति सर्व प्राणियोंके साथ वात्सल्यभाव रखनेवाली स्वीकार की है । उसी प्रकार सर्व कृपाद्भ तत्त्व निर्णायकोंकी प्रवृत्ति प्राणियोंके ज्ञान सम्पादनार्थ है । जैसे जैसे किसी भी वषायसे दूसरोंका मुख रोकने ( बन्द ) के लिये नहीं होती है ।

द्वितीयकल्पनायां तु पक्षसिद्धेः पराजयः ।

सर्वस्य वचनेस्तत्त्वद्रूपणे प्रतियोगिनाम् ॥ ९५ ॥

सिद्धयभावस्तु योगिनामसति प्रतियोगिनि ।

साधनाभावतस्तत्र कथं वादे पराजयः ॥ ९६ ॥

यदि पुक्तिपूर्ण धर्तृकारके उसके माने हुये तत्त्वोंमें दूषण देना इस प्रकार दूसरे पक्षकी कल्पना करनेपर तो यह भेनसिद्धान्त ही प्राप्त हो जाता है कि स्वकीय पक्षकी सिद्धि करनेसे और समीचीन धर्तृकारके दूसरे प्रतिकूल वादियोंके माने हुये तत्त्वोंमें दूषण देनेपर ही अन्य सबका पराजय हो सकता है । अर्थात्—अपने पक्षकी सिद्धि और दूसरेके तत्त्वोंमें दोष देनेपर ही अपना जय और दूसरेका पराजय होना व्यवस्थित है । यही अकलंकसिद्धान्त है । आपने जो “ सिद्धयमात्र पुनर्दृष्टः सत्यपि प्रतियोगिनि ” इस कारिकाद्वारा कहा था, उसमें हमारा यह कहना है कि प्रतियोगी प्रतिवादीके नहीं होनेपर योग रखनेवाले वादियोंके पास समीचीन साधनका अभाव होजानेसे तो वादीके पक्षकी सिद्धिका अभाव है । उस दशमें वादीके द्वारा प्रतिवादीका वादमें भला पराजय कैसे हो सकता है ? अर्थात्—नहीं ।

यदैव वादिनोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः ।

राजन्वति सदेकस्य पक्षासिद्धिस्तथैव हि ॥ ९७ ॥

सा तत्र वादिना सम्यक् साधनोक्तेर्विभाव्यते ।

तूष्णींभावाच्च नान्यत्र नान्यदेत्यकलंकवाक् ॥ ९८ ॥

जिस ही काळमें समुचित राजाके समापति होनेपर समीचीन राजा, प्रजांस, युक्त हो रहे देशमें वादी और प्रतिवादीके पक्ष और प्रतिपक्षका परिग्रह हो रहा है । वहां एक वादीके समीचीन पक्षकी सिद्धि हो जानेपर उसी समय दूसरे प्रतिवादीका तिस ही प्रकार पक्ष असिद्ध हो जाता है, ऐसा नियम है । उस अवसरपर वादीके द्वारा समीचीन साधनका कथन करनेसे और प्रतिवादीके चुप हो जानेसे यह प्रतिवादीके पक्षकी असिद्धि विचार ही जाती है । अन्य स्थलोंमें और अन्य काळोंमें पक्षकी असिद्धि नहीं, इस प्रकार श्री अकलंकदेव स्वामीका निर्दोष सिद्धान्त वाक्य है ।

तूष्णींभावोथवा दोषानासक्तिः सत्यसाधने ।

वादिनोक्तै परस्येष्टा पक्षसिद्धिर्न चान्यथा ॥ ९९ ॥

वादीके द्वारा कहे गये सत्य हेतुमें प्रतिवादीका चुप रह जाना अथवा सत्य हेतुमें दोषोंका प्रसंग नहीं उठाना ही दूसरे वादीकी पक्ष सिद्धि इष्ट की गयी है । अन्य प्रकारसे कोई पक्षसिद्धिकी व्यवस्था नहीं मानी गयी है ।

कस्य चित्तत्वसंसिद्ध्यप्रतिक्षेपो निराकृतेः ।

कीर्तिः पराजयोवश्यमकीर्तिकृदिति स्थितम् ॥ १०० ॥

यों माननेपर किसी भी वादी या प्रतिवादीके अमोक्ष तत्त्वोंकी मळे प्रकार सिद्धि करनेमें कोई आक्षेप नहीं जाता है । दूसरेके पक्षका निराकरण करनेसे एककी यशस्वीर्ति होती है, और दूसरेका पराजय होता है, जो कि अवश्य ही अपकीर्तिको करनेवाला है । अतः स्वपक्षकी सिद्धि करना और परपक्ष का निराकरण करना ही जयका कारण है । इस कर्त्तव्यको नहीं करने मळे वादी या प्रतिवादीका निग्रहस्थान हो जाता है । यह सिद्धान्त व्यवस्थित हुआ ।

असाधनांगवचनमदोषोद्भावनं द्वयोः ।

न युक्तं निग्रहस्थानं संधाहान्यादिवत्ततः ॥ १०१ ॥

तिस कारणसे यह बात आई कि बौद्धोंके द्वारा माना गया असाधनांगवचन और अदोषोद्भावन दोनोंका निग्रहस्थान यह उनका कथन युक्त नहीं है । जैसे कि नैयायिकों द्वारा माने गये प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर आदिक निग्रह स्थानोंका उठाया जाना समुचित नहीं है । भावार्थ-वादीको अपने पक्षसिद्धिके अंगोंका कथन करना आवश्यक है । यदि वादी साधनके अंगोंको नहीं कह रहा है, अथवा असाधनके अंगोंको कह रहा है, तो वह वादीका निग्रहस्थान है तथा प्रतिवादीका कार्य वादीके हेतुओंमें दोष उत्थापन करना है । यदि प्रतिवादी अपने कर्त्तव्यसे विमुख होकर दोषोंको नहीं उठा रहा है, या नहीं उठा होनेवाले कुदोषोंको उठा रहा है, तो यह प्रतिवादीका निग्रह स्थान है । अब आचार्य कहते हैं कि यह बौद्धों द्वारा माना गया निग्रहस्थानकी व्यवस्था किसी प्रकार प्रशस्त नहीं है । जैसे कि नैयायिकोंके निग्रहस्थानोंकी व्यवस्था ठीक नहीं है ।

के पुनस्ते प्रतिज्ञाहान्यादय इमे कथ्यन्ते ? प्रतिज्ञाहानिः, प्रतिज्ञांतरं, प्रतिज्ञाविरोधः, प्रतिज्ञासंन्यासः, हेत्वंतरं, अर्थान्तरं, निरर्थकं, अविज्ञातार्थं, अपार्थकं, अप्राप्तकालं, पुनरुक्तं, अननुप्रापणं, अज्ञानं, अप्रतिभा, पर्यनुयोग्यानुपेक्षणं, निरनुयोग्यानुयोगः, विक्षेपः, मत्तानुज्ञा, न्यूनं, अधिकं, अपसिद्धान्तः, हेत्वाभासः, छलं, जातिरिति । तत्र प्रतिज्ञाहानि-निग्रहस्थानं कथमयुक्तमित्याह ।

किसी विनित शिष्यका श्रुति है कि वे पुनः नैयायिकों द्वारा कल्पित किये गये प्रतिज्ञाहानि आदिक निग्रहस्थान कौनसे हैं ? इसके उत्तरमें आचार्य महाराज कहते हैं कि वे निग्रहस्थान हमारे द्वारा अनुवाद रूपसे वे कहे जा रहे हैं । सो सुनो, प्रतिज्ञाहानि १ प्रतिज्ञान्तर २ प्रतिज्ञाविरोध ३ प्रतिज्ञासंन्यास ४ हेत्वन्तर ५ अर्थान्तर ६ निरर्थक ७ अविज्ञातार्थ ८ अपार्थक ९

अप्राप्तकाळ १० पुनरुक्त ११ अननुभाषण १२ अज्ञान १३ अप्रतिमा १४ पर्यनुयोग्यानुपेक्षणं १५ निरनुयोग्यानुयोग १६ विक्षेप १७ मत्तानुज्ञा १८ न्यून १९ अधिक २० अपसिद्धान्त २१ हेत्वाभास २२ छळ २३ जाति २४ इस प्रकार हैं । नैयायिकोंने प्रमाण, प्रमेय, आदि सोछ मूल पदार्थ माने हैं । उनमें हेत्वाभास, छळ, और जाति पदार्थ भी परिगणित हैं । छळ और जातिका पृथक् व्याख्यान कर तथा हेत्वाभासको निग्रहस्थानोंके प्रतिपादक सूत्रमें गिना देनेसे निग्रहस्थान बार्डस समझे जाते हैं । इनके लक्षणोंका निरूपण स्वयं ग्रन्थकार अप्रिम ग्रन्थमें कहेंगे । उन निग्रहस्थानोंमें पहिले नैयायिकों द्वारा कहा गया प्रतिज्ञाहानि नामक निग्रहस्थान किस प्रकार अयुक्त है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी इस प्रकार समाधान कहते हैं ।

प्रतिदृष्टांतधर्मस्य यानुज्ञा न्यायदर्शन ।

स्वदृष्टांते मता सैव प्रतिज्ञाहानिरैश्वरैः ॥ १०२ ॥

श्रुतिके कर्त्ता ईश्वरकी उपासना करनेवाले नैयायिकोंने अपने गौतमीय न्यायदर्शनमें प्रतिज्ञाहानिका लक्षण यों माना है कि अपने दृष्टान्तमें प्रतिकूल पक्ष सम्बन्धी दृष्टान्तके धर्मकी जो स्वीकारता कर लेना है वही प्रतिज्ञाहानि है । इसका व्याख्यान स्वयं ग्रन्थकार करेंगे ।

प्रतिदृष्टांतधर्मानुज्ञा स्वदृष्टान्ते प्रतिज्ञाहानिरित्यक्षपादवचनात् । एवं सूत्रमनूय परीक्षणार्थं भाष्यमनुवदति ।

गौतम श्रुतिके बनाये हुये न्यायदर्शनके पांचवे अध्यायका दूसरा सूत्र अक्षपादने यों कहा है कि “ प्रतिदृष्टान्तधर्मानुज्ञा स्वदृष्टान्ते प्रतिज्ञाहानिः ” इस प्रकार गौतमके सूत्रका अनुवाद कर गौतमसूत्रपर वात्स्यायनश्रुति द्वारा किये गये भाष्यकी परीक्षा करनेके लिये श्री विद्यानन्द स्वामी अनुवाद करते हैं । गौतम श्रुतिका ही दूसरा नाम अक्षपाद है । न्यायकोषमें अक्षपादकी कथामें यों लिखी हुई है कि गौतमने अपने द्वैत प्रतिपादक मतका खण्डन करनेवाले वेदव्यासके आँखोंसे नहीं दर्शन करने (देखने) की प्रतिज्ञा लेली थी । किन्तु कुछ दिन पश्चात् अद्वैतवादका आदरणीय रहस्य गौतमको प्रतीत हुआ तो वे वेदव्यासका दर्शन करनेके लिये आकुलित हुये । किन्तु प्रतिज्ञा अनुसारसे वदनस्थित चक्षुओंसे व्यासजीका दर्शन नहीं कर सकते थे । अतः उन्होंने तपस्याके बलसे पावोंमें चक्षु बनाई । इन चक्षुओंसे व्यासका दर्शन किया “ अक्षिणी अथवा अक्षे पादयोः यस्य स अक्षपादः ” इस प्रकार अक्षपाद शब्दका व्यधिकरण बहुव्रीहि समाप्त किया है । यह केवल किम्बदन्ती है । जैन सिद्धान्त अनुसार विचार जाय तो पावोंमें आँखे नहीं बन सकती हैं । आँखोंकी निर्वृत्ति और उपकरण वदनप्रदेशमें ही सम्भवते हैं । यों देशावधि ( विमङ्ग ) से मले ही कोई अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कर ले, यह बात दूसरी है ।

साध्यधर्मविरुद्धेन धर्मेण प्रत्यवस्थिते ।

अन्यदृष्टान्तधर्मं स्वदृष्टान्तेऽभ्यनुजानतः ॥ १०३ ॥

प्रतिज्ञाहानिरित्येव भाष्यकाराग्रहो न वा ।

प्रकारांतरोप्यस्याः संभवाच्चित्तविभ्रमात् ॥ १०४ ॥

“ न्यायभाष्य ” में लिखा है कि “ साध्यधर्म प्रत्यनीकेन धर्मेण प्रत्यवस्थिते प्रतिदृष्टान्त धर्मस्वदृष्टान्तेऽभ्यनुजानन् प्रतिज्ञां जहातीति प्रतिज्ञाहानिः ” अपने अभीष्ट साध्यस्वरूप धर्मसे विरुद्ध हो रहे धर्मकारके प्रत्यवस्थान ( दूषण ) ठठानेपर अन्य प्रतिकूट दृष्टान्तके धर्मको अपने इष्ट दृष्टान्तमें स्वीकार कर लेनेवाले वार्दीका प्रतिज्ञाहानि नामक निग्रहस्थान हो जाता है । यह कथंचित् उचित है । किन्तु इस ही प्रकार प्रतिज्ञाहानि हो सकती है । अन्य कोई उपाय नहीं, ऐसा भाष्यकार वात्स्यायनका आग्रह करना ठीक नहीं है । क्योंकि वक्ताके चित्तमें विभ्रम हो जानेसे या अन्य प्रकारों करके भी इस प्रतिज्ञाहानिके हो जानेकी सम्भावना है । सच पूछो तो यह दृष्टान्तहानि है । बहुतसे मनुष्य अपने पक्षकी तो अनुणगरक्षा करते हैं । किन्तु यहाँ वार्दीके प्रकरणोंकी मस्तिष्कको पचानेवाले वायुकोके सम्मुख उपेक्षार्थक स्वीकारता देते हैं । तभी उनसे पिंड छूटता है ।

विनश्वरस्वभावोयं शब्द ऐन्द्रियकत्वतः ।

यथा घट इति प्रोक्ते परः प्रत्यवतिष्ठते ॥ १०५ ॥

दृष्टमैन्द्रियकं नित्यं सामान्यं तद्वदस्तु नः ।

शब्दोपीति स्वलिंगस्य ज्ञानात्तेनापि संमतं ॥ १०६ ॥

कामं घटोपि नित्योस्तु सामान्यं यदि शाश्वतं ।

इत्येवं भाष्यमाणेन प्रतिज्ञोत्पाद्यते कथम् ॥ १०७ ॥

प्रतिज्ञाहानि निग्रहस्थानका उदाहरण यों है कि यह शब्द ( पक्ष ) विनाश हो जाने स्वभाववाला है ( साध्य ) इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय होनेसे ( हेतु ) जैसे कि घटा ( दृष्टान्त ) । इस प्रकार वार्दीके द्वारा मझे प्रकार कह चुकनेपर दूसरा प्रतिवार्दी प्रत्यवस्थान करता है कि इन्द्रिय जन्य ज्ञानका विषय सामान्य तो नित्य देखा जा रहा है । उसीके समान शब्द भी हमारे यहाँ नित्य हो जाओ, पश्चात् इस प्रकार अपने कहे ऐन्द्रियकत्व लिंगके हेत्वामासनेका ज्ञान हो जानेसे उस वार्दीने भी वादका अन्त नहीं कर यों संमत कर लिया कि अच्छी बात है । यदि सामान्य (जाति) निरप है तो यथेष्ट रूपसे घट भी नित्य हो जाओ । अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार कहने-

वाला वादी अपने दृष्टान्त घटका नित्यपन स्वीकार करता हुआ निगमन पर्यन्त पक्षको छोड़ दे रहा प्रतिज्ञाकी हानि कर देता है। इस ढंगसे सूत्रका भाष्य कह रहे वात्स्यायनके द्वारा भला प्रतिज्ञाहानि कैसे उपजाई जाती है ? “ प्रतिज्ञा हाप्यते कथं ” पाठ अच्छा दीखता है। भावार्थ—आचार्य कहते हैं कि वादीने प्रतिदृष्टान्तके धर्मको दृष्टान्तमें स्वीकार कर लिया है। प्रतिज्ञाको तो नहीं छोड़ा है ऐसी दृष्टान्तमें यह प्रतिज्ञाहानि भला कहाँ रही ! नैयायिकोंने ऐन्द्रियक पदार्थोंमें रहनेवाले जातिका भी इन्द्रियोंके द्वारा प्रत्यक्ष होना अभीष्ट किया है।

दृष्टान्तस्य परित्यागात्स्वहेतोः प्रकृतक्षतेः ।

निगमांतस्य पक्षस्य त्यागादिति मतं यदि ॥ १०८ ॥

तथा दृष्टान्तहानिः स्यात्साक्षादियमनाकुला ।

साध्यधर्मपरित्यागाद् दृष्टान्ते स्वेष्टसाधने ॥ १०९ ॥

यदि भाष्यकार वात्स्यायनका मन्तव्य यों होय कि ‘ न खल्वयं ससाधनस्य दृष्टान्तस्य नित्यत्वं प्रसज्यमन्निगमनान्तमेव पक्षं जहाति पक्षं नहत् प्रतिज्ञां जहातीत्युच्यते प्रतिज्ञाश्रयत्वात् पक्षस्येति ’ यह साधन वादी हेतुसे सहित हो रहे घट दृष्टान्तके नित्यपनेके प्रसंगको स्वीकार करता हुआ निगमनपर्यन्त ही पक्षको छोड़ देता है। यही नहीं समझना, किन्तु पक्षका परित्याग करता हुआ प्रतिज्ञाकी हानि कर देता है। क्योंकि पक्षके आश्रयपर प्रतिज्ञा उठी रहती है। पक्षके छूट जानेपर प्रतिज्ञा छूट जाती है। भाष्यकार मानते हैं कि दृष्टान्तका परित्याग होजानेसे अपने हेतुमें प्रकरणप्राप्त साध्यकी क्षति हो जाती है। अतः निगमनपर्यन्त पक्षका त्याग हो जानेसे यह प्रतिज्ञाहानि है। अर्थात्—दृष्टान्तकी हानि हो जानेसे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, पाँचोंकी हानि हो जाती है। अब आचार्य कहते हैं कि तब तो साक्षात् आकुलता रहित होती हुई यह दृष्टान्तकी हानि होगी। क्योंकि अपने इष्ट साधनद्वारा साध्य लिये गये घटरूपी दृष्टान्तमें ही अनित्यरूप साध्य धर्मका परित्याग कर दिया गया है। प्रतिज्ञाका तो त्याग नहीं किया है। अर्थात्—इसको प्रतिज्ञाहानि नहीं कहकर दृष्टान्तहानि कहना चाहिये था।

पारंपर्येण तु त्यागो हेतूपनययोरपि ।

उदाहरणहानौ हि नानयोरस्ति साधुता ॥ ११० ॥

निगमस्य परित्यागः पक्षबाधेपि वा स्वयं ।

तथा च न प्रतिज्ञातहानिरेवेति संगतत् ॥ १११ ॥



यदि माप्यकारका यह अग्निप्राय होय कि साक्षात् रूपसे मले ही यह दृष्टान्तहानि होय किन्तु परम्परासे प्रतिज्ञाका भी त्याग हो चुका है । अतः यह प्रतिज्ञाहानि कही जा सकती है । इस प्रकार कहनेपर आचार्य कहते हैं कि यों तो हेतु और उपनयकी हानि भी कहीं जानी चाहिये क्योंकि उदाहरण ( दृष्टान्त ) की हानि हो जानेपर नियमसे इन हेतु और उपनयकी समीचीनता स्थिर नहीं रहपाती है । प्रतिज्ञास्वरूप पक्षका बाधा हो जानेपर स्वयं निगमनका परित्याग भी हो जाता है । अतः निगमन हानि भी हुई और तिस प्रकार हो जानेपर प्रतिज्ञा किये गये की ही हानि है । इस प्रकार माप्यकारका एकान्त आप्रश्न करना संगत नहीं है ।

पक्षत्यागात्प्रतिज्ञायास्त्यागस्तस्य तदाश्रितेः ।

पक्षत्यागोपि दृष्टान्तत्यागादिति यदीष्यते ॥ ११२ ॥

हेत्वादित्यागतोपि स्यात् प्रतिज्ञात्यजनं तदा ।

ततः पक्षपरित्यागाविशेषान्नियमः कुतः ॥ ११३ ॥

यदि माप्यकार वात्स्यायन यों इष्ट करें कि पक्षका त्याग हो जानेसे प्रतिज्ञाका भी त्याग हो जाता है । क्योंकि वह उसके आश्रित है, दृष्टान्तका त्याग हो जानेसे पक्षका त्याग भी हो गया है । इसपर आचार्य कहते हैं कि तब तो हेतु, उपनय आदिके त्यागसे भी प्रतिज्ञाका त्याग हो जावेगा । क्योंकि उस हेतु आदिकके त्यागसे पक्षका परित्याग कर देना यहाँ वहाँ विशेषताओंसे रहित है । ऐसी दशा हो जानेसे माप्यकार द्वारा किया गया नियम कैसे रक्षित रह सकता है ? अर्थात्—जब हेतु आदिकके त्यागसे भी प्रतिज्ञा की हानि सम्भवती है तो पक्षके त्यागसे ही प्रतिज्ञाहानि नामक निमइस्थान हो जाता है । यह नियम तो नहीं रहा ।

साध्यधर्मप्रत्यनीकधर्मेण मत्ववस्थितः प्रतिदृष्टांतधर्मं स्वदृष्टांतानुजानन् प्रतिज्ञां जहातीति प्रतिज्ञाहानिः । यथा अनित्यः शब्दः ऐन्द्रियकत्वाद् घटवदिति ब्रुवन् परेण दृष्टमैन्द्रियकं सामान्यं नित्यं कस्मान्न तथा शब्द इत्येवं मत्ववस्थितः । प्रयुक्तस्य हेतोरभासतामवस्थप्रापि कथावसानमकुर्वन्नियमवतिष्ठेय प्रतिज्ञात्यागं करोति, यद्यैन्द्रियकं सामान्यं नित्यं कामं घटोपि नित्योस्तु इति । स खल्वयं ससाधनस्य दृष्टांतस्य नित्यत्वं प्रसन्नभिगमांतमेव पक्षं च परित्यजन् प्रतिज्ञां जहातीत्युच्यते प्रतिज्ञाथयत्वात्पक्षस्येति भाष्यकारमतमाल्लनविस्तीर्णमादर्शितम् ।

न्यायभाष्यका लेख भी है कि साध्यस्वरूप धर्मके प्रतिकूल ( उल्टा ) धर्म करके प्रत्यवस्थानको प्राप्त हुआ वादी यदि प्रतिकूल दृष्टान्तके धर्मको अपने इष्ट दृष्टान्तमें स्वीकार करलेनेकी

अनुमति दे देता है तो वह अपनी पूर्वमें की गयी प्रतिज्ञाको छोड़ देता है। इस कारण यह वादीका प्रतिज्ञाहानि नामक निग्रहस्थान है। जैसे कि शब्द अनित्य है (प्रतिज्ञा) इन्द्रिय जन्म ज्ञान करके ग्रहण करने योग्य होनेसे (हेतु) घटके समान (अवयवदृष्टान्त), इस प्रकार वादी कह रहा है। ऐसी दशामें दूसरे प्रतिवादी करके यों प्रत्यवस्थान दिया गया यानी वादीको प्रतिकूल पक्ष पर अवस्थित करनेके लिये दोष उठाया गया कि नित्य होकर अनेकोंमें समवाय सम्बन्धसे वर्त रहा सामान्य पदार्थ देखो। इन्द्रियजन्य ज्ञान द्वारा देखा जा रहा है। जब वह सामान्य नित्य है तो तिस ही प्रकार शब्द भी नित्य क्यों नहीं हो जावे ? इस प्रकार कटाक्ष युक्त कर दिया गया वादी अपने द्वारा प्रयुक्त किये गये ऐन्द्रियकत्व हेतुके व्यभिचारी हेत्वामासपनेको जानता हुआ भी वाद कथाके अन्तको नहीं करता हुआ स्वकीय निश्चयका उल्लंघन कर यों प्रतिज्ञाका त्याग कर देता है कि इन्द्रियजन्य ज्ञानसे जाना जा रहा सामान्य यदि नित्य है तो घट भी भले ही नित्य हो जाओ। हमारा क्या विगडता है ? निश्चयसे इस प्रकार कह रहा सो यह वादी हेतुसे सहित हो रहे दृष्टान्तके नित्यपनका प्रसंग कराता हुआ और निगमन पर्यन्त ही पक्षको छोड़ रहा संता प्रतिज्ञाका त्याग कर रहा है, यह कहा जाता है, क्योंकि पक्षके आश्रय प्रतिज्ञा है। इस प्रकार भाष्यकार वात्स्यायनका लम्बा चौड़ा मन्तव्य उक्त मन्थ द्वारा चारों ओरसे छिन्न भिन्न कर बखेर दिया गया आचार्य महाराजने दिखला दिया है।

प्रतिज्ञाहानिसूत्रस्य व्याख्यां वार्तिककृतपुनः ।

करोत्येव विरोधेन न्यायभाष्यकृतः स्फुटम् ॥ ११४ ॥

दृष्टश्चांते स्थितश्चायमिति दृष्टांत उच्यते ।

स्वदृष्टांतः स्वपक्षः स्यात् प्रतिपक्षः पुनर्मतः ॥ ११५ ॥

प्रतिदृष्टांत एवेति तद्धर्ममनुजानतः ।

स्वपक्षे स्यात्प्रतिज्ञानमिति न्यायाविरोधतः ॥ ११६ ॥

सामान्यमैन्द्रियं नित्यं यदि शब्दोपि तादृशः ।

नित्योस्त्विति ब्रुवाणस्यानित्यत्वत्यागनिश्चयात् ॥ ११७ ॥

न्यायवार्तिक मन्थको करनेवाले “ उद्योतकर ” पण्डितजी प्रतिज्ञाहानिके प्रतिपादक लक्षण-सूत्रकी व्याख्याको न्यायभाष्यकार वात्स्यायनका विरोधकरके यों स्पष्टरूपसे करते हैं। अर्थात्— “ प्रतिदृष्टान्तधर्मान्पुनश्चा स्वदृष्टांते प्रतिज्ञाहानि. ” इस सूत्रका अर्थ जो न्यायभाष्यकारने किया है, वह ठीक नहीं। किन्तु उसके विरुद्ध इस प्रकार उसका तर्क है कि देखा हुआ होता संता जो

विचारके अन्तमें स्थित हो रहा है, इस प्रकार यह दृष्टान्त कहा जाता है। अतः दृष्टान्तका अर्थ पक्ष हुआ। स्वदृष्टान्तका अर्थ स्वपक्ष होगा और फिर इसी प्रकार प्रतिदृष्टान्तका अर्थ प्रतिपक्ष ही माना गया। इस प्रकार उस प्रतिपक्षके धर्मको स्वपक्षमें स्वीकार करनेवाले पुरुषके न्यायके अविरोधसे जो इस प्रकार प्रतिज्ञा कर लेना है कि इन्द्रियप्राप्त सामान्य यदि नित्य है तो तैसा इन्द्रियप्राप्त होता हुआ शब्द भी नित्य हो जाओ, इस प्रकार कह रहे यादीके शब्दके नित्यत्वकी प्रतिज्ञाका त्याग हो गया है, ऐसा निश्चय है। अर्थात्—शब्दके अनित्यपनकी प्रतिज्ञाको छोड़ देनेवाले वादीके प्रतिज्ञाहानि निप्रहस्यान मानना चाहिये। माय्यकारने जो घट भी नित्य हो जाओ, इस प्रकार दृष्टान्तके छोड़ देनेसे प्रतिज्ञाहानि बतलायी है। वह न्यायसिद्धान्तसे विरुद्ध पडती है।

इत्येतच्च न युक्तं स्यादुद्योतकरजाड्यकृत् ।

प्रतिज्ञाहानिरित्थं तु यतस्तेनावधार्यते ॥ ११८ ॥

सा हेत्वादिपरित्यागात् प्रतिपक्षप्रसाधना ।

प्रायः प्रतीयते वादे मंदबोधस्य वादिनः ॥ ११९ ॥

कुतश्चिदाकुलीभावादन्वतो वा निमित्ततः ।

तथा तद्वाचि सूत्रार्थो नियमान्न व्यवस्थितः ॥ १२० ॥

अब आचार्य महाराज कहते हैं कि चिन्तामणिके ऊपर उद्योत नामक टीकाको करनेवाले उद्योतकर का इस प्रकार यह कहना युक्त नहीं है। विचार जाय तो ऐसा कहना उद्योतकरकी जडताको व्यक्त करनेवाला है। उद्योत करनेवाला चन्द्रमा शीतल जलमय स्वभाववाला है, कविजन “रत्नोर्ध्वलोध्रुव शयनोर्वचयोस्तथा” इस नियमके अनुसार ल और ड का एकत्वारोप कर लेते हैं अतः उद्योतकरमें जडता स्वभावसे प्राप्त हो जाती है। जिस कारणसे कि उस उद्योतकर करके इस ही प्रकारसे प्रतिज्ञाहानिका होना जो नियमित किया जाता है, सो ठीक है। क्योंकि हेतु, दृष्टान्त आदिके परित्यागसे भी वह प्रतिज्ञाहानि हो सकती है। जबतक कि प्रतिवादीद्वारा अपने प्रतिपक्ष की मूले प्रकार सिद्धि नहीं की जायगी, तबतक वादीका निप्रहस्यान नहीं हो सकता है। प्रायः अनेक स्पष्टोपर वादमें प्रतीत हो रही है कि मन्दज्ञानवाले वादीकी किसी भी कारणसे आकुलता हो जानेके कारण अथवा अन्य किसी मय आदिक निमित्तकारणोंसे तिस प्रकार वह वादी आतुर होकर घट अपनी प्रतिज्ञाको छोड़कर विपरीत प्रतिज्ञाको कर बैठता है। ऐसी दशामें नियमसे उनके कहे गये वचनोंमें सूत्रका अर्थ यथार्थ व्यवस्थित नहीं हो सका। उनके ही वचन यथार्थ व्यवस्थित हो सकते हैं, अज्ञानियोंके नहीं।

यथाह उद्योतकरः दृष्टाश्चासावन्ते च व्यवस्थित इति दृष्टांतः स्वपक्षः, प्रतिदृष्टांतः प्रतिपक्षः प्रतिपक्षस्य धर्म स्वपक्षभ्यनुजानन् प्रतिज्ञां जहाति । यदि सामान्यमैन्द्रियकं नित्यं शब्दोप्येवमस्त्विति तदेतदपि तस्य जाड्यकारि संलक्ष्यते । इत्यमेव प्रतिज्ञाहानिरवधारयितुमशक्तेः । प्रतिपक्षप्रसाधनाद्धि प्रतिज्ञायाः किञ्च हानिः संपद्यते सा तु हेत्वादिपरित्यागादपि कस्यचिन्मंदबुद्धेर्वादिनो वादे प्रायेण प्रतीयते न पुनः प्रतिपक्षस्य धर्म स्वपक्षभ्यनुजानत एव येनायमेकप्रकारः प्रतिज्ञाहानौ स्यात् । तथा विक्षेपादिभिराकुलीभावात् प्रकृत्या सभाभीरुत्वादन्यमनस्कत्वादेर्वा निमित्तात् । किञ्चित्साध्यत्वेन प्रतिज्ञाय तद्विपरीतं प्रतिजनिरुपलभ्यत एव पुरुषभ्रातेरनेककारणत्वोपपत्तेः । ततो नाप्तोपज्ञमेवेदं सूत्रं भाष्यकारस्य वार्तिककारस्य च व्यवस्थापयितुमशक्यत्वात् युक्त्यागमविरोधात् ।

उद्योतकर जो सूत्रका अर्थ इस प्रकार कह रहे हैं कि इष्ट होता हुआ जो वह विचार धर्म कोटिमें व्यवस्थित हो रहा है, इस प्रकार निरुक्ति करनेसे दृष्टान्तका अर्थ स्वकीय पक्ष है । और सूत्रमें कहे गये प्रतिदृष्टान्त शब्दका अर्थ प्रतिपक्षके धर्मकी स्वपक्षमें अच्छी अनुमति करता हुआ वादी प्रतिज्ञाका हान कर देता है कि ऐन्द्रियिक जाति यदि नित्य है तो इस प्रकार शब्द भी नित्य हो जाओ । यहाँतक उद्योतकर विद्वान्के कह चुकनेपर, अब आचार्य कहते हैं कि उद्योतकरका यह प्रसिद्ध कहना भी उसके जडपनेको करनेवाला मजे प्रकार दीख रहा है । क्योंकि इस ही प्रकारसे यानी प्रतिपक्षके धर्मका स्वपक्षमें स्वीकार कर लेनेसे ही प्रतिज्ञाहानि हो जानेका नियम नहीं किया जा सकता है । कारण कि प्रतिपक्षकी अच्छी सिद्धि कर देनेसे ही प्रतिज्ञाकी हानिका संपादन होना सम्भवता है । यह हानि तो हेतु आदिके परित्यागसे भी किसी किसी मन्द बुद्धिवाले वादीके प्रायः करके हो रही वादमें प्रतीत हो जाती है । किन्तु फिर प्रतिपक्षके धर्मको स्वपक्षमें स्वीकार कर लेनेसे ही प्रतिज्ञाहानि नहीं है, जिससे कि प्रतिज्ञाहानि निप्रहस्यानमें प्रतिपक्षके धर्मको स्वपक्षमें स्वीकार कर लेना यह एक ही प्रकार होय । अर्थात्—प्रतिज्ञाहानि अनेक प्रकारसे हो सकती है । तिस प्रकार तिरस्कार, फटकार, गौरव दिला देना, घटाटोप करना, विक्षेप, आदि करके वादीके आकुञ्चित परिणाम हो जानेसे अथवा स्वभावसे ही सामां भयभीतपनेकी प्रकृति होनेसे या वादीका चित्त इधर इधर अन्य प्रकरणोंमें लग जाने आदि निमित्तोंसे किसी धर्मको साध्यपने रूपसे प्रतिज्ञा कर उस साध्यसे विपरीत धर्मको कुछ देरके लिये स्वीकार करनेकी प्रतिज्ञा कर लेना देखा ही जाता है । क्योंकि पुरुषको भ्रातृज्ञान होनेके अनेक कारण बन जाते हैं । तिस कारणसे सिद्ध होता है कि यह गौतम ऋषिका कहा गया सूत्र यथार्थ बका आसके द्वारा कहा गया नहीं है । क्योंकि माध्यकार और वार्तिककारको अभीष्ट हो रहे सूत्रार्थकी व्यवस्था नहीं की जा सकती है । युक्ति और आगमसे विरोध आता है । आप ज्ञानको उपज्ञा कहते हैं, जो त्रिकालत्रिकोकदर्शी सर्वज्ञ देवकी आम्ना-

यसे चले आ रहे सूत्र हैं । वे ही युक्ति और आगमसे विरोध नहीं पढनेके कारण आसोपन्न हैं । अतः प्रतिज्ञाहानि निग्रहस्थानका प्रतिपादक सूत्र और उसका वार्तिक या भाष्यमें किया गया व्याख्यान निर्दोष नहीं है ।

अत्र धर्मकीर्तित्दूषणमुपदर्श्य परिहरन्नाह ।

अत्र यहां बौद्धगुरु धर्मकीर्तिके द्वारा दिये गये दूषणको दिखलाकर श्री विद्यानन्द आचार्य उस दोषका परिहार करते हुये स्पष्ट व्याख्यान करते हैं, सो सुनिये ।

यस्त्वाहेंद्रियकत्वस्य व्यभिचाराद्विनश्वरे ।

शब्दे साध्ये न हेतुत्वं सामान्येनेति सोप्यधीः ॥ १२१ ॥

सिद्धसाधनतस्तेषां संधाहानेश्च भेदतः ।

साधनं व्यभिचारित्वात्तदनंतरतः कुतः ॥ १२२ ॥

सास्त्येव हि प्रतिज्ञानहानिर्दोषः कुतश्चन ।

कस्यचिन्निरग्रहस्थानं तन्मात्रात्तु न युज्यते ॥ १२३ ॥

यहां जो धर्मकीर्ति बौद्ध यों कह रहा है कि शब्दको (में) विनश्वरपना साध्य करनेपर ऐन्द्रिकत्व हेतुका सामान्य पदार्थकरके व्यभिचार हो जानेसे वह ऐन्द्रियकत्व हेतु समीचीन नहीं है । व्यभिचारी हेत्वाभास है । इस प्रकार कह रहा वह धर्मकीर्ति भी बुद्धिमान नहीं है । क्योंकि यों कहनेपर तो उन नैयायिक विद्वानोंके यहां सिद्धसाधन हो जावेगा । अर्थात्—धर्मकीर्तिके ऊपर नैयायिक सिद्धसाधन दोष उठा सकते हैं । प्रतिज्ञाहानि नामक दोषसे भेद होनेके कारण वादीका हेतु किसी भी कारणसे उसके अल्पवृद्धित काष्ठमें व्यभिचारी भी हो जाय तो इसमें नैयायिकोंकी कोई क्षति नहीं है । एतावता वह प्रतिज्ञाहानि दोष तो किसी न किसी कारणसे है ही । किन्तु बात यह है कि केवल उस प्रतिज्ञाहानिसे ही किसी भी वादीका निग्रहस्थान कर देना तो युक्तिपूर्ण नहीं है ।

येषां प्रयोगयोग्यास्ति प्रतिज्ञानुमितीरणे ।

तेषां तद्धानिरप्यस्तु निग्रहो वा प्रसाधने ॥ १२४ ॥

परेण साधिते स्वार्थे नान्यथेति हि निश्चितं ।

स्वपक्षसिद्धिरेवात्र जय इत्याभिधानतः ॥ १२५ ॥

बौद्ध जन जब प्रतिज्ञावाक्यका अनुमानमें प्रयोग करना योग्य नहीं मानते हैं, उनके यहाँ प्रतिज्ञाहानि दोष नहीं सम्भवता है। हाँ, जिनके यहाँ अनुमितिके कथन करनेमें प्रतिज्ञा वाक्य प्रयोग करने योग्य माना गया है, उनके यहाँ उस प्रतिज्ञाकी हानि भी निग्रहस्थान हो जाओ। किन्तु प्रतिवादी अपने पक्षकी सिद्धि करदेना रूप प्रयोजनको प्रकृष्ट रूपसे साधनेपर वादीका निग्रह कर सकता है। जब कि दूसरे प्रतिवादीने स्वकीय सिद्धान्त अर्थकी समीचीन हेतुओं द्वारा साधना कर दी है, तभी प्रतिवादी करके वादीका निग्रह संभव है। अन्यथा नहीं। अर्थात्—प्रतिवादी अपने पक्षको तो नहीं साधे और वादीके ऊपर केवल प्रतिज्ञाहानि उठादे, इतनेसे ही वादीका निग्रह नहीं हो सकता है। यह सिद्धान्त नियमसे निश्चित करकेना चाहिये। क्योंकि स्वकीय पक्षकी सिद्धि कर देनेसे ही यहाँ जयव्यवस्था मानी गयी है। वस्तुतः स्वपक्षकी सिद्धि कर देना ही जय है। यह श्री अकळंक देव आदि महर्षियोंने कथन किया है।

**गम्यमाना प्रतिज्ञा न येषां तेषां च तत्क्षतिः ।**

**गम्यमानैव दोषः स्यादिति सर्वं समंजसम् ॥ १२६ ॥**

और जिन विद्वानोंके यहाँ प्रतिज्ञा गम्यमान मानी गयी है, अर्थात्—शब्दों द्वारा नहीं कही जाकर सामर्थ्यसे या अग्निप्रायसे प्रतिज्ञा समझली जाती है, उन पण्डितोंके यहाँ तो उस प्रतिज्ञाकी कोई क्षति (हानि) नहीं। जब प्रतिज्ञा गम्यमान है तो उस प्रतिज्ञाकी हानि भी अर्थापत्तिसे गम्यमान होती हुई ही दोष होवेगा। इस प्रकार उक्त अकळंक सिद्धान्त स्वीकार करनेपर तो सम्पूर्ण व्यवस्थानीति युक्त बन जाती है। हाँ, नैयायिक और बौद्धोंके विचारानुसार व्यवस्था तो नीतिमार्गसे बहिरभूत है।

न हि वयं प्रतिज्ञाहानिर्दोष एव न भवतीति संगिरामहे अनैकांतिकत्वात् साधन-  
दोषात् पश्चात् तद्भावात् ततो भेदेन प्रसिद्धेः । प्रतिज्ञां प्रयोज्यां सामर्थ्यगम्यां वा वदत-  
स्तद्धानेस्तथैवाभ्युपगमनीयत्वात् सर्वथा तामनिच्छतो वादिन एवासंभवात् केवलमेतस्मा-  
देव निमित्तात् प्रतिज्ञाहानिर्भवति प्रतिपक्षसिद्धिमंतरेण च कस्यचिन्निग्रहाधिकरणमित्येतन्न  
क्षम्यते तत्रव्यवस्थापयितुमशक्तेः ।

आचार्य कहते हैं कि प्रतिज्ञाहानि नामका कोई दोष ही नहीं है, इस प्रकार हम प्रतिज्ञापूर्वक अंगीकार नहीं करते हैं। यदि वादी अपनी अंगीकृत प्रतिज्ञाकी हानिकी कर देता है, यह उसकी बड़ी त्रुटी है। वादीके हेतुका दोष अनैकांतिक हो जानेसे पाँछे उस प्रतिज्ञाहानिका सद्भाव हो रहा है। अतः उस प्रतिज्ञाहानिकी उस व्यवहार दोषसे भिन्नपनकरके प्रसिद्ध है। जो विद्वान् शब्दों द्वारा प्रयोग करने योग्य तथ्यमान अथवा शब्दोंसे नहीं कहकर अर्थापत्ति द्वारा सामर्थ्यसे गम्य-

मान कथन कर रहे हैं, उनके यहां उस प्रतिज्ञाकी हानि भी तिस ही प्रकार उच्यमान या गम्यमान स्वीकार कर लेनी चाहिये। सभी प्रकारोंसे उस प्रतिज्ञाको नहीं चाहनेवाले वादीका तो जगत्में असम्भव ही है। अब हमको यहां केवल इतना ही कहना है कि केवल इतने छोटे निमित्तसे ही प्रतिज्ञाहानि होती है, और प्रतिवादी द्वारा प्रतिपक्षकी सिद्धि किये बिना ही चाहे जिस किसी भी वादीको निग्रहस्थान प्राप्त हो जाय, इस व्यवस्थाको हम जैन नहीं सह सकते हैं। ऐसा अन्धेर नगरीका न्याय हमको अभीष्ट नहीं है। क्योंकि ऐसे पोले या पक्षपातप्रस्त नियमोंसे तत्वोंकी व्यवस्था नहीं करायी जा सकती है। यह पक्की बात है, उसको गाठमें बाध लो।

**प्रतिज्ञान्तरमिदानीमनुवदति ।**

नैयायिकों द्वारा माने गये दूसरे प्रतिज्ञान्तर निग्रहस्थानका श्री विद्यानन्द आचार्य इस समय अनुवाद करते हैं।

**प्रतिषेधे प्रतिज्ञातार्थस्य धर्मविकल्पतः ।**

**योसौ तदर्थनिर्देशस्तत्प्रतिज्ञान्तरं किल ॥ १२७ ॥**

गौतम सूत्रके अनुसार दूसरे निग्रहस्थानका लक्षण यों है कि प्रतिज्ञा किये जा चुके अर्थका निषेध करनेपर धर्मके विकल्पसे जो वह साध्यसिद्धिके लिये उसके अर्थका निर्देश करना है, वह प्रतिज्ञा-न्तर नामक निग्रहस्थान सम्भवता है।

**प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेधे धर्मविकल्पाच्चदर्थनिर्देशः प्रतिज्ञान्तरं तल्लक्षणद्वयमनेनोक्तमिदं व्याचष्टे ।**

वादी द्वारा प्रतिज्ञात हो चुके अर्थका प्रतिवादी द्वारा प्रतिषेध करनेपर वादी उस दूषणकी उद्धार करमेकी इच्छासे धर्मका यानी धर्मान्तरका विशिष्ट कल्प करके उस प्रतिज्ञात अर्थका अन्य विशेषणसे विशिष्टपने करके कथन कर देता है, यह प्रतिज्ञान्तर है। इस कथन करके गौतम ऋषि द्वारा किये गये उस प्रतिज्ञा-न्तरके लक्षणसूत्रका कथन हो चुका है। इसीका श्री विद्यानन्द आचार्य व्याख्यान करते हैं।

**घटोऽसर्वगतो यद्वत्तथा शङ्कोप्यसर्वगः ।**

**तद्वदेवास्तु नित्योयमिति धर्मविकल्पनात् ॥ १२८ ॥**

**सामान्येन्द्रियत्वस्य सर्वगतत्वोपदर्शितं ।**

**व्यभिचारेपि पूर्वस्याः प्रतिज्ञायाः प्रसिद्धये ॥ १२९ ॥**

शब्दोऽसर्वगतस्तावदिति सन्धांतरं कृतम् ।

तच्च तत्साधनाशक्तमिति भाष्ये न निग्रहः ॥ १३० ॥

शब्द अनित्य है ऐन्द्रियिक होनेसे घटके समान, इस प्रकार वादीके कहनेपर प्रतिवादीद्वारा अनित्यपनेका निषेध किया गया। ऐसी दशामें वादी कहता है कि जिस प्रकार घट असर्वगत है, उसी प्रकार शब्द भी अव्यापक हो जाओ और उस ऐन्द्रियिक सामान्यके समान यह शब्द भी नित्य हो जाओ। इस प्रकार धर्मकी विकल्पना करनेसे ऐन्द्रियिकत्व हेतुका सामान्य नामको धारनेवाली जाति करके व्यभिचार हो जानेपर भी वादीद्वारा अपनी पूर्वकी प्रतिज्ञाकी प्रसिद्धिके लिये शब्दके सर्वव्यापकपना विकल्प दिखलाया गया कि तच्च तो शब्द असर्वगत हो जाओ। इस प्रकार वादीने दूसरी प्रतिज्ञा की। किन्तु वह दूसरी प्रतिज्ञा तो उस अपने प्रकृत पक्षको साधनेमें समर्थ नहीं है। इस प्रकार माध्यमन्यमें वादीका निग्रह होना माना जाता है। किन्तु यह प्रशस्त मार्ग नहीं है। भावार्थ—दृष्टान्त—घट और प्रतिदृष्टान्त सामान्यके सधर्माणनका योग होनेपर धर्ममैदसे यों विकल्प उठाया जाता है कि इन्द्रियोसे प्राद्य सामान्य सर्वव्यापक है, और इन्द्रियोसे प्राद्य घट अल्पदेशी है। ऐसे धर्मविकल्पसे अपनी साध्यकी सिद्धिके लिये वादी दूसरी प्रतिज्ञा कर बैठता है कि यदि घट असर्वगत है, तो शब्द भी घटके समान अव्यापक हो जाओ। इस प्रकार वादीका निग्रह प्रयत्न उसका निग्रहस्थान करा देता है। आचार्य महाराज आगे चक्कर इसका निषेध दूसरे ढंगसे करेंगे।

अनित्यः शब्दः ऐन्द्रियकत्वाद्घटवदित्येकः सामान्यमैन्द्रियकं नित्यं कस्मान्न तथा शब्द इति द्वितीयः। साधनस्थानैकांतिकत्वं सामान्येनोद्भावयति तेन प्रतिज्ञातार्थस्य प्रतिषेधे सति तं दोषमनुद्धरन् धर्मविकल्पं करोति, सोयं शब्दोऽसर्वगतो घटवदाहोस्वित्सर्वगतः सामान्यवदिति ? यद्यसर्वगतो घटवत्तदा तद्देवानित्योस्त्विति श्रूते । सोयं सर्वगतत्वासर्वगतत्वधर्मविकल्पाच्चदर्शननिर्देशः प्रतिज्ञांतरं अनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञातोऽसर्वगतो अनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञाया अन्वत्वात् । तदिदं निग्रहस्थानं साधनसामर्थ्यापरिज्ञानाद्वादिनः । न चोत्तरप्रतिज्ञापूर्वप्रतिज्ञां साधयत्यतिप्रसंगात् इति परस्याकृतं ।

शब्द ( पक्ष ) अनित्य है ( साध्य ) बहिरंग इन्द्रियोद्वारा प्राद्य होनेसे ( हेतु ) घटके समान ( अन्वय दृष्टान्त ) इस प्रकार कोई एक वादी कह रहा है। तथा इन्द्रियजन्य ज्ञानोंसे ग्रहण करने योग्य सामान्य यदि नित्य है तो क्यों नहीं शब्द भी तिस ही प्रकार नित्य हो जावे, इस प्रकार दूसरा प्रतिवादी कह रहा है। वह वादीके ऐन्द्रियिकत्व हेतुका सामान्य करके व्यभिचार दोष हो जानेको उठा रहा है। ऐसी दशामें वादीके प्रतिज्ञात अर्थका उस प्रतिवादीद्वारा निषेध हो जाने पर वादी उस व्यभिचार दोषका तो उद्धार नहीं करता है। किन्तु एक न्यारे धर्मके विकल्पको कर



देता है कि जो यह प्रसिद्ध शब्द क्या घटके समान अव्यापक है ? अथवा क्या सामान्य पदार्थके समान सर्वव्यापक है ? इसका तुम प्रतिवादी उत्तर दो । यदि घटके समान शब्द असर्वगत है, तब तो उस घटके समान ही वह शब्द अनित्य हो जाओ, इस प्रकार वादी कह रहा है । आचार्य कहते हैं अथवा भाष्यकार कहते हैं कि सो यह वादी शब्दके व्यापकपन और अव्यापकपन धर्मोंके विकल्पसे उस प्रतिज्ञात अर्थका कथन करता है । यह कथन वादीका दूसरी प्रतिज्ञा करना हुआ । क्योंकि शब्द अनित्य है, इस प्रतिज्ञासे अव्यापक अनित्य शब्द है, इस प्रतिज्ञाका भेद है । तिस कारण यह वादीका निप्रहस्यान है । क्योंकि वादीको अपने प्रयुक्त हेतुकी सामर्थ्यका परिज्ञान नहीं है । उत्तरकाळमें की गयी दूसरी प्रतिज्ञा तो पहिली प्रतिज्ञाको नहीं साध देती है । यदि ऐसा होने लगे तो अतिप्रसंग हो जायगा । अर्थात्—चाहे जो मित्र प्रतिज्ञा चाहे जिस साध्यको साध देवेगी और यों शब्दके अनित्यपनकी प्रतिज्ञा पर्वतमें अग्निको भी साध देवे । अतः सिद्ध होता है कि प्रतिज्ञान्तर करना वादीका निप्रहस्यान है । इस प्रकार दूसरे नैयायिक विद्वानोंकी अपने सिद्धान्त अनुसार चेष्टा हो रही है ।

अत्र धर्मकीर्तिः दूषणमुपदर्शयति ।

यहां प्रतिज्ञान्तरमें धर्मकीर्तिके द्वाग दिये गये दूषणको श्री विद्यानन्द आचार्य निम्नलिखित वार्तिकों द्वारा दिखवाते हैं ।

नात्रेदं युज्यते पूर्वप्रतिज्ञायाः प्रसाधने ।

प्रयुक्तायाः परस्यास्तद्भावहानेन हेतुवत् ॥ १३१ ॥

तदसर्वगतत्वेन प्रयुक्तादेन्द्रियत्वतः ।

शब्दानित्यत्वमाहायमिति हेत्वंतरं भवेत् ॥ १३२ ॥

न प्रतिज्ञांतरं तस्य क्वचिदप्यप्रयोगतः ।

प्रज्ञावतां जडानां तु नाधिकारो विचारणे ॥ १३३ ॥

विरुद्धादिप्रयोगस्तु प्राज्ञानामपि संभवात् ।

कुतश्चिद्विभ्रमात्तत्रेत्याहुरन्ये तदप्यसत् ॥ १३४ ॥

धर्मकीर्ति बौद्ध कहते हैं कि यहां प्रतिज्ञान्तर निप्रहस्यानमें यह नैयायिकोंका कथन करना युक्त नहीं पड़ता है । क्योंकि पहिली प्रतिज्ञाके द्वारा अज्ञा साध्य साधन करनेपर पुनः प्रयुक्त की गयी उत्तरवार्तिनी दूसरी प्रतिज्ञाको उस प्रतिज्ञापनेकी हानि हो जाती है, जैसे कि विरुद्ध

दूसरे हेतुके प्रयुक्त किये जानेपर पूर्वके हेतुको हेतुपनेकी हानि हो जाती है। हाँ, बौद्ध अनुमानमें प्रतिज्ञाका प्रयोग करना आवश्यक नहीं मानते हैं। यह वादी अपने प्रयुक्त किये गये इन्द्रियज्ञान-प्राप्त्य हेतुसे उस असर्वगतपने करके शब्दके अनित्यत्वपनेको कहता है। इस प्रकार कहनेसे तो हेतुन्तर यानी दूसरा हेतु हो जायगा, प्रतिज्ञान्तर तो नहीं हुआ। क्योंकि विचारशालिनी प्रज्ञाको धारने-वाके विद्वानोंके यहां प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञान्तरका कहीं भी प्रयोग करना नहीं देखा जाता है। जो अर्थापत्ति या सामर्थ्यसे प्रतिज्ञावाक्यको नहीं समझ सकते हैं, उन जड बुद्धियोंका तो तत्त्वोंके विचार करनेमें अधिकार नहीं है। हाँ, विरुद्ध, व्यभिचार, आदि हेतुमासोंका प्रयोग करना तो विशिष्ट विद्वानोंके यहां भी किसी एक विधर्मके हो जानेसे वहां सम्भव जाता है। इस प्रकार कोई अन्य बौद्ध कह रहे हैं। अब आचार्य कहते हैं कि उन बौद्धोंका वह कहना भी प्रशंसनीय नहीं है कारण कि:—

प्रतिज्ञातार्थसिद्ध्यर्थं प्रतिज्ञायाः समीक्षणात् ।

भ्रातैः प्रयुज्यमानायाः विचारे सिद्धहेतुवत् ॥ १३५ ॥

प्राज्ञोपि विभ्रमाद्ब्रूयाद्वादेऽसिद्धादिसाधनम् ।

स्वपक्षसिद्धिर्येन स्यात्सत्त्वमित्यतिदुर्घटम् ॥ १३६ ॥

भ्रान्त पुरुषोंकरके प्रतिज्ञा किये गये पदार्थका सिद्धिके लिये विचारकोटिमें मुख द्वारा प्रयुक्त की गयी अन्य प्रतिज्ञा भी बोली जा रही देखी जाती है। जैसे कि पूर्वहेतुकी सिद्धिके लिये दूसरा सिद्धहेतु कह दिया जाता है। बुद्धिमान् पुरुष भी कदाचित् विभ्रम हो जानेसे वादमें असिद्ध, विरुद्ध, आदि हेतुको कह बैठेगा। किन्तु जिस हेतु करके स्वपक्षकी सिद्धि होगी, उस हेतुका प्रशस्तपना निर्णीत किया जावेगा। इस कारण बौद्धोंका कहना कथमपि घटित नहीं हो पाता है, अत्यन्त दुर्घट है।

ततो प्रतिपत्तिवत्प्रतिज्ञांतरं कस्यचित्साधनसामर्थ्यापरिज्ञानात् प्रतिज्ञाहानिवत् ।

तिस कारण किसी एक वादीको साधनकी सामर्थ्यका परिज्ञान नहीं होनेसे प्रतिज्ञाहानिके समान प्रतिज्ञान्तर नामक निग्रहस्थानकी प्रतिपत्ति नहीं हो पाती है। अप्रतिपत्तिका अर्थ आरम्भ करने योग्य कार्यको अज्ञानप्रयुक्त नहीं करना या पक्षको स्वीकार कर उसकी स्थापना नहीं करना अथवा दूसरे सम्मुखस्थित विद्वान्के द्वारा स्थापित किये गये पक्षका प्रतिषेध नहीं करना और प्रतिषेध किये जा चुके स्वपक्षका पुनः उद्धार नहीं करना, इतना है। “अविज्ञातार्थ” या अज्ञान-निग्रहस्थानस्वरूप अप्रतिपत्तिका अर्थ कर पुनः उपमानमें वति प्रत्यय करना तो क्लिष्ट कल्पना है।

आगे प्रतिज्ञादानिवत् पडा ही हुआ है । बात यह है कि बौद्धोंके अनुसार प्रतिज्ञान्तरके निषेधकी व्यवस्था युक्त नहीं है ।

तर्हि कथमिदमयुक्तमित्वाह ।

किसीका प्रश्न है कि तो आप आचार्य महाराज ही बताओ, यह प्रतिज्ञान्तर किस प्रकार अयुक्त है ! ऐसी विनीत शिष्यकी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं ।

ततोनेनैव मार्गेण प्रतिज्ञान्तरसंभवः ।

इत्येतदेव निर्युक्तिस्ताद्धि नानानिमित्तकं ॥ १३७ ॥

प्रतिज्ञाहानितश्चास्य भेदः कथमुपेयते ।

पक्षत्यागविशेषेपि योगैरिति च विस्मयः ॥ १३८ ॥

तिस कारणसे नैयायिकोंने जो मार्ग बताया है, उस ही मार्ग करके प्रतिज्ञान्तर नामका निप्रहस्यान सम्भवता है, इस प्रकार ही यह आपट्ट करना तो युक्तिरहित है । क्योंकि वह प्रतिज्ञान्तर अन्य अनेक निमित्तोंसे भी सम्भव जाता है । हम जैन नैयायिकोंसे पूछते हैं कि आप इस प्रतिज्ञान्तर का-प्रतिज्ञाहानि निप्रहस्यानसे भिन्नपना कैसे स्वीकार करते हैं ? बताओ । जब कि पक्षस्वरूप प्रतिज्ञाका त्याग प्रतिज्ञाहानिमें है और प्रतिज्ञान्तरमें भी कोई अन्तर नहीं है, तो फिर नैयायिकोंकरके प्रतिज्ञान्तर न्यारा निप्रहस्यान मान लिया गया है । इस बातपर हमको बड़ा आश्चर्य आता है ।

प्रतिदृष्टान्तधर्मस्य स्वदृष्टान्तेभ्यनुज्ञया ।

यथा पक्षपरित्यागस्तथा संधांतरादपि ॥ १३९ ॥

स्वपक्षासिद्धये यद्वत्संधांतरमुदाहृतं ।

भ्रांत्या तद्वच्च शब्दोपि नित्योस्त्विति न किं पुनः ॥ १४० ॥

शब्दानित्यत्वसिद्धयर्थं नित्यः शब्द इतीरणं ।

स्वस्थस्य व्याहृतं यद्वत्तथाऽसर्वगशब्दवाक् ॥ १४१ ॥

नैयायिकोंके यहां जिस प्रकार प्रतिकूळ दृष्टान्तके धर्मकी स्वकीय दृष्टान्तमें अनुमति दे देनेसे वादीके पक्षका परिणाम ( प्रतिज्ञाहानि ) हो जाता है, उसी प्रकार प्रतिज्ञान्तरसे भी वादीके पक्षका परिणाम हो जाता है । तथा जिस ही प्रकार वादीने अपने पक्षकी सिद्धिके लिये प्रपके

वश होकर प्रतिज्ञान्तरका कथन कर दिया है, उस ही के समान-वादीने प्रतिज्ञाहानिके अवसर पर शब्द भी नित्य हो जाओ ऐसा कह दिया है। अतः प्रतिज्ञान्तरको प्रतिज्ञाहानि ही फिर क्यों नहीं मानलिया जाय ? तिसरी बात यह है कि शब्दके अनित्यपनकी सिद्धिके लिये स्वस्थ ( विचारशील अपने होशमें विराज रहे ) वादीका जिस प्रकार शब्द नित्य हो जाओ, यह प्रतिज्ञाहानिके अवसर पर कथन करना व्याघात युक्त है, उसी प्रकार प्रतिज्ञान्तरके समय स्वस्थवादीका शब्दके असर्वगतपनेकी दूसरी प्रतिज्ञाका कथन करना भी व्याघातदोषसे युक्त है। अर्थात्—विचारशील विद्वान् वादी न प्रतिज्ञाहानि करता है, और न प्रतिज्ञान्तर करता है। स्थूलशुद्धिवाले अस्वस्थ वादियोंकी बात न्यायी है। सङ्गतिपूर्वक कहनेवाला पण्डित पूर्वापर विरुद्ध या असंगत बातोंको कह कर बदतोव्याघात दोषसे युक्त हो जाय यह अलौकिक है।

ततः प्रतिज्ञाहानिरेव प्रतिज्ञान्तरं निमित्तभेदात्तद्भेदे निग्रहस्थानांतराणां प्रसंगात् ।  
तेषां तत्रांतर्भावे प्रतिज्ञान्तरस्येति प्रतिज्ञाहानावन्तर्भावस्य निवारयितुमशक्तेः ।

आचार्य कहते हैं कि तिस कारणसे सिद्ध हुआ कि थोड़ेसे निमित्तके भेदसे प्रतिज्ञाहानि ही तो प्रतिज्ञान्तर निग्रहस्थान हुआ। प्रतिज्ञान्तरकी न्याया निग्रहस्थान नहीं मानना चाहिये। यदि उन निमित्तोंका स्वरूपभेद हो जानेपर न्यारे न्यारे निग्रहस्थान माने जावेंगे, तब तो बाईस या चौबीस निग्रहस्थानोंसे न्यारे अनेक अनिष्ट निग्रहस्थानोंके हो जानेका प्रसंग हो जावेगा। उन अतिरिक्त निग्रहस्थानोंका यदि उन परिसंख्यात निग्रहस्थानोंमें ही अन्तर्भाव किया जायगा, तब तो प्रतिज्ञान्तर निग्रहस्थानका इस प्रकार प्रतिज्ञाहानिमें अन्तर्भाव हो जानेका निवारण नहीं किया जा सकता है। अतः नैयायिकोंके प्रतिज्ञान्तर निग्रहस्थानका स्वीकार करना हम समुचित नहीं समझते हैं।

प्रतिज्ञाविरोधमनूय विचारयन्नाह ।

अब श्री विद्यानन्द आचार्य प्रतिज्ञाविरोध नामक तीसरे निग्रहस्थानका अनुवाद कर विचार चलाते हुये कहते हैं।

प्रतिज्ञाया विरोधो यो हेतुना संप्रतीयते ।

स प्रतिज्ञाविरोधः स्यादित्येतच्च न युक्तिमत् ॥ १४२ ॥

प्रयुक्त किये गये हेतुके साथ प्रतिज्ञावाक्यका जो विरोध अच्छा प्रतीत हो रहा है, वह प्रतिज्ञाविरोध नामका तीसरा निग्रहस्थान होगा। किन्तु यह नैयायिकोंका कथन युक्तिसहित नहीं है।

“ प्रतिज्ञाहेत्वोर्विरोधः प्रतिज्ञाविरोधः ” इति सूत्रं । यत्र प्रतिज्ञा हेतुना विरुध्यते हेतुश्च प्रतिज्ञायाः स प्रतिज्ञाविरोधो नाम निग्रहस्थानं, यथा गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं भेदेनाग्रहणादिति न्यायवार्तिकं । तच्च न युक्तिमत् ।

प्रतिज्ञावाक्य और हेतुवाक्यका विरोध हो जाना प्रतिज्ञाविरोध है। इस प्रकार गौतम ऋषिका बनाया हुआ न्यायदर्शनका सूत्र है। जहाँ हेतुकरके प्रतिज्ञाका विरोध हो जाय और प्रतिज्ञासे हेतु विरुद्ध पड जाय वहाँ प्रतिज्ञाविरोध नामका निग्रहस्थान है। जैसे कि द्रव्य ( पक्ष ) गुणोंसे भिन्न है ( साध्य ), क्योंकि भिन्नपनेसे ग्रहण नहीं होता है ( हेतु )। अर्थात्—द्रव्यसे गुण भिन्न पने करके नहीं दीखता है। इस प्रकार न्यायवार्तिक ग्रन्थ है। यहाँ द्रव्यसे गुण भिन्न है, इस प्रतिज्ञाका गुण और द्रव्यका भिन्न भिन्न ग्रहण नहीं होना इस हेतुके साथ परस्परमें विरोध है। अतः वादीको “ प्रतिज्ञाविरोध ” निग्रहस्थान प्राप्त हुआ। किन्तु यह न्यायवार्तिकका कथन युक्तियोंसे सहित नहीं है।

प्रतिज्ञायाः प्रतिज्ञात्वे हेतुना हि निराकृते ।

प्रतिज्ञाहानिरेवेयं प्रकारान्तरतो भवेत् ॥ १४३ ॥

आचार्य कहते हैं कि अब विरुद्ध हेतुकरके प्रतिज्ञाका प्रतिज्ञापन निराकृत हो चुका है, तो यह एक दूसरे प्रकारसे प्रतिज्ञाहानि ही हो जायेगी। न्याय निग्रहस्थान नहीं ठहरा।

द्रव्यं भिन्नं गुणात्स्वस्मादिति पक्षेभिभाषिते ।

रूपाद्यर्थांतरत्वेनानुपलब्धेरितीर्यते ॥ १४४ ॥

येन हेतुर्हस्तस्तेनासदेहं भेदसंगरः ।

तदभेदस्य निर्णीतेस्तत्र तेनेति बुध्यताम् ॥ १४५ ॥

भाष्यकार कहते हैं कि यदि गुणव्यतिरिक्त द्रव्यं रूपादिभ्योऽर्थान्तरस्यानुपलब्धिर्नोपपद्यते, अथ रूपादिभ्योऽर्थान्तरस्यानुपलब्धिः। गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यमिति नोपपद्यते, गुणव्यतिरिक्तञ्च द्रव्यं रूपादिभ्यश्चार्थान्तरस्यानुपलब्धिरिति विरुध्यते व्याङ्ग्यते न सम्भवतीति ”। द्रव्य ( पक्ष ) अपने गुणोंसे भिन्न है ( साध्य ), क्योंकि रूप, रस, आदि गुणोंसे भिन्न अर्थपने करके द्रव्यकी उपलब्धि नहीं हो रही है। इस प्रकार वादीद्वारा पक्षका कथन कर चुकनेपर यों कहा जाता है कि यदि हेतुकी रक्षा करते हो तो गुणभेदस्वरूप साध्यकी रक्षा नहीं बन सकती है। और यदि साध्यकी रक्षा करते हो तो रूपादिकसे भिन्नकी अनुपलब्धि होना यह हेतु नष्ट हुआ जाता है। जिस कारण से कि हेतु व्यवस्थित है, उससे भेद सिद्ध करनेकी प्रतिज्ञा निरस्तदेह नष्ट हो जाती है। क्योंकि वहाँ उस हेतुकरके द्रव्यके साथ उन गुणोंके अभेदका निर्णय हो रहा है, यह समझ लेना चाहिये।

हेतोर्विरुद्धता वा स्याद्दोषोयं सर्वसंमतः ।

प्रतिज्ञादोषता त्वस्य नान्यथा व्यवतिष्ठते ॥ १४६ ॥

अथवा यह हेतुका विरुद्धता नामक दोष है, जो कि सभी वादियोंके यहां मले प्रकार मान लिया गया है। आप नैयायिकोंके यहां भी विरुद्धहेत्वामास माना गया है। इस प्रतिज्ञाविरोधको अन्य प्रकारसे प्रतिज्ञासम्बन्धी दोषपना तो नहीं व्यवस्थित होता है। अर्थात्—यह हेतुका विरुद्ध नामक दोष है। प्रतिज्ञाका दोष नहीं है। हेत्वामासोंकी निग्रहस्थानोंमें गणना करना वल्लस है। फिर “ प्रतिज्ञाविरोध ” नामका तीसरा निग्रहस्थान व्यर्थ क्यों माना जा रहा है ?

यदपि उद्योतकरेणाभ्यधायि एतेनैव प्रतिज्ञाविरोधोऽप्युक्तः, यत्र प्रतिज्ञा स्ववचनेन विरुध्यते यथा “ श्रमणा गर्भिणी ” नास्त्यात्मेति वाक्यांतरोपप्लवादिति, तदपि न युक्तमित्याह ।

जो भी वहाँ उद्योतकर पण्डितने यह कहा था कि इस उक्त कथन करके ही प्रतिज्ञाविरोध नामक निग्रहस्थान भी कहा जा चुका है। जहाँ अपने वचन करके ही अपनी प्रतिज्ञा विरुद्ध हो जाती है। जैसे कि “ तपस्विनी या दीक्षिता स्त्री गर्भवती है ” “ अपना आत्मा नहीं है। ” “ मैं चिल्लाकर कह रहा हूँ कि मैं चुप हूँ ” इत्यादिक प्रयोग स्वकीय वचनोंसे ही विरुद्ध पड जाते हैं। जो तपस्विनी है, वह पुरुष संयोग कर गर्भ धारण नहीं कर सकती है और जो गर्भधारणा कर रही है, वह तपस्विनी नहीं है। गर्भधारणके पश्चात् वैराग्य हो जाय तो भी उस स्त्रीको बाळक प्रसव और शुद्धि होनेके पीछे ही दीक्षा दी जा सकती है। तपस्या करती हुयी श्रष्ट होकर यदि गर्भिणी हो जायगी तब तो उसकी तपस्या अवस्था ही नष्ट होगई समझी जायगी। यों प्रतिज्ञाविरोधके लक्षणमें जहाँ प्रतिज्ञा स्ववचनसे विरुद्ध हो जाय वहाँ इतना अन्य वाक्यका उपस्कार करलेना चाहिये। यद्वातक उद्योतकर कह चुके। अब आचार्य कहते हैं कि वह कहना भी उद्योतकरका युक्तिसहित नहीं है। इस बातको श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिक द्वारा स्पष्ट कहते हैं।

**प्रतिज्ञा च स्वयं यत्र विरोधमधिगच्छति ।**

**नास्त्यात्मेत्यादिवत्तत्र प्रतिज्ञाविधिरेव न ॥ १४७ ॥**

जिस प्रकरणमें अपने वचनकरके ही धर्म और धर्माका समुदाय वचनस्वरूप प्रतिज्ञा स्वयं विरोधको प्राप्त हो जाती है जैसे कि कोई जीव यों कह रहा है कि आत्मा नहीं है, अथवा एक पुरुष यों कहता है कि मेरी माता बन्ध्या है, या कोई पुत्र यों फरे कि मैं किसी भी माँ, बापका अपत्य नहीं हूँ इत्यादिक प्रतिज्ञायें स्वयं विरोधको प्राप्त हो रही हैं। उन प्रकरणोंमें सच पूछो तो प्रतिज्ञाकी विधि ही नहीं हुई है। अर्थात्—स्ववचनोंसे बाधित हो रहे प्रतिज्ञा वाक्यके स्पन्दपर वादी स्वयं अपनी प्रतिज्ञाकी हानि कर बैठता है।

तद्विरोधोद्भावनेन त्यागस्यावश्यंभावित्वात् । स्वयमत्यागान्नेयं प्रतिज्ञाहानिरिति चेत् न, तद्विरुद्धत्वप्रतिषेधेरेव न्यायवलाचर्यागरूपत्वात् । यत्किंचिदवदतोपि प्रतिज्ञाकृत्सिद्धेर्वदतोपि दोषत्वेनैव तस्यागस्य व्यञ्जस्थितेः ।

कारण कि प्रतिवादीके द्वारा उस वादीकी प्रतिज्ञामें विरोध दोष उठा देनेसे वादीकी प्रतिज्ञाका त्याग अवश्य ही हो जावेगा । अतः प्रतिज्ञाविरोध नामक निग्रहस्थान तो प्रतिज्ञाहानि निग्रहस्थान ही ठहरा । यदि यहां कोई यों कहे कि प्रतिवादीके द्वारा विरोध दोष उठा देनेपर वादीने स्वयं कंठोक्त तो अपनी प्रतिज्ञाकी हानि नहीं की है । हां, वादी स्वयं प्रतिज्ञाका त्याग कर देता तब तो प्रतिज्ञाहानिमें प्रतिज्ञाविरोधका अन्तर्भाव हो जाता, अन्यथा नहीं । अतः यह प्रतिज्ञाहानि नहीं है । अब आचार्य महाराज कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि प्रतिवादी करके विरोध दोष उठानेपर वादीको उस स्वकीय प्रतिज्ञा वाक्यके विरुद्धपनेका मनमें निर्णय हो जाना ही तो न्यायमार्गकी सामर्थ्यसे प्रतिज्ञाका त्याग करदेना स्वरूप है । स्ववचनविरुद्ध वाक्यको वादीने कहा, प्रतिवादीने विरोध उठाया, ऐसी दशामें वादी यदि कुछ भी नहीं कहकर चुप बैठ गया है, अपनी प्रतिज्ञाका विरोध स्वमुखसे स्वीकार नहीं करता है तो भी उस वादीकी प्रतिज्ञाका छेद हो जाना सिद्ध हो जाता है ( कृती छेदने ) । हा, यदि वादी जो कुछ भी अण्ट सण्ट पुनः बक रहा है तब भी वादीके कथनका दोषसहितपना हो जाने करके ही उस प्रतिज्ञाके त्यागकी व्यवस्था करदी जाती है । अतः कथंचित् अस्वीयान् अन्तरके होनेपर भी प्रतिज्ञाहानिसे प्रतिज्ञाविरोधको न्यारा निग्रहस्थान मानना समुचित प्रतीत नहीं होता है ।

“ यदपि तेनोक्तं हेतुविरोधोपि प्रतिज्ञाविरोध एव एतेनोक्तो यत्र हेतुः प्रतिज्ञया बाध्यते यथा सर्वं पृथक् समूहे भावशब्दप्रयोगादिति, तदपि न साधीय इत्याह ।

तथा उस उच्योतकर पण्डितजीने यह भी कहा था कि इस पूर्वोक्त कथन करके हेतुका विरोध होना भी प्रतिज्ञाविरोध नामक निग्रहस्थान ही कह दिया गया समझ लेना, अर्थात्—हेतुविरोधको न्यारा निग्रहस्थान नहीं मानकर प्रतिज्ञाविरोधमें ही उसका अन्तर्भाव कर लेना चाहिये । जिस प्रकरणमें प्रतिज्ञा वाक्य करके हेतुवाक्य बाधित हो जाता है, जैसे कि सम्पूर्ण पदार्थ (पक्ष) पृथक् पृथक् हैं (साध्य), समुदायमें भाव या पदार्थशब्दका प्रयोग होनेसे ( हेतु ) इस अनुमानमें पृथग्भावको साध रही प्रतिज्ञाकरके भाव शब्द द्वारा समुदायका कथन करानारूप हेतु विरुद्ध पडता है । अर्थात्—पदार्थका अमिश्रण साधलेनेपर पुनः उनका मिश्रण कथन करना विरुद्ध है । यह भी एक ढंगसे वादीका प्रतिज्ञाविरोध नामक निग्रहस्थान हुआ ठहरा । माता, पिताके, पाप जैसे कुछ सन्तानको मुगतने पढते हैं, वैसे हेतुके दोष भी प्रतिज्ञापर आ गिरते हैं । अब श्री विद्यानन्द आचार्य कहते हैं कि उच्योतकरका वह कहाना भी बहुत अच्छा नहीं है । इस बातका ग्रन्थकार धार्मिक द्वारा स्पष्ट निरूपण करते हैं सो सुनिये ।

हेतुः प्रतिज्ञया यत्र बाध्यते हेतुदुष्टता ।

तत्र सिद्धान्यथा संधाविरोधोतिप्रसज्यते ॥ १४८ ॥

हेतु जहाँ प्रतिज्ञा करके बाधित कर दिया जाता है, वहाँ हेतुका दुष्टपना सिद्ध है। भला प्रतिज्ञा तो दूषित नहीं हो सकती है। निर्दोषको व्यर्थमें दोष लगाना सर्वथा अन्याय है। अन्याया चाहे जिसके दोषको चाहे जिस किसीके माथे यदि मूढ दिया जायगा तो प्रतिज्ञाविरोधका भी अतिप्रसंग हो जायगा। अर्थात्— प्रतिज्ञाविरोधको भी हेतुविरोधमें गर्भित कर सकते हैं। या दृष्टान्त, उपनय, निगमनके, विरोधदोष भी निर्दोष प्रतिज्ञापर चढ़ बैठेंगे। यों तो प्रतिज्ञाविरोधका क्षेत्र बहुत बढ जायगा। कई निग्रहस्थान इसीमें समा जायेंगे।

सर्वं पृथक्समुदाये भावशङ्कप्रयोगतः ।

इत्यत्र सिद्धया भेदसंधया यदि बाध्यते ॥ १४९ ॥

हेतुस्तत्र प्रसिद्धेन हेतुना सापि बाध्यता ।

प्रतिज्ञावत्परस्यापि हेतुसिद्धेरभेदतः ॥ १५० ॥

भावशङ्कः समूहं हि यस्यैकं वक्ति वास्तवं ।

तस्य सर्वं पृथक्त्वमिति संधाभिहन्यते ॥ १५१ ॥

सम्पूर्ण पदार्थ न्यारे न्यारे हैं, ( प्रतिज्ञा )। क्योंकि समुदायमें भाव शङ्का प्रयोग होता है। इस प्रकार इस अनुमानमें प्रसिद्ध हो रही भेदसिद्धिका प्रतिज्ञाकरके यदि समुदायमें भाव शङ्का बोला जाना यह हेतु बाधित कर दिया जाता है, तो प्रमाणोंसे सिद्ध हो रहे हेतुकरके वह प्रतिज्ञा भी बाधित कर दी जाओ। क्योंकि पदार्थोंको भिन्न भिन्न साध रही प्रतिज्ञाकी सिद्धि जैसे नैयायिकोंके यहां प्रमाणसे हो रही है, उसीके समान दूसरे अद्वैतवादियोंके यहां अथवा परसंप्रद्वनयकी अपेक्षा जैनोंके यहां भी पदार्थोंके समुदायरूप हेतुकी प्रमाणोंसे सिद्धि हो रही है। कोई भेद ( विशेषता ) नहीं है। अथवा समुदायको साधनेपर पदार्थोंके पृथग्भाव इस हेतुकरके समुदायको साधनेवाली प्रतिज्ञाका विरोध हो जाता है। एक बात यह भी है, जैनद्वी नीतिके अनुसार कथंचित् शब्द लगा देनेसे पृथग्भाव करके समुदायका कोई विरोध नहीं पडता है। यह अतिप्रसंग हुआ। अतः उद्योतकरका कहना प्रशस्त नहीं है। जिस अद्वैतवादीके यहां भावशब्द या सत् शब्द वस्तुभूत एक समुदायको कह रहा है, उसके यहां सम्पूर्ण तत्त्व पृथक् पृथक् हैं। इस प्रकारकी प्रतिज्ञा चारों ओरसे नष्ट हो जाती है। अतः प्रसिद्ध हेतुकरके प्रतिज्ञाका बाधा प्राप्त हो जाना भी प्रतीतिसिद्ध है।



विरुद्धसाधनाद्वायं विरुद्धो हेतुरागतः ।

समूहावास्तवे हेतुदोषो नैकोपि पूर्वकः ॥ १५२ ॥

सर्वथा भेदिनो नानार्थेषु शब्दप्रयोगतः ।

प्रकल्पितसमूहेष्वित्येवं हेत्वर्थनिश्चयात् ॥ १५३ ॥

तथा सति विरोधोयं तद्धेतोः संधया स्थितः ।

संधाहानिस्तु सिद्धेयं हेतुना तत्प्रवाधानात् ॥ १५४ ॥

अथवा यह वादी द्वारा कहा गया हेतु प्रतिज्ञासे विरुद्ध साध्यको साधनेवाला होनेसे विरुद्ध हेत्वामास है, यह बात आयी। अतः प्रतिवादी करके वादीके ऊपर विरुद्ध हेत्वामास उठाना चाहिये। बौद्धजन समुदायको वास्तविक नहीं मानते हैं। उनके यहां संतान, समुदाय, अवयवी ये सब कल्पित माने गये हैं। नैयायिक, जैन, मीमांसक, विद्वान् समुदायको वस्तुमूत मानते हैं। ऐसी दशमें हमारा प्रश्न है कि वादीकरके कहे गये हेतुमें पडा हुआ समुदाय क्या वास्तविक है? अथवा कल्पित है? बताओ। यदि समुदायको अवास्तविक कल्पित माना जायगा, सब तो पूर्ववर्ती एक ही हेतुका दोष वादीके ऊपर लागू नहीं होता है। क्योंकि सौत्रान्तिक बौद्धोंके यहां सम्पूर्ण पदार्थ सर्वथा भेदसे सहित हो रहे हैं। उनके यहां निष्पावासनाओं द्वारा अच्छे ढंगसे कल्पना कर लिये गये समूहस्वरूप वास्तविक भिन्न भिन्न अनेक अर्थोंमें भावशब्दका प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार हेतुके अर्थका निश्चय हो जानेसे कोई दोष नहीं आता है। हां, यदि समुदाय वास्तविक पदार्थ है, तैसा होनेपर यह उस हेतुका प्रतिज्ञावाक्यकरके विरोध हो जाना स्थित होगया। हां, यह प्रतिज्ञाहानि तो सिद्ध है। क्योंकि हेतुकरके उस प्रतिज्ञावाक्यकी अच्छे ढंगसे बाधा हो चुकी है। अतः हेतुविरोधको ही प्रतिज्ञाविरोध कहना ठीक नहीं है।

यदप्यभिहितं तेन, एतेन प्रतिज्ञया दृष्टान्तविरोधो वक्तव्यो हंतोश्च दृष्टान्तादिभिर्बिरोधाः  
प्रमाणविरोधश्च प्रतिज्ञाहेत्वोर्यथा वक्तव्य इति, तदपि न परीक्षासममित्याह ।

और भी जो उन उद्योतकर पण्डितजीने कहा था कि इस पूर्वोक्त निचारके द्वारा प्रतिज्ञा करके दृष्टान्तका विरोध भी कहना चाहिये। और हेतुका दृष्टान्त, उपनय, श्रुत्यादि करके विरोध भी कह देना चाहिये। तथा अन्य प्रमाणोंसे बाधा प्राप्त हो जाना भी वक्तव्य है। जैसे कि प्रतिज्ञा और हेतुका विरोध कथन करने योग्य है, उसी प्रकार अन्य विरोध भी वक्तव्य हैं। सूत्रोक्त प्रमेय से यहां अधिक बात कहनी होती है, वहां वक्तव्य, वाच्य, श्रुत, या उपसंख्यान, ऐसे प्रयोग

काये जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि वह उद्योतकरका कहना भी परीक्षामारको सहन करनेमें समर्थ नहीं है। इसीको ग्रन्थकार वार्तिक द्वारा स्पष्ट कहते हैं।

दृष्टान्तस्य च यो नाम विरोधः संध्योदितः ।

साधनस्य च दृष्टान्तप्रमुखैर्मानवाधनम् ॥ १५५ ॥

प्रतिज्ञादिषु तस्यापि न प्रतिज्ञाविरोधता ।

सूत्रारूढतयोक्तस्य भांडालेख्यनयोक्तिवत् ॥ १५६ ॥

दृष्टान्तका प्रतिज्ञा करके और भी जो कोई विरोध कहा गया है तथा दृष्टान्त प्रभृतिकरके हेतुका विरोध कहा गया है, एवं प्रतिज्ञा आदिकोंमें प्रमाणोंके द्वारा वाधा या विरोध आ जाना निरूपण किया है, उसको भी “ प्रतिज्ञाविरोध—निग्रहस्थानपना ” नहीं है। क्योंकि गौतम सूत्रमें प्रतिज्ञा और हेतुके विरोधको प्रतिज्ञाविरोध निग्रहस्थान रूपसे आरूढपने करके कहा गया है। जैसे कि मिट्टी पापण या धातुके बने हुये यर्तन भाण्डोंमें जो प्रथमसे उकेर दिया जाता है, वह चिरकाळ तक स्थिर रहता है, इस नीतिके कथन समान सूत्रमें आरूढपने करके कहे गये तत्वकी ही प्रतिज्ञाविरोधमें लेना चाहिये, अधिकको नहीं।

प्रतिज्ञानेन दृष्टान्तवाधने सति गम्यते ।

तत्प्रतिज्ञाविरोधः स्याद्द्विष्टत्वादिति चेन्मतम् ॥ १५७ ॥

हंत हेतुविरोधोपि किं नैषोभीष्ट एव ते ।

दृष्टान्तादिविरोधोपि हेतोरैतेन वर्णितः ॥ १५८ ॥

यदि उद्योतकरका यह मन्तव्य होय कि प्रतिज्ञा करके दृष्टान्तकी वाधा हो जानेपर स्वयं अर्थापत्तिसे यह जान लिया जाता है कि वह प्रतिज्ञाविरोध है। तिस कारण दृष्टान्तविरोध, प्रमाणविरोधको, प्रतिज्ञाविरोधमें ही वक्तव्य कहा गया है। क्योंकि विरोध पदार्थ दोमें ठहरता है। दृष्टान्त और प्रतिज्ञाका विरोध तो दृष्टान्त और प्रतिज्ञा दोनोंमें समाजाता है। अतः दृष्टान्त-विरोधको “ प्रतिज्ञाविरोध ” कह सकते हैं। साधेकी दूकानका आधिपत्य एक व्यक्तिके लिये भी व्यवहृत हो जाता है। इस प्रकार उद्योतकरका मन्तव्य होनेपर तो आचार्य महाराज कहते हैं कि हमको खेदके साथ कहना पड़ता है कि यह हेतुविरोध भी तुम्हारे यहां क्यों अभीष्ट कर लिया गया है। तथा हेतुका दृष्टान्त आदिके साथ विरोध भी स्वतंत्र रूपसे न्यारा निग्रहस्थान क्यों नहीं मान लिया गया है। इस कथनसे यह भी वर्णनायुक्त ( कथित ) कर दिया गया है। जब कि प्रतिज्ञा-

हानि, प्राप्तेज्ञाविरोध, प्रतिज्ञान्तर इनको थोडासा अन्तर हो जानेसे ही न्यारा निग्रहस्थान मान लिया गया है, तो प्रतिज्ञाविरोधके समान हेतुविरोध, दृष्टान्तविरोधको, स्वतंत्र निग्रहस्थान मान लेना चाहिये ।

निग्रहस्थानसंस्थानविधातकृदयं ततः ।

यथोक्तनिग्रहस्थानेष्वन्तर्भावविरोधतः ॥ १५९ ॥

और तैसा होनेसे यह कई निग्रहस्थानोंका बढ जाना तुम्हारे अभीष्ट हो रहे निग्रहस्थानोंकी नियत संख्याका विधात करनेका होगा । क्योंकि नैयायिकोंकी आश्रय अनुसार कहे गये निग्रहस्थानोंमें अन्तर्भाव हो जानेका तो विरोध है । अथवा हेतुविरोध, दृष्टान्तविरोध, आदिका यदि प्रतिज्ञाविरोधमें गर्भ किया जायगा तो प्रतिज्ञाविरोध, प्रतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञासंन्यास, इनका भी प्रतिज्ञाहानिमें अन्तर्भाव कर लेनेसे कोई विरोध नहीं पडता है ।

प्रत्यक्षादिप्रमाणेन प्रतिज्ञाबाधनं पुनः ।

प्रतिज्ञाहानिरायाता प्रकारान्तरतः स्फुटम् ॥ १६० ॥

निदर्शनादिबाधा च निग्रहान्तरमेव ते ।

प्रतिज्ञानश्रुतेस्तत्राभावात्तद्बाधनात्ययात् ॥ १६१ ॥

यदि फिर प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणोंकरके प्रतिज्ञाकी बाधाको प्रतिज्ञाविरोध कहा जायगा, तब तो यह सर्वथा स्पष्टरूपेण एक दूसरे प्रकारसे प्रतिज्ञाहानि ही कही गयी आयी । प्रतिज्ञाविरोधको न्यारा दूखरे निग्रहस्थान माननेपर तो दृष्टान्त विरोध, हेतुविरोध, उपनयविरोध, निगमन विरोध, प्रत्यक्षविरोध, अनुमानविरोध, आदिक भी तुम्हारे यहा न्यारे न्यारे ही निग्रहस्थान मानने पडेंगे । प्रतिकूल ज्ञानके श्रवणका वृथा अभाव है । अतः उन दृष्टान्तविरोध आदि निग्रहस्थानोंके अवसरपर उनके बाधा प्राप्त होनेके अभाव है ।

चदप्यवादि तेन परपक्षसिद्धेन गोत्वादिनानैकांतिकचौदनाविरुद्धेति यः परपक्षसिद्धेन गोत्वादिना व्यभिचारयति तद्विरुद्धमुचरं वेदितव्यम् । अनित्यः शून्यः ऐन्द्रियकत्वात् षट्पदिति केनचिद्वैदिकं प्रयुक्तं, नैयायिकप्रसिद्धेन गोत्वादिना सामान्येन हेतोरनैकांतिकत्वचौदना हि विरुद्धमुचरं सौगतस्यानिष्टसिद्धेरिति । तदपि न विचारार्हमित्याह ।

और भी उस उद्योतकरने जो यह कहा था कि दूसरे नैयायिक या वैशेषिकोंके पक्षमें प्रसिद्ध हो रहे गोत्र, घटत्र, अक्षत्र, आदि नित्य जातियों करके व्यभिचारी हेत्वाभासपनेका कुचोप ठठाना

तो विरुद्ध है। इसका अर्थ यों है कि जो दूसरोंके पक्षपातसे आक्रान्त दर्शनमें प्रसिद्ध हो रहे गोत्व, महिषत्व आदि नित्य सामान्योंकरके हेतुका व्यभिचार उठा रहा है, वह उसका उत्तर विरुद्ध समझ लेना चाहिये। किसी मूले मनुष्यने बौद्धोंके प्रति यों कहा कि शब्द ( पक्ष ) अनित्य है ( साध्य ), ऐन्द्रियिकपना होभेसे ( हेतु ) घटके समान ( दृष्टान्त ) यों कह चुकनेपर नैयायिकोंके यहाँ प्रसिद्ध हो रहे गोत्व आदि सामान्य करके ऐन्द्रियिकत्व हेतुके व्यभिचारीपनकी कुतर्कणा उठाना तो नियमसे बौद्धोंका विरुद्ध उत्तर है। क्योंकि बौद्धोंको इससे अनिष्टकी सिद्धि हो जावेगी। बौद्धजन घटके समान सामान्यको भी अनित्य माननेके लिये संनद्ध हैं। अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार उद्योतकरका वह कहना भी विचार करनेमें योग्य नहीं ठहरता है। इस बातको ग्रन्थकार स्पष्ट कर कहते हैं।

गोत्वादिना स्वसिद्धेन यानैकांतिकचोदनां ।

परपक्षविरुद्धं स्यादुत्तरं तदिहेत्यपि ॥ १६२ ॥

न प्रतिज्ञाविरोधेत्तर्भावमेति कथंचन ।

स्वयं तु साधिते सम्यग्गोत्वादौ दोष एव सः ॥ १६३ ॥

निराकृतौ परेणास्यानैकांतिकसमानता ।

हेतोरेव भवेत्तावत् संधादोपस्तु नेष्यते ॥ १६४ ॥

बैलपना, सिद्धत्व, आदिक जातियां स्वर्क्य पक्षके अनुसार बौद्धोंके यहाँ अनित्य मानी जा रही हैं। अतः अपने यहाँ सिद्ध हो रहे गोत्व आदिक करके जो व्यभिचारीपनका चोथ उठाना जायगा वह उत्तर भी तो यहा दूसरोंके पक्षसे विरुद्ध पड़ेगा, अतः वह व्यभिचार दोष किसी भी प्रकारसे प्रतिज्ञा विरोधनामक निग्रहस्थानमें अन्तर्भावको प्राप्त नहीं हो सकता है। हाँ, स्वयं अपने यहाँ मूले प्रकार गोत्व, अश्वत्व, आदिके साध चुकनेपर तो वह दोष ही है। किन्तु दूसरे प्रतिपादी करके इस वादीके पक्षका निराकरण कर देनेपर वह हेतुका ही अनैकान्तिक हेत्वाभासपना दोष होगा। फिर प्रतिज्ञाका तो दोष वह कथमपि नहीं मना जा सकता है।

यदप्यभाणि तेन, स्वपक्षानपेक्षं च तथा यः स्वस्वपक्षानपेक्षं हेतुं प्रयुंक्ते अनित्यः शब्द ऐन्द्रियकत्वादिति स स्वसिद्धस्य गोत्वादेरनित्यत्वविरोधाद्विरुद्ध इति। तदप्यपेक्षकमित्याह ।

और भी जो उस उद्योतकर महाशयने कहा था कि “ स्वपक्षानपेक्षं च ” इसका अर्थ यह है कि तथा जो नैयायिक अपने निजपक्षकी नहीं अपेक्षा रखनेवाले हेतुका प्रयोग करता है, जेसे

किं इन्द्रियजन्य ज्ञान द्वारा प्राह्य होनेसे शब्द अनित्य है। इस प्रकार अपने नैयायिक या वैशेषिकके मतमें प्रसिद्ध हो रहे गोत्व, अश्वत्व, आदि जातियोंके अनित्यपनका विरोध हो जानेसे वह हेतु विरुद्ध है। मावार्थ—कोई नैयायिक व्यभिचारस्थलमें पडे हुये अपने अमीध नित्य सामान्यकी अपेक्षा नहीं कर यों समझता हुआ कि बौद्धके यहां तो सामान्यको अवस्तु या अनित्य माना गया है। यदि बौद्धके प्रति ऐन्द्रियिकत्व हेतुसे शब्दका अनित्यपना सिद्ध करने लगे तो भी नैयायिकका हेतु विरुद्ध पड जायगा। क्योंकि नैयायिक या वैशेषिकोंके यहां जातियोंके अनित्यपनका विरोध है। इस प्रकार उद्योतवरका अभिप्राय है। आचार्य कहते हैं कि उनका वह कहना भी चातुर्यपूर्ण नहीं है। इसको वार्त्तिककार स्वयं स्पष्ट कर कह देते हैं।

हेतावैन्द्रियकत्वे तु निजपक्षानपेक्षिणि ।

स प्रसिद्धस्य गोत्वादेरिति तत्त्वविरोधतः ॥ १६५ ॥

स्याद्विरोध इतीदं च तद्वदेव न भिद्यते ।

अनैकान्तिकतादोषात्तदभावाविशेषतः ॥ १६६ ॥

अपने पक्षकां नहीं अपेक्षा रखनेवाले ऐन्द्रियिकत्व हेतुके होनेपर तो नैयायिकको विरोध दोष लागू होगा। क्योंकि उक्तके यहां प्रसिद्ध हो रहे गोत्व आदि सामान्यको उस अनित्यपनका विरोध है। अतः वह हेतु प्रतिज्ञाविरोध निप्रश्नानका प्रयोजक होगा, इस प्रकार उद्योतकरका अभिप्राय हमको प्रशस्त नहीं जचता है। घूम, व्यापकपन आदिको साधनेके लिये दिये गये अग्नि, प्रमेयत्व, आदि प्रसिद्ध व्यभिचारी हेत्वाभासोंके समान यह ऐन्द्रियिकत्व हेतुके कारण उठाया गया विरुद्ध दोष तो अनैकान्तिक दोषसे मिला नहीं माना जाता है। क्योंकि हेतुके ठहर जानेपर उस साध्यको नहीं ठहरनेकी अपेक्षा यहां कोई विशेषता नहीं है। अतः इसको प्रतिज्ञाविरोध निप्रश्नान नहीं मानकर बख्खन ( आश्रयक दोष रूपसे माने गये ) अनैकान्तिक दोषमें अन्तर्भाव करनेना चाहिये।

वादीतरप्रतानेन गोत्वेन व्यभिचारिता ।

हेतोर्यथा चैकतरसिद्धेनासाधनेन किम् ॥ १६७ ॥

प्रमाणेनाप्रसिद्धौ तु दोषाभावस्तदा भवेत् ।

सर्वेषामपि तेनायं विभागो जडकल्पितः ॥ १६८ ॥

जिस प्रकार कि वादी और प्रतिवादी दोनोंके यहां प्रसिद्ध हो रहे गोत्व, सामान्य करके हेतुका व्यभिचार दोष है, उसी प्रकार वादी या प्रतिवादी दोनोंमेंसे किसी भी एकके यहां प्रसिद्ध हो रही गोत्व जानि करके भी व्यभिचार हो सकता है। अर्थात्—उद्योतकरका यह अभिप्राय प्रतीत

होता है कि वादी, प्रतिवादी, दोनोंके यहां प्रमाणोंसे सिद्ध किये पदार्थ करके तो व्यभिचार दोष वादीके ऊपर उठाया जायगा और किसी एकके यहां ही प्रसिद्ध हो रहे पदार्थकरके तो वादीके ऊपर प्रतिज्ञाविरोध निग्रहस्थान उठाया जायगा। इसपर आचार्योंका यह कहना है कि एक हीके यहां प्रसिद्ध हो रहे नित्य गोत्वकरके भी वादीके ऊपर व्यभिचार दोष ही उठाना चाहिये। साध्यको नहीं साधनेवाले ऐसे खोटे हेतुसे क्या कार्य होगा? यानों कुछ नहीं। हां, दोनोंके यहां जो पदार्थ प्रमाणोंसे सिद्ध नहीं है, उस पदार्थकरके उस व्यभिचार दोष उठानेकी प्रेरणा करना तो दोष नहीं है, किन्तु समीके यहां दोषाभाव ही उस समय माना गया है। तिस कारणसे यह विभाग करना जडपुरुषोंके द्वारा कल्पित किया गया ही समझा जाता है। उद्योतकर (चंद्रविमान) स्वयं जड़ है। उसके द्वारा वादी और प्रतिवादी दोनोंके यहां प्रसिद्ध हो रहे पदार्थकरके तो व्यभिचार दोषका उठाया जाना और एकके यहां प्रसिद्ध हो रहे पदार्थकरके प्रतिज्ञाविरोध निग्रहस्थान का उठाया जाना, इस प्रकार जो विभाग किया है, वह जड़की कल्पना कहनी पड़ती है। नैयायिकोंने ज्ञानसे सर्वथा भिन्न कह कर आत्माको अज्ञ मान लिया है। अतः नैयायिक जाँच जड़ हुये।

**सोद्यद्यद्योतकरः स्वयमुभयपक्षसंप्रतिपन्नस्त्वनैकान्तिक इति प्रतिपद्यमानो वादिनः प्रतिवादिन एव प्रमाणतः सिद्धेन गोत्वादिनानैकान्तिकचोदनेन हेतोर्विरुद्धमुत्तरं द्रुवाणमतिक्रमेत कथं न्यायवादी ? अप्रमाणसिद्धेन तु सर्वेषां तच्चोदनं दोषाभास एवेति तद्विभागं कुर्वन् जडत्वमात्मनो निवेदयति ।**

आचार्य कहते हैं कि यह प्रसिद्ध हो रहा उद्योतकर विद्वान् स्वयं इस तत्वको समझ रहा है कि वादी, प्रतिवादी, दोनोंके पक्षोंमें जो भले प्रकार व्यभिचारीपनेसे निर्णीत कर लिया गया है, वह अनैकान्तिक हेत्वाभास है। किन्तु यहां केवल वादीके ही पक्षमें अथवा प्रतिवादीके ही दर्शनमें प्रमाणसे सिद्ध हो रहे गोत्व आदि सामान्यकरके हेतुके व्यभिचार दोषकी तर्कणा करनेसे विरुद्ध उत्तरको कहनेवालेका अतिक्रमण करेगा। भला ऐसी दशामें वह न्यायपूर्वक कहनेवाला कैसे हो सकता है? अर्थात्—दोनों या एकके भी यहां प्रसिद्ध हो रहे नित्य गोत्व करके ऐन्द्रियिकाव हेतुका व्यभिचारीपना नहीं मानकर दोष उठानेवालेके उत्तरको विरुद्ध कह देना यह उद्योतकरका न्याय करना उचित नहीं है। हां, जो पदार्थ दोनों वादी प्रतिवादीयोंके यहां अथवा एकके भी यहां प्रमाणोंसे सिद्ध नहीं, उस पदार्थ करके अनैकान्तिकपनेका कुचोप उठाना तो सब दार्शनिकोंके यहां दोषाभास ही माना गया है। इस कारण उस विरुद्ध उत्तररूप प्रतिज्ञाविरोध निग्रहस्थान और अनैकान्तिकपनेके विभागको कह रहा उद्योतकर पण्डित अपने आप अपना जड़पना व्यक्त करनेका विज्ञापन दे रहा है। यानी जड़पनेका इससे अधिक और निवेदन क्या हो सकता है ?

अत्र प्रतिज्ञावचनादेवासाधनांगवचनेन वादिनिग्रहीते प्रतिज्ञाविरुद्धस्थानिग्रहत्वमं-  
वेति धर्मकीर्तिनोक्तं दूषणमसंगतं गम्यमानः प्राह ।

यहा धर्मकीर्ति नामक बौद्धगुरु कहते हैं कि प्रतिज्ञाका कथन कर देनेसे ही असाधनांगका  
वादीद्वारा कथन हो जाने करके वादीके निग्रह प्राप्त हो जानेपर पुनः उसके ऊपर प्रतिज्ञाविरुद्ध  
दोष उठाना तो उचित नहीं है । अतः प्रतिज्ञाविरोधको निग्रहस्थान नहीं मानना चाहिये । आचार्य  
कहते हैं कि प्रतिज्ञाविरोधके ऊपर धर्मकीर्ति द्वारा कहा गया यह दूषण असंगत है । इस बातको  
समझाते हुये प्रत्यकार स्वयं भले प्रकार स्पष्ट कहते हैं ।

प्रतिज्ञावचनेनैव निग्रहीतस्य वादिनः ।

न प्रतिज्ञाविरोधस्य निग्रहत्वमितीतरे ॥ १६९ ॥

तेषामनेकदोषस्य साधनस्याभिभाषणे ।

परेणैकस्य दोषस्य कथनं निग्रहो यथा ॥ १७० ॥

तथान्यस्यात्र तेनैव कथनं तस्य निग्रहः ।

किं नेष्टो वादिनोरेवं युगपन्निग्रहस्तव ॥ १७१ ॥

प्रतिज्ञाके वचन करके ही निग्रहस्थानको प्राप्त हो चुके वादीके ऊपर पुनः प्रतिज्ञाविरोधका  
निग्रहस्थानपना ठीक नहीं है । अर्थात्—इम बौद्धोंके यहां साध्यको नहीं साधनेवाले अंगोंका वादी-  
द्वारा कथन करना वादीका असाधनांग वचन नामक निग्रहस्थान हो जाता माना गया है । हमारे  
पहा समर्थन युक्त हेतुका निरूपण कर देना ही साध्यका साधक अंग माना गया है । प्रतिज्ञाका  
कथन करना, दृष्टान्तका निरूपण करना ये सब असाधन अंगोंका कथन है । अतः वादी जब  
शब्द अनित्य है, ऐसी प्रतिज्ञा बोल रहा है, एतावता ही वादीका निग्रह हो चुका तो पुनः  
उसके ऊपर दूसरा निग्रहस्थान उठाना मरे हुये को पुनः मारनेके समान ठीक नहीं है । अतः  
प्रतिज्ञाविरोध नामका कोई निग्रहस्थान नहीं है । इस प्रकार कोई दूसरे धर्मकीर्ति आदि बौद्ध  
विद्वान् कह रहे हैं । अब आचार्य कहते हैं कि उन बौद्धोंके यहां अनेक दोषवाले साधनका कथन  
करनेपर वादीका दूसरे प्रतिवादीकरके जैसे एक दोषका कथन कर देना ही निग्रहस्थान है, तिस ही  
प्रकार यहां भी उस ही वादीकरके साधनके अंगोंसे मिला अंगका कथन करना उस वादीका निग्रह  
क्यों नहीं इष्ट कर लिया जाय ? । भावार्थ—वादीके ऊपर प्रतिवादी द्वारा दोषोंका नहीं उठाना  
जाना प्रतिवादीका अदोषोद्गाहन निग्रहस्थान है । वादीने यदि व्यभिचार, असिद्ध, बाधित, सत्प्रति-  
पक्ष इन कई दोषोंसे युक्त अनुमानका प्रयोग किया कि आकाश गन्धवान् है ( प्रतिज्ञा ), स्नेहगुण

होनेसे ( हेतु ) यहाँ प्रतिवादी यदि एक ही बाधित या असिद्ध किसी दोषको उठा देता है, तो प्रतिवादीका, निग्रह है । अर्थात् प्रतिवादीको सभी दोष उठाने चाहिये । उसी प्रकार वादीके ऊपर एकके सिवाय अन्य निग्रहस्थानोंका उत्थापन करना समुचित है । दूसरी बात यह है कि इस प्रकार होनेपर तुम्हारे यहाँ वादी या प्रतिवादी दोनोंका एक ही समयमें निग्रह हो जावेगा । क्योंकि वादी तो असाधनके अंगोंका कथन कर रहा है । और प्रतिवादी अपने कर्तव्यरूपसे माने गये सम्पूर्ण दोष उत्थापनके करनेमें प्रमादी हो रहा है । अतः धर्मकीर्ति महाशयका विचार धर्मपूर्वक यशको बढ़ानेवाला नहीं है ।

साधनावयवस्यापि कस्यचिद्वचने सकृत् ।

जयोस्तु वादिनोन्यस्यावचने च पराजयः ॥ १७२ ॥

किसी भी एक साधनके अवयवका कथन करनेपर एक ही समयमें वादीका जय और अन्य ( दूसरे ) साधन अवयवका नहीं कथन करनेपर वादीका पराजय हो जाना चाहिये । अर्थात्— किसी स्थलमें साधनके अवयव यदि कई हैं, और वादिने यदि एक ही साधनांगका निरूपण किया है, और दूसरे साधनांगोंका कथन नहीं किया है । ऐसी दशामें साधनाङ्गके कहने और साधनाङ्गके नहीं कहनेसे वादीका एक साथ जय और पराजय प्राप्त हो जानेका प्रसंग आजावेगा ।

प्रतिपक्षाविनाभाविदोपस्योद्भावेन यदि ।

वादिनि न्यक्कृतेन्यस्य कथं नास्य विनिग्रहः ॥ १७३ ॥

तदा साध्याविनाभावि साधनावयवरेणे ।

तस्यैव शक्त्युभयाकारेन्यस्यवाक् च पराजयः ॥ १७४ ॥

यदि बौद्ध यों कहें कि प्रतिकूल पक्षके अविनाभावी दोषका प्रतिवादी द्वारा उत्थापन हो जानेपर वादीका तिरस्कार हो जाता है, तब तो हम कहते हैं कि साध्यके साथ अविनाभाव रखनेवाले साधनरूप अवयवका कथन करनेपर वादी द्वारा इस अन्य प्रतिवादीका विशेष रूपसे निग्रह क्यों नहीं हो जावेगा ? जब कि उस साध्याविनाभावी हेतुके कथन करनेसे ही दूसरे प्रतिवादीका पराजय हो जाता है । इस कारिकाका उत्तरार्थ कुछ अशुद्ध प्रतीत होता है । विद्वान् जन समझकर व्याख्यान करलेवें ।

विरुद्धोद्भावनं हेतोः प्रतिपक्षप्रसाधनं ।

यथा तथाविनाभाविहेतुक्तिः स्वार्थसाधना ॥ १७५ ॥



साधनावयवोनेकः प्रयोक्तव्यो यथापरः ।

तथा दोषोपि किं न स्यादुद्भाव्यस्तत्र तत्त्वतः ॥ १७६ ॥

तस्मात्प्रयुज्यमानस्य गम्यमानस्य वा स्वयं ।

संगरस्याव्यवस्थानं कथाविच्छेदमात्रकृत् ॥ १७७ ॥

जिस प्रकार कि वादीके हेतुका विरुद्ध दोष उठा देना प्रतिवादीके पक्षकी अच्छी सिद्धि हो जाना है, उसी प्रकार वादी द्वारा अविनाभावी हेतुका कथन करदेना वादीके स्वार्थकी सिद्धि हो जाना है । जिस प्रकार कि वादीद्वारा साधनके अनेक दूसरे अवयवोंका प्रयोग करना उचित है, उसी प्रकार प्रतिवादी द्वारा वास्तविक रूपसे अनेक दोषोंका उद्घाटन करना भी समुचित क्यों नहीं होगा ! तिस कारणसे सिद्ध हो जाता है कि चाहे प्रतिज्ञा स्वयं कंठोक्त प्रयुक्त की जा रही होय अथवा बौद्धोंके यहां बिना कहे यों ही ( अर्थापत्ति द्वारा ) जान ली गयी होय, उस प्रतिज्ञाकी जो उक्त तीन निप्रहस्यानोंद्वारा व्यवस्था नहीं होने देना है । वह केवल निप्रहस्यान देकर वादमें विघ्न डाल देना मात्र है । यों केवल कथाका विच्छेद कर देनेसे प्रतिवादीद्वारा वादीका पराजय होना सम्भव नहीं है ।

संगरः प्रतिज्ञा तस्य वादिना प्रयुज्यमानस्य पक्षधर्मोपसंहारवचनसामर्थ्याद्गम्यमानस्य वा यदव्यवस्थानं स्वदृष्टान्ते प्रतिदृष्टान्तधर्मानुज्ञानात् प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेधेन धर्मविकल्पात् तदर्थनिर्देशाद्वा प्रतिज्ञाहेत्वोर्विरोधात् प्रतिज्ञाविरोधाद्वा प्रतिवादिनापद्येत तत्कथाविच्छेदमात्रं करोति न पुनः पराजयं वादिनः स्वपक्षस्य प्रतिवादिनावश्यं साधनीयत्वादिति न्यायं बुद्ध्यामहे ।

कोपके अनुसार संगरका अर्थ प्रतिज्ञा है । उस प्रतिज्ञा वचन नामक संगरका वादीकरके कंठोक्त प्रयोग किया जा रहा होय, अथवा पक्षमें हेतुरूप धर्मके उपसंहार ( घेर देना जैसे वादमें पशुओंको घेर दिया जाता है ) करनेके कथनकी सामर्थ्यसे अर्थापत्तिद्वारा यों बिना कहे उसको जान डिया गया होय, ऐसी प्रतिज्ञाकी जो ठीक ठीक व्यवस्था नहीं होने देना है, वह, केवल छेड़ी हुई वाद कथाका अवसान कर देना है । इसमें रहस्य कुछ नहीं है । मठे ही स्वकीय दृष्टान्त में वादीद्वारा प्रतिवादीके प्रतिकूल दृष्टान्तके धर्मकी स्वाकारता कारमारूप प्रतिज्ञाहानिसे प्रतिज्ञाकी अव्यवस्था कर लो और चाहे प्रतिज्ञात अर्थका निषेध कर धर्मान्तरके विकल्पसे उस प्रतिज्ञातार्थका निर्देश करना स्वरूप दूसरे प्रतिज्ञान्तर निप्रहस्यानसे वादीकी प्रतिज्ञाका अव्यवस्थान कर लो, अथवा प्रतिज्ञा और हेतुके विरोधस्वरूप तीसरे प्रतिज्ञाविरोध नामक निप्रहस्यानसे प्रतिवादी द्वारा वादीके

प्रतिज्ञावाक्यकी अव्यवस्था कर दी जाय। वह तीनों प्रकारसे आपादन करना केवल कथाके विच्छेदको करता है। एतावता पुनः वादीका पराजय नहीं हो जाता है। क्योंकि प्रतिवादीको जय प्राप्त करनेके लिये अपने पक्षका साधन करना अत्यावश्यक है। हम तो इसी सिद्धान्तको न्यायस्वरूप समझ रहे हैं। भावार्थ—चातुर्य, छल, प्रतिभा, आदिक दुर्गुण, सद्गुणोंसे परिपूर्ण हो रहे जगत्में अनेकान्तोंको धारनेवाली वस्तुकी सामर्थ्यसे चाहे जो कोई चाहे जिस किसी प्रतिज्ञाका खण्डन कर सकता है। कोई हितोपदेशी यदि शिष्यके प्रति ज्ञान सम्पादन करनेको साध रहा है तो "मूर्खः सुखी जीवति" इस सिद्धान्तकी पुष्टि कर पूर्व प्रतिज्ञाकी हानि करायी जा सकती है। धन उपार्जन करना चाहिये इस प्रतिज्ञाका "नंगा सोवे चौडेमें, धनके सैकड़ों शुत्रु हैं" आदि वाक्यों द्वारा विरोध किया जा सकता है। "धर्मः सेव्यः" इस पक्षका आज कल जो अधिक धर्म सेवन करता है, वह दुःखी रहता है, आदि कुयुक्तिपूर्ण वाक्यों द्वारा प्रत्याख्यान किया जा सकता है। विवाहित पुरुषोंकी अपेक्षा क्तारे पुरुष निश्चिन्त होकर आनन्दमें रहते हैं, क्तारोंकी अपेक्षा विवाहित पुरुष भोग उपभोगमें डीन रहते हैं। अभिमानसे भरपूर हो रही सासु वार वार जल्का आदर कर रही पुत्रवधू पर क्रुद्ध भी हो सकती है, चाहे तो प्रेम भी कर सकती है। श्ल्यादिक अनेक लौकिक विषय भी अपेक्षाओंसे सिद्ध हो सकते हैं। फिर भी प्रतिस्पर्धा रखनेवाले वादी प्रतिवादी, एक दूसरेकी प्रतिज्ञाका खण्डन कर देते हैं। तथा आपेक्षिक प्रतिकूल सिद्धान्तको पूर्वपक्षबाज कदाचित् स्वीकार भी करलेता है। किन्तु इतनेसे ही भले मानुष वादीका पराजय नहीं हो जाता है। तथा केवल चोद्य उठा कर कुछ बातको स्वीकार करा लेनेसे ही प्रतिवादी जीतको नहीं छट सकता है। हां, प्रतिवादी यदि अपने पक्षको परिपूर्ण रूपसे सिद्ध कर दे तो जयी हो सकता है। यही न्यायमार्ग है।

प्रतिज्ञावचनं तु कथाविच्छेदमात्रमपि न प्रयोजयति तस्यासाधनांगत्वाव्यवस्थितेः पक्षधर्मोपसंहारवचनादित्युक्तं प्राक्। केवलं स्वदर्शनानुरागमात्रेण प्रतिज्ञावचनस्य निग्रह-त्वेनोद्भावनेपि सौगतैः प्रतिज्ञाविरोधादिदोषोद्भावनं नानवसरमनुमंतव्यं, अनेकसाधनवचन-वदनेकदूषणवचनस्यापि विरोधाभावात् सर्वथा विशेषाभावादिति विचारितमस्माभिः।

बौद्धोंने जो यह कहा था कि अर्थ या प्रकरणसे ही जो प्रतिज्ञा जानी जा सकती थी, उस प्रतिज्ञाको कंठोक्त व्यर्थ कहना वादीका निग्रहस्थान है। इसपर हमारा यह कहना है कि प्रतिज्ञाका वचन तो कथाके विच्छेदमात्रका भी प्रयोजक नहीं है। अर्थात्—प्रतिवादी तो ऐसी चेष्टा कर रहा है कि जिससे कथाका विच्छेद होकर वादका अन्त हो जाय और मैं सेतमेतमें जयको छटता हुआ झूठ कर कुप्पा होके लम्बप्रतिष्ठ हो जाऊँ। किन्तु वादी कंठोक्त प्रतिज्ञा वाक्यको बोलता हुआ कथाका विच्छेद नहीं कर रहा है। क्योंकि वह प्रतिज्ञाका वचन साध्यसिद्धिका अंग नहीं। यह

बौद्धोंका मन्तव्य प्रमाणोंसे व्यवस्थित नहीं हो सका है। स्वयं बौद्धोंने सत्य हेतुसे शब्दका क्षणिक-पना सिद्ध करते समय “संघ शब्दः” ऐसा पक्षमें हेतुधर्मका उपसंहार कहा है। जो कि उपनय वाक्य विना कहे भी प्रकरण द्वारा जाना जा सकता था। कहीं नियमन भी कहा है। जो कि प्रतिज्ञावाक्यकी उपयोगिताको साध देता है, इस बातको हम विशदरूपसे पूर्व ग्रन्थमें कह चुके हैं। यहाँ हमको केवल इतना ही निर्णय करना है कि अपने बौद्धदर्शनकी कोरी श्रद्धामात्रसे बौद्धों करके वादीके उपर प्रतिज्ञाकथनका निमग्नस्थानपने करके उत्थापन करनेपर भी पुनः प्रतिज्ञाविरोध, व्यभिचार, विरुद्ध, आदि दोषोंका उठाया जाना असमय ( बेनीके ) का नहीं मानना चाहिये। विचारने पर यही प्रतीत होता है कि अनेक साधनोंके वचन समान अनेक दूषणोंके कथन करनेका भी कोई विरोध नहीं है। अर्थात्—जैसे प्रतिपादकी समझानेके अनेक हेतुओंद्वारा साध्यको साधा जाता है, उसी प्रकार दूसरेके पक्षको अधिक निर्वल बनानेके लिये अनेक दोषोंका प्रयोग भी किया जा सकता है। यहाँ साधन और दूषण देनेमें अनेक सद्धारोंके लेनेकी अपेक्षा सभी प्रकारोंसे कोई विशेषता नहीं है। इस बातका हमने पहिले अन्यत्र ग्रन्थमें बहुत विस्तृत विचार कर दिया है।

संप्रति प्रतिज्ञासंन्यासं विचारयितुमुपक्रममाह ।

अब नैयायिकोंके चौथे प्रतिज्ञासंन्यास नामक निमग्नस्थानका विचार करनेके लिये श्री विद्या-नन्द आचार्य उपायपूर्वक प्रक्रमको वार्तिकद्वारा कहते हैं।

प्रतिज्ञार्थापनयनं पक्षस्य प्रतिषेधने ।

न प्रतिज्ञानसंन्यासः प्रतिज्ञाहानितः पृथक् ॥ १७८ ॥

वादीके पक्षका दूसरे प्रतिवादीद्वारा प्रतिषेध किये जानेपर यदि वादी उसके परिहारकी इच्छा है अपने प्रतिज्ञा किये गये अर्थका निन्दव ( ठिपाना ) करता है, वह वादीका “प्रतिज्ञासंन्यास” नामक निमग्नस्थान है। आचार्य कहते हैं कि यह चौथा प्रतिज्ञासंन्यास तो पहिले “प्रतिज्ञाहानि” निमग्नस्थानसे पृथक् नहीं मानना चाहिये। यों निमग्नस्थानोंकी संख्या बढाकर व्यर्थमें नैयायिकोंका घटाटोप बाधना भेदकतावच्छेदकावच्छिन्न और प्रभेदकतावच्छेदकावच्छिन्न विषयमें स्वकीय अज्ञानता को दिखलाना है।

ननु “पक्षप्रतिषेधे प्रतिज्ञानार्थापनयन प्रतिज्ञासंन्यासः” इति सूत्रकारवचनात् यः प्रतिज्ञातमर्थं पक्षप्रतिषेधे कृते परित्यज्यति स प्रतिज्ञासंन्यासो वेदितव्यः उदाहरणं पूर्ववत्। सामान्येनैकातिकत्वाद्धेतोः कृते वृथादेक एव महान्नित्य शब्द इति। एतत्साधनस्य सामर्थ्यापरिच्छेदाद्विप्रतिपत्तितो निग्रहस्थानमित्युद्योतकरवचनाच्च प्रतिज्ञासंन्यासस्तस्य प्रतिज्ञाहानेर्भेद एवेति मन्यमानं प्रत्याह ।

नैयायिक अपने पक्षका अत्रधारण करते हैं कि पक्षका प्रतिषेध करनेपर प्रतिज्ञात अर्थका वादी द्वारा हटाया जाना वादीका प्रतिज्ञासंन्यास नामक निग्रहस्थान है। इस प्रकार न्यायदर्शनके सूत्रोंको बनानेवाड़े गौतमऋषिने “न्यायदर्शन” के पाँचवे अध्यायके पाँचवे सूत्र द्वारा कहा है। इसका अर्थ यों है कि जो प्रतिवादी द्वारा पक्षका निषेध करनेपर उस पक्षको परित्याग कर देता है, वह प्रतिज्ञासंन्यास नामक निग्रहस्थानसे सहित समझलेना चाहिये। इसका उदाहरण पूर्वके समान ही है। जैसे कि शब्द अनित्य है, ऐन्द्रियिक होनेसे घटके समान, यों वादीके कह चुकने पश्चात् प्रतिवादी द्वारा नित्य सामान्य करके वादीके ऐन्द्रियिकत्व हेतुका व्यभिचारीपना कर देनेपर पुनः वादी अपने पक्षका परित्याग कर यों कह देवेगा कि अच्छी बात है कि मीमांसकोंके मन्तव्य समान एक ही महान्, व्यापक, शब्द नित्य हो जाओ। यहां हेतुकी सामर्थ्यका ज्ञान नहीं होनेसे और निग्रहस्थानकी प्रयोजक विविधप्रतिपत्ति या विरुद्धप्रतिपत्ति हो जानेसे यह चौथा निग्रहस्थान प्रतिज्ञासंन्यास है। उद्योतकर पण्डितका वचन भी इसी प्रकार है। उस चौथे निग्रहस्थानका प्रतिज्ञाहानि निग्रहस्थानसे भेद ही है। इस प्रकार मान रहे नैयायिकके प्रति आचार्य महाराज समाधान करते हुये कहते हैं।

एक एव महान्नित्यः शब्द इत्यपनीयते ।

प्रतिज्ञार्थः किलानेन पूर्ववत्पक्षदूषणे ॥ १७९ ॥

हेतोरैन्द्रियिकत्वस्य व्यभिचारप्रदर्शनात् ।

तथा चापनयो हानिः संधाया इति नार्थभित् ॥ १८० ॥

पूर्व उदाहरणके समान वादीके ऐन्द्रियिकत्व हेतुका प्रतिवादी द्वारा व्यभिचार प्रदर्शन करनेसे वादीके पक्षका दूषण हो जानेपर इस वादी करके एक ही महान् शब्द नित्य हो जाओ, इस प्रकार अपना पूर्व प्रतिज्ञात अर्थ दूर कर दिया गया है। यह सम्भाव्य है और तिस प्रकार होनेपर प्रतिज्ञात अर्थका अपनय यानी हानि ही हुई इस कारण प्रतिज्ञाकी हानि और प्रतिज्ञाके संन्यास इनमें कोई अर्थका भेद नहीं है। अमिप्राय एक ही है।

प्रतिज्ञाहानिरेवैतैः प्रकारैर्यदि कथ्यते ।

प्रकारान्तरतोपीर्यं तदा किं न प्रकथ्यते ॥ १८१ ॥

तन्निमित्तप्रकाराणां नियमाभावतः क्व नु ।

ययोक्ता नियतिस्तेषा नातोपज्ञं वचस्ततः ॥ १८२ ॥

आप नैयायिक यदि प्रतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञाविरोध, प्रतिज्ञासंन्यास, इन भिन्न भिन्न प्रकारों करके प्रतिज्ञाहानिको कह रहे हैं, कि प्रकार तुम्हारे यहां भिन्न भिन्न निप्रहस्थानोंके प्रयोजक हैं, तब तो हम तुमसे पूछते हैं कि यह प्रतिज्ञाहानि अन्य दूसरे प्रकारोंसे भी क्यों नहीं मले प्रकार कह दी जाती है । क्योंकि उस प्रतिज्ञाहानिके निमित्त हो रहे प्रकारोंका कोई नियम नहीं है । दृष्टान्तकी हानिसे, उपनयकी हानिसे, मूर्खतासे, विक्षिप्ततासे, राजनीतिकी चाटाकीसे आदि प्रकारोंसे भी प्रतिज्ञाका हानि कराया जा सकती है । उन प्रकारोंकी इयत्ता नियत नहीं है । ऐसी दशामें उन निप्रहस्थानोंकी आपके द्वारा कहां गयी वार्स या चौथांस संख्याका नियत परिमाण कहां रहा ! यों छोटे छोटे अनेक प्रकारोंके भेदसे तो पचासों निप्रहस्थान मानकर भी संख्याकी पूर्णता नहीं हो सकती है । तिस कारणसे उन नैयायिकोंके वचन आतद्वा ज्ञात हीकर कहे गये नहीं हैं । जिस दर्शनका सर्वज्ञकारके आद्यज्ञान होकर उपदेश दिया जाता है, वे वचन आतोपन्न हैं, अन्य नहीं ।

पक्षस्य प्रतिषेधे हि तूर्णीभावो धरेक्षणं ।

व्योमेक्षणं दिगालोकः स्वात्कृतं चपलायितम् ॥ १८३ ॥

हस्तास्फालनमाकंपः प्रस्वेदाद्यप्यनेकधा ।

निग्रहांतरमस्यास्तु तत्प्रतिज्ञांतरादिवत् ॥ १८४ ॥

देखिये प्रतिज्ञाकी हानि करनेके ये अन्य भी अनेक प्रकार हैं । प्रतिवादी द्वारा वादीके पक्षका नियमसे प्रतिषेध कर देनेपर वादीका जुप रह जाना या पृथ्वीको देखने लग जाना, ऊपर आकाश को देखते रहना, इधर उधर पूर्व आदि दिशाओंका खडकोन करना, खकारना, मागने दौड़ने लग जाना अथवा बकवाद करना, कषायपूर्वक उद्वेगमें आकर हाथोंको फटकारना, शरीरका चारों ओरसे कम्प होना, पसीना आजाना, व्यर्थ गाने लग जाना, खंचल चेष्टा करने लग जाना, बच्चोंको खिञ्चने लग जाना, अन्य कार्योंमें व्यग्र हो जाना आदिक अनेक प्रकारके अन्य निप्रहस्थान इस नैयायिकके यहां बन बैठेंगे । जैसे कि स्वल्पभेदके ही कारण उन प्रतिज्ञाहानिसे न्यारे प्रतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञासंन्यास आदिको मान लिया गया है । यदि मूर्खिके देखने आदि प्रकारोंको नियत निप्रहस्थानोंमें गभित करोगे तो प्रतिज्ञासंन्यासको भी प्रतिज्ञाहानिमें गभित कर लेना चाहिये । अतिरिक्त निप्रहस्थानोंका व्यर्थमें बोझ बढ़ाना अनुचित है ।

हेत्वंतरं विचारयन्नाह ।

पांचमे हेत्वंतर नामके निप्रहस्थानका विचार करते हुये श्री विद्यानन्द आचार्य अप्रिम वार्तिकोंका प्रतिपादन करते हैं ।

अविशेषोदिते हेतौ प्रतिपिद्धे प्रवादिना ।

विशेषमिच्छतः प्रोक्तं हेत्वन्तरमपीह यत् ॥ १८५ ॥

तदेवमेव संभाव्यं नान्यथेति न निश्चयः ।

परस्मिन्नपि हेतौ स्यादुक्ते हेत्वन्तरं यथा ॥ १८६ ॥

यथा च प्रकृते हेतौ दोषवत्यपि दर्शिते ।

परस्य वचनं हेतोर्हेत्वन्तरमुदाहृतम् ॥ १८७ ॥

तथा निदर्शनादौ च दृष्टान्ताद्यन्तरं न किम् ।

निग्रहस्थानमास्थेयं व्यवस्थाप्यातिनिश्चितम् ॥ १८८ ॥

न्याय दर्शनके अनुसार इस प्रकरणमें हेत्वन्तरका लक्षण यों बढिया कहा गया है कि वादीके द्वारा विशेषोंकी अपेक्षा नहीं कर सामान्यरूपसे हेतुका कथन कर देने पर पुनः प्रतिवादी करके वादीके हेतुका प्रतिषेध हो चुकनेपर विशेष अंश या हेतुमें कुछ विशेषण लगा देनेकी इच्छा रखनेवाले वादीकम हेत्वन्तर निग्रहस्थान हुआ बताया गया है। इसपर आचार्य महाराजका यह कहना है कि यहा नैयायिकोंने जो हेत्वन्तर निग्रहस्थान माना है, वह इस ही प्रकारसे सम्भवता है। सूत्रके लक्षणसे अन्य प्रकारों करके हेत्वन्तर नहीं सम्भवता है, ऐसा निश्चय करना ठीक नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार नैयायिकोंके यहा विशेषणसहित दूसरे भी हेतुके कह देनेपर हेत्वन्तर निग्रहस्थान हो जाना कहा गया है, और जिस प्रकार वादीके प्रकरणप्राप्त हेतुको दोषयुक्त मी प्रतिवादी द्वारा दिखला देनेपर दूसरे नहीं हेतुका कथन करना वादीका हेत्वन्तर निग्रहस्थान कहा गया है, उसी प्रकार वादी करके प्रकृत साध्यको साधनेके लिये दृष्टान्त, उपनय, निगमन कहे गये पुनः प्रतिवादीने उन दृष्टान्त आदिको दोषयुक्त कर दिया, वादीने पश्चात् अधिक निश्चित किये गये दृष्टान्त आदिकोंको व्यवस्थापित कर कह दिया, ऐसी दशामें हेत्वन्तरके समान दृष्टान्तान्तर, निगमनान्तर आदिको न्यारा निग्रहस्थान क्यों नहीं श्रद्धान कर लिया जावे! बात यह है कि कभी कोई बात सामान्य रूपसे मी कही जाती है। वहा सुननेवालोंमेंसे कोई लघुपुरुष कुचोप उठा देता है। और दूसरे गंभीर पुरुष विशेष अंशोंकी कल्पना करते हुये वक्ताके यथार्थ अभिप्रायको समझ लेते हैं। गृह अधिपतिने भृत्यको आज्ञा दी कि अमुक अतिथिको भोजन करा दो, चतुर सेवक तो अतिथिके स्नान, दन्तधावन, भोजन, दुग्धपान, शयन आदि सबका प्रबन्ध कर देता है। किन्तु अज्ञ नौकर तो अतिथिकी केवल भोजन करा देगा। जलपान, दुग्धपान मी नहीं करायेगा। वक्ताके अभिप्रायका श्रोताको सर्वथा लक्ष्य रखना चाहिये, तमी तो अल्प संख्यात शब्द ही असंख्यात,

अनन्त प्रमेयका क्षयोपशम अनुसार प्रबोध करा देते हैं। नैयायिकोंने हेत्वन्तरका उदाहरण यों दिया है कि यह सम्पूर्ण जगत् ( पक्ष ) मूठमें एक त्रिगुणात्मक प्रकृतिको कारण मानकर प्रकट हुआ है ( साध्य ) क्योंकि घट, पट, आदि विकारोंका परिणाम देखा जाता है ( हेतु )। इस प्रकार कपिल मतानुसार वादीके कहनेपर प्रतिवादी द्वारा नाना प्रकृतिगळे विषयोंसे व्यभिचार दिखाकर प्रत्यवस्थान दिया गया। इस दशममें वादीद्वारा एक प्रकृतिके साथ समन्वय रखते हुये यदि इतना हेतुका विशेषण दे दिया जाय तो वादीका हेत्वन्तर निप्रहस्थान है। अथवा प्रकृत उदाहरणमें शब्द अनित्य है, ( प्रतिज्ञा ) बाह्य इन्द्रियोंसे जन्य प्रत्यक्षज्ञानका विषय होनेसे ( हेतु ), यहाँ किसी प्रतिवादीने सामान्यकरके व्यभिचार दिया। क्योंकि वहिरिन्द्रिय प्राह्य पदार्थोंमें ठहरनेवाली, नित्य, व्यापक, जाति भी उन्हीं वहिरंग इन्द्रियोंसे जान ली जाती है, ऐसा प्रतिवादीने मान रक्खा है। ऐसी दशममें वादी हेतुका सामान्यसे सहित होते हुये इतना विशेषण लगा दें। क्योंकि सामान्यमें पुनः दूसरा सामान्य रहता नहीं है। अतः सामान्यवान् सामान्य नहीं, यों सामान्यकरके हुआ व्यभिचार टल जाता है, तब वादीका हेत्वन्तर निप्रहस्थान मान लिया जाता है। इसमें आचार्योंका यह कहना है कि हेतुकी त्रुटि होनेपर जैसे विशेषण लगाकर या अन्य हेतुका प्रयोग कर देनेपर हेत्वन्तर हो जाता है, उसी प्रकार जो जो बाह्य इन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षका विषय है, वह वह अनित्य है। वादीके इस प्रकार उदाहरणमें भी न्यूनता दिखलाई जा सकती है। बाह्य इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षका विषय शब्द है। उस उपनयमें भी प्रतिवादी द्वारा त्रुटि कही जा सकती है। अतः ये भी न्यारे न्यारे निप्रहस्थान या हेत्वन्तरके प्रकार मानने पड़ेंगे।

यदि हेत्वन्तरेणैव निगृहीतस्य वादिनः ।

दृष्टान्ताद्यन्तरं तत्स्यात्कथायां विनिवर्तनात् ॥ १८९ ॥

तदानैकान्तिकत्वादिहेतुदोषेण निर्जिते ।

मा भूद्धेत्वन्तरं तस्य तत् एवाविशेषतः ॥ १९० ॥

यथा चोद्भाषिते दोषे हेतोर्यद्वा विशेषणं ।

त्रूयात्कश्चित्तथा दृष्टान्तादेरपि जिगीषया ॥ १९१ ॥

यदि आप नैयायिक यों कहें कि अकेले हेत्वन्तरकरके ही निप्रहको प्राप्त हो चुके वादीके ऊपर पुनः दृष्टान्तांतर आदिका उठाना तो उतनेसे ही हो जायगा। तिस कारण वाद कथामें उनकी विशेषरूपसे निवृत्ति कर दी गयी है। तब तो हम जैन कहते हैं कि तिस ही कारण प्रतिवादीद्वारा अनैकान्तिकपन, विरोध, असिद्धि, आदिक हेतुके दोषोंके उठा देनेसे ही वादीके

पराजित हो जानेपर पुनः हेत्वन्तर भी नहीं उठाया जाओ। क्योंकि उस हेत्वन्तरका उन दृष्टान्तान्तर आदिकोंसे कोई विशेष नहीं है। दूसरी बात यह है कि दोषके उत्थान कर चुकनेपर कोई कोई वादी हेतुके विशेषणको व्यक्त कह देवेगा, उसी प्रकार दृष्टान्त आदिके दोष उठानेकी इच्छासे दृष्टान्त आदिके विशेषणोंको भी प्रकट कह देगा। अतः दृष्टान्तान्तर आदि भी तुमको न्यारे निग्रहस्थान मानने पड़ेंगे।

अविशेषोक्तो हेतौ प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छतो हेत्वन्तरमिति सूत्रकारवचनात् द्वित्ववन्निग्रहस्थानं साधनांतरोपादाने पूर्वस्यासामर्थ्यख्यापनात्। सामर्थ्यं वा पूर्वस्य हेत्वन्तरं व्यर्थमित्युद्योतकरो व्याचक्षाणो गतानुगतिकतामात्मसात्कुरुते प्रकारांतरेणापि हेत्वन्तरवचनदर्शनात्। तथा अविशेषोक्ते दृष्टांतोपनयनिगमने प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छतो दृष्टांताद्यंतरोपादाने पूर्वस्यासामर्थ्यख्यापनात्। सामर्थ्यं वा पूर्वस्य प्रतिदृष्टांताद्यंतरं व्यर्थमिति वक्तुं शक्यत्वात्। अत्राक्षेपसमाधानानां समानत्वात्।

विशेषोक्ता लक्ष्य नहीं रख सामान्य रूपसे हेतुके कह चुकनेपर पुनः प्रतिवादी द्वारा हेतुके प्रतिषिद्ध हो जानेपर विशेष अंशको विवक्षित कर रहे वादीका हेत्वन्तर निग्रहस्थान हो जाता है। इस प्रकार “न्यायसूत्र” का गौतमश्रुतिक वचन है। यहां उसी हेतुमें अन्य विशेषणका प्रक्षेप कर देनेसे अथवा अन्य नवीन हेतुका प्रयोग कर देनेसे दोनों भी हेत्वन्तर निग्रहस्थान कहे जाते हैं। उद्योतकर पण्डितका यह अभिप्राय है कि अन्य साधनका ग्रहण करनेपर वादीके पूर्व हेतुकी असामर्थ्य प्रकट हो जाती है। अतः वादीका निग्रह हो जाता है। यदि वादीका पूर्वकथित हेतु समर्थ होता तो वादीका अन्य ज्ञापक हेतु उठाना व्यर्थ है। आचार्य कहते हैं कि वादीका यदि पहला हेतु अपने साध्यको साधनेमें समर्थ था तो वादीने दूसरा हेतु व्यर्थमें क्यों पकड़ा ! इस प्रकार व्याख्यान कर रहा उद्योतकर तो गतानुगतिकपनेको अपने अधीन कर रहा है। अर्थात्— बापका कुआं समस्तकर दिन रात उसी कुएँका खारा पानी पीते रहना अपना छोटा हुबकानेके छिये एक रेतकी ढेरी बनानेपर सैकड़ों मूढ गंगा यात्रियों द्वारा धर्मान्ध होकर अनेक ढेरी बना देना जैसे विचार नहीं कर कोरा गमन करनेवालेके पीछे गमन करना है, उसी प्रकार अक्षपादके कहे अनुसार माप्यकारने बैसाका बैसा कह दिया और उद्योतकरने भी बैसा ही आलाप गा दिया, परीक्षा प्रधानियोंको युक्तियोंके बिना यों ही अन्वश्रद्धा करते हुये तत्त्वनिरूपण करना अनुचित है। क्योंकि अन्य प्रकारोंकरके भी हेत्वन्तरका वचन देला जाता है। तीसरी प्रकार (हेत्वन्तरके समान) वादी द्वारा अविशेषरूपसे दृष्टान्त, उपनय और निगमनके कथन करनेपर प्रतिवादी द्वारा उनका प्रतिषेध किया जा चुका। पुनः दृष्टान्त आदिमें विशेषणोंके इच्छा रखनेवाले वादीके द्वारा अन्य दृष्टान्त, दूसरे उपनय आदिका ग्रहण करनेपर पूर्वके दृष्टान्त आदिकोंकी असामर्थ्यको प्रकट कर देनेसे



वादीका निग्रहस्थान हो जावेगा । अथवा पूर्वकथित दृष्टान्त आदिकी योग्य सामर्थ्य होनेपर पुनः वादी द्वारा प्रतिदृष्टान्त, प्रत्युपनय आदिक उच्चारण करना व्यर्थ है, यह भी कहा जा सकता है । इसमें नैयायिक यदि आक्षेप करेंगे तो हम भी उनके हेत्वान्तरपर आक्षेप उठा देंगे तथा हेत्वन्तर निग्रहस्थानकी रक्षा करनेके लिये नैयायिक जो समाधान करेंगे तो दृष्टान्तान्तर, उपनयान्तर, आदि न्यारे निग्रहस्थानोंका आपादन करनेके लिये हम भी वही समाधान कर देंगे । उनके और हमारे आक्षेप समाधानोंकी समानता है ।

यदप्युपादेशि प्रकृतादर्थादप्रतिसंबद्धार्थमर्थान्तरमभ्युपगमार्थासंगतत्त्वान्निग्रहस्थानमिति तदपि विचारयति ।

और भी जो न्यायदर्शनमें गौतम ऋषिने छटे “ अर्थान्तर ” निग्रहस्थानका उक्षण करते हुये उपदेश दिया था कि प्रकरण उपयोगी अर्थसे असम्बद्ध अर्थका कथन करना अर्थान्तर नामका निग्रहस्थान है । अर्थात्—“ प्रासादात् प्रेक्षते ” के समान ल्यप् प्रत्ययका जोप होनेपर यहा प्रकृतात् यह पंचमी विभक्तिनाला पद है । अतः प्रकरणप्राप्त अर्थकी उपेक्षा कर प्रकृतमें नहीं आकांक्षा किये गये अर्थका कथन करना अर्थान्तर है । यह स्वीकार किये गये अर्थकी असंगति हो जानेसे निग्रहस्थान माना गया है । इस प्रकार न्यायदर्शनकर्त्ताका उपदेश है । अब श्री विद्यानन्द आचार्य उसका भी वार्तिकों द्वारा विचार करते हैं ।

प्रतिसंबंधशून्यानामर्थानामभिभाषणम् ।

यत्पुनः प्रकृतादर्थादर्थान्तरसमाश्रितम् ॥ १९२ ॥

कचित्किंचिदपि न्यस्य हेतुं तच्छब्दसाधने ।

पदादिव्याकृतिं कुर्याद्यथानेकप्रकारतः ॥ १९३ ॥

जो फिर प्रकरणप्राप्त अर्थसे प्रतिकूल अनुपयोगी अन्य अर्थका आश्रय रखता हुआ निरूपण करना है, जो कि सम्मुख स्थित विद्वानोंके प्रति सम्बन्धसे शून्य हो रहे अर्थोंका प्ररूपण है, यह अर्थान्तर है । जैसे कि कहीं भी पक्षमें किसी भी साध्यको स्थापित कर वादी द्वारा विवक्षित हेतुकी कहा गया, ऐसी दशामें वादी उस हेतु शब्दके सिद्ध करनेमें पद, कारक, धात्वर्थ, इत्यादिकका अनेक प्रकारोंसे व्युत्पादन करने लग जाय कि स्वादि गणकी “ हि गतौ बुद्धौ च ” धातुसे तुन् प्रत्यय करनेपर कृदन्तमें हेतु शब्द निष्पन्न होता है । सुबन्त, तिङन्त, यों द्विविध पद होते हैं । उपसर्ग तो क्रियाके अर्थके द्योतक होते हैं । अकारक, सकर्मक यों दो प्रकारकी धातुएँ हैं, इत्यादि कई प्रकारोंसे अप्रकृत बातोंके निरूपण करनेवाले वादीका निरर्थक निग्रहस्थान हो जाता है । क्योंकि

वादी प्रतिवादियोंको न्यायपूर्वक सार्थक प्रकृतोपयोगी वाक्य कहने चाहिये। इस प्रकार सामान्य विषयके होते हुए पक्ष और प्रतिपक्षके परिग्रह करनेमें हेतु द्वारा साध्यकी सिद्धि करना प्रकरण प्राप्त हो रहा है। ऐसी दशामें कोई वादी या प्रतिवादी प्रकृत हेतुका प्रमाणकी सामर्थ्यसे समर्थन करनेके लिये मैं असमर्थ हूँ, ऐसा निश्चय रखता हुआ वादको नहीं छोड़ता हुआ प्रकृत अर्थको छोड़कर अर्थान्तर का कथन कर देता है कि शब्दको नित्यत्व साधनेमें अस्पर्शवत्त्व हेतु प्रयुक्त किया है। हेतु शब्द हिनोति धातुसे तु प्रत्यय करनेपर बनता है। स्वादिगणकी साधू धातुसे साध्य शब्द बनता है। इत्यादिक व्याख्यान करना अर्थान्तर निग्रहस्थान प्राप्त करा देनेका प्रयोजक है।

तत्रापि साधनेशक्ते प्रोक्तेर्यांतरवाक् कथम् ।

निग्रहो दूषणे वापि लोकवद्विनियम्यते ॥ १९४ ॥

असमर्थे तु तत्र स्यात्कस्यचित्पक्षसाधने ।

निग्रहोर्थांतरं वादे नान्यथेति विनिश्चयः ॥ १९५ ॥

उस अर्थान्तरनामक निग्रहस्थानके प्रकरणमें भी हमको नैयायिकोंके प्रति यह कहना है कि वादीके द्वारा साध्यको साधनेमें समर्थ हो रहे अच्छे प्रकार साधनके कह चुकनेपर पुनः वादी करके अप्रकृत बातोंका कहना वादीको अर्थान्तर निग्रहस्थानमें गिरानेके लिये उपयोगी होगा। अथवा क्या वादीके द्वारा साध्य सिद्धिके लिये असमर्थ हेतुका कथन कर चुकनेपर पुनः असम्बद्ध अर्थवाले वाक्योंके कहनेपर प्रतिवादीकरके वादीका अर्थान्तर निग्रहस्थान निरूपण किया जायगा ? बताओ ! साथमें दूसरा विकल्प यों भी है कि वादीने पक्षका परिग्रह किया और प्रतिवादने दूषण देकर असम्बन्ध वाक्योंको कहा, ऐसी दशामें वादीद्वारा प्रतिवादीके ऊपर अर्थान्तर निग्रहस्थान उठाया जाता है। यह श्रुति है कि वादीके पक्षका खण्डन करनेमें समर्थ हो रहे दूषणके कह चुकनेपर प्रतिवादीके ऊपर वादी अर्थान्तर उठावेगा ! अथवा क्या वादीके पक्षका खण्डन करनेमें असमर्थ हो रहे दूषणके देनेपर पुनः प्रतिवादी यदि असंगत अर्थवाले वाक्योंको बोळ रहा है। उस दशामें वादीकरके प्रतिवादीका निग्रहकर दिया गया माना जावेगा ? बताओ। पूर्वोक्त वादीद्वारा समर्थसाधन कहनेपर या प्रतिवादीद्वारा समर्थदूषण दे देनेपर तो निग्रहस्थान नहीं मिथना चाहिये। क्योंकि अपने कर्तव्य साध्यको भले प्रकार साधकर अप्रकृत वचन तो क्या यदि कोई नाचे तो भी कुछ दोष नहीं है। जैसे कि लोकमें अपने अपने कर्तव्यको साधकर चाहे कुछ भी कार्य किया जा सकता है। इसमें कोई दोष नहीं देता है। अतः लौकिक व्यवस्थाके अनुसार विशेषरूपसे नियम किया जाता है, तब तो अर्थान्तर निग्रहस्थान नहीं है। हाँ, वादी या प्रतिवादी द्वारा असमर्थ साधन या दूषणके कहनेपर तो किसीका भी यह निग्रहस्थान नहीं होगा। वादमें किसी भी एकके पक्षकी

सिद्धि हो जानेपर दूसरे असम्बद्धभाषीका अर्थान्तर निम्नस्थान होगा । अन्य प्रकारसे निम्नस्थान हो जानेकी व्यवस्था नहीं है । पहिले प्रकरणोंमें इसका विशेषरूपसे निश्चय कर दिया गया है ।

निरर्थकं विचारयितुमारभते ।

अब सातवें “ निरर्थक ” नामक निम्नस्थानका विचार करनेके लिये श्री विद्यानन्द आचार्य महाराज प्रारम्भ करते हैं ।

वर्णक्रमस्य निर्देशो यथा तद्वन्निरर्थकं ।

यथा जवञ्जभेत्यादेः प्रत्याहारस्य कुत्रचित् ॥ १९६ ॥

क, ख, ग, घ आदि वर्णमाळाके अक्षरोंके क्रमका निर्देश करना जिस प्रकार निरर्थक है, उसी प्रकार निरर्थक अक्षरोंका प्रयोग करनेसे प्रतिपादकका निरर्थक निम्नस्थान हो जाता है । जैसे कि किसी एक स्थळपर शब्दकी नित्यता सिद्ध करनेके अन्तर्गमें व्याकरणके “ ज ब ग ड द श्, झ म घ ङ घ प्, यों अल्, इल्, जश् आदि प्रत्याहारोंका निरूपण करनेवाला पुरुष निर्गृहीत हो जाता है ।

यदुक्तं वर्णक्रमनिर्देशवन्निरर्थकं । तद्यथा-नित्यः शब्दो जवगददशस्त्वाञ्जमघदघ-  
पूर्वदिति ।

जो ही न्यायदर्शनमें गौतमऋषि द्वारा कहा गया है । वर्णोंके क्रमका नाममात्र कथन करनेके समान निरर्थक निम्नस्थान होता है । उसको उदाहरण द्वारा यों दिखलाया गया है कि शब्द ( पञ्च ) नित्य है ( साध्य ) ज व ग ड द श्पना होनेसे ( हेतु ) झ म घ ङ घपके समान ( दृष्टान्त ) । इस प्रकार वाच्यवाचक भावके नहीं बननेपर अर्थका ज्ञान नहीं होनेसे वर्ण ही क्रमसे किसी पाँगा पण्डितने कह दिये हैं । अतः वह निर्गृहीत हो जाता है ।

तत्सर्वार्थशून्यत्वात् किं साध्यानुपयोगतः ।

द्वयोरदिविकल्पोत्रासंभवादेव तादृशः ॥ १९७ ॥

वर्णक्रमादिशब्दस्याप्यर्थवत्त्वात्कथंचन ।

तद्विचारे क्वचिदनुकार्येणार्थेन योगतः ॥ १९८ ॥

इधर आचार्य महाराज विचार करते हैं कि वह निरर्थक निम्नस्थान क्या समी प्रकारों करके अर्थसे शून्यपना होनेसे बकाका निम्न करानेके लिये समर्थ हो जायगा ? अथवा क्या प्रकृत साध्यके साधनेमें असयोगी नहीं होनेसे निरर्थक वचन बकाका निम्न कर देवेंगे ? बताओ । उन दो

विकल्पोंमें आदिका विकल्प तो यहां असम्भव हो जानेसे ही योग्य नहीं है। अतः तिस सरीखा यानी निरर्थक सदृश है। क्योंकि जगत्में सभी प्रकार अर्थोंसे शून्य होय ऐसे शब्दोंका असम्भव है। वर्णक्रम, रुदन करना, काँट भाषा, अट्टहास, आदि शब्दोंको भी किसी अपेक्षासे अर्थ सहितपना है। सूक्ष्म दृष्टिसे उसका विचार करनेपर कहीं कहीं अनुकरण कराना रूप अर्थकरके वे शब्द अर्थवान् हैं। किसी न किसी रूपमें सभी शब्दोंका अर्थके साथ योग हो रहा है। छोटे बाळकोंको पढाते समय वर्णमालाके अक्षरोंका बैसाका बैसा हां उच्चारण करा कर अनुकरण (नकळ) कराया जाता है। अशुद्ध या अवाच्य शब्द बोलनेवाले अज्ञ जीवके उच्चारणका पुनः आवश्यकता अनुसार अनुवाद करते समय श्रेष्ठवक्ताको भी निकृष्ट शब्द बोलने पडते हैं। काक, पिक आदिके शब्द तो अन्य भी अर्थोंको धारण करते हैं। व्याकरणमें तो प्रायः शब्दोंके अनुकरण कहने पडते हैं। अग्नि शब्दकी सुसंज्ञा है। वैश्वानर, आनुपूर्वाकी नहीं। अतः सर्वथा अर्थोंसे शून्य तो कोई शब्द ही नहीं है, पहिली विकल्प गया।

**द्वितीयकल्पनायां तु सर्वमेव निरर्थकम् ।**

**निग्रहस्थानमुक्तं स्यात्सिद्धवन्नोपयोगवत् ॥ १९९ ॥**

**तस्मान्नेदं पृथग्युक्तं कक्षापिहितकादिवत् ।**

**कथाविच्छेदमात्रं तु भवेत्पक्षांतरोक्तिवत् ॥ २०० ॥**

ही, दूसरे पक्षकी कल्पना करनेपर पूर्वमें कहे जा चुके सभी निग्रहस्थान निरर्थक निग्रहस्थान ही हो जावेंगे, यों कह दिया गया समझो। प्रसिद्ध हो रहे निरर्थक निग्रहस्थानके समान वे प्रति-हानि आदिक भी कोई साध्यको साधनेमें उपयोगवाले नहीं है ! अथवा साध्यसिद्धिमें अनुपयोगी होनेसे सभी तैर्ही निग्रहस्थानोंका निरर्थकमें अन्तर्भाव कर देना चाहिये। तिस कारणसे सिद्ध हो जाता है कि वह निग्रहस्थान पृथक् मानना युक्त नहीं है। जैसे कि खांसना, कांपना, हाय फटकारना आदिक कोई भी वक्ताकी क्रियायें साध्य उपयोगी नहीं है, निरर्थक हैं, फिर भी वे न्यायी निग्रहस्थान नहीं मानी गयी है। थोड़ीसी विशेषताओंसे यदि भिन्न भिन्न निग्रहस्थान माने जावेंगे तो काँख खुजाना या धोतीकी काँछ टंकना, धूकना, शिराहिलाना आदिकको भी न्यारा निग्रहस्थान मानना पडेगा। वर्णक्रमके समान ये भी साध्यसिद्धिके उपयोगी नहीं है। हां, इस प्रकार निरर्थक बातोंके बकते रहनेसे वादकका केवल विच्छेद तो अवश्य हो जायगा। जैसे कि प्रति-ज्ञान्तर, या शब्द नियम है, इस पक्षको छोडकर आत्मा व्यापक है, इस अन्य पक्षका कथन करना, केवल वादको बिगाडनेवाला है। इतनेसे ही किसीका जप, पराजय, नहीं हो सकता है।

**तथाहि—सुबल साध्वं न साधनं जानीति असाध्यसाधनं चोपदत्ते इति नियुक्ते स्वपथं साधयतान्येन नान्यथा, न्यापविरोधात् ।**

इसी बातको स्पष्टकर कहते हैं कि निरर्थक शब्दोंको कहनेवाला मनुष्य साध्य और साधनको नहीं जानता है। जो साध्यके साधक नहीं है, उन व्यर्थ शब्दोंको पकड बैठा है। इस कारण वह निगृहीत हो जाता है। किन्तु बात यह है कि अपने पक्षको अच्छे प्रकार साध रहे दूसरे विद्वान् करके उसका निग्रह किया जावेगा। अन्य प्रकारसे उस निरर्थक शब्दवादीका निग्रह नहीं हो सकेगा। क्योंकि न्याय करनेसे विरोध पड़ता है। नौति मार्ग यही बताता है कि अपने पक्षको साधकर दूसरेका जय कर सकते हो। निर्दोष दो आँखोंवाला पुरुष मछे ही दोष दृष्टिसे कानेको काणा कह दे, किन्तु काणा पुरुष तो दूसरे एकाक्षको निन्दापूर्वक काणा नहीं कह सकता है।

यदप्युक्तं, “परिपत्प्रतिवादिभ्यां त्रिरभिहितमप्यविज्ञातमविज्ञातार्थं भाष्ये चोदाहृतमसामर्थ्ये सम्बरणाग्निग्रहस्थानं ससामर्थ्यं चाज्ञानमिति, तदिह विचार्यते।

अथ श्री विद्यानन्द स्वामी “अविज्ञातार्थ” निग्रहस्थानका विचार करते हैं। जो भी अविज्ञातार्थका उद्घरण न्यायदर्शनमें गौतमऋषिने यों कह दिया है कि वादी द्वारा तीन बार कहे हुये को भी यदि समाजन और प्रतिवादी करके नहीं विज्ञात किया जाय तो वादीका अविज्ञातार्थ निग्रहस्थान हो जाता है। म.वार्थ—वादीने एक बार पूर्व पक्ष कहा, किन्तु परिपदके मनुष्य और प्रतिवादीने उसको समझा नहीं, पुनः वादीने दुबारा कहा, फिर भी दोनोंने नहीं समझा, पुनरपि वादीने तिसरा कहा, तो भी सम्पन्न और प्रतिवादीने उसको नहीं समझ पाया, तो वादीका “अविज्ञातार्थ” निग्रहस्थान हो जायगा। क्योंकि वादी धोका दे रहा है कि सम्य और प्रतिवादीको अज्ञान करा देनेसे मेरा जय हो जावेगा। न्यायमाध्यमें यों ही उदाहरण देकर कहा है। “यदाक्यं परिपदा प्रतिवादिना च त्रिरभिहितमपि न विज्ञायते दिग्दृशद्वयप्रतीतप्रयोगमतिदुतोच्चारितमित्येवमादिना कारणेन तदविज्ञातमविज्ञातार्थमसामर्थ्यसवरणाय प्रयुक्तमिति निग्रहस्थानम्” जो वादीका वाक्य तीन बार कहा जा चुका भी यदि प्रतिवादी और सम्य पुरुषों करके नहीं जाना जा रहा है, वहा वादीद्वारा श्लेषयुक्त शब्दोंका प्रयोग किया गया दीखता है, या निनकी प्रतीति नहीं हो सके, ऐसे वाक्योंका उच्चारण हो रहा है, जैसे कि शब्दके नित्यत्वकी सिद्धिका प्रकरण है वहा “तच्छरीरमधुगविमलं घूमसत्त्वाग विचोरमयमेरु, तटहरखड्गस्य ह्येति इ माणुसपञ्चतसंखका ॥ सुहमणिवातेभान् वाते आपुणि परिद्विद इदरं । वित्तिचपमादिद्विणं प्याराणं तिसैदीव ॥ इषु हीण विकर्षं च द गुणिदिसुणाहदेदुजीवकदी, बाणकदिं छदि गुणिदे तच्छुदे घणुकदी होदि” अथवा अत्यन्त शीघ्र शीघ्र उच्चारण करना, जय लटनेके लिये गूढ अर्थवाले पदोंका प्रयोग करना, इत्यादि कारणोंकरके अपनी असामर्थ्यको छिपा देनेका कुत्सित प्रयत्न करनेसे वादीका अविज्ञातार्थ निग्रहस्थान हो जाता है। और यदि वादी साध्यको साधनेमें समर्थ है तो

भी गूढ पदप्रयोग करनेसे, या शीघ्र बोलनेसे, उसका अज्ञान सपञ्चा जाता है। इस प्रकरणमें उस अविज्ञातार्थका श्री विद्यानन्द स्वामी विचार चलाते हैं।

परिपत्प्रतिवादिभ्यां त्रिरुक्तमपि वादिना ।

अविज्ञातमविज्ञातार्थं तदुक्तं जडात्मभिः ॥ २०१ ॥

यदा मंदमती तावत्परिपत्प्रतिवादिनौ ।

तदा सत्यगिरोपेते निग्रहस्थानमापयेत् ॥ २०२ ॥

ज्ञानसे सर्वथा भिन्न अतएव जड हो रही आत्माको माननेवाले भैयाधिकोने जो अविज्ञातार्थ का लक्षण वह कहा था कि वादीके द्वारा तीन बार कहे हुये को भी यदि समाजन और प्रतिवादि-योंने नहीं समझा है तो इससे वादीका “अविज्ञातार्थ” निग्रहस्थान है। इसी प्रकार प्रतिवादीके तीन बार कहे हुये को भी यदि वादी और सम्ब जनोंने नहीं जान पाया तो प्रतिवादीका भी अविज्ञातार्थ ( अज्ञान ) निग्रहस्थान है। यहाँ सबसे पहिले हमको यह कहना है कि जब प्रतिवादी और समा-जन मन्दबुद्धिवाले हैं, तब तो संमीचीन वाणीसे सहित हो रहे वादीमें भी निग्रहस्थान करा देंगे। यानी प्रकाण्ड विद्वान्को पोंगा छोग निग्रहस्थानमें गिरा देंगे। यों तो प्राणीण ठाकुर या गंवारोंमें चार वेद और चार वेदिनी इस प्रकार आठ वेदोंको खाननेवाळा प्राणीण घूर्त पण्डित भी वेदोंको चार कहनेवाले उद्भट विद्वान्को जातकर उसकी पुस्तके और यश लेता हुआ कृती हो जायगा। वीस वर्षतक अनेक ग्रन्थोंको पढ चुका, महा विद्वान् निगृहीत कर दिया जावेगा।

यदा तु तौ महाप्राज्ञौ तदा गूढाभिधानतः ।

दुतोच्चारदितो वा स्यात्तयोरनवबोधनम् ॥ २०३ ॥

प्राग्विकल्पे कथं युक्तं तस्य निग्रहणं सताम् ।

पत्रवाक्यप्रयोगेपि वक्तुस्तदनुपंगतः ॥ २०४ ॥

और जब वे परिषद् और प्रतिवादी बड़े भारी विचारशील विद्वान् हैं, तब तो हम पूछते हैं कि उन विचक्षणोंको वादीके तीन बार कहे हुये का भी अविज्ञान क्यों होगया ? क्या वादीने गूढपदोंका प्रयोग किया था ? अथवा क्या वादी शीघ्र बड़ बड़ कह जाता है, खासते हुये मोलता है, इत्यादि कारणोंसे वे नहीं समझ पाये ? बताओ ! पूर्वका विकल्प स्वीकार करनेपर तो सज्जन पुरुषोंके सम्मुख उस वादीका निग्रहस्थान कर देना मळा कैसे युक्त हो सकता है ? अर्थात्—नहीं। क्योंकि यों निग्रहस्थान कर देनेपर तो पत्रवाक्यके प्रयोगमें भी वक्ताको उस अविज्ञातार्थ निग्रहस्थान

की प्रासिका प्रसंग हो जायेगा । “प्रासिद्धात्रयवनाकथं स्वेष्टार्थस्य हि साधकं, साधुगूढपदप्रायं पत्रमाहु-  
रनाकुलं ” । जहाँ गूढ पदोंको पत्रमें लिखकर शास्त्रार्थ किया जाता है, वहाँ गूढ कथन करनेसे  
सकृष्ट विद्वान्का निग्रह तो नहीं दो जाता है ।

पत्रवाक्यं स्वयं वादी व्याचष्टेन्यैरनिश्रितम् ।

यथा तथैव व्याचष्टां गूढोपन्यासमात्मनः ॥ २०५ ॥

अव्याख्याने तु तस्यास्तु जयाभावो न निग्रहः ।

परस्य पक्षसंसिद्धयभावादेतावता ध्रुवम् ॥ २०६ ॥

यदि कोई न्यायवादी यों कहे कि अन्य विद्वानों करके नहीं निश्चित किये गये पत्रवाक्यका  
जिस प्रकार वादी स्वयं व्याख्यान करता है । जैसे कि “ उभान्तवाक् ” का अर्थ विश्व किया जाता  
है । सर्व, विश्व, उभ, उभय आदि सर्वादि गणमें विश्वके अन्तमें उभ शब्दका निर्देश है । एवं  
सैन्यलडभाक् इत्यादिक गूढपदोंका व्याख्यान वादी कर देता है । अतः समाजन और प्रतिवादीको  
अर्थका विज्ञान हो जाता है । इस पर आचार्य कहते हैं कि अच्छी बात है कि वह वादी तिस ही  
प्रकार अपने उच्चारण किये गये गूढकथनका भी व्याख्यान कर देवे । हां, यदि वादी कषाय वश  
अपने गूढ शब्दोंका व्याख्यान नहीं करता है, तो उसका जय प्राप्त करनेका अभाव हो जायगा ।  
किंतु इतनेसे ही कठिन संस्कृत वाणीको बोलनेवाले वादीका कदचिद् भी अविज्ञानी पुरुषों करके  
निग्रहस्थान तो नहीं हो सकता है । क्योंकि दूसरे प्रतिवादीके पक्षकी समीचीन रूपसे सिद्धि होनेका  
अभाव है । यह निश्चित मार्ग है ।

द्रुतोच्चारादितस्त्वेतौ कथंचिदवगच्छतौ ।

सिद्धांतद्वयतत्त्वज्ञैस्ततो नाज्ञानसंभवः ॥ २०७ ॥

वक्तुः प्रलापमात्रे तु तयोरनबबोधनम् ।

नाविज्ञातार्थमेतत्स्याद्वर्णानुक्रमवाद्भवत् ॥ २०८ ॥

द्वितीय विकल्प अनुसार वादीके शीघ्र शीघ्र उच्चारण करना, अथवा श प स एवं ङ ञ य  
त ट आदिका विवेक नहीं कर अव्यक्त कहना, खासी श्वास चलना, दातोंमें भ्रुटि होना, ऐसे रोगोंके  
वश होकर अप्रकट बोला जाना आदि कारणोंसे तो ये प्रतिवादी और समाजन कुछ न कुछ थोडा  
बहुत तो अवश्य समझ जावेंगे । क्योंकि मध्यस्थ या समाजन तो वादी और प्रतिवादी दोनोंके  
सिद्धांत किये गये तत्त्वोंको समझनेवाले हैं । तिस कारण वादीके अमिप्रेत अर्थका इनको अज्ञान

होना सम्भव नहीं है। हाँ, यदि वक्ता वादी साध्यके अनुपयोगी शब्दोंका यों ही केवल अनर्थक वचन कर रहा है, ऐसी दशामें उन दोनों समाजन प्रतिवादियोंको वादीके कथित अर्थका ज्ञान नहीं होना सो यह अविज्ञातार्थ नहीं है। यानी परिषद् और प्रतिवादीके नहीं समझनेपर व्यर्थ वचन बोलनेवाले वादीके ऊपर तो अविज्ञातार्थ निग्रहस्थान नहीं बठाना चाहिये। जैसे कि जब ग ड द श् आदि वर्णोंके अनुक्रमका निर्देश कर व्यर्थ कथन करनेवाले वादीके ऊपर अविज्ञातार्थ निग्रह नहीं उठाना जाता है। हाँ, सम्यजमोंके सम्मुख प्रतिवादी द्वारा स्पष्टकी सिद्धि हो जानेपर तो यों ही असंगत प्रलाप करने वाले वादीके ऊपर भले ही निरर्थक निग्रहस्थानका आरोप कर दो, अविज्ञातार्थको न्यारा निग्रहस्थान माननेकी आवश्यकता नहीं।

ततो नेदमविज्ञातार्थं निरर्थकान्द्रियते ।

तिस कारणसे यह अविज्ञातार्थ निग्रहस्थान पूर्वमें मान लिये गये निरर्थक निग्रहस्थानसे भिन्न होता हुआ नहीं सिद्ध होपाता है।

नाप्यपार्थकमित्याह ।

तथा नौवां निग्रहस्थान “ अपार्थक ” भी निरर्थकसे भिन्न नहीं सिद्ध हो सकता है। इस बातको स्वयं प्रत्यक्षार स्पष्ट कहते हैं।

प्रतिसंबंधहीनानां शब्दानामभिभाषणं ।

पौर्वापर्येण योगस्य तत्राभावादपार्थकम् ॥ २०९ ॥

दाडिमानि दशेत्यादिशब्दवत्परिकीर्तनम् ।

ते निरर्थकतो भिन्नं न युक्त्या व्यवतिष्ठते ॥ २१० ॥

“ पौर्वापर्ययोगादप्रतिसम्बन्धार्थमपार्थकम् ” शब्दोंके पूर्व अपरपने करके संगतिरूप योगका यहां अभाव हो जानेसे शाब्दबोधके जनक आसक्ति, योग्यता, आकांक्षा ज्ञान आदिके अभाव हो जानेके कारण सम्बन्धहीन शब्दोंका लम्बा चौड़ा कथन करना अपार्थक निग्रहस्थान है। जैसे कि दश अनार हैं, छह पूजा हैं, बकरीका चमडा है, बम्बई नगर बहुत बडा है, माष वातुल होता है, इत्यादिक शब्द बोलनेके समान असंगत शब्दोंका उच्चारण वादीका अपार्थक निग्रहस्थान हो जाना तुम नैयायिकोंके यहां कहा गया है। युक्तिद्वारा विचार करनेपर वह अपार्थक तो निरर्थक निग्रहस्थानसे पृथक्भूत व्यवस्थित नहीं हो पाता है। क्योंकि निरर्थकमें भी वर्णरूपी शब्द निरर्थक हैं। और यहां भी असंगतपद निरर्थक हैं।



नैरर्थक्यं हि वर्णानां यथा तद्वत्पदादिषु ।

नाभिद्येतान्यथा वाक्यनैरर्थक्यं ततोपरम् ॥ २११ ॥

जिस ही प्रकार निरर्थक निप्रहस्थानमें ज व ग ङ आदि वर्णोंका निरर्थकपना है, उसीके समान यहां पद आदिमें भी वर्णोंके समुदाय पदोंका साध्य उपयोगी अर्थसे रहितपना है । अतः निरर्थक निप्रहस्थानसे अपार्यक निप्रहस्थान भिन्न नहीं माना जावेगा । अन्यथा यानी वर्णोंकी निरर्थकतासे पदोंकी निरर्थकताको यदि न्यारा निप्रहस्थान माना जावेगा तब तो उनसे न्यारा वाक्योंका निरर्थकपना स्वरूप वाक्यनैरर्थक्य नामक निप्रहस्थान भी पृथक् मानना पड़ेगा । जो कि तुम नैयायिकोंने न्यारा माना नहीं है ।

न हि परस्परमसंगतानि पदान्येव न पुनर्वाक्यानीति शक्यं वक्तुं तेषामपि पौर्वापर्येण प्रयुज्यमानानां बहुलमुपलम्भात् । “ शंखः कदल्यां कदली च भेर्यौ तस्यां च भेर्यौ सुमहद्विमानं । तच्छंखभेरी कदली विमानमुन्मत्तगंगप्रतिमं बभूव ॥ ” इत्यादिवत् । यदि पुनः पदनैरर्थक्यमेव वाक्यनैरर्थक्यं पदसमुदायत्वाद्वाक्यस्येति मतिस्तदा वर्णनैरर्थक्यमेव पदनैरर्थक्यमस्तु वर्णसमुदायत्वात्पदस्येति मन्यतां ।

परस्परमें संगतिको नहीं रखनेवाले पद ही होते हैं । किन्तु फिर परस्परमें असम्बद्ध हो रहे कोई वाक्य तो नहीं है । तुम नैयायिक यों नियम नहीं कर सकते हो । क्योंकि पूर्व अपर सम्बन्ध करके नहीं प्रयोग किये जा रहे उन वाक्योंका भी बहुत स्थानोंपर उपलम्भ हो रहा है । देखिये, शंख केकामें है और नगाडेमें केला है । उस नगाडेमें अच्छा लम्बा चौड़ा विमान है । वे शंख, नगाडे, केला, और विमान जिस देशमें गंगा लम्बच है, उसके समान हो गये । तथा “ जरद्गवः कम्बलपाणिपादः, हारि स्थितो गावति मंगलानि तं ब्राह्मणी पृच्छति पुत्रकामा राजन्नुखाया लघुनस्य कौड्यः ” हाय पेरोंमें कम्बलको बाधे हुये बुद्धा बैल द्वारपर खड़ा है । मंगल गीतोंको गा रहा है । पुत्रप्राप्तिकी इच्छा रखनेवाली ब्राह्मणी उससे पूछती है कि हे राजन् ! कसेडोंमें लहसनका क्या प्रयोजन ? इत्यादिक निरर्थक वाक्योंका अनेक प्रकारोंसे श्रवण हो रहा है । यदि फिर आप नैयायिक यों कहे कि पदोंका निरर्थकपना ही तो वाक्योंका निरर्थकपना है । क्योंकि पदोंका समुदाय ही तो वाक्य है । अतः अपार्यकसे भिन्न “ वाक्यनिरर्थक ” नामका निप्रहस्थानको न्यारा माननेकी हमें आवश्यकता नहीं । इस प्रकार नैयायिकोंका मन्तव्य होनेपर तो हम कहेंगे कि वर्णोंका निरर्थकपना ही पदका भी निरर्थकपना हो जाओ । क्योंकि वर्णोंका समुदाय ही तो पद है । अतः अपार्यकको भी निरर्थकसे भिन्न न्यारा निप्रहस्थान नहीं मानना चाहिये ।

वर्णानां सर्वत्र निरर्थकत्वात्पदस्य निरर्थकत्वप्रसंग इति चेत्, पदस्यापि निरर्थकत्वाच्चत्समुदायात्मनो वाक्यस्यापि निरर्थकत्वानुपगमः पदार्थापेक्षया सार्थकं पदमिति चेत् वर्णापेक्षया वर्णः सार्थकोऽस्तु । प्रकृतिप्रत्ययादिवर्णवत् न प्रकृतिः केवलं पदं प्रत्ययो वा, नापि तयोरनर्थकत्वमभिव्यक्तार्थाभावादनर्थकत्वे पदस्याप्यनर्थकत्वं । यथैव हि प्रकृत्यर्थः प्रत्ययेनाभिव्यज्यते प्रत्ययार्थः स्वप्रकृत्या तयोः केवलयोरप्रयोगार्हत्वात् । तथा देवदत्तस्तिष्ठतीत्यादिप्रयोगेषु सुवन्तपदार्थस्य तिङन्तपदेनाभिव्यक्तः तिङन्तपदार्थस्य च सुवन्तपदेनाभिव्यक्तः केवलस्याप्रयोगार्हत्वादभिव्यक्तार्थाभावो विभाव्यत एव । पदांतरापेक्षत्वे सार्थकत्वमेवेति तत्प्रकृत्यपेक्षस्य प्रत्ययस्य तदपेक्षस्य च प्रकृत्यादिवत्स्वस्य सार्थकत्वं साध्यत्येव सर्वथा विशेषाभावात् । ततो वर्णानां पदानां वा संगतार्थानां निरर्थकत्वमिच्छता वाक्यानामप्यसंगतार्थानां निरर्थकत्वमेवितव्यं । तस्य ततः पृथक्त्वेन निग्रहस्थानत्वानिष्टौ वर्णपदनिरर्थकत्वयोरपि तथा निग्रहाधिकरणत्वं या भूत् ।

यदि नैयायिक यो कहे कि वर्ण तो सर्वत्र ही निरर्थक होते हैं । क, ख, आदि अकेले अकेले वर्णोंका कहीं भी कोई अर्थ नहीं माना गया है । अतः निरर्थक वर्णोंके समुदायरूप पदको भी यो निरर्थकपदका प्रसंग हो जायगा, तब तो हम कहेंगे कि अकेले अकेले घट या आनय आदि पदका भी निरर्थकपदना हो जानेसे, उन पदोंके समुदायरूप वाक्यको भी निरर्थकपदका प्रसंग बन बैठेगा । यदि इसका उत्तर आप नैयायिक यो दें कि प्रत्येक पदके केवल शुद्ध पदके अर्थकी अपेक्षासे पद भी सार्थक है । अतः इस अपार्थक निग्रहस्थानमें ही वाक्यनिरर्थकपदका अन्तर्भाव हो जायगा । यो कहनेपर तो हम जैन भी कह देंगे कि प्रत्येक वर्णके स्वकीय केवल अर्थकी अपेक्षासे वर्ण भी सार्थक बना रहो । एकाक्षरी कोप अनुसार वर्णोंका अर्थ प्रसिद्ध ही है । अतः निरर्थक निग्रहस्थानमें अपार्थक निग्रहस्थान अन्तर्भूत हो जावेगा । जैसे कि प्रकृति, प्रत्यय आदिक वर्णोंका निजी गठका अर्थ न्यारा है । घट प्रकृतिका अर्थ कम्बु ग्रीवादिमान् व्यक्ति है । और सु विमक्तिका अर्थ एकत्व संख्या है । पच् प्रकृतिका अर्थ पाक है । तिपका अर्थ एकत्व स्वतंत्रकर्ता आदिक हैं । पुण्येऽयः यहाँ अर्थवान् शब्दस्वरूप प्रतिपदिकका अर्थ फूल है । और म्यस् प्रत्ययका अर्थ बहुत्व तादर्थ्य हैं । अतः वर्ण भी अपना स्वतंत्र न्यारा अर्थ रखते हैं । केवल प्रकृति ही प्रत्यययोगके बिना नहीं बोली जाती है । तथा केवल पद अथवा प्रत्यय भी केवल नहीं कहा जा सकता है । बच्चोंको समझानेके लिये भले ही व्याकरणमें यो कह दो कि घट शब्द है । सु विमक्ति लिये, उकार इसंबक है, स का विसर्ग हो गया । घटः बन गया । यह प्रयोगोंको केवल साधु बतानेकी प्रक्रिया मात्र है । न कुछ जाता है, और न कहींसे कुछ आता है । वस्तुतः देखा जाय तो केवल घट या सु प्रत्यय उच्चारण

करने योग्य नहीं है। पहिलेसे ही “घट” ऐसा बना बनाया सुबन्त पद है। एतावता उन प्रकृति या प्रत्ययको अनर्थकपना नहीं है। यदि आप नैयायिक यों कहें कि अधिक प्रकट हो रहे अर्थके नहीं होनेसे केवल प्रकृति या केवल प्रत्यय तो अर्थशून्य है, तब तो हम कहेंगे कि इस प्रकार केवल पदको भी अनर्थकपना है। ऐसी दशामें अकेले निरर्थक निप्रहस्यानसे ही कार्य चल जायगा। अपार्यकका क्यों व्यर्थमें बोझ बढ़ाया जाता है। जिस ही प्रकार प्रत्ययकरके प्रकृतिका अर्थ प्रकट कर दिया जाता है और स्वकीय प्रकृतिसे प्रत्ययका अर्थ व्यक्त हो जाता है, तिप् प्रत्ययसे भू धातुका अर्थ सद्भाव प्रकट हो जाता है और मू धातुसे तिप्का अर्थ कर्त्ता, एकत्व, वर्तमान कालमें ये प्रकट हो जाते हैं, केवल प्रकृति या केवल प्रत्ययका तो प्रयोग करना युक्त नहीं है। “न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या न केवलः प्रत्ययः”। तिस ही प्रकार यानों प्रत्ययकी अपेक्षा रखनेवाली प्रकृति और प्रकृतिकी अपेक्षा रखनेवाले प्रत्ययके समान ही देवदत्त बैठे हुए है। जिनदत्त जाग रहा है, मोदक खाया जाता है, इत्यादिक प्रयोगोंमें सु और जस् आदिक प्रत्ययोंको अन्तमें धारण कर रहे देवदत्त, जिनदत्त, मोदक आदि पदोंके अर्थकी तिप्, तस्, क्षि, त, आताम्, झ, आदिक तिङ्, प्रत्ययोंको अन्तमें धारण करनेवाले तिष्ठति, जागति, मुग्धते आदिक तिङ्गत पदोंकरके अभिव्यक्ति हो जाती है। तथा तिङ्गत पदोंके अर्थकी सुबन्त पदोंकरके प्रकटता हो जाती है। केवल तिङ्गत या सुबन्त पदका प्रयोग करना उचित नहीं है। केवल सुबन्त या तिङ्गत पदका अर्थ प्रकट नहीं है। यह यही भी विचार लिया ही जाता है। यदि नैयायिक यों कहें कि अन्य पदकी अपेक्षा रखते हुये तो प्रकृत पदकी सार्थकपना ही है, इस प्रकार कहनेपर तो हम कहेंगे कि वह सार्थकपना तो प्रकृतिकी अपेक्षा रखते हुये प्रत्ययको और प्रत्ययकी अपेक्षा रखते हुये प्रकृति आदिके समान स्वके सार्थकपन को साथ ही देता है। सभी प्रकारोंसे कोई विशेषता नहीं है। भावार्थ—परस्परमें अपेक्षा रखनेवाले प्रत्यय और प्रकृतिके समान एक पदको भी दूसरे पदकी अपेक्षा रखना अनिवार्य है। तभी तो “वर्णानां परस्परापेक्षाया निरपेक्षः समुदायः पदं” परस्परमें सापेक्ष हो रहे वर्णोंका पुनः अन्यकी नहीं अपेक्षा रखनेवाला समुदाय पद है और “पदानां परस्परापेक्षाया निरपेक्षसमुदायो वाक्यं” परस्परमें एक दूसरेकी अपेक्षा रखनेवाले पदोंका निरपेक्ष समुदाय वाक्य है। तिस कारणसे कहना पडता है कि संगतिसहित अर्थोंको नहीं धारनेवाले असंगत वर्णों या पदोंका निरर्थकपना चाहनेवाले नैयायिक करके असंगत अर्थवाले वाक्योंका भी निरर्थकपना इच्छ लेना चाहिये। यदि नैयायिक उस असंगत अर्थवाले वाक्योंके निरर्थकपनको उस अपार्यक निप्रहस्यानसे पृथक्पने करके दूसरा निप्रहस्यानपना इष्ट नहीं करेंगे तब तो हम कहते हैं कि वर्णोंका निरर्थकपन और पदोंका निरर्थकपनके अनुसार हुये। निरर्थक और अपार्यकको भी तिस ही प्रकार न्यारे न्यारे निप्रहस्यानकी पात्रना नहीं होओ। अतः सिद्ध होता है कि अपार्यकको न्यारा निप्रहस्यान नहीं माना जावे।

यदप्युक्तं अवयवविपर्यासवचनमप्राप्तकालं अवयवानां प्रतिज्ञादीनां विपर्ययेणाभिधानं निग्रहस्थानमिति । तदपि न सुघटमित्याह ।

और जो भी नैयायिकोंने दशमें निग्रहस्थान अप्राप्तकालका यह लक्षण कहा था कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन इनके क्रमका उल्लंघन कर विपर्यासरूपसे कथन करना अप्राप्तकाल निग्रहस्थान है । अर्थात्—वादी द्वारा अनुमानके अवयव प्रतिज्ञा, हेतु, आदिका विपर्यय करके कथन किया जाना वादीका अप्राप्तकाल निग्रहस्थान है । समाको देखकर क्षोभ हो जानेसे या अज्ञानता छानेसे वादी अन्वयवोंको उल्टा कह बैठता है । वादी प्रतिवादियोंके वक्तव्यका क्रम यों है कि पहिले ही वादी करके साधनको कह कर स्वकीय कथनमें सामान्यरूपसे हेत्वामासोंका निराकरण करना चाहिये, यह एक पाद है । प्रतिवादीको वादीके कथनमें उदाहना देना चाहिये, यह दूसरा पाद है । प्रतिवादीको अपने पक्षकी सिद्धि करना और उसमें हेत्वामासोंका निराकरण करना यह तृतीय पाद है । जय पराजयकी व्यवस्था कर देना चौथा पाद है । यह वादका क्रम है । इसका विपर्यास करनेसे या प्रतिज्ञा, हेतु, आदिकके क्रमसे वचन करनेकी व्यवस्था हो चुकनेपर आगे पीछे कह देनेसे निग्रह हो जायेगा, इस प्रकार वह नैयायिकोंका कहना भी भले प्रकार घटित नहीं होता है । इस बातको ग्रन्थकार वार्तिकों द्वारा स्पष्ट कहते हैं ।

संधाद्यवयवान्न्यायाद्विपर्यासेन भाषणम् ।

अप्राप्तकालमाख्यातं तच्चायुक्तं मनीषिणाम् ॥ २१२ ॥

पदानां क्रमनियमं विनार्थाध्यवसायतः ।

देवदत्तादिवाक्येषु शास्त्रेष्वेवं विनिर्णयात् ॥ २१३ ॥

प्रतिज्ञा, हेतु, आदि अवयवोंके कथन करनेके न्यायमार्गसे विपरीतपने करके भाषण करना वक्ताका अप्राप्तकाल निग्रहस्थान हो चुका बखाना गया है । किन्तु वह न्यायबुद्धिको रखनेवाले गौतम ऋषिका कथन बुद्धिमानोंके स-सुख समुचित नहीं पडता है । क्योंकि पदोंके क्रमकी नियतिके बिना भी अर्थका निर्णय हो जाता है । देवदत्त ( कर्त्ता ) लड्डूको ( कर्म ) खाता है ( क्रिया ) । लड्डूको देवदत्त खाता है या खाता है ( क्रिया ) देवदत्त ( कर्त्ता ) लड्डूको ( कर्म ), अथवा लड्डूको खाता है देवदत्त, इत्यादिक लौकिक वाक्योंमें पदोंका व्युत्क्रम हो जानेसे भी अर्थकी प्रतिपत्ति हो जाती है । इसी प्रकार शास्त्रोंमें भी कर्त्ता, कर्म, क्रिया या प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण आदिका क्रमभंग हो जानेपर भी अर्थका विशेषरूपसे निर्णय हो जाता है । पद्य आत्मक छन्दोंमें आगे पीछे कहे गये पदोंको सुनकर भी संगत अर्थकी झटिति यथार्थ प्रतिपत्ति हो जाती है । प्रौढ विद्वान् श्लोकोंको पढ़ते जाते हैं, श्लोक अर्थको साथ साथ समझते जाते हैं । अतः अप्राप्तकाल निग्रहस्थान नहीं मानना चाहिये ।

यथापशद्वतः शद्वप्रत्ययादर्थनिश्चयः ।

शद्वदेव तथाश्वादिव्युत्क्रमाच्च क्रमस्य वित् ॥ २१४ ॥

ततो वाक्यार्थनिर्णीतिः पारंपर्येण जायते ।

विपर्यासात् नैवेति केचिदाहुस्तदप्यसत् ॥ २१५ ॥

यहां कोई नैयायिक यों कह रहे हैं कि जिस प्रकार अशुद्ध या अपभ्रष्ट शब्दोंसे सर्वाचीन शब्दोंका ज्ञान होकर पुनः शुद्ध शब्दोंसे जो अर्थका निर्णय हुआ है, वह शुद्ध शब्दोंसे ही वाक्यार्थ ज्ञान हुआ मानना चाहिये । गाय, गैया, काऊ, ( Cow ) आदि अपभ्रंश शब्दोंको सुन कर गो शब्दकी प्रतिपत्ति हो जाती है । पश्चात् शुद्ध गोशब्दसे ही सींग और सास्तावाली व्यक्ति का प्रतिमास होता है । तिस ही प्रकार अन्न, देवदत्त आदि पदोंके क्रमसे उच्चारण करनेपर प्रथम तो पदोंके क्रमका ज्ञान होता है और उसके पाँछे वाक्यके अर्थका निर्णय परम्परासे उत्पन्न किया जाता है । पदोंके विपर्ययसे तो कैसे भी वाक्य अर्थकी प्रतिपत्ति नहीं हो पाती है । अनुष्टुप् आदिक शब्दोंमें या लड्डूको देवदत्त खाता है, आदिक क्रमरहित वाक्योंमें पहिले उन पदोंको सुनकर कर्त्ता, कर्म, क्रियारूप क्रम बना लिया जाता है । पश्चात् वाक्यार्थ निर्णय किया जाता है । “ भूमवत्त्वात् बन्दिमान् पर्वतः ” इस प्रकार अवयवोंके क्रमसे रहित दूषित वाक्यको सुनकर पहिले “ पर्वतो बन्दिमान् धूमात् ” यह शुद्धवाक्य जान लिया जाता है । पश्चात् अवयवोंके क्रमसे सहित उस सूत्रवाक्यसे अर्थकी प्रतिपत्ति परम्परासे उपजती है । अशुद्ध वाक्योंसे साक्षात् अर्थज्ञप्ति नहीं हो सकती है । इस प्रकार कोई नैयायिक कह रहे हैं । आचार्य कहते हैं कि उनका वह कहना भी प्रशस्त नहीं है ।

व्युत्क्रमादर्थनिर्णीतिरपशब्दादिवेत्यपि ।

वक्तुं शक्तेस्तथा दृष्टेः सर्वथाप्यविशेषतः ॥ २१६ ॥

आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार क्रमयोजनाकी प्रतीति नहीं होती है, जैसे अपभ्रंश या अशुद्ध शब्दोंसे क्रम नहीं होते हुये भी शिशु गंवार या असन्न्य पुरुषों अथवा दिमाधियोंको अर्थका निर्णय हो जाता है, उसी प्रकार कर्त्ता, कर्म या प्रतिज्ञा हेतु आदिका क्रमरहितपन हो जानेसे भी अर्थप्रतिपत्ति हो जाती है, यह भी हम कह सकते हैं । क्योंकि उच्चारित किये जिस शब्दसे जिस अर्थमें प्रतीति हो रही देखी जाती है, वही शब्द उसका भावक है, अन्य नहीं । अन्यथा हम यों भी कह सकते हैं कि संस्कृत शब्दसे अपशब्द या व्युत्क्रममें स्मरण किया जाकर उससे अर्थकी प्रतीति होती है । तिसी प्रकार क्रमभिलष पदोंसे भी शब्दबोध हो रहा देखा जाता है ।

इस विषयमें लौकिक मार्ग और शास्त्रीय मार्गमें सभी प्रकारोंसे कोई विशेषता नहीं है। छोराको दूध पिआदे, मेंटो जामन मरणकूं, तन्नमामि परंज्योतिः, धूमात् वन्दिहमान् पर्वतः “ श्रियं क्रियाधस्य, सुरागमे नटत्सुरेन्द्रनेत्रप्रतिबिम्बलाछिता, समा वमौ रत्नमयी महोत्पलैः कृतोपहारेव स बोऽप्रजो-जिनः ” इत्यादि वाक्योंमें पदोंका ठीक ठीक विन्यास नहीं होते हुये भी श्रोताको अर्थका निश्चय अव्यवहित उनसे हो जाता है।

**शब्दान्वाख्यानवैयर्थ्यमेवं चेतत्ववादिनाम् ।**

**नापशद्वेष्वपि प्रायो व्याख्यानस्योपलक्षणात् ॥ २१७ ॥**

यदि नैयायिक यों कहें कि शब्द आदिसे अप शब्द आदिका स्मरण कर अर्थ ज्ञान कर लेना इस प्रकार तो तत्त्वोंके प्रतिपादन करनेवाले विद्वानोंका पुनः सुशब्दों द्वारा व्याख्यान करना अथवा पुनः पुनः कथनस्वरूप अन्वाख्यान करना व्यर्थ पड़ेगा। श्लोकाका अन्वय किया जाता है। क्रम भंगसे कहे गये शब्दोंको पुनः क्रमयुक्त कर बखाना खाता है। अतः क्रमसे या शब्दोंसे ही अर्थ प्रतिपत्ति हुई, इस प्रकार कहनेपर तो हम कहते हैं कि यों तो नहीं कहना। क्योंकि अशुद्ध शब्दोंमें भी बाहुल्य करके व्याख्यानका होना देखा जाता है। अर्थात्—त्वम् किं पठसि ? वृ क्या पठता है ? इसकी इंग्रेजी बनानेपर क्रिया पहिले आ जाती है। अग्नि, विधि, परिधि, आदि पुष्टिग शब्दोंका यखान देश भाषामें खोलिग रूपसे करना पडता है। प्रामीणोंको समझानेके लिये संस्कृत शब्दोंका शब्दोंका गंवारू भाषामें पण्डितों द्वारा व्याख्यान करना पडता है। तब कहीं ये समझ पाते हैं। अप-शब्दोंमें भी अन्वाख्यान हो रहा देखा जाता है।

**यथा च संस्कृताच्छब्दात्सत्याद्धर्मस्तथान्यतः ।**

**स्यादसत्याद्धर्मः क्व नियमः पुण्यपापयोः ॥ २१८ ॥**

और जिस प्रकार व्याकरणमें प्रकृति प्रत्ययों द्वारा बनाये गये संस्कारयुक्त सत्य शब्दोंसे धर्म उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अन्य प्रामीण शब्दों या देश भाषाके अशुद्ध किन्तु सत्य शब्दोंमें भी धर्म ( पुण्य ) होता है। तथा असत्य संस्कृत शब्दोंसे जैसे अधर्म ( पाप ) उपजता है, वैसे झूठे अपभ्रंश शब्दोंसे भी पाप उपजता है। ऐक्षी दशामें भळा पुण्य, पापका, नियम कहा रदा ? कि संस्कृत शब्द चाहे सचे या झूठे हों उनसे पुण्य ही मिलेगा और असंस्कृत शब्द चाहे सचे ही नयों नहीं होंय, किन्तु उनसे पापकी ही प्राप्ति होगी। उक्त नियम माननेपर देश भाषाओंके शास्त्र, धिनती पद, सब व्यर्थ हो जायेंगे। इतना ही नहीं किन्तु पापबन्धके कारण भी होंयेंगे। शब्दोंसे ही पुण्य पापकी व्यवस्था माननेपर अन्य उपायोंका अनुष्ठान व्यर्थ पड़ेगा। उर्दसे मुस्ती न्यारी है। “ कंडसि-पुण्यं स्वेवसिरेगदहा। जवं पत्येसि खादिर्दु ” “ अतएव किं कळो वहा तुम्ही इय मुधिवा छिदे,

अंकेष्टेद इकोणिया ” “ अद्या दोणं दिमयं दिहादोदि सरामयं तुष्ट ” आदि असंस्कृत शब्दोंसे भी तत्वज्ञान हो गया माना जाता है । अतः शब्दोंसे पुण्य पापकी उत्पत्तिका नियम नहीं है । अधार्मिक पुरुष भी संस्कृत शब्दोंको बोलते हैं । धर्मात्मा भी अपभ्रंश या व्युत्क्रम कथन करते हैं ।

**वृद्धप्रसिद्धितस्त्वेप व्यवहारः प्रवर्तते ।**

**संस्कृतैरिति सर्वापशब्दैर्भाषास्वनैरिव ॥ २१९ ॥**

वृद्ध पुरुषाओंकी परम्परा प्रसिद्धिसे यह व्यवहार प्रवर्त रहा है कि देशभाषाके शब्दोंकरके जैसे अर्थ निर्णय हो जाता है, उसी प्रकार संस्कृत शब्द और सम्पूर्ण अपभ्रंश शब्दोंकरके भी अर्थ प्रतिपत्ति हो जाती है । विशेष यह है कि हा, अनन्यात् दशमं मळे ही किसीको शब्दयोजनाके क्रमसे वाच्य अर्थकी इति होय, किन्तु अत्यधिक अन्यास हो जानेपर क्रम और अक्रम दोनों प्रकारसे अर्थ निर्णय हो जाता है । बड़ी कठिनातासे समझे जाय, ऐसे वाक्योंमें शब्दोंके क्रमकी योजना करना पड़ती है । किन्तु सरल वाक्योंको व्युत्क्रमसे भी समझ लिया जाता है ।

**ततोर्थानिश्चयो येन पदेन क्रमशः स्थितः ।**

**तद्यतिक्रमणादोपो नैरर्थक्यं न चापरम् ॥ २२० ॥**

तिस कारणसे सिद्ध हो जाता है कि प्रतिज्ञा आदि अर्थवोंका क्रमसे प्रयोग किया गया होय या अक्रमसे निरूपण किया गया होय, श्रोताके क्षयोपशमके अनुसार दोनों ढंगसे अर्थ निर्णय हो सकता है । हां, क्वचित् जिन पदोंके क्रमसे ही उच्चारण करनेपर अर्थका निश्चय होना व्यवस्थित हो रहा है, उन पदोंका व्यतिक्रमण हो जानेसे श्रोताको अर्थका निश्चय नहीं हो पाता है । यह अवश्य दोष है, एतान्ता वह निरर्थक दोष ही समझा जायगा । उससे भिन्न अप्राप्तकाल नामक निग्रहस्थान माननेकी आवश्यकता नहीं ।

एतेनैतदपि प्रत्याख्यातं । यदाहोद्योतकरः “ यथा गौरित्यस्य पदस्वार्थं गौणीति प्रयुज्यमानं पदं न वत्कादिमंतमर्थं प्रतिपादयतीति न शब्दाद्व्याख्यानं व्यर्थं अनेनापशब्दे नासौ गोशब्दमेव प्रतिपद्यते गोशब्दाद्वक्त्रादिमंतमर्थं तथा प्रतिज्ञाद्यवयवविपर्ययेणानुपूर्वी प्रतिपद्यते तयानुपूर्व्यार्थमिति । पूर्वं हि तावत्कर्मोपादीयते लोके ततोधिकरणादि मृत्विड-चक्रादिवत् । तथा नैवायं समयोपि स्वर्थस्यानुपूर्वी । ” सोयमर्थानुपूर्वीमन्वाचक्षाणो नाम व्याख्यायात् कस्यायं समय इति । तथा शास्त्रे वाक्यार्थसंग्रहार्थमुपादीयते संगृहीतं स्वर्थं वाक्येन प्रतिपादयिता प्रयोगकाले प्रतिज्ञादिकयानुपूर्व्या प्रतिपादयतीति सर्वथानुपूर्वी प्रतिपादनाभावादेवाभासकालस्य निग्रहस्थानत्वसमर्थनादन्यथा परचोद्यस्यैवमपि सिद्धे ।

समयानभ्युपगमाद्बहुप्रयोगाच्च नैवावयवविपर्यासवचनं निग्रहस्थानमित्येतस्य परिहर्तुमशक्तेः।  
सर्वार्थाणुपूर्वी प्रतिपादनाभावोऽवयवविपर्यासवचनस्य निरर्थकत्वान्नाय्यः । ततो नेदं  
निग्रहस्थानांतरं ।

आचार्य कहते हैं कि इस कथनसे यह कथम भी खण्डित कर दिया गया समझो जो कि उद्योतकर पण्डित यों कह रहे हैं कि जिस प्रकार गौ इस संस्कृत पदके अर्थमें यदि गौणी, गाम्, गन्धा ऐसे पदोंका प्रयोग कर दिया जाय तो वह मुख श्रृंग सान्ना, आदिसे सहित हो रहे अर्थका प्रतिपादन नहीं कर सकता है । इस कारण अशुद्ध शब्दका संस्कृत शब्दसे व्याख्यान करना व्यर्थ नहीं है । इन अशुद्ध शब्दोंको सुनकर वह श्रोता पहिले सत्य गो शब्दको ही समझता है । पश्चात् गो शब्दसे वदन, चतुष्पाद, सींग आदिसे समवेत हो रहे अर्थको जान लेता है । इसी प्रकार प्रतिज्ञा, हेतु, अवयवोंके विपर्यास करके जहां अक्रम शब्दोंका उच्चारण किया गया है, वहां श्रोता प्रथम ही तो पदोंका अनुक्रम बनाकर शब्दोंकी आनुपूर्वीको अन्वित करता हुआ जान लेता है । पीछे सरळतापूर्वक शाब्दबोधको करानेवाली उस आनुपूर्वीसे प्रकृत वाच्य अर्थ को जान लेता है । अतः अक्रमसे नहीं होकर पदोंके ठीक क्रमसे ही अर्थनिर्णय हुआ । लोकमें भी यही देखा जाता है कि सबसे पहिले कर्मको कहनेवाले शब्दका ग्रहण किया जाता है । उसके पीछे अधिकरण सम्प्रदान आदिका प्रयोग होता है । जैसे कि घटको बनानेके लिये पहिले मिट्टीकी छँडि ली जाती है । पुनः चक्र, दण्ड, डोरा आदिका उपादान किया जाता है । कार्योंके अनुसार ही उनकी वाचक योजनाओंका क्रम है । अर्थके अनुसार ही शब्द चळता है । मिट्टीको चाकपर रखकर शीतल जलको लिये घट आकारको बनाओ तथा यह शब्दसंकेत भी अक्रमसे नहीं है । किन्तु वाच्य अर्थकी आनुपूर्वीके अनुसार वाचक शब्दोंका क्रम अवश्य होना चाहिये । वाच्य अर्थकी प्रतिपत्तिके क्रम अनुसार पूर्ववर्ती शब्दोंके पीछे अनुकूल शब्दोंका अनुगमन करना शब्दकी आनुपूर्वी है, जो कि परिणमन कर रहे वास्तविक अर्थकी आनुपूर्वीकी सहेली है । इस उद्योतकरके कथनपर आचार्य महापान कहते हैं कि अर्थकी आनुपूर्वीका शब्दोंद्वारा पीछे पीछे व्याख्यान कर रहा उद्योतकर उस दार्शनिकका नाम रखाने कि यह किसका शास्त्र है, जो कि अर्थकी आनुपूर्वीके साथ ही शब्दयोजनाको स्वीकार करता है । जब कि साहित्यज्ञ विद्वान् अन्वयरहित श्लोकोंको भी पढ़कर शीघ्र अर्थ लगाते जाते हैं । लोकमें भी भाषा छन्दों या प्रामाण शब्दोंमें अन्वय योजनाके बिना भी श्लोक अर्थकी ज्ञप्ति हो जाती है । तिसी प्रकार शास्त्रमें वाच्य अर्थोंका संग्रह करनेके लिये शब्दोंका उपादान किया जाता है । और संग्रह किये गये अर्थको तो वाचकोंके द्वारा वक्ता प्रयोग करनेके अवसरपर प्रतिज्ञा, हेतु, आदिक, रूप आनुपूर्वीसे कह कर समझा देता है । इस प्रकार सनी प्रकारोंसे आनुपूर्वीका प्रतिपादन नहीं होनेसे ही अप्राप्तकालके निग्रहस्थान-पुनका समर्थन किया गया है । अन्यथा दूसरोंकी प्रश्नमात्राकी उस प्रकार प्रयत्न करनेपर भी



प्रसिद्धि बनी रहेगी, जब कि किसी शास्त्रमें ऐसा संकेत नहीं है कि क्रमसे ही वाक्योंको बोलना चाहिये तथा क्रमसे बोलनेमें बहुत शब्दोंका प्रयोग करना पड़ता है। इस कारणसे भी अवयवोंका विपर्यास रूपसे कथन करना निग्रहस्थान नहीं है। इस कथनका शुभ नैयायिक परिहार नहीं कर सकते हो। विशेष यह कहना है कि हां “पर्वतो मुक्तं बहिमान् देवदत्तेन” या रोटीको पहिनो अंगरत्ताको खाओ इत्यादि स्थलोंमें शब्दोंकी ठीक ठीक आनुपूर्वी पर्वतो बहिमान्, देवदत्तेन मुक्तं, अंगरत्ताको पहिनो, रोटीको खाओ, ” करनेसे ही अर्थका प्रतिपादन होता है। वहां यदि सभी प्रकारोंसे अर्थकी आनुपूर्वीके प्रतिपादनका अभाव है, ऐसी दशामें अवयवोंके विपर्यास कथनको क्लृप्त हो रहे निरर्थकपनसे ही वादीका निग्रहस्थान कहना न्यायसे अनपेक्ष है। उस निरर्थकसे इस अप्राप्तकालको न्याय निग्रहस्थान मानना न्याय अनुमोदित नहीं है। आपको नातिपूर्ण बातें कहनी चाहिये, कर्था समझकी बातें नहीं।

यच्चोक्तं हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनं। यस्मिन् वाक्ये प्रतिज्ञादीनामन्यतमावयवो न भवति तद्वाक्यं हीनं वेदितव्यं। तच्च निग्रहस्थानसाधनाभावे साध्यसिद्धेरभावात् प्रतिज्ञादीनां पंचानामपि साधनत्वात्।

और जो नैयायिकोंने हीननिग्रहस्थानका लक्षण यों कहा था कि अनुमानके नियत किये गये अवयवोंमेंसे एक भी अवयवसे जो न्यून कल्ल जायगा, वह “हीन” नामक निग्रहस्थान होगा। इसका अर्थ यों है कि जिस अनुमान वाक्यमें प्रतिज्ञा आदिकोंमेंसे कोई भी एक अवयव नहीं कहा गया होता है, वह वाक्य हीन समझना चाहिये और ऐसे वाक्यका उच्चारण करनेवाला पण्डित हीन निग्रहस्थानको प्राप्त होता हुआ पराजित हो जायगा। वह हीन तो निग्रहस्थान यों माना गया है कि साधनोंके अभाव होनेपर साध्यकी सिद्धिका अभाव हो जाता है। जब कि प्रतिज्ञा आदिक पांचों भी अवयवोंको अनुमानका साधकपना है, तो एक अवयवके भी कमती बोलनेपर न्यूनता आजाती है।

प्रतिज्ञान्यूनं नास्तीत्येके। तत्र पर्यनुयोज्याः प्रतिज्ञान्यूनं वाक्यं यो ह्यते स किं निगृह्यते? अथवा नेति, यदि निगृह्यते कथमनिग्रहस्थानं? न हि तत्र हेत्वादयो न संति न च हेत्वादिदोषाः संतीति निग्रहं चाभ्युपैति। तस्मात्प्रतिज्ञान्यूनमेवेति। अथ न निग्रहः न्यूनं वाक्यमर्थं साधयतीति साधनाभावे सिद्धिरभ्युपगता भवति। यच्च ब्रवीषि सिद्धांत-परिग्रह एव प्रतिज्ञेति, तदपि न बुध्यामहे। कर्मण उपादानं हि प्रतिज्ञासामान्यं विशेषतो-वधारितस्य वस्तुनः परिग्रहः सिद्धांत इति कथमनयोरेक्यं, यतः प्रतिज्ञासाधनविषयतया साधनांगं न स्यादित्युच्यते। तदतदपि न समीचीनमिति दर्शयति।

अभी नैयायिक हीं कदे जा रहे हैं कि हेतु, उदाहरण, आदिसे न्यून हो रहे वाक्यको भले ही हीन कह दिया जाय, किन्तु प्रतिज्ञासे न्यून हो रहे वाक्यको हीन नहीं कहना चाहिये।

क्योंकि प्रतिज्ञा तो कहे बिना यों ही प्रकरण द्वारा गम्यमान हो जाती है। गम्यमानका पुनः शब्दों द्वारा उच्चारण नहीं करना चाहिये। इस प्रकार कोई एक-विद्वान् हम नैयायिकोंके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। उनके ऊपर हमको यहां यह प्रश्न उठाना पड़ता है कि जो विद्वान् प्रतिज्ञासे न्यून हो रहे वाक्यको कह रहा है, वह-क्या निप्रहस्थानको प्राप्त होता है? अथवा नहीं प्राप्त होता है? इसका उत्तर दो। यदि प्रथमपक्षके अनुसार वह निप्रहको प्राप्त हो जाता है तो वह प्रतिज्ञान्यून किस प्रकार निप्रहस्थान नहीं है? यानी प्रतिज्ञासे न्यून कहना अवश्य वादीका निप्रहस्थान है। प्रतिज्ञासे न्यून हो रहे उस वाक्यमें हेतु, उदाहरण आदिक नहीं है, अतः वह निगृहीत हो जाता है, यह तो नहीं कह सकते हो। क्योंकि उस वाक्यमें हेतु आदिक प्रतीत हो रहे हैं। तथा तुम यों कह दो कि उस प्रतिज्ञान्यून वाक्यमें हेतु उदाहरण आदिके दोष पाये जाते हैं। इस कारण वादी निप्रहको प्राप्त हो जाता है। प्रतिज्ञाकी न्यूनता कोई दोष नहीं, सो भी तुम नहीं स्वीकार कर सकते हो। क्योंकि वहां निर्दोष हेतु आदिक देखे जा रहे हैं। तिस कारणसे वहां प्रतिज्ञान्यून ही निप्रहस्थान मानना आवश्यक है। अन्य कोई त्रुटि नहीं है। द्वितीय पक्ष अनुसार प्रतिज्ञान्यून वाक्यको कह रहे वादीका यदि निप्रह नहीं माना अग्रया तब तो तुम्हारे-यहां न्यून हो रहा वाक्य अर्थकी सिद्धि करा देता है। इस कारण साधनके नहीं होनेपर साध्यकी सिद्धि स्वीकार कर ली गयी समझी जाती है, जो कि न्यायनियमसे विरुद्ध है। वाचक शब्दोंके बिना वाच्य अर्थकी और साधन वाक्योंके बिना साध्य अर्थकी सिद्धि कथमपि नहीं हो सकती है। और जो तुम एक विद्वान् यों कहते हो कि स्वकीय सिद्धान्त कहनेका परिप्रह करना ही तो प्रतिज्ञा है। इस कारण उसको पुनः पुनः कहनेकी क्या आवश्यकता है? विद्वानोंको गम्भीर वाक्योंका प्रयोग करना चाहिये। इस प्रकार तुम्हारी उस बातको भी हम नहीं कुछ समझ पाते हैं। मळा विचारो तो सही सिद्धान्तका परिप्रह करना कैसे प्रतिज्ञा हो सकती है? साधने योग्य कर्मका प्रहण करना तो नियमसे प्रतिज्ञा सामान्य है। और विशेषरूपसे निर्णय की जा चुकी वस्तुका परिप्रह करना सिद्धान्त है। इस प्रकार मळा इनका एकपना कैसे समझा जा सकता है, जिससे कि साध्यसिद्धिका उपयोगी विषय होनेसे प्रतिज्ञावाक्य साध्यको साधनेका अंगभूत नहीं होती, अर्थात्-प्रतिज्ञा साध्यसिद्धिका अंग है। उसको नहीं कहनेवाला वादी अवश्य निगृहीत हो जावेगा। इस प्रकार उद्योतकर पण्डितकी न्यूनको निप्रहस्थान सिद्ध करनेकी चेष्टा हो रही है। अब आचार्य महाराज कहते हैं कि यह उनका अक्राण्ड ताण्डवके समान चेष्टा करना भी अच्छा नहीं है। इस बातको ग्रन्थकार स्वयं वार्तिक द्वारा दिखाते हैं।

हीनमन्यतमेनापि वाक्यं स्वावयवेन यत् ।

तन्न्यूनमित्यसत्स्वार्थे प्रतीतेस्तादृशादपि ॥ २२१ ॥

नैयायिकोंने गौतम सूत्र अनुसार यों कहा है कि जो वाक्य प्रतिज्ञा आदिक अवयवोंमेंसे एक भी अपने अवयव करके हीन होता है, वह न्यून निम्नप्रस्थान है। इस प्रकार नैयायिकोंका कहना माननीय नहीं है। क्योंकि तिस प्रकारके न्यून हो रहे वाक्यसे भी परिपूर्ण स्वकीय अर्थमें प्रतीति हो रही देखी जाती है। “ पुष्पेभ्यः ” इतना मात्र कह देनेसे ही “ स्पृहयति का ” उपस्कार झुलके लिये अभिलाषा करता है, यह अर्थ निकल पड़ता है। “ जामो ” कह देनेसे ही रसवतीका अभ्याहार होकर पूरे स्वार्थकी प्रतिपत्ति हो जाती है। अतः पाण्डित्यपूर्ण स्वल्प, गम्भीर, निरूपण करनेवालोंके यहां न्यून कोई निम्नप्रस्थान नहीं मानना चाहिये।

यावदवयवं वाक्यं साध्यं साधयति तावदवयवमेव साधनं न च पंचावयवमेव साध्यं साधयति क्वचित्प्रतिज्ञामंतरेणापि साधनवाक्यस्योत्पत्तेर्गम्यमानस्य कर्मणः साधनात्। तयोदाहरणहीनमपि साधनवाक्यगुणपत्वं साधर्म्यवैधर्म्योदाहरणविरहेपि हेतोर्गमकत्वसमर्थनात्। तत्र एवापनयनिगमनहीनमपि वाक्यं च साधनं प्रतिज्ञाहीनवत् विदुषः प्रति हेतोरेव केवलस्य प्रयोगाभ्युपगमात्। धूमोत्र दृश्यते इत्युक्तेपि कस्यचिदग्निप्रतिपत्तेः मधुचिदर्शनात्।

उपयोगी हो रहे जितने अवयवोंसे सहित हो रहा वाक्य प्रकृत साध्यको साध देता है, उतने ही अवयवोंसे युक्त हो रहे वाक्यको साध्यका साधक माना जाता है। पांचो ही अवयव कहें जाय तभी साध्यको साधते हैं, ऐसा तो नियम नहीं है। देविये, कहीं कहीं प्रतिज्ञा वाक्यके बिना भी हेतु आदिक चार अवयवोंके वाक्यको अनुमान वाक्यपनेकी उपपत्ति है, या प्रतिज्ञाके बिना भी चार अवयवोंद्वारा साधनवाक्यकी उपपत्ति हो जाती है। क्योंकि बिना कहे यों ही जान लिये गये साध्यस्वरूप कर्म की सिद्धि कर दी जाती है। प्रतिज्ञा वाक्यके कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। तिसी प्रकार उदाहरणसे हीन हो रहे भी अनुमेति साधनवाक्यकी उपपत्ति हो चुकी समझनी चाहिये। हेतु और साध्यके साधर्मानको धार रहे अन्वयदृष्टान्त एवं हेतु और साध्यके विधर्मानको धार रहे न्यतिरेक दृष्टान्तके बिना भी हेतुके गमकपनका समर्थन कर दिया गया है। कहीं तो समर्थन कर दिया गया हेतु ही अकेला साध्यको साधनेमें पर्याप्त हो जाता है। तिस ही कारणसे उपनय और निगमनसे हीन हो रहा वाक्य भी परार्थ अनुमानका साधन हो जाता है, जैसे कि प्रतिज्ञाहीन वाक्यसे साध्यकी सिद्धि हो जाती है। क्योंकि विद्वानोंके प्रति केवल हेतुका ही प्रयोग करना स्वीकार किया गया है। यद्वा धुआ दीख रहा है। इतना कहे जा चुकनेपर भी किसी किसी उदात्त विद्वान्को अग्निकी प्रतिपत्ति हो जाती है। और उससे यपार्थ अग्निको पकड़नेके लिये उसकी प्रवृत्ति हो रही देखी जाती है।

सामर्थ्याद्गम्यमानास्तत्र प्रतिज्ञादयोपि संतीति चेत्, तर्हि प्रयुज्यमाना न संतीति तैर्विनापि साध्यसिद्धेः न तेषां वचनं साधनं साध्याविनाभाविसाधनमंतरेण साध्यसिद्धेर-संभवात् । तद्वचनमेव साधनमतस्तन्न्यूनं न निग्रहस्थानं परस्य स्वपक्षसिद्धौ सत्यामित्ये-तदेव श्रेयः प्रतिपद्यामहे ।

यदि तुम नैयायिक यों कहो कि प्रतिज्ञासे न्यून उदाहरणसे न्यून उपनयसे न्यून और निग-मनसे न्यून हो रहे उन वाक्योंमें प्रतिज्ञा आदिक भी गम्यमान हो रहे विद्यमान हैं । अतः पांचों अवयवोंसे साध्यका साधन हुआ, न्यूनसे नहीं । यों कहनेपर तो हम जैन कहते हैं कि वे प्रतिज्ञा आदिक वहाँ कंठोक्त प्रयोग किये जा रहे तो नहीं हैं । इस कारण उनके विना भी साध्यकी सिद्धि होगई, यह हमको कहना है । दूसरी बात यह भी है कि उनका कथन करना आवश्यकरूपसे साध्य सिद्धिमें प्रयोजक नहीं है । केवल हेतुका वचन अनिवार्य है । क्योंकि साध्यके साथ अविना-भाव रखनेवाले साधनके विना साध्यसिद्धिका असम्भव है । अतः उस ज्ञापक हेतुका कथन करना ही अनुमानका प्रधान साधन है । इस कारण उस हेतुसे न्यून हो रहे वाक्यको मले ही वादीकी न्यूनता कह दो, किन्तु वह न्यून नामक झुट्टि वादीका निग्रहस्थान नहीं करा सकती है । हाँ, दूसरे विद्वान्के निजपक्षकी सिद्धि होनेपर तो “ न्यून ” वादीका निग्रहस्थान कहा जा सकता है । पहिलेसे हम इसी सिद्धान्तको श्रेष्ठ समझते चले आ रहे हैं । अथवा न शब्दको निकाळ देनेपर यों अर्थ किया जाता है कि पक्ष और हेतुका कथन किये विना साध्यकी सिद्धि नहीं हो पाती है । अतः उन दोसे न्यून रहे वाक्यको ही न्यून निग्रहस्थान मानो । किन्तु दूसरे अगले विद्वान्को स्वपक्षकी सिद्धि करना आश्यक है । अन्यथा वादीका निग्रहस्थान नहीं, जयामाव मले ही कहलो ।

प्रतिज्ञादिवचनं तु प्रतिपाद्याशयानुरोधेन प्रयुज्यमानं न निवार्यते तत एवासिद्धौ हेतु-रित्यादिप्रतिज्ञावचनं हेतुदूषणोद्भावनकाळे कस्यचिन्न विरुध्यते तद्वचननियमानभ्युपगमात् ।

समझाने योग्य शिष्यके अभिप्रायकी अनुकूलता करके कण्ठोक्त शब्दोंद्वारा प्रयुक्त किये जा रहे प्रतिज्ञा हेतु आदिके कथन करनेका तो निवारण हम नहीं करते हैं । तिस ही कारणसे तो हेतुके दूषण उठानेके अवसरपर किसी एक विद्वान्का यह हेतु असिद्ध है, यह हेतु विरुद्ध है, इस अनुमानमें उपनय वाक्य नहीं बोला गया है, इत्यादिक प्रतिज्ञावाक्यका कथन करना विरुद्ध नहीं पड़ता है । हेतुरूप पक्षमें विरुद्धपनकी साध्य करनेरूप यह हेतु विरुद्ध है । यह धर्म और धर्मोंका समुदायरूप प्रतिज्ञावाक्य बन जाता है । प्रतिज्ञाके उच्चारण विना भी साध्यसिद्धि हो सकती है, ( हेतु ) अतः प्रतिज्ञा ( पक्ष ) नहीं कहनी चाहिये ( साध्य ), यह भी प्रतिज्ञा है । अतः प्रतिज्ञावाक्यके विना जो शिष्य नहीं समझ सकता है, उसको समझानेके लिए प्रतिज्ञा कहना योग्य है । जो दृष्टान्तके विना नहीं समझ सकता है, उसके प्रति ( समुल ) दृष्टान्तका कहना भी

आवश्यक है। किन्तु सभी विद्वानोंके प्रति उन पाँचों अवयवोंका प्रयोग करना यह नियम नहीं स्वीकार किया जाता है। “सर्व धान पाँच पसेरो” नहीं करो।

तर्हि यथाविधान्यूनार्थस्य सिद्धिस्तथाविधं तन्नियमस्थानमित्यपि न घटत इत्याह।

तब तो नैयायिक कहते हैं कि अच्छा, नहीं सही, किन्तु जिस प्रकारके न्यून कथनसे अभिप्रेत अर्थकी भले प्रकार सिद्धि नहीं हो सकती है। उस प्रकार वह न्यून कथन तो वक्ताका निग्रहस्थान हो जायगा। आचार्य कहते हैं कि यह भी नैयायिकोंका मन्तव्य युक्तियोंसे घटित नहीं होता है। इस बातको ग्रन्थकार वार्तिकद्वारा कहते हैं।

यथा चार्थाप्रतीतिः स्यात्तन्निरर्थकमेव ते।

निग्रहांतरतोक्तिस्तु तत्र श्रद्धानुसारिणाम् ॥ २२२ ॥

हां, जिस प्रकारके न्यून कथनसे अर्थकी प्रतीति नहीं हो सकेगी, वह तो तुम्हारे यहां निरर्थक निग्रहस्थान ही हो जायगा। पुनः उस न्यूनमें न्यारा निग्रहस्थानपनका कथन करना तो अपने दर्शनकी अन्धब्रह्मके अनुसार चढनेवाले नैयायिकोंको ही शोभा देता है। शब्द स्वल्प और अर्थका गाम्भीर्य रखनेवाले विचारशास्त्री विद्वानोंके यहां छोटे छोटे अन्तरोंसे न्यारे न्यारे निग्रहस्थान नहीं गढे जाते हैं।

यद्योक्तं, हेतूदाहरणादिकवधिकं यस्मिन् वाक्ये द्वौ हेतू द्वौ वा दृष्टान्तौ तद्वाक्यमधिकं निग्रहस्थानं आधिक्यादिति तदपि न्यूनैः व्याख्यातमित्याह।

जो भी नैयायिकोंने बारहवें “अधिक” नामक निग्रहस्थानका उल्लेख यों कहा या कि वार्तिक द्वारा हेतु, उदाहरण, आदि और प्रतिवादी द्वारा दूयण निग्रह आदिक अधिक कहे जायेंगे वह “अधिक” नामका निग्रहस्थान है। इसका अर्थ यों है कि जिस वाक्यमें दो हेतु अथवा दो दृष्टान्त कह दिये जावेंगे वह वाक्य अधिक निग्रहस्थान है। जैसे कि पर्वत अग्निमान है। धूम होनेसे और आगकी झलका उगीता होनेसे (हेतु २) रसोई घरके समान, अघियानेके समान (अन्वय दृष्टान्त २) यहां दो हेतु या दो उदाहरण दिये गये। अतः आधिक्य कथन होनेसे वक्ता का निग्रहस्थान है, यह नैयायिकोंका मन्तव्य है। अब आचार्य कहते हैं कि वह भी न्यून निग्रहस्थानका विचार कर देनेसे व्याख्यान कर दिया गया है। भावार्थ-प्रतिपाद्यके अनुसार कहीं कहीं हेतु आदिक अधिक भी कह दिये जाते हैं। विना प्रयोजन ही अधिकोंका कथन करना है, वह निरर्थक निग्रहस्थान ही मान लिया जाय। हां, दूसरे विद्वानको अपने पक्षकी सिद्धि करना अनिवार्य होगा। व्यर्थमें अधिकको निग्रहस्थान माननेकी आवश्यकता नहीं, इस बातको ग्रन्थकार वार्तिकों द्वारा कहते हैं।

हेतूदाहरणाभ्या यद्वाक्यं स्यादधिकं परैः ।

प्रोक्तं तदधिकं नाम तच्च न्यूनेन वर्णितम् ॥ २२३ ॥

तत्त्वापर्यवसानायां कथाया तत्त्वनिर्णयः ।

यदा स्यादधिकादेव तदा का नाम दुष्टता ॥ २२४ ॥

जो दूसरे विद्वान् नैयायिकों द्वारा अपने विचार अनुसार यह बहुत अच्छा कहा गया है, कि जो वाक्य हेतु और उदाहरणों करके अधिक है वह अधिक नामका निग्रहस्थान है, उपलक्ष-  
णसे उपनय, निगमन, भी पकड सकते हैं। अब आचार्य कहते हैं कि वह तो न्यून नामक  
निग्रहस्थानकी वर्णनासे ही वर्णित हो चुका है। अधिकके लिये उससे अधिक विचारनेकी आव-  
श्यकता नहीं। एक बात यह है कि वादकधामे अन्तिम रूपसे तत्त्वोंका निर्णय नहीं होनेपर जब  
अधिक कथनसे ही तत्त्वोंका निर्णय होगा तो ऐसी दशामें अधिक कथनको मळा क्या निग्रहस्थान  
रूपसे दूषितपना हो सकता है ? अर्थात्—थोड़े कथनसे जब तत्त्वोंका निर्णय नहीं हो पाता है, तो  
अधिक और अत्यधिक कहकर समझाया जाता है। अनेक स्थलोंपर अधिक कथनसे साधारण जन  
सरलतापूर्वकं समझ जाते हैं। अतः अधिकका निरूपण करना गुण ही है। दोष नहीं।

स्वार्थिके केधिके सर्व नास्ति वाक्याभिभाषणे ।

तत्प्रसंगात्ततोर्थस्यानिश्चयात्तन्निरर्थकम् ॥ २२५ ॥

संपूर्ण पदार्थ नित्य नहीं है। कृतक होनेसे यहाँ, कृत एव कृतकः इस प्रकार कृत शब्दके  
स्वकीय अर्थमें ही "क" प्रत्यय हो गया है। क प्रत्ययका कोई अधिक अर्थ नहीं है। स्वार्थमें  
किये गये प्रत्ययोंका अर्थ प्रकृतिसे अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। अतः कृतक, देवता, शीर्षी,  
मैषण्य इत्यादि स्वार्थिक प्रत्ययवाले पदोंसे समुद्धित हो रहे वाक्योंके कथन करनेपर वक्ताको उस  
अधिक निग्रहस्थानकी प्राप्तिका प्रसंग हो जायगा। हाँ, जहाँ कहीं उस अधिक व्यर्थ बकवादसे अर्थका  
निश्चय नहीं हो पाता है, सर्वथा व्यर्थ जाता है, इससे तो वह अधिक कथन निरर्थक निग्रहस्थान  
हो जायगा। व्यर्थमें अधिकको न्यारा अधिक निग्रहस्थान माननेकी आवश्यकता नहीं।

सोयमुद्योतकरः, साध्यस्यैकेन ज्ञापितत्वाच्चर्थमभिधानं द्वितीयस्य, प्रकाशिते पदी-  
पांतरोपादानवदनवस्थानं वा, प्रकाशितेपि साधनांतरोपादाने परापरसाधनांतरोपादान-  
प्रसंगादिति युवाणः प्रमाणसंप्लवं समर्थयत इति कथं स्वस्थः ?

सो यह उद्योतकर पण्डित अधिकको निग्रहस्थानका समर्थन करनेके लिये इस प्रकार कह  
रहा है कि दो हेतुओंको कहनेवाला वादी अधिक कथन करनेसे निगृहीत है। कारण कि जब

एक ही हेतुकरके साध्यका ज्ञापन किया जा चुका है, तो दूसरे हेतुका कथन करना व्यर्थ है। जैसे कि एक दीपकके द्वारा मछे प्रकार प्रकाश किया जा चुकनेपर पुनः अन्य दीपकोका उपादान करना निष्प्रयोजन है। यदि कृतकृत्य हो चुकनेपर भी पुनः कारक, ज्ञापक, व्यंजक, हेतुओंका प्रदृष्ट किया जायगा तो कृतका करण, चर्वितका चर्वण, इनके समान अनवस्था भी हो जायगी। क्योंकि हेतु द्वारा या प्रदीप द्वारा पदार्थोंके प्रकाश युक्त हो चुकनेपर भी यदि अन्य साधनोंका उपादान किया जायगा तो उच्चरोत्तर अन्य साधनोंके प्रदृष्ट करनेका प्रसंग हो जानेसे कहीं दूर चक्कर भी अवस्थिति नहीं हो पावेगी। इस प्रकार उद्योतकर प्रमाण संश्लेषका समर्थन कर रहा है। ऐसी दशांमें वह स्वस्थ ( होशमें ) कैसे कहा जा सकता है ? अर्थात्—एक ही अर्थमें बहुतेसे प्रमाणोंकी प्रवृत्ति होनेको प्रमाणसंश्लेष कहते हैं। नैयायिक, जैन, मीमांसक, ये सभी विद्वान् प्रमाण संश्लेषको स्वीकार करते हैं। किन्तु हमको आश्चर्य है कि अधिक नामका निग्रह हो जानेके भयसे उद्योतकर नैयायिक प्रकाशित कर पुनः प्रकाशन नहीं करना चाहते हैं। ये उद्योतकर एक प्रमाणसे जान लिये गये अर्थका पुनः द्वितीय प्रमाण द्वारा उद्योत करना तो स्वीकार नहीं करेंगे। एक ओर उद्योतकर पंडित प्रकाशितका पुनः प्रकाश नहीं मानते हुये दूसरी ओर प्रमाणसंश्लेषको मान बैठे हैं। ऐसे पूर्वापरविरुद्ध वचनको कहनेवाला मनुष्य मूर्खप्रमित है। स्वस्थ ( होश ) अवस्थामें नहीं है।

कस्यचिदर्थस्यैकेन प्रमाणेन निश्चयेपि प्रमाणांतरविषयत्वेपि न दोषो दाढ्यादिति चेत् किमिदं दाढ्यं नाम ? सुतरां प्रतिपत्तिरिति चेत् किमुक्तं भवति, सुतरामिति सिद्धेः। प्रतिपत्तिर्द्वाभ्यां प्रमाणाभ्यामिति चेत्, तर्ह्याद्येन प्रमाणेन निश्चितेयं द्वितीयं प्रमाणं प्रकाशितप्रकाशनव्यर्थ्यमनवस्थानं वा निश्चितेपि परापरप्रमाणान्वेषणात् । इति कथं प्रमाणसंश्लेषः ?

यदि उद्योतकर यों कहें कि एक प्रमाण करके किसी अर्थका निश्चय हो जानेपर भी अन्य प्रमाण द्वारा उसको विषय करनेमें भी कोई दोष नहीं है। क्योंकि पहिले प्रमाणसे जाने हुये अर्थकी पुनः दूसरे प्रमाण द्वारा दृढतासे प्रतिपत्ति हो जाती है। इस प्रकार उद्योतकरके कहनेपर तो हम पूछते हैं कि तुम्हारी मानी हुयी यह दृढता मन्वा क्या पदार्थ है ? बताओ। स्वयं अपने आप बिना परिश्रमके प्रतिपत्ति हो जानेको यदि ज्ञानकी दृढता मानोगे तब तो हम कहेंगे कि दूसरे प्रमाण द्वारा मन्वा क्या कहा जाता है ? पदार्थकी प्रतिपत्ति तो स्वयं उक्त प्रकारसे सिद्ध हो चुकी है। अतः दूसरे प्रमाणका उत्पादन व्यर्थ पडता है। यदि दो प्रमाणोंसे पकी प्रतिपत्ति हो जाना दृढता है, तब तो हम कहेंगे कि आदिके प्रमाण करके ही जब अर्थका निश्चय हो चुका था तो दूसरा प्रमाण लठाना प्रकाशितका प्रकाशक करनेके समान व्यर्थ हो जाता है। दूसरी बात यह है कि

अधिक निग्रहस्थानका समर्थन करते समय तुम्हारे द्वारा उठायी गयी अनवस्थाके समान प्रमाणसंश्लेष-  
वमें भी अनवस्था दोष होगा। क्योंकि निश्चित किये जा चुके पदार्थके पुनः पुनः निर्णय करनेके  
लिये उत्तरोत्तर अनेक प्रमाणोंका बूँदना बढ़ता ही चला जायगा। ऐसी दशांमें तुम नैयायिक भला  
“ प्रमाणसंश्लेषको ” कैसे स्वीकार कर सकते हो ?

यदि पुनर्बहूपायमतिपत्तिः दार्ढ्यमेकत्र भूयसा प्रमाणानां प्रवृत्तौ संवादसिद्धिश्चेति  
मतिस्तदा हेतुना दृष्टान्तेन वा केनचिद्विज्ञापितेर्थे द्वितीयस्य हेतोर्दृष्टान्तस्य वा वचनं कथमन-  
र्थकं तस्य तथाविधदार्ढ्यत्वात् । न चैवमनवस्था, कस्यचित्कचिन्निराकाराक्षतोपपत्तेः  
प्रमाणांतरवत् ।

यदि फिर तुम्हारा यह मन्तव्य होवे कि ज्ञप्तिके बहुतसे उपायोंकी प्रतिपत्ति हो जाना दृढ-  
पना है। तथा एक विषयमें बहुत अधिक प्रमाणोंकी प्रवृत्ति हो जानेपर पूर्वज्ञानमें सम्वादकी सिद्धि  
हो जाती है। सम्वादी ज्ञान प्रमाण माना गया है। अतः हमारे यहाँ प्रमाणसंश्लेष सार्थक है। तब  
तो हम जैन कहेंगे कि प्रकरणमें एक हेतु अथवा किसी एक दृष्टान्तकारके अर्थकी ज्ञप्ति करा  
चुकनेपर पुनः दूसरे हेतु अथवा दूसरे दृष्टान्तका कथन करना भला क्यों व्यर्थ होगा ? क्योंकि उस  
दूसरी, तीसरी बार कहे गये हेतु या दृष्टान्तोंको भी तिस प्रकार दृढतापूर्वक प्रतिपत्ति करा देना  
घट जाता है। बहुतसे उपायोंसे अर्थकी प्रतिपत्ति पक्की हो जाती है और अनेक हेतु और दृष्टान्तोंके  
प्रवर्तनेपर पूर्वज्ञानोंको सम्वादकी सिद्धि हो जानेसे प्रमाणता आ जाती है। यहाँ कोई नैयायिक  
यों कटाक्ष करे कि उत्तर उत्तर अनेक हेतु या बहुतसे दृष्टान्तोंको उठाते उठाते अनवस्था हो  
जायगी, आचार्य कहते हैं कि सो तो नहीं कहना। क्योंकि किसी न किसीको कहीं न कहीं आकाशा  
रहितपना सिद्ध हो जाता है। चौथी, पांचवी, कोटिपर प्रायः सबकी जिज्ञासा शान्त हो जाती है।  
प्रमाणसंश्लेषवादियोंको या सम्वादका उत्थान करनेवालोंको भी अन्य प्रमाणोंका उत्पादन करते  
करते कहीं छठवीं, सातवीं, कोटिपर निराकाक्ष होना ही पडता है। उसीके समान यहाँ भी अधिक  
हेतु या दृष्टान्तोंमें अनवस्था नहीं आती है। अतः अधिकको निग्रहस्थान मानना सुमुचित  
प्रतीत नहीं होता है।

कथं कृतकत्वादिति हेतुं कचिद्वदतः स्वार्थिकस्य कप्रत्ययस्य वचनं यत्कृतकं तद-  
नित्यं दृष्टमिति व्याप्तिं प्रदर्शयतो यच्चद्वचनमधिकं नाम निग्रहस्थानं न स्यात्, तेन विनापि  
तदर्थमतिपत्तेः ।

अधिक कथन करनेको यदि वक्ताका निग्रहस्थान माना जायगा तो किसी स्पष्टपर  
“ शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात् ” इस अनुमानमें कृतत्वात्के स्थानमें स्वार्थवाचक प्रत्ययको बढ़ाकर  
“ कृतकत्वात् ” इस प्रकार हेतुको कह रहे वादीके द्वारा कृतके निज अर्थको ही कहनेवाली



स्वार्थिक क प्रत्ययका कथन करना वादीका " अधिक " निग्रहस्थान क्यों नहीं हो जावेगा ? तथा उक्त अनुमानमें जो जो कृतक होता है, वह वह पदार्थ अनित्य देखा गया है, इस प्रकार व्याप्ति का प्रदर्शन करा रहे वादीके द्वारा यत् और तत् यानी जो जो यह वह शब्दका वचन करना मला उस वादीका अधिक नामक निग्रहस्थान क्यों नहीं हो जावेगा ? क्योंकि उन यत् तत् शब्दोंके कथन बिना भी उस व्याप्तिप्रदर्शनरूप अर्थकी प्रतिपत्ति हो जाती है । यानी कृतक पदार्थ अनित्य हुआ करता है । इतना कहना ही व्याप्तिप्रदर्शनके लिये पर्याप्त है ।

सर्वत्र वृत्तिपदप्रयोगादेव चार्थप्रतिपत्तौ संभाव्यमानायां वाक्यस्य वचनं कर्मर्थं पुष्पाति ? येनाधिकं न स्यात् ।

सभी स्थानोंपर क्लृप्त, तद्धित, समास, आदि वृत्तियोंसे युक्त हो रहे पदोंके प्रयोगसे ही अर्थकी प्रतिपत्ति होना सम्भव हो रहा है तो खण्डकर वाक्यका वचन करना मला किस नवीन अर्थको पुष्ट कर रहा है ? जिससे कि अधिक निग्रहस्थान नहीं होवे । अर्थात्—“ इत्यरी ” इस प्रकार क्लृप्त लघुपदसे अब कार्य निकल सकता है, तो परपुरुषगमनका स्वभाव रखनेवाली पुंशब्दी स्त्री यह लम्बा वाक्य क्यों कहा जाता है ? “ स्थापूण ” से कार्य निकल सकता है तो स्थिति शील क्यों कहा जाता है । या “ दाक्षि ” इस लघुपदके स्थानपर दक्षका अपत्य नहीं कहना चाहिये । “ धर्म्य ” के स्थानपर धर्मसे अनपेक्ष हो रहा है, यह वाक्य नहीं बोलना चाहिये । क्योंकि अधिक पडता है । तथा “ उन्मत्तगंगं ” के स्थानपर जिस देशमें गंगा उन्मत्त हो रही है, यह वाक्य कुठ भी विशेषता नहीं रखता । “ शाकप्रिय ” के बदले जिस मनुष्यको शाक प्यारा है, इस वाक्यका कोई नया अर्थ नहीं दीखता है । पितरौ इस शब्दकी अपेक्षा “ माता पिता हैं ” इस वाक्यका अर्थ अतिरिक्त नहीं है । किन्तु शब्दोंकी मरमार अधिक है । अतः वक्ताको अधिक निग्रहस्थान मिलना चाहिये ।

तथाविधवचनस्यापि प्रतिपच्युपायत्वान्न निग्रहस्थानमिति चेत्, रूपमनेकस्य हेतोर्दृष्टान्तस्य वा प्रतिपच्युपायभूतस्य वचनं निग्रहाधिकरणं ? निरर्थकस्य तु वचनं निरर्थकमेव निग्रहस्थानं न्यूनवन्न पुनस्ततोन्वयः ।

यदि आप नैयायिक यों कहें कि तिस प्रकार स्वार्थिक प्रत्ययों या पदोंका खण्ड खण्ड करते हुये वाक्य बनाकर कथन करना भी प्रतिपत्तिका उपाय है । अपनी उत्पत्तिमें अन्य कारणोंकी अपेक्षा रखनेवाले भावको कृतक कहते हैं । जिस पुरुषने कृतक ही शब्दका उक्त अर्थके साथ संकेत प्रदण किया है, उस पुरुषके लिये कून शब्दका उच्चारण नहीं कर कृतक शब्दका प्रयोग करना चाहिये, जो शब्द बुद्धि श्रोता कठिनवृत्ति पदोंद्वारा अर्थप्रतिपत्ति नहीं कर सकते हैं, उनके प्रति खण्ड वाक्योंका प्रयोग करना उपादेय है । अतः वे अधिक कथन तो निग्रहस्थान नहीं हैं ।

यों कहनेपर तो हम जैन कह देगें कि प्रतिपत्तिके उपायमूल हो रहे अमेक हेतु अथवा अनेक दृष्टान्तोंका कथन करना भी वक्ताका निग्रहस्थान भला क्यों होगा ? अर्थात्—नहीं, हाँ, काठयापन करनेके लिये निरर्थक हेतु आदिकोंका अधिक कथन करना तो निरर्थक निग्रहस्थान ही है । अधिक नामक न्यारा निग्रहस्थान नहीं है । जैसे कि जिस प्रकारके न्यून कथन करनेसे अर्थकी प्रतीति नहीं हो पाती है । वह न्यून कोई न्यारा निग्रहस्थान नहीं होकर निरर्थक ही है उसीके समान फिर यह अधिक भी उस बल्लभ निरर्थकसे भिन्न कोई न्यारा निग्रहस्थान नहीं है, यह समझे रहो ।

पुनरुक्तं निग्रहस्थानं विचारयितुकाम आह ।

नैयायिकों द्वारा स्वीकार किये गये तेरहवें पुनरुक्त निग्रहस्थानका विचार करनेकी इच्छा रखनेवाले श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिकोंको कहते हैं ।

पुनर्वचनमर्थस्य शब्दस्य च निवेदितम् ।

पुनरुक्तं विचारेन्यत्रानुवादात्परीक्षकैः ॥ २२६ ॥

गौतम सूत्र अनुसार परीक्षकों करके पुनरुक्तका लक्षण यह निवेदन किया गया है कि विचार करते समय जो उसी शब्द और अर्थका पुनः कथन करना है, वह पुनरुक्त निग्रहस्थान है, हाँ, अनुवादके स्थलको छोड़ देना चाहिये । अर्थात्—अनुवाद करनेके सिवाय अर्थ—पुनरुक्त और शब्द—पुनरुक्त दो निग्रहस्थान हैं । समान अर्थवाले पूर्व पूर्व उच्चारित शब्दोंका पीछे भी निग्रहयोजन प्रयोग करना शब्दपुनरुक्त है । और समान अर्थवाले भिन्न भिन्न अनुपूर्वोंको धार रहे अन्य शब्दोंका निरर्थक कथन करना अर्थपुनरुक्त है । जैसे कि घटः घटः यह पहिला शब्द पुनरुक्त है । घट शब्द द्वारा घट अर्थको कह कर पुनः कलश शब्द द्वारा उसी अर्थको कहना अर्थपुनरुक्त है । हम तुम्हारे कथनको समझ गये हैं, इस बातका प्रतिपादन करनेके लिये अनुवादमें जो सप्रयोजन व्याख्यान किया जाता है, वह पुनरुक्त कथन दोष नहीं समझा जाता है ।

तत्राद्यमेव मन्यन्ते पुनरुक्तं वचोर्थतः ।

शब्दसाम्येपि भेदेऽस्यासंभवादित्युदाहृतम् ॥ २२७ ॥

हसति हसति स्वामिन्युच्चैरुदत्यतिरोदिति ।

कृतपरिकरं स्वेदोद्गारि प्रधावति धावति ॥

गुणसमुदितं दोषापेतं प्रणिंदति निंदति ।

धनलज्जपरिकीर्तं यंत्रं प्रनृत्यति नृत्यति ॥ २२८ ॥ ( हरिणी छन्द )

आचार्य महाराज कहते हैं कि उस पुनरुक्तके प्रकरणमें आधके ही अर्थपुनरुक्तको विद्वान् लोको दोष मान रहे हैं। जो वचन अर्थकी अपेक्षा पुनरुक्त है वह पुनरुक्त निप्रहस्थान कहा गया है। क्योंकि शब्दोंकी समानता होनेपर भी अर्थका भेद हो जानेपर इस पुनरुक्त निप्रहस्थानका असम्भव है। इसका उदाहरण हरिणीछन्द द्वारा यों दिया गया है कि एक अनुकूल नायिका है। वह स्वामीके हंसनेपर उच्च स्वरसे हंसती है, और स्वामीके रोनेपर अधिक रोती है। या खाटका प्रहण कर (खटपाटी लेकर) अत्यन्त रोने लग जाती है। तथा स्वामीके पसीनाको बहानेवाले भले प्रकार दौड़नेपर वह स्त्री भी दौड़ने लग जाती है। इस वाक्यमें कृतपरिकर और स्वेदोद्धारि ये दोनों क्रियाविशेषण हैं, तथा स्वामीके द्वारा गुणोंके समुदायसे युक्त और दोषोंसे सर्वथा रहित ऐसे भी पुरुषकी भले प्रकार निन्दा करते सन्ते वह स्त्री भी ऐसे सज्जनपुरुषकी निन्दा करने लग जाती है। एवं थोड़े धन (कुछ पैसों) से मोड़ छिये गये यंत्र (खिलौना) का स्वामीके द्वारा अच्छा नृत्य करानेपर वह भी खिलौनेको नचाने लग जाती है। अथवा यंत्रके साथ स्वामीके नाचनेपर वह भी नाचने लग जाती है। तथा चाटुकारता (खुशामद) द्वारा ही प्रसन्न होनेवाले स्वामीके अनुसार प्रशुक्ति करनेवाले अधिचारी स्वार्थी सेवकका भी उक्त उदाहरण सम्भव जाता है। यहाँ पहिले कहे गये इसति, रुदति, प्रधावति, श्यादिक शब्द तो शब्द प्रत्ययान्त होते हुये सति अर्थमें सप्तमी विभक्तिवाले हैं। दूसरे इसति, रोदिति, धावति इत्यादिक तिङन्त शब्द लट् लकारके क्रियारूप हैं। “कामिनीरहितायते कामिनीरहितायते। कामिनी रहितायते कामिनी रहितायते, एवं” महाभारतांति महाभाऽरतीत्यपि द्योततेऽच्छमहाभारतीति” रम्भारामा कुरवक कमठारं भारामा कुरवक कमठा, रम्भारामाकुरवककमठा रम्भा रामा कुरवक माठा” इत्यादिक श्लोकोंमें शब्दोंके समान-होनेपर भी अर्थभेद होनेके कारण पुनरुक्त दोष नहीं है। अतः शब्दोंके विभिन्न होनेपर या समान होनेपर यदि पुनः दूसरे बार अर्थका भेद प्रतीत नहीं होय तो “अर्थ पुनरुक्त” ही स्वीकार करना चाहिये। जहाँ शब्द भी सदृश हैं, और अर्थ भी वही एक है, वहाँ तो अर्थपुनरुक्तदोष समझो ही।

सभ्यप्रत्यायनं यावत्तावद्वाच्यमतो बुधैः ।

स्वैष्टार्थवाचिभिः शब्दैस्तैश्चान्यैर्वा निराकुलम् ॥ २२९ ॥

तदप्रत्यायिशब्दस्य वचनं तु निरर्थकम् ।

सकृदुक्तं पुनर्वेति तात्विकाः संप्रचक्षते ॥ २३० ॥

जितनेपर भी शब्दोंके द्वारा समासद पुरुषोंका व्युत्पादन हो सके उतने भरपूर शब्द विद्वानों करके कहने चाहिये। अतः अपने अर्थात् अर्थका फयन करनेवाले उन्हीं शब्दोंकरके अथवा अन्य भी वहाँ यहाँके दूसरे दूसरे शब्दों करके आकुञ्चिताहित हो कर भाषण करना उपयोगी है।

अर्थात्—लाघवके लोभमें पडकर शब्दोंका संकोच करनेसे मारी अर्थकी हानि उठानी पडती है ।  
समामें मन्दबुद्धि, मध्यबुद्धि, तीव्रक्षयोपशम, प्रकृष्ट प्रतिभा, आदिको धारनेवाले सभी प्रकारके जीव  
हैं । समझाने समझनेमें आकृष्टता नहीं हो, इस ढंगसे श्रेष्ठ वक्ताको व्याख्यान करना चाहिये । किसी  
प्रकृष्ट बुद्धिवाले प्रतिपाद्यकी अपेक्षा वक्ताका पुनर्यचन इतना मयावह नहीं है, जितना कि बहुतसे  
मन्दबुद्धिवालोंका अज्ञानि बना रहना हानिकर है । मैंने ( माणिकचन्द ) माया टीका लिखते  
समय अनेक स्थलोंपर दो दो बार तीन तीन बार कठिन प्रमेयको समझानेका प्रयास किया है  
क्योंकि प्रकृष्टबुद्धिशाली विद्वानोंके लिये तो मूढग्रन्थ ही उपादेय है । हा, जो साधारण बुद्धिवाले  
पुरुष श्री विद्यानन्द स्वामीकी पंक्तियोंको समझनेके लिये असमर्थ हैं, या अर्द्धसमर्थ हैं, उनके लिये  
देश भाषा लिखी गयी है । यानी, अर्थात्, भावार्थ, जैसे, आदि प्रतीकों करके अनेक स्थलोंपर  
पुनरुक्ति हो गई है, किन्तु वे सब परिभाषण मन्दक्षयोपशमवाले शिष्योंको समझानेके लिये हैं ।  
उस पुनरुक्त कथन द्वारा विशिष्ट क्षयोपशमको उठा कर विद्वान् भी सम्भवतः कुछ लाभ उठा सके,  
जैसे कि कठिनश्लोक या पंक्तिको कई बार उसी शब्द आनुपूर्वसे वाचनेपर प्रतिभाशाली विचक्षण  
धीमान् चमत्कारक अर्थको निकाल लेते हैं । दो तीन बार पानी, पाणी, पानी, कह देनेसे श्रोता  
अतिशीघ्र जलको ले आता है । कई बार सांप, साप, कह देनेसे पथिक सतर्क हो कर सर्पसे  
अपनी झटिति संरक्षा कर लेता है । मरा मरा मरा, पिचा पिचा पिचा, अधिक पीडा है, बहुत  
पीडा है, पकडो पकडो पकडो इत्यादिक शब्द भी अनेक अवसरोंपर विशेष प्रयोजनको साध देते हैं ।  
अतः क्वचित् पुनरुक्त भी दोष नहीं है । महर्षियोंके व्यर्थ दीख रहे वचन तो न जाने कितना  
अपरिमित अर्थ निकाल कर घर देते हैं । “ गतिस्थित्युपग्रही धर्माधर्मयोरुपकारः ” सुखदुःखजीवि-  
तमरणोपग्रहाश्च “ परस्परुपग्रही जीवानां ” इन सूत्रोंमें पडे हुये उपग्रह शब्द तो विचक्षण अर्थोंको  
कह रहे हैं । प्रकरणमें अब यह कहना है कि वक्ताको श्रोताओंके प्रत्यय करानेका लक्ष्य भरपूर  
रखना चाहिये । हा, उन सभ्योंको कुछ भी नहीं समझानेवाले शब्दोंका कथन तो निरर्थक ही है ।  
मले ही वह अर्थ कथन एक बार कहा जाय या पुनः कहा जाय निरर्थक निग्रहस्थानमें ही अन्त-  
र्भूत हो जायगा । इसके लिये न्यारे “ पुनरुक्त ” निग्रहस्थान माननेकी आवश्यकता नहीं है । इस  
प्रकार तत्त्ववेत्ता विद्वान् मले प्रकार बढिया निरूपण कर रहे हैं ।

**सकृद्वादे पुनर्वादोनुवादोर्थविशेषतः ।**

**पुनरुक्तं यथा नेष्टं क्वचित्तद्वदिहापि तत् ॥ २३१ ॥**

एक बार वादकथा कह चुकनेपर प्रयोजनकी विशेषताओंसे पुनः कथन करमारूप अनु-  
वाद जिस प्रकार कहीं कहीं पुनरुक्त दोषसे दूषित अभीष्ट नहीं किया गया है, उसीके समान यहाँ  
भी अर्थकी विशेषता होनेपर वह पुनरुक्त दोष नहीं है ।

अर्थादापद्यमानस्य यच्छब्देन पुनर्वचः ।

पुनरुक्तं मतं यस्य तस्य स्वैष्टोक्तिवाधनम् ॥ २३२ ॥

जिस नैयायिकके यहां अर्थप्रकरणसे ही गम्यमान हो रहे अर्थका पुनः शब्दों करके कथन करना जो पुनरुक्त माना गया है । गौतम सूत्रमें लिखा है कि " अर्थादापन्नस्य स्वशब्देन पुनर्वचनं " । उत्पत्ति धर्मवाला पदार्थ अनित्य होता है, इतना कहनेसे ही अर्थापत्तिके करके यों जान लिया जाता है कि उत्पत्तिधर्मसे रहित हो रहा सब पदार्थ नित्य होता है । जीवित देवदत्त घरमें नहीं है । इतना कह देनेसे ही घरसे बाहर देवदत्तका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है । अतः अर्थसे आपादन किये जा रहे अर्थका स्ववाचक शब्दोंकरके पुनः कथन करना भी पुनरुक्त है । इसपर आचार्योंका कहना है कि उक्त सिद्धान्त माननेपर उन नैयायिकोंके यहां अपने अभीष्ट कथनसे ही वाधा उपस्थित हो जाती है । नैयायिकोंने अनेक स्थलोंपर बिना कहे ही जाने जा रहे प्रतिज्ञा आदिकोंका निरूपण किया है । विद्वानोंको स्ववचनबोधित कथन नहीं करना चाहिये ।

योप्याह, शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरुक्तमन्यत्रानुवादात् अर्थादापन्नस्य स्वशब्देन पुनर्वचनं पुनरुक्तमिति च तस्य प्रतिपन्नार्थप्रतिपादकत्वेन वैयर्थ्यान्निग्रहस्यानमिति मतं न पुनरन्यथा । तथा च निरर्थकान्न विशिष्यते, स्ववचनविरोधश्च । स्वयमुद्देशलक्षणपरीक्षावचनानां प्रायेणाभ्युपगमादर्थाद्गम्यमानस्य भतिज्ञादेर्वचनाच्च ।

जो भी गौतमसूत्र अनुसार नैयायिक यों कह रहा है, शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरुक्तमन्यत्रानुवादात् और अर्थादापन्नस्य स्वशब्देन पुनर्वचनं पुनरुक्तं " इन दो सूत्रोंका अर्थ यों कहा जा चुका है कि अनुवाद करनेसे अतिरिक्त स्थलोंपर शब्द और अर्थका जो पुनः कथन करना है, वह पुनरुक्त निग्रहस्थान है । तथा अर्थापत्तिद्वारा अर्थसे गम्यमान हो रहे प्रमेयका पुनः स्वकीय पर्यायवाचक शब्दोंसे पुनः कथन करना भी पुनरुक्त है । उस सूत्रके अनुयायी नैयायिकोंके यहां जाने हुये ही अर्थका प्रतिपादक होनेसे व्यर्थ हो जानेके कारण पुनरुक्तको निग्रहस्थान माना गया है, यह उनका अभीष्ट सिद्धान्त है । पुनः अन्य प्रकारोंसे पुनरुक्त निग्रहस्थान स्वीकृत नहीं किया है । और तिस प्रकार होनेपर वह पुनरुक्त निग्रहस्थान तो निरर्थक निग्रहस्थानसे कुछ भी विशेषताओंको नहीं रखता है । अतः निग्रहस्थानोंकी व्यर्थ संख्या बढ़ानेसे कोई लाभ नहीं है । दूसरी बात यह है कि नैयायिकोंको अपने कथनसे ही अपना विरोध आजानारूप दोष उपस्थित होगा । क्योंकि नैयायिकोंने प्रयोगमें उद्देश, लक्षण निर्देश और परीक्षाके पुनरुक्त वचनोंको बाहुल्यसे स्वीकार किया है । नाममात्र कथनको उद्देश कहते हैं । असाधारण धर्मके कथनको लक्षण कहते हैं । विरुद्ध माना

युक्तियोंके प्रवृत्तपन और दुर्बलपनके निर्णय करनेके लिये प्रवर्त रहे विचारको परीक्षा कहते हैं। गौतमसूत्रमें ही पहिले प्रमाण, प्रमेय, संशय आदि सोलह पदार्थोंका उद्देश किया है। पुनः उनके लक्षण या भेदोंको कहा है। पश्चात्—उनकी परीक्षा की गयी है। वैशेषिक दर्शनमें भी प्रथम अध्यायके पाँचवें सूत्र अनुसार पृथ्वीका उद्देश कर पुनः रूप, रस, गन्धस्पर्शवती पृथिवी ऐसा द्वितीय अध्यायके प्रथमसूत्रद्वारा लक्षण किया है। पीछे परीक्षा की गयी है, तथा अनेक स्थलोंपर शब्दोंके प्रयोग बिना ही गन्यमान हो रहे प्रतिज्ञा, दृष्टान्त, आदिका कण्ठोक्त शब्दोंद्वारा निरूपण किया है। ऐसी दशामें उनको अपने इष्ट पुनरुक्त निग्रहस्थानसे भय क्यों नहीं लगा ! अतः सिद्ध होता है कि पुनरुक्त कोई निग्रहस्थानके लिये उचित दोष नहीं है। यदि कुछ थोडासा है भी तो वह निरर्थक-रूपसे ही वक्ताका निग्रहकरा देगा। पुनरुक्तको स्वतन्त्र न्यारा निग्रहस्थान मानना निरर्थक है।

यदप्युक्तं, विज्ञातस्य परिपदा त्रिभिरभिहितस्याप्रत्युच्चारणमननुभाषणं निग्रहस्थान मिति तदनुय विचारयन्नाह ।

और भी जो नैयायिकोंने चौदहवें अननुभाषण निग्रहस्थानका लक्षण गौतमसूत्रमें इस प्रकार कहा था कि समाजनोंकरके विशेषरूपसे जो जान लिया गया है, ऐसे वाक्यार्थके वादी करके तीन बार कह दिये गये का भी जो प्रत्युत्तर कोटिके रूपमें प्रतिवादीद्वारा उच्चारण नहीं करना है, वह प्रतिवादीका अननुभाषण निग्रहस्थान है। इस प्रकार उस नैयायिकके वक्तव्यका अनुवाद कर विचार करते हुये श्री विद्यानंद आचार्य व्याख्या करते हैं।

त्रिर्वादिनोदितस्यापि विज्ञातस्यापि संपदा ।

अप्रत्युच्चारणं प्राह परस्याननुभाषणम् ॥ २३२ ॥

वादीकरके तीन बार कहे हुये का भी अत एव त्रिवृत् परिपद करके भी भले प्रकार जान लिये गये पदार्थका जो दूसरे प्रतिवादीद्वारा प्रत्युत्तर रूपसे उच्चारण नहीं किया जाना है, वह पर वादीका अननुभाषण निग्रहस्थान है।

तदेतदुत्तरविषयापरिज्ञानान्निग्रहस्थानमप्रत्युच्चारयतो दूषणवचनविरोधात् । तत्रेदं विचार्यते, किं सर्वस्य वादिनोक्तस्याननुच्चारणं किं वा यन्नांतरीयका साध्यसिद्धिरभिमतता तस्य साधनवाक्यस्याननुच्चारणमिति ।

तिस कारण यह अननुभाषण, प्रतिवादीको उत्तर विषयक परिज्ञान नहीं होनेसे उस प्रतिवादीका निग्रहस्थान माना गया है। क्योंकि प्रतिवादीका कर्तव्य है कि वादीके कहे हुये पक्षमें दोष निरूपण करें। जब कि प्रतिवादी कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं कर रहा है तो ऐसे सुने प्रतिवादी द्वारा दूषण वचन कहे जानेका विरोध है। भाष्यकार इसके ऊपर भेद प्रकट करते हैं कि कुछ भी

नहीं कह रहा यह वादी ( प्रतिवादी ) भला किसका अवलम्ब लेकर परपक्षके प्रतिषेधको कहे । अतः निगृहीत ही जाता है । अब उस अननुभाषण निग्रहस्थानके विषयमें श्री विद्यामन्द आचार्य यह विचार उठाते हैं कि वादीद्वारा कहे गये सभी वक्तव्य का उच्चार नहीं करना क्या प्रतिवादीका अननुभाषण नामक निग्रहस्थान है ? अथवा क्या जिस उच्चारणके साथ साध्यसिद्धिका अविनाभाव अभीष्ट किया गया है, साध्यको साधनेवाले उस वाक्यका उच्चारण नहीं करना प्रतिवादीका अननुभाषण निग्रहस्थान है ? बताओ ।

यन्नांतरीयका सिद्धिः साध्यस्य तदभाषणं ।

परस्य कथ्यते कैश्चित् सर्वथाननुभाषणं ॥ २३३ ॥

द्वितीय पक्षके अनुसार किन्हींका कहना है कि जिस उच्चारणके बिना प्रकृत साध्यकी सिद्धि नहीं हो सकती है, सभी प्रकारोंसे उस वक्तव्यका नहीं कहना दूसरे प्रतिवादीका अननुभाषण निग्रहस्थान हुआ, किन्हीं विद्वानों करके कह दिया जाता है ।

प्रागुपन्यस्य निःशेषं परोपन्यस्तमंजसा ।

प्रत्येकं दूषणे वाच्ये पुनरुच्चार्यते यदि ॥ २३४ ॥

तदेव स्यात्तदा तस्य पुनरुक्तमसंशयम् ।

नोच्चार्यते यदा त्वेतत्तदा दोषः क्व गद्यते ॥ २३५ ॥

तस्माद्यद्बध्यते यत्तत्कर्मत्वादि परोदितम् ।

तदुच्चारणमेवेष्टमन्योच्चारो निरर्थकः ॥ २३६ ॥

प्रथम पक्ष अनुसार वादी द्वारा कह दिये गये सभीका उच्चारण करना प्रतिवादीके लिये उचित समझा जाय यह तो युक्त नहीं है । क्योंकि अगले वादीके सम्पूर्ण कहे गये का प्रत्युच्चारण नहीं भी कर रहे प्रतिवादी द्वारा दूषणका वचन उठानेमें कोई व्याघात नहीं पड़ता है । अन्यथा प्रतिवादीकी बड़ी आपत्ति आ जायगी । प्रथम तो प्रतिवादीको अगले द्वारा कहे गये सम्पूर्ण कथनका तार्किक रूपसे शीघ्र उपन्यास करना पड़ेगा, पुनः प्रत्येकमें दूषण कथन करनेके अवसरपर उनका प्रतिवादी द्वारा उच्चारण यदि किया जायगा तब उस प्रतिवादीका वह पुनः कथन ही संशयरहित होकर पुनरुक्त निग्रहस्थान ही जायगा और जब वादीके कहे गये का प्रतिवादी उच्चारण नहीं करता है, तब तो गुप्त नैयायिक अननुभाषण दोष उठा देते हो, ऐसी दशामें प्रतिवादी भला कहाँ क्या कहे ? तिस कारणसे सिद्ध होता है कि वादीके सर्व कथनका उच्चारण करना प्रतिवादीको आवश्यक नहीं ।

हैं दूसरे वादीके द्वारा कहे गये जिस जिस साध्य, हेतु, आदिमें प्रतिवादी द्वारा दूषण उठाया जाय उसका उच्चारण करना ही प्रतिवादीका कर्त्तव्य अमीष्ट करना चाहिये । प्रतिवादी यदि अन्य दूषण उच्चारणकी बातोंका उच्चारण करता है, तो उसका " निरर्थक " निग्रहस्थान हो जायगा ।

उक्तं दूषयतावश्यं दर्शनीयोत्र गोचरः ।

अन्यथा दूषणावृत्तेः सर्वोच्चारस्तु नेत्यपि ॥ २३७ ॥

कस्यचिद्वचनं नेष्टनिग्रहस्थानसाधनं ।

तस्याप्रतिभयैवोक्तैरुत्तराप्रतिपत्तितः ॥ २३८ ॥

बौद्ध गुरु धर्मकीर्तिका मन्तव्य है कि उपर्युक्त अननुभाषण दूषणको उठा रहे विद्वान् करके यहाँ दूषणका आधार साध्य, हेतु, आदि विषय अवश्य दिखलाना चाहिये । अन्य प्रकारसे दूषणोंकी प्रवृत्ति नहीं हो पाती है । वादीसे प्रतिपादित सर्वका उच्चारण तो नहीं किया जाय । आचार्य कहते हैं कि यह भी किसी धर्मकीर्तिका कथन अपने अमीष्ट निग्रहस्थानका साधक नहीं हो सकता है । क्योंकि प्रतिवादीको स्वकीय भाषणों करके उत्तरकी प्रतिपत्ति नहीं होनेके कारण अप्रतिमा नामक निग्रहस्थान करके ही उस प्रतिवादीका निग्रह कर दिया जाता है ।

तदेतद्धर्मकीर्त्तमनुक्तमित्याह ।

आचार्य कहते हैं, सो यह धर्मकीर्तिका मन्तव्य तो अयुक्त है । इस बातको ग्रन्थकार स्पष्टरूपसे प्रतिपादन करते हैं ।

प्रत्युच्चारसमर्थत्वं कथ्यतेऽननुभाषणं ।

तस्मिन्नुच्चारितेष्वन्यपक्षविक्षिप्त्यवेदनम् ॥ २३९ ॥

ख्याप्यतेऽप्रतिभान्यस्येत्येतयोर्नेकतास्थितिः ।

साक्षात्संलक्ष्यते लोकैः कीर्तेरन्यत्र दुर्गतेः ॥ २४० ॥

प्रतिवादीका प्रत्युत्तरके उच्चारण करनेमें समर्थ नहीं होना तो अननुभाषण निग्रहस्थान कहा जाता है । और उस प्रत्युत्तरके उच्चारण किये जानेपर भी पर पक्षके द्वारा किये गये विक्षेप ( प्रतिषेध ) का ज्ञान नहीं होना तो अन्य प्रतिवादीका अप्रतिमा निग्रहस्थान बखाना जाता है । इस कारण इन अननुभाषण और अप्रतिमामें एकपनेकी व्यवस्था नहीं है, भेद है । उत्तरकी प्रतिपत्ति होनेपर भी समा क्षोभ आदिसे प्रतिवादीका अननुभाषण सम्भन जाता है । और उत्तरको नहीं समझानेपर अप्रतिमा नामक निग्रहस्थान होता है । कश्चित् साक्षर्य हो जाने मात्रसे दोनोंका भेद



निग्रहस्थान सम्भव रहा माना गया है। कुछ नहीं समझ रहा प्रतिवादी मत्वा किसका प्रतिषेध करे। न्यायभाष्यकारने खेद प्रकट करते हुये प्रतिवादीके ऊपर कठणा भी दिखा दी। इधरे हुये के भी कोई भगवान् सहायक हो जाते हैं, ऐसा ग्राम्यप्रवाद है। अब आचार्य कहते हैं, वह अज्ञान भी अननुमापण या अपार्यकके समान ही प्रतीत हो रहा है। कोई विवक्षणा नहीं है, तात्त्विक दृष्टिसे विचारनेपर ज्ञात हो जाता है कि सम्पूर्ण ही प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर, पुनरुक्त, अपार्यक, अधिक, आदि निग्रहस्थानोंमें वादी या प्रतिवादीका अज्ञानसे भिन्न और दूसरा निग्रहस्थान नहीं है। अतः अज्ञान भी वैसा ही है। कोई चमत्कार युक्त नहीं है। वहां भी अज्ञान ही सम्भव रहा है। यदि उन प्रतिज्ञाहानि आदि निग्रहस्थानोंको इस अज्ञानके भेद प्रमेदस्वरूप मानकर पृथक् निरूपण किया जावेगा तब तो निग्रहस्थानोंकी प्रतिनियत संख्याके अभाव होनेका प्रसंग होगा। तुम नैयायिकोंके यहां यों भेदप्रमेदस्वरूप पचासों, सैकड़ों, बहुतसे, निग्रहस्थान क्यों नहीं हो जावेंगे। क्योंकि वादीद्वारा कहे गये का आधा ज्ञान नहीं होना, चतुर्थ अंशका ज्ञान नहीं होना, या आधा विषरीत, आधा सगीचीन (सुपरीत) ज्ञान होना, आदि भेद प्रभेदोंका बहुत प्रकारसे यहां अवधारण किया जा सकता है।

उत्तराप्रतिपत्तिरप्रतिभेत्यपि निग्रहस्थानमस्य नाज्ञानादन्यदित्याह ।

अब आचार्य महाराज नैयायिकोंके सोलहमें निग्रहस्थानका विचार करते हैं। नैयायिकोंने गौतम सूत्रमें "अप्रतिभा" नामक निग्रहस्थानका उल्लेख यों किया है कि दूसरे विद्वान्के द्वारा कहे गये तत्त्वको समझकर भी उत्तर देनेके अवसरपर उत्तरको नहीं देता है, तो प्रतिवादीका अप्रतिभा निग्रहस्थान हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि नैयायिकके द्वारा इस प्रकार माना गया यह अप्रतिभा निग्रहस्थान भी अज्ञान नामक निग्रहस्थानसे ग्यारा नहीं है। इस बातको स्वयं ग्रन्थकार स्पष्ट कहते हैं।

उत्तराप्रतिपत्तिर्या परैरप्रतिभा मता ।

साप्येतेन प्रतिव्यूढा भेदेनाज्ञानतः स्फुटम् ॥ २४४ ॥

जो दूसरे नैयायिक विद्वानों करके श्रोताको उत्तरकी प्रतिपत्ति नहीं होना अप्रतिभा मानी गयी है, वह भी इस उक्त अज्ञान निग्रहस्थानके विचार करनेसे ही खण्डित कर दी गयी है, क्योंकि अज्ञान निग्रहस्थानसे अप्रतिभाका व्यक्त रूपसे कोई भेद प्रतीत नहीं होता है। अज्ञान और उत्तरकी अप्रतिपत्तिमें कोई विशेष अन्तर नहीं है।

यदप्युक्तं, निग्रहमाप्तस्यानिग्रहः पर्यनुयोज्यांषेक्षणं निग्रहस्थानमिति, तदपि न सार्थीय इत्याह ।

और भी जो नैयायिकोंने सत्रहवें निग्रहस्थानका लक्षण गौतमसूत्रमें यों कहा था कि निग्रहको प्राप्त हो चुके भी पुरुषका पुनः निग्रहस्थान नहीं उठाया जाना यह पर्यनुयोज्योपेक्षण निग्रहस्थान है। अर्थात्—कठणाका फल हिंसा है, (नेकीका दर्जा बदी है।) कोई वादी यदि निगृहीत हो चुके प्रतिवादीके ऊपर कृपाकर निग्रहस्थान नहीं उठाता है, तो ऐसी दशामें वह वादी अपने आप अपने पावोंमें कुल्हाड़ी मार रहा है। क्योंकि जीतनेवालेका ही मिफट भविष्यमें पर्यनुयोज्योपेक्षण द्वारा निग्रहस्थान होनेवाला है। इस निग्रहस्थानका तात्पर्य पर्यनुयोज्यकी उपेक्षा कर देना है। सुवक्ताको निग्रहकी प्राप्तिसे सम्मुख बैठ आ पुरुष प्रेरणा करने योग्य था। किन्तु सुवक्ता उसकी उपेक्षा कर गया। सुवक्ताके लिये परिपाकमें यही आपत्तिका बीज बन बैठा है। नीतिकारका कहना ठीक है कि “व्रजन्ति ते मूढधियः परामवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः। प्रविश्य हि नन्ति शठास्तथा विधानसंब्रुताङ्गान् निशिता श्वेषवः”। इस प्रकार नैयायिकोंने यह पर्यनुयोज्योपेक्षण निग्रहस्थान माना है। आचार्य कहते हैं कि वह निग्रहस्थान भी बहुत अच्छा नहीं है। इस बातको ग्रन्थकार वार्तिकद्वारा स्पष्ट कहते हैं।

यः पुनर्निग्रहप्राप्त्यनिग्रह उपेयते ।

कस्यचित्पर्यनुयोज्योपेक्षणं तदपि कृतम् ॥ २४५ ॥

जो नैयायिकोंने निग्रहस्थानको प्राप्त हो रहेमें भी पुनः निग्रह नहीं उठाना किसीका पर्यनुयोज्योपेक्षण नामक निग्रहस्थान स्वीकार किया है, वह भी उक्त विचारोंकरके ही न्यारा निग्रहस्थान नहीं किया जा सकता है। अज्ञान या अप्रतिमामें ही उसका अन्तर्भाव हो जायेगा। अधिक व्याख्यान करनेसे कोई विशेष लाभ नहीं है।

स्वयं प्रतिभया हि चेत्तदन्तर्भावनिर्णयः ।

सभ्यैरुद्भावनीयत्वात्तस्य भेदो महानहो ॥ २४६ ॥

वादेप्युद्भावयन्नैतन्न हि केनापि धार्यते ।

स्वं कौपीनं न कोपीह विवृणोतीति चाकुलम् ॥ २४७ ॥

उत्तराप्रतिपत्तिं हि परस्योद्भावयन्स्वयं ।

साधनस्य सदोपत्वमाविर्भावयति ध्रुवम् ॥ २४८ ॥

संभवत्युत्तरं यत्र तत्र तस्यानुदीरणम् ।

युक्तं निग्रहणं नान्यथेति न्यायविदां मतम् ॥ २४९ ॥

हां दूसरे वादीके द्वारा कहे गये जिस जिस साध्य, हेतु, आदिमें प्रतिवादी द्वारा दूषण उठाया जाय उसका उच्चारण करना ही प्रतिवादीका कर्त्तव्य अभीष्ट करना चाहिये। प्रतिवादी यदि अन्य इधर उधरकी बातोंका उच्चारण करता है, तो उसका "निरर्थक" निग्रहस्थान हो जायगा।

उक्तं दूषयतावश्यं दर्शनीयोत्र गोचरः ।

अन्यथा दूषणावृत्तेः सर्वोच्चारस्तु नेत्यपि ॥ २३७ ॥

कस्यचिद्वचनं नेष्टनिग्रहस्थानसाधनं ।

तस्याप्रतिभयैवोक्तैरुत्तराप्रतिपत्तितः ॥ २३८ ॥

बौद्ध गुरु धर्मकीर्तिका मन्तव्य है कि उपर्युक्त अनुमापण दूषणको उठा रहे विद्वान् करके यहां दूषणका आधार साध्य, हेतु, आदि विषय अवश्य दिखलाना चाहिये। अन्य प्रकारसे दूषणोंकी प्रवृत्ति नहीं हो पाती है। वादीसे प्रतिपादित सर्वका उच्चारण तो नहीं किया जाय। आचार्य कहते हैं कि यह भी किसी धर्मकीर्तिका कथन अपने अभीष्ट निग्रहस्थानका साधक नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रतिवादीको स्वकीय मापणों करके उत्तरकी प्रतिपत्ति नहीं होनेके कारण अप्रतिभा नामक निग्रहस्थान करके ही उस प्रतिवादीका निग्रह कर दिया जाता है।

तदेतद्धर्मकीर्त्तिसंभूतमयुक्तमित्याह ।

आचार्य कहते हैं, सो यह धर्मकीर्तिका मन्तव्य तो अयुक्त है। इस बातको ग्रन्थकार स्पष्टरूपसे प्रतिपादन करते हैं।

प्रत्युच्चारसमर्थत्वं कथ्यतेऽननुभाषणं ।

तस्मिन्नुच्चारितेऽप्यन्यपक्षविक्षिप्त्यवेदनम् ॥ २३९ ॥

ख्याप्यतेऽप्रतिभान्यस्येत्येतयोर्नेकतास्थितिः ।

साक्षात्संलक्ष्यते लोकैः कीर्तैरन्यत्र दुर्गतेः ॥ २४० ॥

नहीं हो सकता है। ओकों करके यह प्रत्यक्ष रूपसे मले प्रकार देखा जा रहा है। धर्मकीर्तिकी अन्यत्र दुर्गति हो जानेसे मले ही उनको नहीं दीखे इसके लिये हम क्या करें, वै मुग्तें।

ततोऽननुभाषणं सर्वस्य दूषणविषयमात्रस्य बान्यदेवामतिभायाः केवलं तन्निग्रह-  
स्थानमयुक्तं, परोक्तिमप्रत्युच्चारयतोपि दूषणवचनन्याय्यात् । तद्यथा—सर्वं प्रतिक्षणविन-  
श्वरं सत्त्वादिति केनचिदुक्ते तदुक्तमप्रत्युच्चारयन्नेव परो विरुद्धत्वं हेतोरुद्भावयति, सर्वमने-  
कातात्मकं सत्त्वात् । क्षणक्षयाद्येकांते सर्वथार्थक्रियाविरोधात् सत्त्वानुपपत्तेरिति समर्थयते  
च तावता परोपन्यस्तहेतोर्दूषणात् किं प्रत्युच्चारणेन ।

तिस कारणसे सिद्ध होता है कि दूषण देनेके विषय हो रहे केवल साध्य, हेतु, आदि सब का उच्चारण नहीं करना प्रतिवादीका अननुभाषण है, जो कि अप्रतिभा निग्रहस्थानसे न्यारा ही है। धर्मकीर्तिके द्वारा दोनों निग्रहस्थानोंका एक कर देना उचित नहीं है। हम जैनोंको नैयायिकोंके प्रति केवल यहां इतना ही कहना है कि उस अननुभाषणको निग्रहस्थान मानना युक्तिपूर्ण नहीं है। क्योंकि दूसरे विद्वान्के द्वारा कहे गये का प्रत्युच्चारण नहीं कर रहे भी प्रतिवादीके द्वारा दूषण वचन कहा जाना न्यायमार्ग है। कोई व्याघात नहीं है। उसको इस प्रकार समझ लीजिये कि सभी पदार्थ (पक्ष) प्रत्येक क्षणमें नष्ट हो जाने स्वभाववाले हैं (साध्य) सत्पना होनेसे (हेतु) इस प्रकार किसी वादीने अनुमानवाक्य कहा। उस कहे गये का प्रतिकूल पक्षमें उच्चारण नहीं करता हुआ भी दूसरा विद्वान् वादीके हेतुका विरुद्धहेत्वामासपना दोष उठा देता है कि सभी पदार्थ (पक्ष) नित्यपन, अनित्यपन अनेक धर्मस्वरूप हैं (साध्य), सत् होनेसे (हेतु)। इस प्रकार क्षणिकत्वसे विरुद्ध अनेका-तात्मकपनके साथ सत्त्व हेतु व्याप्त हो रहा है। एक क्षणमें ही नष्ट हो जाना, कूटस्थ नित्य बने रहना आदि एका-तामें सभी प्रकारोंसे अर्थक्रिया होनेका विरोध हो जानेसे सत्पना नहीं बन पाता है। इस प्रकार प्रतिवादीने सत्त्व हेतुका विपक्षमें बाधक प्रमाण दिखलाते हुये समर्थन भी कर दिया है। वस, केवल इतनेसे ही अगले वादीद्वारा कहे गये हेतुका दूषण हो जाता है, तो उस वादीके कहे गये का पुनः प्रत्युच्चारण करनेसे क्या लाभ है। अतः द्वितीयपक्ष मानना ही अच्छा दीखता है। जिसके बिना अपने अभीष्ट साध्यकी सिद्धि नहीं होने, उसीका प्रति उच्चारण नहीं करना प्रतिवादीका अननुभाषण निग्रहस्थान मानना चाहिये।

अथैवं दूषयितुमसमर्थः शास्त्रार्थज्ञानपरिणतिविशेषरहितत्वात् तदायंमुच्यतेप्रतिपत्ते-  
रेव तिरस्क्रियते न पुनरप्रत्युच्चारणात् । सर्वस्य पक्षधर्मत्वादेर्वानुवादे पुनरुक्तत्वानिष्टेः  
प्रत्युच्चारणोपि तत्रोत्तरमपकाशयन् न हि न निवृत्तते स्वपक्षं साध्यता यतोऽप्रतिभैव  
निग्रहस्थानं न स्यात् ।

अब इस प्रकार हेतुका उच्चारण किया जा चुकनेपर यदि प्रतिवादी शास्त्रार्थका ज्ञान रखनेवाले विशेष परिणामोंसे रहित होनेके कारण उस हेतुको दूषित करनेके लिये असमर्थ है, तब तो उत्तरकी अप्रतिपत्तिरूप अप्रतिभासे ही यह प्रतिवादी तिरस्कार करने योग्य है। किन्तु फिर प्रत्युच्चारण नहीं करना स्वरूप अननुभाषणसे प्रतिवादीका निग्रह नहीं करना चाहिये। सभी वादियोंके यहां “संश्व शब्दः” “तथा च धूमवान्” ऐसे पक्षवृत्तित्व आदिका अनुभाषण माना गया है। अनुवादम ता पुनुरुक्त दोषपना किसीको अभीष्ट नहीं है। कहना यह है कि प्रत्युच्चारण करनेवाला भी वादी उस साधप्रसिद्धिमें यदि समीचीन उत्तरका प्रकाश नहीं कर रहा है, तो निगृहीत नहीं होय यों नहीं समझना। किन्तु अपने पक्षको भले प्रकार साध रहे वादी फरके उसका निग्रह अवश्य हो जायगा। मछें ही वह वादी द्वारा कहे गयेका उच्चारण कर दे, यों होता क्या है? जिससे कि उस अवसरपर प्रतिवादीका अप्रतिभा नामक ही निग्रहस्थान नहीं होवे। अतः अप्रतिभा या अज्ञानमें गर्भित हो जानेसे इस अननुभाषणको स्वतंत्र निग्रहस्थान मानना अष्टा नहीं दीखता है।

यदप्युक्तं, अविज्ञातं चाज्ञानमिति निग्रहस्थानं, तदपि न प्रतिविशिष्टमित्याह।

और भी जो नैयायिकोंने गौतम सूत्र द्वारा पन्द्रहवें निग्रहस्थानका यों लक्षण किया कि वादीके कथनका परिषद् द्वारा विज्ञान किये जा चुकनेपर यदि प्रतिवादीको विज्ञान नहीं हुआ है, तो प्रतिवादीका “अज्ञान” इस नामका निग्रहस्थान होगा। आचार्य कहते हैं कि अज्ञान भी कोई विलक्षण विशेषताओंको रखता हुआ बढिया निग्रहस्थान नहीं है। जैसे अन्य कई निग्रहस्थानोंमें कोरा वचन आढम्बर है, वैसा ही कूडा इसमें मरा है। इसी बातको श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिकों द्वारा कहते हैं।

अज्ञातं च किलाज्ञानं विज्ञातस्यापि संसदा।

परस्य निग्रहस्थानं तत्समानं प्रतीयते ॥ २४१ ॥

सर्वेषु हि प्रतिज्ञानहान्यादिषु न वादिनोः।

अज्ञानादपरं किंचिन्निग्रहस्थानमाजसम् ॥ २४२ ॥

तेषामेतत्प्रभेदत्वे बहुनिग्रहणं न किम्।

अर्धाज्ञानादिभेदानां बहुधात्रावधारणात् ॥ २४३ ॥

वादीके द्वारा कहे गये वाक्यका परिषद् फरके विज्ञान हो चुका है। फिर भी प्रतिवादी करके जो कुछ भी नहीं समझा जाना है, वह नैयायिकोंके यहां दूसरे प्रतिवादीका अज्ञान नामक

निग्रहस्थान सम्भव रहा माना गया है। कुछ नहीं समझ रहा प्रतिवादी मर्दा किसका प्रतिषेध करे। न्यायभाष्यकारने खेद प्रकट करते जुमे प्रतिवादीके ऊपर करुणा भी दिखा दी। हारे हुये के भी कोई भगवान् सहायक हो जाते हैं, ऐसा ग्रन्थप्रवाद है। अब आचार्य कहते हैं, वह अज्ञान भी अननुमापण या अपार्यकके समान ही प्रतीत हो रहा है। कोई विवक्षणाता नहीं है, तार्किक दृष्टिसे विचारनेपर ज्ञात हो जाता है कि सम्पूर्ण ही प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर, पुनरुक्त, अपार्यक, अधिक, आदि निग्रहस्थानोंमें वादी या प्रतिवादीका अज्ञानसे भिन्न और दूसरा निग्रहस्थान नहीं है। अतः अज्ञान भी वैसा ही है। कोई चमत्कार युक्त नहीं है। वहां भी अज्ञान ही सम्भव रहा है। यदि उन प्रतिज्ञाहानि आदि निग्रहस्थानोंको इस अज्ञानके भेद प्रमेदस्वरूप मानकर पृथक् निरूपण किया जावेगा तब तो निग्रहस्थानोंकी प्रतिनियत संख्याके अभाव होनेका प्रसंग होगा। तुम नैयायिकोंके यहां यों भेदप्रमेदस्वरूप पचासों, सैकड़ों, बहुतसे, निग्रहस्थान क्यों नहीं हो जावेंगे। क्योंकि वादीद्वारा कहे गये का आधा ज्ञान नहीं होना, चतुर्थ अंशका ज्ञान नहीं होना, या आधा विपरीत, आधा सगीचीन (सुपरीत) ज्ञान होना, आदि भेद प्रमेदोंका बहुत प्रकारसे यहां अवधारण किया जा सकता है।

उत्तरामतिपत्तिरप्रतिभेत्यपि निग्रहस्थानमस्य नाज्ञानादन्यदित्याह ।

अब आचार्य महाराज नैयायिकोंके सोचहमें निग्रहस्थानका विचार करते हैं। नैयायिकोंने गौतम सूत्रमें "अप्रतिभा" नामक निग्रहस्थानका उल्लेख यों किया है कि दूसरे विद्वानके द्वारा कहे गये तत्त्वको समझकर भी उत्तर देनेके अवसरपर उत्तरको नहीं देता है, तो प्रतिवादीका अप्रतिभा निग्रहस्थान हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि नैयायिकके द्वारा इस प्रकार माना गया यह अप्रतिभा निग्रहस्थान भी अज्ञान नामक निग्रहस्थानसे न्यारा नहीं है। इस बातको स्वयं ग्रन्थकार स्पष्ट कहते हैं।

उत्तराप्रतिपत्तिर्या परैरप्रतिभा मता ।

साप्येतेन प्रतिव्यूढा भेदेनाज्ञानतः स्फुटम् ॥ २४४ ॥

जो दूसरे नैयायिक विद्वानों करके श्रोताको उत्तरकी प्रतिपत्ति नहीं होना अप्रतिभा मानी गयी है, वह भी इस उक्त अज्ञान निग्रहस्थानके विचार करनेसे ही खण्डित कर दी गयी है, क्योंकि अज्ञान निग्रहस्थानसे अप्रतिभाका व्यक्त रूपसे कोई भेद प्रतीत नहीं होता है। अज्ञान और उत्तरकी अप्रतिपत्तिमें कोई विशेष अन्तर नहीं है।

यदधुक्तं, निग्रहप्राप्तस्यानिग्रहः पर्यनुयोज्यांषेक्षणं निग्रहस्थानमिति, तदपि न साधीय इत्याह ।

और भी जो नैयायिकोंने सत्रहवें निग्रहस्थानका लक्षण गौतमसूत्रमें यों कहा था कि निग्रहको प्राप्त हो चुके भी पुरुषका पुनः निग्रहस्थान नहीं उठाया जाना यह पर्यनुयोज्योपेक्षण निग्रहस्थान है। अर्थात्—करुणाका फल हिंसा है, (नेकीका दर्जा बदी है।) कोई वादी यदि निगृहीत हो चुके प्रतिवादीके ऊपर कृपाकर निग्रहस्थान नहीं उठाता है, तो ऐसी दशामें वह वादी अपने आप अपने पावोंमें कुलहाड़ी मार रहा है। क्योंकि जीतनेवालेका ही मिक्त भविष्यमें पर्यनुयोज्योपेक्षण द्वारा निग्रहस्थान होनेवाला है। इस निग्रहस्थानका तात्पर्य पर्यनुयोज्यकी उपेक्षा कर देना है। सुवक्ताको निग्रहकी प्राप्तिसे सम्मुख बैठा हुआ पुरुष प्रेरणा करने योग्य था। किन्तु सुवक्ता उसकी उपेक्षा कर गया। सुवक्ताके लिये परिपाकमें यही आपत्तिका बीज बन बैठा है। नीतिकारका कहना ठीक है कि “व्रजन्ति ते मूढधियः परामवं भवन्ति मायाविपु ये न मायिनः। प्रविश्य हि नन्ति शठास्तथा विधानसंबृताङ्गान् निशिता इवेववः”। इस प्रकार नैयायिकोंने यह पर्यनुयोज्योपेक्षण निग्रहस्थान माना है। आचार्य कहते हैं कि वह निग्रहस्थान भी बहुत अच्छा नहीं है। इस बातको ग्रन्थकार वार्तिकद्वारा स्पष्ट कहते हैं।

यः पुनर्निग्रहप्राप्तेप्यनिग्रह उपेयते ।

कस्यचित्पर्यनुयोज्योपेक्षणं तदपि कृतम् ॥ २४५ ॥

जो नैयायिकोंने निग्रहस्थानको प्राप्त हो रहेंमें भी पुनः निग्रह नहीं उठाना किसीका पर्यनुयोज्योपेक्षण नामक निग्रहस्थान स्वीकार किया है, वह भी उक्त विचारोंकरके ही ग्यारा निग्रहस्थान नहीं किया जा सकता है। अज्ञान या अप्रतिभामें ही उसका अन्तर्भाव हो जावेगा। अधिक व्याख्यान करनेसे कोई विशेष लाभ नहीं है।

स्वयं प्रतिभया हि चेत्तदंतर्भावनिर्णयः ।

सभ्यैरुद्धावनीयत्वात्तस्य भेदो महानहो ॥ २४६ ॥

वादेष्युद्धावयन्नैतन्न हि केनापि धार्यते ।

स्वं कौपीनं न कोपीह विवृणोतीति चाकुलम् ॥ २४७ ॥

उत्तराप्रतिपत्तिं हि परस्योद्धावयन्स्वयं ।

साधनस्य सदोपत्वमाविर्भावयति ध्रुवम् ॥ २४८ ॥

संभवत्युत्तरं यत्र तत्र तस्यानुदीरणम् ।

युक्तं निग्रहणं नान्यथेति न्यायविदां मतम् ॥ २४९ ॥

निर्दोषसाधनोक्तौ तु तूष्णींभावाद्विनिग्रहः ।

प्रलापमात्रतो वेति पक्षसिद्धेः स आगतः ॥ २५० ॥

यदि नैयायिक यों कहें कि अप्रतिमासे निगृहीत हो रहे पुरुषमें प्रतिभा नहीं है । और पर्यनुयोज्योपेक्षणसे निगृहीत हो रहेंमें प्रतिमा विद्यमान है । दूसरी-बात यह है कि स्वयं वक्ता अप्रतिमाको उठाता है । और यह पर्यनुयोज्योपेक्षण तो मध्यस्थ समासदोषके उत्पादन करने योग्य है । माध्यकार कहते हैं कि “ एतच्च कस्य पराजय इत्यनुयुक्त्या परिषदा वचनीयं, न खलु निग्रहं प्राप्तः स्वकौपीनं विवृणुयादिति ” । अतः हम नैयायिक आश्चर्यपूर्वक कहते हैं कि अप्रतिमासे उस पर्यनुयोज्योपेक्षणका महान् भेद है । वादमें भी इसको कोई वादी या प्रतिवादी यदि उठा देवे तो किसी करके भी वह निग्रहस्थान मनोनुकूल श्रेष्ठ नहीं जाता है । पक्का जीतनेवाला पुनः पराजित नहीं होना चाहता, पर्यनुयोज्योपेक्षण निग्रहस्थानको उठानेवाला अपना निग्रह पहिंछे हो चुका, यह अवश्य स्वीकार कर लेता है । निग्रहको प्राप्त हो चुका कोई भी पुरुष इस लोकमें अपने आप अपनी गुप्त जननइन्द्रिवको नहीं खोल देता है । “ अपनी जांच उचाड़िये आप ही मरिये राज ” । इस प्रकार पर्यनुयोज्योपेक्षण उठानेके छिये निगृहीतको बड़ी आकुञ्चता उपरिपत हो जाती है । तभी तो मध्यस्थोंके ऊपर यह कर्त्तव्य ( बला ) टाक दिया गया है । जो पण्डित दूसरेके उत्तरकी अप्रतिपत्तिको स्वयं उठा रहा है, वह स्वयं अपने साधनका दोष सहितपना निश्चय से प्रकट करा रहा है । हा, जिस स्थलपर जो उत्तर सम्भव रहा है, उसका वहाँ कथन नहीं करना तो अप्रतिमा निग्रहस्थान है, यह मानना युक्त है । अन्य प्रकारोंसे निग्रह नहीं हो सकता है । इस प्रकार न्याय शास्त्रोंको जड़नेवालोंका मन्तव्य है । इसपर हम जैनोंका यह कहना है कि वादी द्वारा निर्दोष हेतुके कथन कर चुकनेपर प्रतिवादीका चुप रहनेसे तो विशेष रूपसे निग्रह होगा अथवा केषक व्यर्थ बकवाद करनेसे प्रतिवादीका निग्रह होगा । इस कारण अपने पक्षकी सिद्धि कर देनेसे ही दूसरेका यह निग्रहस्थान होना चाया । कोरा दोष उठा देनेसे अथवा निगृहीतका निग्रह कथन नहीं कर देनेसे यों ही किसीका निग्रह नहीं हो जाता है । हम तो ऐसे न्यायमार्गको अन्याय ही समझते हैं, जहाँ कि दयामावोंकी इत्या की जाती है । हां, यदि समुल स्थितके निगृहीत हो जानेका जिस पण्डितको सर्वथा ज्ञान नहीं हुआ है, उस पण्डितके ऊपर अज्ञान निग्रहस्थान उठाया जा सकता है । किन्तु हमें तो वह भी अनुचित दीखता है तो भी अज्ञानसे पर्यनुयोज्योपेक्षणको प्रथक् नहीं मानना चाहिये ।

यदप्यभ्युपगच्छति, स्वपक्षदोषाभ्युपगमात्परपक्षे दोषमसंगो मतानुज्ञा । यः परेण चोदितं दोषमनुद्धृत्य भवतोप्ययं दोष इति ब्रवीति सा मतानुज्ञास्य निग्रहस्थानमिति, तदप्यपरीक्षितमेवेति परीक्ष्यते ।



न्यायदर्शनमें निग्रहस्थानोंके आगे पीछेका क्रम यहां कुछ दूसरा होगया है । अस्तु, जो भी नैयायिकोंने मतानुज्ञाका उल्लेख यह कहा था कि दूसरे द्वारा प्रेरणा किये गये दोषको स्वीकार कर उसका उद्धार नहीं करते हुये परपक्षमें भी उसी दोषका प्रसंग दे देना मतानुज्ञा निग्रहस्थान है । दूसरेके मतको पीछे स्वीकार कर लेना यह मतानुज्ञा शब्दकी निरुक्ति है । जैसे मीमांसकने कहा कि शब्द नित्य है ( प्रतिज्ञा ), अथवा इन्द्रिय द्वारा प्राप्य होनेसे ( हेतु ) यों कह चुकनेपर नैयायिकने मीमांसकके यहां मानी गयी वायुस्वरूप अनिर्णय करके श्रावणत्व हेतुमें व्यभिचार हेत्वामास उठाया । ऐसी दशमें मीमांसकने अपने ऊपर आगे दोषका उद्धार तो नहीं किया, किन्तु नैयायिकोंके शब्द अनित्य है, कृतक होनेसे, इस अनुमानमें भी हेत्वामास उठा दिया ऐसी दशमें यह मीमांसक "मतानुज्ञा" नामक निग्रहस्थानसे निगृहीत हो जाता है । न्यायमाध्यकार यों ही वखानते हैं, कि जो दाक्षिणात्य शास्त्री दूसरेके द्वारा जड दिये गये दोषका उद्धार नहीं कर आपके यहां भी यही दोष समान रूपसे लागू हो जाता है, इस प्रकार कद देता है इसका वह मतानुज्ञा निग्रहस्थान हो जाता है । इस प्रकार नैयायिकोंका कहना है । आचार्य कहते हैं कि वह निग्रहस्थान भी परीक्षा किया जा चुका या परीक्षामें निर्णय हो चुका नहीं है । इस कारण हम उसकी परीक्षा करते हैं । सो आप नैयायिक सुन लीजियेगा ।

स्वपक्षे दोषमुपयन् परपक्षे प्रसंजयन् ।

मतानुज्ञामवाप्नोति निगृहीति न युक्तिः ॥ २५१ ॥

द्वयोरेवं सदोषत्वं तात्त्विकैः स्थाप्यते यतः ।

पक्षसिद्धिनिरोधस्य समानत्वेन निर्णयात् ॥ २५२ ॥

“ स्वपक्षदोषान्युपगमात् परपक्षदोषप्रसंगो मतानुज्ञा ” इस गौतमसूत्रके अनुसार दूसरेके द्वारा कहे गये दोषका अपने पक्षमें स्वीकार कर उसका उद्धार नहीं करता हुआ जो वादी दूसरेके पक्षमें भी समान रूपसे उसी दोषको उठा रहा है, वह पण्डित मतानुज्ञा नामक निग्रहस्थानको प्राप्त हो जाता है । आचार्य कहते हैं कि यह नैयायिकोंका मन्तव्य युक्तिधोसे निर्णय नहीं हो सका । क्योंकि इस प्रकार तो दोनों ही वादी प्रतिवादियोंका दोषसहितपना तत्त्ववेत्ता विद्वानोंकरके व्यवस्थापित कराया जाता है । कारण कि दोनोंके यहां अपने अपने पक्षकी सिद्धि नहीं करना समानपनेसे निश्चय की जा रही है । अथवा इन्द्रियसे प्राप्य होना हेतुसे शब्दके मित्यपनको मीमांसक सिद्ध नहीं कर सका है । जबतक किसी एकके पक्षकी सिद्धि नहीं होगी, तबतक यह जयी नहीं हो सकता है ।

अनैकांतिकतैर्वैवं समुद्भाव्येति केचन ।

हेतोरवचने तच्च नोपपत्तिमदीक्ष्यते ॥ २५३ ॥

निर्दोषसाधनोक्तौ तु तूष्णींभावाद्विनिग्रहः ।

प्रलापमात्रतो वेति पक्षसिद्धेः स आगतः ॥ २५० ॥

यदि नैयायिक यों कहें कि अप्रतिभासे निगृहीत हो रहे पुरुषमें प्रतिभा नहीं है । और पर्यनुयोग्योपेक्षणसे निगृहीत हो रहेंमें प्रतिभा विद्यमान है । दूसरी-बात यह है कि स्वयं वक्ता अप्रतिभाको उठाता है । और यह पर्यनुयोग्योपेक्षण तो मध्यस्थ समासदोषके उत्पादन करने योग्य है । भाष्यकार कहते हैं कि “ एतच्च कस्य पराजय इत्यनुपुक्त्या परिषदा वचनीयं, न खलु निग्रहं प्राप्तः स्वकीयानं विवृणुयादिति ” । अतः हम नैयायिक शास्त्र्यपूर्वक कहते हैं कि अप्रतिभासे उस पर्यनुयोग्योपेक्षणका महान् भेद है । वादमें भी इसको कोई वादी या प्रतिवादी यदि उठा देवे तो किसी करके भी वह निग्रहस्थान मनोनुकूल क्षेप नहीं जाता है । पक्षका जीतनेवाला पुनः पराजित नहीं होना चाहता, पर्यनुयोग्योपेक्षण निग्रहस्थानको उठानेवाला अपना निग्रह पहिछे हो चुका, यह अवश्य स्वीकार कर लेता है । निग्रहको प्राप्त हो चुका कोई भी पुरुष इस लोकमें अपने आप अपनी गुप्त जननइन्द्रिवको नहीं खोळ देता है । “ अपनी जांच उघाडिये आप ही मरिये राज ” । इस प्रकार पर्यनुयोग्योपेक्षण उठानेके लिये निगृहीतको बड़ी आकुलता उपस्थित हो जाती है । तभी तो मध्यस्थोंके ऊपर यह कर्त्तव्य ( बला ) टाळ दिया गया है । जो पण्डित दूसरेके उत्तरकी अप्रतिपत्तिको स्वयं उठा रहा है, वह स्वयं अपने साधनका दोष सहितपना निश्चय से प्रकट कर रहा है । हां, जिस स्थलपर जो उत्तर सम्भव रहा है, उसका वहां कथन नहीं करना तो अप्रतिभा निग्रहस्थान है, यह मानना युक्त है । अन्य प्रकारसे निग्रह नहीं हो सकता है । इस प्रकार न्याय शास्त्रोंको ज्ञाननेवालोंका मन्तव्य है । इसपर हम जेनोंका यह कहना है कि वादी द्वारा निर्दोष हेतुके कथन कर चुकनेपर प्रतिवादीका चुप रहनेसे तो विशेष रूपसे निग्रह होगा अथवा केवल व्यर्थ बकवाद करनेसे प्रतिवादीका निग्रह होगा । इस कारण अपने पक्षकी सिद्धि कर देनेसे ही दूसरेका यह निग्रहस्थान होना आया । कोरा दोष उठा देनेसे अथवा निगृहीतका निग्रह कथन नहीं कर देनेसे यों ही किसीका निग्रह नहीं हो जाता है । हम तो ऐसे न्यायमार्गको अन्याय ही समझते हैं, जहां कि दयामावोंकी हत्या की जाती है । हां, यदि समुल स्थितके निगृहीत हो जानेका जिस पण्डितको सर्वथा ज्ञान नहीं हुआ है, उस पण्डितके ऊपर अज्ञान निग्रहस्थान उठाना जा सकता है । किन्तु हमें तो वह भी अनुचित दीखता है तो भी अज्ञानसे पर्यनुयोग्योपेक्षणको पृथक् नहीं मानना चाहिये ।

यदप्यभ्यघायि, स्वपक्षदोषाभ्युपगमात्परपक्षे दोषमसंगो मतानुज्ञा । यः परेण चोदितं दोषमनुद्धृत्य भवतोप्ययं दोष इति ब्रवीति मा मतानुज्ञास्य निग्रहस्थानमिति, तदप्यपरीक्षितमेवेति परीरूपते ।

न्यायदर्शनमें निग्रहस्थानोंके आगे पीछेका क्रम यहां कुछ दूसरा दोगया है। अस्तु, जो भी नैयायिकोंने मतानुज्ञाका लक्षण यह कहा था कि दूसरे द्वारा प्रेरणा किये गये दोषको स्वीकार कर उसका उद्धार नहीं करते हुये परपक्षमें भी उसी दोषका प्रसंग दे देना मतानुज्ञा निग्रहस्थान है। दूसरेके मतको पीछे स्वीकार कर लेना यह मतानुज्ञा शब्दकी निरुक्ति है। जैसे मीमांसकने कहा कि शब्द नित्य है ( प्रतिज्ञा ), श्रवण इन्द्रिय द्वारा प्राप्त होनेसे ( हेतु ) यों कह चुकनेपर नैयायिकने मीमांसकके यहां मानों गंधी वायुस्वरूप ध्वनिओं करके श्रावणत्व हेतुमें व्यभिचार हेत्वाभास उठाया। ऐसी दशममें मीमांसकने अपने ऊपर आगे दोषका उद्धार तो नहीं किया, किन्तु नैयायिकोंके शब्द अनित्य है, कृत्नक होनेसे, इस अनुमानमें भी हेत्वाभास उठा दिया ऐसी दशममें यह मीमांसक "मतानुज्ञा" नामक निग्रहस्थानसे निगृहीत हो जाता है। न्यायमाध्यकार यों ही बखानते हैं, कि जो दाक्षिणात्य शास्त्री दूसरेके द्वारा जड दिये गये दोषका उद्धार नहीं कर आपके यहां भी यही दोष समान रूपसे लागू हो जाता है, इस प्रकार कह देता है इसका वह मतानुज्ञा निग्रहस्थान हो जाता है। इस प्रकार नैयायिकोंका कहना है। आचार्य कहते हैं कि वह निग्रहस्थान भी परीक्षा किया जा चुका या परीक्षामें निर्णोत हो चुका नहीं है। इस कारण हम उसकी परीक्षा करते हैं। सो आप नैयायिक सुन लीजियेगा।

स्वपक्षे दोपमुपयन् परपक्षे प्रसंजयन् ।

मतानुज्ञामवाप्नोति निगृहीतिं न युक्तिः ॥ २५१ ॥

द्वयोरेवं सदोपत्वं तात्त्विकैः स्थाप्यते यतः ।

पक्षसिद्धिनिरोधस्य समानत्वेन निर्णयात् ॥ २५२ ॥

" स्वपक्षदोषान्युपगमात् परपक्षदोषप्रसंगो मतानुज्ञा " इस गौतमसूत्रके अनुसार दूसरेके द्वारा कहे गये दोषका अपने पक्षमें स्वीकार कर उसका उद्धार नहीं करता हुआ जो वादी दूसरेके पक्षमें भी समान रूपसे उसी दोषको उठा रहा है, वह पण्डित मतानुज्ञा नामक निग्रहस्थानको प्राप्त हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि यह नैयायिकोंका मन्तव्य युक्तियोंसे निर्णोत नहीं हो सकता। क्योंकि इस प्रकार तो दोनों ही वादी प्रतिवादियोंका दोषसहितपना तत्त्ववेत्ता विद्वानोंकरके व्यवस्थापित कराया जाता है। कारण कि दोनोंके यहां अपने अपने पक्षकी सिद्धि नहीं करना समानपनेसे निश्चय की जा रही है। श्रवण इन्द्रियसे प्राप्त होना हेतुसे शब्दके नित्यपनको मीमांसक सिद्ध नहीं कर सका है। जबतक किसी एकके पक्षकी सिद्धि नहीं होगी, तबतक वह जयी नहीं हो सकता है।

अनैकांतिकतैवैवं समुद्धान्येति केचन ।

हेतोरवचने तच्च नोपपत्तिमदीक्ष्यते ॥ २५३ ॥

तथोत्तराप्रतीतिः स्यादित्यप्याग्रहमात्रकं ।

सर्वस्याज्ञानमात्रत्वापत्तेर्दोषस्य वादिनोः ॥ २५४ ॥

संक्षेपतो न्यथा कार्यं नियमः सर्ववादिनाम् ।

हेत्वाभासोत्तरावित्ती कीर्तितः स्यातां यतः स्थितेः ॥ २५५ ॥

कोई विद्वान् मतानुज्ञाके विषयमें यों विचार करते हैं कि इस प्रकार तो हेतुका अनैकान्तिक-पना ही मळे प्रकार ठठाना चाहिये । पुरुषपना होनेसे यह हिंसक है, जैसे कि कसई हिंसक होता है । इस प्रकार कहनेपर जो यों कह रहा है कि तू भी हिंसक है । वह पुरुषत्व हेतुके व्यभिचार दोषको ठठ रहा है । अतः मतानुज्ञा निग्रहस्थान ठचित नहीं है । ऐसे किन्हींके कथनपर आचार्य कहते हैं कि हेतुका कथन नहीं किये जानेपर वह अनैकान्तिकपन ठठाना तो युक्ति युक्त नहीं देखा जाता है । अर्थात्-नहीं हेतु नहीं कहा गया है और मतानुज्ञाका अवसर है, वहां केचित्की परीक्षा करना उपयोगी नहीं ठठरेगा । यदि कोई यों कह देवेगे कि तिस प्रकारके अवसरपर उत्तरकी प्रतिपत्ति हो जायगी । अतः अप्रतिमा या अज्ञान निग्रह ठठ दिया जायगा । आचार्य कहते हैं कि यह भी उनका केवळ अप्रह ही है । क्योंकि यों तो वादी प्रतिवादियोंके प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर, अननुभाषण, अप्रतिमा आदि सभी दोषोंको केवळ अज्ञानपनेका ही प्रसंग हो जावेगा । अनेक दोषोंकी गिनती करना व्यर्थ पडेगा । अन्यथा सम्पूर्ण वादियोंके यहां संक्षेपसे यह नियम करना कहां बनेगा कि दोषोंकी गणना करनेसे यशकी अपेक्षा हेत्वाभास और उत्तराप्रतिपत्ति दो दोष समझे जावें । जिससे कि तर्पुष्क व्यवस्था हो जाय । अर्थात्-सभी वादियोंके यहां संक्षेपसे दोषोंके हेत्वाभास और उत्तराप्रतिपत्ति-दो भेद कल्पित कर लिये गये हैं । वादी प्रतिवादियोंके लिये दो ही पर्याप्त हैं । नैयायिकोंने भी अप्रतिपत्तिको निग्रहस्थानके सामान्य लक्षणमें डाढ दिया है । पश्चात् उनके भेद, प्रभेद, कर दिये जाते हैं । अतः संक्षेपसे विचार करने पर तो कोई विद्वान्के द्वारा मतानुज्ञाकी परीक्षा करना कथ-मपि समुचित हो सकता है । अन्यथा हमारी परीक्षा ही ठीक है ।

ननु चाज्ञानमात्रेपि निग्रहेति प्रसज्यते ।

सर्वज्ञानस्य सर्वेषां सादृश्यानामसंभवात् ॥ २५६ ॥

सत्यमेतदभिप्रेतवस्तुसिद्धिप्रयोगिनोः ।

ज्ञानस्य यदि नाभावो दोषोन्यस्यार्थसाधने ॥ २५७ ॥

सत्स्वपक्षप्रसिद्धयैव निग्राह्योन्य इति स्थितम् ।

समासतो नवद्यत्वादन्यथा तदयोगत्तः ॥ २५८ ॥

यहां कोई शंका करता है कि सभी निग्रहस्थानोंको केवल अज्ञानमें ही गर्भित करनेपर भी तो आतिप्रसंग हो जाता है। क्योंकि सब जीवोंके सभी ज्ञानोंकी सदृशताओंका असम्भव है। अतः भेद प्रभेद करनेपर ही सन्तोष हो सकेगा। अब आचार्य कहते हैं कि यह तुम्हारा कहना सत्य है। किन्तु विशेषता यह है कि अभिप्रेत हो रहे साध्य वस्तुकी सिद्धि करनेके लिये प्रयोग किये जा रहे ज्ञानका यदि अभाव नहीं है तो ऐसी दशामें अपने अमोक्ष अर्थके साधन करनेपर ही दूसरे सम्मुख स्थित पण्डितका दोष कहा जायगा। और तभी स्वपक्षको साधकर अन्य पक्षका निग्रह करता हुआ वह जीतनेवाला कहा जायगा। संक्षेपसे यह सिद्धान्त निर्दोष होनेके कारण व्यवस्थित हो चुका है कि अपने पक्षकी प्रमाणोंद्वारा समीचीन सिद्धि करके ही दूसरा पुरुष निग्रह कराने योग्य है। अन्यथा यानी अपने पक्षको साधे बिना दूसरेको उस निग्रहप्राप्तिका अयोग्य है।

तस्करोयं नरत्वादेरिति हेतुर्धदोच्यते ।

तदानैकांतिकत्वोक्तित्वमपीति न वार्यते ॥ २५९ ॥

वाचोयुक्तिप्रकाराणां लोके वैचित्र्यदर्शनात् ।

नोपालंभस्तथोक्तौ स्याद्विपक्षे हेतुदर्शनम् ॥ २६० ॥

दोषहेतुमभिगम्य स्वपक्षे परपक्षताम् ।

दोषमुद्भाव्य पश्चात्त्वे स्वपक्षं साधयेज्ययी ॥ २६१ ॥

यह ( पक्ष ) चोटा है ( साध्य ), मनुष्यपना होनेसे, भोजन करनेवाला होनेसे, वक्ता होनेसे, इत्यादिक हेतुओंसे तस्करपना सिद्ध किया और प्रसिद्ध चोरको दण्डान्त बनाया गया, इस प्रकार वादीके कहनेपर यदि प्रतिवादी जब यों कह दे कि तब तो हेतुओंके घटित हो जानेसे तू वादी भी पक्का चोटा हो गया, ऐसी दशामें नैवायिक प्रतिवादीके ऊपर वादी द्वारा मतानुज्ञा निग्रहस्थानका उठाया जाना वादीका कर्तव्य समझते हैं। किन्तु वस्तुतः विचारा जाय तो यह वादीके हेतुका अनेकान्तिक दोष है। “ उल्टा चोर राजाको दंडे ” यहां यह परिमाण चरितार्थ हो जाती है। अथवा जो वादी दूसरे प्रतिवादी करके आरोपे गये दोषका अपने पक्षमें उद्धार नहीं कर कह देता है कि आपके पक्षमें भी यही दोष समानरूपसे लागू होता है। इस प्रकार अपने पक्षमें दोष स्वीकार कर लेनेसे परकीय पक्षमें दोषका सम्बन्ध करा रहा मतानुज्ञाको प्राप्त हो जाता है। “ यह तस्कर है, पुरुष होनेसे प्रसिद्ध डाकूके समान ” यों कह चुकनेपर तू भी तस्कर है। इस प्रकार हेतुका व्यभिचार दोष ही कहा गया। वह अपने हेतुका स्वयं अपनेसे ही व्यभिचारको देखकर श्रुत कह देता है कि तुम्हारे पक्षमें भी यह दोष समान है। तू भी पुरुष है, इस प्रकार व्यभिचार

दोषका ही उत्पादन किया जाता है। अतः मत्तानुज्ञाका हेत्वामासोंमें अन्तर्भाव कर लेना चाहिये। आचार्य कहते हैं कि जब यों कहा जाता है तो अनेकान्तिकपनका कथन करना भी हमारे द्वारा नहीं रोका जाता है। क्योंकि जगत्में वचनोंकी युक्तिपोंके प्रकारोंका विचित्रपना देखा जाता है। कहीं निषेध मुखसे कार्यके विधानकी प्रेरणा की जाती है। और कहीं विधिमुखसे निषेध किया जा रहा है। कोई हितैषी कि माई तुम नहीं पढोगे कह कर शिष्यको पढनेमें उत्तेजित कर रहा है। कोई बहुत ऊधम मचाओ कह कर छात्रोंको उपद्रव नहीं करनेमें प्रेरित कर रहा है। सकटाक्ष या दक्षता पूर्ण बातोंके अवसरपर वचन प्रयोगोंकी विचित्रताका दिग्दर्शन हो जाता है। यहां प्रकरणमें भी कण्ठोक्त नहीं कह कर तिस प्रकार वचनभंगी द्वारा विपक्षमें हेतुको दिखलाते हुये अनेकान्तिकपनके कहनेपर कोई उदाहरण नहीं आता है। अपने पक्षमें हेतुके दोषको समझकर पुनः परपक्ष पनके दोषको उठाकर पाँडे वादी यदि अपने पक्षको साध देवेगा तो वह जयी हो जावेगा। अथवा दोनोंके भी जय की सम्भावना नहीं है। न्यायदर्शनमें पंचम अध्यायके प्रथम आन्हिकके अन्तमें भी इसका विचार किया है। किन्तु वह सब घटाटोप मात्र है। अतः उसकी परीक्षण करनेमें हमारा अधिक आदर नहीं है।

यदप्यभिहितमनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानानुयोगो निरनुयोज्यानुयोगो निग्रहस्थानमिति तदप्यसदित्याह ।

और भी जो नैयायिकोंने उनीसवें निग्रहस्थानका लक्षण यों कहा था कि निग्रहस्थान नहीं उठानेके अवसरपर निग्रहस्थानका उठा देना वक्ताका “ निरनुयोज्यानुयोग ” नामक निग्रहस्थान है। इस प्रकार न्यायदर्शनका वह लक्षण सूत्र भी समीचीन नहीं है। इस बातको रय प्रयकार सूत्रका अनुवाद करते हुये कहते हैं।

यदास्वनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानमुच्यते ।

तदा निरनुयोज्यानुयोगाख्यो निग्रहो मतः ॥ २६२ ॥

सोप्यप्रतिभयोक्तः स्यादेवमुत्तरविकृतेः ।

तत्प्रकारपृथग्भावे किमेतैः स्वल्पभाषितैः ॥ २६३ ॥

जिस समय वादी निग्रहस्थानके योग्य नहीं हो रहे प्रतिपक्षीके ऊपर मिथ्याज्ञानवश किसी निग्रहस्थानको कह बैठता है, उस समय तो वादीका “ निरनुयोज्यानुयोग ” नामक निग्रहस्थान

का निग्रहस्थान ही है। यदि उन अप्रतिभा या अज्ञानके भेद प्रभेदरूप प्रकारोंका पृथक् पृथक् निग्रहस्थानरूपसे सद्भाव माना जावेगा तो अत्यन्त थोड़ी बाईस चौबीस संख्यओंमें कहे गये इन प्रतिज्ञाहानि आदि निग्रहस्थानोंसे भला क्या पूरा पड़ेगा ? निग्रहस्थानोंके पचासों भेद बन बैठेंगे। तुमको ही महान् गौरव हो जानेका दोष उठाना पड़ेगा। अतः जो नियत निग्रहस्थानोंमें गर्मित हो सकते हैं, उनको न्यारा निग्रहस्थान नहीं मानो। भले पुरुषोंकी बात भी स्वीकार कर लेनी चाहिये।

यच्चोक्तं कार्यव्यासंगात्कथाविच्छेदो विक्षेपः यत्र कर्तव्यं व्यासज्यकथां विच्छिन्नं चि प्रतिश्यायः कलाभेकां क्षणोति पश्चात्कथयिष्यामीति स विक्षेपो नाम निग्रहस्थानं तथा तेनाज्ञानस्याविष्करणदिति तदपि न सदित्याह।

और भी जो नैयायिकोंने बीसवे निग्रहस्थानका लक्षण गौतमसूत्रमें यों कहा है कि जहाँ कर्तव्य कार्यसे वादकथाका विच्छेद कर दिया जाता है, वह विक्षेप निग्रहस्थान है। अर्थात् अन्य कालोंमें करनेके लिये असम्भव हो रहे कार्यका इसी कालमें करने योग्यपनको प्रकट कर व्याक्षिप्त-मना होकर चालू कथाका विच्छेद कर देता है। अपने साधने योग्यार्थकी सिद्धि करनेको अशक्य समझकर समय बितानेके लिये कोई एक झूठे मूठे कर्तव्यका प्रकरण उठाकर उसमें मनोयोगको लगाता हुआ दिखला रहा वादी वादकथामें विघ्न डालता है, कि यह मेरा अवश्यक कर्तव्य कार्य नष्ट हो रहा है। अतः उस कार्यके कर चुकनेपर पाँछे मैं वाद करूँगा। इस प्रकार अज्ञानप्रयुक्त निर्बलता को दिखाते हुये वादी या प्रतिवादीका विक्षेप नामक निग्रहस्थान हो जाता है। हाँ, वास्तविकरूपसे किसी राज्य अधिकारी ( आफिसर ) द्वारा बुलाये जानेपर या कुटुम्बी जनोंद्वारा आवश्यक कार्यके लिये ठेरे जानेपर अथवा वक्ताके घरमें आग लग जानेपर एवं शिर-रुल्ल, अपसरार ( मृगी ) उदर पाँडा आदि रोगों करके प्रतिबन्ध हो जानेपर तो विक्षेप नामका निग्रह नहीं हो सकता है। जैसे कि मल्लको मिट्टी ( कुशती ) भिङ्गनेके अवसरपर कोई आवश्यक सत्य विघ्न उपस्थित हो जाता है तो प्रतिमल्लकरके मल्लका का निग्रह हुआ नहीं समझा जाता है। जगत्के प्राणियोंको प्रायः अनेक कार्योंमें बलवान् विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। नया किया जाय, परवशता है। हाँ, अज्ञान उल्ल कोरा अभिमान ( शेखी ) सिद्धबिष्ठापन आदि हेतुओंसे कथाका विच्छेद कर देना अरुण दोष है। भाष्यकार कहते हैं कि ऐसा पुरुष कर्तव्यका व्यासंग कर प्रारम्भे हुये वादका विघात कर रहा है। वह कह देता है कि श्लेष्म ( जुकाम ) या पीनस रोग मुझको एक फलातक पाँडित करता है। ५४० पांच सौ चाळीस निवेद्य कालतक तुम ठहरो। शरीर प्रकृतिके स्वस्थ होनेपर पाँछे मैं शायर्य करूँगा। नैयायिक कहते हैं कि इस प्रकार उसका वह विक्षेप नामका निग्रहस्थान है। क्योंकि तिस प्रकार उस व्याजुद्धित मनवालेने अपने अज्ञानको ही प्रकट किया है। इस प्रकार नैयायिकोंके कह

स्थान हुआ कह दिया जायगा, आचार्य महाराज परीक्षा करते हैं कि वह अपसिद्धान्त भी निग्रह करानेके लिये युक्तिपूर्ण नहीं है। क्योंकि तत्त्वदृष्टिसे देखा जाय तो निग्रहस्थानको उठाकर परिश्रमके बिना ही जीतनेके इच्छा रखनेवाले इस पण्डितमन्यने अपने पक्षका साधन नहीं किया है। साध्यको साधक अंगोंका कथन नहीं करनेसे किसीको जयप्राप्ति नहीं होती है। जैसे कि केवळ दोषोंका उत्थापन कर देनेसे ही कोई जयी नहीं हो जाता है। अतः वक्ताके ऊपर अपसिद्धान्त नामक निग्रहस्थान उठानेवालेको अपने पक्षकी छिद्रि करना अनिवार्य है।

तत्राभ्युपेत्य शब्दादीन्नित्यानेव पुनः स्वयम् ।

ताननित्यान् ब्रुवाणस्य पूर्वसिद्धान्तवाधनम् ॥ २६८ ॥

तथैव शून्यमास्थाय तस्य संवेदनोक्तितः ।

पूर्वस्योत्तरतो वाधा सिद्धान्तस्यान्यथा क्व तत् ॥ २६९ ॥

उस अपसिद्धान्तमें ये निम्न लिखित उदाहरण दिये जा सकते हैं कि मीमांसक प्रथम ही शब्द, आत्मा, आदिको नित्य ही स्वीकार कर चुका है। शालार्थ करते करते पुनः उन शब्द आदिकोंको अनित्य कह बैठता है। ऐसी दशामें उस मीमांसकको अपने पूर्वसिद्धान्तकी बाधा उपस्थित हो जाती है। अतः अपसिद्धान्त हुआ। उसी प्रकार शून्यवाद या तत्त्वोपपन्न वादकी प्रतिष्ठा पूर्वक श्रद्धा कर पुनः उसके संवेदन हो जानेका कथन करनेसे पूर्व अंगीकृत सिद्धान्तकी उत्तरकावर्ती कथनसे बाधा उपस्थित हो जाती है। अन्यथा वह विरुद्ध कथन मजा कहा हो सकता या ! अर्थात्—शून्यतत्त्वका ज्ञान माननेपर ज्ञान पदार्थ ही वस्तुभूत सिद्ध हो जाता है। फिर पहिला सभी शून्य है, जगत्में कुछ नहीं है, यह सिद्धान्त कहा रक्षित रहा !

प्रधानं चैवमाश्रित्य तद्विकारप्ररूपणम् ।

ताहगेवान्यथा हेतुस्तत्र न स्यात्समन्वयः ॥ २७० ॥

इसी प्रकार कपिल मत अनुसार एक प्रकृति तत्त्वका ही आश्रय लेकर पुनः उस प्रकृतिके महान्, अहंकार, तन्मात्राये, इन्द्रिया, पञ्चभूत, इनको विकार कथन करना भी उस ही प्रकार है। यानी अपसिद्धान्त निग्रह है। भाष्यकारने यही दृष्टान्त दिया है कि सत्का विनाश और असत्का उत्पाद होता नहीं है। इस सिद्धान्तको स्वीकार कर “ एकप्रकृतीदं व्यक्तं विकाराणामन्वयदर्शनात् ” जैसे मिट्टीके विकार सडा, घडी, मोलुआ आदिमें मृत्तिका अन्वय है। तिसी प्रकार अहंकार, इन्द्रिय आदि विभिन्न भिन्न व्यक्तोंमें सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणके कार्य हो रहे सुख, दुःख, मोहका अन्वय देखा जाता है। इस प्रकार साक्ष्योंका कहना पूर्व अपर विरुद्ध पढ जाता है। अन्यथा वह



चुकेनेपर आचार्य कहते हैं कि वह नैयायिकों द्वारा माना गया विक्षेप नामक निप्रहस्यान समांर्चान नहीं है। इस बातको स्वयं ग्रन्थकार वार्तिकोंद्वारा अनुवाद कर स्पष्ट कहे देते हैं।

समां प्राप्तस्य तस्य स्यात्कार्यव्यासंगतः कथा ।

विच्छेदस्तस्य निर्दिष्टो विक्षेपो नाम निग्रहः ॥ २६४ ॥

सोपि नप्रतिभातोस्ति भिन्नः कश्चन पूर्ववत् ।

तदेवं भेदतः सूत्रं नाक्षपादस्य कीर्तिकृत् ॥ २६५ ॥

शास्त्रार्थ करनेके लिये समाको प्राप्त हो चुके वादीका कार्यमें व्याखेप हो जानेसे जो कथाका विच्छेद कर देना है, वह उसका विक्षेप नामक निप्रहस्यान हुआ कह दिया जायगा। यहाँ आचार्य महाराज विचार करते हैं कि वह विक्षेप भी पूर्व कहे गये मतानुज्ञा, निरनुयोग्यानुयोग, आदि निप्रहस्यानोंके समान अप्रतिभा या अज्ञान निप्रहस्यानसे कोई भिन्न निप्रहस्यान नहीं है। तिस कारण इस प्रकार भिन्न भिन्न रूपसे निप्रहस्यानोंके लक्षण सूत्र बनाना अक्षपाद ( गौतम ) का कीर्तिको करनेवाला नहीं है। गम्भीर और स्वल्प शब्दोंमें तत्त्वोंको प्रतिपादन करनेवाले सूत्रोंका निर्णय करनेसे दार्शनिक उपज्ञ विद्वान्का यश बढ़ता है। निस्तत्त्व वाग् आढम्बरसे यशःकीर्तन नहीं हो पाता है।

यदप्युक्तं सिद्धांतमभ्युपेत्यानियमात्कथामसंगोपसिद्धान्तः प्रतिज्ञातार्थव्यतिरेकेणाभ्युपेतार्थपरित्यागाग्निसिद्धान्तमिति, तदपि विचारयति ।

स्वीकृत सिद्धान्तको स्वीकार कर प्रतिज्ञातार्थके विपर्यय रूप अनियमसे कथाका प्रसंग उठाना अपसिद्धान्त निप्रहस्यान है। यह गौतम सूत्रमें लिखा है प्रतिज्ञा किये जा चुके अर्थकी विभिन्नता करके स्वीकृत किये गये अर्थका परित्याग हो जाने ( कर देने ) से यह निप्रहस्यान माना गया है। स्वीकृत आगमके विरुद्ध अर्थका साधन करने लग जाना अपसिद्धान्त है। उस निप्रहस्यानका भी आचार्य महाराज विचार चबाते हैं।

स्वयं नियतसिद्धांतो नियमेन विना यदा ।

कथा प्रसंजयेत्तस्यापसिद्धान्तस्तथोदितः ॥ २६६ ॥

सोप्ययुक्तः स्वपक्षस्यासाधनेनेन तत्त्वतः ।

असाधनांगवचनाद्दोषोद्भावनमात्रवत् ॥ २६७ ॥

भिस समय वादी अपने सिद्धान्तको स्वयं नियत कर चुका है, पुनः उस नियतिका लक्ष्य रखे विना यदि बाद कथाका प्रसंग लावेगा तिस प्रकार होनेपर उसके अपसिद्धान्त नामका निप्रह-

स्थान हुआ कह दिया जायगा, आचार्य महाप्राज परीक्षा करते हैं कि वह अपसिद्धान्त भी निग्रह करानेके लिये युक्तिपूर्ण नहीं है। क्योंकि तत्त्वदृष्टिसे देखा जाय तो निग्रहस्थानको उठाकर परिश्रमके बिना ही जीतनेके इच्छा रखनेवाले इस पण्डितमन्यने अपने पक्षका साधन नहीं किया है। साध्यके साधक अंगोंका कथन नहीं करनेसे किसीको जयप्राप्ति नहीं होती है। जैसे कि केवल दोषोंका उत्थापन कर देनेसे ही कोई जय नहीं हो जाता है। अतः वक्ताके ऊपर अपसिद्धान्त नामक निग्रहस्थान उठानेवालेको अपने पक्षकी सिद्धि करना अनिवार्य है।

तत्राभ्युपेत्य शब्दादीन्नित्यानेव पुनः स्वयम् ।

ताननित्यान् ब्रुवाणस्य पूर्वसिद्धान्तबाधनम् ॥ २६८ ॥

तथैव शून्यमास्थाय तस्य संवेदनोक्तिः ।

पूर्वस्योत्तरतो बाधा सिद्धान्तस्यान्यथा क्व तत् ॥ २६९ ॥

उस अपसिद्धान्तमें ये निम्न लिखित उदाहरण दिये जा सकते हैं कि मीमांसक प्रथम ही शब्द, आत्मा, आदिको नित्य ही स्वीकार कर चुका है। शास्त्रार्थ करते करते पुनः उन शब्द आदिकोंको अनित्य कह बैठता है। ऐसी दशमें उस मीमांसकको अपने पूर्वसिद्धान्तकी बाधा उपस्थित हो जाती है। अतः अपसिद्धान्त हुआ। उसी प्रकार शून्यवाद या तत्त्वोपलब्ध वादकी प्रतिष्ठा पूर्वक श्रद्धा कर पुनः उसके सम्बेदन हो जानेका कथन करनेसे पूर्व अंगीकृत सिद्धान्तकी उत्तरकावर्ती कथनसे बाधा उपस्थित हो जाती है। अन्यथा वह विरुद्ध कथन मला कहाँ हो सकता या ! अर्थात्—शून्यतत्त्वका ज्ञान माननेपर ज्ञान पदार्थ ही वस्तुभूत सिद्ध हो जाता है। फिर पहिला सभी शून्य है, जगत्में कुछ नहीं है, यह सिद्धान्त कहाँ रक्षित रहा !

प्रधानं चैवमाश्रित्य तद्विकारप्ररूपणम् ।

तादृगेवान्यथा हेतुस्तत्र न स्यात्समन्वयः ॥ २७० ॥

इसी प्रकार कपिल मत अनुसार एक प्रकृति तत्त्वका ही आश्रय लेकर पुनः उस प्रकृतिके महान्, अहंकार, तन्मात्राये, इन्द्रिया, पञ्चभूत, इनको विकार कथन करना भी उस ही प्रकार है। यानी अपसिद्धान्त निग्रह है। माध्यकारने यही दृष्टान्त दिया है कि सत्का विनाश और असत्का उत्पाद होता नहीं है। इस सिद्धान्तको स्वीकार कर “एकप्रकृतीदं व्यक्तं विकाराणामन्वयदर्शनात्” जैसे मिथीके विकार घड़ा, घड़ी, मोलुआ आदिमें मृत्तिका अन्वय है। तिसी प्रकार अहंकार, इन्द्रिय आदि भिन्न भिन्न व्यक्तोंमें सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणके कार्य हो रहे सुख, दुःख, मोहका अन्वय देखा जाता है। इस प्रकार साधकोंका कहना पूर्व अपर विरुद्ध पट जाता है। अन्यथा वह

समन्वयरूप हेतु नहीं ठहर सकेगा “ मेदानां परिमाणसमन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्तेश्च कारणकार्य विभागाद्विभागाद्वैधरूपस्य ” ये हेतु प्रचानके सर्वथा एकपनके बाधक हैं । अत अपसिद्धान्त हुआ ।

ब्रह्मात्माद्वैतमप्येवमुपेत्यागमवर्णनं ।

कुर्वन्नाम्नायनिर्दिष्टं वाध्योन्योप्यनया दिशा ॥ २७१ ॥

स्वयं प्रवर्तमानाश्च सर्वथैकांतवादिनः ।

अनेकांताविनाभूतव्यवहारेषु तादृशाः ॥ २७२ ॥

इसी प्रकार परमब्रह्म, आत्माके अद्वैतवादको स्वीकार कर पुनः अनादि कालके गुरूपरम्परा प्राप्त आम्नायसे कहे गये वेद आगमकी प्रमाणताका वर्णन कर रहा ब्रह्माद्वैत वादी बाधित हो जाता है । अतः उसका अपसिद्धान्त निग्रह हुआ अर्थात्—अकेले ब्रह्मको मानकर उससे भिन्न शब्द स्वरूप आगमको प्रमाण कर रहा यदि अपने अद्वैत सिद्धान्तसे श्रुत हो जाता है । इसी संकेत ( इशारा ) से उपलक्षण द्वारा अन्य भी अपसिद्धान्तोंको समझ लेना चाहिये । अर्थात्—ज्ञानाद्वैत, चिन्नाद्वैत या जीवतत्त्वको स्वीकार कर पुनः द्वैतवाद या जडवादका निरूपण करने लग जाना अपसिद्धान्त है । इसी प्रकार अन्य भी अपसिद्धान्तके निदर्शन सम्भव जाते हैं । अनेकान्तके साथ अविनाभावी हो रहे व्यवहारोंमें स्वयं प्रवृत्ति कर रहे सर्वथा एकान्तवादी पुरुष भी वैसे ही एक प्रकारके अपसिद्धांती हैं । अर्थात्—सर्वथा क्षणिकवाद या कूटस्थवाद अथवा गुणगुणोंके सर्वथा मेद या अमेदके माननेपर कैसे भी अर्थक्रिया नहीं हो पाती है । क्षणमात्र ही ठहरनेवाला घट जटघारण नहीं कर सकता है । हिंसा करनेवाला क्षणिक आत्मा वही पीठे नरकमें नहीं पहुँच सकता है । कूटस्थ आत्मा सदा वैसा ही बना रहेगा । उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है । अतः खाना, पीना, सोटना स्वर्गजाना परिणामी कुछ कालतक ठहरनेवाले अनेकान्त पदार्थोंमें होती है । कहाँतक कहा जाय जगत्के सम्पूर्ण व्यवहार पदार्थोंमें अनेक धर्मोंको माने बिना नहीं सध सकते हैं । इस बातका अनुभव करते हुए भी सर्वथा एकान्तके पक्षको ही बके जा रहे एकान्तवादी अपने सिद्धान्त नियमका दृश्य नहीं रखकर प्रवृत्तियाँ कर रहे हैं । अतः एक प्रकारसे उनका अपसिद्धान्त निग्रहस्थान हुआ समझो ।

यदप्यवादि, हेत्वाभासाश्च यथोक्ता इति तत्राप्याह ।

और भी जो नैयायिकोंने गौतममन्त्रमें कहा था कि “ हेत्वाभासाश्च यथोक्ताः ” इस का अर्थ यों है कि जिस प्रकार प्रथम अप्यायके द्वितीय आन्विकमें हेत्वाभासोंको पहिँचे कहा है, उस ही रूपकरके उनको निग्रहस्थानपना है । अतः हेत्वाभासोंके अन्य दृष्टियोंकी अपेक्षा नहीं है । व्यापभाष्यकार कहते हैं कि “ हेत्वाभासाश्च निग्रहस्थानानि किं पुनर्दृष्टान्तरयोगात्, हेत्वाभासाः निग्रहस्थानत्वमापन्नाः यथा प्रमाणानि प्रमेयत्वमित्यत आह यथोक्ता इति । हेत्वाभासदृष्ट्येनैव निग्रह-

स्थानमाव इति । त इमे प्रमाणादयः पदार्था उद्दिष्टा लक्षिता, परीक्षितारचेति” । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार कहे हुये उन हेत्वामासोंमें भी ग्रन्थकारको यह विशेष कहना है, सो सुनिये ।

हेत्वाभासाश्च योगोक्ताः पंच पूर्वमुदाहृताः ।

सप्तधान्यैः समाख्याता निग्रहाधिकतां गतैः ॥ २७३ ॥

प्रमाण, आदि सोलह पदार्थोंके सामान्य रूपसे लक्षण करनेके अवसरपर नैयायिकके द्वारा पांच हेत्वाभास पूर्वमें कहे जा चुके हैं । भाष्यकार और वृत्तिकार द्वारा उनके उदाहरण भी दिये जा चुके हैं । प्रथम ही पांच हेत्वाभासोंका उद्देश्य यों किया है कि “ सव्यभिचारविरुद्धप्रकरण समसाध्यसमातीतफाला हेत्वाभासाः ” उनमेंसे “ अनैकान्तिकः सव्यभिचारः ” अनैकान्तिक दोषको सव्यभिचार कहा गया है । जैसे कि शब्द नित्य है, स्पर्शरहित होनेसे, यहां बुद्धि, संयोग, चळना आदि अनित्योंमें भी हेतुके ठहर जानेसे नित्यपना भी एक अन्त ( धर्म ) है । और अनित्यपना भी एक धर्म है । एक ही अन्तमें जो हेतु अविनाभाव रूपसे सहचरित रहता है, वह ऐकान्तिक है । उसका विपरीत होनेसे दोनों अन्तोंमें व्याप रहा अनैकान्तिक दोष है । व्यभिचारी हेत्वाभासके साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी ये तीन भेद माने गये हैं । “ यः सपक्षे विपक्षे च भवेत् साधारणस्तु सः ” जो हेतु सपक्ष विपक्ष दोनोंमें रह जाता है वह साधारण है । जैसे कि घट अनित्य है, प्रमेय होनेसे, यहां प्रमेयत्व हेतु अनित्य पुस्तक, बल्ल, मीठा, खड़ा, चळना, घुमना आदि सपक्षोंमें ठहर रहा है । यह हेतुका गुण है किन्तु नित्य हो रहे आकाश, आत्मा, परमाणु आदि विपक्षोंमें भी रह जाता है । विपक्षसे भिडे रहना मारी दोष है । अतः प्रमेयत्व हेतु साधारण हेत्वाभास है । “ यस्तुमयस्माद् व्यावृत्तः स त्वसाधारणो मतः ” और जो हेतु सपक्ष विपक्ष दोनोंमें नहीं ठहर पाता है, वह असाधारण है । जैसे कि शब्द अनित्य है, शब्दपना होनेसे, यहां अनित्य घट, पट आदि सपक्षोंमें भी शब्दत्व नहीं रहता है । यह छोटासा दोष है तथा आत्मा आदि विपक्षों में भी शब्दत्व हेतु नहीं वर्तता है । भले ही यह गुण है । अतः शब्दत्व हेतु असाधारण हेत्वाभास है । “ तथैवानुपसंहारी केवलान्वयिपक्षकः ” व्यतिरेक नहीं पाया जाकर जिसका केवल अन्वय ही वर्तता है, उसको पक्ष या साध्य बनाकर जिस अनुमानमें हेतु दिये जाते हैं, वे हेतु अनुपसंहारी हेत्वाभास हैं । जैसे कि सम्पूर्ण पदार्थ शब्दों द्वारा कथन करने योग्य हैं, प्रमेय होनेसे, यहां सबको पक्षकोटिमें लेनेसे “ हेतुमन्निष्ठारभन्तामावाप्रतियोगिसाध्यसामानाधिकरण्य ” स्वरूप अन्वय व्याप्ति को ग्रहण करनेके लिये-कोई स्थल ( सपक्ष ) अवशिष्ट नहीं रह जाता है । या केवलान्वयीको साध्य बनानेपर साध्याभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वरूप व्यतिरेक व्याप्तिके नहीं बननेसे अनुमिति नहीं हो पाती है । कोई नैयायिक असाधारण और अनुपसंहारीको हेत्वाभास नहीं मानते

अन्ययानुपपत्तिविकृष्ट होनेसे उस हेतुसरीखा किन्तु हेतुके लक्षणसे रहित हो रहा हेत्वामास माना जावेगा तथा जो हेतु साध्यसे विपरीतके साथ व्याप्ति रखना स्वरूप विरुद्धपन दोषसे साध्यसिद्धिको नहीं कर सकेगा वह भी अन्ययानुपपत्तिरहितपन दोषसे आक्रान्त है। अतः हेत्वामास है। वौद्दोंको हेतुके तीन दोष नहीं मानकर एक अविनाभाव विकृष्टता ही हेत्वामास मान लेना चाहिये।

असिद्धादयोपि हेतवो यदि साध्याविनाभावनियमलक्षणयुक्तास्तदा न हेत्वाभासा भवितुमर्हति । न चैवं, तेषां तदयोगात् । न ह्यसिद्धः साध्याविनाभावनियतस्तस्य स्वयमसत्त्वात् । नाप्यनैकांतिको विपक्षेपि भावात् । न च विरुद्धो विपक्ष एव भावादित्यसिद्धादिप्रकारेणाप्यन्ययानुपपन्नत्वैकत्वमेव हेतोः समर्थ्यते । ततस्तस्य हेत्वाभासत्वमिति संक्षेपादेक एव हेत्वाभासः प्रतीयते अन्ययानुपपन्नत्वनियमलक्षणैकहेतुवत् । अतस्तद्वचनं वादिनो निग्रहस्थानं परस्य पक्षसिद्धाविति प्रतिपत्तव्यं ।

असिद्ध, व्यभिचारी आदिक हेतु भी यदि साध्यके साथ नियमपूर्वक अविनाभाव रखना रूप लक्षणसे युक्त हैं, तब तो वे कथमपि हेत्वामास होनेके लिये योग्य नहीं हैं। किन्तु असिद्ध आदि हेत्वामासोंके कदाचिद् भी इस प्रकार अविनाभावनियमसहितपना नहीं है। क्योंकि उन असिद्ध आदि असद्वेतुओंके उस अविनाभावका योग नहीं है। जैसे कि क्रूरहिंसकके दयाका योग नहीं है, जो क्रूर कपायी है, वह दयावान् नहीं है, और जो कर्णशाही है, वह तीव्र कपायी नहीं है, उसी प्रकार जो हेतु अविनाभावविकृष्ट है, वह सत् हेतु नहीं और जो अविनाभाव सहित सत् हेतु हैं वो असिद्ध आदि रूप हेत्वामास नहीं है। देखिये, जो असिद्ध हेत्वामास है, वह साध्यके साथ अविनाभाव रखना रूप नियमसे युक्त नहीं है। क्योंकि वह स्वयं पक्षमें विद्यमान नहीं है। “शब्दोऽनित्यः चाशुभत्वात्” यहाँ पक्षमें ठहर कर चाशुभत्व हेतुका अनित्यत्वके साथ अविनाभाव नहीं देखा जाता है। इस प्रकार अनेकान्तिक हेत्वामास भी साध्यके साथ अविनाभाव रखनेवाला नहीं है। क्योंकि वह विपक्षमें भी वर्त रहा है। तथा विरुद्ध भी साध्याविनाभावी नहीं है। क्योंकि वह विपक्ष ही में विद्यमान रहता है। इस कारण असिद्ध, व्यभिचारी आदि प्रकारों करके भी हेतुकी अन्ययानुपपत्तिसे विकृष्टताका ही समर्थन किया गया है। तिस कारणसे सिद्ध होता है कि उस अकेली अन्ययानुपपत्तिविकृष्टताका ही हेत्वामासपना है। इस कारण संक्षेपसे एक ही हेत्वामास प्रतीत हो रहा है। जैसे कि अन्ययानुपपत्तिरूप नियम इस एक ही लक्षणको धारनेवाले सद्वेतुका प्रकार एक ही है। अतः उस एक ही प्रकारके हेत्वामासका कथन करना वादीका निग्रहस्थान होगा। किन्तु दूसरे प्रतिवादीके द्वारा अपने पक्षकी सिद्धि कर चुकनेपर ही वादीका निग्रह हुआ निर्णय किया जायगा। अन्यथा दोनों एकसे कोरे बैठे रहें। जय कोई ऐसी सेंट मेटकी वस्तु (चांज) नहीं है, जो कि यों ही घोड़ीसी अशुद्धि निकालने मात्रसे प्राप्त हो जाय। उस जयके लिये सपुकि

बुद्धिबल, तपोबल, बाग्भिव, सभाचातुर्य, प्रद्युत्यन्मतिव, शास्त्रहृदय परिशीलन, प्रतिमा, पाप-  
मीरुता, हितमितगम्भीरभाषण, प्रकाण्डविद्वत्ता आदि गुणोंकी आवश्यकता है । यह समझ  
लेना चाहिये ।

तथा च संक्षेपतः “ स्वपक्षसिद्धिरेकस्य निग्रहोऽन्यस्य वादिन ” इति व्यवतिष्ठते ।  
न पुनर्विप्रतिपत्त्यप्रतिपत्ती तद्भावेपि कस्यचित्स्वपक्षसिद्धाभावे परस्य पराजयानुपपत्तेर-  
साधनांगवचनादोषोद्भावनमात्रवत् छलवद्वा ।

और तिस प्रकार सिद्धान्तनिर्णोत हो जानेपर यह अकलंक व्यवस्था बन जाती है कि वादी  
प्रतिवादी दोनोंसे एकके निज पक्षकी प्रमाणों द्वारा सिद्धि हो जाना ही दूसरे अन्य वादीका निग्रह  
हो गया समझा जाता है । किन्तु फिर नैयायिकोंके यहां माने गये सामान्य लक्षण विप्रतिपत्ति और  
अविप्रतिपत्ति तो निग्रहस्थान नहीं हैं । क्योंकि उन विपरीत या कुत्सित प्रतिपत्तिके होनेपर और अप्र-  
तिपत्तिके होनेपर भी यदि किसी भी एक वादी या प्रतिवादीके निज पक्षकी सिद्धि नहीं हो पाती है,  
तो ऐसी दशामें दूसरेका पराजय होना कयमपि नहीं बन सकता है । केवल असाधनांगका वचन  
कह देनेसे किसीका पराजय नहीं हो सकता है । जैसे कि केवल दोषका उठा देना मात्र अथवा तू  
छल करनेवाला है, केवल इतना कह देनेसे कोई जयको झट नहीं लूट सकता है । मावार्थ-नैया-  
यिकोंके न्याय दर्शन ग्रन्थके पहिले अध्यायकका साठवां सूत्र है कि “ विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्र-  
हस्थानम् ” इसका वात्स्यायन भाष्य यों है कि “ विपरीता कुत्सिता वा प्रतिपत्तिर्विप्रतिपत्तिः । विप्र-  
तिपत्त्युत्थानः पराजयं प्राप्नोति निग्रहस्थानं खलु पराजयप्राप्तिः । अप्रतिपत्तिस्त्वारम्भविषये न प्रारम्भः ।  
परेण स्थापितं न प्रतिषेधति प्रतिषेधं वा नोद्धरति, असमासाच्च नैते एव निग्रहस्थाने इति “ निग्रह-  
स्थानोंका बीज विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति (प्रकरण प्राप्तका अज्ञान) है । इनकी नाना कल्पनाओंसे  
निग्रहस्थानके चौबीस भेद हो जाते हैं । तिनमें अननुमापण, अज्ञान, अप्रतिमा, विशेष, मतानुज्ञा,  
पर्यनुयोग्योपेक्षण, ये तो अप्रतिपत्ति हैं । और शेष प्रतिज्ञाहानि आदिक तो विप्रतिपत्ति हैं । यदि  
निग्रहस्थानदाता निग्रहस्थान पात्रके विरुद्ध अपने पक्षकी सिद्धि नहीं कर रहा है, तो वह उत्तको  
जीत नहीं सकता है । यह नैयायिकोंके ऊपर हमको कहना है । तथा बौद्धोंके यहां असाधनांग  
वचन और अदोषोद्भावन ये दो वादी प्रतिवादियोंके निग्रहस्थान माने गये हैं । किन्तु यहां भी अय  
प्राप्तिकी अभिवाधा रखनेवालेको अपने पक्षकी सिद्धि करना अनिवार्य है । अथवा नैयायिकोंमें  
छलको निरूपण कर देनेवाले वादी करके छलप्रयोक्ता प्रतिवादीका पराजय इष्ट किया है । यह भी  
मार्ग प्रशस्त नहीं है । छल उठानेवाले विद्वान्को सम्मुख स्थित छलप्रयोक्ताके विरुद्ध अपने पक्षकी  
सिद्धि कर देना अत्यावश्यक है । अन्यथा चतुर, विचक्षण, विद्वानोंको छठी बताते हुये भोंदू मूढ,  
पुरुष जय झट के जायेंगे । अतः छलोंको दृष्टान्त बना कर आचार्योंने निग्रहस्थानोंको पराजय प्राप्त  
करानेका प्रयोजक नहीं साधने दिया है ।

हैं। सपक्षमें वृत्ति नहीं होते हुए भी विपक्षव्यावृत्ति द्वारा व्याप्तिको बनाकर शब्दत्वसे शब्दका अनित्यपना साधा जा सकता है। और पक्षके एक देशमें भी व्याप्ति बनायी जा सकती है। उसी प्रकार पक्षके एक देशमें व्याप्तिको बनाकर प्रमेयत्व हेतु भी सदेतु बन सकता है। नैयायिकोंके यहां अस्मात् पदादयमर्थो बोद्धव्य इति ईश्वरेच्छा संकेतरूपा शक्ति इष दंगसे शब्दोंकी शक्तिको मानकर सम्पूर्ण पदार्थोंको अभिवान करने योग्य मान लिया है। नैयायिकोंने ईश्वरको शक्तिमान् माना है। कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं शक्यः। किन्तु जैन सिद्धान्त अनुसार सम्पूर्ण पदार्थोंका अनन्तानन्तवा भाग शब्दों द्वारा वाच्य माना है। शब्द संख्याते ही हैं। अतः संकेत ग्रहण द्वारा वे संख्यात अर्थोंको ही कह सकते हैं। हां, अविनाभावया अमेद वृत्तिसे मळे ही अधिक अर्थोंको कह दें। सच बात तो यह है कि असंख्याते अर्थोंकी प्रतिपत्ति तो शब्दों द्वारा नहीं होकर श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमसे होती है। हां, उस ज्ञानभण्डारकी ताळी (कुंजी) प्रतिपादकके शब्द ही हैं। दमी तो जैन विद्वान् भगवान् अर्हन्तपरमेष्ठीके ज्ञान, वीर्य, सुख दर्शनको अनन्त ही मानते हैं। सर्वज्ञ भी शब्दों द्वारा परिमित अर्थोंको ही कहते हैं। सम्पूर्ण पदार्थोंको नहीं कह सकते हैं। यदि नैयायिक ईश्वरके सर्व शक्तियां मानते हैं, तो क्या ईश्वर आकाशमें रुपया, जड घटमें ज्ञानका समवाय करा सकते हैं? यानी कमी नहीं। अतः सर्व शक्तिमत्ताकी कोरी श्रद्धा है? अभिधेयपन और प्रमेयपनकी समव्याप्तिको हम इष्ट नहीं करते हैं। कहीं कहीं अनेकैतिकके संदिग्ध अनेकान्तिक और निश्चित अनेकान्तिक दो भेद माने गये हैं। नैयायिकोंने दूसरा हेत्वाभास “सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः” सिद्धान्तको स्वीकार कर उस साध्यसे विरुद्ध हो रहे धर्मके बाय व्याप्ति रखनेवाला हेतु विरुद्ध हेत्वाभास माना है। जैसे कि यह वह्निमान् है, सरोवरपना होनेसे। यहां वह्निसे विरुद्ध जलसहितपनके साथ व्याप्ति रखनेवाला होनेसे हृदय हेतु विरुद्ध है। एवं तीसरा हेत्वाभास गौतमसूत्रमें “यस्मात् प्रकरण चिन्तासनिर्णयार्थमपदिष्टः प्रकरणसमः” जिनका निश्चय नहीं हो चुका इसी कारण विचारमें प्राप्त हो रहे पक्ष और प्रतिपक्ष यहां प्रकरण माने गये हैं, उस प्रकरणकी चिन्ता करना यानी विचारसे प्रारम्भ कर निर्णयसे पहिछेतक परीक्षा करना उसके निर्णयके लिये प्रयुक्त किया गया प्रकरणसम हेत्वाभास है। जैसे कि पर्वत अग्निसे रहित है, पाषाणका विकार होनेसे। इस हेतुका पर्वत अग्निवाला है, धूम होनेसे, यों प्रतिपक्षसाधक हेतु खडा हुआ है। अतः पाषाणमयत्व हेतु सत्यप्रतिपक्ष है। चौथा हेत्वाभास “साध्यविशिष्टः साध्यत्वात् साध्यसमः”। पर्वतो वह्निमान् वह्निमत्त्वात् ‘हृदो वह्निमान् धूमत्वात्’ कांचनमयो पर्वतो वह्निमान् इत्यादिक साध्यसम, स्वरूपासिद्ध आग्नासिद्ध व्याप्यत्वासिद्ध ये सब इसी असिद्धके प्रकार हैं। पांचवा हेत्वाभास “काळात्ययापदिष्टः काळातीतः” साधन काळके अभाव हो जानेपर प्रयुक्त किया गया हेतु काळात्ययापदिष्ट है। जैसे कि आग शीतल है, कृतक होनेसे। यहां प्रत्यक्ष बाधित हो जानेसे कृतकत्व हेतु बाधित हेत्वाभास है। इस दंगसे पूर्वमें पांच हेत्वाभास कहे गये हैं। निग्रहस्थानोंके अधिक्यको प्राप्त कर रहे अन्य विद्वानोंने

हेत्वामासोंकी सात प्रकार भी मळे प्रकार संख्या बखानी है । अनेकान्तिकके दो भेदोंको बढाकर या असिद्धके दो भेदोंको अधिक कर सात संख्या पूरी की जा सकती है ।

हेत्वाभासत्रयं तेषि समर्थं नातिवर्तितुं ।

अन्यथानुपपन्नत्ववैकल्यं तच्च नैककम् ॥ २७४ ॥

यथैकलक्षणो हेतुः समर्थः साध्यसाधने ।

तथा तद्विकलाशक्तो हेत्वाभासोऽनुमन्यताम् ॥ २७५ ॥

यो ह्यसिद्धतया साध्यं व्यभिचारितयापि वा ।

विरुद्धत्वेन वा हेतुः साधयेन्न स तन्निभः ॥ २७६ ॥

वे पांच प्रकार या सात प्रकार हेत्वामासोंको माननेवाले नैयायिक भी बौद्धों द्वारा माने गये तीन हेत्वामासोंका उल्लंघन करनेके लिये समर्थ नहीं हैं । और वह तीन हेत्वामासोंका कथन भी अन्यथानुपपत्तिसे रहितपन इसी एक हेत्वामासका उल्लंघन करनेके लिये समर्थ नहीं है । भावार्थ-नैयायिक या वैशेषिकोंके यहां पांच या सात प्रकारके हेत्वामास माने गये हैं । वे बौद्धोंके यहां माने गये असिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक इन हेत्वामासोंमें ही गर्भित हो सकते हैं । बौद्धोंने हेतुका पक्ष-वृत्तित्व गुण असिद्ध दोषके निवारण अर्थ कहा है । और हेतुका सपक्षमें रहनापन गुण तो विरुद्ध हेत्वामासके निराकरण अर्थ प्रयुक्त किया है । तथा हेतुका विपक्षव्यावृत्ति नामका गुण तो व्यभिचार दोषको हटानेके लिये बोला है । अतः इन तीनों हेत्वामासोंमें ही पांचों सातोंका गर्भ हो सकता है । तथा बौद्धोंके ये तीन हेत्वामास भी एक अविनाभावविकलता नामक हेत्वामासमें ही गर्भित हो सकते हैं । सम्पूर्ण दोषोंके निवारण अर्थ रसायन औषधिके समान हेतुका एक अविनाभाव गुण ही पर्याप्त है । जितने ही सुधारक होते हैं, उतनी ही विघ्न कारणोंकी संख्या है । इस नियम अनुसार हेतुके दोषोंकी संख्या भी केवल एक अन्यथानुपपत्तिकी विकलता ही है । अतः जैन सिद्धान्त अनुसार हेत्वामासका एक ही भेद अन्यथानुपपत्तिरहितपन मानना चाहिये । जिस प्रकार कि एक अविनाभाव ही लक्षणसे युक्त हो रहा हेतु साध्यको साधनेमें समर्थ है, उसी प्रकार अकेले अविनाभावसे विकल हो गया हेतु तो साध्यको साधनेमें अशक्त है । अतः वह एक ही हेत्वामास स्वीकार करलेना चाहिये । एक ही हेत्वामास अनुमिति या उसके कारण व्याप्तिज्ञान, परामर्श आदिका विरोध करता हुआ साध्यसिद्धिमें प्रतिबन्धक हो जाता है । जो भी हेतु पक्षमें नहीं रहनारूप असिद्धपने दोष करके साध्यको नहीं साधेगा वह अविनाभावविकल होनेसे हेत्वामास समझा जायगा अपना जो हेतु विपक्षवृत्तिरूप व्यभिचारपन दोष करके साध्यको नहीं साध सकेगा वह भी



अन्यथानुपपत्तिविकृत होनेसे उस हेतुसरीखा किन्तु हेतुके लक्षणसे रहित हो रहा हेत्वाभास माना जावेगा तथा जो हेतु साध्यसे विपरीतके साथ व्याप्ति रखना स्वरूप विरुद्धपन दोषसे साध्यसिद्धिको नहीं कर सकेगा वह भी अन्यथानुपपत्तिरहितपन दोषसे आक्रान्त है। अतः हेत्वाभास है। बौद्धोंको हेतुके तीन दोष नहीं मानकर एक अविनाभाव विकलता ही हेत्वाभास मान लेना चाहिये।

असिद्धादयोपि हेतवो यदि साध्याविनाभावनियमलक्षणयुक्तास्तदा न हेत्वाभासा भवितुमर्हति । न चैवं, तेषां तदयोगात् । न असिद्धः साध्याविनाभावनियतस्तस्य स्वयमसत्त्वात् । नाप्यनैकांतिको विपक्षेपि भावात् । न च विरुद्धो विपक्ष एव भावादित्यसिद्धादिप्रकारेणाप्यन्यथानुपपन्नत्ववैकल्यमेव हेतोः समर्थ्यते । ततस्तस्य हेत्वाभासत्वमिति संक्षेपादेक एव हेत्वाभासः प्रतीयते अन्यथानुपपन्नत्वनियमलक्षणैकहेतुवत् । अतस्तद्वचनं वादिनो निग्रहस्यानं परस्य पक्षसिद्धाविति प्रतिपत्तव्यं ।

असिद्ध, व्यभिचारी आदिक हेतु भी यदि साध्यके साथ नियमपूर्वक अविनाभाव रखना रूप लक्षणसे युक्त है, तब तो वे कथमपि हेत्वाभास होनेके लिये योग्य नहीं हैं। किन्तु असिद्ध आदि हेत्वाभासोंके कदाचित् भी इस प्रकार अविनाभावनियमसहितपना नहीं है। क्योंकि उन असिद्ध आदि असद्वेतुओंके उस अविनाभावका योग नहीं है। जैसे कि क्रूःसिद्धिके दयाका योग नहीं है, जो क्रूर कर्षणी है, वह दयावान् नहीं है, और जो करुणाशील है, वह तीव्र कर्षणी नहीं है, वसी प्रकार जो हेतु अविनाभावविकृत है, वह सत् हेतु नहीं और जो अविनाभाव सहित सत् हेतु हैं वो असिद्ध आदि रूप हेत्वाभास नहीं है। देखिये, जो असिद्ध हेत्वाभास है, वह साध्यके साथ अविनाभाव रखना रूप नियमसे युक्त नहीं है। क्योंकि वह स्वयं पक्षमें विद्यमान नहीं है। “शब्दोऽनित्यः चाञ्जुत्वात्” यहाँ पक्षमें ठहर कर चाञ्जुपत्त हेतुका अनित्यत्वके साथ अविनाभाव नहीं देखा जाता है। इस प्रकार अनेकान्तिक हेत्वाभास भी साध्यके साथ अविनाभाव रखनेवाला नहीं है। क्योंकि वह विपक्षमें भी वर्त रहा है। तथा विरुद्ध भी साध्याविनाभावी नहीं है। क्योंकि वह विपक्ष ही में विद्यमान रहता है। इस कारण असिद्ध, व्यभिचारी आदि प्रकारों करके भी हेतुकी अन्यथानुपपत्तिसे विकलताका ही समर्थन किया गया है। तिस कारणसे सिद्ध होता है कि उस अकेली अन्यथानुपपत्तिविकलताका ही हेत्वाभासपना है। इस कारण संक्षेपसे एक ही हेत्वाभास प्रतीत हो रहा है। जैसे कि अन्यथानुपपत्तिरूप नियम इस एक ही लक्षणको धारनेवाले सद्वेतुका प्रकार एक ही है। अतः उस एक ही प्रकारके हेत्वाभासका कथन करना वादीका निग्रहस्थान होगा। किन्तु दूसरे प्रतिवादीके द्वारा अपने पक्षकी सिद्धि कर चुकनेपर ही वादीका निग्रह डुबा निर्णय किया जायगा। अन्यथा दोनों एकसे कोरे बैठे रहें। जय कोई ऐसी सेंट मेटकी वल्लु (चांग) नहीं है, जो कि यों ही घोड़ीसी अशुद्धि निकालने मात्रसे प्राप्त हो जाय। उस जपके लिये सजुक्ति

बुद्धिबल, तपोबल, बाग्मिबल, सभाचातुर्य, प्रत्युत्पन्नमतिबल, शास्त्रहृदय परिशीलन, प्रतिमा, पाप-भीरुता, हितमितगम्भीरभाषण, प्रकाण्डविद्वत्ता आदि गुणोंकी आवश्यकता है । यह समझ लेना चाहिये ।

तथा च संक्षेपतः “ स्वपक्षसिद्धिरेकस्य निग्रहोऽन्यस्य वादिन ” इति व्यवतिष्ठते । न पुनर्विप्रतिपत्त्यप्रतिपत्ती तद्भावेऽपि कस्यचित्स्वपक्षसिद्धिमावे परस्य पराजयानुपपत्तेर-साधनांगवचनादोषोद्भावनमात्रवत् छलवद्वा ।

और तिस प्रकार सिद्धान्तनिर्णीत हो जानेपर यह एकलोक व्यवस्था बन जाती है कि वादी प्रतिवादी दोनोंसे एकके निज पक्षकी प्रमाणों द्वारा सिद्धि हो जाना ही दूसरे अन्य वादीका निग्रह हो गया समझा जाता है । किन्तु फिर नैयायिकोंके यहां माने गये सामान्य लक्षण विप्रतिपत्ति और अविप्रतिपत्ति तो निग्रहस्थान नहीं हैं । क्योंकि उन विपरीत या कुत्सित प्रतिपत्तिके होनेपर और अप्रतिपत्तिके होनेपर भी यदि किसी भी एक वादी या प्रतिवादीके निज पक्षकी सिद्धि नहीं हो पाती है, तो ऐसी दशामें दूसरेका पराजय होना कथमपि नहीं बन सकता है । केवल असाधनांगका वचन कह देनेसे किसीका पराजय नहीं हो सकता है । जैसे कि केवल दोषका उठा देना मात्र अथवा तू छल करनेवाला है, केवल इतना कह देनेसे कोई जयको झट नहीं छूट सकता है । भावार्थ--नैयायिकोंके न्याय दर्शन ग्रन्थके पहिले अध्यायकका साठवां सूत्र है कि “ विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम् ” इसका वास्त्यायन भाष्य यों है कि “ विपरीता कुत्सिता वा प्रतिपत्तिर्विप्रतिपत्तिः । विप्रतिपद्यमानः पराजयं प्राप्नोति निग्रहस्थानं खलु पराजयप्राप्तिः । अप्रतिपत्तिस्त्वारम्भविषये न प्रारम्भः । परेण स्थापितं न प्रतिषेधति प्रतिषेधं वा नोद्धरति, असमासाच्च नैते एव निग्रहस्थाने इति “ निग्रहस्थानोंका बीज विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति (प्रकरण प्राप्तका अज्ञान) है । इनकी नाना कल्पनाओंसे निग्रहस्थानके चौबीस भेद हो जाते हैं । तिनमें अननुभाषण, अज्ञान, अप्रतिमा, विशेष, मतानुज्ञा, पर्यनुयोज्योपेक्षण, ये तो अप्रतिपत्ति हैं । और शेष प्रतिज्ञाहानि आदिक तो विप्रतिपत्ति हैं । यदि निग्रहस्थानदाता निग्रहस्थान पात्रके विरुद्ध अपने पक्षकी सिद्धि नहीं कर रहा है, तो वह उसको जीत नहीं सकता है । यह नैयायिकोंके ऊपर हमको कहना है । तथा बौद्धोंके यहां असाधनांग वचन और अदोषोद्भावन ये दो वादी प्रतिवादियोंके निग्रहस्थान माने गये हैं । किन्तु यहां भी अथ प्रासिकी अभिलाषा रखनेवालेको अपने पक्षकी सिद्धि करना अनिवार्य है । अथवा नैयायिकोंने छलको निरूपण कर देनेवाले वादी करके छलप्रयोक्ता प्रतिवादीका पराजय इष्ट किया है । यह भी मार्ग प्रशस्त नहीं है । छल उठानेवाले विद्वान्को सम्मुख स्थित छलप्रयोक्ताके विरुद्ध अपने पक्षकी सिद्धि कर देना अत्यावश्यक है । अन्यथा चतुर, विचक्षण, विद्वानोंको छडी बताते हुये भोंदू मूढ़, पुरुष जय छूट के जायेंगे । अतः छलोंको दृष्टान्त बना कर आचार्योंने निग्रहस्थानोंको पराजय प्राप्त करानेका प्रयोजक नहीं साधने दिया है ।

किं पुनश्छलमित्याह ।

ऊपर विवरणमें श्री विद्यानन्द स्वामीने छलका दृष्टान्त दिया है, जो कि नैयायिकोंके यहां माने गये मूलतत्त्व सौलह पदार्थोंमें परिगणित किया गया है । और जिसको श्री विद्यानन्द स्वामीने प्रतिज्ञाहानि आदिमें पहिळे गिना दिया है । अब वह छल क्या पदार्थ है ? इस प्रकार शिष्यकी जिज्ञासा होनेपर श्रीविद्यानन्द आचार्य नैयायिकोंके अनुसार छलका लक्षण कहते हुये विचार करते हैं ।

योर्थापोपपत्त्या स्याद्विघातो वचनस्य तत् ।

छलं सामान्यतः शक्यं नोदाहर्तुं कथंचन ॥ २७७ ॥

विभागेनोदितस्यास्योदाहृतिः स त्रिधा मतः ।

वाक्सामान्योपचारेषु छलानामुपवर्णनात् ॥ २७८ ॥

गौतम सूत्रके अनुसार छलका साधारण लक्षण यह है कि वादी द्वारा स्वीकृत किये अर्थका जो विरुद्ध कल्प है, यानी अर्थान्तरकी कल्पना है, उसकी उपपत्ति करके जो वादी द्वारा कहे गये अर्थका प्रतिवादी करके विभात है, वह उस प्रतिवादीका छल है । सामान्य रूपसे उस छलका उदाहरण कैसे भी नहीं दिया जा सकता है । “ निर्विशेषं हि सामान्यं भवेच्छशविषाणवत् ” न्याय-भाष्यकार कहते हैं कि “ न सामान्यलक्षणे छलं शक्यमुदाहर्तुमविभागे तूदाहरणानि ” हां, विभाग-करके कह दिये गये इस छलका उदाहरण सम्भव जाता है । और वह छलोंका विभाग वाक्छल, सामान्य छल, उपचार छल इन भेदोंमें वर्णना कर देनेसे तीन प्रकारका माना गया है ।

अर्थस्यारोपो विकल्पः कल्पनेत्यर्थः तस्योपपत्तिः घटना तथा यो वचनस्य विशेषेणाभिहितस्य विघातः प्रतिपादकादभिप्रेतादर्थात् प्रच्यावनं तच्छलमिति लक्षणार्थं, “ वचन-विघातार्थविकल्पोपपत्त्या छलं ” इति वचनात् । तच्च सामान्यतो लक्षणे कथमपि न शक्यमुदाहर्तुं विभागेनोक्तस्य तच्छलस्योदाहरणानि शक्यंते दर्शयितुं । स च विभागत्रिधा मतोऽक्षपादस्य तु त्रिविधमिति वचनात् । वाक्सामान्योपचारेषु छलानां त्रयाणामेवोपवर्णनात् वाक्छलं, सामान्यछलं, उपचारछलं चेति ।

छलके प्रतिपादक गौतमसूत्रका व्याख्यान इस प्रकार है, कि वादीके अर्माष्ट अर्थका आरोप यानी विकल्प इसका अर्थ तो अर्थान्तरकी कल्पना है । उस आरोपकी उपपत्ति यानी घटित करना उस करके जो वादीके वचनका यानी विशेष अभिप्राय करके कहे गये वक्तव्यका विशेष युक्तिकरके विघात कर देना अर्थात्—प्रतिपादकसे अभिप्रेत हो रहे अर्थसे वादीको प्रच्युत करा देना, इस प्रकार छलका सामान्य रूपसे लक्षण करने योग्य है । मूल गौतमसूत्रमें इसी प्रकार कथन है कि अर्थके

विकल्पकी उपपत्तिसे वचनविघात कर देना छल है । और वह छल सामान्यसे लक्षण करनेपर कैसे भी उदाहरण करने योग्य नहीं है । सामान्य गाय दूध नहीं दे सकती है । हां, विभाग करके कह दिये गये उस छलके उदाहरण दिखलाये जा सकते हैं । और वह विभाग तो अक्षपाद गौतमके यहाँ तीन प्रकार माना गया है । इस प्रकार गौतमसूत्रमें कहा गया । “तद् त्रिविधं वाक्छलं सामान्य-छलमुपचारछलं च” इस कथनसे वाक्, सामान्य, उपचार इन भेदोंमें तीन प्रकारके छलोंका ही वर्णन किया गया है । वाक् छल, सामान्य छल और उपचार छल, इस प्रकार छलके तीन विभाग हैं ।

तत्र किं वाक्छलमित्याह ।

उन तीन छलोंमें पहिला वाक्छल क्या है ? इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य नैयायिकोंका अनुवाद करते हुये वाक्छलका लक्षण कहते हैं ।

तत्राविशेषदिष्टेयं वक्तुराकृततोन्नयथा ।

कल्पनार्थांतरस्येष्टं वाक्छलं छलवादिभिः ॥ २७९ ॥

“ अविशेषाभिहितेऽर्थे वक्तुरभिप्रायादर्थान्तरकल्पना वाक्छलं ” अविशेष रूपसे वक्ता द्वारा कहे गये अर्थमें वक्ताके अभिप्रायसे दूसरे अर्थान्तरकी कल्पना करना और कल्पना कर उस दूसरे अर्थका असम्भव दिखा कर निषेध करना छलवादी नैयायिकों करके छलका लक्षण स्थित किया है । जिनका स्वभाव छलपूर्वक कथन करनेका हो गया है, उनको इस प्रकार छलका लक्षण करना शोभता है ।

तेषामविशेषेण दिष्टे अभिहितेयं वक्तुराकृतादभिप्रायादन्यथा स्वाभिप्रायेणार्थांतरस्य कल्पनमारोपणं वाक्छलमिदं तेषामविशेषाभिहितेयं वक्तुरभिप्रायादर्थान्तरकल्पना वाक्छलं इति वचनात् ।

सामान्यरूपसे अभिहित यानी कथित किये गये अर्थमें वक्ताके आकृत यानी अभिप्रायसे अपने अभिप्राय करके दूसरे प्रकार अर्थान्तरकी कल्पना करना अर्थात्—वक्ताके ऊपर विपरीत आरोप धर देना उन नैयायिकोंके यहाँ वाक्छल अभीष्ट किया गया है । उनके यहाँ गौतमसूत्रमें इस प्रकार कहा गया है कि विशेषरूपोंको उठाकर किये जाने योग्य आक्षेपोंके निराकरणकी नहीं अपेक्षा करके सामान्यरूपसे वचन व्यवहारमें प्रसिद्ध हो रहे अर्थके वादीद्वारा कह चुकनेपर यदि प्रतिवादी वक्ता वादीके अभिप्रायसे अन्य अर्थोंकी कल्पना कर प्रत्यवस्थान देता है तो प्रतिवादीका वाक्छल है । अतः वादी करके प्रतिवादीका पराजय हो जाता है । क्योंकि लोकमें सामान्यरूपसे प्रयोग किये गये शब्द अपने अभीष्ट विशेष अर्थोंको कह देते हैं, जैसे कि छिरियाको गाव छे जाओ, घीको छाओ, ब्राह्मणको खवाओ, शास्त्रको पढ़ो, आजकल

मनुष्योंमें अनीति बढ़ती जाती है, इत्यादिक स्थलोंपर सामान्यशब्द अर्थविशेषोंकी ही कहते हैं। क्योंकि केवल सामान्यमें अर्थक्रिया नहीं हो सकती है। प्रतिवादीको उचित था कि वादीके द्वारा प्रयुक्त किये गये सामान्यवाचक शब्दके अर्माष्ट हो रहे विशेष अर्थका प्रबोध कर पुनः दोष उठाता। किन्तु कपटी प्रतिवादीने जानबूझकर अनुपपद्यमान अर्थान्तरकी कल्पना की। अतः छठी प्रतिवादीकी सम्पोंके सम्मुख पराजित होना पडा। काठ की हांडी एक बार भी नहीं चढ़ती, घोखा सर्वत्र घोखा ही है।

अस्योदाहरणमुपदर्शयति ।

नेयाधिकोके मन्तव्यका अनुवाद करते हुये श्री विद्यानन्द आचार्य इस वाक्यके उदाहरण को वार्तिकोंद्वारा दिखलाते हैं।

आद्यो वै देवदत्तोयं वर्तते नवकंबलः ।

इत्युक्ते प्रत्यवस्थानं कुतोस्य नवकंबलाः ॥ २८० ॥

यस्मादाद्यत्वसंसिद्धिर्भवेदिति यदा परः ।

प्रतिब्रूयात्तदा वाचि छलं तेनोपपादितम् ॥ २८१ ॥

यह देवदत्त अवश्य ही अधिक धनवान् वर्त रहा है। क्योंकि नवकंबलवाला है। इस प्रकार वादीद्वारा कथन कर चुकनेपर प्रतिवादीद्वारा प्रत्यवस्थान उठाया जाता है कि इसके पास नौ संख्या वाले कंबल कहां है? जिससे कि हेतुके पक्षमें वर्तमानसे धनीपनकी मछ प्रकार सिद्धि हो जाती। अर्थात्—वादी जब इसके पाँच और चार नौ कंबल बता रहा है किन्तु इसके पास एक ही नेपाळी कंबल है। इस प्रकार दूसरा प्रतिवादी जब प्रत्युत्तर कहेगा, तब उस प्रतिवादीके वचनोंमें छलकी उपपात्ति करायी। अतः प्रतिवादी छल दोषसे प्रसित हुआ विचारशोभोंकी दृष्टिमें गिर जाता है।

नवकंबलशब्दे हि वृत्त्या प्रोक्ते विशेषतः ।

नवोऽस्य कंबलो जीर्णो नैवेत्याकृतमाजसम् ॥ २८२ ॥

वक्तुः संभाव्यते तस्मादन्यस्यार्थस्य कल्पना ।

नवास्यकंबला नाष्टावित्यस्यासंभवात्मनः ॥ २८३ ॥

प्रत्यवस्थातुरन्यायवादितामानयेद्भ्रुवं ।

संतस्तत्त्वपरीक्षायां कथं स्युश्छलवादिनः ॥ २८४ ॥

कोई कहता है कि “ आत्मा वै वैधवेयोयं वर्तते नवकंबलः ” यह माछदार विधवाका छोकरा बहुत धनवान् है, नव कंबल (बहिया दुशाळा) वाला होनेसे । यहाँ इस अनुमानमें नव और कंबल शब्दकी कर्मधारय नामक समास वृत्ति करके विशेष रूपसे “ नवकंबल ” शब्द कहा गया है कि इसके पास नवीन कंबल रहता है । फटा, टूटा, पुराना कंबल कभी देखनेमें आता नहीं है । इस प्रकारका ही वक्ताका अभिप्राय तारिक रूपसे संभव रहा है । किन्तु प्रतिवादी कथावश उस अभिप्रेत अर्थसे अन्य अर्थकी कल्पना कर दोष देनेके लिये बैठ जाता है, कि नव कंबल शब्द द्वारा इसके नौ संख्यावाले कंबल होने चाहिये, आठ भी नहीं, इस प्रकार असंभव स्वरूप अर्थकी कल्पना कर प्रत्यवस्थान उठा रहे प्रतिवादीके ऊपर अन्याय पूर्वक बोलनेकी चाटकी निश्चित ही प्राप्त करा देना चाहिये अर्थात्—प्रतिवादीको अन्याय वादी माना जाय ( करार दिया जाय ) तत्त्वोंकी परीक्षा करनेमें सज्जन पुरुष अधिकार प्राप्त हो रहे हैं । छलपूर्वक कहनेवाले मला तत्त्वोंकी परीक्षा कैसे कर सकेंगे ? अथवा जो सज्जन हैं, वे स्वभावसे छलपूर्वक वाद करनेवाले कैसे हो जायेंगे ? अर्थात्—कभी नहीं ।

कथं पुनरनियमविशेषाभिहितोर्थः वक्तुरभिप्रायादर्थान्तरकल्पना वाक्यच्छाख्या प्रत्यवस्थानुन्यायवादितामानयेदिति चेत् छलस्यान्यायरूपत्वात् । तथाहि—तस्य प्रत्यवस्थानं सामान्यशब्दस्यानेकार्थत्वे अन्यतराभिधानकल्पनाया विशेषवचनादर्शनीयमेतत् स्यात् विशेषाज्जानीमोऽयमर्थस्त्वया विवक्षितो नवास्य कंबला इति, न पुनर्नवोस्य कंबल इति । स च विशेषो नास्ति तस्मान्निश्चयाभियोगमात्रमेतदिति । प्रसिद्धश्च लोके शब्दार्थसंबंधोभिधानाभिधेयनियमनियोगोस्याभिधानस्यायमर्थोभिधेय इति समानार्थः सामान्यशब्दस्य, विशिष्टोर्थो विशेषशब्दस्य । प्रयुक्तपूर्वाश्रयां शब्दाः प्रयुज्यन्तेऽर्थेषु सामर्थ्यान्न प्रयुक्तपूर्वाः प्रयोगार्थः अर्थसंप्रत्ययाद्यवहार इति तत्रैवमर्थवत्यर्थशब्दप्रयोगे सामर्थ्यात्सामान्यशब्दस्य प्रयोगनियमः । अजां नय ग्रामं, सर्पिराहर, ब्राह्मणं भोजयति सामान्यशब्दाः संतोर्थावयवेषु प्रयुज्यन्ते सामर्थ्यात् । यत्रार्थे क्रियाचोदना संभवति तत्र वर्तते, न चार्थसामान्ये अजादौ क्रियाचोदना संभवति । ततोजादिविशेषाणामेवानयनादयः क्रियाः प्रतीयन्ते न पुनस्तत्सामान्यस्पासंभवात् । एवमर्थ सामान्यशब्दो नवकंबल इति योर्थः संभवति नवकंबलोऽप्येति तत्र वर्तते, यस्तु न संभवति नवास्य कंबला इति तत्र न वर्तते प्रत्यक्षादिविरोधात् । सोपमनुपपद्यमानार्थकल्पनया परवाक्योपाकंभत्वेन कल्पयते, तच्चपरीक्षायां सतां छलेन प्रत्यवस्थानायोगात् । तदिदं छलवचनं परस्य पराजय एवेति मन्यमानं न्यायभाष्यकारं प्रत्याह ।

कोई आचार्य महाराजके ऊपर शत्रु करता है कि आप फिर यह बताओ कि विशेष नियम किये बिना ही वक्ताका सामान्यरूपसे कह दिया गया अर्थ ( कर्त्ता ) वक्ताके अभिप्रायसे

अर्थान्तरकी कल्पना करना वाक्यूल नामकी धारता हुआ मला प्रत्यवस्थान उठानेवाले प्रतिवादीको कैसे अन्यायपूर्वक कहनेकी टेवकी प्राप्त करा देगा । समाधान करो । इस प्रकार कहनेपर आचार्य उत्तर देते हैं कि छल जब अन्यायस्वरूप है तो छलप्रयोक्ता मनुष्य अन्यायवादी अवश्य हुआ । इस बातको और भी स्पष्ट कर कह देते हैं कि इस प्रतिवादीका दूषण उठाना अन्यायरूप है । सामान्य वाचक शब्दोंके जह अनेक अर्थ प्रसिद्धि हो रहे हैं तो उनमें किसी भी एक अर्थके कथन की कल्पनाका विशेष कथनसे यह उस वादीका प्रत्यवस्थान दिखलाया गया होना चाहिये । विशेष रूपसे हम यह जान पाये हैं कि इसके पास संख्यामें नौ कम्बल हैं । यह अर्थ तुम वादीद्वारा विवक्षा प्राप्त है । किन्तु इसका कंबल नवीन है, यह अर्थ तो फिर विवक्षित नहीं है । और वह नौ संख्या-वाला विशेष अर्थ यहाँ देवदत्तमें घटित नहीं होता है । तिस कारणसे यह मेरे ऊपर झूठा अमियोग ( जुर्म लगाना ) है । इस प्रकार विपरीत समर्थन करना छलवादीके ही सम्भवता है । आचार्य महाराज न्यायमाध्यका अनुवाद कर रहे हैं कि लोकमें शब्द और अर्थका सम्बन्ध तो अमिधान और अमिधेयके नियमका नियोग करना प्रसिद्ध हो रहा है । इस शब्दका यह अर्थ अमिधान करने योग्य है । इस प्रकार सामान्य शब्दका अर्थ समान है और विशेष शब्दका अर्थ विशिष्ट है । उन शब्दोंका पूर्वकाळमें भी लोकव्यवहारार्थ प्रयोग कर चुके हैं । वे ही शब्द अर्थप्रतिपादनमें समर्थ होनेके कारण इस समय अर्थोंमें प्रयोग किये जाते हैं । वे शब्द पहिले वचनव्यवहारोंमें प्रयोग नहीं किये गये हैं । यह नहीं समझना शब्दोंके प्रयोगका व्यवहार तो वाच्य अर्थका भले प्रकार ज्ञान हो जानेसे हो जाता है । अर्थका भले प्रकार ज्ञान करानेके लिये शब्दप्रयोग है और अर्थके सम्यग्ज्ञानसे लोकव्यवहार है । तहाँ इस प्रकार अर्थवान् शब्दके होनेपर अर्थमें शब्दका प्रयोग करना नियत हो रहा है । छिरियाको गाँवको ले जाओ, घृतको लाओ, ब्राह्मणको भोजन कराओ इत्यादिक शब्द सामान्यके वाचक होते हुये भी सामर्थ्य द्वारा अर्थविशेषोंमें प्रयुक्त किये जाते हैं । जिस विशेष अर्थमें अर्थक्रियाकी प्रेरणा होना सम्भवता है । उसी अर्थमें वाचकपनसे वर्त रहे हैं । अर्थ सामान्य छिरिया, ब्राह्मण आदि सामान्योंमें किसी भी क्रियाकी प्रेरणा नहीं सम्भवती है । विशेषोंसे रहित छिरियासामान्य या ब्राह्मणसामान्य कुछ पदार्थ नहीं है । तिस ही कारणसे छिरिया, ब्राह्मण घोड़ा आदि विशेष पदार्थों ही की जाना, ले जाना, भोजन कराना आदि क्रियायें प्रतीत हो रही हैं । किन्तु फिर उनके विशेषरहित केवल सामान्यके तो किसी भी अर्थ क्रियाके हो जाने की सम्भावना नहीं है । और न कोई सामान्यका लक्ष्य कर उसमें अर्थ क्रिया करनेका उपदेश ही देता है । इसी प्रकार यह “ नवकंबल ” शब्द सामान्य शब्द है । नवसंख्या नव संख्यावान् और नवीन इन दोनों विशेषोंमें नवपना सामान्य अन्वित है । इस प्रकार नवका ओ अर्थ यहा पक्षमें सम्भव रहा है कि इस देवदत्तका दुशाला नवीन है, उस विशेष अर्थमें यह नव शब्द वर्त रहा है । और जो अर्थ यहा सम्भवता नहीं है कि इसके पास संख्यामें नौ कम्बल

विद्यमान हैं। इस प्रकार उस अर्थमें यह मव शब्द नहीं वर्तता है, क्योंकि प्रत्यक्ष, अनुमान, आदिसे विरोध आता है। तिस कारण यह नहीं सम्भव रहे अर्थकी कल्पना करके दूसरोंके वाक्योंके ऊपर उल्लाहना देना उस छलवादीने कल्पित किया है। जो कि वह इष्टसिद्धि करानेमें समर्थ नहीं है। क्योंकि तत्त्वोंकी परीक्षा करनेमें सृजन पुरुषोंके द्वारा छल, कपट, करके परपक्ष निषेध करना समुचित नहीं है। तिस कारण यह छलपूर्वक कथन करना दूसरे प्रतिवादीका पराजय ही है। इस प्रकार वात्स्यायन ऋषि अपने न्यायमाम्य ग्रन्थमें मान रहे हैं। अब आचार्य महाराज उक्त प्रकार मान रहे न्यायमाम्यकर्त्ताके प्रति समाधान वचन कहते हैं, सो आगे सुनिये।

एतेनापि निगृह्येत जिगीषुर्यदि धीधनैः ।

पत्रवाक्यमनेकार्थं व्याचक्षाणो निगृह्यताम् ॥ २८५ ॥

तत्र स्वयमभिप्रेतमर्थं स्थापयितुं नयैः ।

योऽसामर्थ्योऽपरैः शक्तैः स्वाभिप्रेतार्थसाधने ॥ २८६ ॥

योर्यसंभावयन्नर्थः प्रमाणैरुपपद्यते ।

वाक्ये स एव युक्तोऽस्तु नापरोतिप्रसंगतः ॥ २८७ ॥

सच. पूछो तो वे नैयायिक तत्त्वपरीक्षा करनेके अधिकारी नहीं हैं। कारण कि यदि जीतनेकी इच्छा रखनेवाला विद्वान् केवल अनेक अर्थोंका प्रतिपादन करनेसे ही यदि बुद्धिरूप धनको धारनेवालों करके निग्रह प्राप्त कर दिया जायगा तब तो अनेक अर्थवाले पत्रवाक्यका व्याख्यान कर रहा प्रकाण्ड विद्वान् भी निग्रहको प्राप्त कर दिया जाओ। किन्तु इस प्रकार कमी होता नहीं है। भावार्थ—अत्यन्त गूढ अर्थवाले कठिन कठिन वाक्योंको छिखकर जहाँ पत्रोंद्वारा लिखित शास्त्रार्थ होता है, वहाँ भी उद्भट विद्वान्के ऊपर छलदोष उठाना जा सकता है। क्योंकि पत्रों अनेक अर्थवाले गूढपदोंका विन्यास है। किन्तु ऐसा कमी होता नहीं। श्रोताको उचित है कि वह समीचीन गूढपदोंका अर्थ ठीक ठीक ढगा लेवें। तहाँ स्वयं अभीष्ट हो रहे अर्थको हेतुस्वरूप नयों करके स्थापन करनेके लिये जो वादी सामर्थ्ययुक्त नहीं है, वह अपने अभिप्रेत अर्थको साधनेमें समर्थ हो रहे दूसरे विद्वानोंकरके पराजित कर दिया जाय। हाँ, अर्थकी सम्भावनासे जो अर्थ वहाँ प्रमाणोंकरके सिद्ध हो जाता है, वही अर्थ वाक्यमें ढगाना युक्त होवेगा। दूसरा अर्थमवित अर्थ कल्पित कर नहीं ढगाना चाहिये। यों करनेसे अतिप्रसंग दोष हो जावेगा। गो शब्दका प्रायः बहुत व्यवहार होता है। किन्तु उसके वाणी, दिशा, पृथिवी आदि अनेक अर्थ माने गये हैं। अतः संभवित अर्थ ही पकटना चाहिये। हाँ, जिस धनीपनको साधनेके



लिये नव शब्दके नौ और नया ये दोनों अर्थ संभव रहे हैं, यहां प्रतिवादीका छल बताना न्यायमार्ग नहीं है। सो तुम स्वयं विचार लो।

यत्र पक्षे विवादेन प्रवृत्तिर्वादिनोरभूत् ।

तत्सिद्धयैवास्य धिकारोन्यस्य पत्रे स्थितेन चेत् ॥ २८८ ॥

केवं पराजयः सिद्धयेच्छलमात्रेण ते मते ।

संधाहान्यादिदोषैश्च दात्राऽऽदात्रोः स पत्रकम् ॥ २८९ ॥

नैयायिक कहते हैं कि वादी और प्रतिवादीकी पत्रमें स्थित हो रहे विवाद द्वारा जिस पक्षमें प्रवृत्ति हुई है, उस पक्षकी सिद्धि कर देनेसे ही इसका जय और अन्यका धिकार होना संभवता है, अन्यथा नहीं, इस प्रकार कहनेपर तो आचार्य कहते हैं, कि यह तुम्हारा मन्तव्य बहुत अच्छा है। किन्तु इस प्रकार माननेपर तुम्हारे मतमें केवल छलसे ही प्रतिवादीका पराजय मठा कहा कैसे सिद्ध हो जायेगा ? तथा प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर आदि दोषों करके भी पराजय कहा हुआ, जबतक कि अपने पक्षकी सिद्धि नहीं की जायगी तथा गूढपदवाले पत्रके दाता और पत्रके गृहीताका वह पराजय कहा हुआ ? अतः इसी मितिपर दृढ़ बने रहो कि अपने पक्षकी सिद्धि करनेपर ही वादीका जय और प्रतिवादीका पराजय होगा, अन्यथा नहीं।

यत्र पक्षे वादिप्रतिवादिनोर्विप्रतिपत्त्या प्रवृत्तिस्तत्सिद्धेरेवैकस्य जयः पराजयोन्यस्य, न पुनः पत्रवाक्यार्थानवस्थापनमिति द्युवाणस्य कथं छलमात्रेण प्रतिज्ञाहान्यादिदोषैश्च स पराजयः स्यात् पत्रं दातुरादातुश्चेति चिन्त्यतां ।

जिस पक्षमें वादी और प्रतिवादीकी विप्रतिपत्ति (विवाद) करके प्रवृत्ति हो रही है, उसकी सिद्धि हो जानेसे ही एकका जय और अन्यका पराजय माना जाता है। किन्तु फिर पत्रमें स्थित हो रहे वाक्यके अर्थकी व्यवस्था नहीं होने देना कोई किसीका जय पराजय नहीं है। अथवा केवल अनेक अर्थपनका प्रतिपादन कर देना ही जय, पराजय, नहीं। इस प्रकार मले प्रकार बखान रहे नैयायिकके यहां केवल छल कह देनेसे और प्रतिज्ञाहानि आदि दोषों करके पत्र देनेवाले और लेनेवालेका वह पराजय कैसे हो जायेगा ? इसकी तुम स्वयं चिन्तना करो अर्थात्—जब स्वकीय पक्षकी सिद्धि और असिद्धि जय पराजयव्यवस्थाका प्राण है, तो केवल प्रतिवादी द्वारा छल या निग्रहस्थान उठा देनेसे ही गूढ अर्थवाले पत्रको देनेवाले वादीका पराजय कैसे हो जायगा ? और क्या सहजका मठा (छल) है, जो कि लिखित गूढ पत्रको ले रहा प्रतिवादी शत जयको छट लेवे। विचार करनेपर यह वाक्छलकी उपपत्ति ठीक नहीं जमी।

न हि पत्रवाक्यविदर्थे तस्य वृत्तिस्तत्सिद्धेश्च पत्रं दातुर्जय आदातुः पराजयस्तन्निरा-  
करणं वा तदादातुर्जयो दातुः पराजय इति च द्वितीयार्थेपि तस्य वृत्तिसंभवात्, प्रमाण-  
तस्तथापि प्रतीतिः समानप्रकरणादिकत्वाद्भिन्नेषामभावात् ।

नैयायिक यदि यों कहें कि गूढ पत्रद्वारा समझाने योग्य जिस अर्थमें उस वादीकी वृत्ति है, उसकी सिद्धि कर देनेसे तो गूढ पत्रको देनेवाले वादीका जय होगा और पत्रका ग्रहण करनेवाले प्रतिवादीका पराजय हो जायगा । तथा उस पत्रलिखित अर्थका प्रतिवादी द्वारा निराकरण कर देनेपर उस पत्रको लेनेवाले प्रतिवादीका जय हो जायगा और पत्रको देनेवाले वादीका पराजय हो जायगा । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार नैयायिकोंको नहीं कहना चाहिये । क्योंकि गूढ पत्रके कई अर्थ सम्भव जाते हैं । अतः दूसरे अर्थमें भी उस वादीकी वृत्ति होना सम्भव जाता है । क्योंकि प्रकरणोंसे तिस प्रकार भी प्रतीत हो रहा है । प्रकरण, तात्पर्य, अवसर, आकांक्षा आदिकी समानता भी मिल रही है । कोई विशेषता नहीं है कि यही अर्थ पकड़ा जाय, दूसरा नहीं लिया जाय । भावार्थ—कोई कोई दक्ष ( चाञ्चक ) वादी अपने गूढपत्रमें कतिपय अर्थोंका सन्निवेश कर देता है । वह मनमें विचार लेता है कि यदि प्रतिवादी इस विवक्षित अर्थका निराकरण करेगा, तो मैं अपने गूढपत्रका उससे म्यारा दूसरा अर्थ अभीष्ट कर लूंगा । इसका खण्डन कर देगा तो उसको अभीष्ट कर लूंगा । पदार्थ अपने पेटमें विरुद्ध सदृश हो रहे अनेक अर्थोंको धार रहा है । प्रमाण भी उन अनेक अर्थोंको साधनेमें हमारे सहायक ही जायेंगे । प्रकरण, योग्यता आदिक भी अनेक अर्थोंके बहुत मिल जाते हैं । अतः स्वपक्षकी सिद्धि कर देनेसे ही जय होना मानो, अन्य प्रकारोंका मानना प्रशस्त नहीं है । श्री प्रभाचन्द्राचार्यने परीक्षामुखकी टीका प्रमेयकमरुमार्तण्डमें पत्रके विषयमें यों कथन किया है कि परीक्षामुख मूळ पत्रको रचनेवाले श्री माणिक्यनन्दी आचार्यने “ सम्भवदन्यद् विचारणीयं ” इस अन्तिम सूत्रद्वारा पत्रका लक्षण भी अन्य प्रकरणोंके सदृश विचारवान् पुरुषोंकरके विचारणीय सम्भावित कहा है । लिखित शास्त्रार्थके अवसरपर चतुरंग वादमें पत्र देने लेनेका आलम्बन करना अपेक्षणीय है । अतः उस पत्रका लक्षण अवश्य कहना चाहिये । जबतक उसका स्वरूप नहीं जाना जायगा, तबतक पत्रका सहारा लेना जय करानेके लिये समर्थ नहीं हो सकता है । “ स्वाभिप्रेतार्थसाधनानवधगूढपदसमुद्धारमकं प्रसिद्धावयवलक्षणं वाक्यं पत्रम् ” यह पत्रका लक्षण है । अपने अभीष्ट अर्थको साधनेवाले निर्दोष और गूढ पदोंके समुदायस्वरूप तथा अनुमानके प्रतिज्ञा आदिक अवयवोंसे सहित हो रहे वाक्यको पत्र कहते हैं । जो वाक्य अपने अभिप्रेत अर्थका साधक नहीं है, या दोषयुक्त है, अथवा अधिक स्पष्ट अर्थवाले सरल पदोंसे युक्त हैं, ऐसा पत्र निर्दोष पत्र नहीं है । अन्यथा समी चिट्ठी, पत्री, कहानी, बहरी, उपन्यास, सरल काव्य, आदिक पत्र हो जायेंगे, जो कि इष्ट नहीं है । जिन काव्योंमें क्रियापद गूढ है, अथवा चक्रबन्ध, पञ्चबन्ध

मागपाशबन्ध, ऐसे पत्र हैं, यदि उनमें अनुमानके प्रतिज्ञा आदि अवयव पाये जावें या उनको परार्थानुमान वाक्य बना दिया जाय तो ऐसे काव्य भी पत्रके नामसे कहे जा सकते हैं। जैसे कि “जानक्या, रघुनाथस्य कंठे कमलमालिका, भ्रमन्ति-पण्डिताः सर्वे प्रत्यक्षेपि क्रियापदे” यहाँ प्रति उपसर्ग पूर्वक क्षिप् धातुसे कर्ममें छड् लकारकी क्रिया “प्रत्यक्षेपि” गूढ हो रही है। “नयमान क्षमामान नमामार्याति नाशन, नशनादस्पनो येन नयेनोरोरिमाणन” पञ्चकमहिता, “अनयो कुप्य-दशयः अककेमोहो नद्योभियोमापः” श्यादि काव्योंके भी अनुमान वाक्य बना देनेपर पत्रपना बहल घटित हो जाता है। यदि कोई यों प्रश्न करे जब कि गूढ अर्थवाले पदोंके समुदाय और अपने इष्ट अर्थको साधनेवाले तथा प्रसिद्ध अवयववाले अवलम्बित वाक्यको पत्र कहते हैं, तो लिखे हुये पत्रे (कागज) को पत्रपना कैसे आ सकता है। यह मुख्यपत्र तो कानोंसे ही सुना जा सकता है। हाथमें नहीं लिखा जा सकता है। और आँखोंसे भी नहीं देखा जा सकता है। इसके उत्तरमें आचार्य महाराज कहते हैं, कि यह उपचार किये गयेका पुनः दुबारा उपचार है। वर्ण समुदाय आत्मक पदोंके समूहविशेषस्वरूप और कानोंसे सुनने योग्य वाक्यका लिखनेस्वरूप लिपिमें मनुष्यों करके आरोप कर देनेसे उपचार किया गया है। अर्थात्—उच्चारणके पीछे लिखने योग्य वर्णलिपिमें पहिटा वाक्यपनेका उपचार है। और लिपिमें उपचार किये गये वाक्यका भी उस पत्र (कागज) में स्थित रहनेके कारण दूसरा उपचार किया गया है। जैसे कि कुएँ गिराने योग्य पापको कौपीन कहते हैं। पापके कारण ढिगको भी उपचारसे कौपीन कह देते हैं। उस ढिगके आच्छादनका ध्वज होनेसे लंगोटीको भी उपचारित उपचारसे “कौपीन” कह दिया जाता है। अथवा चौधर्म इन्द्रसे न्यारे हो रहे पुरुषको इन्द्र नामसे कह देते हैं। और पुनः ध्वज या कागजपर लिखे गये इन्द्र चित्र (तसवीर) को भी इन्द्र कह दिया जाता है। अथवा अकारान्त पदसे नाम धातुमें रूप बनाकर किप् प्रत्यय करनेपर पुनः “अतः” इस सूत्रसे अकारका लोप करनेपर दकारान्त पद शब्द बन जाता है। या पद गतौ धातुसे किप् प्रत्यय करनेपर दकारान्त पद शब्द बना लिया जाय “पदानि श्रायते गोप्यन्ते रक्षन्ते परेभ्यः यस्मिन् वाक्ये तत् पत्रं” पद+त्र (त्रेष्ठ पाठने) इस व्युत्पत्तिसे मुख्य ही वाक्यको पत्रपना कह दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि जैसे रत्नोंकी रक्षा संदूक या तिजौरीमें हो जाती है, उसी प्रकार पदोंकी रक्षा कागजमें लिख जानेपर हो जाती है। तभी तो हजारों, सैकड़ों वर्ष पुराने आचार्यवाक्योंकी आजतक भी लिखित ग्रन्थोंमें रक्षा हो सकी है। ऐसे पत्रके कहाँ दो ही अवयव प्रयुक्त किये जाते हैं। उतनेसे ही साध्यकी सिद्धि हो जाती है। उसको यों समस्त लीजियेगा “स्वान्तमासितमूयायत्र्यन्तारमतदुमान्तवाक्। परान्तघोतितोद्गीतमितीत स्वात्मक-त्वतः” (अनुष्टुप् छन्द) इस अनुमानमें प्रतिज्ञा और हेतु दो ही अवयव कहे गये हैं। इस गूढवाक्यका अर्थ इस प्रकार है कि स्वार्थमें अण् प्रत्यय कर अन्त ही अन्त कहा जाता है। प्र, परा, अप, सम, अतु आदि उपसर्गोंके पाठकी अपेक्षा घृ उपसर्गके अन्तमें उच् उपसर्ग पढ़ा गया है। उस

उत् उपसर्गकारके द्योतित भूतिको उद्भूति कहते हैं । सिद्धान्तमें निपातोंको द्योतक माना गया है । वह उद्भूति जिनके आदिमें है वे तीन धर्म स्वान्तभासित भूत्याधाः इस शब्दसे कहे जाते हैं । इसका तात्पर्य उत्पाद, व्यय, प्रौढ्य ये तीन धर्म हो जाते हैं । वे इन तीनस्वरूप धर्मोंको जो व्याप्त कर रहा है, वह स्वान्तभासितभूत्याद्यन्तामत्तत् हैं । यह साध्य है, उमान्त वाक् ” यहाँ पक्ष है । सर्व, विश्व, उभय, उभय, आदि सर्वादिगणमें उभय जिस शब्दके अन्तमें पडा है, वह विश्वशब्द है, विश्वका अर्थ सम्पूर्ण पदार्थ हैं । उस विश्वरूप पक्षमें पहिले कहा गया साध्य धर्म रखा गया है । इसका तात्पर्य सम्पूर्ण पदार्थ ( पक्ष ) उत्पाद, व्यय, प्रौढ्य इन तीन स्वभावोंको व्याप रहे हैं (साध्य) यह निकलता है । हेतुवाचक गूढपद यों है कि प्र, परा, अप, सम्, अनु, अद्, निस्, निर् आदि उपसर्गोंमें परा उपसर्ग जिसके अन्तमें है, ऐसा उपसर्ग प्र है । उपसर्गोंको धात्वर्थ का द्योतक माना गया है । इस कारण उस प्र उपसर्ग करके द्योतित की गई, जो मिति उसकरके विषयरूपसे प्राप्त किया गया जिसका स्वात्मा है, वह “ परान्तद्योतितोद्द्योतमितीतस्वात्मक ” कहा गया । भावमें त्व प्रत्यय करनेपर उसके भावको परान्तद्योतितोद्द्योतमितीतस्वात्मकत्व कहते हैं । इसका अर्थ प्रमेयत्व ऐसा फलित होता है । प्रमाणके विषयको प्रमेयपना व्यवस्थित है । इस प्रकार हेतुस्वरूप धर्मका गूढपदद्वारा कथन है । दृष्टान्त, उपनय आदिके विना भी हेतुका अपने साध्यके प्रति प्रतिपादकपना श्री माणिक्यनन्दी आचार्यने “ एतद्वयमेवानुमानाङ्गं ” इस सूत्रमें समर्थन प्राप्त कर दिया है । अकेली अन्यघानुपपत्तिकी सामर्थ्यसे ही हेतुका गमकपना साधा जा चुका है । वह अन्यघानुपपत्ति तो इस अनुमानमें है ही । क्योंकि केवल उत्पाद ही या व्यय ही अथवा प्रौढ्य ही अकेले धर्मसे युक्त हो रही सर्वथा कूटस्य नित्य अथवा क्षणिक वस्तुका प्रमाणोंद्वारा विषय नहीं हो जानेपनसे समर्थन कर दिया गया है । हाँ, बालकोंके उचित बुद्धिको धारनेवाले शिष्यके अभिप्रायोंकी अधीनता से तो अनुमानके तीन, चार, आदिक अवयव भी पत्रवाक्यमें लिख दिये जाते हैं । उसीको स्पष्टरूपसे यों देख लीजियेगा कि “ चित्राद्यदन्तराणीयमारेकान्तात्मकत्वतः । यदित्थं न तदित्थं न मुयाऽकिञ्चिदिति त्रयः ॥१॥ तथा चेदमिति प्रोक्ता चत्वारोऽवयवा मताः । तस्मात्तद्योति निर्देशे पञ्च पत्रस्य कस्यचित् ॥ २ ॥ इस गूढ वाक्यका अर्थ इस प्रकार है कि चित्र यानी एक अनेक रूपोंको जो सर्वदा अनुगमन करता है, वह चित्रात् है । इसका अभिप्राय एक अनेक रूपोंमें व्यापनेवाला है । अनेक धर्मात्मकपन इसका तात्पर्य है । यदन्तका अर्थ विश्व ( सम्पूर्ण पदार्थ ) है । क्योंकि किसी किसी व्याकरणमें सर्व, विश्व, यत्, इत्यादि रूपसे सर्वादि गणमें सर्वनाम शब्द पढे गये हैं । इस कारण जिसके अन्तमें यत् शब्द है, इस बहुवीहि समासगमित न्युत्पत्ति करनेसे यदन्तका अर्थ विश्व हो जाता है । उस विश्व शब्दकरके जो राणीय यानी कहने योग्य है, वह चित्राद्यदन्तराणीय है । रे शब्द धातुसे अनीप प्रत्यय कर कृदन्तमें राणीय शब्द बनाया है । यहातक सम्पूर्ण पदार्थ अनेकान्तात्मक हैं । यह प्रतिज्ञा वाक्य प्राप्त हुआ । आरेकान्तात्मकत्वतः यह हेतु है । नैय-

यिकोंके सोलह मूळ तत्त्वोंको कहनेवाला " प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्ताऽवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानाभि.श्रेयसाधिगमः यह दर्शनसूत्र है। आरेकाका अर्थ कोपमें संशय माना गया है। उक्त सूत्रमें यह संशय जिसके अन्तमें पड़ा गया है। वह प्रमेय तत्त्व है। वह प्रमेय जिसकी आत्मा है, वह आरेका-तात्मक हुआ। भावमें स्वल्प प्रत्यय करनेपर और उस पञ्चमी विभक्ति छसि प्रत्ययान्त पदसे तसिद्ध प्रत्यय करनेपर आरेकान्तात्मकत्वतः पद बन जाता है। इसका अर्थ प्रमेय-त्वात् हो जाता है। यह अनुमानके हेतु धर्मका कथन किया गया है। जो इस प्रकारके साध्य धर्मसे युक्त नहीं है। यानी चित्रात् नहीं है वह इस प्रकार हेतुमान् भी नहीं है, यानी आरेकान्तात्मक ( प्रमेय ) नहीं है। जैसे कि कुछ भी वस्तु नहीं हो रहा। खरविषाण अथवा सर्वथा एकांतवादियोंके द्वारा माना गया एकांत तत्त्व। ये व्यतिरेकदृष्टान्त हैं। इस प्रकार किसी पत्रमें तीन अवयव भी प्रयुक्त किये जाते हैं। तिस प्रकार हेतुवाला यह पक्ष है। इस ढंगसे पक्षमें हेतु धर्मके उपसंहारका कथन करनेपर उपनयसहित चार अवयव भी हो जाते हैं। तिस कारणसे तिस प्रकार साध्यवान् पक्ष है। यों संपूर्णको अनेकांतव्यापी कह देनेपर निगमनसहित अनुमानके पांच अवयव भी लिख दिये जाते हैं। इस प्रकारके लिखित पत्र जैनोंकी ओरसे प्रतिवादियोंके प्रति भेज दिये जाते हैं। नैयायिकोंकी ओरसे भी स्वपक्षसिद्धिके लिये जैनोंके प्रति यों लिखकर पत्र भेज दिया जाता है। " सै-यलढमागनाऽनन्तरानर्थप्रस्वापकृदाऽऽशेटश्यतोऽनीट्कोनेन लड्युकुकोद्भवो वैपोप्यनै श्वतापस्तनऽनृरइळ्जुद् परापरतत्त्वविच्छद-योऽनादिरवापनीयत्वत एवं यदीदृक्कसकलविद्वर्गवदेतच्चैव-मेव तत् " इसका अर्थ शरीर इन्द्रिया, सुवन, सूर्य आदिक किसी बुद्धिमान् कारण ( ईश्वर ) से उत्पन्न होते हैं। कार्य होनेसे, पटके समान आदि। इस प्रकार पांच अवयवोंसे युक्त यह अनुमान है। ऐसे गूढ अर्थवाले पत्र परस्परवादी प्रतिवादियोंमें शास्त्रार्थ करनेके लिये दिये लिये जाते हैं।

तथाऽप्यैवै देवदत्तो नवकंबलत्वात्सोमदत्तवत् इति प्रयोगेपि यदि वक्तुर्नवः कंबलो-स्येति नवास्य कंबला इति वार्थद्वयं नवकंबलशब्दस्याभिप्रेतं भवति तदा कुतोस्य नव-कंबला इति प्रत्यवतिष्ठमानो हेतोरसिद्धतामेवोद्भावयति न पुनश्छलेन प्रत्ववतिष्ठते। तत्परिहाराय च चेष्टमानस्तदुभयार्थसमर्थनेन तदेकतरार्थसमर्थनेन वा हेतुसिद्धिमुपदर्शयति नवस्तावदेकः कंबलोस्य प्रतीतो भवताऽप्येस्याद्यै कंबला गृहे तिष्ठंतीत्युभयया नवकंबल-त्वस्य सिद्धेः नासिद्धतोद्भावनीया। नवकंबलयोगित्वस्य वा हेतुत्वेनोपादानात्सिद्ध एव हेतुरिति स्वपक्षसिद्धौ सत्यामेव वादिनो जयः परस्य च पराजयोनान्यथा।

तथा जो वाक्छलके प्रकरणमें अनुमान कहा गया है कि देवदत्त ( पक्ष ) अवश्य ही धनवान् है ( साध्य )। नव कंबलवाला होनेसे ( हेतु ) सोमदत्तके समान ( दृष्टान्त ) इस अनुमान

प्रयोगमें भी यदि वक्ताको नव कंबल शब्दके दोनों ही अर्थ अभीष्ट है कि इसके निकट नवीन कंबल है, और इसके यहां नौ संख्यावाले कंबल है, तब तो जो प्रतिवादी यों कह कर दूषण उठा रहा है कि इस देवदत्तके पास एक कम दश कंबल तो नहीं हैं। हम कहते हैं कि वह प्रत्यवस्थान करनेवाला प्रतिवादी तो वादीद्वारा प्रयुक्त किये हेतुके असिद्धपनको ही उठा रहा है, किन्तु फिर छलकरके तो दूषण नहीं दे रहा है। अतः उस प्रतिवादीको छळी बनाकर पराजय देना उचित नहीं। हां, प्रतिवादीद्वारा लगाये गये उस असिद्ध दोषके परिहारके लिये चेष्टा कर रहा वादी उन दोनों अर्थोंका समर्थन करके अथवा उन दोनोंमेंसे किसी एक अर्थका समर्थन करके अपने नवकंबलत्व (नवः कम्बलं यस्य) हेतुकी सिद्धिको दिखलाता है कि हे प्रतिवादिन् ! नवीन एक कंबल तो इसके पास आपने देखकर निर्णय ही कर लिया है। शेष अन्य आठ कंबल भी इसके घरमें रखे हुये हैं। जिसके पास दश पगडियां, पच्चीस टोपियां, पांच जोड़ी जूते, चार छतरियां, बीस धोतियां, नौ कंबल, सात घडियां आदिक मोग, उपमोगकी सामग्री विद्यमान हैं, वह एक ही समयमें सबका उपमोग तो नहीं कर सकता है। हां, हाथी, घोड़े, बग्घी, गाड़ी, मोटर, विद्यालय, औषधालय, अन्नसत्र, भूषण, वसन आदिका आधिपत्य तो श्रेष्ठी देवदत्तमें सर्वदा विद्यमान है। अतः नवीन और नौ संख्या इन दोनों अर्थोंके प्रकारसे मेरा नवकंबलत्व हेतु सिद्ध हो जाता है। तिस कारण मेरे ऊपर तुमको असिद्धपना नहीं उठाना चाहिये। दूसरी बात यह भी है, कि नवकंबल योगीपनको जब हेतुपन करके ग्रहण किया जायगा तो मेरा हेतु व्याख्यान किये बिना ही सरलतासे सिद्ध हो जाता है। नवकंबलका योगीपन कहनेसे ओठे हुये कंबलमें नवीनता अर्थको पुष्टि मिल जाती है। “युज् समाधौ” या युजिर् योगे, किसी भी धातुसे योगी शब्दको बनानेपर नूतन कंबलका संयोगीपना हेत्वर्थ हो जाता है। जो कि पक्षमें प्रत्यक्ष प्रमाणसे वर्त रहा दीखता है। योगी शब्द लगा देनेसे नवका अर्थ नौ संख्या नहीं हो सकता है। अन्तमें तत्त्व यही निकलता है कि अपने पक्षकी सिद्धि हो जानेपर ही वादीका जय और दूसरे प्रतिवादीका पराजय होगा। अन्य प्रकारसे जय पराजयकी व्यवस्था नहीं माना जाती है, समझे माई।

तदेवं वाक्छलमपास्य सामान्यछलमनूद्य निरस्यति ।

तिस कारण इस प्रकार वाक्छलका निराकरण कर अब श्री विद्यानंद आचार्य दूसरे सामान्य-छलका अनुवाद कर खण्डन करते हैं। नैयायिकोंने वाक्छलको दूषित करनेवाला बीज ठीक नहीं माना है। यद्यपि वादी, प्रतिवादियोंके परस्पर हो रही तत्त्वपरीक्षामें छल करना किसीको भी उचित नहीं है। फिर भी आचार्य कहते हैं कि जयव्यवस्थामें छलके ऊपर बल नहीं रखते। किन्तु स्वपक्षसिद्धिको जयप्राप्तिका अवलम्ब बनाओ। सामान्यछलके विचारमें भी यह बात पकड़ी रहनी चाहिये।

यत्र संभवतोर्थस्यातिसामान्यस्य योगतः ।

असद्भूतपदार्थस्य कल्पना क्रियते वलात् ॥ २९० ॥

तत्सामान्यछलं प्राहुः सामान्यविनिबंधनं ।

विद्याचरणसंपत्तिर्ब्राह्मणे संभवेदिति ॥ २९१ ॥

केनाप्युक्ते यथैवं सा व्रात्येपि ब्राह्मणे न किम् ।

ब्राह्मणत्वस्य सद्भावाद्भवेदित्यपि भाषणम् ॥ २९२ ॥

तदेतन्न छलं युक्तं सपक्षेतरदर्शनात् ।

तल्लिङ्गस्यान्यथा तस्य व्यभिचारोखिलोस्तु तत् ॥ २९३ ॥

जहाँ यथायोग्य सम्भव रहे अर्थका अतिक्रान्त हुये सामान्यके योगसे अर्थविकल्प उपपत्तिकी सामर्थ्य करके जो नहीं विद्यमान हो रहे पदार्थकी कल्पना की जाती है, नैयायिक उसको बहुत अच्छा सामान्यछल कहते हैं । जो विवक्षित अर्थको बहुत स्थानोंमें प्राप्त कर लेता है, और कहीं कहीं उस अर्थका अतिरुमणकर जाता है, वह अतिसामान्य है, यह दूसरा सामान्यछल तो सामान्य रूपसे प्रयुक्त किये गये अर्थके विगमको कारण मानकर प्रवृत्तता है । जैसे कि किसीने जिज्ञासापूर्वक आश्चर्यसहित इस प्रकार कहा कि वह ब्राह्मण है । इस कारण विद्यासंपत्ति और आचरणसंपत्तिसे युक्त अवश्य होना चाहिये । अर्थात्- जो ब्राह्मण ( ब्रह्म वेत्तीति ब्राह्मणः ) है, वह विद्वान् और आचरणवान् होना चाहिये । यों किसीके भी द्वारा कहने पर कोई छलको हृदयमें धारता हुआ कहता है कि इस प्रकार वह विद्या, आचरण संपत्ति तो ब्राह्मण कहे जा रहे संस्कारहीन ब्राह्मणों भी क्यों नहीं हो जावेगी ? क्योंकि ब्राह्मण माता पिताओंका तीन चार वर्षका छलका भी ब्राह्मण है । उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ नहीं है । वह ब्राह्मणका छोरा मात्र है, किन्तु उसके कोई व्याकरण, साहित्य, सिद्धांत, आदि विषयोंका ज्ञान नहीं है । विशेष उच्च कोटिके ज्ञानको ज्ञान संपत्ति शब्दसे लिया जाता है । इसी प्रकार उस छोरेमें अमश्रुत्याग, ब्रह्मचर्य, सत्संग, इन्द्रियविजय, अहिंसामात्र, सत्यवाद, विनयसंपत्ति, संसारभीरुता, वैराग्य परिणाम आदि प्रतस्वरूप आचरण भी नहीं पाये जाते हैं । आठ वर्षके प्रथम जब छोटा भी व्रत नहीं है, तो उसमें उच्च कोटिकी आचरण संपत्ति तो मला कहां पायी जा सकती है ? इस प्रकार अर्थविकल्पकी उपपत्तिसे असद्भूत अर्थकी कल्पना कर दूषण उठानेवाला प्रतिवादी कपटी है । अत एवैसी दशामें वक्ता वादीका जय और प्रतिवादीका पराजय करा दिया जाता है । इस प्रकार नैयायिक अपने छल प्रतिपादक सूत्रका माप्य करते हुये कथन कर रहे हैं । अब आचार्य कहते हैं कि वह उनके प्रथममें

प्रसिद्ध हो रहा यह नैयायिकोंका छल भी युक्त नहीं है, क्योंकि उस हेतुका सपक्ष और विपक्षमें दर्शन हो जानेसे प्रतिवादी द्वारा व्यभिचार दोष दिखलाया गया है। अन्यथा यानी विपक्षमें हेतुके दिखलानेको यदि छल प्रयोग बताया जायगा तब तो संपूर्ण व्यभिचार दोष उस छलस्वरूप हो जावेंगे और ऐसी दशामें ब्राह्मणत्व हेत्वाभासको कहनेवाला वादी बिना मूल्य (मुफ्त) ही जयको छुट्ट लेगा और ब्राह्मणत्व हेतुका त्रायमें व्यभिचार उठानेवाले प्रतिवादी विद्वान्को छठी बनाकर पराजित कर दिया जायगा, यह तो अंधेर है। किसी विद्वान्के ऊपर छलका लञ्छन लगाना उसका भारी अपमान करना है। प्रायः विद्वान् कपट रहित होते हैं।

क्वचिदेति तथात्येति विद्याचरणसंपदं ।

ब्राह्मणत्वमिति ख्यातमतिसामान्यमत्र चेत् ॥ २९४ ॥

तथैवास्पर्शवत्त्वादि शब्दे नित्यत्वसाधने ।

किं न स्यादतिसामान्यं सर्वथाप्यविशेषतः ॥ २९५ ॥

तन्नभस्येति नित्यत्वमत्येति च सुखादिषु (सुखे क्वचित्) ।

तेनानैकांतिकं युक्तं सपक्षेतरवृत्तितः ॥ २९६ ॥

यदि नैयायिक यहां यों कहें कि यहां सूत्रमें अति सामान्यका अर्थ इस प्रकार है। जो ब्राह्मणपन उद्भूटाविद्वत्ता और सदाचारको धारनेवाले किन्हीं विद्वानोंमें तो विद्या, आचारण, संपत्तिको प्राप्त करा देता है। और किसी ब्राह्मणके छोरामें वह ब्राह्मणपना उस विद्या चारित्र संपत्तिका अतिक्रमण करा देता है। यहां प्रकरणमें सामान्यरूपसे ब्राह्मणमें विद्या, आचारण संपत्तिरूप अर्थकी सम्भावना कही गयी थी। किन्तु कपटी पण्डितने अभिप्रायको नहीं समझकर असद्रूप अर्थकी कल्पनासे दोष उठाया है। अतः यह छल किया गया है। इस प्रकार नैयायिकोंके कहनेपर आचार्य महाराज कहते हैं कि तिस ही प्रकार शब्दो नित्यः अस्पर्शवत्त्वात्। शब्दः अनित्यः प्रमेयत्वात्। पर्वतो घूमवान् वन्देः, श्यादिक स्पाळोंपर सुल, परमाणु, अंगार आदिसे व्यभिचार उठाना भी छल हो जायगा। अतः शब्दमें नित्यपनको साधनेके निमित्त दिये गये स्पर्शरहितपन गुणपन आदि हेतुओंका प्रयोग भी तिस ही प्रकार अतिसामान्य क्यों नहीं हो जाओ। सभी प्रकारसे कोई विशेषता नहीं है। अर्थात्-छल या व्यभिचार दोषकी अपेक्षा ब्राह्मणत्व और अस्पर्शवत्त्व दोनों एकसे हैं। यह छल है तो यह भी छल हो जायगा। और यहां व्यभिचार दोष उठाया गया माना जायगा, तो यहां भी प्रतिवादीद्वारा व्यभिचार दोषका उठाना तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। देखिये, आपके ब्राह्मणत्व हेतुके समान अस्पर्शवत्त्वमें भी अतिसामान्य घटित हो जाता है। यह अस्पर्शवत्त्व भी



कहीं आकाशमें नित्यपनको प्राप्त करा देता है । तथा कहीं सुख, बुद्धि रूप आदिक गुण और चळना, घूमना आदि क्रियाओंमें नित्यपनका अतिक्रमण कर देता है । तिस कारण सपक्ष और विपक्षमें वृत्ति हो जानेसे अस्पर्शवत्त्व हेतुको व्यभिचारी मानना युक्त पडता है । तथा ब्राह्मणत्व हेतु जैसे सुशील विद्वान् ब्राह्मणमें ज्ञान, चारित्र्य,सम्पत्तिको प्राप्त करा देता है । और ब्राह्मणके,छोटे बच्चोंमें साम्यस्वरूप उस सम्पत्तिको घटित नहीं करा पाता है, उसी प्रकार शब्दके अनित्यपनको साधनेके लिये प्रयुक्त किया गया प्रमेयत्व हेतु भी कहीं घटादिकमें अनित्यपनको धर देता है और कहीं आकाश, परमाणु आदि विपक्षोंमें उस साध्यके नहीं रहनेपर भी विद्यमान रह जानेसे अनित्यपनका अतिक्रमण करा देता है । इसी प्रकार प्रकरणमें भी ब्राह्मणत्व हेतुका अनेकान्तिकपन उठाया गया है प्रतिवादीने कोई छल नहीं किया । ऐसा हमारे विचारमें आया है । व्यर्थमें किसीकी मर्द्दना करना न्याय नहीं ।

विद्याचरणसंपत्तिविषयस्य प्रशंसनं ।

ब्राह्मणस्य यथा शालिगोचरक्षेत्रवर्णनम् ॥ २९७ ॥

यस्येष्टं प्रकृते वाक्ये तस्य ब्राह्मणधर्मिणि ।

प्रशस्तत्वे स्वयं साध्ये ब्राह्मणत्वेन हेतुना ॥ २९८ ॥

केनानैकांतिको हेतुरुद्धान्यो न प्रसह्यते ।

क्षेत्रे क्षेत्रत्ववच्छालियोग्यत्वस्य प्रसाधने ॥ २९९ ॥

यदि नैयायिकोंका यह मतव्य होय कि छलप्रयोगी प्रतिवादीने वादीके विवक्षित हेतुको नहीं समझ कर यों ही प्रत्यवत्पान उठा दिया है । वास्तवमें देखा जाय तो यह वाक्य उस पुरुषकी प्रशंसा करनेके लिये कहा गया था । तिस कारणसे यहां असंभव हो रहे अर्थकी कल्पना नहीं हो सकती थी । ऐसी दशामें प्रतिवादीने असंभव अर्थकी कल्पना की है । अतः उसने छलप्रयोग किया है । जैसे कि कठम आदिक शाब्धिधान्योंके प्रवृत्ति विषय खेतकी प्रशंसाका वर्णन करना है कि इस खेतमें धान्य अच्छा होता चाहिये, इसी प्रकार ब्राह्मणमें विद्या, आचरण, संगतिरूप विषयकी वादी द्वारा प्रशंसा की गयी है । प्रतिवादी द्वारा उस प्रशंसा अर्थकी हत्या नहीं कानी चाहिये । यों नैयायिकोंके अभीष्ट करनेपर आचार्य कहते हैं कि जिस नैयायिकको प्रकरण प्राप्त वाक्यमें यों इष्ट है, कि ब्राह्मण स्वरूप पक्षमें ब्राह्मणपन हेतु करके प्रशस्तपना साम्य करनेपर वादी द्वारा स्वयं अनुमान कहा गया माना है । उसके यहां हेतुका अनेकान्तिक दोष उठाने योग्य है । यह किसीके द्वारा मझ नहीं सदा जावेगा । जैसे कि खेतमें धान्यके योग्यपनका क्षेत्रत्व हेतु करके प्रशंसनीय साधन करने

पर क्षेत्रत्रय हेतुका व्यभिचार उठा दिया जाता है। अर्थात्—नैयायिकों द्वारा अनैकान्तिकपनका परिहार करनेके प्रयत्नसे प्रतीत हो जाता है कि वे ऐसे स्थलोंपर व्यभिचार दोषको स्वीकार करते हुये ही न्यायमार्गका अवलंब करनेवाले नैयायिक कहे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं।

यत्र संभवतोर्यस्यातिसामान्यस्य योगादसद्भूतार्थकल्पना इठात् क्रियते तत्सामान्यनिवन्धनत्वात् सामान्यछलं प्राहुः। संभवतोर्यस्यातिसामान्ययोगादसद्भूतार्थकल्पना सामान्यछलमिति वचनात्। तथा—अहो नु खल्वसौ ब्राह्मणो विद्याचरणसंपन्न इत्युक्ते केनचित्कश्चिदाह संभवति ब्राह्मणे विद्याचरणसंपदिति, तं प्रत्यस्य वाक्यस्य विद्यातार्थविकल्पोपपत्त्याऽसद्भूतार्थकल्पनया क्रियते। यदि ब्राह्मणे विद्याचरणसंपत्संभवति व्रात्येपि संभवात्। व्रात्येपि ब्राह्मणो विद्याचरणसंपन्नोस्तु। तदिदं ब्राह्मणत्वं विवक्षितमर्थं विद्याचरणसंपलक्षणं क्वचिद्ब्राह्मणे तादृश्येति क्वचिद्ब्राह्मणत्वेति तदभावेपि भावादित्यतिसामान्यं तेन योगाद्भ्रुरभिप्रेतादर्थात् सद्भूतादन्यस्यासद्भूतस्यार्थस्य कल्पना सामान्यछलं। तच्च न युक्तं। यस्माद्विवक्षिते हेतुकस्य विषयार्थवादः प्रशंसार्थत्वाद्वाक्यस्य तत्रासद्भूतार्थकल्पनानुपपत्तिः। यथा संभवत्यस्मिन् क्षेत्रे शाक्य इत्यत्राविवक्षितं शास्त्रिवीजमनिराकृतं च तत्प्रवृत्तिविषयक्षेत्रं प्रशस्यते। सोयं क्षेत्रार्थवादो नास्मिन् शाक्यो विधीयत इति। धीजात्तु शास्त्रिनिवृत्तिः सती न विवक्षिता। तथा संभवति ब्राह्मणे विद्याचरणसंपदिति सस्याद्विषयो ब्राह्मणत्वं न संपदेतुर्न चात्र तदेतुर्विवक्षितस्तद्विषयार्थवादस्त्वयं प्रशंसार्थत्वाद्वाक्यस्य सति ब्राह्मणत्वे संपदेतुः समर्थ इति विषयश्च प्रशंसता वाक्येन यथा हेतुतः फलनिवृत्तिर्न प्रत्याख्यायते तदेवं सति वचनविद्यातोसद्भूतार्थकल्पनया नोपपद्यते इति परस्य पराजयस्तथा वचनादित्येवं न्यायभाष्यकारो ब्रुवन्नायं वेत्ति, तथा छलव्यवहारानुपपत्तेः।

उक्त कारिकाश्लोका विवरण इस प्रकार है कि जहां सम्भव रहे अर्थके अतिसामान्यका योग हो जानेसे असद्भूत अर्थकी कल्पना इठसे करती जाती है, उसको नैयायिक सामान्य कपनकी कारणतासे सामान्यछल अच्छा कह रहे हैं। गौतमऋषिके बनाये हुये न्यायदर्शनमें इस प्रकार कथन है कि “संभवतोऽर्थस्यातिसामान्ययोगादसद्भूतार्थकल्पना सामान्यच्छलम्” सम्भावनापूर्वक कहे गये अर्थके अतिसामान्यका योग हो जानेसे असद्भूत अर्थकी कल्पना करना सामान्य छल है। उसी सूत्रका भाष्य वात्स्यायन ऋषिद्वारा न्यायभाष्यमें यों किया गया है कि विस्मयपूर्वक अवधारण सहित यों सम्भावनारूप कल्पना करनी पडती है किं वह मनुष्य ब्राह्मण है तो विद्यासंपत्ति और आचरणसम्पत्तिसे युक्त अवश्य होगा। इस प्रकार किसी वक्ता करके परबोधनार्थ कह चुकनेपर कोई

एक प्रतिवादी कह बैठता है कि ब्राह्मणके सम्भव होते हुये विद्या, चारित्र्य, सम्पत्ति है। इस प्रकार उस वादीके प्रति इस वाक्यका विधात तो अर्थविकल्पकी उपपत्तिरूप असद्भूत अर्थकी कल्पना करके भी किया जाता है जो कि छत्रका सामान्य लक्षण है कि ब्राह्मण होनेके कारण उस पुरुषमें विद्या आचरण सम्पत्ति सम्भव रही है। नवसंस्कारहीन कृपक ब्राह्मण ( वामन ) या बहुतसे पहाड़ी पंजाबी, वामन अथवा ब्राह्मण बाळक भी तो ब्राह्मण हैं। वे भी विद्या, आचरण सम्पत्तिको धारणे वाळे हो जावेगे। तिस कारण यह ब्राह्मणपना ( कर्त्ता ) विवक्षा प्राप्त हो रहे विद्या, चारित्र्य, सम्पत्ति स्वरूप अर्थको किंसा सपक्ष हो रहे ज्ञान चारित्र्यवाळे तिस प्रकार ब्राह्मणमें प्राप्त करा देता है। और किसी विपक्षरूप वाक्यमें विद्या, आचरण सम्पत्तिको अतिक्रान्त कर जाता है। क्योंकि उस विद्या, आचरण सम्पत्तिके विना भी वहाँ वाक्यमें ब्राह्मणत्वका सद्भाव है। यह अतिसामान्यका अर्थ है। उस अतिसामान्यके योग करके वक्ताको अभिप्रेत हो रहे सद्भूत अर्थसे अन्य असद्भूत अर्थकी कल्पना करना सामान्य छळ है। नैयायिक कहते हैं किं वह छळ करना तो प्रतिवादीको उचित नहीं है। जिस कारणसे कि हेतुके विशेषोंकी नहीं विवक्षा कर वादीने ब्राह्मणरूप विषयके स्तुति परक अर्थका अनुवाद कर दिया है। क्योंकि अनेक वाक्य प्रशंसाके लिये प्रयुक्त किये जाते हैं। जैसे कि विद्यार्थी विनयशाळी होना चाहिये। पुत्र माता पिता गुरुओंका सेवक होता है। वी अनुचरी होती है। ये सब वाक्य प्रशंसा करनेमें तत्पर ही रहे अर्थवाद ( स्तुतिवाद ) हैं। वहाँ किसी एक दुष्ट विद्यार्थी या कुभूत अथवा निकृष्ट लोके द्वारा अशिष्ट व्यवहार कर देनेपर असद्भूत अर्थकी कल्पना करना नहीं वन्ता है। जैसे कि इस खेतकी मूमिमें शाळि चावळ अच्छे चाहिये, यहाँ शाळि बीजके जन्मकी विवक्षा नहीं की गयी है। और उसकानिराकरण भी नहीं कर दिया है। हां, उस शाळिके प्रवृत्तिका विषय हो रहा क्षेत्र प्रशंसित किया जाता है। अतः यह यहाँ क्षेत्रकी प्रशंसाको करनेवाळा वाक्य है। इतने ही से इस खेतमें शाळी चावळोंका विधान नहीं हो जाता है। हां, बीजके कह देनेसे तो शाळियोंकी निवृत्ति होती संती हमको विवक्षित नहीं है। तिस ही प्रकार प्रकरणमें ब्राह्मणकी संभावना होनेपर विद्या, आचरण, संपत्ति होगी, इस दंगसे संपत्तिका प्रशंसक ब्राह्मणपना तो संपत्तिका हेतु नहीं है। अयम् ( पक्ष ) विद्याचरणसम्पन्नः (साध्य) ब्राह्मणत्वाद् ( हेतु ) श्रोत्रियशास्त्रि जिनदत्तवत् ( दृष्टान्त ) इस वाक्यमें वह ब्राह्मणपना व्याप्य हेतु रूपसे विवक्षित नहीं है। हां, केवल तन ब्राह्मणोंके विषयमें प्रशंसा करनेवाळे अर्थका अनुवाद मात्र तो यह है। लोकेमें अनेक वाक्य प्रशंसाके लिये हुआ करते हैं। ब्राह्मणपना होते संते विद्या, आचरण संपत्तिका समर्थहेतु संभव रहा है। इस प्रकार विषयकी प्रशंसा करनेवाळे वाक्य करके जिस प्रकार हेतुसे साध्यरूप करकी निवृत्ति नहीं खण्डित कर दी जाती है। अर्थात्-संभावनीय हेतुओंसे संभावनीय साध्यको साधनेपर अद्भूत अर्थद्वारा व्यभिचार उठाना छळ है। लोकेमें प्रसिद्ध है कि जगत्के कार्य विद्यासे होते हैं। यदि किसी भृत्य या मुनीमने धनपत्तिका माळ जुरा कर विद्यास-

घात किया, एतावत् ही अन्य विधास्य पुरुषों द्वारा होने योग्य कार्योका प्रत्याख्यान नहीं कर देना चाहिये । तिस कारण ऐसी व्यवस्था होनेपर प्रतिवादी करके असद्भूत अर्थकी कल्पना द्वारा वादीके वचनका विघात करना नहीं बन पाता । इस कारण तिस प्रकारके असद्भूत अर्थकी कल्पनाके अन्याय पूर्ण कथन करनेसे दूसरे प्रतिवादीका पराजय हो जाता है । अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार उक्त कथनको कह रहे न्यायभाष्यकार वास्यायन ऋषि यह नहीं समझते हैं कि तिस प्रकारसे छद्मका व्यवहार नहीं बनता है । थोडा विचार कीजियेगा जिस प्रकार कि वादीकी वचनमंगी अनेक प्रकार है, उसीके समान प्रतिवादीके प्रति वचनोंका ढंग अनेक संदर्भोंको लिये हुये होता है ।

हेतुदोषस्यानैकैतिकत्वस्य परेणोद्भावनाच्च न चानैकैतिकत्वोद्भावनमेव सामान्य-  
छळमिति शक्यं वक्तुं सर्वत्र, तस्य सामान्यछळत्वप्रसंगात् । शब्दो नित्योऽस्पर्शवत्त्वादा-  
काशब्दित्यत्र हि यथा शब्दनित्यत्वे साध्ये अस्पर्शवत्त्वमाकाशे नित्यत्वमेति सुखादिष्व-  
त्येतीति व्यभिचारित्वादनैकैतिकमुच्यते न पुनः सामान्यछळं, तथा प्रकृतमपीति न  
विशेषः कश्चिदस्ति ।

आचार्य महाराज अब नैयायिकोंके छळकी परीक्षा करते हैं कि दूसरे प्रतिवादीने छळ व्यव-  
हार नहीं किया है । प्रत्युत दूसरे प्रतिवादीने वादीके अनुमानमें हेतुके अनेकान्तिक दोषका उत्पादन  
किया है । हेतुके व्यभिचारीपन दोषका उठाना ही सामान्य छळ है । यह तो नहीं कह सकते हो ।  
क्योंकि यों तो सभी व्यभिचारस्थलोंपर उस व्यभिचार दोषके उठानेको सामान्य छळपनेका प्रसंग  
हो जावेगा । देखिये, शब्द ( पक्ष ) नित्य है ( साध्य ), स्पर्शरहितपना होनेसे ( हेतु ) आकाशके  
समान ( अन्वय दृष्टान्त ) इस प्रकार इस अनुमानमें जैसे शब्दका नित्यपन साधनेमें कहा गया  
अस्पर्शवत्त्व हेतु कहीं आकाशरूप सपक्षमें नित्यपनको अन्वित कर रहा है, किन्तु कहीं सुख, रूप,  
आदि निषक्षोंमें नित्यत्वका उल्लंघन करा रहा है । “ निर्गुणाः गुणाः ” “ गुणादिर्निर्गुणक्रिया ”  
गुणोंमें पुनः स्पर्श आदि गुण नहीं ठहरते हैं । इस कारण व्यभिचारी हो जानेसे, अस्पर्शत्व हेतु  
अनेकान्तिक हेत्वाभास कहा जाता है । किन्तु फिर यह प्रतिवादीका हेत्वाभास उठाना सामान्य छळ  
नहीं बखाना जाता है । तिस ही प्रकार प्रकरणप्राप्त ब्राह्मणत्व हेतु भी व्यभिचारी है । साम्यके  
बिना ही त्रास्यमें वर्त जाता है । इस प्रकार अस्पर्शवत्त्व और ब्राह्मणत्व हेतुके व्यभिचारीमें कोई  
विशेषता नहीं है, दोनों एकसे हैं ।

सोयं ब्राह्मणे धर्मिणि विद्याचरणसंपाद्विषये प्रशंसनं ब्राह्मणत्वेन हेतुना साध्यते,  
यया शाल्विविषयक्षेत्रे प्रशंसा क्षेत्रत्वेन साक्षान्न पुनर्विद्याचरणसंपत्सचा साध्यते येनाति-  
प्रसज्यत इति स्वयमनैकैतिकत्वं हेतोः परिहरन्नपि तन्नानुमन्यत इति कथं न्यायवित् ।

नैयायिकोंने प्रथम यों कहा था कि ब्राह्मण पक्षमें विद्या, आचरण सम्पत्तिके विषयमें ब्राह्मणत्व हेतु करके प्रशंसा करना साधा जा रहा है। जैसे कि शाही चाबलोंके विषय हो रहे खेतमें क्षेत्रम्ब हेतु करके साक्षात् प्रशंसाके गीत गाये जाते हैं। किन्तु फिर ब्राह्मणपने करके विद्या, आचरण, सम्पत्तिकी सत्ता तो नियमसे नहीं साधी जाती है। जिससे कि संस्कारहीन बामनमें अतिप्रसंग हो जाय। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार हेतुके अनैकान्तिकपनका स्वयं परिहार कर रहा मैं यह प्रसिद्ध नैयायिक उस प्रतिवादी द्वारा उठाये गये अनैकान्तिकपनको स्वीकार नहीं कर छलप्रयोग बता रहा है। ऐसी दशामें वह न्यायशास्त्रका वेत्ता कैसे कहा जा सकता है। नैयायिक यह केवल उसका नामनिर्देश है। अन्वर्थसंज्ञा नहीं है। नहीं तो न्याय की गद्दी पर बैठकर ऐसी अनैति क्यो करता। हाँ, वास्तवमें जो छलपूर्ण व्यवहार कर रहा है, उसको कपटी, मायाचारी, मछे ही कह दो, किन्तु जयकी प्राप्ति तो अपने पक्षकी मछे प्रकार सिद्धि कर देमसे ही अंकगत होगी। अन्यथा टापते रह जाओगे।

तयोपचारछलमनुद्य विचारयन्नाह ।

तिस ही प्रकार नैयायिकों द्वारा माने गये तीसरे उपचार छलका अनुवाद कर विचार करते हुये श्री बिद्यानन्द आचार्य वार्तिकोंको कहते हैं।

धर्माध्यारोपनिर्देशे सत्यर्थप्रतिषेधनम् ।

उपचारछलं मंचाः क्रोशंतीत्यादिगोचरम् ॥ ३०० ॥

मंचा क्रोशंति गायंतीत्यादिशब्दप्रयोजनम् ।

आरोप्य स्थानिनां धर्मं स्थानेषु क्रियते जनैः ॥ ३०१ ॥

गौणं शब्दार्थमाश्रित्य सामान्यादिषु सत्त्ववत् ।

तत्र मुख्याभिधानार्थप्रतिषेधश्छलं स्थितम् ॥ ३०२ ॥

“ धर्मविकल्पनिर्देशोऽर्थे सद्भावप्रतिषेध उपचारश्छलम् ” यह न्यायदर्शनका सूत्र है। इसके भाष्यका अर्थ विवरणमें किया जायगा। सामान्य कथन वार्तिकयोग्य यों है कि धर्मके विकल्प यानी अध्यारोपका सामान्य रूपसे कथन करनेपर अर्थके सद्भावका प्रतिषेध कर देना उपचार छल है। जैसे कि “ मंचाः क्रोशंति ” “ गंगायां घोषः ” नीलो घटः “अग्निर्माणवकः” इत्यादिको विषय करनेवाले वाक्यके उच्चारण करनेपर अर्थका निषेध करनेवाला पुरुष छलका प्रयोक्ता है। मंच शब्दका अर्थ मंचान ( बड़ी छाट ) या खेतोंकी रक्षाके लिये चार खम्भोंपर - बांध डिया गया मेट्टा है। मंचानपर बैठे हुये मनुष्य गा रहे हैं। इस अर्थमें मंचान गा रहे हैं। इस शब्दका प्रयोग हो रहा

देखा जाता है। बम्बई प्रान्तमें उपजनेवाले आमफलको बम्बई आम कह देते हैं। अधिक लड्डू खानेवाले या मोदकमें प्रीति रखनेवाले विद्यार्थीको लड्डूविद्यार्थी कह देते हैं। गंगाके किनारेपर ग्वालोंका गांव है। इस अर्थमें गंगामें घोष है, ऐसा शब्द प्रयोग हो रहा है। यहाँ स्थानोंमें ठहरनेवाले आधेय स्थानियोंके धर्मका आधारभूत स्थानोंमें आरोपकर मनुष्योंकरके शब्द व्यवहार कर लिया जाता है। शब्दके गौण अर्थका आश्रय कर मंचमें मंचस्थपनेका आरोप है। जैसे कि सामान्य विशेष आदि पदार्थोंमें गौणरूपसे सत्ता मान ली जाती है। अन्यथा उन सामान्य, विशेष, समवाय पदार्थोंका सद्भाव ही उठ जायगा। अर्थात्—नैयायिक या वैशेषिकोंने द्रव्य, गुण, कर्ममें तो मुख्यरूपसे सत्ता जातिको समवेत माना है और सामान्य, विशेष, समवाय, पदार्थोंमें गौणरूपसे सत्ता [ अस्तित्व ] धर्मको अभीष्ट किया है। उसी प्रकार मंचका मुख्य अर्थ तो मंचान है। और गौण अर्थ मंचपर बैठे हुये मनुष्य हैं। तहाँ वार्दा द्वारा प्रसिद्ध हो रहे गौण अर्थको कहनेवाला मंच शब्दका मंचस्थ अर्थमें प्रयोग किये जानेपर यदि वहाँ शब्दके मुख्य अर्थका प्रतिषेध कर देना नैयायिकोंके यहाँ उपचारछल व्यवस्थित किया गया है। मंचान तो गीतोंको नहीं गा सकते हैं। मंचान पर बैठनेवाले मले ही चिह्नधे, यह प्रतिवादीका व्यवहार छलपूर्ण है। अतः वार्दाका जय और छली प्रतिवादीका पराजय होना अवश्यम्भावी है।

न चेदं वाक्छलं युक्तं किंचित्साधर्म्यमात्रतः ।

स्वरूपभेदसंसिद्धेरन्यथातिप्रसंगतः ॥ ३०३ ॥

कल्पनार्थांतरस्योक्ता वाक्छलस्य हि लक्षणं ।

सद्भूतार्थनिषेधस्तूपचारछललक्षणम् ॥ ३०४ ॥

नैयायिक ही कहते जा रहे हैं, कि यह तीसरा उपचारछल केवल कुछ थोडासा समान-धर्मापन मिल जानेसे पहिले वाक्छलमें गर्भित कर लिया जाय, यह तो किसीका कथन युक्तिसहित नहीं है, क्योंकि उनके लक्षण भेद प्रतिपादक भिन्न भिन्न स्वरूपोंकी मले प्रकार सिद्धि हो रही है। अन्यथा यानी स्वरूपभेद होनेपर भी उससे पृथक् नहीं मानोगे तो अतिप्रसंग हो जावेगा। तीनों छल एक बन बैठेंगे। अग्नि, जल, सूर्य, चन्द्रमा, मूर्ख, विद्वान, ये सब एकम एक सांकर्यप्रसूत हो जायेंगे, जब कि वक्ताके अभिप्रायसे भिन्न दूसरे अर्थकी कल्पना करना तो पहिले वाक्छलका लक्षण किया गया, और विद्यमान हो रहे सद्भूत अर्थका निषेध कर देना तो अब उपचार छलका लक्षण सूत्रकार द्वारा कहा गया है, अतः ये दोनों न्यारे न्यारे हैं। नैयायिकोंने शक्ति और लक्षणा यों शब्दोंकी दो वृत्तियाँ मानी हैं। शब्दकी वाचकशक्तिसे जो अर्थ निकलता है, यह शक्यार्थ है, और तात्पर्यकी अनुपपत्ति होनेपर शक्यार्थके संबंधी अन्य अर्थको लक्ष्यार्थ कहते हैं। जैसे कि गंगाका

जलप्रवाह अर्थ तो अभिधाशक्तिसे प्राप्त होता है । और घोषपदका समनिव्यवहार हो जानेपर गंगा तीर अर्थ करना लक्षणावृत्तिसे निकलता है । जिस शब्दके शक्यार्थ दो हैं, वहाँ एक शक्यार्थके निर्णय करानेवाले विशेषका अभाव होनेसे प्रतिवादी द्वारा वादीके अनिष्ट हो रहे शक्यार्थकी कल्पना करके दूषण कथन करना तो वाकूच्छ है । जैसे कि नवकंबलका अर्थ नौ सँख्यावाले कंबल गठ कर प्रत्यवस्थान दिया तथा शक्ति और लक्षणा नामक वृत्तियोंसे किसी एक वृत्ति द्वारा शब्दके प्रयोग किये जानेपर पुनः प्रतिवादी द्वारा जो निषेध किया जाना है, वह उपचार छल है । जैसे कि मचान गा रहे हैं, यहाँ वादीको लक्षणा वृत्तिसे मंचका अर्थ मंचस्थ पुरुष अभीष्ट है । शक्यार्थ मचान अर्थ अभीष्ट नहीं है । लोकमें भी वही अर्थ प्रसिद्ध है । ऐसी दशामें प्रतिवादी द्वारा मचान अर्थ कर निषेध ठाया जाता है । वहाँ अर्थान्तरकी कल्पना है और यहाँ अर्थसद्भावका प्रतिषेध किया गया है । “ वाकूच्छमेवोपचारच्छलं तद्विशेषात् ” इस सूत्रद्वारा पूर्वपक्ष ठाकर “ न तदर्थान्तरमावात् ” अविशेषे वा किञ्चित्साधर्म्यादिकच्छलप्रसङ्गः ” इन दो सूत्रोंसे उत्तरपक्षको पुष्ट किया है ।

अत्राभिधानस्य धर्मो यथार्थप्रयोगस्तस्याध्यारोपो विकल्पः अन्यत्र दृष्टस्यान्यत्र प्रयोगः मंचाः क्रोशंति गायंतीत्यादौ शब्दप्रयोगवत् । स्थानेषु हि मंचेषु स्थानिनां पुरुषाणां धर्ममाक्रोष्टित्वादिकं समारोप्य जनैस्तथा प्रयोगः क्रियते गौणशब्दार्थभ्रयणात् । सामान्यादिष्वस्तीति शब्दप्रयोगवत्, तस्य धर्माध्यारोपनिर्देशे सत्यर्थस्य प्रतिषेधनं न मंचाः क्रोशंति मंचस्थाः पुरुषाः क्रोशंतीति । तदिदमुपचारच्छलं प्रत्येयं । धर्मविकल्पनिर्देशे अर्थसद्भावप्रतिषेध उपचारच्छलं इति वचनात् ।

यहाँ न्यायभाष्यकार कहते हैं कि शब्दका धर्म यथार्थ प्रयोग करना है, यानीं जैसा अर्थ अभीष्ट हो उसीके अनुसार शब्दका प्रयोग आवश्यक है । उसका विकल्प करना यानीं अन्यत्र देखे का दूसरे अन्य स्थानोंपर प्रयोग करना यह आरोप है । उसका निर्देश करनेपर अर्थके सद्भावका निषेध कर देना उपचार छल है । जैसे कि मचान चिल्ला रहे हैं, गा रहे हैं, पुला रहे हैं, रो रहे हैं, अथवा देवदत्त नित्य है, इस वाक्यपर कोई कटाक्ष करे कि माता पितासे उत्पन्न हुआ देवदत्त मला नित्य कैसे हो सकता है ! गंगायां घोषः कहनेपर गंगाजलके प्रवाहमें गाँवके सद्भावका निषेध करने लगे यह भी उपचार छल है । तथा श्लेषयुक्त पदोंके प्रयोग करनेपर भी उपचारछल किया जा सकता है । जैसे कि “ जिनेन्द्रस्तवनं यस्य तस्य जन्म निरर्थकं । जिनेन्द्रस्तवनं नास्य सफलं जन्म तस्य हि ” इसका स्पष्ट रीतिसे अर्थ व्यक्त ही है कि जिस मनुष्यके जिनेन्द्रकी स्तुति विषयमान है, उसका जन्म व्यर्थ जा रहा है । और जिसके जिनेन्द्रदेवका स्तवन करना नहीं पाया जाता है, उसका जन्म निश्चयसे सफल है । किन्तु यह किसी पक्के भिनमऊका बनाया हुआ पत्र है । उष भऊने दिशादि गणकी यमु प्रयाने, तमु उपक्षये, अमु क्षेपणे इन धातुओंसे जोड़ उकारके मध्यम

पुरुषमें श्य विकरण करनेपर एकवचनके रूप यस्य, तस्य, अस्य बनाकर यों अर्थ किया है कि हे भव्य, जिनेन्द्रभगवान् के स्तवन करनेका प्रयत्न करो । साथ ही अबतक (स्तवनसे पूर्वकालतक) व्यर्थ हो रहे जन्मका नाश करो । तुम जिनेन्द्रके स्तवनको कभी नहीं फेको, यदि जिनेन्द्रस्तवनका निरादर करोगे तो सफल हो रहे जन्मको नष्ट करोगे । इस प्रकार वक्ताके अभिप्रायसे कहे गये गौण शब्दार्थका पुनः प्रसिद्ध हो रहे प्रधानभूत अर्थकी कल्पना कर प्रतिषेध करना उपचार छल है । “नाथ मयूरो नृत्यति तुरगाननवक्षसः कुतो नृत्यं । ननु कथयामि कलापिनमिह सुकलापी प्रिये कोऽस्ति” अह्वल्याः कः कपाटं घटयति कुटिलो ( प्रश्न ) माधवः ( उत्तर ) किम् वसन्तो ( कटाक्ष ) नो चक्री ( उत्तर ) किं कुलालो ( प्रश्न ) न हि धरणिधरः ( उत्तर ) किं द्विजिह्वः फणीन्द्रः ( प्रश्न ) ॥ नाहं भोराहिमर्दी ( उत्तर ) किमुत खगपतिः ( प्रश्न ) नो हरिः ( समाधान ) किं कर्षा-द्रः ( आक्षेप ) श्वेधं सध्यमानाप्रतिवचनजितः पातु वक्षक्रपाणिः ॥ २ ॥ तन्वन्कुवलयतुष्टिं वारिजो-च्छासमाहरन् । कलानिधिरसौ रेजे समुद्रपरिवृद्धिदः ॥ ३ ॥ कस्त्वं ( प्रश्न ) शूली ( उत्तर ) मृगय मिषजं ( कटाक्ष ) नीलकण्ठः प्रियेऽङ्ग ( समाधान ) । केकामेका वद ( कटाक्ष ) पशुपतिः ( उत्तर ) नेवदद्वे विवागे ( कटाक्ष ) ॥ मिक्षुर्मुग्धे ( स्वनिवेदन ) न बदति तरु ( आक्षेप ) जीवितेशः शिवायाः ( स्वपरिचय ) गच्छाटव्या ( कटाक्ष ) इति इतवचा पातु वक्षश्चूडः ॥ ४ ॥ इत्यादि प्रकारके श्लेषयुक्त पदोंके प्रयोगसे भी उपचारछल किया जा सकता है । लक्ष्याणिक या शिष्ट अथवा ध्वनि युक्त शब्दोंके प्रयोगसे वादीका ही अपराध समझा जाय यों तो नहीं कहना । क्योंकि उस उस अर्थके बोधकपने करके प्रसिद्ध हो रहे शब्दोंका प्रयोग करनेमें वादीका कोई अपराध नहीं है । चूं कि यह प्रकरणमें अधिकरण या स्थानस्वरूप हो रहे मच्चानोंमें स्थानवाले आधेय पुरुषोंके धर्म गाना, गाळी देना, रोना आदिका अच्छा आरोप कर व्यवहारी मनुष्योंकरके तिस प्रकार शब्दोंका प्रयोग किया जाता है । जैसे कि “ सत्तावन्तस्त्रयस्त्वधाः ” द्रव्य, गुण, कर्म, तीन तो सत्ता जातिके समवाय सम्बन्धवाले हैं । शेष सामान्य, विशेष, समवायोंमें गौणरूपसे अस्ति शब्दका प्रयोग माना गया । उसी प्रकार शब्दके गौण अर्थका आश्रय कर मंच शब्द कहा गया है । वादीद्वारा उसके धर्मका अपरोप कथन करनेपर पुनः प्रतिवादीद्वारा शब्दके प्रधान अर्थका आश्रय कर उस अर्थका निषेध किया जा रहा है कि मच्चान तो नहीं गा रहे हैं । किन्तु मच्चानोंपर बैठे हुये मनुष्य गा रहे हैं । तिस कारण लक्षण सूत्रका अर्थ करके यह उपचारछल समझ लेना चाहिये । गौतमश्रुतिका इस प्रकार वचन है कि धर्मके विकल्पका कथन करनेपर अर्थके सद्भावका प्रतिषेध कर देना उपचारछल है ।

का पुनरत्रार्थविकल्पोपपत्तिर्यथा वचनविधातश्छलमिति, अन्यथा प्रयुक्तस्याभि-  
धानस्यान्यथार्थपरिकल्पनं । भवत्या हि प्रयोगोऽयं मंचाः क्रोशतीति तात्स्थ्याचच्छब्दो-



पचारात् प्राधान्येन तस्य परिकल्पनं कृत्वा परेण प्रत्यवस्थानं विधीयते । कः पुनरुपचारो नाम ? साहचर्यादिना निमित्तेन तदभावेऽपि तद्वदभिधानमुपचारः ।

न्याय माध्यकार यों ऊहापोह कर रहे हैं कि यहां उपचार छठमें फिर अर्थ विकल्पकी उपपत्ति क्या है ? जिससे कि वचनका विघात होकर यह छठ समझा जाय । अर्थात्—“वचनविघातोऽर्थविकल्पोपपत्त्या छठं ” यह छठका सामान्य लक्षण है । उपचार छठमें अर्थविकल्पकी उपपत्तिसे आदीके वचनका विघात होना यह सामान्य कथन अग्रदश घटित होना चाहिये ! इसका उत्तर न्यायमाध्यकार स्वयं यों कहते हैं कि अन्य प्रकारों करके प्रयुक्त किये गये शब्दका दूसरे भिन्न प्रकारसे अर्थकी परिकल्पना करना अर्थ विकल्पोपपत्ति है । जब कि मंचान गा रहे हैं, यह प्रयोग गौणरूपसे किया गया है । क्योंकि तत्र स्थितमें तत्को कहनेवाले शब्दका उपचार है । “ तास्थानाच्छब्दं ” । जैसे कि सहारनपुरमें स्थित हो रहे झुण्डण्ड (पौंडा) में सहारनपुरपन धर्मकी कल्पना कर ली जाती है, इस प्रकार गौण अर्थमें शब्दोंकी लोकप्रसिद्धि होनेपर प्रधानपन करके उस अर्थकी सब ओरसे कल्पना कर दूसरे कपटी प्रतिवादी द्वारा दोष उत्थापन किया जा रहा है । पुनः न्यायमाध्यकारके प्रति किसीका प्रश्न है कि उपचार छठमें उपचारका अर्थ क्या है ? बताओ । उसका उत्तर वे देते हैं कि सहचारीपन, कारणता, क्रूरता, शूरता, चंचलता आदि निमित्तों करके उससे रहित अर्थमें भी प्रयोजनवश उसवाक्यका कथन करना उपचार है । निमित्त और प्रयोजनके अर्थात् उपचार प्रवर्तता है । मंचा क्रोशन्ति, यहां सहचारी होनेसे मंचस्यको मंच कह दिया जाता है । “ अन्नं वै प्राणाः ” प्राणके कारण अन्नको प्राण कह दिया जाता है । धनं प्राणा प्राणके कारण अन्न और अन्नके कारण धनको उपचरितोपचारसे प्राण मान लिया जाता है । “ पुरुषः सिंह ” क्रूरता, शूरताके निमित्तसे मनुष्यमें सिंहपनेका उपचार हो जाता है । चंचल वक्त्रको अग्नि कह दिया जाता है । अग्निर्माणवकः । ऐसे उपचारको विषय करनेवाला छठ उपचारछठ है ।

यद्येवं वाक्छळादुपचारछठं न भिद्यते अर्थात्तरकल्पनाया अविशेषात् । इहापि हि स्थान्यर्थो गुणशब्दः प्रधानशब्दः स्थानार्थ इति कल्पयित्वा प्रतिपिध्यते नान्यथेति । नैतत्सारं । अर्थात्तरकल्पनातोर्थसद्भावप्रतिषेधस्यान्यथात्वात्, किंचित्साधर्म्यात्तयोरेकत्वे वा त्रयाणामपि छलानामेकत्वप्रसंगः ।

न्यायमाध्यकारके ऊपर किसीका आक्षेप है कि यदि आप इस प्रकार मानेंगे तब तो वाक्छठसे उपचार छठका कोई भेद नहीं ठहर पायगा । क्योंकि अन्य अर्थकी कल्पना करना दोनोंमें एकही है । कोई विशेषता नहीं है । अर्थात्—वाक्छठमें भी प्रतिवादी द्वारा अर्थात्तरकी कल्पना की गयी है । और उपचार छठमें भी प्रतिवादीने अन्य प्रकारसे दूसरे अर्थकी कल्पना कर दोष उठाया है । देखिये मंचान गा रहे हैं । यहां भी मञ्च शब्दका

स्थानी ( आधेय पुरुष ) अर्थ गौण है और स्थान अर्थ ( अधिकारण ) प्रधान है । इस प्रधान अर्थ प्रतिपादक शब्दकी कल्पना कर प्रतियादी द्वारा प्रतिषेध किया जा रहा है । अन्य प्रकारसे तो निषेध हो नहीं सकता था, वहां भी नव शब्दका दूसरा अर्थ नौ संख्यावाळा प्रतिवादीद्वारा किया गया है । दोनोंमें इस एक प्रकारके अतिरिक्त कोई दूसरा प्रकार नहीं है । इस कारण दोनों छठोंमें कोई भेद नहीं है । अब वात्स्यायन ऋषि गौतमसूत्र अनुसार उत्तर कहते हैं कि यह आक्षेप तो निःसार है । “ न तदर्थान्तरभावात् ” उस अर्थसद्भावके प्रतिषेधका पृथग्भाव है । इसका अर्थ यों है कि अर्थान्तरकी कल्पना करनास्वरूप वाक्छब्दसे अर्थके सद्भावका प्रतिषेध कर देना स्वरूप उपचारछब्दको विभिन्न प्रकारपना है । दोनों छठोंका प्रयोजक धर्म न्यारा न्यारा है । गौतमऋषि कहते हैं कि “ अविशेषे वा किञ्चित्साधर्म्यदिकच्छब्दप्रसंगः ” कुछ थोड़ेसे समान धर्मापनसे यदि उन वाक्छब्द और उपचार छब्दको एकपना अर्थात् किया जायगा, तब तो तीनों भी छठोंके एकपनका प्रसंग हो जावेगा । तथा मुख और चन्द्रमा या हंसी और कीर्ति एवं गो और गवय इनका भी कई समान धर्मोंके मिळ जानेसे अभेद हो जावेगा । सादृश्य और तादात्म्य में तो महान् अन्तर है ।

अथ वाक्छब्दसामान्यछलयोः किञ्चित्साधर्म्यं सदपि द्वित्वं न निवर्तयति, तर्हि तयोरुपचारछलस्य च किञ्चित्साधर्म्यं विद्यमानमपि त्रित्वं तेषां न निवर्तयिष्यति, वचनविधातस्यार्थविकल्पोपपरया त्रिष्वपि भावात् । ततोऽन्यदेव वाक्छब्दादुपचारछलं । तदपि परस्य पराजयायावकल्पते यथावक्त्रभिप्रायमप्रतिषेधात् । शब्दस्य हि प्रयोगो लोके प्रधानभावेन गुणभावेन च प्रसिद्धः । तत्र यदि वक्तुर्गुणभूतार्थोऽभिप्रेतस्तदा तस्यानुज्ञानं प्रतिषेधो वा विधीयते, प्रधानभूतश्चेत्स्यानुज्ञानप्रतिषेधो कर्तव्यो प्रतिवादिना न उन्दत इति न्यायः । यदात्र गौणमात्रं वक्ताभिप्रेति प्रधानभूतं तु तं परिकल्प्य परः प्रतिषेधति तदा तेन स्वमनीषा प्रतिषिद्धा स्यान्न परस्याभिप्राय इति न तस्यायमपार्थक्यं स्यात् । तदनुपार्थक्यभाषासौ पराजीयते तदुपार्थक्यभाषापरिज्ञानादिति नैयायिका मन्यन्ते ।

अब भी नैयायिकोंके सिद्धान्तका ही अनुवाद किया जा रहा है कि वाक्छब्द और सामान्यछब्द इन दोनोंमें कुछ समानधर्मापन यद्यपि विद्यमान है, तो भी वह उनके दोपनकी निवृत्ति नहीं करा पता है । इस प्रकार किसीका प्रश्न होनेपर हम नैयायिक उत्तर देंगे कि तब तो उन सामान्य छब्द, वाक्छब्द, और उपचारछब्दका कुछ कुछ सधर्मापन विद्यमान हो रहा भी उन छठोंके तीनपनकी निवृत्ति नहीं करा सकेगा । अर्थविकल्पकी उपपत्तिसे वादीप्रतिपादित वचनका विधात, इस छठोंके सामान्य लक्षणका भेद ही तीनों भी छठोंमें सद्भाव पाया जाता है, “प्रमिति करणं प्रमाणं” । इस सामान्य लक्षणके सम्पूर्ण प्रमाणके भेद प्रमेदोंमें घटित हो जानेपर ही प्रत्यक्ष, अनुमान या

पचारात् प्राधान्येन तस्य परिकल्पनं कृत्वा परेण प्रत्यवस्थानं विधीयते । कः पुनरुपचारो नाम ? साहचर्यादिना निमित्तेन तदभावेऽपि तद्वदभिधानमुपचारः ।

न्याय माध्यकार यों ऊहापोह कर रहे हैं कि यहां उपचार छलमें फिर अर्थ विकल्पकी उपपत्ति क्या है ? जिससे कि वचनका विघात होकर यह छल समझा जाय । अर्थात्—“वचनविघातोऽर्थविकल्पोपपत्त्या छलं ” यह छलका सामान्य लक्षण है । उपचार छलमें अर्थविकल्पकी उपपत्तिसे वार्तिके वचनका विघात होना यह सामान्य कथन अत्यन्त घटित होना चाहिये ! इसका उत्तर न्यायमाध्यकार स्वयं यों कहते हैं कि अन्य प्रकारों करके प्रयुक्त किये गये शब्दका दूसरे मूल प्रकारोंसे अर्थकी परिकल्पना करना अर्थ विकल्पोपपत्ति है । जब कि मंचान गा रहे हैं, यह प्रयोग गौणरूपसे किया गया है । क्योंकि तत्र स्थितमें तत्को कहनेवाले शब्दका उपचार है । “ तात्स्थान्ताच्छब्दं ” । जैसे कि सहारनपुरमें स्थित हो रहे इन्दुदण्ड (पौंडा) में सहारनपुरपन धर्मकी कल्पना कर ली जाती है, इस प्रकार गौण अर्थोंमें शब्दोंकी लोकप्रसिद्धि होनेपर प्रधानपन करके उस अर्थकी सत्र ओरसे कल्पना कर दूसरे कपटी प्रतिवादी द्वारा दोष उत्थापन किया जा रहा है । पुनः न्यायमाध्यकारके प्रति किसीका प्रश्न है कि उपचार छलमें उपचारका अर्थ क्या है ? बताओ । उसका उत्तर वे देते हैं कि सहचारीपन, कारणता, क्रूरता, शूरता, चंचलता आदि निमित्तों करके उससे रहित अर्थमें भी प्रयोजनवश उसवालेका कथन करना उपचार है । निमित्त और प्रयोजनके अर्थात् उपचार प्रवर्तता है । मंचाः क्रोशन्ति, यहां सहचारी होनेसे मंचस्पको मंच कह दिया जाता है । “ अन्नं वै प्राणाः ” प्राणके कारण अन्नको प्राण कह दिया जाता है । धनं प्राणाः प्राणके कारण अन्न और अन्नके कारण धनको उपचरितोपचारसे प्राण मान लिया जाता है । “ पुरुषः सिंहः ” क्रूरता, शूरताके निमित्तसे मनुष्यमें सिंहपनेका उपचार हो जाता है । चंचल पक्षको अग्नि कह दिया जाता है । अग्निर्माणवकः । ऐसे उपचारको विषय करनेवाला छल उपचारछल है ।

यद्येवं वाक्छलादुपचारछलं न भिद्यते अर्थान्तरकल्पनाया अविशेषात् । इहापि हि स्थान्यर्थो गुणशब्दः प्रधानशब्दः स्थानार्थ इति कल्पयित्वा प्रतिपिच्यते नान्यथेति । नैतत्सारं । अर्थान्तरकल्पनातोर्यसद्भावप्रतिषेधस्यान्यथात्वात्, किंचित्साधर्म्याचयोरैकत्वे वा त्रयाणामपि छलानामेकत्वप्रसंगः ।

न्यायमाध्यकारके ऊपर किसीका आक्षेप है कि यदि आप इस प्रकार मानेंगे तब तो वाक्छलसे उपचार छलका कोई भेद नहीं ठहर पायगा । क्योंकि अन्य अर्थकी कल्पना करना दोनोंमें एकही है । कोई विशेषता नहीं है । अर्थात्—वाक्छलमें भी प्रतिवादी द्वारा अर्थान्तरकी कल्पना की गयी है । और उपचार छलमें भी प्रतिवादने अन्य प्रकारसे दूसरे अर्थकी कल्पना कर दोष उठाया है । देखिये मंचान गा रहे हैं । यहां भी मञ्च शब्दका

स्थानी ( आधेय पुरुष ) अर्थ गौण है और स्थान अर्थ ( अधिकरण ) प्रधान है । इस प्रधान अर्थ प्रतिपादक शब्दकी कल्पना कर प्रतिवादी द्वारा प्रतिषेध किया जा रहा है । अन्य प्रकारसे तो निषेध हो नहीं सकता था, वहां भी नव शब्दका दूसरा अर्थ नौ संख्यावाळा प्रतिवादीद्वारा किया गया है । दोनोंमें इस एक प्रकारके अतिरिक्त कोई दूसरा प्रकार नहीं है । इस कारण दोनों छठोंमें कोई भेद नहीं है । अब वाक्यायन ऋषि गौतमसूत्र अनुसार उत्तर कहते हैं कि यह आक्षेप तो निःसार है । “ न तदर्थान्तरभावात् ” उस अर्थसद्भावके प्रतिषेधका पृथग्भाव है । इसका अर्थ यों है कि अर्थान्तरकी कल्पना करनास्वरूप वाक्छब्दसे अर्थके सद्भावका प्रतिषेध कर देना स्वरूप उपचारछब्दको विभिन्न प्रकारपना है । दोनों छठोंका प्रयोजक धर्म न्वारा न्वारा है । गौतमऋषि कहते हैं कि “ अविशेषे वा किञ्चित्साधर्म्यदेकच्छब्दप्रसंगः ” कुछ थोड़ेसे समान धर्मापनसे यदि उन वाक्छब्द और उपचार छब्दको एकपना अर्थात् किया जायगा, तब तो तीनों भी छठोंके एकपनका प्रसंग हो जावेगा । तथा मुख और चन्द्रमा या हंसी और कीर्ति एवं गौ और गवय इनका भी कई समान धर्मोंके मिळ जानेसे अभेद हो जावेगा । सादृश्य और तादात्म्य में तो महान् अन्तर है ।

अथ वाक्छब्दसामान्यछल्लयोः किञ्चित्साधर्म्यं सदापि द्वित्वं न निवर्तयति, तर्हि तयोरुपचारछल्लस्य च किञ्चित्साधर्म्यं विद्यमानमपि त्रित्वं तेषां न निवर्तयिष्यति, वचनविघातस्यार्थविकल्पोपपत्त्या त्रिष्वपि भावात् । ततोऽन्यदेव वाक्छब्दादुपचारछल्लं । तदपि परस्य पराजयायावकल्पते यथावक्त्रभिप्रायमप्रतिषेधात् । शब्दस्य हि प्रयोगो लोके प्रधानभावेन गुणभावेन च प्रसिद्धः । तत्र यदि वक्तृगुणभूतार्थोऽभिप्रेतस्तदा तस्यानुज्ञानं प्रतिषेधो वा विधीयते, प्रधानभूतश्चेत्स्यानुज्ञानप्रतिषेधो कर्तव्यो प्रतिवादिना न छन्दत इति न्यायः । यदात्र गौणमात्रं वक्ताभिप्रेति प्रधानभूतं तु तं परिकल्प्य परः प्रतिषेधति तदा तेन स्वमनीषा प्रतिषिद्धा स्यान्न परस्याभिप्राय इति न तस्यायमुपालंभः स्यात् । तदनुपालंभाच्चासौ पराजयीते तदुपालंभापरिज्ञानादिति नैयायिका मन्यन्ते ।

अब भी नैयायिकोंके सिद्धान्तका ही अनुवाद किया जा रहा है कि वाक्छब्द और सामान्य-छब्द इन दोनोंमें कुछ समानधर्मापन यद्यपि विद्यमान है, तो भी वह उनके दोपनकी निवृत्ति नहीं करा पता है । इस प्रकार किसीका प्रश्न होनेपर हम नैयायिक उत्तर देवेंगे कि तब तो उन सामान्य छब्द, वाक्छब्द, और उपचारछब्दका कुछ कुछ सधर्मापन विद्यमान हो रहा भी उन छठोंके तीनपनकी निवृत्ति नहीं करा सकेगा । अर्थविकल्पकी उपपत्तिसे वादीप्रतिपादित वचनका विघात, इस छठोंके सामान्य लक्षणका भङ्ग ही तीनों भी छठोंमें सद्भाव पाया जाता है, “प्रमिति करणं प्रमाणं” । इस सामान्य लक्षणके सम्पूर्ण प्रमाणके भेद प्रमेदोंमें घटित हो जानेपर ही प्रत्यक्ष, अनुमान या

इन्द्रियप्रत्यक्ष, मानसप्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान आदिमें प्रमाणविशेष लक्षणोंका समन्वय करनेपर उन विशेषोंका पृथग्भाव बन पाता है। तिस कारणसे सिद्ध होता है कि वाक्छलसे उपचारछल भिन्न ही है। किन्तु उक्त दो छलोंके समान प्रवृत्त किया गया वह उपचारछल भी दूसरे प्रतिवादीका पराजय करानेके लिये चारों ओरसे समर्थ हो जाता है, क्योंकि प्रतिवादीने वक्ताके अभिप्रायोंके अनुसार प्रतिषेध नहीं किया है। वक्तुःभिप्रायः वक्त्रभिप्रायः वक्त्रभिप्रायमनतिक्रम्य इति यथावक्त्रभिप्रायः (अव्ययीभाव) जब कि शब्दका प्रयोग करना लोकमें प्रधानभाव और गौणभाव दोनों प्रकारोंसे प्रसिद्ध हो रहा है, तो वहां वक्ताको यदि गौण अर्थ अभीष्ट हो रहा है, तब तो वही गौण अर्थका वादीके विचार अनुसार प्रतिवादीको स्वीकार करना चाहिये और उसी गौण अर्थका प्रतिवादीको प्रतिषेध करना उचित है। तथा वादीको शब्दका यदि प्रधानभूत अर्थ अभिप्रेत हो रहा है, तब उस प्रधान अर्थका ही प्रतिवादी करके अनुज्ञान और प्रतिषेध करना चाहिये, न छन्दतः, अपनी इच्छा अनुसार स्वच्छन्दतासे अनुज्ञान और प्रतिषेध नहीं करना चाहिये। यही न्याय मार्ग है। यहां प्रकरणमें जिस समय यका शब्दके केवल गौण अर्थको अभीष्ट कर रहा है, उस समय शब्दके प्रधानभूत हो रहे उस अर्थकी परिकल्पना कर यदि दूसरा प्रतिवादी प्रतिषेध करता है, तब तो समझिये कि उस प्रतिवादीने अपनी विचारशास्त्रिणी बुद्धिका ही प्रतिषेध कर डाला, यों समझा जायगा। इतनेसे दूसरे वादीके अभिप्रायका प्रतिषेध करना नहीं माना जा सकता है। अर्थात्—जो गौण अर्थके स्थानपर प्रधानभूत अर्थकी कल्पना करता है, वह अपनी बुद्धिके पीछे छल डेकर पडा है। इस कारण उस प्रतिवादीका वादीके ऊपर यह उल्लाहना नहीं हुआ। प्रत्युत प्रतिवादीके ऊपर ही उल्लाहना गिर पडा और वादीके ऊपर उपालम्भ होना नहीं बननेसे वह प्रतिवादी पराजित हो जाता है, क्योंकि प्रतिवादीको उस वादीके ऊपर उठाने योग्य उपालम्भोंका परिज्ञान नहीं है। इस प्रकार छलवादी नैयायिक स्वकीय दर्शन अनुसार मान रहे हैं। छल प्रकरणके आठ गौतमीय सूत्रोंपर किये गये वास्त्यायन भाष्यका अनुवाद श्री विद्यानन्द स्वामीने उक्त ग्रन्थ द्वारा प्रायः कह दिया है।

तदेतस्मिन् प्रयुक्ते स्यान्निग्रहो यदि कस्यचित् ।

तदा यौगो निगृह्येत प्रतिषेधात् प्रमादिकम् ॥ ३०५ ॥

मुख्यरूपतया शून्यवादिनं प्रति सर्वथा ।

तेन संब्यवहारेण प्रमादेरुपवर्णनात् ॥ ३०६ ॥

अब श्री आचार्यमहाराज छलोंका विशेषरूपसे तो खण्डन नहीं करते हैं। क्योंकि छल व्यवहार सबको अनिष्ट है। विशेषकर सिद्धान्त ग्रन्थमें तो छलप्रवृत्ति कथमपि नहीं होनी चाहिये।

अतः केवल नैयायिकोंके छल्लोंकी परीक्षा कर विशेष अभिमतको संक्षेपसे बताये देते हैं कि नैयायिकों का यह उक्त कथन भी विचार नहीं करनेपर तो रमणीय (सुन्दर) प्रतीत होता है, अन्यथा नहीं। हमको यहां नैयायिकोंके प्रति यह बतला देना है कि इस प्रकार प्रयुक्त किये जानेपर यानी गौण अर्थके अभिप्रेत होनेपर मुख्य अर्थके निषेधमात्रसे ही यदि किसी एक प्रतिवादीका निग्रह होना मान लिया जायगा, तब तो नैयायिक भी शून्यवादीके प्रति मुख्यरूपकरके प्रमाण, प्रमेय आदिका सर्वथा प्रतिषेध हो जानेका कटाक्ष कर देनेसे निग्रह प्राप्त हो जावेगा। क्योंकि कौकिक समीचीन व्यवहार करके प्रमाण, प्रमित आदि पदार्थोंको उस शून्यवादीने स्वीकार किया है। अर्थात्—संबन्धि यानी उपचारसे प्रमाण आदिक तत्त्वोंको माननेवाले शून्यवादीका प्रतिषेध यदि नैयायिक मुख्य प्रमाण आदिको मनवानेके लिये करते हैं। क्योंकि प्रमाण हेतु आदिको वस्तुनूत माने बिना साधन या दूषण देना नहीं बन सकता है, तो यह नैयायिकोंका छल है। ऐसी दशामें नैयायिकोंके छल-छक्षण अनुसार शून्यवादीकरके नैयायिकका निग्रह हो जाना चाहिये। यह स्वयं कुठाराघात हुआ। तत्रोपप्लववादिओंने भी विचार करनेके प्रथम प्रमाण आदि तत्त्वोंको मान लिया है।

सर्वथा शून्यतावादे प्रमाणादेर्विरुध्यते ।

ततो नायं सतां युक्त इत्यशून्यत्वसाधनात् ॥ ३०७ ॥

योगेन निग्रहः प्राप्यः स्वोपचारच्छलेपि चेत् ।

सिद्धः स्वपक्षसिद्धयैव परस्यायमसंशयम् ॥ ३०८ ॥

जब कि वाद करनेमें प्रमाण, प्रमाता, द्रव्य, गुण आदिका सभी प्रकारोंसे शून्यपना विरुद्ध पडता है, अर्थात्—जो उपचार और मुख्य सभी प्रकारोंसे प्रमाण, हेतु, वाचकपद, श्रावणप्रत्यक्ष, आदिको नहीं मानेगा, यह वादी शास्त्रार्थके लिये काहेको मुंह बायेगा। अतः सिद्ध है कि शून्यवादी उपचारसे प्रमाण आदिको स्वीकार करता है तो फिर नैयायिकोंको प्रमाण आदिका प्रतिषेध उसके प्रति मुख्यरूपसे नहीं करना चाहिये। किन्तु नैयायिक उक्त प्रकार दूषण दे रहे हैं। तिस कारण अशून्यपनेकी सिद्धि हो जानेसे यह नैयायिकोंके ऊपर छल उठाना तो सज्जनोंको समुचित नहीं है, और नैयायिकोंके ऊपर विचारे शून्यवादी निग्रह उठाने भी नहीं है। यदि “जैसा बोया जाता है, वैसा काटा जाता है” इस नीतिके अनुसार नैयायिक स्वके द्वारा उपचार छल प्रवृत्त हो जानेपर भी शून्यवादीकरके निग्रहको प्राप्त कर दिये जायेंगे, यानी नैयायिकोंकरके निग्रह प्राप्त कर लिया जायगा, इस प्रकार कहनेपर तो हमारा वही पूर्वका सिद्धान्त प्रसिद्ध हो गया कि अपने पक्षकी भङ्गे प्रकार सिद्धि कर देनेसे ही दूसरे प्रतिवादीका पराजय होता है। यह राक्षान्त संशय रहित होकर सिद्ध हो जाता है, तभी तो शून्यवादीका पक्ष पुष्ट हो चुकनेपर उस नैयायिकका निग्रह

क्रिया । हा, छळ या निग्रहस्थान दोष अवश्य है । किन्तु पराजय करानेके लिये पर्याप्त नहीं । थोड़ीसी पेटकी पीडा गुद्रेरी, कुंझी, काणापन ये दोष साक्षात् मृत्युके कारण नहीं है । ताम्र शलाघात, सनिपात, शूल, हृद्गतिका रुकना आदिसे ही मृत्यु होना संभव है । अतः जय और पराजयकी व्यवस्था देनेके लिये बड़े विचारसे काम लेना चाहिये । इसमें जीवन, मरणके प्रश्न समान अनेक पुरुषोंका कल्याण और अकल्याण सम्बन्धित हो रहा है । अतः स्वपक्षसिद्धि और परपक्ष निराकरणसे ही जयव्यवस्था माननी चाहिये । अन्यको जयका प्रधान उपाय नहीं मानो ! छोटे दोषोंको महान् दोषोंमें नहीं गिनना चाहिये ।

अथ जानिं विचारयितुमारभते ।

यहांतक आचार्य महाराजने नैयायिकोंके छळप्रकरणकी परीक्षा कर दी है । अब असत् उत्तरस्वरूप जातियोंका विचार करनेके लिये ग्रन्थकार विशेष प्रकरणका प्रारम्भ करते हैं । नित्य होकर अनेक द्रव्य, गुण, या कर्मोंमें समवाय संबंधसे वर्तनेवाली सामान्यस्वरूप जाति ग्यारी है । यह जाति तो दोष है ।

स्वसाध्यादविनाभावलक्षणे साधने स्थिते ।

जननं यत्प्रसंगस्य सा जातिः कैश्चिदीरिता ॥ ३०९ ॥

अपने साध्यके साथ अविनाभाव रखना इस हेतुके लक्षणसे युक्त हो रहे ज्ञापक साधनके व्यवस्थित हो जानेपर जो पुनः प्रसंग उत्पन्न करना है, यानी वादीके ऊपर प्रतिवादी द्वारा दूषण कथन करना है, उसको किन्हीं नैयायिकोंने जाति कहा है । ईरिता शब्दसे यह प्दानि निकलती है, कि जातिकी योग्यता नहीं होनेपर भी बलात्कारसे उसको जाति मनवानेकी नैयायिकोंने प्रेरणा की है । किन्तु बलात्कारसे कराये गये असमंजस कार्य अथिक्त कालतक स्थायी नहीं होते हैं ।

“ मयुक्ते हेतौ यः प्रसंगो जायते सा जातिः ” इति वचनात् ।

“ साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः ” इस गौतमसूत्रके माध्यमे वात्स्यायनने यों कथन किया है कि हेतुका प्रयोग करचुकनेपर जो प्रतिवादीद्वारा प्रसंग जना जाता है, वह जाति है । दिवादि गणकी “ जनी प्रादुर्भावे ” धातुसे भावमें कि प्रत्यय करनेपर जाति शब्द बनता है । अतः कुछ उपपदोंका अर्थ लगाकर निरुक्ति करनेसे जाति शब्दका यथार्थ नामा अर्थ निकल आता है । शब्दकी निरुक्तिसे ही लक्षणस्वरूप अर्थ निकल आवे, यह श्रेष्ठ मार्ग है ।

कः पुनः प्रसंग ! इत्याह ।

किष्ठी शिष्यका मन्त्र है कि माध्यकारद्वारा कहे गये जातिके लक्षणमें पडे हुये प्रसंग शब्दका यहां फिर क्या अर्थ है ! ऐसी भ्रिज्ञास होनेपर श्री विद्यानंदस्वामी वार्त्तिकद्वारा समाधानको कहते हैं ।

**प्रसंगः प्रत्यवस्थानं साधर्म्येणतरेण वा ।**

**वैधर्म्योक्तेऽन्यथोक्ते च साधने स्याद्यथाक्रमम् ॥ ३१०॥**

व्यायभाष्यमें यों लिखा है कि " स च प्रसंगः साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानमुपाळम्भः प्रतिषेध इति उदाहरणसाधर्म्यात् साध्यसाधनं हेतुरित्यस्योदाहरणसाधर्म्येण प्रत्यवस्थानं । उदाहरणवैधर्म्यात् साध्यसाधनं हेतुरित्यस्योदाहरणं वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानम् । प्रत्यनीकभावः उजायमानोऽर्थो जातिरिति " तदनुसार प्रसंगका अर्थ यह है कि उदाहरणके वैधर्म्यसे साध्यको साधनेवाले हेतुका कथन करचुकने पर पुनः प्रतिवादीद्वारा साधर्म्यकरके प्रतिषेध देना यानी दूषण उठाना प्रसंग है । अथवा अन्य प्रकार यानी उदाहरणका साधर्म्य दिखाकर हेतुका कथन करचुकनेपर पुनः प्रतिवादीद्वारा वैधर्म्यकरके प्रत्यवस्थान ( उल्लाहना ) देना प्रसंग है, यथाक्रमसे ये दो ढंग प्रसंगके हैं ।

उदाहरणवैधर्म्योक्ते साधने साधर्म्येण प्रत्यवस्थानमुदाहरणसाधर्म्येणोक्ते वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानमुपाळम्भः प्रतिषेधः प्रसंग इति विज्ञेयं " साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः " इति वचनात् ।

इसका तात्पर्य यों समझ लेना चाहिये किं वादीद्वारा व्यतिरेकदृष्टान्तरूप उदाहरणके विधर्मापनकरके ज्ञापकहेतुका कथन करचुकनेपर प्रतिवादीद्वारा साधर्म्यकरके प्रतिषेध किया जाना प्रसंग है और वादीद्वारा अन्यदृष्टान्तरूप उदाहरणके समानधर्मापनकरके ज्ञापकहेतुका कथन किये जाने पर पुनः प्रतिवादीद्वारा विधर्मापनकरके प्रत्यवस्थान यानी उल्लाहना देना, अर्थात्—वादीके कहे गयेका प्रतिषेध कर देना भी प्रसंग है । गौतम सूत्रमें जातिका मूळ वृक्षण साधर्म्य और वैधर्म्य करके उल्लाहना उठाना जाति है, यों कहा गया है ।

**एतदेवाह**

इस ही सूत्र और भाष्यका अनुवाद करते हुये श्री विद्यानन्द आचार्य उक्त कथनको ही वार्तिकों द्वारा उनकी परिभाषामें कहते हैं ।

**उदाहरणसाधर्म्यात्साध्यस्यार्थस्य साधनं ।**

**हेतुस्तस्मिन् प्रयुक्तेन्यो यदा प्रत्यवतिष्ठते ॥ ३११ ॥**

**उदाहरणवैधर्म्यात्तत्र व्याप्तिप्रखंडयत् ।**

**तदासौ जातिवादी स्यादूपणाभासवाक्ततः ॥ ३१२ ॥**

साध्य अर्थका साधन करनेवाला हेतु ही है । उदाहरणके धर्मापनसे उस हेतुका प्रयोग किये जानेपर जिस समय अन्य प्रतिवादी उस अनुमानके हेतुमें व्याप्तिका उपहन नहीं कराता



हुआ यदि उदाहरणके वैधर्म्यसे जब उलाहना उठा रहा है, उस समय वह असत् उत्तरको कहने याळा जातिवादी कहा जावेगा, जब कि वह वादीके कहे गये हेतुका प्रत्याख्यान नहीं कर सका है, तिस कारणसे उस प्रतिवादीके वचन दूषणमास हैं। अर्थात्—वस्तुतः दूषण नहीं होकर दूषण सटका दीख रहे हैं। प्रतिवादीको समीचीन दूषण उठाना चाहिये, जिससे कि वादीके पक्षका या हेतुका खण्डन हो जाय। जब वादीका हेतु अक्षुण्ण बना रहा तो प्रतिवादीका दोष उठाना कुछ भी नहीं। किसी कविने अच्छा कहा है “ किं कवेस्तस्य काव्येन किं काण्डेन धनुष्मतः, परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः” उस कविके काव्यसे क्या ! और उस धनुषधारीके बाण करके क्या ! जो कि दूसरेके हृदयमें प्रविष्ट हो कर आनन्द और वेदनासे उसके शिरको नहीं घुमा देवे। मधुपीके शिर समान आनन्द या दुःखमें शिरका हिलोरें लेना घूर्णना कही जाती है। प्रत्युत कहीं कहीं ऐसे दोषामास गुणस्वरूप हो जाते हैं। जैसे कि चन्द्रप्रम चरित काव्यमें लिखा है कि “ स यत्र दोषः परमेव वेदिका शिरः शिखाशायिनि मानभञ्जने, पतखुल्ले कूजति यन्न जानते रसं स्वकान्तात्पुनयस्य कामिनः ॥ १ ॥ तथा अमरसिंहो हि पापीयान् सर्वं माध्यमचूचुरत् ” अमरकोपको बनानेवाळा अमरसिंह बड़ा मारी पापी था, जो कि सम्पूर्ण माध्य आदि महान् ग्रन्थोंको चुरा बैठा, यह व्याज निन्दा है। जिससे कि बहुतसे गुण व्यक्त हो जाते हैं। दूषणामासोंसे कोई यथार्थमें दूषित नहीं हो सकता है।

तथोदाहृतिवैधर्म्यात्साध्यस्यार्थस्य साधनं ।

हेतुस्तस्मिन् प्रयुक्तेपि परस्य प्रत्यवस्थितिः ॥ ३१३ ॥

साधर्म्येणेह दृष्टान्ते दूषणाभासवादिनः ।

जायमाना भवेज्जातिरित्यन्वर्थे प्रवक्ष्यते ॥ ३१४ ॥

तथा उदाहरणके वैधर्म्यसे साध्य अर्थको साधनेवाळा हेतु होता है। वादीद्वारा उस हेतुके भी प्रयुक्त किये जानेपर दूसरे प्रतिवादीके द्वारा दृष्टान्तमें साधर्म्यकरके जो यहाँ प्रत्यवस्थान देना है, वह दूषणामासको कहनेवाले प्रतिवादीकी प्रसंगको उपजा रही जाती होगी। इस प्रकार जाति शब्दका निरुक्तिद्वारा घास्वर्थ अनुसार अर्थ करनेपर मझे प्रकार उक्त लक्षण कह दिया जावेगा। अतः असत् उत्तरको कहनेवाले जातिवादी प्रतिवादीका पराजय हो जाता है। और समीचीन को कहनेवाले वादीकी जीत हो जाती है।

उद्योतकरस्त्वाह—जातिर्नामस्थापनाहेतौ प्रयुक्ते यः प्रतिषेधासमर्थो हेतुरिति सोपि प्रसंगस्य परपक्षप्रतिषेधार्थस्य हेतोर्जननं जातिरित्यन्वर्थसंज्ञामेव जातिं व्याचष्टेऽन्यथा न्यायमाप्यविरोधात् ।

उद्योतकर पण्डित तो इस प्रकार कहते हैं कि मठा जातिका लक्षण तो इस नामसे ही निकल पडता है । अपने पक्षकी स्थापना करनेवाले हेतुके वादीद्वारा प्रयुक्त किये जानेपर पुनः प्रतिवादीद्वारा जो उस पक्षका प्रतिषेध करनेमें नहीं समर्थ हो रहा हेतुका उपजाया जाना है, वह जाति कही जाती है । अब आचार्य कहते हैं कि यों कह रहा वह उद्योतकर पण्डित भी प्रसंगका यानी परपक्षका निषेध करनेके लिये कहे गये हेतुका उपजना जाति है, इस प्रकार यौगिक अर्थके अनुसार अन्वर्थ नाम संकीर्तनको धारनेवादी जातिका ही वखान कर रहा है । अन्यथा न्यायमाध्य प्रत्यसे विरोध हो जावेगा । अर्थात्—दूसरे रूढि या योगरूढि अर्थ अनुसार जातिसंज्ञा यदि मानी जायगी तो उद्योतकरके कथनका वास्त्यायनके कथनसे विरोध पड़ेगा ।

कथमेवं जातिबहुत्वं कल्पनीयमित्याह ।

कोई जातिवादी नैयायिकोंके प्रति प्रश्न उठाता है कि जब साधर्म्य और वैधर्म्यकरके दूषण उठानारूप जाति एक ही है तो फिर इस प्रकार जातिका बहुतपना यानी चौबीस संख्यायें किस प्रकारसे कल्पना कर ली जावेगी ? प्रयत्नके बिना ही लोकमें जातिका एकपना प्रसिद्ध हो रहा है । जैसे कि गेहूं, चना, गाय, घोडा, आदि जातिवाचक शब्द एकवचन है । इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर नैयायिकोंके उत्तरका अनुवाद करते हुए श्री विद्यानन्दस्वामी अब समाधानको कहते हैं ।

सधर्मत्वविधर्मत्वप्रत्यवस्थाविकल्पतः ।

कल्प्यं जातिबहुत्वं स्याद्यासतोऽनंतशः सताम् ॥ ३१५ ॥

समानधर्मापन और विधर्मापन करके हुये दोष प्रसंगके विकल्पसे जातियोंका बहुतपना कल्पित कर लिया जाता है । अधिक विस्तारकी अपेक्षासे तो सज्जनोंके यहां जातियोंके अनन्तवार विकल्प किये जा सकते हैं । जैनोंके यहां भी अधिक प्रमेदोंकी विवक्षा होनेपर पदार्थोंके संख्यात, असंख्यात और अनन्त मेद हो जाते हैं । गौतम सूत्रमें कहा है कि " तद्विकल्पाजातिनिग्रहस्थानबहुत्वम् " यहां तद्व पदसे " साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः " " विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम् " इन जाति और निग्रहस्थानके लक्षणोंका परामर्श हो जाता है । अतः उक्त अर्थ निकल आता है ।

यथा विपर्ययज्ञानानज्ञाननिग्रहभेदतः ।

बहुत्वं निग्रहस्थानस्योक्तं पूर्वं सुविस्तरम् ॥ ३१६ ॥

तत्र ह्यप्रतिभाज्ञानाननुभाषणपर्यन्तु— ।

योज्योपेक्षणविक्षेपा लभन्तेऽप्रतिपत्तिताम् ॥ ३१७ ॥

शेषा विप्रतिपत्तित्वं प्राप्नुवन्ति समासतः ।

तद्विभिन्नस्वभावस्य निग्रहस्थानमीक्षणात् ॥ ३१८ ॥

जिस प्रकार कि विप्रतिपत्ति यानी विपर्ययज्ञान और अप्रतिपत्ति यानी अज्ञानस्वरूप निग्रह-  
हकोके भेदसे निग्रहस्थानोंका बहुतपना पूर्व प्रकरणोंमें बहुत अच्छा विस्तार पूर्वक कह दिया गया है ।  
अनेक कल्पनाएँ करना अथवा अनेक प्रकारकी कल्पना करना यहां विकल्प समझा जाता है । न्याय  
भाष्यकार कहते हैं कि उन निग्रहस्थानोंमें अप्रतिमा, अज्ञान, अननुभाषण, पर्यनुयोःपोषेण,  
विक्षेप, मतानुज्ञा ये निग्रहस्थान तो अप्रतिपत्तिपनको प्राप्त हो रहे हैं । अर्थात्—आरम्भके अवसरपर  
प्रारंभ नहीं करना या दूसरे विद्वान् करके स्थापित किये गये पक्षका प्रतिषेध नहीं करता है, अथवा  
प्रतिषेध किये जा चुकेका उद्धार नहीं करता है, इस प्रकारके अज्ञानसे अप्रतिमा आदिक निग्रह-  
स्थानोंका पात्र बनना पडता है । तथा शेष बचे द्रव्ये प्रतिज्ञाज्ञानि, आदिक निग्रहस्थान तो विपरीत  
अथवा वृत्तित प्रतिपत्ति होना रूप विप्रतिपत्तिपनको प्राप्त हो जाते हैं । संक्षेपसे विचार किये जाने-  
पर उन विप्रतिपत्ति और अविप्रतिपत्ति इन दो निग्रहस्थानोंसे विभिन्न स्वभाववाले तीसरे निग्रह-  
स्थानका किसीको भी कर्मी आलोचन नहीं होता है । हां, विस्तारसे भेदकथन करनेकी अपेक्षा  
तो अनेक निग्रहस्थानोंका विभाग किया जा सकता है । निग्रहस्थानका अर्थ पराजय प्रयोजक वस्तु  
या अपराधोंकी प्राप्ति हो जाना है । प्रतिज्ञा आदिक अवयवोंका अवलम्ब लेकर तत्त्ववादी और  
अतत्त्ववादी पण्डित परस्परमें वाद करते हैं । झुटि हो जानेपर पराजयको प्राप्त हो जाते हैं ।

तत्रातिविस्तरेणानंतजातयो न शक्या वक्तुमिति विस्तरेण चतुर्विंशतिर्जावियः  
भोक्ता इत्युपदर्शयति ।

जस जातिके प्रकरणमें यह कहना है कि अत्यन्त विस्तार करके तो जसव उचर स्वरूप  
अनन्त जातिया हैं जो कि शब्दों द्वारा नहीं कही जा सकती हैं, हां मध्यम विस्तार करके वे जातियां  
चौबीस भेद प्रकार न्यायदर्शनमें कही हैं । इसी भाष्यकारकी बातको मन्थकार अग्रिम धार्मिक  
द्वारा प्रायः दिखलाते हैं ।

प्रयुक्ते स्थापनाहेतौ जातयः प्रतिषेधिकाः ।

चतुर्विंशतिरत्रोक्तास्ताः साधर्म्यसमादयः ॥ ३१९ ॥

प्रवृत्त साध्यकी स्थापना करनेके लिये बादी दास हेतुके प्रयुक्त किये जानेपर पुनः प्रतिवादी  
द्वारा प्रतिषेध करानेके कारण वे जातियां यहां साधर्म्यसमा, वैधर्म्यसमा आदिक चौबीस  
कहीं गयीं हैं ।

तथा चाह न्यायभाष्यकारः । साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानस्य विकल्पाज्जाति-  
बहुत्वमिति संक्षेपेणोक्तं, तद्विस्तरेण विभज्यते । ताश्च खल्विमा जातयः स्थापनाहेतौ  
प्रयुक्ते चतुर्विंशतिः प्रतिषेधहेतवः “ साधर्म्यवैधर्म्योत्कर्षापकर्षवर्ण्यावर्ण्यविकल्पसाध्यप्राप्त्य-  
प्राप्तिप्रसंगप्रतिदृष्टान्तानुत्पत्तिसंशयप्रकरणाहेत्वर्थापत्त्याविशेषोपपत्त्युपलब्ध्यनुपलब्धिनिवृत्त्यानि-  
त्यकार्यसमाः ” इति सूत्रकारवचनात् ।

और किसी प्रकार न्यायभाष्यको बनानेवाले वात्स्यायन ऋषि इसी बातको अपने शब्दोंसे  
न्यायभाष्यमें पंचम अध्यायके प्रारम्भमें यों कह रहे हैं कि साधर्म्य और वैधर्म्य करके हुये प्रत्यव-  
स्थानके भेदसे जातियोंका बहुत्व हो जाता है । इस प्रकार संक्षेपसे तो एक ही प्रत्यवस्थान रूप  
जाति कहा गया है, हां, उस साधर्म्य और वैधर्म्य करके हुये प्रत्यवस्थानके विस्तार कर देनेसे तो  
जातिके विभाग कर दिये जाते हैं । तथा वे जातियां निश्चय करके स्थापना हेतुके प्रयुक्त किये जानेपर  
पुनः प्रतिषेधके कारण हो रहें ये वक्ष्यमाण चौबीस हैं । उनको गिनिये १ साधर्म्यसमा २ वैधर्म्यसमा  
३ उत्कर्षसमा ४ अपकर्षसमा ५ वर्ण्यसमा ६ अवर्ण्यसमा ७ विकल्पसमा ८ साध्यसमा ९ प्राप्तिसमा  
१० अप्राप्तिसमा ११ प्रसंगसमा १२ प्रतिदृष्टान्तसमा १३ अनुत्पत्तिमा १४ संशयसमा १५ प्रकरणसमा  
१६ अहेतुसमा १७ अर्थापत्तिसमा १८ अविशेषसमा १९ उपपत्तिसमा २० उपलब्धिसमा २१ अनुपलब्धि-  
समा २२ नित्यसमा २३ अनित्यसमा २४ कार्यसमा । इस प्रकार जातियोंके चौबीस भेद न्यायसूत्रोंको  
बनानेवाले गौतमऋषिने पांचवें अध्यायके आदिमें कहे हैं । इन जातियोंका लक्षणीय अर्थ यद्यपि निरु-  
क्तिसे लब्ध हो जाता है तो भी शिष्य बुद्धिवैशद्यार्थ गौतमऋषिने सूत्रोंमें न्यारे न्यारे लक्षण कहे हैं ।

यत्राविशिष्यमाणेन हेतुना प्रत्यवस्थितिः ।

साधर्म्येण समा जातिः सा साधर्म्यसमा मता ॥ ३२० ॥

निर्वक्तव्यास्तथा शेषास्ता वैधर्म्यसमादयः ।

लक्षणं पुनरेतासा यथोक्तमभिभाष्यते ॥ ३२१ ॥

भाष्यमें लिखा है कि “ साधर्म्येण प्रत्यवस्थानमाविशिष्यमाणं स्थापनाहेतुतः साधर्म्यसमः,  
अविशेषं तत्र तत्रोदाहरिष्यामः एवं वैधर्म्यसमप्रभृतयोऽपि निर्वक्तव्या ” जहां विशेषको नहीं प्राप्त  
किये गये हेतुकरके साधर्म्यद्वारा प्रत्यवस्थान दिया जाता है, वह नैपायिकोंके यहां साधर्म्यसमा-  
जाति मानी गयी है । तथा उसी प्रकार शेष बची हुई उन वैधर्म्यसमा, उत्कर्षसमा आदि जाति-  
योंकी भी शब्दोंद्वारा निरुक्ति कर लेना चाहिये । हां, फिर इन साधर्म्यसमा आदिक जातियोंका न्याय-  
दर्शन अन्यके शतसंख्ये कहा गया लक्षण तो यथावसर ठीक ढंगसे भाषण कर दिया जाता है ।

अर्थात्—गौतमसूत्र और वात्स्यायनभाष्यके अनुसार जातिके सामान्य लक्षणको घटित करते हुये साधर्म्यसमा आदिका लक्षण अब बखाना जाता है ।

अत्र जातिषु या साधर्म्येण प्रत्यवस्थितिरविशिष्यमाणं स्थापनाहेतुतः साधर्म्यसमा जातिः । एवमविशिष्यमाणस्थापनाहेतुतो वैधर्म्येण प्रत्यवस्थितिः वैधर्म्यसमा । तयोत्कर्षादिभिः प्रत्यवस्थितयः उत्कर्षादिसमा इति निर्वक्तव्याः । लक्षणं तु यथोक्तमभिभाष्यते ।

इन जातियोंमें जो साधर्म्यकरके कह चुकनेपर प्रत्यवस्थान देना है, जो कि साध्यकी स्थापना करनेवाले हेतुसे विशिष्टपनेको नहीं रख रहा है, वह दूषण साधर्म्यसमा जाति है । इसी प्रकार वैधर्म्यसे उपसंहार करनेपर स्थापना हेतुसे विशिष्टपनको नहीं कर रहा, जो प्रत्यवस्थान देना है, वह वैधर्म्यसमा जाति है । तथा स्थापना हेतुओंसे उत्कर्ष, अपकर्ष, वर्ण्य, अवर्ण्य आदि करके जो प्रत्यवस्थान देने हैं, वे उत्कर्षसमा, अपकर्षसमा, आदिक जातियाँ हैं । इस प्रकार प्रकृति, प्रत्यय, आदि करके अर्थोंको निकालते हुए उक्त जातियोंकी निरुक्ति कर लेनी चाहिये । हाँ, इनका लक्षण तो नैयायिकोंके सिद्धांत अनुसार कहा गया उन उन प्रकरणोंमें भाष्य या विवरणसे परिपूर्ण कह दिया जावेगा । यहाँ “जाति” खोलिङ्ग शब्द विशेष्य दलमें पडा हुआ है । अतः समा शब्द खोलिङ्ग है, ऐसा कोई मान रहे हैं । भाष्यकार तो पुलिङ्ग “सम” शब्दको अच्छा समझ रहे हैं । जो कि घञ् प्रत्ययान्त प्रतिषेध शब्दके साथ विशेषण हो जाता है । समू शब्द और समा शब्द दोनोंका जसमें “समाः” बनता है अतः पंचम अध्यायके पहिले और चौथे सूत्रअनुसार सम और समा दोनों पुलिङ्ग और खोलिङ्ग शब्दोंकी कल्पना की जा सकती है । हाँ, अग्रिम लक्षणसूत्रोंमें तो पुलिङ्ग सम शब्द होनेका कोई विवाद नहीं रह जाता है । अर्थात्—आगेके सूत्रोंमें मूलग्रन्थकारने पुलिङ्ग सम शब्दका स्पष्ट प्रयोग किया है ।

तत्र ।

उन चौबीस जातियोंमें पहिली साधर्म्यसमा जातिका लक्षण तो इस प्रकार है । सो सुनिये ।

साधर्म्येणोपसंहारे तद्धर्मस्य विपर्ययात् ।

यस्तत्र दूषणाभासः स साधर्म्यसमो मतः ॥ ३२२ ॥

यथा क्रियाभृदात्मायं क्रियाहेतुगुणाश्रयात् ।

य ईदृक्षः स ईदृक्षो यथा लोष्ठस्तथा च सः ॥ ३२३ ॥

तस्मात्क्रियाभृदित्येवमुपसंहारभाषणे ।

कश्चिदाहाक्रियो जीवो विभुद्रव्यत्वतो यथा ॥ ३२४ ॥

व्योम तथा न विज्ञातो विशेषस्य प्रसाधकः ।

हेतुः पक्षद्वयेष्यस्ति ततोयं दोषसन्निभः ॥ ३२५ ॥

साध्यसाधनयोर्व्याप्तेर्विच्छेदस्यासमर्थनात् ।

तत्समर्थनतंत्रस्य दोषत्वेनोपवर्णनात् ॥ ३२६ ॥

गौतम सूत्र है कि “ साधर्म्यवैधर्म्याभ्यामुपसंहारं तद्धर्मविपर्ययोपपत्तेः साधर्म्यवैधर्म्यसमौ ” इस सूत्रमें साधर्म्यसमा और वैधर्म्यसमा दोनोंका लक्षण किया गया है । तिनमें साधर्म्यसमाका लक्षण यों है कि वादी द्वारा साधर्म्य करके हेतुका पक्षमें उपसंहार करचुकनेपर उस साध्यधर्मके विपर्यय धर्मकी उपपत्ति करनेसे जो वहां दूषणमास उठाया जाता है, वह साधर्म्यसम प्रतिषेध माना गया है । उसका उदाहरण यों समक्षिये कि यह आत्मा ( पक्ष ) हलन, चलन, आदि क्रियाओंको धारनेवाला है ( साध्य ), क्रियाओंके कारण हो रहे गुणोंका आश्रय होनेसे ( हेतु ) जो इस प्रकार होता हुआ क्रियाके हेतुमूल गुणोंका आधार है, वह इस प्रकारका क्रियावान् अवश्य है । जैसे कि फेंका जा रहा डेढ (अन्वय दृष्टान्त) और तिस प्रकारका क्रिया हेतु गुणाश्रय वह आत्मा है (उपनय) तिस कारणसे गमन भ्रमण, उत्पत्तन, आदि क्रियाओंको यह आत्मा धारण कर रहा है (निगमन) । डेढमें क्रियाका कारण संयोग, वेग या कहीं गुरुत्व ये गुण विद्यमान हैं और आत्मामें अदृष्ट ( धर्म अधर्म ) प्रयत्न, संयोग, ये गुण क्रियाके कारण वर्त रहे हैं । अतः आत्मामें उनका फल क्रिया होनी चाहिये । इस प्रकार उपसंहार कर वादीद्वारा समीचीन हेतुके कहे जानेपर कोई प्रतिवादी इसके विपर्ययमें यों कह रहा है कि जीव ( पक्ष ) क्रियारहित है ( साध्य ), व्यापकद्रव्यपना होनेसे ( हेतु ) जैसे कि आकाश ( अन्वयदृष्टान्त ) “ सर्वमूर्तद्रव्यसंबोगित्वं विमुक्तम् ” सम्पूर्ण पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन इन मूर्त द्रव्योंके साथ संयोग धरनेवाले पदार्थ व्यापक माने जाते हैं । जब कि आकाश विमुक्त है, अतः निष्क्रिय है, उसी प्रकार व्यापक आत्मा भी क्रियारहित है । जब कोई स्थान ही रीता नहीं बचा है तो व्यापक आत्मा मला क्रिया कहा करे ? क्रियाकी साधने वाले पहिले पक्ष और क्रियारहितपनको साधनेवाले दूसरे पक्ष इन दोनों में पक्षोंमें कोई विशेषता का अच्छा साधन करनेवाला हेतु तो नहीं जाना गया है । नैयायिक कहते हैं कि तिस कारणसे यह पिछला पक्ष वास्तुतः दोष नहीं होकर दोषके सदृश हो रहा दूषणमास है । क्योंकि यह पिछला कथन पहिले कहे गये साध्य और हेतुको व्याप्तिके विच्छेद करनेकी सामर्थ्यको नहीं रखता है । उस साध्य और साधनकी व्याप्तिके विच्छेदका समर्थन करना जिसके अधीन है, उसको लोक और शास्त्रमें दोषपने करके कहा गया है । अतः यह प्रतिवादीका कथन साधर्म्यसमा जाति-स्वरूप दोषमास है ।

नास्त्यात्मनः क्रियावच्चे साध्ये क्रियाहेतुगुणाश्रयत्वस्य साधनस्य - स्वसाध्येन व्याप्तिर्विश्रुत्वान्निष्क्रियत्वासिद्धौ विच्छिद्यते, न च तदविच्छेदे तद्दूषणत्वं साध्यसाधनयो-  
र्व्याप्तिविच्छेदसमर्थनतंत्रस्यैव दोषत्वेनोपवर्णनात् । तथा चोक्तं न्यायभाष्यकारेण-  
“ साधर्म्येणोपसंहारे साध्यधर्मविपर्ययोपपत्तेः साधर्म्येण प्रत्यवस्थानं साधर्म्यसमः प्रति-  
षेध ” इति । निदर्शनं, क्रियावानात्मा द्रव्यस्य क्रियाहेतुगुणयोगात् । द्रव्यं लोप्यः स च  
क्रियाहेतुगुणयुक्तः क्रियावांस्तथा चात्मा तस्मात्क्रियावानित्येवमुपसंहृत्य परः साधर्म्येणैव  
प्रत्यवतिष्ठते । निष्क्रिय आत्मा विश्रुतो द्रव्यस्य निष्क्रियत्वात् । विभवाकाशं निष्क्रियं तथा  
चात्मा तस्मान्निष्क्रिय इति । न चास्ति विशेषः क्रियावत्साधर्म्यात् क्रियावता भवितव्यं  
न पुनर्निष्क्रियसाधर्म्यात् अक्रियेणेति विशेषहेत्वभावात्साधर्म्यसमदूषणाभासो भवति ।

देखिये कि आत्माको क्रिया सहितपना साध्य करनेपर क्रियाहेतुगुणश्रयत्व हेतुकी अपने नियत  
साध्यके साथ जो व्याप्ति बन चुकी है, वह व्यापकपन हेतुसे आत्माका क्रियारहितपना साधनेपर  
दृष्ट ( नष्ट ) नहीं जाती है । और जबतक उस पहिली व्याप्तिका विच्छेद नहीं होगा तबतक वह  
उत्तरवर्ती कथन उस पूर्वकथनका दूषण नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि साथ और साधनकी  
व्याप्तिके विच्छेदका समर्थन करना जिसका अधांन कार्य है, उसको (का) दोषपने कच्चे निरूपण  
किया जाता है । और तिस ही प्रकार न्यायभाष्यको करनेवाले वात्स्यायन ऋषिने स्वकीय माध्यमें यों  
कहा है कि अन्यदृष्टान्तके साधर्म्य करके हेतुका पक्षमें उपसंहार करचुकनेपर पुनः प्रतिवादी  
द्वारा साध्यधर्मके विपरीत हो रहे धर्मकी उपपत्ति करनेसे साधर्म्य करके ही दूषण उठाना साधर्म्य-  
सम नामका प्रतिषेध है । इस साधर्म्यसमका उदाहरण यों है कि आत्मा ( पक्ष ) क्रियावान् है ।  
( साध्य ) द्रव्यके उचित क्रियाके हेतु गुणोंका समवाय संबन्धवाला होनेसे ( हेतु ) जैसे मिट्टीका  
डेल या कंकड़, पत्थर द्रव्य है । और वह क्रियाके हेतु गुणोंसे समवेत हो रहा संता क्रियावान्  
है । तिस ही प्रकार अदृष्ट या संयोग, प्रपल्ल इन क्रियाके हेतु हो रहे गुणोंको धारनेवाला  
आत्मा है । तिस कारणसे वह क्रियावान सिद्ध हो जाता है । इस प्रकार यों वादी पण्डित  
द्वारा उपसंहार कर चुकनेपर दूसरा प्रतिवादी साधर्म्यकरके ही यों दूषण उठा रहा है कि आत्मा-  
निष्क्रिय है । क्योंकि विमुद्रव्य क्रियारहित हुआ करते हैं । देखिये, व्यापक आकाश द्रव्य क्रिया-  
रहित है और तिस ही प्रकार व्यापक द्रव्य यह आत्मा है । तिस कारणसे आत्मा क्रियारहित है ।  
इस प्रकार उक्त दोनों सिद्धान्तोंमें कोई अन्तर नहीं है, जिससे कि क्रियावान् डेलके सद्वर्माण क्रिया-  
हेतुगुणाश्रयत्वसे आत्मा क्रियावान् तो हो जाय, किन्तु फिर क्रियारहित आकाशके साधर्म्य हो रहे  
विमुखसे निष्क्रिय नहीं हो सके । इस प्रकार कोई विशेष हेतुके नहीं होनेसे यह साधर्म्यसम नामक  
दूषणामास हो जाता है ।

अत्र वार्तिककार एवमाह—साधर्म्येणोपसंहारे तद्विपरीतसाधर्म्येणोपसंहारे तत्साधर्म्येण प्रत्यवस्थानं साधर्म्यसमः । यथा अनित्यः शब्द उत्पत्तिधर्मकत्वात् । उत्पत्तिधर्मकं कुंभाद्यनित्यं दृष्टमिति वादिनोपसंहृते परः प्रत्यवतिष्ठते । यद्यनित्यघटसाधर्म्यादयमनित्यो नित्येनाप्यस्याकाशेन साधर्म्यममूर्तत्वमस्तीति नित्यः प्राप्तः, तथा अनित्यः शब्द उत्पत्तिधर्मकत्वात् यत्पुनरनित्यं न भवति तन्नोत्पत्तिधर्मकं यथाकाशमिति प्रतिपादिते परः प्रत्यवतिष्ठते । यदि नित्याकाशवैधर्म्यादनित्यः शब्दस्तदा साधर्म्यमप्यस्याकाशेनास्त्यमूर्तत्वमतो नित्यः प्राप्तः । अथ सत्यप्येतस्मिन् साधर्म्यं न नित्यो भवति, न तर्हि वक्तव्यमनित्यघटसाधर्म्यान्नित्याकाशवैधर्म्याद्वा अनित्यः शब्द इति ।

साधर्म्यसमा जातिके विषयमें यही न्यायवार्तिकको बनानेवाले पण्डित गौतमसूत्रका अर्थ इस प्रकार कहते हैं कि अन्यव्य दृष्टताकी सामर्थ्यसे साधर्म्य करके उपसंहार करनेपर अथवा व्यतिरेक दृष्टान्तकी सामर्थ्यसे उस साध्यधर्मके विपरीत हो रहे अर्थका समानधर्मपिनकरके उपसंहार कर चुकनेपर पुनः प्रतिवादीद्वारा उस साधर्म्य करके दूषण उठाना साधर्म्यसम नामका प्रतिषेध है । जैसे कि शब्द ( पक्ष ) अनित्य है ( साध्य ) उत्पत्तिनामक धर्म को धारण करनेवाला होनेसे ( हेतु ) उत्पत्ति नामके धर्मको धारण उपज रहे घटा, कपडा, पोयी आदिक पदार्थ अनित्य देखे गये हैं । इस प्रकार वादीकरके स्वकीय प्रतिज्ञाका उपसंहार किया जा चुकनेपर दूसरा प्रतिवादी यों प्रत्यवस्थान ( दूषणामास ) दे रहा है कि अनित्य हो रहे घटके साधर्म्यसे यदि यह शब्द अनित्य है, तब तो नित्य हो रहे आकाशके साथ भी इस शब्दका साधर्म्य अमूर्त्तपना है । अपकृष्ट परिणामको धारनेवाले द्रव्योंको मूर्त्त द्रव्य कहते हैं । वैशेषिकोंके यहाँ पृथिवी, जल, तेज, वायु और मन ये पांच द्रव्य ही मूर्त्त माने गये हैं । शेष आकाश काळ, दिशा, आत्मा ये चार द्रव्य अमूर्त्त हैं । गुणोंमें गुण नहीं रहते हैं । शब्द नामक गुणमें परिमाण या रूप आदिक दूसरे गुण नहीं पाये जाते हैं । इस कारण शब्द और आकाश दोनों अमूर्त्त हैं । अतः अमूर्त्तपना होनेसे आकाशके समान शब्दको नित्यपना प्राप्त हुआ । यह साधर्म्यकरके उपसंहार किये जानेपर साधर्म्यसमका एक प्रकार हुआ तथा दूसरा प्रकार विपरीत साधर्म्यकरके उपसंहार किये जानेपर यों है कि शब्द अनित्य है ( प्रतिज्ञा ) उत्पन्न होना धर्मसे सहितपना होनेसे ( हेतु ) जो पदार्थ फिर अनित्य नहीं है, वह उत्पत्तिधर्मवान् नहीं बनता है । जैसे कि आकाश ( व्यतिरेक दृष्टान्त ) इस प्रकार वादीद्वारा प्रतिपादन किया जा चुकनेपर दूसरा प्रतिवादी प्रत्यवस्थान देता है कि नित्य आकाशके विधर्मापनसे यदि शब्द अनित्य माना जा रहा है, तब तो आकाशके साथ भी इस शब्दका अमूर्त्तपना साधर्म्य है । इस कारण यों तो शब्दका नित्यपना प्राप्त हुआ जाता है । फिर भी यदि कोई यों कहना प्रारम्भ करे कि इस अमूर्त्तत्व साधर्म्यके होते संते भी शब्द नित्य नहीं होता है । तब तो हम कहेंगे कि यों तो अनित्य हो रहे घटके साधर्म्यसे अथवा नित्य हो रहे



आकाशके वैधर्म्यसे शब्दका अनित्यपना भी नहीं कहना चाहिये । यह न्यायवार्तिक ग्रन्थका अभि-  
प्राय है । न्यायसूत्रवृत्तिको रचनेवाले श्री विश्वनाथ पंचानन मट्टाचार्यका भी ऐसा मिळता, जुळता,  
अभिप्राय गंभीर अर्थवाले सूत्र अनुसार साधर्म्य और वैधर्म्यको दोनों वादी प्रतिवादीयोंकी ओर  
कहाया जा सकता है ।

सैयं जातिः विशेषहेत्वभावं दर्शयति विशेषहेत्वभावाद्यानैकान्तिकचोदनाभासो गोत्वा-  
द्रोसिद्धिवदुत्पत्तिधर्मकत्वादनित्यत्वसिद्धिः । साधर्म्यं हि यदन्वयव्यतिरेकि गोत्वं तस्मादेव  
गोः सिध्यति न सत्त्वादेस्तस्य गोरित्यत्राश्वादावपि भावादन्यतिरेकित्वात् । एवमगोवैधर्म्य-  
पि गोः साधनं नैकशफत्वादित्यस्याव्यतिरेकित्वादेव पुरुषादावपि भावात् । गोत्वं पुन-  
र्गवि दृश्यमानमन्वयव्यतिरेकि गोः साधनमुपपद्यते तद्द्रुत्पत्तिधर्मकत्वं घटादावनित्यवे सति  
भावादाकाशादौ चाऽनित्यत्वाभावे अभावादन्यव्यतिरेकि शब्दे समुपलभ्यमानमनित्यत्वस्य  
साधनं, न पुनरनित्यघटसाधर्म्यमात्रसत्त्वादिनाप्याकाशवैधर्म्यमात्रममूर्त्त्वादि तस्यान्वय-  
व्यतिरेकित्वाभावात् । ततस्तेन प्रत्यवस्थानमयुक्तं दूषणाभासत्वादिति ।

नैयायिक अपने सिद्धान्त अनुसार यों कहते हैं तिस कारण यह असत् उत्तर स्वरूप हो रही  
जाति ( कर्ता ) परीक्षकोंके सम्मुख विशेष हेतुके अभावको दिखला देती है । अर्थात्—इस प्रकार  
असमीचीन उत्तरको कहनेवाले प्रतिवादीके यह अपने निजपक्षका साधक कोई विशेष हेतु नहीं है ।  
और विशेष हेतुके नहीं होनेसे यह प्रतिवादीका कथन प्रेरण गयी व्यभिचारकी देशनाका आभास है ।  
अथवा न्यायवार्तिक ग्रन्थके अनुसार सप्रतिपक्षकी देशनाका आभास है । जब कि क्रियाहेतुगुणा-  
श्रयत्व हेतुसे आत्मोपे क्रिया सिद्ध हो जाती है, तो विमुक्त हेतु निष्क्रियत्वको साध नहीं सकता है ।  
व्यभिचार या संदिग्धव्यभिचार दोष खडा हो जायगा । अथवा उत्पत्तिधर्मकत्व हेतुसे शब्दका अनि-  
त्यपना सिद्ध हो चुका तो अमूर्त्तत्व हेतुसे शब्दमें नित्यपना साधा जाना व्यभिचारदोषप्रस्त है । उक्त  
दोनों अनुमानके हेतुओंमें सप्रतिपक्षदोष नहीं है । फिर भी प्रतिवादीद्वारा सप्रतिपक्ष दोष कोरी  
ऐंठसे ढकेला जा रहा है । अतः यह सप्रतिपक्ष दूषणका आभास है । बात यह है कि “ गोत्वाद्गो  
सिद्धिवदुत्पत्तिः ” इस गौतमसूत्र अनुसार गोत्वहेतुसे गौकी सिद्धिके समान उत्पत्तिधर्मसहित-  
पन हेतुसे अनित्यपन साध्यकी सिद्धि हो जाती है । कारण कि गोत्व जिसके साथ अन्वय और  
व्यतिरेकको धारण कर रहा है । उस ही से गायकी सिद्धि होती है । किन्तु अन्वय व्यति-  
रेकोंको नहीं धारनेवाले सत्त्व, प्रमेयत्व, कृतकत्व आदि व्यभिचारी हेतुओंसे गौकी सिद्धि नहीं  
हो पाती है । क्योंकि उन सत्त्व आदि हेतुओंका जिस प्रकार यहा गौ, देवोंमें सद्भाव है,  
वैसे ही घोडा, हाथी, मनुष्य, घट, पट आदि विपक्षोंमें भी सद्भाव पाया जाता है । अतः सत्त्व  
आदि हेतुओंमें व्यतिरेकिपना नहीं बनता है । इसी प्रकार गोमिल पदार्थोंका विधर्मापन भी गौका

ज्ञापक हेतु हो जाता है। “ गवेतरासमवेतत्वे सति सकल गोसमवेतत्वं गोत्वत्वं ” माना गया है। सींग और साझा दोनोंसे सहितपन यह गोमिन्नका वैधर्म्य है। अतः सींग, साझा, सहितपनसे भी गोत्वकी सिद्धि हो सकती है। किन्तु एक खुरसहितपनातो गोमिन्नका वैधर्म्य नहीं है। गोमिन्न अश्व, गधा, मनुष्य, इनमें भी एकशकसहितपना विद्यमान है। यानी गाय, भैस, छिरियाके दो खुर होते हैं। घोड़े, गधेके एक खुर होता है। अतः पुरुष, घोड़ा, गधा, हाथी आदि विपक्षोंमें भी एक खुरसहितपनके ठहरजानेसे यह हेतु व्यतिरेकको धारनेवाला नहीं हुआ। इसी कारण एकखुरसहितपना, पशुपना, जीवत्व, आदि हेतु गौके साधक नहीं हैं। जिस हेतु में गौका साधर्म्य और अगो ( गोमिन्न ) का वैधर्म्य घटित हो जायगा, वह साधर्म्य वैधर्म्य प्रयुक्त गौका साधक अवश्य बन बैठेगा। इसी दृष्टान्तके अनुसार प्रकरणमें वादीके यहां साधर्म्य और वैधर्म्यसे उपसंहार कर दिया जाता है। हां, गौपना तो फिर गाय, बैलोंमें ही ही देखा जा रहा है। अतः उसके होनेपर होना उसके नहीं होनेपर नहीं होना, इस प्रकार अन्वय व्यतिरेकोंको धारता हुआ वह गोत्व गाय, बैलका, ज्ञापक हेतु बन जाता है। बस उसीके समान उत्पत्ति धर्मसहितपन हेतु भी घट, पत्र, कटोरा, आदि विपक्षोंमें अनित्यपनके होते संते विद्यमान रहता है और आकाश, परम महापरिमाण आदि विपक्षोंमें अनित्यत्वके अभाव होनेपर उत्पत्तिसहितपन हेतुका भी अभाव है। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेकोंको धारनेवाला उत्पत्तिधर्मसहितपन हेतु शब्दमें भले प्रकार देखा जा रहा है। अतः अनित्यत्वका साधक है। किन्तु फिर अनित्य घटके साथ साधर्म्यमात्रको धारनेवाले सत्त्व, प्रमेयत्व, आदिक व्यभिचारी हेतुओंकरके शब्दमें अनित्यत्वकी सिद्धि नहीं होती है। अन्वय घट जानेपर भी उनमें व्यतिरेक नहीं घटित होता है। विधर्मपनको प्राप्त हो रहे आकाशके साथ भले ही शब्दका अमूर्तत्व आदि करके साधर्म्य है। किन्तु सर्वदा, सर्वत्र व्यतिरेकके नहीं घटित होनेपर अमूर्तत्व, अचेतनत्व आदिक हेतु शब्दके नित्यपनको नहीं साध सकते हैं। तिस कारण उस अन्वय व्यतिरेक सहितपनके नहीं घटित हो जानेसे प्रतिवादीद्वारा यह दूषण उठाना युक्त नहीं है। क्योंकि अन्वय व्यतिरेकोंको नहीं धारनेवाले हेतुओंका साधर्म्य वैधर्म्य नहीं बन पाता है। अतः वे प्रतिवादीके आक्षेप कोरे दूषणामास हैं।

एतेनात्मनः क्रियावत्साधर्म्यमात्रं निष्क्रियवैधर्म्यमात्रं वा क्रियावत्त्वसाधनं प्रत्याख्यातमनन्वयव्यतिरेकित्वात् अन्वयव्यतिरेकिण एव साधनस्य साध्यसाधनसामर्थ्यात्।

नैयायिकोंका ही मन्तव्य पुष्ट हो रहा है कि इस उक्त कथन करके हमने इसका भी प्रत्याख्यान कर दिया है कि जो विद्वान् केवल क्रियावान् पदार्थोंके साथ समानधर्मपनको धारमाके क्रियावत्त्वका साधक मान बैठे हैं, अथवा क्रियारहित पदार्थोंके केवल विधर्मपनको धारमाके क्रियावत्त्वका ज्ञापक हेतु मान बैठे हैं। बात यह है कि इन क्रियावत्साधर्म्य और निष्क्रिय वैधर्म्यमें अन्वय, व्यतिरेकोंका सद्भान नहीं पाया जाता है। सिद्धान्तमें अन्वय व्यतिरेकवाले हेतुकी ही साध्यको

साधनेमें सामर्थ्य मानी गयी है। हाँ, इनमें कुछ विशेषण लगा देनेसे आत्माके क्रियाकी सिद्धि हो सकती है। प्रकृतमें जब क्रिया हेतुगुणाश्रयत्वहेतु आत्माके क्रियावत्त्वको साधनेमें समर्थ है, तो प्रतिवादीके सम्पूर्ण कथन दूषणाभास हो जाते हैं। अर्थात्—जैन सिद्धान्त अनुसार विशेष बात यह है कि क्रियाहेतुगुणाश्रयत्वाका क्रियावत्त्व हेतुके साथ अविनामान ठीक ठीक घटित नहीं होता है। देखिये, पुष्पशाकी जीवोंका यहाँ सशरानुपरमें बैठे हुए आत्माके साथ बन्धको प्राप्त हो रहा पुष्पकर्म सैकड़ों, हजारों, कोस, दूर स्थित हो रहे बख, चाँदी, सोना, फल, मेवा, यंत्र, पान, आदि पदार्थोंका आकर्षण कर लेता है। पापी जीवोंका पाप काटे, बिसैली वस्तु आदिमें क्रिया उत्पन्न कर निकटमें घर देता है। काष्ठद्रव्य स्वयं क्रियारहित होता हुआ भी अनेक जीव, पुद्गलोंकी क्रियाको करनेमें उदासीन कारण बन जाता है। अप्राप्य आकर्षक चुम्बक पापाण दूरवर्ती छोहमें गतिको करा रहे क्रियाहेतुगुण आकर्षकत्वका आश्रय बना हुआ है। शरीरमें कई धातु, उपधातुएँ, स्वयं क्रियारहित भी होती हुई उस समय अन्य रक्त, वायु, नसे आदिकी क्रियाका कारण हो ही जाती हैं। क्रियाके हेतु गुणको धारनेवाले पदार्थोंको एकान्तसे क्रियावान् माननेपर अनवस्था दोष भी हो जाता है। अस्तु. यहाँ नैयायिक जो कुछ कह रहे हैं, एक बार उनकी सम्पूर्ण बातोंको सुन लेना चाहिये।

तत्रैव प्रत्यवस्थानं वैधर्म्येणोपदर्शयते ।

यः क्रियावान्स दृष्टोत्र क्रियाहेतुगुणाश्रयः ॥ ३२७ ॥

यथा लोष्ठो न चात्मैवं तस्मान्निष्क्रियः एव सः ।

पूर्ववदूषणाभासो वैधर्म्यसम ईक्ष्यताम् ॥ ३२८ ॥

साधर्म्यसम, वैधर्म्यसम, जातिको कहनेवाले गौतम सूत्रके उत्तरदल अनुसार दूसरी वैधर्म्यसम जातिका उक्षण यह है कि तदा आत्मा क्रियावान् है, क्रियाके हेतु हो रहे गुणका आश्रय होनेसे, जैसे कि डेल। इस अनुमानमें ही साध्यके विधर्मापन करके प्रतिवादी द्वारा दूषण दिखलाया जाता है कि जो क्रियाके कारण हो रहे गुणका आश्रय यहाँ देखा गया है, वह क्रियावान् अवश्य है, जैसे कि फेंका जा रहा डेल है। किन्तु आत्मा तो इस प्रकार क्रियाके कारण बन रहे गुणका आश्रय नहीं है। तिस कारणसे यह आत्मा क्रियारहित ही है। नैयायिक कहते हैं कि यह प्रतिवादीका कथन भी पूर्व साधर्म्यसम जातिके समान हो रहा वैधर्म्यसम नामका दोषाभास ही देखा जायगा। क्रियावान्के साधर्म्यसे आत्मा क्रियावान् पदार्थके वैधर्म्यसे आत्मा क्रियारहित नहीं होय, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। यह प्रतिवादीका वैधर्म्यसम प्रतिषेध है।

क्रियावानात्मा क्रियाहेतुगुणाश्रयत्वाच्छोष्ठवदित्यनं वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानं, यः क्रियाहेतुगुणाश्रयो लोष्ठः स क्रियावान् परिच्छिन्नो दृष्टो न च तथात्मा तस्मान्न लोष्ठवत्क्रिया-

वानिति निष्क्रिय एवेत्यर्थः । सोऽयं साधर्म्येणोपसंहारे वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानात् वैधर्म्यसमः  
प्रतिषेधः पूर्ववद्दूषणाभासो वेदितव्यः ।

आत्मा चटना, उतरना, चटना, मर कर अन्वत्र स्थानमें जाकर जन्म लेना, आदि क्रिया-  
ओसे युक्त है । क्योंकि वह क्रियाके प्रेरक हेतु हो रहे प्रयत्न पुण्य, पाप, संयोग इन गुणोंका धारण  
कर रहा है । जैसे कि फेंका हुआ डेढ क्रियाके कारण संयोग, वेग, गुरुत्व गुणोंको धारण कर रहा  
सन्ता क्रियावान् है । इस अनुमानमें वैधर्म्यकरके वसत् दूषण ठाया जाता है कि जो क्रियाहेतु-  
गुणका आश्रय डेढ है, वह क्रियावान् होता हुआ अपकृष्ट परिमाणवाला परिमित देखा गया है ।  
आत्मा तो तिस प्रकार मध्यपरिमाणवाला नहीं है । तिस कारणसे छोटके समान क्रियावान् आत्मा  
नहीं, इस कारण आत्मा क्रियारहित ही है, यह अर्थ प्राप्त हो जाता है । नैयायिक यों कहते हैं कि  
यह प्रत्यवस्थान भी साधर्म्य करके वादी द्वारा उपसंहार किये जानेपर पुनः प्रतिवादी द्वारा वैधर्म्य  
करके प्रत्यवस्थान ठा ठेनेसे वैधर्म्यसम नामका प्रतिषेध है । यह भी पूर्वके समान दूषणाभास समझ  
लेना चाहिये । अर्थात्—गोत्वसे या अन्न आदिके वैधर्म्यसे जैसे गायकी सिद्धि कर ली जाती है,  
उसी प्रकार यहां भी 'समीचीन क्रिया हेतु गुणाश्रयत्व हेतुसे क्रियावत्त्व साध्यकी सिद्धि कर दी जाती  
है । जो दोष साध्य और साधनकी व्याप्तिका विच्छेद नहीं कर सकता है, वह दोष नहीं है  
किन्तु दोषाभास है ।

का पुनर्वैधर्म्यसमा जातिरित्याह ।

न्यायमाध्यके अनुसार दूसरे प्रकारकी वैधर्म्यसमा जाति फिर क्या है ? इस प्रकारकी जिज्ञासा  
होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य उन ग्रन्थोंका अनुवाद करते हुये स्पष्ट कथन करते हैं ।

वैधर्म्येणोपसंहारे साध्यधर्मविपर्ययात् ।

वैधर्म्येणेतरेणापि प्रत्यवस्थानमिष्यते ॥ ३२९ ॥

या वैधर्म्यसमा जातिरिदं तस्या निदर्शनम् ।

नरो निष्क्रिय एवायं विभुत्वात्सक्रियं पुनः ॥ ३३० ॥

विभुत्वरहितं दृष्टं लोष्टादि न तथा नरः ।

तस्मान्निष्क्रिय इत्युक्ते प्रत्यवस्था विधीयते ॥ ३३१ ॥

वैधर्म्येणैव सा तावत्कैश्चिन्निग्रहभीरुभिः ।

द्रव्यं नभः क्रियाहेतु गुणरहितं समीक्षितं ॥ ३३२ ॥

नैवमात्मा ततो नायं निष्क्रियः संप्रतीयते ।

साधर्म्येणापि तत्रैवं प्रत्यवस्थानमुच्यते ॥ ३३३ ॥

क्रियावानेव लोष्टादिः क्रियाहेतुगुणाश्रयः ।

दृष्टास्तादृक्स जीवोपि तस्मात्सक्रिय एव सः ॥ ३३४ ॥

इति साधर्म्यवैधर्म्यसमयोर्दूषणोद्भवात् ।

सधर्मत्वविधर्मत्वमात्रात्साध्यप्रसिद्धितः ॥ ३३५ ॥

बादीद्वारा वैधर्म्यकरके पक्षमें साध्य व्याप्य हेतुका उपसंहार किया जा चुकनेपर पुनः प्रतिवादीद्वारा साध्यधर्मके विपर्ययकी उपपत्ति हो जानेसे वैधर्म्य करके और उससे दूसरे हो रहे साधर्म्यकरके भी जो प्रत्यवस्थान दिया जाता है, वह वैधर्म्यसमा जाति इष्ट की गयी है। उसका दृष्टान्त यह है कि यह आत्मा ( पक्ष ) क्रियारहित ही है ( साध्य )। क्योंकि आत्मा सर्वत्र व्यापक है ( हेतु )। जो भी कोई पदार्थ फिर क्रियासहित देखा गया है, वह व्यापकपनसे रहित है। जैसे कि डेल, बाण, बन्दूककी गोली, दौट रहा घोडा आदि पदार्थ मध्यम परिमाणवाले अव्यापक हैं। तिस प्रकारका अव्यापक आत्मा नहीं है। तिस कारणसे आत्मा क्रियारहित है। इस प्रकार बादीद्वारा वैधर्म्यकरके उपसंहार कह चुकनेपर निम्न ( पराजय ) स्थानसे मय खा रहे किन्हीं प्रतिवादियोंके द्वारा वैधर्म्यकरके ही जो दूषण देना रूप क्रिया की जाती है कि आकाश द्रव्य तो क्रियाहेतुगुणोंसे रहित मले प्रकार देखा गया है। इस प्रकारका आत्मा द्रव्य तो क्रियाहेतु गुणरहित नहीं है। तिस कारणसे यह आत्मा क्रिया रहित नहीं है। यों मले प्रकार प्रतीत हो रहा है। क्रियावानके वैधर्म्यसे आत्मा निष्क्रिय तो हो जाय, किन्तु फिर क्रियारहितके वैधर्म्यसे आत्मा क्रियावान् नहीं होय इसका नियामक कोई बादीके पास विशेष हेतु नहीं है। यों प्रतिवादी कटाक्ष शाठ रहा है, यह बादीद्वारा वैधर्म्य करके आत्माके क्रियारहितपनका विमुखहेतुसे उपसंहार किया जा चुकनेपर प्रतिवादीद्वारा वैधर्म्यकरके आत्माको सक्रिय साधनेवाले वैधर्म्यसपका उदाहरण हुआ। अब साधर्म्यकरके प्रतिवादीद्वारा प्रत्यवस्थान उठाये जानेका उदाहरण कहा जाता है कि उस ही बादीके अनुमानमें यानी आत्मा क्रियारहित है, व्यापक होनेसे, यहाँ प्रतिवादीद्वारा साधर्म्यकरके भी इस प्रकार प्रत्यवस्थान कहा जाता है, क्रियावान् दो रहे ही डेल, गोली आदिक पदार्थ क्रियाहेतुगुणोंके आधार देखे जाते हैं, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध आत्मा भी क्रिया हेतु गुणोंका आश्रय है। तिस कारण वह आत्मा क्रियावान् ही है। इसमें कोई विशेषता नहीं है कि बादी करके कहे गये क्रियावान्के वैधर्म्य विमुखसे आत्मा आकाशके समान निष्क्रिय तो होवाय किन्तु फिर प्रतिवादी करके कहे गये

क्रियावान्के साधर्म्य क्रियाहेतुगुणाश्रयत्वसे आत्मा डेढके समान क्रियावान् नहीं होवे, इस पक्षपात प्रसक्तके नियमको बनानेके लिये वादीके पास कोई विशेष हेतु नहीं है। यह सूत्र और भाष्यके अनुसार पहिले साधर्म्यसमा और अब वैधर्म्यसमा जातिका उदाहरणसहित लक्षण फइ दिया गया है। नैयायिक इन दोनों जातियोंमें अनेक दूषणोंके उल्लेख हो जानेसे इनको असत् उत्तर मानते हैं। क्योंकि किसीके केवल सदृशधर्मापन या विसदृश धर्मापनसे ही किसी साध्यकी मले प्रकार सिद्धि नहीं हो जाती है। अतः प्रतिवादीका उत्तर प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता है।

अथोत्कर्षापकर्षवर्ण्यवर्ण्यविकल्पसाध्यसमा सामासा विधीयन्ते।

इन दो जातियोंके निरूपण अनन्तर अब गौतमसूत्र अनुसार दोष आमास सहित हो रही उत्कर्षसमा, अपकर्षसमा, वर्ण्यसमा, अवर्ण्यसमा, विकल्पसमा साध्यसमा, इन छह जातियोंका कथन किया जाता है। अर्थात्—पहिले इन जातियोंका कथन कर पश्चात् साथ ही ( लगे हाथ ) इन प्रतिवादीके द्वारा दिये गये दूषणोंका दूषणामासपना भी सिद्ध करदिया जायगा। नैयायिकोंको हमने कहनेका-पूरा अवसर दे दिया है। वे अपने मनो अनुकूल जातियोंका असमीचीन उत्तरपना बखान रहे हैं। हम जैन भी शिष्योंकी बुद्धिको विशद करनेके लिये वैसाका वैसा ही यहाँ श्लोकवार्तिक ग्रन्थमें कथन कर देते हैं। सो सुनलीजियेगा।

साध्यदृष्टान्तयोर्धर्मविकल्पाद्द्वयसाध्यता।

सद्भावाच्च मता जातिरुत्कर्षेणापकर्षतः ॥ ३३६ ॥

वर्ण्यवर्ण्यविकल्पैश्च साध्येन च समाः पृथक्।

तस्याः प्रतीयतामेतल्लक्षणं सनिदर्शनम् ॥ ३३७ ॥

साध्य और दृष्टान्तके विकल्पसे अर्थात्—पक्ष और दृष्टान्तसे किसी मी एकमें धर्मकी विचित्रतासे तथा उभयके साध्यपनका सद्भाव हो जानेसे उत्कर्षसमा, अपकर्षसमा, वर्ण्यसमा, अवर्ण्यसमा, विकल्पसमा, साध्यसमा ये छह जातियां पृथक् पृथक् मान ली गयी हैं। अर्थात्—पक्ष और दृष्टान्तके धर्मविकल्पसे तो पहिली पांच जातियां उठायी जाती हैं। और पक्ष, दृष्टान्त, दोनोंके हेतु आदिक धर्मोंको साध्यपना करनेसे छठी सवयसमाजाति उल्लिखित होती है। प्रकृतमें साध्य और साधनेमें से किसी मी एक विकल्पसे यानी सद्भावसे जो अविद्यमान हो रहे धर्मका पक्षमें आरोप करना है, वह उत्कर्षसमा है। जैसे कि शब्द ( पक्ष ) अनित्य है ( साध्य )। कृतक होनेसे ( हेतु ) घटके समान ( अन्वय दृष्टान्त ) इस प्रकार वादी द्वारा स्थापना होनेपर प्रतिवादी कहता है कि घटमें अनित्यपनके साथ जो कृतकत्व रहता है, वह

तो रूपके साथ ठहरा हुआ है। अतः दृष्टान्तकी सामर्थ्यसे शब्द भी रूपवान् हो जायगा और तैसा ही जानेपर निवक्षित पदार्थसे निपरीत अर्थका साधन हो जानेसे यह हेतु विशेष विरुद्ध हो जायगा। यह कथन विरुद्ध हेत्वामास रूप हुआ। इसी प्रकार श्रवण इन्द्रियसे जाने जा रहे शब्दके साधर्म्य हो रहे कृतकत्व धर्मसे घट भी कर्ण इन्द्रियप्राप्त हो जाओ। कोई विशेषता नहीं है। यों पक्ष (शब्द) दृष्टान्त (घटमें) विशेष धर्मके बढा देनेसे उपकार्यसमा जाति हो जाती है। तथा अपकार्यसमा जातिमें तो साध्य और दृष्टान्तके सहचरित धर्मका विकल्प यानी असत्त्व दिखाया जाता है। तिस कारणसे अपकार्यसमा जाति तो हेतु और साध्यमेंसे अन्यतरके अभावका प्रसंग देना स्वरूप है। जैसे कि शब्द अनित्य है। वृत्तक होनेसे इस प्रकार वादी द्वारा कह चुकनेपर प्रतिवादी कहता है कि घटमें अनित्यपनके साथ वर्त रहे कृतकत्व धर्मसे यदि शब्दको अनित्य साधा जाता है, तब तो घटके कृतकत्व और अनित्यत्वके सहचारी रूप गुणकी शब्दमें व्यावृत्ति हो जानेसे शब्दमें कृतकत्व और अनित्यत्वकी भी व्यावृत्ति हो जायेगी। कृतकत्वकी व्यावृत्ति हो जानेसे हेतु स्वरूपासिद्ध हो जायगा और शब्दमें अनित्यत्वकी व्यावृत्ति हो जानेसे वाच हेत्वामास भी सम्भवता है। यह पक्षमें धर्मका विकल्प किया गया है। इसी प्रकार अपकार्यसमाके लिये दृष्टान्तमें धर्मका विकल्प यों करना चाहिये कि शब्दमें कृतकत्वके साथ श्रवणइन्द्रियप्राप्तत्व धर्म रहता है। और संयोग, विभाग आदिमें अनित्यत्व और कृतकत्वके साथ गुणत्व रहता है। किन्तु घटमें श्रवणत्व और गुणत्व दोनों नहीं हैं। तिस कारण घटमें अनित्यत्व और कृतकत्व भी व्यावृत्त हो जायेंगे। इस प्रकार दृष्टान्तमें साध्य धर्मकी विकल्पता और साधन धर्मकी विकल्पतारूप देशनामास यह जाति हुई। यदि कोई यों कहे कि वैधर्म्यसमाका इस अपकार्यसमामें ही अन्तर्भाव हो जायगा। इसपर नैयायिक यों उत्तर देते हैं कि दोषवान् पदार्थके एक होनेपर भी उसमें दोष अनेक सम्भव जाते हैं। उपाधियुक्तता सांकर्य होनेपर भी उपाधियोंका सांकर्य नहीं है। वर्ण्यसमामें उक्त दृष्टान्त अनुसार यों कहा जाता है कि यदि शब्द अनित्य है, इस प्रकार वर्णन करने योग्य साधा जा रहा है, तब तो घट आदि दृष्टान्त भी साध्य यानी पक्ष हो जाओ। इस प्रकार साध्यधर्मका संदेह हो जानेसे साध्य और दृष्टान्तमें धर्मके विकल्पसे यह पाच जातियोंका मूललक्षण यहा भी घटित हो जाता है। साध्यके वर्ण्यत्वको यानी पक्षके सन्दिग्धसाध्यकत्वको दृष्टान्तमें आपादन करना वर्ण्यसमा है। इसका अर्थ यह है कि पक्षमें वृत्ति जो हेतु होगा वही तो साध्यको समझानेवाला ज्ञापकहेतु हो सकेगा। किन्तु पक्ष तो यहा सन्दिग्ध साध्यवान् है। और तिसी प्रकार सन्दिग्धसाध्यवालेमें वर्तारहा हेतु तुमको दृष्टान्तमें भी स्वीकार करना चाहिये। और तिस प्रकार होनेपर दृष्टान्तको भी सन्दिग्ध साध्यवान्पना हो जानेके कारण हेतुकी सपक्ष और विपक्षमें वृत्तिका निश्चय नहीं होनेसे यह असाधारण हेत्वामास है। यह नियम है कि दृष्टान्तमें हेतु निश्चित साध्यके साथ ही रहना

चाहिये । किन्तु जब यह हेतु सन्दिग्धसाध्यवालेमें वर्त रहा है तो दृष्टान्त साध्यसद्भाव संशयप्रस्त होगया । तथा सन्दिग्धसाध्यवान् में वर्त रहा हेतु यदि दृष्टान्तमें नहीं है, तब तो गमक हेतुका अभाव हो जानेसे दृष्टान्त साधनविकल हो जायगा । यह दोष है । यों प्रतिवादीका अन्तरंग अभिप्राय है । अवर्ण्यसमामें तो जैसे घट आदिक उपापनीय नहीं हैं वैसे ही शब्द भी अवर्ण्य रहो । कोई विशेषता नहीं है । इस प्रकार साध्य यानी शब्द आदि पक्षमें दृष्टान्तवृत्ति हेतुका सर्वथा सादृश्य आपादन किया जाता है । अर्थात्—साध्यकी सिद्धिवाले दृष्टान्तमें जो हेतु है, यदि ष्ठी हेतु पक्षमें नहीं वर्तैगा तो ज्ञापक हेतुके नहीं ठहरनेसे स्वरूपासिद्ध दोष हो जायगा । अतः तिस प्रकारका ( दूबहू ) हेतु पक्षमें स्वीकार करलेना चाहिये और तैसा होनेपर सन्दिग्ध साध्यवान् पक्ष यह पक्षका लक्षण घटित नहीं होता है । अतः वादीका हेतु आश्रयासिद्धि दोषसे दूषित हुआ समझा जायगा । वृत्तिकारका स्पष्ट कथन यह है कि निश्चितरूपसे सिद्ध हो रहे साध्यको धारनेवाले दृष्टान्तमें जो धर्म यानी हेतु है, उसके सद्भावसे शब्द आदि पक्षमें असंदिग्ध साध्यवान्पनेका आपादन कर अवर्ण्य-समा है । दृष्टान्तमें जैसे ( निश्चित साध्यवान् वृत्ति ) हेतु होगा वैसे हेतु ही पक्षमें ठहर कर साध्यका गमक हो सकेगा । यदि दृष्टान्तमें जो हेतु निश्चित साध्यवालेमें वर्त रहा है, वह हेतु पक्षमें नहीं माना जायगा तो स्वरूपासिद्धि दोष लग बैठेगा और हेतुके मान लेनेपर सन्दिग्ध साध्यवान् पक्ष नहीं बननेसे आश्रयासिद्धि दोष लग जाता है । तथा पांचवीं ( यहां ) सातवीं ( पहिलीसे ) विकल्प समा जातिमें तो मूललक्षण यों घटाना चाहिये कि पक्ष और दृष्टान्तमें जो धर्म उसका विकल्प यानी विरुद्ध कल्प व्यभिचारीपन आदिकसे प्रसंग देना है, वह विकल्पसमाके उत्थानका बीज है । चाहे जिस किसी भी धर्मका कहीं भी व्यभिचार दिखलाने करके धर्मपनकी अविशेषतासे प्रकरण प्राप्त हेतु का भी प्रकरणप्राप्त साध्यके साथ व्यभिचार दिखला देना विकल्पसमा है । जैसे कि शब्द अनित्य है, कृतक होनेसे, इस प्रकार वादीके कह चुकनेपर यहां प्रतिवादी कहता है कि कृतकत्वका गुरुत्वके साथ व्यभिचार देखा जाता है । घट, पट, पुस्तक, आदिमें कृतकत्व है । साथमें मारीपन भी है । किन्तु बुद्धि, दुःख, द्वेष, अमण, मोक्ष, आदिमें कृतकपना होते हुये भी गुरुत्व ( भारीपन ) नहीं है और गुरुत्वका अनित्यत्वके साथ व्यभिचार देखा जाता है । यद्यपि नैयायिक वैशेषिक सिद्धान्त अनुसार गुरुत्वका अनित्यत्वके साथ व्यभिचार दिखलाना कठिन है । “ गुरुणा दे रसवती ” पृथ्वी और जलमें ही गुरुत्व माना गया है । मले ही पृथ्वी परमाणु और जलीय परमाणुओंमें अनित्यत्वके नहीं रहते हुये भी गुरुत्व मान लिया जाय । अस्तुतः विचारनेपर परमाणुओंमें गुरुत्व नहीं सिद्ध हो सकेगा । अस्तुः । तथा अनित्यत्वका मूर्तत्वके साथ मन या पृथ्वी, जल आदिकी परमाणुओंमें व्यभिचार देखा जाता है । जब कि धर्मपनकी अपेक्षा कृतकत्व, अनित्यत्वमें कोई विशेषता नहीं है, तो कृतकत्व भी अनित्यत्व का व्यभिचार कर लेवे । इस प्रकार यह वादीके हेतुपर विकल्पसमामें अनैकान्तिक हेत्वामास चक्र देकर प्रतिवादीद्वारा उठाया गया है । छठी या आठवीं साध्यसमा जाति तो साध्यधर्मका दृष्टान्तमें



प्रसंग देनेसे अथवा पक्ष और दृष्टान्त दोनोंके धर्म हेतु आदिके साध्यपनसे उठादी जाती है। उसका उदाहरण यों है कि जैसे घट है, तैसा शब्द है, तब तो जैसा यह शब्द है, तैसा घट भी अनित्य हो जाय। यह कह दिया जाय यदि शब्द साध्य है, तिस प्रकार घट में साध्य हो जाओ। यदि घटा अनित्य साधने योग्य नहीं है, तो शब्द में अनित्य साधने योग्य नहीं होवे। अथवा कोई अन्तर दिखलाओ। यह साध्यसम है, एक प्रकार आश्रयासिद्ध हेत्वामास समझना चाहिये। इस ढंगसे नैयायिकोंके यहाँ उत्कर्षकरके अपकर्षकरके वर्ण्यकरके अवर्ण्यकरके विकल्पकरके और साध्यकरके सम हो रही पृथक् पृथक् छद्म जातियाँ हैं। उनका लक्षण दृष्टान्तसहित यह समझ लेना चाहिये। श्री विश्वनाथ, पंचाननने स्वकीय धृतिमें उक्त प्रकार विश्रण किया है।

यदाह, साध्यदृष्टान्तयोर्धर्मविकल्पादुभयसाध्यत्वाच्चोत्कर्षापकर्षवर्ण्यवर्ण्यविकल्पसाध्यसमा इति ।

जो ही न्यायसूत्रकार गौतमने उत्कर्षसमा आदि छद्म जातियोंके विषयमें यों सूत्र कहा है कि साध्य और दृष्टान्तमें धर्मका विकल्प करनेसे अथवा उभयको साध्यपना करनेसे उत्कर्षसमा, अवर्ण्यसमा, विकल्पसमा, साध्यसमा इस प्रकार छद्म जातियोंका लक्षण बन जाता है।

तत्रोत्कर्षसमा तावलक्षणतो निदर्शनतश्चापि विधीयते ।

उन छद्ममें पहिले पढ़ी गयी उत्कर्षसमा जातिका लक्षणसे और दृष्टान्त कथन करनेसे भी अब विधान किया जाता है।

दृष्टान्तधर्म साध्यार्थे समासंजयतः स्मृता ।

तत्रोत्कर्षसमा यद्वत्क्रियावज्जीवसाधने ॥ ३३८ ॥

क्रियाहेतुगुणासंगी यद्यात्मा लोष्ठवत्तदा ।

तद्वदेव भवेदेव स्पर्शवानन्यथा न सः ॥ ३३९ ॥

न्यायसाध्यकार उत्कर्षसमाका लक्षण दृष्टान्तसहित यों कहते हैं कि दृष्टान्तके धर्मको अधिकपने करके साध्यरूप अर्थमें मझे प्रकार प्रसंग करा रहे प्रतिवादीके ऊपर उत्कर्षसमा जाति उठायी जाय, यह प्रक्रिया प्राचीन ऋषि आश्रयसे चली आ रही है। जिस प्रकार कि उस ही प्रसिद्ध अनुमानमें जीवको क्रियावान् साधनेपर यों प्रसंग उठाया जाता है कि क्रियाके हेतु हो रहे गुणोंका सन्ध्या आत्मा यदि डेढके समान क्रियावान् है, तो उस ही डेढके समान यह आत्मा स्पर्शगुणवाला भी प्राप्त हो जाता है। अन्यथा यानी आत्मा डेढके समान यदि स्पर्शवान् नहीं है, तो यह आत्मा डेढके समान क्रियावान् भी नहीं हो सकेगा, यह उत्कर्षसमा जाति है।

दृष्टान्तधर्म साध्ये समासंजयतः स्मृतोत्कर्षसमा जातिः स्वयं, यथा क्रियावानात्मा-  
क्रियाहेतुगुणयोगाल्लोष्टवत् इत्यत्र क्रियावज्जीवसाधने प्रोक्ते सति परः प्रत्यवतिष्ठते । यदि  
क्रियाहेतुगुणासंगी पुमांल्लोष्टवत्तदा लोष्टवदेव स्पर्शवान् भवेत् । अथ न स्पर्शवाल्लोष्टवदात्मा  
क्रियावानपि न स स्यादिति विपर्यये वा विशेषो वाच्य इति ।

वार्तिकोमें कहे गये न्यायभाष्य उक्तका ही विवरण जैनों द्वारा इस प्रकार लिखा जाता है कि  
दृष्टान्तके अतिरिक्त धर्मका साध्य ( पक्ष ) में भले प्रकार प्रसंग दे रहे प्रतिवादीके ऊपर स्वयं उत्कर्ष-  
समा जाति उठ बैठी यानी चली आ रही हैं । जैसे कि आत्मा ( पक्ष ) क्रियावान् है ( साध्य ) ।  
क्रियाके सम्पादक कारण गुणोंका संसर्ग होनेसे ( हेतु ) उच्छते, गिरते हुये डेढके समान (अन्वय-  
दृष्टान्त) । इस प्रकार यहां अनुमानमें वादी द्वारा जीवके क्रियासहितपनका भले प्रकार साधन कह  
शुकनेपर दूसरा प्रतिवादी प्रत्यवस्थान उठाता है कि क्रिया हेतु गुणोंका सम्बन्धी आत्मा यदि डेढके  
समान क्रियावान् है, तो डेढके समान ही स्पर्शवान् हो जाओ । अब वादी यदि आत्माको डेढके समान  
स्पर्शवान् नहीं मानना चाहेगा तब तो वह आत्मा उसी प्रकार क्रियावान् भी नहीं हो सकेगा । ऐसी  
दशामें भी यदि वादी आत्माको क्रियावान् ही अकेला माने स्पर्शवान् स्वीकार नहीं करे तो इस विप-  
रीत मार्गके अवलम्बमें उस वादीको कोई विशेष हेतु कहना चाहिये । यहाँतक उत्कर्षसमा जाति  
न्यायभाष्य अनुसार कह दी गयी ।

का पुनरपकर्षसमेत्याह ।

फिर यह बताओ कि वह अपकर्षसमा जाति क्या है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द  
स्वामी न्यायभाष्य अनुसार अनुवाद करते हुये वार्तिकको कहते हैं ।

साध्यधर्मिणि धर्मस्याभावं दृष्टान्ततो वदन् ।

अपकर्षसमां वक्ति जातिं तत्रैव साधने ॥ ३४० ॥

लोष्टः क्रियाश्रयो दृष्टोऽविभुः कामं तथास्तु ना ।

तद्विपर्ययपक्षे वा वाच्यो हेतुर्विशेषकृत् ॥ ३४१ ॥

साधने योग्य साध्यविशिष्ट धर्ममें दृष्टान्त की सामर्थ्यसे अविद्यमान हो रहे धर्मके अभावको  
कह रहा प्रतिवादी अपकर्षसमा नामकी जातिको स्पष्ट कह रहा है । जैसे कि उस ही प्रसिद्ध  
अनुमानमें आत्माका क्रियासहितपना वादी द्वारा साथे जानेपर दूसरा प्रतिवादी प्रत्यवस्थान उठाता है  
कि क्रियाका आश्रय डेढ तो अन्यापक देखा गया है । उही प्रकार आत्मा भी तुम्हारे मनोतुक्क  
अन्यापक हो जाओ । यदि तुमको विपरीत पक्ष अभीष्ट है, यानी कि डेढ दृष्टान्तकी सामर्थ्यसे

आत्मामें अकेली क्रिया ही तो मानो जाय, किन्तु अव्यापकपना नहीं माना जाय, इसमें विशेषताको करनेवाला कोई हेतु तुमको कहना चाहिये । विशेषक हेतुके नहीं कहनेपर आत्माका अव्यापकपन ठक नहीं सकेगा, जो कि अव्यापकपन सम्भवतः तुमको अमीष्ट नहीं पड़ेगा ।

तत्रैव क्रियावज्जीवसाधने प्रयुक्ते सति साध्यघर्मिणि धर्मस्याभावं दृष्टांताद् समा-  
संज्ञयन् यो वक्ति सोपकर्षसमाजातिं वदति । यथा लोष्टः क्रियाश्रयोऽसर्वगतो दृष्टस्तद-  
दात्मा सदाप्यसर्वगतोस्तु विपर्यये वा विशेषकृद्भेदतुर्वाच्य इति ।

यहां ही परार्थानुमानमें बादीद्वारा समीचीन या असमीचीन हेतुकरके क्रियावान् जीवके साधनेका प्रयोग प्राप्त होनेपर जो प्रतिवादी साध्य धर्मोंमें धर्मके अभावको दृष्टान्तसे मळे प्रकार प्रसंग करा रहा वक रहा है, वह अपकर्षसमाजातिको स्पष्टरूपसे यों कह रहा है । जैसे कि लोष्ट क्रियावान् हो रहा अव्यापक देखा गया है, उसीके समान आत्मा भी सर्वदा असर्वगत हो जाओ अथवा विपरीत माननेपर कोई विशेषताको करनेवाला कारण बनाना चाहिये । जिससे कि डेढका एक धर्म तो आत्मामें मिलता रहे और डेढका दूसरा धर्म आत्मामें नहीं ठहर सके । यहातक अपकर्षसमा जाति कह दी गयी ।

वर्ण्यवर्ण्यसमौ प्रतिषेधौ कावित्याह ।

अत्र वर्ण्यसम और अवर्ण्यसम प्रतिषेध कौन है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर इन दो प्रतिषेधों ( जाति ) को श्री विद्यानन्द आचार्य स्वकीय वार्तिकोंद्वारा इस प्रकार कहते हैं, सो सुनिये ।

ख्यापनीयो मतो वर्ण्यः स्यादवर्ण्यो विपर्ययात् ।

तत्समा साध्यदृष्टान्तधर्मयोरत्र साधने ॥ ३४२ ॥

विपर्यासनतो जातिर्विज्ञेया तद्विलक्षणा ।

भिन्नलक्षणतायोगात्कयंचित्पूर्वजातिवत् ॥ ३४३ ॥

चतुरंगवादमें प्रसिद्ध कर फयन करने योग्य ख्यापनीय तो यहां वर्ण्य माना गया है । और ख्यापनीयके विपर्ययसे जो अवर्णनीय धर्म है, वह अवर्ण्य माना जाता है । जैसे कि यह अनुमानमें जीवका क्रियासहितपना साधनेपर साध्य और दृष्टान्तके धर्मोंका विपर्यास कर देनेसे उस वर्ण्यकरके और अवर्ण्यकरके सम यानी प्रतिषेधको प्राप्त हो रही वर्ण्यसमा और अवर्ण्यसमा जाति समझनी चाहिये । ये दोनों जातियां उस उत्कर्षसमा और अपकर्षसमासे विभिन्न हो रही विलक्षण हैं । क्योंकि कयंचित् भिन्न भिन्न लक्षणोंका सम्बन्ध होवानेसे पूर्वकी साध्यसमा वैधर्म्यसमा जातियां इन उत्कर्षसमा, अपकर्षसमासे विभिन्न हैं ।

ख्यापनीयो वर्ण्यस्तद्विपर्ययादख्यापनीयः पुनरवर्ण्यस्तेन वर्ण्येनावर्ण्येन च समा जाति-  
वर्ण्यसमावर्ण्यसमा च विज्ञेया । अत्रैव साधने साध्यदृष्टान्तधर्मयोर्विपर्यासनात् । उक्तर्पा-  
पकर्षसमाभ्यां कुतोनयोर्भेद इति चेत्, लक्षणभेदात् । तथाहि—अविद्यमानधर्मव्यापक उक्तर्ष-  
विद्यमानधर्मापनयोऽपकर्षः । वर्ण्यस्तु साध्योऽवर्ण्योऽसाध्य इति तत्प्रयोगाज्जातयो विभि-  
न्नलक्षणाः साधर्म्यवैधर्म्यसमवत् ।

न्यायभाष्यकार कहते हैं कि ख्यापनीय यहाँ वर्ण्य है । और उसके विपरीतपनेसे अख्याप-  
नीय तो फिर अवर्ण्य कहा गया है । उस वर्ण्य और अवर्ण्यकरके जो समीकरण करनेके लिये  
प्रयोग है, वह वर्ण्यसमा और अवर्ण्यसमा जाति विशेषरूपसे जान लेनी चाहिये । यहाँ ही आत्मा  
क्रियावान् है, ऐसा साधनेपर साध्य और दृष्टान्तके धर्मके विपर्याससे उक्त जातियाँ हो जाती है ।  
यदि कोई यहाँ यों पूछे कि इन जातियोंका पहिले उक्तर्षसमा और अपकर्षसमासे भेद मठा किस  
कारणसे है ? इस प्रकार प्रश्न उठानेपर तो नैयायिकोंका उत्तर यों है कि लक्षणोंका भेद होनेसे  
इनका उनका भेद प्रसिद्ध ही है । उसीको स्पष्ट कर यों समझ लीजियेगा कि पक्षमें अविद्यमान हो  
रहे धर्मको पक्षमें व्याप्त करनेका प्रसंग देना उक्तर्ष है । और विद्यमान हो रहे धर्मका पक्षमेंसे  
अलग कर देना अपकर्ष है । किन्तु वर्ण्य तो साधने योग्य होता है और अवर्ण्य असाध्य है ।  
अर्थात्—दृष्टान्तमें सदिग्धसाध्यसहितपनेका आपादन करना वर्ण्यसमा है । और पक्षमें असंदिग्ध  
साध्यसहितपनका प्रसंग देना अवर्ण्यसमा है । इस प्रकार इनमें अन्तर है । उन भिन्न लक्षणोंका  
प्रकृष्ट सम्बन्ध हो जानेसे जातियाँ भी भिन्न भिन्न अनेक लक्षणोंको धारती हुई साधर्म्यसम और  
वैधर्म्यसमके समान न्यारी न्यारी मानी जाती हैं । सभी दार्शनिकोंने भिन्न लक्षणपनेको विभिन्नताका  
साधन इष्ट किया है ।

साध्यधर्मविकल्पं तु धर्मांतरविकल्पतः ।

प्रसंजयत दृष्येत विकल्पेन समा बुधैः ॥ ३४४ ॥

क्रियाहेतुगुणोपेतं किञ्चिद्गुरु समीक्ष्यते ।

परं लघु यथा लोष्ठो वायुश्चेति क्रियाश्रयं ॥ ३४५ ॥

किञ्चित्तदेव युज्येत यथा लोष्ठादि निष्क्रियं ।

किञ्चिन्न स्याद्यथात्मेति विशेषो वा निवेद्यताम् ॥ ३४६ ॥

न्यायभाष्यकारने विकल्पसमाका लक्षण यों किया है कि साधनधर्मसे युक्त हो रहे दृष्टान्तमें

धर्मान्तरके विकल्पसे साध्यधर्मके विकल्पका प्रसंग हो रहे प्रतिवादीके ऊपर तो विद्वानों करके विकल्पसमा जातिका उठाया जाना इष्ट किया गया है। उसका दृष्टान्त यों है कि हेतु गुणोंसे युक्त हो रहा कोई एक पदार्थ तो भारी देखा जाता है। जैसे कि डेढ या गोठी है। और क्रिया हेतु गुणके आश्रय कोई कोई पदार्थ गुरु नहीं देखा जाता है। यानी हलका विचार किया जाता है। जैसे कि वायु है। उसीके समान कोई पदार्थ क्रियाहेतुगुणाश्रय होते हुये क्रियावान् हो जायेंगे, जैसे कि छोष्ट आदिक हैं। और कोई कोई क्रियाहेतुगुणाश्रय होते हुये भी क्रियारहित बने रहेंगे, जैसे कि आत्मा है। यह युक्त प्रतीत होता है। यदि कोई घादीको इसमें विशेषता दीख रही होय और वे आत्माको निष्क्रिय नहीं कहना चाहें तो वे विशेषहेतुका निवेदन करें। अन्यथा उनकी बात नहीं मानी जा सकेगी। भावार्थ—डेढ और वायुका हलके, भारीपनसे द्वैविध्य माननेवालेको डेढ और आत्माका सक्रिय, निष्क्रियपनेसे द्वैविध्य मानना स्वतः प्राप्त हो जाता है। यहां जैनोंका अभिमत इतना अधिक जान लेना चाहिये कि नैयायिक तो पृथ्वी और जलमें ही गुरुत्वको मानते हैं। किन्तु जैन विद्वान् स्कन्धस्वरूप अग्नि और वायुमें भी भारीपन अभीष्ट करते हैं। विज्ञान भी इस विषयका साक्षी है।

विकल्पो विशेषः साध्यधर्मस्य विकल्पः साध्यधर्मविकल्पस्तं धर्मान्तरविकल्पात्प्रसंज-  
यतस्तु विकल्पसमा जातिः तत्रैव साधने प्रयुक्ते परःप्रत्यवतिष्ठते। क्रियाहेतुगुणोपेतं किंचि-  
द्गुरु दृश्यते यथा कोष्ठादि किंचित्तु लघु समीक्ष्यते यथा वायुरिति। तथा क्रियाहेतुगुणो-  
पेतमपि किंचित्क्रियाश्रयं युज्यते यथा कोष्ठादि, किंचित्तु निष्क्रियं यथात्ममिति वर्ण्यावर्ण्य-  
समाभ्यामियं भिन्ना तत्रैव प्रत्यवस्थानाभावात् वर्ण्यावर्ण्यसमयोर्द्वैवं प्रत्यवस्थानं, यथात्मा  
क्रियावान् वर्ण्यः साध्यस्तदा कोष्ठादिरपि साध्योस्तु। अथ कोष्ठादिरवर्ण्यस्तर्हीत्माप्य-  
वर्ण्योस्तु, विशेषो वा वक्तव्य इति। विकल्पसमायां तु क्रियाहेतुगुणाश्रयस्य गुरुलघुविक-  
ल्पवत्सक्रियनिष्क्रियत्वविकल्पोस्तिवति प्रत्यवस्थानं। अतोसौ भिन्ना।

उक्त वार्तिकोंमें कही गयी विकल्पसमाका मूल व्याख्यान इस प्रकार न्यायमाध्यमें लिखा है कि विकल्पसमा जातिमें पडे हुये विकल्प शब्दका अर्थ विशेष है। साध्यधर्मका जो विकल्प है। यह साध्यधर्मविकल्प कहा जाता है। उस साध्यधर्म विकल्पको अन्य धर्मके विकल्पसे प्रसंग कर प्रत्यवस्थान उठानेवाले प्रतिवादीके तो विकल्पसमा जाति लागू हो जाती है। जैसे कि वहां ही आत्माके क्रियावत्त्वको साधनेके लिये हेतुका प्रयोग किये जानेपर दूसरा प्रतिवादी प्रत्यवस्थान देता है कि क्रिया हेतुगुणसे युक्त हो रहा कोई पदार्थ तो भारी देखा जाता है। जैसे कि डेढ, इज्जन, बण, आदिक हैं और क्रियाहेतु गुणोंसे युक्त हो रहा तो कोई कोई पदार्थ हलका देखा जा रहा है। जैसे कि

वायु है। तिस ही प्रकार क्रियाहेतुगुणोंसे सहित हो रहा भी कोई पदार्थ तो क्रियावान् हो जाय यह ठीक है। जैसे कि डेल आदि हैं। क्रियाहेतुगुणसे उपेत होता संता भी कोई पदार्थ क्रियारहित बना रहो। जैसे कि आत्मा है। यह विकल्पसमा जाति हुई। यह विकल्पसमा जाति पहिली वर्ण्यसमा जातियोंसे प्रत्यक् ही है। क्योंकि वहां इस प्रकारका प्रत्यवस्थान देना नहीं पाया जाता है। देखिये, वर्ण्यसमा अवर्ण्यसमामें तो इस प्रकारका प्रत्यवस्थान है कि आत्मा क्रियावान्, यों वर्णनीय होता हुआ, यदि साध्य बनाया गया है तो डेल, गोला आदि दृष्टान्त भी साध्य बना लिये जाओ। अब लोष्ट आदिक तो वर्णनीय नहीं है, तो आत्मा भी अख्यायनीय बना रहो। अथवा आत्मा और डेलमें कोई विपरीतपनकी विशेषता होय तो उस विशेषको सबके सम्मुख ( सामने ) कहना चाहिये। किन्तु इस विकल्पसमामें तो क्रियाहेतुगुणोंके अधिकरण हो रहे द्रव्योंके भारीपन, इलकापन पन विकल्पोंके समान क्रियासहितपन और क्रियारहितपनका विकल्प हो जाओ। इस प्रकार प्रत्यवस्थान उठाया गया है। इस कारणसे यह ( वह ) विकल्पसमा जाति उन वर्ण्यसमासे भिन्न ही है।

का पुनः साध्यसमेत्याह।

साध्यसमा जाति फिर क्या है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य महाराज न्याय भाष्यका अनुवाद करते हुए समाधान कहते हैं।

हेत्वादिकांगसामर्थ्ययोगी धर्मोवधार्यते।

साध्यस्तमेव दृष्टान्ते प्रसंजयति यो नरः ॥ ३४७ ॥

तस्य साध्यसमा जातिरुद्भाव्या तत्त्ववित्तकैः।

यथा लोष्टस्तथा चात्मा यथात्मायं तथा न किम् ॥ ३४८ ॥

लोष्टः स्यात्सक्रियश्चात्मा साध्यो लोष्टोपि तादृशः।

साध्योस्तु नेति चेन्नोष्टो यथात्मापि तथा कथं ॥ ३४९ ॥

साध्यमें साध्यका अर्थ तो डेल, पत्त, आदिक अनुमानागोंकी सामर्थ्यसे युक्त हो रहा धर्म निर्णित किया जाता है। उस ही साध्यको जो प्रतिवादी मनुष्य दृष्टान्तमें प्रसंग देनेकी प्रेरणा करता है, उस मनुष्यके ऊपर जिनके विद्या ही धन है, अथवा जो प्रकाण्ड तत्त्ववेत्ता विद्वान् हैं, उन करके साध्यसमा जाति उठानी चाहिये। वह मनुष्य कहता है कि यदि जिस प्रकारका लोष्ट है, उस प्रकारका आत्मा प्राप्त हो जाता है, तो जैसा आत्मा है वैसा लोष्ट क्यों नहीं हो जावे ? यदि आत्मा क्रियावान् होता हुआ साध्य हो रहा है, तो डेल भी तिस प्रकारका क्रियावान् साध लिया जाओ।

यदि लोष्ठको क्रियावान् साधने योग्य जिस प्रकार नहीं कहोगे, तब तो तिस प्रकार आत्मा भी मजा कैसे क्रियावान् साधने योग्य हो सकेगा ! अर्थात्—नहीं ।

हेत्वाद्यवयवसामर्थ्ययोगी धर्मः साध्योऽवधार्यते तमेव दृष्टान्ते प्रसंजयति यो वादी तस्य साध्यसमा जातिस्तत्त्वपरीक्षकैरुद्धावनीया । तद्यथा—तत्रैव साधने प्रयुक्ते परः प्रत्यवस्थानं करोति यदि यथा लोष्ठस्तथात्मा, तदा यथात्मा तथापि लोष्ठः स्यात् सक्रिय इति, साध्यश्चात्मा लोष्ठोपि साध्योस्तु सक्रियः इति । अथ लोष्ठ क्रियावान् न साध्यस्तर्ह्यत्मापि क्रियावान् साध्यो मा भूत्, विदोषो वा वक्तव्य इति ।

न्यायमाध्यकार यहा साध्यका अर्थ यों निर्णय करते हैं कि अनुमानके हेतु, व्यक्ति, आदिक अवयवों या उपाङ्गोंकी सामर्थ्यका सम्बन्धी हो रहा धर्म साध्य है । उसका सम यानी उस ही साध्य का जो वादी दृष्टान्तमें प्रसंग दे रहा है, तत्त्वोंकी परीक्षा करनेवाले विद्वानों करके उस वादीके ऊपर साध्यसमा जाति ठठानी चाहिये । उसका दृष्टान्त यों है कि वहां ही प्रसिद्ध अनुमानमें आत्माके क्रियासहितपनको साध्य करनेके लिये हेतुका प्रयोग कर चुकनेपर उससे न्यारा दूसरा वादी प्रायवस्थानका विधान करता है कि जिस प्रकारका लोष्ठ है यदि उसी प्रकारका आत्मा है, तब तो जैसा आत्मा है वैसा यह डेल क्रियासहित हो जाओ । दूसरी बात यह है कि यदि आत्मा साध्य है तो डेल भी यथेच्छ इस प्रकार क्रियासहित साध्य हो जाओ । अब यदि डेल क्रियावान् साध्य नहीं है, तो आत्मा भी क्रियावान् साधने योग्य नहीं होवे । हां, आत्मा या डेलमें कोई विशेषता होय तो वह तुमको यहा कहनी चाहिये । लजा करनेकी कोई बात नहीं है ।

कथमासां दूषणाभासत्वमित्याह ।

साध्यसमा और वैधर्म्यसमा जातिया दूषणामास हैं, यह पहिले ही समझा दिया गया था । अब यह बताओ कि इन उत्कर्षसमा आदिक उल जातियोंको दूषणामासपना किस प्रकार है ? ऐसी शिष्यकी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य न्यायमत अनुसार समाधानको कहते हैं ।

दूषणाभासता त्वत्र दृष्टान्तादिसमर्थना ।

युक्ते साधनधर्मेपि प्रतिषेधमलम्बितः ॥ ३५० ॥

साध्यदृष्टान्तयोर्धर्मविकल्पादुपवर्णितात् ।

वेधर्म्यं गवि सादृश्ये गवयेन यथा स्थिते ॥ ३५१ ॥

साध्यातिदेशमात्रेण दृष्टान्तस्योपपत्तितः ।

साध्यत्वासंभवाच्चोक्तं दृष्टान्तस्य न दूषणं ॥ ३५२ ॥

ये जातिर्मा समीचीन दूषण नहीं है । दूषणसदृश दीख रही दूषणामास है । इनमें दूषणा-  
मासपना तो यों समझा जाता है कि दृष्टान्त आदिककी सामर्थ्यसे युक्त हो रहे अथवा विपक्षमें  
हेतुकी व्यावृत्ति करते हुये पक्षमें हेतुका ठहरना रूप समर्थन और दृष्टान्त आदिसे युक्त हो रहे  
समीचीन हेतुरूप धर्मके वादीद्वारा प्रयुक्त किये जानेपर भी पुनः साध्य और दृष्टान्तके व्याख्यान  
किये जा चुके, केवल धर्मविकल्पसे तो प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है । गौतमसूत्र है कि  
“ किञ्चित्साधर्म्यादुपसंहारसिद्धेर्वैधर्म्यादिप्रतिषेधः ” कुछ योद्धासा दृष्टान्त और पक्षका व्याप्तिसहित  
साधर्म्य मिला जानेसे वादीद्वारा उपसंहारकी सिद्धि हो जानेसे पुनः प्रतिवादीद्वारा व्याप्ति निरपेक्ष  
उसके वैधर्म्यसे ही निषेध नहीं किया जा सकता है । जैसे कि गायमें गवय ( रोक्ष ) के साथ  
सादृश्य व्यवस्थित हो जानेपर पुनः किसी सास्ना धर्म करके हो रहा विधर्मपना तो धर्मविकल्पका  
कुचोप उठानेके लिये नहीं प्राप्त किया जाता है । अतः उत्कर्षसमा, अपकर्षसमा, वर्णसमा, अव-  
र्णसमा, विकल्पसमा, साध्यसमा ये उठाये गये दूषण समीचीन नहीं हैं । वर्णसमा, अवर्णसमा,  
साध्यसमा, ये तीन जातियोंके असत् उत्तरपनको पुष्ट करनेवाला दूसरा समाधान भी यों है । गौतम  
सूत्रमें लिखा है कि “ साध्यातिदेशाच्च दृष्टान्तोपपत्तेः ” उपमान या शब्दबोधमें वृद्धवाक्य या सहज-  
योग्यतावश संकेतपूर्वक वाच्यवाचकशक्तिके प्राहक वाक्यको अतिदेश वाक्य कहते हैं । केवल  
साध्यके अतिदेशसे ही दृष्टान्तका दृष्टान्तपन जब सिद्ध हो चुका, अतः दृष्टान्तको पुनः साध्यपना  
असम्भव है । इस कारण प्रतिवादीद्वारा फटा जा चुका दृष्टान्तका दूषण उचित नहीं है । दृष्टान्तके  
समी धर्म पक्षमें नहीं मिला जाते हैं । श्रुतिकारके अनुसार इन दो सूत्रोंको छेज जातियोंमें या तीन  
जातियोंमें यों घटा लेना चाहिये । उत्कर्षसमामें साध्यसिद्धिके वैधर्म्य यानी व्याप्तनिरपेक्ष साधर्म्य  
मात्रसे ही प्रतिवादीद्वारा प्रतिषेध यानी अविद्यमान धर्मका आरोप नहीं किया जा सकता है । अतः  
शब्दमें रूपसहितपन और घटमें श्रवण इन्द्रियद्वारा प्राह्यपना अधिक नहीं धरा जा सकता है ।  
अथवा प्रमेयस्वरूप असाधक धर्मके साधर्म्यसे तुम्हारा दूषण भी असमीचीन हो जायगा । प्रतिषेध  
को नहीं साध सकेगा । जब कि अनित्यत्वके साथ व्याप्य हो रहे कृतकत्वसे शब्दमें अनित्यपनका  
उपसंहार कर दिया है, तो ऐसी दशामें कृतकपना तो रूपका व्याप्य नहीं है । जिससे  
कि शब्दमें रूपका भी अविद्य हो जाना आपादन किया जा सके । इसी प्रकार अपकर्ष  
समामें प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है । जिससे कि शब्दमें रूपका निषेध हो जानेसे  
अनित्यपनका अभाव भी टोक दिया जाय । यानी गाँठके अनित्यपनकी भी हानि  
कर दी जाय । वर्णसमामें भी कुछ साधर्म्य मिला जानेसे समीचीन हेतुसे यदि साध्यसिद्धि  
की जा सकी है, तो तैसे हेतुसे सहितपना ही दृष्टान्तपनका प्रयोजक है । किन्तु पक्षमें जितने विशेष-  
णोंसे युक्त हेतु होय दृष्टान्तमें उतने सम्पूर्ण विशेषणोंसे युक्त हो रहे हेतुसे सहितपना दृष्टान्तपनका  
प्रयोजक नहीं है । अन्यथा तुमको भी दूषण योग्य पदार्थका दृष्टान्त करना चाहिये । वही ही दृष्टान्तके



सभी धर्मोंके नहीं मिलनेसे दृष्टान्त नहीं हो सकेगा । अतः दृष्टान्तमें वर्ण्यपनेका यानी सन्दिग्धसाध्य-सहितपनका आपादन करना उचित नहीं । इसी प्रकार अवर्ण्यसमामें भी वैधर्म्यसे यानी निश्चितसाध्य-वाले दृष्टान्तके वैधर्म्य हो रहे संदिग्ध साध्य सहितपनेसे पक्षमें प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है । दृष्टान्तमें देखे गये व्याप्तियुक्त हेतुका पक्षमें सद्भाव हो जानेसे ही साध्यकी सिद्धि हो जाती है । किन्तु दृष्टान्तमें वर्त रहे हेतुके परिपूर्ण धर्मोंसे युक्त हो रहे हेतुका पक्षमें सद्भाव मानना उचित नहीं है । अतः आरमा, शब्द, आदि पक्षोंमें दृष्टान्तके समान निश्चित साध्ययुक्तपनका आपादन नहीं किया जा सकता है, जिससे कि स्वरूपासिद्ध या आश्रयासिद्ध दोष हो सकें । इसी प्रकार विकल्पसमामें भी प्रकरण प्राप्त साध्यके व्याप्य हो रहे प्रकृत हेतुसे साध्यसिद्धि जब हो चुकी है, तो उसके वैधर्म्यसे यानी किसी एक अनुपयोगी धर्मका कहीं व्यभिचार उठा देने मात्रसे प्रतिवादी द्वारा किया गया प्रतिषेध नहीं संभवता है । यों कृतकत्व, गुरुत्व, अनित्यत्व, मूर्त्तत्वका टेडा मेडा मिलाकर चाहे जिस किसीसे व्यभिचार दिखला देनेसे ही प्रकृत हेतु साध्यका असाधक नहीं हो जाता है । अति प्रसंग हो जायगा, देखिये । जगत्में जो अधिक आवश्यक होता है, उसका मूल्य अधिक होता है । किन्तु शरीर स्वस्थताके लिये भोज्य पदार्थोंसे जल और जलसे वायु अधिक आवश्यक है । किन्तु मूल्य इनका उत्तरोत्तर न्यून है । भूषण, वस्त्र, अन्नमें, भी यही दशा है । तथा लोकमें देवदत्तका स्वामी देवदत्तको मान्य है । संभव है वह प्रभु देवदत्तको पुत्र जिनदत्तको भी मान्य होय । एतावता जिनदत्तको माननीय समझनेवाले इन्द्रदत्तको या इन्द्रदत्तके छोटे भाईको भी वह स्वामी माननीय होय ऐसा नियम नहीं देखा जाता है । लौकिक नातोंके अनुसार जमाताका सत्कार किया जाता है । किन्तु जामाताका जामाता और उसका भी जामाता ( जमाई ) यों त्रैशिक विधिके अनुसार अत्यधिक सत्कार करने योग्य नहीं बन बैठता है । कहीं कहीं तो उत्तरोत्तर मान्यता बढ़ते बढ़ते चौथी पांचवीं कोटिपर जाके नातोंमें विशेष हलकी पड़ जाती है । जीजाका जीजा उसका भी जीजा पुनः उसका भी जीजा तीसरी चौथी कोटिपर साढेका साढा और उसका भी साढा या उसका भी साढा हो जाता है । तथा लडकी को ननद और उसकी भी ननद कहीं पुत्रवधू हो जाती है । शिष्योंके शिष्य कहीं गुरुजीके जामाता बन बैठते हैं । न्यायालयमें अधिकारी देवदत्तके सन्मुख देवदत्तके पिता के अधिक उन्नतवाले मान्य मित्रको विनीत होकर वक्तव्य कहनेके लिये बाध्य होना पड़ता है । उपकारका उपकारी मनुष्य क्वचित् प्रकृत मनुष्यका अपकार कर बैठता है । बात यह है कि खण्ड रूपसे दोष या गुणके मिल जानेपर परिपूर्ण रूपसे वह नियम नहीं बना लिया जाता है । जिससे कि यों बादरायण संबंध घटाकर अनेकैतिक दोष हो सके । इसी प्रकार साध्यसमाजातिमें भी प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है । जब कि व्याप्य हेतुसे पक्षमें साध्यकी सिद्धि हो जाती है, तो पुनः पक्ष, दृष्टान्त, आदिके भी इस वादी करके नहीं साधे जाते हैं । यदि ऐसा माना जायगा तो कहीं भी साध्यकी सिद्धि नहीं हो सकेगी । प्रतिवादीका दूषण उठाना भी नष्ट भ्रष्ट हो जावेगा । वहाँ भी

दूषणका लक्षण और घटकावयव पदोंकी सिद्धि करते करते उकता जाओगे । तुम दूषण देना भी भूल जाओगे । वर्ण्यसमा, अवर्ण्यसमा और साध्यसमामें यह समाधान भी लागू हो जाता है कि साध्यके अतिदेशसे दृष्टान्तमें साध्यका अतिदेश है । उतनेसे ही दृष्टान्तपना बन जाता है । सम्पूर्ण वर्ग सर्वथा नहीं मिल जाते हैं । अन्यथा पक्ष, दृष्टान्तका अमेद हो जायगा । अतः वर्ण्यसमा और अवर्ण्यसमा जाति उठाना ठीक नहीं है । साध्यसमामें सूत्रपठित दृष्टान्तका अर्थ पक्ष करना चाहिये अथवा दृष्टान्त ही अर्थ बना रहो । बात यह है कि दृष्टान्त या साध्यके आधारभूत पक्षको साध्य नहीं बनाया जाता है । अतः ये उत्कर्षसमा आदिक प्रतिषेध दूषणाभास हैं । ऐसा नैयायिक बखान रहे हैं ।

क्रियावानात्मा क्रियाहेतुगुणाश्रयत्वाल्लोष्ठवदित्यादौ दृष्टांतादिसमर्थनयुक्ते साधन-धर्मे प्रयुक्ते सत्यपि साध्यदृष्टांतयोर्धर्मविकल्पादुपवर्णिताद्वैधर्म्येण प्रतिषेधस्य कर्तुमलब्धेः किञ्चित्साधर्म्यादुपसंहारसिद्धेः । तदाह न्यायभाष्यकारः । “अलभ्यः सिद्धस्य निन्हवः सिद्धं च किञ्चित्साधर्म्यादुपमानं यथा गौस्तया गवय ” इति । तत्र न लभ्यो गोगवययोर्धर्म-विकल्पश्चोदयितुं । एवं साधनधर्मे दृष्टांतादिसामर्थ्ययुक्ते सति न लभ्यः साध्यदृष्टांतयोर्धर्म-विकल्पाद्वैधर्म्यात् प्रतिषेधो वक्तुमिति ।

आत्मा क्रियावान् है । क्रियाके हेतु हो रहे गुणोंका आश्रय होनेसे, डेढके समान, या शब्द अनित्य है, कृतक होनेसे, अथवा पर्वत बढिमान् है, घूम होनेसे, इत्यादिक अनुमान वाक्योंमें दृष्टान्त आदि सम्बन्धी समर्थनसे युक्त हो रहे साधनधर्मके प्रयुक्त होते संते भी साध्य और दृष्टान्तके उक्त वर्णन किये जा चुके विकल्पसे वैधर्म्य करके प्रतिवादी द्वारा प्रतिषेध किया जाना नहीं प्राप्त हो सकता है । क्योंकि कुछ एक सधर्माणके मिल जानेसे उपसंहार पूर्वक साध्यकी सिद्धि हो चुकी है । उसी बातको न्यायभाष्यकार वात्स्यायन “ किञ्चित्साधर्म्यादुपसंहारसिद्धेर्वैधर्म्यादप्रतिषेधः ” इस सूत्रके माध्यमें अलभ्यसे प्रारम्भ कर वक्तुमिति तक यों स्पष्ट कहते हैं कि सिद्धि हो चुके पदार्थका अपलाप या अविश्वास करना अलभ्य है । जब कि कुछ थोड़ेसे सधर्माणसे उपमान सिद्ध हो चुका है । देखिये, जैसे गो है वैसा गवय ( रोह ) है । इस प्रकार उपमान उपमेय भाव बन चुकने पर और गवयके धर्मोंका विकल्प उठाकर पुनः कुचोष किसीके ऊपर नहीं ढकेल दिया जाता है । इसी प्रकार दृष्टान्त, व्याप्ति, पक्षधर्मता आदिकी सामर्थ्यसे युक्त हो रहे साध्य, ज्ञापक हेतु, स्वरूप धर्मके प्रयुक्त हो चुकनेपर पुनः प्रतिवादीद्वारा साध्य और दृष्टान्तके धर्मविकल्पसे वैधर्म्यकरके प्रतिषेध कहा जाना प्राप्त नहीं हो सकता है ।

साध्यातिदेशमात्राच्च दृष्टान्तस्योपपत्तेः साध्यत्वासंभवात् । यत्र हि लौकिकपरीक्ष-काणां बुद्धेरभेदस्तेनाविपरीतोर्यः साध्येऽतिविशयते प्रज्ञापनार्थं । एवं च साध्यातिदेशाद् दृष्टान्ते क्वचिदुपपद्यमाने साध्यत्वमनुपपन्नमिति । तथोच्योतकरोप्याह । दृष्टांतः साध्य इति

यदि साध्यको नहीं प्राप्त होकर साध्यका साधक होगा तब तो समी हेतु प्रकृत साध्यके साधन बन बैठेंगे अपवा वह प्रकृत हेतु अकेला ही समी साध्यको साध ढालेगा । इस प्रसंगका दूर करना वादी द्वारा अप्राप्तिका पक्ष लेनेपर असम्भव है । लोकमें भी देखा गया है कि व्यंग्य पदार्थोंके साथ नहीं प्राप्त ( सम्बद्ध ) हो रहा दीपक उन पदार्थोंका प्रकाशक नहीं है । इस प्रकार अप्राप्ति करके प्रत्यवस्थान देना यह अप्राप्तिसमा जातिका उदाहरण समझ लेना चाहिये । किन्तु यह प्रतिवादीका उत्तर समीचीन नहीं है । नैयायिक कहते हैं कि वस्तुतः विचारनेपर ये प्राप्तिसमा, अप्राप्तिसमा, दोनों ही दूषणामास हैं । क्योंकि इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा प्रतिषेध करनेका भी प्रलय हो जावेगा प्रतिवादी द्वारा किये गये प्रतिषेधमें भी प्राप्ति और अप्राप्तिका विकल्प उठाकर उस प्रतिषेधकी अस्तिद्धि कर दी जायगी, यों प्रतिषेधको साधनेवाले प्रतिवादीका हेतु भी असाधक हो जायगा । बात यह है कि साधनीयके साथ प्राप्त हो रहे भी दण्ड, चक्र, कुशाळ, आदिको घटका साधकपना देखा जाता है । तथा मारण, उच्चाटन आदि हिंसा कर्म करानेवाले अभिचार मंत्रोंको अप्राप्त हो कर भी शत्रुके लिये असाताका कारकपना देखा जाता है । “ शत्रुपान्दनकामः श्येनेनाभिचरेत् ” यहाँ बैठे बैठे हजारों कोश दूरके कार्यको मंत्रों द्वारा साध्य कर लिया जाता है । इस प्रकार प्राप्त और अप्राप्त समी पदार्थोंका अन्वय न्यतिरेक द्वारा कार्यकारण भाव नियत हो रहा है । अतः प्राप्ति करके प्रतिषेध देना प्रतिवादीका अजुचित प्रयास है । ये दूषण नहीं होते डूये दूषणसारिखे दूषणामास हैं ।

नन्वत्र कारकस्य हेतोः प्राप्तस्याप्राप्तस्य च दंडादेरभिचारमंत्रादेश्च स्वकार्यकारितोपदर्शिता ज्ञापकस्य तु हेतोः प्राप्तस्याप्राप्तस्य वा स्वसाध्यापकाशिता चोदितेति न संगतिरस्तीति कथित् । तदसत् । कारकस्य ज्ञापकस्य चाऽविशेषेण प्रतिक्षेपोयमित्येवं ज्ञापनार्थत्वात्कारकहेतुव्यवस्थापनस्य । तेन ज्ञापकोपि हेतुः कथित्प्राप्तः स्वसाध्यस्य ज्ञापको दृष्टो यथा संयोगी धूमादिः पावकादिः । कथिदमाप्तो विश्लेषे, यथा कृचिकोदयः शकटोदयस्येत्यपि विज्ञायते । अयायं सर्वोपि पक्षीकृतस्तर्हि येन हेतुना प्रतिषिध्यते सोपि प्रतिषेधको न स्यादुभययोक्तदूषणप्रसंगादित्यप्रतिषेधस्ततो दूषणाभासाविमौ प्रतिपत्तव्यौ ।

यहाँ नैयायिकके ऊपर प्रतिवादीकी ओर लेनेवाले किसी विशारदकी शंका है कि “ घटादि निष्पत्तिदर्शनात् पीडने चाभिचारादप्रतिषेधः ” इस सूत्रमें प्राप्त हो रहे दण्ड आदिक और अप्राप्त हो रहे षष्पाटक, मारक, पीडक, अभिचार मंत्र, चुम्बक पापाण आदिक इन कारक हेतुओंका स्वकार्य साधकपना दिखलाया गया है । किन्तु प्रतिवादीने तो स्वकीय साध्यके साथ प्राप्त हो रहे अपवा अप्राप्त हो रहे ज्ञापक हेतुओंकी स्वकीय साध्यकी ज्ञापकताका प्रतिषेधरूप प्रत्यवस्थान देनेकी प्रेरणा की थी । इस कारण दृष्टान्त और दार्ष्टान्तकी संगति नहीं है । हाँ, यदि आप ज्ञापक हेतुओंकी प्राप्ति, अप्राप्ति होनेपर स्वसाध्यप्रकाशकता दिखलाते तो प्रतिवादीका कहना दूषणामास हो

सकता था, अन्यथा नहीं। इस प्रकार कोई कह रहा है। नैयायिकोंकी ओरसे कहा जाता है कि वह उनका कहना सत्य नहीं है। क्योंकि प्राक् असत् कर्त्तृको बनानेवाला भले ही कारक हेतु होय अथवा सत्की जति करानेवाला ज्ञापक हेतु होय, दोनोंमें कोई विशेषता नहीं करके हमने यह प्रतिवादीके ऊपर आक्षेप किया है। इस बातको समझानेके लिये यहाँ दृष्टान्त देकर कारक हेतुकी व्यवस्था करा दी गयी है। एक बात यह भी है कि कारक हेतु भी व्यवस्थाके ज्ञापक हो जाते हैं। और ज्ञापक हेतु भी ज्ञप्तिके कारक बन बैठते हैं। तिस कारणसे कोई कोई ज्ञापक हेतु भी प्राप्त होकर अपने नियत साध्यका ज्ञापक हो रहा देखा जाता है। जैसे कि अग्निके साथ संयोग सम्बन्धको धारनेवाला धूम हेतु या रूपके साथ एकार्थसमवायको धारनेवाला रस हेतु आदिक भी अग्नि, रूप, आदिके ज्ञापक हैं। तथा दैशिक या कालिक विभाग हो जानेपर कोई कोई हेतु अप्राप्त होकर भी स्वकीय साध्यका ज्ञापक जाना जाता है। जैसे कि कृत्तिकाका उदय यह हेतु मुहूर्त्त पाँछे शकटके उदयका साधक हो जाता है। अथो देशमें नदी पूरके देखनेसे ऊपर देशमें घृष्टिका अनुमान अप्राप्त हेतुद्वारा कर लिया जाता है। यह ज्ञापक हेतुओंकी प्राप्ति और अप्राप्तिसे स्वसाध्यके प्रति साधकता भी समझ लीजियेगा। अब तो दृष्टान्त और दार्ष्टान्त सर्वथा विषम नहीं रहे। अब यदि प्रतिवादीका पक्षपात करनेवाला कोई विद्वान् यों कहे कि यह सब भी पक्षकोटिमें कर लिया जावेगा। अर्थात्—धूम प्राप्त होकर यदि अग्निका प्रकाशक है, तो धूम और अग्नि दोनोंमेंसे एकका साध्यपन और दूसरेका हेतुपन कैसे युक्त हो सकता है ? तथा अप्राप्त कृतिकोदय यदि रोहिणी उदयको साध देवेगा, तो सभी अप्राप्तोंका वह साधक बन बैठेगा। इस प्रकार यहाँ भी प्राप्तिप्राप्त, अप्राप्तिप्राप्त जातियाँ उठायी जा सकती हैं। अब समाधान कर्त्ता बोलते हैं कि तब जिस हेतु करके वादीको अभिप्रेत हो रहे साध्यका प्रतिवादीद्वारा प्रतिषेध किया जायगा, वह प्रतिवादीका हेतु भी प्रतिषेध करनेवाला नहीं ठहर सकेगा। क्योंकि यहाँ भी प्राप्ति और अप्राप्तिके विकल्प उठाकर दोनों प्रकारसे वैसे ही दूषण उठा देनेका प्रसंग हो जायगा। इस कारण प्रतिवादीद्वारा प्रतिषेध नहीं हो सका। तिस कारण सिद्ध हुआ कि ये प्राप्तिप्राप्त और अप्राप्तिप्राप्त दोनों दूषणाभास हैं। यह विद्वानोंको समझ लेना चाहिये।

वक्तव्यं साधनस्यापि साधनं वादिनेति तु ।

प्रसंगवचनं जातिः प्रसंगसमतां गता ॥ ३५९ ॥

क्रियाहेतुगुणोपेतः क्रियावांछोष्ठ इष्यते ।

कुतो हेतोर्विना तेन कस्यचिन्न व्यवस्थितिः ॥ ३६० ॥

वचनासंभवात्तावता भवता न दृष्टान्तलक्षणं व्यज्ञायि । दृष्टान्तो हि नाम दर्शनयोर्विहितयो-  
र्विषयः । तथा च साध्यमनुपपन्नं । अय दर्शनं विहन्यते तर्हि नासौ दृष्टान्तो लक्षणा-  
भावादिति ।

गौतमसूत्र है कि “ साध्यातिदेशश्च दृष्टान्तोपपत्तेः ” साध्यके अतिदेश मात्रसे दृष्टान्तका दृष्टान्तपन बन जाता है । उपमान प्रमाणसे जानने योग्य पदार्थकी जति करनेमें अतिदेशवाक्य साधक हो जाता है । जैसे कि जैसी मूंग होती है, वैसी मुद्गपर्णी होती है । और मुद्गपर्णीके सदृश हो रही औषधि विषविकारको नष्ट कर देती है । इस प्रकार आतवाक्य रूप अतिदेशद्वारा अवधारण कर कहीं वनमें-उपमानसे संज्ञासंज्ञाके सम्बन्धको समझता हुआ उस औषधिको चिकित्साके लिये ले आता है अथवा अधिक लम्बी मीनावाला पशु कुंठ होता है, बहुत बड़ी नासिकासे युक्त हो रहा पशु हाथी कहा जाता है, ऐसे वाक्योंको अतिदेशवाक्य कहते हैं । उनका स्मरण रखना पड़ता है । प्रकरण प्राप्त सूत्रमें अतिदेश शब्द है, सामान्यरूपसे साध्यका अतिदेश कर देना दृष्टान्तमें पर्याप्त है । एतावता दृष्टान्तका साध्यपना तो असम्भव है । इस सूत्रका भाष्य यों है कि जिस पदार्थ लौकिक और परीक्षक पुरुषोंकी बुद्धिका अमेद यानी साध्य दिखलाया जाता है, वह दृष्टान्त है । उससे विपरीत नहीं हो रहा अर्थ तो समझानेके लिये साध्यमें अतिदेश कर दिया जाता है और ऐसा होनेपर साध्यके अतिदेशसे किसी एक व्यक्तिका दृष्टान्तपना बन चुकनेपर पुनः उस दृष्टान्तको साध्यपना नहीं बन सकता है । इसी बातको तिस प्रकार उद्योतकर पण्डित मी यों विशद कर कहते हैं कि जो आप प्रतिवादी साध्यसमामे दृष्टान्तको ही साध्य कह रहे हैं, यह आपका कथन करना असम्भव है । तिस प्रकारके कथनसे हमको प्रतीत होता है कि आपने दृष्टान्तका लक्षण ही नहीं समझ पाया है । देखिये, दृष्टान्त नाम उसका निश्चय किया गया है जो कि लौकिक या परीक्षक पुरुषों करके विधान किये गये प्रत्यक्ष आत्मक दर्शनोंका विषय होय । “ दृष्टः अन्तो यत्र स दृष्टान्तः । ” जब कि दर्शनों द्वारा वादी, प्रतिवादी, सम्य पुरुषों करके दृष्टान्त प्रत्यक्षित हो गया है, तो तिस प्रकार उसको साध्य कोटिमें ढाना अक्षिप्त है । हाँ, अब यदि दृष्टान्त बगानेके लिये उसके पेटमें घुसे हुये दर्शनका विवात किया जायगा अर्थात्-तुम यों कह दो कि वादीने मछे ही वनं धर्म देख लिये होंय किन्तु मुझ प्रतिवादीने तो उसमें घमौका दर्शन नहीं किया है, तब तो हम उद्योतकरको कहना पड़ेगा कि वह दृष्टान्त ही नहीं बन सका । क्योंकि दृष्टान्तका यहाँ लक्षण घटित ही नहीं होता है । वादी, प्रतिवादी, दोनोंके दर्शनोंका विषयभूत व्यक्ति तो दृष्टान्त हो सकता है । अन्ते वादी द्वारा देखे गये धर्मवान् पदार्थको दृष्टान्त नहीं माना जा सकता है । अतः प्रतिवादीने उसको दृष्टान्त मान लिया यह उसकी मूढ है । यहाँतक दूषणमासपनेसे सदैव हो रही उत्कर्षसमा आदि छह जातियोंका विचार कर दिया गया है ।

प्राप्त्या यत्प्रत्यवस्थानं जातिः प्राप्तिः सा ।  
 अप्राप्त्या पुनरप्राप्तिः सत्साधनेरणे ॥ ३५३ ॥  
 यथायं साधयेद्धेतुः साध्यप्राप्त्यान्यथापि वा ।  
 प्राप्त्या चेद्युगपद्भावात्साध्यसाधनधर्मयोः ॥ ३५४ ॥  
 प्राप्तयोः कथमेकस्य हेतुतान्यस्य साध्यता ।  
 युक्तेति प्रत्यवस्थानं प्राप्त्या तावदुदाहृतम् ॥ ३५५ ॥  
 अप्राप्य साधयेत्साध्यं हेतुश्चेत्सर्वसाधनः ।  
 सोस्तु दीपो हि नाप्राप्तपदार्थस्य प्रकाशकः ॥ ३५६ ॥  
 इत्यप्राप्त्यावबोद्धव्यं प्रत्यवस्थानिदर्शनम् ।  
 तावेतौ दूषणाभासौ निषेधस्यैवमत्ययात् ॥ ३५७ ॥  
 प्राप्तस्यापि दंडादेः कुंभसाधकतेक्ष्यते ।  
 तथाभिचारमंत्रस्याप्राप्तस्यासातकारिता ॥ ३५८ ॥

न्यायसूत्र और भाष्यके अनुसार दो जातियोंका लक्षण इस प्रकार है कि हेतुकी साध्यके साथ प्राप्ति करके जो प्रत्यवस्थान दिया जाता है, वह प्राप्तिः ही जाति है । और अप्राप्ति करके जो फिर प्रत्यवस्थान दिया जाता है, वह अप्राप्तिः ही जाति है । जैसे कि पर्वतो वह्निमान् धूमात्, शब्दो अनित्यः कृतकत्वात्, इत्यादिक समीचीन हेतुका वादी द्वारा कथन किये जा चुकनेपर प्रतिवादी दोष उठाता है कि यह हेतु क्या साध्यको प्राप्त होकर साध्यकी सिद्धि करावेगा ? अथवा क्या दूसरे प्रकारसे भी ? यानी साध्यको नहीं प्राप्त होकर हेतु साध्यकी सिद्धि करा देगा ? बतलाओ । प्रथम पक्ष अनुसार साध्यके साथ संबन्ध हो जाना रूप प्राप्तिसे यदि साध्यकी सिद्धि मानी जायगी तब तो साध्य और हेतु इन दोनों धर्मोंका एक काळ एक साथ ही सद्भाव हो जानेसे उनमें हेतुपन और साध्यपनकी कोई नियामक कोई विशेषता नहीं ठहर पाती है । साध्य और हेतु जब दोनों ही एक स्थानमें प्राप्त हो रहे हैं, तो गायके डेरे और सूधे सींग समान भला उनमेंसे एकको हेतुपन और दूसरेको साध्यपन कैसे पुक्त हो सकता है ? विनिगमनाविरहसे दोनों ही हेतु बन जायेंगे या दोनों धर्म साध्य बन बैठेंगे । झगडा मच जायगा । इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा प्राप्ति करके दिये गये पहिले प्रत्यवस्थानका उदाहरण यहाँतक दिया जा चुका । अब द्वितीय विकल्प अनुसार अप्राप्तिसमाका उदाहरण यों समक्षिये कि वार्ताका हेतु

यदि साध्यको नहीं प्राप्त होकर साध्यका साधक होगा तब तो समी हेतु प्रकृत साध्यके साधन बन बैठेगे अथवा वह प्रकृत हेतु अकेला ही समी साध्यको साध ढालेगा। इस प्रसंगका दूर करना वादी द्वारा अप्राप्तिका पक्ष लेनेपर असम्भव है। लोकमें भी देखा गया है कि व्यंग्य पदार्थोंके साथ नहीं प्राप्त (सम्बद्ध) हो रहा दीपक उन पदार्थोंका प्रकाशक नहीं है। इस प्रकार अप्राप्ति करके प्रत्यवस्थान देना यह अप्राप्तिसमा जातिका उदाहरण समझ लेना चाहिये। किन्तु यह प्रतिवादीका उच्चर समीचीन नहीं है। नैयायिक कहते हैं कि वस्तुतः विचानेपर ये प्राप्तिसमा, अप्राप्तिसमा, दोनों ही दूषणामास हैं। क्योंकि इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा प्रतिषेध करनेका भी प्रयत्न हो जावेगा प्रतिवादी द्वारा किये गये प्रतिषेधमें भी प्राप्ति और अप्राप्तिका विकल्प उठाकर उस प्रतिषेधकी अस्तिद्धि कर दी जायगी, यों प्रतिषेधको साधनेवाले प्रतिवादीका हेतु भी असाधक हो जायगा। बात यह है कि साधनीयके साथ प्राप्त हो रहे भी दण्ड, चक्र, कुशाड, आदिको घटका साधकपना देखा जाता है। तथा माण, उच्चाटन आदि हिंसा कर्म करानेवाले अभिचार मंत्रोंको अप्राम हो कर भी शत्रुके लिये असाताका कारकपना देखा जाता है। “शत्रुर्पाहनकामः श्येनेनाभिचरेत्” यहा बैठे बैठे हजारों कोश दूरके कार्योका मंत्रो द्वारा साध्य कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त और अप्राप्त समी पदार्थोंका अन्वय व्यतिरेक द्वारा कार्यकारण भाव नियत हो रहा है। अतः प्राप्ति करके प्रतिषेध देना प्रतिवादीका अनुचित प्रयास है। ये दूषण नहीं होते इये दूषणसारिखे दूषणामास हैं।

नन्वत्र कारकस्य हेतोः प्राप्तस्याप्राप्तस्य च दंडादेरभिचारमंत्रादेश्च स्वकार्यकारितोपदर्शिता ज्ञापकस्य तु हेतोः प्राप्तस्याप्राप्तस्य वा स्वसाध्यामकाशिता चोदितेति न संगतिरस्तीति कश्चित् । तदसत् । कारकस्य ज्ञापकस्य चाऽविशेषेण प्रतिषेधोपयमित्येवं ज्ञापनार्थत्वात्कारकहेतुव्यवस्थापनस्य । तेन ज्ञापकोपि हेतुः कश्चित्प्राप्तः स्वसाध्यस्य ज्ञापको दृष्टो यथा संयोगी धूमादिः पावकादिः । कश्चिदप्राप्तो विश्लेषे, यथा कृत्तिकोदयः शक्रोदयस्येत्यपि विज्ञायते । अथायं सर्वोपि पक्षीकृतस्तर्हि येन हेतुना प्रतिषिध्यते सोपि प्रतिषेधको न स्यादुभययोक्तदूषणप्रसंगादित्यप्रतिषेधस्ततो दूषणाभासाविमौ प्रतिपत्तव्यौ ।

यहां नैयायिकके ऊपर प्रतिवादीकी ओर लेनेवाले किसी विशारदकी शंका है कि “घटादि निष्पत्तिदर्शनात् पांडने चाभिचारादप्रतिषेधः” इस सूत्रमें प्राप्त हो रहे दण्ड आदिक और अप्राप्त हो रहे उच्चाटक, मारक, पांडक, अभिचार मंत्र, चुम्बक पापाण आदिक इन कारक हेतुओंका स्वकार्य साधकपना दिखलाया गया है। किन्तु प्रतिवादीने तो स्वकीय साध्यके साथ प्राप्त हो रहे अथवा अप्राप्त हो रहे ज्ञापक हेतुओंकी स्वकीय साध्यकी ज्ञापकताका प्रतिषेधरूप प्रत्यवस्थान देनेकी प्रेरणा की थी। इस कारण दधान्त और दार्ष्टान्तकी संगति नहीं है। हां, यदि आप ज्ञापक हेतुओंकी प्राप्ति, अप्राप्ति होनेपर स्वसाध्यप्रकाशकता दिखलाते तो प्रतिवादीका कहना दूषणामास हो

सकता था, अन्यथा नहीं। इस प्रकार कोई कह रहा है। नैयायिकोंकी ओरसे कहा जाता है कि वह उनका कहना सत्य नहीं है। क्योंकि प्राक् असत् कर्मोंको बनानेवाला भले ही कारक हेतु होय अथवा सत्की ज्ञप्ति करानेवाला ज्ञापक हेतु होय, दोनोंमें कोई विशेषता नहीं करके हमने यह प्रतिवादीके ऊपर आक्षेप किया है। इस बातको समझनेके लिये यहां दृष्टान्त देकर कारक हेतुकी व्यवस्था करा दी गयी है। एक बात यह भी है कि कारक हेतु भी व्यवस्थाके ज्ञापक हो जाते हैं। और ज्ञापक हेतु भी ज्ञप्तिके कारक बन बैठते हैं। तिस कारणसे कोई कोई ज्ञापक हेतु भी प्राप्त होकर अपने नियत साध्यका ज्ञापक हो रहा देखा जाता है। जैसे कि अग्निके साथ संयोग सम्बन्धको धारनेवाला धूम हेतु या रूपके साथ एकार्थसमवायको धारनेवाला रस हेतु आदिक भी अग्नि, रूप, आदिके ज्ञापक हैं। तथा दैशिक या कालिक विभाग हो जानेपर कोई कोई हेतु अप्राप्त होकर भी स्वकीय साध्यका ज्ञापक जाना जाता है। जैसे कि कृत्तिकाका उदय यह हेतु सुहृत् पीछे शकटके उदयका साधक हो जाता है। अधो देशमें नदी पूरके देखनेसे ऊपर देशमें वृष्टिका अनुमान अप्राप्त हेतुद्वारा कर लिया जाता है। यह ज्ञापक हेतुओंकी प्राप्ति और अप्राप्तिसे स्वसाध्यके प्रति साधकता भी समझ लीजियेगा। अब तो दृष्टान्त और दार्ष्टान्त सर्वथा विषम नहीं रहे। अब यदि प्रतिवादीका पक्षपात करनेवाला कोई विद्वान् यों कहे कि यह सब भी पक्षकोटिमें कर लिया जावेगा। अर्थात्—धूम प्राप्त होकर यदि अग्निका प्रकाशक है, तो धूम और अग्नि दोनोंमेंसे एकका साध्यपन और दूसरेका हेतुपन कैसे युक्त हो सकता है ! तथा अप्राप्त कृतिकोदय यदि रोहिणी उदयको साध देवेगा, तो सभी अप्राप्तोंका वह साधक बन बैठेगा। इस प्रकार यहां भी प्राप्तिप्राप्त, अप्राप्तिसमा जातिया उठायी जा सकती हैं। अब समाधान कर्त्ता बोलते हैं कि तब जिस हेतु कारके वादीको अभिप्रेत हो रहे साध्यका प्रतिवादीद्वारा प्रतिषेध किया जायगा, वह प्रतिवादीका हेतु भी प्रतिषेध करनेवाला नहीं ठहर सकेगा। क्योंकि यहां भी प्राप्ति और अप्राप्तिके विकल्प उठाकर दोनों प्रकारसे वैसे ही दूषण उठा देनेका प्रसंग हो जायगा। इस कारण प्रतिवादीद्वारा प्रतिषेध नहीं हो सका। तिस कारण सिद्ध हुआ कि ये प्राप्तिप्राप्त और अप्राप्तिप्राप्त दोनों दूषणाभास हैं। यह विद्वानोंको समझ लेना चाहिये।

वक्तव्यं साधनस्यापि साधनं वादिनेति तु ।

प्रसंगवचनं जातिः प्रसंगसमतां गता ॥ ३५९ ॥

क्रियाहेतुगुणोपेतः क्रियावांछोष्ठ इष्यते ।

कुतो हेतोर्विना तेन कस्यचिन्न व्यवस्थितिः ॥ ३६० ॥



एवं हि प्रत्यवस्थानं न युक्तं न्यायवादिनां ।

वादिनोर्यत्र वा साम्यं तस्य दृष्टान्तास्थितिः ॥ ३६१ ॥

यथारूपं दिदृक्षूणां दीपादानं प्रतीयते ।

स्वयं प्रकाशमानं तु दीपं दीपांतराग्रहात् ॥ ३६२ ॥

तथा साध्यप्रसिद्धयर्थं दृष्टान्तग्रहणं मतं ।

प्रज्ञातात्मनि दृष्टान्ते त्वफलं साधनांतरम् ॥ ३६३ ॥

अब प्रसंगसमा जातिको कहते हैं कि वादिने जिस प्रकार साध्यका साधन कहा है, वैसे ही साधनका भी साधन करना या दृष्टान्तकी भी सिद्धि करना वादीको कहना चाहिये, इस प्रकार तो प्रतिवादी द्वारा जो प्रसंगका कथन किया जाता है, प्रसंगपनेको प्राप्त हुयी वह प्रसंगसमा जाति है। उसका उदाहरण यों है कि क्रियाके हेतुभूत गुणोंका संबन्ध रखनेवाला डेल क्रियावान् किस हेतुसे माना जाता है ? बताओ। दृष्टान्तकी भी साम्यसे विशिष्टपने कारके प्रतिपत्ति करनेमें वादीको हेतु कहना चाहिये। उस हेतुके बिना तो किसी भी प्रमेयकी व्यवस्था नहीं हो सकती है। अब न्यायसिद्धान्ती इस प्रतिवादीके कथनका असमीचीन उत्तरपना बताते हैं कि न्याय पूर्वक कहनेकी टेव रखनेवाले पण्डितोंको इस प्रकार दूषण उठाना तो युक्त नहीं है। कारण कि जिस पदार्थमें वादी अथवा प्रतिवादियोंके विचार सम होते हैं, उसको दृष्टान्तपना प्रतिष्ठित किया जाता है। और प्रसिद्ध दृष्टान्तकी साम्यसे वादी द्वारा प्रतिवादीके प्रति असिद्ध हो रहे साध्यकी झुक्ति करा दी जाती है। जैसे कि रूप या रूपवान्का देखना चाहनेवाले पुरुषोंको दीपक, आलोक आदिका ग्रहण करना प्रतीत हो रहा है। किन्तु स्वयं प्रकाशित हो रहे प्रदीप आदिका देखना चाहनेवाले पुरुषोंको पुनः उसके लिये अन्य दीप-कोंका ग्रहण करना नहीं देखा गया है। तिस ही प्रकार अज्ञात हो रहे साध्यकी प्रसिद्धिके लिये दृष्टान्तका ग्रहण माना गया है। किन्तु जिस दृष्टान्तका आत्मस्वरूप सबको मंते प्रकार ज्ञात हो चुका है, उसको अन्य साधनोंसे साधना तो व्यर्थ है। यहां आत्माके क्रियासहितपन साध्यकी सिद्धि करानेके लिये प्रसिद्ध डेलका दृष्टान्तरूपसे ग्रहण किया था। किन्तु फिर उस डेलकी सिद्धिके लिये ही तो अन्य साधक हेतुओंका वचन करना आवश्यक नहीं है। वादी प्रतिवादी दोनोंके समानरूपसे अविवादास्पद दृष्टान्तकी दृष्टान्तपना उचित है। उसके लिये अन्य हेतु उठाना निष्फल है। "प्रदीपादानप्रसङ्गनिवृत्तिवचननिवृत्तिः" इस न्यायसूत्रके माध्यमें उक्त अस्मि-प्राय ही पुष्ट किया गया है।

प्रतिदृष्टान्तरूपेण प्रत्यवस्थानमिष्यते ।

प्रतिदृष्टान्ततुल्येति जातिस्तत्रैव साधने ॥ ३६४ ॥

क्रियाहेतुगुणोपेतं दृष्टमाकाशमक्रियं ।

क्रियाहेतुगुणो व्योम्नि संयोगो वायुना सह ॥ ३६५ ॥

संस्कारापेक्षणो यद्वत्संयोगस्तेन पादपे ।

स चायं दूषणाभासः साधनाप्रतिबंधकः ॥ ३६६ ॥

साधकः प्रतिदृष्टान्तो दृष्टातोपि हि हेतुना ।

तेन तद्वचनाभावात् सदृष्टान्तोस्तु हेतुकः ॥ ३६७ ॥

प्रतिदृष्टान्तसमा जातिका लक्षण यों है कि वादीद्वारा कहे गये दृष्टान्तके प्रतिकूल दृष्टान्त-  
स्वरूपकरके प्रतिवादीद्वारा जो दूषण उठाया जाता है, वह प्रतिदृष्टान्तसमा जाति इष्ट की गयी है ।  
उसका उदाहरण यों है कि उस ही आत्माके क्रियावत्त्व साधनेमें प्रयुक्त किये गये गये दृष्टान्तके  
प्रतिकूल दृष्टान्तकरके दूसरा प्रतीवादी प्रत्यवस्थान देता है कि क्रियाके हेतुभूत गुणके युक्त हो रहा  
आकाश तो निष्क्रिय देखा गया है । उस ही के समान आत्मा भी क्रियारहित हो जाओ । यदि  
यहां कोई पण्डित उस प्रतिवादीके ऊपर यों प्रश्न करे कि क्रिया करानेका हेतु हो रहा, फिर  
आकाशका ( में ) कौनसा गुण है ? बताओ तो सही । प्रतिवादीकी ओरसे उक्त प्रश्नका उत्तर  
यों है कि वायुके साथ आकाशका जो संयोग है, वह क्रियाका कारण गुण है । जैसे कि वेग नामक  
संस्कारकी अपेक्षा रखता हुआ, बुद्धिमें वायुका संयोग क्रियाका कारण हो रहा है । उसी " वायु-  
वनस्पतिसंयोग " के समान वायु आकाशका संयोग है । संयोग द्विष्ट होता है । अतः आकाशमें  
ठहर गया । अतः आकाशके समान आत्मा क्रियाहेतु गुणके सद्भाव होनेपर भी क्रियारहित हो जाओ ।  
अब सिद्धान्ती कहते हैं कि यह प्रतिवादीका कथन तो दूषणामास है । क्योंकि वादीके क्रियावत्त्व  
साधनेका कोई प्रतिबन्धक नहीं है । प्रतिदृष्टान्तको कहनेवाले प्रतिवादिने भी कोई विशेषोप हेतु नहीं  
कहा है कि इस प्रकार करके मेरा प्रतिदृष्टान्त तो निष्क्रियत्वका साधक है और वादीका दृष्टान्त  
सक्रियत्वका साधक नहीं है । प्रतिदृष्टान्त हो रहा आकाश यदि निष्क्रियत्वका साधक माना जायगा  
तो वादीका डेह दृष्टान्त भी उस क्रियाहेतुगुणाश्रयत्व हेतुसे सक्रियत्वका साधक हो जावेगा । ऐसी  
दशामें उस प्रतिदृष्टान्तके निरूपणका अभाव हो जानेसे वह डेह दृष्टान्त ही हेतुरहित हो जाओ ।  
अर्थात्—प्रतिदृष्टान्त जैसे हेतुके बिना ही स्वपक्षका साधक है, अन्यथा अनपस्था होगी, तैसे  
दृष्टान्त डेह भी क्रियावत्त्वका स्वतःसाधक है । अतः वह डेह ही प्रतिवादीका भी दृष्टान्त हो जाओ

और आत्माके क्रियावत्त्वका साधक बन बैठे फिर तुमने प्रतिदृष्टान्त आकाश क्यों पकड़े रखा है ? अतः यह प्रतिदृष्टान्तसमा जाति असमीचीन दूषण है। “ प्रतिदृष्टान्तहेतुत्वे च नाहेतुर्दृष्टान्तः ” इस गौतमसूत्रके भाष्यका अभिप्राय इसी प्रकार है। श्री विद्यानन्द आचार्य इन वार्तिकोंके विवरणमें इसका दूषणामासपना विशद रीतिसँ ऊहापोहपूर्वक लिखेंगे।

एवं ह्याह, दृष्टान्तस्य कारणानपदेशात् प्रत्यवस्थानाच्च प्रतिदृष्टान्तेन प्रसंगप्रतिदृष्टान्त-समौ। तत्र साधनस्यापि दृष्टान्तस्य साधनं कारणं प्रतिपत्तौ वाच्यमिति प्रसंगेन प्रत्यवस्थानं प्रसंगसमः प्रतिषेधः तत्रैव साधने क्रियाहेतुगुणयोगात् क्रियावाञ्छोष्ठ इति हेतुर्नापदिश्यते। न च हेतुमंतरेण कस्यचित्सिद्धिरस्तीति। सोयमेव वदद्दूषणाभासवादी न्यायवादिनामेवं प्रत्यवस्थानस्यायुक्तत्वात्। यत्र वादिप्रतिवादिनोः बुद्धिसाम्यं तस्य दृष्टान्तत्वव्यवस्थिते। यथाहि रूपं दिदृक्षूणां तेषां तदग्रहणात्। तथा साध्यस्यात्मनः क्रियावत्त्वस्य प्रसिद्धयर्थं दृष्टान्तस्य लोप्यस्य ग्रहणमभिप्रेतं न पुनर्दृष्टान्तस्यैव प्रसिद्धयर्थं साधनांतरस्योपादानं प्रज्ञातस्वभावदृष्टान्तत्वोपपत्ते तत्र साधनांतरस्याफलत्वात्।

इस ही प्रकार गौतम ऋषिने न्यायदर्शनमें सूत्र कहा है कि साध्यसिद्धिमें उपयोगी हो रहे दृष्टान्तके कारणका विशेष कथन नहीं करनेसे प्रत्यवस्थान देनेकी अपेक्षा प्रसंगसम प्रतिषेध हो जाता है और प्रतिकूल दृष्टान्तके उपादानसे प्रतिदृष्टान्तसम प्रतिषेध हो जाता है। उस सूत्रके भाष्यमें वात्स्यायन विद्वान्ने कहा है कि साध्यके साधक हो रहे दृष्टान्तकी भी प्रतिपत्तिके निमित्त साधन यानी कारण कहना चाहिये। इस प्रकार प्रसंगकरके प्रतिवादीद्वारा प्रत्यवस्थान यानी दूषण उठाया जाना प्रसंगसम नामका प्रतिषेध है। जैसे कि वहाँ ही चले आ रहे अनुमानमें क्रिया हेतुगुणके योगसे आत्मा का क्रियावत्त्व साधन करनेपर लोप दृष्टान्त दिया था। किन्तु डेढको क्रियावान् साधनेमें तो कोई इस प्रकार हेतु नहीं कहा गया है और हेतुके बिना किसी भी साध्यकी सिद्धि नहीं हो पाती है। इस प्रकार प्रतिवादीका दूषण है। अब सिद्धान्ती कहते हैं कि इस प्रकार कह रहा यह प्रतिवादी तो प्रसिद्ध रूपसे दूषणमासको कहनेकी टेव रखनेवाला है। न्यायपूर्वक कहनेका स्वभाव रखनेवाले विद्वानोंको इस प्रकार प्रत्यवस्थान देना समुचित नहीं है। यहाँ सिद्धान्तमें “ लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नेव बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः ” जहाँ वादी प्रतिवादियोंकी या लौकिक जन और परीक्षक विद्वानों की बुद्धि सम हो रही है, उस अर्थको दृष्टान्तपना व्यवस्थित हो रहा है। जिस प्रकार कि रूपका देखना चाहनेवाले पुरुषोंको दीपक प्रहण करना प्रतीत हो रहा है। किन्तु फिर स्वयं प्रकाश रहे प्रदीपका देखना चाहनेवाले उन मनुष्योंको अन्य दीपकोंका प्रहण करना आवश्यक नहीं है। अन्यथा अनवस्था हो जायगी तिसी प्रकार आत्माके साध्य स्वरूप हो रहे क्रियावत्त्वकी प्रसिद्धिके लिये लोप

दृष्टान्तका प्रवृत्त करना अभीष्ट किया गया है। किन्तु फिर दृष्टान्तकी प्रसिद्धिके लिये तो अन्य हेतुओंका उपादान करना आवश्यक नहीं है। क्योंकि प्रायः सभीके यहां प्रसिद्ध रूपसे ज्ञान लिये गये स्वभावोंको धारनेवाले अर्थका दृष्टान्तपना माना जा रहा है। उस दृष्टान्तमें भी पुनः अन्य साधनोंका कथन करना निष्फल है। “प्रदीपादानप्रसङ्गनिवृत्तिवृत्तिनिवृत्तिः” इस सूत्रके भाष्यमें उक्त विषयको पुष्ट किया गया है।

तथा प्रतिदृष्टान्तरूपेण प्रत्यवस्थानं प्रतिदृष्टान्तसमाजातिस्तथैव साधने प्रयुक्ते क्वचित् प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यवतिष्ठते क्रियाहेतुगुणाश्रयमाकाशं निष्क्रियं दृष्टमिति । कः पुनराकाशस्य क्रियाहेतुर्गुणः संयोगो वायुना सह, स च संस्कारापेक्षो दृष्टो यथा पादपे वायुना संयोगः काष्ठत्रयेऽप्यसंभवादाकाशे क्रियायाः कथं क्रियाहेतुर्वायुना संयोग इति न शंक्नीयं, वायुना संयोगेन घनस्पतौ क्रियाकारणेन समानधर्मत्वादाकाशे वायुसंयोगस्य, यत्रवसौ तथाभूतः क्रियां न करोति तन्नाकारणत्वादपि तु प्रतिबंधनान्महापरिमाणेन । यथा मंदवायुनानान्तानां लोष्टादीनामिति । यदि च क्रिया दृष्टा क्रियाकारणं वायुसंयोग इति मन्यसे तदा सर्वं कारणं क्रियानुमेयं भवतः प्राप्तं । ततश्च कस्यचित्कारणस्योपादानं न प्राप्नोति क्रियाधिनां किमिदं करिष्यति किं वा न करिष्यति संदेहात् । यस्य पुनः क्रियासमर्थत्वादुपादानं कारणस्य युक्तं तस्य सर्वमाभाति ।

तिथी प्रकार साध्यके प्रतिकूलको साधनेवाले दूसरे प्रतिदृष्टान्त करके प्रत्यवस्थान देना प्रतिदृष्टान्तसमाजाति है। जैसे कि वहां ही अनुमानमें आत्माके क्रियावस्वको साधनेमें हेतु प्रयुक्त कर चुकनेपर कोई प्रतिवादी प्रतिकूल दृष्टान्त करके प्रत्यवस्थान उठा रहा है कि क्रिया हेतुगुणका आश्रय हो रहा आकाश तो क्रियारहित देखा गया है। इस प्रत्यवस्थाता प्रतिवादीका तात्पर्य यह है कि क्रियाहेतु गुणका आश्रय हो रहा भी आकाश जैसे निष्क्रिय है, जैसे ही क्रियाहेतुगुणका आश्रय हो रहा आत्मा भी क्रियारहित बना रहो। यदि यहां कोई प्रतिवादीके ऊपर यों प्रश्न करे कि तुम्हारे माने गये प्रतिकूल दृष्टान्त आकाशमें कौनसा क्रियाका हेतुगुण है ? थोडा बताओ तो, तब प्रतिवादी की ओरसे इसका उत्तर यों दिया जा सकता है कि वायुके साथ आकाशका संयोग हो रहा है। और वह संस्कारकी अपेक्षा रखता हुआ क्रियाहेतुगुण देखा गया है। जैसे कि वायुके साथ वृक्षमें हो रहा संयोग नामक गुण उस वृक्षके कम्पनका कारण है। उसी वायुवृक्ष संयोगके समान धर्मराश वायुआकाश संयोग है। संयोग गुण दोमें रहता है। वृक्षवायुके संयोगने जैसे वृक्षमें क्रिया पैदा कर दी थी, उसीके समान वायु आकाश संयोग भी आकाशमें क्रियाको उत्पन्न करानेकी योग्यता रखना है। यदि यहां कोई छात्र प्रतिवादीके ऊपर पुनः शंका करे कि तीनों कारणोंमें भी आकाशमें

कारण तो उत्तरवर्ती पर्यायमात्रको बनाकर या जीवोंके ज्ञानमें अवलम्ब कारण बन कर नाममात्रके कारण होते हुये जगत्से यों ही अपनी सत्ताको उठा ले जाते हैं। मुझ भाषा टीकाकारका तो ऐसा विचार है कि जगत्के सम्पूर्ण पदार्थ अपने करने योग्य सभी क्रियाओंको कर ही नहीं पाते हैं। सज्जन मनुष्य हिंसा, शूट, चोरी, मांसभक्षण, कुशाब्ध, पैशुन्य, अपकार आदि दुष्टताओंको कर सकते हैं। दुष्टजीव भी अहिंसा, सत्य, आदि व्रतोंको पाळ सकते हैं। राजा महाराजा या धनपतियोंके यहाँ यान, वाहन, वस्त्र, उपवन, दास, आदि व्यर्थ पड़े हुये हैं। वेठलशा पदार्थ साधारण पुरुषोंके काम आ सकते हैं। किन्तु उनका निमित्तकारण शक्तियाँ बहुमाग व्यर्थ जाती हैं। विष्णु, साँप, संखिया, आदि विवेके पदार्थ असंख्य जीवोंको मार सकते हैं। किन्तु सभी अपनी मरणशक्तिका उपयोग नहीं कर पाते हैं। बहुमाग विषयों ही व्यर्थ अपना खोज खो देते हैं। बन की अनेक वनस्पतियाँ रोगोंको दूर कर सकती हैं। क्यों जी, क्या वे सभी औषधियाँ अपना पूरा कार्य (जोहर) दिखवाती हैं? महिष्क या शरीरसे कितना भारी कार्य किया जा सकता है। क्या सभी जीव उन कार्योंको कर सकते हैं? "मरता क्या न करता" घिरनेपर या किसीसे छड़नेका अवसर आनेपर मृत्युसे बचनेके लिये जीवनपर खेळकर मनुष्य बहुत पुरुषार्थ कर जाता है। किन्तु सदा व्यवहारमें उससे चौदाई या आठवाँ भाग भी पुरुषार्थ करनेके लिये नानीकी स्मृति आ जाती है। सभी अग्नियाँ, त्रिभुजियाँ, तेजाव, ये शरीरको जला सकते हैं। सभी पानी प्यासको बुझा सकते हैं। सभी सोने, चाँदी, खाँडके जूते या चूहे बन सकते हैं। सभी उदार पुरुष तुच्छता करनेपर उतर सकते हैं। सभी युवा, स्त्री, पुरुष, व्यभिचार कर सकते हैं। सभी धमाक्य पुरुष इन दीन सेवकोंके निम्न कार्यको कर सकते हैं। किन्तु इनमेंसे कितने अत्यल्प कारण अपने योग्य कार्योंको कर पाते हैं इस बातको आप सरलतासे समझ सकते हैं। एक अध्यापक मछ, सेवक, या घोडा अपनी पूरी शक्तियोंको व्यय नहीं कर देता है। सिद्धान्त यह निकलता है कि सभी कारणोंका निर्णय पीछे होनेवाली क्रियाओंसे ही नहीं करना चाहिये। प्रकरणमें प्रतिवादीकी ओरसे यह कहना उचित प्रतीत होता है कि आकाशमें क्रिया हो जानेका कारण वायु आकाश संयोग विद्यमान है। किन्तु महापरिमाणसे क्रियाका प्रतिबन्ध हो जानेसे क्रिया नहीं हो पाती है। जैसे कि बड़ी शिक्षामें अधिक गुरुत्वसे प्रतिबन्ध हो जानेके कारण मुक्कका संयोग विचारा सरक जाना, गिरजानारूप क्रियाको नहीं पैदा कर सकता है। क्रिया करनेकी स्वरूपयोग्यता सभी समर्थ असमर्थ, कारणोंमें माननी चाहिये। कारणोंमें योग्यता देख ली जाती है। भविष्यमें होनेवाले फलोंका अन्वेषणोंको प्रत्यक्ष नहीं हो जाता है।

अथ क्रियाकारणवायुवनस्पतिसंयोगसदृशो वाय्वामाकाशसंयोगोन्यश्चान्यत् क्रियाकारणमिति मन्यसे, तर्हि न कश्चिदेतदुत्तरनैकांतिकः स्यात्। तथाहि। अनित्यः शब्दोऽमूर्तत्वात्सुखादिवदित्यत्रामूर्तत्वहेतुः शब्देन्योन्यथाकाशे तत्सदृश इति कथमस्याकाशेनानैका-

तिक्रत्वं सर्वानुमानाभावाप्रसंगश्च भवेत्, अनुमानस्यान्येन दृष्टस्यान्यत्र दृश्यादेव प्रवर्तनात् । न हि ये धूमधर्माः क्वचिद्धूमे दृष्टास्त एव धूमांतरेष्वपि दृश्यंते तत्सदृशानां दर्शनात् । ततोऽनेन कस्यचिद्धेतोरनैकातिक्रत्वमिच्छता क्वचिदनुमानात्मवृत्तिं च स्वीकुर्वता तद्धर्मसदृशस्तद्धर्मोऽनुभंतव्य इति क्रियाकारणवायुवनस्पतिसंयोगसदृशो वाय्वाकाशसंयोगोऽपि क्रियाकारणमेव । तथा च प्रतिदृष्टान्तेनाकाशेन भ्रत्यवस्थानमिति प्रतिदृष्टान्तसमप्रतिषेधवादिनोभिप्रायः ।

अब यदि कोई यों कहे कि यह वायुका आकाशके साथ हो रहा संयोग तो क्रियाके कारण वायुवनस्पति संयोगसे केवल सादृश्य रखता है । वस्तुतः भिन्न है । क्रियाका कारण हो रहा संयोग न्यारा है । और क्रियाको नहीं करने वाला संयोग भिन्न है । इन दोनों संयोगोंकी एक जाति नहीं है । अतः प्रतिवादीद्वारा प्रतिकूल दृष्टान्त हुये निष्क्रिय आकाश करके प्रत्यवस्थान देना उचित नहीं दीखता है । सिद्धांती कहते हैं कि यदि इस प्रकार मानोगे तब तो कोई भी हेतु अनैकान्तिक हेत्वामास नहीं हो सगेगा । इसी बातको दृष्टान्त द्वारा यों स्पष्ट समझ लीजिये कि शब्द ( पक्ष ) अनित्य है ( साध्य ), अमूर्त होनेसे ( हेतु ) सुख, घट, इच्छा, आदिके समान ( अन्वय दृष्टान्त ) इस अनुमानमें दिये गये अमूर्तत्व हेतुका व्यभिचारस्थल आकाश माना गया है । किन्तु तुम्हारे विचार अनुसार यों कहा जा सकता है कि शब्दमें वर्त रहा अमूर्तत्व हेतु भिन्न है । और आकाशमें उस अमूर्तत्वके सदृश दूसरा भिन्न अमूर्तत्व वर्त रहा है । ऐसी दशामें इस अमूर्तत्व हेतुका आकाशकरके व्यभिचारीपना कैसे बताया जा सकता है ? वही शब्दानिष्ठ अमूर्त यदि आकाशमें रह जाता, तब तो व्यभिचार दिया जा सकता था । तुमने जैसे वायुवृक्ष संयोग और वायु आकाश संयोग इनकी न्यारी न्यारी जाति कर दी है, वैसे ही अमूर्तत्व भी भिन्न भिन्न हैं, तो फिर केवल शब्दमें ही वर्त रहा वह अमूर्तत्व विपक्षमें नहीं ठहरा । अतः व्यभिचारेत्वाभास जगत्से उठ जायगा । शब्दजन्य शब्दबोध ( श्रुतज्ञान ) भी नहीं हो सकेगा । “ बुद्धिर्मात्रामपर सदृशी ” वचनोंका प्रवृत्तिव्यवहार दूसरे शब्दोंके सादृश्यपर निर्भर है । किन्तु तुम्हारे मन्तव्य अनुसार उपाख्यम दिया जा सकता है कि संकेतकालका शब्द न्यारा है । और व्यवहारकालका शब्द उसके सदृश हो रहा सर्वथा भिन्न है । ऐसी दशामें शब्दोंके द्वारा वाच्य अर्थकी प्रतिपत्ति होना दुर्लभ है । तुम्हारे यहाँ सभी अनुमानोंके अभावका प्रसंग हो जावेगा । अनुमान तो सादृश्यसे ही प्रवर्तता है । अन्यके साथ व्याप्ति युक्त देखे हुये पदार्थका अन्यत्र दर्शनीय हो जानेसे ही अनुमान का प्रवर्तन माना गया है । रसोर्धरमें अग्नि और धूम न्यारे हैं, तथा पर्वतमें वे भिन्न हैं । फिर भी सादृश्यकी शक्तिसे पर्वतमें वर्त रहे धूमकरके अग्निका अनुमान कर लिया जाता है । जो ही धूपके लृणसम्बन्धीपन पत्तेसम्बन्धीपन बनकटीसम्बन्धीपन, कंठासम्बन्धीपन आदिक धर्म कहीं रसोर्धर, चर,

क्रियाका होना असम्भव है। तो तुमने वायुके साथ हो रहे आकाशके संयोगको आकाशमें क्रिया सम्पादनका कारण मला कैसे कह दिया था ? बताओ। प्रतिवादीकी ओर लैकर सिद्धान्ती समाधान करें देते हैं कि यह शंका नहीं करनी चाहिये। क्योंकि वायुके साथ वनस्पतिका संयोग तो वृक्षमें क्रियाका कारण होता हुआ प्रसिद्ध हो रहा है। आकाशमें हो रहा वायुके साथ संयोग भी उस वृक्ष व युके संयोगका समानधर्मा है। अर्थात्—समान धर्मवाले वृक्षवायुसंयोग और आकाशवायुसंयोगकी जाति एक ही है। अब यह फटाफट शेष रह जाता है कि उस क्रियाके कारण संयोग करके वृक्षमें जैसे क्रिया हो जाती है, उसी प्रकार आकाशमें भी उस संयोग करके देशसे देशान्तर हो जाना रूप क्रिया क्यों नहीं हो जाती है ? कारण है तो कार्य अवश्य होना चाहिये। इसका समाधान प्रतिवादीकी ओरसे यों कर दिया जाता है कि जो वह वायु आकाशसंयोग इस प्रकार क्रियाका कारण हो चुका भी वहाँ आकाशमें क्रियाको नहीं कर रहा है, वह तो आकरणपनसे क्रियाका असम्पादक है, यह नहीं समझ बैठना। किन्तु महापरिमाण करके आकाशमें क्रिया उपजनेका प्रतिबन्ध हो जाता है। सर्वत्र ठसाठस भर रहा आकाश मला कहाँ जाय ? अर्थात्—जात यह कि कारणोंका बहुभाग फटकी सत्पन्न किये बिना यों ही नष्ट हो जाता है। सहकारी सामग्री मिठनेपर यानी अन्य कारणोंकी विक्रमता नहीं होनेपर और प्रतिबन्धकोंके द्वारा कारणोंकी सामर्थ्यका प्रतिबन्ध नहीं होनेपर अल्पभाग कारण ही स्वजन्य कार्यको बनाया करते हैं। प्रतिबन्धकोंके आ जानेपर यदि कारणोंसे कार्य नहीं हुआ तो एतावता कारण आकारण नहीं हो जाता है। बची, तेज, दियासलाई ये दीपकलिकाके कारण हैं। किन्तु प्रबल वायु (बाधी) के चलने पर उन कारणोंसे यदि दीपकलिका नहीं उपजसकी तो एतावता बची, आदिकी कारणता समूह नष्ट नहीं हो जाती है। उसी प्रकार आकाशका वायुके साथ हो रहा संयोग भी आकाशमें क्रिया सम्पादनकी स्वरूपयोग्यता रखता है। किन्तु क्या करें कि वह संयोग आकाशमें समवेत हो रहे क्रियाप्रतिबन्धक परम महापरिमाण गुणकरके प्रतिबन्ध प्राप्त कर दिया गया है। अतः फलोपधायक नहीं होनेसे उस संयोगके क्रियाकारणपनका अभाव नहीं हो जाता है। अतः आकाशमें क्रियासम्पादनकी योग्यता रखनेवाला गुण वायु आकाश संयोग है। प्रतिबन्धक पदार्थके होनेसे यदि वहाँ क्रिया नहीं उपज सके, इसका उत्तरदायित्व ( जिम्मेदारी ) हम ( प्रतिवादी ) पर नहीं है। जैसे कि मन्दवायु करके अनन्त डेज, डेजी, कंकड़ियों, घालकाकणोंमें क्रिया नहीं हो पाती है। गुरुत्व या आधार आधेय दोनोंमें वर्त रहा आकर्षकपन धर्म तो क्रियाका प्रतिबन्धक हो जाता है। हाँ, तीव्र वायु होनेपर ये प्रतिबन्धक पदार्थ डेज आदिकी क्रियाको नहीं रोक पाते हैं। और यदि हम शंकाकार यों मान बैठे हो कि आकाशमें क्रियाका कारण यदि वायुसंयोग माना जाता है, तो वहाँ क्रिया हो जाना दीव्य जाना चाहिये। इसपर हम सिद्धान्तियोंको यों उत्तर देना है कि तब तो आपके यहाँ सभी कारण अपनी अपनी क्रियाके द्वारा ही अनुमान करने योग्य हो

सकेंगे । यह प्रसंग प्राप्त होता है । और तैसा हो जानेसे अर्थक्रियाके अभिलाषी जीवोंके किसी एक विशेष कारणका ही उपादान करना नहीं प्राप्त होता है । चाहे कोई भी सामान्य कारण हमारी अभीष्ट क्रियाको साध देगा । तुम्हारे मन्तव्य अनुसार सभी कारण अपनी क्रियाओंको करते ही हैं । तो फिर लौकिक जनोंको अनेक कारणोंमें इस प्रकार जो संशय हो जाता है कि न जाने यह कारण हमारी अभीष्ट क्रियाको करेगा ? अथवा नहीं करेगा ? यह सन्देह क्यों हुआ । हां, जिस शंकाकारके यहां सभी समर्थकारण या असमर्थ कारण आवश्यकरूपसे यदि क्रियाको करनेमें समर्थ हो रहे हैं । तब तो चाहे किसी भी कारण ( असमर्थ ) का प्रदूषण किया जा सकता है । क्योंकि उसके यहां सभी कारण स्वयंसे क्रियाओंको करनेके लिये उचित प्रतीत हो रहे हैं । अथवा जिस विचारशील प्रतिवादीके यहां पुनः क्रियाको करनेमें भले प्रकार समर्थ होनेसे उसी विशेष कारणका उपादान करना माना जाता है, उसीके यहां तो सभी सिद्धान्त उचित दीख जाता है । भावार्थ—क्रिया कर देनेसे ही कारणपनेका निर्णय नहीं हुआ करता है । बटुभाग बीज यों ही पीसने, खाने, मूजने, सड़ने, गलनेमें नष्ट हो जाते हैं । एतावता अंकुर उत्पन्न करनेमें उन बीजोंका कारणपना नहीं भेट दिया जाता है । वृक्षोंमें वासोंमें, लहवारी प्रामीणोंके हाथमें या दण्डवारी नागरिकोंके घट्टुकरोंमें डण्डा, लठियां, कुन्डियां विद्यमान हैं । ये सभी घटको बनानेमें कारणपनेकी योग्यता रखती हैं । किन्तु कुम्हारके हाथमें लगा हुआ, भोंडा डण्डा ही चाकको घुमाता हुआ घड़ेका फलोपघायक कारण माना जाता है । एतावता अन्य यष्टियोंकी स्वरूपयोग्य कारणता दूर नहीं फेंक दी जाती है । विधवा हो जानेसे सुवति कुठलीकी सन्तान उपादन कारणता नहीं मर जाती है । बात यह है कि क्रियाओंको उत्पन्न करें तभी वे कारण माने जाय, यह नियम नहीं मानना चाहिये । देखिये । किसान किन्हीं अपरीक्षित बीजोंमें सुबीज कुबीजपनेका संशय करते हैं । तभी तो परीक्षाके लिये भोलुआमें थोड़ेसे बीज बोकर सुबीज कुबीजपनका निर्णय कर लेते हैं । जब कि सभी बीजोंमें अङ्कुर उत्पादन क्रियाकी योग्यता थी तभी तो किसानोंको संशय हुआ, भले ही उनमेंसे अनेक बीज अङ्कुरोंको नहीं उपजा सकें । छात्रोंको पढ़ाने वाछा अन्वयक उत्तीर्ण होने योग्य समझकर वीस छात्रोंको वार्षिक परीक्षामें बैठा देता है । उसमें बारह छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं । और आठ छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं । कभी कभी तो उत्तीर्ण होने योग्य छात्र गिर जाते हैं । और अनुत्तीर्ण होने योग्य विद्यार्थी चाटुकारतासे प्रविष्ट हो कर उत्तीर्ण होनेकी बाजीकी जीत लेते हैं । बात यह कि क्रियाकी योग्यता मात्रसे कारणपनेका ज्ञान कर लिया जाता है । भविष्यमें होनेवाली सभी क्रियायें भला किस किसको दीखती हैं । किन्तु क्रियाओंके प्रथम ही अर्थमें कारणपनेका अवमास कर लिया जाता है । हां, प्रतिबंधकोंका अभाव होनेपर और अन्वयकारी कारणोंकी परिपूर्णता होनेपर समर्थकारण अवश्य ही क्रियाको करते हैं । किन्तु ठावों कारणोंमेंसे सम्भवतः एक ही भाग्यशाली कारणको उपयुक्त योग्यता मिळती है । शेष



कारण तो उत्तरवर्ती पर्यायमात्रको बनाकर या जीवोंके ज्ञानमें अवलम्ब कारण बन कर नाममात्रके कारण होते हुये जगत्से यों ही अपनी सत्ताको उठा ले जाते हैं। मुझ भाषा टीकाकारका तो ऐसा विचार है कि जगत्के सम्पूर्ण पदार्थ अपने करने योग्य सभी क्रियाओंको कर ही नहीं पाते हैं। सज्जन मनुष्य हिंसा, झूट, चोरी, मांसमध्दन, कुशाळ, पैशुव्य, अपकार आदि दुष्टताओंको कर सकते हैं। दुष्टजीव भी अहिंसा, सत्य, आदि व्रतोंको पाळ सकते हैं। राजा महाराजा या धनपतियोंके यहां यान, वाहन, वस्त्र, उपवन, दास, आदि व्यर्थ पड़े हुये हैं। वेठलशा पदार्थ साधारण पुरुषोंके काम आ सकते हैं। किन्तु उनको निमित्तकारण शक्तियां बहुमाग व्यर्थ जाती हैं। विष्णु, साँप, संखिया, आदि विषेले पदार्थ असंख्य जीवोंको मार सकते हैं। किन्तु सभी अपनी मरणशक्तिका उपयोग नहीं कर पाते हैं। बहुमाग विषयों ही व्यर्थ अपना खोज खो देते हैं। बन की अनेक वनस्पतियां रोगोंको दूर कर सकती हैं। क्यों जी, क्या वे सभी औषधियां अपना पूरा कार्य (जौहर) दिखवाती हैं? मस्तिष्क या शरीरसे कितना मारी कार्य किया जा सकता है। क्या सभी जीव उन कार्योंको कर डालते हैं? "मरता क्या न करता" घिरनेपर या किसीसे लडनेका अवसर आनेपर मृत्युसे बचनेके लिये जीवनपर खेळकर मनुष्य बहुत पुरुषार्थ कर जाता है। किन्तु सदा व्यवहारमें उससे चौपाई या आठवां भाग भी पुरुषार्थ करनेके लिये नानाकी सृति आ जाती है। सभी अग्नियां, बिजलियां, तेजाव, ये शरीरको जला सकते हैं। सभी पानी प्यासको बुझा सकते हैं। सभी सोने, चाँदी, खाडके जूते या चूहे बन सकते हैं। सभी उदार पुरुष तुच्छता करनेपर उतर सकते हैं। सभी युवा, स्त्री, पुरुष, व्यभिचार कर सकते हैं। सभी धनाढ्य पुरुष इन दीन सेवकोंके निम्न कार्यको कर सकते हैं। किन्तु इनमेंसे कितने अत्यल्प कारण अपने योग्य कार्योंको कर पाते हैं इस बातको आप सरलतासे समझ सकते हैं। एक अध्यापक मछ, सेवक, या घोडा अपनी पूरी शक्तियोंको व्यय नहीं कर देता है। सिद्धान्त यह निकलता है कि सभी कारणोंका निर्णय पीछे होनेवाली क्रियाओंसे ही नहीं करना चाहिये। प्रकरणमें प्रतिषादीकी ओरसे यह कहना उचित प्रतीत होता है कि आकाशमें क्रिया हो जानेका कारण वायु आकाश संयोग विद्यमान है। किन्तु महापरिमाणसे क्रियाका प्रतिबन्ध हो जानेसे क्रिया नहीं हो पाती है। जैसे कि बड़ी शिखरमें अधिक गुरुत्वसे प्रतिबन्ध हो जानेके कारण मुक्का संयोग विचार सरक जाना, गिरजारुप क्रियाको नहीं पैदा कर सकता है। क्रिया करनेकी स्वरूपयोग्यता सभी समर्थ असमर्थ, कारणोंमें माननी चाहिये। कारणोंमें योग्यता देख ली जाती है। भविष्यमें होनेवाले फलोंका अन्वयोंको प्रयत्न नहीं हो जाता है।

अथ क्रियाकारणवायुवनस्पतिसंयोगसदृशो वायवामाकाशसयोगोन्यथान्यत् क्रियाकारणमिति मन्यसे, तर्हि न कश्चिद्देतुरनैकातिकः स्यात्। तथाहि। अनित्यः शब्दोऽमूर्त्तत्वात्सुखादिवदित्यत्रामूर्त्तत्वदेतुः शब्देन्योन्यथाकाशे तत्सदृश इति कथमस्याकाशेनानैका-

तिकत्वं सर्वानुमानाभावाप्रसंगश्च भवेत्, अनुमानस्यान्येन दृष्टस्यान्यत्र दृश्यादेव प्रवर्तनात् । न हि ये धूमधर्माः फ्रचिधूमे दृष्टास्त एव धूमांतरेष्वपि दृश्यंत तत्सदृशानां दर्शनात् । ततोऽनेन कस्यचिदेतौरनैकातिकत्वमिच्छता फ्रचिदनुमानात्पृच्छति च स्वीकुर्वता तद्धर्मसदृशस्तद्धर्मोऽनुमतं इति क्रियाकारणवायुवनस्पतिसंयोगसदृशो वाय्वाकाशसंयोगोपि क्रियाकारणमेव । तथा च प्रतिदृष्टान्तेनाकाशेन प्रत्यवस्थानमिति प्रतिदृष्टान्तसमप्रतिषेधवादिनोभिप्रायः ।

अब यदि कोई यों कहे कि यह वायुका आकाशके साथ हो रहा संयोग तो क्रियाके कारण वायुवनस्पति संयोगसे केवल सादृश्य रखता है । वस्तुतः भिन्न है । क्रियाका कारण हो रहा संयोग न्यारा है । और क्रियाको नहीं, करने वाळा संयोग भिन्न है । इन दोनों संयोगोंकी एक जाति नहीं है । अतः प्रतिवादीद्वारा प्रतिकूल दृष्टान्त हुये निष्क्रिय आकाश करके प्रत्यवस्थान देना उचित नहीं दीखता है । सिद्धान्ती कहते हैं कि यदि इस प्रकार मानोगे तब तो कोई भी हेतु अनेकान्तिक हेत्वामास नहीं हो सगेगा । इसी बातको दृष्टान्त द्वारा यों स्पष्ट समझ लीजिये कि शब्द ( पक्ष ) अनित्य है ( साध्य ), अमूर्त होनेसे ( हेतु ) सुख, घट, इच्छा, आदिके समान ( अन्यव दृष्टान्त ) इस अनुमानमें दिये गये अमूर्तत्व हेतुका व्यभिचारस्थळ आकाश माना गया है । किन्तु तुम्हारे विचार अनुसार यों कहा जा सकता है कि शब्दमें वर्त रहा अमूर्तत्व हेतु भिन्न है । और आकाशमें उस अमूर्तत्वके सदृश दूसरा भिन्न अमूर्तत्व वर्त रहा है । ऐसी दशामें इस अमूर्तत्व हेतुका आकाशकरके व्यभिचारीपना कैसे बताया जा सकता है ? वही शब्दनिष्ठ अमूर्त यदि आकाशमें रह जाता, तब तो व्यभिचार दिया जा सकता था । तुमने जैसे वायुवृक्ष संयोग और वायु आकाश संयोग इनकी न्यारी न्यारी जाति कर दी है, वैसे ही अमूर्तत्व भी भिन्न भिन्न हैं, तो फिर केवल शब्दमें ही वर्त रहा वह अमूर्तत्व विपक्षमें नहीं ठहरा । अतः व्यभिचारहेत्वामास जगत्से उठ जायगा । शब्दजन्य शब्दबोध ( श्रुतज्ञान ) भी नहीं हो सकेंगे । “ वृत्तिर्वाचामपर सदृशी ” बन्धनोंका प्रवृत्तिव्यवहार दूसरे शब्दोंके सादृश्यपर निर्भर है । किन्तु तुम्हारे मन्तव्य अनुसार उपासम्भ दिया जा सकता है कि संकेतकाळका शब्द न्यारा है । और व्यवहारकाळका शब्द उसके सदृश हो रहा सर्वथा भिन्न है । ऐसी दशामें शब्दोंके द्वारा वाच्य अर्थका प्रतिपत्ति होना दुस्सह है । तुम्हारे यहाँ सभी अनुमानोंके अभावका प्रसंग हो जायेगा । अनुमान तो सादृश्यसे ही प्रवर्तता है । अन्यके साथ व्याप्ति युक्त देखे हुये पदार्थका अन्यत्र दर्शनीय हो जानेसे ही अनुमान का प्रवर्तन माना गया है । रसोर्ध्वरमें अग्नि और धूम न्यारे हैं, तथा पर्वतमें वे भिन्न हैं । फिर भी सादृश्यकी शक्तिसे पर्वतमें वर्त रहे धूमकरके अग्निका अनुमान कर लिया जाता है । जो ही धूँएके लक्षणसम्बन्धीपन पत्तिसम्बन्धीपना मनकटीसम्बन्धीपन, कंठसम्बन्धीपन आदिक धर्म कहीं रसोर्ध्वर,

अविद्याना आदि में वर्त रहे धूममें देखे जाते हैं। वे ही धूमके धर्म तो दूसरे धूमोंमें यानी पक्ष हो रहे पर्वत आदिके धूमोंमें भी नहीं देखे जा रहे हैं। हाँ, उन महानस धूम धर्मोंके समान हो रहे अन्य धर्मोंका ही पर्वत आदिके धूमोंमें दर्शन हो रहा है। तुम्हारे विचार अनुसार महानसीय धूमोंसे ही अग्निका अनुमान किया जा सकता है। सदृश पदार्थोंको तुम सर्वथा भिन्न जातिवाला मानते हो और महानसमें अग्निका प्रत्यक्षज्ञान ही हो रहा है। अतः मादृश्य या एकजातिवान् की भित्तिपर प्रवर्तनेवाले सभी अनुमानोंका क्षय हो जावेगा। इस दशामें तुम्हारे यहाँ हेतु व्यभिचारी नहीं बन सका और अनुमान ज्ञानकी प्रवृत्ति भी नहीं हो सकी। अब यदि यह या तुम किसी एक प्रमेय, अग्नि, आदि हेतुओंके अनैकान्तिकपनको चाहते हो और कहाँ अग्नि आदिमें अनुमान ज्ञानसे प्रवृत्ति होनेको स्वीकार करते हो तो सिद्धान्ती कहते हैं कि तब तो इस (तुम) भ्रमे मानुष पण्डितकरके उस सजातीय पदार्थके धर्मोंके सदृश ही अन्य उन सजातीय पदार्थोंके धर्म सविनय स्वीकार करने पड़ेंगे। ऐसा होनेपर क्रियाके कारण हो रहे वायु वनस्पति संयोगके समान जातिवाला ही वायु आकाशसंयोग भी क्रियाका कारण ही है। और तैसा हो जानेपर प्रतिकूल दृष्टान्त हो रहे आकाश करके प्रतिवादी द्वारा वादीके ऊपर प्रत्यवस्थान उठाया जा सकता है। ऐसा प्रतिदृष्टान्त समप्रतिषेधको कहनेवाले जानि वादीका अभिप्राय है।

स चायुक्तः। प्रतिदृष्टान्तसमस्य दूषणाभासत्वात् मकृतमाधनाप्रतिबंधित्वात्तस्य, प्रतिदृष्टान्तो हि स्वयं हेतुः साधकः साध्यस्य न पुनरन्येन हेतुना तस्यापि दृष्टान्तांतरापेक्षया दृष्टान्तांतरस्य वा परेण हेतुना साधकत्वे परापरदृष्टान्तेतुपरिकल्पनायामनवस्थाप्रसंगात्। तथा दृष्टान्तोपि न परेण हेतुना साधकः प्रोक्तानवस्थानुपगंसमानत्वात्ततो दृष्टान्तेपि प्रतिदृष्टान्त इव हेतुवचनाभावाद्भवतो दृष्टान्तोस्तु हेतुक एव।

न्यायसिद्धान्ती अब उक्त जातिका अमत् उचरपना बताते हैं कि प्रतिवादी द्वारा वह प्रतिदृष्टान्तसम प्रतिषेध उठाना तो समुचित नहीं है। क्योंकि प्रतिदृष्टान्तसमा जाति तो समीचीन दूषण नहीं होती हुई दूषणसदृश दीख रही दूषणाभास है। वह प्रकरण प्राप्त साधनकी प्रतिबंधिका नहीं हो सकती है। प्रकृतके साधनको बिगाडना नहीं है। वर दूषण नहीं है। किसी मनुष्यकी सुंदरताको अन्य पुरुषका काणापन नहीं बिगाड देता है। बगियामें उपज रहे नीबूका कड़ुआपन बोरी में रखी हुई खाण्डके मीठेपनका प्रतिबंधक नहीं है। प्रतिवादी द्वारा दिया गया प्रतिदृष्टान्त आकाश तो दूसरे किसीकी नहीं अपेक्षा कर स्वयं ही निरपेक्ष साध्यका साधक माना जायगा। पुनः अन्य हेतु करके तो वह प्रतिदृष्टान्त साध्यका साधक नहीं है। अन्यथा उस अन्य साध्यसाधक दृष्टान्तरूप हेतुको भी दृष्टान्तोंकी अपेक्षा हो जानेपर उस अन्य दृष्टान्तको भी तीसरे, चौथे, आदि भिन्न भिन्न दृष्टान्तरूप हेतुओं करके साधकरना मानते मानते उचरोत्तर दृष्टान्तस्वरूप हेतुओंकी कल्पनाओंका चारों ओरसे परिवार बढ़ते सते अनवस्था दोषका प्रसंग होगा। अतः प्रतिदृष्टान्त स्वतः ही

साध्यका साधक है। तिसी प्रकार दृष्टान्त डेढ भी दूसरे हेतु या दृष्टांत करके साध्यका साधक नहीं है। किंतु स्वतः सामान्यसे अनित्यत्वका साधक है। अन्यथा पहिले मळे प्रकार कड दी गयी अन-  
वस्थाका प्रसंग समान रूपसे छागू हो जायगा। तिस कारण प्रतिवादीके हो रहे आपके कहे गये आकाश  
दृष्टांतमें जैसे उसके समर्थक हेतुका कथन करना आवश्यक नहीं है, उसी प्रकार वादीके दृष्टान्तमें  
भी हेतु वचनकी आवश्यकता नहीं है। अतः आपके यहाँ यह डेढ भी साधकका हेतु ही हो रहा  
अच्छा दृष्टान्त हो जाओ। जब प्रतिवादीने डेढको दृष्टान्त स्वीकार कर लिया तो प्रतिवादी आकाशको  
अब प्रतिदृष्टान्त नहीं बना सकता है। “ प्रतिदृष्टान्तहेतुत्वे च नाहेतुर्दृष्टान्तः ” इस सूत्रके भाष्यमें  
भाष्यकार कहते हैं कि प्रतिदृष्टान्तकी कइनेवाले प्रतिवादीने कोई विशेष हेतु तो कहा नहीं है कि  
इस प्रकारसे मेरा प्रतिदृष्टान्त आकाश तो आत्माके निष्क्रिय साध्यका साधक है। और वादीका डेढ  
दृष्टान्त आत्माके सक्रियत्वका साधक नहीं है। इस प्रकार प्रतिदृष्टान्त हेतुपने करके वादीका दृष्टान्त  
अहेतुक नहीं है। यह सूत्र अमिमत सध जाता है। किन्तु यह प्रतिवादीका दृष्टान्त अहेतुक क्यों  
नहीं होगा। जब कि वादीके साधकका उससे निषेध नहीं किया जा चुका है। अतः ऐसे युक्ति  
रहित दूषण उठाना प्रतिवादीका उत्तर प्रशस्त नहीं है।

तदाहोद्योतकरः। प्रतिदृष्टान्तस्य हेतुभावं प्रतिपद्यमानेन दृष्टांतस्यापि हेतुभावो-  
भ्युपगंतव्यः। हेतुभावश्च साधकत्वं स च कथमेतुर्न स्यात्। अद्यप्रतिषिद्धः स्यात् अमति  
सिद्धश्चायं साधकः।

उसी बातको उपोत्तर पण्डित यों कह रहे हैं कि अपने प्रतिदृष्टान्तको साध्यका हेतुता-  
रूपसे समझ रहे प्रतिवादीकरके वादीके दृष्टान्तको भी उसाध्यका हेतुता स्वीकार कर लेनी चाहिये।  
हेतुभाव ही तो साध्यका साधकपन है। वह मला अन्य कारणोंकी अपेक्षा रखे बिना ही अहेतु क्यों  
नहीं होगा? अर्थात्—वादीका दृष्टान्त या हेतुकी नहीं अपेक्षा रखता हुआ प्रकृत साध्यका साधक  
हो जाता है। यदि यह प्रतिवादीके दृष्टान्तसे प्रतिषिद्ध नहीं हुआ है, जब बाक बाक बच गया है  
तो अप्रतिषिद्ध हो रहा यह आत्माके सक्रियत्वका साधक हो ही जायगा। ऐसी दशामें प्रतिवादीका  
उत्तर समीचीन नहीं है।

किं च, यदि तावदेवं ह्येते यथायं त्वदीयां दृष्टांतो लोष्टादिस्तथा मदीयोप्याकाशा-  
द्विरिति तदा दृष्टांतस्य लोष्टादेरभ्युपगमान् दृष्टान्तत्वं न्यायात्तत्वात्।

प्रतिदृष्टान्तममके दूषणाभासपनमें दूसरी उपपत्ति यह भी है कि यह जातिवादी यदि निर्लेज  
होकर पहिले ही इस प्रकार स्पष्ट कह बैठे कि जिस प्रकार यह तेरा ( वादीका ) डेढ, गोली आदि  
दृष्टांत है, तिसी प्रकार मेरा ( प्रतिवादीका ) भी आकाश, पुत्रकपाषाण, काठ, आदिक दृष्टान्त  
है। यों कहनेपर तो सिद्धान्ती कहते हैं कि तब तो प्रतिवादीने कोष्ट, गोला आदि दृष्टान्तोंको

समीचीन दृष्टान्तपनसे स्वीकार कर लिया है। ऐसी दशामें आकाश आदिको प्रतिपक्षका साथक दृष्टान्तपना नहीं बन सकता है। क्योंकि इसमें व्याघात दोष आता है। “पर्वतो वह्निमान् घूमात्” यहाँ रसेई घरको बढिया अन्वय दृष्टान्त मान रहा पण्डित सरोवरको अन्वयदृष्टान्त नहीं कह सकता है। रसेई घरको दृष्टान्त कहते ही सरोवरके अन्वयदृष्टान्तपनका विघात हो जाता है। फिर भी चलाकर सरोवरको अन्वयदृष्टान्त यदि कह देगा तो उसके ऊपर व्याघात दोष लागू हो जायगा। जैसे कि किसी पुरुषको मनुष्य कहकर उसको अमनुष्य कहनेवालेके ऊपर प्रहृष्टके समान व्याघात दोष लग बैठता है। उसी प्रकार साध्य सिद्धिमें अनुकूल, प्रतिकूल, हो रहे डेढ, या आकाशमेंसे एकका दृष्टान्तपना स्वीकार कर चुकनेपर बचे हुये दूसरेका अदृष्टान्तपन ही सिद्ध हो जाता है। एक साथ अनुकूल, प्रतिकूल, दोनोंके समीचीन दृष्टान्तपनका तो विरोध है। जब कि यहाँ जैसा तेरा दृष्टान्त है, वैसा मेरा दृष्टान्त है। यह प्रतिवादीने स्वमुखसे कह दिया है। एतावता उसने वादीके दृष्टान्तको अंगीकार कर लिया है। ऐसी दशामें प्रतिवादी अब प्रतिकूल दृष्टान्तको कथमपि नहीं बोल सकता है। व्याघात दोष उसके मुखको मसोस देवेगा।

अथैवं ब्रूते यथायं मदीयो दृष्टान्तस्तथा त्वदीय इति तथापि न दृष्टान्तः कश्चित् व्याघातादेव दृष्टान्तयोः परस्परं व्याघातः समानवत्त्वात्। तयोरेदृष्टान्तत्वे तु। प्रतिदृष्टान्तस्य ह्यदृष्टान्तत्वे दृष्टान्तस्यादृष्टान्तत्वव्याघातः प्रतिदृष्टान्ताभावे तस्य दृष्टान्तत्वोपपत्तेः दृष्टान्तस्य चादृष्टान्तत्वे प्रतिदृष्टान्तस्यादृष्टान्तत्वव्याघातः दृष्टान्ताभावे तस्य प्रतिदृष्टान्तनोपपत्तेः। न चोभयोर्दृष्टान्तत्वं व्याघातादिति न प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थानं पुक्तं।

सिद्धान्ती ही कहते हैं कि अब यदि प्रतिवादी इस प्रकार कह बैठे कि जैसा यह आकाश मेरा दृष्टान्त है, उसी प्रकार तुम वादीका डेढ दृष्टान्त है। यों कहनेपर भी व्याघातदोष आता है। अतः तो भी दोनोंमेंसे कोई दृष्टान्त नहीं हो सकता है। बात यह है कि पहिले प्रतिवादीने जैसा तेरा दृष्टान्त है, वैसा मेरा दृष्टान्त है, यों कहा था और अब जैसे मेरा दृष्टान्त है, वैसा तेरा दृष्टान्त है, इस प्रकार कहा है। यों कह देनेपर पहिली दिया हुआ वादीके पक्षको पुष्ट करनेवाला व्याघातदोष तो निर्वल पड़ जाता है। तो भी क्या हुआ। व्याघात दोष तदवस्थ रहेगा। आत्माके क्रियावत्त्वको साधनेमें प्रतिकूल हो रहे अपने आकाश दृष्टान्तको समीचीन दृष्टान्त कह रहा प्रतिवादी पुनः लगे हाथ क्रियावत्त्व साधनेमें अनुकूल हो रहे वादीके डेढ दृष्टान्तको दृष्टान्त नहीं कह सकता है। यदि कह देगा तो पूर्वापरविरुद्ध कथन करनेसे इसमें व्याघात दोष आता है। अथवा “यथायं मदीयो न दृष्टान्तस्तथा त्वदीयोपीति” ऐसा पाठ होनेपर पर यों अर्थ कर केना कि जैसे आत्माके क्रियावत्त्वपनको साधनेमें मेरा आकाश दृष्टान्त प्रयोजक नहीं है, उसी प्रकार तुम वादी का कोई डेढ दृष्टान्त भी आत्माके क्रियावत्त्वका प्रयोजक नहीं है। सिद्धान्ती कहते हैं कि तो व्याघात

दोष हो जानेके कारण ही कोई दृष्टान्त नहीं हो सकता है । क्योंकि दृष्टान्त भी इनका समानवत् संहितपना होनेके कारण परस्परमें “सुन्दरपसुन्द” न्याय अनुसार व्याघात और प्रतिदृष्टान्त जायगा, जैसे कि यहाँ घट नहीं और अघट भी नहीं, ऐसा कहनेपर व्याघात है । सत्का निषेध करते ही उसी समय असत्का विधान हो जाता है । और असत्का निषेध करनेपर उसी समय सत्की विधि हो जाती है । परस्परविरुद्ध हो रहे दो धर्मोंका युगपत् निषेध करना असंभव है । क्योंकि व्याघात दोष मुंह फाड़े खड़ा हुआ है । विरुद्ध हो रहे डेढ, आकाश, इन दोनोंमें एक साथ ही दृष्टान्तपना नहीं बन पाता है । प्रतिदृष्टान्त आकाशको अदृष्टान्त माननेपर उसी समय डेढ दृष्टान्तके अदृष्टान्तपनाका व्याघात (निराकरण) हो जाता है । क्योंकि आकाशका प्रतिदृष्टान्तपना निषेध किये जानेपर उस डेढको दृष्टान्तपना सुलभरीतिसे सध जाता है । घटसंहितपनका प्रत्याख्यान कर देनेसे अघटसंहितपना सुलभतया रक्षित हो जाता है । तथा डेढ दृष्टान्तका अदृष्टान्तपना धान चुकनेपर पुनः प्रतिदृष्टान्त आकाशके अदृष्टान्तपन कथन करनेमें व्याघात दोष आवेगा, क्योंकि डेढको दृष्टान्तपना नहीं बननेपर उसी समय उस आकाशको प्रतिदृष्टान्तपना युक्तिसिद्ध हो जाता है । आकाश और डेढ दोनोंका दृष्टान्तपना तो व्याघातदोष हो जानेसे नहीं बन पाता है । इस कारण प्रतिवादीको प्रतिदृष्टान्त आकाश करके प्रायवस्थान उठाना समुचित नहीं है । अतः यह प्रतिदृष्टान्तसमा जाति कहना प्रतिवादीका समीचीन उत्तर नहीं है ।

कारणाभावतः पूर्वमुत्पत्तेः प्रत्यवस्थितिः ।

यानुत्पत्त्या परस्योक्ता सानुत्पत्तिसमा भवेत् ॥ ३६८ ॥

शब्दो विनश्वरो मर्त्यप्रयत्नानन्तरोद्भवात् ।

कदंबादिवदित्युक्ते साधने प्राह कश्चन ॥ ३६९ ॥

प्रागुत्पत्तेरनुत्पत्तेः शब्देऽनित्यत्वकारणं ।

प्रयत्नानंतरोत्पत्त्वं नास्तीत्येषोऽविनश्वरः ॥ ३७० ॥

शाश्वतस्य च शब्दस्य नोत्पत्तिः स्यात्प्रयत्नतः ।

प्रत्यवस्थेत्यनुत्पत्त्या जातिन्यायातिलंघनात् ॥ ३७१ ॥

उत्पन्नस्यैव शब्दस्य तथाभावप्रसिद्धितः ।

प्रागुत्पत्तेर्न शब्दोस्तीत्युपालंभः किमाश्रयः ॥ ३७३ ॥

सत एव तु शब्दस्य प्रयत्नानंतरोत्थता ।

कारणं नश्वरत्वेस्ति तन्निषेधस्ततः कथम् ॥ ३७३ ॥

उत्पत्तिके पहिले तालु आदि कारणोंके अभावसे जो अनुत्पत्ति करके प्रयत्नस्थान ठाया जाता है, वह दूसरे प्रतिवादीकी अनुत्पत्तिसमा नामकी जाति कही गयी समझनी चाहिये । जैसे कि शब्द ( पक्ष ) विनाशस्त्वभाववाला है ( साध्य ), मनुष्यके प्रयत्न द्वारा अव्यवहित उत्तर कालमें उत्पत्ति-वाला होनेसे ( हेतु ) कदंब वृक्ष, खड्डुआ, घडा, कपडा आदिके समान ( अन्वय दृष्टान्त ), यों वादी द्वारा साबन करनेपर कोई एक प्रतिवादी आटोप सहित कहता है कि उत्पत्तिके पहिले नहीं उत्पन्न हो चुके शब्दमें अनित्यपनेका कारण प्रयत्न अनन्तर उपजना तो नहीं है । इस कारण यह शब्द अविनश्वर ( नित्य ) हो गया अर्थात्—उत्पत्तिके पहिले जब शब्दका कोई उत्पादक कारण ही नहीं है, तो अकारणवान् शब्द नित्य सिद्ध हो गया और ऐसी दशामें नित्य हो रहे शब्दकी प्रयत्न द्वारा उत्पत्ति नहीं हो सकती है, इस प्रकार यह अनुत्पत्ति करके दूषण ठानना अनुत्पत्तिसमा जाति है । सिद्धांती कहते हैं, जो कि असत् उत्तर है दूषणामास है । क्योंकि प्रतिवादीने न्यायमार्गीका अधिक बलेंपन किया है । कारण कि उत्पन्न हो चुके ही धर्मों हो रहे शब्दके तिस प्रकार प्रयत्न अनन्तर भयन अथवा उत्पत्तिसहितपन ये धर्म प्रसिद्ध हो रहे सम्भवते हैं । जब कि उत्पत्तिके पहिले शब्द ही विद्यमान नहीं हैं, तो यह प्रतिवादीका अनुत्पत्ति रूपकरके उलाहना देना किस अधिकरणमें ठहरेगा ! विद्यमान हो रहे ही शब्दके तो नाशशालि सहितपनमें कारण हो रहा प्रयत्नानंतर उत्पाद होना हेतु सिद्ध है । तिस कारणसे उस नश्वरत्वका प्रतिषेध प्रतिवादी द्वारा कैसे किया जा सकता है ? यानी उक्त दूषण ठानना सर्वथा अनुचित है ।

उत्पत्तेः पूर्वं कारणाभावतो या मत्प्रवृत्तिः परस्यानुत्पत्तिसमा जातिरुक्ता भवेत्  
 “ प्रागुत्पत्तेः कारणाभावादनुत्पत्तिसम ” इति वचनात् । तद्यथा—विनश्वरः शब्दः पुरुष-  
 प्रयत्नोद्भवात् कर्तृवादिवादिद्युक्ते साधने सति पर एव श्रवीति प्रागुत्पत्तेरनुत्पत्ते शब्दे विन-  
 श्वरत्वस्य कारणं यत्प्रयत्नानंतरीयकत्वं तस्मास्ति ततोपमाविनश्वरः, आश्रयतस्य च शब्दस्य  
 न प्रयत्नानंतरं जन्मेति सेषमनुत्पत्त्या मत्प्रवृत्त्या दूषणामासो न्यायातिबंधनात् । उत्पन्न-  
 स्पैष हि शब्दधर्मिणः प्रयत्नानंतरीयकत्वमुत्पत्तिधर्मकत्वं वा भवति, नानुत्पन्नस्य प्रागु-  
 त्पत्तेः शब्दस्य चासत्त्वे किमाश्रयोपमुपाह्वयः । न ह्यमनुत्पन्नोऽसत्त्वेव शब्द इति वा  
 मयत्नानंतरीयक इति वा अनित्य इति वा व्यपदेश्यं शक्यः । शब्दे तु सिद्धमेव मयत्ना-  
 नंतरीयकत्वं कारणं नश्वरत्वे साध्ये ततः कथमस्य प्रतिषेधः ।

साधनके अङ्ग हो रहे पक्ष, हेतु, दृष्टान्तोंकी उत्पत्तिके पहिले साध्यके ज्ञापक कारणका अभाव हो जानेसे जो दूसरे प्रतिवादीके द्वारा प्रत्यवस्थान उठाया जाता है, वह उसकी अनुत्पत्तिसमाप्ति जाति कह दी जावेगी। गौतमऋषिने न्यायदर्शनमें ऐसा ही मूलसूत्र कहा है कि उत्पत्तिके पहिले कारण का अभाव दिखला देनेसे अनुत्पत्तिसम नामका प्रतिषेध है। उसी बातको न्यायमाध्य अनुसार उदाहरणसहित स्पष्ट यों कह देते हैं कि शब्द ( पक्ष ) विनाश स्वभाववान् है ( साध्य ) पुरुषके कंठ, तालु, अम्पन्तर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न आदि व्यापारोंकरके उत्पन्न होना हो जानेसे ( हेतु )। कदम्ब या कटक, केयूर, घडा, आदि के समान (दृष्टान्त) इस प्रकार वादीकरके साध्यका साधन कर चुकनेपर प्रतिवादी इस दंगसे बोलता है कि उत्पत्तिसे पहिले नहीं उत्पन्न हो चुके शब्दमें विनश्य-पनेका कारण जो प्रयत्नान्तरीयकत्व कहा था वह वहाँ नहीं है। तिस कारणसे यह शब्द अविनाशी प्राप्त हुआ और अविनाशी नित्य हो रहे शब्दकी पुनः पुरुषप्रयत्नके अन्यवहित उत्तर काळमें उत्पत्ति होती नहीं है। इस कारण अनुत्पत्तिकरके दूषण देना अनुत्पत्ति प्रतिषेध है। अब न्यायसिद्धान्ती कहते हैं कि सो यह अनुत्पत्तिकरके दूषण उठाना तो प्रतिवादीकी ओरसे दूषण नहीं होकर दूषणा भास उठाना समझा जाता है। क्योंकि ऐसा कहनेवाले प्रतिवादीने न्यायमार्गका अति अधिक उल्लंघन कर दिया है। गौतम सूत्र " तथाभावादुत्पन्नस्य कारणोपपत्तेर्न कारणप्रतिषेधः " के अनुसार समझमें आ जाता है। कारण कि उत्पन्न हो चुके ही धर्मवान् शब्दके प्रयत्नान्तरीयकत्व अपवा उत्पत्तिधर्मकत्व, ये धर्म सम्भवते हैं। नहीं उत्पन्न हुये शब्दके कोई धर्म नहीं ठहरता है। " सति धर्मिणि धर्मोणा मीमांसा स्यात् "। उत्पत्तिके पहिले जब शब्द है ही नहीं तो यह प्रतिवादीकरके उलाहना किसका आश्रय लेकर दिया जा रहा है ! तिस प्रकार उत्पन्न हो चुके ही पदार्थको शब्द कहा जाता है। यह शब्द उत्पत्ति नहीं होनेपर तो सत् ही नहीं है। अनुत्पन्न शब्द असत् ही है, जो अश्वविषाणके समान असत् पदार्थ है। वह शब्द है, इस प्रकार अथवा प्रयत्नान्तरीयक है, इस प्रकार अथवा अनित्य है, इस प्रकार व्यवहार करने योग्य नहीं है। जीवितके सब साथी या सहायक हैं। नहीं पैदा हुये या मर चुकेमें कोई धर्म विद्यमान हो रहा नहीं कहा जाता है। हाँ, शब्दके उपज जानेपर तो नश्यरपने साध्यमें ज्ञापक कारण हो रहा प्रयत्नान्तरीयकत्व हेतु सिद्ध ही है। तिस कारण पुनः इसका प्रतिषेध मछा प्रतिवादी द्वारा कैसे किया जा सकता है ! उत्पत्तिके पहिले पदार्थमें हेतुके नहीं ठहरनेसे हेत्वसिद्धि नहीं हो जाती है। अन्यथा तुम्हारे (प्रतिवादीके) हेतुका भी कहीं अभाव हो जानेसे असिद्धि हो जायगी। इसी प्रकार पक्ष, दृष्टान्त आदिकी सिद्धि भी हो जाती है। आत्मलाभ करनेपर ही सब गुण गाये जाते हैं। कदाचित् साध्यके साथ वहाँ हेतुका सद्भाव हो जानेसे ही दृष्टान्तपना बन जाता है। इसी प्रकार हेतु आदि-कोंका जब कभी पक्षमें ठहर जानेसे ही हेतु आदिपना सध जाता है। पक्षमें सर्वत्र, सर्वदा, हेतु आदिकके सद्भावकी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिये। अतः शब्दमें विनश्यरपना साध्य करनेपर वादीका



प्रयत्नान्तरीयकत्व हेतु समीचीन है। प्रतिवादी द्वारा उसका प्रतिषेध नहीं हो सका है। मले प्रकार चल रहे रूपममें आर चुमोना अन्याय है।

किं चायं हेतुर्ज्ञापको न पुनः कारको ज्ञापके च कारकत्वप्रत्यवस्थानमसंबद्धमेव । ज्ञापकस्यापि किञ्चित्पूर्वतः कारकत्वमेवेति चेत् न, क्रियाहेतोरैव कारकत्वोपपत्तेरन्यथानुपपत्तिरिति हेतुर्ज्ञापकत्वात् । कारकता हि वस्तुत्पादयति ज्ञापकस्तूत्पन्नं वस्तु ज्ञापयतीत्यस्ति विशेषः कारकविशेषे वा ज्ञापके कारकसामान्यवत्प्रत्यवस्थानमयुक्तं ।

दूसरी बात हम सिद्धान्तिको यह भी कहनी है कि यह प्रयत्नान्तरीयकत्व हेतु ज्ञापक हेतु है। यह कारक हेतु तो नहीं है, तो फिर ज्ञापक हेतुमें कारकहेतुके समान अथवा कारक साधनोमें संभवेवाड़े दूषणोंका उठाना असंगत ही है। अर्थात्—उत्पत्तिके पूर्वमें शब्द नहीं है। अतः वहाँ प्रयत्नजन्यत्व नहीं ठहर पाया। ये सब अव्याप्ति, अन्वय व्यभिचार, आदिक तो कारक हेतुओंके दोष हैं। ज्ञापक हेतुओंके दोष तो व्यभिचार, विरुद्ध, आदिक हैं। ज्ञापकके प्रकरणमें कारकोंके दोष उठाना पूर्वापर सम्बन्धकी अज्ञताको ही प्रकट कर रहा है। यदि यहाँ कोई यों कहे कि ज्ञापक हेतु भी कुछ न कुछ साध्यको साधना, अनुमान ज्ञानको उपजाना, हेतुब्रूति कराना, आदि कार्योंको कर ही रहा है। अतः ज्ञापक हेतुको भी कारकपना आपाततः सिद्ध हो ही जाता है। अब सिद्धान्ती कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि क्रियाओंके संपादक हेतुको ही कारकपना युक्तिसिद्ध है। और अन्यथा अनुपपत्ति हो जानेसे यानी साध्यके दिना हेतुके सद्भावकी अतिरिद्धि हो जानेसे हेतुता ज्ञापकपना व्यवस्थित है। कारकपना तो प्राक् असत् हो रही वस्तुको उत्पन्न कराता है और ज्ञापक तो उत्पन्न हो चुकी वस्तु का ज्ञानमात्र करा देता है। इस प्रकार इन दंड आदि कारके और धूम आदि ज्ञापक हेतुओंका अंतर माना गया है। अथवा आपके कथनानुसार कुछ न कुछ क्रिया कर देनेसे ज्ञापक हेतुको विशेष जातिका कारक हेतु मान भी लिया जाय तो भी सामान्य कारकोंमें सम्भवेवाड़े प्रत्यवस्थानको विशेष कारक हेतुमें उठाना उचित नहीं है। विशेष पदार्थमें सामान्यके दोष नहीं लागू होते हैं। अतः उत्पत्तिके पहिले शब्दमें अनित्यत्वका साधक प्रयत्नान्तरीयकत्व हेतु नहीं रहा, यह दोष अवसर उचित नहीं है।

किं च प्रागुत्पत्तेरप्रयत्नान्तरीयको अनुत्पत्तिधर्मको वा शब्द इति ब्रुवाणः शब्द-बन्धुपैति नासतो प्रयत्नान्तरीयकत्वादिधर्म इति तस्य विशेषणमनर्थकं प्रागुत्पत्तेरिति ।

तीसरी बात यह भी है कि जो प्रतिवादी यों कह रहा है कि उत्पत्तिके पहिले शब्दमें हेतु साध्य दोनों भी नहीं हैं। अतः शब्द प्रयत्नान्तरीयक नहीं है और उत्पत्ति धर्मवादा अमित्य भी

नहीं है। सिद्धान्ती कहते हैं कि इस प्रकार कह रहा प्रतिषादी शब्दको अवश्य स्वीकार करता है। शश विषाणके समान असत् पदार्थके प्रयत्नान्तरीयकत्व, अनित्यत्व, व्याप्ति आदिक धर्म नहीं हो सकते हैं। इस कारण उत्पत्तिके पहिले यह तुम्हारे विचार अनुसार नित्य हो रहे उस शब्दका विशेषण लगाना व्यर्थ पडा, जो बात यों ही बिना कहे प्राप्त हो जाती है, उसको विशेषण लगा कर पुनः कहना निम्नप्रयोजन है।

अपरे तु माहुः, प्रागुत्पत्तेः कारणाभावादित्युक्ते अर्थापत्तिसमैवैयमिति प्रागुत्पत्तेः प्रयत्नान्तरीयकत्वस्याभावादप्रयत्नान्तरीयकत्वाच्च इति कृतेऽसत्प्रत्युत्तरं ब्रूते। नायं नियमो अप्रयत्नान्तरीयकत्वं नित्यमिति तु, न हि तस्य गतिः किञ्चिन्नित्यमाकाशाद्येव, किञ्चिदनित्यं विद्युदादि, किञ्चिदसदेवाकाशपुष्पादिति। एतच्च नापरेषां युक्तमिति पश्यामः। क्वयमिति ? यत्तावदसत्तदप्रयत्नान्तरीयकत्वं वाअन्मविशेषणत्वात् यस्याप्रयत्नान्तरं जन्म तदप्रयत्नान्तरीयकं न चाभावो विद्यते अतो न तस्य जन्म यद्यासत् किं तस्य विशेषमस्ति एतेन नित्यं प्रयुक्तं, न हि नित्यमप्रयत्नान्तरीयकमिति युक्तं वक्तुं, तस्य जन्माभावादिति जातिलक्षणाभावात्त्रेयमनुत्पत्तिसमा जातिरिति चेत्। नानुत्पत्तेरहेतुभिः साधर्म्यात् पटोऽनुत्पन्नैस्तन्नुभिस्तद्यथानुत्पन्नास्तंतच्चो न पटस्य कारणमिति।

दूसरे विद्वान् तो यहाँ बहुत अच्छा यों कह रहे हैं कि उत्पत्तिके पहिले ज्ञापक कारणके अभाव हो जानेसे प्रत्यक्षदान देना अनुत्पत्तिसम जाति है। इस प्रकार कह चुकनेपर यह अर्थापत्तिसमा नामकी ही जाति हुई। क्योंकि अर्थापत्ति करके प्रतिकूल पक्षकी सिद्धि कर देनेसे अर्थापत्तिसमा जाति हुई मानी गयी है। जैसे कि अनित्यताके साधक प्रयत्न अनंतरीयकत्वके साधर्म्यसे शब्द अनित्य है, तो नित्यके साधर्म्यसे शब्द नित्य भी हो जायगा। शब्दका नित्यके साथ स्पर्शरहितपन साधर्म्य तो है। अर्थात्—आकाश, आत्मा, जाति, आदिक पदार्थ स्पर्शरहित हो रहे नित्य हैं। गुणमें अन्य गुणोंके नहीं रहनेके कारण इस शब्दगुणमें भी स्पर्श नहीं है। यहाँ जिस प्रकार अर्थापत्तिसमा जाति है, उसी प्रकार उत्पत्तिके पहिले शब्दमें प्रयत्न अनन्तर भावित्यके नहीं होनेसे और उक्त करके अनुक्तका आक्षेप कर लेना स्वरूप अर्थापत्ति करके शब्दका अप्रयत्नान्तरीयकपना हो जानेसे नित्यत्व प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कथन करनेपर प्रतिषादी तो जातिस्वरूप असमीचीन प्रत्युत्तर कह रहा है। कारण कि यह तो नियम नहीं है कि जो अप्रयत्नान्तरीयक होय वह पदार्थ नित्य ही माना जाय। अप्रयत्नान्तरीयकपनेसे उस नित्यपनेके ज्ञाप्ति नहीं हो पाती है। देखिये कि पुरुषप्रयत्नके अन्यवहित उत्तर फाल्गुमें नहीं जन्मपना रूप अप्रयत्नान्तरीयकपना होते द्रव्ये कोई कोई आकाश काच द्रव्य आदिक पदार्थ तो नित्य ही हैं। और पुरुषप्रयत्नसे अजन्म हो रहे कोई अप्रयत्नान्तरीयक पदार्थ तो अनित्य है। जैसे कि निजर्ण, मेघ, आधी, ऋतुपलटना, भूकम्प, आदि हैं।

तथा अप्रयत्नान्तरीयक शब्दमें प्रसभ्य नञ्का आश्रय करनेपर कोई अप्रयत्नजन्य आकाशपुष्प, अश्वविषाण, वन्यापुत्र आदिक सर्वथा असत् ही हैं। अब न्यायसिद्धान्ती कहते हैं कि इस प्रकार दूसरे विद्वानोंका यह कहना तो युक्तिपूर्ण नहीं है, ऐसा हम देख रहे हैं। किस प्रकारसे उनका कहना युक्तिसहित नहीं है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर हम सिद्धान्ती यों कहते हैं कि जो आपने पूर्वमें सर्वथा असत् आकाशपुष्प आदिको अप्रयत्नान्तरीयक कहा था, वह उचित नहीं है। क्योंकि अप्रयत्नान्तरीयकपना तो जन्मका विशेषण है। पुरुषप्रयत्नके बिना अन्य कारणस्वरूप अप्रयत्नोंके अन्तर काळमें जिस पदार्थका जन्म होता है, वह अप्रयत्नान्तरीयक माना जाता है। किन्तु तुच्छ अभाव या असत् पदार्थ तो व्याप्तकाम नहीं करता है। अतः उसका जन्म नहीं हो पाता है। दूसरी बात यह है कि जो आकाशपुष्प सर्वथा असत् है, उसका विशेष्य मग्न क्या हो सकता है ? विशेष्य या विशेषण तो सद्भूत पदार्थोंके इञ्जा करते हैं। इस कथनसे आकाश, आरामा, परममहापरिमाण, सामान्य आदि नित्य पदार्थोंका अप्रयत्नान्तरीयकपना खण्डित कर दिया गया समस्त जेनां चाहिये। कारण कि नित्य पदार्थ अप्रयत्नान्तरीयक है, इस प्रकार कहना ही उचित नहीं है। क्योंकि उस नित्य पदार्थका जन्म नहीं होता है। जीव प्रयत्नके बिना अन्य कारणोंसे जन्म ले रहे पदार्थोंमें ही प्रयत्नान्तरीयकपना सम्भवता है। अतः तुम्हारा मन्वम, पक्ष ही ठीक जचता है। यदि कोई यों कहे कि तत्र तो जातिका असत् उत्तररूप लक्षण यहाँ घटित नहीं हो पाता है। अतः यह अनुत्पत्तिसमा जाति नहीं हुई। इसपर तो सिद्धान्ती कहते हैं कि यों नहीं कहना चाहिये। क्योंकि उत्पत्तिके पहिले शब्दकी अनुत्पत्ति हो जानेसे हेतुरहित हो रहे नित्य आकाश आदि पदार्थोंके साथ साधर्म्य मिळ जानेसे शब्दके नित्यपनकी प्रासिका प्रसंग इस अनुत्पत्ति समामें प्रतिवादीद्वारा उठाया जा सकता है। किन्तु वह समीचीन उत्तर नहीं है। अनुत्पत्त तन्तुओं करके नहीं बुनना होनेसे पट नित्य नहीं हो जाता है। उसको स्पष्ट यों समस्त क्षीजिये कि नहीं उत्पन्न हो चुके सूत तो पटके कारण नहीं हैं। यद्वातक अनुत्पत्तिसमा जातिका विचार हो चुका है।

सामान्यघटयोस्तुल्य ऐंद्रियत्वे व्यवस्थिते ।

नित्यानित्यत्वसाधर्म्यात् संशयेन समा मता ॥ ३७४ ॥

तत्रैव साधने प्रोक्ते संशयेन स्वयं परः ।

प्रत्यवस्थानमाधत्तेऽपश्यन् सद्भूतदूषणम् ॥ ३७५ ॥

प्रयत्नानंतरोत्येपि शब्दे साधर्म्यमैंद्रिये ।

सामान्येनास्ति नित्येन घटेन च विनाशिना ॥ ३७६ ॥

तादृशेनेति सन्देहो नित्यानित्यत्वधर्मयोः ।  
 स चायुक्तो विशेषेण शद्धानित्यत्वसिद्धितः ॥ ३७७ ॥  
 यथा पुंसि विनिर्णीते शिरः संयमनादिना ।  
 पुरुषस्थाणुसाधर्म्योर्द्धत्वतो नास्ति संशयः ॥ ३७८ ॥  
 तथा प्रयत्नजत्वेनानित्ये शब्दे विनिश्चिते ।  
 घटसामान्यसाधर्म्यादैर्द्रियत्वान्न संशयः ॥ ३७९ ॥  
 संदेहेत्यंतसंदेहः साधर्म्यस्याविनाशतः ।  
 पुंस्थाण्वादिगतस्येति निर्णयः कास्पदं ब्रजेत् ॥ ३८० ॥

पर, अपर, सामान्य, और घट दृष्टान्तका इन्द्रिय ज्ञान द्वारा प्राद्वपना तुल्यरूपसे व्यवस्थित हो चुकनेपर नित्यपन और अनित्यपनके साधर्म्यसे संशयसमा जाति हुई । नैयायिकोंके यहाँ मानी गयी है । जैसे कि किसी प्रकार बड़ा ही प्रयत्नानन्तरीयकत्व हेतुसे घटके समान शब्दमें अनित्यपनका भले प्रकार शब्दबोध कर चुकनेपर दूसरा प्रतिवादी स्वयं समीचीन हो रहे दूषणको नहीं देखता हुआ संशय करके प्रत्यवस्थानका आधान करता है कि पुरुष प्रयत्न व्यापारके अनन्तर भी सत्त्व द्रव्ये बहिः इन्द्रियजम्ब ज्ञान प्राद्व हो रहे शब्दमें नित्य माने गये घटत्व, पटत्व, या शब्दत्व सामान्यो ( नित्य जातियाँ ) करके साधर्म्य है । अर्थात्—जिस इन्द्रियसे जो जाना जाता है, उसमें रहनेवाला सामान्य और उसका अभाव भी उसी इन्द्रियसे जाना जाता है । इस नियमके अनुसार घट द्रव्य और घटत्व सामान्य दोनों चक्षु या स्पर्शन इन्द्रियसे जान छिये जाते हैं । शब्दगुण और शब्दत्व जाति दोनों कर्ण इन्द्रियके विषय हो जाते हैं । अतः शब्दका नित्य सामान्यके साथ ऐन्द्रियिकत्व साधर्म्य है । तथा तिस प्रकारके प्रयत्न अनन्तर जम्ब हो रहे विनाशी ( अनित्य ) घटके साथ सामान्यमान विद्यमान है । इस प्रकार शब्दके नित्यपन, अनित्यपन धर्मोंमें संदेह हो जाता है । अब सिद्धान्ती संशयसमा जातिको असमीचीनपना दिखाते हैं कि संशयसमा जातिको कहनेवाले प्रतिवादीका यह संशय उठाकर प्रत्यवस्थान देना तो युक्त नहीं है । क्योंकि विशेष रूपसे प्रयत्नानन्तरीयकत्व हेतु द्वारा शब्दके अनित्यपनकी सिद्धि हो चुकी है । जैसे कि शिरको बांधना, चूना, केशोंका बांधना संहारना, हाथ पैर दिकाना आदि व्यापारों करके पुरुषका विशेष रूपसे निर्णय हो चुकनेपर पुनः पुरुष और तूँठके साधर्म्य हो रहे ऊर्ध्वता धर्मसे संशय नहीं हो पाता है । किसी प्रकार प्रयत्नजम्ब हेतु करके शब्दके अनित्यपनका विशेष रूपसे निश्चय हो चुकनेपर पुनः घट और सामान्यके साधर्म्य हो रहे ऐन्द्रियिकत्व धर्मसे संशय नहीं हो सकता है । यदि निर्णय हो चुकनेपर

भी केवल ऊर्ध्वता या ऐन्द्रियकत्व मात्रसे संदेह होता रहना स्वीकार करोगे तब तो अत्यन्त संशय होता रहेगा । संशयका अन्त नहीं हो पायेगा । क्योंकि पुरुष और शब्दत्व आदिमें प्राप्त हो रहे ऊर्ध्वता ऐन्द्रियकत्व आदि सधर्मापनका कमी बिनाश नहीं हो पाता है । ऐसी दशामें निर्णय मला कहाँ स्थानको प्राप्त कर सकेगा ! अर्थात्—पदार्थोंमें अन्य पदार्थोंके साथ वर्त रहा सर्वदा साधर्म्य बना रहने से सर्वत्र संशय ही होता रहेगा । किसीका निश्चयात्मक ज्ञान कमी नहीं हो सकेगा । न्यायदर्शन और न्यायभाष्यके द्वितीय अध्यायके प्रारम्भमें इसका विवरण कर दिया है ।

ननु चैषा संशयसमा साधर्म्यसमा तो न भिद्यते एवोदाहरणसाधर्म्यात् सस्यामवर्तनादिति न चोद्यं, संशयसमायास्तूभयसाधर्म्यात्मबुद्धेः । साधर्म्यसमाया एकसाधर्म्यादुपदेशात् । ततो जात्यंतरमेव संशयसमा । तथाहि—अनित्यः शब्दः प्रयत्नानंतरीयकत्वात् घटवदिति अत्र च साधने प्रयुक्ते सति परः स्वयं संशयेन प्रत्यवस्थानं करोति सदभूतं दूषणमपश्यन् प्रयत्नानांतरीयकेपि शब्दे सामान्येन साधर्म्यमैन्द्रियकत्वं नित्ये नास्ति घटेन वानित्येनेति संशयः शब्दे नित्यानित्यत्वधर्मयोरित्येषा संशयसमा जातिः । सामान्यघटयोरैन्द्रियकत्वे सामान्ये स्थिते नित्यानित्यसाधर्म्यान्न पुनरेकसाधर्म्यात् । सामान्यघटांतयोरैन्द्रियकत्वे समाने नित्यानित्यसाधर्म्यात्संशयसम इति वचनात् ।

यहाँ किसीकी शंका है कि यह संशयसमा जाति तो पहिली साधर्म्यसमा जातिसे विभिन्न नहीं है । क्योंकि उस साधर्म्यसमाकी प्रवृत्ति भी उदाहरणके साधर्म्यसे ही मानी जा चुकी है । क्रियागुणयुक्त हो रहा आत्मा डेढके समान क्रियावान् है । यों वादीद्वारा उपसंहार कर चुकनेपर पुनः प्रतिवादी साधर्म्यकरके ही प्रत्यवस्थान उठाता है कि व्यापकद्रव्य तो आकाशके समान क्रियारहित होते हैं । अतः व्यापक आत्मा भी क्रियारहित होना चाहिये । क्रियावान् डेढके साधर्म्यसे आत्मा क्रियावान् हो जाय, किन्तु फिर क्रियारहित आकाशके साधर्म्य बने रहनेसे आत्मा क्रियारहित नहीं होय, इसमें कोई विशेषहेतु नहीं है । इस साधर्म्यसमाका संशयसमासे केवल ढंग न्यारा दीखता है । दोनोंयें कोई भिन्न जातिवाला तार्थिक भेद नहीं है । अब सिद्धान्ती कहते हैं कि यह कटाक्षपूर्वक शंका उठाना तो ठीक नहीं है । क्योंकि दोनोंके साधर्म्यसे संशयसमा जातिकी प्रवृत्ति है । और एकके साधर्म्यसे साधर्म्यसमा जातिकी प्रवृत्तिका उपदेश दिया गया है । अर्थात्—यहाँ संशयसमामें शब्द और शब्दत्व सामान्य दोनोंके साधर्म्य हो रहे ऐन्द्रियकत्वसे नित्यपन अथवा अनित्यपनका संशय उठाया गया है । और साधर्म्यसमामें एक व्यापक आकाशके निष्क्रियत्वसे ही आत्माके क्रियारहितत्वका आपादन किया गया है । तिस कारण यह संशयसमा उस साधर्म्यसमासे दूसरी जानिकी जानि है । इसी बानको और भी स्पष्ट करते हुये प्रवचकार कहते हैं कि शब्द ( पक्ष )

अनित्य है ( साध्य ) प्रयत्नके अन्वयवहित उत्तरकाष्ठमें उत्पन्न होनेसे ( हेतु ) घटके समान (अन्वय दृष्टान्त ) इस प्रकार वादी द्वारा साध्यसिद्धिके निमित्त हेतुका प्रयोग कर चुकनेपर दूसरा प्रतिवादी अष्टे वास्तविक दूषणोंको नहीं देख रहा संता पुनः संशयकारके प्रत्यवस्थान करता है कि पुरुष-प्रयत्नके उत्तर उत्पन्न हुये भी शब्दमें नित्य हो रहे सामान्यके साथ इन्द्रियजन्य ज्ञानप्रवाहत्व साधर्म्य है और अनित्य हो रहे घटके साथ भी प्रयत्नान्तरीयकत्व साधर्म्य है । इस कारण शब्दमें नित्यपन अनित्यपन धर्मोंका संशय हो जाता है । इस कारण यह संशयसमा जाति तो सामान्य ( जाति ) और घटके ऐन्द्रियकत्व साधारणपनेकी व्यवस्थिति हो जानेपर नित्य और अनित्यके सधर्माणसे प्रतिवादी द्वारा उठायी जाती है । किन्तु फिर एक ही सामान्यके साधर्म्यसे संशयसमा जाति नहीं उठायी जा सकी । गौतमसूत्रमें संशयसम प्रतिषेधका मूल उक्षण इसी प्रकार कहा है कि सामान्य ( शब्दत्व ) और दृष्टान्त ( घट ) दोनोंके ऐन्द्रियकत्व समान होने-पर नित्य, अनित्यके साधर्म्यसे संशयसम प्रतिषेध उठा दिया जाता है । और साधर्म्यसमामें एक ही के साधर्म्यसे प्रतिषेध उठा दिया गया था । अतः दोनों जातियाँ न्यायी न्यायी हैं ।

अत्र संशयो न युक्तो विश्लेषेण शब्दानित्यत्वसिद्धेः । तथाहि—पुरुषे शिरःसंयमना-दिना विश्लेषेण निर्णयति सति न पुरुषस्याणुसाधर्म्याद्दृष्टत्वात्संशयस्तथा प्रयत्नान्तरीय-कत्वेन विश्लेषेणानित्ये शब्दे निश्चिते सति न घटसामान्यसाधर्म्यादैन्द्रियकत्वात्संशयः अत्यं-तसंशयः । साधर्म्यस्याविनाशित्वात् पुरुषस्याण्वादिगतस्येति निर्णयः क्वास्पदं प्राप्नुयात् । साधर्म्यमात्राद्धि संशये क्वचिद्वैधर्म्यदर्शनाभिर्णयो युक्तो न पुनर्वैधर्म्यात्साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां वा संशये तयात्यंतसंशयात् । न चात्यंतसंशयो ज्यायान् सामान्यात् संशयाद्विशेषदर्श-नात् संशयनिश्चितिसिद्धेः ।

भाष्यसहित इस “ साधर्म्याद् संशये न संशयो वैधर्म्याद्गुणमयत्वा संशयोऽत्यन्तसंशयप्रसङ्गो नित्यत्वान्मन्युपगमाच्च सामान्यस्याप्रतिषेधः ” गौतम सूत्रके मंतव्य अनुसार अब प्रत्यकार संशयसमा जातिका असदुत्तरपना बखानते हैं कि यहाँ प्रतिवादी द्वारा संशय उठाना तो युक्त नहीं है । क्योंकि विशेष रूपसे शब्दके अनित्यपनकी सिद्धि की जा चुकी है । उसीको यों स्पष्ट समझ लीजिये कि यहाँ संशय स्वयंमें जैसे शिरका कपन करते हुये सहाके रहना, पर्वका हिकना, आदि विशेष-वृत्ताओं करके मनुष्यपनका निर्णय कर चुकनेपर पुनः स्थाणु और पुरुषके साधर्म्य हो रहे ऊर्ध्वता-मात्रसे संशय नहीं हो पाता है । तिसी प्रकार प्रयत्नके उत्तर जन्यपने करके विशेष रूपसे शब्दके अनित्यत्वका निश्चय हो चुकनेपर पुनः घट और सामान्यके साधर्म्य हो रहे केवल ऐन्द्रियकत्वसे संशय नहीं हो सकता है । फिर भी “ साधारणादिधर्मस्य ज्ञानं संशयकारणम् ” साधारणधर्मवत् धर्मिज्ञान या असाधारण धर्मवत् धर्मिज्ञानसे संशय उपजना यदि मानते रहोगे तो अत्यन्त (अन्तको अतिक्रान्त

करनेवाला अनन्तकालतक) संशय होता रहेगा। कारण कि पुरुष, स्याणु आदिमें रहनेवाले और संशयके कारण हो रहे ऊर्ध्वता आदि साधर्म्यका कमी विनाश नहीं होनेका है। ऐसी दशमें मछा निर्णय कदा स्थानको पा सकेगा? बात यह है कि केवल साधर्म्यसे संशय उपजनेपर किसी एकमें वैधर्म्यका दर्शन हो जानेसे विशेष एक पदार्थका निर्णय हो जाता समुचित ही रहा, देखा जाता है किन्तु फिर केवल वैधर्म्य अथवा साधर्म्य और वैधर्म्य दोनोंके द्वारा भी यदि संशय होना माना जावेगा तब तो अत्यन्त रूपसे संशय होता रहेगा और यह अत्यन्त संशय होते रहना तो प्रशंसनीय नहीं है। क्योंकि अनेकोंके समान हो रहे धर्मसे संशय हो जाता है। पश्चात् विशेष धर्मोंके दर्शनसे संशयकी निवृत्ति होना सिद्ध है। नैयायिक या वैशेषिकोंने "अनाहार्य अप्रमाण्यज्ञानान्तस्कंदित निश्चयको लौकिक सल्लिखर्षण्यदोष विशेषान्तर्य तत्तदमात्रप्रकारकतद्बुधिशोभ्यक बुद्धिका प्रतिबन्धक माना है। तदभावाप्रकारकतत्प्रकारक निश्चय की सामग्री हो जानेपर पुनः संशयकारणोंसे सदा संशय बनते रहनेका प्रतिबन्ध हो जाता है। अतः संशयसमाप्तातिका बचापन करना प्रतिवादीका समुचित कर्तव्य नहीं है।

**अथानित्येन नित्येन साधर्म्यादुभयेन या ।**

**प्रक्रियायाः प्रसिद्धिः स्यात्ततः प्रकरणे समा ॥ ३८१ ॥**

अब प्रकरणसमा जातिके कहनेका प्रारम्भ करते हैं, नित्य और अनित्य दोनोंके साथ साधर्म्य-पन होनेसे जो पक्ष और प्रतिपक्षकी प्रवृत्ति होना स्वरूप प्रक्रियाकी प्रसिद्धि होगी। तिस कारणसे वह प्रकरणके होनेपर प्रत्यक्षस्थान सहाया गया प्रकरणसमा जाति कही गयी है।

समाभ्यां नित्यानित्याभ्यां साधर्म्यायां प्रक्रियासिद्धिस्ततः प्रकरणसमा जातिरव-  
सेया "वमयसाधर्म्यात् प्रक्रियासिद्धेः प्रकरणसमा" इति वचनात् ।

दोनों नित्य अनित्यके साधर्म्यसे जो प्रक्रियाकी प्रसिद्धि है। तिस कारणसे वह प्रकरणसमा जाति समस्त लेनी चाहिये। गौतम सूत्रमें प्रकरणसमाका उल्लेख यों कृष्ट है कि उभयके साधर्म्यसे प्रक्रियाकी सिद्धि हो जानेसे प्रकरणसमा जाति है, या प्रकरणसम नामका प्रतिषेध है। कहीं कहीं उभयके वैधर्म्यसे भी प्रक्रियाकी सिद्धि हो जानेसे प्रकरणसम माना गया है।

**किमुदाहरणमेतस्या इत्याह ।**

इस प्रकरणसमा जातिका उल्लेख क्या है। ऐसी जिज्ञासा होनेपर व्याप भाष्य अनुसार उचर-  
रेते हृये श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिकोंको कहते हैं।

**तत्रानित्येन साधर्म्यान्तुः प्रयत्नोद्भवत्वतः ।**

**शब्दस्यानित्यतां कश्चित् साधयेदपरः पुनः ॥ ३८२ ॥**

तस्य नित्येन गोत्वादिसामान्येन हि नित्यतां ।

ततः पक्षे विपक्षे च समाना प्रक्रिया स्थिता ॥ ३८३ ॥

तिस प्रकरणसमा जातिके अवसरपर कोई एक वादी तो शब्द अनित्य है ( प्रतिष्ठा ) मनुष्य के प्रयत्नसे उत्पत्तिवान् होनेसे ( हेतु ) घटके समान ( दृष्टान्त ) । इस प्रकार अनित्यके साध साधर्मापनसे शब्दकी अनित्यताको साध रहा है । यह एक पक्षकी प्रवृत्ति हुई । और दूसरा पण्डित पुनः नित्य हो रहे गोत्व, अश्वत्व, घटत्व आदि सामान्योत्तरके उस शब्दके नित्यपनको साध देखेगा । यह दूसरे प्रतिपक्षकी सिद्धि हुई । तिस कारणसे इस प्रकार होनेपर अनित्यत्व साधक पक्षमें और नित्यत्व साधक विपक्षमें समानरूपसे प्रक्रिया व्यवस्थित बन गयी ।

तत्र हि प्रकरणसमायां जातौ कथिदनित्यः शब्दः प्रयत्नानांतरीयकत्वाद्घटवदित्य-  
नित्यसाधर्म्यात् पुरुषप्रयत्नोद्भवत्वाच्छब्दस्यानित्यत्वं साधयति । परः पुनर्गोत्वादिना  
सामान्येन साधर्म्यात्तस्य नित्यतां साधयेत् । ततः पक्षे विपक्षे च प्रक्रिया समानेत्युभय-  
पक्षपरिग्रहेण वादिप्रतिवादिनोर्नित्यत्वानित्यत्वे साधयतः । साधर्म्यसमायां संशयसमायां  
च नैवमिति ताभ्यां भिन्नैयं प्रकरणसमा जातिः ।

यहां प्रकरणसमा जाति में कोई कोई विद्वान् तो शब्द अनित्य है, पुरुषप्रयत्नके अव्यवहित उत्तरकाठमें उत्पन्न होनेसे, घटके समान, इस अनुमानद्वारा अनित्यके साधर्म्य हो रहे पुरुषप्रयत्नजन्म उत्पत्ति होनेसे शब्दकी अनित्यताको साध रहा है और दूसरा प्रतिवादी विद्वान् फिर गोत्व आदि नित्य जातियोंके साधर्मापन ऐन्द्रियकत्वसे उस शब्दकी नित्यताको साध देता है । तिस कारणसे पक्ष और विपक्ष दोनोंमें साधनेकी प्रक्रिया समान है । इस प्रकार दोनों पक्षोंके परिग्रह करके वादी प्रति-  
वादियोंके यहाँ नित्यत्व और अनित्यत्व साध दिये जाते हैं । यह प्रकरणकी अतिवृत्ति नहीं करनेसे रूपण उठाना प्रकरणसम प्रतिषेध है । साधर्म्यसमा और वैधर्म्यसमा जातिमें तो इस प्रकार दोनोंके साधर्म्यसे दोनों पक्ष प्रतिपक्षोंकी सिद्धि नहीं की गयी है । साधर्म्यसमामें साधर्म्यकरके प्रतिपक्षसिद्धि की सम्भावना प्रत्यवस्थान उठायी गयी है और संशयसमामें उभयके साधर्म्यसे पक्ष, प्रतिपक्षोंके संशय बने रहनेका प्रत्यवस्थान उठायी गयी है । किन्तु इस प्रकरणसमामें अव्यव सहचर, और व्यतिरेक सहचरसे पक्ष, प्रतिपक्ष दोनोंकी प्रवृत्ति सिद्ध हो जानेका प्रत्यवस्थान दिया गया है । इस कारण उन दोनोंसे यह प्रकरणसमा जाति भिन्न ही है ।

कथमीदृशं प्रत्यवस्थानमयुक्तमित्याह ।

प्रतिवादी द्वारा इस प्रकारका प्रकरणसम नामक प्रत्यवस्थान उठाना किस प्रकार अयुक्त है ?  
ऐसी जिज्ञासा होनेपर न्यायसूत्र और न्यायभाष्यके अनुसार श्री विद्यानन्द आचार्य समाधान कहते हैं ।



प्रक्रियांतनिवृत्त्या च प्रत्यवस्थानमीदृशं ।

विपक्षे प्रक्रियासिद्धौ न युक्तं तद्विरोधतः ॥ ३८४ ॥

प्रतिपक्षोपपत्तौ हि प्रतिषेधो न युज्यते ।

प्रतिषेधोपपत्तौ च प्रतिपक्षकृतिध्रुवम् ॥ ३८५ ॥

तत्त्वावधारणे चैतत्सिद्धं प्रकरणं भवेत् ।

तदभावेन तत्सिद्धिर्येनेयं प्रत्यवस्थितिः ॥ ३८६ ॥

दोनों नित्य, अनित्योंके, साधर्म्यसे प्रक्रिया की सिद्धिको कर रहे प्रतिवादीने यह तो अवश्य मान लिया है कि प्रतिवादीके इष्ट पक्षसे प्रतिकूळ हो रहे वादीके पक्षकी प्रक्रिया सिद्ध हो चुकी है । अतः प्रकरणके अवसानसे तत्त्वोंका अवधारण करनेपर उसकी निवृत्तिसे इस प्रकारका प्रत्यवस्थान देना प्रतिवादीका युक्तिपूर्ण कार्य नहीं है । क्योंकि प्रतिवादीके विपक्ष हो रहे वादीके इष्ट अनित्यत्वमें प्रक्रियाकी सिद्धि हो चुकनेपर पुनः प्रतिवादी द्वारा अपने द्वारा अपने पक्षकी सिद्धि मानना उससे विरोध हो जानेके कारण उचित नहीं है । वादीके अमीष्ट और प्रतिवादीके प्रतिकूळ पक्षकी सिद्धि हो चुकनेपर नियमसे प्रतिवादी द्वारा प्रतिषेध करना उचित नहीं पड़ता है । हां, और यदि प्रतिवादीके गठके प्रतिषेधकी सिद्धि हो जाय तब तो निश्चय करके वादीके निज प्रतिपक्ष (वादी का पक्ष प्रतिवादीकी अपेक्षा प्रतिपक्ष है) की सिद्धि करना नहीं बन पाता है । इसमें तुल्य बलवाला विरोध नामका विप्रतिषेध लग बैठता है । दोनोंमेंसे एक पक्षके अवधारण नहीं करनेसे तो विपरीत पक्षकी प्रक्रिया सच सकती है । यहाँ प्रतिवादीके तत्त्वका अवधारण कर चुकनेपर यह प्रतिवादीका प्रकरण सिद्ध हो सकता था । जब कि प्रयत्नानन्तरापक्षसे वादीके अनित्यत्व पक्षकी सिद्धि हो जानेसे उस निर्याव प्रतिपक्षकी सिद्धिका अभाव हो गया है, तो उन दोनोंकी प्रक्रियाकी सिद्धि नहीं हुई, जिससे कि यह प्रकरणसमाप्ति नामक प्रत्यवस्थान समीचीन उत्तर बन सके । भाषार्थ—जब दोनों विरुद्ध पक्षोंकी प्रक्रिया सिद्ध नहीं हो सकती है, तो लक्षणतंत्रके नहीं चटनेपर यह प्रकरणसमाप्ति प्रतिषेध अयुक्त प्रतीत होता है । जातिका स्वयं किया गया लक्षण भी तो वहाँ नहीं वर्तता है ।

प्रक्रियांतनिवृत्त्या प्रत्यवस्थानमीदृशमयुक्तं, विपक्षे प्रक्रियासिद्धौ तयोर्विरोधात् । प्रतिपक्षप्रक्रियासिद्धौ हि प्रतिषेधो विरुध्यते, प्रतिषेधोपपत्तौ च प्रतिपक्षप्रक्रियासिद्धिर्याहन्यते इति विरुद्धस्तयोरेकत्र संभवः । किं च, तत्त्वावधारणे सत्यवैतत्प्रकरणं सिद्धं भवेन्नान्यथा । न चात्र तत्त्वावधारणं ततोऽसिद्धं प्रकरणं तदसिद्धौ च नैवेयं प्रत्यवस्थितिः संभवति ।

दोनोंमेंसे किसी एक प्रकरणके सिद्ध हो जानेपर उसके अन्तमें विपरीत पक्षकी निवृत्ति कर देनेसे इस प्रकारका प्रकरणसम प्रत्यक्षस्थान उठाना अयुक्त है। क्योंकि एक विपक्षमें प्रक्रियाकी समीचीन सिद्धि हो चुकनेपर पुनः दोनों पक्ष प्रतिपक्षोंकी सिद्धि कहनेका विरोध है। देखिये, प्रतिपक्षकी प्रक्रियाके सिद्ध हो जानेपर तो उस प्रतिपक्षका प्रतिषेध करना नियमसे विरुद्ध पद्धत है। और प्रतिपक्षके निषेधकी सिद्धि हो चुकनेपर तो प्रतिपक्षकी प्रक्रिया साधनेका व्याघात हो जाता है। इस कारण उन दोनोंका एक स्थळपर सम्भव जाना ही विरुद्ध है। कोई विचारशील विद्वान् घटकी सर्वथा नियत सर्वथा अनियत एक साथ नहीं साध सकता है। अतः दोनों नियत, अनियत पक्षोंकी प्रक्रिया साध देना अनुचित है। दूसरी बात यह है कि दोनों पक्षोंका तार्थिकपना निर्णोत कर चुकने पर ही यह प्रकरण सिद्ध हो सकता था, अन्यथा यह समयसाधर्म्यसे होनीवाली प्रक्रिया कैसे भी सिद्ध नहीं हो पायेगी। किन्तु यहाँ तो विप्रतिषेध होनेके कारण दोनोंका तार्थिकपना निर्णोत नहीं हो सका है। तिस कारणसे यह प्रकरण सिद्ध नहीं है और उस प्रक्रियाकी सिद्धि नहीं हो चुकने पर यह प्रकरणसमा जाति नहीं सम्भवती है। इसी प्रकार समयके वैधर्म्यकरके प्रक्रियाको साध कर पुनः प्रत्यक्षस्थान देना नहीं सम्भवता है। जैसे कि जैनोंने गुण और गुणीका कर्षचिद् भेद, अभेद सम्बन्ध माना है। यदि कोई दूसरा विद्वान् भेद अभेद दोनोंके वैधर्म्यसे प्रक्रियाको साधना चाहे तो वह विप्रतिषेध होनेका कारण प्रकरणको नहीं साध सकता है। कर्षचिद् भेदामेद और सर्वथा भेदामेद दोनोंका वैधर्म्य एक स्थळपर सम्भव नहीं है। अतः प्रकरणसम जाति समीचीन रूपण नहीं है।

का पुनरहेतुसमा भातिरित्याह ।

किर अहेतुसमा नामकी जाति क्या है ! ऐसी सुशुक्ला होनेपर स्यायसूत्र और स्यायभाष्यके अनुवाद अनुसार श्री विधानन्द आचार्य समाधान कहते हैं।

त्रैकाल्यानुपपत्तेस्तु हेतोः साध्यार्थसाधने ।

स्यादहेतुसमा जातिः प्रयुक्ते साधने क्वचित् ॥ ३८७ ॥

पूर्वं वा साधनं साध्यादुत्तरं वा सहापि वा ।

पूर्वं तावदसत्यर्थे कस्य साधनमिष्यते ॥ ३८८ ॥

पश्चाच्चेत् किं नु तत्साध्यं साधनेऽसति कथ्यतां ।

युगपद्वा क्वचित्साध्यसाधनत्वं न युज्यते ॥ ३८९ ॥

स्वतंत्रयोस्तथाभावासिद्धेर्विन्ध्यहिमाद्रिवत् ।

तथा चाहेतुना हेतुर्न कथंचिद्विशिष्यते ॥ ३९० ॥

इत्यहेतुसमत्वेन प्रत्यवस्थाप्यऽयुक्तिका ।

हेतोः प्रत्यक्षतः सिद्धेः कारकस्य घटादिषु ॥ ३९१ ॥

कार्येषु कुंभकारस्य तन्निवृत्तेस्ततो ग्रहात् ।

ज्ञापकस्य च धूमादेरग्न्यादौ ज्ञापिकारिणः ॥ ३९२ ॥

स्वज्ञेये परसंताने वागादेरपि निश्चयात् ।

त्रैकाल्यानुपपत्तेश्च प्रतिषेधे क्वचित्तथा ॥ ३९३ ॥

साध्यस्वरूप अर्थके साधन करनेमें हेतुका तीनों काळोंमें वर्तना नहीं बननेसे प्रत्यवस्थान देने पर तो अहेतुमत्ता जाति हो जायगी जैसे कि कहीं बादी द्वारा समीचीन साधनका प्रयोग करनेपर दूसरा प्रतिबादी समीचीन दूषणोंको नहीं देखता हुआ यों ही प्रत्यवस्थान उठा देता है कि बताओं, तुम्हारा ज्ञापक हेतु क्या साध्यसे पूर्वकाळमें वर्तता है ? अथवा क्या साध्यसे पश्चात् उत्तरकाळमें ठहरता है ? अथवा क्या साध्य और साधन दोनों भी समान काळमें साथ साथ रहते हैं ? बताओं । यदि प्रथम पक्षके अनुसार साध्यके पहिले काळमें साधनकी प्रवृत्ति मानी जायगी तब उसको साधनपना नहीं बन सकता । क्योंकि साध्यरूप अर्थके नहीं होते संते पहिले बैठा बैठा वह किसका साधन करेगा ? अर्थात्—किसीका भी नहीं । यदि द्वितीय पक्ष अनुसार साध्यके पीछे साधनकी प्रवृत्ति मानोगे, तब तो उसको साध्यपना नहीं बन पावेगा । साधनके नहीं होनेपर वह साध्य भला कैसा कहा जा सकेगा ? साधनके होनेपर कोई अविनामाधी पदार्थ साध्य कहा जा सकता है । किन्तु साधनके नहीं होते संते वह साधनके पहिले वर्त रहा साध्यका स्वरूप नहीं कहा जा सकता है । साधन द्वारा साधने योग्य पदार्थको साध्य कहते हैं । दश अर्थके पीछे जिसके पुत्र होनेवाला है, वह प्रथमसे ही बाप नहीं बन बैठता है । साध्य जब पहिले ही सिद्ध हो चुका तो इस हेतुने क्या पयरा कार्य किया ? अर्थात् नहीं । दृतापपक्ष अनुसार यदि साध्य और साधनका युगपत् सहभाव मानोगे तब तो किसी एक विवक्षितमें ही साध्यपना अथवा साधनपना युक्त नहीं हो सकता है । स्वतंत्रयन करके प्रसिद्ध हो रहे सहकाळमात्री दोनोंमें किसी एकका तिस प्रकार साध्यपना और दोपका साधनपना असिद्ध है । जैसे कि मध्यभारत और उत्तर प्रान्तमें युगपत् पडे डूये निन्प्याचक और हिमाचल पर्वतोंमेंसे किसी एकका साधनपना और बचे डूये किसी एक पहाडका साधनपना असिद्ध है । गामके बरे और सोपे सोपोंके समान दोनों भी साध्य हो जायेंगे अथवा दोनों साधन बन

बैठेगे और तैसा होनेपर यादीका कहा गया हेतु तो अहेतु या कुत्सित हेत्वाभासके साथ किसी भी प्रकारसे अन्तर रखनेबाधा नहीं हो सकेगा। अहेतुओंसे तो साध्यकी सिद्धि नहीं हो पाती है। भावार्थ-पर्यन्त बहिर्मान घूमाव या द्वा द्व अन्वित्य हे, कृतक होनेसे, इन अनुमानोंमें हेतु विचार साध्यके पहिछे पीछे, या साथ रहेगा ! बताया। यदि हेतु पहिछे रहेगा तो उस समय वह मला किसका साधन होगा ! यदि पीछे रहेगा ! तो साधनके नहीं होनेपर यह बहिर् या अनित्यपन किसीका साध्य कहा जायगा ! हेतु और साध्य दोनोंको युगपत् विद्यमान माननेपर विनिगमनाविरह हो जानेसे कौन किसका साध्य और कौन किसका साधन कहा जाय ! इसी प्रकार कारकपक्षमें भी यह प्रत्यक्षस्था प्रतिवादी द्वारा उठायी जा सकती है कि दण्ड, चक्र, कुलाळ, आदिक कारण यदि घटके पूर्व काळमें रहेगे तत्र तो घटका अभाव ( प्रागभाव ) होनेसे वे किसके कारण माने जा सकेंगे और घटके पीछे काळमें वर्तनेबाळे दण्ड आदिक किसके कारण माने जाय या कारणोंको घटके पीछे डालनेपर पहिछे वर्त रहा घट किन कारणों द्वारा बनाया जाय ! तथा समान काळमें कार्य, कारणोंकी वृत्ति माननेपर तो एकको कार्यता और दूसरेको कारणता निर्णीत नहीं हो सकती है। लोकमें माळ हडपनेके छिये बहुत प्राणी घेटा, मत्ताजा, बननेको उद्युक्त बैठे हैं। तथा पूज्य बननेके छिये और छबकोंकी कमाई खानेके छिये अनेक व्यक्ति विता बननेके छिये छार टपकाते फिरते हैं। इस ढंगसे ज्ञापकपक्ष और कारक पक्षमें तीनों काळके सम्बन्धका खण्डन कर देनेसे अहेतुपन करके यह अहेतु-समा जाति है। अब सिद्धान्ती कहते हैं कि इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा अहेतुसमपने करके प्रत्यक्ष-रामा देना भी युक्तिवत्से रीता है। क्योंकि घट, पट आदि कार्योंमें कुम्हार कोरिया आदि कारकों करके प्रत्यक्षप्रमाणसे ही हेतुपना सिद्ध हो चुका है। अतः जो प्रतिवादीने कहा था कि साध्यके नहीं होनेपर वह किसका साधन होगा और साधनके नहीं होनेपर वह किसके द्वारा सम्पादित हुआ साध्य कहा जायगा ! सिद्धान्ती कहते हैं कि जब उन मदान् प्रसिद्ध हो रहे प्रत्यक्षोंसे कार्य कारण भाव या साध्य ज्ञापक भावका प्रश्न हो रहा है, तो उस प्रतिवादीके प्रसंगकी निवृत्ति हो जाती है। तथा निज करके जाने जा रहे अग्नि, अनित्यपन, आदि साध्योंमें ज्ञापिको करानेबाळे धुआँ, कृतकत्व, आदि ज्ञापक हो रहे हेतुओंका समी विद्वानोंको प्रश्न हो रहा है। एवं दूसरे रोगी, मूर्च्छित पुरुषोंमें सजीवपनेकी संतानको साधनेके छिये कहे गये वचनव्यापार, उष्णस्पर्शविशेष, नाडी चलना, आदि हेतुओंसे भी परसंतानका निश्चय हो जाता है। अतः प्रतिवादीका उक्त प्रति-वेध करना समीचीन उत्तर नहीं है। इसी बातको “ न हेतुतः साध्यसिद्धेज्जैकाव्यासिद्धिः ” इस म्याय सूत्रमें बखान दिया है। तथा अग्रिम सूत्र “ प्रतिषेधानुपपत्तेः प्रतिषेद्धव्याप्रतिषेधः ” से उसका यह सिद्धान्त खण्डन भी कर दिया है कि इसी प्रकार इस प्रतिवादीका प्रतिषेध नहीं बन-नेसे प्रतिषेध करने योग्यका प्रतिषेध ही नहीं हो सकता है। अर्थात्-प्रतिवादीके ऊपर वादीका प्रश्न है कि तुम प्रतिषेध करने योग्य पदार्थसे पहिछे काळमें, पीछे काळमें, अथवा दोनोंके एक ही काळमें,

प्रतिषेध करोगे ? बताना। यदि प्रतिषेधके पूर्व कालमें प्रतिषेधक रहेगा तो वह उस समय किसका प्रतिषेध करता हुआ अपने प्रतिषेधकपनकी रक्षा कर सकेगा ? और दूसरा पक्ष केनेपर प्रतिषेध्यके पीछे कालमें यदि प्रतिषेध्य ठहरेगा तो प्रतिषेधकके विना वह किसके द्वारा प्रतिषेध्य होकर अपने प्रतिषेध्यपनको रक्षित कर सकेगा ? तृतीय पक्ष केनेपर एक कालमें वर्त रहे दोनोंमेंसे किसको प्रतिषेध्य और किस दूसरेको प्रतिषेधक माना जाय ? कोई निर्णायक नहीं है। इस प्रकार हेतु फलभावका खण्डन कर देनेपर तुम्हारा प्रतिषेध करना भी नहीं बन सकता है। अतः प्रतिषेध करने योग्य दूसरे वादीके हेतुका प्रतिषेध तुम्हारे बूते नहीं हो सका इस कारण अपनी आंखके बड़े टेंडको देखते दूर्य भी दूमरेकी निर्दोष चक्षुओंमें दोष निहारना प्रतिवादीका प्रशस्त कार्य नहीं है। देखो, कारक हेतु तो कार्यके अव्यवहित पूर्वकालमें रहना चाहिये और ज्ञापकके लिये कोई समय नियत नहीं है। अधिनाभाव मात्र आवश्यक है।

समा न कार्यासौ प्रतिषेधः स्याद्वादविद्धिः । कथं पुनस्तैकाल्यासिद्धेर्हेतोरहेतुसमा जातिरभिधीयते ? अहेतुसामान्यप्रत्यवस्थानात् । यथा अहेतुः साध्यस्यासाधकस्तथा हेतुरपि त्रैकाख्येनाप्रसिद्ध इति स्पष्टत्वाद्हेतुसमाजातेर्केसणोदाहरणप्रतिविधानानामर्कं व्याख्यानानेन ।

श्री विद्यानन्द आचार्य शिष्योंके लिये शिक्षा देते हैं कि स्याद्वादके वेत्ता बुद्धिमानों करके वह अहेतुसमा नामका प्रतिषेध तो कभी नहीं करना चाहिये। यहाँ किसीका प्रश्न है कि "त्रैकाख्य-सिद्धेर्हेतोरहेतुसमः" इस सूत्र अनुसार हेतुकी तीनों कालमें वृत्तताके असिद्ध हो जानेसे अहेतुसमा जाति बखानी गयी, फिर कैसे कह दी जाती है ? इसका उत्तर सिद्धान्तों द्वारा यों दिया जाता है कि प्रतिवादीने अहेतुपन सामान्यसे प्रत्यवस्थान दिया है। जिस प्रकार कि विवक्षित पदार्थका हेतु नहीं बन रहा कोई अहेतु पदार्थ उस विवक्षित साध्यका साधक नहीं है, तिसी प्रकार त्रैकाख्यपने कारके नहीं प्रसिद्ध हो रहा मनोनीत हेतु भी साध्यका साधक नहीं हो सकेगा। इस प्रकार अहेतुसमा जातिके लक्षण, उदाहरण और उस असदुत्तर हो रही जातिका खण्डन करनेवाले प्रतिविधानोंकी स्पष्टता दृष्टिगोचर हो रही है। अतः उनका पुनरपि व्याख्यान कर देनेसे कुछ विशेष प्रयोगन नहीं सचनेका है। अब विवरण रूपसे विशद हो रहे पशार्थोंका व्याख्यान करनेसे पूरा पदो, पुनरुक्त दोषको हम अवकाश देना नहीं चाहते हैं।

प्रयत्नानन्तरोत्थत्वाद्धेतोः पक्षे प्रसाधिते ।

प्रतिपक्षप्रसिद्धर्थमर्थापत्या विधीयते ॥ ३९४ ॥

या प्रत्यवस्थितिः सात्र मता जातिविदांवरैः ।

अर्थापत्तिसमैवोक्ता साधनाप्रतिवेदिनी ॥ ३९५ ॥

यदि प्रयत्नजत्वेन शब्दस्यानित्यता भवत् ।

तदार्यापत्तितो नित्यसाधर्म्यादस्तु नित्यता ॥ ३९६ ॥

यथैवास्पर्शवत्त्वं खे नित्ये दृष्टं तथा ध्वनौ ।

इत्यत्र विद्यमानत्वात्समाधानस्य तत्त्वतः ॥ ३९७ ॥

शब्दोऽनित्योऽस्ति तत्रैव पक्षे हेतोरसंशयम् ।

एष नास्तीति पक्षस्य हानिरर्थात्प्रतीयते ॥ ३९८ ॥

शब्द ( पक्ष ) अनित्य है ( साध्य ), प्रयत्नके अनन्तर उत्पत्ति होनेसे ( हेतु ) घटके समान ( दृष्टान्त ) इस प्रकार प्रयत्नानन्तरजन्यत्व समीचीन हेतुसे शब्दके अनित्यत्व पक्षका अच्छा साधन कर चुकनेपर पुनः प्रतिवादी द्वारा प्रतिपक्ष नित्यत्वकी प्रसिद्धि करनेके लिये अर्थापत्ति करके जो प्रत्यवस्थान किया जाता है, वह यह! जातिवेत्ता विद्वानोंमें श्रेष्ठ हो रहे पुरुषों करके अर्थापत्ति समा जाति ही मानी गयी है । जो कि वादीके साधनको नहीं समझ कर उसके प्रतिकूल पक्षमें फह दी गयी है । उस अर्थापत्तिसम प्रतिपेक्षका उदाहरण यों हैं कि यदि प्रयत्नजन्यत्व हेतु करके शब्द की अनित्यता सिद्ध हो सकी है, तब तो बिना कहे अर्थापत्ति द्वारा नित्य आकाशके साधर्म्यसे शब्दको नित्यपना हो जाओ, जिस ही प्रकार स्पर्शगुणरहितपना नित्य हो रहे आकाशमें देखा गया है, उसी प्रकार निर्गुण शब्दमें भी स्पर्शरहितपना विद्यमान है । अतः शब्दका नित्य पदार्थके साथ साधर्म्य, अस्पर्शत्व तो है । जब कि अर्थापत्ति ज्ञान उक्त करके अनुक्तका आक्षेप कर लेता है, तो शब्द अनित्य है, इस प्रकार कहनेपर बिना कहे ही अभिप्रायसे निकल आता है कि अन्य घट आदिक अनित्य हैं । ऐसी दशमें अन्वयदृष्टान्त कोई नहीं मिक सकता है । तथा अनुमान प्रमाणसे यदि शब्दका अनित्यपना साधा जाता है, तो अर्थापत्तिसे निकल आता है कि प्रत्यक्ष प्रमाणसे शब्द नित्य सिद्ध हो जायगा और यों तो वादीका हेतु बाधितहोःवाभास हो जायगा या सप्रतिपक्ष हो जायगा । इस प्रकार यह अर्थापत्तिसमा जाति उठायी जाती है । अब सिद्धान्ती कहते हैं कि इस प्रकार यह प्रतिवादी द्वारा असमीचीन कुत्रोच उठाये जानेपर इसके वास्तविक रूपसे होनेवाले समाधान ( उत्तर ) हमारे पास विद्यमान हैं । पूर्वमें प्रतिवादी द्वारा कहे गये वे प्रमाणसे अर्थापत्ति आभास है । उनसे शब्दका अनित्यत्व निरस्त नहीं होता है । वहा ही प्रसिद्ध उदाहरणमें जीजिये कि शब्द अनित्य है । इस प्रकार पक्षके समीचीन हेतुसे संशयरहित होकर साथ चुकनेपर अर्थापत्ति की

सामर्थ्यसे ही यह शब्द अनित्य नहीं है । इस प्रतिवादीके पक्षकी हानि प्रतीत हो जाती है । तुम्हारे बूढ़े हुए गाँठके उपायसे ही तुम्हारा निराकरण हो जाता है । यदि नित्य पदार्थके साधर्म्य स्पर्श रक्षितपनसे आकाशके समान शब्द नित्य है, तो कहे बिना ही अर्थसे प्राप्त हो जाता है कि अनित्य पदार्थके साधर्म्य प्रयत्नजम्बूत्व हेतुसे घटके समान शब्द अनित्य है ।

यथा च प्रत्यवस्थानमर्थापत्त्या विधीयते ।

नानैकांतिकता दृष्टा समत्वाद्बुभयोरपि ॥ ३९९ ॥

ब्राह्मणो घनस्य पातः स्यादित्युक्तेर्यान्न सिद्ध्यति ।

द्रवात्मनामपां पाताभावोर्थापत्तितो यथा ॥ ४०० ॥

तस्याः साध्याविनाभावशून्यत्वं तद्वदेव हि ।

शब्दानित्यत्वसंसिद्धौ नार्यान्नित्यत्वसाधनं ॥ ४०१ ॥

दूसरी बात यह है कि जिस अर्थापत्ति करके प्रतिवादी द्वारा प्रत्यवस्थान किया जा रहा है, वह अर्थापत्ति तो व्यभिचार दोष प्रस्त है । उससे तुम्हारे अर्थापत्ति साध्यकी सिद्धि नहीं हो सकती है । किसी विशेष पदार्थकी विधि कर देनेसे ही शेष पदार्थोंका निषेध नहीं हो जाता है । घट नीचा है । यों कह देनेसे शेष सभी कम्बूक कपड आदिक पदार्थ अनीच नहीं हो जाते हैं । देखिये जिस प्रकार कठिन हो रहे पाषाणका नियमसे पतन हो जाता है यों कह देनेपर अर्थापत्तिसे यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि वह रड़े पतले द्रव स्वरूप जकोंका पात नहीं होता है । उसीके समान ही उस अर्थापत्तिके उत्पापक अर्थका साध्यके साथ अविनाभाव बने रहनेसे शून्यपना है । और यह अर्थापत्ति तो दोनों भी पक्षोंमें समान रूपसे लागू हो आयागी, जब कि उक्त करके जिस किसी भी घेरे गेरे अनुक्तका तुम अर्थापत्तिसे आपादन कर छेते हो तो तुम्हारे पक्षकी हानि भी आपन हो जावेगी । बात यह है कि जब शब्दके अनित्यत्वकी मते प्रकार सिद्धि हो चुकी है, तो व्यभिचार दोषवाली अर्थापत्तिके द्वारा अग्निप्राय मात्रसे शब्दका नित्यपन नहीं साधा जा सकता है । अनित्यत्वकी साधनेवाले हेतुमें स्वकीय साध्यके साथ अविनाभाव विद्यमान है । किन्तु नित्यत्वका साधक अस्पर्शवत्त्व हेतु तो अविनाभावसे विकृत है ।

न अर्थापत्त्यानैकांतिकया प्रतिपक्षः सिद्ध्यति येन प्रयत्नानंतरीयकत्वात् शब्दस्यानित्यत्वे साधितेति अस्पर्शवत्त्वान्यपानुपपत्त्या तस्य नित्यत्वं सिद्ध्येतु । सुखादिनानैकांतिकी चैयमर्थापत्तिरतो न प्रतिपक्षस्य सिद्धिस्तदसिद्धौ च नार्यापत्तिरतएव उपपद्यते सचायुक्तापत्तिः प्रतिपक्षसिद्धेरर्थापत्तिसम इति वचनात् ।

व्यभिचार दोषवाची अर्थापत्ति ( प्रमाणाभास ) करके प्रतिपक्षकी सिद्धि नहीं हो पाती है । जिससे कि वादी द्वारा प्रयत्नानंतरापरकत्व हेतुसे शब्दका अनित्यपना साध चुकनेपर भी पुनः प्रतिवादी द्वारा अस्पर्शवत्त्वकी अन्ययानुपपत्तिसे उस शब्दका नित्यपन सिद्ध कर दिया जावे अस्पर्शवत्त्व तो नित्यपनके बिना नहीं हो सकता है । इस प्रकारकी यह अर्थापत्ति यों सुख, संख्या, संयोग, विभाग आदि गुणों करके और गमन, भ्रमण, लक्ष्येण आदि क्रियाओं करके अनेकान्तिफ दोषवाची हो रही है । सुख आदिमें नित्यपन नहीं होते हुये भी स्पर्शरहितपना विद्यमान है । पृथ्वी, जल, तेज, वायु इन चार द्रव्योंको छोड़कर शेष द्रव्य और गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सभी पदार्थोंमें स्पर्शरहितपन वर्त रहा है । अनित्य गुण आदिक व्यभिचार स्थल हैं । अतः अर्थापत्तिसे प्रतिवादीके निज प्रतिपक्षकी सिद्धि नहीं हो पाती है । और उस प्रतिपक्षकी सिद्धि नहीं होनेपर इस ही कारणसे अर्थापत्तिसमा जाति नहीं बन सकती है । न्यायसूत्रमें अर्थापत्तिसमाका यों लक्षणसूत्र कहा है कि अर्थापत्ति करके प्रतिपक्षकी सिद्धि हो जानेसे अर्थापत्तिसमा प्रतिषेध माना गया है । व्यभिचार होनेके कारण यह अविनाभाव रहित होनेसे प्रतिवादीकी अर्थापत्ति तो प्रमाणाभास हो गई । ऐसी दशामें वह अर्थापत्तिसमा जाति उत्पादन करना प्रतिवादीका अनुचित कार्य निर्णीत हो जाता है ।

का पुनरविशेषसमा जातिरित्याह ।

इससे आगेकी फिर अविशेषसमा जाति कौनसी है ? उसका लक्षण और उदाहरण क्या है ? ऐसी मनीषा होनेपर न्यायसिद्धान्त अनुसार शिष्यके प्रति श्रीविद्यानन्द आचार्य समाधानको कहते हैं ।

क्वचिदेकस्य धर्मस्य घटनादुररीकृते ।

अविशेषेत्त सद्भावघटनात्सर्ववस्तुनः ॥ ४०२ ॥

अविशेषः प्रसंगः स्यादविशेषसमा स्फुटं ।

जातिरेवंविधं न्यायप्राप्तदोषासमीक्षणात् ॥ ४०३ ॥

कहीं भी शब्द और घटमें एक धर्मकी घटना हो जानेसे दोनोंका विशेषरहितपना स्वीकार कर चुकनेपर पुनः प्रतिवादीद्वारा संपूर्ण वस्तुओंके समान हो रहे सद्भाव (सर्व) की घटनासे सबक अन्तर रहितपनका प्रसंग देना तो व्यक्त रूपसे अविशेषसमा जाति कही जावेगी । सिद्धान्ती कहते हैं कि इस प्रकारका प्रसंग देना तो जाति यानी असदुत्तर है । नयोंकि वादीद्वारा साचे गये निर्दोष पक्षमें प्रतिवादीद्वारा झूठे दोष दिखाना न्यायप्राप्त दोषोंका दिखाना नहीं है । अर्थात्—जो प्रतिवादीने दोष दिखलाया है वह न्यायमार्गसे प्राप्त नहीं होता है ।



एको धर्मः प्रयत्नान्तरीयकरं तस्य क्वचिच्छब्दघटयोर्घटनादविशेषे समानत्वे सत्य-  
नित्यत्वे वादिनोररीकृते पुनः सद्भावः सर्वस्य सत्त्वधर्मस्य वस्तुषु घटनादविशेषस्यानित्यत्व-  
प्रसंजनमविशेषसमा जातिः स्फुटं, एवंविधस्य न्यायप्राप्तस्य दोषस्यासमीक्षणत् । “एक-  
धर्मोपपत्तेरविशेषे सर्वाविशेषप्रसंगात् सद्भावोपपत्तेरविशेषसम ” इत्येवंविधो हि प्रतिषेधो  
न न्यायप्राप्तः ।

न्यायसूत्र और न्यायभाष्यके अनुसार उक्त वार्तिकोंका विवरण यों है कि एक धर्म यह।  
प्रयत्नान्तरीयकत्व है । कहीं पक्ष किये गये शब्द और घट माने गये दृष्टान्तमें उस धर्मके घटित हो  
जानेसे समानपन अविशेष होते संते वादी द्वारा शब्द और घटका अनित्यपना स्वीकार कर चुकनेपर  
पुनः प्रतिवादी द्वारा सद्भावकी उपपत्ति होनेसे यानी संपूर्ण वस्तुओंमें सत्त्व धर्मके घटित हो जानेसे  
सबके सद्भावको कहकर अनित्यपनका प्रसंग दिया जाना अविशेषसमा है । सिद्धांती कहते हैं कि  
इस प्रकारके न्यायप्राप्त दोषोंका समीक्षण नहीं होनेसे यह प्रतिवादीका जातिरूप उत्तर स्पष्टरूपसे  
असत् उत्तर है । न्यायसूत्रमें अविशेषसमाका यह अर्थ है कि विधक्षित पक्ष दृष्टान्त व्यक्तियोंमें  
एक धर्मकी उपपत्ति हो जानेसे अविशेष हो जानेपर पुनः सद्भावकी उपपत्ति होनेसे संपूर्ण वस्तुओंके  
अविशेषका प्रसंग देनेसे प्रतिवादीद्वारा अविशेषसम प्रतिषेध उठाया जाता है । किन्तु इस प्रकारका  
वह प्रतिषेध तो न्यायप्राप्त नहीं है । अन्यायसे चाहे जिसके ऊपर चाहे जितने दोष उठा दो ।  
किन्तु परीक्षा करनेपर ये दोष सब उड़ जाते हैं ।

कृत इत्याह ।

यह प्रतिवादी द्वारा दिया गया प्रतिषेध न्यायप्राप्त कैसे नहीं है । ऐसी जिज्ञासा होनेपर  
श्रीविष्णानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं ।

प्रयत्नान्तरीयत्वधर्मस्यैकस्य संभवात् ।

अविशेषे ह्यनित्यत्वे सिद्धेपि घटशब्दयोः ॥ ४०४ ॥

न सर्वस्याविशेषः स्यात्सत्त्वधर्मोपपत्तितः ।

धर्मांतरस्य सद्भावनिमित्तस्य निरीक्षणात् ॥ ४०५ ॥

प्रयत्नान्तरीयत्वे निमित्तस्य च दर्शनात् ।

न समोयमुपन्यासः प्रतिभातीति मुच्यताम् ॥ ४०६ ॥

सर्वार्थेष्वविशेषस्य प्रसंगात् प्रत्यवस्थितिः ।

विषमोयमुपन्यासः सर्वार्थेष्वुपपद्यतां ॥ ४०७ ॥

एक प्रयत्नान्तरीयकत्व धर्मके संभव हो जानेसे पक्ष तथा दृष्टान्त हो रहे घट और शङ्खका अनित्यपना यद्यपि अन्तररहित हो कर नियमसे सिद्ध हो चुका है, तो भी सत्त्वधर्मकी उपपत्ति हो जानेसे सम्पूर्ण पदार्थोंके विशेषरहितपनका प्रसंग नहीं होवेगा जिससे कि सम्पूर्ण भावोंमें सद्भाव सध जानेसे अनित्यपन प्राप्त हो जाय और ऐसी दशामें पक्षसे अतिरिक्त अन्य कोई भी उदाहरण नहीं मिल सके। बिना उदाहरणके कोई हेतु होता नहीं है। प्रतिज्ञाके एकदेशको उदाहरणपना असिद्ध है। पक्ष ही तो उदाहरण नहीं हो सकता है, यों जाति उठाई जा सके। बात यह है कि सम्पूर्ण वस्तुओंके सद्भावका निमित्त हो रहा दूसरा धर्म देखा जा रहा है। और प्रयत्नान्तरीयकपनेमें निमित्त हो रहा न्यारा धर्म दीखता है। इस कारण जातिवादीका सम्पूर्ण अर्थोंमें सत्त्व होनेसे विशेषरहितपनका प्रसंग हो जानेसे प्रत्यवस्थान देनेका यह वचन प्रारंभ करना सम नहीं प्रतिभासता है। अतः वह प्रत्यवस्थान उठाना छोड़ देना चाहिये। इस प्रकारके विषम उपन्यास तो सभी अर्थोंमें प्रसंग प्राप्त किये जा सकते हैं। सामान्य मनुष्यपनका सद्भाव हो जानेसे सभी विद्यार्थी, श्रोता, रंक, निपट मूर्ख, सभी साधरण पुरुष भी माननीय गुरु गोपालदासजीके समान प्रकाण्ड विद्वान् बन बैठेंगे। चाहे कोई भी मनुष्य अपनेको अधिकारी, राजा, अधिपति, आचार्य, मान बैठेगा। विशेष हेतुओं द्वारा अन्तरोकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी। अतः प्रतिवादी द्वारा सबके अविशेषपनका प्रत्यवस्थान उठाया जाना दूषणाभास है। यह न्याय उचित मार्ग नहीं है।

न हि यथा प्रयत्नान्तरीयकत्वं साधनधर्मः साध्यमनित्यत्वं साधयति शब्दे तथा सर्ववस्तुनि सत्त्वं यतः सर्वस्याविशेषः स्यात् सत्त्वधर्मोपपत्तितयैव धर्मोत्तरस्यापि नित्यत्वस्याकाशादौ सद्भावनिमित्तस्य दर्शनात् प्रयत्नान्तरीयकत्वनिमित्तस्य चाऽनित्यत्वस्य षटादौ दर्शनात्। ततो विषमोयमुपन्यासः इति त्यज्यतां सर्वायैष्वविशेषप्रसंगात् प्रत्यवस्थानं।

जिस प्रकार कि हेतुधर्म हो रहा प्रयत्नान्तरीयकपना नियमसे अनित्यपन साध्यको शब्दमें साध देता है, तिस प्रकार सत्त्व धर्म तो सम्पूर्ण पदार्थोंमें विद्यमान हो रहा संता अनित्यपनको नहीं साध पाता है, जिससे कि केवल सत्त्व धर्मकी उपपत्ति कर देनेसे ही सम्पूर्ण वस्तुओंका विशेषरहितपना हो जाय। बात यह है सद्भावका व्यापक रूपसे निमित्त यदि अनित्यपना होता तो प्रतिवादीका प्रत्यवस्थान चक सकता था। किन्तु आकाश, काष्ठ, आत्मा आदिमें सद्भावके निमित्त हो रहे न्यारे धर्म नित्यपनका भी साथ दर्शन हो रहा है। और घट पट आदिमें अनित्यत्वके ज्ञापक प्रयत्नान्तरीयकत्वके निमित्त कारण अनित्यपनका उपलब्ध हो रहा है। तिस कारण यह प्रतिवादी का अविशेषप्रसंगजाति निरूपणरूप उपन्यास करना विषम पदता है। इस कारण प्रतिवादीको संपूर्ण अर्थोंमें अन्तररहितपनके प्रसंगसे प्रत्यवस्थान देनेका विचार छोड़ देना चाहिये। “ कश्चिद्धर्मोत्पत्तेः

कश्चिन्नोपपत्तेः प्रतिषेधामावः ” इस सूत्रकी वृत्तिमें विद्यनाथ मट्टाचार्य कहते हैं कि कहीं कृतकत्व प्रयत्नानन्तरीयकत्व, आदिमें हेतुके धर्म ग्याप्ति, पक्षवर्गता आदिक विद्यमान हैं, और कहीं सत्य, प्रमेयत्व आदि हेतुओंमें अनित्यपन साम्यके उपयोगी ग्याप्ति, पक्षवृत्तित्व आदि हेतुधर्म नहीं पाये जाते हैं । अतः प्रतिषादीद्वारा प्रतिषेध होनेका असम्भव है ।

अदि तु सर्वेषामर्थांशानामनित्यता सूत्रस्य निमित्तमिष्यते तदापि प्रत्यवस्थानाद-  
नित्याः सर्वे भावाः सत्त्वादिति पक्षः प्राप्नोति । तत्र च प्रतिज्ञार्यग्यातिरिक्तं क्रोदाहरणं  
सम्भवेन चानुदाहरणो हेतुरस्तु । उदाहरणसाधर्म्यात् साध्यसाधनत्वं हेतुरिति समर्थनात् ।  
पक्षैकदेशस्य प्रदीपञ्जालदेरुदाहरणत्वे साध्यत्वविरोधः साध्यत्वे तूदाहरणं विरुध्यते । न  
च सर्वेषां सत्त्वमनित्यत्वं साधयति नित्यत्वेपि केषांचित्सत्त्वप्रतीतिः । संप्रति सिद्धार्थानां  
सर्वेषामनित्यतायां कथं शब्दानित्यत्वं प्रतिविध्यते सत्त्वरिति परीक्ष्यतां । सोऽयं सर्वस्या-  
नित्यत्वं साधयन्नेव शब्दानित्यत्वं प्रतिषेधतीति कथं स्वस्यः ?

भाष्यकार कहते हैं किं तो प्रतिषादीका यदि यह मन्तव्य होय कि सम्पूर्ण अर्थोंके सत्तावकी उपपत्तिका निमित्तकारण अनित्यत्व ही ग्यारा धर्म इष्ट किया गया है । सिद्धांती कहते हैं कि यों कल्पना करोगे तो भी प्रतिषादीका प्रयत्नस्थान देनेसे यह पक्ष प्राप्त हो जाता है कि सम्पूर्ण पदार्थ सत्यपना हो जानेसे अनित्य हैं और इस प्रकार भादीके उस पक्षमें प्रतिज्ञा विषय अर्थसे व्यतिरिक्त हो रहा उदाहरण मजा कहां सम्भवेगा ? अर्थात्—सत्य हेतुसे सम्पूर्ण पदार्थोंमें अविशेषरूपसे अनित्यपना साधनेपर अन्वयदृष्टान्त या व्यतिरेक दृष्टान्त बनानेके लिये कोई पदार्थ शेष नहीं बचता है और उदाहरणसे रहित कोई हेतु हो जाओ यह ठीक नहीं पड़ेगा । क्योंकि उदाहरणके साधर्म्य से या उदाहरणकी सामर्थ्यसे साध्यका साधकपना हेतुका प्राण है । इस प्रकार समर्थन किया जा चुका है । अन्तर्ग्याप्तिका अर्थकत्व केकर प्रतिषादी यदि पक्षके एक देश हो रहे प्रदीपकठिका, अग्निशाळा, विषुव आदिका उदाहरणपना स्वीकार करें, तब तो हम कहते हैं कि सबको पक्ष-कोटिमें बाळकर उन प्रदीप, वशाळा, आदिके साम्यपनका विरोध हो जावेगा । प्रदीपकठिका आदिको पक्षमें प्रविष्ट कर अनित्यपनसे विशिष्टपना साध्य करनेपर तो उनको अन्वय दृष्टान्त बनाना विरुद्ध पक्ष आपगा । तथा एक बात यह भी है कि सम्पूर्ण पदार्थोंका विद्यमान हो रहा सत्य कोई अनित्यत्वको नहीं साध देता है । किन्हीं आकाश-आदि पदार्थोंके नित्यपना होते हुये भी सत्य प्रतीत हो रहा है । अतः नित्यपन या अनित्यपनको साधनेमें सत्य हेतु व्यभिचारी है । नित्योंमें सत्ताव हो जानेसे उस हेतुकरके अनित्यपनकी सिद्धि नहीं हो सकती है । और अनित्य पदार्थोंमें वर्त जानेसे उस हेतु करके नित्यपनकी सिद्धि नहीं हो पाती है । अतः प्रतिषादीका सबको अविशेषपनके प्रसंग देनेका वाक्य कुछ भी अर्थको नहीं रखता है । हां,

वर्तमान कालमें सिद्ध हो रहे सम्पूर्ण पदार्थोंका अनित्यपना यदि साधा जावेगा तब तो अन्य-पदार्थोंके स्रव करके प्रतिवादी द्वारा शब्दका अनित्यपना भडा कैसे प्रतिषेधा जा सकता है ? अर्थात्—नहीं । इस बातकी प्रतिवादी और उसके साथी भडे ही परीक्षा कर देखें, हमको कोई आपत्ति नहीं है । सद्भाव सिद्ध हो जानेसे सम्पूर्ण पदार्थोंके अनित्यपनको कह रहे प्रतिवादी करके जब शब्दका अनित्यपना स्वीकार ही कर लिया गया है, उस दशमें वादीके पक्षका प्रतिवादी द्वारा प्रतिषेध करना ही नहीं बन पाता है । फिर भी यह प्रसिद्ध प्रतिवादी स्रवके अनित्यपनको साध रहा संता ही शब्दके अनित्यपनका प्रतिषेध कर रहा है । यों परस्पर विरुद्ध कह रहा वह प्रतिवादी स्वस्थ ( होशमें ) कैसे कहा जा सकता है ? विचारशील पण्डित तो ऐसे विरुद्ध वचनोंका प्रयोग नहीं करता है । यहाँतक अविशेषसमा जातिका विचार कर दिया गया है ।

**कारणस्योपपत्तेः स्यादुभयोः पक्षयोरपि ।**

**उपपत्तिसमा जातिः प्रयुक्ते सत्यसाधने ॥ ४०८ ॥**

वादी द्वारा सत्य हेतुका प्रयोग किया जा चुकनेपर पुनः प्रतिवादी द्वारा दोनों भी पक्षोंके यानी पक्षविपक्षोंके या नित्यपनके अनित्यपनके कारण प्रमाणकी उपपत्ति हो जानेसे उपपत्तिसमा जाति हुई प्रतीत कर लेनी चाहिये ।

**‘उभयोरपि पक्षयोः कारणस्योभयोरुपपत्तिः प्रत्येवा उभयकारणोपपत्तेरुपपत्तिसम इति वचनात् ।**

दोनों भी पक्ष विपक्षोंके कारण की दोनों वादी प्रतिवादीयोंके यहाँ सिद्धि हो जाना उपपत्तिसमा जाति समझ लेनी चाहिये । न्यायदर्शनमें गौतम ऋषिने उभय कारणकी उपपत्तिसे उपपत्तिसम प्रतिषेध होता है, ऐसा निरूपण किया है । प्रतिवादी कह देता है कि जैसे तुझ वादीके पक्ष हो रहे अनित्यपनमें प्रमाण विद्यमान है, तिसी प्रकार मेरा पक्ष भी प्रमाणयुक्त है । ऐसी दशमें वादीके पक्षका प्रतिरोध हो जाना या बाधित हो जाना सम्भव समझ कर प्रतिवादी उपपत्तिसमा जाति उठानेके लिये उद्युक्त हुआ प्रतीत होता है ।

**एवमुदाहरणमाह ।**

इस उपपत्तिसमाके उदाहरणको न्यायभाष्य अनुसार श्री विद्याभद्र आचार्य यों वरप्रमाण वार्तिकों द्वारा कहते हैं ।

**कारणं यद्यनित्यत्वे प्रयत्नोत्थत्वमित्ययं ।**

**शब्दोऽनित्यस्तदा तस्य नित्यत्वेऽस्पर्शतास्ति तत् ॥ ४०९ ॥**

ततो नित्योप्यसावस्तु साधनं नोपपद्यते ।

कारणस्याभ्यनुज्ञाना न नित्यः कथमन्यथा ॥ ४१० ॥

न्यायभाष्यकार वात्स्यायन ऋषि उपपत्तिसमके उक्षण सूत्रका यों व्याख्यान करते हैं कि शब्दके अनित्यपनको साधनेमें कारण प्रयत्नजन्यत्व है । इस कारण यह शब्द यदि अनित्य कहा जाता है, तब तो उस शब्दके नित्यपनमें भी ज्ञापक कारण हो रहा वह स्पर्शरहितपना विद्यमान है । तिस कारणसे वह शब्द नित्य भी उपपन्न हो जाओ, अन्यथा यानी कारण ( अस्पर्शत्व ) के होनेपर भी यदि साध्य ( नित्यत्व ) को नहीं साधोगे तो शब्द अनित्य भी कैसे हो सकेगा ! वहां भी प्रयत्नजन्यत्वको होते हुये भी अनित्यपनका साधन नहीं बन सकेगा यदि कारणके । बर्त जानेसे शब्दमें अनित्यपन की सिद्धि कर दोगे तो दूसरे प्रकार अस्पर्शत्व हेतुसे शब्द नित्य भी क्यों नहीं सिद्ध हो जायगा ! अर्थात्—होवेगा ही ।

यद्यनित्यत्वे कारणं प्रयत्नानन्तरीयकत्वं शब्दस्यास्यास्तीत्यनित्यः शब्दस्तदा नित्यत्वे तस्य कारणमस्पर्शत्वमुपपद्यते । ततो नित्योप्यस्तु कथमनित्योन्यथा स्यादित्युभयस्यानित्यत्वस्य नित्यत्वस्य च कारणोपपत्त्या प्रत्यवस्थानमुपपत्तिसमो दूषणाभासः ।

इन दो फारिकाओंका विवरण यों है कि यदि शब्दके अनित्यपनको साधनेमें ज्ञापक कारण प्रयत्नानन्तरीयरूपना है, अतः शब्द अनित्य है, तब तो उस शब्दके नित्यपनमें भी ज्ञापक कारण स्पर्शगुणरहितपन विद्यमान है । तिस कारणसे शब्द नित्य भी हो जाओ । स्पर्शगुणसे रीता हो रहा आकाश नित्य है । उसी प्रकार गुण होनेसे किसी भी गुणको नहीं धारनेवाला स्पर्शरहित शब्द भी नित्य हो सकता है । कोई बाधा नहीं आती है । अन्यथा यह अनित्य भी कैसे हो सकेगा ! इस प्रकार दोनों ही अनित्यपन और नित्यपनके कारणोंकी उपपत्ति हो जानेसे प्रत्यवस्थान उठाना प्रतिषादीका उपपत्तिसम नामका दूषणाभास है । वस्तुतः दूषण नहीं होकर दूषणके सदृश है ।

इत्येष हि न युक्तोत्र प्रतिषेधः कथंचन ।

कारणस्याभ्यनुज्ञादि चादृशं भ्रुवतां स्वयं ॥ ४११ ॥

शब्दानित्यत्वसिद्धिश्रोपपत्तेरविगानतः ।

व्याघातस्तु द्वयोस्तुल्यः स्वपक्षप्रतिपक्षयोः ॥ ४१२ ॥

साधनादिति नैवासौ तयोरेकस्य साधकः ।

एवं शेष न युक्तोत्र प्रतिषेधः कथं मतिः ॥ ४१३ ॥

“उपपत्तिकारणाभ्यनुज्ञानादप्रतिषेधः” इस सूत्र अनुसार सिद्धान्ती उसका उत्तर कहते हैं कि यहां प्रतिवादी द्वारा यह प्रतिषेध करना कैसे भी युक्तिपूर्ण नहीं है। क्योंकि दोनोंके कारणोंकी उपपत्ति कह देनेसे शब्दके अनित्यपनकी निर्दोष रूपसे सिद्धि हो चुकी। जिस प्रकारके मन्तव्यको प्रतिवादी स्वयं कह रहा है, उसने शब्दके अनित्यपनको सब ओरसे स्वीकार कर ही लिया है। अनित्यपनके हेतु, उदाहरण, आदिको भी वह मान चुका है। अतः पुनः नित्यत्वको साधते हुये वह प्रतिषेध करना नहीं बनता है। अनित्यपनको मान कर पुनः अनित्यपनका निषेध नहीं किया जा सकता है। ग्याघात दोष लग बैठेगा। तथा यदि प्रतिषेध करोगे तो दोनों नित्यत्व, अनित्यत्वके कारणोंकी उपपत्ति नहीं स्वीकार की जा सकेगी। अतः जातिका लक्षण नहीं घटा। और यदि दोनोंके कारणोंकी उपपत्ति कह देनेसे शब्दके अनित्यपनका कारण बन चुकना स्वीकार कर लोगे तो प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है। अपने पक्ष हो रहे शब्दका अनित्यपन और प्रतिवादीके पक्षप्रस्त हो रहे नित्यपन दोनोंकी सिद्धि करनेसे तो उसी प्रकार समान रूपसे ग्याघात दोष आ जाता है। इस कारण वह प्रतिवादी उन दोनोंमेंसे एक पक्षका भी साधनेवाला नहीं है। इस प्रकार यह प्रतिवादी द्वारा किया गया प्रतिषेध यहाँ कैसे भी समुचित नहीं है। “छोके षष्ठं गुरु ज्ञेयम्” इसकी अपेक्षा नहीं कर कथमपि पाठकर लिया जाय अथवा अनुष्टुप् श्लोकके पदोंमें छठवें अक्षरको गुरु माननेपर “कथं मतिः” पाठ बना लिया जाय। विश्वान् पुरुष अन्य भी विचार कर सकते हैं। वादी कह सकता है कि तुझ प्रतिवादीने मेरे पक्षका दृष्टान्त दे करके मेरे पक्षका प्रामाण्यसहितपना स्वीकार कर लिया है। अतः मेरे ऊपर प्रतिषेध मछा कैसे उठाया जा सकता है। यों कथमपि पाठ रहने दो।

कारणस्याभ्यनुज्ञानात् उभयकारणोपपत्तेरिति श्रुवता स्वयमेवानित्यत्वे कारणं प्रयत्नानन्तरीयकत्वं तावदभ्यनुज्ञातमनेनाभ्यनुज्ञानान्नुपपन्नस्तत्प्रतिषेधः? शब्दानित्यत्वसिद्ध्या उपपत्तेरविवादात्। यदि पुनर्नित्यत्वकारणोपपत्तौ सत्पामनित्यत्वकारणोपपत्तेर्याघातादनित्यत्वासिद्धेर्युक्तः प्रतिषेध इति मतिस्तदास्त्यनित्यत्वकारणोपपत्तौ सत्यां नित्यत्वकारणोपपत्तिरपि व्याघातात् नित्यत्वसिद्धिरपीति नित्यत्वानित्यत्वयोरैकतरस्यापि न साधकत्तुल्यत्वाद्दुभयोर्ध्याघातस्य।

कारणका अभ्यनुज्ञान करनेसे अर्थात्—सूत्र अनुसार नित्यपन अनित्यपन दोनोंके कारणोंकी उपपत्ति हो जानेसे इस प्रकार कह रहे प्रतिवादीने शब्दमें अनित्यपनके कारण प्रयत्नानन्तरीयकत्वको स्वयं पहिंचे ही स्वीकार कर लिया है। यों इस प्रतिवादी करके स्वीकृत हो जानेसे पुनः उस अनित्यपनका प्रतिषेध करना नहीं सध सकेगा। क्योंकि शब्दके अनित्यपनकी सिद्धि की उपपत्तिमें प्रतिवादीको कोई विवाद नहीं रहा है। अतः अनित्यपनका प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है। यदि फिर

प्रतिवादीका यह मन्तव्य होष कि हमारे यहां प्रथमसे ही शब्दकी नित्यताके कारण अस्पर्शत्वकी उपपत्ति ( सिद्धि ) हो चुकी है । ऐसा होनेपर वादीके इष्ट शब्दानित्यत्वके कारण प्रयत्नजम्पत्वकी उपपत्तिका व्याघात हो जाता है । अतः अनित्यपनकी असिद्धि हो जानेसे मेरे द्वारा किया गया अनित्यत्वका प्रतिषेध करना युक्त है । अर्थात्—तुम्हारे यहां अनित्यपन सब चुकनेपर पुनः उसका प्रतिषेध करनेसे मेरे ऊपर जैसे व्याघात दोष आता है, उसी प्रकार मेरे यहां शब्दका नित्यपन सब चुकनेपर पुनः अनित्यपन साधनेमें तुमको भी व्याघात दोष लगेगा । अतः मैं प्रतिवादी उस अनित्यपनका प्रतिषेध कर देता हूं, यह मेरा उचित कार्य है । अब सिद्धान्ती कहते हैं कि यों मानोगे तब तो हम भी कह देंगे कि वादीके यहां प्रथमसे ही अनित्यपनके कारणकी सिद्धि हो चुकनेपर पुनः प्रतिवादीके यहां नित्यपनके कारणकी सिद्धि व्याघात दोष हो जानेसे नहीं बन पाती है । वादीको ही प्रथम बोलनेका अधिकार प्राप्त है । अतः प्रतिवादीके अमाद्य नित्यपनकी सिद्धि नहीं हुई । विद्धांके समान दूधको लुढ़का देनेसे दोनोंमेंसे किसीका भी प्रयोजन नहीं सब पाता है । इस प्रकार नित्यत्व, अनित्यत्व, दोनोंमेंसे किसी एक पक्षको भी सिद्धि करनेवाला वह साधक नहीं हुआ । कारण कि दोनों भी पक्षोंमें व्याघात दोष तुम्हें रूपसे मुंह बांधे खड़ा हुआ है । ऐसी दशामें दोनों पक्षोंके सुन्द उपसुन्द न्यायसे मर जानेपर प्रतिवादी किसकी सामर्थ्यके मरोधेपर प्रतिषेध करनेके लिये उत्साह दिखा रहा है ? अतः यह प्रतिवादी द्वारा किया गया प्रतिषेध युक्त नहीं है ।

का पुनरुपलब्धिसमा जातिरित्याह ।

चौबीस जातियोंमें उपपत्तिसमा जातिके पाँडे गिनाई गयी फिर उपलब्धिसमा जाति कैसी है ? उसका लक्षण और उदाहरण क्या है ? इस प्रकार श्रोताकी निश्चासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं ।

साध्यधर्मनिमित्तस्याभावेप्युक्तस्य यत्पुनः ।

साध्यधर्मोपलब्ध्या स्यात् प्रत्यवस्थानमात्रकम् ॥ ४१४ ॥

सोपलब्धिसमा जातिर्यथा शाखादिभंगजे ।

शब्देस्त्यनित्यता यत्नजत्वाभावेप्यसाधिविति ॥ ४१५ ॥

शब्द अनित्य है, ( प्रतिशा ) जीवके प्रयत्न करके जन्म होनेसे ( हेतु ) घटके समान, इस अनुमानमें शब्दनिष्ठ अनित्यत्वकी ज्ञाति करानेका निमित्त कारण प्रयत्नजम्पत्व माना गया है । वादी द्वारा कहे जा चुके उस निमित्तके नहीं होनेपर भी प्रतिवादी द्वारा पुनः साध्य धर्मकी उपलब्धि करके जो केवल रीता प्रत्यवस्थान उठाया जायगा वह उपलब्धिसमा जाति है । जैसे कि

शुद्धकी शाखा गुहा आदिके दृष्टमेसे उत्पन्न हुये शब्दमें प्रयत्नजन्यत्वके बिना भी वह अनित्यपना साध्यधर्म विद्यमान है। तिस कारणसे वह हेतु साध्यका साधक नहीं है। अपन “पर्वतो दग्धिमान् घूमाम्” यह अनुमान वह्निके निर्णयके लिये कहा जाता है। किन्तु वह ठीक नहीं बैठता है। क्योंकि घूमके बिना आलोक, उष्णता, आदिसे भी अग्निकी सिद्धि हो जाती है। अतः अकेले धूरैसे ही वह्नियमान् नहीं साधना चाहिये तथा घूम हेतुसे वह्नियमान् ही यह साध्य कोटिमें अवधारण नहीं लगाया जाय। क्योंकि घूम हेतुसे द्रव्यत्व, मूर्त्तत्व आदिकी भी सिद्धि हो जाती है। पर्वत ही अग्निमान् है। यह पक्षकोटिमें अवधारण नहीं कर सकते हो। क्योंकि रसोई घर, अधियाना आदिक भी अग्निमान् हैं। पर्वतको ही अग्निमान् माननेपर अन्वयदृष्टान्त भी कोई नहीं बन सकेगा। पर्वतका बहुतसा भाग अग्निरहित हुआ अन्य वनस्पति, शिळा, मिट्टी, आदिको धार रहा भी है। इस प्रकार यह उपलब्धिसमा जाति नामक प्रतिषेध प्रतिवादी द्वारा उठाया गया है।

साध्यधर्मस्तावदनित्यत्वं तस्यानिमित्तकारणं प्रयत्नानन्तरीयकत्वं ज्ञापकं तस्योक्तस्य धादिना क्वचिद्भावेपि पुनः साध्यधर्मस्योपलब्ध्या यत्प्रत्यवस्थानमात्रकं सोपलब्धिसमा जातिर्विज्ञेया, “निर्दिष्टकारणाभावेऽप्युपलब्धादुपलब्धिसम” इति वचनात्। तद्यथाशाखादिभंगजे शब्दे प्रयत्नानन्तरीयकत्वाभावेऽप्यनित्यत्वमस्ति साध्यधर्मोसाविति।

यहां प्रकरणमें साधने योग्य धर्म तो सबसे पहिले अनित्यपना है। उसका ज्ञापक निमित्त कारण प्रयत्नानन्तरीयकत्व हेतु है। वादी द्वारा कहे जा चुके हेतुका अभाव होनेपर भी पुनः साध्य धर्मकी उपलब्धि दिखलाभेसे जो सम्पूर्ण व्यापक साध्यकी अपेक्षा मात्र प्रत्यवस्थान उठाया जाता है, वह उपलब्धिसमा जाति समझनी चाहिये। गौतमसूत्रमें इसका लक्षण यों कहा है कि वादी द्वारा कहे जा चुके कारणके अभाव होनेपर भी साध्यधर्मका उपलब्ध हो जानेसे उपलब्धिसम प्रतिषेध है। उसका उदाहरण इस प्रकार है कि शाखा आदिके भंगसे उत्पन्न हुये शब्दमें या घनगर्जन, समुद्रवाष आदि शब्दोंमें प्रयत्नजन्यत्वका अभाव होनेपर भी यह साध्य धर्म ही रहा अनित्यपना वर्त रहा है।

स चायं प्रतिषेधो न युक्त इत्याह।

सिद्धान्ती कहते हैं कि सो यह प्रतिवादी द्वारा किया गया प्रतिषेध तो युक्त नहीं है। इस बातको श्री विद्यानन्द आचार्य धार्तिकद्वारा कहते हैं।

कारणातरतोऽप्यत्र साध्यधर्मस्य सिद्धितः।

न युक्तः प्रतिषेधोऽयं कारणानियमोक्तितः ॥ ४१६ ॥

“कारणान्तरादपि तद्धर्मोपपत्तेरप्रतिषेधः” इस गौतमसूत्रके अनुसार विचार करना पड़ता है कि, अन्य कारणोंसे भी यहा साध्यधर्मकी सिद्धि हो सकती है। अतः यह प्रतिवादी द्वारा किया



गया प्रतिषेध उचित नहीं है । सामान्य कार्योंके लिये कोई नियत कारणोंका नियम कहा गया है । बात यह है कि शब्द कार्य है, वह कारणोंसे ही उपजेगा । जीवोंके उच्चार्यमाण शब्दमें प्रयत्नजन्यत्वसे अनित्यपना साध लिया जाता है । और शेष शास्त्रात्मंगोत्व मेचगर्जन आदि शब्दोंमें उत्पत्तिमत्त्व, कृतकत्व आदि हेतुओंसे अनित्यत्व साध लिया जायगा । देखो, जैसे कार्य तो अवश्य कारणवान् होते हैं । किन्तु कारण कार्यसहित भी हों और कार्यवान् नहीं भी हों, कोई नियम नहीं है । उसी प्रकार ज्ञापक पक्षमें समीचीन हेतु साध्यवाला अवश्य होगा । किन्तु साध्य अवश्य सहचरत्व सम्बन्धसे हेतुमान् होय ऐसा नियम नहीं है । साध्य व्यापक होता है और हेतु व्याप्य होता है । हेतुमें अन्य-धातुवृत्ति गुण ठहरता है । साध्यमें अविनाभाव गुण नहीं वर्तता है । साधनेके बिना साध्य नहीं होय, ऐसा कोई नियम नहीं कह दिया गया है । अग्निकी अनुमिति अन्य आलोक आदि हेतुओंसे भी हो सकती है । हम हेतु, साध्य, या पक्षमें एवकार उगाकर अवधारण करनेके लिये “ पर्वतो वह्निमान् घूमात् ” या “ शब्दोऽनित्यः प्रयत्नजन्यत्वात् ” इन अनुमानोंका प्रयोग नहीं कर रहे हैं । किन्तु संदेहप्राप्त हो रहे अनित्यत्व, आदिकी सिद्धिके लिये अनुमान वाक्य रच रहे हैं । अन्यथा तुल्य प्रतिवादीके द्वारा कहा गया वादी कथित पक्षकी असाधकताका साधन भी नहीं बन सकेगा । क्योंकि असाधकताके दूसरे साधक भी बर्त रहे हैं । अतः वादीके पक्षका यों प्रतिषेध नहीं हो सकता है ।

प्रयत्नानन्तरीयकत्वात् कारणादन्यदुत्पत्तिधर्मकत्वादिकारणान्तरमनित्यत्वस्य साध्यधर्मस्य, तत्रापि सिद्धिर्न युक्तः प्रतिषेधोयं तत्र कारणानियमवचनात् माभिज्ञापकमन्तरेण ज्ञाप्यं न भवतीति नियमोस्ति, साध्याभावे साधनस्यानियमव्यवस्थितेः इति ।

अनित्यपन साध्यधर्मके हेतु हो रहे प्रयत्नानन्तरीयकपन इस ज्ञापककारणके भिन्न ( ग्यारे ) उत्पत्तिधर्मकपन, कृतकपन आदि दूसरे कारण भी विद्यमान हैं । उनसे भी अनित्यपनकी सिद्धि हो सकती है । हम उक्त हेतुसे ग्यारे हेतुका अनित्यपनको साधनेके लिए निषेध थोडा ही करते हैं । अतः यह प्रतिवादीका उठाया हुआ, यह प्रतिषेध युक्त नहीं है । वहाँ हमने कारणोंके नियमका वचन नहीं दे दिया है । अर्थात् ज्ञप्ति करानेवाले हेतुके बिना जानने योग्य साध्य नहीं होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है । हाँ, साध्यके नहीं होनेपर तो नियमसे साधनके नहीं ठहरनेकी व्यवस्था है । यहाँतक उपलब्धिसमा जातिका विचार कर दिया गया है । अब इसके आगे अनुपलब्धिसमा जातिकी परीक्षा करते हैं ।

तस्मान्न विद्यमानस्यानुपलब्धेः प्रसाधने ।

निषेध्यानुपलब्धेश्चाभावस्य साधने कृते ॥ ४१७ ॥

## अभावस्य विपर्यासादुपपत्तिः प्रकीर्तिता । प्रस्तुतार्थविषातायानुपलब्धिसमानधैः ॥ ४१८ ॥

मिस कारण कि उच्चारणसे पहिले शब्दका उपलम्भ नहीं होता है । यदि कथमपि उच्चारण के प्रथम तिरोभूत हो रहे शब्दका सञ्ज्ञा मान मी लिया जाय तो आवरण आदिसे उस शब्दकी उपलब्धि नहीं होना माना जायगा । किन्तु यह तो बनता नहीं है । क्योंकि अनुपलब्धिके कारण आवरण आदिकोंका ग्रहण नहीं होता है । अर्थात्—इस वायु आदिकरके ढक रहा शब्द बोलनेके पहिले पहिले सुनाई नहीं पडता है । या श्रोत्र इन्द्रियके साथ शब्दका सन्निकर्ष पूर्वकालमें नहीं हो सका है । अथवा उच्चारणके पहिले शब्दका इन्द्रियके साथ व्यवधान था । पहिले शब्द सूत्र था । इत्यादिक इन युक्त अनुपलब्धिके कारणोंका ग्रहण नहीं हो रहा है । अतः उच्चारणसे पूर्वमें शब्द नहीं है । आत्माके बोलनेकी इच्छाके साथ प्रतिघात ( धक्का लगना ) हो जाना ही शब्दका उच्चारण है । न्यायसिद्धान्तके अनुसार लौकिक, वैदिक, या अमायात्मक, घनगर्जन आदिक सभी शब्द अनित्य माने गये हैं । किन्तु मीमांसक शब्दोंको नित्य मानते हैं । उच्चारणके पूर्वकालमें भी शब्द अक्षुण्ण विद्यमान हैं । अभिव्यञ्जक कारणोंके नहीं मिलनेसे उसका आवरणप्रत्यक्ष नहीं हो पाता है । इसका नैयायिक खण्डन कर देते हैं कि “ प्रागुच्चारणानुपलब्धेरावरणानुपलब्धेश्च ” पहिले समयमें उच्चारण आदिकी अनुपलब्धि हो रही है और आवरण आदिकी अनुपलब्धि हो रही है । यदि शब्द नित्य होता तो उच्चारणसे पहिले भी श्रोत्रके साथ सन्निकर्ष हो जानेसे सुनाई पडता । कोई यहाँ प्रतिबन्धक तो नहीं है । यदि कोई प्रतिबन्धक है, तो उनका ही दर्शन होना चाहिये । किन्तु आवरण आदिकोंकी अनुपलब्धि है । नैयायिकके यहाँ माने गये अमूर्त, अक्रिय, शब्दका अन्य देशोंमें उस समय चला जाना भी तो नहीं सम्भवता है । अतीन्द्रिय अनन्त प्रतिबन्धक व्यञ्जक, आवरणके या आवरणोंके अपनायक आदिकी कल्पना करनेकी अपेक्षा शब्दके अनित्यपनकी कल्पना करनेमें ही लाघव है । अतः व्यञ्जक कारणके नहीं होनेसे शब्दका अग्रहण नहीं है । किन्तु अभाव होनेसे ही उच्चारणके प्रथम कालमें शब्दका श्रोत्र इन्द्रिय द्वारा ग्रहण नहीं हो सका है । तिस कारण विद्यमान शब्दकी अनुपलब्धि नहीं है । उस अनुपलब्धिकी अच्छा साधन करते संते निषेध करने योग्य शब्दकी अनुपलब्धिसे पूर्वकालीन शब्दके अभावका वादी द्वारा साधन कर चुकनेपर जातिवादी प्रथमस्थान उठाता है कि आवरणकी अनुपलब्धिसे आवरणका अभाव यदि सिद्ध हो जाता है, तो आवरणकी अनुपलब्धिके अनुपलम्भसे आवरणानुपलब्धिका भी अभाव सिद्ध हो जायगा । और तैसा होनेपर आवरणानुपलब्धिकी प्रमाण मानकर जो आवरणामात्र नैयायिकोंने माना था, वह नहीं बनेगा । किन्तु नित्य शब्दोंके आवरणकी उच्चारण पूर्वकालमें सिद्धि हो आयी । इस प्रकार शब्दके नित्यपनेमें कहा गया आवरणानुपलब्धिरूप बाधक उठाना वादीका

उचित कार्य नहीं है। अतः उस आवरणकी अनुपलब्धिके अनुपलम्भसे अभावकी साधनेपर उस अभावके विपर्ययसे प्रस्तावित अर्थका विघात करनेके लिये उत्पत्ति ठठाना निर्दोष विशानोंद्वारा अनुपलब्धिसमा जाति कही जा चुकी है।

कश्चिदाह, न प्रागुच्चारणाद्विद्यमानस्य शब्दस्यानुपलब्धिस्तदावरणाद्यनुपलब्धेरुत्पत्तेः प्राग्यथादेरिव। यस्य तु दर्शनात् प्राग्विद्यमानस्यानुपलब्धिस्तस्य नावरणाद्यनुपलब्धिः यथा भूम्याद्भूतस्योदकादिर्नावरणाद्यनुपलब्धिश्च भवणात् माक् शब्दस्य। तस्मान्न विद्यमानस्यानुपलब्धिरित्यविद्यमानः शब्दः श्रवणात्पूर्वमनुपलब्धिरिति निषेध्य शब्दस्यानुपलब्धिर्या तस्याश्चानुपलब्धेरभावस्य साधने कृते सति विपर्यासादभावस्योपपत्तिरनुपलब्धिसमा जातिः प्रकीर्तितानयैः, प्रस्तुतार्थविधाताय तस्याः प्रयोगात्। तदुक्तं। “ तदनुपलब्धेरनुपलंभादभावसिद्धौ विपरीतोपपत्तेरनुपलब्धिसम ” इति।

कोई यादी कह रहा है कि विद्यमान शब्दका उच्चारणसे पहिले अनुपलम्भ नहीं है। क्योंकि उस शब्दके आवरण ( भूमि, मीत आदिके समान ) असन्निकर्ष ( इन्द्रिय और अर्थका सन्निकर्ष नहीं होना ) इन्द्रियघात ( कान छूट जाना ) सूक्ष्मता ( परमाणुओंके समान इन्द्रिय गोचर नहीं होना ) मनोनवस्थान ( चित्तका अधिर रहना ) अतिदूरत्व ( अधिक दूर देशमें सुमेरु आदिके समान शब्दका पडा रहना ) अभिमत्र ( सूर्यके आठोक्ते दिनमें चन्द्रप्रमा या तारागणोंके छिपजाने समान शब्दका छिपा रहना ) समानामिहार ( मैसके दूधमें गायके दूधका मिळ जाना या छोटेके धानीमें गिळासके पानीका मिळ जाना इस प्रकार शब्दका समान गुणवाले पदार्थके साथ मिश्रण होकर पृथक्, पृथक्, दिखाई नहीं पडना ) आदिकी अनुपलब्धि हो रही है। अतः उत्पत्तिके पहिले घट आदिका अभाव है। देखो, दर्शनके पहिले विद्यमान हो रहे जिस पदार्थकी अनुपलब्धि है, उसके तो आवरण, असन्निकर्ष, व्यवधान आदिकी अनुपलब्धि नहीं है। जैसे कि मृमिसे ढके हुये स्रोतजल या घेळीसे ढके हुये रुपये, या समुद्रसे आवृत हो रहे वन आदि आवरण अथवा दूरवर्ती नगर, मेला, तीर्थस्थान आदिके साथ हो रहे इन्द्रियोंके असन्निकर्ष आदिकी अनुपलब्धि नहीं है। इसी प्रकार सुननेके पहिले शब्दके आवरण आदिक नहीं दीख रहे हैं। तिस कारणसे सिद्ध होता है कि विद्यमान हो रहे शब्दोंकी अनुपलब्धि नहीं है। प्रस्तुत ( बभिक ) सुननेके पूर्व काळमें शब्द विद्यमान ही नहीं है। इस कारण उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है। इस कारण निषेध करने योग्य शब्दकी जो अनुपलब्धि है, उसकी भी अनुपलब्धि हो जानेसे अभावका साधन करनेपर विपर्यासने उस अनुपलब्धिके अभावकी उत्पत्ति करना निष्ठाप विशानोंकरके प्रतिशारीकी अनुपलब्धिसमा जाति बखानी गयी है। यादीके प्रस्तावप्राप्त अर्थका विघात करनेके लिये प्रतिशारीने उस जातिकी प्रयोग किया है। वही गौतमवृत्तिने व्यापदर्शनमें

कहा है कि उन आवरण आदिकोंकी अनुपलब्धि नहीं दीख रही है । अतः अनुपलम्भ होनेसे इस अनुपलब्धिका अभाव सिद्ध हो जाता है । अभावकी सिद्धि हो चुकनेपर हेतुके नहीं रहनेसे उसके विपरीत आवरण आदिकोंका अस्तित्व जान लिया जाता है । अतः जो वादीने कहा था कि उच्चारणके पहिले शब्द विद्यमान नहीं है । इस कारण उसकी उपलब्धि नहीं हो पाती है । यह वादीका फयन सिद्ध नहीं हो सका है । दूसरी बात यह भी है कि जैसे आवरणके अनुपलम्भ प्रत्येक आत्मामे जाने जा रहे हैं, उसी प्रकार आवरणोंकी अनुपलब्धिके अनुपलम्भ भी प्रत्यक्ष आत्मक संविदित हो रहे हैं । " तदनुपलब्धेरनुपलम्भादावरणोपपत्तिः " अनुपलम्भादर्प्यनुपलब्धिसद्भाववशाव-  
पानुपपत्तिरनुपलम्भात् " तथा जिस प्रकार नहीं दीखते हुये आवरणोंकी अनुपलब्धिसे उनका अभाव मान लिया जाता है, उसी प्रकार अनुपलम्बमान हो रही आवरणानुपलब्धिका अभाव भी जान लिया जाता है । एतावता आवरणोंका सद्भाव सिद्ध हो जाता है । अतः शब्दको निरूप्यमभिप्रेत करने वाले प्रतिवादीका यह अनुपलब्धिसम नामका प्रतिषेध है ।

फयमिति श्लोकैरुपदर्शयति ।

उस अनुपलब्धिसम प्रतिषेधका उदाहरण किस प्रकार है ? ऐसी प्रेक्षा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य श्लोकों द्वारा उसको दिखवाते हैं ।

यथा न विद्यमानस्य शब्दस्य प्रागुदीरणात् ।

अश्रुतिः स्यात्तदावृत्याद्यदृष्टेरिति भाषिते ॥ ४१९ ॥

कश्चिदावरणादीनामदृष्टेरप्यदृष्टितः ।

सैव मा भूत्ततः शब्दे सत्येवाऽश्रवणात्तदा ॥ ४२० ॥

वृत्याद्यभावसंसिद्धेरभावादिति जल्पति ।

प्रस्तुतार्थविधावेव नैव संवर्णितः स्वयं ॥ ४२१ ॥

अनुपलब्धिसमा जातिका निदर्शन जिस प्रकार नैयायिकोंने दिखाया है, यह यों है कि उच्चारण, बनना, गर्जना, आदिके पूर्वकाळमें शब्द विद्यमान नहीं, अतः विद्यमान हो रहे शब्दकी अनुपलब्धि नहीं । यानी अभाव होते हुये ही शब्दका पहिले काळमें अश्रवण हो रहा है । क्योंकि उस दृश्य शब्दकी अनुपलब्धिके कारण सम्भबनेवाले आवरण, असन्निकर्ष, व्यवधान, आदिका भी ग्रहण नहीं हो रहा है । इस कारण यह कारणोंसे उपजने योग्य शब्द अपनी उत्पत्तिके पहिले समयमें विद्यमान ही नहीं है, तब उपलम्भ किसका होय । घटकी उत्पत्तिके पहिले घट नहीं दिखता है । और उसके आवरण भीत, बल, शोषण आदि भी नहीं देखते हैं । इस प्रकार वादी द्वारा

निरूपण कर चुकनेपर कोई प्रतिवादी प्रत्ययस्थान ठाठाता है कि आवरण आदिकोंके अनुपलब्धता भी तो अनुपलब्ध हो रहा है । अतः वह आवरणोंका अनुपलब्ध ही नहीं माना जाय और ऐसी दशमें आवरणोंका सद्भाव हो जानेसे पूर्वकाळमें शब्दके होते संते ही उन आवरणोंसे आवृत हो जानेके कारण उस समय पूर्वकाळमें शब्दका सुनना नहीं हो सका है । वस्तुतः शब्द उस समय विद्यमान था । उसके आवरण आदिकोंके अभावकी मळे प्रकार सिद्धि होनेका अभाव है । इस कारण वादीका हेतु प्रस्तावप्राप्त अनित्य अर्थकी विधि करनेमें ही स्वयं मळे प्रकार वर्णनायुक्त नहीं हुआ । वादीने जो यह प्रतिज्ञाकी थी कि उच्चारणके पहिले विद्यमान माने जा रहे शब्दकी अनुपलब्धि नहीं हो पाता है । अतः शब्दके नित्यपनमें कोई बाधा नहीं आती है । यों जातिको कहने वाला प्रतिवादी जल्प कर रहा है ।

तदीदृशं मत्त्वस्थानमसंगतमित्यावेदयति ।

यह प्रतिवादीका इस प्रकार प्रत्ययस्थान ठाठाना संगतिसून्य है । इस बातका श्रीविद्यानन्द आचार्य आवेदन करते हैं ।

तदसंबंधमेवास्यानुपलब्धेः स्वयं सदा- ।

नुपलब्धिस्वभावेनोपलब्धिविषयत्वतः ॥ ४२२ ॥

नैवोपलब्ध्यभावेनाभावो यस्मात्प्रसिद्ध्यति ।

विपरीतोपपत्तिश्च नास्पदं प्रतिपद्यते ॥ ४२३ ॥

शब्दस्यावरणादीनि प्रागुच्चारणतो न वै ।

सर्वत्रोपलभे हंत इत्यावालमनाकुलम् ॥ ४२४ ॥

ततश्चावरणादीनामदृष्टेरप्यदृष्टितः ।

सिद्धष्यत्वभाव इत्येव नोपालंभः प्रमान्वितः ॥ ४२५ ॥

यह प्रतिवादीका कहना पूर्वापर सम्बन्धसे रहित ही है । “ अनुपलब्धतामकत्वादनुपलब्धे-  
रहेतुः ” इस गौतमसूत्रके अनुसार उस जातिका दूषणामासपना या असमीचीन उचरणना यों है कि आवरण आदिकोंकी अनुपलब्धि ( पक्ष ) नहीं है ( साध्य ), अनुपलब्ध होनेसे ( हेतु ) इस प्रकार प्रतिवादीके अनुमानमें दिया गया अनुपलब्ध हेतु सदेतु नहीं है । जिस कारणसे कि अनुपलब्धस्वरूप स्वभावकरके सदा अनुपलब्धि स्वयं उपलब्धिका विषय हो रही है, अतः उपलब्धि स्वरूप हो रही आवरण आदिकोंकी अनुपलब्धि के अभावसे आवरणानुपलब्धिका अभाव सिद्ध नहीं

हो पाता है । और उसकी सिद्धि नहीं होनेपर विपरीत हो रहे आवरण सद्भावकी सिद्धि हो जाना कैसे भी प्रतिष्ठा ध्यानको प्राप्त नहीं कर सकता है । उच्चारणसे पहिले शब्दको या उसके आवरण आदिकोंको मैं नियमसे सर्वत्र नहीं देख रहा हूँ, इस प्रकारका बाळक, गंधार, ली या पशुओंतकको आकुञ्जितारहित अनुभव हो रहा है । तिस कारण हर्षके साथ कहना पड़ता है कि आवरण आदिकोंकी अनुपलब्धिको भी अनुपलब्धिसे आवरण अनुपलब्धिका अभाव सिद्ध हो जाता है । इस प्रकार यह प्रतिवादीकरके उपाह्वम दिया जाना प्रमाद्युद्धेसे अश्लेष हो रहा कार्य नहीं है ।

न विद्यमानस्य शब्दस्य मागुच्चारणानुपलब्धिरावरणाद्यनुपलब्धेरित्युपपत्तेर्यत्कस्यचित्प्रत्यवस्थानं तदावरणादीनामनुपलब्धेरुपलब्धभात् सैवावरणाद्यनुपलब्धिर्मा भूत् ततः शब्दस्य मागुच्चारणात् सत एवाध्रवणं तदावरणाद्यभावसिद्धेरभावादावरणादिसद्भावादिति सम्बन्धरहितमेवानुपलब्धेः सर्वदा स्वयमेवानुपलब्धंभस्वभावत्वाद्दुपलब्धिर्विषयत्वात् । यथैवदुपलब्धिर्विषयस्तयानुपलब्धिरपि । कथमन्यथास्ति मे घटोपलब्धिर्नास्ति मे पटोपलब्धिरिति संवेदनमुपपद्यते यतश्चैवावरणाद्यनुपलब्धेरनुपलब्धभावेवाभावः सिध्यति तदसिद्धौ च विपरीतस्वावरणादिसद्भावस्योपपत्तिश्च नास्पदं प्रतिपद्यते ।

उक्त कारिकाओंका विवरण इस प्रकार है कि उच्चारणके प्रथम नहीं विद्यमान हो रहे ही शब्दका अनुपलब्ध है । विद्यमान हो रहे शब्दका अदर्शन नहीं है । क्योंकि आवरण आदिकी उपलब्धि नहीं हो रही है । इस प्रकार स्वीकार करनेवाले यादोके छिये जिस किसी भी प्रतिवादीकी ओरसे यों प्रत्यवस्थान उठाया जाता है कि उस शब्दके आवरण, अन्तराळ, आदिकोंके अदर्शनका भी अदर्शन होते रहनेसे वह आवरण आदिकोंकी अनुपलब्धि ही नहीं होवे । तिस कारण उच्चारणसे पहिले विद्यमान हो रहे ही शब्दका सुनना आवरणवश नहीं हो सका है । अनादिकाळसे अप्रतिहत चला आ रहा शब्द सर्वदा सर्वत्र विद्यमान है । उसके आवरण आदिकोंके अभावकी सिद्धिका अभाव हो जानेसे आवरण आदिकोंका सद्भाव सिद्ध हो जाता है । अब सिद्धान्ती कहते हैं कि इस प्रकार प्रतिवादीका कथन करना उन्मत्तप्रकायके समान सम्बन्ध रहित ही है । “नासंगतं प्रयुज्जीत” जब कि अनुपलब्धि स्वयं अनुपलब्ध स्वभाववाली है, वह अनुपलब्धि उस स्वभावकरके सदा उपलब्धिका विषय हो रही है । जिस प्रकार ज्ञानके द्वारा विषय होती हुई उपलब्धि जानी जाती है, उसी प्रकार अनुपलब्धि भी ज्ञानकरके उपलब्ध कर ली जाती है । यदि ऐसा नहीं मान कर दूसरे प्रकारसे मानोगे तो मुझको घटकी उपलब्धि है, और मुझे पटकी उपलब्धि नहीं है । अथवा मुझे घटकी उपलब्धि हो रही है । और उस घटकी अनुपलब्धि तो नहीं हो रही है । इस प्रकारका बाळ, वृद्धतकमें प्रसिद्ध हो रहा संवेदन मजा कैसे युक्तिपूर्ण सिद्ध हो सकेगा ? जिससे कि यह प्रतिवादीका कथन शोभाको प्राप्त हो सके कि “ इस प्रकार आवरण आदिकोंकी अनुपलब्धिके

अनुपलम्भसे आवरण आदिकोंका अभाव सिद्ध नहीं हो पाता है। और उसकी असिद्धि होनेपर आवरणामात्रके विपरीत हो रहे आवरण आदिके सद्भावकी सिद्धि प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सके "अथवा सिद्धान्तों कहते हैं कि उस अभावकी सिद्धि नहीं होनेपर उसके विपरीत आवरण आदिके सद्भावकी सिद्धि कैसे भी योग्य स्थान को नहीं पा सकती है।

यतश्च प्राशुच्चारणाच्छब्दस्पावरणादीनि सोहं नैवोपलभे, सदानुपलब्धिमुपलभे सर्वत्रेत्यावाक्यमनाकुलं संवेदनमस्ति । तस्मादावरणादीनामदृष्टेर्न सिद्ध्यत्यभाव इत्ययमुपालंभो न प्रमाणात्स्वितः " सर्वत्रोपलंभानुपलंभव्यवस्थित्यभावप्रसंगात् । ततोनुपलब्धेरपि समयाऽनुपलब्ध्या प्रत्यवस्थानमनुपलब्धिसमो दूषणाभास एवेति प्रतिपत्तव्यं ।

दूसरी बात यह भी है, जिस कारणसे कि उच्चारणसे पहिले शब्दके आवरण आदिकोंको यह मैं नहीं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ और उन आवरण आदिकोंकी अनुपलब्धिका प्रत्यक्ष उपलम्भ मैं कर रहा हूँ, इस प्रकार सभी स्थानोंपर बाढक, अन्धे, या पक्षियों, तरुको आकुलतरहित संवेदन हो रहा है। तिस कारणसे प्रतिषादी द्वारा दिया गया आवरण आदिकोंकी अदृष्टिके भी अदर्शन होनेसे शब्दके आवरणोंका अभाव सिद्ध नहीं हो पाता है। इस प्रकार यह उदाहना प्रमाणज्ञानसे युक्त नहीं है। यों पाँगापनसे उदाहना देनेपर तो सभी स्थानोंपर प्रत्यक्ष हो रही उपलम्भ और उपलम्भकी व्यवस्थाके अभावका प्रसंग हो जायगा। तिस कारणसे तो आवरणकी अनुपलब्धिकी अनुपलब्धिकी तिसरी अनुपलब्धिसे उदाहना देकर आवरणोंका अभाव भी साधा जा सकता है। तथा बुद्ध प्रतिषादीका साधन भी दोषोंकी अनुपलब्धिका अनुपलम्भ होनेसे सद्बोध ही बन बैठेगा। किन्तु ऐसे भ्रम उत्पादक उपायोंका अवलम्ब हम नहीं लेना चाहते हैं। मूर्खताह्वय भाव अभावोंका, उपलम्भ करनेवाले ज्ञान विशेषोंका मनसे अन्तरंग आधामें संवेदन हो रहा है। उच्चारणके पहिले शब्दके आवरण मुझको नहीं दीख रहे हैं। यह अनुपलब्धि भी स्वसम्बन्ध है। अतः अनुपलब्धिसमा करके प्रत्यवस्थान देना प्रतिषादीका अनुपलब्धिसम नामक दूषणामात्र ही है। यह दृढताके साथ समझकर सबको मान लेना चाहिये।

का पुनरनित्यसमा जातिरित्याह ।

फिर इसके पीछे कहीं कहीं दार्ष्टिकी अनित्यसमा जातिका उद्घरण उदाहरणसहित क्या है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर न्यायसूत्र और न्यायमाध्यके अनुसार श्रीविद्यानन्द आचार्य समाधानको कहते हैं।

कृतकत्वादिना साम्यं घटेन यदि साधयेत् ।

शब्दस्यानित्यतां सर्वं वस्त्वनित्यं तदा न किम् ॥ ४२६ ॥

अनित्येन घटेनास्य साधर्म्यं गमयेत्स्वयं ।

सत्त्वेन साम्यमात्रस्य विशेषाप्रतिवेदनात् ॥ ४२७ ॥

इत्यनित्येन या नाम प्रत्यवस्था विधीयते ।

सात्रानित्यसमा जातिर्विज्ञेया न्यायबाधनात् ॥ ४२८ ॥

प्रतिवादी कहता है कि शब्दका घटके साथ कृतकत्व, उत्पत्तिमत्त्व, प्रयत्नजन्यत्व आदि करके हो रहा साधर्म्य यदि वादीके यहाँ शब्दके अनित्यपनको साथ देवेगा तब तो सम्पूर्ण वस्तुएँ अनित्य क्यों नहीं हो जावें। क्योंकि अनित्य हो रहे घटके साथ सत्त्व करके केवल समता हो जानेका साधर्म्य तो स्वयं सबका समझ लिया जावेगा। अतः उस सम्पूर्ण वस्तुका सत्त्वपने करके हो रहा साधर्म्य सबका अनित्यपना समझा देवे। कोई अन्तर डालनेवाली विशेषताका निवेदन तो नहीं कर दिया गया है। इस प्रकार सबके अनित्यपनके प्रसंगसे जो प्रत्यवस्थान किया जाता है, वह यहाँ अनित्यसमा है। उगे हाथ सिद्धांती कहें देते हैं कि यह अनित्यसमा जातिस्वरूप होती हुई प्रतिवादीका असत् उत्तर समझना चाहिये। क्योंकि न्यायसिद्धान्त करके उक्त कथनमें बाधा आ जाती है।

अनित्यः शब्दः कृतकरत्वाद्घटवदिति प्रमुक्ते साधने यदा कश्चित्प्रत्यवतिष्ठते यदि शब्दस्य घटेन साधर्म्यात् कृतकरत्वादिना कृत्वा साधयेदनित्यत्वं तदा सर्वं वस्तु अनित्यं किं न गम्येत् ? सत्त्वेन कृत्वा साधर्म्यं, अनित्येन घटेन साधर्म्यमात्रस्य विशेषाप्रवेदादिति । तदेवमनित्यसमा जातिर्विज्ञेया न्यायेन बाध्यमानत्वात् । तदुक्तं । “ साधर्म्या-चतुल्यधर्मोपपत्तेः सर्वानित्यत्वप्रसंगादनित्यसमा ॥ इति ।

शब्द अनित्य है ( प्रतिज्ञा ), कृतकत्व होनेसे ( हेतु ) घटके समान ( दृष्टान्त ) इस प्रकार अनुमानमें समीचीन हेतुका प्रयोग कर चुकनेपर अब कोई प्रतिवादी प्रत्यवस्थान उठाता है कि शब्दका घटके साथ कृतकत्व आदि करके साधर्म्य हो जानेसे यदि शब्दका अनित्यपना साधा जावेगा, तब तो यों साधर्म्यकर समी वस्तुएँ अनित्य क्यों नहीं समझा दी जावेंगी ! क्योंकि अनित्य घटके साथ सत्त्व द्वारा साधर्म्यको मुख्य करके केवल साधर्म्य सर्वत्र वर्त रहा है। घटके क्षयमें या अन्य वस्तुओंके सत्त्वमें कोई विशेषताका प्रतिभास तो नहीं हो रहा है। फिर सबके अनित्यपनको साधनेमें विवक्ष्य क्यों किया जाय ? यों प्रतिवादीके कह चुकनेपर सिद्धांती कहते हैं कि यह अनित्यसमा तो दूषणामास स्वरूप समझनी चाहिये। क्योंकि यह न्यायसिद्धान्तकरके बाधी जा रही है। उसी बाधित हो रही अनित्यसमाका लक्षण न्यायदर्शनमें गौतमश्रुतिने यों कह दिया है कि साधर्म्यमात्रसे यानी घटदृष्टान्तके साधर्म्य हो रहे कृतकत्वसे तुल्यधर्म साहित्यपना बन जानेसे यदि शब्दमें अनित्यपना



साध किया जाता है, तब तो घटके सत्व, प्रमेयत्व, आदि रूप साधर्म्य सम्भवनसे सब पदार्थोंके अनित्यपनका प्रसंग हो जायगा। इस ढंगसे प्रत्यवस्थान उठाना अनित्यसम नामका प्रतिषेध है। सबको अनित्यपना हो जानेसे वादीके हेतुमें व्यतिरेक घटित नहीं होगा, यह प्रतिवादीका अभिप्राय है। दृष्टान्तके जिस किसी भी साधर्म्य करके सम्पूर्ण वस्तुओंके साध्य संहितपनका आपादन करना अनित्यसमा है। कोई विद्वान् वैधर्म्यसे भी मुख्यधर्मकी उपपत्ति हो जानेसे अनित्यसम जातिका उठाना जाना स्वीकार करते हैं। जैसे कि आकाशके वैधर्म्य हो रहे कृतकपनसे यदि शब्द अनित्य है, तो तिसी प्रकार आकाशके वैधर्म्य आकाशमिन्नत्व, शब्दसमवायिकारणविकल्बत्व, आदिसे सर्व पदार्थोंका अनित्यपना प्रसक्त हो जाओ। यों माननेपर लक्षण सूत्रमें कहे गये साधर्म्यात्के स्थानपर " यत्किञ्चिद् धर्मेण " जिस किसी भी धर्म करके ऐसा कह देना चाहिये यों उपसंख्यान कर अनुपलब्धिसमाका पेट बढाना चाहते हैं। आस्ता तावदेतत् ।

एतच्च सर्वमसमंजसमित्याह ।

प्रतिवादीका अनित्यसमा जाति रूप यह सब कथन नीतिमार्गसे बहिर्मुक्त है। इस बातको श्रीविद्यानन्द आचार्य वार्तिकों द्वारा कहते हैं ।

निषेधस्य तथोक्तस्यासिद्धिप्राप्तेः समत्वतः ।

पक्षेणासिद्धिनासेनेत्यशेषमसमंजसं ॥ ४२९ ॥

" साधर्मादक्षिप्तेः प्रतिषेधासिद्धिः प्रतिषेधासाधर्म्याच्च " असिद्धिको प्राप्त हो रहे प्रतिषेध्य पक्षके साधर्म्यसे प्रतिवादी द्वारा तिस प्रकार कहे गये निषेधकी भी असिद्धि होना समानरूपसे प्राप्त हो जाता है। अर्थात्—यदि जिस किसी भी ऐसे मेरे साधर्म्यसे सबको साध्यसंहितपनका आपादन करनेवाले तुमको साधर्म्यका असाधकपना अभीष्ट है, तब तो तुम्हारे द्वारा किये गये शब्द संबन्धी अनित्यपनके प्रतिषेधकी भी असिद्धि हो जायगी। क्योंकि उस प्रतिषेधकी भी वादीके प्रतिषेध्यपक्षके साधर्म्य करके प्रवृत्ति हो रही है। तुम प्रतिवादी करके यही तो साधा जाता है कि कृतकत्वहेतु ( पक्ष ) शब्दमें अनित्यत्वका साधक नहीं है ( साध्य ), घट दृष्टान्तके साधर्म्यरूप होनेसे ( हेतु ) सत्व, प्रमेयत्व आदिके समान ( अन्यत्र दृष्टान्त ) इस प्रकार प्रतिषेध कर रहे अनुमानमें दिया गया तुम्हारा हेतु जैसे तुम्हारे प्रतिषेध्य हो रहे मेरे हेतु कृतकपन और सत्वके साथ साधर्म्यरूप है, तिसी प्रकार यह अभी कहा गया हेतु भी हेतुपनसे साधर्म्य रखता हुआ साधक नहीं हो सकेगा। ऐसी दशामें तुम्हारा प्रतिषेध करना ही विपरीत ( उलट ) पडा। पीछे विमुख ( उलटा मुख ) कर दी गयी तोपके समान यह प्रतिवादीका प्रयास स्वपक्षघातक हुआ। अतः प्रतिवादीका अनित्यसम जाति उठाना ग्याय उचित नहीं है ।

पक्षस्य हि निषेध्यस्य प्रतिपक्षोभिलष्यते ।

निषेधो धीधनैरत्र तस्यैव विनिवर्तकः ॥ ४३० ॥

प्रतिज्ञानादियोगस्तु तयोः साधर्म्यमिष्यते ।

सर्वत्रासंभवात्तेन विना पक्षविपक्षयोः ॥ ४३१ ॥

ततोसिद्धिर्यथा पक्षे विपक्षेपि तथास्तु सा ।

नो चेदनित्यता शब्दे घटवन्नाखिलार्थगा ॥ ४३२ ॥

न्यायभाष्यकार कहते हैं कि प्रतिवादी द्वारा निषेध करने योग्य वादीके पक्षका निषेध करना

तो यहाँ बुद्धिरूप धनको रखनेवाले विद्वानों करके प्रतिपक्ष माना जाता है, जो कि उस प्रति-  
वादीके पक्ष ही की विशेषरूपसे निवृत्ति करनेवाला चाहा गया । उन दोनों पक्ष प्रतिपक्षोंका साधर्म्य  
तो प्रतिज्ञा, हेतु, आदि अवयवोंका योग हो जाना है । यानी वादीके अनित्यत्व साधक अनुमानमें  
प्रतिज्ञा, हेतु आदिक विद्यमान हैं । और प्रतिवादीके इष्ट प्रतिपक्षमें भी प्रतिज्ञा आदिक अवयव वर्त  
रहे माने गये हैं । अनुमानके अवयव प्रतिज्ञा, हेतु आदिके उस सम्बन्ध विना सभी स्थलोंपर पक्ष  
और विपक्षके हो जानेका अस्मय है । तिस कारण जैसे प्रतिवादीके विचार अनुसार वादीके प्रति-  
ज्ञादियुक्त पक्षमें असिद्धि हो रही है, उसी प्रकार प्रतिवादीके प्रतिज्ञादियुक्त अमीष्ट विपक्षमें भी  
वह असिद्धि हो जाओ । क्योंकि प्रतिषेधके साधर्म्य हो रहे प्रतिज्ञादियुक्तताका सद्भाव प्रतिवादीके  
प्रतिषेधमें भी समान रूपसे पाया जाता है । यदि शुभ प्रतिवादी यों अपने इष्टकी असिद्धि होनेको नहीं  
मानोगे यानी पक्ष और प्रतिपक्षका प्रतिज्ञादियुक्ततारूप साधर्म्य होते हुये भी वादीके पक्षकी ही  
असिद्धि मानी जायगी, मुझ प्रतिवादीके इष्ट प्रतिपक्षकी असिद्धि नहीं हो सकेगी । यों माननेपर तो  
हम सिद्धान्ता कहते हैं कि तब तो उसी प्रकार घटके साथ साधर्म्यको प्राप्त हो रहे कृतकत्व आदि  
हेतुओंसे शब्दका अनित्यपना हो जाओ, किन्तु तिस सब करके कोरा साधर्म्य हो जानेसे सम्पूर्ण  
अर्थोंमें प्राप्त होनेवाली अनित्यता तो नहीं होओ । यह न्यायमार्ग बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है ।  
क्या विशेष व्यक्तियोंमें देखे गये मनुष्यपनके साधर्म्यसे सभी दीन, रोगी, मूर्ख, दरिद्र, पुरुषोंमें महत्ता,  
निरोगीपन, विद्वत्ता, धनाढ्यता घर दी जाती है ? अतः यह अनित्यसमा जाती दूषणामास है ।  
प्रतीतिके अनुसार वस्तुष्ववस्था मानी जाती है । तभी प्रामाणिक पुरुषोंमें बैठनेका अधिकार मिळता  
है । मिष्यादूषण ठाठा देनेसे प्रभावना, पूजा, कृपाति, छाम और जय नहीं प्राप्त हो सकते हैं ।

दृष्टान्तेपि च यो धर्मः साध्यसाधनभावतः ।

प्रज्ञायते स एवात्र हेतुरुक्तोर्धसाधनः ॥ ४३३ ॥

तस्य केनचिदर्थेन समानत्वात्सधर्मता ।

केनचित्तु विशेषात्स्याद्वैधर्म्यमिति निश्चयः ॥ ४३४ ॥

हेतुर्विशिष्टसाधर्म्यं न तु साधर्म्यमात्रकं ।

साध्यसाधनसामर्थ्यभाग्यं न च सर्वगः ॥ ४३५ ॥

सत्त्वेन च सधर्मत्वात् सर्वस्यानित्यत्वेत्तरेण ।

दोषः पूर्वोदितो वाच्यः साविशेषसमाश्रयः ॥ ४३६ ॥

“ दृष्टान्ते च साध्यसाधनभावेन प्रज्ञातस्य धर्मस्य हेतुत्वात्तन्म्य चोभययामावाप्ताविशेषः ” इस गौतम सूत्रका भाष्ययो है कि दृष्ट-तमें भी जो धर्म साध्य साधकपने करके मळे प्रकार जाना जा रहा है, वही धर्म यहा हेतुपने करके साध्यरूप अर्थको साधनेवाळा हेतु कहा गया है । और वह हेतु तो साधर्म्य, वैधर्म्य, इन दोनों प्रकारसे अपने हेतुपनकी रखा कर सकता है । देखिये, उस हेतुकी दृष्टान्तके किसी अर्थके साथ समान हो जानेसे साधर्म्य बन जाता है । और दृष्टान्तके किसी किसी अर्थ ( धर्म ) के साथ विशेषता हो जानेसे तो विधर्माण बन जाता है । इस प्रकार अनुमानको माननेवाळे विद्वानोंके यहाँ निश्चय हो रहा है । इस कारण विशिष्ट रूपसे हुआ साधर्म्य ही हेतुकी आपकताका प्राण है । केवल चाहे जिस सामान्य धर्मके साथ हो रहा विशेषरहित-साधर्म्य तो हेतुकी सामर्थ्य नहीं है । जैसे कि केवल धातुपना होनेसे पीतल, ताँबा, ये सुवर्ण नहीं कहे जा सकते हैं, किन्तु विशेष भारीपन, कोमलता, अग्निसे तपानेपर अपने वर्णकी परावृत्ति नहीं कर अधिक सुन्दर वर्णवाळा हो जाना, औषधियोंका निमित्त मिठाकर भस्म कर देनेसे जीवन उपयोगी तत्वोंका प्रकट हो जाना आदिक गुण ही सुवर्णकी आत्मभूत सामर्थ्य है । वैसे ही साध्यको साधनेकी साधर्म्य विशेषरूप सामर्थ्यको धारनेवाळा यह हेतु माना गया है । ऐसा हेतुसर्वके साधर्म्य मात्रसे सम्पूर्ण पदार्थोंमें प्राप्त हो रहा नहीं है । अतः सत्त्वके साथ सधर्माणसे सबके अनित्यपनका कथन करनेमें सामर्थ्यवान् नहीं है । दूसरी बात यह भी है कि इस अनित्यसमा आतिमें पहिले कही गयी अविशेषसमा आतिके आश्रय ( में ) कहे जा चुके सभी दोष यहाँ कथन करने योग्य हैं । भावार्थ—अविशेषसमा आतिमें दृष्टान्त और पक्षके एक धर्म हो रहे प्रयत्नज-वत्यकी उपपत्तिसे अनित्यपना साधनेपर सम्पूर्ण वस्तुओंके एकधर्म हो रही सत्ताकी उपपत्तिसे सबके अविशेषपनका प्रसंग दिया गया है । उसी ढंगका अनित्यसमामें प्रतिषेध उठाया गया है । अन्तर इतना ही है कि वहाँ सबका विशेषरहित हो जाना ही आवादन किया गया है । सर्व पदार्थोंके साध्यसहितपनका प्रसंग नहीं दिया गया है । और यहाँ अनित्यसमामें सबके अनित्यपन साध्यसे सहित हो जानेका प्रसंग उठाया गया है । फिर भी अविशेषसमामें सम्भव रहे दोषोंका सद्भाव अनित्यसमामें भी पाया जाता है ।

तेन प्रकारेणोक्तो यो निषेधस्तस्याप्यसिद्धिप्रसक्तोरसमंजसमज्ञेयं स्यादित्यनित्य-  
नित्यसमवादिनः कृत इति चेत्, पक्षेणासिद्धिं प्राप्तेन समानत्वात्प्रतिषेधस्येति । निषेधो  
ह्यत्र पक्षः प्रतिषेधस्तस्य प्रतिषेधकः कथ्यते धीमद्भिः प्रतिपक्ष इति प्रसिद्धिः तयोश्च पक्ष  
प्रतिपक्षयोः साधर्म्यं प्रतिज्ञादिभिर्योग इष्यते तेन विना तयोः सर्वत्रासंभवात् । ततः प्रति-  
ज्ञादियोगाद्यथा पक्षस्यासिद्धिस्तथा प्रतिपक्षस्याप्यस्तु । अथ सत्यपि साधर्म्यं पक्षप्रतिप-  
क्षयोः पक्षस्यैवासिद्धिर्न प्रतिपक्षस्येति मन्यते तर्हि घटेन साधर्म्यात्कृतकरवादेः शब्दस्या-  
नित्यतास्तु सकलार्थागत्यनित्यता तेन साधर्म्यमात्रात् मा भूदिति समंजसं ।

उक्त आठ कारिकाओंका तात्पर्य यों है । प्रतिवादी कहता है कि न्यायसिद्धान्तीने जो यह  
कहा था कि यह अनित्यसमा जाति दूषणाभास है । क्योंकि प्रतिवादी करके तिस प्रकारसे जो प्रति-  
षेध कहा गया है । प्रतिवादी द्वारा पकड़े गये कुमारिके अनुसार तो उस प्रतिषेधकी भी असिद्धि हो  
जानेका प्रसंग आता है । अतः यह सब प्रतिवादीकी चेष्टा करना अर्थात्पूर्ण कहा जावेगी । मैं  
कहता हूँ कि यह अनित्यसमा जातिको कहनेवाले मेरा वक्तव्य मला अर्थात्पूर्ण कैसे है ? वताओं ।  
यों प्रतिवादीके कह चुकनेपर न्यायसिद्धान्ती उत्तर कहते हैं कि प्रतिवादी द्वारा किया गया प्रतिषेध  
तो असिद्धिको प्राप्त हो रहे पक्षके समान है । इस कारण पक्षकी असिद्धिके समान प्रतिषेधकी भी  
असिद्धि हो जाती है । जब कि यहां तुम्हारे विचार अनुसार निषेध करने योग्य प्रतिषेध्य हो रहा  
अनित्यपम तो वादीका इष्ट पक्ष माना गया है । और बुद्धिमानों करके उसका प्रतिषेध करनेवाला  
निषेध तो प्रतिवादीका अर्थात् प्रतिपक्ष कहा जाता है । बुद्धिशाही विद्वानोंके यहां  
इस प्रकार प्रसिद्धि हो रही है । और उन पक्ष, प्रतिपक्षोंका सधर्मपना तो प्रतिज्ञा, हेतु,  
आदिके साथ योग होना इष्ट किया गया है । उस प्रतिज्ञा आदिके सम्बन्ध विना सभी स्थलोंपर या  
सभी विचारशीलोंके यहां उन पक्ष प्रतिपक्षोंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है । तिस कारण जैसे प्रति-  
ज्ञादिके योगसे वादीके पक्षकी असिद्धि है, उसी प्रकार प्रतिवादीके अभिमत प्रतिपक्षकी भी असिद्धि  
हो जावेगी । अब यदि तुम प्रतिवादी यों मान लो कि योडासा साधर्म्य होते हुये भी पक्ष, प्रतिपक्षोंमें  
से वादीके पक्षकी ही असिद्धि होगी, हमारे प्रतिपक्षकी तो असिद्धि नहीं हो सकती है । सिद्धान्ती  
कहते हैं कि तब तो इसी प्रकार घटके साथ साधर्म्य हो रहे कृतकपन, प्रयत्नजम्बूख, आदि हेतु-  
ओंसे शब्दकी अनियता तो हो जाओ और सम्पूर्ण पदार्थोंमें रहनेवाले उस तत्त्व धर्मके केवल  
साधर्म्यसे सकल अर्थोंमें प्रसंग प्राप्त हो जानेवाली अनित्यता तो मत होओ, यह कथन भीतिपूर्ण  
णच रहा है ।

अपि च, दृष्टान्ते घटादी यो धर्मः साध्यसाधनभावेन प्रज्ञायते कृतकरवादिः स  
एवात्र सिद्धिहेतुः साध्यसाधनोरभिहितस्तस्य च केनचिदर्थेन सपक्षेण समानत्वात्साधर्म्यं

केनचिद्विपक्षेणासमानत्वाद्धर्म्यमिति निश्चयो न्यायविदां । ततो विशिष्टसाधर्म्यमेव हेतुः  
साध्यसाधनसामर्थ्यभाक् । स च न सर्वार्थेष्वनित्यत्वे साध्ये संभवतीति न सर्वगतः ।  
सर्वे भावाः क्षणिकाः सत्त्वादिति सम्भवत्येवेति चेत् न, अन्वयासंभवाच्चतिरेकानिश्चयात् ।  
किं च, न सत्त्वेन साधर्म्यात्सर्वस्य पदार्थस्यानित्यत्वसाधने सर्वो अविशेषसमाश्रयो दोषः  
पूर्वादितो वाच्यः । सर्वस्यानित्यत्वं साध्यक्षेत्रे शब्दस्यानित्यत्वं प्रतिषेधतीति कथं स्वस्थ  
इत्यादि । तन्नेयमनित्यसमा जातिरविशेषसमातो भिद्यमानापि कथंचिदुपपत्तिमतीति ।

एक बात यह भी है कि घट, विद्युत्, आदिक दृष्टान्तोंमें जो कृतकपन आदिक धर्म साध्यके  
साधकपन करके मले प्रकार जाना जाता है, वही धर्म तो यहां पक्षमें साध्यकी साधन द्वारा सिद्धि  
हो जानेका कारण कहा गया है । उसका किसी किसी सपक्ष अर्थके साथ समानपना होनेसे साधर्म्य  
हो रहा है । और किसी किसी विपक्ष हो रहे अर्थके साथ असमानपना हो जानेसे वैधर्म्य हो रहा  
है । यह न्यायवेत्ता विद्वानोंका निश्चय है । तिस कारणसे विशिष्ट अर्थके साध हो रहा सधर्माणन ही  
हेतुकी शक्ति है । और साध्यके साधनेकी उस सामर्थ्यको धारनेवाला समीचीन हेतु होता है । वह समर्थ  
हेतु सम्पूर्ण अर्थोंमें सत्ता द्वारा अनित्यपनको साध्य करनेपर नहीं सम्भवता है । इस कारण सम्पूर्ण  
पदार्थोंमें ज्ञापक हेतु प्राप्त नहीं हो सका है । यदि कोई बौद्धमत अनुसार प्रतिवादीकी ओरसे यों कहे  
कि सम्पूर्ण भाव क्षणिक हैं । सत्पना होनेसे इस अनुमानमें क्षणस्थितिको साधनेके लिये सम्पूर्ण पदार्थोंमें  
सर्व हेतु सम्भव रहा ही है । यों कहनेपर तो हम न्यायसिद्धान्ती कहेगें कि तुम उक्त कठाशको नहीं  
कर सकते हो । क्योंकि सबको पक्ष बना लेनेपर यानी सम्पूर्ण पदार्थोंका एक ही क्षण ठहरना जब  
विवाद प्रस्त हो रहा है, तो पक्षके भीतर या बाहर साध्यके रहनेपर हेतुका रहना स्वरूप अन्वय नहीं  
बन सका है । अन्वयका असम्भव हो जानेसे व्यतिरेकका भी निश्चय नहीं हो सका है । दूसरी  
बात यह है कि सर्व करके साधर्म्य हो जानेसे सम्पूर्ण पदार्थोंके अनित्यपनका प्रतिवादी द्वारा  
साधन करनेपर अविशेषसमामें होनेवाले सभी पूर्वोक्त दोष अनित्यसमामें कह देने चाहिये । योद्धा  
विचारो तो सही कि सम्पूर्ण पदार्थोंके अनित्यपनको साध रहा ही यह प्रतिवादी पुनः शब्दके अनि-  
त्यपनका प्रतिषेध कर रहा है । ऐसी दशामें यह स्वस्थ ( होशमें ) कैसे कहा जा सकता है ? यों  
तो शब्दका अनित्यपन स्वयं प्रतिज्ञात हुआ जाता है । अतः व्याघात दोष हुआ । व्यभिचार आदिक  
दोष भी इसमें लागू हो जाते हैं । तिस कारण यह अनित्यसमा जाति अविशेषसमा जातिसे कथंचिद  
भेदको प्राप्त हो रही संती भी कैसे भी उपपत्तिको प्राप्त नहीं हो सकी । इस कारण यह प्रतिवादीका  
प्रतिषेध दूषणामास होता हुआ असमीचीन उत्तर है ।

अनित्यः शब्द इत्युक्ते नित्यत्वप्रत्यवस्थितिः ।

जातिर्नित्यसमा चत्तुरज्ञानात्संप्रवर्तते ॥ ४३७ ॥

नैयायिकोंके सिद्धांत अनुसार नित्यसमा जातिका निरूपण किया जाता है कि कृतक होनेसे शब्द अनित्य है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रतिज्ञावाक्यके कह चुकनेपर यदि प्रतिवादी शब्दके नित्यपन का प्रत्यक्षस्थान उठाता है, वह प्रतिवादीका असत् उत्तर नित्यसमा जाति है। प्रतिवादी वक्ताके अज्ञानसे यह नित्यसमा जाति सुखमतापूर्वक प्रवर्तजाती है। “नित्यमनित्यभावादमित्ये नित्यत्वोपपत्ते-र्नित्यसमः” यह गौतमसूत्र है।

शब्दाश्रयमनित्यत्वं नित्यं वा नित्यमेव वा ।

नित्ये शब्दोपि नित्यः स्यात्तदाधारोऽन्यथा क्व तत् ॥ ४३८ ॥

तत्रानित्येष्यं दोषः स्यादनित्यत्वविच्युतौ ।

नित्यं शब्दस्य सद्भावादित्येतद्धि न संगतम् ॥ ४३९ ॥

अनित्यत्वप्रतिज्ञाने तन्निषेधविरोधतः ।

स्वयं तदप्रतिज्ञानेष्ये तस्य निराश्रयः ॥ ४४० ॥

नित्यसमा जातिका उदाहरण यों है कि शब्दको अनित्य सिद्ध करमेवाळे वादीके रूपर प्रतिवादी प्रश्न उठाता है कि शब्दके आधारपर ठहरनेवाळा अनित्यपना धर्म क्या नित्य है ? अथवा क्या अनित्य है ? अर्थात्—शब्दस्वरूप पक्षमें अनित्यपन साध्य क्या सदा अवस्थायी है ? अथवा क्या शब्दमें अनित्यपना सर्वदा नहीं ठहरकर कभी कभी ठहरता है ? बताओ। प्रथमपक्षके अनुसार यदि शब्दमें अनित्यपन धर्मको सदा तीनों काळतक ठहरा हुआ मानोगे तब तो उस अनित्यपनका अधिकरण हो रहा शब्द भी नित्य हो जायगा। अपने धर्मको तीनों काळतक नित्य ठहरानेवाळा धर्मा नित्य ही होना चाहिये। अन्यथा पानी शब्दको कुछ देरतक ही ठहरनेवाळा यदि माना जायगा तो सर्वदा ठहरनेवाळा अनित्यपन धर्म भला कहाँ किसके आधार पर स्थित रह सकेगा ? शब्दको नित्य माननेपर ही अनित्यपन धर्म वही सदा ठहर सकता है। अन्यथा नहीं। तथा उन दो विकल्पोंमेंसे द्वितीय विकल्प अनुसार शब्दमें रहनेवाळे अनित्यपन धर्मको यदि कभी कभी ठहरनेवाळा मानोगे तो उस अनित्यपन धर्मके सर्वदा नहीं ठहरकर कदाचिद् स्थित रहनेवाळे अनित्य पक्षमें भी यही दोष शब्दके नित्य हो जानेका आ पड़ेगा। क्योंकि जब शब्दमें रहनेवाळा अनित्यपन धर्म अनित्य है, तो अनित्यपन धर्मका नाश हो जानेपर शब्दके नित्यपनका सद्भाव हो जानेसे शब्द नित्य हुआ जाता है। यह नियम है कि जिस वस्तुका अनित्यपन नष्ट हो जाता है, वह वस्तु बिना रोक टोकके नित्य बनी बनाई है। दोनों हाथ कड़क हैं। इस न्यायसे दोनों विकल्प अनुसार शब्दका नित्यपना सिद्ध हो जाता है। यह जातिमापी प्रतिवादीका अभि-

निवेश है। सिद्धांती कहते हैं कि इस प्रकार यह प्रतिवादीका कुक्षित अभिमानपूर्वक मापण पूर्व अपर संगतिको रखनेवाला नहीं है। प्रतिवादीका असंगत कथन समीचीन उत्तर नहीं है। इसकी परीक्षा यों करनी चाहिये कि प्रतिवादीने शब्दका अनित्यत्व तो स्वीकार कर लिया दीखा है। तभी तो यह अनित्यपन नियम है ! अथवा क्या अनित्य है ! यह विकल्प उठाया गया है। वादीके मन्तव्य अनुसार जब प्रतिवादी शब्दके अनित्यपनकी प्रतिज्ञाको मान चुका है, तो शब्दमें उस अनित्यपनके निषेध करनेका विरोध पड़ना है। कोई भी विचारशील पण्डित शब्दमें अनित्यपनको स्वीकार कर पुनः उस अनित्यपनका निषेध नहीं कर सकता है। अतः प्रतिवादीका कथन व्याघात दोषवाला होता हुआ पूर्णपर संगतिते शून्य है। दूसरे प्रकारण प्राप्त शब्दके अनित्यपनकी सिद्धिमें यह कथन प्रतिषेधक नहीं है। उदाहरण हो चुके पदार्थका ध्वंस हो जाना ही अनित्यपन कहा जाता है। उसको अंगीकार कर लेना उसका निषेध नहीं कर सकते हो। यदि हम प्रतिवादी उस शब्दके अनित्यपनको स्वयं स्वीकार नहीं करोगे तो भी यह उस अनित्यपनका निषेध करना आप्त्य रहित हो जायगा अर्थात्-शब्दके अनित्यपनकी प्रतिज्ञाको नहीं माननेपर ये विकल्प किसके आधारपर उठाये जा सकते हैं कि शब्दमें रहनेवाला अनित्यपन क्या नियम है ! अथवा क्या अनित्य है ! अतः विकल्पोंका उत्पान नहीं होनेसे प्रतिवादी द्वारा शब्दके अनित्यपनका निषेध करना अवलम्ब-विकृत हो जाता है। प्रतिषेध करनेके लिये पष्ठी विभक्तिवाले प्रतियोगीकी आवश्यकता होती है। " संक्षिप्तः प्रतिषेधो न प्रतिषेध्यादते क्वचित् " अर्थात्पद द्वारा कहे गये घटके बिना घटका प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है। " प्रतिषेधे नियमनियमाभावादनित्ये नित्यत्वोपपत्तेः प्रतिषेधाभावात् " इस सूत्र द्वारा गौतमऋषिने उक्त अभिप्राय प्रदर्शित किया है।

सर्वदा किमनित्यत्वमिति प्रश्नोप्यसंभवी ।

प्रादुर्भूतस्य भावस्य निरोधश्च तदिष्यते ॥ ४४१ ॥

नाश्रयाश्रयिभावोपि व्याघातादनयोः सदा ।

नित्यानित्यत्वयोरेकवस्तुनीष्टौ विरोधतः ॥ ४४२ ॥

ततो नानित्यता शब्दे नित्यत्वप्रत्यवस्थितेः ।

परेः शक्या निराकर्तुं वाचालैर्जपलोलुपैः ॥ ४४३ ॥

व्यापमन्वकार कहते हैं जब कि प्रकृटरूपसे उत्पन्न हो चुके पदार्थका ध्वंस हो जाना ही यह अनित्यपन माना जाता है, ऐसी दशामें क्या शब्दका अनित्यपन सर्वदा स्थित रहता है ?

अथवा क्या कुछ देरतक ही अवस्थित रहता है ? इस प्रकार प्रश्न उठाना भी असम्भव दोष युक्त है । अर्थात्—स्वकीय कारणकूटसे पदार्थ जब उत्पन्न हो जायगा, तभीसे अवस्थान काळतक उसके धर्म उस पदार्थमें प्रतिष्ठित रहते हैं । किन्तु जो वस्तु अनादिसे अनन्तकाळतक स्थित रहती है, उसीके कुछ धर्म भले ही सर्वदा अवस्थित रहें । उपादान कारण और निमित्तकारणोंसे उत्पन्न हो रहे शब्दमें धर्मोंके सर्वकाळतक ठहरनेका प्रश्न उठाना ही असम्भव है । दूसरी बात यह भी है कि जातिवादीके यहां इस प्रकार उनका आधार आधेयभाव भी नहीं बन सकता है । क्योंकि नित्य पदार्थमें अनित्यपनेका व्याघात है । और अनित्यमें नित्यपनका व्याघात है । तीसरी बात यह भी है कि एक ही वस्तुमें सर्वदा नित्यपन और अनित्यपन धर्मोंको अर्माष्ट करनेपर न्यायसिद्धान्त अनुसार विरोध दोष लग जाता है । एक धर्ममें नित्यपन और अनित्यपन दो धर्मोंके रहनेका विरोध है । अतः तुम जातिवादीने जो कहा था कि अनित्यपन धर्मका नित्य सद्भाव बना रहनेसे शब्द नित्य ही है । वह तुम्हारा कथन दूषणामासुरूप है । तिस कारणसे निर्णय किया जाता है कि व्यर्थ ही जीतनेकी अत्यधिक तृष्णा रखनेवाले अवाध्य वाचाळ दूसरे जातिवादियों करके शब्दमें प्रतिष्ठित हो रही अनित्यताका नित्यपनके प्रत्यवस्थान उठानेसे निराकरण नहीं किया जा सकता है । “ न हि भैषज्यमापुरेच्छानुवर्त्ति ” । असंगत, विरुद्ध, व्याघातयुक्त और असदुत्तर ऐसे अवाध्य वचनोंकी शब्दी लगा देनेसे किसीको जय प्राप्त नहीं हो सकता है । अतः प्रतिवादीद्वारा नित्यसमारूप प्रतिषेध उठाना असदुत्तररूप जाति है । प्रतिवादीने शब्दके अनित्यत्वमें सर्वदा स्थित रहने और सदा नहीं स्थिर रहने इन दोनों पक्षोंमें जैसे शब्दके नित्यपनका आपादन किया है, उसी प्रकार दोनों पक्षोंमें शब्दका अनित्यपन भी साधा जा सकता है । बात यह है कि सर्वकाळ इसका अर्थ जबसे शब्द उत्पन्न होकर जितनी देरतक ठहरेगा, उतना समय है, अतः सर्वदा शब्दमें अनित्यपन धर्म रखने पर भी शब्दका अनित्यपन अक्षुण्ण रहता है, और कदाचित् उत्पन्न हो रहे शब्दमें कभी कभी अनित्यत्वके ठहर जानेसे भी अनित्यपन धर्म अधिक बन जाता है । धर्मोंके अनित्य होनेपर धर्मोंमें अनित्यपना सुलभ सिद्ध है । अतः नित्यसम जातिवादीका पराजय अवश्यमावी है । असदुत्तरोंसे केवल मूर्खता प्रकट होती है ।

अथ कार्यसमा जातिरभिधीयते ।

नित्यसमा जातिके अनन्तर न्यायसिद्धान्त अनुसार अब चौधसवीं कार्यसमा जातिका उदाहरणसहित लक्षण कहा जाता है ।

प्रयत्नानेककार्यत्वाज्जातिः कार्यसमोदिता ।

नृप्रयत्नोद्भवत्वेन शब्दानित्यत्वसाधने ॥ ४४४ ॥



प्रयत्नानंतरं तावदात्मलाभः समीक्षितः ।

कुंभादीनां तथा व्यक्तिर्व्यवधानव्यपोहनात् ॥ ४४५ ॥

तद्बुद्धिलक्षणात् पूर्वं सतामेवेत्यनित्यता ।

प्रयत्नानन्तरं भावान्न शब्दस्याविशेषतः ॥ ४४६ ॥

“ प्रयत्नकार्पणिकार्यकार्यसमः ” जीवके प्रयत्नसे उत्पादन करने योग्य कार्य अनेक प्रकारके होते हैं । इस वंगसे प्रतिषेध उठाना कार्यसमा नामक जाति कही गयी है । उसका उदाहरण यों है कि मनुष्यके प्रयत्न द्वारा उत्पत्ति होनेसे शब्दके अनित्यपनकी वादी विद्वान् सिद्धि करता है कि कार्यका अर्थ अनूत्पामवन है । पूर्व काओंमें शब्दका सद्भाव नहीं होकर पुनः जन्मप्रयत्नके अनन्तर शब्दका आम लाम हो रहा है । जैसे कि घटादिक कार्य पहिले होते हुये नहीं हो रहे हैं । किन्तु पहिले नहीं होकर अपने नियत कारणों द्वारा नवीन रूपसे उपज रहे हैं । उसी प्रकार कण्ठ, ताड़, आदि कारणोंसे नवीन उपज रहा शब्द अनित्य है । इस प्रकार वादी द्वारा स्वरथा कर चुकनेपर दूसरा प्रतिवादी प्रत्यवस्थान उठाता है कि प्रयत्नके अनेक कार्य हैं । प्रयत्न तो कुञ्जाल आदिके प्रयत्न किये पीछे घट आदि कार्योंका आमलाम हो रहा मके प्रकार देखा गया है । दूसरे स्पष्टित पदार्थोंके व्यवधायक अर्थका प्रयत्न द्वारा पृथक्करण कर देनेसे उनकी तिस प्रकार अभिव्यक्ति होना भी देखा जाता है । जैसे कि पायाणको छेनीं द्वारा उफेर देनेसे प्रतिमा व्यक्त हो जाती है । मंडी निकाल देनेसे कुआ ( आकाशस्वरूप ) प्रकट हो जाता है । किबाबके काठको उीक देनेसे गर्भ कीक प्रकटित हो जाती है । जो कि दो तलतोंको जोड़नेके छिये भीतर प्रविष्ट की गयी थी । अतः द्वितीय विचार अनुसार संभव है कि शब्द भी पुरुष प्रयत्नसे उत्पन्न किया गया नहीं होकर नियत सत्त हो रहा व्यक्त कर दिया गया होय प्रयत्न द्वारा शब्दकी उत्पत्ति हुई अथवा अभिव्यक्ति हुई है । इन दोनों मन्तव्योंमेंसे एक अनित्यपनके आप्रहको ही रक्षित रखनेमें कोई विशेष हेतु नहीं है । उन शब्दोंका आवणप्रत्यक्ष होना इस स्वरूपसे पहिले भी विपमान हो रहे शब्दोंका सद्भाव ही था । ऐसी दशामें प्रयत्नके अनन्तर शब्दकी उत्पत्ति हो जानेसे अनित्यपन कहते रहना ठीक नहीं है । जब कि शब्दके उत्पादक और अभिव्यज्जक कारणोंसे शब्दकी उत्पत्तिमें और अभिव्यक्ति में कोई विशेषता नहीं दीखती है । इस प्रकार कार्यकी अविशेषतासे कार्यसम प्रत्यवस्थान उठाया जाता है । इतिकार कार्यसम जातिके लक्षगसूत्रका अर्थ यों भी करते हैं कि प्रयत्नोंके कर्तव्य यानी करने योग्य तिस प्रकारके प्रयत्नोंके अनेक भेद हैं । अतः पूर्वमें कही गयी तेईस जातियोंसे न्यारी असद् उचररूप अन्य भी जातियां हैं । आहृतिगण होनेसे इस कार्यसमाके द्वारा सूत्रमें नहीं कही गयी अन्य जातियोंका भी परिग्रह हो जाता है । जैसे कि प्रतिवादी यों विचार करता रहे कि

तुम्हारे ( वादी ) पक्षमें कोई न कोई दूषण होवेगा । इस प्रकारकी शंका उठाना पिशाचीसमा जाति है । कार्यकारणभाव सम्बन्धसे जुड़े हुये कुञ्जल घट, या अग्नि धूम, आदि पदार्थोंमें यह इसका कार्य और यह इसका कारण है, इस व्यवस्था को नियत करनेके लिये उपकारक कारणकी ओरसे उप-कृत कार्यमें आया हुआ उपकार कल्पित किया जायगा । भिन्न पडा हुआ वह उपकार भी इस कार्य या कारणका है ! इस सम्बन्ध व्यवस्थाको नियत करनेके लिये पुनः अन्य उपकारोंकी कल्पना करना बढ़ता चला जायगा । ऐसी दशमें अनवस्था हो जायगी । उपकारकी समीचीन व्यवस्था नहीं होनेसे प्रतिवादीद्वारा यह अनुपकारसमा जाति उठायी जाती है । तिसी प्रकार विपर्ययसमा, भेदसमा, अभेदसमा, आकांक्षासमा, विभावसमा आदि जातियां भी गिनायी जा सकती है । ये चौबीस जातियां तो उपलक्षण हैं । अहंलक्ष्य जातियां बन सकती हैं । अप्रशस्त उत्तर अनेक हैं ।

**तत्रोत्तरमिदं शब्दः प्रयत्नानंतरोद्भवः ।**

**प्रागदृष्टिनिमित्तस्याभावेऽप्यनुपलब्धितः ॥ ४४७ ॥**

**सत्त्वाभावादभूत्वास्य भावो जन्मैव गम्यते ।**

**नाभिव्यक्तिः सतः पूर्वं व्यवधानाव्यपोहनात् ॥ ४४८ ॥**

अत्र न्यायसिद्धान्ती कार्यसमा जातिका असत् उत्तरपना सावते हैं । “ कार्यान्यत्वे प्रयत्ना-हेतुत्वमनुपलब्धिकारणोपपत्तेः ” शब्दको यदि कार्य पदार्थोंसे भिन्न माना जायगा, तो पुरुषप्रयत्न उसका हेतु नहीं हो सकेगा । यदि अभिव्यक्ति पक्षमें आधारक वायु आदिके दूर करनेके लिये पुरुष प्रयत्नकी अपेक्षा करोगे तो उच्चारणसे पहिले विद्यमान हो रहे शब्दकी अनुपलब्धिके कारण सिद्ध करना चाहिये । जहां प्रयत्नके अनन्तर किसी पदार्थकी अभिव्यक्ति होती है, वहां उच्चारणके पहिले अनुपलब्धिका कारण कोई व्यवधायक पदार्थ मानना पड़ता है । व्यवधानको अलग करदेनेसे प्रयत्नके अनन्तर होनेवाले अर्थकी ज्ञप्ति हो जाना स्वरूप अभिव्यक्ति हो जाती है । किंतु वहां उच्चारणसे पहिले शब्दको यदि विद्यमान माना जाय तो उसकी अनुपलब्धिके कारण कुछ भी नहीं प्रतीत होते हैं, जिनका कि पृथक्करण कर शब्दकी उपलब्धिवस्वरूप व्यक्ति मान ली जाय । तिस कारणसे सिद्ध होता है कि शब्द स्वकीपकारणोंसे उत्पन्न ही होता है । प्रकट नहीं होता है । इस न्यायभाष्यका अनुवाद करते हुये श्री विद्यानन्द आचार्य कहते हैं कि उस कार्यसमाको जाति सिद्ध करनेमें हमारा यह उत्तर है कि शब्द ( पक्ष ) प्रयत्नके अनन्तर उत्पन्न हुआ है ( साम्य ) । क्योंकि उच्चारणके पूर्वमें शब्दकी अनुपलब्धिके निमित्तका अभाव होते हुये भी उस समय शब्दकी अनुपलब्धि हो रही है ( हेतु ) । जैसे कि घटकी उत्पत्तिके पूर्व समयोंमें घटकी अनुपलब्धि होनेसे घटका उत्पन्न होना माना जाता है ( अन्वय दृष्टान्त ) । “ अभूत्वाभाविष्यं कार्यवत् ” । पहिले नहीं होकर पुनः कार-

णोंसे उपज जाना ही पदार्थोंका जन्म है । उच्चारणसे पहिले शब्दका सद्भाव नहीं होनेसे निर्णोत कर लिया जाता है कि इस शब्दका पहिले नहीं होकर पुनः कारणोंसे ही जाना ही जन्म है । पहिले विद्यमान हो रहे शब्दकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है । क्योंकि कारणों कफे किसी व्यवधायक पदार्थका पृथक् कारण नहीं किया गया है । जैसे कि वायु द्वारा नादलोंके पृथक् कर देनेसे चन्द्रमा प्रकट हो जाता है । पाण करके कायी या निःसारभागको हटा देनेसे चक्रूका पैनापन व्यक्त हो जाता है । ( व्यतिरेक दृष्टान्त ), वैसा शब्द नहीं हैं । अतः शब्दके अनित्यपन साधनेको उद्देश्य रखकर प्रतिवादी का कार्यसम जाति उठाना निश्च उत्तर है । उक्त जातियोंका उपश्रवण माननेपर आकृतिगण पक्षमें वृत्तिकारके कथनानुसार उक्त सूक्ष्मका अर्थ यों करना चाहिये कि कार्य यानी जातियोंका अन्यत्र यानी नाना प्रकार माननेपर यह उत्तर है कि प्रयत्नका यानी तुम्हारे दूषण देनेके प्रयत्नको अहेतुपना है । अर्थात्-प्रतिवादीके प्रयत्नद्वारा वादीके हेतुके असाधकपनकी सिद्धि नहीं हो पाती है । क्योंकि उपलब्धिके कारण हो रहे प्रमाण यानी निर्दोष वाक्यकी जो उपपत्ति है, यानी प्रतिवादी द्वारा निर्दोष वाक्यके अर्थान होकर अपने पक्षका साधन करना है, उसका अभाव है । भावार्थ— प्रतिवादीका वाक्य स्वयं अपने पक्षका व्याघातक है । जितने भी विशाचीसमा, एकसमा, आदिक अस्तत् उत्तर उठाये जायंगे, ये सब उल्टे प्रतिवादीके पक्षका ही विघात कर देंगे । वादीके प्रकरण प्राप्त साधनका उन करके प्रतिबन्धन नहीं हो सकता है ।

अनेकांतिकता हेतोरेवं चेदुपपद्यते ।

प्रतिषेधोपि सा तुल्या ततोऽसाधक एव सः ॥ ४४९ ॥

विधाविव निषेधेपि समा हि व्यभिचारिता ।

विशेषस्योक्तित्वाय हेतोर्दोषो निवारितः ॥ ४५० ॥

यदि प्रतिवादीका यह अभिप्राय होय कि पुरुषप्रयत्नके अनन्तर आवाक्योंके दूर हो जानेसे पूर्वकालमें विद्यमान हो रहे कितने ही पदार्थोंकी अभिव्यक्ति हो जाती है और बहुतसे पदार्थोंकी प्रयत्नद्वारा उत्पत्ति भी हो जाती है । अतः शब्दका अनित्यपन सिद्ध करनेमें दिया गया प्रयत्नान्तरीयकत्व हेतु व्यभिचारी है । इस प्रकार अनेकान्तिक होनेसे प्रयत्नान्तरीयकत्व हेतु शब्दके अनित्यपनका साधक नहीं हो सकता । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार हेतुका अनेकान्तिकपना यदि साधोगे तब तो हे प्रतिवादिन् ! तुम्हारे द्वारा किये गये निषेधमें भी वह अनेकान्तिक दोष समानरूपसे लग जाता है, जैसे विधिमें क्या दिया है । तिस कारणसे वह तुम्हारा जाति उठाना भी स्वपक्षका साधक नहीं है । न्यायसूत्र है कि “ प्रतिषेधेऽपि समानो दोषः ” तुम प्रतिवादीका प्रतिषेध भी किसी शब्दके अनित्यपनका तो निषेध कर देता है । और किसी किसी घटके अनित्यपनका निषेध

नहीं कर देता है। अतः विधिके समान निषेधमें भी व्यभिचार दोष समान है। विशेष करनेवाले हेतुके कथनसे यह दोष निवारित किया जा सकता है। जिस प्रकार तुम अपने ऊपर आये हुए व्यभिचारका वारण करोगे, उसी ढंगसे हम भी व्यभिचारदोषका निवारण कर देंगे। अर्थात्—जिस प्रकार तुम प्रतिवादी यों कह सकते हो कि शब्दको अनित्यपक्षके पक्षमें प्रयत्नके अनन्तर शब्दका उत्पाद है, अभिव्यक्ति नहीं है, नैयायिकोंके पास इसका निर्णायक कोई विशेष हेतु नहीं है। उसी प्रकार हम नैयायिक भी प्रतिवादीके ऊपर यह मर्त्सना उठा सकते हैं कि तुम्हारे शब्दके नित्यपक्षमें भी प्रयत्नके अनन्तर शब्दकी अभिव्यक्ति है, उत्पत्ति नहीं है, इसमें भी निर्णयजनक कोई विशेषक नहीं है। अतः दोनों पक्षोंमें विशेष हेतुके नहीं होनेसे व्यभिचार दोष बन बैठता है।

एवं भेदेन निर्दिष्टा जातयो दिष्टये तथा ।

चतुर्विंशतिरन्याश्चानंता बोध्यास्तथा बुधैः ॥ ४५१ ॥

नैताभिर्निग्रहो वादे सत्यसाधनवादिनः ।

साधनाभं ब्रुवाणस्तु तत एव निगृह्यते ॥ ४५२ ॥

इस प्रकार मिस्र मिस्रपने करके ये चौबीस जातियां शिष्योंके उपदेशके लिये दिङ्मात्र ( इशारा ) कथन कर दी गयी हैं। तिसी प्रकार अन्य भी अनन्त जातियां विद्वानोंकरके समझा देनी चाहिये। जितने भी संगतिहीन, प्रसंगहीन, अनुपयोगी, असत्, उत्तर हैं। ये सब न्यायसिद्धान्त अनुसार जातियोंमें परिगणित हैं। श्री विद्यानन्द आचार्य कहते हैं कि इन चौबीस या असंख्यो जातियोंकरके यादमें समीचीन हेतुकी बोधनेवाले वादीका निग्रह ( पराजय ) नहीं हो पाता है। नैयायिकोंने वादमें जाति प्रयोग करना माना भी नहीं। हां, जो वादी स्वपक्षसिद्धिके लिये हेत्वाभासको फह रहा है, उस वादीका तो उस हेत्वाभासका उत्पत्तन कर देनेसे ही निग्रह कर दिया जाता है। अतः जातियोंके लिए इतना घटाटोप उठाना उचित नहीं है। असमीचीन उच्चरोंका कर्हातक प्रत्याख्यान करोगे।

निग्रहाय प्रकल्प्यंते त्वेता जल्पवितंडयोः ।

जिगीपया प्रवृत्तानामिति यौगाः प्रचक्षते ॥ ४५३ ॥

तत्रेदं दुर्घटं तावज्जातेः सामान्यलक्षणं ।

साधर्म्येणेतरेणापि प्रत्यवस्थानमीरितम् ॥ ४५४ ॥

साधनाभप्रयोगेपि तज्जातित्वप्रसंगतः ।

दूषणाभासरूपस्य जातित्वेन प्रकीर्तने ॥ ४५५ ॥

अस्तु मिथ्योत्तरं जातिरकलंकोक्तलक्षणा ।

साधनाभासवादे च जयस्यासम्भवाद्धरे ॥ ४५६ ॥

नैयायिकोंने वीतराग पुरुषोंकी कथा ( सम्भाषण ) को वाद स्वीकार किया है । उस वादमें प्रमाण और तर्कसे साधन और उदाहने दिये जाते हैं । हां, जल्प और वितंडारूप भाषणमें जाति-योक्ता प्रयोग किया जाता है । अतः परस्परमें जातने की इच्छासे प्रवर्त रहे वादी प्रतिवादीयोंके जल्प और वितण्डा नामक शास्त्रार्थमें उक्त जातियां निग्रह ( पराजय ) करानेके लिये समर्थ हो रही मानी गयीं हैं । इस प्रकार नैयायिक मछे प्रकार स्वकीय सिद्धान्तको बखान रहे हैं । आचार्य कहते हैं कि उसमें हमको यह कहना है कि “ साधर्म्यवैधर्म्याम्नां प्रत्यवस्थानं जातिः ” साधर्म्य और उससे इतर वैधर्म्य करके उदाहना देना प्रतिषेध उठाना यह प्रत्यवस्थान जो जातिका सामान्य लक्षण कहा गया है, सो यह तो दुर्घट है । यानी अव्याप्ति, अतिव्याप्ति दोषोंसे रहित हो कर यह लक्षण अपने लक्ष्योंमें नहीं घटित होता है । देखिये, इस लक्षणके अनुसार हेत्वाभासका प्रयोग करनेमें भी वादीको उस जातिपनेका प्रसंग हो जावेगा । वहां भी साधर्म्य और वैधर्म्य करके प्रत्यवस्थान उठाना गया है । अतः जातिके लक्षण करनेमें अतिव्याप्ति दोष आया । नैयायिकोंने हेत्वाभासको सोलह मूळ पदार्थोंमें गिनाया है । निग्रहस्थानोंमें भी हेत्वाभासका पाठ है । अतः वे जातिका लक्षण करते समय अलक्ष्य हैं । अलक्ष्यमें लक्षणका चञ्च जाना अतिव्याप्ति है । यदि तुम नैयायिक जातिका दूसरा निर्दोष लक्षण दूषणाभास रूप कथन करोगे तो हेत्वाभासमें पूर्व कथित लक्षणके वर्त जानेसे आयी हुई अतिव्याप्तिका अब निवारण हो जायगा । क्योंकि हेत्वाभास तो सर्वाधीन दूषण है । वस्तुतः दूषण नहीं होते हुये दूषणसदृश दीखनेवाले दूषणाभास नहीं है । अतः इस लक्षणमें अतिव्याप्ति नहीं है । फिर भी इस लक्षणमें अव्याप्ति दोष आ जावेगा । जिसको कि प्रत्यकार स्वयं अभी अभिप्रत्यक्षमें स्पष्ट कर देवेगे । हां, “ मिथ्योत्तरं जातिः ” मिथ्या उत्तर देना ही जाता है, यह श्री अकलंक देवकरके कहा गया जातिका लक्षण निर्दोष होकर श्रेष्ठ मान लिया जाओ । चूंकि वादी द्वारा स्वपक्षतिद्धिके लिये हेत्वाभासका कथन करनेपर तो वादीको जयप्राप्ति होना असम्भव है । अतः नैयायिकोंका मन्तव्य समीचीन नहीं जचता है ।

युक्तं तावदिह यदनेता जातय इति वचनं तथेष्टत्वादसदुचराणामानन्त्यमसिद्धेः ।  
संक्षेपतस्तु विधेपतस्तु विधेपेण चतुर्विंशतिरित्ययुक्तं, जात्वंतराणामपि भावात् । तेषामा-  
स्वेवावर्तमावाददोष इति चेत् न, जातिसामान्यलक्षणस्य तत्र दुर्घटत्वात् । साधर्म्यं वैधर्म्याम्नां

प्रत्यवस्थानं जातिरित्येतद्धि सामान्यलक्षणं जातेरुदीरितं यौगैरेतच्च न सुघटं, साध-  
नाभासमयोगेपि साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानस्य जातिस्वमसंगात् ।

आचार्य कहते हैं कि हमको यहां पहिले यह कहना है कि नैयायिकोंने जो कथित जाति-  
योंको उपलक्षण मानकर अनन्त जातियां स्वीकार की हैं, यह उनका कथन युक्त है, हमको भी  
तिस प्रकार जातियां अनन्त हैं, ऐसा इष्ट है । क्योंकि जगद्में असमीचीन उत्तरोंका अनन्तपना  
प्रसिद्ध हो रहा है । गाढी देना, धवसर नहीं देखकर अट सन्ट बकना, अनुपयोगी चर्चा करना,  
इत्यादिक सब असमीचीन उत्तर हैं । किंतु संश्लेषसे नैयायिकोंने विशेषरूपसे गणना कर जो चौबीस  
जातियां कहीं हैं, यह उनका कथन युक्तिरहित है । यही हमारे खण्डनका विषय है । जब कि  
अन्य असंख्य जातियोंका भी सद्भाव है, तो चौबीस ही जातियां क्यों गिनायीं गयीं हैं ? बताओ !  
यदि तुम नैयायिक यों कहो कि उन अनन्त जातियोंका इन गिनायीं गयीं चौबीस जातियोंमें ही  
अन्तर्भाव हो जाता है । अतः कोई अव्याप्ति, अतिव्याप्ति दोष नहीं हैं, आचार्य कहते हैं कि यह  
तो नहीं कहना । क्योंकि सुम्हारे दर्शनमें कहे गये जातिके सामान्यलक्षणकी वहां घटना नहीं हो  
पाती है । अतः सामान्य लक्षणके घटित नहीं होनेसे अनन्तजातियोंका चौबीसमें ही गर्भ नहीं हो  
सकता है । देखिये, साधर्म्य और वैधर्म्य करके प्रत्यवस्थान देना जाति है । नैयायिकोंने यही जाति  
का सामान्यलक्षण न्यायसूत्रमें कहा है । किंतु वह लक्षण तो समीचीन गढ़ा हुआ नहीं है ।  
अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, दोष आते हैं । चौबीस जातियोंमेंसे कई जातियोंमें वह लक्षण नहीं  
वर्तता है । संकोच कर या विस्तार कर जैसे तैसे बौद्धिक परिश्रम लगाकर अहेतुसमा, अनु-  
पलम्बिसमा आदिमें सामान्यलक्षणको घटाओगे तो यह छिद्र कल्पना होगी तथा जातिके सामान्य  
लक्षणमें अतिव्याप्ति दोष भी है । हेत्वाभासके प्रयोगमें भी साधर्म्य और वैधर्म्य करके प्रत्यवस्थानके  
सम्भव जानेसे जातिपनेका प्रसंग हो जायगा । अतः नैयायिकोंके यहाँ जातिका सामान्यलक्षण प्रशस्त  
नहीं है, जो कि अनन्त जातियोंमें घटित होकर उनको चौबीस जातियोंमें हीं गर्भित कर सके ।

तथेष्टत्वाच्च दोष इत्येके । तथाहि—असाधौ साधने प्रयुक्ते यौ जातीनां प्रयोगः  
सोनभिन्नतया वा साधनदोषः स्यात्, तद्दोषप्रदर्शनार्थम्वा प्रसंगव्याजेनेति । शैट्प्ययुक्तं ।  
स्वयमुद्योतकरेण साधनाभासे प्रयुक्ते जातिप्रयोगस्य निराकरणात् । जानिवादी हि साध-  
नाभासमेतदिति प्रतिपद्यते वा न वा ? यदि प्रतिपद्यते ए एवास्य साधनाभासत्वहेतुदोषोऽ-  
नेन प्रतिपन्नः स एव वक्तव्यो न जातिः प्रयोजनाभावात् । प्रसंगव्याजेन दोषप्रदर्शनार्थ-  
मिति चायुक्तं, अनर्थसंशयात् । यदि हि परेण प्रयुक्तायां जातौ साधनाभासवादी स्वम-  
युक्तसाधनदोषं पश्यन् सभायामेवं ब्रूयात् मया प्रयुक्ते साधने अयं दोषः स च परेण  
नोद्भावितः किं तु जातिरुद्भावितेति, तदापि न जातिवादिनो जयः प्रयोजनं स्यात्, उभयो-

रत्नानसिद्धेः । नापि साम्यं प्रयोजनं सर्वथा जयस्यासंभवे तस्याभिप्रेतत्वादेकांतपराजयाद्वरं सन्देह इति वचनात् ।

यहां कोई एक पण्डित कह रहे हैं कि तिस प्रकार हमको खभीष्ट हो जानेसे कोई दोष नहीं आता है । अर्थात्—हेत्वामासके प्रयोगमें भी साधर्म्य और वैधर्म्य द्वारा प्रत्यक्षरूप जातिपना इष्ट है । “ उपधेयसंकरेऽपि उपाधेरसकरात् ” उपधिपुक्त धर्मोंके एक दोनेपर भी कई उपाधियाँ वहाँ असंकीर्ण होकर ठहर सकती हैं । एक महा दुष्ट पुरुष अनेक झूठ, हिंसा, व्यभिचार, इतप्रता सुराक्षेपन आदि न्यरे न्यारे दोषोंका आश्रय हो जाता है । एक अति सज्जन पुरुषमें अहिंसा, अस-चर्य, सत्यता, कृपणता, स्वार्थत्याग आदि अनेक गुण युगपत् विराजमान हो सकते हैं । हेत्वामासका प्रयोग करनेपर भी निप्रदृशयानपना, जातिपना या अनुभिति और उसके कारण इनमेंसे किसी एकका विरोधीपना ये दोष एकत्रित खभीष्ट हैं । इस प्रकार कोई एक विद्वान् कह रहे हैं । उन्होंने अपने मृतव्यका समर्पण इस ढंगसे प्रसिद्ध किया है । सो सुनिये। असमीचीन हेतु यानी हेत्वामासके प्रयोग किये जा चुकनेपर जो जातियोंका प्रयोग किया गया है, वह हेतुके दोषोंकी अनभिज्ञतासे किया गया है । अतः जातियोंका प्रयोग करना हेतुका दोष समझा जायगा अथवा प्रसंगके छूट (बहाना) करके उस हेतुके दोषका प्रदर्शन करनेके लिये जातियोंका प्रयोग किया गया है ? दोनों ढंगोंमेंसे जातियोंका प्रयोग होना सम्भन जाता है । पहिला मार्ग अज्ञतापूर्ण है और दूसरा मार्ग चातुर्यपूर्ण है । यहाँतक एक विद्वान्के कह चुकनेपर आचार्य महाराज कहते हैं कि एक विद्वान्का वह कहना भी अयुक्त है । क्योंकि उद्योतकर पण्डितने हेत्वामासके प्रयोग कर चुकनेपर पुनः उसके ऊपर जातिके प्रयोग करनेका निराकरण कर दिया है । अर्थात्—हेत्वामासको कहनेवाले वादीके ऊपर प्रतिवादीद्वारा हेत्वामास दोष उठा चुकनेपर पुनः असत् उत्तररूप जातिका उठाना निषिद्ध कर दिया है । जो मूर्खवादी अपने पक्षकी सिद्धिको समीचीन हेतुसे नहीं करता हुआ असमीचीन हेतुसे कर रहा है, उस वादीका खण्डन प्रतिवादीकाके विषयप्रयोगसमान हेत्वामास प्रयोगके उठा देनेसे ही हो जाता है । पुनः उसके ऊपर थपट, मारना घूसा मारना आदिके समान जाति उठाना उचित नहीं है । हमें पूत्रने हैं कि जातिको उठानेवाला प्रतिवादी क्या वादीके हेतुको यह हेत्वामास रूप है, इस प्रकार नियमसे समझता है । अथवा क्या वादीके हेतुको हेत्वामास नहीं समझता है ? बताओ । प्रथम विकल्प अनुसार प्रतिवादी यदि वादीके प्रयुक्त हेतुको दोष इस प्रतिवादीने समझा है, वह हेत्वामास ही इसको उठाकर कहना चाहिये । जातिका प्रयोग तो नहीं करना चाहिये । कारण कि जातिके प्रयोग करनेका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है । जब प्रतिवादी हेत्वामासको उठाकर ही जय लाम कर सकता है, तो जघन्य पंडितोंके प्रयोग व्यवहारमें आ रही जातिका प्रयोग क्यों व्यर्थ करेगा, दूसरे चातुर्यपूर्ण मार्ग अनुसार यदि यहाँ कोई विद्वान् यों कहे कि प्रसंगके छूट करके हेतु

का दोष दिखानेके लिये प्रतिवादीने वादीके ऊपर जातिरूप प्रत्यवस्थान उठाया है, आचार्य कहते हैं कि एक विद्वान्का यह कहना भी युक्तिरहित है। क्योंकि इसमें बड़े भारी अनर्थ हो जानेका संशय (सम्भावना) है। दूसरे प्रतिवादी द्वारा जातिका प्रयोग किये जानेपर यदि हेत्वामास द्वारा अपने पक्षकी सिद्धि करनेवाला वादी अपने प्रयुक्त किये गये हेतुके दोषको देखता हुआ सभामें इस प्रकार कह देवे कि मेरे द्वारा प्रयुक्त किये गये हेतुमें यह विरोध, व्यभिचार, असिद्ध, आदि दोष है। वह दोष तो इस दूसरे प्रतिवादीने मेरे ऊपर नहीं उठाया है। किन्तु जाति उठा दी गयी है। ऐसी दशामें अनर्थ हो जानेका खटका है। प्रतिवादी जयके स्थानमें पराजय प्राप्तिके लिये संशयापन्न हो जाता है। उस अवसरपर भी जातिको उठानेवाले प्रतिवादीकी जीत हो जाना प्रयोजन नहीं होगा। क्योंकि दोनों वादी प्रतिवादियोंके अज्ञानकी सिद्धि है। वादीको अपने पक्षकी सिद्धिके लिये सर्वाचीन हेतुका ज्ञान नहीं है। और प्रतिवादीको दोष प्रयोग करनेका परिज्ञान नहीं है। ऐसी अज्ञान दशामें प्रतिवादीको जय नहीं मिल सकता है। तथा वादी और प्रतिवादी दोनों समान गिने जाय, जैसे कि मल्लको गिरा देनेपर भी नहीं चिन्त कर सकनेवाले प्रतिमल्लको मल्लके समान मान लिया जाता है। इसी प्रकार मल्लप्रतिमल्लके समान दोनों वादी प्रतिवादियोंकी समानता हो जाना भी प्रयोजन नहीं सध पाता है। क्योंकि सभी प्रकारोंसे जयके असम्भव होनेपर उस साम्यको अभीष्ट किया गया है। एकान्तरूपसे पराजयका निर्णय हो जानेकी अपेक्षा पराजयका संदेह बना रहना कहीं बहुत अच्छा है। इस प्रकार अभियुक्तोंका नीतिकथन चला आ रहा है।

यदा तु साधनाभासवादी स्वसाधनदोषं प्रच्छाद्य परमयुक्तां जातिमेवोद्भावयति तदापि न तस्य जयः प्रयोजनं साम्यं वा पराजयस्यैव तथा संभवात् ।

और जब हेत्वामासको कहनेवाला वादी अपने हेतुके दोषको छिपाकर दूसरेसे प्रयुक्त की गयी जातिका ही उत्पादनकर देता है, तब भी तो उस वादीका जय होना अथवा दोनोंका समान बने रहना यह प्रयोजन नहीं सध पाता है। तिस प्रकार प्रयत्न करनेपर तो वादीका पराजय होना ही सम्भवता है।

अथ साधनदोषमनवयुध्यमानो जातिं प्रयुक्ते तदा निःप्रयोजनो जातिप्रयोगः स्यात् यत्किञ्चन वदतोपि तूष्णींभवतोपि वा साम्यं प्रातिभैर्व्यवस्थापनाद्द्वयोरज्ञानस्य निश्चयात् ।

पूर्वमें उठाये गये द्वितीय विकल्प अनुसार दूसरे विद्वान् अब यदि यों कहें कि वादीद्वारा प्रयुक्त किये गये हेतुके दोषको नहीं समझ रहा संता प्रतिवादी वादीके ऊपर जातिका प्रयोग कर रहा है, तब तो हम कहेंगे कि ऐसी दशामें जातिके प्रयोग करनेका कोई प्रयोजन नहीं है। प्रतिमा बुद्धिको धारनेवाले विद्वानोंके जो कुछ भी मनमानो कह रहे भी श्रवण शुभ होकर बैठ



रहनेवाले पुरुषके भी समानपनका व्यवस्थापन किया है। दोनोंके अज्ञान ही रहेका निश्चय है। अतः हेत्वाभास प्रयोगके अवसरपर जातिका प्रयोग करना कैसे भी उचित नहीं है। तब तो जातिका लक्षण सदोष ही रहा।

एवं तर्हि साधुसाधने प्रयुक्ते यत्परस्य साधर्म्याभ्यां दूषणाभासरूपं तज्जातेः सामान्यलक्षणमस्तु निरवद्यत्वादिति चेत्, मिथ्योत्तरं जातिरित्येतावदेव जातिलक्षणमकलंकमणीतमस्तु किमपरेण । “ तत्र तिथ्योत्तरं जातिर्यथानेकांतविद्विषाम् ” इति वचनात् ।

नैयायिककी ओरसे कोई कहता है कि इस प्रकार व्यवस्था है, तब तो वादी द्वारा समीचीन हेतुके प्रयोग किये जा चुकनेपर जो दूसरे प्रतिवादीका साधर्म्य और वैधर्म्य करके प्रत्यवस्थान उठाना दूषणाभासरूप होता हुआ वह जातिका सामान्य लक्षण हो जाओ। क्योंकि दूषणाभास जाति है। इस जातिके निर्दोष लक्षणमें कोई अतिव्याप्ति आदि दोष नहीं आता है। इस प्रकार कहनेपर आचार्य कहते हैं कि जातिके इस लक्षणमें भी अत्याप्ति दोष है। हाँ, श्रीअकलंक देव महाराजके द्वारा बनाया गया जातिका लक्षण “ मिथ्या उत्तर ” इतना ठीक जचता है। अतः यही जातिका लक्षण अत्याप्ति, अतिव्याप्ति, असम्भवं, दोषोंसे रहित हो रहा मान लिया जाओ। अन्य दूसरे दूषित लक्षणों करके क्या छाम होगा ! वहाँ अकलंक शास्त्रमें इस प्रकारका कथन भी है कि मिथ्या उत्तर कहे जाना जाति है। जिस प्रकार कि अनेकान्तमतके साथ विशेष द्वेष करनेवाले नैयायिकोंके यहाँ मानी गयी। अतः जातिका लक्षण मिथ्या उत्तर कहना यही निष्कलंक सिद्ध हुआ समझो।

तथा सति अत्याप्तिदोषस्यासंभवाच्चिरवद्यमेतदेवेत्याह ।

और तिस प्रकार होनेपर यानी जातिका लक्षण श्री अकलंक मतानुसार “ मिथ्या उत्तर ” कर देनेपर अत्याप्ति दोष होनेकी सम्भावना नहीं रहती है। अतः यह लक्षण ही निर्दोष है। इसी बातको श्री विपानन्द आचार्य वार्तिकों द्वारा कहते हैं।

सांकर्यात् प्रत्यवस्थानं यथानेकांतसाधने ।

तथा वैयतिकर्षेण विरोधेनानवस्थया ॥ ४५७ ॥

भिन्नाधारतयोभाभ्यां दोषाभ्यां संशयेन च ।

अप्रतीत्या तथाऽभावेनान्यथा वा यथेच्छया ॥ ४५८ ॥

वस्तुतस्तादृशैर्दोषैः साधनाप्रतिघाततः ।

सिद्धं मिथ्योत्तरत्वं नो निरवद्यं हि लक्षणम् ॥ ४६९ ॥

जिस प्रकार कि जैन सिद्धान्तीद्वारा सखहेतु करके सम्पूर्ण पदार्थोंमें अनेकान्त आत्मकपनेका साधन कर चुकनेपर प्रतिवादीद्वारा सांकर्यसे प्रत्यवस्थान उठाया जाना तथा व्यतिकरणपनसे दूषणमास उठाया जाना जाति है । विरोध करके, अनवस्था करके, विभिन्न अधिकरणपने करके, उभय दोष करके, संशय करके, अप्रतीति करके तथा अभावदोष करके प्रसंग उठाना भी जाति मानी गयी है, अथवा और भी अपनी इच्छा अनुसार दूसरे प्रकारोंसे चक्रक, अन्योन्याश्रय, आत्माश्रय, व्याघात, श्याब्दत्व, क्षतिप्रसंग आदि करके प्रतिषेधरूप उपाय देना भी जातियाँ हैं । वास्तविक रूपसे विचारा जाय तो प्रत्यक्षप्रमाण, अनुमानप्रमाण, आगमप्रमाणोंसे अनेक धर्मोंके साथ तदात्मक हो रही वस्तुकी सिद्धि बालगोपाख्योक्तमें हो रही है । अतः तिस प्रकारके सांकर्य आदि दोषों ( दोषाभासों ) करके इस अक्षुण्ण अनेकान्तकी सिद्धिका प्रतिघात नहीं हो पाता है । तिस कारणसे हमारे जैन सिद्धान्तमें स्वीकार किया गया मिथ्या उत्तरपना ही जातिका निर्दोष लक्षण सिद्ध हुआ । इनका विवरण यों है कि अनेकान्तवादी जैन विद्वानोंके ऊपर एकान्तवादी नैयायिक आदिक पण्डित आठ दोषोंको उठाते हैं । १ संशय २ विरोध ३ वैयधिकरण्य ४ उभय ५ संकर ६ व्यतिकर ७ अनवस्था ८ अप्रतिपत्तिपूर्वक अभाव, ये आठ दोष हैं । वैयधिकरण्यमें अन्तर्भाव करते हुये कोई कोई उभयको दोषोंमें स्वतंत्र नहीं गिनाकर अप्रतिपत्ति और अभावको दोष गिन लेते हैं । “ १ भेदाभेदात्मकत्वे सदसदात्मकत्वे वा वस्तुनोऽसाधारणाकारेण निश्चेतुमशक्यत्वं संशयः चञ्चितप्रतिपत्तिर्वा ” २ “ शीतोष्णस्पर्शयोरिव विधिनियेधयोरैकत्र वस्तुन्यसंभवो विरोधः ” ३ “ युगपदनेकत्रावस्थितिर्येवाधिकरण्यम् ” मित्राधेयानां नानाधिकरणप्रसंगो वा ४ “ मिथो विरुद्धानां तदीयस्वमायाभावापादनमुभय दोषः ” ५ “ सर्वेषां युगपत्प्राप्तिः संकरः ” अथवा “ परस्पराल्यन्ताभावसमानाधिकरणयोर्धर्मयोरैकत्र समावेशः संकरः ” ६ “ परस्परविषयगमनं व्यतिकरः ” ७ “ उत्तरोत्तरधर्मापेक्षा विश्रामाभावोऽनवस्था ” ८ अनुपलब्धोऽप्रतिपत्तिः ” ९ “ सद्भावे दोषप्रसक्तेः सिद्धिविरहात्प्राप्तिव्यापादनमभावः ” सम्पूर्ण पदार्थोंको अस्तित्वरूप या भेद लभेद आत्मक स्वीकार करनेपर जैनोके ऊपर नैयायिक संशय आदिक दोषोंको यों उठाते हैं कि किस स्वरूपसे अस्तित्व कहा जाय ! और किस तदात्मक रूपसे नास्तित्व कहा जाय ! वस्तुका असाधारण स्वरूप करके निश्चय नहीं किया जा सकता है । अतः अनेकान्तवादमें संशय दोष आता है । तथा जहाँ वस्तुमें अस्तित्व है, वहाँ नास्तित्वका विरोध है और जहाँ नास्तित्व है, वहाँ अस्तित्वका विरोध है, शीत स्पर्श और उष्णस्पर्शके समान दो विरुद्ध अस्तित्व, नास्तित्व, धर्मोंका एक वस्तुमें एक साथ अवस्थान नहीं हो सकता है । अतः अनेकान्तमें विरोधदोष खड़ा हुआ है । तथा अस्तित्वका अधिकरण न्यारा होना चाहिये और उसके प्रतिकूल नास्तित्वका अधिकरण न्यारा होना चाहिये । एक वस्तुमें एक साथ दो विरुद्ध धर्मोंके स्वीकार करनेसे अनेकान्तवादियोंके ऊपर यह वैयधिकरण्य दोष हुआ । तथा एकान्तरूपसे अस्तित्व माननेपर जो दोष नास्तित्वमासरूप आता है, अथवा

नास्तित्वरूप माननेपर जो दोष अस्तित्वामान स्वरूप आता है, ये एकान्तवादियोंके ऊपर आनेवाले दोष अस्तित्वनास्तित्वारम्भक अनेकान्तकी माननेवाले जैनके यहां भी प्राप्त हो जाते हैं । यह उभय दोष हुआ । तथा जिस स्वभावसे अर्थका अस्तित्व धर्म व्यवस्थित किया है । उस हिसे अस्तित्व और नास्तित्व दोनों मान लिये जाय अथवा जिस स्वभावसे नास्तित्व माना गया है, उससे दोनों धर्म नियत कर लिये जाय, इस प्रकार सम्पूर्ण स्वभावोंकी युगपत् प्राप्ति हो जाना संकर है । तथा जिस अवच्छेदक स्वभावसे अस्तित्व माना गया है, उससे नास्तित्व क्यों न बन बैठे और जिस स्वभावसे नास्तित्व नियत किया है, उससे अस्तित्व व्यवस्थित हो जाय । इस प्रकार परस्परमें व्यवस्थापक धर्मोंका त्रिपयगमन करनेसे अनेकान्तपक्षमें व्यक्तिपर दोष आता है । तथा जिस स्वरूपसे सत्त्व है, और जिस स्वरूपसे असत्त्व है, उन धर्मोंमें भी पुनः कथंचित् सत्त्व, असत्त्वके स्वीकार करते संते भी विग्राम नहीं मिलेगा । उत्तर उत्तर धर्मोंमें अनेकान्तकी फलपना बढ़ती बढ़ती चली जानेसे अनवस्था दोष हो जायगा । तथा उक्त दोषोंके पढ जानेसे उपलब्ध नहीं होनेके कारण अनेकान्त की प्रतिपत्ति नहीं हो सकती है । जिसकी अप्रतिपत्ति है, उसका अभाव मान लिया जाता है । आचार्य कहते हैं कि सर्वथा अस्तित्व या नास्तित्व अथवा भेद या अमेद इत्यादि धर्मोंके मानने वाले एकान्तवादियोंके यहां ये दोष अवश्य आते हैं । किन्तु एक धर्मोंमें स्पास्कार द्वारा कथंचित् अस्तित्व, नास्तित्व आदि अनेक धर्मोंके माननेपर कोई दोष नहीं आ पाता है । देखिये ! कुछ अंधकार कुछ प्रकाश होनेके अवसरपर ऊर्ध्वतामात्र सामान्य धर्मको अवलम्ब लेकर विशेष धर्मकी अनुपलब्धि होनेसे स्थाणु या पुरुष का संशय उपज जाता है । किन्तु अनेकान्तवादमें तो विशेष धर्मोंकी उपलब्धि हो रही है । स्वचतुष्टयसे वस्तुमें अस्तित्व और परचतुष्टयसे नास्तित्व ये दोनों धर्म एकत्र स्पष्ट दीख रहे हैं । वस्तुमें अस्तित्व ही माना जाय और नास्तित्व नहीं माना जाय तो वस्तु सर्व आत्मक हो जायगी तथा वस्तुमें नास्तित्व ही माना जाय अस्तित्व नहीं माना जाय तो लाभ नहीं करती हुयी वस्तु खरविषाणके समान शून्य बन बैठेगी । नैयायिकोंने भी पृथिवीत्व नामक सामान्य विशेषमें सत्त्व या द्रव्यत्वकी अपेक्षा विशेषपना और घटत्व, पटावकी, अपेक्षा सामान्यपना स्वीकार किया है । अतः प्रतीयमान अनेकान्तमें चञ्चितप्रतिपत्ति नहीं होनेसे संशय दोष नहीं आता है । निर्णय हो चुके में संशय सडाना युक्त नहीं है । अविरोध अनेक कोटियोंको स्पर्शनेवाला ज्ञान संशय नहीं होता है । जैसे आत्मा ज्ञानवान् है, सुखी है इसी प्रकार सामान्य विशेष आत्मक वस्तुओंकी प्रतीति हो रही होनेसे संशय दोष बाढात्र भी प्राप्त नहीं होता है । वस्तुका अनेक धर्मोंके साथ तदात्मकपना माननेपर दूसरा विरोध दोष भी नहीं आपाता है । विरोध तो अनुपलब्धिसे साधा जाता है । उष्ण स्पर्शवान्के आज्ञनेपर शीतस्पर्शका अनुपलब्ध हो जाता है । अतः शीतस्पर्श और उष्णस्पर्शका विरोध गढ लिया जाता है । किन्तु यहां अनेकान्तात्मक वस्तुमें जब विरोध सदृश दीख रहे अस्तित्व नास्तित्व, भेद अमेद, आदि धर्मोंका युगपत् उपलब्ध हो रहा है,

ऐसी दशामें वषपचातकभाव, सहामवस्थान ये दो विरोध कैसे भी नहीं आते हैं । परस्पर परिहाराव-  
स्थिति स्वरूप विरोध तो अनेकात्मक वस्तुको ही अधिकतया पुष्ट करता है । एक धर्ममें अनेक  
धर्मोंके साथ रहनेपर ही परस्परमें एक दूसरेका परिहार करते हुये विरोधपना रहना रक्षित हो पाता  
है । जो ही पहिळा उत्तम संहनन शुक्रग्यान द्वारा मोक्षका हेतु है, यही तीव्र रौद्रभ्यान द्वारा  
सतम नरकका कारण बन बैठता है । बौद्धोंने श्रापक हेतुमें पक्षवृत्तित्व, सपक्षवृत्तित्व, विपक्षावृत्तित्व  
ये तीनों धर्म युगपत् स्वीकार किये हैं । पर्वतो बन्दिमान् धूमात् यहाँ नैयायिकोंने धूम हेतुमें अन्व-  
यव्याप्ति, व्यतिरेकव्याप्ति ये दोनों प्रतिशन्ध युगपत् अर्भाष्ट किये हैं । विरोधक पदार्थकी ओरसे  
विरोध्य अर्थमें प्राप्त हो रहा विरोध तो सुलभतासे अनेकान्त मतको पुष्ट कर देता है । तीसरा वैय-  
धिकरण्य दोष भी अनेकान्तसिद्धिका प्रतिषेधक नहीं है । जब कि प्राधारहित ज्ञानमें भेद, अभेद,  
अथवा सत्त्व, अरुत्त्व, धर्मोंकी एक आचारमें वृत्तिपने करके प्रतीति हो रही है । अतः विभिन्न  
धर्मोंका अधिकरण भी विभिन्न होगा वह वैयधिकरण्य दोष अनेकान्तमें लागू नहीं होता है । चेतन  
आराममें रूपका रहना जड पुद्गलमें ज्ञानका ठहरना माननेपर रूप और ज्ञानका वैयधिकरण्य दोष  
समुचित है । किन्तु एक अग्निमें टाहकत्व, पाचकत्व, शोषकपन, स्फोटकत्व ( चर्मपर फटक ठठा  
देना ) ये अनेक धर्म युगपत् एकाग्र्यमें प्रतीति हो रहे हैं । अतः वैयधिकरण्य  
दोषकी अनेकान्तमें सम्भावना नहीं है । जोया लभ्यदोष भी प्राप्त नहीं होता है । क्योंकि परस्पर  
एक दूसरेकी नहीं अपेक्षा रखनेवाले भेद, अभेद, अथवा अस्तित्व, नास्तित्व, दोनों धर्मोंका  
समुभ्रा या खिचडीके समान एकपना हम जैन स्वीकार नहीं करते हैं । किन्तु दही गुरुको मिठाकर  
नये उपजे तीसरे स्वादके समान या इक्षुडी चूनाको मिठाकर हुये तीसरे रंगके समान अनेकान्त आत्मक  
वस्तुकी जाति ग्यारी है । जैनोंके यहाँ एक धर्ममें ठहरे हुये अनेक धर्म परस्पर सापेक्ष माने गये  
हैं । नीली, हरी, लाल, पीली, अनेक कान्तियोंको धारनेवाले मेघक रत्नमें कोई उभय दोषकी  
सम्भावना नहीं है । बढिया खोर कभी परखीको गुरी दृष्टिसे नहीं देखता है । लच्छा बाजू (गुरुका  
सिखाया हुआ प्रशंशनीय बाजू ) माता, बहिन, कहकर खियोसे बखामूपण छीन लेता है । किन्तु  
उनके साथ रागवेष्टा नहीं करता है । तथा परदारसेवी ( लुब्धा ) पुरुष परखियोंके साथ काम भेटा  
भङ्गे ही करे, किन्तु उनके गहनों, कपड़ोंका अपहरण नहीं करता है । भङ्गे ही वह भूँका मर जायगा ।  
किन्तु दान देने योग्य खियोंके द्रव्यका अपहरण नहीं करता है । हाँ, कोई लच्छा खोर या जघन्य  
न्यभिचारी भङ्गे ही दोनों कार्योंको करता हुआ उभय दोषका मार्गी हो जाय । किन्तु जो व्रतो  
मनुष्य है, वह परदारसेवन या चोरी उभय ( दोषों ) से रहित है । इही प्रकार अनेक धर्मार्थक  
वस्तु उभयदोषरहित तिष्ठ प्रकार प्रतीत हो रही हैं । बौद्धों द्वारा माने गये एक चित्रज्ञानमें  
मीठ, पीत आदि अनेक जाकार उभयरूप नहीं होते हुये सुखपूर्वक विमाम से रहे हैं । पाँचवा  
दोष संकर भी अनेकान्तार्थक वस्तुमें नहीं लगता है । गर्भ और षोडशके संयोगसे उत्पन्न हुये

खिचरके समान सांकर्य दोष यहाँ संभवनीय नहीं है। प्रतीयमान हो रहे पदार्थमें यदि सांकर्य हो भी जाय तो वह दोष नहीं माना जाकर गुण ही समझा जायगा। एक हायका पाँच अंगुलियोंमें छोटापन बड़ापन कोई दोष नहीं है। जब कि वह एकका छोटापन दूसरीका बड़ापन आँखोंमें बडामारी दोष समझा जाता है। दोष भी कचित् गुण हो जाते हैं। पाँचोंका अधिक बड़ा होना दोष है। सिरका समुचित बड़ापना लोकमें गुण माना गया है। बात यह है, एक आरमा धर्मोंमें कर्त्तापन, मोक्षापन, मरना, जन्म लेना, हिंसकपना, दातापन, एक विषयोका ज्ञातापन, अन्य विषयका अज्ञान आदिक अनेक धर्म असंकीर्ण होकर ठहर रहे हैं। वस्तुका धर्मोंके साथ कदांचिद् भेद, अभेद, माननेपर कथमपि सांकर्य दोषकी सम्भावना नहीं है। एक ही समयमें घटका नाश मुकुटका उत्पाद और सुवर्णकी स्थिति ये तीनों उत्पाद, व्यय, ध्रुव्य तदारम्भ होकर वस्तुमें प्रतीत होते हैं। तथा छद्मा दोष व्यतिकर भी अनेकान्तमें नहीं प्राप्त होता है। भिन्न भिन्न धर्मोंके अन्वेषेदक स्वरूप स्थभाव इस वस्तुमें न्यारे न्यारे नियत हैं। एक देवदत्तमें नाना व्यक्तियोंकी अपेक्षा पितापन, भ्रातापन, भतीजापन, मानजापन आदिक धर्म व्यतिकररहित प्रतीत हो रहे हैं। महारोगीको एक रसायन उचित मात्रामें दी गयीं नीरोग कर सकती है। बड़ी रसायन यदि नीरोग पुरुषके उपयोगमें आ जाय तो उष्णताको बढ़ाकर उस पुरुषके प्राण छे सकती है। विशेष निष किंसीको मारनेकी शक्ति रखता है। साथ ही वह चिर कुष्ठरोगको दूर भी कर सकता है। दारमें जडे हुये न्यारे न्यारे रत्नोंके समान अनेक धर्म भी देश, काञ्चका भेद नहीं रखते हुये वस्तुमें अक्षुण्ण विराज रहे हैं। तथा अनवस्था दोष होनेका भी प्रसंग नहीं है। क्योंकि हम जैन एक धर्मोंको अनेक धर्म आत्मिक स्वीकार करते हैं। पुनः धर्मोंमेंसे एक एक धर्मको अनेक धर्मात्मक नहीं मानते हैं। धर्मोंमें अन्य धर्मोंका सद्भाव नहीं है। वृक्षमें शाखायें पुष्प फल हैं। शाखाओंमें दूसरी जैसे ही शाखायें या फलोंमें दूसरे फल तथा फूलोंमें दूसरे फल वर्त रहे नहीं माने गये हैं। एक ज्ञानमें वेष वेदक और विधि तिन अंश हैं। उन उन एक एक अंशमें पुनः तीन तीन अंश नहीं हैं। भिसे कि अनवस्था हो सके। वस्तु अमिन्न ही है। धर्म न्यारे न्यारे ही हैं, ऐसी दशामें अनवस्था प्राप्त नहीं होती है। शरीरमें अवस्थित रहना हड्डीका गुण है। और अनवस्थित रहना अस्थिका दोष है। किन्तु रक्तका अवस्थित रहना दोष है। अनवस्था गुण है। बीज, अंकुर, मुर्गी, अण्डा, आदिकी धाराके समान क्वचित् अनवस्था गुण भी हो जाता है। “मूलक्षतिकरीमाह्वरनवस्था हि दूषणं” जड मूलको नष्ट करनेवाली अनवस्था दूषण है। वस्तुके अनादि अनन्तपनको या अनेकान्तपनको पुष्ट कर रही अनवस्था तो भूषण है। धर्मोंमें पुनः धर्म और उनमें भी पुनः तीसरे धर्म माननेपर अनवस्था हो सकती थी। अन्वया नहीं। अप्रतिपत्ति और अभाव दोष तो कथमपि नहीं सम्भवते हैं। जब कि सम्पूर्ण प्राणियोंको विषमान अनेक धर्मात्मक एक अर्थका स्पष्ट अनुभव हो रहा है। जगत्में अनेकान्तात्मक वस्तुका दर्शन इतन

सुखम हो गया है, जितना कि अपने हाथमें पाँचों अंगुलियोंका दीखना है। अतः अनेकान्तमें दोष उठाना अपनी विचारशास्त्रिणी बुद्धिमें दूषण उठाना है। इन आठ, नौ, प्रत्यवस्थानोंके अतिरिक्त भी चक्रक अन्योन्याश्रय आदि इच्छानुसार दोषों करके भी अनेकान्तमें प्रतिषेध उठाना "मिथ्या उत्तर" होता हुआ जाति समझा जायगा। वस्तुतः इन दोषों करके अनेकान्तमें वाधा प्राप्त नहीं हो सकती है। "स्वस्मिन् स्वापेक्षवमात्माश्रयत्वं" स्वयं अपने लिये अपनी अपेक्षा बने रहना आत्माश्रय है। परस्परमें धारावाही रूपसे एक दूसरेकी अपेक्षा छागू रहना अन्योन्याश्रय है। पुनः पुनः घूमकर वही आजाना चक्रक है। अपने आत्मलाभमें स्वयं अपने आप व्यापार करना "स्वाम्नि क्रियाविरोध" है। इत्यादिक कोई भी दोष अनेकान्तमें नहीं प्राप्त होते हैं। यदि कथंचित् कोई दोष प्राप्त भी हो जाय तो वह गुणस्वरूप हो जायगा। वस्तुमें द्रव्यत्व धर्मकी व्यवस्था कभी अस्तित्व स्वभावकी अपेक्षासे करते हैं, और किसी दार्शनिकके प्रति अस्तित्व करके द्रव्यत्व समझाया जाता है। दोनोंमेंसे जिस एकको जो समझे हुये हैं, जाने हुये उससे दूसरे अज्ञात वर्मकी ज़िम्मे दारा दी जाती है। अस्तित्व, द्रव्यत्व दोनों धर्मोंकी नहीं जानने वाले पुरुषके लिये वस्तुत्व हेतु का प्रयोग कर दोनों धर्मोंकी प्रतीति करा दी जाती है। इस ढंगसे ज्ञापक पक्षमें कोई अन्योन्याश्रय नहीं है। हम जैन वस्तुके एक गुणसे दूसरे गुणकी उत्पत्ति होना स्वीकार नहीं करते हैं। जिससे कि कारक पक्षमें अन्योन्याश्रय दोष सम्भव हो सके। किन्हीं किन्हीं वस्तुके स्वभावोंको नियत करनेके लिये यदि अन्योन्याश्रय हो भी जाय तो भी कोई अनिष्टापत्ति नहीं है। जे पुरुष वस्तुमें दोष देनेके लिये बैठ जाते हैं, उनको यह भी विचारना चाहिये कि दोषोंमें भी अनेक दोष प्राप्त हो जाते हैं। अतः क्वचित् वे गुणका रूप धारण कर लेते हैं। देखिये! अपनी मोक्ष अपने आप प्रयत्न करनेसे होती है। समाचार पत्रोंमें विज्ञापन देनेवाले सच नहीं होते हैं, इस बातको विज्ञापन देकर समझानेसे आ रहा आत्माश्रय दोष अकिंचित्कर है। अन्योन्याश्रय दोषकी भी यही दशा है। दो छडकी एक दूसरेके अधीन होकर तिरछी खड़ी रहती हैं। सौझमें गर्मी शरीरकी गर्मीके अधीन है। और शरीरकी गर्मी छीडकी उष्णताके अधीन है। पतिपत्नी सम्बन्धमें स्त्रीकी कथंचित् स्वामिनी ही हो जाती है। माताका दुग्ध बढाना परसके अधीन है। और बच्चेकी बुद्धि मातृदुग्धके अधीन है। रस्तेपर खड़ा हुआ नट वासके अधीन है। और वास मटके अधीन है। रातको अकेले अकेले किसी स्थानपर जानेसे छात्रोंको डर लगता है। दोनोंको साथ जानेपर नहीं भय रहता है। यों ये अन्योन्याश्रय हो रहे कार्य दोषवान् कहने योग्य नहीं है। तथा आकाश स्वयंको अवकाश देता है। प्रदीप स्वयंको प्रकाशता है, ज्ञान आप ही स्वयंको जानता है। निष्कप नपसे सम्पूर्ण पदार्थ अपनेमें अपना परिणामन करते हैं। यही स्वात्मनि क्रियाविरोध कोई दोषाश्रय नहीं है। प्रायः सभी गृहस्थ सहोदर भगिनीका विवाह हो जानेपर किसी न किसीके साथे बन जाते हैं। इतमें दोषकी कौनसी बात है। अतः जैनोंके अनेकान्तमें उक्त दोष उठाना मिथ्या उत्तर है।

प्रत्यक्ष प्रमाणसे और अनेक युक्तियोंद्वारा अनेकान्त प्रसिद्ध हो रहा है। देवदत्त चढती हुई गाड़ीमें बैठा जा रहा है। यहाँ बैठना और जाना दोनों विरुद्ध सारिले हो रहे हैं। धर्म एक समय देवदत्तमें दखल रहे हैं। तभी तो चढती हुई गाड़ीसे गिर जानेपर दौबते हुये पुरुषके पतनके समान आय-धिक चोट लग जाती है। मीठे चिकने दूधमें मी खार है, तभी तो उससे खाँब स्वच्छकर दी जाती है। दूधमें मी खार भाग होनेसे आँखका कीचड़ उससे निकाल दिया जाता है। सुन्दर गहने, कपड़े या खाद्य पदार्थ सभी सम्पत्तियों का लक्षण अनुसार कूड़ा रूप हो जाती हैं। कूड़ा भी खातरूपसे ढाखों मग अन्न, फल, घास तरकारी आदिको उपभोगकर मशीत सम्पत्ति बन जाता है। सभी स्थान दूर देशवर्तीकी अपेक्षा दूर हैं और निकट देशवर्तीकी अपेक्षा समीप हैं। “अणोरणीयान् महतो महीयान् क्वोर्लंबीयान् पुरुतो गरीयान्” इस वैदिक वाक्यसे भी अनेकान्तकी पुष्टि होती है। नदीकी उरली पार भी पार ली पार और परलीपार मी उरली पार है। “ओस चाटनेसे प्यास नहीं बुझती है।” “दूधतेको तिनकेका सहारा जगडा है।” इन दोनों लौकिक परिभाषाओंका यथायोग्य उपयोग हो रहा है। इसी प्रकार “बिन नामे मोती मिठे मागे मिठे न मीख्” और “रोये ( मागे ) बिना माता मी बच्चोंको दूध नहीं पिघाती है।” इन दो लौकिक म्यायोंका मी समुचित सदुपयोग हो रहा है। सुंदर बंगाळी द्वारा सभी बंगाळियोंके झूठ बोलनेवाला ठहराने का विहापन करनेपर उसका अर्थ बंगाळी सब सब बोलनेवाले सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि सब बंगाळियोंको असत्यवक्ता कहनेवाला सुंदर मी तो बंगाळी है। मेरुकी प्रदक्षिणा देनेवाले सूर्यके उदय अनुसार पूर्व दिशाको नियत करनेवालोंके यहाँ सूर्यका उदय पश्चिम दिशामें हो जाता है। अग्नि, जल, कदाचित् यथाक्रमसे शीत उष्ण उत्सारक संभव जाते हैं। इन लौकिक युक्तियोंसे और असंख्य शास्त्रीय युक्तियोंसे प्रत्येक पदार्थमें अनेक धर्मोंका समग्र प्रसिद्ध हो रहा है। अतः अनेकान्तमें दोष उठाना सूर्यपर धूमकेके समान स्वयं दोष उठानेवाले पुरुषका दूषण बनकर मिथ्या उत्तर है। अतः प्रकरणमें यही कहना है कि श्री अकलंक देवके मत्तम्य अनुसार नैयायिकोंको जातिका लक्षण “मिथ्या उत्तर ही” स्वीकार कर लेना चाहिये। इसमें कोई अन्वयाति, अतिन्यासि दोष नहीं आते हैं।

न चैवं परलक्षणस्यान्यासिदोषाभाव इत्याह ।

जिस प्रकार श्री अकलंक देव द्वारा बनाये गये लक्षणमें कोई अन्वयाति दोष नहीं आता है, इसी प्रकार दूसरे नैयायिकों द्वारा माने गये साधर्म्य वैवर्म्य द्वारा प्रत्यक्षज्ञान देना इस लक्षणमें अन्वयाति दोषका अभाव है, यह नहीं कह सकते हैं। अर्थात्—नैयायिकों द्वारा किये गये जातिके लक्षणमें अन्वयाति दोष आता है। इसी बातको श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिक द्वारा कहते हैं।

परोक्तं पुनरव्याप्तं प्रोक्तेष्वेतेष्वसंभवात् ।

ततो न निग्रहस्थानं युक्तमेतदिति स्थितम् ॥ ७६१ ॥

दूसरे नैयायिक विद्वानों करके कहा गया जातिका लक्षण तो फिर अव्याप्ति दोष युक्त है । क्योंकि भले प्रकार कह दिये गये इन सार्कर्य, व्यतिकर, आदि-द्वारा दिये गये प्रत्यवस्थानोंमें लक्षण घटना होनेका असंभव है । तिस कारणसे अबतक यह व्यवस्थित हुआ कि तिस जातिका उरथापन करनेसे निग्रहस्थान देना उचित नहीं है । स्वपक्षसिद्धि और परपक्षनिराकरणसे ही दूसरेका निग्रह होना न्यायसंगत है । जो कि पहिले प्रकारणोंमें सिद्ध कर दिया गया है ।

परोक्तं पुनर्जातिसामान्यलक्षणमयुक्तमेव, संकन्यतिकरविरोधानवस्थावैयधिकरणयो-  
भयदोषसंशयाप्रतीत्यभावादिभिः प्रत्यवस्थानेषु तस्यासंभवात् । ततो न निग्रहस्थानमेतद्युक्तं  
तात्त्विके वादे, प्रतिज्ञाहान्यादिवच्छलवदसाधनांगदोषोद्भावनवधेति ।

दूसरे नैयायिकों द्वारा कहा गया जातिका लक्षण तो फिर अव्याप्तिदोष युक्त होनेसे अनुचित ही है । क्योंकि भले प्रकार कह दिये गये संकर, व्यतिकर, विरोध, अनवस्था, वैयधिकरण्य, उभय, दोष, संशय, अप्रतिपत्ति, समाव, सर्वका एकाधापादन आदि करके उठाये गये प्रत्यवस्थानोंमें जातिके उस लक्षणकी घटनाका असंभव है । तिस कारण तर्कोंका निर्णय करानेवाले वादमें उक्त प्रकारोंकी जाति द्वारा निग्रहस्थान हुआ, यह मानना समुचित नहीं है । जैसे कि प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर आदि करके निग्रहस्थान उठाना युक्त नहीं है । अथवा वाक्छल, सामान्यछल, उपचारछल इन छलोंका उरथान कर देनेसे किसीका निग्रह नहीं हो जाता है । तथा बौद्ध मत अनुसार साध्य साधक अंगोंका कथन नहीं करना वादीका और दोषोंका नहीं उठाना प्रतिवादीका निग्रहस्थान नहीं हो जाता है । प्रतिज्ञाहानि आदि और छल तथा असाधनांग वचन, अदोषोद्भावन, इन तीन दृष्टान्तोंसे जाति द्वारा निग्रह हो जानेका लण्डन कर दिया गया है । “ स्वपक्षसिद्धिरेकस्य निग्रहोऽभ्यस्य वादिनः ” परपक्ष निराकरण पूर्वक स्वपक्षको साध देना ही सम्य पुरुषोंमें दूसरेका निग्रह हो जाना माना जाता है । यहातक “ असाधनाङ्गवचनमदोषोद्भावनं द्रयोः न युक्तं निग्रहस्थानं संवाहान्यादिवचनतः ” इस पूर्वमें कही जा चुंकी कारिकाका उपसंहार कर दिया गया है ।

तथा च तात्त्विको वादः स्वैष्टसिध्यवसानभाक् ।

पक्षेयत्तात्वयुक्तैव नियमानुपपत्तितः ॥ ४६२ ॥

और तिस प्रकार व्यवस्था करनेपर तर्कोंको विषय करनेवाला वाद अपने अभीष्ट सिद्धिके पर्यन्तको धारनेवाला है । जगत्में अनेक वादी प्रतिवादियोंके विवादापल हो रहे पक्ष असंख्य है ।



दश, सौ, सहस्र या लक्ष इतने पक्ष हैं, इत्यादिक रूपसे इन पक्षोंका यह नियत परिमाण करना अपुक्त ही है। क्योंकि संख्याका परिमाण करनेके नियमकी अस्तिद्धि है। अतः उसी अवसरपर प्रकरण प्राप्त हो रहे एक ही पक्षकी सिद्धि कर देने पर्यन्त तार्थिक शास्त्रार्थ होता है। “स्वप्नसिद्धिपर्यन्ता शास्त्रीयार्थविचारणा” कहा गया था। इसीमें “तत्रेह तार्थिके वादेऽकलंकैः कथितो जयः, स्वप्नसिद्धिरेकस्य निग्रहोऽन्यस्य वादिनः” यह जयपराजयव्यवस्थाका अकलंक सिद्धान्त निर्णीत किया जा चुका है।

एवं तावत्तार्थिको वादः स्वाभिप्रेतपक्षसिद्धिपर्यन्तभावावस्थितः पक्षेयत्तायाः कर्तु-  
मशक्तेर्निपमानुपपत्तितश्च न सकलपक्षसिद्धिपर्यन्तः कस्यचिज्जयोः व्यवस्थितः ।

मिस प्रकार विवादप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिपर लौकिक वाद ( झगडा ) प्रवर्तता है, इसी प्रकार तत्त्वनिर्णयसम्बन्धी वाद भी तो अपने अभीष्ट पक्षकी सिद्धिका पर्यन्त होनेतक व्यवस्थित हो रहा है। कोई नियम बना हुआ नहीं होनेसे पक्षोंकी इयत्ताका निर्णय नहीं किया जा सकता है, शब्द नियत है ? यो अनियत है ? व्यापक है, या अव्यापक ? एक है ? या अनेक है ? शब्द आकाश का गुण है ? या बौद्धिक है ? जलकी लहरोंके समान चारों ओर फैलता है ? अथवा क्या कदम्ब-पुष्प या धतूर पुष्पके समान शब्दका प्रसार होता है ? अनादिकाडीन योग्यता द्वारा अर्थ प्रतिपादक है ? अथवा क्या सादिकाडीन योग्यतावश वाच्यार्थप्रतिपादक है ? इत्यादिक विवादास्पद अनेक पक्ष सम्भव रहे हैं। इनमेंसे विचारणीय प्रकरण प्राप्त किसी एक पक्षकी सिद्धि हो जाने पर्यन्त ही किसी सिद्धान्त का जय और अन्य पुरुषका पराजय व्यवस्थित कर दिया जाता है। सम्पूर्ण पक्षोंकी सिद्धि कर चुके तद्द्वारा किसीका जय होय, यह व्यवस्था नहीं की गयी है। यद्द्वारा महापण्डित श्रीदत्तके “जन्मनिर्णय” नामक ग्रन्थ अनुसार और श्री अकलंकदेव महाराजके सिद्धान्त अनुसार श्री विद्यानन्द आचार्य अभिमानप्रयुक्त हुये तार्थिक वादके प्रकरणका उपसंहार कर चुके हैं।

सांप्रतं प्रातिभे वादे निग्रहव्यवस्थां दर्शयति ।

अब त्रिगीणु वादीप्रतिवादीद्वयोंमें प्रवर्त रहे प्रतिमाबुद्धि सम्बन्धी वादमें होनेवाली निग्रह-  
व्यवस्थाको श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिकोंद्वारा दिखलाते हैं। प्रतिभाद्वारा जान लिये गये पदार्थोंमें होनेवाला शास्त्रार्थ “प्रातिभवाद” होता है। साहित्यवालोंने तो प्रतिभाका छक्षण यों किया है कि “प्रसन्नपदनव्यार्थयुक्त्युद्बोधविधायिनी, स्फूर्ता सत्केशुद्धिः प्रतिभा सर्वतोमुखी” प्रसाद-  
गुणयुक्त पदोंद्वारा नवीन अर्थोंकी योजनाके प्रबोधका विधान करानेवाली श्रेष्ठ कविकी बुद्धि प्रतिभा है। उस प्रतिभाका प्राकट्य दिखलानेके लिये हुये शास्त्रार्थमें निग्रहकी व्यवस्था इस प्रकार है, सो सुनिये।

यस्तूक्तः प्रातिभो वादः संप्रातिभपरीक्षणः ।

निग्रहस्तत्र विज्ञेयः स्वप्रतिज्ञाव्यतिक्रमः ॥ ४६३ ॥

प्रतिमासम्बन्धी चातुर्यकी भले प्रकार परीक्षा करनेवाला तो जो वाद प्रातिभ कहा गया है । उस प्रतिभागोचर वादमें अपनी की गयी प्रतिज्ञाका उल्लंघन कर देना निग्रह हुआ समझ लेना चाहिये ।

यथा पद्यं मया वाच्यमाप्रस्तुतविनिश्चयात् ।

सालंकारं तथा गद्यमस्खलद्रूपमित्यपि ॥ ४६४ ॥

पंचावयववाक्यं वा त्रिरूपं वान्यथापि वा ।

निर्दोषमिति वा संधास्थलभेदं मयोद्यते ॥ ४६५ ॥

यथा संगरहान्यादिनिग्रहस्थानतोप्यसौ ।

छलोक्त्या जातिवाच्यत्वात्तथा संधाव्यतिक्रमा ॥ ४६६ ॥

यथा द्यूतविशेषादौ स्वप्रतिज्ञाक्षतेर्जयः ।

लोके तथैव शास्त्रेषु वादे प्रातिभगोचरे ॥ ४६७ ॥

प्रतिभ शास्त्रार्थके पहिले यह प्रतिज्ञा कर ली जाती है कि जिस प्रकारका पद्य, इन्द्रवज्रा, लपेन्द्रवज्रा शिखरिणी आदि छन्द प्रस्ताव प्राप्त अर्थका विशेष निश्चय होनेतक मुझ करके कहने योग्य हैं, उसी प्रकार अलंकारसहित छन्द तुमको भी कहने दोगे । तथा जिस प्रकार मैं अस्खलित स्वरूप धारावाही रूपसे ध्वनि, लक्षणा, व्यंजना, रस, रीति, अलंकार आदिसे युक्त हो रहे गयको कहूंगा, इसी प्रकार तुमको भी वैसा गद्य कहना पड़ेगा । अथवा प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इन पांच अवयव युक्त वाक्योंको मैं कहूंगा, वैसे ही तुमको भी अनुमानवाक्य कहने पड़ेंगे अथवा पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व, विपक्षव्यावृत्ति इन तीन रूपवाले हेतुके वाक्योंको जैसे मैं कहूँ, उसी प्रकार तुमको भी वैसा हेतु कहना चाहिये अथवा जैसे दूसरे प्रकारोंसे दीपरहित प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, स्वरूप वाक्य मुझ करके कहे जाय, उसी प्रकार प्रतिज्ञावाक्य स्वयंके भेदको लिये हुये निर्दोष वाक्य तुमको कहने पड़ेंगे । जिस प्रकार कि प्रतिज्ञाहानि आदि निग्रहस्यागोसे भी यह निग्रह माना जाता है, अथवा छळ पूर्वक कथन करनेसे या जातिद्वारा वाच्यता प्राप्त हो जानेसे निग्रह प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार अपनी की गयी प्रतिज्ञाका व्यतिक्रमण कर देनेसे भी निग्रह हो जायेगा । जिस प्रकार कि लोकमें द्यूतविशेष (जन्म) फाटिका, सदा आदिमें अपनी ठहरी हुई

मिठाकर उसका सुधार कर दिया है। नैयायिकोंके जल्प और वितण्डा तो तत्त्वका निर्णय नहीं कर सकते हैं। वितण्डावादीका तो स्वयं गठका कोई पक्ष होता ही नहीं है। वह तो परपक्षका निराकरण ही करता रहता है। इस प्रकरणमें नैयायिकोंको बहुत बड़ी मुँहकी खानी पड़ी है। जल्प और वितण्डाद्वारा तत्त्वोंके निश्चयका संरक्षण मानना नैयायिकोंकी नीतिका नम्रदुर्त्य है। बोझा ले जानेवाले छिनरा चोड़ा पुरुषोंको ही उसमें बैठी हुई सुन्दरी सालंकारा युवतिका रक्षा-भार सौंपना भारी मूख है। दूमरोंको चुप करने मात्रमें प्रवर्त रहे जल्प वितण्डा, वादियोंद्वारा तत्त्वार्थवत्साय नहीं हो पाता है। जहां दूसरोंके निमग्न करनेके लिये सतत प्रयत्न किया जाता है, छल और जातियोंका उपायन किया जाता है, वहां तत्त्वनिर्णय की रक्षा नहीं हो सकती है। इसका अच्छा विचार किया गया है। वादी, प्रतिवादी, सम्प्र, समापति इनकी सामर्थ्यका प्रतिपादन कर उनकी स्थिति और कर्त्तव्योंका दिग्दर्शन करा दिया है। प्रतिपक्षके विघात का रक्षण कर अभिमान प्रयुक्त होनेवाले वादमें चारों अंगोंकी आवश्यकता बतलायी है। श्री दत्त महाराजके “जल्पनिर्णय” ग्रन्थका प्रमाण देते हुये अभिमानिकवादके तार्त्विक और प्रतिभ दो भेद किये हैं। तार्त्विक वादमें श्री अकलंक भगवानके कथनानुसार एकके स्वपक्षकी सिद्धिका होना दूसरे वादीका निमग्न हो जाना माना गया है। अपने पक्षकी सिद्धि होनेतक शास्त्रार्थ रुका रहता है। पश्चात् शास्त्रार्थका भंग कर दिया जाता है। यहां स्वपक्षका विचार कर उसकी सिद्धिका विवेचन किया है। वादीके पक्षकी मजे प्रकार सिद्धि हो जाना ही प्रतिवादीका निमग्न है। अथवा प्रतिवादीके पक्षकी निर्दोषसिद्धि हो जाना ही वादीका निमग्न है। बौद्धोंके माने हुये असाधनाङ्गवचन और अशोषोद्भावन तो वादी प्रतिवादियोंके निमग्नस्थान नहीं हैं। उक्त रूपसे निमग्नस्थान ठठानेपर गमरूपन आ जाता है। यहां बौद्धोंके आमग्नको निदत्तापूर्वक धर दवाया गया है। कई अंगोंसे किये गये असाधनाङ्गवचनके व्याख्यानोका प्रत्याख्यान कर दिया है। अशोषोद्भावनकी भी यही दशा हुई है। श्री विद्यानन्दी स्वामीका यह पाण्डित्य प्रशंसनीय है। बौद्धोंके इष्ट निमग्नस्थानोंके समान नैयायिकोंके निमग्नस्थानोंकी भी दुर्गति की गयी है। प्रातिज्ञाज्ञान आदिक निमग्नस्थान ठठाना भी सम्प्र पुरुषोंमें होनेवाला समाधिचिन व्यवहार नहीं है। वह असाण्डित्य या प्राप्तिगणनका प्रदर्शन मात्र है। साहित्यवाले कवि तो समी वचनोंमें “वक्रोक्तिः काव्यजायिते” अभीष्ट करते हैं। किन्तु शास्त्रिके अभिवाद्युक्त दार्शनिक पुरुष दूसरोंकी निन्दा, तिरस्कार, निमग्नव्यवस्था करनेमें साक्षात् अभिष्ट वचनोंके कथनके लिये संकोच करते हैं। रहस्य यह है कि अन्तमें समी विचारशीलोंको सामिमानिक वादका परित्याग कर वीतरागोंमें होनेवाले सम्वाद द्वारा तत्त्वनिर्णयकी शरण पकड़ना आवश्यक पड़ जाता है। एक धर्मशास्त्र या रेखगाहीमें आश्रय लेनेवाले यात्रियोंको परिशेषमें प्रेम सद्भाव अथवा शाश्वतशान्तिकी प्राप्ति करना अपरिहार्य है, तो प्रथमसे ही तदनुकूल व्यवहार अक्षुण्ण बना रहे यही सर्वोत्तम मार्ग है। हा, निर्दोष स्वपक्षका प्रहण नहीं करनेवाले आम्ही पुरुषकी

कुसित मार्गसे परावृत्ति करानेके लिये भीठे तिरस्कारोंका अवलम्ब लेना आवश्यक पड़ जाता है । हम तो उसको भी एक गहन्य पदका प्रहण करना समझते हैं । अतः नैयायिकोंका यदि तत्त्व निर्णयकी संरक्षण करना लक्ष्य है, तो परस्पर एक दूसरेको प्रतिज्ञाहानि आदि द्वारा निग्रहस्थान प्राप्त करा देनेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये । इसके पश्चात् श्री विद्यानन्द स्वामीने नैयायिकों द्वारा माने गये प्रतिज्ञाहानि आदि निग्रहस्थानोंका विचार किया है । निग्रहस्थानका सामान्य लक्षण विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति ही करना ठाँक नहीं दीखता है । इसमें अतिव्याप्ति दोष है तथा प्रतिज्ञाहानि आदिकके विशेष लक्षण भी परीक्षा करनेपर सुचटित नहीं बैठते हैं । प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञाविरोध और प्रतिज्ञासंन्यास इनमें अल्प अन्तर होनेसे मूढभेद करके मित्र मित्र कथन करना उचित नहीं है । प्रतिज्ञाहानि या प्रतिज्ञान्तर करनेके जो कारण नियत किये हैं, उनसे न्यारे अन्य कारणोंसे भी प्रतिज्ञाहानि आदि होना सम्भव जाता है । इनके अनुचितपनका प्रत्यकारने स्वयं निर्देश किया है । जिस प्रकार हेत्वन्तर न्यारा निग्रहस्थान माना है, उसी प्रकार दृष्टान्तान्तर उपनयान्तर भी न्यारे निग्रहस्थान मान लेने चाहिये । स्वपक्षसिद्धि कर देनेपर अर्थान्तरका कथन करना वादीका निग्रह नहीं हो सकता है । अपने कार्यको पूरा कर मछे ही कोई नाचे तो भी वह दोषास्पद नहीं है । वर्णक्रम निर्देशके समान निरर्थकको यदि निग्रहस्थान माना जाय तो वादके अनुपयोगी हो रही खखारना, हाय फट करना आदि क्रियायें भी निग्रहेतु बम बैठेंगी । अविज्ञातार्थ भी विचारनेपर निग्रह हेतु नहीं है । निरर्थकसे इसका भेद करना अनुचित है । पूर्णपरका सम्बन्ध नहीं होनेसे अपार्थकका स्वीकार किया जाना भी निरर्थकसे पृथक् नहीं होना चाहिये । यहाँ वर्ण निरर्थक हैं । यहाँ पद निरर्थक है । अन्यथा वाक्य निरर्थकको न्यारा निग्रहस्थान मानना पडेगा, जैसे कि छोटी लडकियाँ यों कह कर हाथोंपर क्रमवार अड्डुली रखती हुई खेला करती हैं कि “अटकन बटकन दही चटाके, वर फूले बैरागिन सागिन, तुर्गको फूळ मकोईको डंका, जाडंका मैं सूआ सुपारी, उठोराय सुम देख नगारी उण्डी खुंडी टूट पडी मुरगण्डी ” इत्यादिक अनेक वाक्य पूर्वापर सम्बन्धरहित हैं । अप्राप्तकाल तो कथमपि निग्रहस्थान नहीं हो सकता है । जो प्रकाण्ड विद्वत्ताका समर्थक है, वह उसका विघातक नहीं है । संस्कृत शब्दसे पुण्य और असंस्कृत शब्दके उच्चारणसे पाप होता है ऐसा नियम मानना अनुचित है । यदि आत्मामें विशुद्धि है तो सभी शुद्ध अशुद्ध शब्द बोलना पुण्यहेतु है । आत्मामें संश्लेशका कारण उपस्थित होनेपर पापास्त्र होता है । हानि और अधिक ये दो निग्रहस्थान भी ठीक नहीं हैं । प्रतिपाद्यके अनुसार अनुमान वाक्यका प्रयोग किया जाता है । कहीं केवल हेतुका प्रयोग कर देनेसे ही साध्यसिद्धि हो जाती है । और कहीं प्रतिपत्ति दृढ करनेके लिये दो हेतु दो दृष्टान्त भी कह दिये जाते हैं । प्रमाणसंग्रह मननेवालेके यहाँ कोई दोष नहीं आता है । पुनरुक्तोंमें अर्थपुनरुक्त ही मानना ठीक है, जो कि निरर्थकमें ही गतार्थ हो सकता है । सच पछो तो यह पुनरुक्त भी कोई भारी दोष नहीं है । उद्देश, लक्षण, और परीक्षाओंके अयसरोपर एक

प्रतिज्ञाकी क्षति हो जानेसे दूसरे वादीका जय हो जाता है, तिस ही प्रकार शास्त्रोंमें भी प्रतिभाप्राप्त पदार्थको विषय करनेवाले वादमें अपनी प्रतिज्ञाकी हानि कर देनेसे पराजय और दूसरेकी जीत हो जाती है।

**द्विप्रकारस्ततो जल्पस्तत्त्वप्रातिभगोचरात् ।**

**नान्यभेदप्रतिष्ठानं प्रक्रियामात्रघोषणात् ॥ ४६८ ॥**

तिस कारण पूर्वमें कही गयी " द्विप्रकारं जगौ जल्पं तत्त्वप्रातिभगोचरम्, त्रिपट्टेर्वादिना जेता श्रीदत्तो जल्पनिर्णये " इस कारिकाके अनुसार तत्त्व और प्रतिभामें प्राप्त हो रहे पदार्थको विषय करनेवाला होनेसे जल्प नामका शास्त्रार्थ दो प्रकारका ही है। न्यारे-न्यारे प्रकारों करके केवल क्रियाको घोषणा कर देने मात्रसे अन्य भेदोंकी प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है। अर्थात्—“ ययोक्तोपपन्न-श्लज्जातिनिप्रहृष्टानसाधनोपाद्यम्भो जल्पः ” यह नैयायिकोंका किया हुआ जल्पका लक्षण ठाँक नहीं पडता है। तात्त्विक और प्रातिभ दो ही प्रकारका जल्प यथार्थ है।

**सोऽयं जिगीषुवोधाय वादन्यायः सता मतः ।**

**प्रकर्तव्यो ब्रुवाणेन नयवाक्यैर्यथोदितैः ॥ ४६८ ॥**

अब श्रीविद्यानन्द आचार्य प्रारम्भ किये गये तत्त्वार्थाधिगमप्रकरणका उपसंहार करते हैं कि यह उक्त प्रकारका कहा गया न्यायपूर्वक वाद तो जीतनेकी इच्छा रखनेवाले विद्वानोंके प्रबोधके लिये सज्जन पुरुषोंके द्वारा मान्य हो चुका है। सर्वज्ञकी आश्रया अनुसार यथायोग्य पूर्वमें कह दिये गये नयप्रतिपादक वाक्यों द्वारा कथन कर रहे विद्वान् करके यह जल्पस्वरूप शास्त्रार्थ भले प्रकार करना चाहिये, तभी स्वपक्षसिद्धि और परपक्ष निराकरण कर देनेसे श्री अकलंक महाराजके कथनानुसार जय व्यवस्था प्राप्त हो सकेगी। यहातक श्री विद्यानन्द आचार्यने नय प्रतिपादक सूत्रका विवरण करते हुये नय और नय वाक्योंकी प्रवृत्ति तथा तत्त्वार्थाधिगम भेद इन प्रकरणोंकी संगति जोड़ दी है।

एवं प्रपंचेन प्रथमाध्यायं व्याख्याय संगृह्यन्नाह ।

इस प्रकार परिपूर्ण विद्वत्तापूर्वक अधिक विस्तार करके प्रथम अध्यायका व्याख्यान कर इस प्रथम अध्यायमें कहे गये मूलतत्त्वोंका संग्रह करते हुये श्री विद्यानन्द आचार्य शिलरिणी-छन्दको कह रहे हैं।

**समुद्दिष्टो मार्गस्त्रिवपुरभवत्वस्य नियमा— ।**

**द्विनिर्दिष्टा दृष्टिर्निखिलविधिना ज्ञानममलम् ।**

**प्रमाणं संक्षेपाद्विविधनयसंपन्नं मुनिना ।**

**सुगृह्याद्येऽध्यायेऽधिगमनपयः स्वान्यविषयः ॥ ४७० ॥**

नमस्करणीय आचार्योंके भी अमित्र-दनीय श्री उमास्वामी मुनि महाराजने इस प्रथम अध्यायमें सबसे पहिले संसारहितपन यानी मोक्षका मार्ग नियमसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, इन तीनस्वरूप शरीरको धारनेवाळा मळे प्रकार कइ है। पश्चात् शब्दगिरिकृत्तद्वारा अमोक्ष अर्थको प्राप्ति नहीं होनेसे दो प्रकार सम्पूर्ण भेदोंके साथ सम्यग्दर्शनका विशेष रूपसे निर्देश ( लक्षण ) किया है। उसके पीछे निर्दोष ज्ञानको प्रमाण कहते हुये सम्पूर्ण भेद प्रभेदोंके साथ सक्षेपसे सम्यग्ज्ञानका विधिपूर्वक निरूपण किया है। तथा उसके अनन्तर संक्षेपसे द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ दो प्रकारकी नय सम्पत्तिका विस्तारसे सात प्रकार प्ररूपण किया है। इस प्रकार आदिके अध्यायमें रत्नत्रय और प्रमाण नयोंका मळे प्रकार प्रहण कर सूत्रण किया है। जगत्में समीचीन ज्ञप्ति करानेका मार्ग स्वयंको और उसी समय अन्यको विषय करनेवाळा प्रमाण ज्ञान ही है। अथवा व चचरण श्री उमास्वामी महाराज द्वारा प्रतिपादित किया गया रत्नत्रय स्व और अय पुरुषोंमें ज्ञप्ति करानेवा मार्गभूत होवे, इस प्रकार श्री विद्यानन्द आचार्य आशीर्वादवचन या वस्तुनिर्देश आत्मक मंगलाचरण करते हैं। “आदौ मध्येऽवसाने च मंगल मापितं बुधैः। तज्जिनेन्द्रगुणस्तोत्र तदधिष्णप्रसिद्धये” इस नियमके अनुसार अन्तमें या मध्यमें मंगलाचारण किया जाता है। रत्नत्रय और प्रमाण मंगलस्वरूप हैं।

इति प्रथमाध्यायस्य पचममार्गिकं समाप्तम् ॥ ५ ॥

इस प्रकार पहिले अध्यायका श्री विद्यानन्द स्वामी द्वारा निर्माण किया गया

पांचवा आधिक ( प्रकरणसमुदाय ) समाप्त हुआ।

## इस प्रकरणका सारांश।

इस तत्त्वार्थाधिगमके प्रकरणोंकी सूची संक्षेपसे इस प्रकार है कि नयोंका व्याख्यान करते हुये विद्वानोंके लिये नय वाक्यकी प्रवृत्तिको समझाकर अधिगमके उपायमूलक प्रमाण नयोंका व्याख्यान पूर्व सूत्रोंमें कर दिया गया था। यहाँ तत्त्वोंका यथार्थनिर्णय करानेके लिये दुर्ग ( किलाके ) समान विशेष कथन किया है। ज्ञान आत्मक प्रमाण और नय तो अपने लिये होनेवाळे तत्त्वार्थाधिगमके उपयोगी हैं। तथा शब्द आत्मक हो रहे प्रमाण और नय तो दूसरोंको प्रबोध करानेके लिये उपयोगी हैं। रागद्वेषरहित वीतराग पुरुषोंमें जो वचनों द्वारा परार्थाधिगम कराया जाता है, वह संवादमाना जाता है। और जो परस्पर जीतनेकी झूठा रखनेवाळोंमें परार्थ अधिगम प्रवर्तता है, वह वाद कहा जाता है। सम्वादमें चतुरंगकी आवश्यकता नहीं है। किंतु वादमें वादी, प्रतिवादी, सम्य, समापति, इन चार अंगोंकी आवश्यकता पड जाती है। श्री विद्यानन्द आचार्यने उक्त चतुरंगके लक्षणोंका और आवश्यकताके बीजका निरूपण कर नैयायिकों द्वारा माने गये वीतरागोंमें होनेवाळे वादका प्रत्याख्यान किया है। नैयायिकोंके अभीष्ट हो रहे वादके लक्षणका विचार कर अपनी ओरसे कुछ विशेषणोंको

मिटाकर उसका सुधार कर दिया है। नैयायिकोंके जल्प और वितण्डा तो तत्त्वका निर्णय नहीं कर सकते हैं। वितण्डावादीका तो स्वयं गठका कोई पक्ष होता ही नहीं है। वह तो परपक्षका निराकरण ही करता रहता है। इस प्रकारमें नैयायिकोंको बहुत बड़ी मुंड़की खानी पडी है। जल्प और वितण्डाद्वारा तत्त्वोंके निश्चयका संरक्षण मानना नैयायिकोंकी नीतिका नमस्तत्त्व है। ढोखा ले जानेवाले छिनरा चोडा पुरुषोंको ही उसमें बैठा हुई सुन्दरी साठंकारा युवतिका रक्षा-भार सोंपना भागी मूछ है। दूसरोंको चुप करने मात्रमें प्रवर्त रहे जल्प वितण्डा, बादियोंद्वारा तत्त्वाप्यवसाय नहीं हो पाता है। जहां दूसरोंके निमग्न करनेके लिये सतत प्रयत्न किया जाता है, छठ और जातियोंका उत्पापन किया जाता है, वहां तत्त्वनिर्णय की रक्षा नहीं हो सकती है। इसका अच्छा विचार किया गया है। वादी, प्रतिवादी, सम्य, समापति इनकी सामर्थ्यका प्रतिपादन कर उनकी स्थिति और कर्तव्योंका दिग्दर्शन करा दिया है। प्रतिपक्षके विघात का लक्षण कर अभिमान प्रयुक्त होनेवाले वादमें चारों जंगोंकी आवश्यकता बतलायी है। श्री दत्त महाराजके " जल्पनिर्णय " ग्रन्थका प्रमाण देते हुये अभिमानिकवादके तात्त्विक और प्रातिम दो भेद किये हैं। तात्त्विक वादमें श्री अकलंक भगवानके कथनानुसार एकके स्वपक्षकी सिद्धिका होना दूसरे वादीका निमग्न हो जाना माना गया है। अपने पक्षकी सिद्धि होनेतक शस्त्रार्थ रुका रहता है। पश्चात् शस्त्रार्थका भंग कर दिया जाता है। यहां स्वपक्षका विचार कर उसकी सिद्धिका विवेचन किया है। वादीके पक्षकी मछे प्रकार सिद्धि हो जाना ही प्रतिवादीका निमग्न है। अथवा प्रतिवादीके पक्षकी निर्दोषसिद्धि हो जाना ही वादीका निमग्न है। बौद्धोंके माने हुये असाधनाङ्गवचन और अदोषोद्भावन तो वादी प्रतिवादियोंके निमग्नस्थान नहीं हैं। उक्त रूपसे निमग्नस्थान उठानेपर गमारूपन आ जाता है। यहां बौद्धोंके आमग्नको बिद्वत्पूर्वक धर दबाया गया है। कई जंगोंसे किये गये असाधनाङ्गवचनके व्याख्यानोका प्रत्याख्यान कर दिया है। अदोषोद्भावनकी भी यही दशा हुई है। श्री विद्यानन्दा स्वामीका यह पाण्डित्य प्रशंसनीय है। बौद्धोंके इह निमग्नस्थानोंके समान नैयायिकोंके निमग्नस्थानोंकी भी दुर्गति की गयी है। प्रतिज्ञाज्ञाने आदिक निमग्नस्थान उठाना भी सम्य पुरुषोंमें होनेवाला समाधान व्यवहार नहीं है। यह अपाण्डित्य या प्राणीयपनका प्रदर्शन मात्र है। साहित्यशास्त्रे कथि तो समीचचनोमें " वक्रोक्तिः काव्यजीवितं " अभीष्ट करते हैं। किन्तु शास्त्रिके अभिवाद्युक्त दार्शनिक पुरुष दूसरोंका निन्दा, तिरस्कार, निमग्नस्थपस्था करनेमें साक्षात् अभिष्ट पक्षनोंके कथनके लिये संकोच करते हैं। रहस्य यह है कि अन्तमें समी विचारशीलोंको धार्मिकानिक वादका परिव्याग कर वीतरागोंमें होनेवाले सम्वाद द्वारा तत्त्वनिर्णयकी शरण पकडना प्रावश्यक पड जाता है। एक धर्मज्ञाना या रेखगाहोंमें आश्रय लेनेवाले यात्रियोंको विशेषमें प्रेम सन्नाह अथवा शाश्वतशास्त्रिकी प्राप्ति करना अपरिहार्य है, तो प्रथमसे ही तदनुकूल व्यवहार अनुष्ण बना रहे यही सर्वोत्तम मार्ग है। हा, निर्दोष स्वपक्षका महण नहीं करनेवाले आम्ही पुरुषकी

कुक्षित मार्गसे पराङ्मति करामेके लिये मीठे तिरस्कारोंका अवलम्ब लेना आवश्यक पद जाता है । हम तो उसको भी एक गणन्य पदका ग्रहण करना समझते हैं । अतः नैयायिकोंका यदि तत्त्व निर्णयकी संरक्षण करना लक्ष्य है, तो परस्पर एक दूसरेको प्रतिज्ञाहानि आदि द्वारा निग्रहस्थान प्राप्त करा देनेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये । इसके पश्चात् श्री विद्यानन्द स्वामीने नैयायिकों द्वारा माने गये प्रतिज्ञाहानि आदि निग्रहस्थानोंका विचार किया है । निग्रहस्थानका सामान्य लक्षण विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति ही करना ठाक नहीं दीखता है । इसमें अतिव्यसि दोष है तथा प्रतिज्ञाहानि आदिकके विशेष लक्षण भी परीक्षा करनेपर सुत्रटित नहीं बैठते हैं । प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञाविरोध और प्रतिज्ञासंन्यास इनमें अव्यल्प अन्तर होनेसे मूढभेद करके मित्र मित्र कथन करना उचित नहीं है । प्रतिज्ञाहानि या प्रतिज्ञान्तर करमेके जो कारण नियत किये हैं, उनसे न्यारे अन्य कारणोंसे भी प्रतिज्ञाहानि आदि होना सम्भव जाता है । इनके अनुचितपनका ग्रन्थकारने स्वयं निर्देश किया है । जिस प्रकार हेत्वन्तर न्यारा निग्रहस्थान माना है, उसी प्रकार दृष्टान्तान्तर उपनयान्तर भी न्यारे निग्रहस्थान मान लेने चाहिये । स्वपक्षसिद्धि कर देनेपर अर्थान्तरका कथन करना वादीका निग्रहक नहीं हो सकता है । अपने कार्यको पूरा कर मले ही कोई नाचे तो भी वह दोषास्पद नहीं है । वर्णक्रम निर्देशके समान निरर्थकको यदि निग्रहस्थान माना जाय तो वादके अनुपयोगी हो रही खखारना, हाथ फट करना आदि क्रियायें भी निग्रहहेतु बन बैठेंगी । अविज्ञातार्थ भी विचारनेपर निग्रह हेतु नहीं है । निरर्थकसे इसका भेद करना अनुचित है । पूर्वापरका सम्बन्ध नहीं होनेसे अपार्थकका स्वीकार किया जाना भी निरर्थकसे प्रयत्न नहीं होना चाहिये । यहाँ वर्ण निरर्थक है । यहाँ पद निरर्थक है । अन्यथा वाक्य निरर्थकको न्यारा निग्रहस्थान मानना पडेगा, जैसे कि छोटी छडकियाँ यों कह कर हाथोंपर क्रमवार अङ्गुली रखती हुईं खेळा करती हैं कि "अटकन बटकन दही चटाके,वर फूँटे वैरागिन सागिन,तुरईको फूँठ मकोईको डंका,जाडंका में सूआ सुवारी, उठोराय तुम देख नगारी उण्डी घुंडी टूट पडी मुरगण्डी " इत्यादिक अनेक वाक्य पूर्वापर सम्बन्धरहित हैं । अप्राप्तकाल तो कथमपि निग्रहस्थान नहीं हो सकता है । जो प्रकाण्ड विद्वत्ताका समर्थक है, वह उसका विनातक नहीं है । संस्कृत शब्दसे पुण्य और असंस्कृत शब्दके उच्चारणसे पाप होता है ऐसा नियम मानना अनुचित है । यदि आध्यात्ममें विशुद्धि है तो सभी शुद्ध अशुद्ध शब्द बोलना पुण्यहेतु है । आध्यात्म संक्षेपका कारण उपस्थित होनेपर पापाप्तन होता है । हीन और अधिक ये दो निग्रहस्थान भी ठीक नहीं हैं । प्रतिपाद्यके अनुसार अनुमान वाक्यका प्रयोग किया जाता है । कहाँ केवल हेतुका प्रयोग कर देनेसे ही साध्यसिद्धि हो जाती है । और कहाँ प्रतिपत्ति दृढ करनेके लिये दो हेतु दो दृष्टान्त भी कह दिये जाते हैं । प्रमाणसंग्रह माननेवालेके यहाँ कोई दोष नहीं आता है । पुनरुक्तोंमें अर्थपुनरुक्त ही मानना ठीक है, जो कि निरर्थकमें ही गतार्थ हो सकता है । सब पृष्ठों तो गृह पुनरुक्त भी कोई भारी दोष नहीं है । उद्देश, लक्षण, और परीक्षाओंके अवसरोंपर एक



प्रमेयको कई बार कहा जाता है । देखिये, श्री उमास्वामी महाराजने जो सूत्रोंमें गंभीर अर्थ कहा है, उसीकी श्री विद्यानन्द आचार्यने वार्तिकोंमें बखाना है । पुनः वार्तिकोंका भी अनेक स्पष्टोंपर विवरण करना पडा है । देशमाया करनेवाटेको भाषानुवादमें अर्थ, भावार्थ दिलाते हुये पांच पांच छह छह बार एक ही प्रमेयका कई भंगियोंसे निरूपण हो गया दिखलाना पडा है । मन्दक्षयोपशम वाळोंके लिये श्री वीर भगवानके उपदेशकी लम्बी आम्नाय रक्षित रहनेका अन्य क्या उपाय हो सकता है ? अननुमापणकी भी यही दशा है । अज्ञान निग्रहस्थान तो अकेला ही मान लिया जाय तो कहीं अष्टा है । प्रतिज्ञाहानि आदिक भी तो अज्ञान ही हैं । इसी प्रकार पर्यनुवोम्बोपेक्षण, अप्रतिभा, विक्षेप आदि निग्रहस्थानोंका ढंग भी अष्टा नहीं है । स्वपक्षकी सिद्धि करना ही दूसरेका निग्रह हो जाना है । यह अकलंक रीति ही प्रशस्त है । अन्यथा इन प्रतिज्ञाहानि आदिकसे कई गुने अधिक निग्रहस्थान माननेपर पूर्णता हो पाती है । और इनमेंसे पांच छहके स्वीकार कर लेनेसे ही नैयायिकोंका अमोघ प्रयोजन सब सक्त है । देखो, बौद्धोंने एक वादीका दूसरा प्रतिवादीका यों इस ढंगसे असाधनाह्न वचन और अदोषोद्गाहन, इन दो ही निग्रहस्थानोंसे निर्वाह कर लिया है, विचार करनेपर बौद्धोंके दो निग्रहस्थान भी ठीक नहीं बैठते हैं । श्री माणिक्यनन्दी आचार्यने जो व्यवस्था दी है, वह निरर्थक है । “प्रमाणतदाभासौ दुष्टतयोद्गाधितौ परिहृतापरिहृतादौ वादिनः साधनतदाभासौ प्रतिवादिनो दूषणमूपणे च ” । वादिने अपने पक्षकी सिद्धिके लिये स्वसिद्धान्त अनुसार प्रमाण वाक्य कड़ा, पुनः प्रतिवादिने उस प्रमाणवाक्यमें दोषयुक्तपना उठा दिया । पश्चात् वादिने उस दोषका परिहार कर दिया । ऐसी दशामें वादीका हेतु स्वपक्षसाधक होता हुआ जयका प्रयोजक है और प्रतिवादीका कथन दूषणरूप होता हुआ पराजयका नियामक है । तथा वादिने हेत्वामासका प्रयोग किया है । प्रतिवादिने उसके ऊपर असिद्ध, विरुद्ध आदि हेत्वामासोंको उठा दिया । यदि वादी उन दोषोंका परिहार नहीं करता है तो ऐसी दशामें वादीका उक्त हेतु हेत्वामास होता हुआ पराजयका व्यवस्थापक है, और स्वपक्षसिद्धिके करते हुये प्रतिवादीका दूषण उठाना मूपण होता हुआ जयदायक है । इसी प्रकार छलको उठा देनेसे भी कोई जीत नहीं सकता है, जैसा कि नैयायिकोंने मान रक्खा है । प्रथम तो चतुर्गवादमें कोई पण्डित छलपूर्वक प्रयोग नहीं करता है । और कथावचन यदि कोई कपटव्यवहार भी करे तो अप्रिम विद्वान्को उसके छलवक्तृत्वको ज्ञात कर अपने पेटमें ढाल लेना चाहिये । प्रायः उपस्थित हो रहे सभी विचारशास्त्रियोंको सधुकी कपटनीतिका परिज्ञान हो जाता है । ऐसी बातको मुलसे उच्चारण करनेसे गंभीर विद्वान्तामें बड़ा लग जाता है । तत्त्वज्ञानके विशेष अंशोंमें विचार करनेवाळे विद्वानोंको अपने सम्यक्त्वके अंग उपगृहण और वास्तव्य भावोंको रक्षा करना अत्यावश्यक है । लौकिकसम्पत्ता और शारीय सम्पत्ता दोनों ही के गालिका प्रदानसदृश छल उद्गाहन आदि व्यवहार अनुकूल नहीं है । अतः “ प्रमाणतदाभासौ दुष्टतयोद्गाधितौ ” इस सिद्धान्तके अनुसार ही

जय पराजय व्यवस्था माननी चाहिये । नैयायिकोंने अर्थके विकल्पोंकी उपपत्ति करके वचनका विवात करना छूट कहा है । न्यायभाष्यकारने छूटके सामान्य लक्षणका उदाहरण दिखलानेके लिये अशक्यता प्रकट की है । किसी मद्र वैश्यने ज्योतिषसे पूछा कि मेरे घरमें लडका होगा या लडकी जन्मेगी ? घृत् ज्योतिषाने उत्तर लिख दिया कि "कन्या न पुत्रः" । उसने मनमें विचार लिया कि यदि इसके कन्या उत्पन्न होगी तब तो नकारको पुत्र शब्दके साथ जोड़ दूंगा और यदि पुत्र हुआ तो न अन्यको कन्याके साथ जोड़कर कह दूंगा कि पुत्र उत्पन्न होगा, कन्या नहीं । किन्तु यह छूट व्यवहार करना अनुचित है । नैयायिकोंने छूटके याक् छूट, सामान्यछूट, सपचारछूट ये तीन भेद स्वीकार किये हैं । इनपर अच्छा विवेचन किया गया है । बात यह है कि न्यायपूर्वक कहनेवालोंकी तत्त्वपरीक्षाके अवसरपर छूटका प्रयोग नहीं करना चाहिये । अन्यथा पञ्चवाक्योंके प्रयोगमें या शून्यवादके प्रति प्रमाण आदिकी सिद्धि करानेमें भी नैयायिकोंका छूट समझा जाकर पराजय हो जायगा । वस्तुतः स्वपक्षसिद्धिकरके ही स्वजय और परानिमज मानना चाहिये । तुच्छ व्यवहार करना उचित नहीं है । आगे चलकर चौबीस जातियोंका विचार चलाया है । गौतम न्यायसूत्र और न्यायभाष्य अनुसार साधर्म्यसमा आदि जातियोंका दूषणाभासपना भी नैयायिकोंने साधा है, जो कि वहाँ प्रेक्षणीय है । विचारनेपर जातिके सामान्य लक्षणमें अतिव्याप्ति दोष आता है । हेत्वाभासमें भी जातिका लक्षण चला जाना इष्ट करनेपर तो नैयायिकोंको मारी मुहकी खानी पडी है । न्यायभाष्यकार और न्यायवृत्तिकारके धिक्का अनुसार पूर्वपक्ष करनेपर प्रमेयकमलमार्तडमें नैयायिकोंका अनैयायिकपन प्रकट कर दिया है । जातिके लक्षणमें अव्याप्ति दोष भी आता है । जैसे कि पटा हुआपन ब्राह्मणका लक्षण कर देनेसे अव्याप्ति, अतिव्याप्ति दोनों आती हैं । बहुतसे प्रामीण कृषकब्राह्मण कुछ भी पटे हुये नहीं है । अन्य क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र भी बहुत पटे हुये मिश्रते हैं । अपवा धोखेरंगवाली, यों गायका लक्षण कर देनेसे दोनों दोष आ जाते हैं । दो दोष तो एकत्र संभव जाते हैं । अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असम्भव इन तीनों दोषोंका एकत्र संभवना अडकी है । अतः तत्त्व-निर्णय करनेके लिये किये गये वादमें प्रतिज्ञाहानि आदि या छूट अथवा असाधनाङ्ग वचन अदोषो-प्राप्ति इनसे जैसे निमज नहीं हो पाता है, उसी प्रकार निष्ठा उत्तर स्वरूप सैकड़ों जातियोंसे भी निमज नहीं होता है । स्वपक्षकी सिद्धि और उसकी असिद्धि करके ही जय, पराजय, व्यवस्था नियत है । छूट, जाति, निमजस्थानों करके जिन जल्प, वितण्डा, नायक शास्त्रोंमें साधन और उखारने दिये जाते हैं । उनसे तत्त्वनिर्णयकी रक्षा नहीं हो पाती है । इसके अनन्तर श्री विद्यानन्दस्वामीने संक्षेपसे प्रातिम वादका निरूपण कर तत्त्वार्थाधिगम भेदके प्रकरणका पूर्वोक्त नयवाक्योंके साथ सन्दर्भ दिया है । यद्यपि मूल सूत्रकारने स्वयं " प्रमाणनवैरधिगमः " " निर्देशस्वामिन्, सत्संख्या " इन सूत्रोंसे तत्त्वार्थोंका अधिगम होना कइ दिया है । किन्तु आमतत्त्वपूर्वक एकान्तोंको नलान रहे नैयायिक

आदि वादियोंके साथ शास्त्रार्थ कर भिन्न भिन्न रूपसे उनको स्वादादियोंद्वारा तत्त्वार्थोंका अभिगम करानेके लिये उपयोगी हो रहा यह तत्त्वार्थविगम नामका प्रकरण श्री विद्यानन्द स्वामीने रचा है । प्रथम अध्यायमें किये गये श्री उमास्वामी महाराजके तत्त्वविरूपणका प्रदर्शन कर स्वपरप्रबोधार्थ श्लोकके विमर्षणकी सम्मति देते हुये श्री विद्यानन्द आचार्यने प्रथम अध्यायके विवरणकी समाप्ति कर प्रथम भागिहकको परिपूर्ण किया है ।

वीरोमास्वाम्युपपन्नाध्वगमुनिपसमन्तादिमद्राकलंकर- ।  
विद्यानन्दोक्तिभिर्द्रीक् छलवितपवचो निग्रहस्यान् परीक्ष्य ।  
तत्त्वार्थज्ञप्तिभेदे जितविजिनदशामाकल्ययासशास्त्र- ।  
इचन्द्रार्कावध्यभिज्ञोनुभवतु शिवदा न्यायसाम्राज्यलक्ष्मीम् ॥

—x—


इति श्रीविद्यानंदि-आचार्यविरचिते तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकालङ्कारे  
प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १ ॥

इस प्रकार सम्पूर्ण दर्शनशास्त्रोंकी ज्ञप्तिको धारनेवाले श्रीविद्यानन्द आचार्य द्वारा विशेषरूपसे रचे गये " तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक-अलंकार " टीका ग्रन्थमें प्रथम अध्यायका विवाण समाप्त किया गया ।

—x—

नम्रामरेन्द्रमुकुटमभाः समुद्योतयज्जिनश्चन्द्रः ।  
निर्दोषो विकलङ्कोऽज्ञानतमोभित् प्रबोधयेत्तद्वमुदं ॥

इस प्रकार सर्वदर्शनश्लोकामणि श्री विद्यानन्द स्वामीविरचित तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकालंकार गृह्यु ग्रन्थकी चावली ( आगरा ) निवासी माणिकचन्द्र [ न्यायाचार्य ] कृत बिंदी भाषामय "तत्त्वार्थचिन्तामणि" टीकामें प्रथम-अध्याय पूर्ण हुआ ।



## न्यायशास्त्राणा महत्त्वं

शास्त्रेते शिष्या येन तच्छास्त्रमिति निरुक्त्या सिद्धान्तव्याकरणसाहित्यज्योतिषगणितप्रभृति-  
प्रकरणेषु सदृशपरिणामात्मकसामान्यतया शास्त्रेषु प्रसिद्धेऽपि स्वमतव्यवस्थापनपरपक्षनिराकरणातिशय-  
प्रपन्नानां न्यायशास्त्राणां विशेषरूपेण दीप्यमानं प्रतिभासते शासनपदार्थं विद्वक्षणविचक्षात्मभित्त्वात् न  
केवाचित् पवादिनां विप्रतिपत्तिः ।

अथरामकविः श्रेयसप्रापकः पारमार्थिकीं प्रकृत्यामभिदधानानां राक्षान्तशास्त्राणां मोक्षोपयोगि-  
त्वेऽपि पारमार्थिकनिश्चयनयविषयतावच्छेदकरवोपलक्षितधर्मावच्छिन्नरत्नभण्डारपरिक्षकदुर्गायमाण-  
तर्कप्रज्ञाप्रवसायमन्तरात्सौख्यिकी व्यवस्था नास्थीयते विचारवस्तुरचेतसां प्रामाणिकानां पुरस्तात् ।  
सार्धदिकः सार्धत्रिकश्चायमन्वयव्यतिरेकी नियमश्चकारित यदितरानमीष्टमन्तव्यप्रत्याख्यानपुरस्सरत्वेन  
स्वकीयेष्टसिद्धान्तप्रतिमातन्वता पण्डिता एव विष्टपेऽस्मिन् शिरोमणीयन्ते धार्मिनां संसदि । वस्तु-  
मिष्टिमन्वय पदार्थान्तस्तत्प्रवेशे व्याचिह्न्यासवः—श्रीनिष्ठधेयतानिरूपिताधारताधस्तोऽकल्क-  
देवा अपि स्वरादानावोद्भवव्यवस्थापार्थं हि खलु वस्तुनो वस्तुधामिति त्रिलोकत्रिकादानाधितरद्वयमूर्च्छेरे  
धीमद्भूतिकरम् ।

अगस्त्यतयोद्धारकार्हेतुत्वातिपरायणो जिष्णुः अपि अष्टाधिकसहस्रनामसु "न्यायशास्त्रकृदि"-  
रयमिषया साष्टसहस्रशुभलक्षणस्यजनमूर्धितं कथशसाष्टसहस्राभिपिकं श्रीजिनेन्द्रमभिष्टौति स्म । दार्ढ-  
निकेश्वतीव वावदूकतया प्रसिद्धिं लभमानाः गौतमीया नव्यन्यायनिर्वृत्तिनिपुणा जगदीशमथुरानाथ-  
गदाधरप्रभृतयः प्राज्ञा अवच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगितानुयोगिताधारतादि निःसाराव्यसारकदुकाठिन्य-  
सम्पादकामित्रायकेः प्रमेपार्षदोपलवं प्रकृत्यो नैव शान्तिस्तुल्यविधायनो शास्त्रतसिद्धपदवी प्रापयितुमल-  
नाकर्ण्यताम् तावदेकं वृत्तमुपहासास्यदं तदनुयायिषु पण्डितगदाधरप्रशंसायां किंपदनी ज्ञपते ।

कस्त्वं ब्राह्मणवंशजः कृत इह श्री गौडभूमण्डलाञ् ।

जाने यत्र गदाधरो निवसति श्रूते स मां कीदृशम् ॥

इत्येतद्वचनं बृहस्पतिमुखाच्छ्रीवर्कवादीश्वरो ।

लज्जा नम्र उदम्बति मपतितो नाद्यापि विश्रामति ॥

यत् सुगुहरपि गदाधरविदुषो मूर्खं विभेतीति चित्रम् । सरस्वतीवरप्रसादगुणदपि वाग्देवी जिज्ञेति  
इति कोऽप्यो ब्रूयात् अन्यत्र काश्यकलोल्लुण्ठितोकिम्प्यो रागदेवसंकलितदेवतोपासिम्प्यो मजाधीन-  
भगवद्भूतिम्यच्च बाधोपुक्तिपद्मस्यः ।

! एतेनालंकारध्वनिलक्षणाव्यञ्जनावक्रोक्तिसंचारिव्यभिचारिभावाद्यन्तःशून्यपरिमहप्रइलाभिषाप-  
गुम्फितसाहित्यप्रन्यानामपि न तादृक् सुमुक्षुविद्वन्मनसु हृदयोलास्यादर इति चिन्तितम् बोद्धव्यम् ।  
शब्दाभ्यान्तरनिष्ठचमकृतिजनकतावच्छेदकत्वोपपत्तिमधि रूढैर्नायिकाभेदपरिगणनपटीयोमिः कविभिर्न  
पायते वस्तुदरान्तर्निहितानन्तानन्तस्वभावविभाषणम् ।

कवि कालिदासमकेन तत्संस्तवनपरेण केनचित् कविनाऽमाणि यत् —

काव्येषु नाटकं प्रोक्तं नाटकेषु शक्यन्तला ।

तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कस्तत्र श्लोकचतुष्टयम् ॥

वस्तुतस्त्वनयैव रीत्यैवं वक्तुं शक्युयाम्— ।

विश्वशास्त्रेषु सम्यञ्चि न्यायशास्त्राणि भान्ति नः ।

तत्र स्याद्वादलक्षमाणि तत्रापि श्लोकवार्तिकम् ॥

ननु न चान्तरा केवलमध्यात्मसिद्धान्तप्रमेयश्रुतिकुशळानां, सुदृढतत्त्वप्रतिपादकानां जैनन्याय  
शास्त्राणां हितहितप्रतिपरिहारव्यवस्थानुष्ठाने इशाध्यमानत्वं प्रतीतिभूधरशिलारारूढतामियुयात् । यच्च  
समन्तमद्रूपवपादजिगसेनवादिराजप्रभृतिमहर्षीणां शब्दन्यायसाहित्याद्यनेकविषयकशास्त्रपारागमित्यं दरी-  
दृश्यते । तत्रापि पारमार्थिकपदार्थप्ररूपणं न्यायविरचनेष्वैरोरुच्यते खपोततारकप्रभाभिभाषकभास्कर-  
प्रकाशवत् । अतो बुद्धिविषयतावच्छेदकत्वोपलक्षितधर्माः उच्यन्तर्कशास्त्राणामेव निरपवादं प्रमितिजनक-  
तावच्छेदकावच्छिन्नस्वमुरीकर्तव्यं निरारोपं परममहत्त्वप्रयोजकम् ।

अमीवामध्यापकाद्येतद्व्यापारापन्नप्रमेयकाठिन्यगाम्भीर्योदायिण्यतिशेरेतेऽखिलशास्त्रविन्यासमिति  
सर्वतात्रिकतन्त्रस्वतन्त्रप्राची । स्युक्तमिति कुनीर्ष्यहृदयमस्तकोन्मथिनी, सूत्रवार्थगवेपकामन्दमतिभिद्वाहृहाद-  
वार्द्धिनी, परमोपादेयमोक्षशास्त्ररूपणं व्याख्यातुमनसः श्रं वर्द्धनानमनुस्वामिसमन्तमर्द्धं न्याय्यपरमगुरुत्वेन  
मन्यमानाः परमपूज्यविद्यानन्याचार्याः प्रमाणत्रययुक्तिनिर्देशनपूर्वकमुमास्वाम्युपसृजतत्त्वार्थशास्त्रालंकारभू-  
तश्लोकवार्तिकमहाप्रथं प्रतिवादिमयंकरं नानाप्रमेयानपरिपूर्णमहोदधिभिर्व व्यधुः ।

श्रीजिनेन्द्र, निनवाणी, सद्गुरु, सपर्यानुक्तयेतसाह्यमेधसा मया आगरामण्डळान्तर्गत चाव-  
लीप्रामनिवासि माणिक्यचन्द्रेण श्लोकवार्तिकीय द्विदिभाषामाध्यं विन्यस्यता तदादिमध्यवसानेय सुख-  
शान्तिस्वभादकानि विन्यस्यस्यिधानदक्षाणि मंगलाचरणरूपेणोक्त्यस्तानि कतिपयपद्यानि निवद्धानि संति ।

# तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकालंकारांतर्गतश्लोकसूची

## —चतुर्थ खंड—

[अ]	पृष्ठ नं.	श्लोक	पृष्ठ नं.
अक्रमं करणातीतं	८४	अमुष्यानेतमागेषु	६६
अत्र यद्यक्षविज्ञानं	८३	अवस्थितोऽश्विः शुद्धेः	२०
अत्र प्रचदमद्वे ज्ञान-	८५	अविशेषस्तयोः सद्भिः	१२७
अत्रोत्पादव्ययध्रौव्य	१२७	अविशेषोदिते द्वेता	३७७
अत्रान्ये प्राङ्गारिष्टं नः	३३८	अव्याख्याने तु तस्यास्तु	१८६
अथाद्यज्ञानयोरर्थ-	३९	अविशेषः प्रसंगः स्यात्	५१७
अथ ज्ञानानि पंचापि	११४	असंख्यातैः ज्ञणैः पद्म-	१०८
अथानित्येन नित्येन	५०८	असाधनागवचनं	३२९
अथापत्तिपरिच्छेद्यं	१४७	असाधनागवचनं	३४४
अर्थपर्याययोस्तत्त्वत्	२३४	असमर्थे तु तन्न स्यात्	३८१
अर्थव्यंजनपर्यायो	२३६	अस्तु मिथ्योत्तरं जातिः	५४६
अथादापद्यमानस्य	४०८	अक्षज्ञानं बाधिवस्तु	५२
अनिवर्तितकथायादि	२४	अज्ञातं च किलाज्ञानं	४१३
अनेकातात्मकं वस्तु	५३	[आ]	
अनयोः कारणं तस्मात्	७७	आक्षतुर्म्य इति व्याप्त	९७
अनुमानांतरादेतु-	१४६	आत्मप्रसक्तिरश्लोका	३१
अनुस्यूतमनीवादि	१४९	आत्मद्रव्यं च एवेष्टः	७४
अन्योन्यशक्तिनिर्वाता-	३३९	आद्यो वे देवदत्तोयं	४३९
अनेकातिकतेवैवं	४१७	[इ]	
अनित्येन घटेनास्य	५३३	इत्ययुक्तविशेषाय	१२
अनित्यः शब्द इत्युक्ते	५३८	इत्येतच्च व्यपष्टिष्ठं	७५
अनित्यत्वप्रतिष्ठाने	९३९	इति मोहाभिभूतं नां	७८
अनेकातिकता हेतोः	५४४	इति साध्यमभिच्छेदं	८१
अप्राप्य साधयेत्साध्यं	४८९	इति व्याचक्षते ये तु	१०१
अभिर्क्ष व्यक्तितेदेम्यः	२४१	इयाद्ययोपयोगाया.	११०

श्लोक	पृष्ठ नं.	श्लोक	पृष्ठ नं.
इत्यचोर्धं दृशस्तत्र	१११	एकतः कारयेत्सम्यान्	३१७
इत्यत्र ज्ञापकं हेतुं	१२६	एक एव मह न् नित्यः	३७५
इति केचित्तदयुक्तं	१५४	एन्योर्मतिशब्देन	२४
इति प्रमाणतमविबोधसंविधौ	२०७	एतेष्वत्त्वपर्याये	४३
इत्यसद्विद्विद्वेषु	२३१	एतस्यानंतभागे स्यात्	६६
इंद्रः पुनरुद्रः शक्रः	२६४	एतेन्योन्यमपेक्षायां	२६८
इत्याभिमानीकः प्रोक्तः	३२२	एतेनापि निगृह्येत	४३५
इययुक्तं द्वयोरेक-	३३०	एवं मत्यादिबोधाना	३८
इयेतद्विद्वद्वेषु	३३९	एवं व्याख्यातानिःशेषः	१६२
इयेतच्च न युक्तं स्यात्	३५०	एवं हि प्रत्यवस्थानं	४८८
इति साधर्म्यवैधर्म्य-	४७०	एवं भेदेन निर्दिष्टा	५४९
इयप्रत्याषड्बोद्धव्यं	४८५	एहि मन्ये रथेनेति	२५६
इयहेतुसमत्वेन	५१२	[क]	
इत्येष द्वि न युक्तत्र	५२२	कश्चिद्यं ननपर्यायी	२३५
इयन्तित्येन या नाम	५३३	कल्पनारोपितद्रव्य-	२४४
[उ]		कल्पनार्थांतरस्योक्ता	४४९
उक्तं दूषयतावश्यं	४११	करोति क्रियते पुष्यः	२५६
उत्पादव्ययवाद्बन्ध	१३२	कस्यचिच्चित्तसंसिद्धिः	३४४
उत्तराप्रतिपत्तिर्या	४१४	कस्यचिद्बचनं नेष्ट-	४११
उत्तराप्रतिपत्तिं हि	४१५	कश्चिदावरणादीना	५२९
उत्पन्नस्यैव शब्दस्य	४९९	कानिचिद्वा तथा पुंभो	११४
उदाहरणसामर्थ्यात्	४५७	कारणत्रयपूर्वत्वात्	१५२
उदाहरणवैधर्म्यात्	४५७	काष्ठाव्यव्यापदिष्टोपि	१९६
उपेक्षणौयतत्त्वस्य	७६	कामी यत्रैव यः काश्चित्	१६८
उपेक्ष्यं तु पुनः सर्वं	७८	कार्यस्य सिद्धौ जातायां	१६९
[फ]		कार्यकारणता च्छेति	२४८
ऋजुसूत्रं क्षणव्यसि	२४८	काष्ठादिभेदतार्थस्य	२५५
[ए]		काष्ठाद्यन्यतमस्यैव	२६१
एकत्रात्मनि विज्ञानं	९४	काष्ठादिभेदतोऽप्यर्थ	२७१
एकत्वेन विशेषाणां	२४०	कामं घटोपि निरयोस्तु	३४६

श्लोक

पृष्ठ नं.

कारणाभावतः पूर्वं	४९९
कार्येषु कुंभकारस्य	५१२
कारणस्योपपत्तेः स्यात्	५२१
कारणं यद्यनित्यत्वे	५२१
कारणान्तरतोऽप्यत्र	५२५
किन्न क्षीणावृत्तिः सूक्ष्मान्	९०
किञ्चित्तदेव युज्येत	४७७
क्रियाभेदेऽपि चाभिन्ना	२७२
क्रियावानेव लोष्टादिः	४७०
क्रियाहेतुगुणासंगी	४७४
क्रियाहेतुगुणोपेतं	४७७
क्रियाहेतुगुणोपेतः	४८७
क्रियाहेतुगुणोपेतं	४८२
कुनोवधेर्विशेषः स्यात्	३६
कुमारनंदिनश्वाहुः	३१६
कुतश्चिदाकुलीभावात्	३१०
कृतकत्वादिना साम्यं	५३२
केवलं सकलज्ञेय	७३
केनाप्युक्ते यद्येवं स	४४२
काश्चिदेति तथात्येति	४४२
केनानैकांतिको हेतुः	४४४
कैश्चिन्मन्येत तज्ज्ञानं	१६३
क्रमजन्म काचिद्दृष्ट्वा	१८७
क मनःपर्ययरपार्थे	६९
कश्चित्साध्यविशेषं हि	३२४
कश्चिरेकाचिदपि न्यस्य	३८०
काचिदेकस्य धर्मस्य	५१७
कैत्रं पराजयः सिध्येत्	४३६

श्लोक

पृष्ठ नं.

[ख]

ख्याप्यते प्रतिभान्यस्य	४११
ख्यापनीयो मतो वर्ण-	४७६

[ग]

गम्यमाना प्रतिज्ञान-	३५३
गुणहेतुः स केषां स्यात्	१०
गुणः पर्याय एवात्र	२२०
गृहीतप्रहणात्तस्य	१५७
गोदर्शनोपयोगेन	११०
गोचरीकुरुते शुद्ध-	२३८
गोत्वादिना स्वहितेन	३६७
गौणं शब्दार्थमाश्रित्य	४४८
ग्रन्थो घनस्य प्रातः स्यात्	९१६

[घ]

घटो सर्वगतो यद्वत्	३१४
--------------------	-----

[च]

चशब्दात्संप्रदात्तस्य	१०१
चित्राद्वैतप्रवादश्च	१३१

[ज]

जयेतरव्यवस्थायाम्	३१६
जानतोपि समामांतेः	३३९
जिगीषद्भ्यां विना तावत्	२९९
जिगीषाविरहात्तस्य	३००
जिज्ञासिताविशेषोत्र	३२४
जिज्ञासयिषितारभेह	३२५
जैनस्य सर्वपैकांत	१४४



श्लोक	पृष्ठ नं.	श्लोक	पृष्ठ नं.
इत्यचोद्यं दृशस्तत्र	१११	एकतः कारयेत्स्नानं	३१७
इत्यत्र ज्ञापकं धेतुं	१२६	एक एव महान् नित्यः	३७५
इति केचिच्चदुक्तं	१५४	एतयोर्भातेऽद्वेन	२४
इति प्रमाणात्मविशेषसंविधौ	२०७	एतेष्वर्त्तव्याये-	४३
इत्यसद्बहिरर्थेषु	२३१	एतस्यान्तभागे स्यात्	६६
इंद्रः पुम्दरः शकः	२६४	ऐतेन्योन्यमपेक्षायां	२६८
इत्याभिमानिकः प्रोक्तः	३२२	एतेनापि निगूह्यत	४३९
इत्ययुक्तं द्वयोरैक-	३३०	एवं मत्यादिबोधानां	१८
इत्येतद्दुर्बिदग्धत्वे	३३९	एवं व्याख्यातानिःशेषः	१६२
इत्येतच्च न युक्तं स्यात्	३५०	एवं हि प्रायश्चर्यान्	४८८
इति साधर्म्यवैधर्म्य-	४७०	एवं भेदेन निर्दिष्टा	९४९
इत्यप्राप्त्यावबोद्धव्यं	४८५	एहि मन्ये रथेनेति	२५६
इत्यहेतुसमत्वेन	५११	[क]	
इत्येष हि न युक्तं च	९२२	कश्चिद्यं ननपयाथी	२३९
इत्यन्वित्येन या नाम	९३३	कल्पनारोपितद्रव्य-	२४४
[उ]		कलानार्यांतरस्योक्ता	४४९
उक्तं दूषयतावश्यं	४११	करोति क्रियते पुष्यः	२५६
उत्पादव्ययवाद्श्च	१२२	कस्यचित्तत्संसिद्धिः	३४४
उत्तराप्रतिपत्तिर्या	४१४	कायचिद्वचनं नेष्ट-	४११
उत्तराप्रतिपत्तिं हि	४१५	कश्चिदावगणादीनां	५२९
उत्पन्नस्यैव शब्दस्य	४९९	कानिचिद्वा तथा पुंभो	११४
उदाहरणसामर्थ्यात्	४५७	कारणत्रयपूर्वत्वात्	१५२
उदाहरणवैधर्म्यात्	४५७	काळात्ययापदिष्टोपि	१९६
उपेक्षणीयतत्त्वस्य	७६	कामी यत्रैव यः काश्चित्	१६८
उपेक्ष्यं तु पुनः सर्वं	७८	कार्यस्य सिद्धौ जातायां	१६९
[ऋ]		कार्यकारणता चेति	२४८
ऋजुसूत्रं क्षणध्वंसि	२४८	काळादिभेदतांशस्य	२५५
[ए]		काळाधन्यतमस्यैव	२६१
एकत्रासनि विज्ञानं	९४	काळादिभेदतोऽप्यर्थ	२७१
एकत्वेन विशेषाणां	२४०	कामं घटोपि नित्योस्तु	३४६

श्लोक	पृष्ठ नं.
कारणामावतः पूर्वं	४९९
कार्येषु कुंभकारस्य	५१२
कारणस्योपपत्तेः स्यात्	५२१
कारणं यद्यनित्यत्वे	५२१
कारणान्तरतोप्यत्र	५२५
किन्न क्षीणावृत्तिः सूक्ष्मान्	९०
किञ्चित्तदेव युज्येत	४७७
क्रियाभेदेपि चाभिजा	२७२
क्रियावानेव खोष्टादिः	४७०
क्रियाहेतुगुणासंगी	४७४
क्रियाहेतुगुणोपेतं	४७७
क्रियाहेतुगुणोपेतः	४८७
क्रियाहेतुगुणोपेतं	४८२
कुनावधेर्विशेषः स्यात्	३६
कुवारनंदिनश्चाहुः	३१६
कुतश्चिदाकुलीभावात्	३९०
कृतकत्वादिना साम्यं	५३२
केवलं सकलज्ञेय	७३
केनाप्युक्ते यथैवं स	४४२
कचिदेति तथात्येति	४४२
केनानैकातिको हेतुः	४४४
कैश्चिन्मन्येत तज्ज्ञानं	१६३
क्रमजन्म कचिद्दृष्ट्वा	१८७
क मनःपर्ययरथार्थे	६९
कचिरसाध्यविशेषं हि	३२४
कचिरैकचिदपि न्यस्य	३८०
कचिदेकस्य धर्मस्य	५१७
कचं पराजयः सिध्येत्	४३६

श्लोक	पृष्ठ नं.
[ख]	
ख्याप्यते प्रतिभान्यस्य	४११
ख्यापनीयो मतो वर्ध-	४७६
[ग]	
गम्यमाना प्रतिज्ञान-	३५३
गुणहेतुः स केपा स्यात्	१०
गुणः पर्याय एवात्र	२२०
गृहीतप्रवृत्तात्तस्य	१५७
गोदर्शनोपयोगेन	११०
गोचरीकुरुते शुद्ध-	२३८
गोत्वादिना स्वसिद्धेन	३६७
गौणं श्रद्धार्थमाश्रित्य	४४८
प्रवृग्मो घनस्य प्रातः स्यात्	९१६
[घ]	
घटो सर्वगतो यद्वत्	३९४
[च]	
चशब्दात्संप्रदात्तस्य	१०१
चित्राद्देतप्रवादश्च	१३१
[ज]	
जयेतरव्यवस्थायां	३१६
जानतोपि समामांतेः	३३९
जिगीषदूर्ध्वा विना तावत्	२९९
जिगीषाविरहात्तस्य	३००
जिज्ञासितविशेषोत्र	३२४
जिज्ञासयिषितार्षेह	३२५
जैनस्य सर्वधैर्यात्	१४४

श्लोक	पृष्ठ नं.	श्लोक	पृष्ठ नं.
[त]		तत्राविशेषदिष्टेयं	४३१
तच्च सर्वार्थविज्ञानं	८८	तत्र स्वयमभिप्रेतं	४३५
तच्चैवमद्वेषस्वापि	२९७	तत्र ह्यप्रतिमा ज्ञान-	४५९
ततोऽनावरणं स्पष्टं	८८	तत्रैव प्रत्यवस्थानं	४६८
ततः सातिशया दृष्टाः	९०	तत्रैव साधने प्रोक्ते	५०४
ततः समन्ततश्चक्षु-	९३	तत्रानित्येन साधर्म्यात्	५०८
ततः सर्वप्रमाणानां	१६०	तत्रानित्येऽप्ययं दोषः	५३९
तत्क्रियापरिणामोर्थं	२६५	तत्रोत्तरमिदं शब्दः	५४३
ततो वादो जिर्गापार्या	३००	तत्रेदं दुर्घटं तावत्	५४५
ततोऽनेनैव मार्गेण	३५८	तत्त्वश्रद्धान संज्ञान-	७९
ततो वाक्यार्थनिर्णीतिः	३९२	तत्त्वार्थाधिगमस्तावत्	२९३
ततोऽर्थानिश्चयो येन	३९४	तत्त्वार्थानिश्चयो हेतोः	३३७
ततो नित्योऽवसावस्तु	५२२	तत्त्वापर्यवसानाया	४०१
तेषामेवेति निर्णीतेः	१५	तत्त्वावधारणे चैतत्	५१०
ततश्चावरणादीनां	५३०	तथा चारित्रमोहस्य	११
ततो सिद्धिर्यथा पक्षे	५३५	तथा तत्रोपयुक्तस्य	१०९
ततो नानिर्यता शब्दे	५४०	तथात्मनोपि सिद्ध्यात्	१२३
तत्र त्रिधापि मिष्ट्यात्वं	११७	तथानध्यवसायोपि	१३८
तत्र स्वरूपतोऽसिद्धो	१४३	तथैकत्वेपि सादृश्य	१४१
तत्र कास्त्र्येन निर्णीतः	१५३	तथा द्रव्यगुणादीनां	२२५
तत्रापि केवलज्ञानं	१६१	तथैवावार्तान् भेदान्	२४१
तत्र संकल्पमात्रस्य	२३०	तथा कालादि नानार्थं	१६१
तत्र पर्यायमस्त्रेधा	२३४	तथैकागोपि वादः स्यात्	२९९
तत्रज्ञानसूत्रपर्यता	२६९	तथातुष्णोऽग्निरित्यादिः	३२५
तत्रेह तात्त्विके वादे	३२३	तथा चैकस्य युगपत्	३४१
तत्रेदं चिन्त्यते तावत्	३४२	तथा दृष्टातद्धानिः स्यात्	३४७
तत्रापि साधने शक्ते-	३८१	तथा सति विरोधोयं	३६४
तत्राद्यमेव मन्यन्ते	४०५	तथाप्यस्यात्र तेनैव	३७०
तत्राम्बुतेऽप शब्दादि	४२३		

श्लोक	पृष्ठ नं.
तथा निदर्शनादौ च	३७७
तथोत्तरा प्रतीतिः स्यात्	४१८
तथैव शून्यमास्थाय	४२३
तथैवास्पर्शस्वादि	४४३
तथोदाहृतिवैधर्म्यात्	४५८
तथा साध्यप्रसिध्यर्थं	४८८
तथा प्रयत्नजावेन	५०५
तथात्र तात्त्विको वादः	५५७
तदसत् सर्वशून्यत्वा-	४३
तदसहीतरागाणां	७६
तदवश्यं परिज्ञेयं	८०
तदंशौ द्रव्यपर्याय-	२१९
तद्भेदेकातवादस्तु	२३७
तदा तत्र भवेद्यर्थः	२९५
तदान्योपि प्रवक्तव्यं	२९०
तदामावास्वयं धत्तुः	२९९
तदपेक्षा च तत्रास्ति	३००
तदा तत्समुदायस्य	३२६
तद्विशेषोपि सौम्येन	३२६
तदा वास्तवपक्षः स्यात्	३३०
तदेकस्य परेणैह	३४१
तदसर्वगतत्वेन	३५६
तदा साध्यविनामावि	३७१
तदेवमेव संभाव्यं	३७७
तदानैकात्मिकत्वादि	३७८
तदप्रत्यायि शब्दस्य	४०६
तदेव स्यात्तदा तस्य	४१०
तदेतन्न छलं युक्तं	४४२
तदेतस्मिन् प्रयुक्ते स्यात्	४५४

श्लोक	पृष्ठ नं.
तदसंश्लेषमेवास्य	५३०
तद्बुद्धिब्रह्मणापूर्वं	५४२
तन्न श्रेयः परीक्षार्था	२५६
तन्निराकृतिस्वामर्थ-	३४२
तन्निमित्तप्रकाराणा	३७५
तन्नभस्येति नित्यत्व-	४४३
तयोस्त्यंतभेदोक्तिः	२३५
तयोस्त्यंतमस्य स्यात्	२९६
तस्यासिद्धत्वविच्छिन्निः	३३५
तस्मात्प्रयुज्यमानस्य	२७३
तत्सर्ववार्थशून्यत्वात्	३८२
तस्मात्तदे पृथग्युक्तं	६८३
तस्माद्यददश्यते यत्तत्	४१०
तत्कुरोयं नात्वादेः	४१९
तत्सामान्याच्छब्दं प्राहुः	४४२
तस्मादनुष्ठेयगतं	७५
तस्य तत्समृतयः किन्न	१०६
तस्यैन्द्रियमनोहेतु	११७
तस्मात्क्रियाभृदित्येवं	४६२
तस्य साध्यसमा जातिः	४७९
तस्य निज्जेन गोत्वादि	५०९
तस्याः साध्यविनाभाव	५१६
तस्मान्न विद्यमानस्य	५२६
तस्य केनचिदर्पेन	५३६
ताभ्यां विशेषमाणत्वं	३१
तादृशेनेति संदेहो	५०५
त्रिविधोऽभावसिद्धादि	१४३
त्रिर्वादिनोदितस्यापि	४०९
त्रैकान्त्यानुपपत्तेस्तु	५११

श्लोक	पृष्ठ नं.	श्लोक	पृष्ठ नं.
तूर्णाभावोयथा दोष-	३४३	दाडिमानी दशेत्यादि	३८७
तेनेह प्राप्यविज्ञाने	१३	दूषणां नमुद्गाव्यं	३३२
तेष्वेव नियमोऽसुर्व	६२	दूषणामासता त्वत्र	४८०
ते विपर्यय एवेति	११६	दुतोच्चारदितस्वेती	३८६
तेनासाधारणो नान्यो	१५१	द्वेषो हानमुपादानं	७८
तेषामनेकदोषस्य	३७०	द्वेषा मतिश्रुते स्यातां	९६
तेषामेतद्व्यमेदत्वे	४१३	दोषानुद्भावने तु स्यात्	३३९
[द]		दोषानुद्भावनाह्यानात्	३४०
द्रव्येष्विति पदेनास्य	४२	दोषानुद्भावनादेकं	३४०
द्रव्येष्विति बहुत्वस्य	७४	दोषहेतुमभिगम्य	४१९
द्रव्ये पर्यायमात्रस्य	१३१	[घ]	
द्रव्यपर्यायसामान्य	२२३	घर्मादन्यत्वविज्ञानं	८०
द्रव्यत्वं सकृच्छ्रद्रव्य-	१४१	घर्माध्यापनेनिर्देशे	४४८
द्रव्यं भिन्नं गुणात्स्वस्मात्	३६०	घर्भिणीति स्वयं साध्या-	१९५
द्वयोरिवं सदोषत्वं	४१७	घर्भिणापि विनामावात्	३२७
दृष्टेष्टवाचनं तस्या-	७२	[न]	
दृष्टिचारित्रमोहस्य	११५	न मतिज्ञानतापात्ति.	२७
दृष्टमैद्रियकं नित्यं	३४६	ननुत्त्र तद्भेद-	३२
दृष्टांतस्य परित्यागात्	३४७	न चैवं संभवेदिष्ट	४७
दृष्टत्वाति स्थितश्चार्यं	३४९	न साध्यसाधनत्वादि	९१
दृष्टातस्य च यो नाम	३६५	नयेन व्यभिचारश्चेत्	९३
दृष्टांतधर्मं साध्यार्थे	४७४	न सिद्धसाध्यतैवं स्यात्	८५
दृष्टातिषि च यो धर्म-	५३५	नन्वसकल्पनाकाळे	१०९
द्विषप्रसंगतस्तत्र	२४	न चेदं परिणामित्व-	१२४
द्विप्रकारं जगौ जल्पं	३२२	न निर्विकल्पकाप्यक्षात्	१४६
द्वितीयकल्पनायां तु	३४२	नयो नयो नयाश्चेति	२१६
द्वितीयकल्पनायां तु	३८३	नयाना लक्षणं बह्वयं	२१८
द्विप्रकारततो बह्वयः	५६०	नन्वयं भाविनीं संज्ञां	२३१

श्लोक	पृष्ठ नं
नर्जुसूत्रादिषु प्रोक्त-	२३३
नवधा नैगमस्यैवं	२३९
नर्जुसूत्रप्रभूतार्थो	२७१
नयार्थेषु प्रमाणस्य	२९०
न घर्भी केवठः साध्यो	३२६
न प्रतिज्ञानरे तस्य	३९६
निप्रहृस्थानसंख्यान-	३६६
न प्रतिज्ञाविरोधेत-	३६७
ननु चान्नानमात्रेपि	४१८
नवकंबलशद्वेष्टि	४३२
न चेदं वाक्छलं युक्तं	४४९
न सर्वस्याविशेषः स्यात्	५१८
नामायुरुदयापेक्षो	२
नावधिज्ञानवृत्तर्क	५
नाशेषपर्ययाक्रां	५८
नाश्रयस्याप्यथाभाव	१२२
नामादयोपि चत्वारः	२२५
नात्रादिकलरना युक्ता	३४२
नात्रेदं युज्यते पूर्व-	३१६
नाश्रयाश्रयिभावोपि	५४०
निर्वर्तित शरीरादि	२३
निःश्रेयसं परं तावत्	७७
नियमेन तयोः सम्यक्	११४
नित्यो वचनिसमूर्तश्चात्	१५४
नियोगो भावनैकांतात्	१६३
निर्देशाधिगमोपायं	२१०
निराकृत्य विशेषस्तु	२४१
निराकुरेति य द्रव्यं	२४८
निकमस्य परिवच गः	३४७

श्लोक	पृष्ठ नं.
निदर्शनादिवाधा च	३६६
निराकृतो परेणास्य	३६७
निर्दोष साधनोक्ती तु	४१६
निर्वक्तव्यास्तथाशेषा	४६१
निषेधस्य तथोक्तस्य	५३४
निप्रहाय प्रकल्प्यते	५४५
नैगमाप्रतिकूल्येन	२७२
नैगमव्यवहारान्यो	२७३
नैरर्थक्यं हि वर्णानां	३८८
नैवमात्वा ततो नायं	४७०
नैवोपलब्ध्यभावेन	५३०
नैताभिर्निग्रहो वादे	५४५
नोपयोगी सद्यः स्थाताम्	१००
[प]	
परतोऽपमपेक्षस्या-	२६
पर्यायमात्रगोत्रेते	४३
परमावधिनिर्णीते	६६
पर्यायेभ्यिति निर्देशात्	७४
पंचभिर्व्यवधानं तु	१०७
पंचषैस्सप्तम्यैस्तेषां	१०८
पररूप्रादितोऽशेषे	१३३
पक्षत्रितयान्निस्तु	१९२
परपरेण कालेन	१६१
परस्तराविनामृतं	१६७
पर्यायशब्दमेदेन	२६३
परार्थाधिगमस्यत्र-	२९३
पक्षस्तिव्यविनामात्रे	३३१
पंचावयवाङ्गिगस्य	३३३
पक्षसिद्धिविहीनस्यात्	३४१

श्लोक	पृष्ठ नं.	श्लोक	पृष्ठ नं.
पराजयप्रतिष्ठान	३४१	प्रमु सामर्थ्यतो वापि	३१५
पक्षत्यागात् प्रतिज्ञाय	३४८	प्रतिज्ञादी च तस्यैव	३२४
परेण साधिते स्वार्थे	३५२	प्रतिज्ञातोर्षसिद्धौ स्यात्	३३६
पक्षस्य प्रतिषेधे हि	३७६	प्रतिदृष्टात उभस्य	३४९
परिषद्प्रतिवादिभ्यां	३८५	प्रतिज्ञाहानिरित्येव	३४६
पत्रवाक्यं स्वयंवादि	३८६	प्रतिज्ञाहानिसूनस्य	३४९
पदानां क्रमनियमं	३९१	प्रतिदृष्टात एवेति	३४९
पक्षश्चेत् किमु तत्साध्यं	५११	प्रतिषेधे प्रतिज्ञातः	३५४
पक्षस्य हि निषेध्यस्य	५३५	प्रतिज्ञातार्थादित्यर्थं	३५७
परोक्तं पुनरव्याप्त	५५७	प्रतिज्ञाहानितश्च स्य	३५८
पचात्रपनाक्यं वा	५५९	प्रतिदृष्टानुभस्य	३५८
प्रत्ययस्यांतरस्यातः	७	प्रतिज्ञाया विरोधो यो	३५९
प्रत्यक्षस्यावधे. केपु	६२	प्रतिज्ञाया. प्रतिज्ञात्वे	३६०
प्रकृत्यमाणतात्वक्ष-	७१	प्रतिज्ञा च स्वयं यत्र	३६१
प्रतिपक्षिर्मिप्राय-	१२८	प्रतिज्ञादिषु तस्यापि	३६५
प्रत्यक्षं तु फलज्ञानं	१४७	प्रतिज्ञानेन दृष्टाते	३६५
प्रधानपरिणामत्वात्	१४७	प्रत्यक्षादिप्रमाणेन	३६६
प्रतिज्ञार्थकदेशस्तु	१४८	प्रमाणेनप्रसिद्धौ तु	३२८
प्रमेयत्वादिरेतेन	१५१	प्रतिज्ञावचनेनैव	३७०
प्रमाणवाचनं नाम	१५७	प्रतिपक्षविनामावि	३७१
प्रयोजनविशेषस्य	१५८	प्रतिज्ञार्थापनयनं	३७४
प्रमाणसंस्त्वस्त्वेवं	१५८	प्रतिज्ञाहानिरेवेतैः	३७५
प्रमाणसंस्त्वै चैवं	१६०	प्रतिषेधशून्यानाम्	३८०
प्रत्ययार्थो नियोगश्च	१६४	प्रतिषेधकल्पे कथं युक्तं	३८५
प्रमाणं किं नियोगः स्यात्	१६९	प्रतिषेधशून्यानाम्	३८७
प्रमाणगोचरार्थाज्ञा	२२३	पुनर्वचनमर्थस्य	४०५
प्रमाणात्मक एवार्थं	२३०	प्रयुक्तचारासमर्थत्वं	४११
प्रमेया प्रतिपर्याया	२७४	प्रधान चैवमाश्रित्य	४२३
प्रवक्त्रा ज्ञापमानस्य	२९४	प्रयवस्यानुरायाप	४३२

श्लोक	पृष्ठ नं.
प्रसंगः प्रत्यवस्थानं	४१७
प्रयुक्ते स्थापना हेतौ	४६०
प्रतिदृष्टातरूपेण	४८९
प्रयत्नानंतरोत्थेपि	५०४
प्रक्रियातनिवृत्त्या च	५१०
प्रतिपक्षोपपत्तौ हि	५१०
प्रयत्नानंतरोत्थत्वात्	५१४
प्रयत्नानंतरीरत्य-	५१८
प्रयत्नानंतरीरत्वे	५१८
प्रतिज्ञानादियोगस्तु	५३९
प्रयत्नानेककार्यत्व	५४१
प्रयत्नानंतरं तावत्	५४२
पारंपर्येण तु व्यागो	३४७
प्राच्यमेकं मतिज्ञानं	९५
प्रादुर्भवत्करीष्याशु	१११
प्रादुर्भूतिक्षणादूर्ध्वं	१६१
प्राधान्येनोभयात्मानं	२३२
प्राश्रिकत्वं प्रवक्तव्यं	२९८
प्राच्ये पक्षे कंडकोक्तिः	३३८
प्राज्ञोपि विभ्रमाद्भ्रूयात्	३५७
प्रागुपन्यस्य निःशेषं	४१०
प्राप्त्या यत्प्रत्यवस्थानं	४८५
प्राप्तयोः कथमेकस्य	४८५
प्राप्तस्यापि इह दंडादेः	४८५
प्रागुत्पत्तेरनुत्पत्ते	४९९
पुद्गलेषु तथाकाशा-	६४
पूर्वसूत्रोदितव्यात्र	४०
पूर्वत्र चोच्यते संख्या	२८९

श्लोक	पृष्ठ नं.
पूर्वः पूर्वो नयो भूय	२६९
पूर्वं वक्ष्या युयुः पश्चात्	२९८
पूर्वं वा साधनात्स च्यं	५११
प्रेरकत्वं तु यत्तस्य	१६४
प्रेरणैव नियोगोत्र	१६५
प्रेर्यते पुरुषो नैव	१६६
प्रेरणा विषयः कार्यं	१६१
प्रेरणा हि विना कार्यं	१६७
प्रोक्तः स प्रतिपालो वा	२०

[च]

ब्रह्मायवप्रहादीनां	१०४
बहुष्वर्थेषु तत्रैको	१०४
बहिरंतश्च यत्पूर्णां	१३१
ब्रह्मायवप्रहायष्ट	१४०
ब्रह्म त्वाद्वैतमप्येवं	४२४
बाह्यौ हि प्रत्ययावत्र	५
बोध्या द्रव्येषु सर्वेषु	७३
बोध्योऽनैकातिको हेतु	१५०

[भ]

भनप्रत्यय इत्यादि	२
भवप्रत्यय एवेति	४
भवं प्रतीत्य यो जातो	२०६
भवान्विता न पंचैते	२२५
भावयन्ति प्रतिभागेन	९६
भावशब्दसमूहं हि	३६३
भित्ते तु सुखनोदित्वे	२३६
भिरा भिरामिरत्यंतं	२३९



श्लोक	पृष्ठ नं.	श्लोक	पृष्ठ नं.
भिष्माक्षरतयोमाम्नां	११०	[य]	
मूयः सूस्मार्थपर्याय	३६	यदाक्षन्वी परार्थो स्तः	२४
[घ]		अरक्षन्मर्णा हि भेदाणां	१२२
मनःपर्ययविज्ञान	२३	यदा पामनः प्राप्तः	२८
मनोकिंगनतापचेः	२७	यदाचेन्द्रियनहानं	७०
मममययपोरुक्क	२९	यदोपपुम्भने द्वाहना	१०९
मत्तिश्रुते समाहृयाते	४०	यदा कथादयः पुंसः	१२०
मथ्यादिप्राययो नैव	४१	यथा सरबसाहानू	१२३
मत्तिपूर्व सुनं यद्वत्	७१	यतो विवर्णयो न स्थात्	१२४
मनःपर्ययविज्ञानं	७१	यस्याभ्यविपरीतायो	१४८
मथ्यादयः समाहृयाताः	११४	यथा हि बुद्धिबन्धु	१२०
मत्तिमुगावविज्ञान-	११९	यतः सापे शरीरे स्वे	१५०
मयादयोत्र वर्तते	१२८	यत्रार्थे साधयेदको	१५४
मयज्ञानं विभंग्य	१३०	यः सापञ्चविपञ्चान्व	१५६
मवेदं कार्यमित्येवं	१६३	यदा नैकंगमो यत्र	२३२
मवेदं भवेयमित्येवं	१६८	यथा प्रतिक्षणं चंभि	२३४
मवेदं कार्त्तमित्येवं	१६९	यस्तु पर्यायद्वन्द्वं	२३६
मर्थादातिक्रामाभाव	२९७	यत्र प्रवर्तते स्वार्थे	२८९
मर्थादातिक्रमे लोके	३११	यथा चैकः प्रवक्तान्	२९७
मंत्रशक्त्या प्रमुखावत्	३१९	यथा वायादयो लोके	२९९
मंचाक्रोशंति गार्थति	४४८	यपोवासापरिज्ञानं	३३८
मनोनेकेन सिद्धेयं	११९	यदेव वादिनो पञ्च	३६३
मिथ्याद्वन्द्वोपचारित	७९	यत्साइन्द्रियक्षयस्य	३५२
मिथ्याज्ञानविक्षेपः स्यात्	११७	यथात्र प्रकृते हतौ	३७७
मिथ्यात्मं त्रिष्ट बोधेष्ट	१२०	यदि ह्येवंतोपैव	३७८
मिथ्यात्वोदयकृद्भवे	१२१	यथा चोद्भूयिते दोषे	३७८
मुद्वयकृतपथा दत्त	४९४	यदा मेदन्ते तावत्	३८५
		यदा तु लो महाप्राज्ञो	३८५
		यथापशद्वयः शत्रू	३९२
		यथा च संस्कृतापठकृत्	३९३
		यथा चार्थप्रतीति स्मात्	४००

श्लोक	पृष्ठ नं.
यन्नांतरोगकासिद्धिः	४१०
यः पुनर्निप्रइप्राप्ते	४१५
यदात्प्रनिप्रइस्थाने	४१०
यथैकलक्षणो हेतुः	४१७
यस्मादाद्ध्यत्रसिद्धिः	४३२
यत्र पक्षे विवादेन	४३६
यत्र संमत्रतोर्यस्य	४४१
यस्येष्टं प्रकृते वाक्ये	४४४
यथा वियर्ययज्ञान	४५९
यत्राविशिष्यमाणेन	४६१
यथा क्रियामृदास्मायं	४६१
यथा लोष्ठो न चत्सैव	४६८
यथायं साधयेद्वेतु	४८५
यथा रूपं दिदृक्षुग	४८८
यथा पुंसि विनिर्णीते	५०५
यदि प्रयत्नजत्वेन	५१५
यथैवास्पर्शवत्त्वं खे	५१३
यथा च प्रत्ययस्थानं	५१६
यथा न विद्यमानस्य	५२९
यस्तूक्तः प्रातिभो वादः	५५९
यथा पद्यं मया वाच्यं	५५९
यथा छंगरहान्यादि	५५९
यथा द्यूतविशेषादौ	५५९
या वैधर्म्यसमा जातिः	४८९
येऽप्रतोत्र प्रनश्यंते	४
ये प्रमाणादयो भावाः	२२६
येषां प्रयोगयोप स्ति	३५२
येनू द्वेतुर्दतस्तेन	३६०

श्लोक	पृष्ठ नं.
योर्धारोपोपपस्या स्य त	४३०
योयं क्रियार्थमाज्ज्ञे	२६६
यो द्यसिद्धतया साध्यं	४२७
योर्थसंभावयन्नर्थः	४३५
योगेन निप्रइः प्रत्यः	४५५
या प्रत्यकस्थितिः सात्र	५१५
[र]	
राजापेक्षणमप्यस्तु	२९६
रागद्वेषविह्वानत्वं	३१६
रूपं पुद्गलसामान्य	६२
[क]	
उद्युद्भूतेर्न विच्छेदः	१०७
छंदनादिकदृष्टातः	९१
छिगागमादिविज्ञानं	८४
छिगाःसाधयितुं शक्यो	३३६
छिगं येनाविनाभावि	३२६
छोक्तसंभूतिप्रत्यं च	२४९
छोद्य. स्यात्सक्तियाध्यात्मा	४७९
छौकिकार्यविचारेषु	३१७
[च]	
चर्द्धमानोवधिः कश्चित्	१९
चक्ष्यमाणस्वतश्चास्य	१८
चक्षुःशक्त्यानुवदिता	२९९
चक्षुःशक्त्येऽत्र वर्तेते	३३०
चर्णकमस्य निर्देशो	३८१
चर्णकमादिशब्दस्य	१८१
चक्षुः प्रलापमात्रे तु	३८६
चक्षुः संभाव्यते तस्मात्	४५२

श्लोक	पृष्ठ नं.	श्लोक	पृष्ठ नं.
वर्णार्थवर्णविकल्पैश्च	४७१	विनापि तेन लिङ्गस्य	३२७
वक्तव्यं साधनस्यपि	४८७	विरुद्धसाधनोद्भावां	३३२
वस्तुतस्तादृशैर्दोषैः	५५०	विनश्चरस्त्रभावोयं	३४६
व वासिद्धौ प्रसिद्धौ च	१४४	विरुद्धादिप्रयोगस्तु	३५६
वादिनः स्पर्धया वृद्धिः	२९९	विरुद्धसाधनाद्वायं	३६४
वादिनोर्वादनं वादः	३१५	विरुद्धोद्भावनं हेतोः	३७१
वादीतरप्रदानेन	३६८	विभागिनोदितस्यास्य	४३०
वादेऽप्युद्भावयन्नेतत्	४१९	विद्याचरणसंपत्ति	४४४
वाचो युक्तिप्रकारणाम्	४१९	विमुत्स्वरहितं दृष्टं	४६९
विशुद्ध्यनुपमाऽनुसो	१८	विपर्यासनतो जातिः	४७६
विशुद्ध्यन-वयादेशो	१९	विधाविव निषेधेपि	५४४
विशुद्धेरनवस्थानात्	२०	वीर्योतरायविच्छेद	९१
विषयेण च नि दोष	३७	वीतरागाः पुनः स्वार्थान्	१५९
विषयेषु निबधोस्ति	४२	वृद्धप्रसिद्धितस्त्वेष	३९४
विनेयापेक्षया हेयं	७७	वृत्त्याद्यभावसंसिद्धेः	५२९
विशेषापेक्षया होया	१२१	वैस-दृश्यविवर्तस्य	२२४
विपर्ययो यथा लोके	१२९	वैनीयमानवस्वशा.	२८८
विरुद्धाक्ष च भिन्नोऽसौ	१४९	वैधर्म्येणोपसंहारे	४६९
विवादाऽप्यासितं धामत्	२५०	वैधर्म्येणैव सा तावत्	४६९
विना सपक्षसत्तेन	१५३	व्ययसायात्मकं चक्षुः	१०८
विश्ववैदम्भरः सर्व	१९२	व्युत्क्रमादर्धनिर्णीति	६९२
विपक्षे बाधके वाचि	१९७	व्योमं तथा न विज्ञातो	४६६
विशेषणं तु यत्तद्य	१६४	[श]	
विस्तराणेति स्तने	२१५	शद्धसंसृष्टविज्ञाना-	१००
विद्यते चापरो शुद्ध	२३९	शम्भ्यर्पणात्तु तद्भावः	१०५
विश्वदृश्याम्प जनिता	२५५	शम्भुर्लोकमध्यगदी तु	१०६
विशेषैरुच्योः सर्व.	२७३	शद्धादिनश्चाद्धेतु-	१४३
विश्रुतः सकलाभ्यास तु	२९४	शद्धादौ चाक्षुषवादि	३४४

श्लोक	पृष्ठ नं.	श्लोक	पृष्ठ नं.
शद्वत्त्वशावणत्वादि	१५१	सर्वघातिक्षयेऽत्यंतं	११५
शद्व्यापाररूपो वा	१७०	स च सामान्यतो मिथ्या	११५
शद्वन्नक्षेति चान्येषां	२४१	समुच्चिनोति चस्तेषां	११६
शद्वकाळादिभिर्भिन्ना	२६२	समानोर्थपरिच्छेदः	१२६
शद्व्वात्पर्यायभेदेन	२७२	स चाहयो विनिर्दिष्टः	१३०
शद्वो सर्वगतस्तावत्	३९९	सति स्वरूपतोऽशेषे	१३०
शद्वानित्यत्वादिष्वर्थे	३५८	सत्यसत्त्वविपर्यासाद्	१३७
शद्वन्वाख्यान्वैयर्थ्यं	३९३	सोपयोगं पुनश्चक्षु-	१११
शद्वो विनश्चरो मर्त्य-	४९९	सति त्रिविक्रष्टार्थे	१३८
शद्वोऽनित्योस्तु तत्रैव	९१५	सत्त्वादिः सर्वथा साध्ये	१४३
शद्वानित्यत्वादिष्वर्थे	५२२	संदेहविषयः सर्वः	१४५
शद्वस्यावरणादीनि	५३०	सन्नप्यज्ञायमानोत्र	१४५
शद्व्वाश्रयमनित्यत्वं	५३९	सत्त्वादिः क्षणिकत्वाद्	१४८
शाश्वतस्य च शद्वस्य	४९९	संशोत्पत्तिगितांस्तु	१९१
शुद्धद्रव्यमशुद्धं च	२३६	सति ह्यशेषेवेदित्वे	१९३
शुद्धद्रव्यार्थपर्याय	३३७	सर्ववर्कालवादे तु	२५४
शुद्धद्रव्यमभिप्रेति	२४०	स च सत्प्रतिपक्षोत्र	१५५
श्रुतेनार्थं परिच्छिद्य	५२	संवादित्वत्प्रमाणत्वं	१५८
श्रुतस्यावस्तुवेदित्वे	५४	सराग्रप्रतिपक्षणां	१९९
शेषा मनुष्यतिर्थयो	१५	सवमेव विज्ञानायात्	१६१
शेषा विप्रतिपत्तिः	१६०	सत्संयमविशेषोत्पयो	२०६
[प]		संक्षेपाद् द्वौ विशेषेण	२१५
षड्विकल्पः समस्तानां	१६	संकल्पो निगमस्तत्र	२३०
[स]		संप्रहे व्यवहारे वा	२३३
सर्वपर्यायमुक्तानि	५७	सत्सैते नियतं युक्ता	२३३
सर्वांनतादियान् वेत्ति	८०	संवेदनार्थपर्यायो	२३४
सर्वस्य सर्वदात्वे तत्	१०६	सर्वथा सुखसंविद्यो	२३५
समोपयुक्ता तत्र	१०९	सच्चैतन्यं नरीत्यर्थं	२३५
संस्कारसृष्टिहेतुर्वा	११०	सद्द्रव्यं सकलं वस्तु	२३६

श्लोक	पृष्ठ नं.	श्लोक	पृष्ठ नं.
सत्त्वं सुखाद्यपर्यायात्	२३८	सत्स्वपक्षप्रसिध्यय	४१८
समेकीभावसम्भवे	२४०	सर्मा प्राप्तस्य तस्य स्य त्	४२२
संप्रवेण गृहीतानां	२४४	स्वय नियतसिद्धातो	४२२
स चानेकप्रकारः स्यात्	२४४	सर्वथा शून्यतावादे	४९९
संयोगो निषयोगो वा	२९०	सधर्मत्वविधर्मत्व	४९९
समुदायः क्व च प्रेत्य	२५०	संक्रासपेक्षणो यद्वत्	४८९
सन्मात्रविषयत्वेन	२७०	सत एव तु शब्दस्य	५००
संप्रदायवद्गारोपि	२७१	संदेहेऽप्यंतसंदेहः	९०९
संप्रदादेश्च शेषेण	२७३	सर्वार्थेष्वविशेषस्य	९१८
सर्वे शब्दनयास्तेन	२८८	सत्त्वेन च सधर्मत्वात्	५३६
सहस्रेष्टशती यद्वत्	२८९	सर्वदा किमनित्यत्व-	५४०
संक्षेपेण नयास्तावत्	२९१	सत्त्वाभावादभूत्वास्य	५४३
सत्यवार्तिमविधातन्यः	२९४	समुद्दिष्टो मार्गः—	५६०
सम्बन्धनुमतं तत्र	२९७	सामानाधिकरण्यं च	२१
सत्यसाधनसामर्थ्यं	३१७	साध्ये सत्येव सद्भावात्	७१
समर्थसाधनाख्यानं	३१७	साध्यर्थं चक्षुरादीनां	१४९
सदोषोद्भावनं वापि	३१७	साध्ये च तदभावे च	१५३
सम्यप्रत्यायनं तस्य	३२८	साध्याभावे प्रवृत्तो हि	१५६
सत्साधनवचः पक्षो	३३०	साध्याभावे प्रवृत्तेन	१९७
सत्ये च साधने प्रोक्ते	३३८	साध्यस्याभाव एवार्थं	१५७
सर्वं पृथक् समुदाये	३६३	साध्यरूपतया येन	१६८
सर्वथा भेदिनो नाना-	३६४	सामान्यादेशतस्तावत्	२११
संवाचवयवान्मयायात्	३९१	सामान्यस्य पृथक्त्वेन	२९४
सम्यप्रत्यायनं यावत्	४०६	सामानाधिकरण्य क	२४९
सहृदादे पुनर्वादी	४८७	साशब्दत्रिगमादन्य त्	२७३
सर्वेषु हि प्रतिज्ञान	४१३	सामिम नजनारम्या	२९५
संमन्त्रयुत्तरं यत्र	४१५	साध्यर्थं पुनरीशस्य	३१९
संक्षेपतोम्यया कायं	४१८	सा पक्षांतरसिद्धिर्वा	३२०
सत्यमेतदामिप्रेत-	४१८		

श्लोक	पृष्ठ नं.
सामर्थ्याद्गम्यमानस्य	३३४
सा तत्र वादिना सम्यक्	३४१
साध्यधर्मविरुद्धेन	३४६
सापान्यमैन्द्रियं नित्यं	३४९
सा हेत्वादिपरित्यागात्	३५०
सास्त्वेष हि प्रतिज्ञान-	३५२
सामान्येनैन्द्रियत्वस्य	३५४
साधनाययवस्यापि	३७१
साधनार्थयवोऽनेकः	३७२
स धर्म्येनेह दृश्यते	४९८
साधर्म्येणोपसंहारे	४६२
साध-साधनयोर्व्याप्ते	४६३
साध्यदृष्टातयोर्धर्म	४७१
साध्यधर्मिण्य धर्मस्य	४७५
साध्यधर्मविवरणं तु	४७७
साध्यदृष्टानयोर्धर्म-	४८०
साध-साधनयोर्व्याप्ते	४८०
साध्य-साधनयोर्व्याप्ते	४८९
सामान्यघटयोस्तुस्य	९०४

श्लोक	पृष्ठ नं.
सिध्यमावस्तु योगीनां	३४३
सिद्धसाधनतरतेशा	३५२
सुखजीवमिदोक्तिस्तु	२३८
सोपयोगं पुनश्चक्षुः-	१११
सोध्यनैकातिकामान्य-	१५६
सोध्यप्रतिमयोक्तः स्यात्	४२०
सोपि नाप्रतिमातोस्ति	४२२
सोध्ययुक्तः स्वपक्षस्य	४२२
सोप-सन्नि-समाजातिः	९२४
सोयं निगीयुनोवाय	५६०
स्मृतायननुमूर्तार्थे	१४१
स्यात्तेषामवधिर्बाह्य	१९
स्याद्विरोध इतीदं च	१६८
स्वपदार्थं च वृत्तिः स्यात्	२५
स्वतो न तस्य सवित्तिः	४८
स्वयं संवेद्यमानस्य	४८
स्वशक्तिवशातोऽसर्व	६४
स्वरूपासिद्धता हेतोः	८४
स्वर्णे स्वर्णमिति ज्ञानं	१२९

श्लोक	पृष्ठ नं.	श्लोक
स्वयं प्रवर्त्तमानाश्च	४२४	हेतुवैद्वियेकत्वे तु
स्वसाध्यादविनाभाव	४१६	हेतोर्वैद्वियेकत्वस्य
स्वतंत्रयोस्तथाभाव	५१२	हेतुदाहणान्तरं यत्
स्वज्ञेये परसंताने	५१२	हेत्वाभासाश्च योगोक्तः
स्वामिरेनाभिमानो हि	१६८	हेत्वाभासत्रयं केपि
स्वार्थानुमाने वाद्ये च	३२१	हेत्वादिषांगसामर्थ्य
स्वार्थिके केधिके सर्व	४०१	हेतुर्विशिष्टसाधर्म्यं
स्वेष्टधर्मविहीनत्वे	१११	[क्ष]
स्वेष्टार्थसिद्धेरंगस्य	३३३	क्षणमेकं सुखी जीवो
स्वाभाविकी गतिर्न स्यात्	९१	क्षयहेतुरित्याख्यातः
[ह]		क्षयोपशमतो जातः
हेतुविरोधोपि	३६५	क्षयोपशममाविभ्रत्
हस्तास्फाटनमार्कपः	३७६	क्षयोपशम इत्यंत
हसति हसति स्वामिन्	४०५	क्षयोपशमिकं ज्ञानं
हातुं योग्यं मुमुक्षुणा	७८	क्षयोपशमिकं ज्ञानं
हांयमानोवधिः शुद्धेः	१९	क्षेत्रनोवधिरेवातः
हीनमन्यतमेनापि	१९७	क्षेत्रद्वयेषु मूयेषु
हेयोपादेयतत्वस्य	७६	[ज्ञ]
हेत्वाभासवञ्जानं	१४२	ज्ञानस्यार्थपरिच्छित्तौ
हेत्वाभासस्तु सामान्यात्	१४२	ज्ञानं प्रकर्षमायाति
हेतोर्नस्याश्रयो न स्यात्	१४५	ज्ञानस्यावरणं याति
हेत्वादिलागतोपि स्यात्	३४८	ज्ञानानां सहभावाय
हेतोर्विरुद्धता वा स्यात्	१६०	ज्ञानद्वयसकृज्जन्म
हेतुः प्रतिज्ञया यद्	३६३	ज्ञानं ज्ञानांतराध्यर्थं
हेतुस्तत्र प्रसिद्धेन	३६३	